

January to March 2017
E-Journal, Volume III, Issue XVII
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 4.710 (2016)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
(U.G.C. Approved Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

अनुक्रमणिका/Index

01.	अनुक्रमणिका /Index	02
02.	क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल/ निर्णायक मण्डल	13/ 14/ 15
03.	आम और खास के जनजातीय सन्त बौंदरू (डॉ. मधुसूदन चौबे)	17
04.	ग्राम शिकारा जिला-सिवनी का आर्थिक-सामाजिक अध्ययन (डॉ. राजेश शामकुंवर)	19
05.	परचरीकार सन्त खेमदास - एक अध्ययन (डॉ. मधुसूदन चौबे)	21
06.	कृष्ण भक्त सन्त लालदास - जीवन एवं शिक्षाएँ (डॉ. मधुसूदन चौबे)	23
07.	सामाजिक विद्रूपताओं का महाग्रंथ - रागदबारी (डॉ. वारिश जैन)	25
08.	गाथाकार सन्त धनजीदास और उनका योगदान (डॉ. मधुसूदन चौबे)	27
09.	Manufacturing Of Yarn From Some Natural Fibres Of Himalayan Origin And Their Blends	29
	(Sambaditya Raj, Prof. Himadri Ghosh, Dr. Prabir Kumar Choudhuri)	
10.	भारतेंदुकालीन हिंदी नवजागरण का समीक्षात्मक अध्ययन (सोनिया राठी)	32
11.	Enhancing Beauty of Khadi for Apparel through Clamp Dyeing	37
	(Meghshyam Gurjar, Prof. Himadri Ghosh)	
12.	बालश्रमिकों की स्थिति एवं इनके हित के लिये किये जा रहे प्रयासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन	40
	(सागर जिले के संदर्भ में) (सीमा सिंह, डॉ. शैलजा दुबे)	
13.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (डॉ. निधि वाडेकर) ...	43
14.	ग्रामीण विकास में उत्पन्न समस्याओं का समग्र अध्ययन (डॉ. सावित्री पाटीदार)	45
15.	बैगा जनजाति में सामाजिक परम्परा (सीमा सिंह, डॉ. शैलजा दुबे)	47
16.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास मर्यादित बैंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. निधि वाडेकर) .	49
17.	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायतों का योगदान (डॉ. सावित्री पाटीदार)	51
18.	मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रित शैलाश्रय (डॉ. उमा त्रिपाठी)	54
19.	रामचरित मानस में वर्णित मानव मूल्यों के प्रसंगों का अध्ययन (डॉ. रामरतन साहू, रंगनाथ यादव, श्रीमती मंजू साहू)	57
20.	विज्ञापन कला की उपयोगिता एवं महत्वता- एक समीक्षात्मक अध्ययन (डॉ. ऋषिका शर्मा)	60
21.	रायगढ़ जिले में स्वाधीनता की लड़ाई (डॉ. रामरतन साहू)	64
22.	Scholastic Achievement In Relation To Self Concept of B.Ed. Student Teachers of Mandsaur	67
	& Neemuch District (Dr. Nisha Maharana, Yogita Somani)	
23.	मानवता एवं शौर्य के प्रतीक छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह (बिड़वार जनजातीय के विशेष संदर्भ में) (मंजू साहू) .	70
24.	उत्तररामचरितम् में जीवविज्ञान (डॉ. वेद प्रकाश मिश्र, रीना देवांगन)	72
25.	Study on Hi-Tech Vegetables Production Trends and Potential Market for Excel Crop Care Ltd.	77
	(Tarannum Hussain, Shahbaaz Sheikh)	
26.	लोक कल्याणकारी राज्य में ईसाई मिशनरियों की भूमिका (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)	84
	(डॉ. संध्या जायसवाल, पूर्णिमा मानिकपुरी)	
27.	History of Female Procession Artist from Sir J.J.School of Art (Douglas M. John, Dr. Pushpa Dullar)	86
28.	विक्रमोर्वशीयम् में जीव विज्ञान (डॉ. वेद प्रकाश मिश्र, रागनी कश्यप)	91
29.	Procession paintings of Mumbai and the Innovation of Revival Art (Douglas M. John)	95
30.	Application of Dabu Mud resist Printing and Indigo Dye on Khadi Fashion Accessories	100
	(Meghshyam Gurjar, Prof. Himadri Ghosh)	
31.	Innovation in traditional Namda Handicraft (Sharmila Gurjar, Prof. Himadri Ghosh)	104
32.	Comparsion Of Leg Strength Among Throwers And Jumpers In Athletics	108
	(Talvinder Singh Aoulak, Jai Shankar yadav)	


33. HR Practices in SBI Public and ICICI Private Bank (Dr. Neetu Meena)	110
34. महाविद्यालयीन युवतियों की कैरियर के अवसरों के प्रति जागरूकता (मोनिका चौहान)	114
35. होलकर राज्य के मालवा में मराठा अभ्युदय (रीना मुजाल्दे)	117
36. महाविद्यालयीन युवतियों का पारिवारिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव-गंभीर सामाजिक चिन्तन(मोनिका चौहान) ..	120
37. होलकर शासनकाल में मालवा के वणिक सर सेठ हुकुमचंद का साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान	123
(रीना मुजाल्दे)	
38. निमाड़ क्षेत्र के संजा पर्व का समाज में महत्व (रविना मण्डलोई)	127
39. होशंगाबाद जिले में शिक्षा का विकास (1861 से 2000 ई.तक) (लक्ष्मण उईके)	129
40. पाठ्यक्रम अन्तरण में अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभाविकता (डॉ. आर.के. अरोरा, अंजना पाटनवाला)	131
41. परमारकालीन आशाधर और जैन प्रतिमा विज्ञान (डॉ. स्नेह लता सिंह)	134
42. सर्वहारा के विद्रोह का अंकन - नागार्जुन (डॉ. विजयता पंडित)	136
43. मेहरुन्निसा परवेज़ के उपन्यासों में युगीन स्वर (डॉ. वैशाली मोरे)	138
44. हिन्दी कहानियों में महाभारत में प्रसंग (डॉ. वैशाली मोरे)	139
45. Reaction of the B.Ed. students towards Self Teaching on Gender, School and Society	141
(Dr. Nisha Maharana, Rakhi Jain)	
46. A Study Of Module With Jerk Technology In Terms Of Students Reactions (Dr. Nisha Maharana) .	144
47. बीसवी शताब्दी में छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा का विकास एवं उसका सामाजिक प्रभाव (जयभारती बेलवंशी)	149
48. Job Satisfaction of University Employees in Jabalpur 'A Comparative Study of RDVV	151
and JNKVV ' (Swati Chouhan)	
49. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के द्वारा स्वीकृत मध्यकालीन ऋण (सोहनसिंह डावेल, डॉ. सुनील कुमार शर्मा) ..	154
50. वाल्मीकीय रामायण में चित्रित नारी - जीवन (पंकज कुमार सिंह)	156
51. वाल्मीकि का नारी-दर्शन (पंकज कुमार सिंह)	160
52. Relationship of Selected Personality Traits and Attitude of College Students and	162
Old Aged Persons toward Yoga (Madan Mohan Mishra, Dr. Yuwraj Shrivastava)	
53. वाल्मीकि रामायण में माता का स्वरूप (पंकज कुमार सिंह)	165
54. डोगरी लोक-गीतों च लोकमानस दी आस्था दा प्रतीक : माता गंगा (डॉ. प्रीति रचना)	167
55. डॉ. प्रीति हुंदा बाल कविताएं च पर्व-ध्यान (शिव कुमार खजुरिया)	169
56. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की प्रमुख समस्याएँ एवं सुझाव (डॉ. रोहित पाटीदार)	171
57. निमाड़ी लोक जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. नन्दा मोरे)	173
58. Panchayat and its function in context of Ghatiya Tehsil, Distt. Ujjain (M.P.) (Prakash Gujarati)	175
59. The Unending Peregrination and the Unending Story: Reflection of Change in Gender	178
Roles of Men and Women in Dogra Society (Preeti Sharma)	
60. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा विषय की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के	180
अभिमत का विश्लेषण (मिथुन भट्ट, डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा)	
61. जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव (डॉ. सीताराम सिंह तोमर, विनोद कोली)	183
62. एस सी/एस टी के विद्यार्थियों के शिक्षा के उत्थान में आदिम जाति कल्याण विभाग का आर्थिक योगदान	186
(बकील सिंह कौशल, सरलेश मोर्य)	
63. स्वरोजगारों के श्रजन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का योगदान (सरलेश मोर्य, बकील सिंह कौशल)	189
64. निमाड़ी लोक जीवन का गैर जनजातीय जनसंख्या के परिप्रक्ष्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. नन्दा मोरे)	192
65. A literature review of various load balancing algorithms at data center level in cloud	194
computing (Neha Mathur)	
66. Review of novel plastic-to-fuel processing technologies (Vinay Mathur)	197
67. भील जनजाति की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका	200
(अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में) (आशीष नीलकंठ)	
68. Brechtian Themes In Tendulkar's 'Sakharam Binder': A Study (Dr. Uttam.B. Parekar)	202


69.	जनजातीय विकास में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका - एक अध्ययन (डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल)	207
70.	प्रबन्ध में मानवीय तत्व (डॉ. पी.के. सीरौठिया, डॉ. अर्चना सीरौठिया)	210
71.	An Analytical Study Of Unit Linked Plans Of LIC (Dr. Hitesh A. Kalyani)	212
72.	A Study On Consumer Protection Act (Dr. Anita Dani)	216
73.	गांधी दर्शन और शिक्षा (डॉ. कल्पना वर्मा)	219
74.	भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. अंजू श्रीवास्तव)	221
75.	महाराष्ट्रातील कृषी धारणक्षेत्र आणि उत्पादकतेचा अभ्यास (प्रा. स्वप्निल एस. बोबडे)	226
76.	कोरकू आदिवासींची लोकगीते (प्रा.सतीष एस. कर्णासे)	230
77.	स्त्रीवादी साहित्याची भूमिका (प्रा. डॉ. हेमचंद्र सोमाजी दुधगवळी)	233
78.	चंद्रपूर जिल्ह्याची ब्रिटिशकालीन प्रशासन व्यवस्था (डॉ. श्रीनिवास सातभाई)	235
79.	Importance of Physical Education in Social Development (Dr. Shikha Yadav)	237
80.	विकास का ताला खुलेगा कार्यालय प्रबंधन की चाबी से (डॉ. आलोक कुमार यादव)	239
81.	मंदी नियन्त्रण में राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. मोनिका सारंगदेवोत)	241
82.	शक्ति संतुलन का सुरक्षात्मक महत्व (डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा)	245
83.	सीमा और सीमान्तों की अवधारणा - भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में (डॉ. कौशलेन्द्र सिंह)	247
84.	यौद्धिक परिवर्तन का इतिहास (डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा)	249
85.	पर्यावरणीय अवक्रमण के प्रभाव (डॉ. कौशलेन्द्र सिंह)	251
86.	Disability and Constitutional Provision in India (In special reference to education of Children with special needs) (Dr. Ashok Kumar Tyagi)	253
87.	मेवाड़ राज्य के ठिकाने बाठेड़ा का भौगोलिक-ऐतिहासिक परिचय (हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत)	256
88.	भारतीय परम्परा में स्त्रियों की दशा (डॉ. श्वेता सिंह)	261
89.	सीहोर जिले की चयनित पंचायतों का व्यय एवं वित्तीय प्रबन्धन (देवेन्द्र सिंह परमार, डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा)	263
90.	भूमण्डलीकरण एवं राष्ट्रीय हित (डॉ. रितेश सिंगारे)	267
91.	Role of Gender Discrimination and Women's Development in Rural Areas (Dr. Sanjay Patni)	269
92.	Entrance of foreign universities in India and its impact on Indian higher education (Dr. Nilesh Gangwal)	274
93.	Demonetization - A Review on Developing Country (Kuldeep Agnihotri)	276
94.	ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन (बलिया जिले के करनई ग्राम के विशेष संदर्भ में) (डॉ. तृप्ति तिवारी, डॉ. राजेश कुमार शुक्ला)	279
95.	Women Entrepreneur : A key of Successful Indian Economy (Dr. Manoj Jain)	281
96.	A Study of Brand Loyalty (Dr. Sanjay Bhavsar)	285
97.	Know Your Customer (KYC) Policy (Dr. Pratiksha Vyas)	287
98.	Diversity of Gastropods from Panvel Creek, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra, West coast of India (Aamod N. Thakkar)	291
99.	उज्जैन शहर में पर्यटन केन्द्रों में प्रदूषण संबंधी समस्याएँ एवं भारतीय होटल उद्योग पर लागू एक सेवा गुणवत्ता मॉडल एक अध्ययन (राजेश कुमार वर्मा, डॉ. आर.बी. गुप्ता)	293
100.	हिन्दी कम्प्यूटिंग को तेजी आगे बढ़ाता यूनिकोड (प्रो. रफी मोहम्मद शेख)	298
101.	चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में वर्ष 2003 के चुनावी मुद्दे एवं विकास (बीना राणावत)	301


102. Brand Awareness and Brand Preference of Selected FMCG Companies in Rural Area 303 of Indore District (Dr. Sonal Gupta)	303
103. Rural Markets are Defined as those Segments of overall Market of Indian Economy– 308 A Conceptual Study (Dr. Sanjay Sharma, Dr. Vimal Sharma)	308
104. A Study Over Consumer Perception Comparing Flipkart and Amazon India 311 (Dr. Manoj Raghuwanshi)	311
105. Effect of Pre-Harvest Treatment of Onion for Increasing Storage Quality of Bulbs During 317 Storage at Ambient Condition (Sanjay Kumar, Abhimannu, Pranvir Singh, V. K. Sharma)	317
106. Yoga and Meditation in Indus Valley Civilization (Dr. Preeti Prabhat) 320	320
107. रतनपुरिहा गम्मत में संवाद का अनुशीलन (दिनेश कुमार राठौर) 322	322
108. Green Marketing - New Initiatives with Challenges (Dr. Dinesh Maheshwari) 325	325
109. मध्यकाल में उद्योग एवं व्यापार (संध्या रानी) 328	328
110. Mall Introduction, Management and Impact in India (Anukriti Srivastava) 331	331
111. Working Capital Analysis of Cement Companies in India 334 (Mr. Ramesh S. Kookda, Prof. Anita Shukla)	334
112. A Study on the Knowledge Perspective of Enterprise Platforms (Dr. Abhishek Raizada) 337	337
113. Commercial Banks' Contribution to the Development of Small-Scale Industries in Udaipur 341 (Dr. Mukesh Chauhan)	341
114. Role of Education in Women Empowerment (Dr. Surabhi Singhal) 344	344
115. समकालीन कविता में कुछ नये जनतांत्रिक मूल्य (डॉ. संजय सक्सेना) 346	346
116. उज्जैन जिले में धार्मिक पर्यटक आगमन प्रवृत्ति का विश्लेषण (खुशबू परिहार) 349	349
117. संतुलित आहार : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण का महत्व (पार्वती सिंह) 351	351
118. राजनीतिक समाजीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य (डॉ. आदित्य कुमार सिंह) 354	354
119. Women in Informal Sectors: Need for Economic Recognition and Government Support 356 (Dr. Arvind Prakash)	356
120. 'प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना' का संक्षिप्त अध्ययन (डॉ. अजय वाघे) 359	359
121. भारत में शरणार्थियों की समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. हरिचरण मीना) 361	361
122. Increasing Renewable Energy Myth or Reality (In Respect of Moradabad District) 364 (Ankit Kumar)	364
123. Avifauna Diversity of Panvel, Navi Mumbai, West Coast of India (Aamod N. Thakkar) 367	367
124. To Study the Learning Styles of Self-Regulated Learners 374 (Dr. (Prof.) Shashi Chittora, Ms. (Dr.) Anushka GKL Jain)	374
125. A Study of Women Perception Towards Impact of Daily Soaps of Television on 378 Their Lifestyle (Dr. Girish Shah)	378
126. भारत में दास प्रथा (मानवेन्द्र कुमार यादव) 381	381
127. अपभ्रंश चित्र शैली का लावण्य (डॉ. निशा गुप्ता) 383	383
128. सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं वसूली में आने वाली समस्याओं का अध्ययन 385 (श्रीमती तृप्ति शुक्ला (सराफ), डॉ. आर.के.पाटिल)	385
129. महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका (पूजा राठौर) 388	388
130. Hazardous Consequences of Increasing Population on Environment (Dr. Shubha Goel) 390	390
131. Role Of E-Governance In Indian Post Independence Era (Dr. Sangeeta Gupta) 396	396

132. मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति (जिन्सा रानी मरकाम).....	402
133. वेदों में मानवीय तत्व एवं वैश्विक अवधारणा (डॉ. उषा नागर)	405
134. सामाजिक अन्तःक्रिया का बदलता स्वरूप : सोशल मीडिया (डॉ. जयराम बैरवा)	407
135. A Review of Physiological Effect of Fluoridated Water on Selected Vegetation in	411
Nagaur District, Rajasthan (Priyanka Gupta, Dr. Ashok Nagar)	
136. आयुर्वेद और ऋग्वेद का अन्तर्सम्बंध एक विवेचना (डॉ. सुनीता मीना).....	415
137. मानवाधिकार संरक्षण और प्रशासन की भूमिका (डॉ. हनुमान प्रसाद मीना)	418
138. अथर्ववेद में वर्णित आचार शिक्षा एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता (डॉ. रुचि गुप्ता)	422
139. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. सन्तोष कुमारी).....	424
140. ग्राम सभा : प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक संस्था (डॉ. वंदना शर्मा)	427
141. छायावादोत्तर हिन्दी कविता और भगवती चरण वर्मा (डॉ. जगमोहन सिंह गुर्जर)	430
142. जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण: कोटपूतली तहसील का प्रतीक अध्ययन (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)	432
143. भारत में राजनीति का अपराधीकरण : समस्या एवं निदान (डॉ. भरत लाल मीणा)	434
144. आर्यों का श्रम प्रबन्धन - एक अध्ययन (डॉ. योगिता मकवाना)	436
145. Photocatalytic Removal of Transition metal Ion From Waste Water (Mukesh Kumar Mehta)	438
146. भारत नेपाल संबंधों के कमजोर पक्ष (जितेन्द्र कुमार मालवीय)	441
147. प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्षी की योग्यता : विकलांगजन के संदर्भ में	443
(प्रो. अवनीश चंद्र मिश्र, अनामिका यादव)	
148. Power System Voltage Security Assessment and Corrective Actions using Machine Learning ...	446
Approach (Sonali R. Nandanwar, N. P. Patidar)	
149. Overtones of Denial and Assertion in Alice Walker's The Color Purple (Dr. Shiraz Ahmed)	454
150. जनकवि नागार्जुन : व्यक्तित्व और कृतित्व (हितेश कुमार).....	457
151. जैविक उत्परिवर्तन व हिन्दी साहित्य में वासना (डॉ. हजारी लाल मौर्य)	460
152. Women Empowerment (Dr. Neeraja Sharma)	462
153. कामायनी (प्रासंगिकता, कल्पनात्मकता एवं मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ) (डॉ. अनुपमा सक्सेना)	464
154. Water For All: A Journey Towards Universal Access And Sustainable Management	466
(Dr. Panchali Sharma)	
155. Effect of Coal Smoke Pollution on <i>Acacia nilotica</i> (Linn.) (Dr. Indu Bala Soni)	470
156. प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि (डॉ. कविता आचार्य)	472
157. मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा (डॉ. कुलकिरण गढ़वाल)	476
158. Problem of Male Cattle Sire and Utilising in Agriculture (Dr. Vinod Kumar Sharma)	479
159. Chemical Approach of Ayurvedic Medicines (Dr. Anjul Singh)	481
160. Micropropagation of <i>Gerbera</i> (<i>Gerbera jamesonii</i>) for Commercial Application	486
(Rajendra Singh)	
161. Relevance of Gandhi's Views on Sustainable Development (Dr. Premlata Vikal)	488
162. The Sociology of Family in India: Tradition, Transformation and Contemporary Dynamics	490
(Dr. Anjali Jaipal)	
163. ऋग्वैदिक कालीन संस्था : विदथ (डॉ. सोमेश कुमार सिंह)	494
164. Mysticism and Sufism in Urdu Literature (Dr. Arshad Siraj)	497


165. Revolutionizing Medical Diagnosis: The Impact of Computer-Based Decision Support 501
Systems (Dr. Sachin S Agrawal, Dr. Shrikant L Satarkar, Prof. Rachna S Jaiswal)
166. निमाड़ क्षेत्र का भू-आकृतिक एवं भैमिकीय अध्ययन (डॉ. पवनेन्द्रनाथ तिवारी) 507
167. उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं का विश्लेषण (नीलम टांक कलाल, प्रो. सुनीता सिंह) 510
168. राष्ट्रीय ग्रंथालयों के विकास में समाचार पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1954 की भूमिका 516
(डॉ. राज बोरिया)
169. Impact of Climate Change on Crops Growth (Dr. Govind Prakash Acharya) 518
170. Inheritance and Indian Women: Unraveling Cultural Complexities (Dr. Aradhana Saxena) 522
171. The Social Effects of Technological Advancements: A Dynamic Tapestry of Change 526
(Dr. Gouri Shanker Meena)
172. Einstein's Theory of Relativity and Correlation Between Acceleration And Gravity 531
(Ashok Kumar Verma)
173. A Comparison of Euler's Method and Runge - Kutta Method for Solving an Ordinary 536
Differential Equation (Anil Maheshwari, Bhuvnesh Kumar Sharma)
174. Empowering Rural Entrepreneurs Through Regional Rural Banking: A Research Study 538
(Dr. Syed Saleem Aquil)
175. Coaching-Culture & Deviation Among The Students (Dr. Rishi Kumar Sharma) 541
176. Dalit Experience in Modern India (Dr. Sandhya Jaipal) 545
177. परिवर्तित समाज में शिक्षा के आधार पर महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का एक अध्ययन 549
(डॉ. आराधना सक्सेना)
178. Indian Sensibility or Indianness in the Poetry of Nissim Ezekiel (Dr. Sitaram) 552
179. Determination of Stability constants of La(III), Nd (III), Sm(III), Gd(III), Dy(III) and Ho(III) 555
complexes with 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-Phenanthroline (Dr. Romila Karnawat)
180. छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक स्थिति- एक अध्ययन (डॉ. महेश कुमार शुक्ला) 557
181. मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था निरंतरता एवं परिवर्तन (डॉ. अंजू तिवारी) 560
182. मल्हार अंचल के पुरावशेषों का अध्ययन (डॉ. रीता बाजपेयी) 563
183. मध्ययुगीन सांस्कृतिक समन्वय की धुरी : सन्त कविगण (प्रताप कुमार पाण्डेय) 565











क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मान्द

- (01) डॉ. मनीषा ठाकुर..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
- (02) श्री अशोककुमार एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
- (03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्सू..... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
- (04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमांडू, नेपाल
- (05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
- (06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
- (07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
- (08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
- (10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
- (11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
- (12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
- (13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुडगांव (हरियाणा) भारत
- (14) प्रो. डॉ. संजय खरे प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
- (15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
- (17) प्रो. अखिलेश जाधव प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
- (18) प्रो. डॉ. कमल जैन प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
- (19) प्रो. डॉ. डी.एन. खड्से प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
- (20) प्रो. डॉ. वन्दना जैन प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
- (22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बँगलुरु (कर्ना.) भारत
- (24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
- (25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
- (26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
- (27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
- (28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
- (29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
- (30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
- (31) प्रो. डॉ. अविनाश शेट्टे विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
- (32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (33) प्रो. डॉ. बी.एस. मक्कड़ अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (34) प्रो. डॉ. पी.पी. मिश्रा विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
- (35) प्रो. डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
- (36) प्रो. डॉ. के.एल. साहू..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
- (37) प्रो. डॉ. मालिनी जॉनसन प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत
- (38) प्रो. डॉ. विशाल पुरोहित एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

- (01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बेंगलुरु (कर्नाटक) भारत
- (02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (03) प्रो. डॉ. संजय जैन पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (04) प्रो. डॉ. एस.के. जोशी प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
- (05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
- (06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
- (07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
- (08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
- (09) प्रो. डॉ. आर.के. भट्ट प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
- (10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
- (12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
- (15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (16) प्रो. डॉ. ए.के. चौधरी प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
- (17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
- (18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
- (19) प्रो. डॉ. के.के. श्रीवास्तव प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (20) प्रो. डॉ. कान्ता अलावा प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
- (21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
- (22) प्रो. डॉ. किशन यादव एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत
- (23) प्रो. डॉ. बी.आर. नलवाया प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
- (24) प्रो. डॉ. नत्वरलाल गुप्ता अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (25) प्रो. डॉ. पुरुषोत्तम गौतम संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
- (26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

*** विज्ञान संकाय ***

- गणित:- (1) प्रो. डॉ. वी.के. गुप्ता, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
- भौतिकी:- (1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- कम्प्यूटर विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- रसायन:- (1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- वनस्पति:- (1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- प्राणिकी:- (1) प्रो. डॉ. मंजुलता शर्मा, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
- सांख्यिकी:- (1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
- सैन्य विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- जीव रसायन:- (1) डॉ. कंचन डींगरा, शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- भूगर्भ शास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
- चिकित्सा विज्ञान:- (1) डॉ. एच.जी. वरुधकर, आर.डी. गारडी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- सूक्ष्म जीव विज्ञान:- (1) अनुराग झँवेरी, बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

*** वाणिज्य संकाय ***

- वाणिज्य :- (1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

*** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ***

- प्रबंध :- (1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- मानव संसाधन:- (1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)
- व्यवसाय प्रशासन:- (1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

*** विधि संकाय ***

- विधि:- (1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा, प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

*** कला संकाय ***

- अर्थशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)
- राजनीति:- (1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- दर्शनशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

- समाजशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)
- हिन्दी:- (1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- अंग्रेजी:- (1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव, शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्रिहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
- संस्कृत:- (1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव, शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
- इतिहास:- (1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- भूगोल:- (1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा, डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- मनोविज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा, प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
- चित्रकला:- (1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- संगीत:- (1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक), स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

*** गृह विज्ञान संकाय ***

- आहार एवं पोषण विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. प्रगति देसाई, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

- मानव विकास:- (1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर, अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

- पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... (1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

*** शिक्षा संकाय ***

- शिक्षा (1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर, महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेंगलुरु (कर्नाटक)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

*** आर्किटेक्चर संकाय ***

- शारीरिक शिक्षा (1) प्रो. किरण पी. शिंदे, प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

*** शारीरिक शिक्षा संकाय ***

- शारीरिक शिक्षा (1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

*** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ***

- ग्रन्थालय विज्ञान (1) डॉ. अनिल सिरौठिया, शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

आम और खास के जनजातीय सन्त बौदरू

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – सच्चे सन्त मानव समाज की बहुमूल्य निधि हैं। उन्होंने आदर्श ढंग से जीवन व्यतीत करके अनगिनत लोगों को जीने का तरीका सीखा दिया। वे स्वयं के लिये नहीं जीये अपितु दुनिया के लिये जीये। उनका आचरण और उनके उपदेश अनुकरणीय बने। ऐसे ही महान सन्तों में बौदरू जी का नाम भी सम्मिलित है। वे भिलाला जनजाति के सदस्य थे। उन्होंने सेवा के प्रति फलस्वरूप गुरु का आशीष और स्नेह प्राप्त किया तथा सन्तत्व की ओर अग्रसर हुए। उनकी शिक्षाएं सरल एवं व्यावहारिक थीं, जिन्हें समझना और अपनाना सुगम था। उनके शिष्यों में आम व्यक्ति से लेकर राजपरिवार के अग्रगण्य लोग भी सम्मिलित थे। प्रस्तुत शोधपत्र में सन्त बौदरू के जीवन चरित्र, उनके चिंतन और प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

जीवन चरित्र – सन्त बौदरू का जन्म होशंगाबाद जिले के हरदा में 'भादौ माह की नवमी को विक्रम सम्वत् 1765 (ईसवी सन् 1708) में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल तथा माता का नाम राधाबाई था। ये भिलाला जनजाति के थे।

भिलाला जनजाति मध्यप्रदेश की प्रमुख, किन्तु अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति है। इनका परिवार निर्धनता एवं अभावों से ग्रस्त था। जीवन यापन के साधन कृषि, मजदूरी, पशुपालन आदि थे। निर्धनता के बावजूद बौदरू के पिता गोपाल सात्विक एवं सेवाभावी प्रवृत्ति के सज्जन मनुष्य थे। साधु-सन्तों एवं ईश्वर में इनकी अनन्य आस्था थी। सन्तों के सान्निध्य में समय व्यतीत करना इन्हें अत्यंत रुचिकर लगता था। 'इनके द्वारा अर्पित की गई सेवा-सुश्रूषा से प्रसन्न होकर एक सन्त समूह के प्रमुख ने इन्हें निर्गुण जाप का मंत्र एवं पुत्ररत्न का आशीष प्रदान किया था।

बौदरू अपने माता-पिता की इकलौती सन्तान थे, अतः इनका प्रारम्भिक जीवन लाड़-प्यार में व्यतीत हुआ। घर के धार्मिक परिवेश में इनका विकास हो रहा था। पिता सन्तों के मुख से सुनी हुई आध्यात्म एवं दर्शन चर्चा अपनी पत्नी से किया करते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि- 'यह संसार सपने की माया जैसा है, यह ठगनी माया बड़े अद्भुत खेल रचा करती है, अतः इसके भुलावे में नहीं आना चाहिये और ईश्वर के भजन करते रहना चाहिये। पिता की बातें बौदरू पर भी प्रभाव डाल रही थी। बाल्यावस्था में ही उनका मन भगवतभक्ति में रमने लगा था।

विक्रम सम्वत् 1776 (ईसवी सन् 1719) में बौदरू के पिता का देहावसान हो गया। उस समय बौदरू की अवस्था मात्र ग्यारह वर्ष थी। परिवार की आय का स्रोत पिता का श्रम था, अतः उनके आकस्मिक निधन से परिवार वित्तीय संकट में पड़ गया। माता राधा बाई के लिये एकाकी प्रयासों से अपनी और अपने पुत्र की देखभाल करना सम्भव नहीं रहा, अतः उन्होंने हरदा छोड़कर अपने पीहर में अपने भाई के साथ रहने का निश्चय किया। उनका

भाई अमरसिंह खरगोन जिले के ग्राम नागाझिरी में रहता था। इस तरह विक्रम सम्वत् 1776 (ईसवी सन् 1719) में बौदरू अपने पैतृक ग्राम को त्यागकर अपने ननिहाल में रहने के लिये आ गये।

सौभाग्य एवं संयोगवश ननिहाल का वातावरण भी धार्मिक था। मामा अमरसिंह संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। बौदरू के स्वर्गीय पिता के उत्तरदायित्वों को मामा ने अपने कंधों पर ले लिया और प्रसन्नतापूर्वक उनका निर्वाह करने लगे।

गुरु की प्राप्ति और साधना – बौदरू को गुरु, गुरु मंत्र एवं गुरु दीक्षा की प्राप्ति सेवा के प्रतिफलस्वरूप हुई। ग्राम नागाझिरी में साधुओं के एक दल ने डेरा डाला। साधुओं की संगत में सुबह-शाम भजन, आरती आदि के कारण पूरा गांव भक्ति-भाव से सराबोर हो गया। किशोर बौदरू भी तन-मन से इस धार्मिक क्रियाकलाप में सलग्न हो गये। उन्होंने साधु मण्डली के महन्तजी की खूब सेवा की। बौदरू के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर महन्तजी ने उन्हें आशीष के साथ अधोलिखित गुरु मन्त्र दिया-

गुरुनाम हिरदैँ धरो, करों परमारथ को काम।

राम नाम उच्चारणा, लगें न कौडी दाम।

अर्थात् हृदय में गुरु के नाम को धारण करके परमार्थ के कार्य करो। राम नाम का सदा स्मरण करो, जिसके लिये कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। साथ ही गुरु ने उन्हें असत्य, हिंसा और निन्दा कर्म से दूर रहने एवं स्वअर्जित धन का उपभोग कर गौ-ब्राह्मण व साधु-सन्तों की सेवा करने का उपदेश दिया।

बौदरू ने गुरु दक्षिणा के रूप में महन्तजी को आम फल भेंट किया। गुरु दक्षिणा स्वीकार करते हुये महन्तजी ने आशीर्वाद दिया था कि- 'तुमने मुझे यह श्रेष्ठ फल भेंट किया है, सो इसी फल के प्रताप से तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। गुरु का नाम लेकर तुम जिसे भी आम फल दोगे उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी।

महन्तजी से भेंट और उनसे प्राप्त दीक्षा ने बौदरू की जीवन शैली को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। वे ईश्वर के भक्ति भाव में निमग्न हो गये। उन्होंने अपने गुरु के आदेश का अक्षरशः अनुसरण करते हुए गौ-ब्राह्मण व साधु-सन्तों की सेवा प्रारम्भ कर दी।

वे कृष्ण के परम भक्त थे। सगुण साकार की भक्ति करते थे।

उनके सतत् निःस्वार्थ भक्ति कर्म की फलश्रुति यह हुई कि वे स्वयं क्षेत्र में एक सन्त के रूप में विख्यात होने लगे। विविध रूपों में ईश्वर से उनके साक्षात्कारों तथा उनके जीवनकाल और निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात् की चर्चाएँ क्षेत्र में श्रद्धापूर्वक कही-सुनी जाती हैं।

सन्त बौद्ध का कार्यक्षेत्र मूलतः उनका ननिहाल ग्राम नागझिरी रहा। वे नागझिरी में नियमित भजन-पूजन करते थे और अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। उनके साथ भगवत चर्चा करना उनका प्रिय कर्म था। वे कुछ समय तक बड़वानी में भी रहे। उनका बड़वानी प्रवास उनके बड़वानी निवासी भक्त रामसिंह के आग्रह पर हुआ था। बड़वानी के तत्कालीन राजा से भी उनका सम्पर्क हुआ। प्रारम्भिक मतभेदों के बाद राजा और रानी सन्त से प्रभावित हुये तथा उन्हें अपने दरबार में यथोचित सम्मान प्रदान किया।

सृजन एवं शिक्षाएँ – सन्त बौद्ध ने भक्तिपूर्ण भजनों की रचना की है। ये भजन सरल निमाड़ी भाषा में लिखे गये हैं। उनके द्वारा सृजित एक भजन यहां उद्धृत किया जा रहा है।

प्राण पंछी तम उड़ी चलों, चलो आपणा देसा
काया माया तजी देओं, तोड़ मोह को महेल।
स्वास पवन को घोड़िला, सोंह की हो गेंला
सुकमना सेज सजाविया, त्रिकुटी का हो महल।
आसन लगई, पंछी बठी गया, देखों अचरज खेल।
बिन पाणी सरवर भर्या करें ऊपर सेल।
अनहद वाजा वाजीयाँ, सन्त करी रह्या सेल।
सुन्न सवद एक सार हैं, वहीं हैं संतन मो मेल।
कहें बौद्धर सुणों सन्त होंण म्हारा गुरु कों हों खेल।

विषयवस्तु की दृष्टि से भजन की उदात्तता स्पष्ट है। जटिल और गुढ़ समझे जाने वाले विषय को आपने अत्यंत आसानी से सम्प्रेषणिय बना दिया।

सन्त बौद्धर ने अन्य ज्ञानी जनों से जो उपदेश श्रवण किये थे और जो उन्हें आत्मबोध हुआ था, उनकी शिक्षा वे अपने सम्पर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को दिया करते थे। उनके उपदेश व्यावहारिक जीवन से संबंधित होते थे, अतः आम आदमी को आसानी से समझ में आते थे और उनका पथ-प्रदर्शन करते थे।

वे प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने और जरूरतमन्द को सहायता देने की शिक्षा दिया करते थे। उनके उपदेश कोरी हवाई बातें ही नहीं होती थीं, बल्कि वे स्वयं उनका पालन करते थे। उनकी कथनी और करनी में अद्भुत साम्य था। वे गायों के लिये घास काटकर लाते थे और उन्हें प्रदान करते थे। गौसेवा उनका व्रत था और सामान्यतः बिना नागा किये वे गायों के भोजन-पानी की व्यवस्था करते थे। वे निरीह पंछियों की भूख-प्यास तृप्त करने के लिये भी सदैव प्रयत्नरत रहते थे।

वे कहा करते थे कि यदि भले इंसानों पर कोई कष्ट आता है, तो उन्हें विचलित नहीं होना चाहिये और अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही जीवन जीते रहना चाहिये। ये कष्ट साधारण कष्ट नहीं होते हैं, बल्कि भगवान द्वारा निर्मित किये गये वे अवसर होते हैं, जिनसे गुजरकर भले व्यक्ति और निखर जाते हैं। भगवान अच्छे इंसानों की सदैव परीक्षा लेते हैं। स्वयं सन्त बौद्धर की भगवान के द्वारा अनेक परीक्षाएँ ली गईं। सन्त ने उन सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और वे भगवान के अधिक प्रिय बन गये। परीक्षा संबंधी कुछ घटनाओं का उल्लेख इस शोध प्रबन्ध के परिशिष्ट में किया गया है।

वे अपने अनुयायियों को भगवाननाम के सदैव स्मरण की शिक्षा देते

थे। वे कहते थे कि इससे मनुष्य की प्रवृत्ति सुसंस्कृत होती है और वह पुण्य कार्य में रत रहता है। भगवान का नाम जपते हुये कोई मनुष्य कभी पाप नहीं कर सकता है।

आम आदमी से लेकर बड़वानी के तत्कालीन राजा-रानी तक सन्त बौद्धर के अनुयायी थे। सन्त की उज्वल कीर्ति, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवनचर्या, सद्कार्यों में सतत् सक्रियता और क्षेत्र में प्रचलित उनसे सम्बद्ध चमत्कारिक घटनाओं के कारण ग्राम नागझिरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्त्री-पुरुष बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गये थे। सन्त बौद्धर प्रतिवर्ष कृष्ण जन्म अष्टमी का उत्सव बहुत उत्साह से मनाते थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित होते थे।

उपसंहार – सन्त बौद्धर ने 25 वर्ष की युवावस्था तक भक्ति भाव किया और अपने अनुयायियों को ज्ञान की रोशनी प्रदान की। अंततः उन्होंने जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। 'भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम सम्वत् 1790 (ईसवी सन् 1733) को वे निश्चित किये गये समाधि स्थल पर बैठ गये और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मलीन हो गये। सन्त बौद्धर की समाधि ग्राम नागझिरी में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होते हैं।

सन्त बौद्धर एक जनप्रिय सन्त थे। आज भी वे निमाड़ में बहुत मान्य हैं। उन्होंने पिता एवं मामा की सात्विक प्रवृत्तियों को आत्मसात करते हुये जीवन भर उन्हें व्यवहार में चरितार्थ किया। वे सेवाभावी थे और मृत्युपर्यन्त सेवाकर्म में रत रहे। सेवकों की बड़ी संख्या के बावजूद वे स्वयं नित्य श्रमदान करते थे। उन्होंने बिना विचलित हुये आजीवन कष्टों का स्मित भाव के साथ सामना किया।

वे सगुण भक्ति की कृष्णमार्गी धारा के अनुकरणकर्ता थे। कृष्ण के व्यक्तित्व के विविध आयामों ने उन्हें बहुत अभिभूत किया था। उनकी सरस चर्चा ने अनेक लोगों को भक्तिमार्ग का पथिक बना दिया था।

वे उच्च स्तरीय साहित्यिक सृजनात्मकता के धनी थे। उनके भजनों ने आम पाठक से लेकर साहित्य के गंभीर साधक तक सभी को प्रभावित किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **सन्त बौद्धर जी की जीवन लीला एवं भजन**, लेखक एवं संकलनकर्ता – दगडूदादा भजनानंदी, प्रकाशक- स्वयं, संस्करण – 1975. पृष्ठ- 02
2. **वही**. पृष्ठ- 04
3. **निमाड़ी साहित्य के कलमकार-कलाकार**, सम्पादक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 2003, पृष्ठ- 51.
4. **सन्त बौद्धर जी की जीवन लीला एवं भजन**, लेखक एवं संकलनकर्ता – दगडूदादा भजनानंदी, प्रकाशक- स्वयं, संस्करण- 1975. पृष्ठ- 09
5. **निमाड़ी भजन** संकलनकर्ता- कैलाश यादव, प्रकाशक- कैलाश यादव, नागलवाड़ी, संस्करण- 1987. पृष्ठ- 74.
6. **नर्मदांचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 57

ग्राम शिकारा जिला-सिवनी का आर्थिक-सामाजिक अध्ययन

डॉ. राजेश शामकुंवर *

प्रस्तावना - गांव भौगोलिक इकाई के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। अध्ययन से उस क्षेत्र की भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गांवों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये इनका आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र - ग्राम शिकारा जिला- सिवनी के घन्सौर विकास खण्ड में स्थित है, जिला सिवनी 22°05' उत्तर से 22°08' उत्तर तथा 79°32' पूर्व से 79°53' पूर्व तक स्थित है। जिले की समुद्रतल से ऊंचाई 2043 फीट एवं 37 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। जिले की कुल जनसंख्या 137913 है। वैनगंगा इस जिले की मुख्य नदी है। प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जिले के उत्तर में मध्यप्रदेश का नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य का सावनेर, पूर्व में मण्डला एवं बालाघाट तथा पश्चिम में छिंदवाड़ा जिले की सीमा मिलती है।

अध्ययन के उद्देश्य-

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. ग्राम शिकारा जिला-सिवनी की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का अध्ययन करना।
2. आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
3. आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना।

उपकल्पना - आर्थिक स्थिति सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। आर्थिक विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है।

विधि तंत्र - अध्ययन हेतु प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण देवनिदर्शन प्रणाली के अन्तर्गत अनियमित अंकन विधि का प्रयोग किया गया है। जबकि द्वितीय आंकड़ों को ग्राम पंचायत शिकारा, जिला-सांख्यिकी पुस्तिका सिवनी द्वारा प्राप्त किया गया है।

जनसंख्या के विविध पक्ष - जनांकीय संरचना के अंतर्गत ग्राम शिकारा की कुल जनसंख्या 490 है। जिसमें पुरुष 252 तथा महिला 238 है। किसी भी क्षेत्र का विकास उसके मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

सारणी क्रमांक- 01 : ग्राम शिकारा - जनसंख्या प्रतिरूप

पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या
252	238	490

जातिवार जनसंख्या-

सारणी क्रमांक- 02 : ग्राम शिकारा की जातिवार जनसंख्याजाति

वर्ग	जनसंख्या	जनसंख्या का प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	210	42.85
अनुसूचित जाति	87	17.75
अन्य पिछड़ा वर्ग	193	39.40
योग-	490	100

सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्राम शिकारा की कुल जनसंख्या 490 है। जिसमें 17.75 प्रतिशत (87) अनुसूचित जाति 42.85 प्रतिशत (210) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 39.40 (193) है।

साक्षरता - किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का गुणात्मक अध्ययन तथा समाज की सर्वांगीण प्रगति उस क्षेत्र की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। यदि क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत अधिक होता है, तो इससे क्षेत्र के विकास में पर्याप्त मदद मिलेगी। किसी क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ने पर (विशेष महिलाओं में) क्षेत्र की आर्थिक, तथा सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ समाज का विकास होता है।

सारणी क्रमांक- 03 : ग्राम शिकारा - साक्षरता (प्रतिशत में)

सन्	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
2015	51.86	60.91	39.09

सारणी क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि ग्राम शिकारा में कुल जनसंख्या में 51.86 प्रतिशत ही लोग साक्षर हैं जिसमें 60.91 प्रतिशत पुरुष तथा 39.09 प्रतिशत महिला है।

आर्थिक दशाएं - सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम शिकारा में ऊंची-नीची भूमि के साथ सिंचाई की सुविधा कम होने के कारण कृषि उत्पादन अधिक नहीं है। जिससे ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

सारणी क्रमांक. 04 : ग्राम शिकारा : परिवार की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

परिवार	2001	2011
निम्न	54	140
मध्यम	178	254
उच्च	62	96
योग-	294	490

प्रमुख उद्योग एवं व्यवसाय - ग्राम शिकारा के उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम एवं पश्चिमी भाग के लगभग सभी क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है।

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

जिसमें धान, गेहूँ, चना और मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं, कुछ लोग मजदूरी कार्य करके भी अपनी आजीविका चलाते हैं। यहां का अधिकतर क्षेत्र कृषि के लिये अनुकूल है। कृषि कार्य के लिये सिंचाई तालाब, कुंआँ, मानव निर्मित पानी की नालियों द्वारा की जाती है। कृषि कार्य हेतु बैल एवं सम्पन्न कृषक, ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं।

यातायात के साधन - ग्राम शिकारा तक पहुंचने के लिये पक्की सड़कें हैं किन्तु गांव के भीतरी भाग कच्ची सड़कों से जुड़े हैं। यहां पर लोग आने जाने के लिये साइकिल एवं मोटर साइकिल का उपयोग करते हैं। संचार के साधनों में अधिकतर ग्रामवासियों के पास मोबाइल, टेलीफोन सुविधाएं हैं। यहां पर दूरसंचार की सुविधा है। लोगों के घरों पर टेलीविजन, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हैं, जिससे यहां के लोगों को आसपास तथा देश-विदेश के बारे में जानकारी मिलती है। यह जबलपुर एवं नैनपुर के बीच का मुख्य रेलवे स्टेशन है।

सामाजिक स्वरूप - अध्ययन द्वारा पाया गया कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था पंचायत पर निर्भर है, लोगों की वेशभूषा ग्रामीण है किन्तु जबलपुर शहर का प्रभाव यहां के नौजवानों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। जिसमें लड़के जीन्स, टी-शर्ट, कमर में चमड़े का बेल्ट, जूता मोजा तथा लड़कियां जीन्स के साथ-साथ टी-शर्ट, हेयर स्टाइल, कार्नों में पहनने वाले आभूषणों में बदलाव परिलक्षित हो रहा है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का घटक है। अधिकतर गौड़ जाति के लोग निवास करते हैं, जो होली, दीपावली दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ एवं मोटे अनाज है।

सुविधाएं - शिकारा गांव में पीने के पानी के लिये कुआँ, हैंड पम्प, तालाब, बिजली, सड़कें आदि हैं। बच्चों के लिये आंगनबाड़ी की सुविधा है। शैक्षणिक सुविधाओं में माध्यमिक शाला है। यहां के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हेतु अन्य शहर जाना पड़ता है।

समस्यायें :

1. यहाँ चिकित्सा सुविधा का अभाव है जिसके कारण लोगों को इलाज के हेतु अन्य शहर जाना पड़ता है।
2. गांव की सड़कें कच्ची तथा पगंडी हैं। जिससे आवागमन में कठिनाई होती है।
3. स्वच्छ जल की पूर्णतः व्यवस्था नहीं है।
4. हायर सेकेण्डरी के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है।
5. बिजली, शौचालय, जल-निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है।

विकास के लिये सुझाव :

1. जन-जागरण के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।
2. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।
3. गांव में पहुंचमार्ग सुविधाजनक बनानी चाहिए।
4. गांव में कृषि के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श की सुविधा होनी चाहिये।

भावी नियोजन - विपणन केन्द्र की स्थापना, वन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। परिवहन के साधन, साप्ताहिक बाजार लगना आवश्यक है, ताकि ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधायें प्राप्त होती रहें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन, डॉ. बी.एम. (1974) 'रिसर्च मैथोडोलॉजी', रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. राव, डॉ. बी.पी. (2010) मानव भूगोल वसुन्धरा प्रकाशन, गोखपुर।
3. जगदीश सिंह, काशीनाथ सिंह, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व 2006, राधा पब्लिकेशन दरियागंज नई दिल्ली।
4. डॉ. सी.पी. तिवारी, मध्यप्रदेश की जनजातियां, आशा पब्लिशिंग हाऊस, आगरा 2005



परचरीकार सन्त खेमदास - एक अध्ययन

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना - निमाड़ क्षेत्र ने भक्ति को आन्दोलन बनाने में महती योगदान दिया है। यहां ऐसे सन्त हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्मों और चिंतन से अनुयायियों को नई दिशा दी है। इनमें सिंगाजी राष्ट्रीय ख्याति के सन्त हुए। सिंगाजी के पुत्र एवं पौत्रों ने भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी शृंखला में उनके पौत्र खेमदास भी हुए। उनके द्वारा रचित सिंगाजी की परचरी उनकी विशिष्ट देन मानी जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र सन्त खेमदास के विभिन्न आयामों पर आधारित है। इसके लेखन के लिए क्षेत्र अवलोकन, प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन और विश्लेषण का आश्रय लिया गया है। इसका उद्देश्य सन्त खेमदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करना है।

प्रारंभिक जीवन वृत्त - खेमदास सन्त सिंगाजी के शिष्य और उनके पौत्र थे।¹ उनका जन्म विक्रम सम्वत् 1700 (ईसवी सन् 1643) के लगभग हुआ था। उनके जन्म के वर्ष का अनुमान उनके द्वारा लिखित 'परचरी' के रचना काल के आधार पर लगाया जा सकता है। सिंगाजी ने विक्रम सम्वत् 1616 में समाधि ग्रहण की थी और उनके समाधि लेने के 135 वर्ष पश्चात् विक्रम सम्वत् 1751 में परचरी की रचना की गई। सामान्यतः ऐसी सुगठित रचना की अपेक्षा किसी रचनाकार से उसकी प्रौढ़ावस्था में ही की जा सकती है। इस दृष्टि से परचरी की रचना के समय उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष होगी। इस तरह उनका जन्म का समय विक्रम सम्वत् 1700 ठहरता है।

समृद्ध, संस्कारित एवं प्रतिष्ठित परिवार में खेमदास का जन्म हुआ। परपितामह भीमाजी द्वारा अर्जित पशु सम्पदा निरन्तर विस्तारित होती रही। पितामह सिंगाजी एवं पिता कालूजी ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में सुदृढ़ परम्परा का निर्माण किया था। उक्त दोनों कारणों से समाज में इनके परिवार को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

प्रारंभिक जीवन सुख सुविधा से भरपूर था। घर में संसाधनों की कमी नहीं थी और समर्पित सेवक एवं पूर्वज सन्तों के सेवाभावी अनुयायियों के लाड़-प्यार ने खुशियों को बहुगुणित कर दिया था। उनकी औपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई।

'जिस सारगर्भिता के साथ आपने आगे चलकर 'परचरी' की रचना की, उससे स्पष्ट होता है कि आपकी शैक्षणिक नींव दृढ़ता से स्थापित हुई थी। घर पर भक्ति भाव का उदात्त परिवेश था, जो बालक खेमदास की उर्वर मानस भूमि पर संस्कारों का अंकुरण कर रहा था।²

दीक्षा एवं साधना - खेमदास ने सन्त सिंगाजी को अपने गुरु के रूप में अंगीकार किया था। इस समय सिंगाजी सशरीर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएँ निमाड़ में सर्वत्र व्याप्त थीं, उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये खेमदास धर्म पथ पर अग्रसर हुये। 'लोक वाणी में रच बस गये

सिंगाजी के भजन अनगिनत श्रद्धालुओं के लिये सूर्य की भाँति रहे हैं।'³ खेमदास ने भी इन्हीं से प्रकाश प्राप्त कर स्वयं को ज्योतित किया।

खेमदास निर्गुण निराकार के साधक थे। उन्होंने किसी शास्त्र सम्मत साधना पद्धति का अनुकरण नहीं किया। सन्त सिंगाजी के वचनों का मनन और व्यावहारिक जीवन में उनका अनुपालन ही उनकी सहज साधना थी। वे गृहस्थ सन्त थे और दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करने में सफल रहे। वे अपने परिजनों के समूह में रहते हुये भी आराध्य का ध्यान करते रहते थे।

सन्त खेमदास की कर्मभूमि खण्डवा का निकटवर्ती क्षेत्र था। पीपल्याखुर्द एवं हरसूद के निवासियों को उनका सान्निध्य अधिक प्राप्त हुआ।

परचरी और उसका महत्व - 'सिंगाजी की परचरी' सन्त खेमदास द्वारा रचित बहुमूल्य पुस्तक है। इसे 'सिंगाजी की परचुरी' एवं 'सिंगाजी की परचुरिया' भी कहा गया है। यह एकमात्र रचना है, जिसे पढ़कर सिंगाजी का पूर्ण परिचय ज्ञात होता है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि परचरीकार सिंगाजी के साथ रहा है और इस निकट सम्पर्क के द्वारा उसने सिंगाजी की जीवनी का परिचय प्राप्त किया तथा इसी परिचय को पुस्तक के रूप में लिखकर उसका नाम परचरी रख दिया गया। 'परचरी' का अर्थ परिचय या परचा दोनों होते हैं। निमाड़ी में परचा शब्द चमत्कार के लिये प्रचलित है। परचरी में सिंगाजी के जीवन में घटित कुछ चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। 'सन्त साहित्य के गुटकों में परचरी अथवा परचुरी शब्द का प्रयोग किसी प्रसिद्ध सन्त की जीवन लीला का परिचय कराने वाले ग्रन्थ के लिये होता है।'⁴

इसकी रचना विक्रम सम्वत् 1751 में की गई थी। परचरी की प्रतिलिपि गोवर्द्धन दास नामक ब्राह्मण ने विक्रम सम्वत् 1879 में की थी। परचरी में दो-दो पंक्ति वाले 442 पद अंकित हैं।

परचरी मोटे कागज पर 4X6 इंच के आकार में है तथा इसकी पृष्ठ संख्या 140 है। परचरी के रचनाकाल और इसके रचयिता एवं प्रतिलिपिकर्ता के सम्बंध में इसके अन्त में निम्नानुसार विवरण अंकित है-

'इति सिंगाजी की परचरी सम्पूर्ण भई। जन प्रताप खेमजी कही। संमत् 1751। हाल संमत् 1879। श्रावण वद 1। शुक्रवार तादिन लिखतव्यं। गोवरधनदास ब्राह्मण सम्पूर्ण समाप्त। जथा प्रत्य लिखी मम दोषो न दीयते।'

परचरी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता के बिना सिंगाजी के व्यक्तित्व, विचारधारा, दर्शन और उन पर पड़े आध्यात्मिक प्रभाव को समझना संभव नहीं है। खेमदास ने परचरी में सिंगाजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुये उनकी विचारधारा और पूर्ववर्ती प्रभाव के सम्बंध में सिंगाजी के स्वकथन ही रख दिये हैं। ये कथन कहीं स्वानुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में है और कहीं संवादों के रूप में। 'जिस प्रकार रामचरित मानस के साथ तुलसी

का नाम जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार सिंगाजी की परचरी के साथ सन्त खेमदास का नाम भी अनन्तकाल तक, युग-युगान्त तक जुड़ा रहेगा।⁵ भाषा, वैचारिकता और प्रस्तुतिकरण की शैली के कारण परचरी को उच्च कोटि की साहित्यिक रचना की श्रेणी में रखा जाता है।

इसकी कतिपय प्रतियाँ निमाड़ में विभिन्न व्यक्तियों के पास उपलब्ध है। इसकी एक प्रति का पुनर्लेखन एवं भावानुवाद निमाड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पद्म श्री रामनारायण उपाध्याय ने 'सिंगाजी : एक अध्ययन' के नाम से किया है।

उपदेश एवं अनुयायी – सन्त खेमदास ने तन की क्षण भंगुरता और आत्मा के अमरत्व पर जोर दिया। जब तक तन का साथ है, तब तक भजन का साथ नहीं छोड़ना चाहिये। तन का शृंगार निरर्थक है, यदि मन मैला रह जाये। मन का कलुश समस्त बुराइयों का उत्स स्रोत है। अंकुश लगाने से मन सधता नहीं है, बल्कि दमिंत होता है। सद्गुरु की कृपा से इन्द्रियाँ सधती हैं, सहज हो जाती हैं-

गुरु को आशीष ली न मन आपा मऽ कर लीजो।

खेमदास करज विनती गुरु मख शरण मऽ लीजो।⁶

उनकी मान्यता थी कि भक्ति करने का कोई विशिष्ट समय नहीं होता है। भक्ति का संबंध जड़ नियमों से नहीं है। यह तो मन की पवित्रता और उमंग से उत्पन्न एवं विकसित होती है। वे कहते थे कि प्रभु स्मरण स्वांस के आने-जाने की तरह जीवन का अभिन्न अंश बन जाना चाहिये। उपासना के नाम पर की जाने वाले कर्मकाण्डों विशेषकर पशु बलि की उन्होंने निन्दा की और इससे स्वयं दूर रहने के साथ-साथ अन्य समाजजनों को भी इससे परे रखने का आग्रह किया है-

गर्दन काटी न लोहू बहावज, रेऽ तू मूरख आया।

यो छेऽ खोटो काम, खेमदास तुऽक समझावा।⁷

सन्त खेमदास भ्रमणशील थे। पूरे निमाड़ क्षेत्र में उन्होंने भक्ति गंगा प्रवाहित की। उनके अनुयायी सर्वत्र विद्यमान थे। भक्तजनों के लिये सहज उपलब्धता उनकी प्रमुख विशिष्टता थी। व्यावहारिक अनुभव के आधार पर वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। इसलिये उनके पास प्रतिदिन अनेक लोग सत्संग के लिये आते थे। 'खेमदास ने सिंगाजी जैसा कोई प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं किया, लेकिन उनकी वाणी के माधुर्य में मानवीय झंझटों के

सरल समाधान निहित थे। इस शाब्दिक चमत्कार की अनुभूति के लिये लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे।⁸

उपसंहार – सन्त खेमदास का निमाड़ी सन्त परम्परा में विशिष्ट स्थान है। परचरी का सृजन उनका बहुमूल्य अवदान है। उन्होंने अपने शब्दों से सिंगाजी के स्वरूप को जनसामान्य के लिये साकार कर दिया। उनके उपदेशों ने अनुयायियों की आपदाओं का निवारण किया। "उन्होंने सहिष्णुता, अहिंसा, भ्रातृभाव का पाठ इतनी सरलता से पढ़ाया कि, जिसने भी सुना उसे सहज ही आत्मसात हो गया।"⁹

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, लेखक - रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक - विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण - 1980, पृष्ठ - 161
2. स्वदेश, दैनिक समाचार पत्र, इन्दौर में प्रकाशित अरविन्द जैन का आलेख - सन्त खेमदास और उनकी परचरी, दिनांक - 15 जुलाई, 2002
3. सन्त साहित्य, लेखक - भुवनेश्वर नाथ मिश्र, प्रकाशक - ग्रन्थमाला कार्यालय, बाकीपुर, संस्करण - 1941 पृष्ठ - 266
4. सन्त साहित्य की समझ, लेखक - डॉ. नन्दकिशोर पाण्डेय, प्रकाशक - रचना प्रकाशन, जयपुर, संस्करण - 2001, पृष्ठ - 147
5. नर्मदांचल के सन्त कवि, लेखक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 1995, पृष्ठ - 25
6. निमाड़ी भजन, संकलनकर्ता - कैलाश यादव, प्रकाशक - कैलाश यादव, नागलवाड़ी, संस्करण - 1987, पृष्ठ - 59.
7. स्वदेश, दैनिक समाचार पत्र, इन्दौर में प्रकाशित अरविन्द जैन का आलेख - सन्त खेमदास और उनकी परचरी, दिनांक - 15 जुलाई, 2002
8. निमाड़ी और उसका साहित्य, लेखक - डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक - हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण - 1956, पृष्ठ - 291
9. स्वदेश, दैनिक समाचार पत्र, इन्दौर में प्रकाशित अरविन्द जैन का आलेख - सन्त खेमदास और उनकी परचरी, दिनांक - 15 जुलाई, 2002

कृष्ण भक्त सन्त लालदास – जीवन एवं शिक्षाएँ

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – सन्तत्व किसी वर्ग विशेष के आधिपत्य की विषय वस्तु नहीं है। जिसके अन्तःकरण में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परमार्थ का उजास हो, वह सन्त के रूप में सामने आया। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का एक सत्य है। उद्भव काल में यह श्रमविभाजन के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित रही, लेकिन कालांतर में इसमें विसंगतियों का समावेश हुआ तथा यह जाति व्यवस्था का आधार बनी। जातिगत संरचना में छोटे-बड़े का भाव आया। भेदभाव आया। अस्पृश्यता जैसा कलंक आया। अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज के अवयव के अनेक सदस्यों ने अपनी मेधा विभिन्न क्षेत्रों में सिद्ध की और वे सम्मान तथा अनुसरण किये जाने के योग्य माने गये। ऐसे ही व्यक्तित्वों में निमाड़ के कृष्ण भक्त सन्त लालदास भी हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सन्त लालदास के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन- विश्लेषण समाविष्ट किया जा रहा है।

(अ) जीवन वृत्त – सन्त लालदास का जन्म खरगोन जिले के सुरपाला नामक ग्राम में 265 वर्ष पूर्व विक्रम सम्वत् 1802 (ईसवी सन् 1745) में हुआ था। सुरपाला ग्राम खरगोन से पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर दूर खरगोन-जुलवानिया रोड़ पर स्थित है।

सन्त लालदास हरिजन परिवार के सदस्य थे। तत्कालीन समाज की संरचना में जाति प्रथा और अस्पृश्यता की भावना विकराल रूप से विद्यमान थी। परिवार उपेक्षित एवं अधिकार विहीन अवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य था। आजीविका का स्रोत परम्परागत सफाई कर्म था, जिसमें हिकारत अधिक मिलती थी और आमदनी कम। पारिवारिक स्थिति सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित और आर्थिक दृष्टि से जर्जर थी।

लालदास का प्रारम्भिक जीवन समाज की मुख्य धारा से कटकर बीता। सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की वर्जनाएँ उन्हें एकाकी बना गईं। इस स्थिति ने उनके बाल मन में अवसाद अथवा आक्रोश उत्पन्न नहीं किया, अपितु उन्हें अधिकाधिक देवाराधना के पथ पर अग्रसर किया। वे बचपन से ही भगवान कृष्ण के परम भक्त बन गये थे। 'ये सदैव भगवान का स्मरण करते रहते थे। इनके मकान में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जहाँ उनकी पूजा-अर्चना चला करती थी।'¹

लालदास के कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने किसी सी दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। बालपन से उनमें भक्ति की जो लौ जल गई थी, उसी कि अन्तिम परिणति सन्त के रूप में उनका कायान्तरण था।

सन्त लालदास सगुण भक्ति की धारा के अनुकरणकर्ता थे। वे प्रतिमा पूजन के समर्थक थे। कृष्ण उनके आराध्य थे। मन्दिर में देव मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान मग्न हो जाना या भावविह्वल होकर स्वरचित एवं पूर्वप्रचलित भजनों का गायन करना उनकी साधना के सोपान थे।

उनका कार्यक्षेत्र ग्राम सुरपाला तक ही सीमित था। अपने मन्दिर से दूर रहना उनके लिये सह्य नहीं था। वे दुर्लभ अवसरों पर ही सुरपाला से बाहर जाना स्वीकार करते थे। उनकी ख्याति सुनकर निकटवर्ती क्षेत्रों के भक्तजन उनके निवास पर बने मन्दिर में आकर उनके सत्संग का लाभ उठाते थे। 'एक बार एक अभिमानी अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें बेगार हेतु कार्यस्थल पर आने के लिये बाध्य किया था। तब एक चमत्कारिक घटना घटित हुई और अधिकारी को सन्त से क्षमा याचना करना पड़ी।'² इस किंवदंती का उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है।

(ब) शिक्षाएँ – सन्त लालदास की शिक्षाएँ उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रतिबिम्बित होती हैं। उन्होंने अनेक पदों की रचना की है। ये पद वाचिक परम्परा में पीढ़ी दर पीढ़ी अन्तरित हो रहे हैं। उनके पदों की विषय वस्तु भक्ति और नैतिक आचरण है। उनका एक पद इस प्रकार है-

कहे लाल दास भजन करो प्यारे, भजन करो प्यारे।।

माता-पिता की सेवा करना, गुरु को शीघ्र झुकाना।।

सन्त जनों की सेवा करना, दुर्जनों से रहना न्यारे।।

तू क्यों करता अपना, यह जगत सब कोरा सपना।।

धन दौलत कुछ संग नहीं जाना, साथी छूट जाएंगे सारे।।

चार दिन का जग में रहना, सुख-दुःख सारे प्रेम से सहना।।

एक धरम पर सबको चलना, मिट जावेंगे दुःख सारे।।

बड़ी नारी को माता कहना, बराबरी को बहिना।।

छोटी को अपनी बेटा मानो लालदास ये वचन उचारें।।³

सन्त लालदास ने अपने अनुयायियों को भजन करते रहने का उपदेश दिया। वे भक्ति पथ के प्रत्येक पथिक को भजन गाने के लिये प्रेरित करते थे। भजन से ईश्वर में मन एकाग्र होता है और सांसारिक लिप्साओं का शमन होता है। माता-पिता की सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव को भी वे ईश्वर की आराधना के समकक्ष मानते थे। वे सन्तों की सेवा-सुश्रूषा करने और उनकी सदसंगति में रहने तथा दुष्ट मानसिकता वाले लोगों से दूर रहने का आह्वान करते थे।

उन्होंने अपने-पराये की मोह-माया के जाल में नहीं उलझने की शिक्षा दी। वे संसार को स्वप्नवत मानते थे। वे कहते थे कि मृत्यु के साथ ही सारी सांसारिक उपलब्धियाँ निरर्थक हो जाती हैं। धन-दौलत, दोस्त-यार, सगे-सम्बन्धि कोई साथ नहीं जाता। सब यहीं धरे रह जाते हैं। संसार चार दिन का बसेरा है। सुख-दुःख ईश्वर की इच्छा से आते और जाते हैं। सुख मिले तो प्रेम से स्वागत करना और दुःख मिले तो भी प्रेम से उसे सहन करना चाहिये। धर्म पथ पर चलने से समस्त दुःख संताप का निवारण हो जाता है।

स्त्री अस्मिता के वे संरक्षक थे। उम्र में बड़ी स्त्री को मातृवत्, हमउम्र को

बहनवत् और छोटी को पुत्रीवत् मानना चाहिये। इससे इतर भाव काम लिप्सा की उत्पत्ति का कारण बनकर भक्ति भाव का क्षय करते हैं।

सन्त लालदास के जीवनकाल में उनके अनुयायियों में अधिकांश दलित वर्ग के लोग थे। उन्होंने दलित वर्ग को भक्ति का पथ दिखाया। वर्तमान में न केवल दलित समुदाय के सदस्य अपितु समस्त वर्गों के लोग सन्त लालदास के प्रति पूज्य भाव रखते हैं। जन्म अष्टमी के अवसर पर उनकी समाधि पर आने वाले भक्तजनों को देखकर सहज ही उनके प्रभाव का आभास हो जाता है।

उपसंहार - सन्त लालदास को अपने अन्तिम समय का बोध हो गया था। उन्होंने जीवित समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छानुसार सुरपाला ग्राम में पूर्व दिशा में समाधि स्थल का चयन किया गया। उन्होंने जीवित समाधि लेकर अपनी देह विसर्जित की। समाधि स्थल पर सन्त लालदास के चरण चिन्ह (पगल्या) स्थापित किये गये हैं।

सन्त लालदास के अनुयायी उनके निवास स्थल पर बने मंदिर में प्रतिवर्ष जन्म अष्टमी को रात भर भजन-पूजन करते हैं और दूसरे दिन

समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना कर प्रसाद वितरीत करते हैं।

लालदास अत्यंत विनम्र और सरल हृदय भक्त थे। उनका जीवन साधु-सन्तों और अतिथियों की सेवा करते हुये व्यतीत हुआ। उन्होंने हरिजन समाज में जन्म लेकर अपने सदकार्यों से समाज का गौरव बढ़ाया। उन्होंने दलित वर्ग में भक्ति चेतना उत्पन्न की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सन्त लालदास, लेखक - डॉ. विष्णुराम जी सनावद्या 'सुमनाकर', प्रकाशक - स्वयं लेखक, संस्करण - 1975, पृष्ठ - 05
2. सन्त लालदास, लेखक - डॉ. विष्णुराम जी सनावद्या 'सुमनाकर', प्रकाशक - स्वयं लेखक, संस्करण - 1975, पृष्ठ - 19
3. निमाड़ी साहित्य के कलमकार - कलाकार, सम्पादक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 2003, पृष्ठ - 58

समाजिक विद्रूपताओं का महाग्रंथ - रागदबारी

डॉ. वारिश जैन *

शोध सारांश - 1968 में रागदबारी का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना थी। शुरुआत में आलोचकों ने इसे एक उबाऊ महाग्रंथ की संज्ञा देकर खारिज कर दिया था लेकिन आम पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया। सर्वाधिक पढ़ी गई हिन्दी कृतियों में इसका शुमार होता है।

1970 में इसे साहित्य अकादमी से नवाजा गया और 1968 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। श्री लाल शुक्ल प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं, वस्तुतः इसलिए प्रशासनिक मामलों में उनकी गहरी समझ उपन्यास में कई स्थानों पर उजागर होकर एक सजीव चित्र उपस्थित करती है।

वस्तुतः जितनी भी समस्याएँ एवं मूल्यहीनता इस उपन्यास में प्रकट है उनमें से एक भी वर्तमान में कम नहीं हुई है बल्कि और तीखे आवेश के साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर उसे और पेचीदा एवं कठिन बना रही है।

प्रस्तावना - रागदबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गाँव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरु से आखिर तक इतने निरसंग और सौदृश्य व्यंग्य के साथ लिख गया हिन्दी का शायद यह पहला बृहत् उपन्यास है। फिर भी रागदबारी व्यंग्य कथा नहीं है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गाँव की जिदगी से है - जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिदगी का दस्तावेज है।

संभवतः यह पहला उपन्यास है, जो औपन्यासिक परंपरा का अतिक्रमण करते हुए आद्योपांत नाटकीय शैली में लिखा गया है जो भी उपन्यासकार ने चाहा है, वह सब पात्रों के माध्यम से कहलवाया है, वर्णनात्मक शैली के प्रसंग कम से ही दिखाई पड़ते हैं परंतु जब भी कोई पात्र नियमोचित् बात करता है, तो उसमें हमें श्रीलाल शुक्ल झाकते हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र नहीं उपन्यासकार स्वयं बात कर रहा है। अन्यथा पूरा उपन्यास व्यंग्य को केन्द्र में रखकर नाटकीय शैली में ही लिखा गया है। उपन्यास प्रवाहपूर्ण गति से चलता रहता है, लेखक की मौजूदगी का एहसास नहीं होता पात्र अपनी बात कहते जाते हैं और सामाजिक विडंबनाओं की पर्तें खोलते जाते हैं।

शिवपाल गंज के निवासियों को पूरे उपन्यास में 'गंजहे' नामके संबोधन दिया गया है। जो उनके रौब का प्रतीक है। आसपास के गाँव के लोग शिवपाल गंज के बारे में कहते हैं - 'तुम इनके मुँह न लगो। तुम नहीं जानते यह साला गंजहा है।'

रागदबारी में मूल्यहीनता और संस्कार हीनता को उपलब्धि के तौर पर स्वीकार किया गया है। सभी पात्र तीखे आक्रोश के साथ आते हैं। उनके व्यक्तित्व का अखण्डपन और निर्भीकता व्यंग्य को और पैना बना देते हैं। पात्र अपनी सहजता में जीते हैं अपनी पहचान बनाते हैं उनमें पश्चाताप का भाव कहीं नहीं है। जीवन के हर घटनाचक्र को दोहरापन के आवरण से वे मुक्त रखते हैं।

यह उपन्यास जीवन के व्यवस्थित घटना क्रम से मिलकर बना है। इस उपन्यास के केन्द्र से मनुष्य हटता गया है और इसका स्थान परिवेश ने ले लिया है, इसलिए इस उपन्यास की संरचना नई नवेली और बदली हुई सी लगती है। शिवपाल गंज का परिवेश और उसका यथार्थ ही उपन्यासकार का प्रमुख कथ्य है। लोकतंत्र के नाम पर नगर सभ्यता के कारण जीवन में पेचीदगी के कारण, मूल्यहीनता और संस्कार हीनता के कारण जो कुछ दिखाई दे रहा है उस यथार्थ का व्यंग्यात्मक विवेचन ही उपन्यासकार कर ध्येय है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए हैं।

रागदबारी में भाषा के मुख्यतः तीन रूप हैं - एक रूप गंजटो की बोलचाल की भाषा, दूसरा लेखक की व्यंग्यात्मक भाषा और तीसरा रूप वैद्यजी का हर परिस्थिति में शालीन भाषा का प्रयोग। रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब भी अपेक्षाकृत शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं परंतु क्रोध में अवधी धाराप्रवाह उनके मुख से निकलती जाती है। गजहों की भाषा ग्रामीण जीवन के उपयुक्त भ्रंश और अर्थपूर्ण है। जिसमें अश्लीलता एवं गाली गलौज के शब्दों का आना आम बात है। सबसे अधिक आकर्षण लेखक की व्यंग्यात्मक भाषा में दिखाई देता है। यह भाषा व्यंग्यात्मक होने के साथ साथ इतनी प्रवाह पूर्ण है कि पाठक इसमें बहता जाता है। लेखक छोटे छोटे प्रसंगों को व्यंग्य के माध्यम से चरम पर पहुँचाता है और फिर व्यंग्यात्मक शब्दों की श्रंखला के सहारे उसकी इति श्री करता है।

रागदबारी में नशाखोरी, बेईमानी, धूसखोरी, गुंडागर्दी, अनैतिकता, चोरी, डकैती, जुआखोरी, अंधविश्वास, साँठ-गाँठ, लाल-फीताशाही, गबन, सरकारी शिक्षा की बदहाली, अयोग्य न्याय व्यवस्था जैसी कई राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं को तीखे व्यंग्य के साथ उठाया गया है।

सर्वाधिक सार्थक एवं विचारणीय वह स्थल है, जहाँ सनीचर तालाब के पास जाकर प्रधान पद के लिए वोट माँगता है। तब वहाँ के ग्रामीण जिस तरह वोट की निरर्थकता का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण करते हैं। वह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है और लोकतंत्र में वोट की निरर्थकता को चित्रित करता है।

यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न श्री लाल शुक्ल ने 1968 में आजादी के 20 साल बाद ही उठा दिया था कि वोट जनता के लिए कितना नगण्य है, जबकि वह लोकतंत्र के बुलंद दरवाजे की एकमात्र कुंजी है। आज इस प्रश्न की प्रासंगिकता जस की तस बनी हुई है। मतदान का घटना प्रतिशत एवं जनता का राजनीतिक पार्टियों और नेताओं पर घटा हुआ विश्वास लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक घातक है। आज भी कई लोगों के मुह से यह सुना जाता है कि वोट देने से क्या फायदा सब से सब एक जैसे है निकम्मे और भ्रष्ट।

पढ़े-लिखे लोगों के विषय में ग्रामीणों के मन में कैसी भावना है यह रूपन, रंगनाथ और सनीचर के वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है। जब सनीचर कहता है कि पढ़-लिख कर आदमी बात करने का असली ढंग भूल जाता है। शिवपालगंज के कॉलेज के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा की स्थिति शिक्षकों एवं प्रिंसिपल के बीच के संबंधों एवं विद्यार्थियों के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए गए हैं।

कुसहर प्रसाद छोटे पहलवान के मुकदमों के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीण न्याय व्यवस्था संक्षिप्त रोचक एवं व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस मुकदमे का अंत उपन्यासकार ने जिस तरह से करवाया है उससे भारतीय पारिवारिक संबंधों का यथार्थ सामने आता है कि स्वयं भले ही अपने पिता को लड्ड से पीटता रहे पर किसी दूसरे के द्वारा किया गया शाब्दिक अपमान भी उसके लिए असह्य होता है।

सनीचर जैसे अयोग्य व्यक्ति का वैद्यजी के नाम पर बेईमानी से गांव सभा का प्रधान बन जाना यह सिद्ध करता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, किसी भी पद के लिए चुना जा सकता है। कई स्थलों पर गाँधीवाद की दुर्दशा के व्यंग्यात्मक प्रसंग भी उपन्यासकार ने खड़े किए हैं।

‘लगड़ के माध्यम से तहसील कार्यालय में होने वाली लेट लतीफी और लालफीताशाही का वर्णन आद्योपांत उपन्यास में चलता रहता है नकलवीस उसकी दरखास्त में बार-बार गलतियाँ निकालता रहता है और लगड़ संयमी बनकर सब सहन करता रहता है। घूस न देने वाले व्यक्ति का भविष्य लगड़ के रूप में साकार हो उठा है।

छुआछूत किस प्रकार सिर्फ कागजों में समाप्त हुई है, इसका जीता जागता प्रमाण शिवपाल गंज का चमरही मोहल्ला है।

वैद्यजी संपूर्ण कथानक के सूत्राधार है, जो अपनी विनीत वाणी और पर्याप्त सूझबूझ के साथ शिवपाल गंज की संपूर्ण राजनीति को अव्यक्त षडयंत्रों के मिश्रण से प्रभावित करते हैं। उनकी सलाह के बिना पता भी नहीं हिलता। आजादी के बाद की राजनीति में उनका आचरण कथित राजनेताओं जैसा है जो ऊपर से जनसेवक बने रहते हैं या जनसेवक बनने का अभिनय करते हैं किंतु सारा आयोजन निरंकुशता के माध्यम से करते हैं। जनता में उनकी छवि साफ – सुथरी बनी रहती है।

वैद्यजी के छोटे लड़के रूपन कॉलेज की राजनीति में सक्रिय है। एक ही कक्षा में दो-तीन साल बने रहना उनके लिए गर्व की बात है। वे स्थानीय नेता थे। वे सबको एक ही निगाह से देखते थे। इम्तिहान में नकल करने वाला और कॉलेज का प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। सबको दयनीय समझते थे सबका काम करते थे और सबसे काम लेते थे। जन नायक की तरह ऊल जलूल और नए ढंग की पोशाक को अनिवार्यता समझते थे,

इसलिए सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रुमाल

लपटते थे। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके पिताजी भी नेता थे।

एक अन्य पात्र रामधीन भीमखेवड़ी जो अफीम का कारोबार करते थे और उसे बड़े व्यापारियों तक इसे पहुँचाने की आदत उनके हाथ में थी परंतु इस व्यापार की यही खराबी थी कि यह कानून के खिलाफ पड़ता था। इस विषय में वे अपने मित्रों से कहते हैं कि कानून उनसे पूछकर तो बनाया नहीं गया इसलिए इसमें उनकी क्या गलती है? इन्होंने की गाँव के लड़कों को कोड़ी की जगह ताश से जुआ खेलना सिखाकर एक और सामाजिक बुराई का सूत्रपात किया था।

शिवपाल गंज के कोआपरेटिव बैंक के गबनकर्ता की तलाश में गए यूनियन के एक अन्य डायरेक्टर का शहर जाकर बगीचे में सुस्ताना, लइया चने चबाना, लडकियों को घूरना और कम उम्र के छोकरों से तेल मालिश कराना और गबनकर्ता रामसरूप का भी पास ही में तेल मालिश कराना लगभग पंद्रह मिनट तक अच्छे पड़ोसियों की तरह एक ही बेंच पर बैठना और एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करना बहुत ही नाटकीय लगता है। यह आज के दोहरे आचरण वाले व्यक्ति की मानसिकता को उजागर करता है। साथ ही हमारी जांच व्यवस्थाओं की कलई भी खोलता है। वैद्य जी ने प्रजातंत्र का सपने में जो दयनीय स्वरूप देखा वह अत्यंत ही व्यंग्यपूर्ण एवं मार्मिक है। उसमें प्रजातंत्र के कपड़े फटे हुए हैं और वह जमीन पर बैठा हुआ वैद्यजी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस चित्रण के अनेक प्रतीकात्मक अर्थ निकाले जा सकते हैं, जो प्रजातंत्र की बदहाली के सूचक हैं।

आज के युग में इस उपन्यास की प्रासंगिकता शत-प्रतिशत बनी हुई है। इस उपन्यास में जितनी भी सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं व बुराइयों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है वे सभी उपन्यास के प्रकाशन के लगभग 45 वर्ष बाद भी ज्यों के त्यों मुँह बाए हमारे सामने खड़ी हैं। उनमें से एक का भी समाधान नहीं हुआ है बल्कि कइयों ने तो और भी अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है।

अंत में पलायन संगीत के माध्यम से लेखक ने समस्याओं से बचने के लिए किन-किन स्थानों पर पलायन किया जा सकता है उसके अच्छे विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। इन सभी समस्याओं व उनसे निजात पाने के तमाम प्रयासों की असफलता पाठकों को अंदर से झकझोर देती है और उनका हृदय एक पीडादायक बेवसी से भर उठता है।

राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की एक विशिष्ट कृति है जिसकी संरचना व्यंग्य और विद्रूप के माध्यम से बुनी गई है और इसमें कथानक के स्थान पर परिवेश को महत्व दिया गया है। इसलिए समकालीन एवं परवर्ती कथा साहित्य में यह निरसंग और उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य के लिए विख्यात हुआ। स्वतंत्रयोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने के कारण इस उपन्यास को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. रागदरबारी श्री लालशुक्ल 11 वाद्र संस्करण।
2. इच्छीसंवी सदी के चर्चित उपन्यास - डॉ राजेन्द्र मिश्र।
3. उपन्यास स्वरूप और संवेदना - राजेन्द्र यादव।
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास - डॉ नगेन्द्र।

गाथाकार सन्त धनजीदास और उनका योगदान

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना - सन्तों ने अपने चिंतन-मनन और आध्यात्मिक उपस्थिति से इस दुनिया को सुंदर और सात्विक स्वरूप प्रदान किया। हमारी सनातन संस्कृति में जीवन का मुख्य प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है और इसके ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीन रास्ते सुझाये गये हैं। भक्ति की सरलता और सर्वसुलभता ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। मध्यकाल में भक्ति का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया कि इतिहासकारों ने इसे आंदोलन की संज्ञा दे दी है। भक्ति को जन जन तक पहुंचाने वाले ख्यातनाम सन्तों में निमाइ के सन्त धनजीदास भी सम्मिलित हैं। कथात्मक शैली में बात कहने की उनकी विशिष्टता ने जनमानस को सम्मोहित किया और उनका प्रभाव बढ़ा। वे कई गाथाओं के प्रणयन से साहित्यिक उत्थान में भी योगदान देने वाले सन्त रहे। प्रस्तुत शोधपत्र में उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के विविध पक्षों तथा योगदान का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अ) व्यक्तिगत जीवन - 'सन्त धनजीदास का जन्म गोगाँवा के निकट अवरकच नामक ग्राम में हुआ था।' अवरकच खरगोन जिले (प. निमाइ) में कसरावद तहसील क्षेत्र में स्थित है।

सन्त धनजीदास के पिता पेशे से नाई थे। परिवार की आय का एक मात्र स्रोत पिता की व्यावसायिक सक्रियता ही थी। उस युग में नाई कर्म का प्रतिफल सीमित था। अधिकांश ग्राहक बँधे हुये थे और सेवा के बदले फसल के अवसर पर अन्न आदि देते थे। नकद भुगतान की परम्परा नहीं के बराबर थी। आर्थिक दुर्बलता का स्वाभाविक परिणाम निम्न जीवन स्तर के रूप में सामने आया। धनजीदास के माता-पिता के नाम तथा अन्य परिजनों के सम्बंध में तमाम प्रयासों के बावजूद किसी भी स्रोत में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है।

धनाभावजन्य कठिनाइयों ने प्रारम्भिक जीवन को कष्टप्रद बना दिया था। किशोरावस्था में आप पिता की सहायता करने लगे। स्वाध्याय के प्रति आपकी अत्यन्त अभिरुचि थी, अतः यथासमय आप ग्रन्थों के सान्निध्य में रहते थे। धार्मिक एवं पौराणिक आख्यान सुनना और पढ़ना आपको अत्यधिक पसन्द था।

आप सन्तों के मुख से श्रीमद् भागवत, महाभारत और रामायण के प्रकरण तथा भजन मण्डलियों से सिंगाजी एवं अन्य सन्तों के भजनों के श्रवण का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। श्रीकृष्ण प्रणीत लीलाएँ आपके हृदय में इस तरह रच-बस गई कि कालान्तर में आपने लोक शैली में उनका सफलतापूर्वक पुनर्लेखन किया।

सार्वजनिक जीवन - धार्मिक ग्रन्थों के प्रभाववश धनजीदास का रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने सिंगाजी को अपना गुरु मानकर मानसिक दीक्षा ग्रहण की। 'वे सिंगाजी के शिष्य थे।'² 'यह आश्चर्यजनक

तथ्य है कि सिंगाजी द्वारा समाधि ग्रहण कर लेने के उपरान्त भी दीर्घकाल तक निमाइ के अनेक लोग उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर साधनापथ पर अग्रसर होते रहे।'³

सिंगाजी की परम्परा के अनुयायी होने के कारण धनजीदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। साथ ही वे सन्त जगन्नाथ गिर की तरह अपनी मान्यता में लचीले थे और अन्य देवी-देवताओं में भी आस्था रखते थे और उनकी वन्दना में पदों की रचना करते थे। 'अभिमन्यु विवाह' नामक अपनी लोक गाथा के प्रारम्भ में उन्होंने सर्वप्रथम गणपति की वन्दना की है। यह वन्दना इस प्रकार है-

प्रथम गाऊ गणपति। गवरी नन्दन मंगल मुरती॥

कंठ कोकिला माता सरसती। अखण्ड जोत नाम की सुरती॥⁴

सन्त धनजीदास का प्रमुख कार्य क्षेत्र ग्राम अवरकच था। उन्हें भागवतकथा सुनाने के लिये विभिन्न स्थानों पर आमंत्रित किया जाता था। वे सन्त सिंगाजी से संबंधित स्थानों पर भी प्रवास करते थे।

(स) गाथाओं का सृजन - धनजीदास एक उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने लेखन का माध्यम निमाड़ी भाषा को बनाया। उनकी भाषा सुगठित तथा अभिव्यक्ति पूर्ण सशक्त है। उन्होंने श्रीमद्भागवत एवं महाभारत की घटनाओं के आधार पर अनेक लोक कथाओं की रचना की है। भजन मण्डलियों के मध्य ये गाथाएँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे इसे मृदंग-झांझ की झंकार के साथ तल्लीनता से गाती हैं और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। आपके द्वारा रचित प्रमुख गाथाएँ हैं- 'अभिमन्यु विवाह', 'सुभद्रा विवाह', 'रुक्मणी हरण', 'बाललीला', 'गोवर्धन लीला', 'रासलीली', 'राधा मंगल', 'पूतना वध', 'कंस वध', 'लीलावती', तथा 'मोतीलाला'।

उनकी समस्त रचनाएँ रोचक हैं, किन्तु 'मोतीलाला' सर्वश्रेष्ठ है। यह एक काव्य रचना है। इसमें 175 पद हैं। यह राधा एवं कृष्ण पर केन्द्रित है। इसमें रूठी हुई राधा को मनाने के लिये कृष्ण मोतियों के व्यापारी के रूप में वर्णित किये गये हैं। भाव, भाषा, उपमा और अलंकार की दृष्टि से यह एक सर्वांग पूर्ण सुन्दर रचना है।

आपका एक प्रसिद्ध पद, जो निमाइ में बहुत गाया जाता है, इस प्रकार है-

गोविन्द-गोविन्द धोंक भोळा मन गोविन्द गोविन्द धोक।
खवाड़ी न खाजे न पिवाड़ी न पीजे, कोई देता लेता ख मती रोक।।
ववो जसो पाईस न पूजो जसो पाईस, नई तो धरऽग मोटी पोक।
कसो छे कुटूम थारो बड़ा कुटूम वाळा, ओ जसी बिना दरद की जोंक।।
अंत की बिरिया कोई काम नी आवसे, कोई नी पाळऽगो थारो सोक।
काल जाल लई न ढीमर चलयो रे, मारी रयो बड़ी-बड़ी डोक।।

उना कसई ख दया नी आवसे, बाड़ा में निवाड़ विज्जू बोक।

दास धनजी की अरजी सुणो भाई, कथनी कऊँ रे सिंगठोका।⁵

(द) उपदेश एवं शिक्षाएं – सन्त धनजीदास की शिक्षाएँ मानवजीवन को छलरहित एवं परोपकारी बनाने के ध्येय से प्रेरित थीं। वे मन को सदैव प्रभु नाम (गोविन्द) स्मरण में रत रखने का आग्रह करते थे। वे स्वार्थ को त्याज्य और परमार्थ को श्रेयस्कर मानते थे। ओरों को खिलाकर स्वयं खाना तथा ओरों को पिलाकर स्वयं पीना के दर्शन के वे प्रचारक थे। अन्तःकरण की भावना के अनुसार ईश्वर की अनुकम्पा होती है, अतः पाखण्ड रहित निर्मल आचरण का अनुकरण करने का उन्होंने सन्देश दिया।

धनजीदास ने स्वयं भी ग्राहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह किया। वे अपने अनुयायियों को भी इसके लिये प्रेरित करते थे। लेकिन साथ ही वे सचेत करते थे कि कुटुम्ब में पूरी तरह लिप्त हो जाना ठीक नहीं है। यह मेरा, वह मेरा की रट अंत में दुःखद प्रमाणित होती है। वे कुटुम्ब को बिना दर्द वाली जोंक की उपमा देते थे। उनका कथन था कि मृत्यु के समय कोई काम नहीं आता है और किसी के मरने का कोई स्थाई शोक नहीं पालता है।

धनजीदास अपनी बात बिना हिचक के और निर्भीकतापूर्वक कहते थे। वे स्वयं लिखते हैं- 'कथनी कऊँ रे सिंगठोक'।

(इ) प्रभाव एवं मूल्यांकन – धनजीदास के उपदेशों में कथात्मकता अधिक थी। भागवत, महाभारत एवं रामायण के दृष्टांत श्रवणीय हैं। इनके वर्णन-विवेचन में वे निपुण थे। इससे स्वाभाविक रूप से उनके श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक थी। उनकी लेखनी से सृजित पूर्वोक्त रचनाएँ समाज में लोकप्रियता अर्जित कर चुकी थीं। इससे भी गुरु रूप में उनकी स्वीकार्यता में वृद्धि हुई थी। "उन्होंने सगुण साकार की उपासना को भी अंगीकार किया था, अतः मूर्ति पूजा में पीढ़ियों से रत जन समुदाय स्वयं को उनके साथ

अधिक सहज अनुभव करता था।"⁶

सन्त धनजीदास का शरीरांत स्वाभाविक रूप से हुआ था। निर्वाणोपरान्त उनकी समाधि कसरावद तहसील के ग्राम अवरकच में कुंदा नदी के किनारे उनके अनुयायियों द्वारा बनवाई गई थी। वर्ष 1994 में तीव्र वर्षा और नदी में आई बाढ़ से यह समाधि ध्वस्त हो गई।

नर्मदांचल के तीन सबसे लोकप्रिय सन्तों में सिंगाजी और दलूदास के साथ धनजीदास का नाम सम्मिलित है। एक दर्जन के आसपास रोचक गाथाओं का साहित्यिक संसार रचकर वे अमर हो गये। निमाड़ की भजन मण्डलियों को उनकी रचनाएँ कण्ठस्थ हैं, जिन्हें वे मृदंग, झांझ की झांकार के साथ लयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके श्रोताओं को सम्मोहित कर लेती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नर्मदांचल के सन्त कवि, लेखक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 1995, पृष्ठ - 33
2. सन्त सिंगाजी - एक अध्ययन, लेखक - पं. रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक - निमाड़ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा, संस्करण - 1965, पृष्ठ - 22
3. वही, पृष्ठ - 23
4. निमाड़ी और उसका साहित्य, लेखक - डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक - हिन्दुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, संस्करण - 1956, पृष्ठ - 295.
5. नर्मदांचल के सन्त कवि, लेखक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 1995, पृष्ठ - 38 - 39
6. निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, लेखक - रामनारायण उपाध्याय, प्रकाशक - विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, संस्करण - 1980, पृष्ठ - 172

Manufacturing Of Yarn From Some Natural Fibres Of Himalayan Origin And Their Blends

Sambaditya Raj* Prof. Himadri Ghosh** Dr. Prabir Kumar Choudhuri***

Abstract - Natural fibres possess specific traits but some of these fibres are not capable to convert into yarn and developed into fabrics. The characteristics of fibres determine the spinning performance, the appropriate and suitable method of spinning and its blending possibilities with other fibres. In this paper, the researcher has attempted to characterise the properties of fibres of Himalayan origin like Nettle, Hemp, Sisal and Local Wool as well as to study the characteristics of the fabrics woven in order to assess suitability in making apparels. Experiments resulted that Sisal was not found to be suitable, so it was discarded from the present study. Himalayan Nettle fibre along with Hemp and Local Wool was successfully converted into pure and blended yarn. The researcher also conducted some essential tests to assess the suitability of products developed.

Keywords - *Himalayan Origin, Natural Fibres, Properties, Blending, Spinnability.*

Introduction - Naturally available fibres possess some indigenous characteristics but each of these fibres is not capable of being converted into yarn and subsequently into fabrics. Even if the fibres are converted into yarns those may not be further used in making apparel textiles. The characteristics of the fibres determine the spinning performance, the right and suitable method of spinning, its blending possibilities with other fibres. The properties of the yarn produced subsequently determine the behaviour of the fabrics woven out of these yarns.

It has always become the topic of interest for researchers to assess the spinnability of different natural fibres. The objective being sustainability, effective use of some fibres particularly when it is wild in nature. Moreover, the success lies in livelihood improvement of the people connecting with these fibres directly or indirectly. Nettle, Sisal, Hemp and locally available Wool are some of the natural fibres available from Uttarakhand of Himalayan region. Almora and Chamoli districts in Uttarakhand are the predominant districts very rich in producing Nettle fibre (*Girardinia Diversifolia*).

In the present study an attempt has been made to characterise the properties of those fibres. Spinning into yarns of Nettle, Hemp and Wool fibres in hand spinning system were done and to study their characteristics emphasizing on tensile properties was the main concern. An attempt has also been made to weave fabrics out of the yarns produced as well as to study the characteristics of the fabrics woven in order to assess suitability in making

apparels.

EXPERIMENTAL

Materials used - Nettle fibre along with other three fibres namely Sisal, Hemp and local Wool have been used to conduct the present study.

Test Methodology for Fibres - Both Cross sectional and Longitudinal view of Nettle and other selected fibres have been taken with the help of Paramount Digital Projection (digivision) Prime. The diameter for each fibre has been measured and recorded. Tensile characteristics of all the fibres were studied.

A minimum of 50 tests were conducted for each sample and average was taken. Fiber fineness of Nettle and other fibres under study have been measured by conducting 50 tests.

Test Results and Discussion on Fibre Properties -

Through the microscopic views it is clear that Nettle fibre possess hollow core. The longitudinal view also confirms this. This unique feature of the fibre offers immense possibilities, if fabric is made with this fibre. That fabric may find its application both during summers and winters. There were not much remarkable features in case of Sisal and Hemp fibres except that Sisal is having a rough surface as evidenced from its cross-sectional view which can provide better frictional resistance. Local wool showed surface having scale like any other kind of wool sourced otherwise. Blending of Nettle fibre with locally available wool can be thought of as an option to work with.

* Assistant Professor, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Rajasthan) INDIA

** Dean, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Rajasthan) INDIA

*** Assistant Professor, Department of Silpa Sadana, Visva Bharati University, West Bengal, INDIA

Table 1: Diameter of fibres

Parameter	Nettle	Sisal	Hemp	Wool
Diameter(micron)	5.118	9.740	7.407	4.510

Results obtained from the tensile testing of the four fibres were considered. Tenacity, Breaking extension (%) and Initial modulus were thought to be very important properties for the use of fibres in textiles. The representative stress-strain curve of all those fibres have also been obtained.

(Fig. 1,2,3,4 & 5 see in next page)

The results reveal that fineness is lowest for local wool followed by Nettle and Hemp. The fineness of Nettle and Hemp is almost same proving good compatibility in blending in that respect. The fineness of Sisal fibre is not in favour of giving yarn meant for apparel textile in the context of fineness value of the fibres, acceptance of Local Wool, Nettle and Hemp fibre can be thought as potential raw material to produce yarn.

Table 2: Fineness (den) of fibres

Name of the Fibres	Linear density (den)
Nettle	17.08 (12.26)
Sisal	57.79 (15.44)
Hemp	17.96 (26.28)
Local Wool	8.78 (9.86)

Blending of Fibres - Fibres used in spinning are always homogeneous in their characteristics. In the present study an attempt has been made to blend Himalayan Nettle with Himalayan Wool, Himalayan Nettle with Hemp, Himalayan Wool with Hemp in different ratios of 70:30 and 50:50. Troubles have been experienced to blend Wool with Hemp fibre in any proportion and it was not possible to make yarn in any ratio. Therefore it was decided to make the made Nettle/Hemp blended yarn of 50:50 ratio. Blending of Himalayan Nettle with Himalayan Wool was also not successful in producing yarn in 70:30 ratios but it was possible in 50:50 ratios in conventional Ring Spinning system.

The following steps were followed by the researcher to make Himalayan Nettle and Himalayan Wool blended yarn through conventional Ring Spinning system. Process sequence involved in this study is as follows:-




Figure 6: Process flow in spinning

Preparation of Fabric sample - The woven samples have been prepared in hobbyloom using the yarns developed through hand spinning methods.

Conclusion - Fibre selection which is an important aspect prior to production of any textile material has been done in the study. Sisal was not found to be suitable, so it was discarded from the present study. Himalayan Nettle fibre alongwith Hemp and Local Wool was successfully converted into pure and blended yarn. Some important and essential tests of the fibres used, yarn developed and fabric developed have been performed in order to assess the suitability of the products to be used in apparels.

References :-

1. Standard test method for tensile properties of single textile fibres, Designation: D3822-01, *Annual Book of ASTM Standards*, vol. 07.01, 2005.
2. Standard test method for tensile properties of single textile fibres, Designation: D – 1577:2007, *Annual Book of ASTM Standards*, vol. 07.01, 2005.
3. Klein W, Manual of Textile Technology, Vol. I, The Textile Institute, Manchester, UK.
4. Standard test method for Linear density of yarn (yarn number) by the skein method, Designation: 1907-01, *Annual Book of ASTM Standards*, vol. 07.01, 2005.
5. Standard test method for Twist in single spun yarns by the untwist–retwist method, Designation: D1422-99, *Annual Book of ASTM Standards*, vol. 07.01, 2005.
6. Determination of yarn strength parameters of yarns spun on cotton system, *Indian Standard specifications*, IS 1671:1977, (Bureau of Indian Standards, New-Delhi), SP: 15-1981, 54.
7. Method for determination of threads per unit length, *Indian Standard specifications*, IS 1963:1981, (Bureau of Indian Standards, New-Delhi).
8. Standard test method for Thickness of Textile materials, Designation: 1777-96 (Reapproved 2002), *Annual Book of ASTM Standards*, vol 07.01.
9. Standard Test Method for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric, Designation: D 3776 – 96 (Reapproved 2002), ASTM International, United States.
10. Standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test), Designation: ASTM D5034 - 09(2013), ASTM International, United States.




Fig.1: Representative stress-strain curve of Nettle




Fig.2: Representative stress-strain curve of Sisal fibre




Fig.3: Representative stress-strain curve of Hemp fibre




Fig.4: Representative stress-strain curve of Local Wool fibre




Fig. 5 : Stress-strain curve of all fibres

भारतेंदुकालीन हिंदी नवजागरण का समीक्षात्मक अध्ययन

सोनिया राठी *

शोध सारांश - भारतेंदुकालीन हिंदी नवजागरण का मूलतत्त्व हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संक्रांति काल के दो पक्ष हैं। इस समय के दरम्यान एक और प्राचीन परिपाटी में काव्य रचना होती रही और दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में जो सक्रियता बढ़ रही थी और परिस्थितियों के बदलाव के कारण जिन नये विचारों का प्रसार हो रहा था, उनका भी धीरे-धीरे साहित्य पर प्रभाव पड़ने लगा था। भारतेंदु-मंडल के लेखकों के इन आदर्शों से आर्य समाज अनेक प्रश्नों पर गंभीर रूप से टकराता है। कुछ इतिहासकार और समालोचक भारतेंदुकालीन नवजागरण की पृष्ठभूमि में 1857 की जनक्रांति को नहीं देखते, बल्कि 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालय, कंपनी राज्य में फैलाए गए तथाकथित ज्ञान-विज्ञान और अंततः भारत-यूरोप संपर्क को ही नवजागरण का मूल प्रेरक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ हिंदी में एक नए युग का आरंभ हुआ, यह मान्यता तो बहुत पहले से प्रचलित रही है किंतु इस नए युग को 'नवजागरण' नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉ. रामविलास शर्मा को है। 'महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण' 1977 नामक पुस्तक के द्वारा उन्होंने 'नवजागरण' की नहीं बल्कि 'हिंदी नवजागरण' की संकल्पना प्रस्तुत की। इससे पहले भारत में नवजागरण की चर्चा प्रायः 'बंगाल नवजागरण' के रूप में ही होती रही है। नवजागरण शब्द के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए डॉ. रामविलास शर्मा ने कुछ वर्ष बाद 'भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएँ', 1984 नामक एक अन्य पुस्तक के तीसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि 'नवजागरण' शब्दबंध नया था, धारणा पुरानी थी। पुरानी धारणा से तात्पर्य संभवतः 'रिनेसांस' से है। उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय स्वयं भी उस समय की नई सांस्कृतिक चेतना को एक 'रिनेसांस' समझते थे। पादरी अलेक्जेंडर डफ से एक बार उन्होंने कहा था 'मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ भारत में यूरोपीय रिनेसांस से मिलता-जुलता कुछ घटित हो रहा है।' हिंदी साहित्य के इतिहास में नवजागरण का युग साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्धिशीली माना जाता है। इस दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे रचनाकार हिंदी साहित्य में नवजागरण की विचारधारा को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने साहित्यिक रचनाशीलता का आरंभ किया। इन रचनाकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से इहलौकिकता की प्रतिष्ठा की। प्रमुख रूप से यह दौर साहित्य में वास्तविकता और यथार्थबोध पर जोर देता है। इस युग के संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि भारतेंदु का व्यक्तित्व भारतीय पुनर्जागरण का साहित्यिक प्रतीक और हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तन का सूचक था। नवजागरण का पहला अनुभव बंगाल ने किया, बंगाल से होती हुई आधुनिकता की धारा सारे देश में पहुँची। राजा राममोहन राय समूचे देश के लिए मनस्वी बनकर उभरे, अपने विराट व्यक्तित्व से उन्होंने भारतीय नवजागरण को एक दिशा दी और आधुनिक भारत निर्माण के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा सबसे पहले की। उनके बारे में मोनियर विलियम्स ने कहा कि संभवतः वे पहले-पहले दृढ़ मनोवृत्ति के अन्वेषी थे। वास्तव में राजा राममोहन राय एक ऐसी परम्परा की नींव रख रहे थे, जिसने प्रकारान्तर में आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने के साथ सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जाति का उपक्रम किया। इस परम्परा को आगे बढ़ाने का कार्य किया ईश्वरदास विधासागर, केशव सेन, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्री अरविन्द आदि ने। इस युग की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना के दिग्दर्शन द्वारा हिन्दी क्षेत्र में नवजागरण का परिचय प्राप्त करते हैं।

प्रस्तावना - नवजागरण की ऐतिहासिक व्याख्याओं के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो 1857 के गदर अथवा भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की उपेक्षा करते हैं। इससे एक भटकाव तो यह होता है कि कुछ लोग भारत-यूरोप संपर्क की शब्दावली की आड़ में अंग्रेजों को ही अपने नवजागरण का प्रेरक मान बैठते हैं। दूसरा यह कि धार्मिक आंदोलनों अथवा आर्य समाज जैसे संगठन को नवजागरण का वाहक बतलाने की कोशिश की जाती है। भारतेंदुकालीन हिंदी नवजागरण सन् 1857 के गदर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। इस नवजागरण की अनेक धाराएँ हैं, जिनमें एक हिंदू पुनरुत्थानवाद अथवा वैदिक एकेस्वरवाद से आवृत्त तथाकथित आर्य संस्कृति के आग्रह के लिए खंडन-मंडन पर आधारित आर्य समाजी आंदोलन भी है। दूसरी धारा

वैष्णव प्रेम भक्ति और नवजात पूंजीवादी उदारतावाद की है। ये दो प्रमुख धाराएँ ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, चूंकि इन दोनों की टकराहट और संघर्ष से ही हिंदी नवजागरण का दृढ़ पूर्ण विकास होता है।

हिंदी साहित्य के पुराने इतिहास ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि पादरी एफ.ई. के ने 1920 ई. में ही इस 'रिनेसांस' की चर्चा की थी। अपनी छोटी-सी पुस्तक 'ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिट्रेचर' के पहले अध्याय में लिखा है 'उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क के द्वारा हिंदी साहित्य में एक नया प्रभाव आया। इसी समय के आसपास भारत में एक सशक्त साहित्यिक नवजागरण शुरू हुआ जो अब तक प्रगति पर है।' बंगाल का नवजागरण राजा राम मोहन राय 1772.1833 से आरम्भ होकर

* एम.ए. (स्वर्ण पदक विजेता), यू.जी.सी.नेट, एम.फिल., पीएच.डी. (शोधार्थी), जैन विश्वविद्यालय, बंगलोर, भारत

विवेकानन्द 1863-1902 तक माना जाता है। इस समय धर्म दर्शन, समाज, साहित्य और संस्कृति में जो उथल-पुथल हुई, वही बंगाल का नवजागरण कहा गया। इस तरह बंगाल का नवजागरण 'पराधीनता के काले बादल में सुनहरी रेखा थी। यूरोपीय रेनासांस में जो स्थान इटली का है, भारत के नवजागरण में वही स्थान बंगाल का है। बंगाल गद्य का विकास तथा पाठ्य पुस्तकों की रचना इसका प्रारंभिक चरण था। बाद में क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या लेख, क्या जीवनी सभी क्षेत्रों में नवीन आधुनिकतावादी दृष्टि दिखाई देती है। यह नवजागरण जहां प्रारंभ में सामंतवाद विरोधी और एक सीमा तक अंग्रेजियत से प्रभावित था, यह धीरे-धीरे साम्राज्यवाद और उपनिवेश विरोधी होता गया। हिंदी नवजागरण के जनक भारतेन्दु का बंगाल के साथ बहुत निकट का सम्पर्क था। विद्यासागर, राजेन्द्र लाल मिश्र, केशवचन्द्र सेन आदि के साथ उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। भारतेन्दु के जीवनी लेखक बाबू शिवनन्दन सहाय के अनुसार निम्नलिखित बंगाली लेखक और बुद्धिजीवी भारतेन्दु के मित्र वर्ग में थे- ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, डॉ. राजेन्द्र लाल मिश्र, कृष्ण दास पाल, शम्भुचरण मुखर्जी, बंकिम चन्द्र चटर्जी, केशव चन्द्र सेन। बालकृष्ण भट्ट भी राममोहन राय कृष्णचन्द्र पाल, विद्यासागर, बाबू केशवचन्द्र सेन आदि को स्मरण करते हैं। बालमुकंद गुप्त की तो कर्मस्थली ही कलकत्ता रही। यहाँ उन्होंने हिंदी बंगवासी 1892.98 तथा भारत-मित्र 1899.1907 दो महत्वपूर्ण हिन्दी के पत्रों का संपादन किया। विद्यासागर से भारतेन्दु ही नहीं, उनके मण्डल के सभी लेखक प्रभावित थे। उस समय के रचनाकारों ने विद्यासागर, राममोहन राय की जीवनियां लिखी। राधा कृष्ण दास ने विद्यासागर की विस्तृत जीवनी लिखी। नवजागरण जन्य भाषा-सम्बन्धी परिवर्तनों के विशेष संदर्भ में भारतेन्दु युग भाषा आंदोलन का और उसके ग्राम्य रूप के ग्रहण का युग रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की शैली सहज हिन्दी की शैली है। डॉ. विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि 'सहज हिन्दी की शैली जिसे भारतेन्दु ने अपनाया और जो शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवाद के बीच की शैली थी'। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सहज शैली की वकालत तो करते थे परन्तु वे इसके इतर संस्कृत निष्ठ हिन्दी का भी प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जिस रहस्यवाद को हिंदी नवजागरण पर बंगाल के प्रभाव के रूप में निरूपित किया जाता है, वह भी एक तरह से समूचे भारतीय नवजागरण का अभिन्न अंग है। यह रहस्यवाद उस नववेदांत की देन है, जिसका एक रूप रवींद्रनाथ में विकसित हुआ तो दूसरा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों में कितनों ने रवींद्रनाथ से रहस्यवाद ग्रहण किया, इस विषय में संदेह भले ही हो पर इसमें संदेह की गुंजाइश कम ही है कि निराला के रहस्यवाद का आधार विवेकानंद का नववेदांत था और प्रसाद के रहस्यवाद का आधार शैवागम। यह सच है कि यह नववेदांत हिंदी में उसी तरह बंगाल से आया जैसे हिंदी नवजागरण में और भी बहुत-सी बातें बंगाल से आईं। किंतु इस नववेदांत के सहारे निराला और प्रसाद ने जिस प्रकार सामंत-विरोधी और साम्राज्य-विरोधी संघर्ष का साहित्य रचा वह रहस्यवाद-विरोधी बौद्धिकता द्वारा रचे हुए साहित्य से घटकर है, ऐसा कहने का साहस कम ही लोग करेंगे। भारतेन्दु युगीन साहित्य में इन लक्षणों की जीवंत अभिव्यक्ति मिलती है। भारतेन्दु के अलावा इस युग के अन्य रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्धीनाथ चौधरी प्रेमघन, अंबिकादत्ता व्यास, राधाकृष्ण दास, बाल मुकंद गुप्त, लाला श्री निवास दास, मुंशी तोताराम आदि प्रमुख हैं। इन सभी रचनाकारों ने अपने युग के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों को पूरी शिष्ट

के साथ सामने रखा। आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कहीं से भी मानें, स्पष्ट तौर पर पहचान कायम करने की कोशिश इस युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से हुई। वे ही इस युग के पथ प्रदर्शक थे और हिन्दी के पहले आधुनिक पुरुष। पंजाब में रहकर श्रद्धाराम फिल्लौरी भी इसी समय समाज सुधार और हिंदी सेवा के कार्य कर रहे थे। भारतेन्दु ने अपनी लेखनी द्वारा जिन प्रवृत्तियों और मूल्यों को प्रचारित-प्रसारित किया, उसकी प्रेरणा उन्हें नवजागरण से मिली। इस क्षेत्र के नवजागरण को भले ही हिन्दी नवजागरण की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इस दौर में जिस चेतना का प्रसार हो रहा था, वह अखिल भारतीय नवजागरण के आन्दोलन का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसमें अपनी विशिष्टताएं थी, जो उसे अन्य क्षेत्रों के नवजागरण से अलग करती थी। भारतेन्दु युग के साथ जिस नवजागरण का अभ्युदय होता है, उसके प्रेरक कारणों की छानबीन करना आवश्यक है। इस संबंध में हिंदी के साहित्येतिहास ग्रंथों में गंभीर मतभेद है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि समाज सुधार की भावना से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरोध के मूल में निहित राष्ट्रीयता की भावना तक सब कुछ पश्चिम की नई सभ्यता, ज्ञान-विधान और नई शिक्षा से संपर्क के कारण ही एक नई प्रवृत्ति का रूप ले सकी थी। जातीय स्वत्व का बोध, राष्ट्रीय संपदा और रम शक्ति के शोषण की पहचान, विदेशी हुकूमत के जुए के नीचे पिसती हुई भारतीय जनता के उत्पीड़न का अभिज्ञान-व्या पश्चिम की नई सभ्यता के संपर्क से उत्पन्न हुआ था? यह विचित्र बात है कि जो लोग शोषण और उत्पीड़न कर रहे थे, उन्हीं लोगों को हम अपनी जागृति का प्रेरक मान बैठे हैं। इतिहास को वस्तुनिष्ठ ढंग से न देखने के कारण ही ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं। भारतेन्दुकालीन जातीय नवजागरण के चरित्र का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस संबंध में काफी मतभेद की गुंजाइश है और एक हद तक इस विषय पर गंभीर वाद-विवाद हुए भी हैं। इसे नवजागरण कहा जाए अथवा पुनरुत्थान, नामकरण की पदावली की ओट में ही यह वैचारिक संघर्ष छिपा हुआ है। श्री रामधारी सिंह दिनकर भारतेन्दु के समय से लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक के काल को हिंदी का पुनरुत्थानवादी युग कहते हैं। पुनरुत्थान का मूल तत्त्व है, भारत के अतीत गौरव का आख्यान, भारत के प्राचीन भाववादी अथवा अध्यात्मकवादी दर्शन के बल पर नवयुग की पुनर्रचना, आर्य संस्कृति के शुद्धतावादी आग्रहों से नए युग की भाव-संवेदना का विकास अर्थात् हिंदू पुनरुत्थानवाद। इसी अर्थ में दिनकर जी भारतेन्दु को भी पुनरुत्थानवादी मानते हैं। उनकी मान्यता है, हिंदी में पुनरुत्थान के भाव भारतेन्दु तथा उनके समकालीन कवियों के साथ ही प्रकट होने लगे थे और तभी से हिंदी-भाषी जनता के बीच एक नई रुचि भी उदित होने लगी थी और इस पुनरुत्थान के नेता के रूप में दिनकर जी ने स्वामी दयानंद को प्रतिष्ठित किया है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि भारतेन्दु और स्वामी दयानंद लगभग समकालीन थे। भारतेन्दु का लेखन 1868 ई. से आरंभ होता है और 1884 ई. में उनका देहावसान होता है। एक आर्यसमाजी विचारक के रूप में स्वामी दयानंद का सार्वजनिक व्याख्यान और परिपक्व लेखन 1863 ई. से आरंभ होता है और देहत्याग 1883 ई. में होता है। भारतेन्दु की पत्रिका के संपादक मंडल में एक नाम स्वामी दयानंद का भी मुद्रित रहता था। इस समकालीनता और सामीप्य संबंध के बावजूद दोनों की विचारधाराओं के अलग-अलग वैशिष्ट्य की पहचान न होने के कारण भ्रांति होना स्वाभाविक है। भारतेन्दु के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को जानने के लिए 'बलिया का भाषण' और 'हिन्दी भाषा की उन्नति' बहुत महत्वपूर्ण हैं। बलिया का भाषण उन्होंने अपनी मृत्यु के दो माह पूर्व नवम्बर 1884 में

दिया। इसमें वे देश के दुर्भाग्य के लिए आलस्य को कोसते हुए, अकबर आदि बादशाहों को उनके अच्छे कार्यों के लिए स्मरण करते हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि 'अंग्रेजों के राज में भी हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो कमबख्त, कमबखती फिर कमबखती है।' वे सबको बताते हैं कि देशोन्नति स्वयं करने पर ही होगी, कोई राजा, या कोई पण्डित जी हमारी उन्नति नहीं कर जायेंगे। 'भाइयों राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, यह मत आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई उपाय बतलावेंगे कि विदेश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो आलस छोड़ो। डॉ. उमाशंकर जी ने कहा कि सावित्रीबाई ने यह साबित किया कि वही नवजागरण काल की प्रथम भारतीय समाज सेविका एवं शिक्षिका हैं, जिसने आने वाली पीढ़ी के लिये दीप स्तम्भ बनकर प्रदर्शन किया है। अस्पृश्यता उन्मूलन का क्रांतिकारी कार्य सावित्रीबाई ने पूरी तन्मयता से किया। सावित्रीबाई ने यथार्थ की ओर ध्यान देते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को अपने कार्य का एक अभिन्न अंग माना था, अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ ही खेतिहर किसान, मजदूर किसान की सेवा, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, सती प्रथा की रोकथाम, बाल हत्या प्रतिबंध आदि सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के भरसक प्रयास किये। भारतेंदु हिंदू और मुसलमान दोनों को एक इकाई के रूप में देखते हैं। भारतेंदु युग के नवजागरण की प्रधान विशेषता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की भावना। इन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक यूनिट के रूप में देखा। स्पष्ट है कि इस युग के रचनाकारों ने धार्मिक अंधविश्वासों, छूआछूत, ऊंच-नीच की भावना तथा ब्राह्मणवादी परंपरा की घोर आलोचना प्रस्तुत की। नवजागरण की परंपरा में दोहरे ढंग से सामाजिक परिवर्तन की पद्धति को विकसित किया गया है, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी राज का विरोध है और दूसरी तरफ भारतीय रूढ़िवाद को भी चुनौती दी गयी है।

भारतेन्दु नवजागरण के सर्वमान्य नेता थे। वे समय-समय पर लेखकों को प्रेरणा दिया करते थे जिससे कि देश का सुधार हो सके। 15 मई 1879 के 'कविवचन सुधा' में 'जातीय संगीत' नाम से एक 'विज्ञापन' प्रकाशित किया। जिसमें देश की उन्नति के निमित्त जातीय संगीत की छोटी-छोटी पुस्तकें बनाकर 'सारे देश, गांव-गांव में, साधारण लोगों में प्रचार के लिए वितरित की जाये। इन ग्रामगीतों के विषय इस प्रकार थे- 'बालविवाह से हानि, जन्मपत्री मिलाने की अशास्त्रता, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन से शराब की आदत, फूट और वैर, बहुजातित्व और बहुभक्तिव्य, जन्मभूमि-इससे स्नेह और इसके सुधारते की आवश्यकता का वर्णन, नशा, अदालती, स्वदेशी-हिन्दुस्तान की वस्तु हिन्दुस्तानियों को व्यवहार करना उसकी आवश्यकता, इसके गुण इसके न होने से हानि का वर्णन आदि। इस युग में समाज सुधार के अधिकांश काम नारी से संबंध रखते हैं। नारियों की दशा सुधारने के प्रयत्न प्रारम्भ से ही हो गये थे। स्त्री शिक्षा का न होना, बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाह तथा विधवा विवाह का न होना आदि ऐसी बातें थी, जिनके विरुद्ध इस युग में आवाज उठी। भारतेंदु युग के रचनाकारों ने देशवासियों को धर्म-सुधार तथा देश उन्नति के लिए जागृत किया। उन्होंने अपनी कविताओं में मध्यकालीन संदर्भ से हटकर आधुनिक रचना संदर्भों का परिचय दिया। इन्होंने भारत की अनेक दुर्बलताओं से परे एक शक्तिशाली राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत की। भारतेंदु की भक्ति लोकजागरण की परंपरा से जुड़ी है। इनका रचनाकर्म कबीर, तुलसी, जायसी का आधुनिक संस्करण है। इस संदर्भ में डॉ. रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि "तुलसीदास ने

भक्ति के रूप में भारतीय जनता में जो सहज आत्म सम्मान जगाया था, वही नई परिस्थितियों में भारतेंदु के राष्ट्रीय आत्म सम्मान के रूप में विकसित हुआ। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखक बार-बार भारत का धन विदेश जाने से रोकने वाली बात दोहराते हैं। इस युग का साहित्य स्वदेशी और स्वाधीनता की समस्या को जनमानस के सामने रखता है। पूरी शक्ति के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थतंत्र की निर्मम आलोचना करते हैं और साथ ही देश की जनता को शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था की सीमाओं से अवगत कराते हैं। इस दौर की यह विशेषता रही है कि अनेक साहित्यिक विधाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास किया गया।

हिंदी को स्तरीय स्वरूप देने की जो प्रक्रिया तत्कालीन भारतेंदु युगीन साहित्य में चल रही थी, उसमें हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों के शब्द भंडार और हिंदी की जातीय सांस्कृतिक निधियों से बहुत कुछ ग्रहण करने का रुझान स्पष्ट था। पर आर्य भाषा हिंदी के नाम पर दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के तमाम लेखक और सुधारक भाषा का जो, जातीय आदर्श रख रहे थे, उसमें हिंदी क्षेत्र की बोलियों के शब्द भंडार, लोक साहित्य, ग्रामगीत तथा जातीय सांस्कृतिक विरासत की विविधताओं का निषेध था। आर्य भाषा हिंदी की तत्सम प्रधान शुद्धता का आग्रह आर्य समाज की ओर से आया था, जबकि हिंदी-उर्दू-भाषियों की एक जातीयता के विकास को ध्यान में रखकर भारतेंदु-युग के अधिकांश लेखकों ने जनप्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों का न तो बहिष्कार किया और न उर्दू में पढ़ना-लिखना ही बंद किया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारतेंदु-युग के सभी लेखक हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास से अनेक प्रकार से जुड़े हुए थे। यहां तक कि प्रहसन का इस्तेमाल कर धार्मिक आडंबरों, नौकरशाहों, ब्रिटिश भक्तों, सामंतों और अंग्रेजों पर व्यंग्य बाण छोड़े गए हैं, जनता को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शिक्षित करने के लिए नाटक को एक जीवंत साहित्यिक विधा बनाने का भरपूर प्रयत्न हुआ है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी कदाचित् हिन्दी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं, जिन्होंने, 1857 के बाद आने वाले नवजागरण को हिन्दी साहित्य में प्रेरक शक्ति के रूप में समझा। उन्होंने प्रसंगात् लिखा है- 'यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक-दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था। बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। यहां से हमारा देश नये मोड़ पर आकर खड़ा हो गया और उसके साथ ही देश की साहित्यिक चेतना भी नवीन दिशा की ओर मुड़ी। प्राचीन भारतीय संस्कार तब भी प्रबल रूप में वर्तमान थे, परन्तु वे भी बिलकुल नयी दिशा में मुंह करके खड़े हो गये। यहां से शिक्षित समुदाय में एक नये दृष्टिकोण की संभावना उत्पन्न हुई। मनुष्य के सामाजिक संबंधों और अन्तरव्यक्ति संबंधों के मान में परिवर्तन होने लगा और क्रमशः पुराने संस्कारों से मुक्त नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई जिसने राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में नयी हलचल पैदा कर दी। यही 'नयी हलचल' नवजागरण कहलाया। इस युग में दो विचार-धाराएँ दिखाई देती हैं- 1. पुराणवादी परंपरा के समर्थकों की और 2. आधुनिक व्यापक दृष्टि वालों की। किन्तु भारतेन्दु ने मध्यम मार्ग अपनाया था। भारतेन्दु ने सामाजिक दोषों, रूढ़ियों, कुरीतियों का घोर विरोध किया है। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग की पोल खोल दी है। छूआछूत के प्रचार के प्रति क्षोभ के स्वर कवि में हैं। प्रतापनारायण मिश्र स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, बाल-विवाह के विरोधी तथा विधवाओं के दुख से दुखी है।

डॉ. लक्ष्मीसागर वाष्पण्य और डॉ. श्रीकृष्ण लाल दोनों ने यूरोप के संपर्क

से, खास तौर पर ब्रिटिश जाति द्वारा फैलाई गई नवचेतना की देन के रूप में हिंदी नवजागरण को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहासकारों में भी कुछ अंग्रेज भक्त हैं, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के मूल में अंग्रेज विद्वानों द्वारा लिखित ज्ञान-विज्ञान के साहित्य को ही प्रमुख रूप से देखा करते हैं। संस्कृति के चार अध्याय नामक पुस्तक में दिनकर जी ने भी इसी मत की पुष्टि करते हुए यह कहा कि वर्तमान भारत का जन्म ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की गोद में हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन इसलिए आरंभ हुआ कि यहाँ के शिक्षित जन समुदाय को उसके शासकों ने बर्क, मिल और मैकाले की रचनाओं को पढ़ना और ग्लैडस्टन तथा ब्राइट जैसे धुरंधर वक्ताओं की संसदीय भाषण-शैली में रस लेना सिखा दिया था? खुद अंग्रेजों ने और उनके भक्तों ने तो खास तौर पर यही कहानी गढ़ी है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि भारत में स्वाधीनता की भावना यहाँ की अपनी सामाजिक परिस्थितियों से पैदा हुई। वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की परिस्थितियों और उनकी शोषण की व्यवस्था से उत्पन्न हुई। रजनी पामदत्त ने इस प्रसंग में ठीक ही लिखा है कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन उन सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ जो इस शोषण के कारण भारतीय समाज में उत्पन्न हो गई थीं। वह इस कारण पैदा हुआ कि भारत में पूंजीपति वर्ग जन्म ले चुका था और शिक्षा की शैली की जैसी भी व्यवस्था होती, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व के साथ उसका टकराव अवश्य ही होता। जब मैकाले ने भारत की सदियों से चली आ रही पुरानी शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर नए ढंग की साम्राज्यवादी अंग्रेजी शिक्षा शुरूआत की तो उसका लक्ष्य भारत की जनता में राष्ट्रीय भावना पैदा करना था, बल्कि उसकी जड़ें खोदना था। रजनी पामदत्त के शब्दों में कहे तो कहा जा सकता है कि, यह साम्राज्यवाद की पूरी व्यवस्था में निहित अंतर्विरोध का परिणाम था। शिक्षा की जो पद्धति साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करने के लिए जारी की गई थी, उसी ने भारत के लोगों के लिए इंग्लैंड के जनवादी जन-आंदोलनों और जन संघर्ष से, मिल्टन, शैली तथा बायरन जैसे कवियों से प्रेरणा प्राप्त करने का भी रास्ता खोल दिया। अंग्रेज गवर्नर जनरल हिंदुस्तान को जनता के जातीय नवोत्थान और क्रांतिकारी प्रतिरोध से डरा हुआ था। इससे पता चलता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का उभार कब और क्यों उत्पन्न हुआ। डॉ. रामविलास शर्मा ने भारतेन्दुकालीन नवजागरण की व्याख्या इसी पृष्ठभूमि में की है, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय चेतना सीधे अंग्रेज डाकूओं के कारनामों का विरोध करके बढ़ी। इसलिए हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भावनाओं का तमाम नया साहित्य अंग्रेजी राज्य का विरोधी साहित्य है। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारतीय जनता को गुलामी की शिक्षा दी, भरसक उसके राष्ट्रीय सम्मान और उसकी प्रतिरोध भावना को कुचलने की कोशिश की। इसके बावजूद जनता के समर्थक लेखक देश की संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए आगे बढ़े।

डॉ. रामविलास शर्मा ने हिन्दी नवजागरण की जो भव्य रूपरेखा खिंची है, उसे और भी भव्य बनाने का काम किया डॉ. शम्भुनाथ ने। 'भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण' किताब में उन्होंने लिखा कि भारतीय नवजागरण अगर एक धारा भारतीय परम्परा पर साम्राज्यवादी परम्पराओं के प्रभुत्व की है तो दूसरी धारा भारतीय परम्परा की साम्राज्यवादी परम्पराओं से टकराहट की है। एक को हम एकांगी नवजागरण तथा दूसरे को समग्र नवजागरण कहेंगे। आगे कहते हैं कि राजा राम मोहन राय वाली एकांगी नवजागरण की धारा के मूल सामाजिक आधार में तो विशिष्ट वर्ग के लोग थे जबकि भारतेन्दु

वाले समग्र नवजागरण की धारा के मूल सामाजिक आधार में साधारण मध्यवर्ग और किसान वर्ग के लोग थे। जो हिन्दी नवजागरण को हिन्दू नवजागरण मानते हैं, उन्हें भारतेन्दु के इन शब्दों से पता चल जाना चाहिए कि वे हिन्दुओं के लिए नहीं, हिन्दू-मुस्लिम एकता के साथ दोनों की उन्नति के लिए आन्दोलित हो रहे थे। एक क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहे सम्पूर्ण देश की एकता और उन्नति की कामना करते हुए नवजागरण का शंख फूंक रहे थे। ये विचार केवल भारतेन्दु तक ही सीमित न थे। प्रतापनारायण मिश्र- हिन्दू और मुसलमानों को भारतमाता के दो हाथ मानते थे तो भारतेन्दु उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और सभी में उपासना की एकता खोजते हैं। देशोन्नति के उपाय बताते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सभी धर्म मानने वालों से एक होने को कहा: 'यह समय झगड़ों का नहीं, हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिये जो जो देशोन्नति के इच्छुक हैं उन्हें सब झगड़ो पहिले और सब झगड़ो को छोड़ के केवल इस बार पर कटिबद्ध होना चाहिए कि आपस में सच्चा प्रेम, दृढतम प्रेम बढ़े।

हिन्दी नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी- निजभाषा। उनका हिन्दी या नागरी के प्रति विशेष आग्रह था। बंगाल के नवजागरण के प्रारम्भ में अंग्रेजी और अंग्रेजियत के प्रति आकर्षण प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन हिन्दी नवजागरण में पुरस्कर्ता भारतेन्दु या फिर फिल्लौरी से लेकर भारतेन्दु मंडल के सभी लेखक हिन्दी के विकास के लिए चिंतित रहा करते थे। कहा गया है कि अपनी भाषा को संपन्न बनाने के लिए सरल, सुबोध शब्द जहाँ से भी मिले उनको खुलेपन से अपनाना चाहिए। संस्कृत के दुर्बोध के प्रयोग से भाषा का सहज विकास नहीं हो सकता है। भाषा के विकास में कूपमण्डूकता को छोड़ना जरूरी है। किसी एक ही स्रोत से शब्द ग्रहण करना उचित नहीं। इसके लिए लेखक ने अंग्रेजी का उदाहरण दिया है, जिसने हर संभव स्रोत से शब्द ग्रहण कर अपनी शब्द सम्पदा को खूब बढ़ाया है।

उन दिनों शास्त्रार्थों की धूम मच गई। उत्तर-प्रत्युत्तर से, कटाक्षों और व्यंग्यों से सामयिक पत्र भरे रहते थे और हिंदी का भावी गद्य नवीन शक्तियों से सुसज्जित हो रहा था। इन वाद-विवादों ने भाषा को बहुत समृद्ध किया है और प्रौढ़ता प्रदान करने में बड़ी सहायता पहुंचाई। ध्यान देने की बात है कि नवजागरण के धार्मिक और सामाजिक वाहन के रूप में डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ब्रह्म समाज, सनातन धर्म आदि संगठनों की भूमिका को भी दिखाने का प्रयत्न किया है। पंजाब में नवीनचंद्र राय ब्रह्म समाज के हिंदी प्रचारक की हैसियत से और श्रद्धाराम फुल्लौरी सनातन धर्म के समर्थक के रूप में प्राचीन संस्कृति की जो नई व्याख्या कर रहे थे, उसे भी कम करके न देखा जाए, यह आग्रह काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास लिखने में सहायक हो सकता है।

डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हिन्दी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही। थोड़ी रियायत देते हुए उन्होंने ये जरूर जोड़ दिया है कि अंग्रेजी साहित्य की मानवतावादी और प्रगतिशील परम्परा भी रही है और उससे सीखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आधुनिक हिन्दी साहित्य की गम्भीरता से पड़ताल करने पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी मूल प्रेरणा और आदर्श अंग्रेजी साहित्य ही रहा है। ज्यादातर आधुनिक हिन्दी साहित्य पश्चिम से प्रेरणा लेते हुए और उसी के मानदण्ड पर लिखा गया है।

भारतेन्दु युगीन हिन्दी नवजागरण की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें कथित उर्दू परम्परा में लिखे गये साहित्य की चर्चा ही सिर से गायब है। हिन्दी नवजागरण की शुरूआत ही भारतेन्दु के इस कथन से मानी गयी है

कि 1873 में हिन्दी नये चाल में ढली। उर्दू को आप हिन्दी की शैली मानें या उसकी परिकल्पना को ही अस्वीकार करें, लेकिन सच्चाई है कि हिन्दी के नये चाल में ढलने से पहले उर्दू में साहित्य लिखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसलिए फारसी लिपि या उर्दू में फारसी-अरबी के शब्दों को जबर्दस्ती ठुंसने की आलोचना करने के बावजूद हिन्दी जाति के नवजागरण की चर्चा से उर्दू में लिखे गये साहित्य को आप बाहर नहीं कर सकते। ऐसा करने से उसकी साम्प्रदायिक परिणति की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं और अन्ततः वही हुआ भी। मुख्य बात यह है हिन्दी क्षेत्र की व्यापकता और भाषायी जटिलता के कारण यहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि तेलगू, बांग्ला या मराठी की तरह हिन्दी का कोई एक रूप सुनिश्चित करना और बाकी रूपों को बाहर कर देना सभी को स्वीकार्य निर्णय नहीं बन पाया। साहित्य में जीवनवाद की प्रतिष्ठा आधुनिक नवजागरण की एक महत्त्वपूर्ण देन है। नवजागरण के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य और भारतीय संस्कृति में आत्मचेतना और व्यक्तित्व चेतना का संचार हुआ। इस आधुनिक चेतना का प्रथम उन्मेष बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र आदि के लेखों गद्य और पद्य रचनाओं में दृष्टव्य है।

उपसंहार – नवजागरण का पहला अनुभव बंगाल ने किया, बंगाल से होती हुई आधुनिकता की धारा सारे देश में पहुँची। हिन्दी साहित्य के इतिहास में नवजागरण का युग साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्धिशाली माना जाता है। इस युग के संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व भारतीय पुनर्जागरण का साहित्यिक प्रतीक और हिन्दी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तन का सूचक था। यह नवजागरण जहाँ प्रारम्भ में सामंतवाद विरोधी और एक सीमा तक अंग्रेजियत से प्रभावित

था, यह धीरे-धीरे साम्राज्यवाद और उपनिवेश विरोधी होता गया। भारतेन्दु ने अपनी लेखनी द्वारा जिन प्रवृत्तियों और मूल्यों का प्रचारित-प्रसारित किया, उसकी प्रेरणा उन्हें नवजागरण से मिली। आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास की शुरूआत कहीं से भी मानें, स्पष्ट तौर पर पहचान कायम करने की कोशिश इस युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से हुई। हिन्दी को स्तरीय स्वरूप देने की जो प्रक्रिया तत्कालीन भारतेन्दु युगीन साहित्य में चल रही थी, उसमें हिन्दी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों के शब्द भंडार और हिन्दी की जातीय सांस्कृतिक निधियों से बहुत कुछ ग्रहण करने का रुझान स्पष्ट था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी आलोचना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिन्दी नवजागरण की समस्याएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिन्दी भाषा की विकास परंपरा, राजकमल प्रकाशन।
4. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास (अष्टम भाग) प्रकाशन, नागिरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
5. कविवचन सुधा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, फरवरी 1872 ई.।
6. भाषाओं का परिवर्तन 'निबंध', हिन्दी प्रदीप जून 1885 ई.।
7. बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, महादेव भट्ट।
8. भट्ट निबन्धमाला, सम्पादक धनंजय भट्ट 'सरल'।
9. रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिन्दी भाषा की विकास परंपरा, राजकमल प्रकाशन।
10. भगवती प्रसाद शर्मा, नवजागरण और प्रताप नारायण मिश्र।

Enhancing Beauty of Khadi for Apparel through Clamp Dyeing

Meghshyam Gurjar * Prof. Himadri Ghosh **

Abstract - Indian textile has a rich and versatile history. Since ages, humans have been experimenting continuously with different types of fibers and fabric. Indian textiles history has seen many developments and changes since ages. Khadi is one important invention that changed the scenario of fabric manufacturing in India. It is the identity of Indian struggle and independence. Khadi is a handspun and hand woven fabric. It is eco-friendly, because it does not harm the environment and its production is done manually. Khadi also provide livelihood to rural people. It is mostly worn by politicians and old age people. Youth generally don't prefer khadi garments. It is because of its poor quality. The purpose of this paper is to find out the ways to promote khadi and make it popular among the youth of the country. This paper discussed about innovative stoles that are created by developing textural effects and using clamp dyeing technique. Texture has been developed after considering the youth's choice, factor of attractiveness and market trends. By making different types of identical blocks, different textural effects can be produced by folding the fabric in various manners and binding it in between two blocks, an experiment is conducted with reactive dyes to produce textural effect on khadi stoles. This way, we get unique textures, with different color combinations. The textural khadi stoles are further embellished by resist technique dyeing method. Clamp dyeing (Itajime) is an old age traditional art from Japan. It is physically resist dye on fabric and create beautiful patterns. It makes the fabric look aesthetically pleasing.

Keywords - Khadi, clamp dyeing, resist method, Youth, Livelihood, global warming, texture.

Introduction - Khadi is the fabric of nation. Gandhiji and Khadi are the coined terms. They are correlated each other. It is truly said that Gandhiji is known as a father of modern Khadi. Gandhiji used Khadi as a "Livery of freedom" and a tool for self-reliance during freedom movement. As per him "Khadi " the fabric of the freedom which has been source of empowering millions of spinners, weavers, and other artisans, spread across the country and making them self-reliant. According to him Khadi must be the source of Indian economy. He promoted cottage industry through the promotion of Khadi. Initially, Gandhiji took up the Khadi program for economic and political reasons; Khadi was the tool of mass movement for achieving the objective of socio-economic development of the most vulnerable section of the society. So he encouraged household manufacturing of Khadi, which was closely associated with politics, as political leaders and their followers used to wear Khadi. Khadi had manifold aspects which were known to those leaders. Gandhiji had studied Khadi and so he was influenced the manifold uses of Khadi. He insisted using Khadi. Khadi was meant to become a supplementary industry to agriculture which was a crucial element in a self-sustaining economy.

After the independence the role of Khadi changed. Today khadi has lost its shine among the people at large.

No new product has been developed by the manufacturers. It has no new design and Technical inputs. The variety is very limited. Moreover, with the change in the culture and trends these age old products seem too trivial to be used by the new generation. It is not popular in youth segment because the image of khadi is outdated and it hardly comes in trend. Also, it is considered to be the attire of politicians and social workers. This is the biggest factor which is keeping the young generation away from manufacturing and using Khadi. The major factor for this is the lack of quality of the finished product. Moreover, the price of the product is too high as compared to its competition. The colour of the clothes fades very rapidly i.e. they are not user friendly. Colour, design, variety, these are the factors trend which are keeping the customers away from using Khadi products. Another issue is marketing of khadi which should be taken on a professional basis rather than on sentimental basis.

Today global warming has become a serious concern and energy conservation has become crucial. In any industrial activity energy is one of the most important resources but it is limited source. Textile industry is the one of the industry where energy required on a large scale and it is also known as a one of the most polluting industry. All textile process influence on the environment and its use

water on a large scale while many operations use chemicals most of them are harmful and its produce solid waste, poisonous gases, dust which goes to environment. Now a day's whole world is looking for green solution which can help to minimize global warming. India has the most sustainable eco-friendly product and that is Khadi. Whole process of khadi manufacturing done by hand and the use of natural resources are minimal. It's India's most sustainable eco-friendly green product. Khadi is so unique and resilient that its keeps the user warm in winter and cool in summer.

India is today's world's largest young country and it would be the big market for Khadi. The observation says that there is rise demand for Khadi from youngsters but innovative changes should be introduce in khadi. Khadi should change its form, new ideas; new aesthetic value should be given to this fabric. There are several techniques of Value addition to khadi fabric is done through many techniques like dyeing, printing, embroidery, decorative stitches, tucks, bead work, crochet, macramé, appliqué work etc. Women generally prefer to wear stole to accessorize themselves for the complete outfit. They are very aware of creating their own identity through clothing and they also know how to carry one on different occasions.

Objective:

1. To promote and create awareness of khadi among youth.
2. To develop textural effect on stole for women.

Methodology - Meaning of texture is a feel or appearance of any surface or any substance. There are mainly two types of textures, one is called tactile and other one is visual texture. In textile visual texture creates by designer on fabric surface through the use of various artistic elements such as line, shading, and color. Tactile texture, also known as actual texture or Physical texture which we feel by touching and object, it can be a smooth or ruff and create through various techniques like weaving, stitching, embroidery, embossing etc.

There are different techniques to resist fabric. Clamp dyeing is one of them. It is physical resist dye technique which creates unique and beautiful patterns. The process of clamp dyeing involves first folding the fabric according to estimated creative patterns and placing the folded fabric on the one side of the wooden block then put the mirroring wooden block other side of the fabric. Then pressure on the both blocks through various methods of binding and clamping. Both blocks creates creative and rhythmic pattern on the fabric. In the process of clamp dyeing require water and several dyes.


The steps for preparing the effects on khadi fabric are as follows:

- **Preparation of block** - Random blocks of wood are prepared. Folds the fabric and tightly fix it in between the two identical pair of block with the help of a thread or a thin rope.

- **Preparation of dyeing -**

According to Standard recipe of Reactive Dyes

- a) Boil water in a dye pot. Add diluted dyestuff in it. Put the prepared block in the boiling water.
- b) Now, add salt. After 5 minute of adding salt, add soda ash and continue boiling for 30 min.
- c) Take out the block and open it. Wash the fabric with soap and leave it to dry.



Results and discussion - The results indicate that by production of unique wooden blocks and folding of fabric in different ways provide number of interesting and creative textures. The Reactive dye has good color fastness properties towards cellulosic fibers. Applying textures on plain fabric and vice-versa gives unique identity to stoles. Khadi is hand spun and hand woven fabric which has unique texture itself and it enhance the beauty of fabric. Below image shows the final product of the process:

Conclusion - This paper concluded that embellishment on fabric is a key factor in fashion because people generally embellish themselves with the fashion. People generally want well quality products. These stoles are innovative, aesthetically pleasing and colorful because of textural effect. It also inspires fashion designer to produce innovative textures and use of clamp dyeing as a traditional technique.

References :-

1. <http://www.khadiculture.com/khadi.html>
2. www.bussinesnonstop.in/in-focus-sme-verticals/lack-of-exposure-the-major-challenge—for-khadi-village-industries.html
3. www.slideshare.net/arslatifi/case-study-khadi-fashion?next-slideshow
4. <http://gaatha.com/pipli-village-applique-work/>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Pipili_applique_work
6. <http://www.glamcheck.com/fashion/2010/03/03/difference-between-scarf-and-stole>
7. <http://www.icmrindia.org/free%20resources/casestudies/Reviving%20Khadi.htm>
8. Sung, K. (2012). Textile Asia. *The Asian Textile and Apparel Monthly*. Vol. 43.

- 9. Textile Network, International Premium Magazine for the Textile Chain, Volume 5, 6 January 2013
- 10. Woodward. Sophie, Why women wear what they wear, Apex Publishing, New York, 2007.
- 11. Sharma Yovesh(1999). Cotton Khadi in Indian Economy, Navajivan Publishing House,Ahmedabad.



बालश्रमिकों की स्थिति एवं इनके हित के लिये किये जा रहे प्रयासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में)

सीमा सिंह * डॉ. शैलजा दुबे **

प्रस्तावना - वर्तमान समय में बालश्रमिक विश्व की एक विशाल समस्या है। सम्भव है कि अनेक विकासशील देशों की तुलना में भारत में कुल मजदूर बल के प्रतिशत के रूप में बाल मजदूरों का अनुपात कुछ कम हो लेकिन यहां बाल मजदूरों की कुल संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और वे कचरा बीनने से लेकर सड़क के किनारे लगाने वाली मरम्मत की दुकानों और ढाबों, होटलों में दिन रात काम करते हैं। इन जगहों में तो बाल श्रमिक दिखाई देते हैं किन्तु बीड़ी, कालीन, स्लेट, चूड़ियाँ, पीतल के समान, चमड़े की चीजें बनाने जैसे न जाने कितने तरह के उद्योगों के जोखिम भरी और मुश्किल स्थितियों में काम करने वाले करोड़ों बच्चों पर न तो हमारी नज़र पड़ती है और न मानवीय दृष्टिकोण से चर्चा होती है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आधुनिकीकरण का प्रभाव भी बाल श्रमिकों को प्रभावित करना है।

“बच्चे अपने आप में प्रकृति की एक प्रबल आत्मा हैं।” हमें उनके मान के लिए मदद करनी है तथा उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए उन्हें सभी सुविधाएँ आदर के साथ प्रदत्त कर उनके बढ़ने में मदद करनी होगी अन्यथा उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास असंभव होगा एवं राष्ट्र के विकास कार्य रूक जायेंगे जिससे समाज का विकास कार्य अवरूद्ध होगा। अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तथा बाल श्रमिक को रोकने हेतु सभी देशों में अलग-अलग क्षेत्रों में बालश्रमिकों के लिए अलग-अलग कानून बनाये गये हैं।

भारत वर्ष में भी भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बाल अधिनियम 1960 (संशोधित 1978), बाल श्रमिक अधिनियम 1986 तथा अन्य अनेक कानूनों में भी बच्चों को अस्वरथ्यकर, परिस्थितियों में श्रम पर लगाने पर प्रतिबंध हैं जिनके आधार पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रयास जारी है। यूनीसेफ का राष्ट्रों की प्रगति प्रतिवर्द्धन में वर्णित है कि “वह दिन आयेगा जब राष्ट्रों की प्रगति का आंकलन न तो उनकी सैन्य या आर्थिक ताकत से न ही उनकी राजधानियों और सार्वजनिक इमारतों की भव्यता से बल्कि उनकी जनता की खुशहाली से और उनके बच्चों के बढ़ते शरीर और पनपते दिमागों को दिये गये संरक्षण से होगा।”

बाल मजदूरी निषेध और नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा है - “वह जो 14 वर्ष की उम्र से कम हो।” इस प्रकार किसी उद्योग, खान कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। चूंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि भुगतान या मुनाफे के लिए लाभदायक आर्थिक गतिविधियों में लग सकें, इसलिए बाल श्रमिक 5-14 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। प्रस्तुत अध्ययन बाल श्रमिकों के लिये किये जा रहे

प्रयासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन सागर जिले के संदर्भ में है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. यह जानने का प्रयास करना कि बाल श्रमिक एक सामाजिक घटना के रूप में समाज में विद्यमान है।
2. यह जानने का प्रयास करना कि बाल श्रमिक कौन-कौन से उद्योगों में कार्यरत है।
3. बाल श्रमिक के दौरान अमानवीय और अनैतिक शोषणों को उजागर करना।
4. यह जानने का प्रयास करना कि कौन सी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षणिक दशाएँ बाल श्रमिक के लिए उत्तरदायी हैं।
5. सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं निर्मित नीतियों का वास्तविक उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है का पता लगाना।
6. बालश्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों की शिथिल दशाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व - बाल श्रमिकों की समस्या महानगरों की समस्या न रह कर छोटे शहरों की समस्या भी बनती जा रही है। इस अध्ययन के माध्यम से बाल श्रमिकों में जो तथ्य सामने आयेंगे वे बाल श्रमिकों की दशा सुधारने तथा उनके शैक्षणिक नैतिक और व्यक्तित्व के विकास की योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

प्राकल्पनाएँ - प्राकल्पनाएँ अध्ययन को आकार प्रदान करने के साथ ही अध्ययन को सम्पन्न करने में अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन भी करती हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित हैं:-

1. बाल श्रमिक केवल महानगरों की ही नहीं बल्कि छोटे नगरों की भी समस्या है।
2. बाल श्रमिक स्वेच्छा से श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
3. भारत वर्ष में पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक दशाएँ आर्थिक स्थिति की तुलना में बाल श्रमिक के लिए अधिक उत्तरदायी हैं।
4. बाल श्रमिक राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है।
5. बाल श्रमिक के दौरान बाल श्रमिक में नैतिक पतन एवं बुरे व्यसन की आदत पड़ जाती है जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध होता है।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन के लिए सागर नगर का चयन किया गया। सागर जिला मध्यप्रदेश में स्थित है। सागर जिला उत्तर पश्चिम आगरा और अवध से निकलकर नर्मदा क्षेत्र में शामिल है और 1861 में मध्य भारत

* शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य) उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रान्त के लिये निर्मित हुआ। सागर जिला मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण नगर एवं संभाग भी है। यह अत्यन्त प्राचीन नगर है। इसका प्रमाण अंग्रेजो ने जब इसे अपने अधिकार में लिय तब इसे सैनिक छावनी बना दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका अधिक विकास हुआ। बीड़ी उद्योग यहां का मुख्य उद्योग है। मध्यप्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी यही पर स्थित है। यहां की वार्षिक जलवायु समशीतोष्ण है। सागर जिला की जनसंख्या 23,78,458 है। सागर जिला उत्तरी आक्षांश में 23.10 में 24.27 तथा पूर्वी देशान्तर में 78.04 से 79.21 के मध्य स्थित है। सागर जिले में कुल स्थापित उद्योगों की संख्या 314 है, जिसमें 1461 व्यक्ति कार्यरत है। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से स्थापित उद्योग वर्ष 2011-12 के अनुसार उद्योगों की संख्या 586 है, जिसमें नियोजित व्यक्ति की संख्या 1264 है। सागर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 10252 वर्ग कि.मी. है। सागर नगर में अच्छा बाजार, होटल, कुटीर उद्योगों की संख्या अधिक होने के कारण बाल श्रमिक हर क्षेत्र में कार्यरत नजर आ जाते है।

उत्तरदाताओं (निदर्शन) का चयन - अध्ययन हेतु हमने सागर क्षेत्र में संदर्भ में कार्य करने बाल श्रमिकों को लिया जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते देखे गए वे बाल्यावस्था में बड़ी जिम्मेदारी का बोझा लादे हुए दिखाई देते हैं। उनमें 120 बाल श्रमिकों का निदर्शन के रूप में चयन किया गया। यह बाल श्रमिक कचरे के ढेर में रोजगार तलाशते, होटलों में झूठे बर्तनों को धोते, पुश्तैनी कार्य करते, फेरी वाले जैसे पेपर, डबल रोटी, फूल सब्जी, खिलौने बेचते घरेलू नौकर, कबाड़ी आदि कार्यों में संलग्न है। निदर्शन का चयन देव निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया।

अध्ययन पद्धति - कोई भी शोध कार्य अध्ययन पद्धति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। अतः इस शोध अध्ययन में भी सामाजिक शोध की उपयुक्त मानक पद्धतियों का सहारा लेकर तथ्यों का संकलन किया गया है। प्रमुख रूप से पुस्तकालय, साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का भी संकलन किया गया है। साथी की बाल श्रमिक पर अध्ययन कर चुके व्यक्तियों का अनुभव, श्रम विभाग में संख्यात्मक तथा अधिनियम आदि द्वितीयक स्रोत के रूप में तथा संकलन किया गया है। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण कर सांख्यिकीय आधार पर सारणीयन के माध्यम से विभिन्न अध्यायों में तर्कपूर्ण रूप से विश्लेषण कर इन सारणियों को संयोजित कर प्रत्येक सारणी का विश्लेषण और विवेचन कर निष्कर्ष निरूपित किये गए।

तालिका क्रमांक - 1 आयु के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	आयु वर्ग	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1	07-09	12	10.00
2	10-12	22	18.33
3	13-15	17	14.16
4	16-17	69	57.05
		120	100 प्रतिशत

यहाँ पर बाल श्रमिकों में सर्वाधिक संख्या 16-17 वर्ष के बाल श्रमिकों की 69 थी जिसका प्रतिशत 57.05 हैं। तथा सबसे कम संख्या 7-9 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या 12 तथा 10.00 पाई।

तालिका क्रमांक - 2 लिंग के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	लिंग के आधार पर	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1	बालक	80	66.66
2	बालिका	40	33.33
		120	100 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालक और बालिका दोनों ही प्रकार के बाल श्रमिक शोध प्रक्षेत्र में पाये गये। जिसमें बालकों की संख्या 80 तथा प्रतिशत 66.66 है। बालिकाओं की संख्या 40 तथा प्रतिशत 33.33 पाया गया।

तालिका क्रमांक - 3 व्यवसाय के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	कबाड़ी काम	10	8.33
2	होटल में कार्य	09	7.50
3	गैरेज में काम	10	8.33
4	मजदूरी करना	20	16.66
5	दूध ब्रेड विक्रेता	05	4.16
6	पेपर बांटना	05	4.16
7	हाथ ठेला चलाना	04	3.33
8	दुकानों में काम करना	10	8.33
9	गारा मिट्टी का काम कना	15	12.50
10	फूलों की माला बेचना	06	05.00
11	फूल बेचना	10	8.30
12	टोकरी बनाना व बेचना	04	3.83
13	मिट्टी के बर्तन बनाना	02	1.66
14	पान बेचना	05	4.16
15	घरों में घरेलू नौकर	03	2.50
16	जूते पालिश करना	02	1.66
		120	100 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है इन कार्यों में सर्वाधिक संख्या मजदूरी करने वाले बाल-श्रमिकों की संख्या 20 है तथा जिनका प्रतिशत 16.66 है। सबसे कम संख्या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बाल श्रमिक जिनका संख्या 2 तथा 1.66 प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक - 4 बाल श्रमिक स्कूल जाने के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	स्कूल जाने वाले	संख्या	प्रतिशत
1	स्कूल जाते है	80	66.66
2	स्कूल नहीं जाते	05	04.16
3	स्कूल जाना छोड़ दिया	35	29.16
		120	100 प्रतिशत

तालिका से स्पष्ट होता है कि 66.66 प्रतिशत बाल श्रमिक स्कूल जाते है, 4.16 प्रतिशत बाल श्रमिकों कभी स्कूल नहीं गये तथा 29.16 प्रतिशत ने स्कूल जाना छोड़ दिया।

तालिका क्रमांक - 5 बाल श्रमिक के स्कूल जाने का कारण के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	स्कूल जाने का कारण	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षा में स्वयं की रुचि	55	45.83
2	माता-पिता का डर	20	16.66
3	मध्यान्ह भोजन	12	10.00
4	मुफ्त शिक्षा छात्रवृत्ति	25	20.83
5	स्कूल मित्रों के साथ खेल-कूद	08	06.66
		120	100 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि सर्वाधिक संख्या वाले बाल श्रमिक स्वयं की रूचि के कारण स्कूल जाते हैं, उनकी संख्या 55 तथा प्रतिशत 45.83 है, जो स्कूल अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने जाते हैं उनकी संख्या 08 तथा 6.66 प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक - 6 प्राप्त आय के उपयोग के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्राप्त आय का उपयोग	संख्या	प्रतिशत
1	माता-पिता को देना	43	35.83
2	अपनी शिक्षा हेतु उपयोग	35	29.16
3	अपने शौकों को पूरा करने में	27	22.05
4	अन्य उपयोग	15	12.05
		120	100 प्रतिशत

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकांश बाल श्रमिक अपनी आय माता-पिता को देते हैं, जिनका प्रतिशत 35.83 है, शिक्षा 29.16 प्रतिशत खर्च करते हैं। 22.05 प्रतिशत अपने शौकों को पूरा करने में खर्च करते हैं।

तालिका क्रमांक - 7 प्राप्त आय के उपयोग के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	बाल श्रमिक की आय एवं अवधि	संख्या	प्रतिशत
1	निश्चित अवधि के अतिरिक्त कार्य	45	37.05
2	अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त	35	29.16
		120	100 प्रतिशत

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिक से निश्चित अवधि के अतिरिक्त भी कार्य करवाया जाता है तथा अतिरिक्त अवधि के अतिरिक्त आय 29.16 प्रतिशत बाल श्रमिकों को भी प्राप्त होता है।

तालिका क्रमांक - 8

तालिका से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों का कार्य के दौरान होने वाले शोषण का वर्णन है। सागर नगर के बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 65 प्रतिशत सामान्य स्वास्थ्य स्तर के बाल श्रमिक हैं। इनमें से 60 प्रतिशत बाल श्रमिक व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। 40 प्रतिशत असंगठित रूप से कार्य करते हैं। कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर 16.66 प्रतिशत बाल श्रमिकों का इलाज करवाया जाता है। घायल होने पर 19.16 प्रतिशत को कार्य से निकाल दिया जाता है। मालिक द्वारा 12.5 प्रतिशत बाल श्रमिकों को बोनस, भविष्य निधि की कटौती, आदि की व्यवस्था मालिक द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का ज्ञान 63.33 प्रतिशत बाल श्रमिक को है तथा 36.66 प्रतिशत बाल श्रमिकों को इन योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है।

तालिका क्रमांक - 8 कार्य के दौरान होने वाले शोषण के आधार पर बाल श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	कार्य के दौरान शोषण	उत्तरदाता की संख्या		प्रतिशत	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कार्य अवधि के अतिरिक्त कार्य	66	55.00	54	45.00
2	शारीरिक शोषण	35	29.16	85	70.83
3	झूठे प्रकरण में फंसाया जाना	15	12.5	105	87.5
4	प्रदूषित वातावरण में रखना	65	54.16	55	45.83
5	कम मजदूरी देकर अधिक काम	67	55.83	53	44.16
6	दुर्व्यवहार करना	65	54.16	55	45.83
7	किसी भी प्रकार का शोषण नहीं	35	29.16	85	70.83
		120	100 प्रतिशत	120	100 प्रतिशत

निष्कर्ष - अध्ययन हेतु प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है, बाल श्रमिक अधिकांश गरीबी एवं अशिक्षा के कारण ही बाल श्रम को अपनाते हैं। ये कम उम्र में ही मजदूरी करने लग जाते हैं। लड़कियां अपनी माँ के स्थान पर कार्य करती देखी गयीं। बाल श्रमिकों के माता-पिता भी अधिकांश अशिक्षित हैं। इसके बावजूद भी बात श्रमिक कार्य के साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के लिए जो योजनाएँ बनी हैं। उनका ज्ञान कम ही बाल श्रमिकों को है। कई बाल श्रमिक अपने माता-पिता के अस्वस्थ होने के कारण पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बाल श्रमिकों को कार्य के दौरान मालिक अच्छा व्यवहार करते हैं तथा अधिकांश मालिक इनसे नियमित सम्पर्क में रहते हैं तथा समय आने पर इन्हें कार्य के लिए बुला लेते हैं। असंगठित रूप से कार्य करने के कारण बाल श्रमिकों के संरक्षण का अभाव है। असंगठित क्षेत्र में ही (जैसे घरेलू नौकर, फेरी लगाने वाले, कबाड़ का कार्य करने वाले, कागज बेचने वाले, मजदूरी करने वाले) बच्चों की अधिक शोषण होता है। बच्चों की कानून का ज्ञान नहीं है कि वे अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। जिन जगहों में वे कार्य करते हैं वहां का वातावरण उनके स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाता है जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बाल श्रमिकों के लिये किये गये सरकारी और गैर सरकारी प्रयाकों के बावजूद भी बाल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

सुझाव :

1. बाल श्रमिक का श्रम के प्रति रूझान कम हो ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये।
2. बाल श्रमिकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
3. काम से मुक्त कराने गये बच्चों को उनके परिवार, समुदाय और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए बहुस्तरीय पुर्नवास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।
4. श्रम कानूनों से संबंधित निरीक्षण व्यवस्था में सुधार करके उसे और मजबूत किया जाना चाहिए।
5. बाल श्रम को अपराध मानना बंद करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा राम - सामाजिक समस्याएँ, रावत, रावत पब्लिकेशन, 2007
2. गिरी वी. वी. - लेबर प्रॉब्लम्स इन इण्डियन इण्डस्ट्रीज, 2001
3. प्रकाश वीरेश्वर - बाल श्रमिक लेख समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, 1990
4. सक्सेना एस. सी. - लेबर प्रॉब्लम्स एवं सोशल सिक्युरिटी, 1994
5. हैण्ड बुक वर्ष 2012-जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सागर

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

डॉ. निधि वाडेकर *

प्रस्तावना - भोपाल संभाग के सातों जिलों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है-

तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता का अनुपातों द्वारा विश्लेषण चालू अनुपात का विश्लेषण - चालू सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों के बीच यह अनुपात निकाला जाता है। चालू सम्पत्तियाँ अल्पकालीन अवधि की होती हैं। किसी भी संस्था की कार्यशील पूँजी उसकी चल सम्पत्तियों का चल दायित्वों पर आधिक्य होता है।

अतः संस्था में कार्यशील पूँजी की मात्रा जितनी अधिक होती है, उसकी तरलता की स्थिति भी उतनी ही सुदृढ़ होती है। इस अनुपात का सूत्र निम्न है-

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

इस अनुपात का उद्देश्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित की तरलता की जाँच करना है। भोपाल संभाग के सातों वर्षों का यह अनुपात तालिका क्रमांक 1 में प्रदर्शित किया है-

तालिका क्रमांक - 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल संभाग के चालू अनुपात का विवरण

तालिका - 1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि। सातों जिलों के चालू अनुपात में दिखाई दे रहा है कि आदर्श अनुपात (2:1) से भी बहुत नीचे है।

1. सातों जिलों में सीहोर जिला सबसे खराब स्थिति में है और इन सातों जिलों से तुलना करने पर बैतूल जिला थोड़ा ठीक है।
2. भोपाल संभाग की दृष्टि से तरलता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

तरल अनुपात का विश्लेषण - यह अनुपात किसी भी संस्था की शीघ्र भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए ज्ञात किया जाता है। यह तरल सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों के मध्य ज्ञात किया जाता है। तरल सम्पत्तियों से आशय उन चालू सम्पत्तियों से है जो तुरन्त नकदी में परिवर्तित हो सकती हो। यह अनुपात अधिक ऊँचा हो तो चालू वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। इस अनुपात का सूत्र निम्न है :-

$$\text{Liquid Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Liquid Liabilities}}$$

इस अनुपात का उद्देश्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शीघ्र भुगतान क्षमता की जाँच करना है। भोपाल संभाग के सातों वर्षों का यह अनुपात तालिका क्रमांक 2 में प्रदर्शित किया है :-

तालिका क्रमांक - 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका -2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि -

1. सातों जिलों के तरल अनुपात में दिखाई दे रहा है कि आदर्श अनुपात से बहुत नीचे है।
2. सातों जिलों में होशंगाबाद जिला सबसे खराब स्थिति में है और इन सातों जिलों से तुलना करने पर बैतूल जिला थोड़ा ठीक है।
3. भोपाल संभाग की दृष्टि से तरलता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

पूर्णतया तरल अनुपात का विश्लेषण - यह अनुपात संख्या की पूर्णतया तरलता के सूक्ष्म अध्ययन हेतु ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात तरल दायित्वों और पूर्णतया तरल सम्पत्तियों के मध्य निकाला जाता है। संख्या में तरल दायित्वों की तुलना में पूर्ण तरल सम्पत्तियों की कम से कम आधी होनी चाहिये। इस अनुपात का सूत्र निम्न है-

$$\text{Absolute Liquid Ratio} = \frac{\text{Absolute Liquid Assets}}{\text{Absolute Liquid Liabilities}}$$

इस अनुपात का उद्देश्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूर्णतया तरलता की जाँच करना है। भोपाल संभाग के सातों वर्षों का यह अनुपात तालिका क्रमांक 3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक-3(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका - 3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि :-

1. सातों जिलों के पूर्णतया तरल अनुपात में दिखाई दे रहा है कि आदर्श अनुपात से बहुत नीचे है।
2. सातों जिलों में से राजगढ़ जिला सबसे खराब स्थिति में है और इन सातों जिलों से तुलना करने पर रायसेन जिला थोड़ा ठीक है।
3. भोपाल संभाग की दृष्टि से तरलता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक (2005 से 2012)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन हेमचन्द्र, कृषि वित्त सिद्धांत एवं व्यवहार, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1990
2. जैन पी.सी., भारत में कृषि विकास रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1982
3. मिश्र श्रीकांत, भारत में कृषि विकास द मैकमिलन कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1996
4. कोहेन आर.एल., कृषि का अर्थशास्त्र मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1994
5. पाण्डेय श्रीधर भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था प्रवृत्ति एवं समस्याएँ इण्डोलॉजी पब्लिशर्स, पटना, 1992

6. रुद्रप्रताप सिंह नाबार्ड आर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड रोल, दीप और दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985
7. जैन हेमचन्द्र, कृषि वित्त-सिद्धांत एवं व्यवहार, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1990
8. पंत के.के., एग्रीकल्चरल इंडीपेंडेन्स एंड इंस्टीट्यूशनल फायनेंस, आशीष पब्लिशर्स हाऊस, नई दिल्ली, 1989
9. वी.सी. सिन्हा एवं पुष्पा सिन्हा, कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1993.
10. मिश्रा टी.एन., लैंड डेव्हलपमेंट बैंकिंग, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 1999

तालिका क्रमांक - 1

जिले वर्ष	भोपाल	सीहोर	रायसेन	विदिशा	बैतूल	राजगढ़	होशंगाबाद
2005-2006	0.2	0.2	0.4	2.4	0.5	0.4	0.4
2006-2007	0.6	NA	0.4	0.9	0.6	0.5	0.5
2007-2008	0.2	NA	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5
2008-2009	0.3	NA	0.5	0.3	0.8	1.3	0.2
2009-2010	0.3	0.2	0.8	0.2	0.8	0.4	0.5
2010-2011	0.3	0.2	0.8	0.2	0.7	0.4	0.5
2011-2012	0.3	0.2	0.8	0.1	0.7	NA	0.5
योग	2.2	0.8	4.2	4.3	4.8	3.5	3.1
वार्षिक औसत	0.31	0.2	0.6	0.6	0.68	0.58	0.44

स्रोत :- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, का वार्षिक प्रतिवेदन

नोट :- NA- वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किये गये।

तालिका क्रमांक - 2 : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल संभाग के तरल अनुपात का विवरण

जिले वर्ष	भोपाल	सीहोर	रायसेन	विदिशा	बैतूल	राजगढ़	होशंगाबाद
2005-2006	0.01	0.04	0.05	0.05	0.38	0.01	0.01
2006-2007	0.01	NA	0.06	0.03	0.4	0.005	0.01
2007-2008	0.03	NA	0.06	0.03	0.48	0.006	0.01
2008-2009	0.03	NA	0.19	0.2	0.65	0.007	0.01
2009-2010	0.01	0.06	0.07	0.02	0.58	0.01	0.01
2010-2011	0.006	0.05	0.06	0.01	0.57	0.008	0.01
2011-2012	0.006	0.05	0.07	0.005	0.5	NA	0.009
योग	0.102	0.2	0.56	0.345	3.56	0.046	0.069
वार्षिक औसत	0.01	0.05	0.08	0.04	0.50	0.007	0.009

स्रोत :- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, का वार्षिक प्रतिवेदन

नोट :- NA- वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किये गये।

तालिका क्रमांक-3 : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल संभाग के पूर्णतया तरल अनुपात का विवरण

जिले वर्ष	भोपाल	सीहोर	रायसेन	विदिशा	बैतूल	राजगढ़	होशंगाबाद
2005-2006	0.02	0.04	0.06	0.13	0.06	0.03	0.05
2006-2007	0.03	NA	0.07	0.09	0.05	0.01	0.03
2007-2008	0.09	NA	0.04	0.13	0.04	0.01	0.03
2008-2009	0.009	NA	0.04	0.05	0.03	0.006	0.04
2009-2010	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.02	0.04
2010-2011	0.003	0.01	0.03	0.013	0.03	0.02	0.01
2011-2012	0.005	0.009	0.02	0.01	0.04	NA	0.002
योग	0.187	0.099	0.31	.483	0.3	0.096	0.202
वार्षिक औसत	0.026	0.024	0.04	0.069	0.042	0.016	0.028

स्रोत- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, का वार्षिक प्रतिवेदन

नोट :- NA- वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किये गये।

ग्रामीण विकास में उत्पन्न समस्याओं का समग्र अध्ययन

डॉ. सावित्री पाटीदार *

प्रस्तावना - ग्रामीण क्षेत्र समान दृष्टि से विकसित नहीं है। जहाँ धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा व बुरहानपुर के कुछ क्षेत्र जनजाति बहुल है, जहाँ पर अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ जिलों में शासन ने भरपूर आर्थिक सहयोग दिया है, किन्तु कार्यरत जनप्रतिनिधियों में तथा सरकारी अमल में इसमें भारी अनियमितता की जिससे विकास अवरूद्ध हुआ।

यह क्षेत्र जनजाति बहुल होने से जिस प्रकार का सजग राजनैतिक नेतृत्व इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित था, उस प्रकार का योग्य नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो पाया। हालांकि आजादी 65 वर्ष पश्चात् भी इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है।

प्रायः यह देखा गया है कि राजनैतिक दल केवल सत्ता पाने के लिए इनके मतों को अधिक से अधिक मात्रा में हासिल करने का ही लक्ष्य रखते हैं, किन्तु इनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए ईमानदार प्रयास नहीं करते हैं। ये जनजातियाँ मेहनती हैं। कृषि क्षेत्र का इनको पर्याप्त ज्ञान भी है, किन्तु आज ऐसे बहुत परिवार हैं, जो भूमिहीन हो गये हैं। इस कारण आज एक बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक संसाधनों से वंचित है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने भूमिहीनों को जमीनों के पट्टे देकर उन्हें कृषि कार्य की ओर प्रेरित किया है, किन्तु इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति नहीं की है।

आज भी जनजाति की जीवनशैली में कोई विशेष सुधार उत्पन्न नहीं हुए हैं। आज भी वे अपने परम्परागत झोपड़ों में ही निवास करते हैं। आज भी उनके पास आजीविका के अत्यंत सीमित संसाधन हैं। इन लोगों की अशिक्षा का बिचौलियों ने भरपूर लाभ उठाया है और आज भी वे लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ साहूकार ब्याज के धंधे से भारी मात्रा में पनप गये हैं। आज ये लोग अति सम्पन्न बन गये हैं। जनजातियों की कड़ी मेहनत का भरपूर लाभ इन लोगों ने उठाया है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी बैंकिंग व्यवस्था उनके विकास से नहीं जुड़ पाई है। अशिक्षित लोग आज भी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भारी असुविधा का अनुभव करते हैं। यहाँ तक भी उदाहरण पाये जाते हैं, जहाँ बैंक अधिकारी ही रिश्तवत खोरी में लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह देखने में आई है कि इन्हीं के समाज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच से लेकर विधायक और सांसदों तक उनकी मजबूरी का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते।

म.प्र. शासन ने त्रि-स्तरीय पंचायतों की रचना कर उनके जिम्मे ग्रामीण विकास की कुल योजनाएँ सौंपी है, जिसमें प्रत्येक योजना के उद्देश्य, लक्ष्य, क्रियान्वयन के तौर तरीके एवं अन्य प्रतिबंधात्मक नियम भी बनाये हैं, जिनके तहत पंचायतों को योजनाएँ क्रियान्वित करना है और शासन द्वारा

निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है। इसके साथ ही पंचायतों को वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया है।

पंचायती राज व्यवस्था के त्रि-स्तरीय ढाँचे में निहित तीनों विभागों के कार्य क्षेत्रों, अधिकारों और शक्तियों का भी समुचित विभाजन कर दिया है। समाज के सभी घटकों को उचित मात्रा में इस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने का भी स्पष्ट प्रावधान किया है। जहाँ अ.ज.जा. वर्ग की संख्या सर्वाधिक है, वहाँ उनको पर्याप्त आरक्षण भी दिया गया है। 50 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं दैनंदिन जीवन में सहभागिता है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं की इस व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। प्रत्येक वयस्क ग्रामीणों को बिना किसी भेदभाव के अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मताधिकार भी दिये गये हैं। इस प्रकार संविधान की मंशा के अनुरूप पंचायतों का त्रि-स्तरीय ढाँचा खड़ा किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की सहभागिता 40 प्रतिशत से अधिक है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। वास्तविकता तो यह है कि औद्योगिक विकास के मूल में ग्रामीण आर्थिक योगदान का बड़ा योगदान है, किन्तु पिछले 60-65 वर्षों में यदि यथार्थ के धरातल पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये, जो यही निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएँ दी गई हैं और इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को काफी कम और सुविधाएँ दी गई हैं।

औद्योगिक परियोजनाओं को चलाने वाले उद्योगपतियों का लाभांश और कृषि क्षेत्र में लगे किसानों के लाभांश में भी भारी अंतर है। घाटे से उबारने के लिए शासन ने औद्योगिक क्षेत्रों को पर्याप्त आर्थिक मजबूती प्रदान की है। वहीं कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। इस देश के हजारों अन्नदाताओं ने कर्ज के बोझ को चुकाने में असहाय महसूस कर आत्महत्या का मार्ग अपनाया है, अतः इस बात का पुष्ट प्रमाण है।

धीरे-धीरे बांध परियोजनाओं, शहरी विस्तार, सड़कों के विस्तार, नहरों के निर्माण आदि कारणों से कृषि क्षेत्र सिमट रहा है। अक्सर कृषि क्षेत्र पर अनेक खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अवृष्टि, असमय ओलावृष्टि, कीड़ों का प्रकोप, विद्युत प्रदाय समय पर उपलब्ध न होना, कभी खराब बीज, बेअसर कीटनाशक, नकली उर्वरक के कारण उसको भयानक हानि उठानी पड़ती है।

शासन ने गाँवों के बहुमुखी विकास के उद्देश्य को लेकर ही पंचायती व्यवस्था कायम की है। अब वास्तविक धरातल पर यह मूल्यांकन किया जाना है कि इस व्यवस्था के तहत किस सीमा तक ग्रामीण विकास किया गया है। जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत के सहारे, ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन लोगों ने किस सीमा तक अपने दायित्व को

अंजाम दिया है? और भी यदि अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं, तो इसके पीछे निहित कारणों और समस्याओं का विश्लेषण भी किया जाना जरूरी है। समूची पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन में उत्पन्न समस्याओं की जड़ तक जानना आवश्यक है, ताकि इसके निराकरण के उपायों पर विचार किया जाये।

सामाजिक समस्याएँ

जनता में शिक्षा का अभाव - ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का घोर अभाव है। करीब 65 प्रतिशत से अधिक जनता अशिक्षित है। महिलाओं में अशिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक है। शिक्षा के अभाव के कारण वे चुनाव और मत देने के अधिकार का महत्व ही नहीं समझते और पंचायती राज प्रणाली को भी। इस कारण वे योग्य नेता का चुनाव नहीं कर पाते। ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। अक्सर चुनावों में थोड़े से धन की लालच के आधार पर अपना मत दे देते हैं। अतः किसी प्रभावशाली को मत देते हैं। योग्य व्यक्ति की परख उनमें पैदा ही नहीं हुई है। इससे बदतर स्थिति महिला मतदाता की है। वे भी इसी प्रकार केवल मतदान की प्रक्रिया भर निभा देती हैं। चुनाव का क्या महत्व है? किसी व्यक्ति को चुनने से क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है? इस बात से वे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं।

राजनैतिक चेतना का अभाव - ग्रामीण मतदाताओं में कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। इसी से वे निर्वाचन के महत्व को नहीं समझ पाते। मत देने और निर्वाचन के अधिकार का महत्व भी नहीं समझते। उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि वे जान नहीं पाते कि उनके अधिकारों का हनन किया गया है।

अन्याय के विरुद्ध किसको अवगत कराना है? न्याय प्राप्ति कहाँ होगी। राजनैतिक दलों की भूमिका, कार्यप्रणाली, उद्देश्य तथा निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका जैसी बातों को नहीं समझते। वस्तुतः प्रजातांत्रिक प्रणाली की अवधारणा ही उनकी समझ से परे है।

निः स्वार्थ और सुयोग्य नेतृत्व का अभाव - वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों और जनपद पंचायतों का संचालन योग्य नेतृत्व के हाथों में नहीं है। गाँव के सरपंच भी अब निःस्वार्थ सेवाभावी नहीं रहे। यदि यथार्थ दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो इन लोगों के भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति क्यों पनपी? किसका प्रभाव है यह? ऐसे प्रश्नों की खोजबीन की जाये तो पढ़े-लिखे शहरी भ्रष्ट अधिकारियों के प्रभाव क्षेत्र की सहकारी बैंकों में सर्वप्रथम उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। वहाँ ले-देकर ऋण प्राप्त करते हैं। उत्तम खाद, बीज और कीटनाशकों को प्राप्त करने में भी यही करना पड़ता है।

भारत की ग्रामीण जीवन पद्धति - ग्रामीण परिवेश आधुनिकता की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। उनके रहन-सहन का ढंग भी पुरातन है। चूँकि गाँव में अधिकांश कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो घरों में गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरियाँ, मुर्गे, मुर्गियाँ पालते हैं। जानवरों के गोबर का ढेर के आसपास ही जमा करते हैं, जिससे गंदगी और मच्छर सर्वत्र रहते हैं। खुले में शौच जाने से गाँव के आसपास भी गंदगी रहती है। घरों में पक्के स्नान घर और गंदे पानी के निकास के लिए पक्की नालियाँ नहीं होती फलतः घर का गंदा पानी घरों के आसपास ही फैलता है, जो मच्छरों को पनपाता है।

विशिष्ट वर्गों/आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग ही आरक्षण/योजनाओं का लाभ लेते हैं - जातियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली जाति के अजा/अजजा वर्ग के लोग ही आरक्षण का लाभ उठाते हैं, जिनमें भिलाला और बरेला प्रमुख हैं। योजनाओं से लाभ उठाने में यह वर्ग आगे है। आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग योजनाओं का लाभ हड़प लेते हैं। शेष लोग योजना से लाभ नहीं उठा पाते।

जनता की उदासीनता तथा निष्क्रियता - ग्रामीण जनता विकास तो चाहती है लेकिन अनपढ़ होने से योजना के प्रति उदासीन और निष्क्रिय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आजीविका के प्रयासों में ही उनकी सारी शक्ति और समय चुक जाता है, इसलिए भी वे प्रायः हर क्षेत्र में दुर्लक्ष्य का भाव ही रखते हैं। जैसे उनके गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, किन्तु अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने में उतने ही तत्पर नहीं हैं। शाला में अध्यापक कई-कई दिनों तक उपस्थित नहीं रहते इसके प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो साथ में परिवार व बच्चों को भी ले जाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई खंडित होगी इसका कोई विचार उनके मन में नहीं उठता। यही हाल अन्य मामलों में भी है।

अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएँ - ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। अक्सर ग्राम्य देवी-देवता के पूजा-पाठ और मान-मन्नत के अनार्थिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बीमारी की दशा में आज भी स्थानीय तांत्रिकों की शरण में जाते हैं। परिवार नियोजन के प्रति भ्रान्त धारणाएँ हैं, इसलिए परिवार नियोजन के प्रति भी उदासीन हैं।

हर सामूहिक कार्यों में समूहगत शराब का प्रचलन है। जनजातियों में वधू-मूल्य अत्यंत बढ़ गया है, जिससे गरीब व्यक्ति अपने लड़कों के विवाह नहीं कर पाते। वधू-मूल्य के लिए धन जुटाने में ही कठोर परिश्रम करते हैं।

गरीबी/कर्ज की स्थिति - आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अक्सर भूमि विकास या घर के धार्मिक आयोजनों के लिए कर्ज लेते हैं। वह भी बनियों से, जिनकी ब्याज दर बहुत अधिक होती है, जिसके लिए सस्ते दामों पर अपने कृषि उत्पादन को बेचना पड़ता है। इस कारण कृषि लाभ भी पर्याप्त नहीं मिलता। अधिकांश किसान भूमिहीन या सीमान्त कृषक की श्रेणी में आ चुके हैं। पुरानी परम्परा से ही खेती कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राउडी वासुदेव - ग्रामीण विकास
2. पंवार डॉ. मीनाक्षी - पंचायती राज और ग्रामीण विकास, क्लासीकल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992
3. खेत्रपाल भीमसेन एवं खेत्रपाल पूजा- म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1995, खेत्रपाल पब्लिकेशन, इन्दौर
4. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम, भोपाल, पंचायती राज व्यवस्थाओं को पोषण।
5. शर्मा विद्या सागर-पंचायती राज-भारत में पंचायती राज प्रणाली के महत्व का इतिहास
6. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज: एक सरल परिचय, म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, 2005

बैगा जनजाति में सामाजिक परम्परा

सीमा सिंह * डॉ. शैलजा दुबे **

प्रस्तावना - बैगा जनजाति जो कि मैकाल पर्वत से घिरे नर्मदा के तट पर सुव्यस्थित जीवन-यापन करने वाली एक आदिम जनजाति है। बैगा जनजाति की अपनी प्रथाएं, परम्पराएं, धार्मिक आस्थाएँ, लोक-नृत्य एवं संगीत कला आदि हममें न केवल जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं बल्कि हमें आल्हादित भी करते हैं। बैगा जनजाति में आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की छाप है। बैगा जनजाति मध्यप्रदेश की सबसे पुरानी आदिम जनजाति है। बैगा जनजाति भौतिक संस्कृति परिवर्तन की ओर उन्मुख तो है, परंतु उसकी गति अत्यधिक धीमी है, जिसके कारण उसका पारम्परिक स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। भौगोलिक स्थितियाँ, संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक स्तर आदि कारणों से प्रत्येक जनजाति अथवा समूह जनजातियों की जीवनशैली, साँस्कृतिक एवं न्यायिक परम्पराओं में भिन्नताएँ देखी जा सकती हैं। ये भिन्नता प्रायः संबंधित जनजाति अथवा समूह की पहचान के रूप में स्थापित है। किसी जनजाति विशेष को पहचानने के लिए उसकी मातृ बोली और विशिष्ट परम्पराएँ प्राथमिक स्तर पर सहायक होती हैं।

बैगा जनजाति में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ इनमें औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभाव से एवं अन्य सभ्यताओं या बाहरी सम्पर्क के कारण परिवर्तन निरन्तर हो रहा है। साथ ही बैगा जनजातियों में विशिष्ट भाषा, धार्मिक विश्वास एवं संस्कृति आदिम ही मानी जाती हैं, और इनकी परम्पराएँ प्रथाएँ, विश्वास पद्धति एवं मूल्य प्रतिमानों का परिवर्तन होता जा रहा है। बैगा जनजातीय समाज एक स्वच्छन्द समाज है, ये प्रकृति के साथ जीवन-यापन करते हुए अपनी पारम्परिक संस्कृति का निर्वहण करते हैं। ये जनजातीय समाज भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक आदि पराशक्ति एवं बलिप्रथा पर अटूट विश्वास रखते हैं। इनकी जीवनशैली में लगातार सामाजिक परम्परा धीरे-धीरे आधुनिकता के प्रभाव से कम होती जा रही है। बैगा जनजाति अपनी विशेष परम्पराओं से ही दूसरे समाज की अपेक्षा एक अलग पहचान रखती है। वर्तमान परिस्थिति में बैगा जनजाति में हो रहे सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। बैगा समाज की विशिष्ट परम्परात्मक संस्कृति लघु समुदायों की जीवन प्रणाली से जुड़ी हुई है।

एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो तथा जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ओत-प्रोत हो जनजाति कहलाता है। यह एक सामान्य प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य उद्देश्य के लिए सम्मिलित कार्य करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों को न तो 'आदिम' कहा जाता है और न 'आदीवासी' न ही इन्हें अपने आप में एक कोटि माना जाता है आमतौर पर इन्हें पिछड़े वर्गों का एक समूह माना जाता है।

जनजातियों को पिछड़ा हुआ समूह बताया है, उनके अनुसार- जनजातियों में साक्षरता की गति कम होती है तथा इनमें अर्थव्यवस्था की आदिम परम्परा पायी जाती है।

समाज तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा और स्थाई है, जो सामान्य हितों, सामान्य भू-भाग, सामान्य रहन-सहन तथा पारस्परिक सहयोग या अपनत्व की भावना से युक्त है तथा जिसके आधार पर वह अपने को बाहर के समूहों से पृथक रखता है।

समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जीवन के परम्परागत मूल्यों, रीति-रिवाजों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। मनुष्य अपने समूह में जन्म लेता है, जीवन व्यतीत करता है और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे कोई भी समाज नकार नहीं सकता।

भौतिक संस्कृति - बैगा जनजाति के लोग प्रायः घने जंगलों एवं ऊँचे स्थानों में बसना पसंद करते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। बैगा समूह में ही रहते हैं। आठ-दस घरों का एक टोला इनका पूरा गाँव होता है। बैगा लोग मकान अपने हाथों से बनाते हैं। मकान बनाने के लिए जंगल से लकड़ी स्वयं काटकर लाते हैं। मकान बनाने के लिए लकड़ी बाँस, डोरा बकल और घास की आवश्यकता होती है। घर बनाने में गाँव के सभी लोग सहायता करते हैं, जिसे ये लोग बिगार कहते हैं। घर के बीचों-बीच आँगन में सरई की लकड़ी का खंभा गड़ा होता है, जो कि इनके देवी-देवताओं का प्रतीक है। बैगा लोग जड़ी-बूटी, झाड़-फूंक करते हैं। दैनिक जीवन के सारे उत्पादन ये लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं।

रंग रूप एवं साज शृंगार - बैगा जाति के लोग गहरे काले होते हैं। इनकी नाक चौड़ी और होंठ मोटे तथा आँखें औसतन कम गोल और काली होती हैं। बैगा पुरुषों के बाल जीवन में एक ही बार जन्म के समय काटते हैं, जिसे बैगा झालर कहते हैं। इनके बाल लंबे, गहरे काले तथा घुँघराले होते हैं। महिलाओं की त्वचा गहरे काले और बाल भी काले और घुँघराले होते हैं। बैगा पुरुष या महिलाएं बिना शृंगार के नृत्य नहीं करती हैं। नृत्य के समय इनकी पोशाक अत्यंत आकर्षक होती है। बैगा पुरुष कमर में लहंगेनुमा साया, सिर पर मोर का पंख तथा ऊन की कलगी, गले में कई रंगों की मुंगा मालाएं तथा मोती मालाओं की गाठी पहनते हैं। बैगा युवतियां नृत्य या विशेष अवसरों पर अधिक ही सजती-सवरती हैं। ये चार प्रकार का जुगरा पहनती हैं-चौखाना,

* शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य) उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (म.प्र.) भारत

बगरा, मूंगी एवं चगदरिया। इनके वस्त्र मोटे सूत के होते हैं। जिनमें कलात्मक बेल-बूटों की कढ़ाई होती है। गले में गुरियों की माला, चांदी की सुतिया, सोने या चांदी के सिक्कों से गूथी हवाल, कांच की मोतियों से बना लदका पहनती है।

गुदना गुदवाना – बैगा महिलाओं में शरीर अलंकरण के रूप में गुदना का विशेष महत्व और आकर्षण है। बैगा स्त्रियाँ गुदना को स्वर्गिक अलंकरण मानती है। संपूर्ण विश्व में यही एक जनजाति है, जो संपूर्ण शरीर में गुदना गुदवाती है। इस जनजाति में शरीर अलंकरण के रूप में गुदने की एक सशक्त परम्परा रही है। इनकी ऐसी मान्यता है कि गुदना से ही स्वर्ग में इनकी पहचान रहती है। गुदना गुदवाने की परम्परा बैगा जनजाति में अधिक प्रचलित है। पुरुष गुदना नहीं गुदवाते। स्त्रियाँ इसे स्थाई गहना समझती हैं और उनका विश्वास है कि मृत्यु के समय अन्य आभूषण तो हटा दिये जाते हैं परन्तु गुदना ही ऐसा आभूषण है, जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। उसे दो बार गुदवाया जाता है। पहली बार शादी के पहले छोटी अवस्था में लड़कियाँ गुदवाती हैं। इस समय केवल तीन बिन्दु लगाये जाते हैं। पहला ठूंडी में दूसरा नाक के पास व तीसरा मस्तक पर। दूसरी बार शादी के बाद लड़की गौने से पहले मायके में रहती है तब अपने हाथ, पैरों में गुदना गुदवाती है। इस प्रकार बैगा जनजाति की स्त्रियाँ अपने शरीर में गोदना गुदवाती है। ये इनकी परम्परा है जो सभी स्त्रियों को आवश्यक रूप से गोदना गुदवाना ही पड़ता है। गुदना गुदवाते समय काफी पीड़ा होती है फिर भी ये अपनी परम्परा को निभाती है।

भोजन – बैगा जनजाति के लोगो का प्रमुख भोजन पेज है। पेज दलिया बनाने के लिए गेहूँ, मक्का, कोदो, कुटकी आदि में से किसी एक को कूट लेते हैं। फिर उसे पानी में डालकर उबालते हैं तथा स्वादानुसार उसमें नमक और मिर्च डालकर महलोन के पत्तों से बने दोनों या एल्यूमीनियम के कटोरा में डालकर बड़े चाव से पीते हैं। ये लोग अधिकतर उबला हुआ या भुना हुआ भोजन ही पसंद करते हैं। वन परिसर में होने वाली साग-भजियों, कंदमूल और जंगली फलों को बड़े चाव से खाते हैं। जैसे- चैंच भाजी, चरौटा भाजी, पकरी भाजी, गिरुल भाजी, दोवे भाजी, केवलार, रूकती कारिल, पीपर भाजी, अमला भाजी, करैया भाजी इत्यादि इनके प्रमुख भोजन में शामिल होते हैं। बैगा जनजाति मांसाहारी होते हैं। स्वयं के द्वारा शिकार करके भोजन पकाते हैं। इनमें मदिरा पान की परम्परा बहुत प्रचलित है। मदिरा स्वयं ही बनाते हैं।

विवाह संस्कार – बैगा समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक ही जात में विवाह वर्जित है। इनमें अपने लिए जीवन साथी ढूँढने की परम्परा पूर्व से चली आ रही है। विवाह में मदिरा का उपयोग ज्यादा होता है। पंचों के बीच मदिरा का वितरण करते हैं। नातेदार या सुवासिन एक लोटे में पानी लेकर दूल्हे की छोटी उंगली पकड़कर पानी की धार छोड़ती हुई द्वार से मंडप के चारों ओर एक भांवर फिराती है। इस परम्परा को क्वारी-क्वारी भांवर या तेल चढ़ाती कहते हैं। विवाह के समय नगाडे और टिमकी बजाते रहते हैं। बैगा विवाह में छह विवाह पद्धति प्रचलित है। मंगनी विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पैतुल विवाह, लमसेना विवाह, उधरिया विवाह। बैगाओं में कन्या हरण की प्रथा भी आदिम है।

पर्व एवं त्यौहार – बैगा जीवन के केन्द्र में कृषि कर्म है। जंगल के निरंतर संपर्क में रहकर बैगाओं के पर्व, त्यौहार प्रकृति से गहरा तारतम्य रखते हैं। बैगाओं के सभी पर्व प्रकृति जन्य है। इनमें मुख्य त्यौहार बिदरी पूजा, हरियाली अमावस्या, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, छेरता, फाग और जवारा त्यौहार वर्ष भर मनाते हैं। कुछ त्यौहार बैगाओं की ठेठ परम्पराओं से आए हैं। कुछ पर्व आर्य संस्कृति से आए हैं। त्यौहार के समय महिलाएं अपने अपने घर आंगन लीपने पोतने लगती हैं। जवारा देवी पर्व चेत्र से ज्येष्ठ माह तक तथा कुंवार के महीने में खेरमाई की मढ़िया में जवारे बोए जाते हैं। ये बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तथा देवी-देवताओं की अधिक पूजा करते हैं।

लोक नृत्य – कर्म के पुजारी बैगाओं का कर्मा नृत्य पाम्परिक एवं सामाजिक नृत्य है, जो प्रदेश की अन्य आदिम जनजातियों के बीच समान रूप से प्रचलित है। कर्मा नृत्य के नाम पर ही कर्मा गीत का नामकरण हुआ है। इस प्रकार रीना और सुआ नृत्यों का भी उनके गीतों के नाम से नामकरण हुआ है। इस प्रकार बैगाओं में रीना नृत्य, सैला नृत्य, बिलमा नृत्य, झरपट नृत्य, तपाडी नृत्य इत्यादि लोक-नृत्य के रूप में बहुत प्रचलित है। बैगाओं के आदिम पर्व-त्यौहार नृत्य और गीत उनमें उल्लास का संचार करते हैं। प्रकृति के साथ उनके सुख-दुख मिले हैं। बैगा गीतों में उनके जंगल जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। परम्पराओं का साकार रूप उनके गीतों में मिलता है, इनके गीत सामाजिक परम्पराओं पर आधारित रहते हैं। गीत इनकी ही भाषाओं में रहते हैं तथा उनमें शिक्षाप्रद बातों का समावेश रहता है। ये लोग अपने गीतों में देवी-देवताओं का स्मरण अवश्य करते हैं।

निष्कर्ष – बैगा जनजाति में सामाजिक परम्परा आदिम मानी जाती है। इसी तारतम्य में बैगाओं की जातियाँ विलुप्त हो रही थी, इनकी संख्या को बरकरार रखते हुए शासन द्वारा बैगा जाति को विशेष राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है। ये अपने अधिकार और संस्कार दोनों को परम्परागत तरीके से निर्वहन करते हैं। इनकी अपनी एक प्रचलित सामाजिक परम्परा है, जो पूर्वजों से चली आ रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार अपने ही समाज में रहकर करते हैं। बैगाओं में एक बात स्पष्ट झलकती है कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, साथ ही अपने समाज से विघटित नहीं होते और अपराध भी कम करते हैं। इनकी अपनी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है, जिसके आधार पर सामाजिक रीति-रिवाज परम्परागत तरीके से प्रचलित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेरियर एल्विन, ए न्यू डी फॉर ट्रायबल इंडिया, ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार, 1963
2. चौरसिया विजय, प्रकृति पुत्र बैगा, म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2009
3. मूर्ति आर., एक जनजातीय समाज, म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1972
4. मुखर्जी आर.एन., भारतीय सामाजिक संस्थाएं, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1983
5. मिश्र उमाशंकर एवं तिवारी प्रभाव कुमार, भारतीय आदिवासी, म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1975

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास मर्यादित बैंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. निधि वाडेकर *

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल संभाग के अध्ययन के दौरान अनेकों समस्याएँ ध्यान में आई जो निम्न लिखित है-

शोध कार्य में ज्ञात हुई समस्याएँ - मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की समस्याएँ निम्नलिखित हैं :

- **आवेदन फार्म एवं संलग्न प्रपत्रों की आपूर्ति की समस्या** - अधिकांश कृषक निरक्षर होने से आवेदन-पत्र तथा अन्य लिखा-पढ़ी करने में असमर्थ रहते हैं। यह समस्या कृषकों की तो है, पर बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी आवेदन संबंधी लिखित औपचारिकताएँ पूर्ण करवाने में इस समस्या का सामना करना पड़ता है और फार्म का प्रारूप बहुत बड़ा होता है।

- **ऋण की उपयोगिता एवं लाभों को न समझ पाना** - प्रायः कृषक बैंक ऋणों की उपयोगिता एवं लाभों की पूरी-पूरी जानकारी की समझ नहीं होती है। अतः वे इनका पूर्ण लाभ लेने से वंचित रहते हैं। वे अज्ञानतावश बैंक ऋण का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। इस समस्या का सामना बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी करना पड़ता है, क्योंकि ऋण के दुरुपयोग से या अविवेकपूर्ण उपयोग से ऋण की उत्पादकता घटती है और बैंक के सम्मुख ऋण वसूली की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं बैंक वसूली का प्रतिशत घट जाता है।

- **कार्यशील पूँजी पर्याप्त नहीं मिलना** - बैंकिंग संस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त मात्रा में बैंक को प्राप्त नहीं होती है।

- **ऋण प्राप्ति की कठिन प्रक्रिया** - ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। अतः ऋण प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। अतः जिस उद्देश्य के लिए आवेदन करना था, वह उद्देश्य ऋण प्राप्त न होने से पूर्ण नहीं हो पाता, फलतः कृषक कठिनाई महसूस करता है।

- **ऋण मुक्ति का आश्वासन** - नेताओं के द्वारा ग्रामीण कृषकों को ऋण मुक्ति का आश्वासन दिया जाता है। वर्ष 1989 की किसानों की 'आम ऋण माफी योजना' के अंतर्गत ऋण मुक्ति किया गया था। अतः कृषकों को पुनः ऋण माफी योजनाओं का इन्तजार हर वर्ष रहता है कि ऋण माफ कर दिया जाएगा।

- **कृषक प्रशिक्षण शिविर की अव्यवहारिकता** - वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, परंतु प्रशिक्षक प्रशिक्षण को व्यावहारिक रूप से न लेते हुए सैद्धान्तिक रूप से ज्यादा प्रशिक्षण देते हैं।

- **कृषकों में विकास योजनाओं के प्रति अरुचि होना** - कृषक अपनी

अशिक्षा के कारण जो भी योजनाएँ सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि विकास के लिए बनाई एवं क्रियान्वित की जाती है, उसमें कोई विशेष रुचि नहीं लेता है तथा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी उचित नहीं समझते हैं।

- **राजनैतिक हस्तक्षेप के ऋण वसूली की समस्या** - राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण भी ऋण वसूली उचित मात्रा में नहीं हो पाती, जबकि नाबार्ड के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली कम से कम 60 प्रतिशत होनी चाहिए। वर्तमान में यह 51 प्रतिशत कर दी गई है। संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा लगन एवं मेहनत से कार्य करने के बावजूद भी वसूली लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।

- **बैंकोन्मुख शासकीय योजनाएँ क्षेत्र के अनुरूप न होना** - कृषि विकास हेतु बैंकोन्मुख जो शासकीय योजनाएँ बनाई जाती है, उनमें से अधिकांश योजनाएँ क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर नहीं होती है। फलस्वरूप जिस क्षेत्र के लिए कृषि विकास हेतु योजना के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उस क्षेत्र से आषाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

ऋण देने के बाद उसका निरीक्षण एवं मूल्यांकन समय पर न हो पाना :-

बैंक व संस्थागत वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाया जाता है, उसका सही समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं कर पाते, जिससे उन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता।

- **संरचनात्मक सुविधाओं की कमी** - गाँवों में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है, चूँकि भोपाल संभाग में पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ गाँवों में पक्की सड़कें, रेल, बस, डाक घर, नल, टेलिफोन, पुलिस चौकी नहीं हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में बैंकों के कर्मचारी कार्य करते हैं। इससे कर्मचारियों की कार्य करने की गति मंद हो जाती है।

- **पुनर्वित्त की कमी** - पुनर्वित्त नाबार्ड द्वारा बैंकों को प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में ऋण वितरण की लगभग शत-प्रतिशत राशि पुनर्वित्त के रूप में उपलब्ध हो जाती थी और इस पुनर्वित्त पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन 1989 आम ऋण माफी योजना के डिफाल्टर्स को अधिक लाभ पहुँचाया है और इससे पुनर्वित्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

- **शाखा स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव** - बैंकों के कार्य से संबंधित समस्त निर्णय शाखा स्तर पर न होकर मुख्यालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, इससे निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

- **शासकीय अनुदान** - बैंकों द्वारा केन्द्र शासन व राज्य शासन की अनेक रोजगार निर्माण योजनाओं के अंतर्गत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के उत्थान हेतु विशेष कार्यक्रमों के

अंतर्गत गरीब वर्गों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त ऋणों का वितरण किया जाता है, बहुत से कृषक बैंक से कर्ज तो लेते हैं परंतु लौटाना नहीं चाहते।

● **कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान में असमानता** – शीर्ष बैंक के एवं जिला बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान में असमानता है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को पांचवाँ व छठवाँ वेतनमान अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण वह मन लगाकर काम भी नहीं करते हैं। शासकीय सेवायुक्तों को 14 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि यह 36 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

● **संचालन लागत में वृद्धि की समस्या** – सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के समय इसकी प्रबंधन लागत कम थी, लेकिन वर्तमान समय में बैंक की आय में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि हो रही है।

● **कम्प्यूटाईज्ड प्रणाली की समस्या** – वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में जिसके पास अपने कार्य से संबंधित सारी सुविधा उपलब्ध होती है, वही सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। बैंकों में कम्प्यूटर की संख्या 1 या 2 है और शाखाओं में तो एक भी कम्प्यूटर नहीं है, जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में अधिक समय लगता है।

बैंक की आय में कमी :

- सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास आय प्राप्त करने के साधन कम हैं और इस बैंक में आय से अधिक व्यय हैं, जिससे बैंक को हानि हो रही है।
- कृषकों को जो ऋण वितरण किया जाता है, उस ऋण पर कृषकों से कुछ प्रतिशत कमीशन रिश्वत के रूप में लिया जाता है।
- ऋणों की वसूली का कार्य छोड़कर कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कार्य को प्राथमिकता देते हैं। अतः वसूली का कार्य जस का तस रह जाता है।
- बैंकों में आने वाले परिचित एवं अतिथि पर आवभगत में अत्याधिक धन खर्च किया जाता है।
- जिलों में सम्मेलन या कार्यक्रम होते हैं, तो उसकी टिकिट या चन्दा बैंक कर्मचारियों के वेतन से अनाधिकृत कटौती कर ली जाती है।
- कुर्क करके जो वस्तुएँ लाई जाती हैं, उसे अपने पहचान या सम्पर्क वाले व्यक्तियों को बहुत ही कम बोली पर नीलामी बंद करवा कर दी जाती है। पहले के वर्षों में तो एक ही दिन में 9-10 ट्रेक्टर बेचे जा चुके हैं, और जो कि ट्रेक्टर के अनुमानित राशि से भी आधी कीमत पर, जिससे बैंक को हानि उठानी पड़ती है।
- ऋण भुगतान क्षमता की जाँच किये बिना ही कृषकों को बड़ी राशि का भुगतान कर दिया जाता है, और बाद में यह भी नहीं देखा जाता है कि जिस प्रयोजन हेतु ऋण दिया गया है वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं।
- जब कर्मचारी और अधिकारी वसूली पर जाते हैं तो कृषकों से उपहार के तौर पर जो भी उनके खेतों में जो फसल होती है, उसे रिश्वत के रूप

में लेते हैं।

- बैंकों के कुछ अधिकारी/ऋण वितरण के झूठे प्रकरण बनाकर ऋण की राशि अपने व्यक्तिगत खर्च के लिये उपयोग करते हैं। जब जाँच की जाती है तो उस व्यक्ति का वाहन तथा ट्रेक्टर नम्बर तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर होता है। इससे बैंक को हानि उठानी पड़ती है।
- कुछ कृषक तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहला-फुसलाकर दूसरे पहचान वाले और उनके रिश्तेदार ही उस कृषक की जमीन पर ऋण लेने को तैयार करते हैं और कृषक को कहा जाता है कि उसकी किस्त का भुगतान मेरे द्वारा होगा लेकिन जब ऋण की राशि प्राप्त हो जाती है तो वह दूसरा व्यक्ति किस्त भी नहीं देता और ऋण की वापसी भी नहीं करता, जिससे वह कृषक फंस जाता है।

अतः ऋण वितरण करते समय बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए और कृषकों को उनके प्रति जागरूक करना चाहिये कि वह किसी भी प्रकार के चुंगल में न फसे।

- वर्ष 2013 के चुनाव में कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि बैंक के कृषकों के ऋण में से 51000 रुपये को माफ कर दिया जायेगा। सरकार तो घोषणा कर देती है, लेकिन उसका प्रभाव वसूली पर पड़ता है।
- बैंक के अधिकारी का जब प्रमोशन या ट्रांसफर होता है, तो वह पुराने फर्नीचर या सजावट की सामग्री को अपनी पसंद का करवा लेते हैं, जिससे कि बैंक पर उसका अतिरिक्त भार पड़ता है।
- यदि बैंक के कर्मचारी किसी प्रकार के प्रशिक्षण, मीटिंग, शिविर या सम्बोधन के लिये जाते हैं, तो वह बैंक के बजट से अधिक राशि खर्च करते हैं। जिससे कि बैंक पर अतिरिक्त भार पड़ता है।
- बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों पर संचालक मण्डल का दबाव बहुत अधिक होता है, और बैंकों में जो भर्ती की जाती है। वह भी संचालक मण्डल द्वारा की जाती है। जिससे कि बैंक को सही कर्मचारी या उम्मीदवार नहीं मिल पाते।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वाष्ण्य पी.एन., बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, सुल्तानचन्द्र एंड संस, नई दिल्ली, 1985
2. रमेश मंगल, एम.एल. सिंघई, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, यूनिवर्सल पब्लिकेशन, आगरा, 1992
3. यादव जी.पी., क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली एवं उपलब्धियाँ कॉलेज बुक डिपो, जबलपुर, 2000
4. डॉ. बी.एस. माथुर, सहकारिता, साहित्य भवन, आगरा, 1999
5. आर.डी. बेदी, को-ऑपरेटिव्ह लैंड डेव्हलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया नई दिल्ली, 1971

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायतों का योगदान

डॉ. सावित्री पाटीदार *

प्रस्तावना - भारत की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, जो ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध है। अतः ग्रामीण व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया।

म.प्र. में 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई। म.प्र. के 50 जिलों में 23023 पंचायतों की स्थापना की गई, जिनके जिम्मे केन्द्र और राज्य सरकार को ग्राम विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा। राज्य में 24 जनवरी 2010 को चौथे पंचायत निर्वाचन सम्पन्न किये गये।

संविधान की 11 वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम विकास के निम्नांकित कार्य सौंपे गये हैं-

(1) आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े कार्यों के अंतर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम तक पहुंच मार्ग बनाना, सड़कें, पुल, पुलियों का निर्माण करना प्रमुख है। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने से ग्रामीण कृषकों को अपने उत्पादों को मंडी तक ले जाने में सुविधा होगी। साथ ही उनके उत्पादन को खरीदने वाले व्यापारियों का आवागमन बढ़ेगा। किसानों को खाद, बीज, आवश्यक कृषि संसाधन अपने गांवों तक ले जाने में सुविधा होगी। इन कारणों से म.प्र. शासन से ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रख-रखाव को प्राथमिकता के आधार पर पंचायतों से यह कार्य किया गया। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण से अब ग्रामीण कृषक सरलता से अपना माल निकटस्थ मंडियों के तक ले जाने लगे हैं। उन्हें अपने उत्पादनों का बाजार मूल्य भी ज्ञात होने लगा है। इस कारण वे अब अपने कृषि उत्पादनों का उचित मूल्य पाने लगे हैं।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण - गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य इस योजना से किया गया है। विद्युत ऊर्जा से अब वे विद्युत पंपों द्वारा सिंचाई भी करने लगे हैं। यद्यपि अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत प्रदान नहीं किया जाता फिर भी प्रतिदिन 6 घंटे विद्युत प्रदाय से वे अब विद्युत पंपों से सिंचाई कर रहे हैं।

(3) कृषि विकास की विभिन्न योजनाएं - कृषि भूमि का विस्तार की दृष्टि से भूमिहीन किसानों को शासन द्वारा निःशुल्क कृषि हेतु पट्टे दिये गये हैं। जमीन को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे।

(4) राजीव गांधी जलप्रबंधन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलस्रोतों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, विस्तार, गाढ़ निकालना, पुराने कुओं को गहरा करना, बरसाती नालों पर

स्टाप डेम बनाकर पानी को रोकना जैसे कार्य किये गये। जिससे सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ साथ ही पशु और मनुष्यों के लिए पेयजल की सुविधा भी बढ़ी। गांव के निकट तालाबों के गहरीकरण के कारण गांव के आसपास के कुओं का जल स्तर भी बढ़ा।

(5) कृषि विकास की सहगामी योजनाओं के अंतर्गत **पशुपालन, मत्स्य उद्योग, लघु वनोपज, कुटीर उद्योग और गरीबी उन्मूलन** जैसे कार्यक्रम भी चलाये जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई।

(6) रोजगार गारंटी योजना - ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामियों का 85 प्रतिशत भूमिहीन और सीमान्त कृषक है। जो केवल कृषि मजदूरी पर ही जीवन यापन करते हैं। रोजगार के लिए प्रतिवर्ष उन्हें अन्यत्र पलायन करना पड़ता है। रोजगार हेतु पलायन की अवधि में वे अपने परिवार और बच्चों को भी साथ ले जाते हैं जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। अनिवार्य रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन्हें वर्ष भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार वहीं प्राप्त हो। इस दृष्टि से बी.पी.एल. परिवारों के जाबकार्ड बनाये गये। अकेले इन्दौर संभाग में करीब 16 लाख बी.पी.एल. परिवारों के जाब कार्ड बनाये गये। जिनमें करीब 10 लाख परिवारों ने रोजगार की मांग की जिन्हें वित्तीय वर्ष 2010 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। करीबन 26 लाख ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया, जिनमें से 66 लाख से अधिक मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया गया।

इंदौर संभाग में कुल 3326 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2010 के वित्तीय वर्ष में 56 हजार से अधिक कार्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किये गये।

कपिल धारा योजना के अंतर्गत पुराने कुओं की मरम्मत और नवीन कुओं के निर्माण के लिए शासकीय अनुदान और ऋण प्रदान किये गये। करीबन 70 हजार संरचनाओं को इंदौर संभाग में स्वीकृत किया गया। संभाग में लक्ष्य के विरुद्ध 54 प्रतिशत कार्य पूरा किया।

(7) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपना निजी व्यवसाय करने हेतु प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत संभाग में 37 हजार के करीब समूह गठित किये गये, जिन्हें बैंकों के माध्यम से 56 लाख रुपये ऋण और अनुदान के रूप में दिये गये। इस योजना से करीब 3 हजार लोगों ने अपना निजी व्यवसाय प्रारंभ किया।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत करीब 5 लाख हेक्टेयर में योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 60 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण का काम किया गया। 43 हजार हेक्टेयर में जल संवर्धन किया गया। 4 हजार से अधिक हेक्टेयर में चारागाह विकास किया गया। इस प्रकार ग्रामीण कृषि क्षेत्र का 2.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया

गया।

कृषि विकास की योजना के अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का भी प्रबंध किया गया। ग्रामीण कृषि विकास से सम्बद्ध सहकारी समितियों और बैंकों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहयोग दिया गया। इतना ही नहीं उन्हें नई कृषि तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया गया।

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूँ, ज्वार, चावल मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य रख गया है। इस योजना में विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. के सीमांत कृषकों को और लघु कृषकों का चयन किया गया। इसमें कृषकों को 1000 रु. प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है तथा मेडागास्कर पद्धति का कृषि प्रशिक्षण लेने हेतु 10,000 रु. प्रति प्रशिक्षण दिये जाते हैं। किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 300 रु. प्रति किंटल अनुदान भी दिया जाता है।

सघन कपास विकास कार्यक्रम भी लघु सीमान्त कृषकों के लिए यह योजना म.प्र. के 14 जिलों में लागू की गई है, जिसमें इंदौर संभाग के खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, इन्दौर, धार और झाबुआ जिलों का चयन किया गया है। इसमें हितग्राही किसानों को उन्नत बीज, टपक विधि सिंचाई के साधन, पौध संरक्षण यंत्र, बीजोपचार आदि के लिए वस्तुएं की कीमत के 50 प्रतिशत के आधार पर अथवा खेत के क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान दिया जाता है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इसी प्रकार की योजना क्रियान्वित की गई है।

सुरज धारा, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लघु कृषकों को अलाभकारी बीज के स्थान पर अदला-बदली कर उन्नत बीज दिया जाता है। किसानों को बीज की वास्तविक कीमत में 75 प्रतिशत की छूट दी गई है।

किसानों को अपने खेत पर तालाब बनाने, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अधिकतम प्रति किसान 16350 रु. की राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर मजदूर पर्याप्त मात्रा में हैं। जिन्हें रोजगार की जरूरत है। इन मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें मुसीबत के समय सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मजदूर सुरक्षा योजना लागू की गई है। इन योजना में 18 से 60 वर्ष तक के समस्त खेतीहर मजदूर एवं उसके परिवार को भी शामिल किया गया है। इसमें मजदूर की पत्नी को प्रसूति व्यय के रूप में छह सप्ताह तक की मजदूरी दी जाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। ग्राम पंचायत ऐसे सभी मजदूरों का इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराती है।

इसी प्रकार **फलोद्यान के विकास** के लिए भी शासन ने 39 जिलों में संतरा, 32 जिलों में नींबू, 9 जिलों में केला, 37 जिलों में पीपता और 9 जिलों में अंगूर विकास के लिए 25 प्रतिशत अनुदान शासन से दिया जाता है। इसके लिए बैंक से ऋण भी प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि में ही फलोद्यान विकास के लिए शासन अनुदान देता है।

कृषि के अन्य क्षेत्रों में जैसे सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुंगंधित फसलें तैयार करने हेतु भी भिन्न-भिन्न योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा, पंचायतों के माध्यम से अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाता है।

शासन ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा पाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 45 जिलों की 450 शाखाओं में इस योजना के तहत ऋण

प्राप्त होगा।

कृषि की सहगामी योजना के अंतर्गत **पशुपालन** को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना में भूमिहीन/सीमान्त/लघु कृषकों को शामिल किया गया है। पशुओं की नस्ल में सुधार लाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना जिससे गरीब और भूमिहीन लोगों को अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा। सामान्य वर्ग के लिए 3000 रु. और अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 5000 रु. का अनुदान दिया जाता है। पशुपालन हेतु बकरी, गाय, भैंस आदि पालने का प्रावधान है। इसी से जुड़ी हुई योजना है, समुन्नत पशु प्रजनन। इसके अंतर्गत भी हितग्राहियों को अनुदान और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है।

कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने की योजना भी शासन ने लागू की है। इसमें भी उन्नत किस्म के मुर्गे/मुर्गियां पालने को अनुदान दिया जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना लागू की है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में स्वरोजगार हेतु ऋण और अनुदान दिया जाता है।

शासन ने **एकीकृत डेयरी विकास परियोजना** के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को दूध के उचित विकास के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। पाश्चुरीकृत दुग्ध और उस से बने उत्पाद निर्माण सिखाया जाता है।

इस प्रकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों की आय के संसाधन और स्रोतों का विस्तार किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इन योजनाओं के क्रियान्वयन का भार पंचायती संस्थाओं को सौंपा गया।

पंचायती व्यवस्था में कुछ बुनियादी कमजोरियां भी हैं। जिनकी वजह से ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को अपेक्षानुरूप पूरा करने में कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, जिनमें पंचायतों में योग्य नेतृत्व का अभाव है। जनजातीय क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक सरपंच निरक्षर हैं, अतः वे शासन की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाते। पंचायती व्यवस्था में वित्तीय सहयोग के लिए हर बार शासन की ओर देखना पड़ता है। वित्तीय सहयोग पाने की प्रशासनिक प्रक्रिया भी लंबी है। जिला स्तर और जनपद स्तर के प्रतिनिधि समय पर स्वीकृत राशि उपलब्ध नहीं करवा पाते, जिससे योजनाएं तयशुदा समय में पूरी नहीं होती।

पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार ने बुरी तरह से प्रवेश किया है। जिससे योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। भ्रष्टाचार में सरपंच, सचिव, जनपद अध्यक्ष, यहां तक जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी भी दण्डित हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश पंचायिता, अगस्त 2011 'मनरेगा में नये प्रबंध' शीर्षक आलेख में (पृ.4) लिखा गया है कि, "मनरेगा में अनियमितता के दोषी पाये जाने पर दो हजार अधिकारी-कर्मचारी, दो कलेक्टर, छः जिला पंचायत के सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के 109 सी.ई.ओ., 36 अनुविभागीय अधिकारी, 31 सहायक यंत्री, 208 उपयंत्री, 20 पंचायत समन्वयक और 14 ग्राम सहायक के खिलाफ कार्यवाही की गई है।"

शासन ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, किन्तु पर्दाप्रथा के कारण महिलाओं के परिवारजन उन्हें पंचायत की सीढ़ी तक नहीं चढ़ने देते। उनके परिवारजन उनकी जगह काम देखते हैं। इससे भ्रष्टाचार को भारी बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा दोष वित्तीय अनुदान समय पर न मिलना अथवा जनपदों और जिला पंचायत के अध्यक्षों और कार्यपालन अधिकारियों द्वारा रोक लेना, आंशिक राशि जारी करना जैसे कृत्यों से योजनाएं लंबित

हो रही है।

फिर भी पंचायती व्यवस्था से आर्थिक विकास को गति मिली है भले ही वह धीमी हो, किन्तु पंचायती व्यवस्था के कारण कृषि विकास को पर्याप्त योगदान मिला है। कृषि तकनीकी प्रशिक्षण के कारण ग्रामीण किसान कृषि के आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने लगे हैं। जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार पंचायतों में संतोषप्रद गति प्रदान की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चराटे संजय- योजना अधिनियम 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
2. पंत डॉ. डी.सी.-भारत में ग्रामीण विकास
3. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, क्षेत्रपाल पब्लिकेशन्स, 2010, 15 वां संस्करण.
4. आगे आये लाभ उठाये- जनसम्पर्क विभाग, भोपाल, 2009.
5. म.प्र. पंचायिका अक्टूबर 2011.
6. उपलब्धियां, म.प्र. सरकार

मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रित शैलाश्रय

डॉ. उमा त्रिपाठी *

प्रस्तावना - मानव का उद्भव काल प्रागैतिहासिक काल से आरंभ हुआ माना गया है, उसके आदि आवास गुफायें और शैलाश्रय रहे हैं। जहां वह प्रकृति के प्रहारों से अपनी रक्षा करते हुये अपने अस्तित्व को बचाये हुये था साथ ही प्रकृति के साथ अनुकूलता स्थापित कर रहा था। यह शैलाश्रय उसकी कला गतिविधि का केन्द्र भी बने जो चित्रों के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है।

मानव उद्भव के प्रथम ज्ञात चरण प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य द्वारा की गयी कलागतिविधियों के अवशेष हमें शैलाश्रयों में मिलते हैं। सभ्यता के विकास के साथ मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ा और कलावस्तुओं के निर्माण में उनकी अभिरूचि उत्पन्न हुयी शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा निर्मित रंगविरंगों चित्र इसके प्रमाण हैं। पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं की दीवारों व छतों पर बहुसंख्यक चित्र मिले हैं, आदि मानव का निवास स्थल वन क्षेत्रों, जलस्रोतों के पास स्थित शैलाश्रयों में था। स्वाभाविक रूप से ये शैलाश्रय आदिमानव के प्रारंभिक केनवास के रूप में रहे जिनका मानव सभ्यता के साथ निरन्तर विकास होता गया। मानव विकास में चित्र रचना सर्वप्रथम अभिव्यक्ति मानी जाती है मानव विकास क्रम को आगे बढ़ाने में एवं उनकी मूक भावनाओं को व्यक्त करने में शैलचित्रों ने महती भूमिका निभाई।

प्रागैतिहासिक मानव के अभूतपूर्व सृजन, इन शैलचित्रों में जो जीवन बोध, समाज बोध, सौन्दर्य बोध एवं अदम्य जिजीविषा परिलक्षित होती है, वह भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की मानव सभ्यता की विकास गाथा का प्रमाण है, इन प्रागैतिहासिक चित्रों की गढ़न, रेखा सौष्ठव, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भावांकन आर्कषक व प्रेरक है, आदिमानव ने इन शैलचित्रों में अपने मनोभावों का सरलतम रूपों और ज्यामितीय आकार में अभिव्यक्त किया गया है।

प्राचीन गुफा चित्रों से वहां निवास करने वाले मानव की जीवन पद्यति व रूचि का पता चलता है। मुख्य रूप से जो दृश्य इन चित्रों पर मिलते हैं वे हैं - विविध प्रकार के अस्त्रों से पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मनुष्यों के आपस में युद्ध, पशुओं की सवारी, नृत्य, पूजन, मधुसंचय तथा अन्य घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य। जानवरों में बाघ, हिरण, भैंसा, बैल, हाथी गेंडा, सूकर आदि जानवरों के शिकार के दृश्य अधिक मिलते हैं। रीछ, कुत्ता, बकरी, मोर, आदि के चित्र भी इन गुफाओं में उकेरे गये हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश राजस्थान आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में चित्रित शैलाश्रय मिले हैं।

इन शैल चित्रों में आदिमानव कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है। शैलचित्रों में प्रयुक्त रंगों में मुख्य रूप से गेरूआ, लाल और सफेद हैं। कही-कही पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है, काले रंग का प्रयोग आदि

मानव ने काफी बाद में किया। इन चित्रों में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इसका प्रथम कारण जंगल में मिलने वाली लाल मिट्टी जिसे हम गेरू कहते हैं जो एक रासायनिक पदार्थ है, इसका सुगमता से प्राप्त हो जाना है। दूसरा कारण जंगली जानवरों का शिकार करने के कारण उनसे सरलता से प्राप्त होने वाला लाल रक्त है। इन चमत्कारी रंगों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये आदिमानव चित्रकारों ने जानवरों की चर्बी को मिलाकर रंग मिश्रण तैयार किये जिसके कारण हजारों वर्षों तक गर्मी सर्दी एवं वर्षा के प्रहारों से ये शैलचित्र आज भी सुरक्षित हैं। इन प्राकृतिक रंगों की खूबसूरती प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में सर्वत्र देखने को मिलती है।

इन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज और अध्ययन का इतिहास मात्र एक शताब्दी पुराना है। इस विषय के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय 'मारसेलिनो द सौतुओला' नामक एक स्पेनी व्यक्ति की पांच वर्ष की अबोध बच्ची मारिया को जाता है। जिसके कारण 1879 में अप्रत्याशित रूप से शैलचित्रों की खोज हुयी। उनकी यह खोज विश्व चित्रकला के इतिहास में एक नये अध्याय के सूत्रपात का आधार बनी।

सन् 1879 में स्पेन व फ्रांस में अनेक चित्रित शैलाश्रय प्रकाश में आये इस खोज के लगभग एक दशक के बाद से ही भारत में भी शैलचित्रों की खोज प्रकाश में आने लगी भारत में इसका श्रेय कार्लोईल और काकवर्न को जाता है। जिन्होंने कैमूर की पहाडियों (मिर्जापुर के समीप) में अनेक चित्रित शैलाश्रय और शैलाश्रय खोजे गये।¹

कार्लोईल और काकवर्न के बाद शैलचित्रों के इस खोज यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण नाम जुड़े जिनमें एफ. फॉसेट, सी.ए. सिल्वेराड, डी.एल. डूक, सी. डब्लू एल्डरसन, पंचानंद मित्र, मनोरंजन घोष, अमरनाथ दत्त, डी. एबु, डी. एच. वोड्रिक, व्ही. एस. वाकणकर आदि के नाम प्रमुख हैं। इन विद्वानों के निरन्तर प्रयासों के बाद भारत शैलचित्रों की दृष्टि से दुनियाँ में प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा।

भारत में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश, दक्षिण भारत के आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक प्रान्त में चित्रित शैलाश्रय बहुतायात में मिले हैं। उत्तर भारत के अधिकांश शैलाश्रय विन्ध्य पर्वत श्रंखला के विभिन्न स्थानों से ज्ञात हैं। अन्य स्थल सतपुडा पर्वत माला के क्षेत्र से संबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मिर्जापुर, बनारस, बाँदा, आगरा, कुमाँयु, ललितनपुर, जिले मध्यप्रदेश के रायगढ़, रीवा, होशंगाबाद, पंचमढी, भोपाल, रायसेन, शिवपुरी, गुना, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और मंदसौर जिले आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, बारंगल, करीमनगर, पट्टदिकल जिले औ राजस्थान के कोटा, चितौड़ और भरतपुर जिले प्रमुख हैं।

मध्यप्रदेश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण आदिमानव की

प्रमुख क्रीडा स्थली रहा है, चित्रित शैलाश्रयों की एक समृद्ध परंपरा का यह क्षेत्र साक्षी रहा है, ये शैलचित्र लगभग 50 हजार वर्ष पूर्व से लेकर मुगल काल (लगभग 16वीं. 17 वीं. शताब्दी) तक के हैं।²

इन शैलचित्रों का प्रकाशित करने का श्रेय सी. डब्लू. एल्डरसन, सी. ए. सिल्वेस्ट्रॉड, डी. एब्रु, पुचानंद मित्र, अमरनाथ दत्त, मनोरंजन घोष, जी. आर. व्. हण्टर, व्ही. एस. वाकणकर, एस.के. पाण्डेय, यशोधर मठपाल, व्ही. एन. मिश्र, शंकर तिवारी, आर.वी. जोषी, एम. डी. खरे आदि विद्वानों को जाता है।

मध्यप्रदेश में अब तक हुई खोजों के आधार पर रायगढ़, जबलपुर, रीवा, पन्ना, छत्तरपुर, सागर, नृसिंहगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, पंचमढी, भोपाल, रायसेन, नृसिंहगढ़, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, दतिया, मुरैना मंदसौर, विदिषा और बस्तर आदि प्रमुख जिलों में लगभग 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्रकाश में आये।

मध्यप्रदेश के प्रमुख चित्रित शैलाश्रय

रायगढ़ क्षेत्र - इस क्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्र सिधनपुर और कवरा पहाड़ में शैलाश्रय प्राप्त हुये हैं

सिधनपुर - सिधनपुर चवरदल पर्वत श्रृंखला के तल में बसा एक छोटा सा गाँव है, इसमें प्राप्त शैलाश्रय त्रिकोणीय है।³

सिधनपुर शैलाश्रय के चित्र प्राचीनतम हैं, चित्रों में चीता, हिरण और बंदरनुमा आदमी का अंकन प्रमुख ये चित्र गहरे लाल नारंगी और बैंगनी रंग के हैं।

कबरापहाड़ - यह शैलाश्रय ये ऊँची चितकवरी सफेद चट्टान के निचले भाग में है, इस पहाड़ के चित्र गेरूए लाल रंग के हैं, ये चित्र क्षेपाकंन पद्यति से निर्मित है। प्रमुख रूप से सुअर और हिरण के चित्र मिलते हैं।

पंचमढी - पंचमढी क्षेत्र के शैलाश्रय महादेव पर्वत में स्थित हैं। इन शैलाश्रयों का स्थानीय भाषा में पुतरीलेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मडादेव, चैनियाचेरी, इमलीखेह, अपसराविहार, मोन्टेराजा, जम्बूद्वीप, नागद्वारी, आदि के नाम से लगभग 20 चित्रित शैलाश्रय विद्यमान हैं। इन चित्रों में सफेद रंग की बहुलता है। लाल एवं काले रंग का भी प्रयोग हुआ है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु- पक्षी, अश्वारोही, गजारोही एवं तत्कालीन जीवन पद्यति का अंकन है।

लश्करिया खोह - इस शैलाश्रय के चित्रों में पशु चित्रों के अतिरिक्त सितारबादक प्रमुख हैं, जो कि लाल वाह रेखा से सफेद रंग से अंकित हैं।

निम्बूभोज - यहां के चित्र लाल व सफेद रंग के हैं, जिनमें अश्वारोही, वाद्यवादक, योद्धाओं के चित्र प्रमुख रूप से अंकित हैं।

इमली खोह - इमलीखोह के चित्रों में बैल का शिकार प्रमुख रूप से अंकित है।

माडादेव - इस शैलाश्रय की छत पर शेरों के समूह के आक्रमण का दृश्य प्रमुख है।⁴

बनियाँ बेरी - इस शैलाश्रय में स्वास्तिक पूजा के दो दृश्य अंकित हैं। अन्य चित्रों में नर्तक, पशुओं की पंक्तियों अन्य दैनिक कार्यों के दृश्य देखने को मिलते हैं।

होशंगाबाद क्षेत्र

आदमगढ़ - यहां पर 10 चित्रित शैलाश्रय हैं, घोष ने इस शैलाश्रय में अंकित चित्रों में हल्के पीले रंग वाले विशालकाय हाथी के चित्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। यहां पर एक बड़े महामहिष का अंकन है। शैलाश्रय न. 1 के चित्र सफेद रंग के हैं। छत पर सांभर ऊँपर सिर उठाये अंकित है।⁵ अन्य चित्रों में अश्वारोही, मयूर, आदिमवनदेवी के चित्र प्रमुख हैं।

भोपाल क्षेत्र - भोपाल शहर के चारों ओर अनेक चित्रित शैलाश्रय हैं। गुफा मंदिर शहर के उत्तर में स्थित है इस शैलाश्रय के चित्रों में हिरण का लाल रंग से चित्रण है। दूसरे शैलाश्रय में हिरण, बैल, हाथी, चीता, कुत्ते, अजगर और मानवों का अंकन है। ये चित्र लाल नारंगी रंग के हैं।

मनवाँभान की टैकरी नामक पहाड़ी पर 15 शैलाश्रय हैं। श्यामलाहिल क्षेत्र से 17 शैलाश्रय ज्ञात हैं। इनमें बैल, सुअर, हिरण बंदर, कुत्ते तथा अलंकरण युक्त डिजाइन का अंकन महत्वपूर्ण है। ये चित्र भूरे व हल्के लाल रंग के हैं। कहीं-कहीं काले पीले और सफेद रंग भी हैं। भद्रभद्रा नामक स्थान में चिपके हुये से मावनों का अंकन है। घर्मपुरी की शैलाश्रय में भैंसे का शिकार, धनुंधारी, एवं गाड़ी वान चित्र महत्वपूर्ण हैं। वाकणकर ने 07 चित्रित शैलाश्रय नयापुरा तथा एक चित्रित शैलाश्रय शहदकराड में खोजे।⁶

जावरा, चिकली, कथुरिया, भगराजकराड, बागवानीकराड और झीरी में कुछ और शैलाश्रय प्राप्त हुये हैं। इन स्थानों प्राप्त चित्रों में लाल और सफेद रंगों का प्रयोग है।

रायसेन क्षेत्र - रायसेन जिले में भीम बैठका सहित लगभग 283 चित्रित शैलाश्रय हैं। ये शैलाश्रय 11 स्थलों में हैं। अन्य शैलाश्रय 1973 के बाद खोजे गये।⁷

पूतली करार - यहां पर हिरण नील गाय भैंस, ऊँट, अश्व, बंदर, छिपकली, सुअर के चित्र अंकित हैं। यह सागर भोपाल रोड पर नरवर ग्राम में स्थित है।

खरवई - यहां पर चित्रों पर अनेक जंगली जानवर मुखौटे लगाये मानव आकृतियों तथा घुडसावरों का अंकन है।

पटानी की पहाड़ी - यहां के चित्रों में शिकार के दृश्य हैं जिनमें हल्के लाल व नीले रंगों का प्रयोग किया गया है।

सागर क्षेत्र

आवचन्द्र - आवचन्द्र में आखेट के दृश्यों के साथ स्वास्तिक पूजा, वृक्ष पूजा नृत्य, बाघ तथा गृह जीवन के अनेक दृश्यों का अंकन किया गया है। यह चित्र हल्के लाल व सफेद रंग से चित्रित है। आवचन्द्र सागर से 35 कि.मी. पूर्व सागर जबलपुर रोड पर स्थित है।

नरयावली - भापेल बीला नामक घाटी से 16 शैलाश्रय प्राप्त हैं, इन सभी स्थानों को सबसे पहले प्रकाशित करने का श्रेय श्री श्याम कुमार पाण्डेय को है।⁸

भोपाल रायसेन रोड पर रामछज्जा नामक शैलाश्रय खोजा गया। इस शैलाश्रय में बहुत से जानवरों का रेखाओं द्वारा अंकन है। और कुछ चित्रों को बिन्दुओं द्वारा भी भरा गया है।

नागौरी - नागौरी पहाड़ी से लगभग एक दर्जन शैलाश्रय प्राप्त हैं। एक चित्र में मानवों आकृतियाँ जिनकी गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि है। बैल, मोर, चीता के खुदे हुये चित्र हैं।

बयान की पहाड़ी⁹ के एक शैलाश्रय में मछली के तीन चित्र अंकित हैं। जो गुलाबी रंग की चट्टान पर स्थित है। बैल और सुअर के चित्र भी अंकित हैं। यही पर बुन्देला बाबा की गुफा स्थित है जिसे सर्वप्रथम श्याम कुमार पाण्डेय ने प्रकाशित किया।¹⁰

पन्ना, रीवा छत्तरपुर क्षेत्र - इन जिलों में कई शैलाश्रय हैं। मुख्य शैलाश्रय रीवा शहर से 36 कि. मी. दूर सीतापुर और मानगंज रोड पर स्थित हैं। जिनमें से 1, 2, 5 और 10 प्रमुख हैं।¹¹

यहां पर सफेद चित्रों पर लाल चित्र अंकित है। यहां के चित्रों में शिकार करते हुये, मछली मरते हुये तथा हिरण भैंसा, कुत्ता, गधा, और गेंडा प्रमुख हैं।

सीतापुर और भूलभूलईयां में लाल रंग के चित्र अंकित है।

वृहस्पतिकुण्ड - बागन नदी के किनारे पन्ना जिले से 40 कि.मी. दूर वृहस्पतिकुण्ड नामक स्थान पर तीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुये हैं। मुख्य रूप से यहां के चित्रों में लाल पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, राजघराने के समारोह और जानवरों के चित्र प्रमुख हैं।¹²

जिला छत्तरपुर की तहसील बिजावर में देवरा के घने जंगलों में पौर का दाता एवं पुतली का दाता नाम से लाल गेरुआ रंग के शैलचित्र है। छत्तरपुर जिले में ही जटारशंकर के ऊपरी भाग में शाहगढ स्थित है, जहां पहाड़ियों के मध्य स्थित प्रपात के आसपास लाल रंग के शैलचित्र प्राप्त हुये हैं। शाहगढ के पास ही पिपरिया गांव में स्थित पहाड़ी गुफाओं में लाल रंग के चित्र बने हैं, जिन्हें लोग रक्त की पुतरियों के नाम से जानते हैं।

महाराजा महाविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रो. एस. के. छारी ने छत्तरपुर जिले के बिजावर तहसील में जटाशंकर की पहाड़ियों में मौनासैया की खोज 08 मार्च 2007 में की थी एवं 01 नवम्बर 2010 का किषनगढ के समीप अम्मापानी की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों की खोज की। जो अत्यंत प्राचीन है और वे लाल पुतरियों के नाम से जाने जाते हैं।

जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर - वाकणकर ने कटनी के पास सफेद रंग से चित्रित एक छोटे शैलाश्रय का उल्लेख किया। वाकणकर ने ही जबलपुर जिले के मदन महल नामक स्थान से मानवीय आकृतियों सहित पांच शैलाश्रय खोजे। सी.बी. त्रिवेदी द्वारा खोजे गये नरसिंहपुर जिले के बिजौरी नामक स्थान पर स्थित शैलाश्रय में लाल रंग चित्रित किये हुये हाथी व चिड़ियों को सफेद रंग से एक दूसरे के ऊपर दिखाया गया है।¹³

बस्तर क्षेत्र

चंबल घाटी - यहां पर 150 से अधिक चित्रित शैलाश्रय हैं। छिबबर नाला, कनवाला, मोदी नामक स्थानों पर अनेक शैलाश्रय प्राप्त हुये हैं। यहां के चित्रों में लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चित्रित शैलाश्रय में रामपुरा, रेवालकी, तेखाजी, अरिया, कोटा, द्वारा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

भीम बैठका का क्षेत्र - भीम बैठका म.प्र. के रायसेन जिले के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र के भियानपुर ग्राम की पहाड़ी का स्थानीय नाम है। इसको खोजने का श्रेय वी.एस. वाकणकर को (1957 में) जाता है। भीम बैठका के चित्रों में भीसा, शेर, चीता भालू, हाथी, सांभर, तथा लोमड़ी प्रमुख हैं।

ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी - इन तीनों स्थानों पर लगभग 300 चित्रित शैलाश्रय एवं गुफायें प्रकाश में आयी हैं। ये तीनों जिले पुरातात्विक सभ्यता की दृष्टि समृद्ध एवं महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्षतः प्रागैतिहासिक मानव प्राकृतिक वातावरण में रहकर प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री पर निर्भर रहता था एवं जीवन यापन करता था। स्वाभावतः जिस वातावरण में वह रहता था वही उसके चित्र निर्माण के विषय बने। शैलचित्रों में विविध प्राकृतिक रंगों की योजना आदिमानव के सौंदर्यबोध का द्योतक है। सृजनशीलता, मौलिकता, अन्तरंग, सौंदर्यबोध, रचनाकौशल, सरलता, ही इन शैलचित्रों को विशेषता प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. काकवर्न जे. 1899 'केव डूईंग ऑफ कैमूर रेंज' जे.आर.ए.एस. बी. वोल. स्प्ट पार्ट 1 पृ.56- 64
2. अन्वेषिका 1983 नगर पालिका निगम संग्रहालय ग्वालियर पृ. 1- 4
3. घोष, एम. 1932 'रॉक पेंटिंग एण्ड अदर एण्टिक्विटिज ऑफ प्रिहिस्टॉरिक एण्ड लेटर टाइम्स' मेमोरस ऑफ द ऑर्किलियोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया वो. 24 पृ. 10
4. गुप्त, जगदीश 1976 प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पृ.75
5. मठपाल, यशोधर 1984 'प्री.हिस्टॉरिक रॉक पेन्टिंग' पृ. 15-16
6. वाकणकर, व्ही.एस. 1957 'रॉक शेल्टर इन मध्यप्रदेश' आई.ए.आर. 1956-57 पृ. 76
7. वाकणकर, व्ही एस. 1973 'पेन्टेड रॉक शेल्टर इन इण्डिया' शोध प्रबंध पूना विश्वविद्यालय
8. पाण्डे एस.के. 1962 'नरयावली के गहवर चित्र' मध्यप्रदेश सन्देश
9. मठपाल, यशोधर, 1976 'बयॉन और पटानी के चित्रित शैलाश्रय' मानव 4 पृ.23-28
10. पाण्डे, एस. के. 1973 'सागर जिले की शैलाचीन चित्रकला' मध्यभारती पृ. 33-50
11. मठपाल, यशोधर 1684 'प्रीहिस्टॉरिक रॉक पेन्टिंग्स' पृ. 18
12. जडीया, के.पी. 1962 'पेन्टेड रॉक शेल्टर विरजपुर डिसट्रिक्ट पन्ना' आई.ए. आर. 1661 - 62 पृ. 33
13. त्रिवेदी. सी.बी. 1661 'रॉक शेल्टर : डिसट्रिक्ट नरसिंहपुर' आई.ए. आर. 1660 -61 पृ. 60

रामचरित मानस में वर्णित मानव मूल्यों के प्रसंगों का अध्ययन

डॉ. रामरतन साहू* रंगनाथ यादव** श्रीमती मंजू साहू***

शोध सारांश - गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस मानवीय मूल्यों के मंडप में अन्त्योदय का अनुष्ठान है। सौहार्द की स्याही से अंकित अपनत्व के अनुच्छेदों में, सर्वोदय का संविधान है। रामचरित मानस यानी वसुधैव कुटुम्बकम् में पूरा विश्वास तुलसीदास कहने को भले ही स्वान्तः सुखाय कह रहे हो लेकिन यह सच है कि उनकी लेखनी सर्वजनहिताय की धुरी पर ही घूमती है। आदर्श राम को यानी मानव मूल्यों की ही चूमती है, परोपकार की पैरवी करती हो, दुश्मनी का दल मल सुखाती हो, द्वेष का दावानल बुझाती हो, कलह का कीचड़ हटाती हो, कटुता की कालिख मिटाती हो, सद्भाव के सुमन खिलाती हो, सहिष्णुता की सुगन्ध फैलाती हो, अपनत्व की अलख जगाती हो, चिन्तनयुक्त और चैतन्य दिखाती हो, भ्रातृत्व के भाष्य लिखती हो, ऐसी लेखनी का हर शब्द समाज के उद्धार के लिए होता है और वह रचनाकार लोकमंगल का कारक होता है। तुलसीदास लोकमंगल के ध्वजवाहक हैं। रामचरित मानस के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की राजव्यवस्था सामाजिक सौहार्द और भाईचारा का ताना-बाना ही था। श्रीराम के बाल्यावस्था से लेकर सिंहासन के त्याग तक और वनवास से लेकर लंकाकाण्ड तक जो भी कथा है उसमें भाईचारा, प्रकृति-पर्यावरण की रक्षा, दलित-आदिवासियों के साथ समभाव, पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, वन्य जीवों के लिए दया, नारियों का सम्मान, ऋषि मुनियों के प्रति आभार पग-पग पर परिलक्षित होता है।

प्रस्तावना - दशरथ के द्वारा राम के राज्याभिषेक की घोषणा पर कैकयी ने कलह कर दिया। परिणाम स्वरूप राम को वन जाने के लिए दशरथ ने भारी मन से आदेश दिया। राम की सत्ता के प्रति निर्लिप्तता और सिंहासन त्याग का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जैसे ही राम को वनवास का आदेश मिला, उन्होंने तुरंत राज्याभिषेक के लिए हुए अलंकरणों एवं वस्त्रों को वैसे ही उतार देता है जैसे तोता अपने पुराने पंख उतार देता है या फेंक देता है। ऐसा करने के बाद राम वन को वैसे ही चल दिये जैसे पथ में पथिक वृक्षों-वस्तुओं को दर किनार करके चला जाता है। राम के द्वारा एक पल की देर किये बिना सिंहासन का त्याग और वह भी इसलिए कि कैकयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज माँगा था, यह राम के भ्रातृ-प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका आज तक कोई सानी नहीं है।

आज के दौर में सत्ता और सिंहासन पर बने रहने के लिए क्या-क्या हथकंडे नहीं अपनाये जाते? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सिंहासन त्याग एक संदेश है। हकीकत में राम, उपदेश नहीं संदेश है, राम, व्यक्ति नहीं विचार है, राम, वर्ण नहीं संस्कार हैं, राम, उन्माद-विवाद नहीं संवाद है, राम, समाज के लिए प्रेरणा है। राम, नारा नहीं चेतना है, राम, जाति नहीं ज्योत्स्ना है। राम को संकीर्ण दृष्टि से नहीं बल्कि विस्तृत दृष्टि से देखना चाहिए। राम, मानवीय मूल्यों के संरक्षक-संवाहक-संवर्धक होने के कारण ही तो आदर्श हैं। रामचरित मानस में तुलसी दास ने जिस राम-राज्य का वर्णन किया है, उसकी खास बात है :-

बयख न कर काहू सन कोई, रामप्रताप विषमता खोई।

भाव- रामराज्य में न तो किसी से कोई बैर करता और न ही विषमता। इस रामराज्य की स्थापना की भारत को आज तक प्रतीक्षा है।

तुलसीदास की इस अमर कृति में वे सभी गुण विद्यमान हैं, जिन्होंने भारतीय जन-जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस महत्वपूर्ण कृति ने भारतीय आदर्श, नीति और संस्कृति की रक्षा की है। श्रीराम चरित मानस का मुख्य उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के लोक रक्षक चरित्र का विषद चित्रांकन करना है। वे परम ब्रम्हा होते हुए भी इसमें एक गृहस्थ के रूप में आते हैं, जहाँ धीर, वीर और गंभीर व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं वे आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भ्राता, एक आदर्श पति, मित्र और राजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में इसके सभी पात्रों का व्यक्तित्व अपने आप में एक अनूठा आदर्श है, जो मानवीय मूल्य अर्पित किये हैं, जो राष्ट्र और काल दोनों से ही परे हैं, इसलिए श्रीराम चरित मानस को सार्वदेशिक और सार्वकालिक ग्रंथ कहा जाता है।

रामचरित मानस महाकाव्य में हर्ष, शोक, करुणा, प्रेम, क्षोभ, चिंता, क्रोध और शौर्य का अनूठा वर्णन है। इसमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। इसकी चरित्र के गुण हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसमें हमें पतिव्रत-धर्म, मित्र धर्म, राजधर्म, आदि की शिक्षा बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलती है। राजा और प्रजा के मध्य किस तरह का संबंध होना और इन दोनों के क्या-क्या कर्तव्य होते हैं, इनका इसमें विषद वर्णन है। अर्थात् यह ग्रंथ नहीं श्रीराम का घर है, यानी इस ग्रंथ में साक्षात् श्रीराम निवास करते हैं।

रामचरित मानस रिश्तों का एक आदर्श ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवन की हर समस्या का समाधान है। रामचरित मानस हमें हर रिश्तों को निभाना सिखाती है। हम समाज में किस तरह रहें, परिवार में किस तरह रहें, अपने कार्य-क्षेत्र में कैसे रहें, मित्रों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो आदि सभी बातें हम इस ग्रंथ में सीख सकते हैं।

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** एम. फिल. (इतिहास) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
*** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

1. **रिश्ते** - रामचरित मानस के नायक राम है जो हर तरह से आदर्श है। वे आदर्श भाई हैं, एक अच्छे पति और एक राजा होने के साथ ही दृढ़ उनका व्यक्तित्व है। वहीं उनकी पत्नी सीता भी एक श्रेष्ठ पत्नी है जो रावण की लंका में रहने के बाद भी अपने पतिव्रत को बनाये रखती है। लक्ष्मण ऐसे भाई हैं जिन्होंने चौदह वर्ष तक निःस्वार्थ भाव से राम की सेवा की।

जो मन बच क्रम मम उरमाहीं, तजि रघुवी आन गति नाहीं।

तो कृसानु सब कै गति जाना, मो कहुं होउ श्री खंड समाना ॥

भाव - सीता अग्नि परीक्षा देते हुये कहती है कि हे अग्निदेव यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति (अन्य किसी का आश्रय) नहीं है, तो अग्नि देव जो सबके मन की गति जानते हैं, (मेरे भी मन की गति जानकर) मेरे लिये चन्दन के समान शीतल हो जाये।

2. **परिस्थिति** - राम कठिन परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को विचलित न होने का संदेश देते हैं। रामचरित मानस में जिन राम का एक दिन पहले राजतिलक होने जा रहा था उन्हें सुबह वनवास पर भेज दिया जाता है। वे इस घटना से भी बिल्कुल विचलित नहीं होते बल्कि इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर वन को चले जाते हैं। वे आदर्श नायक के साथ ही आदर्श पुत्र भी हैं।

होत प्रातु मुनिवेश धरि, जौं न रामु बन जाहि

मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माहि

भाव - सबेरा होते ही मुनि का वेश धारणकर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन्! मन में (निश्चय) समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश।

2. **नेतृत्व** - राम एक आदर्श नेतृत्वकर्ता भी है। अंगद के समुद्र लांघने के समय उसमें आत्मबल की कमी होने की बात को समझकर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अंगद को लंका भेजते हैं। इससे वे अंगद का उत्साह तो बढ़ाते ही हैं साथ ही रावण तक यह संदेश भी पहुँचाते हैं कि उनके साथ केवल एक हनुमान ही नहीं हैं, कई और पराक्रमी वीर भी हैं। कुशल नेतृत्व के कई उदाहरण रामचरित मानस में मिलते हैं।

तू दसकंठ भले कुल जायो।

ता महुँ सिव-सेवा।

बिरंचि-बर, भुजबल बिपुल जगत जस पायो ॥1॥

खर-दूषन त्रिसिरा, कबंध रिपु जेहि बाली जमलोक पठायो।

ताको दूत पुनीत चरित हरि सुभ संदेश कहन हीं आयो ॥2॥

श्रीमद नृप-अभिमान मोहबस, जानत अनजानत हरि लायो।

तजि ब्यलीक भजु कारुणीक प्रभु, दै जानकिहि सुनहि समुझायो ॥3॥

जातें तव हित होइ, कुसल कुल, अचल राज चलिहै न चलायो।

नाहित रामप्रताप-अनलमहँ है पतंग परिहै सठ धायो ॥4॥

जद्यपि अंगद नीति परम हित कहो, तथापि न कछु मन भायो।

तुलसीदास सुनि बचन क्रोध अति, पावक जरत मनहु घृत नायो ॥5॥

4. **समाज** - समाज के लिए रामचरित मानस में कई आदर्श उदाहरण हैं। राम का समाज के नियमों के पालन के लिये सीता का त्याग करना यह सिखाता है कि हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए। आदर्श समाज की रचना के लिए अपने सुखों का त्याग और न्याय की समानता का आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं।

श्वश्रूणामविषेण प्राज्जलिप्रग्रहेण च।

शिरसा वन्द्य चरणौ कुशलं ब्रूहि पार्थिवम् ॥

शिरसाभिनतो ब्रूयाः सर्वासामेव लक्ष्मण।

वक्तव्यश्चापि नृपतिर्धर्मेषु सुसमाहितः ॥

जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव।

भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥

अहं त्यक्ता च ते वीर आयशोभीरूणा जने।

यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः ॥

मया च परिहर्तव्यं त्वं हि म परमा गतिः।

वक्तव्यश्चैव नृपतिर्धर्मण सुसमाहितः ॥

यथा भ्रातृषु वर्तेथास्तथा पौरिषु नित्यदा।

परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिरनुत्तमा ॥

यत्तु पौरजने राजन् धर्मेण समवाप्नुयात्।

अहं तु नानुषोचामि स्वशरीरं नरर्शभ ॥

यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन।

पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धु पतिर्गुरुः ॥

रामचरित मानस का हर किरदार ऐसा है जो जन सामान्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। अपनी जिंदगी की किसी भी कठिन परिस्थिति में निर्णय कैसे लें ? यह भी रामचरित मानस से सीख सकते हैं।

रामराज्य या कल्याणकारी राज्य तभी संभव होता है, जब पारिवारिक जीवन शुद्ध एवं मर्यादा युक्त हो, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, सास-बहू इत्यादि का पारस्परिक संबंध एवं व्यवहार यदि मर्यादा पूर्ण एवं विवेक-युक्त होगा तो सामाजिक जीवन स्वस्थ रहेगा। भाई-भाई के बीच स्नेह, विश्वास और प्रेम होना चाहिए।

कारन कवन नाथ नहीं आयउ

जानि कुटिल किथीं मोहि बिसरायउ

अहह धन्य लछिमन बड़ भागी।

राम, पदान बिंदु अनुरागी ॥

भाव -अभी राम क्यों नहीं आये ? मुझे कुटिल मानकर भूल तो नहीं गये ? ऐसे विचार मन में आने लगे। फिर परमात्मा को याद करते हुए लक्ष्मण जी को धन्यवाद देने लगे। लक्ष्मण, तेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। रामचरणों का अनुरागी बनकर अखंड सेवा का लाभ तुझे मिला।

वैज्ञानिक प्रगति ने आज मानव जीवन को सुखी बनाया है, किन्तु प्रसन्न बनाया है ? खाने-पीने, उठने-बैठने जैसी साधारण सी बातों को लेकर समस्या पैदा हो रही है। भौतिकवाद ने मनुष्य को आत्म केन्द्री बनाया है। त्याग के स्थान पर परिग्रह का महत्व अत्र-तत्र-सर्वत्र दृष्टिगत होता है। इसका मूल कारण है अध्यात्म की विस्मृति अर्थात् मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा। आज काम राज्य, दाम राज्य और जाम राज्य (मद्यपान) ने मनुष्य जीवन को बुरी तरह घेर लिया है।

विश्वबंधुत्व की भावना की विस्मृति विश्व को भय ग्रस्त बना रही है।

श्रीराम सगुण या निर्गुण ब्रह्मा, अवतार, विश्व रूप, चराचर, व्यक्त जगत, सेवा प्रधान, परहित निरत, आधि-व्याधि-उपाधि, रहित जीवन, मनवाणी और कर्म की एकता, उदार, सत्यनिष्ठ, समन्वय दृष्टि, अन्याय के प्रतिरोध के लिये वज्र-कठोर, प्रेम करुणा के लिये कुसुम, कोमल चित्त, गिरे हुए को उठाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा तथा आश्वासन भोग की तुलना में तप को प्रधानता देने वाला विवेकपूर्ण, संयत आचरण, दारिद्र्य मुक्त, सुखी, सुशिक्षित समृद्ध, समता युक्त समाज, साधुमत और लोकमत का समादर करने वाला प्रजाहितैशी शासन संक्षेप में यही आदर्श प्रस्तुत किया है-

तुलसी की मंगल करनि, कलिमल हरनि, वाणी ने

होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि साखा

भाव - जो भगवान श्रीराम ने पहले से रख रखा है। वही होगा, हमारे कुछ

करने से वह बदल नहीं सकता

मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।

अर्थात् जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वे दशरथ नन्दन श्रीराम हैं, वे मुझ पर अपनी कृपा करें।

इस प्रकार राम चरित मानस से समाज को एक नई दिशा मिलती है। वर्तमान में इसका पालन करना समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करना, समाज की बुराइयों को समाप्त करना तथा एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण कर प्रगतिशील बनाये रखने की प्रेरणा मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महर्षि वाल्मिकी - रामायण
2. गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस
3. गोस्वामी तुलसीदास - विनय पत्रिका
4. गोस्वामी तुलसीदास - कवितावली
5. गोस्वामी तुलसीदास - गीतावली
6. पं. श्रीराम शर्मा आचार्य - रामायण की प्रगतिशील प्रेरणायें
7. जयदयाल गोयन्दका - रामायण के कुछ आदर्श पात्र
8. श्री अंजनी नंदन शरण - मानस पीयूष
9. कल्याण - गीता प्रेस की मासिक पत्रिका
10. पूज्य मुरारी बापू - रामायण रसामृत
11. आस्था एवं संस्कार चैनल - रामकथा प्रवचन
12. स्वामी रामसुख दास - कर्म रहस्य
13. राम किंकर महाराज - तुलसी की दृष्टि
14. हनुमान प्रसाद पोद्दार - भवरोग की रामवाण दवा
15. श्रीमद्भागवत गीता
16. अध्यात्म परिषद् खरौद
17. सुमंत गुरंजन - पुरोहित वर्ग वर्चस्व और भारतीय समाज
18. पंडित रामकुमार के हस्तलिखित टिप्पणी
19. दैनिक समाचार पत्र- नई दुनिया, पत्रिका

विज्ञापन कला की उपयोगिता एवं महत्वता – एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. ऋषिका शर्मा *

शोध सारांश – विज्ञापन एक ऐसी व्यवहारिक कला है जो कि कई वर्षों पहले से ही हमारे समाज में उपस्थित है किन्तु आज इसने अपनी आवश्यकता व महत्ता के कारण अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बना लिया है; यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर यह विज्ञापन उद्योग के रूप में एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में उपस्थित है। यह एक ऐसी कला है जिसने दृश्य कला को उपयोगिता के साथ जोड़ कला का एक ऐसा व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया है जो कि हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक-राजनैतिक सभी क्षेत्रों के साथ गहराई से जुड़ गया है। बिना उपरोक्त किसी भी क्षेत्र की गतिविधियों का सफल संचालन नहीं हो सकता। प्रस्तुत शोध लेख में विज्ञापन कला की समाज में उपस्थिति एवं उसके महत्व व उपयोगिता का गहराई से अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना – आधुनिक जगत में हर व्यक्ति के जीवन और कार्य तक पहुँचने और छूने की विलक्षण क्षमता है विज्ञापन में। सच तो यह है कि अपने जीवन के किसी न किसी बिन्दु पर लोग ही विज्ञापन के रचनाकार बन जाते हैं—चाहे कोई विद्यालय का सूचनापत्रक सृजित करे, गाड़ी धोने का प्रसाधन शब्द-योजना में ढाले या किसी गैराज के विक्रय के लिए वर्गीकृत विज्ञापन का मजमून लिखे या किसी भी व्यापारिक, दानशील (चैरिटेबल) या राजनैतिक कारण से कोई योजना तैयार करे। सम्भव है कि 20वीं सदी के प्रथमाब्द तक विज्ञापन एक अमेरिकी संस्था प्रयोजना मानी जाती रही हो किन्तु आज ऐसी बात नहीं है। तथ्य तो यह है कि 1917 में ब्रिटिश उपन्यासकार ने वैश्विक विज्ञापन की महत्ता को स्वीकार किया जब उसने मंतव्य दिया— आप किसी भी देश के आदर्शों को उसके विज्ञापनों से बता सकते हैं यह रेडियो और टी.वी. के आगमन से पूर्व की बात है। आज हमारे कथन 20वीं सदी के मीडिया के परिदृश्य तक सीमित नहीं है। इन्टरनेट और विविध ऑनलाइन सूचना-संग्रही सेवाओं का धन्यवाद कि लोग और संस्थान अपने विज्ञापनीय संदेश सारे विश्व में लाखों-लाखों तक तत्क्षण पहुँचा सकते हैं। विज्ञापन एक ऐतिहासिक अनुपात में स्वरूप-परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं—एकाधिकार सम्मत स्वकथ्य से पूरी तरह जनतांत्रिक संवाद की ओर। अकस्मात् अब सबके पास शब्द और आवाज है।¹ विज्ञापन कुछ सामान, सेवा या विचार बेचने का उद्देश्यपरक है। यह उत्पादनकर्ता और ग्राहक अथवा उपभोक्ता के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है।² यद्यपि विज्ञापन मुख्य तौर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयुक्त होता है तथापि प्रयोग अन्य विविध श्रेणी के लाभवर्द्धन मुक्त संस्थानों, पेशेवरों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी अपने कार्यक्रमों के लक्षित जनसमूह में हेतु-विस्तार के लिए किया जाता है। विज्ञापन एक सहज मार्ग है सूचना और अभिप्रेरणा का, प्रभाव-विस्तार का, चाहे सारे संसार में कोकाकोला बेचना हो या विकासशील देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपभोक्ताओं को खोजना हो।

अध्ययन का उद्देश्य:

- विज्ञापन कला की उपयोगिता एवं विज्ञापनकर्ता व उपभोक्ता के नजरिये से विज्ञापन कला की उपस्थिति का अध्ययन करना।
- विज्ञापन कला के महत्व की समीक्षा करना।

उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन की उपयोगिता – विज्ञापन का उद्देश्य या उपयोगिता एक निश्चित और लक्षित श्रोता वर्ग में एक निश्चित प्राथमिक

कालावधि में एक सुनिश्चित संवाद के प्रसारण में निहित है। विज्ञापन के उद्देश्य प्रमुख अभिप्रायों के अनुसार विभाजित किये जा सकते हैं— चाहे वे सूचनात्मक हों, प्रभावात्मक हों अथवा स्मरणात्मक। आगे प्रस्तुत तालिका में विज्ञापन की उपयोगिता को इन उद्देश्यों के साथ दर्शाया गया है।

सूचनात्मक विज्ञापन का प्रयोग मुख्यतया नए उत्पाद के परिचय देने के लिए किया जाता है। इस मामले में, उद्देश्य या प्रयोजन मूल मांग को बढ़ाना है। उदाहरणार्थ डीवीडी प्लेयर के उत्पादकों के लिए सबसे पहले उपभोक्ताओं को नए उत्पाद की छवि की गुणवत्ता और सुविधा के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा।

जब प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है तब प्रभावात्मक विज्ञापन बहुत महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य बन जाता है। ऐसे में उत्पादक का प्रथम प्रयोजन होता है चुनिंदा मांग की वृद्धि हासिल करना। उदाहरणार्थ, डीवीडी प्लेयर स्थापित हो जाने पर 'सोनी' आरम्भ करता है अपने ग्राहकों को अपने मानक (ब्राण्ड) उत्पादों की श्रेष्ठता के बारे में बताना— ऐसे उपयुक्त विज्ञापन का वं उनके उत्पाद के लिए एकदम सार्थक है। अब अगले कदम पर प्रभावात्मक विज्ञापन प्रतिस्पर्द्धा वाला विज्ञापन बन गया है जिसमें कोई उत्पादक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य मानक (ब्रांड) और अन्य उत्पादकों के समान और विभिन्न उत्पादों से तुलना कर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। प्रतिस्पर्द्धात्मक विज्ञापन अब एक बहुत बड़ी शृंखला-सापट ड्रिंक से लेकर कम्प्यूटर, बैट्री, दर्द-निवारक, किराए पर गाड़ी और क्रेडिट कार्ड आदि तक में अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ प्रयोग में आने लगा है।

स्मरणात्मक विज्ञापन परिपक्व एवं पूर्णतः स्थापित उत्पादों के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। ये विज्ञापन उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में बार-बार सोचने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उन उत्पादों का ध्यान उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में हमेशा रहे। कोकाकोला के महंगे विज्ञापन लोगों को कोकाकोला का स्मरण दिलाते रहते हैं, न कि कोई सूचना देते हैं और प्रभावित करते हैं। उपरोक्त वर्णन को अग्रलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं—

तालिका -1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

अतएव उपरोक्त वर्णनानुसार प्राथमिक अभिप्रायों के आधार पर विज्ञापन का मुख्यतः तीन प्रकार से उपयोग होता है—

1. सूचनात्मक आधार पर,
2. प्रभावात्मक आधार पर,

3. स्मरणात्मक आधार पर।

विज्ञापन के समस्त कलाप स्वयं समाज ही, समाज के ही द्वारा एवं समाज के लिए ही करता है, अतः विज्ञापन के मुख्य पक्ष विज्ञापनकर्ता व उपभोक्ता (जो कि इस समाज का ही एक अंग है) के आधार पर भी हम स्पष्टतः विज्ञापन की उपयोगिता को समझ सकते हैं। -

विज्ञापनकर्ताओं के आधार पर विज्ञापन की उपयोगिता- विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी स्थापित करता है। यह एक जन-संचार है। विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापनकर्ता उपभोक्ताओं की विशाल संख्या तक पहुंच पाता है और अपने उत्पाद की जानकारी दे सकता है।

विज्ञापन के माध्यम से उत्पादक नई धारणा और नए उत्पाद को लागू कर सकता है। विज्ञापन यदि न होता तो हम बहुत से नए उत्पादों को कभी स्वीकार नहीं करते।

विज्ञापन उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाओं- उनकी शैली, उनके आकार-लक्षण, रंग, मानकों, कीमतों, उपलब्धता और प्रयोग करने की विधि आदि के बारे में सूचित रखता है अतः विक्रय सहज हो जाता है।

विज्ञापन शिक्षा की भूमिका भी निभाता है विशेषकर घरेलू और सम्पदा मूलक उपकरणों और उत्पादों के बारे में जिसकी वजह से विक्रय के बाद ग्राहक-सेवा और संतुष्टिकरण सुगम हो जाता है।

विज्ञापन बाजार का विस्तार करता है, मात्रा में विवृद्धि करते हुए बाजार में हिस्से को बढ़ाता है, लाभ में उन्नति करता है जिसके कारण मूल्य में हास संभव हो सकता है।

विज्ञापन उत्पाद की स्वीकृति को सुगम बनाता है। इसके माध्यम से निगम-संज्ञाति (कॉर्पोरेट इथो) का विकास होता है और निगम छवि (कॉर्पोरेट इमेज) का निर्माण होता है। अतः यह कहना सही होगा कि विज्ञापन एक व्यापारिक और सम भाव से सामाजिक प्रक्रिया है।

कोले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड रिजल्ट्स' में विज्ञापन के 52 संभावित उद्देश्य गिनाए। एक उत्पादक के लिए, विज्ञापन उपभोक्ता तक सूचनाएं प्रसारित करने, उनकी ग्रहणशीलता बढ़ाने और उत्पाद की विशेषताओं का स्मरण दिलाने का साधन है। तब भी विज्ञापन की सार्थक निष्पत्ति बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

उपभोक्ताओं के आधार पर विज्ञापन की उपयोगिता- युद्धोपरान्त सालों में विज्ञापन ने अपनी उपस्थिति और महत्ता दर्ज करवा दी। उस काल में लोगों के पास खरीदने की शक्ति तो थी परन्तु इच्छाशक्ति नहीं थी। विज्ञापन ने उसी इच्छाशक्ति की रचना की और उसे प्रभावकारी मांग में परिवर्तित कर दिया।

विज्ञापन अब व्यापार का एक अनिवार्य घटक बन गया है जो उत्पाद और उपभोग में संतुलन बढ़ाता है। यदि उपभोक्ता के बालों में खुश्की है तो प्रस्तुत है उत्पादक का खुश्की हरण शैम्पू। उपभोक्ता इस प्रकार वांछित निवेश का कारण बनता है। व्यापार में पूंजी लगती है। पूंजी के लिए बैंक चाहिए, बैंक के लिए उपकरण चाहिए। क्रमागत विवर्धन का लाभ शेष में उपभोक्ता का ही हित करता है, उसका जीवन स्तर विकसित होता है।

विज्ञापन उपभोक्ता को अपने उत्पाद चयन में दिग्दर्शन देते हैं। सूचनाओं और गुणवत्ताओं का संदर्भ, उपलब्धि और कीमतों का विवरण देकर उसकी समझदारी को प्रेरित करते हैं।

विज्ञापन एक प्रकार का दार्शनिक है, दृष्टा है। हमें बहुत प्रकार के सामाजिक और संपृक्त हेतुओं यथा उर्जा-संरक्षण, देहेज-उन्मूलन, हानि-निवारण, सामाजिक वन्य चेतना आदि से भिन्न बनाता है। विज्ञापन इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए मित्र, दर्शनप्रदाता और दिग्दर्शक की भूमिका

समवेत रूप से निभाता है।

विज्ञापन कभी विवरण, कभी कथा-कथन, कभी अनुभव-अनुसरण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सचेत और शिक्षित करता है।

यह उपभोक्ताओं के लिए समय की बचत करता है। विज्ञापन उत्पाद की कार्यक्षमता की आश्वस्त का वचन भी बनता है। इससे लागत की बचत भी संभव होती है। यह अच्छे जीवन-स्तर को विकसित करता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत लोगों को कार्य मिलता है और जीविकोपार्जन की सुविधा भी। इसके द्वारा विस्तृत व्यापार से अप्रत्यक्ष रूप से विशाल संख्या में लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होती है।

उपभोक्ता कल्याण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है विज्ञापन। यह उपभोक्ताओं की विविध प्रकार से सहायता करता है। यह उन्हें बताता है कि वे क्या खरीदें, कैसे खरीदें और क्यों खरीदें? यह मूल्यों के बारे में बहुमूल्य सूचना देता है। कुछ लोग विज्ञापनों की परजीवी के रूप में आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि अच्छा सामान बनाया गया है तो वह अपने आप बिकेगा- दुनिया चूहे का पिंजरा तज कर अपने आप अच्छा मार्ग चुन लेगी। किन्तु नहीं, यह सच नहीं है। अब किसी के पास अन्वेषक बनने का समय नहीं है। आज, हम सभी विज्ञापन से प्रभावित भी होते हैं यद्यपि विज्ञापन हम पर कोई जबर्दस्ती नहीं करता कि हम क्या चुनें, यह केवल हमें चयन की प्रेरणा देता है एवं इसकी उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है।

विज्ञापन कला का महत्त्व- विज्ञापन, सभ्यता के विकास का एक मापक और मानव जीवन को संवारने और पूर्णता हासिल करने के संघर्ष का बोधक भी है। अस्तित्व और संतुष्टि का अभियान और मानवी प्रयास की सीमा मासलों द्वारा अपने पवित्र गतिशील सिद्धान्त में बहुत ही यथार्थपरक शब्दों में व्यक्त की गई है जिसके आधार पर इस विषय पर अनेक मतधाराएं प्रतिपादित हुई हैं।⁶ मासलो के सिद्धान्त में प्रायोगिक वैधता की विशेषता भी है। मासलो की आवश्यकताओं के क्रमानुगत सोपान में पांच बहुश्रुत चरण हैं यथा- मनोताकिक, सुरक्षा, अपनत्व और प्रेम, प्रतिष्ठा और स्व-सक्रियता। इसके बाद दो और ज्ञान तथा सौन्दर्य नामक ध्येय है। ज्ञान की महत्तवाकांक्षा ज्ञान की आवश्यकता और उत्तम समझ के विकास के कारण उत्पन्न होती है एवं सौन्दर्य की अभिलाषा शेषतः नीतिपरक संतुष्टि के लिए जागती है।

मासलो के आवश्यकता-सोपान को एक द्वियामी प्रतिमान के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। (आगे दिया गया चित्र-बिम्ब देखें) निम्न स्तर पर मनोताकिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं तृप्त होने का मतलब सदा यह नहीं होता कि अपनत्व और प्रेम की प्रदर्शित कामना के बगैर हो। दृष्टान्त के लिए, किसी जयन्ती समारोह के लिए बनाया गया पकवान दो कार्य एक साथ सम्पन्न करता है- भूख हरता है और साथ ही साथी के अपनत्व भाव की तृप्ति भी देता है। विज्ञापन, आवश्यकताओं की इस सम्पूर्ण परिधि में संतुष्टि की प्रक्रिया में उसके आगे-पीछे, दोनों ओर की कड़िया रचता रहता है। विज्ञापन का प्रमुख कार्य ही है कि संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की सम्पूर्ति और प्रतिस्पद्धा के माहौल में मिलने वाली तुलनात्मक लाभ-सुविधाओं के लिए किसी उत्पाद, सेवा या विचार की उपस्थिति का भान होता रहे। इसका दायित्व विज्ञापन पर ही है कि कम से कम वह ऐसी संभावनाओं को प्रेरित करे जिससे नई जरूरतों के लिए संसाधन जुटाने और प्राप्त संसाधनों के नव-निवेश का प्रयास किया जा सके। विज्ञापन का प्रयोजन मात्र विक्रय की सिद्धि भर नहीं है या फिर किसी विचार या कार्यक्रम की स्वीकृति पा लेना भर नहीं है। यह उन अभिप्रेरणाओं और उत्सर्जनाओं का साधन भी है जिसमें सामान और सेवाओं के क्रय के लिए संसाधन जुटाए जा

सकें अथवा किसी धारणा की स्वीकृति भी आश्वस्त की जा सके। उपरोक्त वर्णन को निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

तालिका -2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

अभिप्रेरणाओं के विषय पर बात करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञापनकर्ता और उसकी सहयोगी सेवा अर्थात् विज्ञापन एजेन्सी की भूमिका कुछ सीमित ही है। समाज वैज्ञानिकों ने ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर मनोतार्किकता के आधार पर विज्ञापन को एक महत्त्वपूर्ण रूप आकृति और स्थान दिया। विपणन के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों ने विज्ञापन की धारणा तीव्र गति से ग्रहण की और इसे अपने विपणन-मिश्रण का अंश बनाया। कदाचित् अब विज्ञापन पहले भी है और विपणन के बाद में भी। अवश्य ही कोई भी विपणन सौदा बिना अर्थपूर्ण संवाद के हो ही नहीं सकता। यही है विज्ञापन का सार तत्त्व - 'गूलर की पत्ती से लेकर रोएंदार परिधान और उससे आगे तक।' आवश्यकताएं बढ़ती हैं और उपभोक्ता की सामान और सेवाओं की धारणा में परिवर्तन और विकास होता है। खरीदने वालों की उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति केवल उत्पादनशालाओं में निर्मित उत्पाद से ही नहीं निर्धारित होती वरन् उसके संवेष्टन (पैकेजिंग), वि-ज्ञापन, ग्राहक-सेवा एवं सलाह, आर्थिक संयोजन, वितरण-व्यवस्था, भंडारण, अन्य बहुत सी बातों का महत्त्व भी होता है। विज्ञापन वर्तमान का संदेश और भविष्य की आश्वस्त देता है।⁶

बहुत से विज्ञापनों ने विज्ञापन का आज की दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो या सांस्कृतिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, इसके वैश्विक महत्त्व व प्रभाव को स्वीकारा है तथापि इसके आर्थिक व सामाजिक प्रभाव को लेकर निरन्तर विवाद भी बना रहता है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति की ओर इंगित करते हुए विज्ञापनों के जरिये आदमी की उपभोक्तावादी लालसाओं को जगाकर 'ग्लोबल संस्कृति' का प्रचार हो रहा है, जिस वजह से कई बार इन विज्ञापनों की अपील भारतीय परम्परा और संस्कृति से नहीं उठाई जाती है, बल्कि वह वैश्वीकरण की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पालित-पोषित संस्कृति से जुड़ती है वस्तुतः विज्ञापन संदेश भारतीय संस्कृति या परम्पराओं से मेल हो या बेमेल इस बिन्दु की अवहेलना विज्ञापन संस्कृति पर प्रश्न चिह्न लगा देती है तथा दूसरी तरफ इसके द्वारा प्रचलित उपभोक्तावादी संस्कृति भी। तथापि आमजन से लेकर विद्वजनों तक 'विज्ञापन' के महत्त्व को स्वीकार किया जा चुका है जिसके बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था व सामाजिक संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अग्रलिखित बिन्दुओं के द्वारा विज्ञापन के महत्त्व को सार रूप में समझा जा सकता है⁷ -

उपभोक्ताओं के साथ संवाद - जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विस्तृत और जटिल होती जाती है, विभिन्न उत्पादों के बारे में सूचनाओं की आवश्यकता विपुल होती जाती है। एक तरफ विज्ञापन सेवा देने वाले या विचारों एवं धारणों के प्रस्तुतीकरण में लगे उत्पादकों और अन्य संस्थानों के मध्य संवाद स्थापित करता है और दूसरी तरफ ग्राहकों, खरीददारों और संभावित ग्रहणकर्ताओं के साथ भी। विज्ञापन जहां वर्तमान ग्राहकों को स्मरण दिलाता है, वहीं नए संभावित ग्राहकों का विकास करता है। इस प्रकार, विज्ञापन का लक्षित श्रोताओं के साथ 'प्रभावकारी संवाद' के रूप में महत्त्व स्थापित किया गया है। इस संवाद के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। समाचारपत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टी.वी., इन्टरनेट समस्त माध्यमों के द्वारा विज्ञापन संदेश का संचार विश्व के कोने-कोने तक होता है तथा ये विज्ञापन इन माध्यमों के प्रयोग हेतु एक बड़ी राशि चुकाते हैं। वस्तुतः आज विज्ञापनों

के बिना विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व टी.वी. रेडियो, प्रोग्रामों का संचालन इतना महंगा हो जाएगा जो कि एक आम आदमी की पहुँच के बाहर होगा। यह कहा जा सकता है कि आज विज्ञापन संचार माध्यमों की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं।

अभिप्रेरणा - विज्ञापन अपने संभावित ग्राहकों को उत्पाद या सेवा को क्रय करने के लिए मनाने का प्रयास करता है। क्लाइड मिलर के अनुसार, व्यापार, उद्योग एवं इस प्रकार की गतिविधियों की सफलता निरन्तर बदलने वाली सूचनाओं की पहचान की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ग्राहक को विज्ञापनकर्ता के प्रभाव के अभिप्रायों के प्रति सदा सचेत रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेश अधिक सूचना वाला हो या संक्षिप्त हो।

आर्थिक प्रगति में योगदान - विज्ञापन बाजारों के विस्तार, विशेषकर नए उत्पादों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में नए बाजारों के विकास के द्वारा आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। जो प्रतिष्ठान नए उत्पाद के विकास के लिए शोध और विकास में निवेश करता है, उसे अपने उत्पादों के लिए बाजार की स्थापना के लिए विज्ञापन पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। बड़े सामाजिक संदर्भ के हित में, एक सीमा तक कम सुविधा वालों के लिए विज्ञापन एक अभिप्रेरक घटक बन जाता है, क्योंकि वे अपनी क्रयक्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त श्रम करने और अवसर ढूँढने को लालायित हो सकते हैं। विज्ञापन उन अपेक्षित और लाभकारी अवसरों और विचारों की स्वीकृति और सफलता के लिए भी एक भरोसेमंद वाहन बन जाता है जिनके पीछे लाभ का लक्ष्य न्यूनतम है अथवा है ही नहीं। इसका महत्त्व कई गैर-लाभकारी क्षेत्रों में देखा जा सकता है जैसे जन-स्वास्थ्य के सुरक्षा-संरक्षण, छोटे परिवारों की प्रचेतना वृद्धि, विशेषकर जनसंख्या बहुल देशों में, नशामुक्त परिचालन और भी कई ऐसे क्षेत्र। विज्ञापन से औद्योगिक उत्पादन को गति मिलती है जिससे 'सकल राष्ट्रीय आय' व 'प्रति व्यक्ति आय' में वृद्धि होती है। विज्ञापन रोजगार की संभावनाएँ व अवसर बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। विज्ञापन उद्योग स्वयं तेजी से रोजगार के लिए नये मार्ग खोल रहा है।

परिवर्तन का उत्प्रेरक - विज्ञापन में समाहित रचनात्मकता नए संबंधों की तलाश का नेतृत्व एवं किसी की भी धारणा में परिवर्तन कर सकती है। दो आयाम विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं संवाद की मौलिकता और उपभोक्ता की जीवन शैली पर परिणामतः प्रभाव। परिवर्तन लाने की योग्यता विज्ञापन में मौलिकता, पटुता, नव-संधान प्रवीणता, नव-सृजन शक्ति और कल्पनाशीलता से ही आती है एवं यह बात नए उत्पादों और सोच के प्रसार के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त उत्पादों/मानकों (ब्रांड) को नई गुणवत्ता सम्प्रदान करने की प्रक्रिया में भी परिलक्षित होती है।

भारत में आजादी के बाद सरकारी स्तर पर विज्ञापन की आवश्यकता को इस सीमा तक महत्त्व दिया गया कि उसके लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत विज्ञापन एवं दृश्य-प्रचार निदेशालय (D.A.V.P.) नाम से अलग विभाग ही खोल दिया गया। इस विभाग के माध्यम से सरकारी पक्षों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनसमुदाय तक पहुँचाकर उन्हें भी विकास की धारा से जोड़ने का उपक्रम किया जाता है। आजाद भारत में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (D.A.V.P.) ने राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक सौहार्द, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार-नियोजन, स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया विभिन्न मुद्दों पर जागरूकतामय प्रचार अभियान चलाकर सामाजिक विकास एवं परिवर्तन में सार्थक भूमिका निभाई है।

समीक्षा एवं उपसंहार - विज्ञापन की कई सीमाएं भी व्याख्यायित हुई हैं।

एक दृष्टिकोण के अनुसार विज्ञापन उपभोक्ता को बेचे जानी वाली वस्तु का मूल्य बढ़ाता है। विज्ञापन एक फिजूलखर्ची है यह जानते हुए कि उपभोक्ता का एक सीमित वर्ग ही, जो मीडिया का प्रयोग करता है, विज्ञापन के सम्पर्क में आता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनीय संवाद की गुणवत्ता ही विज्ञापन की शक्ति होती है। यह एक दुर्बलता भी बन जाती है जब इसमें मौलिकता, पटुता, नव-संधान प्रवीणता और कल्पनाशीलता के स्थान पर केवल एक ढर्रे के संवाद प्रयुक्त होते हैं। बहुत बार विज्ञापन अस्वस्थ और झूठे मूल्यों को भी बढ़ावा देते हैं जिनका प्रभाव मुख्यतया बच्चों और नई पीढ़ी पर पड़ता है। ऐसे विज्ञापन एक भावुकता का जाल रचते हैं। आलोचक कहते हैं कि विवेकशील धारणा की कीमत पर भावुकता प्रायः भ्रम पैदा करने वाली होती है। शेषतः विज्ञापन प्रतिस्पर्द्धा के लिए ही खतरा बन जाते हैं क्योंकि बड़े विज्ञापनकर्ता बाजार पर एकाधिकार कर लेते हैं। यद्यपि विज्ञापन का उपयोग सामान और सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यापकता से किया जाता रहा है, तब भी अब इसका प्रयोग जनहित के लिए भी और ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका मकसद लाभ कमाने का नहीं होता है, को बेचने के लिए भी किया जाता है। 1979-80 में इंडियन कैन्सर सोसाइटी ने एक सशक्त विज्ञापन अभियान चलाया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य था इस महाभयंकर बीमारी से बचाव हेतु सकारात्मक सोच और इसके बचाव और उपचार के लिए परीक्षण सेवाओं का सूचना प्रसार। यह अभियान बहुत सफल हुआ था। 18 पिछले दो दशक में 'पोलियो मुक्त भारत' अभियान भी जन-जन तक विज्ञापन कला के माध्यम से ही पहुँचा है और तात्कालिक समय में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सानिध्य में 'स्वच्छता अभियान' एवं 'डिजिटल इंडिया' अभियान के

क्रियान्वयन एवं सफलता का श्रेय भी विज्ञापन कला को ही जाता है जिसके द्वारा यह अभियान जन-जन के बीच पहुँच रहे हैं। अन्ततः हम कह सकते हैं कि विभिन्न पक्ष होते हुए भी विज्ञापन कला न केवल व्यावसायिक दृष्टि से ही बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी आज महत्त्वपूर्ण बन चुकी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Rajiv Ranjan Prasad: Advertising - The Social Aid Challenge, Swastik Publishers & Distributors, Delhi, 2009, Page No. 1
2. Preetpal Singh : Advertising and Salesmanship, Mark Publishers, Jaipur, 2009, Page No. 1.
3. Kotler Armstrong: Principles of marketing, pearson education Pvt. Ltd., Delhi, 2004, Page No. 494-496.
4. S.A.Chunawalla: Foundations of Advertising, Himalaya K.C. Sethia Publishing House Pvt. Ltd., Mumbai, 2008, Page No. 42.
5. A.H. Maslow: Motivation and Personality, Herper and Raw Publishers inc., New York, 1954, Page No. 80-101. (Summary)
6. Levitt: The Marketing Mode, Mc Graw Hill-Theodors Book Co., New York, 1969, Page No. 2.
7. Manendra Mohan: Advertising management- Concepts and Cases, Tata Mc Graw Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi, 2004, Page No. 4-7. (Summary)
8. Ibid. : Page No.11

तालिका - 1 : विज्ञापन के उद्देश्यों और उपयोगिता के संभावित पक्ष³

सूचनात्मक विज्ञापन	
<ul style="list-style-type: none"> ● बाजार को नए उत्पाद के बारे में सूचित करना या किसी उत्पाद के नए उपयोगों के बारे में बताना। ● बाजार को नई कीमतों के बारे में सूचित करना। ● उत्पाद के प्रयोग के बारे में बताना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राप्त सेवाओं का विवरण देना। ● गलत धारणाओं को मिटाना। ● उपभोक्ता-भय का निवारण। ● प्रतिष्ठान-छवि का स्थापना।
प्रभावात्मक विज्ञापन	
<ul style="list-style-type: none"> ● मानक की पसंद स्थापित करना। ● अपना उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। ● उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता की सोच बदलना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● उपभोक्ता को अभी खरीदने के लिए मनाना। ● उत्पादक को विक्रय आमंत्रण ● ग्रहण करने के लिए मनाना।
स्मरणात्मक विज्ञापन	
<ul style="list-style-type: none"> ● उपभोक्ता को स्मरण दिलाना कि उत्पाद की निकट भविष्य में आवश्यकता होगी। ● उपभोक्ता को स्मरण दिलाना कि उत्पाद कहाँ मिल सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● उपभोक्ता को ऑफ सीजन में उत्पाद का ध्यान दिलाना। ● उत्पाद की स्मृति दिमाग में उच्चस्थ रखना।

तालिका - 2 : मासलो के आवश्यकता-सोपान का एक द्वियामी प्रतिमान

आवश्यकता संबंधी व्यक्तिगत/ सामूहिक वर्तमान उपलब्धि	मनोताार्किक	सुरक्षा	अपनत्व और प्रेम	प्रतिष्ठा	स्व-सक्रियता	ज्ञान	सौन्दर्य
मनोताार्किक							
सुरक्षा							
अपनत्व और प्रेम							
प्रतिष्ठा							
स्व-सक्रियता							
ज्ञान							
सौन्दर्य							

रायगढ़ जिले में स्वाधीनता की लड़ाई

डॉ. रामरतन साहू *

शोध सारांश - भारतीय आजादी ने राष्ट्र के लिये जो षडयंत्रपूर्ण परिस्थितियों को जन्म दिया, उनमें देशी राज्यों से संबंधित समस्या अपनी विशेष महत्व रखता है। विदेशी शासन ने सत्ता हस्तान्तरण के द्वारा हमारे राष्ट्र को दो विभागों में विभाजित कर, एक देश को सम्प्रदायवाद तो दूसरे देश के लगभग 600 देशी राज्यों को प्रभुसत्ता प्रदान कर उन्हें अधिकार दे दिया गया कि वे स्वतंत्र हो या परिस्थिति के अनुकूल भारत या पाकिस्तान में विलीन हो जावे। तत्कालीन कांग्रेस इस विघटनकारी षडयंत्र को भलीभाँति समझ लिये और सरदार पटेल के नेतृत्व में विलिनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर अंग्रेजों की देशी राज्यों से संबंधित विस्फोट गर्भित समस्या का अंत किया।

रायगढ़ जिला अतीतकालीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की असंदिग्ध एवं जीवन्त लीला भूमि रहा है। पहाड़ों में स्थित गुफायें क्रमशः सिधनपुर, करमागढ़, दियागढ़, मीलूगढ़, कबरा पहाड़ पैल चित्रों के लिये प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बोटल्दा पहाड़ की गुफा, खुडिया रानी की गुफा, छुहीपाली का गुफा विद्यमान है। यहाँ गौरीशंकर मंदिर, पहाड़ पर स्थित हनुमान मंदिर, बूढ़ीदाई माई का मंदिर स्थित है। जिले के सारंगढ़ तहसील में गिरि विलासा पैलेश (राजमहल), समलाई मंदिर, काली मंदिर, कोसीर में कोसलेश्वरी मंदिर तथा कपिस्दा में शिव और कृष्ण मंदिर स्थित है। पुजारीपाली नामक ग्राम में प्राप्त विष्णु भगवान की चतुर्भुजी प्रतिमा एवं बौद्ध कालीन मंदिर, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तथा शिलालेख, पुसौर के निकट प्राप्त जैन धर्म गुरुओं की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। पुजारीपाली कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। महानदी के तट पर स्थित जशपुर नामक ग्राम में भी कलचूर कालीन मूर्तियाँ मिली हैं। बरदूला में सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं।

प्रथम चरण - सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रायगढ़ के राजा सुन्दरसाय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के आवाज बुलंद किये। इनके आह्वान पर उदयपुर (वर्तमान धरमजयगढ़) के राजा शिवराज सिंह एवं बरगढ़खोला के जमींदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किये। किंतु रायगढ़ और सरगुजा के राजाओं ने षडयंत्रकारी अंग्रेजों का साथ दिये। राजा शिवराज सिंह एवं अजीत सिंह गिरफ्तार कर लिये गये। उदयपुर को सरगुजा तथा बरगढ़खोला को रायगढ़ में शामिल कर लिया।

द्वितीय चरण - राजा भूपदेव सिंह के शासनकाल में श्री अनंतराम पाण्डेय तथा मेदिनी प्रसाद पाण्डेय की साहित्यिक साधना तथा मानवीय मूल्यों के उन्नयन संबंधी रचनाओं ने जनजागरण का वातावरण उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप स्व. शमशेर सिंह आदि लोगों ने मिलकर चक्रधर गौशाला की स्थापना किये, जो आज पर्यन्त तक संचालित है। इसी कालावधि में राजा ने मालगुजारों पर पट्टाबंदी नियम थोपा। इस नियम के खिलाफ असंतुष्ट मालगुजारों ने विद्रोह कर दिये तथा नियम में संशोधन के माँग करने लगे। परिणामस्वरूप लॉर्डिंग के मुकुन्द गुप्ता, ठेगापाली के गौटिया हरि पण्डा को राज्य से निर्वासित कर दिये थे।

तृतीय चरण - महात्मा गाँधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन से प्रेरित

होकर रायगढ़ के विमलेश्वर शंडंगी, मनोहर प्रसाद मिश्र, बंशीधर त्रिपाठी, अम्बालाल मेहता इत्यादि कार्यकर्ताओं ने एक सेवी संगठन तैयार कर उसके माध्यम से समाज कार्य करने लगे। इसी अवधि में श्री मनोहर प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ नामक पत्र का प्रकाशन किये। इस समाचार पत्र के माध्यम से श्री मिश्र ने रायगढ़ जिले में जनजागृति की लहर पैदा किये। अतः समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने नियमित रूप से कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम में दर्शक के रूप में शरीक होते रहे।

सन् 1925 में शासन द्वारा स्टेट वाजीवुल अर्ज में किसानों के अधिकार संबंधित परिवर्तन किया गया। इस वाजीवुल अर्ज में गौटियों ठेकेदार घोषित किया गया था तथा किसानों के हक हकूक कम कर दिये गये थे। गाँवों के गौटियों असंतुष्ट थे ही, किसानों में असंतुष्ट की भावना फैल गया। गौटियों और किसानों ने मिलकर वाजीवुल अर्ज में संशोधन की माँग को लेकर अपील किये, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। इसी अवधि में सारंगढ़ रियासत में नागरिकों से वसूल किये जाने वाले चरी नामक कर के विरोध में परसाडीह के गौटिया दानीराम पटेल ने जंगल सत्याग्रह किया तथा बारलोन के लिये जनता से लिये जाने वाले चंदे के संबंध में निर्णय लेने के लिये एक बड़ी सभा का आयोजन किये। यद्यपि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तथा अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल हुये।

श्री बंशीधर त्रिपाठी एवं तीरथ राम थवाईत की प्रेरणा से 1930-31 में गांजा चौक में स्थित गोपाल मंदिर के एक मकान में खादी भंडार की स्थापना किये, जो राजनैतिक चर्चाओं एवं गोष्ठियों का केन्द्र बन गया। इन दिनों युवकों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। खादी भंडार का कार्य जोरों से चलने लगा। जगह-जगह सूत कताई और बुनाई की शिक्षा दी जाने लगी। पुलिस शंका हो गया तथा इसके कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर नाना प्रकार के प्रलोभन देकर पूछताछ कर तहकीकात किया जाने लगा। इसी कालावधि में लखीराम अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संगठित किया। जब सरदार भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फाँसी की सजा देने की घोषणा की गयी तब लखीराम अग्रवाल के प्रेरणा नटवर हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झण्डे लेकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जंगी प्रदर्शन किया और झण्डे फहराये गये, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी। रियासती शासन ने

खादी भंडार को दमनात्मक कार्यवाही कर बंद करा दिया। किन्तु नवयुवकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इन नवयुवकों जिनमें प्रमुख रूप से किशोरीमोहन त्रिपाठी, फूलचन्द श्रीवास्तव, शारदा प्रसाद नायक, नारायण लाल श्रीवास्तव, नटवर बेहरा ने श्री मनबोध प्रसाद की अध्यक्षता में सन् 1931 में इन्हीं खदर भंडार से रायगढ़ नगर का प्रथम राष्ट्रीय जुलूस निकाला जो शहर के तमाम सड़कों से गुजरते हुए केलो नदी के कोष्ठापारा में स्थित हीरालाल पचरी नामक घाट में एक सभा के रूप में तब्दील हो गया।

उक्त अवसर के तुरंत पश्चात् रायगढ़ नगर में कृष्ण कुमार तथ बट्ट मियों के नेतृत्व में खादी भंडार के सामने तथा सोनारपारा चौक में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी। गांधीजी के नमक सत्याग्रह और दाण्डी यात्रा का प्रभाव जिले के कृषक वर्ग पर भी पड़ा तथा कृषक वर्ग अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिये। सारंगढ़ रियासत में श्री जगताराम एवं उनके सहयोगियों के नेतृत्व में सत्याग्रह के समर्थन में सभा का आयोजन कर जंगल सत्याग्रह किये। जिसके कारण धनीराम, कुवंरभान और जगताराम को गिरफ्तार कर लिया गया।

सन् 1930-33 के बीच रायगढ़ के नवयुवकों का सम्पर्क कुछ क्रांतिकारियों से हुआ, इनके सम्पर्क में रहकर तीर धनुष चलाना, हथगोले बनाना आदि कार्य सीखे। वायसराय जब कलकत्ता की ओर गुजर रहे थे, तब इन क्रांतिकारियों को नजरबंद कर कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसी कालखंड के बीच जनजागृति के उद्देश्य से फजल हुसैन, अब्दुल सत्तार, महफूज रहमान इत्यादि शिक्षित युवकों ने यंग मैन्स एसोशियेशन नाम की एक संस्था का गठन किये। इस संस्था के सदस्यों ने मस्जिद चौक में यंग मैन्स पुस्तकालय की स्थापना किये। नटवर लाल बेहरा पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्य किये। युवकों ने स्वप्रेरित होकर अपने अपने घरों से पुस्तकें, तथा पत्र-पत्रिकाएँ एकत्रित कर जमा किये। इन्हीं दिनों बेरोजगार नवयुवकों ने बेगार संघ की स्थापना किये। कुछ नवयुवकों ने प्रेम मंदिर नाम के एक संस्था की स्थापना किये। बंदे अली फातमी के सदर बाजार स्थित दुकान में इन नवयुवकों की साहित्यिक गोष्ठियाँ के नाम पर राजनैतिक चर्चाएँ गुप्त रूप से होती थी। इन्हीं चर्चाओं में बाबूलाल मिश्र से प्राप्त प्रेरणा से एक हस्तलिखित मासिक पत्र कमल के प्रकाशन संभव बना।

सन् 1937-38 में स्व. वंदे अली फातमी एवं श्री अमरनाथ तिवारी ने खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर एवं जबलपुर से प्रकाशित शुभचिंतक समाचार पत्र में लेख प्रकाशित करने के कारण रियासती शासन के कोपभाजन बने। शाही गुण्डों ने फातमी को इण्डों से मारकर मृतप्राय एवं बेहोश कर दिये। वहीं श्री अमरनाथ तिवारी जी को महल के भीतर ले जाकर लात घूसों से पिटाई किये तथा मरा हुआ समझकर महल के अंधेरे कमरे में डाल दिये। नवयुवकों ने उनकी पत्नी मनोरमा देवी तिवारी के नेतृत्व में साहस का परिचय देते हुये श्री तिवारी जी को महल के भीतर से जिन्दा निकाल लिये। इसी अवधि में सुभाष चन्द्र बोस से श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, श्री अमरनाथ तिवारी इत्यादि कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में मिलकर राजनीतिक चर्चाएँ किये। राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी के खिलाफ राज्य शासन ने राजद्रोह का मामला तैयार कर लिये, किंतु त्रिपाठी जी के राजमहल में ट्यूटर होने के फलस्वरूप मामला क्रियान्वित नहीं हो सका।

इन्हीं दिनों रायगढ़ के टाउनहाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माखन लाल चतुर्वेदी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 'में रियासतों को कुम्भीपाक नर्क समझता हूँ'। इस वक्तव्य का नवयुवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा राजनैतिक गतिविधियों में उत्साह से भाग लेने लगे।

जिले के मालगुजारों ने सन् 1938 में प्रजा मंगल समाज के नाम से एक संगठन बनाया। इसका नेतृत्व श्री मनोहर प्रसाद, वृन्दावन मिश्र, सुदर्शन पण्डा, कान्हाई पण्डा आदि कर रहे थे। मालगुजारों को संगठित होते देखकर कृषक वर्ग जिनमें प्रमुखतः रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, फजल रहमान, रुपचंद पुरसेठ आदि किसानों ने किसान सभा नाम के एक संस्था की स्थापना किये। पर ये संस्था जनहित में कोई कार्य करता, इसके पूर्व ही संस्था बंद हो गया।

इसी कालखंड में रायगढ़ के विद्याचंद लाल वर्मा, वारेन्द्र नाथ बनर्जी, बन्दे अली फातमी, किशोरीमोहन त्रिपाठी, नटवर बेहरा, सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी इत्यादि जागरूक नागरिकों ने बिहार भूकम्प पीड़ितों तथा महानदी बाढ़ पीड़ितों की सहायता किये।

सन् 1942 में महात्मा गाँधी के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम चलाया गया। इस आंदोलन की जबरदस्त प्रतिक्रिया रायगढ़ में भी देखने को मिला। स्थानीय नटवर स्कूल के विद्यार्थियों के जोश भरे नारों, जुलूस, चलित हड़ताल, जनता में नये उत्साह पैदा किये। इसी दरमियान रायगढ़ काँग्रेस को श्री श्यामनारायण काश्मीरी, प्रो. जय नारायण शास्त्री, सेठ गोविन्द दास तथा श्री दाण्डेकर आदि काँग्रेसी तथा समाजवादी ग्रुप के महान नेताओं ने अपना सहयोग एवं समर्थन दिये। इन्हीं दिनों सारंगधर दास जी झारसुगड़ा आये हुये थे। उनसे अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद् में स्टेट काँग्रेस को सम्बद्ध कराने के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु आमंत्रित कर लाने के लिये श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा नटवर बेहरा झारसुगड़ा गये। वे उन्हें साथ लेकर आये। बिचार विमर्श के बाद कटक में आयोजित पूर्वी देशी राज्य परिषद् की आंचलिक बैठक में सम्मिलित होने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल को कटक भेजने का निर्णय लिया गया। अतएव निर्णयानुसार श्री सिद्धेश्वर गुरु, रामकुमार अग्रवाल आदि नेताओं ने कटक में आयोजित पूर्वी देशी राज्य परिषद् की आंचलिक बैठक में रायगढ़ स्टेट काँग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में इस्टर्न स्टेट एजेन्सी के क्षेत्रीय काँसिल का गठन किया गया। क्षेत्रीय काँसिल के अध्यक्ष पद पर सारंगधर दास जी निर्वाचित हुये तथा रायगढ़ के चार प्रतिनिधि- श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, बैद्यनाथ मोदी, पैतराम पटेल, तथा विद्याचन्द्र लाल वर्मा सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये। इस काँसिल में छत्तीसगढ़ अंचल से राजनांदगांव के धन्ना लाल जैन तथा रायगढ़ के श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस तरह अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद् में रायगढ़ स्टेट काँग्रेस सम्बद्ध हो गया।

15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे देश को आजादी मिली और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। भारत में सर्वत्र उत्साह के साथ जश्न मनाया गया। रायगढ़ जिलावासियों ने यह उत्सव मनाया, परंतु उन्हें अब भी प्रजातंत्रात्मक शासन का इंतजार था। यह ऐतिहासिक दिन 15 दिसम्बर 1947 को आया, जब रायगढ़ नरेश और छत्तीसगढ़ के 13 अन्य नरेशों ने नागपुर में सरदार पटेल के समक्ष भारतीय संघ में विलय के लिये विलिनीकरण पत्र में हस्ताक्षर किये।

इस तरह रायगढ़ स्टेट काँग्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका देशी राज्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से निभायी, जो रायगढ़ के इतिहास में युगान्तरकारी घटना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन, बालचन्द्र, उत्कीर्ण लेख।

2. रायगढ़ जिला गजेटियर।
3. देशबंधु, दैनिक समाचार पत्र।
4. अग्रवाल, रामकुमार, रायगढ़ और स्वाधीनता की लड़ाई।
5. जनकर्म दैनिक समाचार पत्र(दीपावली विशेषांक)।
6. अभिलेखागार (रायगढ़ जिला कार्यालय से प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची)।
7. श्रीवास्तव, रीतू - स्वाधीनता आंदोलन में बिलासपुर संभाग के रियासतों की भूमिका,
8. मिश्रा, चितरंजन, फ्रीडम स्ट्रगल इन संबलपुर।
9. फारेन डिपार्टमेंट (इन्टरनल ए) प्रोसिडिंग्स, जनवरी 1885,।
10. फारेन डिपार्टमेंट प्रोसिडिंग्स, सितम्बर 1886,।
11. राहगीर, अमीरचंद- राजनैतिक चेतना एवं किसान आंदोलन-एक झलक (मध्यप्रदेश रजत जयंती समारोह 1981), रायगढ़ जिला स्मारिका।
12. दरबार ऑफिस रायगढ़ स्टेट्स ईएसए दरबार नोटिफिकेशन न. 1234।
13. फारेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट सिंक्रेट फाइल न. 643 (1)पी, 1932।
14. शर्मा, कमलनयन - रायगढ़ दर्शन।
15. अभिलेखागार (रायगढ़ जिला कार्यालय से प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची)।
16. शुक्ला, अशोक, छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन।
17. मध्यप्रदेश संदेश 1987।
18. प्रोगेसिव, रायगढ़ (साप्ताहिक हिन्दी अंक),
19. काश्मीरी, श्यामनारायण, छत्तीसगढ़ क्रांति की लपटों में।
20. दरबार ऑफिस, रायगढ़ स्टेट ई.एस.ए.दरबार नोटिफिकेशन न. पी. 3-1, 1947

Scholastic Achievement In Relation To Self Concept of B.Ed. Student Teachers of Mandsaur & Neemuch District

Dr. Nisha Maharana * Yogita Somani **

Abstract - This study correlated the Scholastic achievement and self concept B.Ed. Student Teachers. The sample was 200 B.Ed. student teachers (100 males and 100 females) from Mandsaur and Neemuch District. For assessing the scholastic achievement of student teachers percentage of graduation marks was used and for self concept, Self concept Inventory for Adults developed by Dr. Beena Shah was used. The results revealed that Scholastic achievement and self concept are significantly related to each other. Thus Scholastic Achievement and Self Concept of male and female B.Ed. student teachers are dependent of each other.

Keywords - Scholastic Achievement, Self Concept.

Introduction - Achievement high standards are considered as a powerful symbol and way of life. The word 'achievement' is generally applied to academic status of a child in different subjects or as a whole in term of academic achievement. It means what the pupil has learnt in different subjects. According to Encyclopedia of Psychology, "Achievement is a great term for successful attainment of some goal requiring a certain effort." The word achievement implies the act of attaining a desired end or aim or level.

The self is a central point for phenomenologist to explain one's personality. The self or self-concept is an organized, consistent conceptual gestalt composed of perceptions of the characteristics of 'I' or 'Me' to others and to various aspects of life, together with the values attached to these perceptions (Rogers, 1959). As a result of interaction with the environment, a portion of the perceptual filed gradually becomes differentiates into the self. This perceived self (Self-concept) influences perception and behavior. The strong and weak self is an outcome of how one perceives the rest of the world.

The individuals self-concept is he picture of image of himself, his views of himself as distinct from other persons and things. The self-images incorporates his perception of what he really likes (Self-identity) and of his worth as person (Self-evaluation) as well as his aspirations for growth and accomplishment (Self-ideal). He suggested that different types of interactions have quite different consequents with respect to one's self-concept.

(a) Self-Identity -The perception of the physical self is called the body image and appears to form the primitive core of his self-concept. The individuals body image may continue to an important component of his identity and self-concept throughout his life.

(b) Self-Evaluation - As soon as a person achieves a sense of self-identity, he begins to make judgment about himself. Thus, he may evaluate himself as superior or inferior, worthy or unworthy, adequate or inadequate.

(c) Self-Ideal - the individuals self-concept includes not only a sense of personal identity and worth but also aspirations for accomplishment and growth. An individuals image of the person he would like to be or things she should be, is called his ideal.

High achievement in school builds self- confidence which leads to better adjustment with the group. By self, we generally mean the conscious reflection of one's own being or identity, as an object separate from other or from the environment. Self-concept is the cognitive or thinking aspect of self (related to one's self-image) and generally refers to: "The totality of a complex, organized, and dynamic system of learned beliefs, attitudes and opinions that each person holds to be true about his or her personal existence (Purkey, 1988). Self Concept helps the individual in various important moments of life, in judgment, in decision making and in other various situations.

Review Of Related Literature - M &Yeshodhara (2014) studied on Emotional Intelligence and Self Concept of B.Ed. Students. The findings were

1. There is no significant difference between the following categories of B.Ed. students in their level of self concept.
 - (i) Male and female students.
 - (ii) Aided and unaided college students.
 - (iii) Science and Arts subject background students.
 - (iv) Kannada and English medium of instruction students.
 - (v) 21-25 years age and above 25 years age students.
2. There is no significant difference between the following

categories of B.Ed. students in their level of Emotional Intelligence.

- (i) Male and female students.
 - (ii) Aided and unaided college students.
 - (iii) Science and Arts subject background students.
 - (iv) Kannada and English medium of instruction students.
 - (v) 21-25 years age and above 25 years age students.
3. There is no significant correlation between self concept and emotional intelligence of B.Ed. students of Bangalore North Zone.

Gupta, Hemalata (2015) studied on Academic Achievement of B.Ed. Students in Relation to their Emotional Intelligence. Findings were- 1. There is no significant difference in the Emotional Intelligence of male and female B.Ed. students. 2. There is no significant difference in the Emotional Intelligence of Science and Art B.Ed. students. 3. There is significant relation between emotional Intelligence and Academic Achievement of B.Ed. students.

Kumar (2015), studied on Academic Achievement And Self-Concept of Secondary Level Students. The finding were : As workshops, symposia, and public lectures periodically for high school students to equipped them with the needed skills to enhance their self-concept. Counseling centers should be put in placed in all High Schools to help students build their positive self-concept since positive self concept has a strong correlation with academic performance. Teachers and educators must focus on intrinsic motivation which will have greater impact on students in achieving high academic performance in the absence of external rewards. Parents should adopt parenting styles that will enhance motivation and instill high self-esteem in their children in order to help them perform well in school. They should encourage them to be flexible, fearless and perceive the correct knowledge only after scientific and objective investigation.

Statement Of The Problem - Scholastic Achievement In Relation To Self Concept of B.Ed. Student Teachers of Mandasaur and Neemuch District

Objectives Of The Proposed Study

The following were the hypothesis of this study -

- 1. To study the relationship between scholastic achievement and self concept of male B.Ed. student teachers of Mandasaur and Neemuch District.
- 2. To study the relationship between scholastic achievement and self concept of female B.Ed. student teachers of Mandasaur and Neemuch District.

Hypothesis Of The Proposed Study

The following were the hypothesis of this study -

- 1. There is no significant relationship between scholastic achievement and self concept of male B.Ed. student teachers of Mandasaur and Neemuch District.
- 2. There is no significant relationship between scholastic achievement and self concept of female B.Ed. student teachers of Mandasaur and Neemuch District.

Research Methodology - Descriptive survey method

was used in the present study.

Sampling - The sample comprised of 200 students teachers of academic session 2015-17 of regular B.Ed course of four college of education of three districts Mandasaur and Neemuch of Madhya Pradesh. 50 students teachers were selected from each college of education through random sampling. There were 100 male and 100 female student teachers. They were either graduate or postgraduate in different disciplines. The age range of students teachers from 22 to 35 years.

Tools - In this study data related to scholastic achievement and self concept were collected. For assessing the scholastic achievement of student teachers percentage of graduation marks was used and for self concept , Self concept Inventory for Adults developed by Dr. Beena Shah was used.

Procedure Of Data Collection - For the data collection, permission was taken from the principal of College of Education and after that B.Ed. student teachers were conducted. They were told about the objective of the study. For the collection of data, instructions given in tool were followed. The purpose of the questionnaire was explained to Student teachers of B.Ed., they were also requested to follow instruction carefully and they were free to ask about any types of clarification. There was no time limit for the self concept but it had taken about 25-30 minutes approximately. Student teacher's of B.Ed. were free to take as much as time they want to questionnaire. After collecting the data scoring was done with the help of manual. In this way data was collected regarding the variable.

Data Analyses - The data was analyses with the help person correlation coefficient.

Table1: Correlation between scholastic achievement and self concept of male B.Ed. student teachers

	Scholastic Achievement	Self Concept
Academic Achievement		
Pearson Correlation (r)	1	.25*
Sig. (2-tailed)		.01
N	100	100
Self concept Pearson Correlation	.25*	1
Sig. (2-tailed)	.01	
N	100	100

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

The correlation coefficient between Scholastic Achievement and Self Concept of is 0.25 whose two tailed significance value is 0.01 which is less than .05. Therefore it is significant at 0.05 level of significance. In this context, the null hypothesis that that "There is no significant relationship between scholastic achievement and self concept of male B.Ed. student teachers of Mandasaur and Neemuch District." was rejected. Thus

Scholastic Achievement and Self Concept are dependent of each other.

Finding - Thus Scholastic Achievement and Self Concept of B.Ed. student teachers of male are dependent of each other.

Table 2 : Correlation between scholastic achievement and self concept of female B.Ed. student teachers

	Scholastic Achievement	Self Concept
Academic Achievement Pearson Correlation (r)	1	.30**
Sig. (2-tailed)		.02
N	100	100
Self concept Pearson Correlation	.30**	1
Sig. (2-tailed)	.02	
N	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

The correlation coefficient between Scholastic Achievement and Self Concept is 0.30 whose two tailed significance value is 0.002 which is less than .01. Therefore it is significant at 0.01 level of significance. In this context, the null hypothesis that that 'There is no significant relationship between scholastic achievement & self concept of female B.Ed. student teachers of Mandsaur and Neemuch District.' was rejected. Thus Scholastic Achievement and Self Concept are dependent of each other.

Finding - Thus Scholastic Achievement and Self Concept of B.Ed. student teachers of female are dependent of each other.

Implications :

1. Academic counsellors should organize guidance programs such as workshop, symposia and public lectures periodically for student teacher of B.Ed. to equipped them with the needed skills to enhance their Self Concept. Teachers and educators must focus on intrinsic motivation which will have greater impact on student teacher of B.Ed. in achieving higher

academic performance. Teacher should encourage student teacher of B.Ed. to make Self evaluation through self rating system.

Suggestion For Further Research

1. A comparative study may be conducted on Academic Achievement, Self Concept of normal school students.
2. Further research is needed to investigate the relationship between academic achievement and self concept in specific academic subjects.
3. Further research could be done to develop programmers for enhancing academic achievement, self concept.

References :-

1. Bharath ,G.: A study of the psychological needs and self concept of adolescents and their bearing on adjustment Ph.D. Abstract Fourth Survey of research in Education (vol.- 1)340., 1995
2. Kumar, Arun : A study of Academic Achievement in relation to study Habits. M.Ed. Dissertation, Punjab University, Chandigarh, 2008.
3. Malini L, A Study of Academic Achievement B.Ed Students Trainees in Relation to their Self concept, EPRA International Journal of Economic And Business Review, Vol-2, Issue – 11 P- ISSN – 2349-0187 , November 2014.
4. Mavi, N.S.: Academic Achievement in relation to selected personality variable of tribal and adolescents. Experiments in education, the S.I.T.U. Council of Education Research, no.3, Trust link street, Mandavelipakhan Chennai.1997.
5. Pandith, Aqueel Ahmad : A study of self concept, level of aspiration and academic achievement of physically challenged and normal students at secondary level in District Baramulla. A dissertation submitted to University of Kashmir, 2011.
6. Parkeel,D. L. : A comparative study of the self concept of the adolescents studying in central school, state Government schools and private schools in Rajasthan, Fifth Survey of Educational Research, New Delhi, NCERT, 1990.

मानवता एवं शौर्य के प्रतीक छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह (बिंझवार जनजातीय के विशेष संदर्भ में)

मंजू साहू*

प्रस्तावना - देश के अधिकांश भागों की तरह छत्तीसगढ़ भी 1857 ई. के विद्रोह की घटना से प्रभावित हुआ तथा यहां भी सिपाहियों के विद्रोह के अतिरिक्त सोनाखान की घटना भी हुई। जब 1854 ई. में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तब यहां किसी विद्रोह की सूचना नहीं मिली, पर बाद में ब्रिटिश अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण यह शांतिमय क्षेत्र भी आंदोलित हो उठा। उत्तर भारत में विप्लव फैलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह की आग की लपटें पहुंची। यहां का विद्रोह संगठित रहा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यही कारण है कि इस घटना (1857 का विद्रोह) से रायपुर शहर ही प्रभावित हुआ। दूरस्थ क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। वास्तव में यहां की घटना के लिए प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही उत्तरदायी था। रायपुर में अशांति ने अतिरिक्त सहायता की मांग की फलस्वरूप सेना की अतिरिक्त टुकड़ी रायपुर भेज दी गयी। ऐसे ही समय में छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी 'वीर' था- 'नारायण सिंह'। इनको 10 दिसम्बर 1857 ई. को फांसी दे दी गई। जिस चौक पर उन्हें फांसी दी गई वह आज जय स्तंभ चौक के नाम से प्रसिद्ध है।

वीर नारायण सिंह का परिचय - सत्रहवीं सदी में सोनाखान राज्य की स्थापना की गई थी। इनके पूर्वज सारंगढ़ के जमींदार के वंशज थे। सोनाखान का प्राचीन नाम सिंघगढ़ था। कुरूपाट डोंगरी में युवराज नारायण सिंह के वीरगाथा का जिंदा इतिहास दफन है। वीर नारायण सिंह का जन्म सन् 1795 में रायपुर जिले के बलौदाबाजार तहसील के सोनाखान नामक स्थान में हुआ था। सोनाखान के जमींदार बिंझवार जाति के थे। यह जमींदारी क्षेत्र कलचुरियों की बिलासपुर शाखा के अंतर्गत आती थी, किन्तु वर्तमान में यह रायपुर जिले में आती है। 1855 ई. में अंग्रेजी शासन के आरंभ के समय यहां के जमींदार वीर नारायण सिंह थे जो जमींदार रामराजे के पौत्र तथा जमींदार रामराय के पुत्र थे। वीर नारायण सिंह जी ने 35 वर्ष की आयु में अपने पिता रामराय की मृत्यु के बाद 1830 ई. में जमींदारी का कार्यभार ग्रहण किया। सन् 1854 ई. में अंग्रेजी राज्य में विलय का विरोध करने के बाद रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट सेटक राव बन गया।

वीर नारायण सिंह की वीरगाथा - कुरूपाट डोंगरी में युवराज नारायण सिंह के वीरगाथा का जिंदा इतिहास दफन है। युवराज नारायण सिंह के पास एक घोड़ा था, जो कि स्वामी भक्त था। वे घोड़े पर सवार होकर अपने रियासत का भ्रमण किया करते थे। भ्रमण के दौरान एक बार युवराज को किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि सोनाखान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रहा है जिसके चलते प्रजा भयभीत है। प्रजा की सेवा करने में तत्पर नारायण सिंह ने तत्काल तलवार हाथ में लिए नरभक्षी शेर की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही पल में शेर को ढेर कर दिए। इस प्रकार वीर

नारायण सिंह ने शेर का काम तमाम कर भयभीत प्रजा को निःशंक बनाया। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर की पदवी से सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद से युवराज वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए।

वीर नारायण सिंह तथा स्वतंत्रता आंदोलन- वीर नारायण सिंह जनहितकारी कार्यों में रूचि रखते थे। इसलिए वे अपनी प्रजा में लोकप्रिय हो गए। दुर्भाग्यवश 1856 ई. में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। लोगों की जान की रक्षा के लिए उन्होंने कसडोल के एक व्यापारी माखन सिंह के गोदाम का अनाज (अगस्त 1856 ई. में) उठाकर अपनी भूखी जनता को भीषण अकाल के कारण दाने-दाने के लिए तरस रही थी, उनमें बांट दिया। इस घटना की शिकायत उस समय डिप्टी कमिश्नर इलियट से की गई। वीर नारायण सिंह को जैसे ही शिकायत की भनक लगी, उन्होंने कुरूपाट डोंगरी को अपना आश्रय बना लिया। ज्ञातव्य है कि कुरूपाट गोड़, बिंझवार राजाओं के देवता हैं। अंततः ब्रिटिश सरकार ने देवरी के जमींदार जो नारायण सिंह के बहनोई थे के सहयोग से छलपूर्वक देशद्रोही व लुटेरा का बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया। उनको रायपुर के जेल में डाल दिया गया। इसी समय अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ई. को विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह की अग्नि रायपुर की सेना में भी धधक रही थी। पूरे दस माह चार दिन जेल में रहने के बाद वीर नारायण सिंह 20 अगस्त 1857 ई. को रायपुर जेल से भाग निकले। ऐसा कहा जाता है कि वीर नारायण सिंह रायपुर स्थित सेना के सहयोग से भाग निकलने में सफल हुए थे।

वीर नारायण सिंह की सेना - जेल से फरार होने के पश्चात श्री वीर नारायण सिंह सोनाखान पहुंचे और उन्होंने तुरंत 500 सैनिकों की एक सेना बनाई। इन सैनिकों को महज मजबूत संगठन और कुशल नेतृत्व की जरूरत थी। यह खबर जब रायपुर के डिप्टी कमिश्नर स्मिथ के पास पहुंची तो डर के कारण उसकी हालत खराब हो गयी। स्मिथ ने वीर नारायण सिंह के खिलाफ सैनिक तैयारी आरंभ कर दी। लगभग 21 दिन इस तैयारी में लग गए। 20 नवम्बर 1857 ई. को सुबह अंग्रेजों की सेना सोनाखान के लिए चल पड़ी। यह सेना पहले खरौद पहुंची, यहां पुलिस थाना था। डिप्टी कमिश्नर स्मिथ इतना सहम गया था कि वहां पहुंचते ही उसने कटगी, भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदारों को उसने सहायता के लिए बुला भेजा। 26 नवम्बर को स्मिथ को नारायण सिंह का एक पत्र मिला जिसे स्मिथ ने पास बैठे एक जमींदार को पढ़वाया। पढ़ते ही स्मिथ गुरसे से आग बबूला हो उठा। 28 नवम्बर तक स्मिथ तैयारी करता रहा। 29 नवम्बर के दिन सुबह होते ही स्मिथ की फौज सोनाखान के लिए रवाना हो गई। स्मिथ इतना भयभीत था कि उसने रायपुर से जो सैनिक बुलवाए थे उनकी संख्या 50 थी

तथा वे सभी अंग्रेज थे।

वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा – अंग्रेजों की सेना में 80 बेलदार थे जो भारतीय थे। इन 80 बेलदारों को जब पता चला कि उन्हें सोनाखान के जमींदार पर आक्रमण करना है, तब 30 बेलदार इस लक्ष्य से हट गए। युद्ध के दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलीं, किंतु थोड़ी ही देर में वीर नारायण सिंह की सेना की, गोलियां खत्म हो गयीं तथा वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वीर नारायण सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा अंग्रेज न्यायाधीश ने इनको मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। 10 दिसम्बर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को रायपुर नगर के स्थित चौक में फांसी की सजा देकर प्राण दण्ड दिया गया।

वीरनारायण सिंह को रायपुर में फांसी देने के पश्चात् उनके शव को तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार से भारत माता के सच्चे सुपुत्र देशभक्त की जीवन लीला समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीरनारायण सिंह को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। रायपुर में इस अमर शहीद की स्मृति को चिर-स्थायी बनाने के लिए इस चौक का नाम जय स्तंभ चौक रखा गया।

इनके सम्मान में छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग ने उनकी स्मृति में पुरस्कार की स्थापना की है, इसके तहत राज्य के अनुसूचित

जनजातियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को दो लाख रुपये की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

उपसंहार – इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का यह प्रथम, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। जय स्तंभ चौक आज भी वीर नारायण सिंह का यशगान करते हुए स्थित है। वीर नारायण सिंह के विषय में हम कह सकते हैं कि वीर नारायण सिंह में मानवता शौर्य की प्रतीक साहस एवं उत्साह कुट-कुट कर भरी थी। वीर नारायण सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम पल तक अपने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इस तरह से उन्होंने आदिवासी जनजातीय के लिए स्वर्णिम इतिहास लिख दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता, मदनलाल- छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन।
2. यदु, हेमू- छत्तीसगढ़ की अस्मिता।
3. शुक्ल, सुरेश चन्द्र - छत्तीसगढ़ का इतिहास।
4. वर्मा, भगवान सिंह- छत्तीसगढ़ दर्शन।
5. देव, अभयप्रताप- छत्तीसगढ़ के सामंती इलाकों में जनजागृति।
6. शर्मा, अरविंद- छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास।
7. त्रिपाठी, संजय- छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ।

उत्तररामचरितम् में जीवविज्ञान

डॉ. वेद प्रकाश मिश्र * रीना देवांगन **

शोध सारांश - भवभूति संस्कृत साहित्य के मुर्धन्य कवियों में एक है। नाटककार की दृष्टि में कालिदास के बाद इनका स्थान माना जाता है भवभूति प्राकृतिक तत्वों एवं जीव तत्वों में मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त करने वाले अद्वितीय माने जाते हैं। मानव इस भूलोक का एक मात्र मननशील, चिन्तनशील प्राणी है, जो अपने चिन्तनशील प्रकृति के कारण एक ओर प्रकृति के आधारभूत रहस्यों को समझने का प्रयास किया सुक्ष्म, स्थूल, कोमल, भयंकर, नगर और वन मानव और मानवेत्तर आदि सभी प्रकार के जीवों का चित्रण इनके नाटक में विद्यमान है तथा तीनों नाटकों में उत्तररामचरितम् सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। इनकी जीव विषयक विशेषताएँ अनंत है अतः महाकवि भवभूति द्वारा वर्णित जीवों के वर्णन का न केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु जीव विज्ञान की दृष्टि से भी अधिक महत्व है।

महाकवि भवभूति ने जीव जगत के जीवों, पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों आदि का अपने नाटक उत्तररामचरितम् में वृहद चित्रण प्रस्तुत किया है जो हमें जीव-जन्तुओं एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अभिप्रेरित करती है, अतः इस शोध पत्र में जीव विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया जायेगा ताकि प्रकृति एवं जीव-जन्तुओं का विनाश एवं हास्य के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न किया जा सके।

उत्तररामचरितम् में जीव-विज्ञान - जीवधारियों को आधुनिक वैज्ञानिक युग में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। सामान्यतः जीवधारियों को तीन भागों में विभक्त किया गया है-

- (1) पशु जगत
- (2) पक्षी जगत
- (3) कीट पतंग आदि।

महाकवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में भी जीव जगत को इन्हीं तीन श्रेणियों में विभाजित कर उनके भेदों, उपभेदों पर विचार किया है अतः जीव-विज्ञान का वर्णन उत्तररामचरितम् में महाकवि भवभूति ने इस प्रकार किया है-

(1) पशु जगत - पशु जगत के अंतर्गत उन वन्यप्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका सम्बंध मानव के साथ प्राचीन समय से ही है जैसे- अश्व (घोड़ा), गजराज (हाथी), मृग (हिरण), व्याघ्र शेर, भालू, बैल, बछिया आदि जिनमें से कुछ वन्यप्राणी पालतू भी हैं, जिनके साथ मानव का मित्रतापूर्ण व्यवहार एवं सम्बंध रहा है जिसका चित्रण उत्तररामचरितम् में इस प्रकार किया गया है-

अश्व (घोड़ा) - अश्व के अनेकानेक वर्णन संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। वेदों में अश्व के लिए अक्रः, अश्वः, मयाः, हयाः वाजिन, सप्ती आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह पशु बुद्धिमान एवं स्वामी भक्त होता है। अश्व प्रायः विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। अश्व मानव का सबसे बड़ा साथी रहा है। यह पशु मुलायम हरी घास तथा चना खाना ज्यादा पसंद करता है एवं यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है।

विश्व के प्रसिद्ध घोड़ों में सिकंदर का अश्व व्यसिफेलस नेपोलियन का मेरेगो घोड़ा उदल का वेदुला घोड़ा, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा प्रसिद्ध रहे हैं तथा ये सदैव अपने स्वामी के प्रबल सहयोगी रहे हैं। महाकवि

भवभूति ने उत्तररामचरितम् में अश्व का वर्णन इस प्रकार किया है—

यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका।

किमुत्तरेभिरधुना वां पताकां हरामि वः। (1)

नेपथ्य से सैनिकों के उत्तेजक वचन सुनकर क्रुद्ध होकर लव कहता है कि यदि तुम लोग यह कहते हो कि कोई क्षत्रिय नहीं है तो उसके उत्तर में मैं यह कहता हूँ कि क्षत्रिय अवश्य है, अतः पृथिवी को राम के प्रतिस्पर्धी क्षत्रियों से रहित जानकर तुम्हारा यह भय दिखाना व्यर्थ है अथवा मेरे इस कथन से क्या लाभ मैं पहिले तुम्हारी विजयपताका के प्रतीक इस अश्व का ही हरण करता हूँ यदि तुममे शक्ति हो तो रोको। इसी प्रकार आगे वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं -

भो भो सैनिकाः जातमवलम्बनमस्याकम्

नन्वेष त्वरितसुमन्त्रनुधमान-

प्रोद्धलगतप्रजवितवाजिना रथेन।

उत्खातप्रचलितकोविदारके तुः

श्रुत्वा वः प्रधानमुपैति चन्द्रकेतुः॥ (2)

अतः यहाँ नेपथ्य से कहा जा रहा है कि हमारे अवलम्बन स्वरूप वह चन्द्रकेतु आप लोगों के युद्ध को सुनकर समीप आ रहे हैं जिनका रथध्वज ऊँचे-नीचे प्रदेशों में चलने के कारण हिल रहा है तथा जो शीघ्रतापूर्वक सुमन्त्र द्वारा हांके गये अतएव दौड़ते हुए वेगशाली घोड़ी वाले रथ पर चढ़े हुए हैं।

गज (हाथी) - महाकवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में गज का वर्णन किया है। पशुओं में गज एक ऐसा पशु है जो वैदिक काल से लेकर अद्यतन काव्यों में अविरल रूप से वर्णित किया गया है। वैदिक वाङ्मय में इसे इभः, गजः, नागः, वारणः शुक्लवन्तः व हस्तिन शब्दों से गज को अभिहित किया गया है।

गज भारत, आफ्रिका, श्रीलंका, वर्मा तथा मालवा में अधिकांशतः पाया

* विभागाध्यक्ष (संस्कृत) डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** एम. फिल्. (संस्कृत) डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

जाता है। भारत में हिमालय की घाटियों मैसूर व आसम के अतिरिक्त गज मध्यप्रदेश के वनों एवं दक्षिण भारत की घाटियों और सुन्दर वन में भी देखे जाते हैं। राजा महाराजा अपनी सेना में गज को महत्वपूर्ण स्थान दिया करते थे।

गज एक शाकाहारी जीव है, यह एक बुद्धिमान पशु है तथा विभिन्न त्यौहारों और उत्सवों पर गज को सजाया जाता है और जुलूस में शामिल किया जाता है। भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में गज का वर्णन इस प्रकार किया है-

**कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन संपातिभिः
धर्म स्तंसितवन्धनेश्च कुसुमै र्वीन्त गोदावरीम्
छायापस्किरणविष्करि मुखण्याकृष्टकीटत्वचः**

कूजत्ववान्त कपोक्षुक्कुलाः कुले कुलायदुमाः॥ (3)

दिवस की कठोरता का वर्णन करती हुई वासन्ती कह रही है कि इस समय गोदावरी के किनारे खड़े हुए वृक्षों से पुष्प, धूप से वृन्तो के शिथिल हो जाने के कारण गोदावरी में गिर रहे हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये वृक्ष अपने पुष्पों से गोदावरी की पूजा कर रहे हों ये वे वृक्ष हैं जिनकी छाल से अपने खाने के लिए हृष से भूमि को कुरदने वाले वायस आदि पक्षियों ने कीड़ों को निकाल लिया है तथा कलख करने वाले थकित कबूतर और मुर्गे जिन पर घोंसले बनाकर रह रहे हैं इन वृक्षों के पुष्प इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि हाथियों ने अपने खुजली वाले कपोल स्थलों को इन पर रगड़ा है अतएव ये हिल रहे हैं।

इसी प्रकार आगे महाकवि कहते हैं कि-

**मुनिजनशिशुरेकः सवन्तः संप्रकोपा-
भव इव रघुवंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः।
दलितकरिकपोल ग्रन्थितंकारधोर-
ज्वलितशरसहस्रः कौतुकं मे करोति॥(4)**

संग्राम में घिरे हुए लव को देखकर चन्द्रकेतु कहता है कि यह अकेला मुनि बालक हमारे उन सैनिकों से घिर गया है जो कि अपने विशाल हाथों के अग्रभागों में अधिक दैद्विप्यमान विकराल शस्त्रसमूहों को धारण किये हुए हैं तथा जो कि बजती हुई स्वर्ण घण्टिकाओं से झन-झनाते हुए रथों पर आरूढ़ हैं एवं निरंतर दुर्दिन समान अत्यधिक मदस्त्रावी हाथियों से और भी भयावह लग रहे हैं अर्थात् हमारी सेना के विकराल शस्त्रधारी सैनिकों से झनझनाते हुए रथों एवं मदस्त्रावी हाथियों से यह अकेला बालक चारों ओर से घिरा हुआ है।

मृग (हरिण) - संस्कृत साहित्य में हरिण (मृग) एक सामान्य पशु के रूप में मृग के अनेकानेक वर्णन मिलते हैं। वैदिक वाङ्मय में इसे रूखः कृष्णः पृशत, हरिणः, कुलुंग, पुशती, एणी, रोहित आदि शब्द मृग के वाचक हैं।

मृग उपपरिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें काला मृग व चिकारा आते हैं। संस्कृत साहित्य में बारहसिंगा हैमन्त, सांभर, चीतल, पद्मा, काकड़ा, कस्तुरी मृग चौसिंगा आदि सभी नाम मृग के लिए लिया जाता है। विभिन्न वर्णों में पाये जाने वाले मृग सुन्दर व कोमल प्राणी हैं। छोटी-छोटी पतली चार टांगे सिर पर छोटे-छोटे बड़े विचित्र सींग एवं विशाल सुन्दर नयन मृग की सुन्दरता का राज है। यह एक शाकाहारी जीव है। भवभूति ने हरिण का वर्णन इस प्रकार किया है—

**नीरन्ध्रबालकदलीवनमध्यवर्ति
कान्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते।
अत्र स्थिता तृणमदाद्र वनगोचरेभ्यः**

सीता ततो हरिणकैव विमुच्यते स्म॥(5)

वासन्ती राम से कहती है सधन सुकुमार कदली वन के बीच वर्तमान तुम्हारा यह वही शयन करने का शिलातल है जिस पर बैठकर कभी सीता देवी जंगल के मृगों को तृण खिलाया करती थी अतएव तृणों के लालच से मृग इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार आगे वर्णन करते हैं—

**नीवारीदनमण्डमुष्णमधुरं सद्यः प्रसूतप्रिया-
पीतादभ्याधिकं तपोवनमृगः पर्याप्तमाचामति।
गन्धेन स्फुरिता मनागनुसृतो भक्तस्य सर्पिष्पतः,
कर्कन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यते॥(6)**

यहाँ मृग को देखकर एक तापस बालक दुसरे तापस बालक से कहता है कि देखो यह तपोवन का मृग सद्यः प्रसूता अपनी प्रिया हरिणी से पहले पीने से शेष बचे हुए गरम-गरम और मधुर नीवार-धान्य से बने भात का भांड इच्छानुसार पी रहा है और दुसरी ओर धृत से युक्त भात की वायु द्वारा फैलती हुई सुगन्ध से कुछ-कुछ मिश्रित बेर युक्त पालक आदि साग के पकने की सुगन्धि चारों ओर फैल रही है अर्थात् एक ओर मृग और मृगी भांड पी रहे हैं और दुसरी ओर सागों की पकने की सुगन्धि फैल रही है, आश्रम में सब ओर प्रसन्नता और आनंद दिखलाई पड़ रहा है।

सिंह (व्याघ्र) - सिंह का वर्णन संस्कृत साहित्य में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं वैदिक काल से लेकर आधुनिक साहित्य में सिंह गर्जना सुनने में आती है। सिंह के मृगेन्द्रः, पंचास्यः, हर्यक्षः, केसरी तथा हरिः पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह वन का राजा माना जाता है यह शुद्ध जंगली तथा मांसाहारी पशु है यह बिल्ली परिवार का सदस्य है, यह एक भयानक रोबीला जीव है। भवभूति ने सिंह का उल्लेख द्वितीय अंक में इस प्रकार किया है—

**आत्रेयी- अथ स महर्षि रेकदा माध्यन्दिनसवनाय नदी तमसा मनु
प्रपन्नः। तत्र युग्मचारिणोः कौञ्चयोरेकं व्याधेन वध्यमानं ददर्श।
आकस्मिक प्रत्यवभासां देवी वाचमानुष्टुभेन छन्दसा परिणता
भभ्युदैरयत्।**

**मा निषाद! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः
यत्कौञ्चमिथुनादेक मवधीः काममोहितम्॥ (7)**

आत्रेयी कहती है कि एक बार महर्षि मध्याह्न कालीन स्नान के लिए तमसा नदी पर गये हुए थे। वहाँ जोड़े के रूप में विचरण करते हुए दो कौञ्च पक्षियों में से एक (नर) कौञ्च को व्याघ्र के द्वारा मारा जाता हुआ देखा (तब उन्होंने) अकस्मात् प्रतिभासित एवं अनुष्टुप छन्द में परिवर्तित दिव्य वाणी का उच्चारण किया।

हे व्याघ्र तुम आगामी निरंतर अनेक वर्षों तक भी कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे क्योंकि तुमने जोड़े के रूप में साथ-साथ विचरण करते हुए कौञ्च पक्षियों में से एक नर कौञ्च को मार डाला है, इस अपराध के फलस्वरूप तुम जीवन में चिरकाल तक सुख और शांति न पा सकोगे!

भालू - संस्कृत साहित्य में भालू का वर्णन कहीं-कहीं मिलता है। भालू या रीछ उरसीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है, हालांकी इसकी सिर्फ आठ जातियाँ हैं, इनका निवास पुरी दुनिया में बहुत ही विस्तृत है। यह एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी स्तनी झबरे बालों वाला बड़ा जानवर है। देखने में सभी भालुओं के आम लक्षणों में बड़ा शरीर मोटी टांगे बाजू लम्बा पूरे बदन पर घने बालों और पांव में सख्त नाखून शामिल है। भालू झुण्ड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं इनकी सुंघने की शक्ति तीव्र होती है इसे संस्कृत में

ऋक्ष कहते हैं जिससे रीछ शब्द उत्पन्न हुआ है इसके अलावा जंबु ऋक्षय आदि शब्दों से भी अभिहित किया जाता है। उत्तररामचरितम् में भालू का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

**दधति कुहरमाजामत्र भल्लुकयूना-
मनुरसितगुरुणि स्त्यानमम्बूकृतानि।
शिशिरकटुकषायः स्त्यायते सल्लकीना-
मिभदलित विकीर्णग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः॥(8)**

शम्बूक कहता है कि इस महारण्य की गुफाओं में जो जवान भालू रहते हैं उनके थुत्कारात्मक शब्द गुफाओं में प्रतिध्वनित होने के कारण और अधिक तेज हो जाते हैं ओर यहाँ पर हाथियों द्वारा मर्दित एवं बिखेरी गई सल्लकी लताओं की गाठों के रस की शीतल तीक्ष्ण एवं कषैली गन्ध फैल रही है।

वानर (बन्दर) - वानर के अनेकानेक वर्णन संस्कृत साहित्य में हमें उपलब्ध होते हैं। रामायणकाल में ये राम के परम सहयोगी रहे हैं यह एक मेरुदण्डी स्तनधारी प्राणी है इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलुए छोड़कर सम्पूर्ण शरीर घने रोमों से ढंकी होती है। मेरुदण्ड का अगला भाग पूँछ के रूप में विकसित होता है हाथ पैर की अंगुलियाँ लम्बी निलम्ब पर मांसलगदी हैं। ये स्वाभाव में काफी चंचल एवं उछलकूद करने वाले होते हैं। इनकी अनेक प्रजातियाँ होती हैं ये भारत के कई स्थानों में बहुलायः बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये शाकाहारी होते हैं जो पत्ते, फल आदि खाते हैं तथा इसे वानर, कपि, कपीश, मर्कट आदि नामों से जाना जाता है।

महाकवि भवभूति ने इनका वर्णन अपने नाटक उत्तररामचरितम् में इस प्रकार किया है—

**व्यर्थ यत्र कपीन्दसख्यमपि मे, वीर्य हरीणां वृथा,
प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र, न गतिः पुत्रस्य वायोरदि।
मार्ग यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः
सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये। छासिमे॥ (9)**

सीता के लिए वियोग संतप्त राम कहते हैं कि हे मेरी प्रिये सीता! तुम किस ऐसे अगम्य स्थान पर हो जहाँ पहुँचने के लिए वानरराज सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी व्यर्थ हो रही है, जब तुम प्रथम वियोग में लंका में थी तब मेरे मित्र सुग्रीव ने तुम्हारा पता लगा लिया था पर अब वे भी असमर्थ हैं। वानर सेना का पराक्रम भी उस स्थान पर काम नहीं दे रहा है। समुद्रलंघन करने वाले हनुमान की भी उस स्थान पर गति नहीं है और समुद्र पर पुल बनाने वाले विश्वकर्मा के पुत्र नल भी उस स्थान के लिए मार्ग बनाने में असमर्थ हैं, लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर उस ऐसे किस स्थान पर हे मेरी प्रिये सीता! तुम हो।

(2) पक्षी जगत

मोर (मयूर) - संस्कृत साहित्य में मयूर के विभिन्न वर्णन प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल से ही मयूर के वर्णन की अविरल धारा प्रवाहित होते रहे हैं। मोर के लिए मयूरः, नीलकण्ठ, भुजंग, भुक्, शिखावलः, शिखि, मेघ आदि नामों के उल्लेख किये गये हैं।

मयूर विश्व के अनेक भागों में पाया जाता है, भारत तो मयूरों का घर ही है भारत में राजस्थान, आसाम, हिमालय की तराई, हरियाणा तथा मध्यप्रदेश में मयूरों का बाहुल्य है भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान दिया है।

उत्तररामचरितम् में मयूर का वर्णन प्रथम अंक में इस प्रकार किया गया है—

**सीता- वत्स, एष स कुसुमित कदम्बरूताण्डक्तिर्बर्हिणः कि
नामधेयो गिरिः? यत्रनुभावसौभाग्यमात्र परिशेष सुन्दरश्री मुर्च्छित्वया
प्ररूदितेनावलम्बितस्तरूतल आर्यपुत्र आलिखितः। (10)**

सीता लक्ष्मण से पुछते हैं कि प्रिय! फूले हुए कदम्ब वृक्षों पर ताण्डव नृत्य करने वाले मयूरों से युक्त इस पर्वत का नाम क्या है, जहाँ पर पेड़ के नीचे बहुत रोते हुए तुम्हारे द्वारा संभाल गये दिव्य तेज के सौन्दर्य मात्र से अवशिष्ट, सुन्दर शोभाशाली मुर्च्छित होते हुए आर्यपुत्र चित्रित किए गए हैं। आगे तृतीय अंक में मयूर मयूरी का वर्णन करती हुई वासंती कहती है कि—

**अनुदिवसमवर्धयत्प्रिया ते
यमचिरनिर्गत मुग्धलोलबर्हन।
मणिमुकुट इवोच्छिरवः कदम्बे**

नदति स एष मधूमरवः शिखण्डी॥(11)

महाराज इधर देखिये, यह सामने वर्तमान वही मयूर है जिसे तुम्हारी प्रिया सीता ने जबकि इसके नये-नये सुन्दर चंचल पंख निकलने लगे थे, प्रतिदिन पाला-पोसा था वही अब यह मयूर तारुण्य प्राप्त कर सज्जीक हो गया है और कदम्ब वृक्ष के उपर बोल रहा है। इसके अब ऊँची शिखा भी निकल आई है जो कि मणिजटित मुकुट जैसी प्रतीत होती है।

हंस - भारतीय संस्कृत साहित्य में हंस का स्थान सर्वथा प्रमुख रहा है। वैदिक साहित्य से आज वर्तमान आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी हंस का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में हंस को हंस आतिः आदि शब्दों से अभिहित किया गया है।

हंस विश्व के सभी भागों में पाया जाता है यह अत्यन्त सुन्दर पक्षी है, हंस घास फुस, जड़े, बीज आदि खाता है। हंस के प्रमुख प्रकार- राजहंस, हंस, सबन, बड़ी-बतख, नीलसर, बुडार, सीखपर, चैती, नकटा, लालसर, तिदारी, हंसावर, पसेरा, गल आदि उपलब्ध है।

महाकवि भवभूति ने हंस का वर्णन अपने नाटक के प्रथम और तृतीय अंक में इस प्रकार किया है—

**एतस्मिन् मदकलमल्लिकाक्षपक्ष-
व्याधूतस्फुरदुरूदण्डपुण्डरीकाः
वाष्पाम्भः परिपतनोदगमान्तराले**

सन्दष्टाः कुवलयिनो मया विभागाः॥(12)

राम कहते हैं कि पम्पासरोवर में सुन्दर लम्बे-लम्बे नालदण्डों वाले श्वेत कमल खिलते हैं जिन्हें मद के कारण अस्पष्ट मधुर ध्वनि में बोलने वाले मल्लिकाक्ष हंस अपने पंखों से हिला देते हैं। साथ ही इसमें नीलकमल भी खिलते हैं, इस प्रकार पम्पासरोवर के दृश्य बड़े ही आकर्षक हैं, पर मैं इनको उतने ही समय देख पाता था जबकि तुम्हारे वियोग में बहने वाले आंसुओं के गिरने और निकलने के बीच का अवकाश होता था।

इसी प्रकार तृतीय अंक में वासन्ती राम से सीता का हंस के साथ कितना मधुर संबंध था यह बतलाते हुए कहती है—

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः

सा हंसैः कृतकीतुका चिरमसूद गोदावरीसैकते।

आयान्त्या परिदुर्भनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया

कातयदिर विन्द कुङ्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः॥(13)

वासन्ती कहती है कि महाराज! यह वही लतागृह है जहाँ पर एक बार आप सीता के लौटने के मार्ग पर दृष्टि लगाये हुए अर्थात् उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे और उस समय वह सीता हंसों के साथ क्रीड़ा करती

हुई गोदावरी नदी के बालुकामय तट पर देर तक स्थित रही थी जब वह वहाँ से लतागृह में लौटकर आई और आपको उसने कुछ खिन्नमन सा देखा तब यह जानकर कि कहीं आप उससे नाराज तो नहीं हो गये हैं, इस डर से उसने हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया था और इस प्रकार विलम्ब के लिए आपसे क्षमा याचना की थी। सीता की यह प्रणामाञ्जलि कमल कलिका के समान सुन्दर थी।

कोकिल (कोयल)- संपूर्ण संस्कृत साहित्य में कोयल का स्थान प्रमुख माना गया है। वैदिक साहित्य से अद्यतन संस्कृत साहित्य पर्यन्त कोयल का वर्णन सर्वत्र विद्यमान है। वैदिक साहित्य में कोयल के लिए पिक, कोक आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। अमरकोष में कोयल के लिए वनप्रियः परभृतः, कोकिलः, पिकः का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोयल नेरू दण्डीय उपजगत् के अन्तर्गत पक्षी श्रेणी के भाक-पिक वर्ग के पिक परिवार का सदस्य है।

कोयल अफ्रिका (सहुरा) भारत, मालया, दक्षिण चीन, न्यूगार्इना, इंग्लैण्ड तथा न्यूजीलैण्ड में अधिकांशतः पाया जाता है। कोयल कीए से छोटे आकार का पक्षी है। नर चमकीला और मादा सिलेटी रंग के होते हैं इनका निवास गहरे निकुञ्ज होते हैं। यह घोंसला नहीं बनाती परंतु अपने अण्डों को प्रायः कौवे या अन्य पक्षी के घोंसले में रखकर पालन कराती है।

अतः इसे अत्यंत चतुर पक्षी माना जाता है। आम, जामुन तथा कीड़े-मकोड़े खाने वाला कोयल पक्षी मधुर ध्वनि करता है यह ध्वनि वसन्त माह से शरद ऋतु के आगमन तक सुनी जा सकती है।

अतः महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरितम् में कोकिल का वर्णन इस प्रकार किया है-

गुञ्जत्कुञ्जकुटीर कौशिक घटाधूत्कारवत्कीचक-

स्तम्बाडम्बरमूकमौकुलिकुलः क्रीञ्जाभिधोऽयं गिरिः।

एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलवाभुद्धेजिताः कूजितै-

रुद्धेल्लन्ति पुराणरोहिणतरुस्कन्धेषु कुम्भीनसाः॥(14)

शम्बुक राम से कहता है- देखिये यह क्रीञ्च पर्वत है इसकी अस्पष्ट ध्वनि करने वाली कुञ्ज कुटियों में कोयल रहते हैं और मधुर ध्वनि करते हैं यहाँ के वेलु बांसो की तीव्र ध्वनियों को सुनकर भयभीत हुए कीए बिलकुल चुप हो गये हैं। इस पर्वत पर कोयल मयूर इधर उधर घुमते हैं और कूजते हैं इनके कुंजन से भयभीत होकर सर्प पुराने चन्दन वृक्ष की शाखाओं पर इधर-उधर सरकने लगते हैं ऐसा यह काञ्च पर्वत है।

काक पक्षी - यह कबूतर के आकार का काला पक्षी है जो कर्ण कर्कश ध्वनि करता है। काक उदंड, धूर्त तथा बहुत ही चालाक पक्षी माना जाता है। यह एक विस्मयकारक पक्षी है, इसमें इतनी विविधता पाई जाती है कि इस पर एक कागशास्त्र की भी रचना की गई है। इनकी छः प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं। पूर्वी एशिया में कौवों को किस्मत से जोड़ा जाता है अपने यहाँ मुडेर पर बैठकर काँव-काँव करने वाले कौवे को संदेश वाहक भी माना जाता है। योग वशिष्ठ में काकभुसुंडी की चर्चा है। रामायण में भी सीता के पाँव पर कौवे के चोंच मारने का प्रसंग आया है। भारत में हिन्दू धर्म में श्राद्ध पक्ष के समय कौओ का विशेष महत्व है और इसे काक, काग, वायस, द्रोग, एकाक्ष, चक्री आदि शब्द इसके समानार्थी हैं।

काकपक्षी का उल्लेख भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में इस प्रकार किया है- सीता कहती है कि अहो खिलते हुए नवीन नील कमल के समान श्यामवर्ण, कोमल चिकने शोभाशाली शरीर सौन्दर्य के कारण आश्चर्य से निश्चल पिता के द्वारा जिसकी सुगम सुन्दर शोभा देखी जा रही है और

जिसने अनायास ही शंकर के धनुष को तोड़ लिया है और जिसका मुखमण्डल काकपक्ष से मनोहर है ऐसे आर्यपुत्र चित्रित किये गये हैं।

(3) कीट-पतंग उपजगत्- उत्तररामचरितम् में पशु-पक्षियों के साथ-साथ अन्य कीड़े-मकोड़ों आदि का भी वर्णन प्राप्त होते हैं उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, जिसका हम यहाँ विस्तार से वर्णन करना चाहेंगे-

सर्प - संस्कृत वाङ्मय में सर्प से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। महाभारत में जनमेजय की कथा प्रसिद्ध है। सर्प को अहि, भुजंग, भुजंगम, विशधर, चक्षुश्रव्य, काकोदर, उरग, पन्नगन आदि नामों से जाना जाता है, इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा न इनके पैर होते हैं और न ही कान होते हैं। इनकी आंखों पर पलके नहीं होती ये हवा की आवाज को ही सुन पाते हैं तथा पृथ्वी द्वारा आई हुई आवाज को ही ग्रहण करते हैं। सांप के शरीर पर केचुली होती है जिसके पुरानी होने पर यह छोड़ देते हैं सांपों के अनेक प्रजातियाँ होती हैं। उत्तररामचरितम् में अजगर का वर्णन द्वितीय अंक में इस प्रकार किया है-

निष्कृजस्तिमिताः ऋचित्कचिदपि प्रोच्चण्ड सत्वस्वनाः

स्वेच्छासुप्तगभीर भोग भुजगश्वासप्रदीप्ताब्जयः

सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाभ्रसो यास्वयं

तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यैरजगरस्वेदद्भवः पीयते॥(15)

जनस्थान के सीमाप्रदेशों की ओर देखकर राम कह रहे हैं कि कहीं पर ये सीमाभाग बिलकुल शब्द रहित एवं निश्चेष्ट दिखाई पड़ते हैं और कहीं पर भयानक जंगली-जानवरों के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं कहीं पर अपनी इच्छानुसार विशाल शरीर वाले सर्प सो रहे और सोने पर जो उसके भुख से श्वास निकलते हैं उनसे जंगल में अग्नि प्रज्ज्वलित हो रही है। अतएव गड्डों के भीतर बहुत कम जल रह गया है फलतः गिरगिट प्यास लगने पर, अजगर सर्पों के पसीने की बूंदों को पीते हैं अग्नि लगने से गड्डों का पानी सुख गया है अतएव प्यास लगने पर गिरगिट अजगरों के पसीने को ही पीकर प्यास बुझाते हैं। अग्नि की गर्मी से ही अजगरों को भी पसीना निकल आता है।

उपसंहार -काव्याचार्यों एवं काव्य शास्त्रियों ने काव्य को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, प्रथम- दृश्य काव्य द्वितीय- श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक का प्रमुख स्थान है तथा श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं गीतिकाव्य आदि को शामिल किया जाता है। नाटक में श्रव्य काव्य की अपेक्षा रसास्वाद कराने की अधिक तीव्रता होती है। यही कारण है कि काव्यों में नाटक अधिक रम्य माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य जगत में नाट्य साहित्य का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में प्रकृति एवं जीव जगत के विविध पक्षों का वर्णन किया है। पशु-पक्षियों की प्रकृति की ओर मनोगत स्वाभाविक चेष्टाओं का अधन करके उनकी क्रिडाओं का मनोरम चित्रण करने में महाकवि भवभूति ने सफलता अर्जित की है। उन्होंने पशु जगत, पक्षी जगत तथा कीट पतंग जगत का वृहद् वर्णन किया है जिसमें मनुष्य के साथ उनके घनिष्ट संबंध का चित्रण दृष्टव्य है। इन वर्णनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये वर्णन कवि की सुक्ष्म अवलोकन शक्ति का प्रमाण है।

इस प्रकार उत्तररामचरितम् में जीव जगत एवं प्रकृति के गहन अवलोकन से हम कह सकते हैं कि जीवों के साथ मनुष्य का काफी गहरा संबंध आदिकाल से रहा है जो हमें उत्तररामचरितम् में जीवविज्ञान के अधन से प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उत्तररामचरितम् 4/28
2. उत्तररामचरितम् 5/1

3. उत्तररामचरितम् 2/9
4. उत्तररामचरितम् 5/3
5. उत्तररामचरितम् 3/21
6. उत्तररामचरितम् 4/1
7. उत्तररामचरितम् 2/5
8. उत्तररामचरितम् 2/21
9. उत्तररामचरितम् 3/45
10. उत्तररामचरितम् 1/54 पृष्ठ
11. उत्तररामचरितम् 3/8
12. उत्तररामचरितम् 1/31
13. उत्तररामचरितम् 3/37
14. उत्तररामचरितम् 2/29
15. उत्तररामचरितम् 2/16

Study on Hi-Tech Vegetables Production Trends and Potential Market for Excel Crop Care Ltd.

Tarannum Hussain * Shahbaaz Sheikh **

Abstract - This research study was conducted in Bassi region regarding the study of hi- tech farming practices adopted by farmers of this region. This was also to study perception of farmers towards excel crop care ltd. and to identify market potential for Excel Crop Care Ltd. This study provides the insights on the benefits that individuals and organizations can obtain from Hi-tech farming practices over traditional one. The changing role of technology in Agriculture production could be beneficial, but farmers and organizations are not taking the full advantage of the concept. Thus this paper highlights the penetration of Hi–tech farming practices and potential market for Excel Crop Care Ltd. to build a brand. The impact of Hi- tech farming practices on agriculture production is explored. The research was conducted by using primary and secondary method for collecting data.

Key Words - Hi-Tech farming practices, Agriculture marketing, Penetration, Potential.

Introduction - India is endowed with a wide variety of agro climatic conditions and enjoys an enviable position in the horticulture map of the world. Almost all types of horticulture crops can be grown in one region or the other.

Indian horticulture has been insulated from forces of outside world. Time bound removal of quantitative curbs on imports and other barriers to access to domestic market under WTO, of which India is a signatory, will require Indian horticulture produce/product to be competitive both in the domestic and export market. This would call for use of hi-tech horticulture technologies.

Ensuring the nutritional and aesthetic security of our nation with a population of 122 cr. by the end of 2011, would be a major challenge for the horticulture sector. With shrinking land for agri.-horticulture activity, the sensible option before the nation is to increase further the production level per unit area. Incentive cultivation in hi- tech protected environments with hi-tech production inputs will ensure higher productivity levels. Thus the following are the objectives that inspired the researcher for the study on production trend of hi-tech farmers.

Objectives of the study :

1. To study the agriculture and marketing scenario of Bassi (Jaipur)
2. To study the hi-tech vegetable growers of Bassi (Jaipur)
3. To know farmers perception towards excel crop care ltd.
4. To identify different segments and market potential for excel crop care ltd.

Research Methodology - Exploratory research design has been done in the Bassi tehsil of Jaipur. A total of 500 farmers

and 28 dealers/distributors were surveyed through a structured and pretested schedule. Convenient and Snowball sampling technique was used. Data obtained from the survey was analyzed through appropriate statistical tools and techniques. Many research papers and websites were taken as a medium of reference for obtaining secondary data.

Finding and Analysis - The study was conducted in Bassi tehsil of Jaipur district of Rajasthan. The study was divided into four sections. These section consist of discussion about marketing channels, agricultural scenario, and perception of stakeholders and different market segments of project area for excel's product. The following are the results of it.

1. Agricultural and Marketing Scenario of Bassi

1.1 Agricultural Scenario - The agricultural scenario of Bassi on the basis of data collected from agriculture department comprised of the following:

1. Land statistics of Bassi
2. Area and yield of different vegetables in Bassi
3. Land holding of farmers
4. Cropping patterns adopted by farmers

1.1.1 Land Statistics of Bassi - Total cultivable area of Bassi was 78797 ha. The total irrigated area was 37 per cent of them come under vegetable belt of Rajasthan where the main crops undertaken by farmers were tomato, chilli and wheat. Net cropped area was 54128 ha. as shown in fig 1.1 and table 1.1

Table 1.1: Land Statistics of Bassi (2014-15)

Particulars	Area (ha)
Cultivable area	78797
Net area sown	54128

*Research Scholar, Faculty of Management Studies, M.L.S.U., Udaipur (Raj.) INDIA

** Student, Pioneer Institute of Management, Udaipur (Raj.) INDIA

Gross area sown	79553
Gross area irrigated	28837

source :-Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan




Figure 1.1: Land Statistics of Bassi (2014-15)

1.1.2 Area and Yield of Different Vegetables in Bassi - Tomato, chilli, pea, cucurbits, capsicum were main vegetables in Bassi. Largest area covered by tomato, followed by pea and cucurbits. In case of productivity, capsicum was highest because of protected cultivation as shown in table 1.2 and figure 1.2

Table 1.2: Area and Yield of Different Vegetables In Bassi (2014-15):

Crop	Area (ha)	Yield (kg/ha)
Tomato	2058	3546
Chili	973	2840
Pea	1867	2476
Cucurbit	1615	1400
Cabbage	736	2185
Capsicum (polyhouse)	5	20000
Onion	924	4569

Source:- Dept. of agriculture, Govt. of Rajasthan .




Figure 1.2: Area and Yield of Different Vegetables In Bassi (2014-15):

1.1.3 Land Holding of Farmers - Land holding of different

segments can help to understand the buying capacity of customers. Table 1.3 shows that the farmers were having land holding of 3-4 and 5-6 hectare contribute 47 percent of total land holding.

Table 1.3: Land Holding of Farmers in Bassi: Number of operational holding and area occupied

Holding size	Total holding	
	No.	Area (ha)
1	4084	2872
1-2	4426	6213
3-4	2875	10184
5-10	1548	10814
10 and more	1382	14696
Total	14315	44779

Source:- Directorate of Economics and Statistics Rajasthan

1.1.4 Cropping Pattern Adopted by Farmers - Cropping pattern adopted by farmers in Bassi shown in figure table 1.4

Table 1.4: Cropping Pattern Adopted By Farmers In Bassi

Cropping pattern	Kharif	Rabi	Zyad
Bajra		Wheat /Barley	Forage
Groundnut		Wheat	---
Moong/ moth		Barley	---
Toamoto		Pea	Curcurbits
Chili/capsicum		Pea/Cabbage/Gram	---

1.2 Marketing Scenario

1.2.1 Marketing Channel - Excel Crop Care Ltd. was using three tier Marketing Channel which included carrying and forwarding agents, distributors, dealers/retailers and farmers as shown in fig 4.3




Fig. 1.3 Marketing Channel adopted for Excel's product in the project area

1.2.2 Market Share of Different Agrochemical Brands In Bassi - IIL, was major player in the market. Excel Crop Care Ltd. was having third largest share in all agrochemical brands followed by other brands as shown in table 4.5 and fig 4.4.

Table 1.5 Market share of different agrochemical brands in Bassi

Company	Market share (%)
Excel Crop Care Ltd.	10
Insecticide India Ltd.(IIL)	25
Bayer	19
Crystal	8
Mechethism	9
Cheminova	7
Other	15




Fig 1.4 Market share of different agrochemical brands in Bassi.

2. Hi-Tech Vegetable Growers of Bassi - This section deals with identifying the farmers who were using new technology like polyhouses, drip irrigation and hybrid varieties etc. for the cultivation of vegetables.

2.1 Vegetable Cultivation Techniques - It is cleared from the table 2.1 and fig. 2.1 that 8 per cent hi tech farmers were using protected cultivation, 68 percent farmers were using mix (hi tech and traditional) techniques for the production of the vegetable and remaining 24 percent farmers were using traditional techniques in Bassi .

Table 2.1 Vegetables Cultivation Techniques In Bassi.

Techniques	No. of Farmers	Percentage
Hi tech	40	8
Mix	342	68
Traditional	118	24
Total	500	100




Fig 2.1 Vegetable Cultivation Techniques In Bassi
2.2 Irrigation Techniques Used For Vegetables Cultivation - From table 4.7 and figure 4.6 it can be concluded that out of total respondent (500) majority of farmers (48%) used drip irrigation technique, 44 percent furrow and 8 per cent used sprinkler techniques for the vegetable production in Bassi.

Table 2.2 Irrigation Techniques Used For Vegetables Cultivation In Bassi.

Irrigation Tech.	No. of Farmers	Per centage (%)
Drip	230	46
Sprinkler	30	6
Furrow	240	48
Total	500	100




Fig 2.2 Irrigation Techniques Used For Vegetable Cultivation In Bassi.

2.3 Varieties Used By Farmers - Most of the farmers (76 percent) used high yielding varieties of vegetable and rest of 24 percent farmers used traditional varieties in Bassi as shown in table 2.3 and fig 2.3

Table 2.3: Varieties Used By Farmers In Bassi

Variety	No. of Farmers	Per centage (%)
High Yielding Varieties	380	76
Traditional	120	24
Total	500	100




Fig.2.3 Varieties Used by the Farmers In Bassi.

3. Farmer Perception towards Excel Crop Care Ltd. -

This section deals with understanding the perception of farmers about excel’s products, Likert’s scale was used and analyzed. The parameters on which the gap was identified were price, effectiveness, availability, timely scheme and promotional techniques. For the analysis, ranking average score comparison method was adopted. The rank assigned to each attribute was given in Table 3.1 and Figure 3.1 the ranking average score has been given in Table 3.2

Table 3.1 (see in last page)

Table 3.2: Comparison of Farmers and Dealer’s Perception (Ranked Average Score) Towards The Excel’s Products

Parameters	Ranked average of Farmers perception	Ranked average of Dealers perception
Price	3.7	3.2
Effectiveness	3.0	2.7
Availability	2.8	2.7
Timely schemes	2.4	2.5
Promotional activities	2.4	2.13

Fig 3.1 (see in last page)

(Ranked Average Score) Towards the Excel’s Products.

In Bassi, farmers and dealers perception towards price, effectiveness and availability range from neutral to satisfied and there was dissatisfaction about promotional activities and timely schemes.

1) Excel’s products price - Excel was having average share in market and also seen as most preferred brand which was having 57 percent share in the market, so the prices were medium and farmers were normally satisfied in case of price.

2) Effective Control - Products were effective to control pest and weeds as per the collected data.

3) Availability of Products: Products were having a average availability in the market.

4) Timely Schemes - Company was also giving many farmer schemes time-to-time like Buckets, Sprayers, Nozzles and other many gifts .It was near to neutral.

5) Promotional Activities - Promotion was not good as compared to other competitor brand. From the Figure it can be concluded that very few number of farmers were satisfied with Excel’s promotional activities.

3.1 Farmers Perception towards Best Promotional Efforts.

Farmers perception towards best promotional efforts in Bassi as Shown in Table 3.3

Table 3.3 Farmers Perception towards Best Promotional Efforts In Bassi

Company	No. of Farmers	Farmers perception(%)
Excel	80	16
Bayer	95	19
IIL	120	24
Crystal	35	7
Cheminova	55	11
Mechithism	45	9
Other	70	14
Total	500	100




Figure 3.2: Farmers perception towards best promotional efforts in Bassi.

As shown in Fig 4.9, 24 percent Farmers named IIL, as best in promotion followed by Bayer (19 percent)

3.2 Dealers Perception about Best Promotional Efforts

- According to dealer’s perception about promotion, IIL was the first with 25 per cent, second Bayer and Excel was occupying third position with 14 percent in promotion in Bassi as shown in the figure 3.3 and table 3.4

Table 3.4: Dealers Perception about Best Promotional Efforts

Company	No. of Farmers	Farmers perception(%)
Excel	4	14.28
Bayer	5	17.85
IIL	7	25.00
Crystal	3	10.72
Cheminova	4	14.28
Mechithism	3	10.72
Other	2	07.15
Total	28	100




Fig. 3.3: Dealers Perception about Best Promotional Efforts In Bassi

3.3 Farmers Preferred Promotional Techniques - Company adopted some promotional techniques to promote their products but the perception of farmers was different for these techniques thus, it was necessary to understand farmers preferred promotional techniques.

According to the survey conducted in Bassi, it can be concluded that most of the farmers proffered farmer meetings, free sampling and the field visits as the effective promotional techniques and followed with jeep campaign, demo, media etc as shown in table 3.5

Table 3.5 (see in last page)

3.4 Dealers Preference (%) towards Promotional Techniques - Most of the dealer's proffered free sampling as effective promotional technique which was followed by farmer meetings and field visits as shown in table 3.6

Table 3.6 (see in last page)

In Identifying the buying behaviour of stakeholders (Farmers) there were many factors that affected the buying of pesticides & herbicides by farmers, viz. price, quality, scheme, packaging, brand name and availability.

Farmers preferred quality and price most but availability and packaging had less influence on the buying behavior (Table 3.6)

Table 3.6 (see in last page)

4. Identifying Different Segments and Market Potential for Excel Crop Care Ltd. - This section deals with identifying new segments where Excel's production can be used, which can serve as a new potential area for Excel Crop Care Ltd.

4.1 Segmentation Based on Vegetable Cultivation - In Bassi most of farmers were using mix techniques for the production of the vegetables which covered around 68 percent, 8 percent farmers were using hi tech farming and rest of 24 percent farmers were using traditional techniques for the vegetable production which shown in table 5.1 and fig 5.1

4.1.1 Segmentation of Area Based on Vegetables

It is described in different points as follows:

I. Land Under Vegetable Crops In Different Season

Vegetable crops were having 37 percent area under kharif, 32 percent area under Rabi and 31 percent area under

jayul season at Bassi as shown in Table 5.1 and fig. 5.1

Table 4.1: Land Under Vegetable Crops In Different Seasons In Bassi

Season	Area (ha)
Kharif	3036
Rabi	2603
Jayad	2539
Total	8178




Fig. 4.1: Land Under Vegetable Crops In Different Season In Bassi

II. Area Under Vegetables In Different Villages In Bassi

The major vegetables producing area were Achalpura, Khayatpura, Gokulpura etc. Garh area was famous for rabi season vegetables as shown in table 5.2 and figure 5.

Table 4.2: Area Under Vegetables In Different Villages In Bassi

Name of village	Area of Vegetables (ha)
Bassi	32
Gokulpura	67
Ratanpura	48
Lasadiya gujran	12
Devpura	19
Dindore	47
Damodarapura	41
Nayagawn	34
Dedpura	23
Khatyapura	68
Khajuriya tiwadya	35
Chatarpura	51
Achalpura	78
Virajpura meena	16
Toda	24
Toda bhata	31
Garh	39
Garh ki koti	43
Bande wale ki dani	28
Morandi	34
Roop pura	22
Abhya pura	17
Jasan pura	21
Pelia	46
Samariya	38
Total	914

Conclusion and Recommendation - The agriculture and marketing scenario of Bassi was very suitable for the hi-tech vegetables, as Bassi is having wide market opportunity, regular demand of vegetables, high prices and export conditions for the vegetables throughout the year. Major vegetable crop grown in Bassi were Solanecious, Cucurbits, Pea and onion and cucumber in the green house. Insects, Pest and diseases adversely affect such crops. Thus Bassi have huge potential for Excel crop care Ltd. 8% vegetable growers were hi-tech in this region. Majority (68 %) of the farmers were using mix farming techniques. There is a good opportunity for the company to capture the market. Most of the farmers (76%) in this area were using high yielding varieties of the vegetables. Company can target the remaining one who is using traditional techniques. Farmers were satisfied with the price and quality of the Excel crop care Ltd. But they were dissatisfied with the promotional techniques. Thus company should emphasize upon the promotional techniques to promote the product in new segments. Farmers buying behaviour was influenced by

the quality, brand name and price most. Company should increase dealer distributor and field staff in this area.

References :-

1. Basic Statistics Rajasthan.2016, Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan
2. Gupta, S.L. (1999) Marketing Research Excel Books, New Delhi, pp.297
3. Kothari, C.R. (2006) Research Methods and Techniques, Washwa Prakashan, New Delhi, pp. 461
4. Kottler, Philip (2006) Marketing Management, Prentice Hall of India New Delhi, pp.718
5. Kumar, N. (2003) Estimation of market potential of Agro chemicals for cotton and paddy in different districts of Uttranchal State, MBA(AB) project report(unpublished), IABM, RAU, Bikaner
6. Reddy and N. Shivkumar (2005) Impact Analysis of Promotional activities of Gunjan jewellers in urban and semi urban areas, Indian journals of marketing, 35(11):3-11

Table 3.1: Attributes of Perception for Excel’s Product and Rank Assigned.

Rank assigned	Parameters				
	Price	Effectiveness	Availability	Timely Schemes	Promotion Activities
5	Highly satisfied	Highly satisfied	Highly satisfied	Highly satisfied	Highly satisfied
4	Satisfied	Satisfied	Satisfied	Satisfied	Satisfied
3	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
2	Dissatisfied	Dissatisfied	Dissatisfied	Dissatisfied	Dissatisfied
1	Highly Dissatisfied	Highly Dissatisfied	Highly Dissatisfied	Highly Dissatisfied	Highly Dissatisfied




Fig 3.1: Comparison of Farmers and Dealers Perception

Table 3.5: Farmers Preference (%) Towards Promotional Techniques In Bassi.

Rank	Field Visits	Demo	Media	Jeep Campaign	Farmer meeting	Free Sampling	Wall/Trolley Painting
1	14.8	9.2	8.8	13	25	18.8	10.4
2	10.6	15.2	12.4	14	18	16.4	13.4
3	13.2	11.6	12.8	17.4	17.6	15	12.4
4	11	13.6	15	17.4	11.8	18.4	12.8
5	16.8	19.6	15.8	12.2	10.2	10.2	15.2
6	19.6	16.8	16.4	11.6	9.2	10	16.4
7	14	14	18.8	14.4	8.2	11.2	19.4
Total	100	100	100	100	100	100	100

(per cent was taken from out of 500 farmers)

Table 3.6: Dealers Preference (%) towards Promotional Techniques in Bassi.

Rank	Field Visits	Demo	Media	Jeep Campaign	Farmer meeting	Free Sampling	Wall/Trolley Painting
1	21.5	14.2	3.6	3.6	25	28.5	2.6
2	17.8	17.8	10.7	3.6	21.5	25	3.6
3	14.3	25	7.2	7.2	21.4	14.2	10.7
4	21.4	17.8	10.8	10.8	17.8	14.2	7.2
5	17.8	17.8	14.2	10.8	7.2	10.8	21.4
6	3.6	3.7	28.5	28.5	3.6	3.6	28.5
7	3.6	3.7	25	35.5	3.5	3.7	25
Total	100	100	100	100	100	100	100

Table 3.6: Ranks of Farmers Buying Behavior

Ranks	Availability	Quality	Schemes	Price	Packaging	Brand Name
1	16	25	14.2	21	5.8	18
2	19.6	19	16.8	19	1.2	24.4
3	19.2	16	19.2	17.2	10.8	17.6
4	16.8	15	25.4	14.8	11.6	16.4
5	14.4	14	15.6	14.4	26.8	14.8
6	14	11	8.8	13.6	43.8	8.8
Total	100	100	100	100	100	100




Fig.4.2: Area Under Vegetables In Different Villages In Bassi.

लोक कल्याणकारी राज्य में ईसाई मिशनरियों की भूमिका (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संध्या जायसवाल * पूर्णिमा मानिकपुरी **

शोध सारांश - लोग नंगे रहते थे, खाना बद्देश जिंदगी जीते थे, मिशनरियों ने उनके बीच में जाकर पहले उनकी भाषा सिखते थे उनके विचार, उनकी संस्कृति को समझते थे, उनको कपड़ा पहनाना सिखाते थे, भोजन करना, स्वच्छ रहना सिखाते थे तथा शिक्षा पढ़ना लिखना सिखाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने उद्देश्य अर्थात् यीशु मसीह की शिक्षा को लोगों को सिखाते थे। मिशनरियों ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किये हैं जो सराहनीय हैं तथा उनके कार्यों को भूलाया नहीं जा सकता। हमारे भारत देश में छुआ-छुत रूपी बिमारी पूर्व युग से व्याप्त है जिसे दूर करने का प्रयास भी मिशनरियों द्वारा किया गया आज भी हमारे देश में ऊंच नीच, छुआ-छुत भेद-भाव भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसे दूर करने का प्रयास आज भी बहुत से समाज सेवकों द्वारा किया जा रहा है।

प्रस्तावना - अपने वर्तमान रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख रूप से इस प्रकार परिभाषाएँ की गयी हैं: 1918 में प्रकाशित 'Encyclopaedia of Social Sciences' में लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि 'लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवनस्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है।' लोक कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है। जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन सम्पत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता करने जैसे सिद्धांत पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य लोक हित में कार्य करना नागरिकों को हर प्रकार से सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। उसी प्रकार मिशनरी का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के समान कार्य कर रहा है। मिशनरी के द्वारा सबसे ज्यादा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य में मिशनरी अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। मिशनरी ने कालेजों की स्थापना की और कुछ ही वर्षों के अंदर इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका से आने वाले विभिन्न ईसाई मिशनरी भारत में स्थापित हो गए। उन्होंने शैक्षणिक और लोकोपकारी कार्यों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और भारत के बड़े-बड़े नगरों में कॉलेजों की स्थापना की और उनका संचालन किया।

मिशन का अर्थ होता है योजना, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए योजना का होना आवश्यक है। उसी प्रकार ईसाई मिशनरीयों ने मिलकर मिशनरी की स्थापना की इनकी उत्पत्ति भले ही विदेशों में हुए, परन्तु ये अपने सेवा कार्य को भारत में आकर पूरा कर रहे हैं। भारत में अब तक अनेकों ईसाई मिशनरी का आगमन हो चुका है। जिन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में यहाँ के लोगों की तरह-तरह से सेवाएँ दी हैं। कई मिशनरी के नाम तो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। जिसमें मदर टेरेसा का नाम भी है। जब वे मिशनरी के द्वारा भारत आयी तो यहाँ के लोगों की सेवा

भाव में ऐसी लग गई की कभी वापस न जा सकी और उनकी इन सेवा कार्यों के द्वारा ही उन्हें भारत शासन द्वारा भारत रत्न प्राप्त हुआ। यह सराहनीय बात है कि एवटीविहस्ट (मसीही) न्यायोचित जीवन सामाजिक जीवन में न्याय मानव अधिकारों के हनन एवं अन्याय के क्रूर स्वार्थी पूंजीपति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाते हैं पर यह समग्र मिशनरी सेवा का एक पहलु है। मिशनरी प्रचार, विकास, सेवा, सामाजिक न्याय नवजीवन व संदेश है। इनकी तरह हजारों मिशनरी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जो अत्यंत सरहानीय हैं। इन्होंने भारत में अनेकों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले हैं।

इस अध्ययन के माध्यम से मिशनरी के बारे में लोगों की सोच को जानना तथा मिशनरियों के सेवा कार्यों के बारे में गहराई से अध्ययन करना है। क्या वास्तव में मिशन एक मिशाल है। त्यागपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। बिना किसी लाभ के संपूर्ण भारत, छत्तीसगढ़ तक उनका जो सफर रहा है उसमें इतनी ज्यादा कठिनाई के बावजूद मिशनरी आगे बढ़ रहे हैं और उन्नति करते जा रहे हैं। उन्हें कोई भी प्रकार से जनता एवं सरकार से कोई मदद प्राप्त नहीं है फिर भी वे जनता की ही भलाई के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रेम, त्याग, साहस सेवा भावना इतना ज्यादा विद्यमान है। जो उन्हें लोगों की निःवार्थ सेवा के लिए प्रोत्साहित करता है। ईसाई मिशन और मिशनरियों ने बौद्धिक स्तर पर तो भारतीयों के मशित्क को प्रभावित किया ही साथ ही अपने लोकोपकारी कार्यों (विशेष रूप से चिकित्सा और शिक्षा) से भी ईसाई सिद्धांतों और आदर्शों का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक भारत के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।

31 मई 1868 को अमेरिका की जर्मन इन्हे-जेलिकल मिशन सोसायटी द्वारा भेजे गए, रेव्हु ओस्कर टी लोर रायपुर पहुँचे थे। लोर साहब के बाद अमेरिका के मिशनरी सोसायटी ने कई मिशनरी से सेवक उनकी सहायतार्थ भेजे। सन् 1880 से ही रायपुर में स्थायी रूप से सेवाएँ आरंभ हुई

1. विश्रामपुर में लिथोप्रेस एवं गाँव में चिकित्सा सेवा प्राथमिक स्कूल, कृषि फार्म ईकाई, बोर्डिंग और इण्डस्ट्रीयल स्कूल।
2. धमतरी का मिशन अस्पताल, नार्मल स्कूल, क्रिश्चियन एकेडमी

* विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** एम.फिल. शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

गिरजाघर आदि।

3. बिलासपुर में जैकब मेमोरियल अस्पताल, बर्जेश मेमोरियल गर्ल्स स्कूल (1885 से स्थापित) ब्वाज हाई स्कूल हास्टल एवं जिले के अन्य केन्द्रों में प्राथमिक शालाएं आदि।
4. मुंगेली का प्रसिद्ध मिशन अस्पताल जहाँ विश्व प्रसिद्ध डॉ विक्टर रेम्बो ने कई वर्षों तक सेवा की। इन्हीं महोदय ने भारत के विख्यात अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज वेलोर एवं लुधियाना में ने नेत्र विभाग खोले। मोतियाबिंद के सफल आपरेशन शिविर संचालित विश्व में यह प्रथम है।
5. बैतलपुर चँदखुरी में कुष्ठाश्रम (1897) एक समय इस कुष्ठाश्रम एवं अस्पताल में बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगी मरीजों के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस एवं स्कूल चलाए गए। चांपा एवं शांतिपुर – धमतरी के कुष्ठाश्रम।
6. तिल्दा का मिशन अस्पताल 1929-30 में आरंभ किया गया। यहाँ डॉ0 ई0 डब्ल्यू0 विहरम ने बड़ी सेवा की उनके साथ अन्य मिशनरी डॉ0 एवं भारतीय डाक्टरों ने सेवा दी है।
7. सेंट पाल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल रायपुर 1911 से आज तक।
8. चरसामेर – बलौदा बाजार में विधवा आश्रम।

लोगों के मनो मे यदि मिशनरियों के प्रति कोई भ्रम है, तो वो क्या है। यह जानने के प्रति ध्यान देना तथा उनके भ्रमों को दूर करने का प्रयास करना, इसके लिए उन लोगों से बातचीत करना, साक्षात्कार करना एवं उन सबकी राय जानना, देखना की कौन सी बातें ज्यादा प्रभावशील हैं। वे लोग जो मिशनरियों द्वारा की जा रही सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, क्या वे सचमुच यह मानते हैं की ईसाई मिशनरी उनके लिए एक वरदान है। जो उन्हें समय-समय पर लाभान्वित कर रहा है या वे सिर्फ लाभ प्राप्त कर मौन धारण कर लेते हैं और समय आने पर मिशनरी के प्रति विद्रोह करते हैं। लोगों के दिमाग में मिशन के प्रति कई भ्रान्तियाँ हैं। लोग ईसाई मिशनरियों को धर्मान्तरण एवं भ्रमित करने वाला समुदाय के रूप में देखते हैं। इन सब बातों में कहां तक सत्यता है या केवल लोगों का भ्रम है, जबकि मिशनरी भारत देश के कोने-कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी छत्तीसगढ़ में भी जन साधारण की मदद कर रहे हैं। बाढ़ एवं सूखा के समय भूखो, गरीबों, भूमिहीन मजदूरों, बच्चों और महिलाओं को पका हुआ अनाज, भोजन वितरित कर राहत पहुंचाते हैं।

हमारे भारत देश में बहुत पहले से विदेशी मिशनरी आते रहे हैं, मिशनरी कुछ खास उद्देश्य को लेकर भारत आते रहे हैं, उनका आने का मुल उद्देश्य बाइबल में लिखी बातों (मन्ती 28 : 18 : 20) जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को उस अच्छी बातें सुसमाचार को बताओ जो मैंने (यीशु) ने अपने जीवन काल में लोगों को शिक्षा दिये, उस समय के लोगों के लिए जन कल्याण किये उन बातों को मानना सिखाओ, पिता-पुत्र और पवित्रात्मा के

नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, को बताना एवं सिखाना। इस उद्देश्य को पुरा करने के लिए मिशनरियों ने कठिन परिश्रम करते हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ कर इस्तेमाल कर रोगी, दुःखी अंधविश्वास कु-रीति, अनैतिकता, अज्ञानता, नास्तिकता को दूर करने का प्रयास करते रहे।

लोग नंगे रहते थे, खाना बर्दोश जिंदगी जीते थे, मिशनरियों ने उनके बीच में जाकर पहले उनकी भाषा सिखते थे उनके विचार, उनकी संस्कृति को समझते थे, उनको कपड़ा पहनाना सिखाते थे, भोजन करना, स्वच्छ रहना सिखाते थे तथा शिक्षा पढ़ना लिखना सिखाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने उद्देश्य अर्थात यीशु मसीह की शिक्षा को लोगों को सिखाते थे। मिशनरियों ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किये हैं जो सराहनीय हैं तथा उनके कार्यों को भूलाया नहीं जा सकता। हमारे भारत देश में छुआ-छुत रूपी बिमारी पूर्व युग से व्याप्त है जिसे दूर करने का प्रयास भी मिशनरियों द्वारा किया गया आज भी हमारे देश में उंच नीच, छुआ-छुत भेद-भाव भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसे दूर करने का प्रयास आज भी बहुत से समाज सेवकों द्वारा किया जा रहा है।

जिस भी जाति, धर्म समुदाय में छुआ-छुत उंच-नीच, भेद-भाव पाया जाता है उस जाति धर्म समुदाय का पतन होना तय है। मिशनरियों ने मानव-मानव के प्रति प्रेम करना, भ्रामक शिक्षा जिसमें मनुष्य का अहित होता है। मिशनरियों की शिक्षाएँ जन कल्याण की रही हैं। किसी मिशनरियों ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दिये कि लोग अपने देश छोड़ कर दूसरे देश को चले जायें। मानवता को भूल जायें, धर्म का त्याग करें अधर्म को स्वीकार करें। बल्कि मनुष्य हमेशा पशुता वृत्ति से दूर रहे, सच्चाई जाने, सत्य को ग्रहण करें। झूठी शिक्षा से दूर रहें। अपनी जाति को कभी न छुपाये अपने राष्ट्र से प्रेम करें राष्ट्र के विकास के लिए काम करें 'सनातन धर्म' को जानें, मानें और उसका अनुसरण करें। ताकि मनुष्य का सर्वांगण विकास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह विकेश्वर प्रसाद : आधुनिक राजनीति सिद्धांत
2. खत्री, हरीश कुमार : तुलनात्मक राजनीति
3. डॉ. फाड़िया, बी.एल. : भारतीय शासन एवं राजनीति
4. शर्मा, सी.पी. : लोक प्रशासन एवं शोध प्रविधि
5. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन. : रिसर्च मैथडोलॉजी
6. पाल एलेक्जेंडर : छत्तीसगढ़ मसीही मेला मदकूद्धीप शताब्दी समारोह (एबेनेजर)
7. रेव्ह. फ्रांसिस डेनियल : म.प्र. के अन्य मिशनों की शाखाएं एवं कार्य
8. रेव्ह. बक्स रवि : व्याख्या
9. अधिवक्ता जी. एल. टण्डन : निबंध (अप्रकाशित)

History of Female Procession Artist from Sir J.J.School of Art

Douglas M. John * Dr. Pushpa Dullar **

Introduction - The Sir J.J.School of Art is a renowned institution with over 150 years of existence. It has a good collection of paintings of its students and those it acquired. It is sad that the institution established for the artists has not taken enough steps in conservation of the artworks. This is evident with simple absence of a list of paintings and other works of arts in its collection. What a grand picture it would be if one could study these paintings, even of not in originals, at one go. But alas, till the 150th anniversary, these paintings were gathering dust. For the celebration of this 150th anniversary, an exhibition of some of the paintings was held in the premises of the School and a catalogue was published.

M.V.Dhurandar's autobiography 'Kala mandiratil ekkechhalis varsh' has the evidences of the existence of female artists and female students of that era. Female artists like Ambika Dhurandar, Miss Dolly Cursetjee, Miss.Bamboat, Miss.Baria and Miss Davar have been mentioned in the autobiography. The autobiography of the artist Praladh Dhond named 'Rapan' mentions a few names of female artists like Ambika Dhurandar, Angela Trindade, Vimal Godbole, Prafulla Dahanukar, B. Prabha and Ratan Wadke.

Even though the paintings of the artists like Cumi Dallas, Miss.Kasture and Miss Leela Nene are available in the valuable collection of J.J.School of Arts their names have not been noted or mentioned in the history of female artists.

To study the influence, impressions and impact of the revivalist movement in art on the students of J.J. School of Art during the last decades of the nineteenth century and first few decades of the twentieth century. There were a total of 45 artist who did procession style of paintings out of which 41 artists were male whereas only 4 artists were female. The information about Ambutai Dhurandar the daughter of M.V.Dhurandar is available whereas no information is available of the artists like Cumi Dallas, Miss.Kasture and Miss Leela Nene. Few information of the artist Cumi Dallas was retrieved from her family members. Among these female artists Ambutai Dhurandar and Cumi Dallas only succeeded in their career as an artist. Thus

focus is been put on the four female artists and their tremendous contribution towards the field of art.

Cumi Dallas(1907- Not available)

Cumi Dallas the daughter of Rustom and Hirabai was born on 10th August 1907. She graduated from the Sir J. J. School of Art, Bombay, with Government Diploma in Painting and was second in order of merit. She won a scholarship in Mural Decoration Class in Sir J. J. School of Art in the year 1932. She studied Ajanta Frescoes and Ellora Cave Temples on site. The study of Mogul Art at Agra, study of Indian Mythology and Indian Music was also done by her in the year 1934-1935. In the year 1935 she got married to Homi N.Dallas who was a scholar of Indian Architecture.¹ She devoted most of her life in landscape painting in Simla, Mussorie, Mahabaleshwar and other hill stations. For an intensive study of Art and Architecture she visited various places in Gujarat. She visited various places in India like Aurangabad, Pune, Nasik, Rajasthan, Lucknow, and Southern India to study the Architecture, Art and craft and Sculpture. In the year 1943 she became an active member of the Managing Committee and Hon. Treasurer of Art Society of India, Bombay.

She took active part in the deliberations of the first Art Conference organized by the Society. In the year 1951-52 she was temporarily appointed teacher for teaching Design to the higher classes in sir J.J.School of Art. She exhibited her successful solo show at Jehangir Art Gallery in the year 1956. She was elected as a President of Art Society of India Bombay 1962 Awarded Gold Medal by the Calcutta Art Society in appreciation of her meritorious services to Indian Art. She commissioned portraits, including one of the late Sir Cowasji Jehangir, Bart. Portraits for the Surat Parsi Panchayat and Portraits for Maratha Mandir, Bombay were also done by her.²

Captain Gladstone Solomon was the pioneer of Bombay Revivalist School. According to him Cumi Dallas was the most promising women's student who did not give up her artistic career even after marrying. It was a great pleasure for him to introduce Cumi Dallas on the occasion of her exhibition and he was deeply satisfied to record the success of Cumi Dallas who was his student.

*Research Scholar, Lecturer (Dept. Drawing & Painting) Sir J.J.School of Art, Dr.D.N.Road, Fort, Mumbai (Maharashtra) INDIA

** Ex-Dean & Head Dept. Of Visual Art, Fine Art Faculty, Banasthali University (Raj.) INDIA

The title of the painting 'Welcoming the Bride'. (See plate-1) The artist's signature is present on the right hand bottom corner of the painting as Cumi Dallas in the year 1944. The medium of the painting is Gouache. The painting depicts a group of people carrying the bride in a procession towards groom's house. It has an influence of the Indian Revival Style and Indian Miniature paintings. The figures are dressed in traditional attire. The painting has been composed in the middle ground whereas there is a group of figures in the left hand corner which is a part of the foreground. There is a carpet in the middle ground which creates a visual perspective and creates a depth and movement in the painting. The procession is led by some men who are playing traditional musical instruments. The women on the other end are standing to welcome the bride holding some Pooja thali and a woman is holding a pot on her head. The background is painted with grey colour. The artist has used a limited palette and the painting is beautifully rendered.

Ambika Durandhar (1912-2009)

Ambika Mahadev Dhurandar was the daughter of Gangubai and Artist Rao Bahadur M.V. Dhurandar was born on 4th January 1912. She was greatly influenced by her father's style of painting and continued in the same style. During her young age while she was studying in Sir J.J. School of Art, the Golden Period of the academic style created a deep impact on her and lasted all through her life. She was born in Mumbai. Her father M.V. Dhurandar was the Director of Sir J.J. School of Art hence she spent few years of her life in the bungalow of the Dean. She further completed her Diploma in 1931 and secured second rank. At that time renowned artist Gopal Deuskar secured first rank. J.D. Gondhalekar and Anjila Trinidad were her classmates.³ Captain Solomon was J.J.'s Principal and she was blessed to study under Guru's like her father Ravbahadur Dhurandar, Taskar Master, K.B. Chudekar, Fernandez, Trinidad Master, Anant Bhonsule. This was the most glorious era.

On the occasion of the 300 Anniversary of Chattrapati Shivaji Maharaj difficult scenes of his life were painted and these paintings were exhibited on Raigad. This painting exhibition was inaugurated by the Prime Minister Indira Gandhi. Ambutai was very expert in human drawing and proportion. She also had mastery in Portrait painting too. Ambutai was felicitated by the Maharashtra State when she was the chief guest for an exhibition which was put up when the state of Maharashtra completed 50 years.⁴

She finished her course at the JJ School by earning the Government Diploma. This caused a stir because it was a qualification that no female student from Bombay School had earned before. When Ambika was a student, the policies of the JJ were shaped by Captain Gladston Solomon, the Director since 1919. Solomon laid emphasis on teaching Indian styles.

Ambika Dhurandar's work recreates period atmosphere through attention to minute details and the

documentation of milieus, notably through her depiction of various Indian apparel and lifestyles, and shines most brightly in depicting the finery that adorns the Hindu, Christian and Parsi women of Mumbai. Her emphasis places her in the picturesque tradition, which had its heyday in the art of 18th century England, most notably through its depiction of everyday life and landscapes, and its celebration of external details of apparel and such like rather than a quest to depict personality. The uncle-nephew duo of Thomas and William Daniel, painters of landscapes, and Sullivan the painter of scenes from everyday life, are part of the Picturesque tradition as are Kipling, John Griffiths, Cecil Burns and M.V. Dhurandar, all of whom were associated in some capacity or other with the JJ School of Art.⁵

Thus, Ambika Dhurandar's work is a valuable guide to the cultural atmosphere of the JJ School and the Bombay School of that time. The title of the painting is 'procession' (See plate-2) and the medium here used is gouache. This painting has been painted in the year 9-10-19. Although it has an influence of the Revival style, she had a strong influence of her father, Shree Rao Bahadur M.V. Dhurandar who was an artist and also was her teacher. While painting the painting she used water colours and then used Chinese white colour to highlight the painting. It's a social procession and each person is walking on the street for his or her daily work and chores carrying their needful utility objects. Their hairstyle and dressing attire gives us an impression of the social life during that period. The painting has been divided into two parts namely foreground and middle ground. The human figures have been composed in the foreground and middle ground whereas the background has been painted with a grey tone creating a perspective.

Miss Leela Nene - This painting has been painted by artist Leela Nene. Not much information is available about the artist. The topic of the painting is like a procession. (See plate-3) Gandhiji is going to the temple with his *sevak* thus creating a beautiful scene. The artist has signed on the right-hand below corner as Leela Nene but the date isn't mentioned. The painting depicts the social life of that time. An influence of the Bombay Revivalist artist Nagarkar and Ahivasi is shown in the entire painting. Some of the forms seem to have been directly taken from the Indian miniature paintings for example, *Tulsivindavan*, banana tree, door of the temple etc. The composition of the painting is very similar to the stage where drama is performed and the different actors are playing their roles. There are 3 parts in the painting- foreground, middle ground and background. In the foreground, we can see a goat resting at the footsteps and a man playing dhol. In the middle ground, we can see Gandhiji in his pure white robes along with his group. In the background, we can see the wall of the temple along with the sky creating the space and a banana tree. A perspective has been created in the painting at different angles. All these figures which are used in the painting are very well balanced

and composed. We can also see other men who are playing traditional musical instruments which create movement in the painting. Few colours have been used yet the painting is very attractive.

Miss P Kasture - There is not much information found about the artist Miss P. Kasture. This painting is done in the year 1945. The subject of this painting is constructing a bridge which is a scene from the Ramayana. (See plate-4) The human figures and animals are very well here. Here we can see Lord Ram, Lord Hanuman and the monkeys. In one corner we can see the sena captured by Ravana and Ravana is portrayed in a very cruel manner. The human figures of Lord Ram and Lord Hanuman are shown holding weapon like bow and arrow in their hands. The sea has been painted in blue colour in the middle of the painting. The artist has used few colours but yet painted the painting very effectively. The artist signature is not seen anywhere

in the painting. The painting is rendered like memory drawing.

This study will highlight the rich tradition of Bombay School paintings and can be useful as reference point in social and cultural context and historically also.

References :-

1. Dallas Cumi, Paintings of Cumi Dallas, J.V.Navlakhi & Co. Bombay 1964. Page No.13, 14,
2. Ibid, 15, 16
3. Phadke Sharmila, Edited Bahulkar Suhas, Ghare Deepak, Adhunik Maharashtra chi Jadan Ghadan Shilpakar Charitra kosh, khand 6, Mumbai, 2013. Page No.241
4. Pawar Subhas Eknath, Mahan Bhartiya Chitrakar, Gauri Pawar Navi Mumbai, 2012. Page No.183
5. Dhurandhar Ambika, Majhi Smaran Chitra, Majestic publishing house 2010. Page No.7, 8,9,10



Plate -1 Welcoming the Bride by Cumi Dallas



Plate -2 Procession by Ambika Dhurandhar



Plate -3 Gandhiji is going to temple by Leela Nene



Plate -4 Scene from the Ramayana by P. Kasture

विक्रमोर्वशीयम् में जीव विज्ञान

डॉ. वेद प्रकाश मिश्र * रागनी कश्यप **

शोध सारांश - मानव इस भूलोक का एक मात्र मननशील, चिंतनशील प्राणी है जो अपने चिंतनशील प्रकृति के कारण एक ओर प्रकृति के आधारभूत रहस्यों को समझने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर अपनी आदि जननी प्रकृति के विभिन्न उपकारों से प्रतिफलित होकर अपने हृदय के विभिन्न उच्छ्वासों को मार्मिक वाणी में परिणित करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया। इस संदर्भ में प्रथम प्रकार के साहित्य को आज हम दर्शन विज्ञान शास्त्र आदि के नामों से जानते हैं।

काव्याचार्यों एवं काव्यशास्त्रियों ने काव्य को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया है- दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक का प्रमुख स्थान है, तथा श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं गीतिकाव्य आदि को शामिल किया जाता है। अतः नाटक में श्रव्यकाव्य की अपेक्षा रसास्वाद कराने की अधिक तीव्रता होती है क्योंकि उसमें चावक्षुस प्रत्यक्ष की सर्वाधिक भूमिका होती है। इसी संदर्भ में महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम् में प्रकृति जीव जगत के विविध पक्षों का सजीव वर्णन किया है। पशु-पक्षियों की प्रकृति की ओर मनोगत स्वाभाविक चेष्टाओं का अर्थन करके उनकी क्रिडाओं का मनोरम चित्रण करने में महाकवि कालिदास सफलता अर्जित की है। महाकवि कालिदास जी ने जीव जगत के जीवों, पशु-पक्षियों, कीट पतंगों आदि का अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम् में वृहद चित्रण प्रस्तुत किया है जो हमें जीव-जन्तुओं एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अभिप्रेरित करती है।

प्रस्तावना - जीवधारियों को आधुनिक वैज्ञानिक युग में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभक्त किया गया है सामान्यतः जीवधारियों को तीन भागों में विभक्त किया गया है -

1. पशु जगत
2. पक्षी जगत
3. कीट पतंग जगत

प्रस्तुत शोध पत्र में हमने भी जीव जगत को इन तीन भागों में विभक्त किया है और तदनुसार उनके भेदों- पक्षियों पर भी विचार किया है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काव्यों में पशु- पक्षियों के वर्णन उपलब्ध है, तो हमारे सम्मुख तीन कारण उपस्थित होते हैं-

1. मनुष्य तथा पशु-पक्षियों का निरंतर संयोग।
2. प्राचीन समय में मनुष्य का पशु-पक्षियों के प्रति प्रेमाधिक्य।
3. कवियों की पैनी अवलोकन शक्ति।

मनुष्य और पशु-पक्षियों का हमेशा-हमेशा का साथ रहा है और यदि कहा जाये तो पशु-पक्षी मनुष्य के पहले पृथ्वी पर आये तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैज्ञानिक तो मनुष्य को बंदर की औलाद स्वीकार कर चुका है। अतः मनुष्य अर्वाचीन है। पशु- पक्षियों का साथ प्राप्त हो गया, मनुष्य का पशु-पक्षियों के साथ यह संयोग निरंतर बढ़ता गया और मनुष्य उनके नजदीक रहने लगा। मनुष्य बुद्धिजीवी था उसने पशु-पक्षियों को अपने वश में किया और उन्हें पालतू बनाया मनुष्य और पशु-पक्षियों की इस संयोग की कहानी मानवता की प्रारंभिक कहानी है मनुष्य की ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास हुआ, उसमें सोचने-समझने, तर्क करने की शक्ति आई की उसने अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा तभी से पशु पक्षियों के

वर्णन पर बीजारोपण हो गया था। मनुष्य के विचार अधिक विकसित हुए उसने पढ़ना-लिखना सीखा एवं अपने विचारों को लेखन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की कला में प्रवीणता प्राप्त की। इस प्रकार कई

हजार वर्ष की तपस्या के बाद मनुष्य एक बुद्धिजीवी युग का एक सदस्य बना एवं इसी बुद्धिमत्ता के कारण उसने काव्यों में पशु-पक्षियों का वर्णन किया और कर रहा है और आगे भविष्य में करता रहेगा। अतः यह सिद्ध होता है कि काव्यों में पशु-पक्षियों के वर्णन की स्थिति का एक प्रमुख कारण है कि मानव एवं पशु-पक्षियों का निरंतर संयोग।

1. पशु जगत :

1- गज - महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम् में गज का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है। पशु जगत में गज एक ऐसा पशु है, जो वैदिक काल से लेकर आज तक काव्यों में अवरल धारा के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक साहित्य में गजाः, नागः, वारणः, हस्तिन शब्दों से गज को अभिहित किया गया है। भारत, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका में काफी संख्या में गज पाये जाते हैं।

गज का क्रियाकलाप - इस नाटक में कवि ने गज का वर्णन चतुर्थ अंक में इस प्रकार किया है :

गहनं गजेन्द्र नाथः प्रियाविरहोन्मदप्रकटितविकारः।

विशति तरुकुसुमकिसलयभूषितनिजदेहप्राग्भारः॥ 1

यहां राजा पुरूरवा के प्रवेशार्थ आक्षिप्तिका गीत गान करते हुए यह कहता है कि यह गज अपने प्रिया के वियोग से उन्मत्त पागल होने के कारण हार्दिक दुख को प्रकट करता हुआ, पेड़ों की फूलों तथा नवीन पत्तों से अपने शरीर को सुसज्जित करता हुआ, गज वन की ओर जा रहा है।

* प्रोफेसर (संस्कृत) विभागाध्यक्ष डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** एम.फिल. शोधार्थी (एम.फिल संस्कृत) डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

गज मद – कालिदास जी द्वारा पुरुरवा को अपनी प्रियतमा के वियोग से पागल हुए वन हाथी और हथिनी के वियोग के समान वर्णन इस प्रकार किया है -

करिणीविरहसंताविअओ काणणे गंधुद्धुअ महुअरु॥2

2- **अश्व** – संस्कृत साहित्य में अश्व का वर्णन अनेकों बार उपलब्ध होता है गज की तरह अश्व के वर्णनों की अविरल धारा वैदिक काल से बहती चली आ रही है वेदों में अश्व के लिए अश्वः मयाः, हयः वाजिन, सप्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। कालोपरांत वीर काव्य साहित्य में भी अश्व प्रमुख पशु के रूप में वर्णित है। अमरकोष में अश्व निम्नः नामों का उल्लेख किया गया है - घोटकः, पीतिः, तुरगः, अश्वः, तुरंगमः, वाजिनः, वाहः, अर्वन्, गन्धर्वः, हयः, सैन्धवः, सप्ति, अजानेय, कुलीनः, दण्डीय, विनीतः व साधुवाहिन्।

अश्व सवारी के रूप में – महाकवि कालिदास जी ने अश्व का वर्णन इस नाटक के प्रथम अंक में इस प्रकार किया है -

राजाः सूत! ऐशानी दिशं प्रति चोदयाश्वानाशु गमनाया।3

इसी प्रकार अश्व के सिर पर तना हुआ चामर का वर्णन करते हुए आगे भी कहा गया है -

अग्रे यान्ति रथस्य रेणु-पदवी चुर्णीभवन्तो घनाश्वक

भातिररान्तरेषु वितनोत्यन्यामिवारावलीम्।

चित्र-न्यस्तमिवांचलं हयशिरस्यायामवच्चामरं

यष्टअग्रे च समं स्थितौ ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्॥4

राजा कहते हैं कि रथ के सामने चूर-चूर होते हुए बादल धूल के समान उड़ रहे हैं डांडियों के मध्य पहियों का घूमना दूसरी अरापंक्ति सी उत्पन्न कर रहा है। घोड़ों के सिर पर तना हुआ चामर सुस्थिर दिखलायी पड़ रहा है। रथ की तेज गति से उत्पन्न वायु से ध्वज वस्त्र, दण्ड के अग्र भाग तथा छोर पर समान सा प्रतीत हो रहा है।

मृग – संस्कृत साहित्य में हरिण तथा सामान्य पशु के रूप में मृग के अनेकानेक वर्णन मिलते हैं, वैदिक वाङ्मय में रुरु, कृष्णः, पृषत, हरिणा, कुलुंग, पुषती, रोहित, शब्द मृग के वाचक हैं। मृग उप परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। जिसमें काला मृग व चिंकारा आते हैं। संस्कृत साहित्य में बारहसिंघा, हैमन्त, साम्भर, चितल, काकण, कस्तूरी मृग, चौसिंगा आदि सभी के लिए मृग का नाम लिया जाता रहा है। विभिन्न वर्गों में पाये जाने वाले मृग सुन्दर प्राणी हैं। छोटी-छोटी पतली चार टांगे, सिर पर छोटे-बड़े अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र सिंग एवं विशाल सुन्दर नयन मृग की सुन्दरता का राज है। मृग एक शाकाहारी वन जीव है।

विचरति गजाधिपतिरैरावतनामा कृष्णसारच्छविर्योऽसौ दृश्यते

कानने श्रिया।

वनशोभावलोकाय कटाक्ष इव पातितः॥5

यह कृष्णसार मृग की आकृति दिखाई पड़ रही है, यह मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया है। इसके समीप आ रही मृग के दूध पीने वाले शिशु ने रोक लिया है और यह भी उसकी ओर एक टक निगाह से देख रहा है। इसी प्रकार मृग का वर्णन कालिदास ने अपने नाटक में किया है। जो एक राजा भी मृग से सहायता चाहता है। आज भी मृगों का उतना ही महत्व है जितना की प्राचीन काल में या कालिदास के काल में था। भारत शासन द्वारा इनका वध भी बंद कर दिया गया।

2. पक्षी जगत

क्रीञ्च पक्षी – महाकवि कालिदास जी अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में

क्रीञ्च पक्षी का भी वर्णन किया है। अतः संस्कृत साहित्य में क्रीञ्च पक्षी का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है वैदिक साहित्य में क्रीञ्च पक्षी को कुञ्ज, कुञ्ज व कौञ्ज शब्द पाये हैं वाल्मीकि रामायण का क्रीञ्च पक्षी का वर्णन तो सुविख्यात है।

नाटक के प्रथम अंक में ही क्रीञ्च पक्षी का वर्णन सूत्रधार द्वारा इस प्रकार किया गया है -

मतानां कुसुमसेन षट्पदानां

शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः।

आकाशे सुरगणः- सेविते समन्तात्

किं नार्यः कल- मधुराक्षरं प्रगीताः॥6

अरे-अरे निवेदन के अनुअंतर ही कुररी क्रीञ्च पक्षियों के सामान आकाश में यह कैसा शब्द सुनाई पड़ने लगा है। यहां पर क्रीञ्च के पक्षियों के आवाज से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसका वर्णन महा कालिदास करना चाहते हैं।

कोयल – संस्कृत साहित्य में कोयल का प्रमुख स्थान माना गया है। वैदिक साहित्य में संस्कृत साहित्य पर्यन्त कोयल का वर्णन सर्वत्र विद्यमान है। वैदिक साहित्य में कोयल के लिए पिकः व कोकः शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोयल के लिए अमरकोष में परभृतः, कोकिला वपिकः का उल्लेख मिलता है। कोयल कौए के जैसे छोटे पैर का पक्षी है। नर चमकीला और मादा कुछ स्लेटी रंग की होती है। इसका निवास गहरे निकुंज होते हैं, यह घोंसला नहीं बनाती। अतः इसे अत्यंत चतुर पक्षी माना गया है।

नाटक के प्रथम अंक में कोयल की यह धीर कूजना है? या देवताओं द्वारा सेवित आकाश में चारों ओर क्या देवाङ्गना की मधुर संगीत ध्वनि है? उसका वर्णन किया गया है। कोयल के अनेक क्रियाओं का वर्णन चतुर्थ अंक में अनेक बार किये गये हैं। कोयल के कलरव के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि के साथ हवा से हिलते हुए कोमल स्लैन समूह वाला यह कल्प वृक्ष अनेक मनोरम विधियों से नाच रहे हैं। राजा पुरुरवा द्वारा इस प्रकार वर्णन किया गया है कि-

परहुअ मधुरपलाविणि कंती पंदणबणे सच्छंदं भ्रमंती।

जइं पइं पिअम सा महु दिट्ठी ता आअवखहि महु परपुट्टी॥7

राजा अपने प्रियतमा का समाचार प्राप्त करने के लिए वह यह आग्रह करता है कि अरे मधुरभाषिणि कोयल अगर तुमने परमरमणीय देवराज इन्द्र के नंदन वन में निःशंक रूप से घुमते हुए देखा है तो मुझे बतलाओ। यहां पर राजा पुरुरवा कोयल से कुछ जानना चाहते हैं, आज भी कोयल प्राप्त होती है।

मयूर – महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में मयूर का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है। पक्षी जगत में मयूर एक ऐसा पक्षी है जो वैदिक काल से मयूर के वर्णन की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। वैदिक साहित्य में मयूर नीलकण्ठः, भुजंगभुक्ः, शिखावलः, शिखी, केकां व मेघ नादानुलापी नामों से उल्लेख किये गये हैं। मयूर वर्ग मोर परिवार का सदस्य है।

कवि ने इस श्लोक के माध्यम से उर्वशी की सुन्दरता की तुलना मोर से की है-

मृदुपवन! विभिन्नो मत्प्रियाया विनाशाद्।

घनरुचिरकलापो निःसपलोड्य जातः॥8

राजा पुरुरवा अपनी प्रिया उर्वशी की सुन्दरता की तुलना मोर से किये हैं। घने और सुन्दर मोर के पंखों का कोई शत्रु नहीं रह गया है। यदि सुन्दर बालों वाली उर्वशी का फूलों से गुम्फित रति क्रीडा में विशाल हाथ में पकड़े हुए

केश-पाश की उपस्थिति में यह मोर क्या करता? अर्थात् एक मात्र लज्जा का ही आश्रय ग्रहण करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि मोर अति लज्जावान पक्षी है।

हंस - भारतीय संस्कृत साहित्य में हंस का स्थान सर्वदा प्रमुख रहा है। वैदिक साहित्य में ही नहीं अपितु आधुनिक साहित्य में हंस के वर्णन यत्र-तत्र, सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। वैदिक साहित्य में हंस के लिए हंस तथा आतिः शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में हंस शब्द का प्रयोग अनेको बार हुआ है। हंस के प्रमुख प्रकार हैं- राजहंस, सबन, बड़ी-बतख, नीलसर, बुडार, सीखपर, चैती, नकटा, लालसर, तिदारी, हंसावर, पतेरा गल आदि। यहां कवि कालिदास ने इस प्रकार वर्णन किया है कि -

**हिअआहिअपिअदुक्खओं सरवरए घुदपक्खओ।
वाहोवग्गिअणओ तम्मइ हंसजुआणओ॥११**

अतः यह जवान हंस अपनी प्यारी के वियोग में पंख फड़फड़ाता हुआ आंखों में भरे आंसू बहते तालाब में बैठा सिसक रहा है।

चातक - संस्कृत साहित्य चातक का वर्णन अत्यल्प है। वैदिक साहित्य चातक शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता यद्यपि कपिज्जल शब्द मिलता है जो संभवतः चातक, पपिहा, तितर आदि का वाचक है, चातक को सारंग व स्तोतक शब्द दिये गये हैं। चातक कोयल की तरह एक पपीहा है। राजस्थानी लोकगीत में कहा गया है कि **रुत भाई रे पपिहा। थारी बोलए री रुत आयी रे।** चातक की घेघ जल पीने की बात सर्वथा सत्य नहीं है यह केवल कवि कल्पनाप्रसूत है। इस नाटक में महाकवि कालिदास जी ने अतः इसका वर्णन किया है।

चकवा-चकवी - संस्कृत साहित्य में चकवा-चकवी का वर्णन प्रमुख रहा है। वैदिक साहित्य में चकवा के लिए चक्रवाकः शब्द का प्रयोग हुआ है। चकवा - चकवी नदियों के किनारे पर निवास करते हैं। चकवा अनेक वस्तुओं को खाता है। चकवा-चकवी के अनेक आख्यान प्रचलित हैं। इस नाटक के चतुर्थ अंक में वर्णन किया गया है -

**सरसि नलिनीपत्रेणापित्वमावृत-विगृहां,
ननु सहचरि दूरे मत्वा विरोषि समुत्सुकः॥१०**

हे! चकवे तुम तालाब नलिनी पत्र से भी आवृत शरीर वाली सहचरी को दूर समझकर उत्कंठित होकर विलाप कर रहे हैं। यहां पर चकवा-चकवी का वियोग बताया गया है।

कबूतर - महाकवि कालिदास ने कबूतर के बारे में इस प्रकार कहा है -

आचारप्रयतः सपुष्पबलिषु स्थानेषु चार्चिष्मतीः।

संन्धामह्लदीपिका विभजते शुद्धान्तवद्यदो जनः॥११

अतः धूपादि सुगंध से बलभियां जिन पर शंकित कबूतर बैठे हुए शोभित हो रहे हैं तथा आचरण से पवित्र अंतःपुर के वृद्ध जन पुष्पों तथा उपहारों से युक्त स्थानों पर जगमगाती सान्धमांगलिक दीपकं स्थापित कर रहे हैं।

गरुड - संस्कृत साहित्य में वर्णित गरुड का स्थान मध्यम रहा है। वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक गरुड के वर्णन अविरल धारा प्रवाहित होती रही है। वैदिक साहित्य में गरुड को महासुपर्णा, सुपर्णा, श्येन व ताक्ष्यं नामों से कहा गया है। वीर काव्यों में गरुड विषयक अनेक कथाएं मिलती हैं। अमरकोष में गरुड के 9 नामों का उल्लेख है- गरुतमान, गरुड, ताक्ष्यम, बैनेतेय, खगेश्वर, नागांतक, विष्णुरथ, सुपर्णा तथा पन्नवाशन आदि नामों का उल्लेख है।

राजा सूत से कहते हैं कि -

रथवेगं निरूपयन् साधु-साधु अनेन रथवेगेन पूर्व प्रास्थितं

वैनेतेयमप्यासादयेयं कि पुनस्तमपकारिणं महोनः तथापि।¹²

रथ की गति देखते हुए राजा सूत से कहते हैं शाबाश-शाबाश। रथ की इस चाल से तो पूर्व प्रस्थित गरुड को भी पकड़ा जा सकता है फिर इन्द्र का अपकार करने वाले उस दानव की बात ही क्या? अर्थात् यहां पर रथ की गति को गरुड पक्षी की तीव्रता से तुलना किया गया है।

गिद्ध - संस्कृत साहित्य में गिद्ध के वर्णन कम देखने में आते हैं। वैदिक साहित्य में गिद्ध व सुपर्णा गिद्ध के वाचक शब्द रहे हैं वाल्मीकि रामायण जटायु भ्रियोग सर्ग गीध वर्णन का चूड़ान निदर्शन है। गिद्ध शब्द संस्कृत गृध (लालन करना) धातु से मानी गई है। गिद्ध कई प्रकार के होते हैं - चमर गिद्ध, राजगिद्ध तथा चमर गिद्ध प्रमुख किस्में हैं। इसे पक्षियों के हरण करने वाले के रूप में माना गया है।

कवि ने इस नाटक में इसका वर्णन इस प्रकार किये हैं राजा विदूषक से कहते हैं कि -

**आत्मनों वधमाहर्ता छासी विहगतस्करः
येन तत्प्रथमं स्तेयं गोधुरेव गृहे कृतम्॥१३**

अपने मृत्यु बुलाने वाला वह पक्षियों हरण करने वाला गिद्ध हैं जिसमें वह प्रथम चौरकर्म अपने रक्षक के घर ही कर डाला। अतः वह मणि को लेकर आकाश को खरोचता हुआ घूम रहा है।

3- कीट-पतंग जगत - विक्रमोवशीयम पशु-पक्षियों के साथ अन्य कीड़े मकोड़ों आदि का वर्णन भी प्राप्त होते हैं उनमें से निम्न प्रमुख है जिसका हम यहां विस्तार से वर्णन करना चाहेंगे-

सर्प-संस्कृत वाडमय में सर्प से संबंधित कथाएं मिलती हैं। महाभारत में जनमय जी कथा प्रसिद्ध है। सर्प को भुजंग, अहि, विषधर, उरंग आदि नामों से जाने जाते हैं। इसका शरीर बेलनाकार का होते है। इसका न पैर होते हैं और नहीं कान, इसके आँखों पर पलके नहीं होती है हवा की आवाज को ही सुन पाते हैं। साँप के शरीर पर कंजुली होती है जिसके पुराने होने पर यह छोड़ देते हैं। साँपों के अनेक प्रजातियां होती हैं- कालिदास जी ने सर्प का वर्णन इस नाटक के प्रथम एवं द्वितीय अंक में इस प्रकार किया है -

अदः सुरेन्द्रस्य कृतापराधन् प्रक्षिप्य दैत्यान् लवणाम्बु-राशौ।

वायव्यमग्रं शरपि पुनस्ते महोरगः श्वभ्रमिव प्रविष्टम्॥१४

सूत यहां पर कहता है कि हे आयुष्मान तुम्हारा वह वायव्य अस्त्र देव राज इंद्र का अपराध किये हुए दानव को खारे समुद्र में फेंककर काला सांप जैसे अपने बिल में घूस जाता है उसी प्रकार पुनः तरकस में प्रवेश कर चुका है। यहां पर वायव्य अस्त्र को सर्प की भांति बताया गया है।

इस प्रकार सर्प का वर्णन महाकवि सूक्ष्म रूप से विक्रमोवशीयम में किया है इससे यह ज्ञात होता है कि कवि को सर्पों से स्नेह था।

इस प्रकार विक्रमोवशीयम में वर्णित जीवों को उनके वर्गीकरण के आधार पर वर्णित किया गया है। जिसमें मनुष्यों के साथ उनके घनिष्ठ व उदात्त संबंध का चित्रण किया गया है। इस वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कालिदास के वर्णनों में स्वभाविकता है तथा ये वर्णन कवि की सूक्ष्म अवलोकन शक्ति के प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रकृति एवं जीव-जन्तु के गहन अवलोकन से हम कह सकते हैं कि जीवों के साथ मनुष्य भाव संवेदन संबंधों का वृहद चित्रण किया गया है। जो विक्रमोवशीयम जीव विज्ञान का गहन अध्वन का परिणाम है।

संदर्भ :-

1. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन- विक्रमोवशीयम - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोवशीयम - 4/5/ पृ.सं. 156

2. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन- विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/43/ पृ.सं. 186
3. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/ पृ.सं. 11
4. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/5 पृ.सं. 12
5. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/57 पृ.सं. 198
6. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/3/ पृ.सं. 06
7. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/ 24पृ.सं. 171
8. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/21/ पृ.सं. 169
9. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/6/ पृ.सं. 157
10. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/39/ पृ.सं. 182
11. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 3/2/ पृ.सं. 106
12. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/ पृ.सं. 11
13. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 4/1/ पृ.सं. 221
14. पाण्डेय श्री परमेश्वरदीन - विक्रमोर्वशीयम् - 2013 प्रकाशक चौखम्भा सुरभारतीय प्रकाशन वाराणसी। विक्रमोर्वशीयम् - 1/19/पृ.सं. 35

Procession paintings of Mumbai and the Innovation of Revival Art

Douglas M. John *

Introduction - What helped the revival of Indian art in Bombay School? A not so easy a question to answer for no attempt has been made to delineate how this was achieved. This can partly be attributed to the non-availability for study of paintings done in this period. Only when the JJ opened, albeit partly, its archives to the public on the occasion of 150th anniversary did this draw attention of the art students, art lovers and critics.

Early Decades of JJ School of Art - The 'SIR JAMSETJEE JEEJEEBHOY SCHOOL OF ART AND LORD REAY ART WORKSHOPS' came into existence in the year 1857. The purpose was to provide instructions in painting, drawing and designs, ornamental pottery, metal and wood-carving and turning, wherein the use of machinery was indispensable and to impart training under the master craftsman who could manufacture artistic craft-products and earn and preserve the traditional skills and techniques of Indian Crafts.

The progression of the drawing class from the 'decorative designs' in the initial years to antiques and head studies at the turn of the century was due mainly to two devoted patrons of arts and craft movement in Britain, John Lockwood Kipling and John Griffiths who joined as Architectural Sculptor and the head of Drawing and Painting Department respectively in 1864-65.¹

Revival of Indian Art in Bombay School - Talking of Bombay Province, it did not have any art tradition like the Rajput or Mogul or Pahadi miniature paintings. The students were supposed to acquire proficiency in what was being shown in the classroom by the Englishmen. Naturally, they were greatly influenced by the Western technique, to which they got exposed for the first time. They learnt using transparent water colours, oils and learnt painting not on paper but on the canvases standing in an upright position. Once the landscape painters started mastering their art, they began using bold strokes instead of soft layers of colours. This very transition that the able Principal Captain Gladstone Solomon brought about encouraged the 'Bombay Revivalist School' movement. The students, till then, were taught to copy the western style, draw and paint by copying their instructors and there was no Indianness in their works. Solomon realised that without the support of Indian artists

who were masters in Indian style but also good teachers his efforts would not bear fruits that he organized two classes, one taught by Ahiwasi and the other by Nagarkar.² This gave impetus to the concept of design or composition of a painting and which was the result of the western influence; prior to that we had traditional paintings which were in the form of studies.

Thus on the one hand, we had Ahivasi as the head of one class who as everyone knows did work in Rajput style exclusively using Indian motifs and imagery and on the other we had Nagarkar who used washed technique and western style human figure to the best effects. And in Mural Paintings they used oil colours and Marouflage technique.

As Governor Lloyd had himself said at the opening of an exhibition by the students of JJ School of Arts, "The true work of the modern India Artists is to revive the ancient and national methods of artistic expression and to revitalise and restore them."³

In 1902, Lord Curzon, during the grand ceremony of the 'Delhi Darbar' emphasised that the Indian students should be taught their own traditions and efforts should be made to preserve the old monuments and art works. Getting inspired by this, Principal Havell of Calcutta, replaced the study of Western Arts with 'Indian Art' in the syllabus.

During the administration of Gladstone Solomon, in 1919, JJ School of Arts achieved great heights. Solomon expressed his strong belief in the Indian artists in the words "India is a country which one feels ought to produce artists." Mural Painting that is today embedded in the rich Indian art was initiated by this torch bearer. For Solomon, the popular class of Mural painting indicated the fusion of inherent decorative capacities and decorative studies. As he was an expert in realistic style, Solomon began a special class of Mural Decoration in December 1919 and with students like Fernandes, Bhonsule, Nagarkar, Joshi, Mohite, Madhavrao Bagal painted a huge mural which was inaugurated by Governor Llyod.⁴

Post the rather arduous year of 1919-20, an attempt was made to bring the talent of the students to the fore. They got the commission to decorate the panels in the Durbar Hall, Government of India. There were twenty original creations by the students and the backdrop was

*Research Scholar, Lecturer (Dept. Drawing & Painting) Sir J.J.School of Art, Dr.D.N.Road, Fort, Mumbai (Maharashtra) INDIA

India itself. The students decided to paint symbolic renderings of the Fine Arts, Handicrafts, and Occupations of the Deccan. The larger panels depicted Painting, Sculpture, Architecture, and the applied arts. The smaller showed Hunting, Fishing, Gardening, Ploughing, Water lifting, etc. All these panels were well received.

Another milestone was achieved when, under the guidance of Solomon, the students of JJ School of Arts arranged the 'Indian Room' that was decorated with paintings and artistic handicrafts and sent it to the international exhibition at Wembley in London.

As the Indian decorative style gained impetus, there were many artists who adopted this style. The number of Indian style paintings sent for the annual exhibition of the Bombay Art Society were so much in number that by 1938, a separate 'Indian Section' and award was kept by the authorities for these paintings. The artists that became known for this kind of paintings were Jagannath Ahiwasi, G.H. Nagarkar, R.D. Dhopeshwarkar, Raghuvir Chimulkar, Nagarkar got recognition for his large murals based on mythological subjects especially with paintings such as 'Draupadi Swayamvara' (which won the gold medal in 1927) and 'Ram Seeta Vanavas'. Ahiwasi's 'Painting' and 'Message' (which he painted for the Empire Exhibition) were appreciated for their poetic quality and expert rendering in opaque colours. Imparting their wisdom onto others, both Nagarkar and Ahiwasi started teaching Mural Decoration in 1931. Raghuvir Chimulkar was another gifted artist who painted in the Indian-style with a fascinating contrast of subtle light washes with powerful thin outlines.

The revival of Indian art was a highly influential phenomenon and is a significant epoch in the culture our nation. As Lloyd himself has said, "Indianisation" has not taken the form of a return to a hide bond convention but is acquiring a real sense of form and colour, and at the same time developing decorative instinct, which is so strongly in national character.⁵

Artist of Procession Paintings - During Revivalism many artists painted in the Revivalist style. But not all artists painted Procession as their subject. We come across very few artists who painted in the Revivalist style and depicted social, religious and political subjects of Procession. Information about Two artists is given hereby which will help us to understand them better.

Raghuveer G. Chimulkar (1904-1948)

Founder of realistic, imaginative and poetic paintings and a fantastic gifted artist, Raghuveer. G. Chimulkar was born in 1904 in Goa. The rest of his childhood was spent in Mumbai. Seeing his abilities and interest in Art, family put Chimulkar in J.J School of Art.⁶

In those times, education in J.J School of Art followed the British academic pattern. But along with that 'Bombay Revivalist School' movement started in Sir JJ School of Art at the same time. Chimulkar got attracted towards this style and thus took inspiration from a scholarly teacher named Hanmant Nagarkar. Shortly, he gained mastery in a

technique known as 'Wash Technique.'⁷

In 1929 Chimulkar completed his Government Diploma examination. In the same year Sir J.J School of Art was commissioned the most prestigious work of the newly constructed Imperial Secretariat building in Delhi. Chimulkar became a part of this. He also got the 'Waddington' prize for his figure composition. Between the years 1930-31 he also completed did his course in Mural Decoration 1936-1937, he was nominated as 'FELLOW' in J.J School of Art. Back in his student days, his study paintings had found an appreciative audience in (Director) Solomon." Solomon said about Chimulkar, 'How does he imagine such strange and mystic images and forms out of objects familiar to everyone...!'.⁸ His paintings were compared to Surrealist artist Salvador Dali's imaginative and expressive world.

In the exhibition of Bombay Art Society, he got the 'Bronze Medal' (1931), Gold Medal' (1933), and exquisite figure composition prize in the years 1934 and 1940. There are very limited available paintings of Chimulkar; but they are enough to show his outstanding drawing styles, mastery of painting through his Wash technique and unmatched creativity. One can see a lot of similarity in the life of the renowned artist Van Gogh and Chimulkar. The unusual life lived by Chimulkar and his paintings in the year 1948 are still unknown even after his unfortunate death. Chimulkar's work has never received wide exposure among art lovers, a lacuna soon to be rectified with the restoration and exhibition of several of his stunning paintings currently with the archives of the JJ School of Art. In 2008 a few of his paintings were exhibited on the occasion of the celebration of JJ's 150th year.

The title of the painting '**Krishna going to the forest**'. The artist has signed on the bottom right hand side of the painting as R.G.Chimulkar and the date and year was mentioned as 24-1-1927. The painting has a very strong influence of the artist Nagarkar of the Bombay Revivalist School. The medium of the painting is Wash technique. The form, lines, composition and colour scheme have been depicted very beautifully in his painting. The painting depicts Lord Krishna going towards the sunset which symbolizes the religious, social and political rituals. The procession consists of two men playing a traditional musical wind instrument and also the movement of the human figures creates a rhythm in the painting. All the human figures of the painting have been composed in the foreground in which Lord Krishna has been given more importance which also gives a feel of a divine aura of the deity. In order to welcome Lord Krishna the people are playing three different musical instruments. This painting has been treated like a memory drawing. The aesthetic beauty of the painting has been brought about very beautifully.

Shankar Palsikar (1917-1984)

Shankar Balvant Palshikar was one of the most renowned painter/artist in the Indian Art field. He was one of the few artists who had created a deep impression about his paintings. Palshikar was born on 17 May 1917 at Sakoli in

Bhandara district. During 1940-1942 he worked under the guidance of eminent artist and Prof.N.S.Bendre. After 1942 he took admission in Sir J.J. School of Art for higher Art education. Palshikar was truly blessed to have studied under the guidance of great teachers like Nagarkar, Ahivasi, B.D.Shirgaonkar, Dhopeswar, Bhonsale and Adhurkar.

In the year 1947 Shankar Palshikar passed in First Class in Drawing & Painting. He also won the Mayo Medal. He was a very intelligent, philosophical and spiritual person. All these qualities led to the creation of his paintings. These were the main features of his thoughts, his ideas of his paintings. His paintings include Portraits, Decorative Paintings which reflected Indianess/Indian style as well as Abstract paintings. He won many awards during his tenure.⁹ Palshikar's personality developed as whole in Sir J.J. School of Art. His journey as a student, then fellow, as lecturer, lecturer and a Professor. IN 1968 he was appointed as the Dean of Sir J.J. School of Art. In 1973 he was invited by the Government of Sri Lanka as an Educationist Expert.¹⁰

The Palshikar's has painted a scene of **Ganpati procession** in which there are many Ganpati processions which are proceeding towards the lake which is outside the village. This painting is entirely done in water colours and the white is also used in some places to maintain the balance. The artist has signed in devnagri script on the left hand top corner of the painting in around 1948. The painting was done during the period when the Revival Style was coming to an end. The new aspect of using bird eye view angle for painting was introduced by Palshikar. While painting this composition Palshikar got new aspect of a difficult methodology for representing this view. He represented what was actually seen in the procession rather than using his imagination.

Artists generally compose above the horizon line but Palshikar has composed below the horizon line. The subject that being of Ganpati Procession in the village, all the people are heading towards the river which is outside the village for the idol immersion. The artist has very well depicted the evening light in this painting through shade and light.

Recent Traces of Revival Movement - It may be wrong to presume that the impact of revival of art on Bombay School was not long lasting. It is seen in the painting of Shankar Palsikar (year 1948) and can be traced to the paintings exhibited by this Author (year 2008 and 2014).

Author was in search of something deeper, more sublime. Returning to his roots in Solapur, he rediscovered the 'Gadda Yatra'. On the occasion of Makar Sankranti thousands of pilgrims from Maharashtra and neighbouring Karnataka and Andhra Pradesh converge in a procession to the temple of Siddharameshwara, the patron saint of the town to pay obeisance. The men are of all ages, castes, creeds and professions participate in this Yatra. The social and economic barriers between them are mitigated by their uniform attire. The devotees move about performing sacred rituals at sixty eight shrines along the route of the procession

accompanied by the music of the *halgi*, dressed in pristine white- turban, *barabandi* and dhoti, with red *tilak* smeared on their foreheads, presenting a grand spectacle- a sea of white.

As a painter the *Yatra* now assumed a new connotation for him. The outcome was 'Light n' Light' wherein he set about to explore the visual and metaphorical possibilities of this unique ritualistic celebration.

'Light n' Light is all about the spiritual light that guides one and all to the portal of Siddharameshwara and the physical phenomenon called light that bathes the pilgrims as they navigate the sacred spaces. This painting of procession is an extension of revivalism. The size of the painting is 48"x 24" and it is done in acrylic oil and gold leaf on canvas.

The painting shows the impact of the post revivalism and western realistic approach of the Bombay School because till then the Indian tradition was that of doing small formats of paintings in wash, water colours and Gouache Colour. Gold leaf is used in the painting to enhance the effect of light. There are various elements that make the procession spectacular and make them more momentous than just "people walking in the same direction."

References :-


1. Patkar Ramesh Chandra, Marathi Niyatkalikateel DrushakalaVichar, Jyotsna Prakashan, Pune, 2009, Page 10
2. Dhond Pralhad Anant, Raapan, MoujPrakashan, Mumbai, 1979, Page 85, 86
3. Salomon Gladstone W.E, The Bombay Revival of Indian Art, Sir JJ School of Art, Bombay, 1935, Page No.78
4. Dhurandhar M.V, Kala mandirathil yekechalis varsha, 1940, Page 74
5. Soloman Gladstone, The Bombay Revival of Indian Art, Times of India Press, 1930, Page 78
6. Pawar Subhas Eknath, Mahan Bhartiya Chitrakar, Gauri Pawar Navi Mumbai, 2012. Page No.119
7. Bahulkar Suhas, Edited Bahulkar Suhas, Ghare Deepak, Adhunik Maharashtra chi Jadan Ghadan Shilpakar Charitra kosh, khand 6, Mumbai, 2013. Page No.152
8. Sadwelkar Baburao, Edited Ramesh Chandra Patkar Maharashtra Kalavanta, Jyotsna Prakashan Pune, 2005, Page No.113, 114
9. Secretary Maharashtra State Board for Literature and Culture, Maharashtra Bombay, Shankar Balvant Palshikar, S.D.Deshmukh Secretary Maharashtra State Board for Literature and Culture Mantralaya Bombay, Page No.80.
10. Bahulkar Suhas, Edited Bahulkar Suhas, Ghare Deepak, Adhunik Maharashtra chi Jadan Ghadan Shilpakar Charitra kosh, khand 6, Mumbai, 2013. Page No.304



Ganpati Procession by S.B. Palsikar



In Search of Light Procession by Douglas John



Krishana going to Forest By R.G. Chimulkar

Application of Dabu Mud resist Printing and Indigo Dye on Khadi Fashion Accessories

Meghshyam Gurjar * Prof. Himadri Ghosh **

Abstract - Khadi has historical background, which was promoted by Gandhiji. When Gandhiji started using Khadi, Khadi became popular. Khadi has manifold uses. Gandhiji promoted Khadi to give relief for the lower sections at society to eliminate poverty and unemployment. It has also become the ideology of self-reliance and self-sufficiency. It has become the intensive tool to the local weavers to make them economically strong. It became the symbol of the freedom fighters' attire led by Gandhiji. Khadi is a good solution to the uncertain climatic changes now-a-days as it is eco-friendly which is able to maintain. Moreover the body and environment. Actually the production of this fabric is done keeping the environment in mind. It is the only textile activity which does not utilize fossil fuel. Today India is the biggest youngest country in the world, around 65% of the population of India is young and it would be a big domestic market for Khadi.

But unfortunately, today, youth don't prefer Khadi garments, due to its poor quality, less stylish and trendy. The objective of this research paper is to make Khadi popular in youth with its various fashionable accessories. Rajasthan is the origin of various types of arts and crafts. Bassi, which is in Jaipur district is the core center of Khadi and Bagaru is also famous for traditional hand block printing & indigo dyeing. The researcher tries to explore innovative women's fashionable accessories, various types of bags, clutch that are created by developing in traditional hand block printing & indigo mud resist technique on Khadi fabric. The researcher wants to develop uniqueness of Khadi fabric texture by considering the youth's choice, factor of attractiveness and market trends, moreover textural designs can be produced on fabric by using different types of blocks, as well as beautiful designs of indigo dye on Khadi fabric. Khadi fabrics can be stitched according to present trend. Dabu printing and indigo dyeing can create novel, innovative patterns such types of products will look aesthetically pleasing and trendy.

Introduction - Khadi is very closely related with Indian freedom struggle. In fact, it became the part and parcel of the freedom movement. Khadi is recognized as a symbol of freedom struggle. In those historic days Khadi was used only by the freedom fighters, the patriots of India. Khadi and freedom fighters were coined. The one who would use Khadi, would be recognized as a freedom fighter. And those freedom fighters oaths to use Khadi the whole life and they were proud of it using it as if Khadi was their uniform, a symbol of freedom movement. Khadi became their dress-code. But after independence the role of Khadi is changed. The political parties started using Khadi and the states of Khadi was all of sudden elevated from "liberty of freedom" to "rulers' costume" and there was a mushroom growth in number of Khadi weavers overnight, mainly the political reason. But slowly the boom of Khadi decreased. Nobody was much serious about the use of it. Slowly, Khadi was replaced by different types of fabric. Presently, Khadi is vanished from our social life. Slowly the role of Khadi was changed. Today its fabric of political leaders and fashion designers. Khadi has lost its shine among the people at

large scale. Moreover, the manufacturers have not been developed new products of Khadi. Even no attempts have been taken for the new designs and technical inputs. Hence, with the limited variety, nobody is ready to use Khadi. Age old products of Khadi do not suit to the new generation. The image of Khadi became outdated so it is not popular in youth segment. That's why the new generation is kept away from Khadi. Secondly, Khadi is costly and difficult to maintain. It requires light washing, cleaning and ironing due to its quality, color and design. The color of the clothes fades very easily and rapidly. So as they are not user friendly. Another issue is marketing of Khadi, which should be taken on a professional basis rather than on sentimental basis. Now-a-days, the requirement of the new generation is totally different. The youth anticipate for new and trendy look. They desire something innovative and unique products. In present scenario accessories are becoming an important element to increase the value of one's outfit. Accessories, which can be added to something else in order to make it more useful, versatile for attractive. A fashion accessories is a decorative item that supplements one's outfit. If its color,

* Asso. Professor, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Raj.) INDIA
** Director, Banasthali Institute of Design, Banasthali Vidyapith (Raj.) INDIA

style and class add to an outfit, it would get certain look but it might have practical functions. In Khadi, there is a wide scope in exploration in accessories which can be manufactured on ecofriendly basis.

Industrialization has badly affected on mother earth during last three centuries. Its impact has been noticed as huge climatic changes such as rise in temperature, rain, flood, cyclone, snow fall, tsunami and drought on many parts of the globe. The layer of ozone has been depleted. The standard and quality of life have been changed on the great extent and the world of fashion has also been changed rapidly. In short, industrialization, automation and fast and mass production have created various environmental problems due to the large use of pesticides, fungicides, chemicals and natural resources. Textile industry is also one of the industries where energy and chemicals are used in a large scale. Most of the chemicals are harmful. It produces solid waste, poisonous gases, dust which go to environment and so it is known as one of the most polluting industry. All textile processes influence on the environment. It requires water on a large scale in many operations. In short, to avoid the bad effects of industry and the deterioration of the environment, we have look back and adopt the concepts of the traditional and eco-friendly techniques. In which, Dabu mud printing is one which is the most eco-friendly printing, dyeing used in Bagaru, Rajasthan from last three hundred years. Resist dyeing is performed in various ways on various fibers, applications and methods. In India, baticikat, tie and dye, dabu are the various printing techniques which are used from hundreds of years.

Indigo is a blue dye which acquires from the indigo plant (*neel*). The botanical name of indigo is "*Indigoferatinctoria*". It is known that indigo is cultivated in Indus Valley and it is reported that it is the oldest dye to be used for textile dyeing. Later its demand was spread far and wide. It was also one of the major trading items with Greek and Romans. In the course of time, Arabs introduced it to the Mediterranean and the rest of the European countries. They called it "neel" means the blue. The dye is also known as neel.

Bagaru is a small village, 23 Kms from Jaipur, on Jaipur-Ajmer road. Bagaru is the place of Chippas and Raiger community. Chippa community is involved in hand block printing. They used indigo and other natural dye since 300 years ago.

Preparation of Mud Dabu - The process of dabu printing starts with the preparation of mud resist. The clay is prepared by finely sieving it calcium hydroxide (Chuna), wheat powder obtained from the wheat eaten by wheat insects (beedan), gum (gond) and the main ingredients to make the mud resist. The dug out mud from the dry pond is soaked in water in a separate tank overnight. The mud resist is freshly prepared before every printing. A mixture of beedan and gond, along with mud, are used to make the

paste sticky (Fig.-1).

Process of Printing and dyeing - The Dabu mud resist is being applied on to the fabrics using wooden blocks. The dabu printing is done on single printing table or on sitting desk. It's all depends upon the space convenience, viability and comfort to an individual printer. After the mud printing, saw dust is applied on the printed area of the fabric to quick dry. To prevent the printed mud penetration, saw dust work as a binder. After the Dabu mud printing on fabric, dyeing work done in dye bath. The process may applied on the fabric, depends on number of applications which called single, double or triple Dabu. After every dyeing, fabric should dry in open width in hard sun light. The fabric is carefully washed so as to remove the mud application. Finally, the non-dyed part where the resist has been applied is exposed after the washing. Some of the color penetrates on to the fabric caused by mud cracking. The result is veining which gives it batic look. Now-a-days, most dyers use synthetic indigo dye. These indigo and chemicals uses are comparatively safe and nontoxic.

Objective:

1. The objective of this research paper is to make Khadi popular in youth with its varies fashionable accessories
2. Develop various types of bags, clutch that are created by developing in traditional hand block printing & indigo mud resist technique on Khadi fabric.

Methodology - Research methodology which is a way to solve the research problems systematically. The research methodology is followed to develop a need based range of fashion accessories in Khadi, (bags, clutch) for the youth.

1. Sources of Data collection - The present study aims to develop designs of fashion accessories (clutch, bags) in Khadi. To carry out the study, the data has been collected from primary and secondary sources.

1.1. Primary Sources - The data was collected mainly through surveys, especially from consumers, Khadi manufacturing centers and Khadi sale Bhandars in selected areas.

1.2. Secondary Sources - Secondary Data was collected from various journals, newspapers, published and unpublished research thesis, websites, various agencies like fashion magazines, and proceedings of various seminars and conferences. A large number of newspaper articles were used as additional data source.

3.3 Research Design - Research includes a procedure of the methods for gathering and analysis of data to define the significance of its purposed process. The design prepared for the definition of the research problem is generally referred as research design, which is based on what, where, when and how that concerns the study for the purpose of research. Research design being a conceptual structure for carrying out research, constitutes a detailed outline for the collection and dimension. The analysis of data leads to the structure of hypothesis and its operational implication.

Product Design - A product design is a definite plan for the procurement of a product. The process of design development was carried out on the source of the information. The present study was carried out in different stages in which the main respondents are youth. Thus the sampling of fashion accessories made accordingly.

Fabric selection - The basic fabric selection and purchased were done from outlet of Khadi SaghaSamiti, Bassi and Khadi Utpadan Kendra, BanasthaliVidyapith. Three types of fabric were selected by the researcher according to the type, use, style and functional aspect of product i.e.

- a) Satin base white fabric, count of warp 10s single and weft 20s single.
- b) Plain white fabric, 20s single in warp and 20s single in weft. 20x16 quality and
- c) 33s single in warp and same in weft, 54x40s quality.

Surface enrichments process - Surface enrichments process is done in Bagaru. In this process wooden blocks are selected which the printers use for their regular printing. The mud resist is being applied onto the fabrics using wooden blocks (Fig.-2). For fast dry the paste, saw dust is being applied at places where the mud resist is printed. The application of mud resist onto the fabric is followed by dyeing in a dye pot (Fig.-3). The dyeing process is carried out from light to dark. For the same color in dark shade, 'double dabu', the same process is done. After dyeing, the fabric is thoroughly dried (Fig.-4) and washed to remove the mud application (Fig.-5). After washing the non-dyed part where the resist has been applied is shown on the fabric surface (Fig.-6). For the product development, products were carried out with the help of professional tailor like pattern, style, silhouettes for the bag, clutches etc. In this stage due care is taken to the functional aspect of product, to generate the idea as well as to explore the different products.


Results and discussion - Researcher has found that there was a big gap between the young consumer and khadi manufacturers. The Khadi products are manufactured by the Khadi manufacturing centers which are not according to today's fashion, style and trends. Khadi is a good solution to the uncertain climatic changes now-a-days as it is eco-friendly which is able to maintain. The results indicate that by application of unique wooden blocks with Mud Dabu printing and dyeing in Indigo dyes provide beautiful textural effects on the surface of Khadi fabric. The Indigo dye has good color properties towards cellulosic fibers. Applying Dabu on plain fabric Khadi gives unique identity to Khadi.

Khadi is hand spun and hand woven fabric which has unique texture itself and it enhance the beauty of fabric. Below image shows the final product of the process:

Conclusion - This paper concluded that enrichment on fabric is a key factor in fashion because people generally love to embellish themselves with the fashion. People generally want trendy, fashionable and well quality products. These bag, clutches are innovative, aesthetically pleasing having functional aspect. It shows that there is wide scope in exploration in accessories which can be manufactured on eco-friendly basis.

Bibliography :-

1. www.rajasthan textiles.com/dabu.html
2. <http://www.stayorg.com/printing/dabu.html>
3. <http://www.utsavpedia.com/motifs-embroideries/daboo-print/>
4. <http://mytextilenotes.blogspot.in/2010/03/traditional-dabu-printing-of-india.html>
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Bagaru>.
6. Gandhi, M. K., India of My Dreams, Compiled by : R. K. Prabhu, Printed & Published by : Jitendra T Desai, NavajivanMudranalaya, Ahmedabad, 1947.
7. Dr.R.B.Chavan,(Jul08,2011)MahatmaGandhi'sKhadi, <http://www.slideshare.net/nega2002/mahatma-gandhis-khadi>.
8. Gandhi MK, Village Industries, (1060) Navajivan Publishing House, Ahmedabad
9. PatilBabasaheb, 2013. <http://slideshare.net/BabasahebPatil/a-project-report-on-consumer-attitude-to-wards-khadi-with-special-reference-to-khadi-redymede-shirt-at-KKGSSF-bengari-hubli>.
10. Dhar P L (2006) 'Rural industrialization – The future of technology', Proceedings National Seminar on Creating Value through Engineering Consultancy, New Delhi.
11. Dr. Mahesh D., Dr. Rajamonoharane SW., Dr. Sudhakar B., (2014)A Case Study on Customer Attitude and Preference towards the Brand of Khadi and Village Industrial Products in Coimbatore District, Abhinav, National Monthly Refereed Journal of Research In Commerce & Management, *Volume No. 1, Issue No.3, ISSN 2277-1166*
12. Joshi Divya, Gandhiji on Village, Published by Meghshaym T. Ajgaonkar, Mumbai, 2002.
13. Dr. Narayan, Beena International Research Journal, ISSN- 0975-3486 RNI : RAJBIL 2009/30097 VOL I, ISSUE 13, 2010.



Innovation in traditional Namda Handicraft

Sharmila Gurjar * Prof. Himadri Ghosh **

Abstract - Presently the traditional handmade and hand crafted *Namda* (नमदा) is the famous handicraft of Rajasthan and also the identity of District *Tonk*. It is a kind of seasonal fabric and renders its utility to suit the contemporary National and International consumer. While conducting the study on “*Namda Handicraft*” the researcher realized that the present condition in Namda manufacturing industry is very critical if it has to survive in global market. Her survey revealed that after the hard struggles undergone by Namda artisans, they have still to get adequate rewards in the form of good or steady income as well as status. Additionally they have been facing many issues like lack of quality and novelty in product, honing further skills to explore designs and so on. Here an effort has been made to present that, how the traditional Namda Industry has to shed its traditional shell and embrace new innovative designs according to design method and process with support of adequate skill and processes, which would help them bring solutions to their present issues and support its survival in a respectable manner.

Keywords - Traditional Namda, Handicraft, Tonk, Innovative Designs.

Introduction - The Handicraft Sectors play an important and vital role in the Indian economy. It generates employment, self- actualization, independence to artisans in rural and semi urban areas and empowers them with money income. It also fetches considerable foreign exchange for our country through the export, while preserving its cultural heritage. According to annual report of Textile Ministry (2015-16) the handicraft sector has however, suffered due to the fact that it is largely remains unorganized and is beleaguered with additional constraints of lack of education, low capital, poor exposure to new technologies, absence of market intelligence, and a poor institutional framework. Unfortunately researcher found the same situation in Namda industry of *Tonk* and one of the reason of this problem is lack of quality and novelty in this product which needs additional skills to explore designs. Here an effort has been made to present that, how the traditional Namda Industry has to shed its traditional shell and embrace new innovative designs according to design method and process with support of adequate skill and processes, which would help them bring solutions to their present issues and support its survival in a respectable manner.

From ancient period man has practiced indigenous knowledge for use of sheep wool and other animal wool to make warm clothing. Weaving, knitting and felting are very popular methods to convert fleece in to the useful cloth. *Felt* is a non-woven fabric. When sheep's wool is affected by heat, moisture and pressure of prevailing alkaline


conditions, a fabric is formed which is called *Felt*. Due of heat and moisture, it opens the outer scales of the wool fiber. Soap water which contains alkali, allows the fibers to integrate with each other and it causes to become well entangled. *Keratin* is a protein, found in wool fiber. Chemically it makes bond having affinity to the other protein fibers. These bonds make the felting process irreversible. According to University Publishing Online that Handmade Felts and Industrial Felts are the two types of Felt. Felts can have a real weights ranging from 100 to 3600gm² and thicknesses ranging from 0.5 to 7.5mm. Generally, no adhesives are used in making felts. (1) In this article, the researcher has focused on *Handmade Felts from Tonk*. Today Felt is generally using in all over parts of the world, especially in areas with extreme cold climates. Almost all nomads from cold region live in tents made of Felt and use rugs, blankets, hats, boots and other items made of Felt. These products protect them from the extreme climate. In India Felt is called *Namda* (नमदा) which means a *thick bedding of soft woolen fleece* according to Farsi Language. (2) It is a *Traditional Handicraft* of India. In some states of India like Kashmir, Himachal Pradesh, Leh- Ladakh and Rajasthan, the art of Namda is still an identity of those provinces. In India *Namda handicraft* is believed to have come from Iran and Turkey and it flourished further in the era of Mughal and Rajput Empires. Approximately 98km from Jaipur, *Tonk* is one of the district headquarters of Rajasthan and famous for its beautiful *ornamented Namda*.

* Associate Professor, Banasthali Vidyapith, Dist. Tonk (Raj.) INDIA

** Dean Faculty of Design, Banasthali Vidyapith, Dist. Tonk, (Raj.) INDIA

Tonk is also famous as the *Nawabi Nagari, Rajasthan ka Lucknow, Adab ka Gulshan, Romantic poet Akhtar Shreerani ki Nagri, Meethe Kharboojo ka Chaman and Hindu Muslim Ekta ka Pratik (Symbol of unity)* for various reasons. (3) According to one of the legends, Emperor Akbar, a ruler of 11th Century in India had a horse and to protect it from cold, his care taker named *Nubi* created the first felted woolen fabric. That piece was very intricately ornamented with craftsmanship of *Nubi*, thus impressed the emperor and thereafter the Felt art flourished. (4) Documentation by Karolia Anjali and Surbhi (2013) on "*Namda-The traditional felted craft of Rajasthan*" revealed that both the *Namda* industries as well as the people involved in it are in deplorable conditions. It was noted in her study that *Namda* industry as of now is almost a dying industry. She concluded that this art needed all possible support to help the workers get pleasure out of their creativity, charming designs made with number of cheerful colors and exquisite workmanship. (5) The term *Innovation* can be defined as something original and more effective and, as a consequence new that "breaks into" the market or society. (6)

In researcher's point of view, it may be defined as "*Innovation is the re-arrangement of the old (process, material, elements) with aesthetic and functional values individually or collectively with systematic and scientific ways. It may involve risk-taking but creates new market. So Innovation is one of the key elements to solve the problem of design. Innovative Design will play a role in determining what will be produced, how much will be spent on it, who will be the customer, and what will be deemed as essential and so on. To produce an Innovative Design and to provide a solution to the problem, designer needs to think on it with certain methodology called Design Thinking. There are many variations of the design thinking process in use today, but principally all are same but with different approaches. Design thinking refers to creative strategies of designers who utilize them during the process of designing. The five stages of design thinking, are as follows: Empathize (understanding) Define (describe) Ideate (planning design with inspiration), Prototype (trial product), Test (analysis or assessment).*



When Design Process and Method are discussed, they tend to be used interchangeably. Both are different but amount to two sides of the same coin. The process contains a series of actions, events, mechanisms, or steps. Method is a way of doing something, systematically through an orderly arrangement of specific techniques. Need and

desire for new design or product are the motivations for design process. Understanding of need for new design is the first step which further requires survey, investigation in desire specific area. Research is the second step to define the functional and aesthetic aspect of product raising questions why, what and how. Idea generation is next step and it involves exploration of the media or generation of alternative initial ideas. One of the best idea selected as a best solution should be translated in actual planned product called as prototype, in design or product development step. From customer point of view it may be finished with required finishing processes. Analysis or assessment of the prototype with considering some parameters according to customer point of view is last step.

Methodology - Researcher realized that the present situation of *Namda industry* is very critical if it has to survive in global market. Adopted methodology of data collection by researcher as field visits, informal discussions, observation and putting structured questionnaire revealed that after so many struggles by *Namda* artisans, they have not been able to earn adequate rewards as well as status. Researcher also found that so many issues like poor quality and lack of uniqueness in *Namda* product needed to be tackled with additional skills to explore designs and diversified product and to overcome the lack of good workmanship (pic.-a). Interaction with manufacturers and artisans confirmed that they did not know the word like *Innovation, Design Thinking, Design Method and Process*. Only few of them wanted to create *something new*. But the process of developing it, they could not explain. Even after many years, still they have been making *Mischa* (pic.-b) and *Jokers* (pic.-c) wall decor pieces which are the proof of this situation. It was realized that artisan and few manufacturers were not aware of availability of the global market and tastes of new generation. This product shows their sensitivity for design has been non-existent in present times. Another issue is that the arrangements of motifs are not done properly as per the aspiration of draft. Orientation, direction and position of motifs are often not well placed (pic.-d). Mirror repeat is very obvious and used frequently in flooring, wall hangings and mat (pic.-e) and other products. They even have not been taking the advantage of other local handicrafts of Rajasthan to combine with *Namda* or even not been thinking about the exploration of material in various ways, experiment with dyeing and printing methods of surface ornamentation. The method of dyeing *Namda* product is also not proper and it creates lack of fastness properties which is also a very big quality issue.

So, for *Innovation in Traditional Namda Handicraft* according to *Design Process and Method*, researcher divided it in to two categories: A) Inlay work during making *Namda*, and B) after making ply of *Namda*. Decoration which is worked into the felt during the felting and fulling processes, using colored or dyed fleece or yarn known as

Felt Inlay. (7)

- A) Inlay work during making *Namda*, three methods were employed depending upon observation of *Namda* making process— 1) Inlay work for contemporary *Namda* (Fig.-1), 2) Inlay work for Painting Style (Fig.-2), 3) Inlay work combined with shiffon fabric (Fig.-3a and 3b).
- B) After making ply of *Namda*, four methods were used depending upon dyeing, appliqué, embellishment and fabric manipulation on *Namda* fabric- 1) dyeing and appliqué of Maple leaf on *Namda* ply (Fig.-4a, 4b, 4c), 2) dyeing after application of mud resist (dabu) on *Namda* ply (Fig.-5), 3) dyeing on combined shiffon fabric on *Namda* after Bandhej (Fig.-6a,6b), 4) Dyeing and embellishment for fabric manipulation on *Namda* ply (Fig.-7a,7b).

Result and Discussion: The first stage was to understand the problem along with observation, discussion with people for their experiences, their working conditions, their needs, material investigation, and product analysis.

During this process, the researcher found results amounting to many possibilities to create new products with little changes in thought process, methodology, material exploration and combination with other traditional crafts of Rajasthan with *Namda* handicraft.

Category A- 1) Inlay work for contemporary *Namda* (Fig.-1) shows that if artisan changes his methodology during Felting or *Namda* making process, he can create variety of contemporary designs for flooring with subtle as well as bright designs according to demand and also having aesthetic and functional value. 2) Inlay work for Painting Style (Fig.-2) shows that artisan can make any type of wall piece similar to painting by using different fibers, threads or any other woolen material, only need to guide them regarding principles and elements of composition. It only shows the aesthetic value of product. 3) Inlay work combined with shiffon fabric (Fig.-3) revealed that if artisan changes his thought process and understands the properties of different material, then it is easy to combine them and it creates fabulous products for fashion industry.

Category B- 1) dyeing and appliqué of Maple leaf on *Namda* ply (Fig.-5) required little more efforts and time to develop this type of designs. It definitely appeals to foreign customer, if it can be planed according to their culture and taste. 2) Dyeing after application of mud resist (dabu) on *Namda* ply (Fig.-6) is combination of traditional *Namda* handicraft and traditional resist printing of Rajasthan, which needs printing skills and knowledge of process and technique of printing. 3) Bandhej Dyeing on combined shiffon fabric (Fig.-7) was a great experience and gives excellent result which creates an option for party wear stole/duppatta with warmness and beauty. This also enhances the skill of tying Bandhej on fabric. 4) Dyeing and embellishment for

fabric manipulation on *Namda* ply (Fig.-8) shows way of handling *Namda* material differently and teaches new approach to develop a design.


In category A, all products are manual labor oriented and male artisan dominated and in category B, all products show association of male and female artisans in product and design development.

Conclusion - Overall result indicated that all Products are unique, having aesthetic and functional values individually or collectively. After enhancing some skills with little efforts and doing research, artisan will be able to create new products as well as design. It will create additional employment by adding new techniques and combination of new processes. With the help of Designer's inputs, the male and female artisans can earn more to better their life style.

Acknowledgement - Researchers thankfully acknowledge to all the artisans of *Tonk*, who cooperated well. Special thanks to Mr. Sushil Jain (Sourabh export, *Tonk*) who provided the valuable cooperation and freedom to use resources.

References :-

- Chapter 2 - Fibers and fiber products - University Publishing Online (no date) Retrieved from [cco.cup.cam.ac.uk/chapter.jsf?bid=CBO9780511525209&cid.\(accessed on 5th Jan,2017\)](http://cco.cup.cam.ac.uk/chapter.jsf?bid=CBO9780511525209&cid.(accessed on 5th Jan,2017)
- खाँ, मुहम्मद मुस्तफां (1959, 1992). उर्दू-हिन्दी शब्दकोश उत्तर प्रदेश: हिन्दी संस्थान, पृ. 336
- Brief Industrial Profile of *Tonk* District, Ministry of MSME, Govt. of India, p-4. (no date) Retrieved from dcmsme.gov.in/dips/DIPR_Tonk.pdf
- Tonk, Rajasthan - Design Clinic Scheme*(2012) An interactive Design Study of *Namda* of *Tonk* [PDF]; Retrieved from [designclinicsmsme.org/.../Namdah CraftTonkRajasthan.pdf .\(accessed on 25th Jan,2015\)](http://designclinicsmsme.org/.../Namdah CraftTonkRajasthan.pdf .(accessed on 25th Jan,2015)
- Karolia Anjali and Surbhi (2013), "*Namda- The traditional felted craft of Rajasthan*", *Indian Journal of Traditional Knowledge*, Vol. 13 (2), pp 409-415. Retrieved from [nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/27941/.../IJTK%2013%282%29%20409-415.p... .\(accessed on 18th Nov,2015\)](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/27941/.../IJTK%2013%282%29%20409-415.p... .(accessed on 18th Nov,2015)
- Based on Frankelius, P. (2009). "Questioning two myths in innovation literature". *Journal of High Technology Management Research*. Vol. 20, No. 1, pp. 40–51. Retrieved from [www.academia.edu/3667333/Questioning_two_myths_in_innovation_literature .\(accessed on 11th May,2017\)](http://www.academia.edu/3667333/Questioning_two_myths_in_innovation_literature .(accessed on 11th May,2017)
- Feltmaking Terminology in North America (no date) Retrieved from [members.peak.org/.../feltmaking %20terminology %20in%20north%20america.pdf \(accessed on 25th Jan,2015\)](http://members.peak.org/.../feltmaking %20terminology %20in%20north%20america.pdf (accessed on 25th Jan,2015)



Comparision Of Leg Strength Among Throwers And Jumpers In Athletics

Talvinder Singh Aoulak *Jai Shankar yadav **

Abstract - The purpose of this study was the comparison of leg strength among Throwers and Jumpers in Athletics. The study was delimited to the Intervarsity level Throwers and Jumpers in Athletics. The Study was further delimited to the explosive leg strength of the Throwers and Jumpers in Athletics. The study was also delimited to Thirty (30) subjects, Fifteen (15) subjects are Jumpers and another Fifteen (15) subjects are throwers. The subject's diet and their participation in various activities as a part of their professional preparation was not control by the researcher. It was hypothesized that there will be no significant difference in leg strength among Throwers and Jumpers in Athletics. In order to compare leg strength of Throwers and Jumpers Athletes independent "t" test was employed as statistical technique at the 0.05 level of significance.

Key words - Athletics, Throwers and Jumpers, explosive leg strength, reaction ability, orientation ability and differentiation ability.

Introduction - By nature human being are competitive and ambitious for the excellence in all-athletic performances. Not only every man but also every nation wants to show their supremacy by challenge the other nation. Thus this challenge stimulates, inspires and motivates the entire nation to sweat and strive to run faster, jump higher, throw farther and exhibit greater strength, endurance and skills in present competitive sports world. This can only be possible through scientific, systematic and planned spots training as well as channelizing them in to appropriate games and sports by finding out their potentialities. Sports and games are competitive in nature and meant for a particular age group. The participation is only enjoyed by the talented and gifted youngsters. So the process of channelization of athletes into various sports and games should be according to their ability and interest, after various investigations made by the sports.

Methodology

Selection of Subjects - The subjects in this study were the students of school of Studies in Physical Education and Sports Sciences Department, Jiwaji University, Gwalior (M.P.). For the purpose of this study Thirty (30) students were selected. The selected subjects are intervarsity level athletes. There ages ranged between 18 to 25 years.

Selection of Variables - For the purpose of this study and to get up to the valid conclusion researcher and chosen one variable namely Leg strength as depending variable.

Criterion Measure - The criterion measures chosen for testing of hypothesis in this study is the numerical scores are obtain from the selected measurement of leg strength

that was in meters.

Administration Tests

Leg Strength (Standing Broad Jump) - American Alliance for Health, Physical Education, and Recreation and Dance (AAHPERD) Functional fitness test was designed for adults over the age of 16 years. The test items are designed to measure the fitness capacity. The tests measure body composition, flexibility, agility, coordination, upper body strength and aerobic endurance. The tests were designed so that they could be administered by professionals and clinician in the field who lack specialized measurement equipment, training and resources.

Purpose - To measure strength and power of the legs muscles.

Facilities and Equipment - Measuring tape and space on the floor or an outdoor jumping pit.

Procedure - The subject stands behind a takeoff line with his feet several inches and apart. Before, jumping the students dips at the knees and swings the arms backward. She then jumps forward by simultaneously extending the knees and swinging the arms forward. Two trials are permitted. Measurement is from the closest heel marks to the take off line.

Scoring - The score were taken the best of three distances recorded in centimetres and meters only the best trial was recorded.

Experimental Design - To compare the leg strengths of Throwers and Jumpers Athletes so one shot experimental research design was used to facilitate the study and also reached up to the valid conclusion.

*M.Phil Scholar, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G) INDIA

** Associate Prof. Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G) INDIA

Statistical Technique - In order to compare leg strength of Throwers and Jumpers Athletes independent "t" test was employed as statistical technique at the 0.05 level of significance.

Conclusion & Discussion Of Findings - The independent 't' ratio was used to analyse the collected data on different groups namely Throwers and Jumpers Athletes. Findings of the study show that there is no significant difference was found between Throwers and Jumpers Athletes in the means of leg strength. The reasons for better performance in both the cases are continuous participation in same type of training programme but the involvement of leg strength may be differ in these two groups or we can say that in Throwers Athletes needed explosive leg Strength and Jumpers Athletes needed strength endurance. Furthermore, the comparison showed that there is some difference in leg strength among Throwers and Jumpers Athletes.

References :-

1. Amann M., Hopkins W.G. and Marcora S.M. "Similar sensitivity of time to Exhaustion and Time Trail Time to Changes in Endurance". Journal of American College of Sports Medicine, Vol. 40, no. 3, 2008, pp. 574-578.
2. Baacke W. Leverae "Relationship of Selected Anthropometric and Physical Performance Measures to Performance in the Running Hop Step and Jump," Research Quarterly 35 (March 1964):107
3. Darla M. Castelli, Millman H., Buck M.S. and Erwin E.H. "Physical Fitness and Academic Achievement in Third-And-Fifth-Grade Students". Journal of Sports and Exercise Psychology, Vol. 29 no. 2, 2007, pp. 239-252
4. Das Denbath and Chatterjee, "Comparative Study of Physical and Fitness Components of junior Footballer and Sprinters of Kolkata 2007". Journal of Sports and Sports Sciences Vol-29, 2007, No.4
5. Harrison H. Clarke, "Relationship of Strength and Anthropometric Measure to Various Arm Strength Criteria," Research Quarterly 24, (May 1962) p 9.
6. Huang Y. and Malina R.M. "BMI and health Related Physical Fitness in Taiwanese Youth 9-18 years". Journal of American College of Sports Medicine, vol. 39, no 2, 2007, pp. 701-708
7. Impellizzeri F.M., Rampinini E. Marcora S.M. "A Vertical Jump Force Test for Assessing Bilateral Strength Asymmetry in Athletes". Journal of American College of Sports Medicine, vol. 39, no 11, 2007, pp. 2044-2050
8. Jaster Sally and Frazier Charles, "Developing Power Volleyball Power" Athletic Journal 58:3 (November 1977): p.32
9. Javier Ibanez, Mikel Izquierdo, Gorostiaga, Esteban M. Cristina Granados, Gonzalez-badillo and Juan J. "Effects of an entire season on physical fitness changes in elite male handball players". Journal of Sports and Fitness. ISSN, 2006. 0195-9131.
10. Mattila V.M., Tallroth K., Marttinen M. and Pihlajamaki H. "Body Composition by Dexa and its Association with Physical Fitness in 140 Conscripts". Journal of The American College of Sports Medicine, Vol. 39, no. 12, 2007, pp. 2242-47.

HR Practices in SBI Public and ICICI Private Bank

Dr. Neetu Meena *

Abstract - Present era is full of competition and business organizations are facing many interrogations in the form of acquiring and optimizing of human resource. HR is the one of the most essential assets in the organization. The maintenance of healthy working climate and the advancement of its HR are the important responsibility of any organization. Unlike other resources, HR can be developed and expanded to an endless extent. Human resources play an essential role in achieving effectively and innovatively high quality product and service. Managing HR in the organization is very challenging as compared to managing technology or capital in the organization. The organization growth depends upon many factors but most essential factor that affects the organization performance is its employee. These employees serve the organization with their work, talent, innovative thinking, and drive. Co-ordinate all the activities (men, material, machine and money) to achieving the organizational goals build upon the manpower. The purpose of this paper is to understanding the perception of HR practices and examines and compares human resource practices between SBI public and ICICI private sector banks. The study covers all the important field of HR Practices area these include recruitment & selection, training & development, remuneration system and performance management, communication, team working and employee participation.

Key Words - HRM Practices, SBI Public and ICICI Private Sector Banks.

Introduction - Present era is full of competition and business organizations are facing many interrogations in the form of acquiring and optimizing of human resource. HR is the one of the most essential assets in the organization. The maintenance of healthy working climate and the advancement of its HR are the important responsibility of any organization. HR play an essential role in achieving effectively and innovatively high quality product and service. Managing HR in the organization is very challenging as compared to managing technology or capital in the organization. The organization growth depends upon many factors but most essential factor that affects the organization performance is its employee. In any organization HRM practices focuses on optimal utilization and management of their HR effectively in order to achieve maximum output. Khan (2010) revealed that in energetic business atmosphere, there is a need of an approach to achieve better performance, to originate and implement HRM practices. In large and insubstantial extent the organizations need to invest in such practices to get a competitive benefit.

HRM Practices - HRM practices help in achieving organizational goals. HR is the efficiency to convert the other resources (money, machine, methods and material) in to output (product/service). HRM practice refers to organizational activities directed at managing the pool of HR and ensuring that the resources are employed towards

the fulfillment of organizational goals (Schuler & Jackson 1987). Best HRM practices are advantageous for both employee and employer; it plays an essential role in constructive growth of the any organization. HRM practices is the management of people within the internal environment of organizations, comprises the activities, policies and practices involved in planning, obtaining, developing, utilizing, evaluating, maintaining and retaining the appropriate numbers and skill mix of employees to achieve the organization' objectives (Appelbaum 2001).

Importance Of Hrm Practices - HRM is essential for banks because banking is a service industry. Management of people and risk are two key challenges faced by banks. Efficient risk management requires efficient and skilled manpower. HR Practice makes an immense contribution in the overall development of organization. HR practices increases the organizational effectiveness and effectiveness of organization may not be possible without efficient and skilled manpower. Importances of HR Practices are:

1. To help the organization to achieve its goals.
2. To provide the organization with well-trained and well-motivated employees.
3. To increase the employees satisfaction level.
4. To develop, maintain and improve the work quality.

SBI Bank - Public sector banks are those banks that are owned by the government. The government owns these

banks and SBI is the top public sector banks. SBI is a multinational banking and financial services company based in India. SBI headquarters is in Mumbai Maharashtra. SBI has been ranked 285th in the fortune global 500 rankings of the world's biggest corporations for the year 2012. SBI has 5 Associate Banks:

- 1 State Bank of Bikaner and Jaipur
- 2 State Bank of Hyderabad
- 3 State Bank of Mysore
- 4 State Bank of Patiala
- 5 State Bank of Travancore

ICICI Bank - Private sector banks are those banks that are owned and run by private sector. An individual has control over these banks in proportion to the shares of the banks held by him and ICICI is one of the top private sector banks. ICICI private sector bank (Industrial Credit and Investment Corporation of India) an Indian financial institution, as a wholly owned subsidiary. ICICI Bank Limited headquarters is in Mumbai Maharashtra. It is the second largest bank in India by assets and third largest by market capitalization.

Review Of Literature - Muhammad Javed et al (2012), conduct a study to observe the relationship between the employees job satisfaction and HR practices in public sector organization of Pakistan. Data was collected from 140 employees of the three public organizations. After analysis it is found that recognition and training and development are a key source of employee job satisfaction in public sector organizations of Pakistan but rewards do not have any major effect on employees job satisfaction. Deepti Bhargava (2010) concluded in her research that human resource plays an important role in achieving and high-quality product/services. In their study, Kumudha and Abraham (2008) compared 100 managers from 13 public and private sector banks and found that the programs related to self-development, information about job openings, opportunities to learn new skills and retirement preparation programs greatly influence the feelings of career satisfaction.

Public and private sector banks also differ with respect to their background and work culture. It has been observed that the work culture of public sector banks was based on the concept of socio-economic responsibility, in which profitability is secondary. On the other hand, private sector banks work towards profitability. For the success and sustained growth of Indian banks, it is imperative to create a pool of committed employees by determining whether they are job satisfied. Their satisfaction would affect their performance and commitment, which would eventually influence the bank's growth and profitability.

Research Objectives - Without any particular objectives there is no meaning of any study. Now here under this study we have the research objectives:

1. To compare the HR practices followed by SBI Public and ICICI Private Sector Banks.

Hypothesis :

H0: There is no difference in the HR Practices of SBI Public

and ICICI Private Sector Banks.

Research Design - In order to carry out this study ICICI and SBI bank's branches are selected geographically for the study. Bank personnel are selected purposively from each selected branches.

Sample in different categories of different branches

Table 1

Bank Respondent	ICICI	SBI	Total
Manager	4	6	10
PO	3	5	8
Cashier, Astt. Cashier, Cashier Cum Clerk	11	8	19
Total	18	19	37

Number of Branches = 10 (SBI - 6 and ICICI - 4)

(Sample Size) n=37

Tools And Measures - This study is primarily based on branch-wise survey through questionnaires followed by personnel interviews from different categories of employers. A series of visits were paid to identify the environment of working conditions. HR practices and their area include Recruitment, Training & Development, Performance Appraisal, Career Planning, Organization Policy and Culture, Employee Participation.

Analysis Of Data And Interpretation - Once the data collected, appropriate methods are used for analyzing and interpretation. The successes of research rely upon the techniques used to derive results. The various techniques are used to compare the results. This study was conducted in SBI and ICICI Banks in Ujjain city, on a sample of 37 employees representing both banks. In this study Z-test and SPSS 16.0 is used to calculate the results.

Distribution of Respondents

Table 2

Bank	Sample Size = N	Percentage %
SBI	19	51.35
ICICI	18	48.64
Total	37	100.00

Table 3 & 4 (see in next page)

table 3 shows that total number of respondents was 37. These respondents are from the SBI Public and ICICI Private Sector banks. The maximum respondents were above 50 years and having 21-30 years experience. Test for Difference of Means for different HR factors through different questions between SBI Public and ICICI Private Sector Banks.

Table 5 (see in last page)

Conclusion - In this study, it is presumed that there is no difference in the HR Practices being followed by private sector and public sector banks. The analysis reveals in contrary to the hypothesis that two groups of respondents belonging to different sectors differ in their HR Practices.

Suggestion :

1. Good premises and basic amenities for staff are to be provided especially in rural branches.
2. Facilities like Fax machine, Xerox machine and ATM

3. Appointment of adequate staff with rural background should be undertaken in rural branches.
4. The bank should provide certain benefits to their employees, so that they can perform well to achieve organizational goals.
5. The job should be interesting enough, so that it must create enthusiasm among the employees.
6. Enough freedom must be given to the employees to take important decisions.

Limitations :

1. As this study was conducted only in Ujjain city, the findings cannot be generalized for overall India.
2. Primary data has its own limitations.
3. If sample size could be taken a bit larger more accurate, we could have reached to more accurate results.

References :-

1. Agarwal R.D., Organization & Management, Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi. 2007.

2. Arora Sant Lal, Yadav Satish Kumar and Joshi Govind Prasad: Glossary on "Human Resource Planning and Development". Institute of applied manpower research, New Delhi. 2001.
3. Bhatnagar R.P., "Readings in Methodology of Research in education". R. Lall Book Depot, Meerut.
4. Delaney J.T. & Huselid, M.A. (1996), 'The Impact of Human Resource Management Practices on perception of Organizational Performance in for-profit and non-profit Organizations'.
5. Devis Keith, Human Behavior at Work, Organizational Behavior; TMH Publishing Company Limited. New Delhi. 1992.
6. Desai N. Arvindra, Research Methodology in Management, Ashish Publishing House, New Delhi, 1995.
7. Prasad. L.M., Organizational Behaviour, Sultana Chand & Sons, educational publication, New Delhi. 2008.
8. Rudrabasavaraj M.N: "Cases in HRM 1986, published by-Himalaya publishing house, Bombay.

Distribution of Respondents According To Age Group

Table 3

Age	Manager	PO	Cashier, Asst. Cashier, Cashier-Cum Clerk	Total/Percentage
	SBI/ICICI	SBI/ICICI	SBI/ICICI	SBI/ICICI
20-30	-/-	-/-	2/4	2/4 (10.53/22.22)
30-40	2/4	1/1	2/4	5/9 (26.32/50.00)
40-50	3/-	2/1	2/2	7/3 (36.83/16.67)
50-60	1/-	2/1	2/1	5/2 (26.32/11.11)
	6/4	5/3	8/11	19/18 (51.35/48.64)
Total	10	8	19	37(100%)

Distribution of Respondents According To Experience

Table 4

Experience	SBI (N)	Percentage (%)	ICICI (N)	Percentage (%)
<=10 yrs	4	21.05	4	22.22
11-20 yrs	4	21.05	3	16.67
21-30 yrs	7	36.85	7	38.89
31-40 yrs	4	21.05	4	22.22
Total	19	100	18	100

Group Statistics - Table 5

Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Q.1 SBI	19	3.53	1.020	0.234
ICICI	18	3.50	0.924	0.218
Q.2 SBI	19	3.95	0.780	0.179
ICICI	18	3.67	0.767	0.181
Q.3 SBI	19	4.05	1.026	0.235
ICICI	18	3.50	1.043	0.246
Q.4 SBI	19	3.89	0.994	0.228
ICICI	18	3.44	1.381	0.326
Q.5 SBI	19	4.00	0.943	0.216
ICICI	18	2.94	1.259	0.297
Q.6 SBI	19	3.89	0.994	0.228
ICICI	18	3.28	1.018	0.240
Q.7 SBI	19	4.11	0.875	0.201
ICICI	18	4.00	0.840	0.198
Q.8 SBI	19	3.89	1.100	0.252
ICICI	18	3.17	1.339	0.316
Q.9 SBI	19	3.74	0.991	0.227
ICICI	18	3.56	1.097	0.258
Q.10 SBI	19	4.26	0.933	0.214
ICICI	18	3.67	0.840	0.198
Q.11 SBI	19	4.47	0.513	0.118
ICICI	18	3.61	0.916	0.216
Q.12 SBI	19	4.21	0.535	0.123
ICICI	18	3.78	1.060	0.250
Q.13 SBI	19	4.05	0.524	0.120
ICICI	18	2.94	1.305	0.308
Q.14 SBI	19	3.21	1.084	0.249
ICICI	18	3.72	0.669	0.158
Q.15 SBI	19	3.53	1.172	0.269
ICICI	18	3.11	1.323	0.312
Q.16 SBI	19	4.21	0.419	0.096
ICICI	18	3.61	0.979	0.231
Q.17 SBI	19	4.21	0.419	0.096
ICICI	18	4.17	0.383	0.090
Q.18 SBI	19	3.42	1.261	0.289
ICICI	18	3.50	0.985	0.232

Group Statistics - Table 6

Banks	Mean	N	SD
SBI	3.87	342 (N1)	0.99
ICICI	3.49	324 (N2)	1.092867
Standard Error	0.080978		
Z-Test	4.62790143		

महाविद्यालयीन युवतियों की कैरियर के अवसरों के प्रति जागरुकता

मोनिका चौहान *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में शिक्षा और कैरियर के प्रतिमानों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर अच्छा कैरियर स्थापित करना एक चुनौती के कम नहीं हैं, इससे युवतियाँ भी अछूती नहीं हैं। महाविद्यालय की युवतियों की कैरियर के अवसरों के प्रति जागरुकता के आकर्षण का सबसे प्रमुख कारण है, व्यवहारिक जीवन में कई कठिनाईयों की चुनौती आज मनुष्य के लिए अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो रहा है। यह एक अन्य कारण है कि वह दासता के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं। उसमें जागृति आयी है, वह पुरुष से स्वतंत्रता चाहती हैं। इसलिये नौकरी को साधन बना रही हैं। युवतियों में नौकरी करने के प्रमुख कारण है-बढ़ती हुई आवश्यकताएँ, शिक्षा का प्रसार व उपयोग, समाज का बदला हुआ दृष्टिकोण, अवकाश का बहुपयोग, स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकार, स्वतंत्रता की इच्छा आदि।

नये आर्थिक ढाँचे का विकास दो चरणों में हुआ है। पहले चरण में शिक्षित युवतियों को नौकरी और विवाह में से एक को चुनना पड़ा, जिन्होंने नौकरी को चुना, उनमें से अधिकांश को विवाह और पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ा, परन्तु दूसरे चरण में नौकरी एवं विवाह दोनों की मिली-जुली भूमिकाएँ निभाने का प्रचलन हो गया। अब युवतियाँ स्वयं समझने लगी है कि नौकरी करने से उन्हें एक व्यक्तिगत दर्जा तथा एक स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्व मिलता है। नारी के निजी दर्जे व सामाजिक महत्ता में परिवर्तन आने के साथ-साथ उनके सोचने और महसूस करने का ढंग भी बदला है। युवतियाँ धीरे-धीरे यह महसूस करने लगी है कि इंसान के रूप में उनका एक निजी व्यक्तित्व है तथा उनके जीवन का लक्ष्य मात्र अच्छी पत्नी और समझदार माँ बन जाने से पूरा नहीं हो जाता, बल्कि वे यह भी मानने लगी है कि वे सब भी नागरिक समुदाय और संगठित समाज की सदस्य है।

शंस के अनुसार- “निःसंदेह इतनी संख्या में विवाहित मध्यमवर्गीय हिन्दू महिलाओं का बिना विरोध के नौकरी कर सकने का मुख्य कारण यह है कि आज मध्यमवर्ग की आर्थिक समस्या को सभी समझने लगे हैं और यह भी समझने लगे हैं कि परिवार के रहन-सहन का स्तर बनाये रखने के लिये पत्नी की कमाई बहुधा अनिवार्य हो जाती है।” भारत में कुछ महिलाओं को छोड़कर जिन्हें आर्थिक मजबूरी से काम करना पड़ा, उनमें अधिकांश शिक्षित विवाहित महिलाएँ ही लाभप्रद वैतनिक नौकरियों में आयी थी, बल्कि वे महिलाएँ भी काम करती है। एक उपयोगी सामाजिक जीवन जीना चाहती है। आज अधिकांश महिलाएँ आत्मसम्मान व व्यक्तित्व के विकास को जीवन का लक्ष्य मानने लगी है।

इंदिरा गाँधी ने कहा है कि “यहां भारतीय युवती जागरुक है, उसमें चेतना का विकास हुआ है, वह हर क्षेत्र में विकास करने के लिए स्वतंत्र है,

किन्तु जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे पुरुषों के सहयोग की जरूरत है।” उनके इस कथन के बावजूद भी आज भी कई युवतियाँ अपने भाग्य की निर्माता बन गयी है। वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गयी है और अपने अधिकारों को पहचानने लगी है। अबला नारी अब धीरे-धीरे सबला अधिकारिणी बनने का प्रयास कर रही है। युगों से चले आ रहे शोषण को न केवल समाज स्वयं ही समाप्त कर रहा है, वरन् स्वयं नारी ने ही शोषक साधनों को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की पहुंच न हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ रही है।

महिलाओं का विशेषकर शिक्षित महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल घर नहीं अपितु बाह्य भी होना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा का समुचित सदुपयोग हो सकेगा। हमारे देश में तो आज कई महिलाएँ काम करती हैं, किन्तु यह विचारपूर्ण विषय है कि बैंक, बीमा, शिक्षा इत्यादि में उच्च पदों पर महिलाओं का अनुपात अत्यंत निम्न है, जबकि भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पदों पर भी महिलाएँ काबिज रह चुकी है।

आधुनिक समय में युवतियों ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर लिया है। अब अनेकों महिलाओं का दफतरों में कार्य करना बुरा नहीं, अपितु गौरव का विषय समझती हैं। शिक्षा के साथ-साथ उनमें जागृति भी आती जा रही है। निम्न वर्ग की स्त्रियाँ तो पहले भी मजदूरी करती थीं, किन्तु मध्यमवर्ग की महिलायें अब इस और अग्रसर हो रही हैं।

युवतियाँ नौकरी अनेक कारणों से करती हैं। प्रारंभ में ये आर्थिक दबाव के कारण ही इस क्षेत्र में आईं, तब उनकी महत्वकांक्षा व रुचि का महत्व उतना नहीं था, किन्तु आज परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी है। इसके कुछ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारण है। कुछ युवतियाँ आर्थिक आवश्यकता से नौकरी करती हैं। परिवार में आय के अन्य साधन नहीं होते हैं या पति अथवा पिता की आय अत्यंत निम्न होती है। इसलिए जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए वह परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए नौकरी करती है। अनेकों महिलाओं का यह विचार होता है कि उनकी स्वयं की निजी आय होनी चाहिए इसलिये, वह आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। “कार्य करने वाली महिलाएँ स्वतंत्रता रहती है। उनकी समाज के एक विशेष वर्ग में प्रतिष्ठा बनी रहती हैं, उसे बनाये रखने के लिए ही युवतियाँ बाह्य कार्य करती हैं। कई युवतियों को अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने में भी नौकरी से सहायता प्राप्त होती है।

वर्तमान नवीन तकनीकी और अविष्कारों के कारण व प्रगति के युग में जीवन स्तर अत्यंत उच्च हो गया है। अकेले पति या पिता की आय से ही उसे बनाए रखना संभव नहीं है। इसलिए उसमें पत्नी अथवा पुत्री को सहयोग

देना चाहिए। आज अविष्कार प्रधान युग में इतने समय बचाने के उपकरण निर्मित हो गये हैं कि महिलाएँ अपना बहुत सा समय बचा सकती हैं या अनेकों महिलाओं के पास काफी अवकाश रहता है। उस अवकाश में समय का सदुपयोग भी महिलाएँ नौकरी कर सकती हैं, जिससे आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। महिलाओं की कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, जिनमें स्वतः ही उनका आकर्षण हो जाता है। जैसे किसी युवती ने चिकित्सा विज्ञान की पूर्ण शिक्षा ली हो तो उसे उसका उपयोग करना ही चाहिए। कई युवतियाँ अपनी उच्च शिक्षा को सफल बनाने के लिये इस क्षेत्र में आती हैं। वह सोचती हैं कि हमने इतना समय व धन लगाकर शिक्षा प्राप्त की है, उसे व्यर्थ ना किया जाये। इससे देश, समाज व उनको स्वयं को लाभ होता है। हमारे देश में सामान्यतः आजकल 24-25 वर्ष की आयु में विवाह होते हैं, यदि लड़की अपनी शिक्षा 20 वर्ष की आयु में समाप्त कर लेती है, तो इन चार-पाँच वर्षों में विवाह होने की प्रतिक्षा में वह व्यर्थ गवाना उचित नहीं समझती, बल्कि वह नौकरी करती हैं। माता-पिता भी सोचते हैं कि इतने समय में वह अपने विवाह खर्च का धन संचित कर ही लेगी, विवाह के पश्चात् पति सोचते हैं कि घर में धन आता है तो क्या बुराई है।

युवतियाँ सोचती हैं कि नौकरी में रहने से वह घर के कलहपूर्ण व तनावपूर्ण वातावरण से भी बची रहेगी। कुछ महिलाओं को गृहकार्य बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसकी अपेक्षा वह नौकरी करना अधिक पसंद करती हैं व बाहर कार्य करके इससे बच जाती हैं। इस प्रकार आज भी अनेक कारणों से महिलाएँ नौकरी करती हैं। यह कहा जाता है कि महिलाएँ शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए उनसे केवल गृहस्थी को संचालित करने का कार्य ही करवाना चाहिए। दोहरा बोझ उनके नाजुक कंधों पर डालना उचित नहीं है, किन्तु यह तर्क कहीं भी उचित नहीं बैठता एक और तो हम उन्हें दुर्बल कहते हैं और दूसरी और मजदूरी, कताई, खुदाई आदि जैसे परिश्रम वाले कार्य करती हैं।

युवतियाँ शारीरिक श्रम वाले कार्य नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता है उन्हें मानसिक कार्य करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इससे तो उनकी शिक्षा का उचित उपयोग होगा। इसलिए उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह घर के साथ दफ्तर में भी कार्य कर सकें। दोहरे बोझ के कारण महिलाओं के दिमाग पर दबाव पड़ता है, किन्तु आज बढ़ती हुई आवश्यकताओं के युग में मध्यमवर्गीय परिवारों में केवल एक सदस्य के कमाने से ही गुजारा नहीं हो पाता। इसलिए महिलाओं को नौकरी अवश्य करनी चाहिए।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवतियाँ नौकरी करना चाहती हैं, किन्तु उचित नौकरी न मिलने के कारण वह अपनी इच्छा को पूर्ण रूप देने में असमर्थ रहती हैं। यह तो मानना ही होगा कि जब से नौकरियों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुले हैं, काफी उन्नति कर चुकी है। आधुनिक युग में शिक्षा के उपयोग के लिए व स्वावलंबी बनने के लिए महिलाओं का नौकरी करना अत्यंत आवश्यक है।

युवतियों का रोजगार की ओर आकर्षित होने का एक कारण यह भी है कि आजकल के युवक भी ऐसी युवतियों से विवाह की स्वीकृति देते हैं जो आत्मनिर्भर हो। उसके कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

तालिका क्र. 01 : महाविद्यालयीन गृह विज्ञान पाठ्यक्रम की शहरी युवतियों के कैरियर के प्रति दृष्टिकोण :-

प्रासांक	रोजगार मूल्य	
	कुल	प्रतिशत
20-40	04	10%
40-60	00	00%
60-80	06	15%
80-100	30	75%
योग	40	100%

उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है, कि सर्वाधिक प्रतिशत 80-100 प्रासांक के अंतर्गत 67.5 पाया गया, जिन्होंने कि रोजगार मूल्यों को प्राथमिकता दी। 20-40 प्रासांक के अंतर्गत 2.5 प्रतिशत युवतियों ने रोजगार मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है।

सुझाव - किसी भी शोध के लिए पूर्वगामी शोध से प्राप्त सुझाव एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। शोध क्षेत्र में कार्य करते समय यह अनुभव किया कि शहरी युवतियों के लिए कैरियर मूल्यों के प्रति महिलाएँ किस प्रकार की सोच रखती हैं। इससे संबंधित जागरुकता की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन प्रतीत होता है।

- ग्रामीण युवतियों में रोजगार संबंधित व्याप्त अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं के कारण एवं निवारण संबंधी जागरुकता की आवश्यकता है।
 - युवतियों की साक्षरता वृद्धि संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता है। प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह का शोध कार्य करने की भरपूर संभावनाएँ व्याप्त हैं। यदि प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के गहन शोध एवं अध्ययन किए जाए तो निश्चित ही सरकार को नीति निर्माण में सहायता मिलेगी और इस योजना को और अधिक सफल एवं सुचारु रूप से क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही अन्य योजनाओं के निर्माण में भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता मिल सकती है।
1. बेरोजगारी की समस्या ना केवल एक आर्थिक समस्या है, वरन् इसका सामाजिक पहलू भी है, अतः इस समस्या पर अध्ययन रुचिकर हो सकता है।
 2. वर्तमान शिक्षा में नैतिक शिक्षा व कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
 3. नैतिक शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाना चाहिये।
 4. देश में कौशल विकास केन्द्रों को बढ़ाया जाना चाहिए।
 5. किताबी ज्ञान के साथ ही उन्हें आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए।
 6. शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर से नैतिक शिक्षा का अध्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
 7. नैतिक मूल्यों का ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करना चाहिए।

8. बच्चों को महापुरुषों की जीवनी व अच्छे ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
9. युवतियों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने या सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल तथा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण अनिवार्य कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार के क्षेत्र व उनमें आने वाले परेशानी को समझ सके तथा भविष्य में अपने परिवार तथा रोजगार के क्षेत्र में उचित तालमेल रख सके।
10. आज की शिक्षा पद्धति केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है। अतः वर्तमान समय में आवश्यकता है कि मूल्य आधारित व्यवहारिक शिक्षा पद्धति की।
11. शिक्षा से युवतियों में नैतिकता का भाव पैदा करना।
12. युवा पीढ़ी में नैतिकता के विकास के लिए प्रेरक प्रसंगों को प्रकाशित करवाना।
13. भौतिकवादी वस्तुओं से युवा पीढ़ी को दूर रखना।
14. नशा प्रवृत्ति से युवा पीढ़ी को दूर रखना।
15. शिक्षक और छात्र-छात्राओं के बीच नैतिक आदर्शों का पुल बनाना।

युवतियों में नैतिक मूल्यों के उत्थान हेतु सुझाव :

1. **उच्च आदर्शों की स्थापना करवाना** - युवतियों को अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना करनी होगी। समाज में अधिक से अधिक लोगों को इन आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी नैतिक मूल्य समाज में पुनः स्थापित हो सकेंगे।
2. **महापुरुषों की जीवनीयों के द्वारा** - शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनीयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करवाकर, उनका नियमित पठन-पाठन करवाकर नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित किया जा सकता है। युवा वर्ग इन प्रेरणास्पद जीवनीयों से प्रेरणा लेकर अपने समाज और देश का विकास करने लगेगा।
3. **"मैं" के स्थान पर "हम" की भावना विकसित करके** - यदि बचपन से ही बच्चों के मन में मैं मेरा, तेरा के स्थान पर, हमारी भावना का विकास किया जाये, तो निःसंदेह भाईचारा बढ़ेगा और समाज में एकता को भी बल मिलेगा।
4. **समाज का महत्व** - नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए युवाओं को बताना होगा कि वह एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका सर्वांगीण विकास असंभव है। उसे आगे बढ़ने के लिए कदम-कदम पर घर,

परिवार और समाज की आवश्यकता पड़ेगी।

5. भारतीय संस्कृति का महत्व - भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से युवाओं को रुबरु कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारी संस्कृति धर्म, कर्म, अध्यात्म, सहिष्णुता और सामंजस्य, एकता, सामाजिक विकास, भाईचारा, देशप्रेम को सर्वोपरि मानती है।

6. प्रेरणास्पद कार्यक्रमों का आयोजन - युवाओं के लिए विविध प्रेरणास्पद कार्यक्रमों का आयोजन करके बताना होगा कि नैतिक मूल्य होंगे तभी हम अपनी आजादी को बचा पायेंगे।

निष्कर्ष - महाविद्यालयीन युवतियों की कैरियर के अवसरों के प्रति जागरुकता चरम पर है। जहां एक ओर शहरी क्षेत्र की युवतियों ने अपने कैरियर के प्रति अपने आपको सचेत किया है वहीं ग्रामीण युवतियां भी अपने आपको कैरियर के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मानती हैं। वर्तमान समय में युवतियां शिक्षा और कैरियर के लिए पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को भी त्यागने को तत्पर रहती हैं।

हमारे देश में युवतियों की कैरियर के प्रति असीम जागरुकता होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही हैं। जो कि युवतियों के लिए एक चुनौती से कम नहीं हैं। अतः सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाकर युवतियों के कैरियर के हित में नीत-नवीन योजनाएँ लागू करनी चाहिए, जिससे की प्रगतिशील युवतियों को अपने आपको स्थापित करने का उचित अवसर प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बर्मन, गायत्री एवं जैन, शशिप्रभाव : किशोरावस्था विवाह एवं परिवार, शिवा प्रकाशन, इन्दौर, 2003.
2. गुप्ता, सुभाषचन्द्र : कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2008.
3. गोस्वामी, सुबुद्धि : महिला एवं बाल विकास, पोइन्टर पब्लिषर्स, जयपुर, 2007
4. कपूर, प्रमिला : भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 1976
5. परमार, दुर्गा : श्रमजीवी महिलाएँ और समकालीन पारिवारिक संगठन, साहित्य भवन प्रा.लि., इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1982.
6. स्वर्चितन पर आधारित।

होलकर राज्य के मालवा में मराठा अभ्युदय

रीना मुजाल्दे *

● **मालवा की भौगोलिक स्वरूप** – मालवा भारतवर्ष के मध्य भाग में स्थित होने से यह क्षेत्र भारत के हृदय स्थल में अवस्थित है। मालवा का पठार उत्तर पूर्व में नर्मदा घाटी तक विस्तारित है। विन्ध्य पहाड़ियों पर स्थित मालवा का एक त्रिभुजीय पठार है। सम्पूर्ण रूप से यह क्षेत्र लगभग समतल है। समुद्र से इसकी ऊँचाई लगभग 2000 फीट है।¹ प्रकृति ने इस को अपनी प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर नवाजा है। मालवा की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है और भूमि की उपजाऊ शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। नर्मदा नदी इस क्षेत्र की प्राणदायिनी है। नर्मदा के जल के कारण ही यहां की भूमि सोना उगलती है। घोर अन्न संकट के समय में भी यहां मालवा का यह भाग आत्मनिर्भर रहा है और देश के अन्य भागों को भी बड़ी मात्रा में अनाज देने की क्षमता रखता है। बंकिम बाबू ने भारत माता के शय्य श्यामला स्वरूप का जो गुदगुदा देने वाला और गौरवपूर्ण वर्णन अपने क्रान्तिकारी वन्दे मातरम में किया है, वह शब्द प्रति शब्द मालवा भूमि की ओर संकेत करता है।

● **मालवा का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिदृश्य** – भारत के इतिहास में मालवा योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के विकास में मालवा सदैव से ही अविस्मरणीय रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मालवा की एक विशिष्ट पहचान रही है। मालवा की सीमाओं के बारे में विद्वान इतिहासकारों में मतभेद है। मालवा के प्राचीनतम नगरों में अवंतिका, महिष्मती, विदिशा, पद्मावती तथा दशपुर (मन्दसौर) उल्लेखनीय हैं जो हजारों वर्षों से भारतभर में विख्यात रहे हैं। मालवा के मुख्य शहरों में—उज्जैन, चन्देरी, धार, मांडू, गढा (मण्डला), नरवर, कोटा, मन्दसौर और सिरोंज² के नाम उल्लेखनीय हैं जो भारतभर में विख्यात थे।

मालवा प्रान्त प्रारंभ से ही आर्थिक रूप से सम्पन्न रहा है। मुगलों के समय में भी यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न ही था। मालवा में पूर्व से जो सड़के बनी हुई थी, उनका महत्व सैनिक दृष्टि से ही नहीं था, अपितु वे व्यापार व्यवसाय मार्ग के लिये भी उपयुक्त और महत्वपूर्ण थी। मालवा के पहुंच मार्ग और मालवा से बाहर को जाने वाले मार्ग सुविधाजनक थे। जिससे मालवा प्रान्त के उद्योग धंधों की बहुमुखी वृद्धि हुई। यूरोपीय व्यापारी प्रायः मालवा के मार्ग से ही होकर उत्तर भारत को जाते थे। मुगल साम्राज्य के विभिन्न सूबों में तुलनात्मक दृष्टि से गुजरात के पश्चात् मालवा की ही गणना होती थी।

मालवा क्षेत्र में सौ साल से भी अधिक स्वतंत्र मुस्लिम शासकों ने राज्य किया और मालवा में उनका वर्चस्व रहा, तथापि मालवा में स्थाई रूप से मुसलमानों का आधिपत्य न हो सका। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम शासकों पर भी हिन्दुओं का ही प्रभाव रहा। बरसों तक बसन्तराय प्रधानमंत्री रहा और मुस्लिम काल में मालवा की बागडोर राजपूतों ने ही सम्हाली। मालवा की

बहुसंख्यक प्रजा हिन्दू थी, जो कई वर्गों में विभाजित थी। राजपूत समाज भी कई वर्गों में बंटा हुआ था। स्थानीय राजपूतों ने मालवा को ही अपना घर बना दिया था।

मुगलों काल में राजपूत जमींदार मालवा में ही जम रहे। मालवा में भिलाला तथा सौंधिया जैसी अनेकानेक मिश्रित जातियां सशक्त हो चली थी। दक्षिणी मालवा में उनकी संख्या अधिक थी। राजपूत जागीरदार और राजपूतों ने मालवा में नवीन राज्यों को जन्म दिया।

● **मालवा में नवीन युग का आरम्भ (सन् 1698 ई.)** – भारतीय इतिहास में मालवा में नवीन युग का आरंभ एक अभूतपूर्व घटना है। भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं अपितु मालवा के इतिहास में भी सन् 1698 ई. से एक नवीन युग का प्रारम्भ होता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार के शब्दों में “राजाराम के जिंजी से महाराष्ट्र को लौटते ही एक ऐसी परम्परा प्रारम्भ हुई जिससे आगामी अर्द्ध शताब्दी समाप्त होते होते मालवा प्रान्त का राजनैतिक इतिहास पूरी तरह से बदल गया।³ 82 वर्षीय बूढ़े मुगल सम्राट औरंगजेब ने स्वयं यह निश्चय किया था कि वह स्वयं सेना का संचालन करें, मराठों के किले हस्तगत करे और मराठों को कुचल डाले किंतु बुझते हुए दिये में न तो तेल था, और न प्रकाश। दूसरी ओर मराठों ने जागीर प्रथा को पुनर्जीवित करके उसे अपने शासन संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यो जागीर प्रथा ने मालवा में भी जड़ पकड़ ली। जिसके कारण मालवा से मुगल सत्ता उठ गई और मराठों का पूर्ण प्राधान्य हो गया। इस नवयुग के प्रारम्भ से ही मालवा प्रान्त में विभिन्न सत्ताओं, परस्पर विरोधी स्वार्थों एवं प्रतिकूल तत्वों की स्थापना हुई जिसके कटुतम परिणामों से मालवा में अराजकता का एक छत्र राज्य हो गया।

मालवा में लम्बे समय से जो शान्ति, समृद्धता, एकता तथा हरियाली और खुशहाली थी, उन सबका ई. 1698 में अन्त हो गया। मुगलों के सुशासन के फलस्वरूप मालवा को जो राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी वह धीरे-धीरे, छिन्न-भिन्न होने लगी। मालवा में अराजकता और विनाश का प्रवाह तेज होता चला गया। मालवा में ऐसी कोई मजबूत केन्द्रीय सत्ता नहीं रही जो मालवा को अराजकता से उभार सके। अपनी राजपूत नीति के फलस्वरूप मुगलों ने अनेकानेक राजपूतों को भी इसलिए बसाया था कि वे संकट के समय में मुगलों का साथ देंगे किंतु वे राजपूत भी ऐसा ना कर सके।

कहां मालवा और कहा मराठे? दोनों का एक दूसरे से बड़ा दूरस्थ संबंध। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मालवा और मराठों में दूर-दूर का भी संबंधी नहीं था। मराठे तो उज्जड आगन्तुक मात्र ही थे। शिवाजी पुत्र राजाराम ने तो मराठा सत्ता का केवल बीज भूमि पर डाल दिया था, उसका भलिभांति वपन भी नहीं किया था, किंतु जब राजाराम की पत्नी ताराबाई ने मुगलों के

खिलाफ आक्रामक नीति का श्रीगणेश किया तभी उसने मालवा को मराठा आक्रमण हेतु चिन्हित कर लिया था।⁴ ताराबाई की आक्रामक नीति का खफी खां ने अपने ग्रन्थ "मुन्तखब-उल-लुबाब" जिल्द-2 में विस्तार से वर्णन किया है।⁵ 12 वर्षों के पश्चात् जब पेशवा और उसके सेनापतियों ने नवीन प्रान्तों को फतह कर राज्य विस्तार का उपाय सोचा तब मालवा पर मराठों के प्रारम्भिक आक्रमण हुये। बालाजी विश्वनाथ ने कन्टकीर्ण मार्ग को साफ किया और पेशवा बाजीराव (प्रथम) ने राजाराम की नीति को कार्यरूप में परिणित किया।

● **मराठा शासकों का मालवा पर प्रारम्भिक आक्रमण** - मराठा शासकों ने पहला आक्रमण सन् 1699 ई. में कृष्णाजी सावन्त के नेतृत्व में किया। कृष्णाजी सावन्त ने 15000 सवारों की सेना लेकर नर्मदा पार की और उसने धामुनी के आस पास के प्रदेशों को लूटा। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि "जो मार्ग कृष्णाजी सावन्त के आक्रमण से खुला वह 18 शताब्दी के मध्य में जब तक मालवा पूरी तरह से मराठों के अधिकार में न आ गया तब तक किसी भी प्रकार से बन्द नहीं हुआ।

सन् 1703 ई. मराठों के मालवा पर पुनः आक्रमण हुये। मराठों ने नर्मदा पार कर उज्जैन के आसपास तक उपद्रव मचाया। मराठों के दूसरे दल ने दक्षिणी मालवा की सीमा पर स्थित खरगोन शहर पर चढाई की और खरगोन का विध्वंस किया। 1703-04 ई. में मराठा आक्रमणकारी नीमा सिन्धिया ने बरार के नायब सूबेदार रूस्तम खां को पराजित किया और होशंगाबाद पर आक्रमण करके मालवा में जा घुसा। नीमा सिन्धिया ने सिरोंज तक आक्रमण किया था। नीमा ने छत्रसाल बुन्देला से प्रेरणा ग्रहण की और मालवा को बरबाद किया।⁶

मुगल बादशाह ने शहजादे बेदार बख्त को यह आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द मराठा आक्रमणकारियों का सामना करे, किन्तु बेदार बख्त मालवा से बहुत दूर था। तब फिरोज जंग ने नीमा सिन्धिया का मुकाबला किया और नीमा भाग खड़ा हुआ। मराठी भाषा भाषी प्रदेश के लेखकों का यह मत है कि मराठे समस्त भारत में हिन्दु पद पादशाही की स्थापना चाहते थे और मराठा अधिपति पेशवा का भी यही उद्देश्य था। किन्तु मालवा के ख्यातनाम इतिहासकार डॉ. रघुबीरसिंह जी का यह मत है कि विगत वर्षों में बहुत से मराठी पत्र और दस्तावेजों का प्रकाशन हुआ है जिनसे घटनाओं पर नया प्रकाश पड़ता है। इन दस्तावेजों को देखने से इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि उपर्युक्त मत की पुष्टि हो सके।⁷

मालवा पर मराठा आक्रमण का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है यह था कि मराठों द्वारा अपनी सत्ता और राज्य विस्तार की आकांक्षा। यह कारण राजनीत से प्रेरित है। प्रथम पेशवा बाजीराव की प्रतिभा एवं उसके संगठन के फलस्वरूप जब मराठों की सत्ता में नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ तब वे राज्य सत्ता के विस्तार और उसके विकास के नये-नये क्षेत्र ढूँढने लगे। बाजीराव स्वयं भी महत्वाकांक्षी और नवीन विजयों का इरादा रखता था-यह मत सत्यता के निकट प्रतीत होता है तथापि यह एक गौड कारण है।

पेशवा तथा उसके भाई चीमाजी पर कर्ज का भारी बोझ था। मालवा पर मराठा आक्रमण के विभिन्न कारणों में सर्वाधिक उपयुक्त आर्थिक कारण ही प्रमुख कारण जान पड़ता है। पेशवा बाजीराव (प्रथम) पर कर्ज का भारी बोझ था और कर्जदारों के देने के लिए उसे अधिकाधिक धन की आवश्यकता थी। पेशवा के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपने ही प्रदेश दक्षिण भारत से वह इतना अधिक द्रव्य एकत्र कर सके। गुजरात और मालवा दक्षिण के निकट थे किन्तु गुजरात पर सेनापति दाभाडे दांत लगाये बैठा था। ऐसी स्थिति

में पेशवा के लिए द्रव्य प्राप्ति का साधन केवल मालवा प्रान्त ही रह गया था।

पेशवा बाजीराव (प्रथम) ने कई पत्रों में अपने लघु भ्राता चीमाजी को मालवा चढाई विषयक उद्देश्य को बल देते हुये निर्देशित किया था कि- "सम्पूर्ण बात का सारांश यह है कि ऐसी नीति का पालन किया जावे जिससे सारा कर्जा पाटा जा सके और भविष्य के लिए द्रव्य का स्थाई प्रबन्ध हो जावे। साथ ही पेशवा ने अपने भाई को यह ताकीद दी थी कि शीघ्रातिषीघ्र धन भेजो। न केवल बाजीराव (प्रथम) पर अपितु उसके छोटे भ्राता चीमाजी का व्यक्तिगत कर्जा भी बहुत था।⁸

यद्यपि मालवा पर पूर्ण आधिपत्य करने के लिए तो पेशवा का कर्तई इरादा नहीं था। वह तो यही चाहता था कि किसी भी प्रकार से मालवा से नियमित चौथ प्राप्त होती रहे।⁹ वरिष्ठ मराठा राजनीतिज्ञों का भी यही अनुमान था कि राजा जयसिंह के माध्यम से उन्हें मालवा प्रान्त की चौथ आदि मिलती रहेगी। पेशवा अधिपति राजा शाहू का भी यह अभिमत था कि यदि उसे 10 लाख रुपये नियमित सालाना प्रतिवर्ष दिया जावे तो वह अपने किसी भी सेनापति को नर्मदा पार करके उत्तरी भारत में न जाने देगा।¹⁰ अतः मालवा पर मराठों के आक्रमण का मुख्य कारण आर्थिक ही था। इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

फरवरी, 1733 ई. में मन्दासौर के युद्ध में सवाई जयसिंह की पराजय से उत्तरी भारत पर भी मुगलों का अधिकार नहीं रहा। मालवा पर पुनः मुगल आधिपत्य स्थापित करने का निजाम का भी अंतिम प्रयास ई. 1737 के भोपाल के युद्ध में हुई पराजय के कारण विफल हुआ। अतः नादिरशाह के आक्रमण के फलस्वरूप अशक्त और विश्रुंखलित हो मुगल सम्राट ने 4 जुलाई, ई. 1741 को पेशवा बाजीराव को मालवा की नायब सूबेदारी देकर मराठों की चिरकालिक और मनचाही मुराद पूरी कर दी। मराठों का मनोरथ पूरा हुआ और मालवा पर उनका एकाधिपत्य स्थापित हो गया।

● **मालवा में मराठा राज्यों का उद्भव:-**

● **होलकर का अभ्युदय इंदौर राज्य** - अमझेरा युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात् ई. 1730-31 में पेशवा ने मालवा प्रान्त के विभिन्न परगनों के चौथ आदि कर अपने विशिष्ट मराठा सेनापतियों में ही विभाजित कर मालवा का संरंजाम सौंप दिया था।¹¹ जब उदाजी पवार के पेशवा से मनोमालिन्य हो गये थे तथी उदाजी पवार मालवा के मामले से पृथक कर दिया गया था। तब मालवा प्रान्त में होलकर के अतिरिक्त कोई दूसरा महत्वपूर्ण सेनापति नहीं रह गया था। 03 अक्टूबर, ई. 1730 के दिन सूबेदार मल्हारराव होलकर को पेशवा के द्वारा 74 परगनों का संरंजाम व अन्य समस्त अधिकार दिये गये। इसके अतिरिक्त ई. 1734 में होलकर की सेवाओं का मूल्यांकन करते हुये पेशवा ने होलकर घराने के लिए चिरकाल के लिए वंश परम्परागत 9 गांव के परगने (हरसोला, सांवेर, बाडलोई, देपालपुर, हातोद, महिदपुर, जगोती और माकडोन) दिये गये। यह जागीर होलकर की खासगी जागीर कहलाती थी। इसी "खासगी जागीर" से इन्दौर राज्य की स्थापना हुई।¹²

● **मालवा में राणोजी सिन्धिया** - मल्हारराव होलकर के साथ-साथ सिन्धिया वंश का मूल पुरुष राणोजी सिन्धिया का भी मालवा में उत्थान हुआ। राणोजी सिन्धिया ने पेशवा बाजीराव (प्रथम) के जूते अपने हृदय पर रखकर अपने विश्वास की परीक्षा दी थी और सरदारी प्राप्त की थी। राणोजी का पुत्र महादजी सिन्धिया भी पेशवा की चरण पादुकाओं को भूला नहीं था।¹³ अतः पेशवा ने होलकर के साथ-साथ सिन्धिया को भी मालवा का संयुक्त शासक बना दिया। ई. 1735 में सिन्धिया ने उज्जैन को ही उत्तरी भारत में अपने पडाव का एक मात्र स्थान बना लिया था।¹⁴

● **धार में पवार** – शंभा पवार के तीन पुत्र थे—उदाजी पवार, आनन्दराव पवार तथा जगदेव पवार। राजा शाहू ने उदाजी को उसके पिता के मुताबिक 'विश्वासराव' का खिताब दिया था किंतु पेशवा से उदाजी की नाइतफाकी होने पर पेशवा ने उसके छोटे भाई आनन्दराव पवार को धार का मुल्क जागीरी में दे दिया था। मराठा सरदारों में आनन्दराव पवार बड़ा ख्यातनाम और बहादुर था।¹⁵

पेशवा के द्वारा आनन्दराव पवार को सन् 1732-33 ई. धार मालवा का सरंजाम मिला। इस सरंजाम में उसे नालखा, बढनावर, धरमपुरी, सांवेर, ताल, बाकानेर तथा खैराबाद के परगने साथ ही बांसवाडा और डूंगरपूर राज्यों के टांको का कुछ हिस्सा भी दिया गया था।

● **देवास के पवार** – तुकोजी और जिवाजी पवार धार के आनन्दराव पवार के ही चचेरे भाता थे। ई. 1735 में दोनों भाईयो को निजी सरंजाम मिला। इस प्रकार तुकोजी और जिवाजी दोनों भाईयो के संयुक्त अधिकार में देवास, सारंगपुर, बागोद एवं इंगनोद के परगने एवं बांसवाडा एवं डूंगरपूर राज्यों का बाकी रहा टांका दिया गया। दोनों भाईयो का संयुक्त कार्य चलता था। अतः सरंजाम भी उनको संयुक्त मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ही स्थान पर दो विभिन्न राजघरानों की स्थापना हुई।¹⁶

जनवरी, 1761 के पानीपत युद्ध में मराठों की भयंकर पराजय हुई। वृद्ध सेनापति मल्हारराव होलकर उस महान विपत्ति से किसी प्रकार अपनी जान बचाकर बच निकला और मालवा चला आया। पानीपत की इस पराजय से न केवल मालवा में अपितु, सम्पूर्ण उत्तरी भारत में मराठा सत्त को भीषण धक्का लगा साथ ही मराठे आर्थिक विपत्ति से भी घिर गये।

तब ऐसी भीषण संकट की परिस्थितियों में पेशवा बालाजी बाजीराव ने मल्हार को सम्पूर्ण उत्तरी भारत के भी सर्वाधिकार सौंप दिये।¹⁷ पानीपत की पराजय के उपरांत भी वृद्ध एवं अनुभवी सेनापति मल्हारराव होलकर ने अपनी सम्पूर्ण कार्य कुशलता दिखलाई और अविरत परिश्रम करके वह उन तात्कालिक संकटापन्न परिस्थितियों से वह जूझता रहा। अन्ततः मल्हार होलकर ने मराठा विरोधी शक्तियों का दमन किया। मल्हारराव होलकर ने न केवल मालवा में अपितु उत्तरी भारत में भी मराठा शक्ति के आधिपत्य और उसके सुदृढीकरण के कार्य को सर्वोत्तम प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया।

सन् 1698 से होकर मालवा में जो अराजकता छाई थी वह अराजकता ई. 1765 में समाप्त हुई और मल्हार होलकर के सद्प्रयासों से मालवा पर भी होलकर राजवंश का आधिपत्य पूर्ण रूपेण स्थगित हो गया था। पानीपत

युद्ध की हार का धक्का खाकर भी मालवा में मराठों की सत्ता बनी रही, जिसका सम्पूर्ण श्रेय सेनापति मल्हारराव होलकर को जाता है।

ई. 1766 में सेनापति मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के पश्चात् आगामी युग में नये ऐतिहासिक व्यक्तियों को प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ जिनमें महादजी सिन्धिया, देवी अहिल्याबाई होलकर, सेनानी तुकोजीराव होलकर (प्रथम) और कोटा का जालिमसिंह के नाम उल्लेखनीय है। अराजकपूर्ण शताब्दी के उत्तर काल में क्षेत्रीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर इन सबके व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पडा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मोहम्मद हबीब तथा खलिक अहमद निजामी, : दिल्ली सुल्तनत, भाग 2 पृ. 152
2. सिरोंज मालवा का सबसे बहतर मुकाम था। महाराजा यशवंतराव होलकर (प्रथम) ने सिरोंज का परगना पिण्डारी नेता अमीर खां को उसकी फौज के खर्च के लिये दे दिया था। महाकवि श्यामलदास - वीर विनोद, भाग 2 - खण्ड 3 - पृ. 1627
3. यदुनाथ सरकार - हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जि-5, पृ. 380, पृ. 532
4. डॉ. रघुवीरसिंह - मालवा में युगान्तर द्वि.सं 2007 - पृ. 49
5. खफी खां मुन्तखब - उल - लुबाब, जि.2-पृ. 516-17
6. यदुनाथ सरकार - हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जि.5-पृ.382
7. डॉ. रघुवीरसिंह - मालवा में युगान्तर, द्वि.स. पृ. 184
8. पेशवा दफ्तर जि-13 पत्र संख्या 14, 29, हि.स. 1971 - पृ.228।
9. पेशवा दफ्तर, जि. 13 - पत्र संख्या 25
10. वाड एण्ड पारसनीस द्वारा सम्पादित : सिलेवन्शन्स फ्राम दी पेशवाज डायरीज, पत्र संख्या - 1
11. कवि श्यामलदास 7 वीर विनोद, भाग-2-खण्ड-3-पृ. 1595
12. डॉ. रघुवीरसिंह - मालवा में युगान्तर, द्वि.सं.,पृ.-268
13. नरसिंह चिन्तामणि केलकर - मराठे और अंग्रेज, पृ. 163
14. पेशवा दफ्तर, जि-14- पत्र संख्या - 29
15. महाकवि श्यामलदास - वीर विनोद, भाग-2 खण्ड-3-पृ. 1619
16. पेशवा दफ्तर, जि. 13 - पत्र संख्या 54-56।
17. डॉ. रघुवीरसिंह - मालवा में युगान्तर, द्वि.सं. पृ. 300

महाविद्यालयीन युवतियों का पारिवारिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव-गंभीर सामाजिक चिन्तन

मोनिका चौहान *

प्रस्तावना - मानव मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण समूह है, जिसे अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निश्चित तथ्यों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्य संस्कृति के घटक हैं इसलिए उनका जन्म भी संस्कृति से ही होगा। व्यक्ति के जीवन मूल्यों में अंतर होने का कारण भी यही होता है कि हर व्यक्ति का परिवार, समाज, धर्म, व जाति की संस्कृति अलग-अलग होती है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्य भी अलग-अलग होते हैं।

मनुष्य जिस समाज में रहता है, उस समाज की सभ्यता से प्रभावित होकर अपने जीवन मूल्य निर्धारित करता है। मूल्यों में आदेश सूचक और अनिवार्यता के तत्व होते हैं, जिन्हें कि समाज में प्रचलित रीतियों, प्रथाओं और नैतिक नियमों के कारण उत्तरोत्तर बल प्राप्त होता रहता है। फलतः मूल्य व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित व सही मार्ग की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के अपने भिन्न-भिन्न मूल्य होते हैं। जो उसके लिये महत्व रखते हैं। हमारी अपने जीवन से क्या अपेक्षाएँ हैं, इसका निर्धारण करने में मूल्य नियंत्रण का कार्य करते हैं। अतः किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके मूल्यों को पहचाना जा सकता है। हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तत्व जरूर होते हैं। ये तत्व जीवन के मूल्य होते हैं। बिना इन मूल्यों के हम आगे नहीं बढ़ सकते।

व्यक्ति परिवार से ही मूल्य ग्रहण करता है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पायी जाती है। भले ही इसके रूप एवं प्रकार भिन्न-भिन्न क्यों न रहे हो। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक कार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में ही नवजात शिशु का उचित पालन-पोषण, शिक्षा दीक्षा, समाजीकरण और आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह मूल्य की वस्तु बन जाती है। इच्छा तथा संतुष्टि ही ऐसे शब्द हैं जो सभी मूल्यों, भौतिक या अभौतिक के लिए समान है। मूल्य विभिन्न पहलुओं में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। विद्वान पुरुषों ने समय-समय पर इस शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। दार्शनिक विचारधारा के अनुसार, मूल्य न तो किसी वस्तु न ही किसी व्यक्ति की ओर संकेत देता है अपितु एक विचार या एक विचारधारा या प्रसन्नता व दुःख से मुक्त मन की

धारणा है। मनोवैज्ञानिकों ने इस शब्द का प्रयोग 'मनो-शक्ति' के रूप में किया है, समाजवादियों ने निश्चित लक्ष्यों के लिए 'समय, शक्ति तथा धन के प्रयोग' के अर्थ के रूप में लिया है।

सार्वभौमिक रूप से यह स्वीकृत है कि एक राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के द्वारा अपनाए जाने वाले मूल्यों पर निर्भर करता है। मूल्य विभिन्न तत्वों जैसे-योग्यताएँ, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, बुद्धि, सामाजिक-आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक विचारधारा, स्कूल तथा समाज का वातावरण आदि पर निर्भर करते हैं। भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति मानी जाती है, परन्तु आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण मूल्यों का दिन-प्रतिदिन हास हो रहा है। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुदृढ़ता से यह समर्थन किया है कि हमारी शिक्षा मूल्य केन्द्रित होनी चाहिए। प्रत्येक समाज एक ओर शिक्षा के द्वारा अपने विद्यार्थियों को ज्ञान तथा कौशल प्रदान करने का प्रयत्न करता है, इसके साथ-साथ उसे अपने विद्यार्थियों में कुछ विशेष मूल्यों के विकास का भी प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में सहायता कर सके।

अतः मूल्य वह है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, मनोविज्ञान सम्बन्धी तथा शरीर विज्ञान सम्बन्धी मूल्यों तथा शरीर विज्ञान सम्बन्धी मूल्य बाल्यकाल से युवावस्था या संपूर्ण जीवन तक विकसित होते रहते हैं।

डॉ. राधाकमल मुकर्जी (1956) के अनुसार - 'मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएँ एवं लक्ष्य है, जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और ये व्यक्ति अधिमान, मान तथा अभिलाषायें बन जाती है।'

निकिल एवं डॉसी 1967 के अनुसार - 'मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व है। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमतापूर्वक चयन को संभव बनाते हैं।'

वर्तमान में युवतियों को पुरुषों के समान सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वे शिक्षा, समाज, परिवार एवं रोजगार जैसे आवश्यक एवं अनिवार्य क्षेत्रों में बराबर की हिस्सेदार हैं। आज के इस आधुनिक युग में अनेक महिलाएँ अपने परिवार के संचालन के साथ-साथ देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो या तकनीकी का हो, पुरुषों के साथ-साथ वे अपने उन कार्यों को भी कर रही हैं, जो हमारी संस्कृति से उन्हें विरासत में मिले हैं। जो परिवार एवं समाज से जुड़े हैं। माता, बहन, पत्नी एवं गृहिणी के सारे कर्तव्य पूरे कर रही हैं। लेकिन इन सभी कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें अनेकों बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

कामकाजी युवतियों को विशेषकर अपने जीवन निर्वाह में बहुत सारी चुनौतियों एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन्हें हम कुछ अच्छे समायोजनों के माध्यम से कम कर सकते हैं। **पारिवारिक समायोजन** से तात्पर्य यह है कि परिवार के सदस्यों के मध्य रुचियों, विचारों व स्वभाव में अधिक से अधिक समानता हो व विरोध विद्यमान न हो। यदि विरोध है तो परस्पर सामंजस्य करने का प्रयत्न करते हैं। जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करते हैं तो यही पारिवारिक सामंजस्य कहलाता है।

जो महिलाएँ रोजगार से जुड़ी हैं, उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। एक भूमिका पत्नी, माँ व गृहिणी की तथा दूसरी नौकरी की। उनके जीवन में जितना अधिक पारिवारिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है उनका व्यवसाय संबंधी उत्तरदायित्व।

आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के कारण इन विद्यार्थियों में डेटिंग, ड्रिक्स, ड्रग्स, पार्टियाँ, पिकनिक एवं शॉपिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है। अधिकांश विद्यार्थी शहर के बाहर से आकर अध्ययन करते हैं। इस कारण इन छात्रों पर किसी प्रकार का पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण नहीं रहता है। छात्र-छात्राओं को अपने परिवार से मिलने वाला मासिक जेब खर्च इसके लिए कम पड़ने लगता है, परिणामस्वरूप अधिकांश छात्र अपने अध्ययन के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब (अंशकालिक कार्य) करते हैं और अपने खर्च के लिए अतिरिक्त राशि अर्जित करते हैं। इसका प्रभाव इनकी शैक्षणिक स्थिति पर पड़ता है। महानगरों में अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए खर्च की सीमा भी अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्दीर शहर जहाँ एक ओर भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं दूसरी ओर यदि आप राह से भटक गये तो पतन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे छात्र जो नियमित रूप से अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देते हैं। वे निष्चित रूप से भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, किन्तु आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में दौड़ने वाले विद्यार्थी सदैव ही नुकसान में रहते हैं।

संकलित समक अव्यवस्थित होते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार के निष्कर्ष निकालने के लिए व्यवस्थित करना आवश्यक है। एकरूपता एवं समानता के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया गया है। तत्पश्चात् वर्गीकृत तथ्यों को सारणी के रूप में विभक्त किया गया है, ताकि उनका तुलनात्मक महत्व पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है एवं तथ्यों को सरलतम रूप प्रदान करने के लिए चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्र. 1 : व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली शहरी महिलाओं के मूल्य

प्रासांक	रोजगार मूल्य		पारिवारिक मूल्य	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
20-40	0	0	01	2.5
40-60	01	2.5	03	7.5
60-80	05	12.5	26	65
80-100	34	85	10	25
	40	100	40	100

व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली शहरी महिलाओं के कुल मूल्य के प्रासांक को हमने चार श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे-20-40 अंक, 40-60 अंक, 60-80 अंक और 80-100 अंक में। यह विभाजन तीव्रता के आधार पर

किया गया अर्थात् 20-40 प्रासांक वाली महिला निम्न मूल्य की श्रेणी में आती है, उसी प्रकार 80-100 प्रासांक वाली महिला उच्च मूल्य के अंतर्गत आती है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाली व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली शहरी महिलाओं के रोजगार मूल्य 0 (0%) है एवं पारिवारिक मूल्य 1 (2.5%) है उसी प्रकार 40 से 60 अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का रोजगार मूल्य 1(2.5%) है एवं पारिवारिक मूल्य 3 (7.5%) है। इसी प्रकार 60 से 80 अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का रोजगार मूल्य 5 (12.5%) है एवं पारिवारिक मूल्य 26 (65%) है, उसी प्रकार 80 से 100 अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का रोजगार मूल्य 34(85%) है एवं पारिवारिक मूल्य 10 (25%) है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 80 से 100 अंक प्राप्त करने वाली व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली शहरी महिलाओं का रोजगार मूल्य पारिवारिक मूल्य के प्रतिशत से अधिक है एवं 60 से 80 अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का पारिवारिक मूल्य रोजगार मूल्य से अधिक है।

इसका कारण यह है कि ग्रामीण की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार के प्रति रुझान अधिक होता है एवं उनके पारिवारिक मूल्यों के कारण भी रोजगार के प्रति रुझान बढ़ता है।

मूल्यों की आवश्यकता तथा महत्व - वर्तमान समय में जब सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का दिन-प्रतिदिन हास होता जा रहा है, धर्म में आस्था कम हो रही है, अपने स्वार्थ के लिए शक्ति तथा ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न देश एक-दूसरे पर विश्वास खो चुके हैं, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, हिंसा तेजी से फैल रही है, तो ऐसे समय में मूल्यों के लिए शिक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा का कार्य है, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार तथा प्रसार करना, जिसके निम्नलिखित कारण हैं -

1. लोकतंत्र की सफलता के लिए - एक लोकतांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज के सभी सदस्य एक-दूसरे का आदर तथा दूसरे से प्रेम करें। उन्हें 'मैं' की भावना से नहीं अपितु 'हम' की भावना से रहना चाहिए। लोकतंत्र व्यक्तित्व के आदर पर बल देता है। इन मूल्यों का विकास लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

2. लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन - वर्तमान समय में विज्ञान तथा तकनीक में अत्यधिक आधुनिकता आ रही है। इसके परिणामस्वरूप लोगों की जीवन शैली पूर्णतया परिवर्तित हो गई है। आज मनुष्य गतिशीलता में विश्वास करता है। नवयुवकों में नैतिक जागरूकता का विकास किया जाना बहुत आवश्यक है।

3. मानववाद का आधार - वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में शोषण, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, घृणा, उपद्रव तथा आक्रामकता विद्यमान है। लोग आत्माहीन तथा परमात्माहीन प्राणी बन रहे हैं। हर स्थान पर क्रमहीनता का बोलबाला है। मूल्यों के लिए शिक्षा विश्व की वर्तमान बुराईयों को दूर करेगी। यह जीओ और जीने दोगे के सिद्धांत को प्रोत्साहन देगी तथा मानववाद का आधार प्रदान करेगी।

4. परंपरागत मूल्यों का संरक्षण तथा विकास - विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी नैतिक मूल्यों का हास हो रहा है। आधुनिक युग में नैतिकता के विकास में धर्म स्वयं को अक्षम पाता है। इसीलिए उचित मूल्यों को पहचानने की तथा शिक्षा की सहायता से उनका विकास करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

5. जीवन को सरल तथा खुशहाल बनाना - समय के साथ-साथ जीवन अधिक तीव्र तथा जटिल बनता जा रहा है। दिन-प्रतिदिन परिवार, समाज तथा राजनैतिक वातावरण निरन्तर अधिक से अधिक जटिल बन रहा है। आज के विद्यार्थी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जहाँ दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा उसे स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। इसीलिए जीवन को सरल तथा खुशहाल बनाने के लिए लोगों में मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है।

6. विस्तृत दृष्टिकोण का विकास - आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति दिन-प्रतिदिन स्वार्थी बनता जा रहा है। वह 'मैं' की भावना में विश्वास करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि संकुचित दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। समाज के साथ-साथ देश के विकास के लिए विस्तृत दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। मूल्यों के लिए शिक्षा मनुष्य को गत्यात्मक तथा प्रकाशित करती है। उसे जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए उत्साहित बनाती है। जिससे वह अपनी बुद्धि तथा प्रयत्न से उनका समाधान कर सके।

7. नैतिक विकास - सभी शिक्षा समितियों ने शिक्षा की सहायता से नैतिक विकास पर बल दिया है। यह बालकों में सत्यता, मानवता, सहनशीलता, ईमानदारी, बन्धुत्व, प्रेम तथा त्याग की भावना का विकास करती है, जो बालक के उच्च चरित्र का निर्माण करती है तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करती है।

इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन के मूल्य गहन हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सितारों की भांति चमकते हैं। **श्री राधाकृष्णन के शब्दों में, 'भारत के साथ-साथ पूरे विश्व की समस्या का कारण है कि शिक्षा मूल्यों की प्राप्ति नहीं अपितु केवल बौद्धिक अभ्यास बन चुकी है।'**

वर्तमान समय में जब नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, धर्म में आस्था समाप्त हो रही है, स्वयं के स्वार्थों के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे समय में मूल्यों के लिए शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है। आज के समय में राजनीतिक दबाव का कारण यही है कि ज्ञान में वृद्धि हो रही है, परन्तु मूल्यों का हास हो रहा है। यह मूल्यों के शिक्षा ही है जो मानव को एटोमिक ऊर्जा का प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई करने के लिए प्रेरित करेगी।

भारत में शिक्षा में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। शिक्षा की परंपरागत विचारधारा यही थी कि सामाजिक तथा नैतिक जागरूकता के रूप में शिक्षा की उपयोगिता तथा उद्देश्य को देखना, जीवन को सुन्दरता प्रदान करना और एक अच्छे सामाजिक तथा नैतिक जीवन के लिए आचार संहिता प्रदान करना। गांधीजी के दर्शन का मुख्य आधार 'चरित्र निर्माण' था। हमारे दार्शनिकों के लेखों में भी यही लिखा है कि शिक्षा का हमें उचित तथा अनुचित, गलत व सही, बुराई व अच्छाई में सकारात्मक विभेदीकरण की योग्यता प्रदान करती है।

आधुनिक शिक्षा का मूल्य इसी बात में है कि वह हमें उपयोगिता तथा मूल्यों में एकीकरण, शरीर तथा मन में एकीकरण, संवेगो तथा विचारों, व्यक्ति तथा समाज, समाज तथा विश्व के एकीकरण का ज्ञान प्रदान करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा की सहायता से बालकों में किस प्रकार मूल्यों का विकास किया जाए। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने अच्छे जीवन के संप्रत के अनुसार सोचता है, महसूस करता है व कार्य करता है, उसमें ऐच्छिक

परिवर्तन लाने में शिक्षा सहायता करती है। हमारी शिक्षा के उद्देश्य-व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान में वृद्धि, संस्कृति का संरक्षण, चरित्र में प्रशिक्षण-हमारी मूल्य प्राथमिकता के कथनों से अधिक नहीं है। हम उन्हीं मूल्यों की अनुभूति के लिए ऐच्छिक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों, मूल्यों से युक्त योजना के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ऐसा हम इस ढंग से करते हैं कि अधिगमकर्ता की आजादी पर कोई अंकुश न लगे। अन्य शब्दों में, शिक्षा अपने उद्देश्यों, पाठ्यक्रम तथा विधियों में मूल्यों से संबंधित है।

नैतिक मूल्य अर्थात् वे मूल्य जो व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैतिक मूल्यों का पता हमें व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से चलता है। नैतिकता की शुरुआत परिवार से शुरू होती है। नैतिक मूल्य अमूर्त होते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में झलकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिरुचियों के अनुसार नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। नैतिक मूल्यों के कारण ही व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। प्राचीनकाल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का ज्ञान दिया जाता था, जिसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों, सामाजिक, दायित्वों, अधिकारों और कर्तव्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। जो बालक को एक अच्छा नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। कहा भी जाता है कि बालक का दिमाग एक खाली स्लेट की भांति होता है, जिस पर जो लिख दिया जाता है, वो अमिट रहता है। बचपन में सीखी बातें बच्चों में जीवन भर बनी रहती हैं, इसलिए परिवार, समाज और शिक्षा के द्वारा बालक को ईमानदारी, त्याग, बलिदान, साहस, अहिंसा प्रेम, भाईचारा, अपनापन, बड़ों का सम्मान, छोटों से समानता, मानवता, देशप्रेम, विनम्रता, कर्तव्यनिष्ठा आदि सिखाया जाता है।

निष्कर्ष - वैसे तो नैतिक मूल्य हमारे संस्कारों में ही समाहित रहते हैं। नैतिक मूल्य बचपन में ही परिवार और समाज के द्वारा बालक के चरित्र में समाहित कर दिये जाते हैं, समय के साथ विकसित होकर बालक के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनकर उसके साथ जीवन पर्यन्त बने रहते हैं तथा बालक को उसके सामाजिक, दायित्वों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाते रहते हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव में बड़ी से बड़ी सफलता भी मूल्यहीन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को समाज भी एक दिन अकेला छोड़ देता है। फिर ऐसी सफलता का क्या औचित्य जिसमें अपने, अपनों से दूर हो जाये। भारत की संस्कृति को जिन्दा रखने में समाज के नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में आज भी जहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जहाँ अन्य देशों में लोग अपने माता-पिता को बोझ समझकर अनाथालयों में छोड़ देते हैं। वहीं भारत में नैतिक मूल्यों के आधार पर माता-पिता की सेवा को भगवान की सेवा से बड़ा दिखाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. परमार, दुर्गा : श्रमजीवी महिलाएँ और समकालीन पारिवारिक संगठन, साहित्य भवन प्रा.लि., इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1982
2. आर्य, एस.पी. : समाजशास्त्रीय सिद्धांत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, साहित्य भवन आगरा, 1987
3. महाजन एण्ड महाजन : परिवार एवं समाज, शिक्षा साहित्य प्रकाशन मेरठ, 1990
4. टोंग्या, वी.सी. : परिवार और समाज, कमल प्रकाशन इन्दौर, 1977
5. गुप्ता, सुभाषचन्द्र : कार्यशील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2008.
6. स्वयं चिंतन पर आधारित।

होलकर शासनकाल में मालवा के वणिक सर सेठ हुकुमचंद का साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान

रीना मुजाल्दे *

प्रस्तावना – होलकर शासनकाल में मालवा क्षेत्र के विकास में वणिक सर सेठ हुकुमचंद का अमूल्य योगदान रहा है। 17 वीं शताब्दी की अराजकतापूर्ण परिस्थितियों में राजस्थान के विभिन्न मारवाड़ी वणिक वर्गों के मालवा को स्थानान्तरण हुए। तदनन्तर राजस्थान से आये हुए इन वणिक व्यापारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। राजस्थान से आने वाले इन वणिक वर्गों में ओसवाल भण्डारी, कोठारी, बापना (पटवा), मारवाड़ी अग्रवाल, जैन खण्डेलवाल, मेहता तथा महेश्वरी वर्ग के लोग प्रमुख थे। अपने व्यापार-व्यवसाय के कारण मालवा में स्थापित हुआ यह वर्ग मालवा का अग्रणी बुर्जुवा वर्ग था, जिसके हाथों में तरल पूंजी का मुद्रा कोष था। मालवा का यह बुर्जुवा वर्ग वित्तीय लेन-देन और सोने-चांदी की बिक्री और खरीदी में दक्षतापूर्ण था। उनमें से कईयों के पास तो लाखों की हुण्डिया भुनकर तरल पूंजी देने के लायक पर्याप्त संसाधन थे। सरीफों द्वारा जारी की गई हुण्डियां सारे भारत और एशिया के बड़े-बड़े इलाकों में मान्य होती थी। इन हुण्डियों पर बट्टे (डिस्काउण्ट) की दरें इतनी कम थी कि आश्चर्य होता है। ये हुण्डिया धन की सरलता पूर्वक सुलभता तथा अत्यधिक विकसित वित्तीय प्रणाली के होने को प्रमाणित करती है।¹

मालवा क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं आर्थिक इतिहास में इन वणिक वर्गों का विशेष महत्व रहा है। होलकर राज्य की आर्थिक समृद्धि और उसके विकास एवं संवर्द्धन के लिए इस वणिक वर्ग ने जो कुछ भी किया वह सुज्ञात है। मालवा में पीढ़ी-दर-पीढ़ी निवासरत इस वणिक वर्ग का व्यापारिक लाभांश स्वतः सुखाय नहीं था, अपितु उनके कोष का मुख परमार्थ हेतु खुला था। वणिक वर्ग ने शिक्षा, चिकित्सा और यात्रियों तथा सर्वहारा वर्ग की सुविधा आदि के हेतु भी लाखों का दान देकर अथवा तदर्थ संस्थाओं की स्थापना और आवश्यक भवन आदि निर्माण कर जन साधारण की सामाजिक सेवाओं में भी निरन्तर योगदान दिया।

सर सेठ हुकुमचंद का पारिवारिक जीवन – सर सेठ हुकुमचंद जी की धर्मपत्नी कंचनबाई का गृहस्थ जीवन आइम्बर रहित और आध्यात्मिक था। उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियां थीं। पुत्रों में सेठ हीरालाल और सेठ राजकुमारसिंह कासलीवाल के नाम सु-विख्यात हैं। कंचनबाई का प्रातःकाल का समय पूजा-अर्चना में और पश्चात्वर्तीय समय इतिहास, ज्योतिष तथा धार्मिक ग्रन्थों के पठन एवं उनके अनुशीलन में व्यतीत होता था। उन्होंने अपने पंथ से संबंधित तीर्थ स्थलों की यात्राएं की थीं²

कंचनबाई ने अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासभा तथा मालवा प्रान्त में होने वाले कई महिला सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी।³ 20 अप्रैल, सन् 1935 ई. को इन्दौर में सम्पन्न हुए अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन की वे स्वागताध्यक्ष थीं और पश्चात्वर्तीय होने वाले 'महिला सम्मेलन' की प्रमुख

नेत्री थीं। वे एक अच्छी वक्ता भी थीं।⁴ कंचनबाई स्त्री शिक्षा की हिमायती थीं और नारियों के विकास पर उन्होंने बल दिया था। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने एक लाख रुपया दान दिया था। नरसिंह बाजार इन्दौर में इसी एक लाख के कोष से 'श्री कंचनबाई दिगम्बर श्राविका आश्रम' की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन महारानी श्रीमती चन्द्रिका देवी होलकर के द्वारा किया गया था और महारानी ने उन्हें 'दानशीला' की उपाधि से सम्मानित किया था।

सर सेठ हुकुमचंद की जीवन संगीनी कंचनबाई एक धर्म परायणा नारी होने के साथ-साथ दीन दुखियों तथा असहायों के प्रति सहज समर्पित थीं। वे समाजसेवा में अग्रणी थीं। समाजसेवा, कल्याणकारी तथा पारमार्थिक गतिविधियों के लिए उन्होंने 19 लाख रुपये व्यय किये थे जो समाज सेवा की दिशा में एक अनुकरणीय पग था। जिनालयों का निर्माण, बिम्ब प्रतिष्ठा, बोर्डिंग हाउस एवं विश्रान्ति भवनों के निर्माण में उनका अतिशय योगदान था। कंचनबाई की जैन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति थी। सकल जैन समाज के लिए एवं अन्यो के लिए भी उनकी सेवाएं सराहनीय थीं। दानशीला कंचनबाई पति परायणा विवेकवति, लक्ष्मीस्वरूपा और धर्म परायणा नारी थीं। उन जैसी जैन रत्ना नारी सम्पूर्ण जैन समाज में मिलना दुर्लभ है, जिन्होंने सर सेठ हुकुमचंद जी की प्रसन्नता में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका सम्पूर्ण आलौकिक जीवन 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का एक आदर्श नमूना था। अखिल भारतीय जैन समाज में उनकी कीर्ति सदैव अक्षय रहेगी।

● **सर सेठ हुकुमचंद की मालवा के विकास में राजकीय, व्यावसायिक एवं औद्योगिक, धार्मिक तथा पारमार्थिक सेवाएँ** – सर सेठ हुकुमचंद का मालवा के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। इन्दौर राज्य की हरियाली और खुशियाली, उसका व्यावसायिक और औद्योगिक विकास तथा सशक्तिकरण में जिन महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान रहा है, उनमें से एक थे-दानवीर, तीर्थ शिरोमणि, जैन धर्मभूषण, जैन दिवाकर, रायबहादुर, रावराजा, श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी खण्डेलवाल। 19 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता सरूपचंद जी की वटवृक्षीय छाया उनके सिर से उठ गई थी। सेठ हुकुमचंद जी ने अपने जीवत, उद्यमी स्वभाव तथा उद्भुत कौशल के दम पर मालवा के बुर्जुवा वर्ग की अग्रिम पंक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

● **सर सेठ हुकुमचंद का होलकर राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान** – सर सेठ हुकुमचंद ने मालवा क्षेत्र का आर्थिक विकास कर मालवा प्रान्त को सुदृढ़ करने में विशिष्ट योगदान दिया है। वे एक स्वदेश प्रेमी व्यक्ति थे, जिनको यह बात नागवार गुजरी कि भारत की रूई विदेश जाकर और पुनः कपड़ा बनकर यहां आये। अतः उन्होंने स्वयं इन्दौर में वस्त्र उद्योग

की स्थापना की। ई. 1909 में उन्होंने 15 लाख की पूंजी से पहले मालवा मिल और तत्पश्चात् सन् 1919 में हुकुमचंद मिल्स की स्थापना की। सन् 1922 में 20 लाख रुपये की पूंजी लगाकर राजकुमार मिल्स को प्रारंभ किया। सन् 1928 में तत्कालिक ग्वालियर राज्य से प्रोत्साहन पाकर उन्होंने उज्जैन में ही हीरा मिल्स को स्थापित किया। उसी मध्य कलकत्ता में जूट व्यवसाय में पर्याप्त प्रगति को देखकर सेठ हुकुमचंद ने अपनी तीक्ष्ण व्यावसायिक बुद्धि से 80 लाख रुपये की लागत से कलकत्ता में एक जूट मिल स्थापित की। उसके अगले ही वर्ष कलकत्ता में 'द हुकुमचंद आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी' की स्थापना की। साथ ही कलकत्ता में 'बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स' भी आपके द्वारा स्थापित किये गये थे। यह सब उनके औद्योगिक साहस और दूरदर्शिता का ही परिणाम था।

विशेषतया इन्दौर राज्य और इन्दौर नगर की जो आर्थिक समृद्धि विगत 40-50 वर्षों में हुई उसका श्रेय सर सेठ हुकुमचंद को जाता है। यदि सर सेठ हुकुमचंद जी का सशक्त कान्धा होलकर राज्य को न मिलता तो राज्य की इतनी विपुल आर्थिक समृद्धि कदापि संभव नहीं होती। उनके द्वारा स्थापित सशक्त उद्योग धंधों ने कई हजारों व्यक्तियों को रोजी-रोटी प्रदान की थी।

सर सेठ हुकुमचंद का महत्व समझने के लिए हमें अपने आपको उस काल और परिस्थिति में ले चलना होगा, जबकि भारतवर्ष में औद्योगिकीकरण का श्रीगणेश ही हो रहा था और पूंजीपति इस क्षेत्र में पदार्पण करने में काफी हिचकिचाते थे। उस समय देश में विदेशी सत्ता का राज्य था, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत के उद्योग-धन्धे पनप न पावे और विदेश के कारखानों को भारत का खुला बाजार मिलता रहे। इन्दौर जैसे नगर को रातोंरात एक औद्योगिक महानगर की चकाचौंध में परिवर्तित कराने का श्रेय सर सेठ हुकुमचंद जी की वाणिज्यिक बुद्धि को जाता है। वाणिज्य रत्न सर सेठ हुकुमचंद का मुम्बई के व्यावसायिक क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव था। उन्होंने चीन, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में भी व्यापार किया। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में लगा उनका चित्र विदेशों में उन्हें प्राप्त सम्मान का प्रमाण है।

सर सेठ हुकुमचंद धारासभा के सदस्य के रूप में भी नामजद किये गये थे। प्रजामण्डल के नेताओं तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों को सेठ साहेब के साथ कार्य करने में बड़ा आनन्द आता था और वे इसे अपना गौरव समझते थे। इन्दौर में रहकर और अपने क्रिया-कलापों से सेठ हुकुमचंद इतने अधिक चर्चित हो गये थे कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके परिवार को 'हावल्या कावल्या' के नाम से जाना जाता था और इन्दौर शहर भी कभी बीते जमाने में 'हावल्या-कावल्या सेठ का इन्दौर' कहा जाने लग गया था।

सर सेठ हुकुमचंद इन्दौर राज्य के व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत के आधार स्तम्भ ही नहीं थे अपितु वे इन्दौर-मालवा के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर भी वे पारमार्थिक संस्थाओं के आधार स्तम्भ थे। उन्होंने अनेक पारमार्थिक संस्थाओं को जन्म दिया था और उनमें प्राण फूँके थे। जिन संस्थाओं का उन्होंने निर्माण कराया और उन्हें दान इत्यादि से पोषित किया था, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. इन्दौर नगर छावनी के मध्य उन्होंने एक लाख वर्ग फीट सरकार से खरीद कर भगवान पार्श्वनाथ जिनालय का निर्माण कराया और यात्रियों के ठहरने के लिए सौ कक्षों का निर्माण कराया।
2. अपनी पूज्य माता के नाम पर सियागंज छावनी में 'जव्हेरी बाग' (नसिया जी) की स्थापना की।
3. सर सेठ हुकुमचंद ने अपनी पत्नी की स्मृति में सौ. कंचनबाई दिगम्बर

जैन श्राविकाश्रय' का निर्माण कराया। जिसमें पृथक से एक पुस्तकालय भी है, जिसमें 904 ग्रन्थ है।

4. सर सेठ हुकुमचंद द्वारा 'प्रिन्स यशवन्तराव आयुर्वेदिक जैन औषधालय' निर्मित किया गया था। यह औषधालय आज भी इन्दौर के बियावानी क्षेत्र में स्थापित है। संवत् 2006 में इसका बजट 29555/- रुपये था, जिसमें से 21542/- रुपये से अधिक आयुर्वेद की काष्ठ औषधियों पर 2507/- रुपये अन्य औषधियों पर व्यय होते थे।
5. सर सेठ हुकुमचंद ने दीतवारिया जैन मंदिर के लिए 15000/- रुपये तथा उससे जुड़े हुए पारमार्थिक संस्थाओं के लिए 16621/- रुपये का दान दिया था।
6. संवत् 2001 में सेठ हुकुमचंद ने पालीताना शत्रुंजय जी की धर्मशाला के लिए रुपये 5000/-, खण्डवा के जैन धर्मशाला निर्माण के लिए 10000/- रुपये, भरतपुर के 'ज्ञान चन्द्रिका औषधालय' के लिए 4000/- रुपये तथा पुल्लक पूज्य श्रीगणेश प्रसाद जी के सागर के विद्यालय को 27500/- रुपये प्रदान किये थे।
7. संवत् 2003-04 में आपने सोनगढ़ के 'कुन्द कुन्द प्रवचन मण्डल' को 11001/-, उज्जैन के जयसिंहपुरा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 11000/- रुपये, प्रतापगढ़ के श्री यशकीर्ति दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउस को 3000/- तथा नागपुर की जैन धर्मशाला को 2500/- रुपये प्रदान किये।
8. किंग एडवर्ड हॉस्पिटल छावनी इन्दौर में वाई निर्माण हेतु रुपये 40000/- दानस्वरूप प्रदान किये।
9. महाराजा तुकोजीराव नरसेस इंस्टीट्यूट के लिए 20000/- दान स्वरूप उनके द्वारा दिये गये।
10. बड़नगर में बिम्ब प्रतिष्ठा के अवसर पर सेठ हुकुमचंद द्वारा मालवा प्रान्त की सभा को 3600/- रुपये का दान दिया गया था।
11. श्रीमंत महाराजा यशवन्तराव होलकर के स्वास्थ्य लाभ होने की खुशी के अवसर पर गरीबों को 500/- रुपये के वस्त्र वितरित किये गये।
12. सेठ हुकुमचंद द्वारा लेडी ओडवायर गर्ल्स स्कूल छावनी इन्दौर को स्थायी फण्ड स्वरूप 10000/- रुपये दान दिये गये थे।
13. इन्दौर दीतवारिया बाजार में स्वजाति बन्धुओं की भोजनशाला के निर्माण के लिए सर सेठ हुकुमचंद द्वारा 97000/- रुपये का दान दिया गया।
14. इन्दौर जव्हेरी बाग बोर्डिंग के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 30000/- रुपये का दान दिया गया।
15. इन्दौर में प्लेग महामारी के समय सेठ हुकुमचंद द्वारा गरीबों के झोपड़े बनवाने के लिए 500/- का दान दिया गया।
16. इन्दौर में महारानी इन्द्राबाई साहिबा के नाम से स्त्रियोपयोगी नर्सों की संस्था हेतु आवास निर्माण के लिए 25000/- का दान सेठजी के द्वारा दिया गया।⁵
17. अहिल्यामाता गोशाला पिंजरापोल की पानड़ी के लिए सेठ हुकुमचंद जी के द्वारा 3101/- रुपये का दान दिया गया।
18. श्रीमंत महाराजा साहेब यशवंतराव होलकर के नाम पर स्थापित 'यशवन्त क्लब' के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए सेठ हुकुमचंद के द्वारा 25000/- का दान दिया गया।
19. उज्जैन में क्षयरोग निदान अस्पताल के निर्माण के लिए 40000/- रुपये का दान सेठजी के द्वारा दिया गया।

20. इन्दौर प्रजामण्डल की सहायतार्थ रुपये 2101/- का दान दिया गया। सर सेठ हुकुमचंद के पारमार्थिक कार्यों और उनके दान की सूची वर्णनातीत है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। उनके दान-धर्म से आज कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं, जो उनके निःस्वार्थ परमार्थ का आज भी गुणानुगान करती हुई प्रतीत हो रही हैं।

सर सेठ हुकुमचंद को उनकी निःस्वार्थ सेवाओं के कारण भारत की देशी रियासतों में बड़ा मान-सम्मान और आदर प्राप्त था। देशी रियासतों में अलवर, बीकानेर, ग्वालियर, उदयपुर, झालावाड़, धार, बड़वानी, देवास, झाबुआ, सीतामऊ, सेलाना, नरसिंहगढ़, राजगढ़, बांसवाड़ा, झुगरपुर तथा इन्दौर जैसी रियासतों ने उन्हें सम्मानित कर मानपत्र तथा विविध उपाधियों से नवाजा था। ये मानपत्र इतने व्यापक क्षेत्रों से दिये गये थे, जितना सेठ साहब का सार्वजनिक जीवन और कार्यक्षेत्र रहा है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, बनारस, पटना, जयपुर, अजमेर आदि उत्तर भारतीय नगरों से ही नहीं अपितु मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, शोलापुर, पूना आदि दक्षिण भारत के नगरों और भारत के समस्त तीर्थ स्थानों से ये मानपत्र-विविध व्यापारिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से दिये गये थे।

ब्रिटिश सरकार ने सर सेठ हुकुमचंद को ई. 1915 में 'रायबहादुर' तथा ई. 1918 में 'नाइट हुड' की सम्मानित उपाधि से अलंकृत किया था।⁶ विविध संस्थाओं द्वारा प्रदत्त इन मानपत्रों में सर सेठ हुकुमचंद के लिए प्रयुक्त शब्दों से ही आपकी विशाल लोकप्रियता का परिचय मिलता है। इन सम्मान पत्रों में आपके लिए - वैश्वकुल तिलक, धन कुबेर, धर्म परायण, समाज शिरोमणि, श्रेष्ठिर्वर्य, शिक्षा प्रेमी, दानवीर-धर्मवीर, कर्मवीर, जैनजाति भूषण, जैन जाति दिवाकर, व्यापार शिरोपणी, धनिक प्रवर, जिनेन्द्र भक्त तथा समाज सेवा परायण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।⁷

● सर सेठ हुकुमचंद के निर्माण कार्य:

● इन्द्रभवन, घण्टाघर, रंगमहल तथा शीशमहल

सर सेठ हुकुमचंद ने धन जैसा कमाया था, वैसा ही उसका उपयोग दान, भोग तथा निर्माण कार्यों में किया। आपका रहन-सहन और व्यवहार कभी राजा-महाराजा, नवाबों और रईसों को भी मात करता था। इन्दौर के दीतवारियां में स्थित उनके प्रमुख निर्माण कार्यों में इन्द्र भवन, रंगमहल, शीशमहल और घण्टाघर की इमारतें मुख्य मानी जाती हैं। इन्द्रभवन, शीशमहल और घण्टाघर की इमारतें मुख्य मानी जाती हैं। इन्द्रभवन, शीशमहल (कांच महल), रंगमहल तथा उनका बग्गीखाना बड़े-बड़े रईसों की शान-शौकत को मात करता है। उनके द्वारा निर्मित इन इमारतों की गणना इन्दौर के दर्शनीय स्थलों में की जाती है, जिन्हें देखने के लिए आज भी सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। इन इमारतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

● **प्रासाद इन्द्रभवन** - श्रेष्ठि प्रासाद इन्द्रभवन विशाल, भव्य, विस्तीर्ण, आकर्षक और मनोहारी है, जिसकी कारीगरी का प्रयोग कार्य कलात्मक ढंग से किया गया है। इन्द्रभवन का कोना-कोना इस तरह से सु-सज्जित है, जिसे देखते ही बनता है। सन् 1935 ई. में भारत के सु-प्रसिद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विज्ञानाचार्य श्री प्रफुल्लचंद राय का स्वदेशी प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पर इन्दौर आगमन हुआ और वे सर हुकुमचंद के निमंत्रण पर इन्द्रभवन पधारें। इन्द्रभवन की शोभा को देखकर वे आश्चर्य चकित रह गये थे। श्री प्रफुल्लचंद राय की धारणा थी कि सर सेठ हुकुमचंद का घर साधारण बंगालियों अथवा मारवाड़ियों की तरह देखने में लम्बा-चौड़ा और अव्यवस्थित होगा लेकिन उन्होंने यह कहा कि इन्द्रभवन को देखकर मेरी भावना मिथ्या सिद्ध हुई। तब श्री राय ने पूछा कि भवन के वास्तुकार और शिल्पकार कौन

हैं? तब सेठजी मुस्कुरा कर प्रति उत्तर में कहा कि - नवशा मैंने स्वयं ही बनाया है। इन्द्रभवन ही क्यों? उनकी इमारतों के नवशों स्वयं सेठजी के द्वारा ही बनाए गए थे।⁸

सेठ हुकुमचंद के इन्द्रभवन में आतिथ्य स्वीकार करने वाले महामनाओं में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कस्तूरबा एवं मीरा बेन, महाराजा सर गंगासिंह, महाराजा तुकोजीराव होलकर (तृतीय), महाराजा यशवन्तराव होलकर (द्वितीय) तथा सीतामऊ नरेश महाराज कुमार डॉ. रघुबीरसिंह जी के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन्द्रभवन का बगीचा और बगीचे की शोभा एवं प्रासाद की मूर्तियां फ्रान्स की रमणीयता की सूचक हैं। इन्द्रभवन का स्नानागार, टायलेट के कक्ष आधुनिकतम उपकरणों से सु-सज्जित है। भोजनाशाला और अतिथि गृह भी उत्कृष्ट और सजे-धजे हैं। इन्द्रभवन के पीछे एक विशाल गौ-शाला है। गायों की सेवा के लिए पृथक से महकमा कायम था। इन्द्रभवन में भोजन करने अथवा किसी खाश अतिथि को आतिथ्य का अवसर मिला हो तो वह उसे जन्म भर भूल नहीं सकता। स्नान, धोबी, नाई, सवारी गाड़ी आदि का अतिथियों के लिए पूरा प्रबन्ध रहता था।

● **रंगमहल और बग्गी खाना** - सर सेठ हुकुमचंद का पहनावा भी राजसी था। वे बढ़िया झल्लेदार सामन्ती जरी की पगड़ी, मलमल का अचकन और चुस्त पायजामा पहतने थे। गले में हीरे और पन्ने के कण्ठे और हाथों में अमूल्य हीरों की अनेक अंगूठियां धारण करते थे। वे साहूकारों के बेताज बादशाह कहलाते थे।

सेठ साहब का रंगमहल और उसमें स्थित बग्गीखाने की शान उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही दर्शनीय थी। रंगमहल के बग्गीखाने में 3 हाथी, 1 ऊंट, 26 घोड़े, 20 बग्घियां, 10 तांगे और 25 मोटरे थीं। चांदी और सोने की मोटरों की अपनी ही शान थी। बग्गीखाने के रख-रखाव के लिए पहरेदार, चौकीदार, हरकारे-हुजरे सभी नियुक्त थे।⁹

● **शीशमहल अथवा कांच महल** - सर सेठ हुकुमचंद एक कला प्रेमी वणिक थे। वास्तुकला में उनकी अभिरूचि थी। उनके द्वारा निर्मित इन्दौर का शीशमहल अथवा कांच महल उनके वास्तुकला प्रेम का एक नायाब उदाहरण है। लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने कांच महल का निर्माण करवाया था। कांच के टुकड़े - टुकड़ों से बना हुआ विशाल महल अपने आप में कारीगरी का एक अजूबा है। विभिन्न प्रान्तों के वास्तुविदों को आमंत्रित कर उन्होंने कांच महल को सु-सज्जित करवाया था। आज भी कांच महल को देखने इन्दौर में सैकड़ों दर्शक आते हैं और उसकी वास्तुकला तथा अद्भुत कारीगरी की प्रशंसा करते हैं।

सन् 1948 के फरवरी-मार्च माह में सर सेठ हुकुमचंद को अमाशय ने काम करना बंद कर दिया। ना तो भोजन पेट के नीचे उतरता था और ना ही इकार के साथ बाहर ही निकलता था। वणिक श्रेष्ठि की बीमारी ला-इलाज थी। 76 वर्ष की आयु में वे भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गये थे। उनकी बीमारी से सम्पूर्ण जैन समाज विचलित और चिन्ताग्रस्त हो उठा था। ऐसी दशा में फ्रांस के डॉक्टर वारनेर को कायाकल्प ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और सेठजी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसे 1 लाख 80 हजार रुपये दिये गये, ¹⁰ तथापि कोई लाभ नहीं हुआ।

सर सेठ हुकुमचंद के स्वास्थ्य लाभ के लिए अक्षय तृतीया को सम्पूर्ण देश में 'श्री हुकुमचंद आरोग्य कामना दिवस' मनाया गया। इन्दौर के महाराजा होलकर के सभापतित्व में 20 हजार नागरिकों की उपस्थिति में विराट सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग मंत्री मिश्रीलालजी गंगवाल, श्री

देवकीनन्दन जी सिद्धान्तशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य श्री शिवदत्तजी, वाणिज्य भूषण श्री लालचंदजी सेठ लालचंदजी सेठी आदि के व्याख्यान भी हुए।¹¹ यह देशव्यापी सम्मान, स्नेह एवं आदर उस मान्यता का प्रतीक है, जो सेठ साहब को लोकसेवा के कारण प्राप्त हुआ था।

सेठ हुकुमचंद के निरोग होने के लिए प्रार्थनाएं, अभिषेक, पूजन तथा यज्ञ इत्यादि भी किये गये किन्तु सभी निष्फल रहा। अन्ततः 26 फरवरी, सन् 1959 ई. के दिन मालवा का यह धनकुबेर पंच-तत्व में विलीन हो गया।¹²

सेठ हुकुमचंद की दानशीलता तथा महानता का वृत्तान्त मालवा के इतिहास में अद्भूत छवि वाला रहा है। सेठ हुकुमचंद के दरवाजे से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं लौटा है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने किसानों की खुलकर मदद की है। उन्हें उचित संसाधनों के साथ-साथ मालवा की उपजाऊ भूमि के लिए अच्छी कृषि साधन भी उपलब्ध कराये हैं। उन्होंने पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा कुटिर उद्योगों को भी बढ़ावा दे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का भरपूर प्रयास किया है। उनकी धर्मनिरपेक्षता ने उन्हें धार्मिकता से उपर उठकर जहां एक ओर मंदिर निर्माण करवाये तो दूसरी ओर मस्जिद, गिरीजाघर आदि निर्माण के लिए भी राह दिखाई हैं। नवीन तकनीक तथा नवाचार को स्वीकार कर कला, शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है। अंग्रेजी सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने अपना अस्तित्व बनाये रखा। मालवा के इतिहास में सेठ हुकुमचंद का नाम सदैव अमर रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.सतीशचंद्र का शोध-पत्र आलेख : 17 वीं शताब्दी के दौरान भारत

में मुद्रा अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि' - मध्यकालीन भारत, खण्ड 2, पृ. 126 (सम्पादक-इरफान हबीब)

2. एम.डब्ल्यू.बर्वे : महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय), रूलर ऑफ इन्दौर, पृ. 471-72
3. एम.डब्ल्यू.बर्वे : महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय), रूलर ऑफ इन्दौर, पृ. 471-72
4. साप्ताहिक मार्तण्ड अंक, पृ.5 - दिनांक 29.04.1935 का अंक
5. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ.110, 124, 174, 176, 185, 282
6. एम.डब्ल्यू.बर्वे : महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) रूलर ऑफ इन्दौर, पृ.472
7. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ.136
8. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ.86, 152, 155, 276
9. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ.86, पृ.152
10. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. 145, 156, 276.
11. सत्यदेव विद्यालंकार (सम्पादक) : सर सेठ हुकुमचंद अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ.140
12. डॉ.शिवनारायण यादव : अपना इन्दौर, पृ.244

निमाड़ क्षेत्र के संजा पर्व का समाज में महत्व

रविना मण्डलोई *

प्रस्तावना – देश के हृदय में स्थित मध्यप्रदेश के पश्चिम अंचल का एक भाग निमाड़ कहलाता है। पौराणिक काल में अनूप देश कहलाने वाला यह एक भाग था, जिसका प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक का इतिहास महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा है। निमाड़ के हृदय में नर्मदारूपी अमृतसरिता प्रवाहित है। यह क्षेत्र प्रारम्भ से ही भौगोलिक दृष्टि से उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच स्थित होने के कारण कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्व का रहा है। शासन की दृष्टि से वर्तमान निमाड़ चार जिलों में विभाजित है। इनमें से एक भाग खण्डवा एवं बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़ और दूसरा भाग खरगोन एवं बड़वानी, पश्चिम निमाड़ कहलाता है। प्राचीन और मध्यकाल में निमाड़ को मालवा के अन्तर्गत माना जाता था।

हमारे समाज में प्रतिदिन व्रत, उत्सव, त्यौहार को ध्यान में रखकर समय की अनन्तता को कुछ इस तरह बांध दिया गया है कि मनुष्य हर क्षेत्र में अपने गर्मों को भूलकर खुश रह सके, क्योंकि जीवन का मूलमंत्र ही आनन्द है। लोक में ऋतुओं के आधार पर हमारे पर्व-त्यौहार इसी मूल अवधारणा को ध्यान में रखकर रचे गये हैं। निमाड़ भी इसका अपवाद नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, और आनुष्ठानिक विष्वसों की अभिव्यक्ति के रूप में पर्व-त्यौहारों को लोक की परम्पराओं और प्रथाओं में बांधा गया है इससे आध्यात्मिक उद्देश्य जुड़े हुए हैं।

“निमाड़” एक ऐसा सांस्कृतिक स्थल है जिसकी संस्कृति तथा परम्परा अनूठी है। निमाड़ में लोक चित्रकला के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं घर की दीवारों पर कुछ न कुछ चित्र निमाड़ में अवश्य मिलते हैं। यही चित्र-मांडने लोकचित्र हैं जो परम्परा से बनते मितते चले आ रहे हैं। ‘मांडने’ और ‘भित्तिचित्रों’ की निमाड़ में एक लम्बी परम्परा है। निमाड़ अंचल का सांस्कृतिक एवं पारम्परिक संज्ञा पर्व जिसे पार्वती के रूप में बालिकाएँ एक आदर्श संस्कारवान एवं देवीय स्वरूप बनने की इच्छा से यह पर्व मनाती हैं। लोककर्म, कला के रूप में संज्ञा की परम्परा न केवल प्राचीन है, वरन् इसमें सम्पूर्ण कला, धर्म की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है। संज्ञा का पर्व गांवों में आज भी उसी आस्था के साथ मनाया जाता है। शाम ढलते ही कन्याओं द्वारा मीठी बोली में गीत गाए जाते हैं। यह पर्व सीधे प्रकृति व लोकव्यवहार से जुड़ा हुआ है।

यहां की कुंवारी कन्याओं का कला के प्रति आत्मिक लगाव हो, इसलिए विभिन्न प्रकार की कला की बानगियां उन्हें लोककथाओं अथवा धर्म की रज्जू के माध्यम से सौंप दी गई और तब से लगाकर अब तक आस्था का यह अनुष्ठान विधि विधान से सम्पन्न होता आ रहा है। निमाड़ अंचल में सांझी को संज्ञा, संजा, छाबड़ी आदि नामों से पुकारते हैं। ठेठ निमाड़ी बोली में इसे ‘छाबड़ी’ कहकर अलंकृत किया जाता है। सांझी अथवा संजा शब्द का उच्चारण सुशिक्षित वर्ग अथवा समुदाय की बालिकाओं के द्वारा व्यवहार

में लाया जाता है। संज्ञा या संजा के शाब्दिक विश्लेषण करने पर इसे सूर्यास्त का समय, संध्या अथवा शाम तथा सांझी के अर्थ के रूप में समझा गया है।

निमाड़ का संज्ञा पर्व की कुंवारी कन्याओं का सबसे प्रिय त्यौहार है। यहां के गाँव का कोई घर ऐसा नहीं होता है जहाँ संजाफूली न बनाई जाती हो। कुंवार मास की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष में संज्ञा सोलह दिनों तक बनाई जाती है। अच्छे वर की प्राप्ति की कामना का यह पर्व पितृ पक्ष में श्रद्धा और करुणा के साथ मनाया जाता है। लड़कियाँ प्रतिदिन संज्ञा के सोलह दिन अलग-अलग गोबर की पतली-पतली रेखाओं पर ताजे रंग-बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ चिपकाकर सुन्दर आकृतियाँ घर के बाहर दीवार पर बनायी जाती हैं। आजकल चमकीली पन्धियाँ भी लगाई जाती हैं। शाम को प्रतिदिन धूप, दीप, अगरबत्ती आदि से पूजाकर गांव, मोहल्ले की बालिकाएँ सामूहिक रूप से संज्ञा माता की सांस्कृतिक निमाड़ी गीत गाकर स्तुति करती हैं और प्रसाद को बालिकाओं के समूह द्वारा ताड़ा (अर्थात् आज प्रसाद में क्या है) द्रजता है। संज्ञा घर में बहन-बेटी हैं घर में सोलह दिन तक उसकी आवभगत, मान-सम्मान और पूजा होती है। बालिकाएँ सोलहवें दिन संज्ञा का किल्ला कोट बनाती हैं और संजा ससुराल चली जाती है अर्थात् दीवारों से निकालकर उसे बाँस की बनी टोकरियों में रखती हैं उस टोकरी को सिर पर रखकर माता के विदाई गीत गाते हुए गाँव के तालाब, नदी या बावडी में अमावस्या को विसर्जित करती हैं।

इस पर्व में मनपसंद वर की कामना माता पार्वती से की जाती है। मान्यता है कि राजस्थान में संज्ञा किसी बलाई की सुन्दर कन्या थी, उसने पार्वती की पूजाकर खोडिया बामण जैसा वर पाया था। तब से सांझी त्यौहार मनाया जाने लगा। संज्ञा मूलतः किशोरियों की अपरिपक्व किन्तु पवित्र स्वप्न और भावनाओं का त्यौहार है। संज्ञा के गीत पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित हैं और इसे पर्यावरण संरक्षण का पर्व भी माना जाता है क्योंकि वृक्षारोपण, स्वास्थ्य तथा गाय माता की रक्षा आदि के गीत गाकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है।

समाज में प्रचलित अवधारणा – यहां के समाज में प्रचलित एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति में लीन एक सन्यासी किसी मंदिर के ओटले पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी वहां खेलते हुए कुछ कुंवारी लड़कियाँ आईं। इन लड़कियों ने सन्यासी का उपहास किया तथा पास ही पड़ा हुआ गोबर उठाकर उस पर छिड़क दिया। सन्यासी ने क्रोधित हो आंखें खोली और श्राप देने ही वाले थे कि अचानक वहां चमत्कारिक ढंग से एक बालक उपस्थित हुआ। उस बालक की छवि इतनी मनमोहक लुभावनी थी

कि सन्यासी का ध्यान उस बालक की अद्भूत सुन्दरता में चला गया। क्षणभर के लिए उस सन्यासी को लगा कि यही वह कृष्ण हैं, जिसकी वर्षों से वह साधना कर रहा है, लेकिन यह चमत्कार क्षणिक था। बालक अंतर्ध्यान हो गया। बालक के अंतर्ध्यान होते ही सन्यासी पुनः यथास्थिति में लौटे। वे अपने क्रोध पर काबू पा चुके थे और बालक की मोहक छवि उन्हें प्रफुल्लित किए हुए थी। उन्होंने उन अल्हड़ बालिकाओं को कहा कि तुम मेरे श्राप से तो बच गई, लेकिन मैं तुम्हें दंडीत अवश्य करूंगा। उन्होंने संयत होकर कहा कि बालिकाओं तुमने मेरा ध्यान गोबर छींटकर भंग किया है और उपहास उड़ाया है। इसके लिए वर्ष में चौदह दिन तुम्हें गोबर के मांडने प्रतिवर्ष बनाना होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये मांडने प्रतिवर्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक, कुल सोलह दिनों तक दीवार पर अंकित करना होंगे। इससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि तुम रुपवान और गुणवान पति चाहती हो तो तुम सबको हंसी-खुशी, संध्या के समय पूजा-अर्चना करना होगा।

वर्तमान समय में भी कुंवारी लड़कियां अपने दंड से मुक्त होने के लिए गोबर के मांडने वर्ष में एक बार सोलह दिनों तक बनाती हैं। सांझी की कथाएं मालवा, राजस्थान और महाराष्ट्र तथा मीथीला प्रदेशों में अलग-अलग हैं। मूलतः इसे स्मृति प्रतीकों अथवा देवी माँ, गौरा पार्वती आदि को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती हैं।

संजा पर्व देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों के अनुसार

मनाया जाता है। निमाइ और मालवा के लोकांचलों के अलावा भी यह उत्सव, प्रथा परम्परा के अनुसार संझा रूपों में राजस्थान में संझा, महाराष्ट्र में गुलाबाई, हरियाणा में सांझी, धूंधा और मीथीला प्रदेश में सांझी रूप में मनायी जाती हैं। लोक कथाओं के सन्दर्भ में छाबड़ी बनाने की परम्परा भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल से हैं। सांझी परम्परा और अनुष्ठान तथा कथा अलग-अलग प्रदेशों में वहां जो धार्मिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति हैं।

निमाइ के समाज में पर्व-त्यौहारों का अत्यधिक महत्व है। संजा पर्व यहां की लड़कियों का अतिप्रिय पर्व है, यह पर्व जहां एक ओर इनके लिए हर्ष उल्लास और उत्साह लाता है वहीं इनके भविष्य संवारने का स्वर्णिम स्वप्न और सीख भी देकर जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निरगुणे, वसन्त : निमाडी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद्, भोपाल, 2002
2. उपाध्याय, रामनारायण : लोक साहित्य समग्र, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन प्रा.लि., वाराणसी, 1997
4. उपाध्याय, रामनारायण : निमाइ का सांस्कृतिक इतिहास, विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर, 1980
5. दैनिक समाचार-पत्र नईदुनिया
6. दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर बड़वानी जिला पुरितका ।

होशंगाबाद जिले में शिक्षा का विकास (1861 से 2000 ई. तक)

लक्ष्मण उईके *

शोध सारांश - होशंगाबाद कृषि प्रधान जिला है। प्राचीन तथा मध्यकाल में इस विशेष क्षेत्र में शिक्षा के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में निश्चित रूप से भी कहना कठिन है। यह संभव प्रतीत होता है कि इन शताब्दियों के दौरान नीति शिक्षण संस्थाएं कार्यरत थीं, जो शांत वातावरण में अपना व्यवसाय चला रही थीं और जिसे स्थानीय लोगों के अंशदान से मामूली वेतन मिल जाता था। इस जिले में शिक्षा की थोड़ी सी प्रगति को 1854 के वुड डिस्पैच के बाद महसूस किया गया किंतु स्वतंत्रता पूर्व इस क्षेत्र में शिक्षा की विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई और ये प्रगति निरंतर जारी है।

शब्द कुंजी - शिक्षा।

प्रस्तावना - भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के भू-भाग पर स्थित होशंगाबाद जिले का एक विशिष्ट पुरातात्विक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। जिले की भौगोलिक परिस्थितियों ने समूचे मध्य भारत को प्रभावित किया है। यह जिला मध्य नर्मदा घाटी तथा सतपुड़ा पठार के उत्तरी उपांत पर स्थित है। इसका आकार एक अनियमित पट्टी के समान है। यह जिला उत्तर में रायसेन, पूर्व में नरसिंहपुर, दक्षिण में बैतूल, पश्चिम में हरदा, दक्षिण-पूर्व में छिन्दवाड़ा तथा उत्तर-पश्चिम में सीहोर जिलों से घिरा हुआ है। नर्मदा नदी जिले की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बहती है जो कि अनादि काल से इस जिले की जीवन धारा रही है। सतपुड़ा पर्वत की मुख्य श्रेणी या महादेव पर्वत इस जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। नर्मदा के अतिरिक्त यहाँ दूधी, तवा, देनवा, गंजाल इत्यादि अन्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जिले का अधिकांश दक्षिणी भाग वनाच्छादित है। इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता रही है। इन क्षेत्रों में चारे या पानी की बहुलता के कारण यह वन्य प्राणियों के लिये आदर्श स्थल रहा है।

नदियों ने सदैव से ही मानव को अपने निकट बसने के लिए प्रेरित किया है। नर्मदा नदी ने पुरापाशाणिक एवं लघुपाशाणिक काल में अपने किनारे बसने के लिये आकर्षित किया है। होशंगाबाद जिले के उत्खनन से इस प्रकार की पर्याप्त पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक काल के प्रारंभ से ही जिले का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में यहाँ कई शक्तिशाली एवं वैभवशाली राजवंशों का प्रभुत्व रहा है। प्राचीनकाल में यहाँ की भूमि नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कलचुरि, वाकाटक, राष्ट्रकूट, परमार, शासकों के अधीन रही है। मध्यकाल में होशंगाबाद मालवा के गौरी और खिलजी सुल्तानों के राज्य में शामिल कर लिया गया।

संभवतः आलमखान गौरी ने, जो सन् 1406 में माण्डू की गद्दी पर बैठा था और जिसने होशंगाबाद की पट्टीधारण की थी, होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। उसने होशंगाबाद, जोगा तथा हण्डिया में तीन किलों का निर्माण करवाया था और उसने होशंगाबाद को खेड़ला के गोंड राज्य तथा बहमनी राज्य के विरुद्ध अपनी सैनिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में, मुगल सत्ता का पतन होने पर हरदा-हंडिया

क्षेत्र पर बालाजी बाजीराव के अधीन मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने मुगल सरदारों को वहाँ से खदेड़ दिया तथा भुस्कुटे परिवार के नाम तथा रामचंद्र को हंडिया का आमिल नियुक्त कर दिया। परवर्ती काल में यह जिला सिंधिया, भोंसले तथा भोपाल के नवाब के बीच कलह की जड़ बन गया। 1803 तथा 1818 के बीच पिण्डारियों द्वारा भी इसका भारी विनाश किया गया।

वर्ष 1818 में अंग्रेजों का उस समय इस जिले में प्रादुर्भाव हुआ, जब नागपुर के अप्पा साहब भोंसले ने यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया। तथापि, हरदा-हंडिया क्षेत्र 1844 में उस समय तक सिंधिया के अधिकार में बना रहा, जब तक इसे अंग्रेजों को सौंप न दिया गया और 1860 में इस पर उनका पूरी तरह अधिकार हो गया। 1835 में, होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा बैतूल को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, किन्तु 1843 में ये जिले पुनः अलग-अलग कर दिए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नये मध्यप्रदेश राज्य का गठन सन् 1956 में किया, जिसमें होशंगाबाद जिला भोपाल संभाग का एक भाग बन गया। इसके बाद सन् 1971 में होशंगाबाद को एक राजस्व संभाग बनाया गया था, जिसमें तवा परियोजना के विकास के लिये केवल होशंगाबाद जिला शामिल था। इससे जिले का पर्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास हुआ तथा यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है।

होशंगाबाद जिला सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है तथा उत्तर में रायसेन, पूर्व में नरसिंहपुर, दक्षिण में बैतूल, पश्चिम में हरदा, दक्षिणपूर्व में छिन्दवाड़ा तथा उत्तर पश्चिम में सीहोर जिलों से घिरा हुआ है। नर्मदा नदी इस जिले की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बहती है तथा इस जिले की प्रमुख नदी है। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित तथा ऊबड़-खाबड़ भू-भाग वाला होने के कारण शिक्षा एवं संचार की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं हो सका था। प्राचीन तथा मध्यकाल में इस विशेष क्षेत्र में शिक्षा के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। यह संभव प्रतीत होता है कि इन शताब्दियों के दौरान नीति शिक्षण संस्थाएं कार्यरत थीं, जो शांत वातावरण में अपना

व्यवसाय चला रही थी और जिसे स्थानीय लोगों के अंशदान से मामूली वेतन मिल जाता था। संभवतः सामूहिक शिक्षा परम्परागत संस्थाओं अर्थात् महाकाव्य, पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में सार्वजिक पाठ द्वारा दी जाती थी। भारत में मुगल शासन के दौरान अन्य स्थानों की भांति अनेक मकतब तथा मदरसे इस क्षेत्र की जनता में शिक्षा का प्रचार करने के लिये चलाये जाते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्वी सन् 1854 के पूर्व यहाँ पाश्चात्य शिक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी। सन् 1854 में उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के सागर शैक्षणिक वृत्त का निर्माण किया गया और होशंगाबाद जिले को उसमें शामिल कर दिया गया। जिले में कुछ ग्राम शालाओं की स्थापना की गई और सन् 1856 में हरदा और सिवनी में पूर्व माध्यमिक शालायें खोली गईं। सन् 1862 में शिक्षा विभाग का गठन किया गया और शालाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। ब्रिटिश काल में जिले में प्राथमिक शिक्षा का प्रादुर्भाव 1854 से हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक जिले में शिक्षा का विकास काफी मंद रहा। 1929-30 के बाद जिले में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया तथा प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 267 तक पहुँच गई। लगभग यही स्थिति माध्यमिक शिक्षा की भी रही। 1938 में शिक्षा को व्यवसायिक रूप देने का प्रयास किया गया। जिसके अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये जिनके माध्यम से विद्यालयीन शिक्षा के बाद छात्र उत्पादक कार्य कर सके।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के प्रचार प्रसार में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया। इस समय बालिका शिक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्तियाँ इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये। शासन के अतिरिक्त शिक्षा के विकास में समाज-सेवी संस्थाओं का भी सराहनीय योगदान रहा। शासन ने भी इन अशासकीय संस्थाओं को शिक्षा की प्रगति के लिए अनुदान देकर प्रोत्साहित किया। होशंगाबाद जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्ति तक वर्ष 1960-61 में प्राथमिक संस्थाओं की संख्या 09 थी जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 314 थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति की अवधि में इन संस्थाओं की संख्या 11 हो गई जिनमें 354 छात्र तथा 287 छात्रा शामिल थे। इस समय छात्राओं की संख्या में वृद्धि दृष्टिगत होती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1999-2000 में विद्यालयों की संख्या 972 तक पहुँच गई जिसमें 1,55,430 छात्र तथा 36909 छात्राएँ शामिल थी। इसी वर्ष माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 167 थी जिसमें 68,450 छात्र तथा 22,594 छात्राएँ थी।

स्वतंत्रता पश्चात् उच्च शिक्षा, महिला शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। जिले में उच्च शिक्षा के प्रसार में प्रथम प्रयास एक अशासकीय संस्था नर्मदा शिक्षा संस्था ने 1954 में एक महाविद्यालय की स्थापना कर किया। इसका नाम नर्मदा महाविद्यालय रखा गया। यह महाविद्यालय 1 जुलाई 1972 को शासन के अधीन कर लिया गया तथा इसका नाम बदलकर शासकीय नर्मदा महाविद्यालय हो गया। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध इस महाविद्यालय को मध्यप्रदेश शासन ने होशंगाबाद जिले का अग्रणी महाविद्यालय घोषित किया। 1994 में इसे स्वशासी का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में यह महाविद्यालय जिले की प्रमुख शिक्षण संस्था के रूप में विकसित हो चुका है।

जिले में बालिकाओं के लिये महाविद्यालय की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1961 में महिला शिक्षा संस्था द्वारा होशंगाबाद में एक कन्या

महाविद्यालय स्थापित कर महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इस महाविद्यालय का नाम शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय है। इसे 6 फरवरी 1972 को मध्यप्रदेश शासन के अधीन कर दिया गया। इस महाविद्यालय से छात्राओं की संख्या एवं उनकी शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसी दिशा में अन्य प्रयास के रूप में वर्ष 1989 में शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय पिपरिया की स्थापना की गई। इससे छात्राओं में शिक्षा के प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई, जिसने समाज के विकास को एक नई गति प्रदान की।

होशंगाबाद जिला सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। इन गतिविधियों का संचालन हेतु प्रथम प्रयास श्री टैगोर क्लब पुस्तकालय इटारसी के द्वारा वर्ष 1942 में किया गया। जिसे 1953 में पंजीकृत कराया गया। इसी प्रकार होशंगाबाद जिले में वर्ष 1955 में जिला पुस्तकालय की राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात् जिले के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में पुस्तकों और साहित्य की पूर्ति इसी पुस्तकालय द्वारा की जाने लगी। इस पुस्तकालय में समय-समय पर महापुरुषों की जयंती एवं जन्मशताब्दी के अवसरों पर उनसे संबंधित साहित्य की प्रदर्शनी ही लगायी जाती है। इन संस्थाओं ने हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार साहित्यिक ज्ञानवर्धन तथा भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति जनमानस को प्रेरित करने में बहुआयामी सफलता अर्जित की।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययन काल में होशंगाबाद जिले का पर्याप्त सांस्कृतिक विकास हुआ है तथा इस काल में शिक्षा ने अनेक आयामों को छुआ है। किन्तु विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इस जिले की शिक्षा एवं संस्कृति का और विकास होने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, प्रमोद; हमारा होशंगाबाद, 2008
2. प्रसाद, डॉ. धर्मेन्द्र; नर्मदा की कहानी, 1992
3. प्रसाद, डॉ. धर्मेन्द्र; नर्मदांचल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 2009
4. प्रवाहिनी; महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका 2010-11 शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरिया (म.प्र.)
5. विवरणिका; एवं प्रवेश आवेदन पत्र 2007-08 शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय होशंगाबाद(म.प्र.)
6. विवरणिका; जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय सोहागपुर 1964
7. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर बैतूल, संस्कृति विभाग भोपाल, 1990
8. माहेश्वरी, रामगोपाल, शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ नागपुर, 1955
9. बाशम, ए.एल.; अद्भुत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, आगरा
10. विद्यालंकार, सत्यकेतु; प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2005
11. गढ़े, प्रभाकर, नर्मदामण्डल में कंपनी राज (1818-1860) गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला, 2009
12. हीरालाल, रायबहादुर, मध्यप्रदेश का इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा सम्बत् 1996
13. सिन्हा, ए.एम., मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होशंगाबाद, 1994
14. राबर्टसन, दि सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर नागपुर, 1870

पाठ्यक्रम अन्तरण में अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभाविकता

डॉ. आर.के. अरोरा * अंजना पाटनवाला **

शोध सारांश - शिक्षण का मुख्य कार्य छात्रों को अधिगम की सुविधा प्रदान कर उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है। शिक्षण प्रक्रिया के दो प्रमुख तत्व हैं - पाठ्यक्रम एवं संप्रेषण। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत तत्व है। कोई शिक्षण प्रभावी तभी माना जाता है, जब वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण प्रक्रिया के अंग पाठ्यक्रम अन्तरण पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर पाठ्यक्रम घटकों का प्रभावी एवं वांछित कार्यान्वयन ही पाठ्यक्रम अन्तरण कहलाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, शिक्षण के लिये अनुदेशन की रचना करता है, सहायक सामग्री का चयन कर अपनी सजुनात्मक एवं कल्पनाशक्ति द्वारा पाठ्यक्रम अन्तरण को प्रभावी बनाता है।

अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया में सहायक है। इसमें पाठ्यवस्तु को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर छोटे-छोटे पदों में, तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर छात्र को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यह एक नवीन विधि है, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। इसमें छात्र को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार स्वयं अध्ययन द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है।

प्रस्तावना - शिक्षण प्रत्यय जिसे विज्ञान एवं कला दोनों माना जाता है, अधिगम की अपेक्षा जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण का मुख्य कार्य छात्रों को अधिगम की सुविधा प्रदान कर उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है। प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज अपनी संस्कृति एवं मूल्यों को शिक्षण की क्रियाओं द्वारा नई पीढ़ी को देता है।

डेबीज ने शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में व्यवस्थापक की संज्ञा दी है। शिक्षण प्रक्रिया के दो प्रमुख तत्व हैं- पाठ्यक्रम एवं संप्रेषण। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत तत्व है, जिसकी व्याख्या अनुदेशन के सिद्धांत करते हैं। कोई शिक्षण प्रभावी तभी माना जाता है, जब वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

बी.ओ. स्मिथ के अनुसार- 'शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है।'

पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण प्रक्रिया के अंग पाठ्यक्रम अन्तरण पर निर्भर करती है। शिक्षक पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, शिक्षण के लिए अनुदेशन की रचना करता है, सहायक सामग्री का चयन कर अपनी सजुनात्मक एवं कल्पनाशक्ति द्वारा पाठ्यक्रम अन्तरण को प्रभावी बनाता है।

अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया में सहायक है। इसमें पाठ्यवस्तु को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर छोटे-छोटे पदों में, तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर छात्र को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

पाठ्यक्रम अन्तरण - पाठ्यक्रम प्रबंधन सामान्यतः पाठ्यक्रम की तैयारी या अध्ययन के विषय तक ही सीमित नहीं है, इसमें उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्धारण से लेकर पाठ्यक्रम के वास्तविक अन्तरण, मूल्यांकन आदि घटक

सम्मिलित है। पाठ्यक्रम प्रबंधन एक वृहद् संकल्पना है, जिसमें शामिल है-

1. पाठ्यक्रम नियोजन
2. पाठ्यक्रम विकास
3. पाठ्यक्रम अन्तरण
4. पाठ्यक्रम मूल्यांकन

पाठ्यक्रम अन्तरण किसी भी शिक्षण कार्यक्रम की सफलता की कसौटी है। कोई भी पाठ्यक्रम अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने में तभी सफल हो सकता है, यदि पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया प्रभावी एवं सुनियोजित हो। यह एक कठिन प्रक्रिया है, जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष निहित हैं।

परिभाषा - 'पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर पाठ्यक्रम घटकों का प्रभावी एवं वांछित कार्यान्वयन ही पाठ्यक्रम अन्तरण कहलाता है।'

'पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम अन्तरण को दिशा प्रदान करता है, जबकि पाठ्यक्रम अन्तरण, अन्तरण प्रक्रिया के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम विकास के लिये प्रतिपोषण भी देता है। अतः पाठ्यक्रम अन्तरण, पाठ्यक्रम विकास की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है।'

(जिस्थू, 2003, पेज नं. 5-7)

पाठ्यक्रम अन्तरण शिक्षा के वांछित उद्देश्यों को व्यवहारिक उद्देश्यों में परिणित करता है। जब हम पाठ्यक्रम अन्तरण प्रक्रिया के नियोजन की बात करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में दो मूल विचार आते हैं। **प्रथम** वह परिप्रेक्ष्य जिसमें अंतरण की प्रक्रिया भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के रूप में की जाती है और **द्वितीय** शिक्षक, वह जो वास्तव में अपनी क्षमताओं और व्यवहारगत प्रकृति से पाठ्यक्रम अन्तरण करता है।

* प्राचार्य, रॉयल कॉलेज ऑफ टीचर एज्युकेशन, रतलाम (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, पेसीफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

अतः पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया को प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिये परिवर्तित भौतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की माँग के अनुरूप शिक्षक द्वारा समायोजन/रूपान्तरण करना एवं स्वयं की निपुणता में वृद्धि करना पूर्व अपेक्षित है।

पाठ्यक्रम अन्तरण के विभिन्न घटक

पाठ्यक्रम अन्तरण की संकल्पना के दो रूप हैं -

1. कक्षा के बाहर
2. कक्षा के अन्दर

कक्षा के बाहर अन्तरण से अभिप्राय विभिन्न गतिविधियों से है, जिन्हें हम पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ (सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, समुदाय आधारित, खेल आदि) कहते हैं, जो कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।

कक्षा के अन्दर अन्तरण से तात्पर्य मीडिया, पाठ्य सामग्री, पुस्तकें, निर्देशिका, अनुदेशन सामग्री से है। इसका दूसरा घटक पाठ्यक्रम अन्तरण के साधन के रूप में शिक्षक व्यवहार को दर्शाता है, जो शिक्षण-अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है। यह शाब्दिक, अशाब्दिक अथवा कक्षा के वातावरण पर निर्भर करता है।

पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया - पाठ्यक्रम अन्तरण एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक घटक-शिक्षण, विद्यार्थी, पाठ्य सामग्री, अधिगम वातावरण सभी सफल अधिगम के लिये महत्वपूर्ण है। इसमें किसी पाठ्यक्रम के शिक्षण के पूर्व शिक्षक सर्वप्रथम पाठ्यक्रम अन्तरण प्रक्रिया के निम्नांकित घटकों पर विचार करता है -

1. कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना है,
2. पाठ्यक्रम में शामिल विषयवस्तु,
3. प्रत्येक सत्र के लिये पाठ्य सामग्री का चयन,
4. विषय एवं विषयवस्तु की व्यवस्था,
5. पाठ्यक्रम प्रस्तुतीकरण के लिये निश्चित समय का आवंटन,
6. पाठ्यक्रम अन्तरण के लिये निश्चित नियम एवं प्रक्रिया का पालन करना,
7. विभिन्न विधियों-मीडिया के माध्यम, अनुदेशनात्मक तकनीकियों का चयन,
8. समस्त विषयवस्तु का मूल्यांकन,
9. विषयवस्तु को प्रस्तुत करने की वैकल्पिक विधियाँ आदि।

अभिक्रमित अनुदेशन - बी. एफ. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन को शिक्षण की कला और अधिगम के विज्ञान की संज्ञा दी है। इसका संबंध शिक्षक की क्रियाओं से होता है। इसके अन्तर्गत वह सभी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं, जिनकी शिक्षक/अभिक्रमक अपने पाठ्यक्रम में व्यवस्था करता है। इसमें पाठ्यक्रम की व्याख्या तथा रचना तार्किक ढंग से की जाती है और उसका मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है।

सूसन मारकल के अनुसार - 'अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसा आव्यूह है, जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है, जिसमें छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है और उनका मापन भी किया जा सकता है।'

अभिक्रमित अनुदेशन को व्यक्तिगत अनुदेशन तथा स्वतः अनुदेशन भी कहा जाता है। इसकी व्यवहारिक परिभाषा इस प्रकार है - 'अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें व्यक्तिगत अनुदेशन के रूप में सीखने के लिये अवसर

दिया जाता है। इसमें छात्र तत्पर होकर अपनी गति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखता है और अपनी ज्ञान-प्राप्ति का भी बोध करता है। इसे व्यवहार-परिवर्तन की प्रक्रिया मानते हैं।'

पाठ्यक्रम अन्तरण में अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभाविकता - प्रभावी पाठ्यक्रम अन्तरण हेतु समुचित शिक्षण युक्तियों का चयन यिका जाना वांछनीय है। अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण युक्तियों का व्यापक रूप निहित होता है। अभिक्रमित अनुदेशन मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम अन्तरण में निम्न विशेषताओं के दृष्टिगत प्रभावशाली है-

1. अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी प्रविधि है, जिसमें पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर अधिगम स्वरूपों का विकास कर छात्रों को सही अनुक्रियाओं के लिये पुनर्बलन दिया जाता है।
2. अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे-छोटे पदों की सहायता से अधिगम स्वरूपों को उत्पन्न किया जाता है, जिसमें व्यवहार शृंखला विकसित होती है और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति होती है।
3. अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अपनी गति से अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है।
4. छात्र तथा अनुदेशन के मध्य अन्तःप्रक्रिया होती है। वह प्रत्येक पद के लिये अनुक्रिया करता है, जिससे नया ज्ञान अथवा नया व्यवहार सीखता है और सही अनुक्रियसा से पुष्टपोषण भी दिया जा सकता है। इस प्रविधि में तीन तत्व-**उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन** क्रियाशील रहते हैं।
5. अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुदेशन की प्रभावशीलता के संबंध में छात्रों की अनुक्रियाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है और उनमें सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है।
6. अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों की कमजोरियों का निदान किया जाता है और उनके लिये उपचारात्मक अनुदेशन भी दिया जाता है।

अतः अभिक्रमित अनुदेशन सीखने की एक नवीन विधि है, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। छात्र को स्वयं अध्ययन के द्वारा अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के दो रूप हैं - शृंखला अभिक्रमित अनुदेशन एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इस प्रकार स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम अन्तरण के प्रभावी कार्यान्वयन में अभिक्रमित अनुदेशन सहायक है।

पाठ्यक्रम अन्तरण में अभिक्रमित अनुदेशन की संभावनाएँ


1. **बी. एफ. स्किनर** ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिये किया है।
2. शिक्षण की समस्याओं का समाधान इससे किया जा सकता है।
3. भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी विद्यालयों के विषयों में इस प्रकार के अनुदेशन के प्रयोग के लिये सुझाव दिये हैं, क्योंकि शिक्षा में अध्यापक पर्याप्त सहायक सामग्री तथा पाठ्य सामग्री का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप पाठ्यक्रम अन्तरण की प्रक्रिया द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में इस आव्यूह का प्रयोग अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।
4. पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये भी आयोग ने सुझाव दिये हैं कि पाठ्यक्रम को अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में भेजा जाए, जिससे छात्र सुगमता पूर्वक अधिगम कर सके। इसके उपयोग से शिक्षण की प्रक्रिया को सोद्देश्य बनाया जा सकता है।

5. प्रत्येक विषय में ज्ञान वृद्धि की गति अधिक होने से शिक्षकों को नवीन पाठ्यक्रम बोध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नवीन पाठ्यक्रम को अभिक्रमित अनुदेशन की सहायता से स्वयं सीखकर पाठ्यक्रम अन्तरण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर.ए.: अनुदेशनात्मक तकनीकी एवं शिक्षण तकनीकी, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2002

2. अग्रवाल, जे.सी. और जायसवाल, विजय: शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंध, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2013
3. शर्मा, आर.ए.: शिक्षा के तकनीकी आधार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2012
4. माथुर, एस.एस.: शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2007
5. www.shodhganga.com
6. www.wikipidiya.com



पाठ्यक्रम अन्तरण के विभिन्न घटक

परमारकालीन आशाधर और जैन प्रतिमा विज्ञान

डॉ. स्नेह लता सिंह *

शोध सारांश - भारत भूमि का नाभिमण्डल, उर्वर, समृद्ध और सुरम्य भूभाग मालवा सुदूर अतीत से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक प्रमुख केन्द्र तथा उत्तरापथ और दक्षिणापथ का ही नहीं विभिन्न जातियों, धर्मों और परम्पराओं का भी संधिस्थल रहा है। यहाँ जैन धर्म और उसकी परम्पराओं का अतीत गौरवशाली था तथा परमारों के राज्यकाल में तो वह मालवा के लोक जीवन का अभिन्न अंग ही बन गया। ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में परमारों के राज्य के दक्षिण में खानदेश में अम्बादास जैसे दिगम्बर परम्परा के जैन उपदेशकों का विशेष प्रभाव था। इन्हीं प्रेरणा से अनेक मंदिरों की स्थापना हुई और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गयी। परमार राजाओं की नीति धार्मिक सहिष्णुता की रही है। जैन उपदेशकों, कलाकारों व विद्वानों को उनके दरबार में पर्याप्त समादर था। ऐसे ही परमारों के संरक्षण प्राप्त प्रकाण्ड विद्वान आशाधर एवं उनकी रचनाओं विशेष रूप से 'प्रतिष्ठा सारोद्धार' से जैन प्रतिमा विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।'

प्रस्तावना - मालवा के साहित्यकारों में दिगम्बर परम्परा के जैन कवि आशाधर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने धारा नगरी में पांच परमार राजाओं का राज्य देखा और उनसे राज्याश्रय तथा सम्मान प्राप्त किया। जैन धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने धारा नगरी के समीप नलकच्छपुर (आधुनिक नालछा) को अपना मुख्य निवास स्थान बनाया। वहाँ के नेमि चैत्यालय में रहते हुए अनेक ग्रंथ लिखे और लोगों को शिक्षित बनाया। उनकी शिष्य परम्परा मेंसे अनेक विद्वानों को मध्यकाल की विभूति माना जाता है। उनके ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ विशेष रूप से 'प्रतिष्ठा सारोद्धार' नामक ग्रंथ जैन प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से अनमोल हैं। इसके अतिरिक्त 'त्रिषष्टिस्मृति शास्त्र' जिनसहास्रनामस्त्रोत, तथा 'सरस्वती स्तुति' जैन प्रतिमा विज्ञान पर प्रकाश डालती है।

प्रतिष्ठा सारोद्धार व जैन प्रतिमा लक्षण - इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंदिर के निर्माण योग्य भूमि, प्रतिमा घटित करने योग्य शिला तथा अपूज्य प्रतिमाओं के लक्षण आदि की चर्चा है। उसके पश्चात् जिन-प्रतिमा लक्षण बतलाया गया है। आशाधर ने सातवें तीर्थंकर का चिन्ह स्वास्तिक और दसवें तीर्थंकर का चिन्ह श्रीवृक्ष लिखा है।

आशाधर ने समवशरण के प्रतिहारों का विशद वर्णन दिया है। वह वर्णन प्रतिमाशास्त्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उनकी मान्यता है कि पाश, अंकुश, अभय और मुद्गर धारण करने वाली चतुर्भुजी जया, विजया, अजिता और अपराजिता क्रमशः पूर्वादि द्वारों की प्रतिहारिणी हैं, जबकि जम्भा, मोहा, स्तंभा और स्तम्भिनी विदिशाओं की रक्षक हैं। चारों दिशाओं के द्वारों पर पूर्वादि क्रम से कुमुद, अंजन, वामन और पुष्पदन्त रहते हैं। आशाधर ने इन सभी का आयुध विधान भी बतलाया है। इसी प्रकार उन्होंने भवनवासी देवों के इन्द्र का जो वर्णन किया है वह भी प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से उल्लेखनीय है।

कवि आशाधर ने व्यन्तर जाति के अनावृत यक्ष का भी सुन्दर वर्णन किया है। वह वर्णन नेमिचंद्र के 'प्रतिष्ठा तिलक' के समान है। तदुसार जलद के समान श्यामल वर्ण वाला अनावृत यक्ष गरुड़ पर आरूढ़ रहता है और अपने हाथों में शंख, चक्र, कमण्डलु तथा अक्षमाला धारण करता है।

क्षेत्रपाल देवों की कल्पना भी जैन प्रतिमा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंश है। आशाधर के अनुसार क्षेत्रपाल की प्रतिमाओं में अलंकरण की दृष्टि से नाग का अंकन आवश्यक होता है। उन्होंने क्षेत्रपालों के वाहनों में श्वान को ही प्रमुख माना है। उनका आयुध विधान बतलाते हुए लिखा गया है कि क्षेत्रपाल के चारों हाथों में क्रमशः श्वान, खटक और गदा होनी चाहिए। मातृकाओं के विवेचन को आशाधर ने विशेष महत्व नहीं दिया। नौ ग्रहों के वर्णन में भी उन्होंने रूचि प्रदर्शित नहीं की है। लेकिन दिवपालों का वर्णन जैन प्रतिमाशास्त्र की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है।

आशाधर ने वरुण के वाहन का नाम 'करि मकर' लिखा है। बसुनंदि और नेमिचंद्र भी 'करिमरकर' ही मानते हैं, जबकि हिन्दू परम्परा में वरुण का नाम केवल 'मकर' लिखा गया है। अधोदिशा के लोकपाल नागेन्द्र का वाहन आशाधर के अनुसार कूर्म है।

इसी प्रकार यम के आयुध विधान में भी आशाधर ने कुछ नवीनता समाविष्ट की है। उनकी मान्यता है कि यम के एक हाथ में आयुध होना चाहिए। आशाधर ने कुबेर के हाथों में गदा आयुध का विधान बतलाया है। ईशान त्रिशुल धारी अवश्य है और आचार दिनकर के अनुसार पिनाकी भी है, किन्तु आशाधर उसे शूल तथा कपालधारी मानते हैं। इस प्रकार आशाधर द्वारा वर्णित प्रतिमा लक्षण बड़ा रोचक और नवीन है। उन्होंने विद्यादेवियों और यक्ष-यक्षिणियों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है।

विद्यादेवी व प्रतिमा लक्षण - सरस्वती एवं षोड्स विद्यादेवियों की पूजा परम्परा जैन धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही है। अनेक विद्वानों ने उनकी स्तुतियां लिखी हैं और उन स्तुतियों में उनके स्वरूप, वर्ण, हाथों की संख्या, उनमें धारण किए जाने वाले आयुधों और वाहनों आदि का वर्णन किया है। आशाधर ने भी विद्यादेवियों का वर्णन अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'प्रतिष्ठासारोद्धार' में किया है। आशाधर का यह वर्णन यद्यपि संक्षिप्त है, परन्तु उससे जैन विद्यादेवियों के प्रतिमा लक्षण की कुछ नवीन बातें अवश्य ज्ञात होती हैं।

प्रथम विद्यादेवी रोहिणी का वर्णन करते हुए उसे चतुर्भुजी, कमलासना तथा कलश, शंख, कमल और फलधारिणी लिखा गया है। यह वर्णन संक्षिप्त

किन्तु, सटीक है। दूसरी विद्यादेवी आशाधर के अनुसार अश्ववाहिनी है 'तद्भक्तिकां त्वश्वगांततिनीलां प्रज्ञप्तिकेर्चामि सचक्रखड्गाम्'। इसी प्रकार छठी विद्यादेवी पुरुषदत्ता के वाहक 'कोक' का वर्णन आशाधर के मौलिक चिन्तन का ही परिणाम है।

तीसरी विद्यादेवी वज्रशृंखला के आयुधों का वर्णन करते हुए उन्होंने उसके नाम अनुरूप वज्र और शृंखला को अलग-अलग हाथों के आयुध माने हैं और चौथी विद्यादेवी के सभी हाथों के आयुधों का वर्णन न करते हुए उन्होंने उसके केवल एक ही आयुध वीणा का उल्लेख किया है।

आशाधर के अनुसार आठवीं विद्यादेवी महाकाली अपने हाथों में धनुष, खड्ग, फल और बाण धारण करती है। मालवा के ही एक दूसरे विद्वान शोभनमुनि ने इसके विपरीत वज्र, फल, अक्षमाला और घण्टा का विधान बतलाया है। शोभन आशाधर के पूर्ववर्ती विद्वान थे। स्पष्टतः आशाधर का वर्णन कई दृष्टियों से स्वतंत्र है और उन्होंने पूर्व सूरियों का अंधानुकरण नहीं किया। दसवीं विद्यादेवी गांधारी के आयुधों का वर्णन भी अपूर्ण है। आशाधर ने उस चतुर्भुजी तो माना है, किन्तु आयुधों की चर्चा करते समय केवल चक्र और खड्ग का ही उल्लेख किया है। शेष दो हाथों के आयुधों की चर्चा धनुष, खेटक, खड्ग तथा चक्र का उल्लेख तो किया है, किन्तु शेष चार आयुधों के नाम नहीं बतलाये।

यही नहीं प्रतिष्ठासारोद्धार में बारहवीं विद्यादेवी मानवी के आयुधों में से केवल त्रिशूल और मत्स्य का ही वर्णन है। अच्युता के दो हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाने का विधान तो बतलाया गया है लेकिन, उसकी मुख्य पहचान वाले आयुधों का विवेचन नहीं किया गया। मानसी को लालवर्ण की बतलाने के बाद वे अंतिम विद्यादेवी महामानसी का वर्णन करते हैं। वहां वे नेमिचन्द्र के वर्णन के अनुरूप उसे अक्षमाला, वरदमुद्रा, माला और अंकुश धारिणी मानते हैं।

तीर्थकर व प्रतिमा लक्षण - प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से आशाधर द्वारा वर्णित शासन देवताओं का विवरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ के शासन यक्ष गोमुख को उन्होंने 'वृक्षचक्रशीर्षम्' लिखा है और यक्ष नाम तथा स्वरूप के आधार पर उसे वृक्षमुख तथा गोवक्त्रक बताया है। उनके अनुसार दक्षिणाधः क्रम से गोमुख के हाथों में वरदमुद्रा, अक्षमाला, परशु तथा बीजपूरक का आलेखन होना चाहिये।

द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ का यक्ष महायक्ष कहलाता है। आशाधर ने उसके आठ हाथों में से दाहिने हाथ और बाएं हाथ के आयुधों को अलग-अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है। अन्य प्रतिमा लक्षण ग्रंथों में वह विधान उतना स्पष्ट नहीं है। सम्भवनाथ के यक्ष त्रिमुख के आयुधों का स्पष्ट उल्लेख भी आशाधर की ही देन है। वे चतुर्थ तीर्थकर अभिनंदन नाथ के यक्ष का नाम यक्षेश्वर न मानते हुए ईश्वर बतलाते हैं। तुम्बुरु यक्ष के आयुधों में भी आशाधर ने अल्प अन्तर बतलाते हुए पाश के स्थान पर नागपाश के अंकन को स्वीकार किया है।

छठे तीर्थकर पद्मप्रभ के यक्ष का नाम पुष्प है। आशाधर ने उसे चतुर्भुजी मानते हुए प्रथम बार उसका स्पष्ट आयुध विधान बतलाया है, जबकि अन्य लक्षण ग्रंथों का विवरण कई प्रकार से भ्रामक है। मातंग यक्ष का जो वर्णन आशाधर ने दिया है वह दिगम्बर परम्परा से हटकर है और श्वेताम्बर परम्परा के ग्रंथ निर्वाणकलिका के वर्णन के अनुरूप कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रवचन सारोद्धार में वर्णित श्याम यक्ष को आशाधर द्वारा भी चतुर्भुजी ही माना गया है।

तेरहवें तीर्थकर विमलनाथ के शासन यक्ष को श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराएं षड्मुख मानते हैं किन्तु, आशाधर ने उसे चतुर्मुख माना है।

इसी आधार पर वे उसे द्वादशभुजधारी न लिखते हुए अष्टभुजी ही स्वीकार करते हैं। इक्कीसवें तीर्थकर नेमिनाथ के यक्ष मुकुटि के वर्णन में भी आशाधर का वर्णन नवीनता से युक्त है। वसुनंदि जैसे विद्वान उसे चतुर्भुजी मानते हैं, किन्तु आशाधर के अनुसार वह यक्ष अष्टभुजी है तथा हाथों में क्रमशः अंकुश, कमल, चक्र, वरदमुद्रा, खेटक, असि तथा धनुष और बाण धारण करता है।

तेईसवें तीर्थकर के यक्ष का नाम धरण, धरणेन्द्र एवं पार्श्व बतलाया गया है, किन्तु आशाधर ने इन सबसे अलग उसे 'वामन' की संज्ञा दी है। इस प्रकार और भी कई दृष्टियों से आशाधर का वर्णन मौलिक और जैन प्रतिमा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

शासन यक्षों के समान ही यक्षिणियों का वर्णन भी अनेक मौलिक लक्षणों से युक्त है। उदाहरण स्वरूप सत्रहवें तीर्थकर कुंतनाथ की यक्षिणी महामानसी को आशाधर 'जया' नाम देते हैं। जबकि अन्य ग्रंथों में (मुख्यतः तिलोयपण्णती और अपराजितपृच्छा में) वह नाम अरनाथ की यक्षिणी धारिणी को दिया गया है। नेमिचन्द्र ने भी आशाधरका ही अनुकरण किया है फिर भी यह कहा जा सकता है कि आशाधर की सूची स्पष्ट रूपेण विद्यादेवियों से प्रभावित हैं। उन्होंने प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ की यक्षिणी चक्रेश्वरी का आयुध विधान बतलाते हुए लिखा है कि उसके हाथों में क्रमशः वरदमुद्रा, वज्र, वज्र ओर फल होने चाहिए। यह आयुध विधान अन्य लक्षण ग्रंथों के आयुध विधान से अलग है।

अजितनाथ की यक्षिणी रोहिणी का वर्णन आशाधर, वसुनंदि और नेमिचन्द्र ने एक जैसा ही किया है। भुवनदेव के अपराजितपृच्छा में भी उसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किया गया है लेकिन, पांचवे तीर्थकर सुमतिनाथ की यक्षिणी पुरुषदत्त को आशाधर ने 'खड्गवरा और मोहिनी' लिख कर नवीन नामाविधान किया है। जबकि वसुनंदि ने छठे तीर्थकर पद्मप्रभ की यक्षिणी मनोवेगा को 'मोहिनी' नाम दिया है।

इक्कीसवें तीर्थकर नेमिनाथ की यक्षी को दिगम्बर परम्परा में चामुण्डा और श्वेताम्बर परम्परा में गांधारी कहा जाता है। वसुनंदि आदि विचारकों ने चामुण्डा को नदिवाहिनी लिखा है, किन्तु आशाधर उसे 'मकरवाहना' मानते हैं। इसी प्रकार नेमिनाथ की यक्षिणी पद्मावती के हाथों की संख्या में मतभेद है। आशाधर ने सम्भवतः मतभेद दूर करने के लिए ही उसके चतुर्भुजी, षड्भुजी तथा अष्टभुजी ऐसे तीन रूप स्वीकार किए हैं। इसी प्रकार उसके वाहन भेद को भी समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने उसे 'पद्मास्था' कहने के साथ साथ 'कुर्कटसर्पगा' भी माना है।

निष्कर्ष - परमार कालीन मालवा से प्राप्त अनेक दुर्लभ जैन प्रतिमाएँ धार, भानपुरा, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, गंधर्वपुरी, भोपाल, विदिशा आदि संग्रहालयों में संरक्षित हैं।

अनेक दृष्टियों से मौलिकता और समन्वय आशाधर के ग्रंथों में प्राप्त प्रतिमा विज्ञान की अपनी निजी विशेषताएं हैं। वे परमार कालीन मालवा के एक महान चिन्तक ही नहीं युगप्रणेता भी थे। उनकी विचारधारा, कल्पना लोक में विहार करने वाले कवियों से अलग धरती पर चलने वाली परम्पराओं से जुड़ी रही हैं। प्रतिमा विज्ञान के लिये उनकी देन महान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गांगुली, डी.सी. - हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी।
2. जैन, बालचन्द्र - जैन प्रतिमा विज्ञान
3. दीक्षित, स.का. - उज्जयिनी इतिहास तथा पुरातत्व
4. शर्मा, आर.के. - मध्यप्रदेश के पुरातत्व का संदर्भ ग्रंथ।
5. प्रेमी, नाथूराम - जैन साहित्य और इतिहास
6. वाजपेयी, कृष्णदत्त - मध्यप्रदेश का पुरातत्व
7. भट्टाचार्या, बी.सी. - जैन आइवनोग्राफी।

सर्वहारा के विद्रोह का अंकन - नागार्जुन

डॉ. विजयता पंडित *

प्रस्तावना - नागार्जुन आजीवन सर्वहारा के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनका सुख-दुःख नागार्जुन का सुख-दुःख था, कोटि-कोटि भारतीयों के निरीह, पिछड़े हुए, अर्किचन, दुर्बल, समुदाय जो आज भी अधिकारों से वंचित हैं उनकी चिन्ता नागार्जुन को है तभी तो वह कहते हैं :-

‘असल में समाज (शोषणयुक्त) के चिथड़े-चिथड़े कर देने से कोई लाभ नहीं होगा, वास्तव में हमें तो उस शोषण के चिथड़े-चिथड़े करना है जो ऐसे समाज के जन्म के लिए उत्तरदायी है।’⁽¹⁾

नागार्जुन सर्वहारा की आर्थिक विषमता, पीड़ा, अभाव, अपमान संघर्ष को यथार्थवादी दृष्टि से उभारते हैं, क्रांतिकारी शक्तियों के साथ विकासोन्मुख चेतना के समर्थक हैं। भ्रष्टाचार, आडम्बर, साम्प्रदायिकता, भाषावाद और रूढ़ियों के प्रति उनके मन में तीव्र आक्रोश था, ‘उनका स्वर शोषण का अंत तथा पूर्ण परिवर्तन का आकांक्षी है, जिससे सुख-संपन्नता तथा समता की स्थापना हो सके।’⁽²⁾

जमुनिया के बाबा में मस्तराम भगौती को प्रसन्न रखने के लिए इमरतिया का शोषण, कुम्भीपाक में भुवन का शोषण, रतिनाथ की चाची में गौरी का जयनाथ के द्वारा शोषण, सुशीला, बलचनमा में मिसर की विधवा आदि कलंकित जीवन जीने को बाध्य है। नागार्जुन इन्हे नारकीय जीवन से बाहर निकालते हैं। (बाबा बटेसरनाथ) जयनारायण कुनाई पाठक, (रतिनाथ की चाची) भोला पंडित, दम्नो फुफी, दुर्गानंदसिंह, (नई पौध) खोखा पंडित, (पारो) लूब झा, (बलचनमा) मालिक के रूप में इस वर्ग के कुटिल चरित्र को प्रस्तुत किया है जो जनता के शोषण में माहिर है।

सर्वहारा वर्ग वीरता के साथ संघर्षरत दिखाई दे, अन्याय का प्रतिकार करें, उसमें निराशा की भावना न हो, विषम परिस्थितियों से जूझने की क्षमता हो, इन सब के लिए नागार्जुन सर्वहारा को उनके अधिकारों का बोध कराकर उनमें चेतना जागृत करते हैं, उन्हें विद्रोह और संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं।

बलचनमा में बलचनमा का फरसा उठा लेना, दुःखमोचन में कम मजदूरी मिलने पर मजदूरों द्वारा काम बंद कर देना, उग्रतारा में भूदानी बाबु के आदमियों को अथेड द्वारा गंडासा मारना, जमुनिया का बाबा में अभ्यानंद द्वारा मस्तराम को जेल में बंद करवाना आदि के माध्यम से सर्वहारा के विद्रोह का अंकन किया गया है।

ये शोषितो की औछी नियम का मुकाबला करते हैं रतिनाथ की चाची (गौरी, सुशीला) बलचनमा (बलचनमा), वरुण के बेटे (मंगल-माधुरी, मोहन-मांझी), बाबा बटेसरनाथ (जीवननाथ, जैकिसुन) दुःखमोचन (दुःखमोचन) नई पौध (बमपार्टी) के माध्यम से नागार्जुन ने शोषण से निपटने का रास्ता सुझाया है।

आज की नारी दबी हुई गुलाम नहीं है, जो लात और जूते खाकर अपना

सिर नीचा किए पति के पैरों में स्वर्ग की कल्पना करती रहे, पति को परमेश्वर माने, उसे अपनी स्वतंत्रता और पुरुष के बराबर जीने का हक है वह उस हक को लेने के लिए आगे बढ़ रही है। वरुण के बेटे में माधुरी ‘अब वह कभी उस नशाखोर की लात-वात बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरी शादी कर लेगी और बगैर मर्दन के कोई अकेली जिन्दगी नहीं गुजार सकती क्या?’⁽³⁾ इस ओर क्रांतिकारी कदम उठाती है (उग्रतारा) उगनी अपनी रूग्ण दाम्पत्य को तोड़कर स्वस्थ दाम्पत्य जीवन को शुरुआत करती है।

नागार्जुन को सर्वहारा की चिंता है, तभी तो क्रांति का शंखवाह कर ‘शब्द और कर्म की सहयात्रा को वास्तविक में बदलकर किसान आंदोलन में किसानों का नेतृत्व करते हुए, जेल जाते हैं।’⁽⁴⁾

जो दमित, पीड़ित, शोषित है उनमें धीरे-धीरे विरोध की चेतना के साथ प्रगतिशीलता दिखाई देती है। (बलचनमा में) फूदन मिसर की विधवा और सुसम्मान टीरी का कार्य (रतिनाथ की चाची में) गौरी का चरखा चलाना, (कुम्भीपाक में) चम्पा के द्वारा शिल्पकुटीर की स्थापना आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रस्तुत करता है।

सर्वहारा वर्ग अपने शोषण के खिलाफ जहाँ बगावत करता है वहाँ नागार्जुन मौजूद है। नागार्जुन ने (रतिनाथ की चाची) विधवा ‘गौरी’ पर होने वाले सामाजिक अपमान और (पारो) ‘पारो’ के असहाय समर्पण से तिलमिला कर नये समाज, नई चेतना को जन्म देते हैं (नई पौध) ‘बिसेसरी’ अनमेल विवाह को तोड़कर ‘वाचस्पति’ के साथ अर्न्तजातीय विवाह करती है और (दुःखमोचन) ‘कपिल-माया’ से विधवा विवाह और यहाँ तक कि (उग्रतारा) गर्भवती विधवा ‘उगनी’ का विवाह ‘कामेश्वर’ से कराकर तथा (अभिनंदन में) ‘करुणा’ मनचाहे लड़के के साथ जाती है (बलचनमा में) ‘जयमंगला’ का दर्जी के लड़के के साथ जाना आदि को मान्यता देकर सर्वहारा की सामाजिक विषमताओं का क्रांतिकारी हल प्रस्तुत किया है।

नागार्जुन की आत्मीयता जो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग की दीवारों को फलांगती हुई सर्वहारा के साथ जुड़ती है। जो भी जनविरोधी दिखाई देता है, उस पर टूट पड़े हैं, ‘नागार्जुन ने अपनी माँ पर अत्याचार करते अपने बाप को नहीं बखशा तो वे किसी को क्या बखश्ते।’⁽⁵⁾ नागार्जुन कहते हैं :- ‘मैं अपनी समस्त साहित्यिकता के साथ सर्वहारा वर्ग से कदम मिलाएँ हूँ।’⁽⁶⁾

गौरी का किसान सभा में स्वयं के ओढ़ने तक का कंबल चंदे में दे देना, (रतिनाथ की चाची) बलचनमा के नारे लगाना ‘जमीन किसकी - जोते बोये उसकी’ (बलचनमा) ‘माधुरी’ का मछुओं की समस्याओं के संबंध में जमींदार और सरकार की असंगत नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलना और सीना तानकर गिरफ्तारी देना (वरुण के बेटे) आदि के अंकन को ग्रामीण जीवन में प्रस्तुत कर नागार्जुन ने नारी चेतना के विकास का दरवाजा

खोला है। (उग्रतारा में) कामेश्वर की भाभी, (कुम्भीपाक) कम्पाउण्डर की पत्नी निर्मला एवं प्रोफेसर सदानंद की पत्नी रंजना भी प्रगतिशीलता का उल्लेखनीय प्रमाण है।

सर्वहारा को कष्टप्रद जीवन से त्राण दिलाने के लिए लेखक ने संघर्ष का नारा दिया है 'जिसका हर फार उसकी धरती, जिसका हुनर और जिनका हाथ उसके कल-कारखाने' (7) तभी समाज में श्रम की महत्ता स्थापित होगी। कोई मुफ्त का खा के पूँजीपति नहीं रहेगा।

नागार्जुन की भीतरी पीड़ा और अनुभव प्रबलता के बलबूते पर सर्वहारा के प्रति संवेदना का स्रोत फूटा है, वे कोमल और भावुक हृदय के स्वामी थे। यही कारण है जिससे नागार्जुन की संवेदना रिक्शा खींचने वाले, फटी बिबाइयों वाले, कुलिश, कठोर, खुरदुरे पैरो को वामन के पाँव के रूप में देखते हैं।

नागार्जुन का लेखन लाखों गरीब, अनपढ़, भूखे, नंबे, भूमिहीन, मजदूर,

कर्ज में डूबे हुए किसानों का जीवंत दस्तावेज है। नागार्जुन आजीवन सर्वहारा के लिए संघर्ष करते रहे हैं उनका सुख-दुःख नागार्जुन का सुख-दुःख था, सर्वहारा के लिए संघर्ष करता कथाकार नागार्जुन संघर्ष की जिन्दगी का दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी है। इसी कारण नागार्जुन में सर्वहारा और सर्वहारा में नागार्जुन आपस में घुल-मिल गये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कृष्णलाल हंस - प्रगतिवादी काव्य और नागार्जुन - पृ.क्र. 123
2. श्री रामदरश मिश्र - हिन्दी उपन्यास एक अंतर्गता - पृ.क्र. 240
3. नागार्जुन - वरुण के बेटे - पृ.क्र. 109
4. श्री विजय बहादुर सिंह - नागार्जुन का रचना संसार - पृ.क्र. 102
5. नागार्जुन - साक्षात्कार - आईने के सामने - पृ.क्र. 4
6. नागार्जुन - साक्षात्कार - आईने के सामने - पृ.क्र. 12
7. नागार्जुन - बलचनमा - पृ.क्र. 58

मेहरुन्निसा परवेज़ के उपन्यासों में युगीन स्वर

डॉ. वैशाली मोरे *

प्रस्तावना - उपन्यास की कथा का विकास किसी स्थान काल, परिवेश और उससे उपजे स्वर विशेष की पृष्ठभूमि पर होता है। कथा-साहित्य के पात्र भी वस्तु जगत के पात्रों की भांति किसी देश काल तथा परिवेश के दायरे में आबद्ध रहते हैं। अतएव देश, काल एवं परिवेश का चित्रण भी आवश्यक हो जाता है।

डॉ. कुसुम शर्मा के मतानुसार- 'वातावरण के सम्यक् ज्ञान के बिना उपन्यासकार व्यक्ति के भाग्य की कहानी नहीं लिख सकता।' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वातावरण उपन्यास-शिल्प का एक महत्वपूर्ण अंग है। उपन्यासकार अपने इर्द-गिर्द के जिस परिवेश को जीता और भोगता है, उसे अपनी रचना में स्वर बद्ध चित्रित करने के लिए प्रायः तत्पर पाया जाता है।'

परवेज़ के उपन्यासों में यथार्थ बहुआयामी है। लेखिका ने अपने कथा-बीज एवं पात्रों का चयन किया है। वस्तुतः परवेज़ ने पारिवारिक परिवेश से किया है। वस्तुतः परवेज़ ने पारिवारिक परिवेश की पृष्ठभूमि तथा उस परिवार के भीतर की नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को उकेरा है।

आँखों की दहलीज़, अकेला पलाश, समरांगण आदि उपन्यासों में बिखरे हुए दाम्पत्य जीवन का वातावरण अंकित है। सभी उपन्यासों में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों के पारिवारिक परिवेश को उससे संबंधी रुढ़िवादिता को रिश्तों के संबंधों की एक ऐसी लड़ी पिरोयी है जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

उपन्यासों के चरित्र, कथानक परवेज़ के आसपास के परिवेश से गुंफित है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बुंदेलखण्ड, जगदलपुर, जबलपुर, भोपाल क्षेत्र और उसके आस-पास का शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के वातावरण का चित्रण किया गया है।

देश का बंटवारा हुआ उसके बाद का काल व वातावरण चित्रित हुआ है। उपन्यासों में गाँवों की सामाजिक परिस्थितियों को विशेष गहराई और मनोयोग के साथ लिया गया है। उपन्यासों के विश्लेषण के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण अंचल के लोग प्रायः अशिक्षित हैं, गरीब हैं, गरीबी इतनी है कि दो समय की रोजी-रोटी के जुगाड़ में आदमी दिनभर पिसता रहता है। परवेज़ ने उपन्यासों में देशकाल और वातावरण का चित्रण सर्वथा और स्वाभाविक रूप में किया गया है। बोलियों के विभिन्न रूपों को प्रयुक्त कर वातावरण-चित्रण को और भी सजीव और जीवन्त बना दिया है। एक

संस्मरण में परवेज़ लिखती है- 'मैंने हमेशा उन्हीं पात्रों को अपने कथानक के लिए चुना है जिन्हें रोजाना हम देखते हैं, पीड़ा, तनाव, छटपटाट जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित यह दिन-रात जीने के लिए जिन्दा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने गरीबी और अमीरी दोनों में केवल पीड़ा ही पीड़ा देखी है। यह सच है, मानसिक क्लेश यातना जितना मन को थकाती है उतना कष्ट शायद शारीरिक तकलीफ से भी नहीं होता। जिन्दगी में मिले हादसे इंसान को परिपक्व बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, गिराते नहीं न। फिर उनसे क्यों 'मुंह मोड़ना'?'²

लेखिका ने अपने उपन्यासों में सामाजिक एवं नैतिक दबाव की पृष्ठभूमि पर अपने अनेकानेक पात्रों के विधि बाह्य एवं नीति- बाह्य आचारों तथा उक्त आचारों के दुष्परिणामों का निरूपण करते हुए बड़े स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवेश को उजागर किया है। अंधविश्वास सामाजिक अन्याय-स्थिति आर्थिक विषमता, दुराचार आदि विभिन्न समस्याओं का निरूपण यथार्थवादी सामाजिक परिवेश की पृष्ठभूमि पर किया है। परवेज़ उस काल और वातावरण में व्याप्त स्वर का रुढ़िग्रस्त समाज का चित्रण किया है। उपन्यासों में यथास्थान विभिन्न रूपों में प्राकृतिक परिवेश का भी समावेश पाया जाता है। आँखों की दहलीज़, अकेला पलाश पासंग, समरांगण और कोरजा में प्राकृतिक परिवेश को साकार किया है।

प्रत्येक कृति में परिवेश की मात्रा का समावेश कथानक की आवश्यकता तथा कथाकार की कलात्मक क्षमता पर निर्भर करता है। कृति में आवश्यकता से कम परिवेश होने पर कथानक की रोचकता तथा विष्वसीनयता को ठेस पहुंच सकती है और परिवेश की अत्यधिकता का समावेश पाठक में ऊब पैदा कर सकता है। डॉ. केशव प्रथमवीर के मत से-सुस्वादु भोजन के लिए व्यंजनों में जितनी नमक आवश्यक होता है, बस उतनी मात्रा में कृति में परिवेश का समावेश होना चाहिए।³

परवेज़ की प्रत्येक कृति में युगीन स्वर स्पष्ट रूप से उभर कर आया है जो पाठक को बांधे रखने एवं उस समय के वातावरण व परिवेश से अवगत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, डॉ. कुसुम : साठोत्तर उपन्यास : विविध प्रयोग, पृ. स. 84
2. साहनी, मिश्र, प्रसाद : आधुनिक हिन्दी उपन्यास, पृ. स. 422
3. डॉ. केशव प्रथमवीर (उद्धृत) चर्चा

हिन्दी कहानियों में महाभारत में प्रसंग

डॉ. वैशाली मोरे *

प्रस्तावना – प्राचीन आध्यात्मिक साहित्य से संबंधित एक प्रसिद्ध शब्द है प्रस्थानत्रयी। जीवन को निरुद्देश्य भटकाव से बचाने वाली। जगत एक कर्मक्षेत्र है इसमें जो गति और प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक है। महाभारत के कर्म के मैदान कुरुक्षेत्र में जीवन के भीषण घोर और कठोर समरांगण में धीरज, साहस, उत्साह और प्रसाद सहित युद्ध करने के लिए मानव योद्धा को कर्म के साथ धर्म को जोड़ देने का मत है। एक ओर दुराग्रही आंतरिक द्वेष रखने वाला दुर्वृत दुर्योधन है और दूसरी ओर सज्जनता के अवतार, मनुष्य की दुर्भावनाओं एवं पशुताओं से सर्वथा मुक्त शुद्ध बुद्धि के धर्मराज युधिष्ठिर है। एक तरफ कुटिल शकुनि मामा है तो दूसरी तरफ गीता का ज्ञान देने वाले श्रीकृष्ण। एक पाप में और दूसरा पुण्य में अनुरक्त है। एक ओर उग्र स्वभाव की विद्वेष-ज्वाला है और दूसरी ओर शीतलता का सागर। ऐसे सभी चरित्र हमारे आस-पास भी नजर आते हैं। इन्हीं ग्रन्थों से हमारे जीवन से कहानीकार प्रेरित होकर कहानियाँ लिखते हैं।

हिन्दी कहानियों में महाभारत ग्रंथ से कई कथानक लिए गए हैं कहीं प्रसंग तो कहीं अंश विशेष रूप से चरित्र विशेष लिए गए हैं। हिन्दी कहानियों में एक ओर छल, कपट राजनैतिक अधर्मता विनाश प्रपंच के लिए तो दूसरी तरफ ज्ञान, धर्म, उपदेश, जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य की स्थापना करने के लिए महाभारत के चरित्र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक रूप से कहानियों में आते हैं।

'विष्णु प्रभाकर' की प्रसिद्ध कहानी 'मेरा वतन' में मिस्टर पुरी जो कभी लाहौर का वकील हुआ करता था, लौटकर जब अपने शहर आता है तो लोग उसे अर्द्धविक्षित समझते हैं। जब वह अपने शहर में जन्म स्थान को देख उस मकान को देख जो की अब उजड़ चुका है। उन यादों के खण्डहरों में घुमता है, जहाँ कभी उसका बसेरा था तब उसे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है।

'उसने अग्नि की प्रज्ज्वलित लपटों को अपनी आंखों से उठते देखा था, तब उसे खाण्डव वन की याद आ गई थी। जिसकी नीव पर इन्द्रप्रस्थ सरीखे वैभवशाली और कलामय नगर का निर्माण हुआ था। तो क्या इस महानाष की नीव पर भी किसी गौरव गरिमामय कला कृति का निर्माण होगा? इन्द्रप्रस्थ की उस कला के कारण महाभारत संभव हुआ, जिसने इस अभागे देश के मदोन्मत्त किन्तु जर्जरित शौर्य को सदा के लिए समाप्त कर दिया। क्या आज फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली है।'

इस प्रसंग से तात्पर्य यह कि जिस प्रकार उजाड़ प्रदेश खाण्डवप्रस्थ को नगर निर्माण कर वहाँ इन्द्रप्रस्थ बनाया गया और वही वैभवशाली इन्द्रप्रस्थ नगर दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण बना और आगे चलकर महाभारत हुआ। चरित्र के माध्यम से वहीं आशंका जताई गई कि यहाँ भी कहीं महाभारत

की कहानी पुनः दोहराई तो नहीं जाएगी।

'अमृतलाल नागर' की कहानी 'गोरखधंधा' में उल्लेख आता है, जब कहानी का नायक गली में सौदा करने आये जलेबी वाले से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसके जेब में रुपए नहीं हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं। नायक जलेबी वाले से झगड़ा कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है- 'महाभारत के इस द्रोणपर्व को सबेरे ही सुनकर दो-तीन पास पड़ोसी भी बाहर निकल आये।² यहाँ नायक युधिष्ठिर के रूप में हैं और जलेबी वाला द्रोण दोनों ही वाक्युद्ध में अजेय। तभी नायक ने कहा तुम्हारी सड़ी हुई जलेबियाँ जो चर्बी मिले घी की है। घी में मिलावट होने की पोल अनायास ही खुलते देख जलेबी वाला बौखला गया और चला गया। युद्ध में द्रोण अजेय थे तब युधिष्ठिर ने छलपूर्वक कहा आचार्य अश्वस्थामा हत हो गया है, वह नर कुंजर गया है। मृत्युमुख में इस प्रकार द्रोण के अस्त्र फिकवा दिये। यहाँ नायक जलेबी वाले को भगाने में सफल होता है।

'अमृतलाल नागर' की कहानी 'एटम बम' जिसमें महाभारत के धर्मयुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से लिया है- 'नई शक्ति आजमाने के लिए उन्हें लाखों बेजबान बेगुनाहों की जान लेने का क्या अधिकार था? क्या यह धर्म युद्ध है, आदर्शों की लड़ाई हो रही है।'³

'राजेन्द्र यादव' की 'अभिमन्यू की आत्महत्या' कहानी में नायक के अन्तर्मन में चल रहा 'मैं' का द्वन्द्व है जो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, जा सकता है, निकलने से इंकार भी कर सकता है। 'यह सही है कि मैंने माँ के पेट में सुन लिया था चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता क्या है?'⁴

नायक का द्वन्द्व आगे बढ़ता है 'तुम्हारे रथ के टूटे पहिये तुम्हारी ढाल का काम भी नहीं दे पायेंगे, कोई भीम तब तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा।'⁵

फिर स्वयं ही दूसरे पक्ष में खड़ा रहकर कहता है इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तुम्हें किसी अर्जुन ने नहीं बताया।'⁶

फिर माँ सुभद्रा से प्रतिप्रश्न करता है-माँ सुभद्रा, तुम चक्रव्यूह की बात सुनते-सुनते सो क्यों गई थी।⁷ यह सब प्रश्न अन्तर्मन की कथा में करता हुआ चलता है और शीर्षक को सार्थक करता है।

'अमृता प्रीतम' की 'और नदी बहती रही' कहानी में वेदव्यास की तपस्या की घटना को लेकर लिखी गई है। वेदव्यास वचन पूरा कर अम्बिका, अम्बालिका को एक-एक पुत्र दान करते हैं।⁸ कहानी का नायक भी नशे में इस प्रकार की कल्पना करता है-जहाँ मेज पर महाभारत पर्व ही नहीं और भी बहुत कुछ था।⁹ नायक के मन में महाभारत के प्रसंग चल रहे थे। चेतन व अर्द्ध चेतनावस्था में सम्पूर्ण कहानी है।

'मुकेश वर्मा' की 'होली' कहानी में गीताजी में कहा गया है कि कलयुग

आएगा।¹⁰ भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत गीता इसी महाभारत का अंश है। गीता में वह सब है जो मनुष्य के योग्य है, जिसमें जीवन की कला कुशलता का अनन्त विकास होता है। 'राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की 'राजा भोज का सपना' कहानी में प्रतीकात्मक रूप से राजाभोज के सपने में 'उस दैवी पुरुष ने बादल की गरज के समान गम्भीर उत्तर दिया कि मैं सत्य हूँ, मैं अन्धों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धाखे की पट्टी हटाता हूँ। मैं मृगतृष्णा के भटके हुआओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले हुआओं को नींद से जगाता हूँ, हे भोज।'

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की अद्भुत अपूर्व स्वप्न कहानी में चरित्रों को नीति के विरोधाभास में लिखा गया है।

'ये महाशय बालब्रह्मचारी है। अपने आयुभर नीतिशास्त्र पढ़ते-पढ़ाते रहे हैं, इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी परन्तु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे।¹² अर्थात् नीतिशास्त्र के ज्ञाता होने के बाद भी इन सभी चरित्रों ने अनैतिक बातें की।

हिन्दी कहानियों में महाभारत का प्रतिपाद्य उसके जीवन दर्शन विचारधारा और सिद्धान्त निरूपण में निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 प्रभाकर, विष्णु : आठ कहानियाँ (मेरा वतन), पृ. सं. 175
- 2 नागर, अमृतलाल : मेरी प्रिय कहानियाँ (गोरखधंधा), पृ. सं. 35
- 3 नागर, अमृतलाल : मेरी प्रिय कहानियाँ (एटम बम), पृ. सं. 59
- 4 यादव, राजेन्द्र : मेरी प्रिय कहानियाँ (अभिमन्यु की आत्मकथा), पृ. सं. 66
- 5 यादव, राजेन्द्र : मेरी प्रिय कहानियाँ (अभिमन्यु की आत्मकथा), पृ. सं. 67
- 6 यादव, राजेन्द्र : मेरी प्रिय कहानियाँ (अभिमन्यु की आत्मकथा), पृ. सं. 70
- 7 यादव, राजेन्द्र : मेरी प्रिय कहानियाँ (अभिमन्यु की आत्मकथा), पृ. सं. 74
- 8 प्रीतम, अमृता : मेरी प्रिय कहानियाँ (और नदी बहती रही), पृ. सं. 82
- 9 वर्मा, मुकेश : खेलणपुर तथा अन्य कहानियाँ (होली), पृ. सं. 51
- 10 प्रसाद, राजा शिव : सितारे हिन्द (राजाभोज का सपना) पृ. सं. 104
- 11 हिन्दी साहित्य की चुनिन्दा कहानियाँ (अद्भुत अपूर्व स्वप्न) पृ. सं. 108

Reaction of the B.Ed. students towards Self Teaching on Gender, School and Society

Dr. Nisha Maharana* Rakhi Jain**

Abstract - The present study was an attempt to study the reaction of students teachers of B.Ed. towards Module on Gender, School and society. The reaction scale was developed by the investigate. There were 26 statements related to various aspects of module. The data related to the reaction towards module were analyzed by computing the mean, S.D. and coefficient of variation. The reaction of B.Ed. students towards module was strongly favorable.

Introduction - Education is the most effective instrument for the development of every individual. It is the means with the help of which every family, society and nation can progress. Hence its quality must be improved for the all-round development of a child. By education we intend to being some desirable changes in the students. But at present no one is satisfied with the traditional teaching learning method. So to make teaching learning more productive and interesting various types of instructional plans are used in which a child get learning experiences according to his ability, interest and needs. Module is a type of instructional plan which contains a variety of learning activities leading to the specified objectives.

Objective - To study the reactions of B.Ed. students towards module on Gender, School and society.

Sample - For the study 45 students teachers of academic session of 2015-2017 of regular B.Ed. course of Jain Shiksha Mahavidyalaya, Mandsaur were taken there were females and males in the groups. They were either graduate or postgraduate in different disciplines. They have almost same socio-economic status and background. The age range of the students teachers was from 23 to 55 years. Medium of instruction was Hindi. All the students teachers were in service teachers.

Tools - The reactions of student teachers towards the developed module was taken by the reaction scale developed by the investigator. Twenty six 26 statements were included in the reaction scale of module with jerk technology related to various aspects of the module. There were both positive and negative ststement6s. Each statement had to be rated on five point scale. There were five options (1) Strongly Agree (2) Agree (3) Undecided (4) Disagree (5) Strongly Disagree. For positive statement weight age ranges from 5 (Strongly agree) to 1 (Strongly disagree). But in negative statement the weight age reversed i.e. 1 (Strongly agree) to 5 (Strongly disagree)

The student teachers had a put a tick mark (✓) on the chosen option.

Result and Discussion - The data related to this were analyzed by computing the mean, S.D. and coefficient of variation. The mean score of reaction towards Module was found to be 205.27. The reaction towards Module scale contained 26 statements related to different aspects of module. Against each statement a five point rating scale was given. On which students had to give their responses. Thus the score of the student could range between 45 and 225. The mean score of reaction towards Module is close to 205.27, signifying a favorable reaction towards. The S.D. was 11.86 and coefficient of variation was 5.74. These are quite low. It indicates that as a group, the reaction towards Module was almost invariant and favorable 91.43%. In order to probe into reaction towards Module. The data were further analyzed by computing statement wise percentage falling under the five given choices. The results are given in Table.

Table 1 (see in last page)

Table 1 indicates that to what extent students were agree, disagree or undecided on 26 aspects decided by Investigator.

1. The first aspect is the simple language of the module. On this aspect 71.04% of the students were strongly agreed and 28.86% of the students were agreed.
2. The second aspect is organization of content is not done effectively on this aspect 64.38% of the students were disagreed and 35.52% of the students were strongly disagreed.
3. Clear objectives given in the beginning of module are helpful in learning, on this point 59.94% of the students were strongly agreed, 39.96% of the students were agreed.
4. 75.48% of the students were strongly agreed to the statement that examples are related to daily life and

* Principal, Saraswati Shiksha Mahavidyalaya, Mandsaur (M.P.) INDIA

** Research Scholar, Pacific University of Higher Education, Udaipur (Raj.) INDIA

- 24.42% were agreed with it.
5. 33.3% students were strongly disagreed and 66.6% were disagreed with the statement that there is no clear explanation of each point with example.
 6. In respect of the statement viz., I never want to study other objects through this techniques, 39.96% of the students were strongly disagreed and 59.94% of the students were disagreed.
 7. Self evaluation question given after each point helped to understand the content well, in response to this statement 75.48% of the students were to strongly agreed and 24.42% were agreed.
 8. I want to study the other subjects through this technique in response to this statement, 51.06% of the students were strongly agreed and 48.84% were agreed.
 9. 53.28% of the students were strongly disagreed with the statement that content do not organized in a proper way and 46.60% of the students were disagreed.
 10. In respect to the statement, viz., it was interesting to study through module, 46.62% of the students were strongly agreed while 53.28% were agreed.
 11. Module motivate self study in response to this statement 39.96% of the students strongly agreed and 59.94% were agreed.
 12. Studying through module is better than studying through book with regard to this statement, 51.06% of students strongly agreed while 48.84% were agreed.
 13. In respect of the statement, viz., reading the module at own speed is easier to understand the content, 57.72% of the students strongly agreed and 42.18% were agreed.
 14. It is easy to understand the content study through module with regard to this statement 24.42% of the students were strongly agreed while 75.48% were agreed.
 15. Points to remember given in the module is not helpful to enrich the knowledge in response to this statement 46.62% of the students were strongly disagreed and 53.28% were disagreed.
 16. Study through module save labor and time in response to this statement 55.5% of the students were strongly agreed while 44.4% of the students were agreed.
 17. In respect of the statement viz., reading through module increase the confidence of students, 51.06% students were strongly agreed while 48.84% were agreed.
 18. It develops the analytical power in the students in response to this statement 48.84% of the students were strongly agreed while 51.06% were agreed.
 19. The field of knowledge become narrow by study through module in response to this statement, 42.18% of the students were strongly disagreed while 57.72% were disagreed.
 20. In respect of the statement viz., all the students do not become active by study through module, 75.48% of the students were strongly disagreed while 24.42% were disagreed.
 21. Investigator solved the problem whenever it comes to understand the content with regard to this statement 73.26% of the students were strongly agreed and 26.64% were agreed.
 22. In respect to the statement viz., module motivate the students for self evaluation, 44.4% of the students were strongly agreed while 55.5% were agreed.
 23. Present module is not based according to individual differences with response to this statement 51.06% of the students strongly disagreed while 48.84% agreed.
 24. It requires more time to study through module with response to this statement 53.28% of the students strongly disagreed while 46.62% disagreed.
 25. The last aspect that there was no continuity in the main points given in the module, 37.74% of the students strongly disagreed while 62.16% disagreed.
- Implications** - Present study has wide implication for the person working in the field of education. It provides guidelines to module developer , curriculum designer, teacher educators, principals/administrators, teachers, students, parents and researchers.
- Suggestions for Further Researchers** - Module can be developed on different subjects at different levels -
1. Effectiveness of Module can be increased with use of different variables.
- References :-**
1. Coulon Stephen: The Effects of Instructional Modules on the Task Statements of Cooperating Teachers, the Teaching Behaviors of the Student Teachers and the In Class Behaviors of the Pupils. Doctoral Dissertation, D.A.I. Vol. 48, No. 9, 1988.
 2. Das, A. : Exploring Effectiveness of Computer Assisted Learning Material on Rhymes in Different Modes. Ph.D. (Edu.), M.S. University of Baroda, 1998.
 3. DeAntelo, Martha Nieves Ovand: Competency Based Individualized Learning Modules: A Methodology for In service Education of Bolivian Supervisors. Doctoral Dissertation, D.A.I. Vol. 39, No. 7, 1979.
 4. Debi, M.K.: Developing and Testing the Effectiveness of the Programmed Learning Material in the Syllabus of Principles of Education of B.T. Course of Gauhati University. Unpublished Ph.D. (Edu.), Gauhati University, 1989.
 5. Dhamija, N.: A Comparative Study of the Effectiveness of Three Approaches of Instruction- Conventional, Radio-Vision and Modular Approach on Achievement of Students in Social Studies. Unpublished Ph.D. (Edu.), Kurukshetra University, 1985.
 6. Garrett, H.E.: Statistics in Psychology and Education. Vakils, Feffers and Simons Ltd., 1981.
 7. Gautam, P.: Development of Programmed Instructions in Linear and Branching Styles and Studying the Performance in Relation to Creative Thinking and Level of Aspiration. Unpublished Ph.D. (Edu.), Himachal Pradesh University, 1986.

8. Gerlah, Kent Paye: The Use of Instructional Module as an Effective Rural Inservice Delivery System. Doctoral Dissertation, D.A.I. Vol. 43, No. 9, 1983.
9. Greenberg, J.C.: Effectiveness of Computer Assisted Video Cassette Module for Reading Instruction. Ph.D. Doctoral Dissertation, D.A.I. Vol. 46, No. 1, 1985.
10. Guerrieri, Donald Joseph: The Development and Validation of three Inservice Education Module for Public School Business Administrators Based upon their Perceived Needs. Doctoral Dissertation, D.A.I. Vol. 40, No. 12, 1980.
11. Maharana, N.: Effectiveness of Module on Testing and Non-Testing Techniques in Guidance and Counseling in Terms of Achievement and Reaction Towards Module at B.Ed. Level. Unpublished M.Ed. Dissertation, Institute of Education, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2003.
12. Mason, Toni, Jo: The Development and Validation of an Instructional Module to Assist Associate Teachers with Handicapped Children. Doctoral Dissertation, D.A.I., Vol. 43, No. 7, 1983.

Table 1 : Statement wise percentage of response belonging to different categories

S.	Statement	SA	A	UN	DA	SDA
1	The language of the module is simple.	32(71.04)	13(28.86)	0	0	0
2	Organization of the content is not done effectively.	0	0	0	29(64.38)	16(35.52)
3	Clear objectives given in the beginning of module are helpful in learning.	27(59.94)	18(39.96)	0	0	0
4	Examples are related to daily life.	34(75.48)	11(24.42)	0	0	0
5	There is no clear explanation of each point with examples.	0	0	0	30(66.6)	15(33.3)
6	I never want to study other subject through this technique.	0	0	0	27(59.94)	18(39.96)
7	Self evaluation question given after each point helped to understand the content.	34(75.48)	11(24.42)	0	0	0
8	I want to study the other subjects through this technique.	23(51.06)	22(48.84)	0	0	0
9	Content do not organized in a proper way.	0	0	0	21(46.60)	24(53.28)
10	It was interesting to study through module.	21(46.60)	24(53.28)	0	0	0
11	Module motivate self study.	18(39.96)	27(59.94)	0	0	0
12	Studying through module is more better than studying through book.	23(51.06)	22(48.84)	0	0	0
13	Reading the module at own speed is easier to understand the content.	26(57.72)	19(42.18)	0	0	0
14	It is easy to understand the content study through module.	11(24.42)	34(75.48)	0	0	0
15	Points to remember given in the module is not helpful to enrich the knowledge.	0	0	0	21(46.62)	24(53.28)
16	There is no meaning of practice question given in the module.	0	0	0	24(53.28)	21(46.62)
17	Study through module save labor and time.	25(55.5)	20(44.4)	0	0	0
18	Reading through module increases the confidence of students.	23(51.06)	22(48.84)	0	0	0
19	It develops the analytical power in the student.	22(48.84)	23(51.06)	0	0	0
20	The field of knowledge become narrow by study through module.	0	0	0	26(57.72)	19(42.18)
21	All the students do not become active by study through it.	0	0	0	11(24.42)	34(75.48)
22	Investigator solved the problems whenever difficulties arises.	33(73.26)	12(26.64)	0	0	0
23	Module motivate the student for self evaluation.	20(44.4)	25(55.5)	0	0	0
24	Present module is not based according to individual differences.	0	0	0	22(48.84)	23(51.06)
25	It requires more time to study through module.	0	0	0	21(46.62)	24(53.28)
26	There was no continuity in the main points given in the module.	0	0	0	28(62.16)	17(37.74)

Where

SA = Strongly Agree

A = Agree

UD = Undecided

D = Disagree

SD = Strongly Disagree

* Percentages are given in brackets.

A Study Of Module With Jerk Technology In Terms Of Students Reactions

Dr. Nisha Maharana *

Abstract - The aim of present study is to find the reaction of students towards module with jerk technology. Jerk Technology is an innovation by Sansanwal (2000) in the field of education. By using the tools of Jerk Technology the modular approach can be made more effective and interesting. It's main purpose is to bring variations in teaching – learning process by changing the voice, using audio-visual aids, by changing interaction style, involving gestures, etc. The reactions of student teachers towards the developed module were taken by the Reaction Scale developed by the investigator. Forty Four (44) statements were included in the reaction scale of Module with Jerk Technology related to various aspects of the module. The reaction towards Module with Jerk Technology was strongly favorable.

Introduction - Module is a type of self learning material which has been defined by many authors. Some of the definitions are as follows:

Houston, W.R. (1972) defined module as “Module is a set of experiences designed to facilitate the learners demonstration of specified objectives”.

Goldsmith (1973) defined a module as “A self contained independent unit of planned series of learning activities designed to help the student to accomplish certain well defined objectives”.

The environmental education became an essential part of education for all because of its immense educational potential and importance of understanding environment. The survival of human race of earth is connected with the maintenance of natural equilibrium in the environment Environmental education is the only means by which we can prepare the future generation to face the environmental calamity. Looking to the importance of Environmental Education investigator felt that there is a great need to develop module on Environmental Education. Because it is obvious that B.Ed. students will be the teachers of future generation and if they have idea and knowledge about Environmental Education and it's component, they will be able to prepare the future generation to face the environmental catastrophe. Jerk Technology has been tried out by Shrinivasan (1999) and Tourani (2001).

They found that Jerk Technology was moderately satisfactory in terms of gain of achievement. Tourani (2006) has also conducted a comparative study of conventional method and Jerk Technology and found that Jerk Technology is more effective than lecture method and reaction towards Jerk Technology was very strong. Verma (2007) conducted a comparative effectiveness of Jerk Technology embedded modular approach and traditional

approach and found that Jerk Technology embedded modular approach is more effective than traditional approach and reaction towards Jerk Technology was also very favorable.

Main objectives of Jerk technology are -to make students active learner, to make learning joyful. to help learner in making him aware of what he understands, to help learners in increasing the presence of mind in the classroom to establish proper rapport between student and teacher, to break the monotony in the class-room. to create tension free atmosphere in the class room etc.

Module with jerk technology was prepared by using tools of jerk technology .

There are nine tools of Jerk technology. These are as follows:

1. Mirror Image Writing (MIW)- The teacher use MIW when there is a need to pay more attention towards the main points of content.

2. Disproportionate Word Writing (DWW)- with the use of this tool teacher can change change in writing. By disproportionate writing teacher can attract the attention of student towards black-board.

3. Small Writing (SW)- With the use of this tool student can be made active and alert..

4. Double Negative Sentences (DNS)- By using this type of examples teacher can create teaching and learning process interesting joyful. Some examples are as follows:

1. Reeta has not been unsuccessful.
2. This person is not unreliable.
3. This story is not uninteresting.

5. Unusual Sentence Construction (USC)- Some examples of this tool are as follows-

1. I like my friend but not dislike my neighbour.
2. The concept of module is clearly unclear to me etc.

6. Logical Illogic Words (LIC)- The use of Jerk Technology will enhance the attentiveness of students in the classroom. Due to increase attentiveness, the student's concentration may also improve. Therefore, Jerk Technology should not be used in the class. Whenever children eat balanced foods their chances of illness will INCREASE.

7. Use Multiple Words (UMW)- some of the examples of UMW are given below: It is difficult, 'hard', 'tricky', 'not easy', 'complicated', 'intricate', 'kathin', 'muskil', 'jatil', etc. Tools used in research must be 'reliable', 'dependable', 'consistent', 'trustworthy', 'Vishvasaniya', 'bharosemand', etc.

This method is 'useful', 'helpful', 'of use' 'valuable', 'handy', etc.

8. Give Misfit Example (GMF)- Examples of Misfit words are Living organism- Man, tiger, rabbit, robot, dog, cat, donkey etc.

Quadrilaterals- Rectangle, square, rhombus, parallelogram, trapezium, hexagon, kite.

9. Teacher's Known Mistake (TKM)- In this tools teachers make mistakes knowingly while drawing a diagram, making connection in laboratory, writing formula on blackboard, writing spellings, by giving wrong definition of a term etc. These tools are used according to the nature of topic.

Objective - To study the reaction of B.Ed. student teachers towards module with jerk technology.

Data Analysis - The Mean, SD, CV and Percentage were computed for studying the reaction towards module with Jerk Technology.

Methodology

Sample - For this study 30 student teachers of academic session of 2008-2009 of regular B.Ed. course of Government PGBT College, Ujjain were taken.. There were Females and Males in the group. They were either graduate or postgraduate in different disciplines. They have almost same socio-economic status and background. The age range of the student teachers was from 23 to 55 years. Medium of instruction was Hindi. All the student teachers were in service teachers.

Tool - The reactions of student teachers towards the developed module was taken by the Reaction Scale developed by the investigator. Forty Four (44) statements were included in the reaction scale of Module with Jerk Technology related to various aspects of the module . There were both positive and negative statements. Each statement had to be rated on five point scale. There were five options (i) Strongly Agree (ii) Agree (iii) Undecided (iv) Disagree (v) Strongly Disagree. For positive statement weight age ranges from 5 (strongly agree) to 1 (strongly disagree). But in negative statement the weight age reversed i.e. 1 (strongly agree) to 5 (strongly disagree).

The student teachers had to put a tick mark (✓) on the chosen option.

Result And Discussion - The data related to The reaction towards Module with Jerk Technology were analyzed by computing the mean, S.D. and coefficient of variation. The

mean score of reaction towards Module with Jerk Technology was found to be 193. The reaction towards module with Jerk Technology scale contained 44 statements related to different aspects of Module and Jerk Technology. Against each statement a five point rating scale was given, on which students were given their responses. Thus the score of the student could range between 44 and 220. The mean score of reaction towards Module with Jerk technology is close to 220 signifying a favorable reaction towards Module with Jerk Technology. The S.D. and coefficient of variation was worked out, S.D. was found 8.07 and CV was 23.90%. These are quite low, it indicates that as a group, the reaction towards Module with Jerk Technology was almost invariant and strongly favorable. Reaction obtained from the student were analyzed by percentage method .Results are given in the following table.

Table 1 (see in last page)

In order to probe into reaction towards Module with Jerk Technology, specially the data regarding to tools of Jerk Technology were further analyzed by computing statement wise percentage falling under the five given choices are as follows:

The statement no. seven indicates that Small and big sizes of words create problem in studying the module in response to this statement 3.33% students were undecided, 90% were disagreed and 6.67% were strongly disagreed.

The statement no. eight indicates that Teacher's known mistakes increases concentration in response to this statement. 46.67% students were strongly agreed, 50% were agreed while 3.33% were undecided.

The statement no. nine indicates that In response of the statement, viz., it was difficult to read mirror image writing 3.33% students were strongly agreed, 6.67% were agreed, 73.33% were strongly disagreed.

The statement no. ten indicates that About this statement that multiple words given in topic was unnecessary 10% students were undecided, 83.33% students were disagreed while 6.67% were strongly disagreed.

The statement no. eleven indicates that it was very joyful to read the double negative sentences 46.67% students were strongly agreed and 53.33% students were agreed.

The statement no. twelve indicates that Small and big sizes of words attract attention towards lesson, in response to this statement, 20% of students were strongly agreed, 76.67% agreed and 3.33% were undecided.

The statement no. thirteen indicates that Unusual sentence construction attract attention towards lesson, in response to this statement, 23.33% of students strongly agreed, 73.33% were agreed while 3.33% were undecided

The statement no. fourteen indicates that In respect of the statement, viz., it was very joyful to study misfit examples carefully used in the module 10% of the students strongly agreed 86.67% were agreed while 3.33% were undecided.

The statement no. fifteen indicates that 43.33% of the

students were strongly agreed, 46.67% were agreed, 6.67% were disagreed while 3.33% were strongly disagreed with the statement that it was interesting to read mirror image writing.

The statement no. sixteen indicates that In respect of the statement, viz., logically illogical conclusion help to summarize the content well 26.67% were strongly agreed, 46.67% were agreed while 26.67% were undecided.

The statement no. seventeen indicates that It was very difficult to understand the meaning of unusual sentence construction with regard to this statement 6.67% of students agreed, 10% were undecided, 80% were disagreed and 3.33% were strongly disagreed.

The statement no. eighteen indicates that In respect of the statement, viz., it was very interesting to read the Module with Jerk Technology. 76.67% of the students were strongly agreed and 23.33% were agreed.

The statement no. nineteen indicates that I never want to study other subjects through this technique, in response to this statement 20% of the students were strongly disagreed, 76.67% were disagreed and 3.33% were undecided.

The statement no. twenty one indicates that Logically Illogical conclusion misguided very much, in response to this statement 53.55% of the students were strongly disagreed, 36.67% were disagreed and 10% were undecided.

The statement no. twenty two indicates that Question-Answer related to the topic like what, why and how helped to understand the topic sufficiently with regard to this statement 80% of students were strongly agreed, 13.33% were agreed, while 6.67% were undecided.

The statement no. twenty three indicates that In respect of the statement viz., I want to study the other subjects through this technique, 63.33% of the students were strongly agreed and 36.67% were agreed.

The statement no. twenty nine indicates that 3.33% of the students were strongly disagreed and 96.67% of the students were disagreed with the statement that teacher's known mistakes misguided very much.

The statement no. thirty one indicates that In response of the statement, viz., it was wastage of time to study the Module with Jerk Technology, 20% of the students were strongly disagreed and 80% were disagreed.

The statement no. thirty nine indicates that It was confusing to study misfit examples used in the module in response to this statement 10% of the students were strongly disagreed. 80% were disagreed 6.67% were undecided and 3.33% were agreed.

On the above basis we can conclude that Developed Module with Jerk Technology was found effective in terms of reactions of the students. So there is a need to develop module with Jerk technology in various subject.

Implications - Present study has wide implication for the person working in the field of education. It provides guidelines to module developer, curriculum designer,

teacher educators, principals/administrators, teachers, students, parents and researchers. These are given in different captions in detail.

Module Developers - By using Jerk technology the modular approach can be made more effective and interesting

Curriculum Designers - The curriculum designers should plan and implement curriculum considering the latest demands of the modern society.

Teacher Educators - There is a need to acquaint teacher educators with latest techniques and innovations of education.

Principal/Administrator - Principal/Administrator of an institution can provide more facilities to their students by keeping the Module with Jerk Technology in library .

Teachers - For effective teaching-learning process teacher may use Module with Jerk Technology..

Students - For high achievement and better understanding students must study the related topics by Module with Jerk Technology if available.

Parents - Parents are the most important part of society who always remain in close contact to their child. They will play an important role in providing learning material to them.

Suggestions For Further Researches - Module with Jerk Technology can be developed on different subjects at different levels.

1. Effectiveness of Module can be increased with the use of different variables.

References :-

1. Buch, M.B. (Ed.): Fourth Survey of Research in Education, National Council of Educational Research and Training, New Delhi, 1983-88.
2. Buddhisagar, M.: Development and Compares of Instructional Material Developed by using Advance Organizer Model and Operant Conditioning Model for Teaching Educational Psychology to B.Ed. Students. Unpublished Ph.D. (Edu.), Devi Ahilya Vishwavidyalaya , Indore, 1987.
3. Maharana, N.: Effectiveness of Module on Testing Non-Testing Techniques in Guidance and Counseling in Terms of Achievement and Reaction Towards Module at B.Ed Level. Unpublished M.Ed. Dissertation, Institute of Education, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2003.
4. Maharana, N.: COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF WITH AND WITHOUT JERK TECHNOLOGY MODULE ON ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TERMS OF ACHIEVEMENT IN ENVIRONMENTAL EDUCATION OF B.Ed. STUDENTS Unpublished Ph.D. (Edu.), Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2011.
5. Maharana, N. : Comparative Effectiveness of With and Without Jerk Technology Module on Environmental Education in terms of Achievement in Environmental Education of B.Ed. Students. Unpublished Ph.D. (Education) Thesis, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2012.
6. Tourani, P.: Comparative Effectiveness of Jerk Tech-

- nology and Lecture Method in Terms of Cognitive and Affective Domain Related Variables of Class IX Students. Unpublished Ph.D. (Education) Thesis, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2006.
7. Tourani, P. and Sanwanwal, D.N.: A Study of Effectiveness of Jerk Technology in Terms of Cognitive and Affective Domain Related Variable of Class VII Students. Journal of Educational Technology, Vol.13, 3 &4, pp.143-148, April, 2001 and July, 2001.
 8. Education Program. Doctoral Dissertation, Vol. 38, No. 5, 1977.
 9. Verma, J.: Comparative Effectiveness of Jerk Technology Embedded Modular Approach and Traditional Approach in Terms of Cognitive and Affective Domain Related Variables of Class VIII Students. Unpublished M.Ed. Dissertation, Institute of Education Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, 2007.

Table 1 Statement-wise percentage of responses belonging to different categories

S.	Statement	SA	A	UN	DA	SDA
1.	The language of the module is simple.	29(96.67)	1(3.33)	0	0	0
2.	Organization of the content is not done effectively.	0	0	0	14(46.67)	16(53.33)
3.	Clear objectives given in the beginning of module are helpful in learning.	14(46.67)	15(50)	1 (3.33)	0	0
4.	Diagram and outline are not used properly according to the topic.	0	0	7 (23.33)	0	23(76.67)
5.	Examples are related to daily life.	23(76.67)	7(23.33)	0	0	0
6.	There is no clear explanation of each point with examples.	0	0	3(10)	26(86.67)	1(3.33)
7.	Small and big sizes of words create problem in studying the module.	0	0	1 (3.33)	27(90)	2(6.67)
8.	Teacher's known mistake increases concentration.	14(46.67)	15(50)	1(3.33)	0	0
9.	It was very difficult to read mirror image writing.	1(3.33)	2(6.67)	0	22(73.33)	5(16.67)
10.	Multiple words given in topic was unnecessary.	0	3(10)	0	25(83.33)	2(6.67)
11.	It was very joyful to read the double negative sentences.	14(46.67)	16(53.33)	0	0	0
12.	Small & big sizes of words attract attention towards lesson.	6(20)	23(76.67)	1(3.33)	0	0
13.	Unusual sentence construction attract attention towards lesson.	7(23.33)	22(13.33)	1(3.33)	0	0
14.	It was very joyful to study misfit examples carefully used in the module.	3(10)	26(86.67)	1(3.33)	0	0
15.	It was interesting to read mirrors image writing.	13(43.33)	14(46.67)	0	2(6.67)	1(3.33)
16.	Logically Illogical conclusion help to summarize the content well.	8(26.67)	14(46.67)	8 (26.67)	0	0
17.	It was very difficult to understand the meaning of unusual sentence construction.	0	2(6.67)	3(10)	24(80)	1(3.33)
18.	It was very interesting to read the Module with Jerk Technology.	23(76.67)	7(23.33)	0	0	0
19.	I never want to study other subjects through this technique.	0	0	1 (3.33)	23(76.67)	6(20)
20.	Self Evaluation questions given after each point helped to understand the content.	27(90)	3(10)	0	0	0
21.	Logically Illogical conclusion misguided very much.	0	0	3(10)	11(36.67)	16(53.33)
22.	Question-answers related to the topic like what, why and how helped to understand the topic sufficiently.	24(80)	4(13.33)	2 (6.67)	0	0
23.	I want to study the other subjects through this technique.	19(63.33)	11(36.67)	0	0	0
24.	Content do not organized in a proper way.	0	0	0	19(63.33)	11(36.67)
25.	It was interesting to study through module.	23(76.67)	7(23.33)	0	0	0
26.	Module motivate self learning.	17(56.67)	13(43.33)	0	0	0
27.	Studying through module is more better than studying through book.	22(73.33)	8(26.67)	0	0	0
28.	Reading the module at own speed is easier to understand the content.	15(50)	15(50)	0	0	0
29.	Teacher's known mistakes misguided very much.	0	0	0	29 (96.67)	1(3.33)

30.	It is easy to understand the content study through module.	28(93.33)	2(6.67)	0	0	0
31.	It was wastage of time to study the module with Jerk Technology.	0	0	0	24(80)	6(20)
32.	Points to remember given in the module is not helpful to enrich knowledge.	0	0	0	25(83.33)	5(16.67)
33.	There is no meaning of practice questions given in module.	0	0	1 (3.33)	20(66.67)	9(30)
34.	Study by a module save labor and time.	27(90)	3(10)	0	0	0
35.	Reading through module increases the confidence of student.	17(56.67)	12(40)	1 (3.33)	0	0
36.	It develops the analytical power in the students.	7(23.33)	21(70)	2 (6.67)	0	0
37.	The field of knowledge became narrow by study through module.	0	0	1 (3.33)	27(90)	2(6.67)
38.	All the students do not became active by study through module.	0	0	2 (6.67)	27(90)	1(3.33)
39.	It was confusing to study misfit examples used in the module.	0	1(3.33)	2 (6.67)	24(80)	3(10)
40.	Investigator solved the problem whenever difficulties arises.	28(93.33)	2(6.67)	0	0	0
41.	Module motivate the student for self Evaluation.	23(76.67)	7(3.33)	0	0	0
42.	Present module is not according to individual differences.	0	0	3(10)	23(76.67)	4(13.33)
43.	It requires more time to study through module.	0	0	0	15(50)	15(50)
44.	There was no continuity in the main points given in the module.	0	0	0	2(6.67)	28(93.33)

Where

- SA = Strongly Agree
- A = Agree
- UD = Undecided
- D = Disagree
- SD = Strongly Disagree

बीसवी शताब्दी में छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा का विकास एवं उसका सामाजिक प्रभाव

जयभारती बेलवंशी *

शोध सारांश - छिंदवाड़ा जिला मध्यप्रदेश के सतपुड़ा की सुरम्य शृंखलाओं के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। प्राचीन एवं मध्य काल में यहाँ क्रमशः नंद, मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट, कल्चुरी, गोंड तथा मराठा वंश के शक्तिशाली तथा वैभवशाली शासकों का प्रभुत्व रहा था। किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में जिले की प्राचीन एवं मध्युगीन शिक्षा व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजों के संपर्क से जिले में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार हुआ। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु सस्ते क्लर्क तैयार करने के उद्देश्य से भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित किया। यद्यपि उन्हें अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई तथापि इससे भारतीय भी लाभान्वित हुए। प्रस्तुत शोधपत्र में बीसवी शताब्दी में छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा का विकास तथा उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी - शिक्षा।

प्रस्तावना - अतीत से ही भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी भू-भाग पर स्थित छिंदवाड़ा जिले का एक विशिष्ट राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है। जिले की भौगोलिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने समूचे मध्यभारत को प्रभावित किया है। छिंदवाड़ा जिले के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यहाँ का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में यहाँ की भूमि नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कल्चुरी, वाकाटक, राष्ट्रकूट, परमार, यादव तथा गोंड आदि शक्तिशाली एवं वैभव संपन्न राजवंशों के आधिपत्य में रहा है। देवगढ़ के अंतिम शक्तिशाली शासक चांद सुल्तान ने अपनी राजधानी नागपुर में स्थानांतरित कर दी थी। 1739 ई. में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में हुये उत्तराधिकार के युद्धों ने बरार की मराठा शक्ति को आमंत्रित किया। बरार के शासक रघुजी भोंसले प्रथम ने 1743 ई. में देवगढ़ पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना की। 11 दिसम्बर 1853 ई. को नागपुर राज्य के अंतिम भोंसला शासक रघुजी तृतीय की निःसंतान स्थिति में मृत्यु हो गई। नागपुर राज्य लार्ड डलहौजी की हड़पनीति का शिकार हुआ और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसी के साथ छिंदवाड़ा जिला भी ब्रिटिश शासनांतर्गत हो गया था।

जिले की प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्वरूप और उसके अंगभूत विषयों के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। इस संबंध में ऐसा कोई पुरातत्वीय स्मारक या शिलालेख उपलब्ध नहीं है, जिससे छिंदवाड़ा की शिक्षा पद्धति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश पड़ सके। तथापि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिले में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप निश्चित ही गुरु-शिष्य परम्परा का रहा होगा। यहाँ पाठशाला और मकतब थे जहाँ गुरु और मौलवी, परम्परागत धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करते थे। विद्यालयीन शिक्षा का प्रारंभ वेतनभोगी अध्यापकों के माध्यम से अंग्रेजी शासनकाल में ही आरंभ हुआ। आगे चलकर इस शिक्षा का उपयोग अंग्रेजी शासन के लिए कारकूनों (कर्मचारियों) के निर्माण के लिये किया गया और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रमों का भी निर्माण किया गया। ब्रिटिश काल में जिले में शिक्षा के क्षेत्र कोई विशेष प्रगति नहीं

हुई। ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिये था। अंग्रेजी सरकार जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को उत्सुक नहीं थी। जिले में स्वतंत्रता के पूर्व जो प्रयास किये गये थे, वे केवल बाबुओं की जमात पैदा करने के लिये थे न कि लोगों के बौद्धिक एवं जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये।

जिले में पाश्चात्य अथवा परम्परागत शिक्षा का आरंभ ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद 1861 ई. में हुआ। प्रारंभ में शिक्षा की व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च। बाद में 5वीं श्रेणी को औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक जिले में शिक्षा का विकास काफी मंद गति से हुआ। 1905-06 ई. तक जिले में केवल पूर्व-माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी। उस समय जिले में 73 शासकीय, 5 स्वीडिस मिशन द्वारा अनुदान प्राप्त तथा दो निजी प्राथमिक शालायें थी। प्राथमिक शालायें में दो अंग्रेजी युक्त 'एग्लो वर्नाक्युलर' तथा तीन 'हिन्दी वर्नाक्युलर' शालायें थी। ये क्रमशः छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्ना, मोहगांव एवं लोधीखेड़ा में खोली गई। 1930-31 ई. में छिंदवाड़ा शहर में शासन की ओर से प्रथम उच्चतर माध्यमिक शाला स्थापित की गई। 1950-51 ई. तक जिले में 335 प्राथमिक शालायें, 20 पूर्व माध्यमिक तथा 7 उच्चतर माध्यमिक शालायें स्थापित की गईं। इन आंकड़ों से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश शासन जिले में शिक्षा के विकास के लिये कितना अधिक उदासीन था।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के प्रसार-प्रचार में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया। बालिका शिक्षा के साथ अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा पिछड़ा वर्गों में शिक्षा के विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवसाय एवं छात्रवृत्तियां देकर प्रोत्साहित किया गया। उच्च शिक्षा, महिला शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। शासन के अतिरिक्त शिक्षा के विकास में समाज सेवा संस्थाओं का भी सराहनीय सहयोग रहा। शासन ने भी इन अशासकीय संस्थाओं को शिक्षा की प्रगति

* अध्यापक, महर्षि विद्या मंदिर, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

के लिये अनुदान देकर प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया और विद्यालयों के लिये उदारतापूर्वक राशि मंजूर की गई। स्वीकृत राशि का आवंटन शत-प्रतिशत जनपद सभाओं से भेज दिया गया ताकि ग्रामों में ये प्राथमिक शालाएं खोली जा सकें। फलस्वरूप योजना काल में प्राथमरी शालाओं की संख्या तेजी से बढ़ी। 1950-51 ई. समूचे जिले में मात्र 335 प्राथमिक शालाएं थीं। जिनकी संख्या बढ़कर 1955 ई. में 521, 1965-66 ई. में 791 हो गई। प्राथमिक शालाओं की संख्या आने वाले वर्षों (1970-71 ई., 1974-75 ई.) क्रमशः 855, 1205 हो गई।

इसी प्रकार माध्यमिक शालाओं में भी विकास तीव्रगति से हुआ। 1950-51 में माध्यमिक शालाओं की संख्या 20 थी जो 1955-56 ई. में 39 हो गई और 1960-61 ई. में 68 रही। बाद में 1970-71, 1974-75 ई. में यह संख्या क्रमशः 90 तथा 172 हो गई। इन शालाओं में छात्र एवं छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला शिक्षा की ओर सरकार का विशेष ध्यान गया। 1960-61 ई. में 8 पूर्व प्राथमिक, 32 प्राथमिक तथा 4 माध्यमिक और 2 उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोले गये। जिनमें 14,474 छात्रों की संख्या थी। 1970-71 तथा 1975-76 में लड़कियों के शालाओं की संख्या में वृद्धि हुई। पूर्व प्राथमिक शाला 38, 26 और उच्च माध्यमिक शाला 7.1 जिले में थी। पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के बाद विशेष प्रयास किये गये। जनजातीय क्षेत्रों में नये भवन और छात्रावास बनाये गये कुछ पुराने विद्यालयों में व्यावसायिक विषय शुरू किये गये। कुछ खास अनुसूचित जातियों के छात्रावासों के रखरखाव हेतु राशि आवंटित हुई और कुछ अन्य जातियों के लिये जारी किया गया।

छिन्दवाड़ा जिले का सौभाग्य था कि विद्यालय एवं महाविद्यालयीन शिक्षा का सूत्रपात गैरसरकारी अथवा समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से हुआ। इन संस्थाओं ने विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित कर शिक्षा को व्यवस्थित दिशा प्रदान की। उच्च शिक्षा के प्रसार की दिशा में प्रथम प्रयास 1958 ई. में सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी द्वारा छिन्दवाड़ा में महाविद्यालय खोलकर किया गया। 1961 ई. में यह महाविद्यालय शासनाधीन हुआ और 1966-67 ई. में इसे स्नातकोत्तर का दर्जा दिया गया। आज यह स्वशासी होकर उच्चशिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाईयों को छू रहा है। 1975 ई. तक जिले में 7 महाविद्यालय खोले गये थे। इनमें से जामई और परासिया विवेच्यकाल में ही शासनाधीन हो गये थे। शेष 4 आज भी गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। भाषायी शिक्षा की दृष्टि से कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सौंसर विषेष उल्लेखनीय है जहाँ मराठी भाषा का अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ से आज तक स्नातक स्तर पर कराया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत माइनिंग पोलिटेक्निक खिरसाडोह तथा छिन्दवाड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये। इन संस्थाओं की स्थापना का प्रभाव शीघ्र ही परिलक्षित होने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात् सौंसर, पांडुर्ना के संतरा अंचल की कृषि आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। परासिया, जुन्नारदेव क्षेत्र का कोयलाचंल विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का अन्यतम उदाहरण है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद जिले में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास दिखाई दिया। इस मुख्य कारण था लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझ लिया था। इस दौरान जहाँ शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण भी बढ़ा, जिसने समाज के विकास को एक नई गति प्रदान की। छिन्दवाड़ा जिला शिक्षा की दृष्टि से प्रगतिशील रहा है और इसकी अनंत संभावनाएं आज भी विद्यमान हैं।

जिले में शिक्षा का प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ा, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह पाया जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखक, कवि, पत्रकार, वकील, डाक्टर, इंजीनियर इत्यादि वर्गों का उदय हुआ जो जिले के लिए अति आवश्यक था। सामाजिक जीवन में शिक्षा के प्रभाव से नयी विचारधारा, कुरीतियों की समाप्ति, रहन-सहन में परिवर्तन एवं समाज में एक सुसभ्य व्यक्ति की श्रेणी में रहना इत्यादि शिक्षित वर्ग के उदय के बाद संभव हो पाया है। इस प्रकार शिक्षित वर्ग के उदित होते ही समाज में बेहतर परिवर्तन आया जिससे जिले में समाज के हित व उद्धार के लिये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की तथा पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से समाज को उत्कृष्ट रूप प्रदान किया। तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो जाने से जिले को शिक्षा का एक नवीन विचारधारा मिल गई। जिसे प्राप्त कर छात्र को रेलवे, बैंकिंग, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो गये। जिले में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। शासन के अतिरिक्त अन्य स्वध्यायी संस्थानों द्वारा सराहनीय सहयोग रहा। शासन ने भी इन अशासकीय संस्थाओं को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए अनुदान देकर प्रोत्साहित किया।

साहित्यिक संस्थाओं का विकास शिक्षा के प्रभाव का परिणाम है। 20वीं शताब्दी में यह जिला साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। इन गतिविधियों के लिये 'हिन्दी प्रचारिणी समिति' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। समिति के क्रियाकलाप के फलस्वरूप यहाँ राष्ट्रीय के कवि, लेखक, साहित्यकार तथा पत्रकारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जिले में बौद्धिक चेतना के साथ राजनैतिक जागृति उत्पन्न करने में महती भूमिका का निर्वाह किया। अतः यह नितांत स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के साहित्यिक विकास में जिले में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी में छिन्दवाड़ा जिले में शिक्षा का विकास एक विशेष कदम था जिसने जिले की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साहित्यिक क्षेत्रों में अपनी विशेष भूमिका निभाई और इनको नवीन विचारधारा प्रदान की। इसलिये छिन्दवाड़ा जिले का शैक्षणिक विकास मध्यप्रदेश के इतिहास के अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रसल, आर.वी., सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर छिन्दवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट वॉल्यूम ए डिस्ट्रिक्टिव बाब्बे प्रिन्टेड एट टाइम्स प्रेस, 1907
2. सिन्हा, ए.एम.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर छिन्दवाड़ा, संस्कृति विभाग, शेपाल, मध्यप्रदेश 1995
3. ओकटे, मारुतिराव; छिन्दवाड़ा क्षितिज, छिन्दवाड़ा, 1933
4. राजपूत, नन्हेसिंह; प्रचारिणी पत्रिका, छिन्दवाड़ा, 1997-98
5. तिवारी कपिल; छिन्दवाड़ा दर्पण, अरुणोदय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
6. शुक्ल, भगवत प्रसाद; छिन्दवाड़ा छवि, छिन्दवाड़ा 1931
7. भालेराव, बी.डी. (संपा); जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी योजना छिन्दवाड़ा 1988-89 से 1992-93 तक
8. माहेश्वरी, रामगोपाल; शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ, विविध खण्ड, 1955
9. राजपूत, एन.एस., प्रचारिणी पत्रिका हिन्दी प्रचारिणी समिति छिन्दवाड़ा, स्वर्ण जयंती विशेषांक 1997-98
10. ओकटे मारोतराव, स्मृति चयनिका रजत जयंती समारोह, हिन्दी प्रचारिणी समिति छिन्दवाड़ा, 1960
11. माहेश्वरी, रामगोपाल, शुक्ल अभिनन्दन ग्रंथ नागपुर, 1955

Job Satisfaction of University Employees in Jabalpur 'A Comparative Study of RDVV and JNKVV'

Swati Chouhan *

Abstract - The success of an organization depends not merely on its technical efficiency, updated machinery, good plant layout and dynamic organization etc; but also depends upon its human resources. A satisfied, happy and hardworking employee is the biggest asset of any organization, including universities. Workforce of any universities is responsible to a large extent for its productivity and profitability. So, for the success of university, it is very important to manage human resource effectively and to find whether its employees are satisfied or not. One of the key factors of any organization is its employees. The success or failure of the organization largely depends on their satisfaction and dissatisfaction. One of the reasons for deteriorating conditions in an organization is low job satisfaction. Due to which, work slows down, employees remain absent and sometimes employees may leave the organization also. High job satisfaction on the other hand, is desired by the management because it tends to be connected with the positive outcomes that managers want. High job satisfaction is the hallmark of well managed organization and is fundamentally the result of effective behavioral management. It is measure of the counting process of building a supportive human climate in an organization

Keywords - Job Satisfaction, Employee, Supportive working condition, Equitable rewards, RDVV, JNKVV.

Introduction - Job satisfaction is the degree to which individuals feel positively or negatively about their jobs. It is an attitude or emotional response to work task as well as to the physical and social conditions of the work place. Job satisfaction can be defined as the positive feeling about one's job resulting from an evaluation of its characteristics. A person with high level of job satisfaction holds positive feelings about the job, while a person who is dissatisfied holds negative feelings about the job. Robert dictionary of Industrial Relations defines job satisfaction as "those outward or inner manifestations which give the individuals a sense of accomplishment or enjoyment in the performance of his/her work." According to Jit S Chandan; job satisfaction can be defined as the extent of positive feelings or attitudes that individuals have towards their jobs. When a person says that he has a high job satisfaction; it means that he really likes his job, feels good about it and values his job highly.

Factors Influencing Job Satisfaction - According to studies conducted by Hoppock, the important factors that matter in job satisfaction are:

Financial - it goes without saying that the financial considerations like fair wages, do matter in job satisfaction, but apart from that there are good many other things that influence job satisfaction. These are:

1. Relative status, which an individual holds within the economic and social groups with which he identifies himself.

2. Relationships with supervisors and associates on the job.
3. Work situations, including the nature of work.
4. Working conditions-earnings, hour of work, facilities, etc.
5. Greater opportunities for advancement.
6. Variety in work, that does away with the dullness and monotony of work.
7. Thrill and excitement of the work.
8. Job security-steady employment.
9. Ability to adjust oneself to unpleasant circumstances.

Measurement Of Job Satisfaction - OB researchers are interested in measuring job satisfaction and understanding its consequences for people at work. On daily basis, managers and team leaders must also be able to understand the job satisfaction of others. Sometimes it is also useful to make a more formal survey of level of job satisfaction among groups of workers. This is commonly done through interviews and/or questionnaires. Among the many available job satisfaction questionnaires that have been used over the years and popular ones are Minnesota Satisfaction Questionnaires (MSQ) and the Job Descriptive Index (JDI) The MSQ measures satisfaction with working conditions, chances for advancement, freedom to use one's own judgment, praise for doing a good job and feeling of accomplishment, among other aspect of one's job experience. The five facets of job satisfaction measured by JDI are the work itself-responsibility, interest and growth; quality of supervision-technical help and social support;

relationship with co-workers social harmony and respect; promotion opportunities-chances for further advancement; pay-adequacy of pay and perceived equity.

Variables Of Job Satisfaction - Some of the dependent variables of job satisfaction are listed down by Locke and others. Important among them are given below:

1. Challenging Job - Job must have a scope for application of skills, knowledge and initiative and above all it must be meaningful. Herzberg Satisfiers and Job Characteristics Theory are relevant here.

2. Equitable Rewards - More than the rewards, equity and fairness of rewards are equally important. Equity Theory of Motivation is relevant.

3. Supportive Working Conditions - Supportive working conditions are equally important as the condition of work itself to improve job satisfaction. For example persons are interested to accept even a lower pay if the work place is near home.

4. Supportive Colleagues/Supervisors - This is another aspect which satisfy an employee. If the colleagues and supervisors are supportive enough than the person automatically performs his job well.

University Profile

JNKVV Profile - Government of India with the assistance of the State Government established the biggest multi-campus university at Jabalpur, in the heart of India, named after the architect of modern India, Pt. Jawaharlal Nehru based on the recommendations of Radhakrishnan commission (1949) on the concept of establishment of Agricultural University. An approach was envisaged to narrowed down the gap between the experts and farmers through Joint Indo-American Team on Agricultural Research and Education in 1954- 55 and 1959-60 on the patterns of Land Grant Colleges of USA. On October 2, 1964, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalyaya (JNKVV) was inaugurated by the then Union Minister for Information and Broadcasting Smt. Indira Gandhi.

RDVV Profile - Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur was established as the University of Jabalpur in 1956, as an affiliating University devoted to teaching, research and extension activities. The Institution was rechristened in 1983 after the valorous Gond tribal queen of Garha, Mandla, Rani Durgavati. It is not mere symbolism that the University has been named after the Gond queen. In fact it is a testimony and declaration to the world about the indomitable spirit of Indian womanhood represented in the tribal queen who lived and died for the values of freedom and personal integrity. The University is situated in the tribal heartland of the country.

Need Of The Study - Job satisfaction is one of the most researched topics of organizational behavior in India. Studies have revealed job-satisfaction to be of great significance for effective functioning of any organization. Hence the comparative study was undertaken to identify that whether there is difference in the level of job satisfaction of employees in JNKVV University and RDVV University.

Objectives Of The Study :

1. To compare the level of job satisfaction of the JNKVV and RDVV employees.
2. To suggest strategies for better job satisfaction of universities employees on the basis of research findings.

Review Of Literature - This chapter deals with a brief review of the work done in the past on the subject concerned. Review of the past research helps, besides demarking the limitations of the work done, in classifying the concept and formulating the methodology of the study. So the attempt has been made to review various research work carried out in the past.

Singh (2005) found that job satisfaction is the result of various attitudes in all probability, activated by a worker's needs and their fulfillment (through work), a worker exhibits towards his job, towards related factors and towards life in general. More explicitly explained a worker's experience of satisfaction or dissatisfaction with his job, or any aspect of it, in large part, consequences of the extent of his positive or negative job attitude.

Research Methods - The study was conducted at RDVV University and JNKVV University, Jabalpur Primary data was collected on the basis of well structured interview schedule. Primary data is comprised of information collected from the questionnaires. Secondary data was collected using books, journals, magazines and internet.

Sample Design - An employee was treated as the sample unit for the study and the sample was divided into 2 categories according to status of employees because of the large number of employee in both the universities and it was also necessary to have a sufficient sample for greater degree of accuracy.

Analytical Tools Used - Given the nature of the data and findings of the study, the statistical tool used were percentage method and t-test.

T-Test - We use Student's T-test for comparing the means of two treatments, even if they have different number of replicates. In sample terms, the t-test compares the actual difference between two means in relation to the variation in the data.

Data Analyze And Interpretation

Satisfaction with Job

University	Mean	Standard Deviation
JNKVV	3.94	0.75
RDVV	3.9	0.72

Null Hypothesis - There is no significant level of difference between level of job satisfaction of two universities.

Alternative Hypothesis - There is significant level of difference between levels of job satisfaction of two universities.

Inference - The calculated value of t is 0.2, whereas the tabulated value is 2.2. Since the calculated value of t is less than tabulated value, so the null hypothesis is accepted. This means that there is no difference between the mean satisfaction scores of the employees of the two universities.

Motivation from Present Job

University	Mean	Standard Deviation
JNKVV	3.9	0.61
RDVV	3.7	0.85

Inference - There is no difference between the levels of motivation of employees of both the universities as the calculated value (1.0) is less than the table value (2.2)

Satisfaction with the Kind of Work Given

University	Mean	Standard Deviation
JNKVV	4.1	0.75
RDVV	3.9	0.69

Inference - As the tabulated value of t is 2.22 and the calculated value came to 0.90. So, the null hypothesis is accepted as the calculated value is less than table value. This means that the employees of both the universities have equal levels of satisfaction with the kind of work being provided to them to do their job.

Conclusion - After analyzing the data, it was concluded that there is not much difference in the level of job satisfaction of employees of both (JNKVV) and (RDVV) University i.e. the employees of both the Universities are equally satisfied with their job.

1. The employees at the JNKVV University are also happy regarding the benefits they get like promotions appraisals, incentives etc.
2. The analysis also shows that highly experienced employees at JNKVV University are more satisfied with their job as compared to the employees at RDVV University.

Suggestion :

1. Training and development programmes must be provided to the employees at regular intervals to update their knowledge and skills.
2. The kind of work given to an employees should be according to his/her abilities and knowledge and their efforts for doing a particular task must be valued by

giving appreciations and rewards to the employees for their hard work so that their level of motivation increases.

3. Along with healthy environment, healthy relationship should also be maintained in an organization.
4. The University should provide certain benefits to their employees, so that they can perform well to achieve organizational goals.

References :-

1. Blum L Milton and Naylor C James. Industrial psychology: its theoretical and social foundation . New Delhi: CBS publisher. 1st edition. pp 364-380
2. Chandan S Jit. 2005. Oranizational behavior. New Delhi: Vikas Publishing House pvt.Ltd. 3rd edition.pp 83-85
3. Gupta CB.2003.Human resource management. New Delhi: Sultan Chand and Sons.pp 786-796
4. Gupta SP.2000.Statistical methods. New Delhi: Sultan Chand and Publication 29th edition.pp 316-319
5. Singh Harpreet and Kaur Harneet .2008. Concepts and practices of research methodology. New Delhi: Kalyani publisher. 2nd edition
6. Robbins P Stephen, Judge A Timothy and Sanghi Seema.2005. Oranizational behavior. New Delhi: Prentice Hall Publication. 12th edition.pp 89-103
7. Schermerhon K John, Hunt G James Jr. and Osborn N Richard.1998. Basic organizational behavior: John and Sons, Inc. Newyork.2nd edition.pp 188-190
8. Sing Nirmal. 2005. Motivation: theory and practical application. New Delhi: Deep and Deep Publication.pp 765-780
9. Tripathi PC 1997.Human resource development: theories and correlates of job satisfaction. New Delhi Chand Sons.pp 37 -39
10. www.jnkvvjabalpur.com
11. www.rdvv.com

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के द्वारा स्वीकृत मध्यकालीन ऋण

सोहनसिंह डावेल * डॉ. सुनील कुमार शर्मा **

प्रस्तावना - देश का हृदय स्थल मध्यप्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में धार जिला अवस्थित है। यह अनुसूचित जनजातीय बहुल जिला है। यह विंध्यांचल पर्वत श्रेणियों व मालवा के पठारी भाग पर है। धार जिला भौगोलिक दृष्टि से झाबुआ, अलिराजपुर, उज्जैन, इन्दौर, रतलाम, बड़वानी तथा खरगोन जिलों से घिरा हुआ है। सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की जनसंख्या 2185793 है इनमें पुरुष 11,12,725 तथा महिला 10,73,068 है। 2011 की जनगणना के अनुसार धार जिले की साक्षरता 60.6 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में आधुनिक समय में जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा कृषित्तर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इस कारण इन बैंकों का प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

मध्यकालीन ऋण स्वीकृत के प्रमुख नियम - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धार के द्वारा मध्यकालीन ऋण भी केवल सदस्यों को ही स्वीकृत किए जाते हैं। अतः ऋण प्राप्तकर्ता को पहले बैंक से सदस्यता लेना होती है। बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करते समय निम्न नियमों का परिपालन करती है:

- 1. कृषि यंत्र** - कृषि यंत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंक भारतीय मानक संस्थान के आईएसआई मार्क के यंत्रों के लिए ही ऋण स्वीकृत करती है। कृषि यंत्रों का बीमा भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके साथ ही कृषि यंत्रा ऐसे विक्रेताओं से क्रय किए जाते हैं जो विक्रेता वाणिज्यिक कर (वेट) आदि से पंजीबद्ध हो। ऐसे कृषक जिनके पास कम से कम दो हेक्टेयर भूमि हो उसे ही यह ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- 2. बागवानी** - बागवानी हेतु ऋण की स्वीकृति वानिकी विभाग के परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ही दी जाती है।
- 3. सबमर्सिबल पम्प एवं जनरेटर** - कृषकों को ट्यूबवेल सहित सबमर्सिबल पम्प की आवश्यकता पूर्ति हेतु वरिष्ठ कृषि अधिकारी से प्रमाणिकरण के पश्चात् ही ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- 4. नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र** - कृषक को इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने के लिए अन्य बैंकों से नो-ड्यूज का प्रमाण-पत्र लेना होता है। साथ ही भूमि का भार मुक्त प्रमाण-पत्र भी लिया जाता है।
- 5. डिफाल्टर ग्राहक** - यदि बैंक का सदस्य गत निरन्तर तीन वर्षों से डिफाल्टर नहीं रहा हो तो ही उसे यह ऋण स्वीकृत किया जाता है। मध्यावधि ऋण अल्पकालीन ऋण से अधिक समयावधि के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार द्वारा अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कृषि सुधार, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधा, डेयरी, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के लिए 5 से 7 वर्ष की अवधि के मध्यावधि ऋण प्रदाय किया जाता है।

मध्यावधि ऋण प्रदायगी के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि ऐसे सदस्य जिन्हें बैंक के द्वारा दीर्घावधि ऋण दिया गया है उन्हें मध्यावधि ऋण प्रदाय नहीं किया जाता है।

इस प्रकार के ऋण के लिए ऋणगृहीता को अन्य बैंकों से नो-ड्यूज सर्टीफिकेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होता है। जो-ड्यूज सर्टीफिकेट लेने के संदर्भ में यही उद्देश्य होता है कि कृषक पर किसी अन्य बैंक से कोई ऋण तो बकाया नहीं है अथवा वह किसी भी ऋण के संबंध में डिफाल्टर तो घोषित नहीं हुआ है। समस्त समितियों को उन प्रयोजनों की प्राथमिकताओं के लिए जिसमें मध्यावधि ऋण स्वीकार किये जाते हैं निर्धारित प्रारूप में अपने सदस्यों की ओर से आवेदन पत्र तैयार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु बैंक में दिए जाते हैं।

तालिका क्रमांक 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धार द्वारा कृषि संबंधी विविध आवश्यकता पूर्ति हेतु मध्यावधि ऋण स्वीकृत किया जाता है।

तालिका क्रमांक 2

मध्यावधि ऋण (राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	ऋण	गत वर्ष की तुलना में कमी/वृद्धि
1	2005-06	1545.35	-
2	2006-07	1096.03	-449.32
3	2007-08	1202.12	+106.09
4	2008-09	809.10	-393.02
5	2009-10	750.62	-58.48
6	2010-11	747.32	-03.30
7	2011-12	616.36	-130.96
8	2012-13	587.85	-28.51
9	2013-14	446.01	-141.84
10	2014-15	617.82	+171.81

स्रोत : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धार के द्वारा प्रदत्ता मध्यावधि ऋण में औसतन कमी हो रही है। विगत दशक में केवल सन् 2007-08 एवं 2014-15 में ही तुलनात्मक वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोनी, रामसेवक : मध्यप्रदेश में सहकारिता, सुमित प्रकाशन, उज्जैन।
2. अग्रवाल, माथुर, गुप्ता : सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
3. पुस्तिका जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धारा।
4. धार जिला गजेटियर, 1984
5. स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका क्रमांक 01 : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, धार-मध्यावधि ऋण सीमा व ब्याज की दरें

क्र.	विवरण	रकम रुपये	बैंक द्वारा समिति/ हितग्राहियों से ली जाने वाली दरें	समिति द्वारा हितग्राही से ली जाने वाली दरें
अ	कृषि ऋण, कुआँ निर्माण, पम्पसेट, उद्दहन सिंचाई	25 हजार तक	11.00	14.00
	गोबर गैस प्लान्ट, पशुपालन, कुक्कट पालन एवं मत्स्य पालन	25 हजार से अधिक	12.00	15.00
ब	मध्यावधि परिवर्तित एवं पुनः परिवर्तित ऋण	25 हजार तक	12.50	16.00
स	अंत्यव्यवसायी/एकीकृत	25 हजार तक	10.90	14.00
	ग्रामीण विकास/स्वर्ण जयंती रोजगार योजना	25 हजार से अधिक	11.39	15.00
द	लघु एवं कुटीर उद्योग	25 हजार तक	11.00	14.00
ई	गोदाम निर्माण	-	12.86	12.86
फ	टैक्टर	2 लाख तक	13.00	13.00

स्रोत : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार

वाल्मीकीय रामायण में चित्रित नारी - जीवन

पंकज कुमार सिंह *

प्रस्तावना - आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण आदिकाव्य ही नहीं भारतीय संस्कृति का महान् पोशक भी है। एक और तो यह भाषा की दृष्टि से वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के बीच कड़ी का कार्य करता है तो दूसरी ओर वैदिक एवं वैदिकोत्तर सभ्यता संस्कृति में भी सामंजस्य स्थापित करता है। रामायण के अध्ययन से अतीत कालीन सभ्यता का ज्ञान तथा वर्तमान सभ्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। रामायण में भारतीय सभ्यता संस्कृति के समस्त अंग परिपुष्ट रूप में दिखलायी देते हैं। रामायण की मूलकथा के अन्तस् में नारी ही सन्निविष्ट है। अर्थात् रामायण की समस्त घटनाओं के मूल में नारी ही कारण रूप में दृष्टिगोचर होती है। राम के वनवास में कारण है कैकयी, राम रावण युद्ध में कारण है सीता एवं शूर्पणखा। यही नहीं प्रासंगिक इतिवृत्त, यथा वाली - सुग्रीव वृत्तान्त में भी नारी - सुग्रीव की पत्नी ही कारण है। इस कारण रामकथा को गतिशीलता प्रदान करने वाली नारी है। इसलिए रामायण में नारी जीवन के विविध आरोह अवरोहों का सजीव चित्र दिखलायी देता है।

रामायण कथा के आलोक में वाल्मीकि की नारी विषयक धारणाओं का निर्धारण करना यद्यपि अत्यन्त दुरूह व्यवहार है, तथापि इस शोध प्रबन्ध में इस विषय पर यथासाध्य विचार करने का प्रयास किया गया है। वाल्मीकि के नारी संबंधी विचारों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम सीतासाध्वी पतिव्रता के संबंध में तथा दूसरा असती एवं दुष्टा नारियों के सन्दर्भ में आदिकवि सती नारियों के प्रशंसक हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रवाली पतिव्रता नारियों की काफी प्रशंसा की है तथा उनके लिए एक भी निंदापरक शब्द का व्यवहार नहीं किया है। वे नारी को आदर्श भारतीय मर्यादाओं से मण्डित देखना चाहते हैं। अनेक स्थानों पर इन्होंने पति को देवता रूप में मानने का उपदेश स्त्रियों को दिया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आदिकवि की दृष्टि में नारी का पतिव्रता होना अत्यावश्यक है। पतिव्रता नारी ही तेजस्विनी हो सकती है तथा संसार में सम्मान प्राप्त कर सकती है।

आदिकवि की दृष्टि में पति के विपरीत आचरण करने वाली नारी कभी भी सामाजिक गौरव को प्राप्त नहीं कर सकती। असती एवं दुष्टा नारी निंघ होती है। इसीलिए इन्होंने क्रूरकर्मा कैकेयी की निंदा की है। इतना ही नहीं काम भावना से उन्मत्ता हुई दुष्टा शूर्पणखा को विरूप बनवाना इस बात का प्रतिक है कि आदिकवि दुष्टा नारी को दण्डनीय मानते हैं। इनके विचार में नारी अबाला होने से अवध्या है। परन्तु वैसी नारी जो ताडका जैसी अत्याचारिणी हो, प्रथमतः अंग - भंगादि दण्डों से नियंत्रित किया जाय और यदि उससे भी वह ना माने तो अंत में उसका वध कर दिया जाय।

इस प्रकार आदिकवि की नारी विषयक भावना निन्दा प्रशंसापरक अर्थात् द्वन्द्ववात्मक है। रामायण में उपलब्ध नारी निन्दा को देखकर यही

नहीं समझा जा सकता कि कवि नारी के घोर विरोधी एवं निन्दक है। नारी के आदर्श चरित्रिक गुणों के कारण इन्होंने पतिव्रता, सती साध्वी नारी को पूज्या माना है। इसके विपरीत नारी के अवगुणों के कारण दोष्टा नारी को निन्द्य माना है। इस प्रकार कवि की दृष्टि में सती नारी पूजा तथा असती निन्द्य है। कवि ने नारी के आदर्श रूप को प्रश्रय दिया है। इन्होंने नारी - हृदय को प्रेम, दया, सहिष्णुता, सेवा, सदाचार, वात्सल्य, ममत्व आदि गुणों का पंजीभूत रूप माना है। आदिकवि के अनुसार मनुष्य के दांपत्य जीवन की सफलता नारी पर ही आधारित होती है। नारी त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति होती है। नारी की अवध्यता विषयक वाल्मीकि की धारणा परम्परा से अनुमोदित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वाल्मीकि की नारी - भावना उदार एवं व्यापक है।

रामायण के अध्ययन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन कन्या - जीवन सुखमय था। कन्या के संबंध में जनसामान्य की धारणा परम्परा से अनुप्राणित थी। जिस प्रकार वैदिक काल में कन्या की ना तो निंदा की गई है और ना पुत्र की तरह से अधिक सम्मान ही दिया गया है, उसी प्रकार रामायणकाल में भी कन्या की स्थिति थी। रामायण में कहीं भी कन्या की निंदा नहीं की गई है। परम्परागत मनोवृत्ति के कारण जनसामान्य पुत्र को अधिक स्नेह करता था, परन्तु पुत्रहीन जन पुत्री को पुत्र से बढ़कर मानता था। पुत्र के अभाव से में पुत्री ही माता के समस्त वात्सल्य का केंद्र थी। लोग उसे अत्यंत प्रेमपूर्वक वत्सेय जैसे शब्द से संबोधित करते थे।

रामायण में जहां कहीं भी कन्या जीवन के सम्बन्ध में उल्लेख है, वहाँ उसे चरित्रमती एवं आदर्श गुणों से मण्डित रूप में ही चित्रित किया गया है। इससे अनुमान होता है कि कन्या के सम्बन्ध में जनसाधारण की भावना उदार एवं व्यापक थी। ऐसी बात नहीं थी कि लोग कन्या को मात्र आपत्तियों की केंद्रस्थली मानते थे। पुत्र की अपेक्षा कन्या को कम स्नेह ने पाने के मुख्यतः दो ही कारण थे। उसमें एक था विवाह के समय होने वाली कठिनाइयाँ तथा दूसरा कारण था वर के पिता द्वारा कन्या के पिता का होने वाला सम्भावित अपमान। वर का पिता स्वयं को बड़ा समझता था और वह कन्या के पिता को निम्न दृष्टि से देखता था। फलस्वरूप कन्या के पिता को हार्दिक कष्ट होता था। इसलिए लोग कन्या के जन्म से थोड़ा दुखी हो जाते थे।

कन्या की परिवारिक अवस्था भी अच्छी थी। कन्या के माता - पिता, भाई इत्यादि से मधुर सम्बन्ध होता था। सभी आपस में मिल-जुलकर स्नेहपूर्वक रहते थे। भाई बहन परस्पर काफी स्नेह करते थे। माता-पिता भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। घर से बाहर भी कन्या काफी प्रतिष्ठा थी। उसे घर से बाहर भी घूमने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त था। प्रशासन

की ओर से कन्या की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। जिस राष्ट्र का राजा कमजोर या आलसी होता था, वहाँ कुछ दुष्टजन कन्या के अपहरण की चेष्टा करते थे। परंतु पकड़े जाने पर उन्हें कठोर दंड भोगना पड़ता था। कन्या या तो स्वयं अपहर्ता को अपने तपोबल से नष्ट कर देती थी अथवा प्रशासन की ओर से उसे दण्डित किया जाता था।

तत्कालीन समाज में कन्या की शिक्षा - दीक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। आज की तरह उस समय शिक्षण- संस्थानों का अस्तित्व नहीं था। लड़के गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, परंतु कन्या के गुरुकुल में जाकर अध्ययन करने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। तथापि पिता के घर में गुरु जनों द्वारा कन्या को शिक्षाचार एवं लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी। विवाह के समय में कन्या के पिता उसे जीवनोपयोगी शिक्षा देकर विदा करते थे। राजघराने में कन्या के अध्ययन हेतु अध्यापक रखे जाते थे। सामान्य परिवार की कन्याओं की अपेक्षा राजदरबार की कन्याओं को विशेष रूप से राजनीति एवं युद्ध - कला, वेदादि शास्त्रों एवं तपस्या के विविध विधानों के संबंध में भी शिक्षा दी जाती थी। यह कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से कन्या - शिक्षण की विधिवत् व्यवस्था नहीं होने पर भी तत्कालीन परिवार में उनकी आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। रामायण में पैतृक-सम्पत्ति में कन्या के अधिकार का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता इससे संपत्ति संबंधी उसके अधिकार के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

रामायण काल में भी विवाह को संस्कार रूप में महत्व प्राप्त था। नारी जीवन में तो इसकी महत्ता और अधिक थी, क्योंकि यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आरम्भ होता है। विवाह की अनेक पद्धतियों में ब्रह्मविवाह पद्धति ही विशेष मान्य थी। राक्षस संस्कृति में कन्या अपहरण करके विवाह करने का भी प्रचलन था, परन्तु सुसंस्कृत समाज में ऐसा नहीं था। कन्या के यौवन को प्राप्त कर लेने पर अर्थात् प्रायः 16 वर्ष की आयु हो जाने पर ही कन्या का विवाह किया जाता था। कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी जो पिता उसका विवाह नहीं करता था, शास्त्र की दृष्टि से उसे ब्रह्म-हत्या के दोष का भागी माना जाता था। राज कन्याओं का विवाह प्रायः स्वयंवर विधि से होता था। लेकिन उसमें भी कन्या एवं वरपक्ष के अभिभावकों की सहमति आवश्यक थी। कन्या का विवाह वैदिक कर्मकाण्डों पूर्वक विधिवत् सम्पन्न किया जाता था। विवाह के अवसर पर कन्या के पिता दहेज के रूप में उसे यथाशक्ति धन देते थे जिसे स्त्रीधन कहा जाता था। ससुराल जाने पर उसके पतिकुल के सदस्यों द्वारा भी उपहार रूप में उसे धन दिया जाता था। उस की गणना भी स्त्रीधन के ही अंतर्गत की जाती थी। उस धन पर कन्या का अधिकार होता था। आजकल की तरह उस समय दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी। वर के पिता की ओर से शर्तपूर्वक दहेज की माँग नहीं की जाती थी। तत्कालीन समाज में समाज में स्वर्ण विवाह का ही विशेष प्रचलन था, परन्तु कोई पुरुष चाहे तो एकाधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, उस पर कोई सामाजिक या प्रशासनिक बन्धन नहीं था। रामायणकाल में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। विधवा-विवाह घृणित माना जाता था, जैसा मनुस्मृति काल में। इस प्रकार हम देखते हैं की रामायण काल की विवाह-पद्धति भी प्राचीन परम्परा से ही प्रभावित है।

विवाह के साथ ही नारी का पत्नी -जीवन आरम्भ होता है। रामायण काल में नारी का पत्नी-जीवन सुखमय दिखालायी देता है। दाम्पत्य - जीवन में पत्नी का विशेष महत्व था। यह गृहशोभा एवं गृहलक्ष्मी के रूप में मानी जाती थी। पति - पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम था। पति अपनी पत्नी को प्राणों के समान प्रिय मानता था। पत्नी को भी अपने पति के प्रति अखण्ड विश्वास

होता था। पति ही पत्नी का सर्वस्व एवं उसके स्वाभिमान का एकमात्र कारण होता था। रामायण काल की पत्नी का विशेष महत्व उनके पातिव्रत्य के कारण था। अधिकांशतः स्त्रियाँ सती - साध्वी एवं पतिव्रता होती थी। वे पति को देवतातुल्य मानती थी। पति की सेवा में ही पत्नी अपना सर्वस्व समर्पित कर देती थी। पति पत्नी का सम्बन्ध इतना प्रगाढ़ होता था कि दोनों अभिन्न माने जाते थे। इसलिए यह धारणा प्रचलित थी कि पत्नी पति के भाग्य का अनुसरण करती है। उस युग में पातिव्रत्य का निर्वाह नहीं करने वाली अथवा पति का परित्याग करने वाली स्त्री अपराधिनी समझी जाती थी।

श्वसुर कुल में पत्नी की काफी प्रतिष्ठा थी। परिवार के सभी सदस्यों से पत्नी को प्रेम और आदर प्राप्त था। उनमें पारस्परिक सम्बन्ध बड़ा ही मधुर था। सास वधू को बहुत प्यार करती थी। वधू अपनी सौतेली सास को भी अपनी ही सास के समान आदर देती थी। पत्नी और देवर हो भाई के समान और विशेष परिस्थितियों में पुत्र से भी बढ़कर मानती थी। फलस्वरूप परिवार के सभी सदस्य पत्नी रूप में नारी को काफी स्नेह करते थे। हाँ, सपत्नी का जीवन कष्टमय था। जिस पत्नी को पति विशेष मानता था, वह अपनी अन्य पत्नियों का सामान्यतः तिरस्कार करती थी अतः स्वयं सौभाग्यमद मे चूर रहती थी। सपत्नी का जीवन कलहपूर्ण कहा जा सकता है।

यद्यपि पत्नी का कार्यक्षेत्र घर पर ही होता था, परन्तु घर के बाहर आने-जाने का पूर्ण अधिकार उसे प्राप्त था। रामायणकाल में स्त्री घर से बाहर जाकर अपने पति के कार्यों में सहायता करती पाई गयी है। वीरयोद्धा या राजा की पत्नी पति के साथ युद्धभूमि में भी जाकर उसे सहयोग करती थी। लेकिन घर से बाहर जाकर कार्य करने में उसे अपने पति की आज्ञा की अपेक्षा होती थी। रामायण में पर्दा प्रथा का कोई संकेत नहीं मिलता। धार्मिक दृष्टि से पत्नी को विशेष महत्व प्राप्त था। कोई भी यज्ञिक कर्म पत्नी के बिना सम्पादित नहीं किया जा सकता था। यदि कोई अकेले (बिना पत्नी के) यज्ञ अनुष्ठान करता भी था तो उसे अपूर्ण माना जाता था। धार्मिक दृष्टि से पत्नी को पति का पूरक माना जाता था। पत्नी को संपत्ति संबंधी अधिकार भी प्राप्त था। पति के धन में पत्नी का भी अधिकार होता था। पति के मर जाने पर या तो उसका पुत्र या पत्नी ही उसका अधिकारी होती थी।

तत्कालीन समाज में माता को विशेष गौरव प्राप्त था। वह सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी मातृचरण मंगलकारक एवं वन्दनीय माना जाता था। माता की आदरणीयता का कारण उसका पुत्र वात्सल्य था। माता अपने पुत्रों से बहुत स्नेह करती थी। पुत्र भी माता का सम्मान एवं उसकी सेवा करता था। पुत्र न केवल अपनी जननी का अपितु विमाता का भी काफी आदर करता था, चाहे माता सपत्नी - पुत्र का अनिष्ट ही क्यों न करें। माता पुत्र के लिए हमेशा मंगलकामना करती थी। वह कभी भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं देखना चाहती थी। पति के बाद पुत्र ही माता का जीवनधार था। माता की जो मनोकामना अपने पति से पूरी नहीं होती थी उसे पुत्र पूरा करता था।

माता को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त था। अपने माता-पिता एवं भाइयों द्वारा प्राप्त धन पर तो उसका अधिकार था ही, पति के घर पर भी उसका समान अधिकार था। माता के धन को उसका पति या पुत्र भी नहीं ले सकता था किन्तु माता स्वेच्छापूर्वक अपना धन किसी को भी दे सकती थी।

परिवार एवं समाज में माता का बहुत आदर था। वह ग्रीहस्वामिनी होती थी। पिता के तुल्य ही माता को अधिकार प्राप्त था। यदि पिता की कोई आज्ञा लोक - विरुद्ध होती थी तो माता उसकी आज्ञा को रद्द कर अपनी ओर से यथोचित आज्ञा दे सकती थी। पिता की मृत्यु के बाद माता ही पुत्र की संरक्षिका होती थी। इस प्रकार तत्कालीन समाज में माता का स्थान बहुत ही सम्मानपूर्ण

तथा जीवन सुखमय था।

तत्कालीन विधवा जीवन ना तो सुखमय था और न बहुत दुःखमय ही। अर्थात् उसका जीवन सामान्य स्तर का था। उसके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण परम्परा से प्रभावित था। उसे मांगलिक कृत्य करने का अधिकार नहीं था। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। परंतु सामाजिकों द्वारा विधवा को सति होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। सती होने के लिए उद्यत विधवा को पुत्र - पालन के नाम पर रोक लिया जाता था। पुत्र ही उसका संरक्षक होता था। सपत्नी से विधवा को विशेष कष्ट था। रामायणकाल में विधवा विवाह या नियोग का प्रचलन नहीं था। विधवा को पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था। उसके प्रति परिवार या समाज की कुदृष्टि भावना नहीं थी। हाँ, पति के अभाव में नारी असहाय तो स्वभावतः हो जाती थी।

रामायण काल में वियोगिनी का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था। विरहकाल में स्त्री का कोई सहारा नहीं होने से वह दुःखी रहती थी। उसका प्रत्येक क्षण पति के चिन्तन और उसकी प्रतीक्षा में ही व्यतीत होता था। सती - साध्वी स्त्री के लिए विरहकाल मरण से भी अधिक दुःखदाई था। यद्यपि समाज की ओर से उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता था। फिर भी अंतरव्यथा उसके लिए असहनीय हो जाती थी। वियोगिनी की दुःखद अवस्था में सुधार लाना भी संभव नहीं था। क्योंकि उसके दुःख का कारण नहीं, आंतरिक था।

तत्कालीन समाज में एक और सती - साध्वी स्त्रियाँ थी, तो दूसरी ओर पुंश्चली और वेश्याओं का भी अभाव नहीं था। तत्कालीन आदर्श समाज में इनके निवास का मूल कारण मानव - मन की चंचलता एवं कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ही थी। कुछ स्त्रियाँ अपने प्रकृतिगत चंचलता के कारण पुरुष गमन या वेश्यावृत्ति की ओर प्रवृत्त थी तो कुछ निर्धनता आदि विशेष परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति को अपनायी हुई थी। कुउल्टा को अनैतिक कर्म के परिणाम स्वरूप कठोर शाप रूपी दण्ड भी भोगना पड़ता था। तत्कालीन वेश्या का मुख्य कर्म नृत्य - गीत के द्वारा धनार्जन करना था। अपनी कलात्मकता एवं रूप - सौंदर्य के द्वारा परपुरुष को वशीभूत करने में वह पूर्ण सक्षम होती थी। इनका जीवन सुखमय था। समाज में उसे अनादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था क्योंकि वह मनोरंजन का साधन होती थी आगे चलकर तो वेश्या को राजकीय सेवा कार्य में भी नियुक्त किया जाने लगा था।

रामायण काल में मानव सभ्यता के साथ - साथ कुछ अन्य सभ्यताये भी विकसित हो गई थी। वानर, राक्षस, किन्नर, विद्याधर आदि की पृथक - पृथक अपनी सभ्यता एवं संस्कृति थी। इन जातियों की नारी की अवस्था बड़ी ही सुखमय थी। किन्नरी हम विद्याधरी संगीत विद्या में निपुण होती थीं। सर्वत्र इन्हें आदरपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। वानरकुल की स्त्रियाँ भी बहुत सम्पन्न एवं सुखी थी। वानरराज कुल की स्त्रियों का जीवन तो और आनंदपूर्ण था। वानरराज की पत्नी कोराजनितिक अधिकार भी प्राप्त थे। पुत्र के प्रति इनका विशेष प्रेम होता था। अप्सरा जाति की स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य के लिए लोकविश्रुत थीं। धरती पर किसी तपस्विनी का तपभंग करने के लिए देवगण उनका विशेष साधन के रूप में प्रयोग करते थे। राक्षस जाति की स्त्रियाँ स्वरूपतः विरूप होती थी। उनका आचरण भी बड़ा अभद्र होता था। मैं उपद्रवकारिणी तथा अधार्मिक प्रवृत्तिवाली होती थी। लेकिन कुछ स्त्रियाँ आदर्श गुणोवाली भी होती थी। त्रिजटा जैसी राक्षसी राक्षसी प्रवृत्ति का विरोध करती देखी गयी है। राक्षसियों का जीवन भी सुखमय ही कहा जा सकता है। नारी सौंदर्य की केंद्रस्थली मानी जाती थी। नारी का प्राकृतिक सौंदर्य

ही विशेष प्रशंसनीय था। तत्कालीन नारी अपने बाह्य सौन्दर्य में वृद्धि के लिए कृत्रिम साधनों यथा सुंदर वस्त्र, लक्षारस, आभरण, शीतललेपादि का प्रयोग करती थी। रूपवती भार्या पुरुष के हृदय को सघः वशीभूत कर लेती थी। समाज में उन नारियों को विशेष प्रतिष्ठा थी, जो बाह्य रूप सौंदर्य के साथ - साथ आदर्श गुणों से मंडित होती थी। दया, प्रेम, सौन्दर्य वात्सल्यादि गुणों के कारण नारी समाज में गौरवपूर्ण एवं उच्च स्थान प्राप्त कर लेती थी।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि रामायणकालीन नारी - जीवन तत्कालीन समाज के लिए आदर्श एवं भविष्य के नारी - जीवन का मार्गदर्शक था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित् तास्ते सुरक्षिताः। वा.रा. 2/100/49
2. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु. 3/55
3. सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्षया विशेषतः।
द्वयोर्हि कुलयोः शोकभावहेतुरुरक्षिताः। वही, 9/5
4. प्रजनार्थ महाभागाः पूजाहां गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहंषु न विशेषोऽस्ति कश्चना। वही, 9/36
5. महा. उद्योग 38/11
6. वही, अनुशासन - 81/7
7. वही, - 5/6
8. वही, शांति 57/41
9. चा.नी.द. 1/6
10. मनु. 11/190
11. वही, 11/138
12. न ह्येनामृत्सहे हन्तु स्त्री स्वभावेन रक्षिताम्। वा.रा. 1/26/12
13. तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदुमब्रवीत्।
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमादाः क्षम्यतामिति। वहां, 2/78/21
14. धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्।
हन्ति तीव्रण दण्डेन दण्डार्हा पापकारिणीम्।
कथं दशरथाज्जातः शुभमिजनकर्मणः।
जानम् धर्ममधर्म च कुर्या कर्म जुगुप्सितम्। वही, 2/106/9
15. ये च स्त्रीघातिनां लोका लोकवध्वैश्च कुल्लिसताः।
इहजीवितमृत्सृज्यं प्रेत्यान् प्रति लप्स्यसि। वही, 6/8/1/22
16. तामाप्रतन्तीं वेमेन विक्रान्तामशनीमिव।
शरेणोरसि कियाध सा पपात ममार च ॥ वही, 1/26/25/26
17. श्रूयर्त हि पुरा शको विरोचनसुतां नृपा।
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्त मन्थरमभ्यसृदयत्॥ वही, 1/25/20
18. विष्णुना च पुरा रामः भृगुपत्नी पतिव्रता।
अनिन्दं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषादिता॥ वही, 1/25/21
19. एतैश्चान्यैव बहुभी राजपुत्रैर्महात्मभिः।
अधर्मसहिता नार्या हताः पुरुषसत्तमैः॥ वही, 1/25/22
20. न हि ते स्त्रीवधकृते धृणाकार्या नरोत्तम।
चातुर्वर्ण्यहितार्थ हि कर्त्तव्यं राजसनुना। वही, 1/25/17
21. विनिवृतां करोम्यद्य हतकर्णाश्रनासिकाम्।
न ह्येनामृत्सहे हन्तु स्त्री स्वभावन् रक्षिताम्।
वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यतामिति हि मे मतिः॥ वही, 1/26/11-12
22. इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्। वही, 1/26/11-12
राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमर्हसि। वही, 1/18/20

23. एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमृद्धृत्य लक्ष्मणः
कर्णनासस्तमं तस्या निवकर्तारिसदनः। वही, 3/59/17
24. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पृष्ठ 393
श.प.वा. 11/4/3/2
25. महा.शांति. 259/39, उद्योग. 56/34, अनुशासन. 215/32
26. वही, 197/42
27. वही, 273/29
28. वही, अनुशासन

वाल्मीकि का नारी-दर्शन

पंकज कुमार सिंह *

प्रस्तावना - महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं और उनकी रचना आदिकाव्य। आदिकवि के जन्म-जन्मांतर के संचित संस्कार से स्फूर्त यह आदिकाव्य अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का अक्षय कोश है। आदिकवि ने मानव-जीवन को अत्यन्त निकट से देखा और परखा है। फलस्वरूप मानव-जीवन के समस्त उत्थान-पतन का सजीव रूप इनकी कृति में अंकित हुआ है। आदि कवि ने तत्कालीन समाज का यथार्थ रूप चित्रित किया है। उनमें कवि तुलसी की तरह आदर्शवाद का पूर्वाग्रह नहीं है। फलस्वरूप आदिकाव्य में तत्कालीन नारी-जीवन का भी यथार्थ रूप चित्रित हुआ है। रामायण का संपूर्ण कथाचक्र नारियों द्वारा ही संचालित होता है। कैकयी द्वारा इक्ष्वाकु नरेश दशरथ से वरदान की याचना रामायणीय कथा का केन्द्र-बिन्दु है। नारी-सौन्दर्य से आकृष्ट होकर रावण द्वारा सीता का अपहरण कथा-विस्तार का मुख्य कारण है। पुनः सीता के सतीत्व की परीक्षा एवं अन्त में उनका वनवास ही रामायणी कथा की चरम परिणति है। रामायण के अधन से ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकवि का मानस तत्कालीन समग्र नारी-जीवन से प्रभावित है। नारी के सम्बन्ध में आदिकवि की कुछ अपनी धारणायें हैं, विचार हैं, जिनमें कुछ तो परम्परा से अनुप्राणित हैं तथा कुछ आत्मानुभव से स्फूर्त। सम्प्रति रामायणीय कथा में प्राप्त उल्लेखों के आलोक में आदिकवि की नारीपरक विचारधारायें विवेच्य हैं।

अवध्यता, परिवार का गौरव, घर की शोभा, ममता की प्रतिमूर्ति, पुरुष का पूरक, एवं पुत्र की अपेक्षा कन्या रूप में न्यून सम्मान की भावना इत्यादि नारी से संबंधित परम्परागत विचार वैदिक एवं वैदिकेतर साहित्य में भी नारी के प्रति ऐसी सामान्य धारणा दृष्टिगोचर होती है। आदिकवि वाल्मीकि भी परम्परागत विचार से प्रभावित हैं। किन्तु उन्होंने उस परम्परागत पथ से पृथक हटकर भी नारी जीवन के संबंध में कुछ अधिक विचार किया है। नारी को आदर्श रूप में देखना आदि कवि का परम लक्ष्य प्रतीक होता है। नारी को नाना प्रकार की कलंको और कुत्साओं से निकालकर सती, साध्वी, पतिव्रता रूप में देखना ही उन्हें विशेष रूप से अभीष्ट है। यही कारण है कि उन्होंने सच्चरित्र नारियों की प्रशंसा की है तो दुष्ट नारियों की भर्त्सना। परपुरुष को नारी के लिए अस्पृश्य बतलाना इस बात का संकेत है कि कवि नारी के आदर्श रूप का पोषक है।

वाल्मीकि का मानस लोक नारी के प्रति सम्मान की भावना से आपूरित है। सीता पतिव्रता है। उस पर श्री राम, दशरथ, कौशल्या आदि का अपार स्नेह है। लक्ष्मण उन्हें मातृवत् मानते हैं। पंचवटी में सीता के मर्मभेदी वचनों को सुनकर भी लक्ष्मण उनके विरुद्ध एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। उनके हृदय में सीता के प्रति कोई कालुष्य उत्पन्न नहीं होता है। सीता अयोध्यावासियों के लिए भी वन्दनीय है। कौशल्या भी आदर्श की प्रतिमूर्ति

है। श्री राम अपनी जननी का जितना सम्मान करते हैं, उससे बढ़कर भी माता कैकयी का आदर करते हैं। तारा वानर कुल की है तथा मंदोदरी राक्षस परिवार की, फिर भी उनके हृदय में उत्कृष्ट मानवता भरी हुई है। कवि ने इनके प्रति भी अपनी आदर भावना ही व्यक्त की है।

स्त्री को सभी प्रकार से संतुष्ट रखना पुरुष का परम कर्तव्य है। उनकी शारीरिक एवं चारित्रिक सुरक्षा का भार भी पुरुष पर है। जो व्यक्ति विशेषतः का राजा, नारी की रक्षा नहीं करता उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। श्रीराम द्वारा भरत को दिए गए उपदेश से ऐसा ध्वनित होता है।⁽¹⁾ इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि के नारी विरोधी निंदक नहीं हैं, अपितु उनके हृदय में नारी के प्रति वही श्रद्धा एवं पूज्य भाव है जो मनु के हृदय में उनके (नारी के) प्रति विद्यमान है।⁽²⁾

मनु ने तो कहा है कि अल्प दुःसंग से भी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अरक्षित नारी पिता और पति दोनों कुलों को कलंकित और शोकाकुल करती है।⁽³⁾ उन्होंने तो स्त्री और लक्ष्मी में कोई भेद ही नहीं माना है, उनकी दृष्टि में नारी पूजनीय एवं घर की शोभा है।⁽⁴⁾ महाभारत काल में भी नारी के प्रति यही मान्यता थी। वहाँ कहा गया है कि स्त्री ग्रह की लक्ष्मी होती है, तथा पुष्टिप्रद होती है, अतः वह विशेष रूप से रक्षणीय है।⁽⁵⁾ इस आदेशात्मक उक्ति के साथ ही यह भी कहा गया है कि कल्याण चाहने वाले को स्त्री का सत्कार करना चाहिए क्योंकि ललित एवं अनुग्रहित स्त्री श्री होती है।⁽⁶⁾ मनुस्मृति की तरह महाभारत में भी नारी की रक्षा एवं उनके आदर पर बल दिया गया है।

पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रियो नित्य जनाधिप ।

स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

अपुजिताश्च यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाक्रियाः ॥⁽⁷⁾

नारी की रक्षा करना राजा का भी कर्तव्य था।⁽⁸⁾ चाणक्य ने भी नारी को रक्षणीय बतलाया है।⁽⁹⁾

आदि कवि वाल्मीकि की दृष्टि में नारी अबला होने के कारण अवध्या है, अपने स्त्री भाव के कारण रक्षणीय एवं अहन्या है। नारी में पौरुष नहीं होता, जिससे वह शत्रु का प्रतिकार कर सके। इसलिए वह सबके लिए दया का पात्र होती है। मनुस्मृति में भी हर जगह नारी की सर्वविध रक्षा का निर्देश दिया गया है। मनु ने भी नारी को अवध्या बतलाया है तथा नारी की हत्या करने वाले अपराधी को दण्डनीय कहा है।⁽¹⁰⁾ उन्होंने स्त्री-वध को घोर पाप कहा है तथा हर व्यक्ति को स्त्री के हत्यारे की संपर्क से दूर रहने का विधान किया है। मनु ने स्त्री-वध जन्य पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित्त का भी विधान किया है।⁽¹¹⁾ रामायण में भी स्त्री की अवध्यता के प्रति प्रायः इसी प्रकार का भाव दिखायी देता है। नारी को अवध्या जानकर ही श्री राम

यज्ञविध्वंसिनी, क्रूरकर्मा ताटका को मारने के लिए उत्साहित नहीं हो रहे हैं।⁽¹²⁾ आदि कवि स्त्री-हत्या की कल्पना को भी घृणित मानते हैं। शत्रुघ्न को मन्थरा के प्रति क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत कहते हैं कि स्त्री सभी प्राणियों के लिए अवध्या होती है।⁽¹³⁾ नारी-वध अत्यंत घृणित एवं लोक निन्दित कर्म है। भरत की दृष्टि में राम-वनवास की आज्ञा दिलाने वाली कैकयी के लिए प्राणदण्ड ही उचित है। परन्तु नारी वध को गृहित जानकार ही वे कैकयी का वध नहीं करते।⁽¹⁴⁾ नारी वध करने वाले को अधर्म गति प्राप्त होती है। वह मरणोपरांत कुम्भीपाक, शेरवादि नर्सों में जाकर अनेक प्रकार की यातनाये भोगता है। माया रूपी सीता का वध करते हुए इंद्रजीत से हनुमान कहते हैं कि नारी-वध रूपी निन्दित कर्म करने से इस लोक में तुम्हें मृत्यु-जन्म कष्ट भोगना पड़ेगा तथा परलोक में नारकिक यातनायें प्राप्त होगी।⁽¹⁵⁾

आदिकवि नारी की अवधयता पर काफी बल दिया है। उनका विचार है किसी भी अवस्था में नारी के प्रति कठोर व्यवहार नहीं किया जाय, वध की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। परन्तु रामायण में विशेष परिस्थितियों में दुराचारिणी एवं क्रूरकर्मा नारियों के वध का उल्लेख प्राप्त होता है।⁽¹⁶⁾ ताटका नारी होकर भी क्रूर कर्म करनेवाली यज्ञविध्वंसिनी है। उसके अत्याचार से जन सामान्य का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मुनिजन भयाक्रांत हो गए हैं तथा उनके लिए याज्ञिक विधि-विधानों का सम्पादन असम्भव सा हो गया है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ताटका-वध के लिए श्रीराम को उत्साहित करते हैं। महर्षि द्वारा बार-बार प्रेरित किए जाने पर भी श्रीराम इस नृशंस एवं निन्दित कर्म की ओर प्रवृत्ता नहीं हो रहे हैं। उनके इस असमंजस को दूर हटाने के लिए विश्वामित्र उन्हें अनेक क्रूरकर्मा नारियों के वध का दृष्टान्त सुनाते हैं। इस क्रम में चतुर्वर्णों की रक्षा के लिए विष्णु आदि द्वारा किए गये नारी-वध का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं। वे बतलाते हैं कि पूर्वकाल में विरोचन की पुत्री मन्थरा सारी पृथ्वी का नाश कल डालना चाहती थी। अतः इंद्र ने उसका वध किया।⁽¹⁷⁾ शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पत्नी देवलोक हो इंद्र से शुन्य कर देना चाहती थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उन दोनों नारियों का वध किया।⁽¹⁸⁾ अन्य मनस्वियों ने जन कल्याण की भावना से दुष्टा नारियों का वध किया है।⁽¹⁹⁾ तदनन्तर विश्वामित्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नारी-वध को निन्द्य मानकर ताटका के प्रति दया दिखलाना सर्वथा अनुचित है। प्रजा की रक्षा एवं कल्याण के लिए नारी का वध करना भी क्षत्रियों का सनातन धर्म है।⁽²⁰⁾ महर्षि के द्वारा इस प्रकार उत्प्रेरित किए जाने पर भी श्रीराम ताटका को मारने के लिए तैयार नहीं होते। वह सोचते हैं कि इस के अंगो को काटकर इसे शक्तिहीन कर दिया जाए।⁽²¹⁾ ताटका को शक्तिहीन कर देने का तात्पर्य है यथासाध्य नारी वध रूप कलंक से आत्मरक्षा। आत्तायिनी नारी के लिए भी यही दण्ड पर्याप्त समझा जाता था। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के कान-नाक काटकर विरूप बनाया जाना इसी भाव का घोटक है।⁽²²⁾ सीतान्वेषण के क्रम में आयोमुखी नामक राक्षसी श्रीराम-लक्ष्मण के साथ अभद्र व्यवहार करती है। उसे दोषी जानकर लक्ष्मण उसके नाक-कान और स्तन काटकर विरूप कर देते हैं।⁽²³⁾ परन्तु वे इनकी हत्या नहीं करते। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा समझाए जाने पर श्रीराम लोक कल्याण के लिए आततायिनी ताटका का वध करते हैं। इन उदाहरणों से परिलक्षित होता है कि आदि कवि नारी को अवधय मानते हैं। कोई भी स्त्री चाहे कितना भी दुष्कर्म एवं अत्याचार करनेवाली क्यों ना हो, वह अवधय है। किन्तु जनहित

एवं देश में किंतु जनहित एवं देश में शांति व्यवस्था के लिए दुराचारिणी नारी का वध किया जाना इन्हें स्वीकार है। परन्तु वे उस समय भी देख लेना आवश्यक मानते हैं अंग-भंगादि दण्डों के द्वारा उस स्त्री को सन्मार्ग पर लाया जा सकता हो तो उसका बंद ना किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित् तास्ते सुरक्षिताः। वा.रा.2/100/49
2. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु. 3/55
3. सूक्ष्मभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः।
द्वयोर्हि कुलयोः शोकभावहेयुररक्षिताः। वही, 9/5
4. प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहां गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहंपु न विशेषोऽस्ति कश्चना। वही, 9/36
5. महा. उद्योग 38/11
6. वही, अनुशासन - 81/7
7. वही, - 5/6
8. वही, शांति 57/41
9. चा.नी.द. 1/6
10. मनु. 11/190
11. वही, 11/138
12. न ह्येनामुत्सहे हन्तु स्त्री स्वभावेन रक्षिताम्। वा.रा. 1/26/12
13. तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदुमब्रवीत्।
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमादाः क्षम्यतामिति॥ वहां, 2/78/21
14. धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्।
हन्ति तीव्रण दण्डेन दण्डार्हा पापकारिणीम्॥
कथं दशस्थाज्जातः शुभमिजनकर्मणः।
जानम् धर्ममधर्मं च कुर्या कर्म जुगुप्सितम्। वही, 2/106/9
15. ये च स्त्रीघातिनां लोका लोकवध्वैश्च कुल्सिताः।
इहजीवितमृत्सृज्यं प्रेत्यान् प्रति लप्स्यसि। वही, 6/8/1/22
16. तामाप्रतन्तीं वेमेन विक्रान्तामशनीमिवा
शरेणोरसि कियार्थ सा पपात ममार च ॥ वही, 1/26/25/26
17. शूर्यर्त हि पुरा शको विरोचनसुतां नृपा
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्त मन्थरमभ्यसूदयत्॥ वही, 1/25/20
18. विष्णुना च पुरा रामः भृगुपत्नीं पतिव्रता।
अनिन्दं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषादिता॥ वही, 1/25/21
19. एतैश्चान्यैव बहुभी राजपुत्रैर्महात्मभिः।
अधर्मसहिता नार्या हताः पुरुषसत्तमैः॥ वही, 1/25/22
20. न हि ते स्त्रीवधकृते धृणाकार्या नरोत्तम।
चातुर्वर्ण्यहितार्थं हि कर्त्तव्यं राजसनुना। वही, 1/25/17
21. विनिवृतां करोम्यद्य हतकर्णाग्रिनासिकाम्।
न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावन् रक्षिताम्।
वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यतामिति हि मे मतिः॥ वही, 1/26/11-12
22. इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्। वही, 1/26/11-12
राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमर्हसि। वही, 1/18/20
23. एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमृद्धृत्य लक्ष्मणः
कर्णनासस्तमं तस्या निवकर्त्तारिसदनः। वही, 3/59/17

Relationship of Selected Personality Traits and Attitude of College Students and Old Aged Persons toward Yoga

Madan Mohan Mishra * Dr. Yuwraj Shrivastava **

Abstract - The main purpose of this study was to investigate relationship of selected personality traits and attitude of college students and old aged persons towards yoga. For the present study the source for the data was yoga practicing students and old aged persons in Ranchi university, Jharkhand. For the present study 20 students and 20 old aged persons were selected. Those students and old persons were selected for the study that practice yoga regularly. The data was collected by using the standard questionnaire meant by Rekha Gupta for personality and the self-made questionnaire of attitude towards yoga. After the collection of data from the different yoga practicing students and old aged persons in university campus and yogoda satsanga sakha ashram ranchi, raw data were converted into standard one by using a statistical technique 'product moment correlation' test for testing of hypothesis. The subjects were selected by using purposive sampling method. It was hypothesized that there would be significant relationship of personality and attitude of college students and old aged persons toward yoga.

Keywords:- Personality Traits, Attitude, College Students, Old Aged Persons, Yoga.

Introduction - Personality is defined as an individual characteristic pattern of behaviour, thought and emotion. It is a set of traits that define the way a person's behavior is perceived. Personality is the particular combination of emotional, attitudinal, and behavioral response patterns of an individual. Different personality theorists present their own definitions of the word based on their theoretical positions. The word personality derive from the Latin persona, or "mask" many theories of personality suggest that an individual adopts a strategy for behaving from one situation to the next similar putting on a mask, although it represents one's "real" self rather than a false face.

Introvert - A shy person, a person concerned with primarily with inner thoughts and feelings rather than physical or social environment.

Extrovert - One whose personality is defined by extroversion - a gregarious and unreserved person.

Ambivert - An Ambivert is rather extremely introverted nor extremely extroverted as they are not are quite they not loud.

An attitude can be defined as the meaning that one associates with a certain object (or idea) and which influences his acceptance of it. An element of acceptance or avoidance is present in any attitude, but additional association are also involved.

Derived from the Sanskrit word 'Yuj', Yoga means union of the individual consciousness or soul with the Universal Consciousness or Spirit. Yoga is a 5000 year old Indian body of knowledge. Though many think of yoga only as a

physical exercise where people twist, turn, stretch, and breathe in the most complex ways, these are actually only the most superficial aspect of this profound science of unfolding the infinite potentials of the human mind and soul.

Methodology - The main purpose of this study was to investigate relationship of selected personality traits and attitude of college students and old aged persons towards yoga. It was hypothesized that there would be significant relationship of personality and attitude of college students and old aged persons toward yoga.

Source of data - For the present study the source for the data was yoga practicing students and old aged persons, from those Physical Education colleges which are affiliated to Ranchi university for the students and old aged persons who practicing yoga in the yogoda satsanga sakha ashram Ranchi.

Selection of subjects - For the present study 20 students and 20 old aged persons were selected. Those students and old persons were selected for the study that practice yoga regularly.

Sampling Method - The subjects were selected by using purposive sampling method.

Tools used for collection of data :

Personality - Personality was measured by the standard questionnaire designed by Rekha Agnihotri (Gupta) contain 60 items. Out of the 70 items 60 implying good discriminative power, were selected for the final form of the inventory has 60 items- 30 pertaining to an introvert's characteristics and 30 to an extrovert's characteristics.

*Research Scholar (M. Phil) (Physical Education) Dr C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
** Asst. Professor (Physical Education) Dr C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

Attitude - The self-designed questionnaire will be used for collection of data

Analysis And Interpretation Of Data - The data was collected by using the standard questionnaire meant by Rekha Gupta for personality and the self-made questionnaire of attitude towards yoga. After the collection of data from the different yoga practicing students and old aged persons from those Physical Education colleges which are affiliated to Ranchi university for the students and old aged persons who practicing yoga in the yogoda satsanga sakha ashram Ranchi as subjects, raw data were converted into standard one by using a statistical technique 'product moment correlation' test for testing of hypothesis.

Finding of the study - The data for the mentioned study was collected from the students and old aged persons. These subjects were selected by purposive sampling method from those Physical Education colleges which are affiliated to Ranchi university for the students and old aged persons who practicing yoga in the yogoda satsanga sakha ashram Ranchi as subjects. The data collected from the subjects has been statistically analysed and has been shown in separate tables given below.

The analysis and interpretation of data pertaining to the score of personality characteristics and attitude towards yoga of different students and old aged persons has been presented in this chapter. To find out the relationship of personality characteristics and attitude towards yoga of different students and old aged persons, Product Moment Method in the form of Inter-Correlation Matrix was applied. The product moment correlation analysis tables had been given below.

Table-1 : Inter Correlation Matrix of Personality Traits and Attitude of College Students towards Yoga

	Intro-vert	Extro-vert	Ambi-vert	Personal-ity Calculated 'r'	Tabulated 'r'
Attitude	0	-0.125	0.321	0.104	0.444

To check the validity of the hypothesis correlation of all the observed values shown in the inter correlation matrix was calculated. The calculated 'r' was found (0.104), which is less than tabulated 'r' (0.444) at 0.05 level of significance. This indicates or shows that there is not significant Relationship of Introvert, Extrovert and Ambivert personality characteristics with Attitude of College Students towards Yoga.

From the above tables the under mentioned summary had drawn in respect of the interrelationship of each component to other. The results which were statistically analysis with the help of multiple correlation analysis formula were verified up to which how extent they were interrelated to each other with the help of standard norms propounded by "GLASS AND HOPKINS" (1996) for interpreting the data which are analysis with multiple correlation equation method. The following standard norms are as follows:-

Interpretation of Correlation coefficient

Coefficient(r)	Relationship
.00 to .20	Negligible
.20 to .40	Low
.40 to .60	Moderate
.60 to .80	Substantial
.80 to 1.00	High to very high

Graph-1 : A Graph Showing Relationship of Personality Traits and Attitude of College Students towards Yoga




Table-2 : Summary of the Inter correlation Matrix

S.	Variable	Calculated 'r'	Relationship
1	Introvert - Attitude		
2	Extrovert - Attitude	-0.125	Negligible
3	Ambivert- Attitude	0.321	Low
4	Personality- Attitude	0.104	Negligible

From the above given table-2 after doing it's minutely observation, it is clear that the relationship of Extrovert with Attitude (-0.125) is Low, Ambivert with Attitude (0.321) is Negligible, Personality with Attitude (0.104) is Negligible.

Table-3 : Inter Correlation Matrix of Personality Traits and Attitude of Old Aged Persons towards Yoga

	Intro-vert	Extro-vert	Ambi-vert	Personal-ity Calculated 'r'	Tabulated 'r'
Attitude	0	-1	-0.191	-0.024	0.444

To check the validity of the hypothesis correlation of all the observed values shown in the inter correlation matrix was calculated. The calculated 'r' was found (0.024), which is less than tabulated 'r' (0.444) at 0.05 level of significance. This indicates or shows that there is not significant Relationship of Introvert, Extrovert and Ambivert personality characteristics with Attitude of Old Aged Persons towards Yoga.

Graph-2 : A Graph Showing Relationship of Personality Traits and Attitude of Old Aged Persons towards Yoga




Table-4 : Summary of the Inter correlation Matrix


S.	Variable	Calculated 'r'	Relationship
1	Introvert - Attitude		
2	Extrovert - Attitude	-1	Negligible
3	Ambivert- Attitude	-0.191	Negligible
4	Personality- Attitude	-0.024	Negligible

From the above given table-4 after doing it's minutely observation, it is clear that the relationship of Extrovert with Attitude (-1) is Negligible, Ambivert with Attitude (-0.191) is Negligible, Personality with Attitude (-0.024) is Negligible.

Table No.-5 : Showing Personality Traits of College Students

	Introvert	Extrovert	Ambivert
Students	0	21	39

Graph-3 : A Graph Showing Personality Trait of College Students




From the above given graph-3 after doing its minute observation, it is clear that the (0%) students are Introvert, (25%) students are Extrovert and (75%) students are Ambivert.

Table No.-6 : Showing Personality Traits of Old Aged Persons

	Introvert	Extrovert	Ambivert
Old Persons	0	2	18

Graph-4 : A Graph Showing Personality Trait of Old Aged Persons




From the above given graph-4 after doing its minute observation, it is clear that the

Table No.-7 : Showing Mean Attitude of College Students and Old Age Persons towards Yoga

	College Students	Old Age Persons
Mean	199.95	211.55

Graph-5 : A Graph Showing Mean Attitude of College Students and Old Age Persons towards Yoga



From the above given graph-5 after doing it's minute observation, it is clear that the Mean Attitude of College Students towards yoga is (199.95) Mean Attitude of old aged persons towards yoga is (211.55).

Discussion of Findings - The finding of the study shows that the relationship of personality traits with attitude towards yoga of college students is not significant and the relationship of personality traits with attitude towards yoga of old age persons is also not significant. By which we can say that the hypothesis given by the researcher is not accepted.

References :-

- Ahlawat, Neetu, Principles Of Psychology, (New Delhi: Vishvabharti Publications, 2009).
- Anand, Sham, Upkar'sUGC/NET/JRF/SLET/Physical Education, (Agra: UpkarPrakashan, 2008).
- Biddle, S. J. H. and Boutcher,S. H., Physical Activity And Psychological Well-Being, (London: Routledge, 2000).
- Brewer, B. W., "Psychology Of Sports Injury Rehabilitation", In Handbook of Sports Psychology (2nd edition), New York: Wiley, 2001.
- Gangopadhyay, S. R., Sports Psychology, (New Delhi: Sports Publication, 2008).
- Ahlawat, Neetu, Principles Of Psychology, (New Delhi: Vishvabharti Publications, 2009).
- Anand, Sham, Upkar'sUGC/NET/JRF/SLET/Physical Education, (Agra: UpkarPrakashan, 2008).
- Biddle, S. J. H. and Boutcher,S. H., Physical Activity And Psychological Well-Being, (London: Routledge, 2000).
- Brewer, B. W., "Psychology Of Sports Injury Rehabilitation", In Handbook of Sports Psychology (2nd edition), New York: Wiley, 2001.
- Gangopadhyay, S. R., Sports Psychology, (New Delhi: Sports Publication, 2008). www.gogle.com/yoga/wikipedia,freeencyclopaedia, 28/10/2015, 5:14 p.m.

वाल्मीकि रामायण में माता का स्वरूप

पंकज कुमार सिंह *

प्रस्तावना - हिन्दू-समाज में माता का स्थान अत्यधिक उँचा, गौरवमय और महत्वशाली माना गया है। माता पारिवारिक जीवन की एक ऐसी कड़ी है जिससे सभी सदस्य जुड़े रहते हैं। कुछ अर्थों में वह पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वसिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि पिता की अपेक्षा माता का सहस्र गुणा अधिक महत्व है।⁽¹⁾ कौषीतकि उपनिषद् में मातृवध को महापापों में गिना गया है।⁽²⁾ माता को सतत् स्नेह का प्रतीक माना गया है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आचार्य सर्वप्रथम माता को ही देवता के रूप में मानने का आदेश अपने शिष्य को देते हैं।⁽³⁾ मनु ने भी माता को बड़ा आदर दिया है। उन्होंने बुआ, मौसी और बड़ी बहन के साथ मातृवत् व्यवहार करने का परामर्श दिया है।⁽⁴⁾ मनु ने उपनयन संस्कार में समय शिक्षाटन-विधि में माता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है।⁽⁵⁾ चाणक्य ने स्वजननी के साथ राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी और सास को भी मातृवत् मानने का विधान किया है।⁽⁶⁾ इन्होंने माता को लक्ष्मीवत् बतलाया है।⁽⁷⁾ यही कारण है कि सत्य की प्रतिमूर्ति जानकर उसे सर्वोच्च देवता की संज्ञा दी है।⁽⁸⁾

महाभारत में नारी का सबसे अधिक पूज्य रूप माता के रूप में ही पाया जाता है।⁽⁹⁾ मार्कण्डेय द्वारा जन्मदात्री के रूप में माता का महात्म्य वर्णित है, दस माह तक अपनी कुक्षि में गर्भ को धारण करके कष्ट उठाने वाली, अतुल वेदना सहकर अपत्य को उत्पन्न करने वाली और स्नेह से उसका पालन-पोषण करने वाली माता से श्रेष्ठ संसार में अन्य कौन है।⁽¹⁰⁾ शान्ति पर्व में भी कहा गया है कि माता के सामान दूसरी छत्र-छाया, दूसरा सहारा, दूसरा रक्षक और दूसरा प्रिय कोई नहीं है।⁽¹¹⁾ पिता, माता, गुरु, अग्नि और आत्मा इन पाँच गुरुओं में सर्वोपरि गुरु माता ही है।⁽¹²⁾ राजधर्म के उपदेश के क्रम में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि आचार्य दस श्रेत्रियो से, उपाध्याय दस आचार्यों से, पिता दस उपाध्यायों से और माता दस पिताओं से श्रेष्ठ है। माता के गौरव के सम्मुख समस्त पृथ्वी तुच्छ है। अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है।⁽¹³⁾ पिता की सेवा से इहलोक, माता की सेवा से परलोक तथा गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।⁽¹⁴⁾

रामायण में भी माता के प्रति वही सम्मानपूर्ण भावना दिखलायी देती है। कौशल्या माता का आदर्श रूप है। माता के चरण मंगलकारक एवं वन्दनीय हैं। मातुल गृह से आकर भरत सर्वप्रथम माता के शुभ - चरणों के दर्शन करते हैं।⁽¹⁵⁾ पिता के तुल्य माता भी गौरवमयी मानी जाती थी। कौशल्या स्वयं श्रीराम से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पिता के समान ही पूज्या हूँ। यदि पिता ने तुम्हें वन गमन की आज्ञा दी है, तो मैं उसकी आज्ञा नहीं दे रही हूँ।⁽¹⁶⁾ इसी प्रकार श्रीराम ने भी भरत को समझाया कि मनुष्य विश्ववन्द्य पिता में में जितनी गौरव बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी होनी चाहिए।⁽¹⁷⁾ माता सबके लिए आदर एवं रक्षा का पात्र थी। मातृवध घोर निन्दित कर्म माना जाता था। इसीलिए भरत कैकयी वध रूपी निन्द्य कर्म नहीं करते।⁽¹⁸⁾ प्रस्थान काल में माता का अभिवादन एवं उसका आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यावश्यक था। पिता दशरथ के वनवास का आदेश प्राप्त कर श्री राम माता कौशल्या को

प्रणाम करने जाते हैं।⁽¹⁹⁾

तत्कालीन समाज में सामान्य रूप से तो माता का आदर था ही, पुत्रवती माता का विशेष सम्मान था। पुत्रवती माता को पति की ओर से भी अधिक स्नेह मिलता था। अतः वह पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा लालायित रहती थी। पुत्र को बिना दशरथ की रानियाँ अत्यन्त दुःखी हैं। पुत्रेष्टि-यज्ञ में दिव्यपुरुष से पुत्र प्राप्ति का वरदान⁽²⁰⁾ एवं पर्यास पाकर रानियाँ हर्षित हो जाती हैं। रानियों के हर्षोल्लास से संपूर्ण अन्तःपुर आनन्दित हो जाता है।⁽²¹⁾ कृत्तिकाओं के मन में भी पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। जब देवगण स्कन्द को कृत्तिकाओं के हाथों में समर्पित कर देते हैं तब वे बहुत प्रसन्न होती हैं। यदि उन्हें पुत्र की प्राप्ति की उत्कण्ठा नहीं होती तो वे देवताओं से शर्तपूर्वक स्कन्द को न लेकर उनके सामान्य आग्रह पर ही उसे स्तनपान करा देतीं। इससे ऐसा अनुमान होता है कि तत्कालीन समाज में पुत्रवती माता की विशेष प्रतिष्ठा थी। पुत्रवात्सल्य, ममत्व एवं धर्मनिष्ठता

पुत्र वात्सल्यता एवं ममत्व माता के जन्मजात गुण हैं। मातृ प्रेम की सात्विकता एवं प्रगाढ़ता आदिकाल से ही प्रसिद्ध है। पुत्र माता का हृदयानन्दकारक था।⁽²²⁾ भारतीय दर्शन में प्रचलित पुत्रात्मवाद पुत्रवात्सल्य का ही परिचायक है।⁽²³⁾ माता अत्यन्त मनोयोगपूर्वक पुत्र का पालन करती थी। पुत्र के प्रति उसका मन हमेशा स्नेहार्द्र एवं प्रसन्न रहता था। माता पुत्र को ही अपनी श्रीवृद्धि का साधन समझती थी। तेजस्वी पुत्र श्री राम की माता कौशल्या की शोभा बढ़ जाती है।⁽²⁴⁾ माता हर समय पुत्र के लिए मंगलकामना करती है। यदि पुत्र कुछ दिनों के लिए माता से अलग होता था तो माता ब्राह्मण एवं गुरु को बुलाकर स्वास्तिवाचन करवाती थी तथा स्वयं भी मंत्रों के साथ उसका अभिषेक करती थी। विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम-लक्ष्मण का उनकी माता कौशल्या गुरु वशिष्ठ के द्वारा तो अभिषेक करवाती ही है, स्वयं कौशल्या भी अभिषेक करती है।⁽²⁵⁾ पुत्र के मंगल हेतु माता देवताओं की पूजा-अर्चना भी किया करती थी।⁽²⁶⁾ श्रीराम का अभिषेक होने वाला है- यह जानकर उनकी मंगलकामना से कौशल्या भगवान् विष्णु का पूजन करती है तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत् अग्नि में आहुति देती है। श्री राम के वनगमन के समय माता कौशल्या उनका विधिवत् अभिषेक करती है। साथ ही प्रणम्य देवता, महिषि, समिधा, कुश, पवित्री, वीडियो, मंदिर, पर्वत, वृक्ष जलाशय, पक्षी, आदि चेतन-अचेतन द्वारा भी उनकी प्राण रक्षा किये जाने की याचना करती है।⁽²⁷⁾ कौशल्या द्वारा किये गए इन स्वास्तिवचनों एवं मंगलकामनाओं से पता चलता है कि माता के हृदय में पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य- भाव भरा हुआ रहता था। माता अपने पुत्र का अल्पमात्र भी अनिष्ट सुनना एवं देखना नहीं चाहती थी। दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर माता कौशल्या बहुत प्रसन्न होती है। हर्ष की अतिशयता के कारण भाव-विभोर होकर वह अभिषेक सम्बन्धी प्रिये संवाद सुनाने वाले परिजनों को तरह-तरह के रत्न सुवर्ण और गोएँ पुरस्कार के रूप में देती है।⁽²⁸⁾ राज्याभिषेक के प्रिय संवाद कौशल्या जितना

प्रसन्न होती है, राम-वनवास का समाचार सुनकर उतना ही शोकाकुल उठती है। वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ती है।⁽²⁹⁾ तात्पर्य यह है कि वह एक क्षण के लिए भी पुत्र को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहती। पुत्र से अलग होकर जीवित रहना उसके लिए असम्भव सा था। पुत्र से वियुक्त माता मृततुल्य हो जाती थी। स्वयं कौशल्या राम से कहती है कि तुम्हारे वन चले जाने पर निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी।⁽³⁰⁾ पुत्र बिना माता अपना जीवन कुत्सित समझती थी।⁽³¹⁾ पुत्र माता का जीवनावम्ब था। माता के हृदय में विश्वास था कि जो कामना पति के द्वारा पूरी नहीं की गयी वह पुत्र के प्रभुत्वकाल में पूरी हो जाएगी। इसी आशा में माता जीवित रहती थी। आशाभङ्ग हो जाने पर वह बहुत दुःखी होती थी। कौशल्या की उक्ति से इस बात की पुष्टि होती है।⁽³²⁾ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माता अपने स्वार्थ-साधन के लिए पुत्र से प्रेम करती थी। माता को पुत्र से अन्न, धन या अन्य सुख-साधनों का लोभ नहीं होता था वह तो मात्र अपने वात्सल्य के कारण पुत्र से स्नेह करती थी। पुत्र के साथ तृण चबाकर रहना भी माता को राजकीय सुख से अधिक श्रेयस्कर एवं आनन्ददायक था। पुत्र से वियुक्त हो जाने पर माता अनशन पूर्वक प्राण त्याग देना ही उचित समझती थी।⁽³³⁾ माता को अपने पार्थिव शरीर से, स्वजनों से, देवता-पितरों की पूजा से यहाँ तक कि अमृत से भी कोई प्रयोजन नहीं था। एक क्षण भी पुत्र का माता के पास रहना सम्पूर्ण संसार के एक छत्र राज्य से भी बढ़कर सुखकारी था अर्थात् पुत्र के एक क्षण का सान्निध्य-सुख सम्पूर्ण लौकिक एवं पारलौकिक सुखों से अधिक आह्लादकारी था।⁽³⁴⁾ भरत के लिए असपत्न राज्य की याचना कैकयी के अगाध पुत्रवात्सल्य का ही पारीचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वसिष्ठ धर्म. 13/48, द्रष्टव्या।
उपाध्यायादशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता।
पितुर्दर्शशतं माता गौरवेणातिरिच्यते।। मनु. 2/145
2. कौ.उप. 3/1
3. मातृदेवे भव - तै. उप. 1/11
4. पितुर्भगिन्यां मातृश्च ज्यायस्यां च स्वसर्षपि।
मातृवद्धतिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी।। मनु. 2/133
5. मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्।
भिक्षेत भिक्षा प्रथमं या चैनं नावमानयेत्।। वही, 2/50
6. राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च।
पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृताः।। चा.नी.द. 5/23
7. माता च कमलादेवी पिता देवो जनार्दनः।
बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। वही, 10/14
8. सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्रतादयो सखा। वही, 10/11
9. न गायत्रयः परो मन्त्रः न मातुर्देव वरम्।। वही, 17/7
10. महा. आरण्यक 196/9-10
11. नास्ति मातृसमा छाया नास्तिमातृसमायतिः।
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमः प्रियः।। वही, शांति. 25/29
12. नास्तिमातृसमो गुरुः। वही, 109/16
13. दशैव तु सदाचार्यः श्रोत्रियानतिरिच्ये।
दशाचार्यनुपाध्याय उपाध्यायन्पिता दशा।।
पितृन्दश तु मातैका सर्वा वा पृथिवीमपि।
गुरुत्वंनाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः।। वही, 109/15-16
14. वही, 109/8

15. भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ।। वा.रा. 2/72/3
16. यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम।
त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यथितो वनम्।। वही, 2/21/25
17. यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते।
तावद् धर्मकृतां श्रेष्ठजनन्यामपि गौरवम्।। वही, 2/10/21
18. कथं दशरथज्जातः शुभाभिजनकर्मणः।
जानन् धर्ममर्धमं च कुर्या कर्म जुगुप्सितम्।। वही, 2/106/10
19. तथा हि देव्या कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुस्चरणौ पुनः पुनः।
जगाम सीता निलयं महाशयाः स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया।। वही,
2/25/47
20. भार्याणामनुरुपाणामश्नोतेति प्रयच्छ वै। तासु त्वं तप्स्यसे पुत्रान् यदर्थ
यजसे नृपा। वही, 1/16/20
21. हर्ष रश्मिभिरुद्देयोतं तस्यान्तः पुरामाबभौ। शादस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव
नभोअशुभिः।। वही, 1/16/25
22. सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृन्दनमागतम्। वही, 2/20/20
23. आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः, स्वस्मिन्निवा
स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्र आत्मेति वदति।। वेदांत सा.
(सदानंद) गद्यांश 36
24. कौसल्या शुशुमे तेन पुत्रेणामिततेजसा। यथा वरेण
देवानामदितिर्वज्राजाणिना।। वा.रा. 2/1/18/12
25. कृतस्व स्तन्यं माता पित्रा दशरथेन च। पुरोधसा वसिष्ठेन
मंगलैरभिमन्त्रिम्।। वही, 1/22/2
26. सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। अग्नि जुहोतिस्म तदा मन्त्रवत्
कृतमंगला।। वही, 2/20/15
27. सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि। चकार माता रामस्य मंगलानि
मनस्विनी।।
समित्कुशपवित्राणि विधेश्चयतनानि च। स्थण्डिलानि च विप्राणां
शैलवृक्षाः क्षुपाहदाः
पतङ्गा पननगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तमाम्। वही, 2/25/1, द्रष्टव्य
सम्पूर्ण सर्ग
28. सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानिविधानि च।
व्यादिदेश प्रियास्वेभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमाम्। वही, 2/3/47-48
29. ता निकृतेव सालस्य यष्टिः परशुनावने।
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता।। वही, 2/20/32
30. त्वयि संनिहिते प्येवहमासं निरावृता।
किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव च।। वही, 2/20/41
31. अथापि किं जीवितमद्य मे वृथा
त्वया विना चन्द्रनीलाननप्रभं.....।। वही, 2/20/54
32. दशसप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव।
अतीतानि प्रकाड.क्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्।। वही, 2/20/45
33. त्वद्वियोगाद्गम्ये मे कार्यं जीवितेन सुखेन च।
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्।।
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्।
अहं प्रायनिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्।। वही, 2/21/26-27
34. किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वध्यामृतेन।
श्रेयो मुहूर्तं तव संनिधानं ममैक कृत्यास्नादपि जीवलोकात्। वही, 2/
21/53

डोगरी लोक-गीतें च लोकमानस दी आस्था दा प्रतीक : माता गंगा

डॉ. प्रीति रचना *

प्रस्तावना – गंगा नदी भारत देसै दी सारें शा पवित्तर नदी ऐ। एह सिर्फ नदी नेई होइयै आस्था ते शरदा दी संजीवनी बनी गेदी ऐ। भारत च लोकमानस गंगा गी मुक्ति देने आही मनदा ऐ। उं'दे मनै च गंगा प्रति बड़ा शरदा-भाव ऐ। भारत दे लोक गंगा गी 'गंगा माता', 'गंगा मेइया' करियै आखदे न।

डुग्गर प्रदेश बी भारतवर्ष दा गै अंश ऐ। इस करी इस प्रदेश च बी माता गंगा दी बड़ी मानता ऐ। राजा, भिखारी, फकीर, नौकरी पेशे आहा, बेकार सब माता गंगा दी किरपा पर आस्था रखदे आए न। इत्थुं दे लोकें दा विश्वास ऐ जे जेहड़ा मनुख गंगा दी गोदी च मरदा ऐ, ओह सिद्धा सुरगें जंदा ऐ। गंगा गी बड़ा पवित्तर मन्नेआ जंदा ऐ। डुग्गर प्रदेश च लोक गंगा श्रान गी धार्मिक कृत मनदे न। ओह माता गंगा दी पूजा-अर्चना करदे न। मनुखी जीवन दी रोजमर्रा दी धार्मिक कार-किरतें च गंगा दा आवाह क्रीता जंदा ऐ ते ओहदे प्रति कृतिज्ञता दा भाव व्यक्त क्रीता जंदा ऐ जे माता तुं सादे पाप बवशने आही ऐ। ओह माता गंगा दा ध्यान करियै कामना करदे न जे माता उं'दी धन-दौलत च बरकत देयै, जीवन सुखी करै। घर-घिस्ती च हर मांगलिक कम्म गंगा पूजन कन्नै शुरु होंदा ऐ ते पूजा कन्नै खत्मा गंगा ज्ञान दा प्रतीक बी मन्नी गेदी ऐ। वेदें, पुराणें, उपनिषदें च गंगा दा भाएं जो मरजी सरूप रेहा होऐ पर इत्थुं दे लोकमानस च गंगा पापें गी धोने आही देवी दे रूपै च जानी जंदा ऐ। मुंडन संस्कार शा लेइयै खीरी संस्कार तगर गंगा जल दा प्रयोग होंदा ऐ। इत्थुं दे लोकें दी धारणा ऐ जे गंगा श्रान कन्नै सारे पाप धुली जंदे न ते म्हात्म बी थहोंदा ऐ। एह माता गंगा पर लोकें दी आस्था दा गै उदाहरण ऐ जे ज्हरें दी गिनतरी च लोक दिन-धयारें, पर, जि'यां के कुम्भ मोकै, हाड म्हीने दी पुन्नेआ पर ते मीनी मरसेया बगैरा पर गंगा श्रान करन जंदे न।

माता समझियै पूजी जाने आही माता गंगा गी डुग्गर दे लोक गीतकारें बी अपने गीतें च बड़ी शरदा कन्नै थाह दित्तो दा ऐ। पर्व-धयार सरबंधी लोकगीतें च, भजनें च, भेटें आदि लोकगीतें च माता गंगा दी मौजूदगी इस गल्लै दा सबूत ऐ जे डुग्गर दे लोकमानस गी माता गंगा च किन्नी आस्था ऐ।

इक लोकगीतें च हाड म्हीने दी पुन्नेआ गी गंगा श्रान लेई जाने दा वर्णन होऐ दा ऐ, जेहड़ा उदाहरण लोकगीतें दी इ'ने सतरें च मिलदा ऐ-

'चल अड़िये, ओ मड़िये,
गंगा न्हौने गी चलचैआ
आई ऐ हाडै दी पुन्नेआ,
चल ऋचानिये, ओ मड़िये।'¹

'जड़िया', लोकगीतें च बी गंगा माता दा जिकर होऐ दा ऐ-

'महादेव भोला बन-बन रैन्दा,
नां किसे नाल कून्दा सहैन्दाआ

बन में ताड़ी लाई बे नाथ,
गंगा बे कड़ियै कोल बठाइयै।'²

जन्म सरबंधी लोकगीतें च बी माता गंगा दा वर्णन होऐ दा लभदा ऐ। जि'यां इक डोगरी लोकगीत 'लोरियां' च एहड़ा उदाहरण इस चाली ऐ-

'तारे सारे नचन गे,
चन्न ते सूरज हस्सन गेअ
इन्दर, ब्रह्म आमन गे,
लोक गंगा न्हामन गे।'³

इक लोकगीतें च गुरु गोरखनाथें आसेआ गंगा जलै च भबूत रलाइयै माता नेवला गी देने दा वर्णन होऐ दा ऐ, जि-नें गोलियें गी खाइयै माता गर्भवती होंदी ऐ-

'त्रै चूटियां गंगा माता दियां, बिच भबूति रलाई,
चीं धातें दियां बनियां गोलियां, खाई लै नेवला माई।'⁴

नराते सरबंधी लोक गीतें च बी गंगा दा वर्णन थाह-थाह होऐ दा मिलदा ऐ। जि'यां -

'गंगा न्हाते, गंगा दे पचवाइ न्हाते,
उखली पानी, मोहै पानी,
राजे दै घर कन्या कुआरी,
उब्बी दिन्दी सूरज पानी।'⁵

इक होर नराते गीतें च एहड़ा उदाहरण इस चाली ऐ-

'इक नराता, दो नराते, गंगा न्हाते,
गंगा दे पठोरे आए, अन्दरै पड़ोले पाए।'⁶

गंगा जलै दा टिक्का मत्थै लाना शुभ मन्नेआ जंदा ऐ। डुग्गर प्रदेश च उ'आं बी एह परंपरा ऐ जे जिसलै कोई कुसै शुभ कम्म आस्तै जां नौकरी पर कुतै दूर-पार जान लगदा ऐ तां घरा निकलने शा पैहें निक्की कंजकै शा ओहदे मत्थै गंगा जलै दा टिक्का लोआया जंदा ऐ ते पही ओह घरा बाह जाने आहा उस कंजकै दे जलै आहै भाडे च पैसा पांदा ऐ, जिसगी इक शुभ सगन मन्नेआ जंदा ऐ। मत्थै गंगा जलै दा टिक्का लाने दा बी जिकर डोगरी लोक गीतें च होऐ दा मिलदा ऐ-

'संगता-संगता पैसा देई जा,
गंगा-जल टिक्का लोआई जा।'⁷

म्हाताम दी द्रिष्टी कन्नै गंगा सभनें नदियें शा बड़ी मन्नी गेदी ऐ। डुग्गर दे हिन्दू धर्म दे लोकें आस्तै एहदी बड़ी मानता ऐ ते तां गै ओह गंगा बी जंदे न। एह उदाहरण इ'ने लोकगीतें च बी मिलदा ऐ। जि'यां इक लोक-गीतें दे बोले च-

'हिन्दू लोक गंगा जंदा,

मुस्लमान कब्जे-मदीने

मखमल कप्पडा ले भगमी कप्पड़े

साबन रेही गेआ थोड़ा।⁸

किश होर लोकगीतें च बी एहदा उदाहरा मिलदा ऐ। जि'यां :-

'बावल मेरा गंगा चलेआ,

वीर चलेआ कश्मीरा।⁹

इक लोकगीतें च गंगा न्हौने कन्नै शरीरें दे पवित्तर होने दा उदाहरण मिलदा ऐ-

'गंगा दे न्हाते दे सेई ओ-

निर्मल होबै शरीर,

गंगा माई बगी रेई ऐ निर्मल नीरा।¹⁰

राजें आसेआ माता गंगा पर शरदा ते गंगा जाने दा जिकर बी इ'नें लोकगीतें च नज़री औंदा ऐ। उदाहरण इ'यां ऐ-

'गंगा जांवदा राजा करी श्रान तेरे सोअ

सुद्धी जांबदा राजा करी श्रान तेरे सो।¹¹

'दमें जनेय, गीतें च बी सुद्धी दे मेले दे कन्नै-कन्नै माता गंगा दा जिकर होए दा ऐ-

'सुद्धी गी चलेआ साथ ते चलगे दमें जने

गंगा गी चलेआ साथ ते चलगे दमें जने।¹²

इक लोकगीतें च कृष्ण भगवान दे दोआरका पूरी छोड़ने दा सुनियै गंगा दे कलपने, दुख बुज्झने दा वर्णन बी नज़री औंदा ऐ। उदाहरण -

'गंगा बी तड़फै, जमना बी तड़फै

तड़फन तीर्थ सारे जी।¹³

डुग्गर लोकमानस च कुम्भ मेले प्रति बी बड़ी आस्था ऐ। एह मेला हिन्दू लोके लेई महत्तावपूर्ण ऐ। एहदे च करोड़ों दी गिनतरी च लोक कुम्भ मेले च हरिदुआर, प्रयाग, उज्जैन ते नासिक च श्रान करदे ना। इ'नें च हर जगह 12 ब'रें मगरा एह मेलाप लगदा ऐ। मन्नेआ जंदा ऐ जे कुम्भ मेले मोकै गंगा दी पवित्तर धारा च अमृत दा प्रवाह हौंदा ऐ, इससै करी कुम्भ श्रान दा संयोग बनदा ऐ। हरिदुआर कुम्भ गी महाकुम्भ गलाया जंदा ऐ। इस मेले च गंगा जाइयै श्रान करने दा वर्णन बी इ'नें गीतें च द्विश्चीगोचर होए दा ऐ। उदाहरण :-

'आया गंगा दा मेला,

मिकी नुहाली जायां

मेरे पाप खंगाली जायां।¹⁴

इक होर लोकगीतें च बी इयै जनेहा उदाहरण मिलदा ऐ।

'संजा दा बेला, भ्यागा दी तरेला,

गंगा दी छाली, कुम्बे दा मेला,

तेरा-मेरा अद्विये संयोगें दा मेला।¹⁵

हर पर्व-धरार, संस्कार मौकै माता गंगा गी सिमरेआ जंदा ऐ। इ'नें लोकगीतें च बी संस्कार सरबंधी गीतें च गंगा जलै दा वर्णन होए दा ऐ। ब्याह सरबंधी लोकगीत 'सुहाग' गीतें च एहदा उदाहरण इस चाली ऐ-

'मेरे बावल दे हत्थ जल-थल गड़बा,

गंगा जल पानी,

होर, कुशा दी ऐ डाली, हे राम।¹⁶

इक होर 'सुहाग' गीतें दे बोलें चा बी इयै जनेहा उदाहरण प्रस्तुत ऐ-

'मेरे ताए दै हत्थ जल-थल गड़बा,

गंगा-जल पानी।¹⁷

मते सारे भगती गीतें जि'यां भेटां, नराते सरबंधी गीतें च बी गंगा दे उल्लेख मिलदे ना। इक भैटे दा उदाहरण इ'यां ऐ-

'हत्थ गड़बा, गंगा जल पानी,

माता जी श्रान कराना,

ओ भगता माता देआ।¹⁸

नराते दे सनान गीतें च बी गंगा जी दा वर्णन मिलदा ऐ, जेहदा उदाहरण गीतें दे इ'नें बोलें च न-

'पहला नराता गंगा न्हाता,

गंगा भठोरु आए।¹⁹

इ'दे अलावा होर केई लोकगीतें च बी माता गंगा दी मजूदगी द्विश्चीगोचर हौंदा ऐ।

निश्कर्ष - आखर च एह गलाया जाई सकदा ऐ जे डोगरी लोक-गीतें च उ'नें गीतें दी गिनतरी बी घट्ट नेई जि'दें च माता गंगा दा वर्णन होए दा ऐ। इ'नें गीतें राहें अस दिक्खी सकनेआं जे माता गंगा च लोके दी किन्नी आस्था ऐ जिस करी इ'नें लोक-गीतें च बी इन्ना उच्चा दर्जा प्राप्त होए दा ऐ। डोगरी लोक-गीतें दे गीतकारें बड़ी संजीदगी, बड़े शरदा-भाव कन्नै माता गंगा दा वर्णन कीते दा ऐ। इ'दें च आम लोकमानस दी गंगा जी प्रति शरदा, भगती अभिव्यक्त होई दी ऐ। एह ऐसे लोक-गीत न जि'दें च वर्णन माता गंगा दा उदाहरणें कन्नै बी इस प्रवित्तर देवी आस्तै मने च आस्था ते विश्वास होर दद होई जंदा ऐ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डोगरी लोकगीत, भाग 5, नीलाम्बर देव शर्मा, केहरि, सफा-36
2. डोगरी लोकगीत, भाग 19, केहरि सिंह मधुकर, सफा-36
3. डोगरी लोकगीत, भाग 14, ओम गोस्वामी, सफा-
4. डोगरी लोकगीत, भाग 2, नीलाम्बर देव शर्मा, केहरि सिंह मधुकर, सफा-20
5. डोगरी लोकगीत, भाग 14, ओम गोस्वामी, सफा-172
6. उ'ऐ, सफा-173
7. डोगरी लोकगीत, भाग 14, ओम गोस्वामी, सफा-180
8. डोगरी लोकगीत, भाग 16, ओम गोस्वामी, सफा-11
9. डोगरी लोकगीत, भाग 17, शिवराम दीप, सफा-16
10. डोगरी लोकगीत, भाग 11, ओम गोस्वामी, सफा-222
11. डोगरी लोकगीत, भाग 12, ओम गोस्वामी, सफा-100
12. डोगरी लोकगीत, नीलांबर देव शर्मा, रामनाथ शास्त्री, सफा-154
13. डोगरी लोकगीत, भाग 10, सफा-25
14. डोगरी लोकगीत, भाग 14, ओम गोस्वामी, सफा-152
15. डोगरी लोकगीत, नीलांबर देव शर्मा, रामनाथ शास्त्री, सफा-26
16. डोगरी लोकगीत, नीलांबर देव शर्मा, रामनाथ शास्त्री, सफा-47
17. डोगरी लोकगीत, भाग 11, ओम गोस्वामी, सफा-160
18. उ'ऐ, सफा-7
19. डोगरी लोकगीत, भाग 3, नीलाम्बर देव शर्मा, केहरि सिंह मधुकर, सफा-124

डॉ. प्रीति हुंदी बाल कविताएं च पर्व-ध्यान

शिव कुमार खजुरिया *

प्रस्तावना - पर्व-ध्यान कुसै बी समाज विशेष दी संस्कृति दा अनमोल हिस्सा होंदे ना। एह जीवन गी सुसंस्कृत, शैल ते मूल्यवान बनाने च अपनी अहम भूमिका नभांदे ना। बचपन च गै अचाने इ'नेगी अपने जीवन च आत्मसात करना शुरू करी दिंदे ना। एह अचाने दी मानसिकता गी सकारात्मक तरिके कन्नै प्रभावित बी करदे ना। इ'दा असर तांउमर स्याने दे जीवन उप्पर दिक्खने गी मिलदा ऐ। जिसदे फलस्वरूप इ'दे अंदर दुएं दे प्रति इज्जतमान, दयाभावना हिरख ते अपनापन जनेह गुण जनम लेंदे, पलदे ते मठोंदे रेंहदे ना। देश दे बाकी हिस्से आंगर डुग्गर च बड़े सारे ध्यान मनाए जंदे ना। जि'यां दयाली, टिक्का, रक्खड़ी, होली, ईद, बसोआ, नाग पंचमी, कृष्ण जनम, गुरुपूर्व अष्टमी, लोहड़ी, ईद, बसाखी ते रूट आदि। एह ध्यान हर धर्म जाति दे लोक बड़े धूम-धाम कन्नै मनांदे ते आपूं-चें मठाइयां बंडिये खुशी सांझी करदे ना।

डोगरी बाल साहित्य दा खेतर लगभग सुक्का ते रक्कड़ जन पेदा ऐ। बड़े घट लखारियें इसी अपनी कान्नी च थाह दितो दा ऐ। पर, डॉ. प्रीति होरें अपनी कान्नी दी शुरूआत गै बाल साहित्य थमां कीती ऐ। इ'ने दो लोक कथें दे संग्रह 'मनै दी आस' ते 'धर्मै दी राह' ते दो बाल कविता संग्रह 'चेत्तो बचपनै देय ते 'मिठू' प्रकाशित करोआइयें बाल साहित्य दी बंजर पेदी जमीन नी अपनी रचनाएं राहें तरोतर करने दा सराहने योग कम्म कीता ऐ।

उं'दा 'चेत्तो बचपनै दे- सन् 2015 ई. च प्रकाशित होआ। इस च कुल 78 कविता ना। 'मिठू' सन् 2016 ई. च ते एह लगभग 46 कविताएं उप्पर अधारत बाल कविता संग्रह ऐ। इ'ने कविताएं दे विशेष लगभग देश-प्रेम, प्रकृति चित्रण, पर्यावरण, पशु-पक्खर, रूक्ख-बूहटे ते आम जीवन कन्नै जुडी दिर्यें चिजें कन्नै रलदे-मिलदे गै रक्खे गेदे ना। कविताएं दी भाशा बी बड़ी सरल ते आम-बोल चाल आह्नी भाशा ऐ। इ'नेगी समझने च कोई परेशानी नेई ओंकी ते लगभग सारियां कविता बाल मनै उप्पर सकारात्मक तरीके कन्नै प्रभाव बी पांदितां ना। डॉ. प्रीति हुंदी बाल कविताएं च पर्व-ध्यान दे दी नरोई झलक दिक्खने गी मिलदी ऐ। उ'ने कविताएं च पर्व-ध्यान दे दी द्विश्टी कन्नै इस चाली चर्चा कीती जाई सकदी ऐ :-

'देआली' हिंदुएं दे प्रमुख ध्यान दे चा इक ऐ। एह आस्था कन्नै जुडे दे होने कन्नै-कन्नै अच्छाई दी बुराई उप्पर जिता दा प्रमाण बी ऐ ते जिंदा जागदा सबूत बी। बच्चे, जुआन ते बजुर्ग इस ध्यान गी बड़ी धूम-धाम कन्नै मनांदे ना। पर, खासकरी बच्चें गी इसदा इंतजार बड़ी बसेबरी कन्नै होंदा ऐ। कीजे इस दिन इ'नेगी लाने आस्तै मनपसंद कपडे, खाने गी मठेआई ते चलाने आस्तै पटाके मिलदे ना। बाल मनै दी खुशी दा इजहार करदियां 'देआली' नांS दी कविता दियां एह पगतियां दिक्खो :-

'बरे मगरा देआली आई, दीये बाली सारे मनाई

पापे मिगी पैसे दितो, मम्मी नमें कपडे दितो।'¹

'देआली' आंगर 'रक्खड़ी' बी हिंदुएं दे पवित्र ध्यान दे चा इक ऐ। इस दा बी इंतजार अचाने बड़े चाब कन्नै करदे ना। इस रोज भैनों अपने भाएं गी शैल कोला शैल रक्खड़ी बनदी ते भाऽ उसदी तांउमर इफाजत करने आस्तै बचनबद्ध होने दे कन्नै-कन्नै अपनी थवीक अनुसार पैसे, मठेआई जां कपडे दिंदा ऐ। रक्खड़ी नांS दी कविता दियां एह सतरां दिक्खो :-

'रक्खड़ी आई, रक्खड़ी आई,
बोवो थमां रक्खड़ी पोआई।
बाबो ने रक्खेआ अग्गें थाल,
में दितो रपेऽ उसी चारा'²

'जन्म अष्टमी' बी हिंदुएं दा पर्व ऐ। इस रोज बच्चे पूरी-पूरी ध्याडी गुड्डियां चाढ़दे ते मौज मसती करदे ना। 'काहन्ना' नांS दी कविता च भगवान कृष्ण दी सुंदरता दा बखान करने दे कन्नै-कन्नै उ'नेगी सजाने दी तयारी कीती जा करदी ऐ। बाल मनै च उठने आह्ने कोमल भावें दा सुंदर चित्रण पेश करदियां एह पगतियां दिक्खो :-

रेतु दा मंदर बनाना ऐ।
बिच्च काहन्ना गी बठाना ऐ,
लड्डियें दा भोग लोआना ऐ।
मोर पंखें दा मुकुट बनाना ऐ,
काहन्ना दे सिरै पर लाना ऐ।'³

'लोहड़ी' दे पर्व दा बी अचाने दे मनचित्र लगने आह्ना ध्यान ऐ। इस रोज अचाने हार-शंगार करियें हिरन बनदे ते छज्जा नाच नचदे ना। ओह केई किस्म दे नाच दा प्रस्तुतिकरण करदे बी नजरी ओंदे ना। इस नाच दे कन्नै केई किस्म दे लोक-गीत बी गांदे नते घर-घर जाइयें लोहड़ी मंगदे ना। खासकरी उं'दे घर जंदे न जिंद घर व्याह, अचाजा जा बधाई होऐ। एह लोक गीत डोगरा संस्कृति दे इस पर्व गी होर मता शैल ते नखारदे ना। लोहड़ी आई कविता दियां एह पगतियां दिक्खो :-

'लोहड़ी आई, लोहड़ी आई,
ढोल-धमाके कन्नै मनाई।
हिरण बनाइयें, धुंगरू पाइयें,
सारे नन्चना गीत बी गाने, लोके दे घर-घर जाइये,
निक्के बड़े चुक्की नचाने।'⁴

डुग्गर दे लगभग हर घरे च नाग पुजनिय ना। इत्थु दे किश लोके दे देवते बी नाग ना। इ'यां बी लोक शनि ते सोमवार वर्मा उप्पर जाइयें दलसी चाढ़दे ते जीवन च चलै करदी माद्री ग्रैहें दी चाल गी दूर करने दी मंगल कामना करदे ना। इ'यै भाव 'नागें दी भर्मा' नांS दी कविता च बी दिक्खने

गी मिलदा ऐ। कविता दे बोल न :-
'बैरी हेठ वरमी नागें दी,
पींदे दलरसी पटारी खोल दे भागें दी।
जेहड़ा पूजै मनै कन्नै,
उरसी रजांदे धनै कन्नै।'⁵

डुग्गर च हिंदु धर्म दे कन्नै-कन्नै इस्लाम धर्म गी मन्ने आह्ने बी रौहदे न।
ईद बी इत्थूं दे मुख ध्यारें च इक ऐ। इस ध्यार गी सारे लोक बड़े शिदत कन्नै
मनांदे न। ईद नांS दी कविता दे बोल दिक्खो :-

'असें अज्ज ईद मनानी ऐ,
उसें नमीं पशक पानी ऐ।
इक दुए गी मठेआई खलाली ऐ,
सिरै पर चिटी टोपी लानी ऐ।
इक दुए दे गलें लग्गना ऐ,
मुबारखा देई-देई नेई थक्कना ऐ।'⁶

'बसाखी' फसल दा ध्यार ऐ। इसी जम्मू, पंजाब, हरियाणा ते उत्तार
प्रदेश दे लोक बड़े उत्साह कन्नै मनांदे न। डुग्गर च इसी बसोआ नांS कन्नै बी
जानेआ जंदा ऐ। इस ध्यारें उप्पर शैह ते ब्राएं दे केई थाहें उप्पर मेले बी लगदे
न। लोक नमियां पशाकां लांदे ते आपूं-चे मठाइयां बी बंडदे न। ढोल-बजाइयै
अपनी खुशी दा इजहार बी करदे न। बसोआ नांS दी कविता इस गल्लै दी
पुश्टी करदियां न :-

'लोक नच्चै दे, भांगड़ा न मारा दे,
अज्ज कड़ाह ते बबबरु न चाहड़ा दे।
ढोल बजांदे इ'नें बसोऐ ऐ जाना,
उत्थै जाइयै इ'नें भांगड़ा ऐ पाना।'⁷

इस ध्यार उप्पर लगने आह्ने मेले च भांत-सभातड़े पकवान इसदी
रीनक होर मती बधाई दिंदे न। अचानें बी बड़ी खुशी ते उत्साह कन्नै मेले जंदे
न। 'बसाखी' नांS दी कविता दे बोल दिक्खो :-

'रीकू-पीकू आओ जी,
लड्डू पेड़े खाओ जी।
नमें सुट्टु लाओ जी,
बोजे पैसे पाओ जी।
बसाखी मेले जाओ जी,
जलेबी-पकोड़ा खाओ जी।'⁸

राहड़े खेद होने दे कन्नै-कन्नै डुग्गर दा इक ऐसा नमुल्ला पर्व बी ऐ।
जेहड़ा साडी संस्कृति च जनानियें ते कुड़ियें दे गरिमामय स्थान गी दर्शादा
ऐ। एहदे कन्नै सादे विचार, आस्था ते विश्वास जुड़े दे न। एह पर्व सिर्फ कुड़ियां
गै मनादियां न। एह पर्व हाइ म्हीने दी सरगांदी गी शुरू होइयै सौन म्हीने दी
संरगांदी गी मुकदी ऐ। इस पूरे म्हीने कुड़ियां राहड़े चितारदियां ते अपनी
परिचे अपने सुचज्जल हत्थै कन्नै दिंदियां न।

खीर जिसलै बड्डा रूट होंदा ऐ तां सारियां कुड़ियां घरै थमां दूर कुतै पानी
दे कंढै ठंडी थाहा उप्पर किट्टे भोजन बी करदियां न। रूट नांS दी कविता च
इसदा जिकर बड़े सरोखइ ढंगै कन्नै होए दा ऐ :-

'मां-मां रूट खेदन जाना,
उत्थै जाइयै मिट्टा बबबरु-खाना।
क्यूर खाने, पूड़ी बी खानी,
रज्ज अम्बें गी बी लाना।
मां-मां रूट खेदन जाना।'⁹

निश्कर्ष दे तौर पर गलाया जाई सकदा ऐ जे डॉ प्रीति उंदी बाल कविताएं
च डुग्गर च मनाएं जाने आह्ने पर्व-ध्यारें दा चित्रण बड़े सुक्ष्म ते सरोखइ ढंगै
कन्नै कीता गेदा ऐ। इक पारसै जित्थै अचानें गी इ'नें पर्व-ध्यारें दी जानकारी
हासल होंदी ऐ उत्थै गै दुए पारसै एह ध्यार अचानें गी मिलनसार ते आपसी
भाईचारे जनेह गुण विकसित करने च मद्गार साबत होंदे न। एह बच्चें गी
सकारात्मक आह्ने रस्ते उप्पर चलने आस्तै प्रेरित करियै जीवन च एसी थाहै
उप्पर खदेरी दिंदे न जित्थै सिर्फ इंसानियत दे पुजारी न ते लोS गै लोS ऐ
न्हैरा कुतौ दूर-दूरै तगर नेई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चेतो बचपनै दे, प्रीति रचना, सफा-11
2. उ'ऐ, सफा-12
3. उ'ऐ, सफा-32
4. उ'ऐ, सफा-49
5. उ'ऐ, सफा-54
6. उ'ऐ, सफा-59
7. उ'ऐ, सफा-41
8. मिट्टू, डॉ. प्रीति रचना, सफा-19
9. उ'ऐ, सफा-36

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की प्रमुख समस्याएँ एवं सुझाव

डॉ. रोहित पाटीदार *

प्रस्तावना - भारतीय समाज में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, पक्षपात, सूदखोरी, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। भारत वर्ष में सहकारी संस्थाओं की स्थापना को एक शताब्दी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन संस्थाओं में अनेक समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। इन सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश में सहकारी बैसाखियों का सहारा देकर जीवित रखा गया है जो आवश्यकता भी है।

सहकारी संस्थाओं का बोध वाक्य 'बिना सहकार- नहीं उद्धार' अर्थात् सहकारिता से ही विकास संभव हो सकेगा। इस बोध वाक्य के विपरित निमाइ में सहकारी बैंक राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। इन बैंकों को विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मात्र माना जा सकता है। सहकारी बैंकों के द्वारा लाभ न कमाकर सेवा उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के इस युग में यह अपरिहार्य भी हो गया था कि ये बैंक अपनी वर्तमान नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करें तथा समय के साथ-साथ नवीन तकनीकों को अपनायें।

पश्चिम निमाइ के दोनों जिलों खरगोन एवं बड़वानी में संचालित सहकारी बैंकों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1. सहकारी बैंकों में आधुनिकीकरण न होना।
2. राजनीतिक व्यवस्था के दोष।
3. कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव।
4. ऋण देने की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होना।
5. ऋण वसूली की प्रक्रिया दोषपूर्ण होना।
6. बैंक कर्मचारियों की कमी तथा उपलब्ध कर्मचारियों में कुशलता का अभाव।
7. सहकारी जागरूकता एवं उपयुक्त नेतृत्व की कमी होना।
8. ऋण वितरण एवं वसूली में पक्षपात होना।
9. ऋण वितरण में हितग्राही का सही चयन न होना।
10. कृषि तथा कृषित्तर ऋणों पर निर्भर होना।
11. प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप।
12. शासकीय हस्तक्षेप से बाधा होना।
13. विश्व व्यवस्था में उदाहरण के सहकारी बैंकों पर प्रभाव।

सुझाव - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की प्रमुख समस्याओं का समाधान के लिए निम्नलिखित सुझावों को अपनाया जा सकता है:

1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की अधिकांश शाखाओं में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन बैंकों में यह सुविधा नहीं होने

से इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। अतः बैंक की समस्त शाखाएँ कम्प्यूटरीकृत की जावें तथा बैंक के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कम्प्यूटर का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जब तक इन बैंकों में कम्प्यूटरीकरण नहीं होगा ये बैंक अन्य बैंकों की तुलना में उन्नति नहीं कर सकेगी।

2. सहकारी बैंकों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इन बैंकों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। अध्यक्ष के द्वारा सहमति दिये जाने पर हितग्राही की पात्रता पर भी विचार किये बिना उसे लाभान्वित कर दिया जाता है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी इन्हीं संस्थाओं का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए करते हैं और धीरे-धीरे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इन सहकारी बैंकों से राजनीतिक आधार तैयार कर राज्य के अनेक राजनेता अपना भविष्य संवार चुके हैं।
3. सहकारी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है लेकिन इसके साथ ही इन बैंकों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कम्प्यूटर का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।
4. ऋण देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के अधिकार एक सीमा तक शाखा प्रबन्धकों को हस्तान्तरित किये जाने चाहिए, जिससे वे हितग्राही को कम से कम समय में ऋण उपलब्ध करा सकें। इस समस्या का समाधान सुनियोजित ढंग से किया जा सकता है।
5. सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की वसूली के लिए आवश्यक है कि हितग्राही को इन बैंकों से ऋण से ऋण प्रतिभूति एवं प्रतिभू के आधार पर दिया जाना चाहिए जिससे कि ऋण वसूली में कठिनाई न हो।
6. सहकारी बैंक के कर्मचारियों की कमी की पूर्ति कर उपलब्ध कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. ग्रामीण विकास में सहकारी बैंक अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इन संस्थाओं को ऐसा नेतृत्व मिल सकें जिसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास हो अर्थात् इन समस्याओं में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना होगा तब ही इन संस्थाओं की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी।
8. सहकारी बैंकों में ऋण वितरण एवं वसूली में पक्षपात को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में इन बैंकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ईमानदार एवं निष्ठावान लोगों का एक प्रकोष्ठ बनाया जाकर उन्हें दोषी व्यक्ति को दण्डित करने तथा सजा देने के पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिये।
9. सहकारी संस्थाओं में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का चयन

- सावधानीपूर्ण तथा पूर्ण ईमानदारी से किया जाना चाहिए। धांधली करने वाले दोषी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को अविलम्ब दण्डित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
10. निमाड़ क्षेत्र के कृषकों की भूमि पहाड़ी, पथरीली अर्थात् उबड़खाबड़ है। इस भौगोलिक संरचना के कारण जनजातीय कृषकों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ये किसान लगभग पूर्णतया कृषि ऋण पर निर्भर होते हैं। इनकी आर्थिक समस्या का उचित समाधान किया जाना आवश्यक है।
 11. प्राकृतिक आपदाओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि पश्चिम निमाड़ के इन दोनों जिलों में सिंचाई की संरचना का निर्माण किया जाये। नर्मदाघाटी परियोजना के अन्तर्गत जिन नहरों एवं इनकी सहायक नदियों पर जो छोटे-छोटे बाँध बनाये जाते हैं उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना चाहिए। यदि इन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की उपलब्धता होगी तो इसका लाभ सहकारी बैंकों को प्राप्त हो सकता है।
 12. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में शासकीय हस्तक्षेप की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि शासन स्तर पर इन बैंकों पर नियंत्रण

समाप्त कर इन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की जाना चाहिए जिससे कि ये बैंक अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल हो सकें।

13. भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का बढ़ता महत्व भी इस व्यवस्था में निष्चित ही प्रभावित हुआ है। निजी क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाएँ सहकारी नियंत्रण से प्रभावित नहीं होती हैं उनका कार्यक्षेत्र व उद्देश्य व्यावसायिक एवं लाभप्रदता पर आधारित होता है। अतः सहकारी बैंकों को इनका सामना करने के लिए आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना आवश्यक है।

निष्कर्षतः सहकारिता में एक साथ मिल-जुलकर कार्य करने की प्रेरण का तत्व विद्यमान रहता है। यह सर्वकालीन सत्य है कि आपसी सामंजस्य तथा सहयोग से किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। सहकारी बैंक आदिवासी, ग्रामीण कृषकों के जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों की वित्तीय समस्या का समाधान होने पर ही इनके आर्थिक विकास को गति मिल सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

निमाड़ी लोक जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. नन्दा मोरे *

प्रस्तावना - भारत देश के राज्य मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। प्राकृतिक रूप से यह क्षेत्र नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तारी सीमा पर विन्ध्य कगार तथा दक्षिणी सीमा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। शासन की दृष्टि से वर्तमान निमाड़ चार जिलों में विभाजित है। इनमें से एक भाग खण्डवा एवं बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़ और दूसरा भाग खरगोन एवं बड़वानी, पश्चिम निमाड़ कहलाता है। प्राचीन और मध्यकाल में निमाड़ को मालवा के अन्तर्गत माना जाता था।

निमाड़ का जीवन धार्मिकता से ओत-प्रोत है क्योंकि यहाँ की धरा संत महात्माओं की कर्मभूमि रही है। जो कि यहाँ के लोगों के जीवन में सात्विकता के साथ ही मिठास भी घोलती है। निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यन्त ही समृद्ध और गौरवशाली है। निमाड़ सृष्टि की सबसे पुरानी नर्मदा संस्कृति के उद्भव और विकास का केन्द्र रहा है।

निमाड़ के लोक जीवन में सामाजिक स्वरूप को बुनने वाली महत्वपूर्ण जातियों में ब्राह्मण (नारमदीय, मालवीय, बाविसा, चौबिसा, गौड़, सनाढ्य, नागर) वैश्यों में अग्रवाल, पालीवाल, खण्डेलवाल, धाकड़, श्रीमाली, नीमा, दशोरा, माहेश्वरी आदि प्रमुख हैं। राजपूत निमाड़ में प्रायः सभी जगह निवास करते हैं। उसका प्रमुख कारण निमाड़ में कभी राजपूतों का शासन रहा है। राजपूत अपने आपको राजवंशीय क्षत्रीय मानते हैं। राजपूत अब शासक नहीं है। फिर भी दरबार, मण्डलाई, पटेल अथवा ग्राम मुखिया अवश्य कहे जाते हैं। यहाँ के राजपूतों में सिर्वा, कुशवाहा, मारु आदि प्रमुख हैं। निमाड़ लोक समाज की अन्य जातियों में गूजर, अहीर, भारुड़, गवली, माली, सुतार, सुनार, लोहार, नाई, दर्जी, तेली, तम्बोली, लखारा, कुम्हार, कसारा, पीजारा, बैरागी, बलाई, चमार, मेहतर, भंगी, मांग, मोची, कोली, कोटी, कोटवार, खंगार, खटिक, सिलावट, आल्या, पारधी, कालबेलिया, झमराल आदि हैं।

निमाड़ में मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियों के लिए कुम्हार, लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए लोहार, बांस की वस्तुओं के लिए झमराल वस्त्रों के लिए खटिक मारु, मोमिन, कोष्ठा, पत्थर की कलात्मक मूर्तियों के लिए कसारा, स्वर्ण, चाँदी के कलात्मक आभूषण के लिए सोनी, लाख की वस्तुओं के लिए लखारा, काँच की चूड़ियों के लिए मनियार, कपड़े सीने के लिए दर्जी, गादी-तकिया भरने वाले पीजारा, जूते चप्पल बनाने के वाले चमार आदि अनेक जातियों के लोग अपने-अपने पारम्परिक कलात्मक व जातिगत व्यवसाय में लगे हुए हैं। यद्यपि निमाड़ हिन्दु बहुलवादी है, परन्तु मुस्लिम लोगों की बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है। मुस्लिम धर्मात्मिकों में पीजारा, नायडा, पगन, शेख, सैयद, मामिन, कसाई, रंगारे, बोहरे आदि सभी निमाड़ी संस्कृति में घुलमिल गये हैं।

निमाड़ का लोक जीवन इतना सहृदय है कि आप यहाँ कभी भी आईए एक आत्मीयजन की तरह स्वागत पायेंगे। वह अपने यहाँ आने वाले का ही

नहीं बिदा होने वाले मेहमानों को भी 'अरु आवजो' याने पुनः और आईएगा कहकर विदा करता है।

निमाड़ी लोक के सामाजिक जीवन के पहलू में यह देखने को मिलता है कि यहाँ के गाँवों का आदमी कम पढ़ा लिखा भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत है। वह विश्वास में बह जाता है, धर्म पर झुक जाता है। सबकी सहता है पर शिकायत नहीं करता। सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह थक कर नहीं बैठता, झुककर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति और परिश्रम में से आनन्द खोज लेता है। दुख का पहाड़ आ जाये या सुख की क्षीण रेखा वह सदा मुस्कराता है।

निमाड़ के पुरुष सादा परिधान सफेद धोती कुरता पसन्द करते हैं और महिलाओं में लहंगा, साडी और कन्चुकी पहनने का रिवाज है। यहाँ के खान-पान में भी सादगी दिखाई देती है। मुख्य भोजन मक्का या ज्वार की रोटी और मूंग या तुवर से बना साग है। अम्बाडी की भाजी और मक्के की रोटी भी गांव के लोगों को प्रिय है। शाम के समय ज्वार, गेहूँ से बना दलिया, मक्के की राबडी और छाछ पीना पसन्द है। दोपहर के भोजन में मौसम के अनुकूल हरी साग सब्जी भी शामिल रहती हैं।

निमाड़ में नारी के सौंदर्य प्रसाधनों में आभूषणों को सम्पत्ति के शृंगार और विपत्ति के आहार बताया गया है। आभूषणों को गहना, जेवर, दागिना कहने का भी चलन है। निमाड़ अंचल में राम, कृष्ण और शिव की उपासना समान रूप से की जाती है। हर गाँव में रामभक्त हनुमान की प्रतिमा स्थापित की जाती है और घर-घर में बालरूपी कृष्ण को पूजा जाता है। धर्म का, धार्मिक परम्पराओं का और लोक उत्सव व त्यौहारों का निमाड़ के जनजीवन पर पूरा प्रभाव है। निमाड़ के अधिकांश निवासी हिन्दु हैं। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, गणेश, नर्मदाजी, भीलटबाबा, गायमाता, गंगामाता आदि उसके प्रमुख देवता हैं।

निमाड़ के लोकजीवन में व्रत, उत्सव, पर्वों की फसल हमेशा लहराती रहती है। यहाँ व्रत, पर्व, उत्सव आदि का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। चैत्र मास से फाल्गुन मास तक पूरे बारह मास लगभग पचास से भी अधिक व्रत, पर्वादि मनाने की परम्परा है। जिनमें श्रीहाटकेश्वर जयन्ती, झेंडो (रंग पंचमी), गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयन्ती, आखातीज, डोडबोकई अमावस, वडसावित्रीपूज, गंगादसेरो, देवसोवनी ग्यारस, जिरौती अमोस, नागपंचमी, इरपस, राखी, पोको, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचम, हलछट, औंकार आठव, सांझा पुलई, सोलह श्राद्ध, नरवत, नौ दुर्गा, दसेरो, शरद पूर्णिमा, करवाचौथ, चौला बारस, धनतेरस, नरक चौदस, दिवालाई, गोरधनपूजा, भाईदुज, देवउठनी ग्यारस, वैकुण्ठ चौदस, संकरात, बसन्त पांचो, धन की पुन्वय, काठी, शिवरात, होलई आदि। लोक साहित्य को लोकगीत, लोककथाएँ, लोकनाट्य और लोकोक्तियों में बांटा जा सकता है।

इन सभी चारों विधाओं में निमाड़ी साहित्य के गवाक्ष चौतरफा खुलते हैं। चारों विधाएँ निमाड़ी लोकजीवन में जीवन्त व प्रासंगिक हैं।

विन्ध्याचल, सतपुडा व नर्मदा मैया और प्रकृति का पूरा प्रभाव निमाड़ के लोक गीतों पर पडा है। संत सिंगाजी ने भक्ति की बड़ी ही सुखद निर्झरणी अपने महान जीवन व गीतों द्वारा निमाड़ में बहाई है। सिंगाजी के गीतों के समान निमाड़ी लोक गीतों के दूसरे श्रेष्ठ परिचायक गणगौर के गीत हैं। निमाड़ी गणगौर के गीत भी विश्व लोक साहित्य की अनुपम निधि हैं। निमाड़ अंचल की लोककथाएँ लोकमानस की उपज हैं, जो अपने कथ्य से, अपनी रोचकता से, अपने कौतुहल से, अपने मनोरंजन से, श्रोता तथा पाठकों के मन को बांध लेने में पूरी तरह सक्षम हैं तथा इनमें निमाड़ के लोकजीवन का सामाजिक परिचय भी लक्षित होता है।

निमाड़ में ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से विभिन्न स्थलों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगने वाले मेलों का ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। बच्चे, युवा, बुढ़े सभी वर्ष भर मेला भरने का इन्तजार करते हैं। सम्पूर्ण भारत वर्ष में सर्वाधिक मेले मध्यप्रदेश में ही आयोजित किये जाते हैं और मध्यप्रदेश में सर्वाधिक मेले निमाड़ में लगते हैं।

निमाड़ के मेले में लोगों के लिए मनोरंजन के पर्याप्त अवसर व साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पुराने मन्दिरों (जैसे नवग्रह मंदिर, ओंकारेश्वर मन्दिर, देवझिरी मंदिर, बीजासन माता का मन्दिर, मूर्तियों, स्मारकों व नदियों) के निकट वाले स्थलों पर मेला आयोजन का विशेष महत्व है। निमाड़ में मेले सामाजिक समरसता के प्रतीक माने जाते हैं। इनमें सभी धर्म, जाति, सम्प्रदाय के लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर मनोरंजन, पूजा-पाठ, खरीदद्वारा आदि की मस्ती में मेले का आनन्द लेते हैं।

निमाड़ी लोक जीवन के केन्द्र में समष्टिगत सत्य को देखा जा सकता है, क्योंकि लोक का प्रत्येक व्यक्ति एक सम्पूर्ण और भरपूर जीवन जीता है। एक गाँव में पैदा हुआ आदमी अपने गाँव की कभी सीमा नहीं लांगता और एक दिन उसी सीमा में मर जाता है। उसे जीवन से कभी शिकायत नहीं रही होती, क्योंकि उसने सभी काम किये जो जीवन में जरूरी थे। नियति का चक्र पूरा हुआ। बिना पढ़े-लिखे लोग भी जीवन के मर्म के पारम्परिक संज्ञान को कुछ इस तरह प्राप्त कर लेते हैं। एक पारम्परिक लोक व्यावहारिकी में सृष्टि का समस्त सच अनुभव के आधार पर लोक का आदमी सीख लेता है अथवा परम्परा से चले आ रहे संज्ञान का आधार भी जीवन के लिए पर्याप्त हो सकता है।

निमाड़ के लोगों का भोजन ज्वार व मक्का की रोटी है, इनकी जगह अब गेहूँ की रोटीयाँ बनने लगी हैं। ज्वार का उपयोग लगभग बन्द हो गया है, मक्के की रोटीयाँ अब भी यहाँ के भोजन का हिस्सा हैं। **'ज्वार व मक्के की रोटी व अमाड़ी की भाजी'** निमाड़ी लोक संस्कृति की पहचान के भोज्य पदार्थ हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। जिन घरों में कच्चा रसोई घर है, वहाँ गोबर व मिट्टी से आज भी रोज लिपा जाता है।

निमाड़ में कहीं संयुक्त परिवार है और कहीं एकल परिवार है। गाँव में सभी मिलजुलकर एक-दूसरे के काम आते हैं। गाँवों में उत्तराधिकार परम्परागत है। पुत्र घर का मुखिया होता है। दहेज प्रथा कम है। कन्यादान एक संस्कारित कर्म माना जाता है। अस्पृश्यता का भाव गाँवों में अभी है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है।

निमाड़ का लोकजीवन साधारण सादगीपूर्ण और सरल है। जीवन में किसी प्रकार की संघर्षशीलता और दुर्धर्षता का भाव नहीं है। थोड़े में सन्तुष्ट होने का आदी निमाड़ी जन, ज्यादा की लालच में भी नहीं फँसता। पर कठिनाईयों और श्रम से घबराता नहीं है। निमाड़ी लोक समाज भाग्य पर भरोसा करता है। प्रकृति, ईश्वर और सन्त, पीर-औलियाओं पर श्रद्धा रखता है। काम से काम बाकी खूँटी तान के सोने में विश्वास करने वाला निमाड़ का व्यक्ति समय से थोड़ा पीछे चलता है। जीवन में पारम्परिक लोक विश्वास की बड़ी जगह है। जादू टोनों, भूत-प्रेत, चुड़ैल, बाहरी बाधाओं, स्थानीय देवी-देवताओं, बड़वा-भोपा, जान-जुगार जैसी प्रवृत्तियों पर लोगों का अटूट विश्वास है। आज भी दोरा-दसी, झाड़-फुँक, तंत्र-मंत्र, तारण मारण आदि क्रियाओं के माध्यम से अधिकांश लोग अपना ईलाज करवाते हैं। टोने-टोटके करते हैं। इस प्रकार की अवधारणाओं का संचार समाज में पारम्परिक रूप से है।

निमाड़ का लोकजन सामाजिक दृष्टि से एक भीरु और समरस व्यक्ति है। जो मिल गया उसी में गुजारा कर लिया, नहीं मिला तो उसके लिये कोई आकाश-पाताल एक कर देने की प्रवृत्ति निमाड़ी मूल में नहीं है। जीवन का मकसद आनन्द की प्राप्ति है। निमाड़ का आदमी कहीं भी रहे, वह अपनी संस्कृति और परम्पराओं को संजोकर रखता है। उसकी स्मृति में **अमाड़ी की भाजी और जुवार की रोटी तथा गणगौर पर्व-गीतों** की पवित्र आनुष्ठानिक अनुगूँजे सदैव रहती हैं। सन्त सिंगाजी के झांझ मृदंग पर गाये जाने वाले गीतों की झंकार उसके श्रवण में हमेशा बनी रहती हैं। जिरोती, नाग, सांझाफूली, नरवत आदि की याद करके अपनी लोक चित्र परम्परा को सदैव जीवन्त रखने की कोशिश हर निमाड़ी की होती है। संस्कृति की विभिन्न छवियों के सहारे निमाड़ी लोक जीवन हर जगह और हर समय संभव हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण : पश्चिमी निमाड़, जिला गजेटियर विभाग, म.प्र., भोपाल, 1963
2. रामनारायण उपाध्याय : निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर
3. रामनारायण उपाध्याय : लोक साहित्य समग्र, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन, वाराणसी
4. निरगुणे, वसन्त : निमाड़ी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद् का प्रकाशन, भोपाल 2002

Panchayat and its function in context of Ghatiya Tehsil, Distt. Ujjain (M.P.)

Prakash Gujarati *

Introduction - India is one of the world's largest democracy. And majority of population of India lives in rural areas. For the development of rural people local governing bodies are very essential. That's why panchayats roles are very important. This research paper is to provide information about Composition, Administrative structure, Functions, Source of income of Panchayat Institutions.

Zila Panchayats are Panchayats at Apex or District Level in Panchayat Raj Institutions (or PRIs). The 73rd Amendment is about Rural Local Governments (which are also known as Panchayati Raj Institutions or PRIs)

1. Panchayat at District(or apex) Level
2. Panchayat at Intermediate Level
3. Panchayat at Base Level

The Zila Panchayat or District Council or Zilla Parishad or District Panchayat, is the third tier of the Panchayati Raj system. Zila Parishad is an elected body. Block Pramukh(president) of Panchayat Samiti (Block) are also represented in Zila Parishad. The members of the State Legislature and the members of the Parliament of India are members of the Zila Parishad.

Review of Literature :

1. Rajni Singh is his scholarly article "Panchayati Raj : Gross roots of democracy" argue that to Gandhi, Panchayat Symbolize the power of people.
2. N. Shivaram Krishnan in his paper "Mahatma Gandhi Village Panchayats to come to form a Strong broad based Network of republics spread all over the country, Peacefully Cooperating with one another.
3. N. Narayan Swami his article "Mahatma Vision of Panchayat Raj system" argue that if Panchayati Raj in given a fair trial it is bound to create new Political ethos the effects functioning of PR/s will given. "Voice to Voiceless.

Composition - Members of the Zila Parishad are elected from the district on the basis of adult franchise for a term of five years. Zila Parishad has minimum of 50 and maximum of 75 members. There are seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes and women. These Councillors chosen by direct election from electoral

divisions in the District.

The Chairmen of all the Panchayat Samitis under the district are the Ex-Officio members of Zilla Parishad. The Parishad is headed by a President and a Vice-President. The Deputy Chief Executive Officer from General Administration department at district level is ex-Officio Secretary of Zilla Parishad.

The Chief Executive Officer, who is an IAS Officer or Senior State Service Officer heads the administrative set up of the Zilla Parishad. He supervises the divisions of the Parishad and is assisted by Deputy CEOs and other Officials at district and block level officers.

Administrative structure - The Chief Executive Officer (CEO), who is an IAS or a State Civil Service officer, heads the administrative machinery of the Zila Parishad. He may also be District Magistrate in some states. The CEO supervises the divisions of the Parishad and executes its development schemes.

Administrative structure daigram (see in last page)

Functions :

1. Provide essential services and facilities to the rural population and the planning and execution of the development programmes for the district.
2. Supply improved seeds to farmers. Inform them of new techniques of training. Undertake construction of small-scale irrigation projects and percolation tanks. Maintain pastures and grazing lands.
3. Set up and run schools in villages. Execute programmes for adult literacy. Run libraries.
4. Start Primary Health Centres and hospitals in villages. Start vaccination drives against epidemics and family welfare campaigns.
5. Construct bridges and roads wherever needed
6. Execute plans for the development of the scheduled castes and tribes. Run ashramshalas for adivasi children. Set up free hostels for scheduled caste students.
7. Encourage entrepreneurs to start small-scale industries like cottage industries, handicraft, agriculture produce processing mills, dairy farms, etc. Implement rural

employment schemes.

8. They even supply work for the poor and needy people.

Sources of Income :

1. Taxes on water, pilgrimage, markets, etc.
2. Fixed grant from the State Government in proportion with the land revenue and money for works and schemes assigned to the Parishad.
3. The Zila Parishad can collect some money from the panchayats with the approval of the government.
4. It gets a share from the income from local taxes.

About Ujjain - Ujjain is the largest city in Ujjain district of the Indian state of Madhya Pradesh. It is the fifth largest city in Madhya Pradesh by population and is the administrative centre of Ujjain district and Ujjain division.

Ujjain district of Madhya Pradesh has total population of 1,986,864 as per the Census 2011. Out of which 1,016,289 are males while 970,575 are females. In 2011 there were total 391,438 families residing in Ujjain district. The Average Sex Ratio of Ujjain district is 955.

As per Census 2011 out of total population, 39.2% people lives in Urban areas while 60.8% lives in the Rural areas. The average literacy rate in urban areas is 82.9% while that in the rural areas is 65.3%. Also the Sex Ratio of Urban areas in Ujjain district is 948 while that of Rural areas is 959.

The population of Children of age 0-6 years in Ujjain district is 271306 which is 14% of the total population. There are 140597 male children and 130709 female children between the age 0-6 years. Thus as per the Census 2011 the Child Sex Ratio of Ujjain is 930 which is less than Average Sex Ratio (955) of Ujjain district. The total literacy rate of Ujjain district is 72.34%. The male literacy rate is 71.91% and the female literacy rate is 52.56% in Ujjain district.

Ghatiya Tehsil, Ujjain map (see in next page)

About Ghatiya - Ghatiya Tehsil is located in Ujjain district in Madhya Pradesh, India. Ghatiya Tehsil consist of 128 villages. It is situated 24km away from district headquarter. As per 2009 stats, Ghatiya village is also a gram panchayat. Ghatiya Tehsil has **total population of 138,861** as per the Census 2011. Out of which 70,808 are males while 68,053 are females. In 2011 there were total 27,553 families residing in Ghatiya Tehsil. The **Average Sex Ratio of Ghatiya Tehsil is 961**.

As per Census 2011 out of total population, 0% people lives in Urban areas while 100% lives in the Rural areas.

The average literacy rate in urban areas is 35.2% while that in the rural areas is 64.8%. The population of Children of age 0-6 years in Ghatiya Tehsil is 20484 which is 15% of the total population. There are 10595 male children and 9889 female children between the age 0-6 years. Thus as per the Census 2011 the Child Sex Ratio of Ghatiya Tehsil is 933 which is less than Average Sex Ratio (961) of Ghatiya Tehsil. The total literacy rate of Ghatiya Tehsil is 64.77%. The male literacy rate is 67.28% and the female literacy rate is 42.66% in Ghatiya Tehsil.



Major Works Under Gram Panchayat In Ghatiya Tehsil With Help Of Ujjain District from last 3 years:

1. Constructing new CC roads cum Drainage under Panch Parmeshwar Scheme.
2. Constructing new CC roads under 13th FC Performance Grant – Janpad Level.
3. Building Angan wadi bhavan & Community Hall.
4. Building Rajiv Gandhi Sewakendra.
5. Public Toilets & new Drainage System.
6. Easy and online Pension Scheme (including creating new list and updating list).
7. BPL Scheme make easier to help more BPL family.
8. Create more UID kiosk centre.
9. Department of food and distribution distribute more and more equally foods in whole tehsil by new ration outlets.
10. Giving new jobs under MGNREGA Scheme to local level villagers.
11. Encouraging villagers to make toilets in their home or its premises by giving incentives.

Conclusion – Panchayati system is created by our government for the rural people of our country to improve their health education and infrastructure. Our more than 60% population is lives there. If we want to truly develop our nation than we have to develop our rural area. We have to evaluate all our panchayat programs and its current progress for their betterment. From last 3 years with the help of panchayati system we are dynamically improves its process, plan, execution and life of rural people.

References :-

1. Our Civic Life (Civics and Administration) Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Pune
2. Website of Ministry of Panchayati Raj
3. <https://www.censusindia.co.in>
4. <http://www.ujjghaghatiyagp.mppr.gov.in>



The Unending Peregrination and the Unending Story: Reflection of Change in Gender Roles of Men and Women in Dogra Society

Preeti Sharma *

Abstract - Social change refers to alteration in the structure— infrastructural facilities, their distribution among people culture, tradition, norms of living, and behavioural attitude of a society. Change is inevitable, the structure and culture of a society do not remain static. Thus, social change is basically a transformation at the level of thought, behaviour and action that does not presuppose either a strictly positive or negative impact. The story “The Unending Peregrination and the Unending Story” by Bandhu Sharma presents the changing role of women in the society. Transition in social milieu has always been a universal factor which reverberates in the vicissitudes of the society. The story tells us about an educated and empowered woman who lives her life according to her own choice and does not depend on others. The paper attempts to present the growing flexibility in the role of women in the society.

Key words: Gender, society, women, empowerment.

Introduction - Changes in a particular field have impacts in other realms of the society too. A brilliant example of such change is that of the growing flexibility in gender roles of men and women. In every society there had rigid roles for men and women and the characteristics and attributes labelled them as being male or female. In earlier times, man was the provider of all the basic necessities for family, and woman performed the role of the child bearer and caretaker. Till late, women were accorded the role of the inferior sex and the prized possession of man, the master. The flexibility in gender roles that we are witnessing today has its roots in the changing social structure. The story “The Unending Peregrination and the Unending Story” presents the changing status of women.

There are many factors like economic factors, advancement in medical sciences and change value systems which have contributed to the changing role of women in society. As the society is progressing there is a preference for a nuclear family, thus doing away with the large demanding structures of joint families. Consequently, the ambit of economic and household responsibilities has changed. Earlier, in the joint family system, there was, by and large, a clear-cut division of responsibilities for men as well as for women. The women have to look after the domestic matters and men have to take charge of financial matters of the family. Man is no longer the sole bread-earner and the woman is no longer a mere caretaker of the house. The story presents the beautiful example of such change. The story portrays the protagonist Khaima as an intelligent woman capable of doing things on her own and according

to her choice. She is an independent lady. The author through her presents the empowerment of women in the society. In ancient times, women are expected to fulfil their place in society by becoming wives and mothers and this lead to the feeling of emptiness.

The flexibility in gender roles has been mainly the result of economic compulsion. Due to the economic crisis, the woman required to earn well so that the domestic demands met. The opening of the story tells us that Prof. Tyagi and his wife are going to visit a hill station. As there is a land slide and huge traffic on the road, they decide to stay at the rest house. Prof. Tyagi turns his head and takes the advice of Khaima. Taking advice from his wife shows his concern for her. Khaima is shown as a self-dependent lady. Her personality in the story is shown as:

She pushed her goggles having a golden frame with big back lenses over her head, revealing her hazel eyes. Before he backed the car into the close, Prof. Tyagi extended his arm horizontally towards the policemen to extend his hand to him to show a gesture of thankfulness. “Madam, please come here! Let us assume ourselves as official guest for sometime.”

“By no means, Professor Saheb! I would rather like to be a guest of nature than an official guest. You had better mind your own business. You’d better go and take rest and guess how old these craggy rocks and hills are.” Then she smiled her approval of love for the hills which confirmed the purpose of her visits there. (57-58)

The changes in demographic, cultural, macro and micro economic patterns vis-à-vis responsibilities and duties

of men and women have been hardly smooth, rather, they have been accompanied by strifes and contentions. While the acceptance of man's gender role has been willingly and uncomplainingly taken up by woman, the same does not always hold true for men. The present scenario is such that while a woman is groomed to become an efficient carrier-woman as well as an efficient house-maker, men are expected to excel mainly in professional fields. The predicament of the situation is that while any effort from the men to undertake a domestic job is welcomed and assisted by their counterparts, any such effort by woman in the professional field is eyed with jealousy and contempt and perceived as a threat to male monopoly. Hence, while men do not have to struggle hard to prove their worth, woman, most of the times, have to work harder to prove not just that she is efficient but that she can render more than a man in a similar position. Khaima is shown as an empowered lady takes her decisions boldly and her husband gave her full respect and care. He loves her, but inwardly he knows that his wife does not like his lazy behaviour. After Shekhar left Tyagi asked Khaima, "My Darling! Are you alright?" he placed much stress on the word 'darling'. Perhaps it carried the stamp of his right as her husband."

"Do I look abnormal?" Khaima looked serious.

"To some extent, of course. O! Come on! You are looking exceedingly attractive today," Tyagi caressed her cheek lovingly. She stood there unmoved like a statue, thinking whether or not she should have shrugged her husband's hand off. (61)

The story presents a lot of alterations in the behaviour of women. The women were weak and docile but now they are self-dependent, confident and efficient. Khaima is shown as a confident lady who does not worry about

anything. The traditional notions about women are undergoing transformation because of education. Education leads to an open and educated society which paves the way for role swapping- which seems to be gaining grounds in the highly demanding developmental social structure. The society, especially the urban society, can simply not move ahead without role-swapping. And this is evident in the day-to-day lives of common people. The changing trends are specially reflected as woman taking over the jobs. Khaima is a research scholar and the change in her attitude and lifestyle is because of her education.

It has become a common phenomenon to accommodate the social or professional pressures due to the swapping roles. However, it is in the urban centres that the flexibility is most evident. The rural front, though in transition, has a long way to go in this context. The present scenario is such that rural woman share the work of men and receive no help in the domestic sphere. To conclude, the flexibility in gender roles needs to be taken to the extent where finely the concept of respective gender roles is done away with. The biological roles can never be swapped but efforts are needed in social and professional fields such that roles come to exist only for departments or persons and not on the basis of gender.

References :-

1. Charak, S.S. *A Short History of Jammu Raj from Earliest Time to 1846*. Ajay Prakshan, 1985.
2. Cobbe, Frances. *The Duties of Woman*. Boston University Press, 1881.
3. Kesar, Archana. *Dogri Sahitya Meri Nazar Ch*. Classic Printers, 2000.
4. Shivnath. *Echoes and Shadows*. Sahitya Akademi, 1992.

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा विषय की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत का विश्लेषण

मिथुन भट्ट * डॉ. गुरमीत सिंह कचूरा **

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध में बासवाडा शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के प्राइवेट विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत का विश्लेषण का अध्ययन किया गया है। शोध के लिये बासवाडा के प्राइवेट विद्यालय के कुल 75-75 बालक एवं बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन के लिये शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित यौन शिक्षा अभिमत परीक्षण का उपयोग किया गया। इस उपकरण में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत मापन करने के उद्देश्य से विभिन्न 25 कथन निहित हैं। शोध परिणामों से प्राप्त हुआ की बासवाडा शहर के प्राइवेट विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के स्तर में सार्थक अंतर पाया गया। प्राइवेट विद्यालय के बालकों के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के स्तर का अभिमत बालिकाओं के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत के स्तर की तुलना में उच्च पाया गया।

प्रस्तावना - शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। उसी प्रकार शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की भाँति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से भरे हुये बालक तैयार होकर समाज अथवा देश की सेवा का व्रत धारण करके मैदान में निकलेंगे तथा अपने जीवन में त्याग से अनुकरणीय कार्य करेंगे तो समाज भी निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है। वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है। कि वह धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है।

शिक्षण व पाठ्यक्रम का संबंध - किसी भी विषय के शिक्षण में पाठ्यक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह एक ऐसा प्रभावशाली संयोजक है जो छात्र और शिक्षण के बीच उचित और व्यवस्थित परिस्थिति का निर्माण करता है। शिक्षण में यह बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि छात्र किस विषयांश को कब, कैसे और किस क्रम से ग्रहण करें। ज्ञान की इन बिखरी हुई कड़ियों को पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से जोड़कर छात्र और शिक्षक के सम्मुख एक नियोजित मार्ग का निर्देशन करता है।

किसी भी विषय के शिक्षण और पाठ्यक्रम का अन्योन्याश्रित संबंध होता है हम शिक्षण के निश्चित तत्वों के बिना पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम के अभाव में हम शिक्षण को एक निश्चित क्रम

प्रदान नहीं कर सकते। अतः शिक्षण और पाठ्यक्रम एक ही तत्व के दो छोर हैं। ऐसे विषय जो समय का साथ नहीं देते उनका पठन-पाठन निर्जीव अथवा मृत हो जाता है। अतः शिक्षण में समय की मांग का सामर्थ्य होना चाहिए।

वर्तमान का सशक्त स्वरूप पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

यौन शिक्षा - मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन, स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, आदि विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित विषयों अनुदेशों को कहा जाता है। यौन शिक्षा का सबसे सरलतम मार्ग माता-पिता अथवा संरक्षक होते हैं। इसके अलावा यह शिक्षा औपचारिक विद्यालयी कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों से भी दी जाती है। 19 वीं सदी में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलनों ने इस शिक्षा को सामाजिक स्वच्छता के परिचय के रूप में उत्तर अमेरिका के कुछ विद्यालयों में यौन शिक्षा का शिक्षण आरम्भ किया गया।

संबंधित साहित्य का अध्ययन - लारेन्स (1998) द्वारा शोध अध्ययन 'यौन शिक्षा का उच्च शिक्षा में प्रयोग' किया गया। जिसकी परिकल्पना थी - 1 यौन शिक्षा के विभिन्न पक्षों में धनात्मक सह संबंध था। 2 इनमें से कुछ यौन शिक्षा में उपलब्धि बढ़ाते रहे। इस अध्ययन के निष्कर्ष थे - 1 उच्चतर माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं का यौन शिक्षा के विषय में जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक हैं। 2 यौन शिक्षा की उपलब्धि स्तर विभिन्न पाई गई।

वी डी (2007) द्वारा शोध अध्ययन 'यौन शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिकाओं में बढ़ती हुई जागरूकता' किया गया। जिसके उद्देश्य थे - 1 यौन शिक्षा शिक्षक की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। इस अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार थे - 1 यौन शिक्षा के अभाव के कारण बालक एवं बालिकाओं में गलत प्रभाव पड़ता है जिससे उनको भविष्य में होने वाली कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः बालक एवं बालिकाओं को यौन शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रखा जाये।

पारीक, पंकज (2010), द्वारा शोध अध्ययन 'माध्यमिक स्तर

के विभिन्न विद्यालयों के वातावरण का बालक एवं बालिकाओं की संस्कृत उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे- 1 विद्यालयों के वातावरण के आधार पर सरस्वती विद्या मंदिर देवास एवं सेंट थाम एकेडमी देवास के वातावरण में सार्थक अंतर पाया गया। सरस्वती विद्या मंदिर का वातावरण से सेंट थॉम एकेडमी की तुलना में सार्थक एवं उच्च स्तरीय पाया गया। 2 संस्कृत उपलब्धि के संदर्भ में विभिन्न विद्यालयों में सार्थक अंतर पाया गया। सरस्वती विद्या मंदिर देवास के बालक एवं बालिकाओं की संस्कृत उपलब्धि एवं सेंट थाम एकेडमी देवास के के बालक एवं बालिकाओं की संस्कृत उपलब्धि में सार्थक उच्च स्तरीय पाई गई। 3 सरस्वती विद्या मंदिर देवास के बालक एवं बालिकाओं की संस्कृत उपलब्धि एवं वातावरण एवं सेंट थाम एकेडमी देवास के के बालक एवं बालिकाओं की संस्कृत उपलब्धि एवं वातावरण में सार्थक उच्च स्तरीय पाई गई।

औचित्य - विद्यार्थी किसी भी समाज का महत्वपूर्ण सदस्य होता है। किसी भी समाज की उन्नति या अवनति में उसके बौद्धिक विकास चेतना का विस्तार एवं नवीन ज्ञान अर्जन पर बहुत निर्भर करता है। यह पिछड़ा हुआ एवं अज्ञान के अंधकार में भागता रह जाये, उससे समाज का उत्थान संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि हमारे देश के बालक एवं बालिकाओं को यौन शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि यौन शिक्षा की अनिवार्यता के द्वारा ही वर्तमान में हमारे देश के विद्यालयों के बालक एवं बालिकाओं की क्या राय है? वर्तमान के बदलते परिवेश में हिन्दी, अंग्रेजी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है, जबकि यौन शिक्षा को किसी भी रूप में शामिल नहीं किया गया है। जबकि यौन शिक्षा को अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिये था। इसके लिये विद्यार्थी, शिक्षक एवं प्राचार्य के अभिमत को जानना अति आवश्यक है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस क्षेत्र में चुनाव किया गया।

समस्या कथन - 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत का अध्ययन'

उद्देश्य - उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत का अध्ययन करना
परिकल्पना - उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत में सार्थक भिन्नता नहीं पाई गई।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किया गया। अतः समय एवं सीमित साधनों में परिणाम प्राप्त किये गये। इस शोध कार्य में बासवाडा शहर में संचालित प्राइवेट विद्यालय के सत्र 2015-17 के कक्षा 11 वी 12 के 75-75 कुल 150 बालक एवं बालिकाओं को लिया गया।

उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में स्व-निर्मित अभिमततावली का प्रयोग किया गया है जिसमें 25 प्रश्न थे, जिनका उत्तर हाँ/ नहीं में देना था।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। इसलिये अनुसंधान की प्रकृति और प्रस्तावित उद्देश्यों को दृष्टिगत

रखकर समस्या के समाधान हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रभावी उपयोग किया गया है। क्योंकि यौन शिक्षा की अनिवार्यता में शैक्षिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि सर्वोपयोगी है।

उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत के अभिमत का स्तर प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत का अध्ययन करना' था। इस संदर्भ में बासवाडा शहर से प्राइवेट विद्यालय के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के बालक एवं बालिकाओं से यौन शिक्षा की अनिवार्यता से संबंधित कथनों के प्रति सहमति/ असमति ली गई। सहमति को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया - उच्च, मध्यम और निम्न। बालक एवं बालिकाओं की सहमति/असहमति के स्तर के अनुसार विवरण तालिका क्रमांक 1.0 में दिया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 1.0 : बालक एवं बालिकाओं के अभिमत का स्तर

विद्यार्थी	N	M	SD	t' value	df	Inference	Level of Sig.
बालक	75	56.44	8.55	5.53	148	Significant	.01
बालिकाएँ	75	45.36	5.23				

तालिका 1 से पता चलता है कि प्राइवेट विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत का t का मान 5.53 है, जो df=148 के सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना 'उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं के अभिमत में सार्थक भिन्नता नहीं पाई गई।' निरस्त की जाती है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर होगा। प्राइवेट विद्यालय के बालकों के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत का माध्य फलांकों का मान 56.44 हैं, जो बालिकाओं के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत के माध्य फलांकों के मान 45.36 से सार्थक रूप से ज्यादा है। अर्थात् बालकों का यौन शिक्षा की अनिवार्यता के प्रति अभिमत बालिकाओं की तुलना में अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्राइवेट विद्यालय की बालकों का यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत का स्तर बालिकाओं के यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत के स्तर से सार्थक रूप से ज्यादा है।

शैक्षिक निहितार्थ - विभिन्न विद्यालयों के वातावरण का बालक एवं बालिकाओं की यौन शिक्षा की अनिवार्यता के अभिमत पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा तथा विद्यालय के वातावरण में सुधार किया जा सकेगा।

किसी भी क्षेत्र में किये गये शोध कार्य उसकी वर्तमान में उपयोगिता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। इसकी उपयोगिता शिक्षकों के लिये हो या बालक एवं बालिकाओं के लिये पालकों के लिये या फिर सामान्य व्यक्तियों के लिये हो, उसका निहितार्थ आवश्यक है। इस शोध कार्य द्वारा शिक्षक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं की संकुचित मानसिकता को बदलते हुये उनमें यौन शिक्षा की अनिवार्यता के प्रति जागृत करेंगे। जिससे उनकी विचारधार में बदलाव लाया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राजा, नमिता, 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन' अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध अध्ययन, एम के कालिया शिक्षा अनुसंधान संस्थान युनिवर्सिटी रोहतक 2015.
2. बेरी एवं बेर, नीमिशा एवं अनुप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब
3. अग्रवाल, जे.सी. (1996), एजुकेशन रिसर्च एन इन्ट्रोडक्शन, आर्य बुक डिपो, न्यू दिल्ली।
4. <http://www.education.edu>
5. <http://www.education.nic.in>

जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ. सीताराम सिंह तोमर * विनोद कोली **

प्रस्तावना - जनांकिकीय अवधारणा - जनसंख्या वृद्धि ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं के साथ ही पर्यावरण व्यवस्थाओं में भी असंतुलन उत्पन्न कर दिये है। अत्यधिक अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण सन् 1900 से प्रारंभ होकर सन् 2000 तक तेजी से वृद्धि हुई है। जहाँ सन् 1900 में विश्व की कुल जनसंख्या केवल 1.6 बिलियन थी जो कि 1950 में बढ़कर 2.5 बिलियन (1 बिलियन = 100 करोड़) हो गई तथा सन् 2000 में 6.0 बिलियन से भी अधिक हो गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाये गए मानव विकास सूचकांक के अनुसार वर्ष 1900 में विश्व का कुल उपभोग 1.5 ट्रिलियन डालर था जो कि वर्ष 1950 में बढ़कर 4.0 ट्रिलियन डॉलर हो गया तथा इसी क्रम में और आगे समय निकलता गया वर्ष 2000 में 25 ट्रिलियन डालर (1 ट्रिलियन = 100 बिलियन) हो गया। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण दिनो-दिन वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है जिसके सीधे प्रभाव पर्यावरण पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

भारत में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.9 प्रतिशत निवास करती है। वर्ष 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी तथा वर्ष 1981 में बढ़कर यह 64.4 करोड़ एवं 1991 में 84.6 करोड़ के लगभग हो गई।

भारत को अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सन् 2001 में (मार्च 2001) 102.7 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 के अंत तक 113.50 करोड़ से अधिक हो गई। भारत में अगर जनसंख्या की वृद्धि दर यही रही तो वर्ष 2026 तक भारत की जनसंख्या 141.1 करोड़ से अधिक पहुँच जाने की संभावना है।

जनसंख्या वृद्धि का देश के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक ओर जनसंख्या में वृद्धि से देश में भूमि, जल, पशुधन और वनस्पति आदि के संतुलन बिगड़ते हैं वहीं दूसरी ओर सिंचाई, रसायनों एवं उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।

उद्देश्य :-

1. जनसंख्या वृद्धि समकों की सहायता से पर्यावरण प्रदूषण की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
2. जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण की क्षति हेतु संरक्षण की आवश्यकता को बताना।

प्रकल्पना :-

1. जनसंख्या वृद्धि के बदलते परिस्वरूप से पर्यावरण प्रदूषण का

विश्लेषण करना।

2. जनसंख्या वृद्धि से हो रही पर्यावरण की क्षति हेतु संरक्षण की आवश्यकता को बतलाना।

शोध प्रविधि - जनांकिकीय वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभावों से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है, एकत्रित जानकारी पूर्णतः द्वितीय समकों पर आधारित है। शोध से संबंधित प्रकाशनों, रिपोर्टों एवं पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों तथा विभिन्न पुस्तकों एवं इन्टरनेट के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

जनसंख्या तथा विकास - भारतीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष जनसंख्या 2.2 करोड़ के लगभग वृद्धि होती है। यह आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। अतः प्रतिवर्ष एक नये आस्ट्रेलिया का निर्माण जनसंख्या में वृद्धि का सूचक है।

भारतीय जनसंख्या के आकार की स्थिति :

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	एक दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत	जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर
1961	43.9	+ 21.64	+ 1.96%
1971	54.8	+ 24.80	+ 2.20%
1981	68.3	+ 24.66	+ 2.22%
1991	84.3	+ 23.86	+ 2.14%
2001	102.7	+ 21.34	+ 1.93%
2011	121.01	+ 17.64	+ 1.72%

स्रोत :- प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य अध्ययन अर्थव्यवस्था पृ.क्र. 28।

भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या - भारत देश ग्रामीण जनसंख्या प्रधान देश है। सन् 1971 में देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में तथा 19.9 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जहाँ 1911 में देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण तथा 10 प्रतिशत शहरी थी। अब यह क्रमशः सन् 1981 में शहरी जनसंख्या 23 प्रतिशत तथा ग्रामीण 77 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसके आधार पर आकलन किया जाए तो लोगों की प्रवृत्ति में शहरीकरण की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या तथा विकास का पर्यावरण पर प्रभाव - जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विगत 50 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 3.5 बिलियन से अधिक हो गई है। बढ़ी हुई जनसंख्या का अधिकांश 85 प्रतिशत वृद्धि

विकासशील अर्थव्यवस्था में हुई है।

ग्रामीण जनसंख्या एवं पर्यावरण - विकासशील देशों में कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या दुगुनी हो गई है, यह समस्या पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी विद्यमान होती है।

पर्यावरण परिवर्तन मानव समाज के सामने एक विकराल समस्या का सूचक है। विकासशील देशों की जनसंख्या इसकी पीड़ा से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि इन देशों के अधिकांश लोगों की आजीविका एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए कृषि, वानिकी, मत्स्य व्यवसाय आदि व्यवसायों पर सीधे निर्भर होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण तत्व अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अल्प विकसित देशों में पर्यावरण क्षति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है।

शहरी जनसंख्या एवं पर्यावरण - ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे सतत् पलायन से शहरीकरण का विस्तार होता जा रहा है। शहरीकरण के लोभ से पर्यावरण भी दूषित होने से अछूता नहीं रहा है। बढ़ती जनसंख्या ने इन क्षेत्रों में न्यून जीवन स्तर, निम्न आवासीय व्यवस्था, गन्दी बस्तियों में भीड़-भाड़, स्वच्छ पीने के पानी का अभाव, पानी विकास हेतु नालियों की अपर्याप्तता आदि होती है। गन्दी बस्तियों में एक तिहाई शहरी परिवार सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग कर पाते हैं। गन्दी बस्तियों के निवासियों को खुले में शौच के लिए मजबूर जाना ही पड़ता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2003 के अनुसार विकासशील देशों में एक तिहाई से अधिक शहरी जनसंख्या गन्दी बस्तियों में निवास करती है।

शहरीकरण से शहरों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है और इससे जल, वायु, ध्वनि आदि प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। शहरीकरण से जहां अनेक उद्योग-धंधे शहरी बस्तियाँ स्थापित हुए हैं वहीं यातायात के लिए ट्रक, बस, मोटरगाड़ियाँ, स्कूटर आदि का उपयोग करते हैं। इसी के साथ शहरों से निकलने वाला जल-मल भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है।

जनसंख्या दबाव के कारण वनों को काटकर खेती की जा रही है इसी के साथ-साथ रेलमार्गों, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना तथा मानवीय बस्तियों को बसाने हेतु वनों की अंधाधुन्ध कटाई की जा रही है। वनों की अंधाधुन्ध कटाई से वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। वनों की कटाई का क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि मानव को स्वच्छ जल, वायु आदि मिलना तो दूर की बात है स्वयं खुद घुट-घुट कर मरने को मजबूर होगा और इसी के साथ मरुस्थलों का फैलाव होना, उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जाएगी तथा वायु वेग ज्वार, भाटा अनियन्त्रित हो जाएंगे कुल मिलाकर पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा।

जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी मांग को देखते हुए अर्थव्यवस्था का विकास होना स्वाभाविक क्रिया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं की मांग में ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ी है जो कि सीधे-सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। जैसे - फ्रीज, ए.सी., कोल्डस्टोरेज आदि के उपभोग से वलोरो-फ्लोरा का उत्सर्जन होता है जिससे बढ़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता - जनसंख्या वृद्धि के कारण सम्पूर्ण संसाधनों का अंधाधुन्ध उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण इनकी मात्रा में प्रतिदिन कमी होती जा रही है। खेती योग्य भूमि को अनुपजाऊ बनाने, वनों की कटाई एवं विनाश करने तथा प्राकृतिक चक्रवातों में परिवर्तनों का पर्यावरण से गहरा संबंध होता है। मानव समाज को स्वयं जागरूक होकर

अपने आस-पास के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं गन्दगी आदि नहीं फैलाऊंगा तो पर्यावरण को काफी हद तक प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।

बढ़ती जनसंख्या के दबाव को देखते हुए उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया जा रहा है। अगर पर्यावरण को बचाए रखना है तो **दोहन करें लेकिन अति दोहन नहीं।** प्रकृति द्वारा उत्पादनीय एवं पुनःउत्पादनीय संसाधन प्रदान किये जाते हैं। उत्पादनीय संसाधनों के अति दोहन से संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की संकट की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने की अति आवश्यकता है। इसी क्रम में पुनःउत्पादन संसाधनों के संबंध में अगर कहा जाए तो उपयोग भी आवश्यकता पड़ने पर करें एवं शेष संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित रखें तो वे मानव जीवन को स्वावलम्बन बना देंगे।

भविष्य की स्थिति को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की अति आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति की लहर समस्त विश्व में फैल गई है। नवीन प्रौद्योगिकी एवं यंत्रिकरण से कृषि, उद्योग, व्यापार एवं संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप संसाधनों के अतिशोषण की प्रतिस्पर्धा समस्त विश्व में फैल गई है तो ऐसी स्थिति में संसाधनों के अतिशोषण को रोका नहीं जा सकता है लेकिन उनके उपयोग करके उनको संरक्षित किया जा सकता है ताकि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है यह तो अब विश्व स्तर की समस्या बन गई है। पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण हास, प्रदूषण और संसाधन शोषण से हुए विनाश की विकराल समस्या अब संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना अतिआवश्यक है।

समस्या :

1. जनसंख्या वृद्धि से आवासीय समस्या तथा गन्दी बस्तियों के विस्तार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या।
2. जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंधाधुन्ध वनों की कटाई हो रही है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित की समस्या हो रही है।
3. जनसंख्या वृद्धि के कारण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नये-नये कारखानों, उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण की अत्यन्त क्षति हो रही है।
4. जनसंख्या वृद्धि के कारण इनके भरण-पोषण के लिये अत्यधिक खाद्य सामग्री की आवश्यकता के कारण नये-नये किस्म की उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण भूमि प्रदूषण की समस्या हो रही है।

सुझाव :

1. पर्यावरण की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निरन्तर पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था करना।
2. पर्यावरण चेतना जागृत करना एवं पर्यावरण शिक्षा का प्रसार माना।
3. विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण संरक्षण हेतु समन्वय स्थापित करना।
4. पर्यावरण के संरक्षण हेतु विभिन्न पक्षों पर सम्मेलन/संगोष्ठी एवं शोधकार्य को बढ़ावा देना।
5. संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से विदोहन एवं लाभांश पर मानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना।

6. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु विभिन्न संस्थागत साधनों द्वारा आदि के मानव समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।

निष्कर्ष - प्रकृति के आवरण को देखा जाए तो जिसमें अत्यधिक सहनशक्ति है अर्थात् मजबूत पारिस्थिति तन्त्र है। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रकृति संयोजन स्वतः स्थापित करती है। मानव का यह कर्तव्य है कि प्रकृति को सहयोग देकर पर्यावरण को संरक्षित करें तथा प्रदूषण से पृथ्वी की रक्षा करें, तभी हम समाज, राष्ट्र तथा प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. पर्यावरण अध्ययन, डॉ. मिलिन्द्र कोठारी, आर.बी.डी. पब्लिकेशन, नईदिल्ली।
2. पर्यावरण, एच.सी.जैन, नेशनल पब्लिसिंग हाउस, नईदिल्ली।
3. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, डॉ. पी.डी.माहेश्वरी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
4. प्रतियोगिता दर्पण 2016, सामान्य अध्ययन अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में।
5. www.mp.imfo

एस सी/एस टी के विद्यार्थियों के शिक्षा के उत्थान में आदिम जाति कल्याण विभाग का आर्थिक योगदान

बकील सिंह कौशल * सरलेश मोर्य **

प्रस्तावना - शिक्षा का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की संस्कृति के परिप्रक्षय में विकास की अव्यवस्थित अवधारणा से है। चूँकि शिक्षा पर संस्कृति के साथ अन्तर्भूत सम्बन्ध है। इस लिए विशेष कर अनु.जाति/जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग के मानव संसाधन विकास की उन्नति एवं विकास का मूल आधार 'शिक्षा' है, क्योंकि शिक्षा से समाज के हर वर्ग का बहुमुखी विकास होता है।

भारत वर्ष में अनु.जाति/जनजातियों न केवल सामाजिक विकास में पिछड़ी है बल्कि शैक्षणिक रूप से भी अपने स्वयं के विकास में भी पिछड़ी हुई है। जिसके कारण ये जातियों समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाई है। आजादी के पश्चात भारत वर्ष में समाज के इस वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में अनु.जाति/जनजाति बाहुल्य जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। म.प्र. का जिला मुरैना अनु.जाति/जनजाति बाहुल्य होने के कारण शासन एवं प्रशासन द्वारा जिला मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग माध्यम से अनु.जाति/जनजातियों के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। म.प्र. शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा क्रियावित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा अनु.जाति/जनजातियों का न केवल सामाजिक विकास हुआ बल्कि शैक्षणिक आर्थिक आदि बहू विकास हुए है। इसका प्रत्यक्ष विकसित रूप अनु.जाति/जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे है। जिसके परिणामस्वरूप पिछड़ी हुई जातियाँ समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनती जा रही है।

जिला मुरैना की सम्पूर्ण विकासखण्डों में अनु.जाति की जनसंख्या 2001 के अनुसार 335728 है। जो कि कुल जनसंख्या का 21.8 प्रतिशत है। जो कि कुल जनसंख्या की एक चौथाई है। इसी प्रकार अनु.जनजाति की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 12974 है। जो कि कुल जनसंख्या की 0.81 प्रतिशत है।

अनु.जाति/जनजाति की अवधारणा - भारतीय अर्थव्यवस्था में शूद्र कही जाने वाली जातियों को समाज में बाह्यजातीय, अपदृश्य जातियाँ, दलित वर्ग आदि कहा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में सर्व प्रथम साइमन कमीशन ने 1927 में इन जातियों के लिए अनु.जाति शब्द का प्रयोग किया गया, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'शूद्र कौन थे' में लिखा है। कि भारतीय आर्य समय में तीन वर्ण - ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य थे। कालान्तर में कुछ समूह उपनमन संस्कार से वंचित होकर सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत हो गये एवं वैश्य से नीचे की

स्थिति में आ गये इस प्रकार भारतीय शूद्रों की उत्पत्ति हुई। जो कि वर्तमान में अनु.जाति/जनजातियों के नाम से जाने जाते है।

उद्देश्य - उद्देश्यों को निश्चित किया गया है जो कि निम्नानुसार है:

1. अनु.जाति/जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का अनु.जाति/जनजातियों के शैक्षणिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि/क्षेत्र - शोध पत्र में द्वितीय समंकों एवं सूचनाओं के आधार पर विवेचन किया गया है शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के जिला मुरैना में शासन द्वारा संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं का अध्ययन किया गया।

आदिम जाति कल्याण विभाग का अनु.जाति/जनजातियों के शिक्षा के उत्थान में आर्थिक योगदान - म.प्र. का जिला मुरैना अनुसूचित जाति/जनजातियों बाहुल्य है। जिला मुरैना में ये जाति यह शैक्षणिक एवं आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टि से अन्य वर्गों की तुलना में कमजोर है। इस हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास हेतु शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं आर्थिक सहायता आदि के लिये अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये प्रमुख योजनाएँ नीचे निम्नानुसार हैं - **राज्य छात्रवृत्ति योजना** - राज्य छात्रवृत्ति योजना का आशय है कि राज्य में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। म.प्र. शासन एवं प्रशासन विभाग द्वारा जिला स्तर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से इस छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाता है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक राज्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जितना आवंटन, स्वीकृत राशि एवं वितरित राशि प्रदाय की गई उसे निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

तालिका 1 - (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2004-05 में 44123 विद्यार्थियों के लिए 70.00 राशि स्वीकृत की गई स्वीकृत सम्पूर्ण राशि को पूर्ण रूप से वितरित किया

गया। वर्ष 2008-09 में 70500 विद्यार्थियों के लिए 21.16 रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 69328 विद्यार्थियों के लिए 20.24 रुपये की राशि वितरित की गई तथा शेष 00.93 लाख रुपये की राशि विभाग को समर्पित कर दी गया।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना - म.प्र. शासन द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना सन् 1945 से लागू की गई है जिसे आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजातियों के ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा-11 से लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत हैं। जिनमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, विज्ञान आदि शामिल हैं। अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हेतु विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न दर से छात्रवृत्ति तथा फीस दी जाती है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्थिति को वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक जो राशि विभाग द्वारा आवंटित, स्वीकृत, वितरित की गई उसे निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है -

तालिका 2 - (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका 2 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है वर्ष 2004-05 में 900 विद्यार्थियों के लिए 23.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत सम्पूर्ण राशि अध्ययनरत 900 विद्यार्थियों के लिए 23.50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

इसी प्रकार से वर्ष 2008-09 में 8923 विद्यार्थियों के लिए 408.79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जो कि 8101 विद्यार्थियों को 343.12 लाख रुपये की राशि वितरित की गई शेष 65.67 लाख रुपये की राशि विभाग को समर्पित कर दी गई।

समस्या :

- 1, अशिक्षित होने के कारण योजनाओं की जानकारी न होना।
- 2, योजनाओं की प्रक्रियाओं का कठिन होना।
- 3, योजनाओं के लाभ हेतु अपर्याप्त दस्तावेज।

सुझाव :

1. योजनाओं का प्रचार, प्रसार एवं नाटक नुक्कड़ों द्वारा योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना।
2. योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाना।
3. योजनाओं का लाभ लेने हेतु कागजों की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पूर्व में प्रदान करना।

निष्कर्ष - स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष से ही यह अनुभव किया रहा था कि कमजोर वर्गों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़े बिना देश की प्रगति असंभव है और कमजोर वर्गों के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः अनु.जाति/जनजातियों को बहुविकास हेतु शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा का तात्पर्य मानव संसाधन विकास हेतु चेतना है यदि यह चेतना कम होगी तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। शिक्षा सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है शिक्षा का देश के बहुमुखी विकासों में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-


1. विभागीय संक्षेपिका, 2004.05 2006.07 2008.09 आदिम जाति कल्याण विभाग, मुरैना, जिला मुरैना म.प्र.
2. विभागीय पेम्प्लेट, 2005.06 2007.08 2008.09 आदिम जाति कल्याण विभाग, मुरैना, जिला मुरैना
3. विभागीय योजनायें एक परिचय, वर्ष 2003-2004 आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना, जिला मुरैना म.प्र.
4. प्रगति के नये सोपान 2008, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आगे आये - लाभ उठाये 2008 जन सम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश। संदेश 2008 मासिक प्रकाशन जन सम्पर्क संचालनालय जन सम्पर्क भवन, भोपाल।
6. mptrival.gov.in
7. mpinfo.govt.in

तालिका 1 : राज्य छात्रवृत्ति योजना

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत		वितरित		शेष/अन्य विवरण
		राशि	विद्यार्थियों की संख्या	राशि	विद्यार्थियों की संख्या	
2004-05	70.00	70.00	44123	70.00	44123	-
2005-06	128.70	128.70	61068	124.77	59466	03.93
2006-07	134.86	134.86	61734	130.64	59922	04.22
2007-08	145.00	145.00	66196	141.83	64880	03.17
2008-09	21.16	21.16	70500	20.24	69328	00.92
योग	499.72	499.72	303621	487.48	297719	12.24

स्रोत- आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर




तालिका 2 : पोस्ट मेडिक छात्रवृत्ति योजना

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत		वितरित		शेष/अन्य विवरण
		राशि	विद्यार्थियों की संख्या	राशि	विद्यार्थियों की संख्या	
2004-05	23.50	23.50	900	23.50	900	-
2005-06	113.23	113.23	3,733	100.07	3,543	13.16
2006-07	230.44	230.44	5,502	194.42	5,040	36.02
2007-08	261.07	261.07	5,938	259.20	5,703	01.87
2008-09	408.79	408.79	8,923	343.12	8,101	65.67
योग	1037.03	1037.03	24,996	920.31	23,287	116.72

स्रोत- आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर



स्वरोजगारों के श्रजन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का योगदान

सरलेश मोर्य * बकील सिंह कौशल **

प्रस्तावना - जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र किसी भी जिले में उद्योग स्थापना की धुरी है जिले में होने वाली समस्त औद्योगिक गतिविधियाँ सम्बंधित जिला उद्योग केन्द्र के समन्वय से ही संचालित होती हैं उद्योग अथवा स्वरोजगार स्थापना के इच्छुक व्यक्तियों के लाभार्थ शासन द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये। इनके पास जिले से संबंधित वे समस्त जानकारी होती हैं जो नये उद्योगों के लिये मार्गदर्शन का काम कर सकती है जैसे जिले में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधनों की जानकारी, जिले में वर्तमान के संसाधनों की जानकारी, जिले में वर्तमान में स्थापित उद्योगों की जानकारी। इसके साथ-साथ विभिन्न उद्योगों की परियोजना रूपरेखा भी बहुधा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध रहती है।

वर्ष 1978 में राष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्रों के स्थापना की उपरान्त नवीन औद्योगिक वातावरण निर्मित हुआ। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने में जिला उद्योग केन्द्र प्रयास उपादेयक सिद्ध हुये। इस अभिकरण के माध्यम से औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विविध परम्परागत उद्योगों को जहाँ एक और लुप्त होने से बचाया जा सका, वही विविध प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कार्यरत उद्योगों को सबल भी प्रदान किया गया।

'जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र' वास्तव में गंगोत्री है जहाँ से उद्यम की भागीरथी प्रवाहित होना प्रारंभ करती है जब कोई साहसी उद्योग स्थापित करने का विचार मन में लाता है तो उसे साकार रूप देने के लिये सर्व प्रथम वह उन सहयोगी संस्थाओं विभागों और कार्यालयों में जाना प्रारंभ करता है। जहाँ से उसके प्रस्तावित उद्योग की नींव रखी जाना प्रारंभ होती है तो वह इसके पहले यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है कि उसे अपना उद्योग प्रारंभ करने में कौन-कौन सी संस्थायें सहायता दे सकती है।

डा० एम.एन. उपाध्याय के अनुसार- 'जिला उद्योग केन्द्र का आशय एक ऐसी संस्था से है जो उद्यमियों को सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधायें एक ही छत के नीचे से उपलब्ध कराती हैं।'

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण उद्योग परियोजना को सफल बनाने हेतु एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में कम से कम पांच लघु उद्योगों को स्थापित करने का निश्चय किया है। इन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों में सुलभ है। प्रमुख बात यह है कि इन औद्योगिक इकाईयों को प्रारंभ करने वाले स्वयं कारीगर होंगे। लेकिन इन उद्योगों में अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में जिला उद्योग के माध्यम से एक औद्योगिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ इसमें कम पूंजी से उद्योग स्थापित कर अधिकाधिक उत्पादन किया जा

सकता है। तथा गरीब वर्ग के लोगों की आय व जीवन स्तर में सुधार होता है गांव में रोजगार सुलभ होने के कारण गांव से नगरों की और पालयान की प्रवृत्ति में कमी होती है।

उल्लेखनीय है कि जिला उद्योग केन्द्र का वर्तमान नाम जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (District trade And industry centre) हो गया है।

म.प्र. में जिला उद्योग की स्थापना एवं कार्यरत कुल संख्या

क्र.	वर्ष	कुल कार्यरत जिला उद्योग केन्द्र
1	1979	45
2	1989	48
3	1990	48
4	1991	48

वर्ष 1978 में 22, वर्ष 1979 में 23 एवं वर्ष 1989 में 3 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई

उद्देश्य - स्वरोजगारों के श्रजन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित है -

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों को समन्वित विकास
2. रोजगार अवसर
3. पिछड़े क्षेत्रों का विकास

संकल्पना :-

1. स्वरोजगार श्रजन हेतु हितग्राहियों का चयन करना।
2. सहायता प्रदान करने वाली शासकीय एवं सहकारी संस्थाओं का अध्ययन करना।

जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना से रोजगार श्रजन - जब कोई व्यक्ति अपना नया व्यवसाय स्थापित करना चाहता है अथवा व्यवसाय के संचालन हेतु वित्त प्राप्त करना चाहता है, तो उसे विभिन्न विभागों व संस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है तथा अनेक औपचारिकताओं की शर्त करनी पड़ती है। अनेक बार समुचित जानकारी के अभाव में उद्यमी का औद्योगिक इकाई स्थापित करने का सपना अधूरा ही रह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उद्यमी के उद्योगों की स्थापना से संबंधित समस्त जानकारी तथा सुविधायें एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई है जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को जिले के औद्योगिक विकास की धुरी कहा जाता है। जिले की समस्त औद्योगिक क्रियाओं का संचालन एवं विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

मध्यप्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना में यह योजना 1 जून

1978 में लागू हुई क्योंकि इन जिलों में पहले ग्रामीण उद्योग परियोजना, प्रभावशील थी। खण्डवा, भिण्ड, दुर्ग, राजनंदगांव, सरगुजा, राजगढ़, मण्डला, सिवनी एवं छत्तारपुर इन 09 जिलों के अतिरिक्त जिलों में यह योजना 15 जून 1978 को लागू की गई शेष 23 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र वर्ष 1978-80 में खोलने की व्यवस्था की गई। वर्तमान में पूरे मध्यप्रदेश राज्य में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की स्थापना के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है, कि ये जिले के ऐसे उपयुक्त स्थान पर स्वतंत्र भवन में स्थापित किये जायें जिनका फर्शी क्षेत्रफल (फ्लोर ऐरिया) कम से कम 500 वर्गमीटर हो ताकि, केन्द्र में कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारी व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकें तथा सम्पर्क में आने वाले उद्यमियों की समस्याओं को एक छत के नीचे निपटाया जा सके।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ - वर्तमान में जिला व्यापार उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न रोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो निम्नानुसार है :

उद्योग के क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना- उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत इकाईयों की स्थापना हेतु संभावित योजनाओं को नीचे दर्शाया रहा है

तालिका क्रमांक (I)

योजनान्तर्गत उद्योग के क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु संभावित योजनाओं (अनुमानित राशि 2,00,000/-)

क्र.	उद्योगों के नाम	अनुमानित राशि
1	रेडीमेड गार्मेन्ट्स निर्माण	2,00,000/-
2	होजरी निर्माण	2,00,000/-
3	लकड़ी फर्नीचर निर्माण	2,00,000/-
4	स्टील फर्नीचर निर्माण	2,00,000/-
5	प्लास्टिक डिब्बा निर्माण/ खिलौना निर्माण	2,00,000/-
6	ऑयल मिल	2,00,000/-
7	फ्लोर मिल/मशाला निर्माण	2,00,000/-
8	आयरन फेब्रीकेशन	2,00,000/-
9	इन्जीनियरिंग वर्क्स शॉप	2,00,000/-
10	चश्मा निर्माण	2,00,000/-
11	ईट निर्माण (भट्टा)	2,00,000/-
12	दुग्ध से निर्मित उत्पाद	2,00,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना

इस प्रकार से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा संचालित उपरोक्त तालिका में दर्शाया गये 53 उद्योगों में से हितग्राही किसी भी उद्योग को चुन कर उद्योग की स्थापना कर सकता है जिसमें योजना के अन्तर्गत अनुमानित राशि 2,00,000/- तक की सहायता योजना द्वारा हितग्राही को प्रदान की जाती है।

सेवा के क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना - सेवा के क्षेत्र में भी अनेक से संभावित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिनका लाभ उठाकर बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर अपने जीवन को स्वार्णम बना सकते हैं

तालिका क्रमांक (I) : सेवा क्षेत्र में संभावित सेवा क्षेत्र की योजनाएँ

क्र.	इकाई का नाम	अनुमानित राशि
1	STD/PCO/फैक्स	1,00,000/-
2	टाइपिंग एवं शॉर्टहैंड सेन्टर	1,00,000/-

3	बुक वाइडिंग सेन्टर	1,00,000/-
4	टिफिन सप्लास सेन्टर	1,00,000/-
5	ट्रेक्टर सर्विस सेन्टर	1,00,000/-
6	ओडियो कैसिट रिकॉडिंग एवं म्यूजिक सेन्टर	1,00,000/-
7	कृषि यंत्र मरम्मत	1,00,000/-
8	लाइट डेकोरेशन	1,00,000/-
9	डायवलीनिंग एवं लाउन्ड्रीशॉप	1,00,000/-
10	भवन शटरिंग कार्य	1,00,000/-
11	हेयर कटिंग शैलून	1,00,000/-
12	व्यूटीपार्लर	1,00,000/-
13	प्रिंटिंग प्रेस	1,00,000/-
14	काज बटन मशीन	1,00,000/-
15	कोचिंग इंस्टीट्यूट	1,00,000/-
16	बैट्री रिचार्जिंग एवं डायनामा	1,00,000/-
17	रोजगार/स्वरोजगार मार्ग दर्शन ब्यूरो स्थापित करना	1,00,000/-
18	फ्रिज एवं एयर कंडीशनर रिपेयरिंग एण्ड सर्विस सेन्टर	1,00,000/-
19	डीजल इंजन मरम्मत	1,00,000/-
20	ऑटो सर्विस सेन्टर	1,00,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना

उपरोक्त तालिका (I) से स्पष्ट है कि दर्शाये गये सेवा क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने पर योजनान्तर्गत 1,00,000/- तक की अनुमानित सहायता योजना द्वारा सेवा क्षेत्र में संभावित योजनाओं के लिये हितग्राही को प्रदान की जायेगी।

तालिका क्रमांक (I) : योजनान्तर्गत सेवा क्षेत्र में संभावित सेवा क्षेत्र की योजनाएँ

क्र.	इकाईयों का नाम	अनुमानित राशि
1	विडियो ग्राफी/फोटो ग्राफी	1,50,000/-
2	विडियो मिक्सिंग/डविंग	1,50,000/-
3	फोटोस्टेट इलेक्ट्रोस्टेट	1,50,000/-
4	ऑटोरिवशा लोडिंग	1,50,000/-
5	ऑटोरिवशा सवारी	1,50,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना

उपरोक्त तालिका (II) में दर्शाये गये सेवा क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने पर योजनान्तर्गत 1,50,000/- तक की अनुमानित सहायता योजना द्वारा सेवा क्षेत्र में संभावित योजनाओं के लिये हितग्राही को प्रदान की जायेगी।

तालिका क्रमांक (III) : योजनान्तर्गत संभावित सेवा क्षेत्र की योजनाएँ

क्र.	इकाईयों का नाम	अनुमानित राशि
1	सायकल स्टोर्स एवं मरम्मत कार्य	2,00,000/-
2	कम्प्यूटर/इन्टरनेट सेन्टर	2,00,000/-
3	टेन्ट हाउस	2,00,000/-
4	वर्तन हाउस क्राकरी सेवा	2,00,000/-
5	सूअर पालन/बकरी पालन	2,00,000/-
6	पोल्ट्री फार्म/बटेर पालन	2,00,000/-
7	कम्प्यूटर सर्विस सेन्टर	2,00,000/-

8	बैण्ड पार्टी/आर्केस्ट्रा	2,00,000/-
9	हेल्थ क्लब सेन्टर	2,00,000/-
10	ट्यूबवेल वोरिंग	2,00,000/-
11	टूली निर्माण/मरम्मत	2,00,000/-
12	होटल ढावा/रेस्टोरेन्ट	2,00,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना
तालिका क्रमांक (III) में योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न संभावित सेवा योजनाओं को दर्शाया गया है। विभिन्न सेवा योजनाओं के अन्तर्गत इकाई स्थापित करने पर हितग्राही को योजना द्वारा रुपये 2,00,000/- तक अनुमानित राशि की सहायता प्रदान की जायेगी।

तालिका क्रमांक (IV) : योजनान्तर्गत संभावित सेवा क्षेत्र की योजनायें

क्र.	इकाईयों का नाम	अनुमानित राशि
1	मोटर रिबाइंडिंग एवं मरम्मत	5,00,000/-
2	मारुती सर्विस सेंटर एवं स्पेयर पार्ट्स /भागीदारी	4,00,000/-
3	स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस /मिनी आफसेट	2,50,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना
इस प्रकार विभिन्न उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न इकाईयों की स्थापना के लिये योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को भिन्न-भिन्न अनुमानित राशि की सहायता प्रदान की जाती है।

व्यवसाय क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना हेतु संभावित योजनायें :-
योजनान्तर्गत व्यवसाय के क्षेत्र में भी बेरोजगार आवेदकों के लिये विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के लिये भी योजना द्वारा अनेक संभावित योजनाओं चलाई जा रही है। जिनका लाभ उठा कर हितग्राही अपनी जीविका कमा सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना के लिये योजनान्तर्गत अनुमानित राशि की सहायता हितग्राही को प्रदान की जाती है। नीचे तालिका में व्यवसाय के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक (I) : योजनान्तर्गत व्यवसाय हेतु संभावित योजनायें

क्र.	इकाईयों का नाम	अनुमानित राशि
1	पान सेन्टर	50,000/-
2	फल एवं सब्जी विक्रय	1,00,000/-
3	किराना स्टोर/जनरल स्टोर	1,00,000/-

4	मेडिकल स्टोर	1,00,000/-
5	सायकल स्टोर	1,00,000/-
6	आटोस्पेयर पार्ट्स	1,00,000/-
7	ट्रेक्टर स्पेयर पार्ट्स	1,00,000/-
8	वनोपज विक्रय केन्द्र	1,00,000/-
9	विल्डिंग मटेरियल	1,00,000/-
10	चूड़ी व्यवसाय	1,00,000/-
11	इलेक्ट्रिक गुड्स व्यवसाय	1,00,000/-
12	प्रोविजनल स्टोर	1,00,000/-

स्रोत:- जिला व्यापार उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना
उपरोक्त तालिका क्रमांक (I) में व्यवसाय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इकाईयों को दर्शाया गया है। उपरोक्त इकाईयों में से हितग्राही किसी भी उद्योग को चुन कर उसकी स्थापना कर सकता है।

निष्कर्ष- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सुविधायें उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय संस्था है इस केन्द्र से उद्योग निदेशालय, वित्त निगम औद्योगिक एवं विनियोग निगम, लघु उद्योग निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राज्य विद्युत मण्डल आदि का संबंध स्थापित किया गया है ताकि लघु उद्यमियों एवं कामगारों को उपर्युक्त संस्थाओं में से मिलने वाली समस्त सुविधायें इन केन्द्रों के माध्यम से सुलभ कराई जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विभागीय पत्रिका, दीनदयाल रोजगार योजना, 2004.05 2005.06 2006.07 2007.08 2008.09 वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, उद्योग संचालनालय, भोपाल म.प्र.
2. विभागीय पेम्प्लेट, 2004.05 2005.06 2006.07 2007.08 2008.09 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना, जिला मुरैना
3. उद्यमी दिग्दर्शिका, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भोपाल
4. लघुउद्योग समाचार, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भोपाल
5. गंगेल डॉ. अरुण /मिश्रा/जैन, उद्यमिता विकास 2005 म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
6. mpindustries.in
7. mpinfo.govt.in

निमाड़ी लोक जीवन का गैर जनजातीय जनसंख्या के परिप्रक्ष्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. नन्दा मोरे *

प्रस्तावना - भारत के हृदय मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग का क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। यह क्षेत्र नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तारी सीमा पर विन्ध्य कगार तथा दक्षिणी सीमा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। वर्तमान निमाड़ चार जिलों में विभाजित है। इनमें से एक भाग खण्डवा एवं बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़ और दूसरा भाग खरगोन एवं बड़वानी, पश्चिम निमाड़ कहलाता है।

निमाड़ी समाज का जीवन शांतिप्रिय और धार्मिकता से ओत-प्रोत है क्योंकि यहां की भूमि संत महात्माओं की कर्मभूमि रही है। जो कि यहां के लोगों के जीवन में सात्विकता के साथ ही मिठास भी घोलती है। निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यन्त ही समृद्ध और गौरवशाली है।

निमाड़ के लोक जीवन में सामाजिक स्वरूप को बुनने वाली महत्वपूर्ण जातियों में ब्राम्हण (नारमदीय, मालवीय, बाविसा, चौबिसा, गौड़, सनाढ्य, नागर) वैश्यों में अग्रवाल, पालीवाल, खण्डेलवाल, धाकड़, श्रीमाली, नीमा, दशोरा, माहेश्वरी आदि प्रमुख हैं। राजपूत निमाड़ में प्रायः सभी जगह निवास करते हैं। उसका प्रमुख कारण निमाड़ में कभी राजपूतों का शासन रहा है। राजपूत अपने आपको राजवंशीय क्षत्रीय मानते हैं। राजपूत अब शासक नहीं है। फिर भी दरबार, मण्डलाई, पटेल अथवा ग्राम मुखिया अवश्य कहे जाते हैं। यहाँ के राजपूतों में सिर्वी, कुशवाहा, मारु आदि प्रमुख हैं। निमाड़ लोक समाज की अन्य जातियों में गूजर, अहीर, भारुड़, गवली, माली, सुतार, सुनार, लोहार, नाई, दर्जी, तेली, तम्बोली, लखारा, कुम्हार, कसारा, पींजारा, बैरागी, बलाई, चमार, मेहतर, भंगी, मांग, मोची, कोली, कोटी, कोटवार, खंगार, खटिक, सिलावट, आल्या, पारधी, कालबेलिया, झमराल आदि हैं।

निमाड़ी समाज में मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियों के लिए कुम्हार, लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए लोहार, बांस की वस्तुओं के लिए झमराल वस्त्रों के लिए खटिक मारु, मोमिन, कोष्ठा, पत्थर की कलात्मक मूर्तियों के लिए कसारा, स्वर्ण, चाँदी के कलात्मक आभूषण के लिए सोनी, लाख की वस्तुओं के लिए लखारा, काँच की चूड़ियों के लिए मनियार, कपड़े सीने के लिए दर्जी, गाड़ी-तकिया भरने वाले पींजारा, जूते चप्पल बनाने के वाले चमार आदि अनेक जातियों के लोग अपने-अपने पारम्परिक कलात्मक व जातिगत व्यवसाय में लगे हुए हैं। यद्यपि निमाड़ हिन्दू बहुलवादी है, परन्तु मुस्लिम लोगों की बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है। मुस्लिम धर्मालम्बियों में पींजारा, नायडा, पगन, शेख, सैयद, मामिन, कसाई, रंगारे, बोहरे आदि सभी निमाड़ में रहते हैं।

निमाड़ी समाज का लोक जीवन इतना सरल व मधुर है कि आप यहाँ कभी भी आईए एक आत्मीयजन की तरह स्वागत पायेंगे। वह अपने यहाँ आने वाले का ही नहीं बिदा होने वाले मेहमानों को भी 'अरु आवजा' याने

पुनः और आईएगा कहकर विदा करता है। निमाड़ी लोक के सामाजिक जीवन के पहलू में यह देखने को मिलता है कि यहाँ के गाँवों का आदमी कम पढ़ा लिखा भले ही हो लेकिन सुसंस्कृत है। वह विश्वास में बह जाता है, धर्म पर झुक जाता है। सबकी सहता है पर शिकायत नहीं करता। सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह थक कर नहीं बैठता, झुककर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति और परिश्रम में से आनंद खोज लेता है। दुख का पहाड़ आ जाये या सुख की क्षीण रेखा वह सदा मुस्कराता है।

निमाड़ के समाज में पुरुष सादा परिधान सफेद धोती कुरता पसन्द करते हैं और महिलाओं में लंहगा, साडी और कन्चुकी पहनने का रिवाज है। यहाँ के खान-पान में भी सादगी दिखाई देती है। मुख्य भोजन मक्का या ज्वार की रोटी और मूंग या तुवर से बना साग है। अम्बाडी की भाजी और मक्के की रोटी भी गांव के लोगों को प्रिय है। शाम के समय ज्वार, गेहूँ से बना दलिया, मक्के की राबडी और छाछ पीना पसन्द है। दोपहर के भोजन में मौसम के अनुकूल हरी साग सब्जी भी शामिल रहती हैं। यहां की नारी के सौंदर्य प्रसाधनों में आभूषणों को सम्पत्ति के श्रृंगार और विपत्ति के आहार बताया गया है। आभूषणों को गहना, जेवर, दागिना कहने का भी चलन है। निमाड़ अंचल में राम, कृष्ण और शिव की उपासना समान रूप से की जाती है। हर गाँव में रामभक्त हनुमान की प्रतिमा स्थापित की जाती है और घर-घर में बालरूपी कृष्ण को पूजा जाता है। धर्म का, धार्मिक परम्पराओं का और लोक उत्सव व त्यौहारों का निमाड़ के जनजीवन पर पूरा प्रभाव है। निमाड़ के अधिकांश निवासी हिन्दू है। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, गणेश, नर्मदाजी, भीलटबाबा, गायमाता, गंगामाता आदि उसके प्रमुख देवता है।

निमाड़ के सामाजिक लोकजीवन में व्रत, उत्सव, पर्वों की फसल हमेशा लहराती रहती है। यहाँ व्रत, पर्व, उत्सव आदि का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। चैत्र मास से फाल्गुन मास तक पूरे बारह मास लगभग पचास से भी अधिक व्रत, पर्वादि मनाने की परम्परा है। जिनमें श्रीहाटकेश्वर जयन्ती, झेंडो (रंग पंचमी), गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयन्ती, आखातीज, डोडबोकई अमावस, वडसावित्रीपूज, गंगादसेरो, देवसोवनी ग्यारस, जिरोती अमोस, नागपंचमी, इरपस, राखी, पोको, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचम, हलछट, औंकार आठव, सांझा पुलई, सोलह श्राध्द, नरवत, नौ दुर्गा, दसेरो, शरद पूर्णिमा, करवाचौथ, चौला बारस, धनतेरस, नरक चौदस, दिवालाई, गोरधनपूजा, भाईदुज, देवउठनी ग्यारस, वैकुण्ठ चौदस, संकरात, बसन्त पांचो, धन की पुन्वय, काठी, शिवरात, होलई आदि। लोक साहित्य को लोकगीत, लोककथाएँ, लोकनाट्य और लोकोक्तियों में बांटा जा सकता है। इन सभी चारों विधाओं में निमाड़ी साहित्य के गवाक्ष चौतरफा खुलते हैं। चारो विधाएँ निमाड़ी लोकजीवन में जीवन्त व प्रासंगिक है।

निमाइ के लोक गीतों पर विन्ध्याचल, सतपुडा व नर्मदा मैया और प्रकृति का पूरा प्रभाव पडा है। संत सिंगाजी ने भक्ति की बड़ी ही सुखद निर्झरणी अपने महान जीवन व गीतों द्वारा निमाइ में बहाई है। सिंगाजी के गीतों के समान निमाडी लोक गीतों के दूसरे श्रेष्ठ परिचायक गणगौर के गीत है। निमाडी गणगौर के गीत भी विश्व लोक साहित्य की अनुपम निधि है। निमाइ अंचल की लोककथाएँ लोकमानस की उपज है, जो अपने कथ्य से, अपनी रोचकता से, अपने कौतुहल से, अपने मनोरंजन से, श्रोता तथा पाठकों के मन को बांध लेने में पूरी तरह सक्षम है तथा इनमें निमाइ के लोकजीवन का सामाजिक परिचय भी लक्षित होता है।

निमाइ में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, कारणों से विभिन्न स्थलों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगने वाले मेलों का ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। बच्चे, युवा, बुढ़े सभी वर्ष भर मेला भरने का इन्तजार करते हैं। सम्पूर्ण भारत वर्ष में सर्वाधिक मेले मध्यप्रदेश में ही आयोजित किये जाते हैं और मध्यप्रदेश में सर्वाधिक मेले निमाइ में लगते हैं। यहां के मेले मे लोगों के लिए मनोरंजन के पर्याप्त अवसर व साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पुराने मन्दिरों (जैसे नवग्रह मंदिर, ओंकारेश्वर मन्दिर, देवझिरी मंदिर, बीजासन माता का मन्दिर, मूर्तियों, स्मारकों व नदियों) के निकट वाले स्थलों पर मेला आयोजन का विशेष महत्व है। निमाइ मे मेले सामाजिक समरसता के प्रतीक माने जाते हैं। इनमें सभी धर्म, जाति, सम्प्रदाय के लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर मनोरंजन, पूजा-पाठ, खरीददारी आदि की मस्ती में मेले का आनन्द लेते हैं।

निमाडी समाज के लोक जीवन के केन्द्र में समष्टिगत सत्य को देखा जा सकता है, क्योंकि लोक का प्रत्येक व्यक्ति एक सम्पूर्ण और भरपूर जीवन जीता है। एक गाँव में पैदा हुआ आदमी अपने गाँव की कभी सीमा नहीं लांगता और एक दिन उसी सीमा में मर जाता है। उसे जीवन से कभी शिकायत नहीं रही होती, क्योंकि उसने सभी काम किये जो जीवन में जरूरी थे। नियति का चक्र पूरा हुआ। बिना पढ़े-लिखे लोग भी जीवन के मर्म के पारम्परिक संज्ञान को कुछ इस तरह प्राप्त कर लेते हैं। एक पारम्परिक लोक व्यावहारिकी में सृष्टि का समस्त सच अनुभव के आधार पर लोक का आदमी सीख लेता है अथवा परम्परा से चले आ रहे संज्ञान का आधार भी जीवन के लिए पर्याप्त हो सकता है।

निमाइ के सामाजिक जीवन में लोगों का भोजन ज्वार व मक्का की रोटी है, इनकी जगह अब गेहूँ की रोटीयाँ बनने लगी हैं। ज्वार का उपयोग लगभग बन्द हो गया है, मक्के की रोटीयाँ अब भी यहाँ के भोजन का हिस्सा है। **'ज्वार व मक्के की रोटी व अमाडी की भाजी'** निमाडी लोक संस्कृति की पहचान

के भोज्य पदार्थ है। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। जिन घरों में कच्चा रसोई घर है, वहाँ गोबर व मिट्टी से आज भी रोज लिपा जाता है।

यहां के समाज में कहीं संयुक्त परिवार है और कहीं एकल परिवार है। गाँव में सभी मिलजुलकर एक-दूसरे के काम आते हैं। गाँवो में उत्तराधिकार परम्परागत है। पुत्र घर का मुखिया होता है। दहेज प्रथा कम है। कन्यादान एक संस्कारित कर्म माना जाता है। अस्पृश्यता का भाव गाँवों में अभी है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। निमाइ का लोकजीवन साधारण सादगीपूर्ण और सरल है। जीवन में किसी प्रकार की संघर्षशीलता और दुर्धर्षता का भाव नहीं है। थोड़े में सन्तुष्ट होने का आदी निमाडी जन, ज्यादा की लालच में भी नहीं फँसता। पर कठिनाईयों और श्रम से घबराता नहीं है। निमाडी लोक समाज भाग्य पर भरोसा करता है।

प्रकृति, ईश्वर और सन्त, पीर-औलियाओं पर श्रद्धा रखता है। काम से काम बाकी खूँटी तान के सोने में विश्वास करने वाला निमाइ का व्यक्ति समय से थोड़ा पीछे चलता है। जीवन में पारम्परिक लोक विश्वास की बड़ी जगह है। जादू टोनी, भूत-प्रेत, चुड़ैल, बाहरी बाधाओं, स्थानीय देवी-देवताओं, बड़वा-भोपा, जान-जुगार जैसी प्रवृत्तियों पर लोगों का अटूट विश्वास है। आज भी दोरा-दसी, झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र, तारण मारण आदि क्रियाओं के माध्यम से अधिकांश लोग अपना ईलाज करवाते हैं। टोने-टोटके करते हैं। इस प्रकार की अवधारणाओं का संचार समाज में पारम्परिक रूप से है।

निमाइ का आदमी कहीं भी रहे, वह अपनी संस्कृति और परम्पराओं को संजोकर रखता है। उसकी स्मृति में **अमाडी की भाजी और जुवार की रोटी तथा गणगौर पर्व-गीतों** की पवित्र आनुष्ठानिक अनुगूँजें सदैव रहती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपाध्याय, रामनारायण : लोक साहित्य समग्र, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन, वाराणसी, 1997,
2. निरगुणे, वसन्त : निमाडी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद् का प्रकाशन, भोपाल 2002
3. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण : पश्चिमी निमाइ, जिला गजेटियर विभाग, म. प्र., भोपाल, 1963
4. निरगुणे, वसन्त : निमाडी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद् का प्रकाशन, भोपाल 2002
5. निरगुणे, वसन्त : निमाडी संस्कृति और साहित्य, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद् का प्रकाशन, भोपाल 2002

A literature review of various load balancing algorithms at data center level in cloud computing

Neha Mathur *

Abstract - Cloud computing is the growing technology of large scale distributed computing. It provides on-demand access to distributed resources, which are available in open environment on paid basis. Because almost all the industries now a day's want to use these services to reduce infrastructure and maintenance cost, therefore the load on cloud is increasing day by day. Balancing load is one of the biggest issue that cloud computing is facing today. It simply means that there should be a provision so that no node is overloaded. The load should be distributed fairly among all the nodes. Load balancing also promotes optimal utilization of resources and increase throughput. This paper will discuss about balancing the load in cloud environment, need and advantages of load balancing, challenges in cloud load balancing and existing literature on data center level load balancing algorithms.

Keywords - Cloud computing, load balancing, Virtual Machine (VM), Service Broker, Data Center.

Introduction - Cloud computing is the technology that is growing in popularity now a days. As the technologies are growing day by day, it is really not possible for an enterprise to compete without keeping resources and technologies updated. The adaption of these technologies demands lot of investment on infrastructure which is not feasible for all the enterprises. Cloud computing has solved these problems by providing services on-demand basis that can be accessed through internet on pay-per-use basis. Now a days it is adopted by most of industries, academia, and corporate primarily because of flexibility and ease it provides to use services on demand for hardware or software. It has capability to utilize all kind of resources whether locally or remotely available in cost effective way [1].

Since most of industries, today, wish to use these services to reduce infrastructure and maintenance cost, the load is increases day by day thus making load balancing (Distributing load fairly amongst all nodes) a challenging and important area of study for the researchers.

The objective of this paper is to give a brief and systematic review of popular existing load balancing algorithms in cloud computing.

Organization of rest of the paper is as follow- section - 2 focuses on importance of load balancing and types of load balancing techniques, section-3 describes the challenges in cloud load balancing, section -4 covers Literature survey of existing load balancing algorithms and lastly, section-5 presents the conclusion of this work.

Load Balancing and its need - Load balancing refers to the act of distributing the amount of work that a node/server has to do between two or more nodes/servers in order to get more work done in the same amount of time so that all users get served faster. Cloud load balancing means load

balancing process carried out in cloud computing environment. In Cloud load balancing the workloads are distributed across multiple cloud servers to enhance the overall system performance (increase throughput and reduce response time).

A. Goals of Load Balancing :

The common objectives of load balancers are:

- i. To maintain system firmness
- ii. To improve system performance
- iii. To protect against system failures

B. Advantages of Load Balancing:

Load balancing in cloud offers the following advantages.

- i. Leads to high system throughput
- ii. Minimizes response time, improves Quality of Service (QoS), and thus enhances user satisfaction.
- iii. The system has an increased overall availability.
- iv. Improves resource utilization as resources will neither be over-utilized nor under-utilized.
- v. Cloud consumer's applications work faster and deliver better performance at potentially lower costs.
- vi. Peak loads can be efficiently handled with help of cloud scalability and agility.
- vii. The applications are protected against sudden system outages. If a node fails, its load is shifted to another active node. Thus, providing fault tolerance and business continuity with complete flexibility.
- viii. Reduces energy consumption and carbon emission.

C. Classification of Load Balancing Algorithms - Load balancing can be classified on the basis of the level at which load is balanced. Load balancers can balance load at either VM level or at DC level or both. Figure 1 illustrates the load balancing classification depending upon level.




Figure 1: Load balancing classification depending upon level

a) VM Level - The selection of the VM for a particular workload is done by the load balancer. The load balancer distributes the load in a way that ensures no VM is overwhelmed with requests at one time.

b) Datacenter Level - Above the VM level load balancer, another abstraction level called the service broker, acts as an intermediary between the users and the cloud service providers. The service broker utilizes existing service broker policies to route user requests to the most appropriate data center. The load balancing algorithms that function at the data center level are also called service broker policies.

Challenges in Cloud Load Balancing - Before reviewing the current load balancing approaches for Cloud Computing, the main issues and challenges involved needs to be identified. The challenges to be addressed when attempting to propose an optimal solution to the issue of load balancing in Cloud Computing are discussed here. These challenges are summarized in the following points.

A. Spatial Distribution of the Cloud Nodes - It is a challenge to design a load balancing algorithm that can work for spatially distributed nodes. This is because other factors must be taken into account such as the speed of the network links among the nodes, the distance between the client and the task processing nodes, and the distances between the nodes involved in providing the service [2].

B. Storage/ Replication - A full replication algorithm does not take efficient storage utilization into account and impose higher costs since more storage is needed. Partial replication algorithms could save parts of the data sets in each node based on each node's capabilities such as processing power and capacity [3].

C. Algorithm Complexity - Load balancing algorithms are preferred to be less complex in terms of implementation and operations. The higher implementation complexity would lead to a more complex process which could cause some negative performance issues [4].

D. Point of Failure - Controlling the load balancing and collecting data about the different nodes must be designed in a way that avoids having a single point of failure in the algorithm [5].

Literature Survey - A. Manasrah et al [6] proposed a Variable Service Broker Routing Policy- VSBRP, which is a

heuristic-based technique that aims to achieve minimum response time through considering the communication channel bandwidth, latency and the size of the job.

T. Sharma et al [7] proposed a service broker algorithm with fuzzy logic to enhance the performance parameters. This algorithm is simulated using Matlab and observed results are also compared with the results of existing algorithms. The fuzzy logic based service broker algorithm improves the performance parameters such as response time, data processing time and latency period.

P. Ran et al [8] in their paper presented an improvement in service broker strategy, which enhances the performance of data center. The algorithm runs in two phases. The first phase is preprocessing which takes DC configuration as input and efficiency list is generated as output. The second phase is selection of data center. It takes region, efficiency list and threshold as input and outputs the data center to be selected. When Datacenter controller receives a new request, then the datacenter having highest efficiency would be chosen.

Rekha P.M. and Dr. M. Dakshayini [9] proposed a service broker policy which selects the data center based on peak hours and off peak hours called dynamically reconfigure peak time policy. When the user request is during peak hours the proposed algorithm senses the availability of the closest data center in the nearest region. If those data centers are busy in handling another request, it will transfer the request to the next nearest regional data centers which is in off peak time, reducing the data center processing time. Data center processing time is directly proportional to the Virtual machine cost and total cost for processing. This policy reduces the data processing time to handle the request as it tries to share the load of a data center with other data centers on different regions during peak hours for a pre-defined threshold value and hence quality of service can be improved.

R. Mishra et al [10] proposed a priority based Round-Robin service broker algorithm which distributes the requests based on the priority of data centers and gives better performance than the conventional random selection algorithm.

Dhaval Limbani and Bhavesh Oza [11] proposed extended service proximity based routing policy. In the proposed policy, cost effective routing of user requests to the data center is done.

Emad AISukhni [12] proposed a K-Nearest-Neighbor-Based service broker policy for data center selection in the cloud computing environment. This policy used a list of distinctive features and characteristics for each data center and user's request.

Deepak Kapgate [13] proposed an efficient service broker algorithm for data center selection in cloud computing by combining the advantages of Service Proximity Service Broker and Weighted Round Robin Service Broker Algorithm.

Conclusion - Balancing of load is one of the biggest issue

that cloud environment faces today. The problem deals with ensuring that no single node be overloaded. The load has to be distributed fairly among all the nodes. The main benefits of Load balancing are optimal utilization of resources and increase throughput with lesser energy consumption eventually resulting in green computing.

In this paper, almost ten algorithms that are used for load balancing at data center level proposed by various researchers are reviewed. This work will help all those researchers who are looking forward to balancing load at the data center/service broker level.

References :-

1. Nuaimi, K. Mohamed, N., Nuaimi, M, Al-Jaroodi .A survey of load balancing in cloud computing: challenges and algorithms. In IEEE conference proceedings Network cloud computing and applications (NCCA), London, Dec 2012, pp 137-142.
2. Buyya R., Ranjan R. and Calheiros R. InterCloud: Utility-oriented federation of cloud computing environments for scaling of application services. In 10th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), Busan, South Korea, 2010.
3. Foster I., Zhao Y., Raicu I. and Lu S. Cloud Computing and Grid Computing 360-degree compared. In Grid Computing Environments Workshop, 2008, pp: 99-106.
4. Grosu, D., Chronopoulos A. and Leung M., Cooperative load balancing in distributed system. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2008, 20(16) pp: 1953-1976.
5. Ranjan, R et al. Peerto-peer cloud provisioning: Service discovery and load-balancing. Cloud Computing - Principles, Systems and Applications, 2010, 195-217.
6. Manasrah A., Smadi T. and ALmomani A. A Variable Service Broker Routing Policy for data center selection in cloud analyst. Journal of King Saud University, Elsevier Inc. 2016, vol. 29, pp 365–377.
7. Sharma T., Jain R. and Sharma N., Enhancement in the Performance of Service Broker Algorithm Using Fuzzy Rules. Advances in Computational Sciences and Technology. 2017. Vol. 10 (6), pp. 1621-1634.
8. Ran P. An Enhancement in Service Broker Policy for Cloud-Analyst. International Journal of Computer Applications. April 2015 .Vol. 115 (12), pp 5-8.
9. Rekha and Dakshayini M. Cost Based Data Center Selection Policy for Large Scale Networks. In International Conference on Computation Of Power, Energy, Information And Communication (ICCPEIC), IEEE, 2014.
10. Mishra R., Kumar S. and Naik S., Priority Based Round-Robin Service Broker Algorithm For Cloud-Analyst. In IEEE International Advance Computing Conference (IACC). 2014.
11. Limbani D. and Oza B. A Proposed Service Broker Policy for Data Center Selection in Cloud Environment with Implementation. International Journal of Computer Technology & Applications May-June 2012. Vol 3 (3), pp1082-1087.
12. AlSukhni E. K-Nearest-Neighbor-Based Service Broker Policy for Data Center Selection in Cloud Computing Environment. International Research Journal of Electronics and Computer Engineering, Jul-Sep 2016. Vol 2(3), pp 452-458.
13. Kapgate D. Efficient Service Broker Algorithm for Data Center Selection in Cloud Computing. International Journal of Computer Science and Mobile Computing. January- 2014. Vol.3 (1), pp. 355-365.

Review of novel plastic-to-fuel processing technologies

Vinay Mathur *

Abstract - The vast quantity of plastic waste is still disposed of, either by incineration or through landfill. New age technologies with high efficiency and low operational intricacies are enabling us to divert non-recycled plastics from the landfill by converting them into highly useful fuels and chemical. There is plenty of potential for these technologies to be adopted and optimized according to the regional and other demands across the globe. This paper reviews few of the novel plastic-to-fuel processing technologies.

Keywords: - Pyrolysis, Plastics-to-fuel, waste plastic.

Introduction - Plastic has a significant role to play for a sustainable future. Global production has exceeded 300Mt pa, and this is expected to double in the next 20 years. The Ellen MacArthur Foundation with McKinsey at the World Economic Forum reported in the Global Plastic Packaging Roadmap, that only 14% of plastic packaging is collected for recycling with just 10% actually recycled. The rest, End-of-Life Plastic, goes to landfill (40%), incineration (14%), or shockingly, leaks into the environment (32%).

Plastics recycling continues to increase in the world. While reuse and recycling are the preferred methods of plastics recovery, it is not always possible for all plastics to be recycled. So there is a real need and opportunity to identify viable means of recovering those plastics that are not recycled. For the material that currently ends up in landfills, one option is to convert plastics into usable sources of energy. Many of the plastics that cannot be recycled are viable sources, or feedstock's, for plastics-to-fuel conversion. Plastics-to-fuel technologies use a chemical process (pyrolysis) to change the materials' properties, thereby salvaging and repurposing the energy for use in other products.

The standard plastics-to-fuel process goes something like this :

1. Collect plastics that cannot be recycled.
2. Remove contaminants — such as metal and glass — from the plastics stream.
3. Heat plastics without the presence of oxygen to create gases.
4. Cool and condense the gases into oil, fuels and petroleum products.

Processes may vary slightly, but they can be designed to create fuels and/or new feedstock's for transportation, manufacturing and other industrial uses. The scenario of plastic recycling in developing countries varies vastly with that in the developed one's. The plastic fed as raw material

for recycling is much sorted and uniform in countries as US, UK, Germany etc. Thus the design of technology for these countries is quite reliable. These are few of the novel plastic to fuel processing technologies which have been established the proof-of-concept and are now in the processing of commercialisation in some of the developed countries.

Ventana Ecogreen Inc., USA - Ventana's technology converts end-of-life non-recyclable plastics into high economic value fuels, offering thereby the advantages of:

1. Landfill diversion and saving on disposal costs.
2. Generation of positive cash flows from landfill bound waste.
3. Recovery of calorific energy contained in plastics as high economic value commodity fuel.
4. Diminishing the pace of exhaustion of fossil fuels by offering a supplementary route for petroleum production.
5. Avoidance of GHG emissions associated with conventional drilling, piping and refining of crude oil.

Ventana's patented technology converts mixed waste plastics from consumer, industrial and agricultural waste streams to hydrocarbon fuels that have several applications. The technology helps waste management companies generate substantial cash flows from end-of-life waste plastics while also providing a next life solution to the problem of post-consumer plastics. Ventana has, through four generations of successive development, optimized the process design to achieve 5.8 to 6.4 barrels of liquid fuels per ton of waste plastic. The system achieves upto 95% conversion of waste plastics to liquid fuels and (LPG-like) off gas.

Ventana's technology deploys company's patented self-cleaning process for continuous and automated removal of carbon char from the pyrolysis vessels. Aside, Ventana's technology deploys a multi stage process and proprietary

controls to effect a direct conversion of waste plastics to distillate grade fuels.

The technology converts non-recyclable waste plastics to HyFuel— a high calorific value petroleum distillate having carbon number distribution similar to gasoline (C5 - C10) and diesel (C10 - C21). Hyfuel largely meets the ASTM D975 spec related to Standard Specification for Diesel Fuel Oils. The fuel has high market acceptance and requires no further refining prior to its end use as a drop-in substitute for industrial diesel in boilers and furnaces.

Compared to synthetic-crude generated by competing technologies, fuels generated from Ventana's process are lighter (C5 – C24), have low viscosity (2.7 -3.5 cst) and high GCV (18,900 – 20,340 BTU/lb). The fuels require no further refining and have ready market acceptance as drop-in substitute for industrial diesel for use in boilers and furnaces

Cynar Plc, U.K. - Cynar Plc. is a UK company commercialised its specialised pyrolysis and distillation technology to convert non-recyclable waste plastics into liquid hydrocarbon fuels which is low in sulphur and has a higher cetane number than generic diesel fuel. The process cracks the hydrocarbon chains within the plastics, to produce distilled fuels. The feedstock is chipped to approximately 15mm, producing a plastic flake material. This material is washed (to remove impurities) and dried (to remove moisture). The flakes are fed through a melt-feed system into the chamber, so almost any shape or size of waste plastics can be handled. The system consists of a stock in-feed system, pyrolysis chambers, contactors, distillation, oil recovery line and syngas. During start up, the furnaces are supplemented with either natural gas or LPG, depending on availability. Control of the furnace heat output is modulating, rather than on/off, to maximise the consistency of the product and also as the syngas fuel is produced continuously. The pyrolysis chamber operates on a 24-hour cycle, during which plastic melt is continually fed and pyrolysed.

The pyrolysis process is performed within a heated sealed chamber that has been purged of oxygen. The chamber is fed molten plastic by an extruder, and the plastic is stirred in the vessel by an agitator. Plastics in the chamber continue to be heated and pyrolysed in the absence of oxygen, producing hydrocarbon vapours. The plastic is pyrolysed at 370-420°C, and the pyrolysis gases are condensed in a two-stage condenser to produce a low-sulphur distillate.

The vapour is converted into various fractions, including raw diesel, in the distillation column and the distillates then pass into the recovery tanks. Non-plastic materials fall to the bottom of the chamber. The raw diesel is further refined in another distillation column, where it is distilled into the main three products, road diesel, kerosene and light oil. A synthetic gas is produced as a byproduct. This is manipulated and then cleaned prior to use in the furnaces that heat the pyrolysis chambers, making the system a

closed loop process, improving the efficiency of the process. The facility has an input capacity of 6,000 tpa of waste plastic and an output fuel capacity of about 5.7 million litres per year (yielding a conversion rate of approximately 96 %). The plant converts mixed waste plastics into diesel, kerosene, light oil and a cleaned synthetic gas. The exact recovery ratio and characteristics of the product distillate differs depending on the types of plastics received and the decomposing temperature. The outputs can be directly used as fuels, e.g. the diesel can be mixed with pump diesel (at a ratio of 70% to 30%), to be put directly into vehicles, such as those vehicles that

Cynar claim that their diesel product is cleaner than conventional diesel and of a higher quality. Tests undertaken on the synthetic diesel produced by the Cynar process have demonstrated lower engine emissions of hydrocarbons and CO2 due the increased efficiency of the fuel.

Plastic2Oil Inc., USA - With its revolutionary Plastic2Oil (P2O) technology, Plastic2Oil Inc. has pioneered the development of a process that derives ultra-clean, ultra-low sulphur fuel which does not require further refining, directly from unwashed, unsorted waste plastics. Plastic2Oil advocates environmental sustainability while energizing local economies through the creation of green jobs. The Company's feedstock sources primarily include post-commercial and industrial waste plastic. The P2O processor accepts unwashed, unsorted waste plastic, composites and commingled materials, which are difficult to dispose of and are typically found in industrial waste streams. Optimal feedstock includes polyethylene and polypropylene. The P2O process up to 4,000 lbs. of plastic feedstock per machine per hour.

The plastic is loaded into the pre-melt reactor by a continuous conveyor between the hopper and the reactor. The plastic is then heated using the off-gases produced by the process. After the plastic has been liquified in the pre-melt reactor it passes through a solids-liquids separator before going into the main reactor. In the main reactor, the liquified plastic hydrocarbons are cracked into various shorter hydrocarbon chains and exit in a gaseous state. Plastic2Oil's proprietary catalyst and unique process engineering enables us to capture an average of 86% of the hydrocarbon content of plastic. The Petcoke residue produced at this stage (approx. 2-4%) remains in the processor chamber and is automatically removed while the processor is in operation.

From the main reactor, the gases that are fuel oil and diesel are condensed and separated, then proceed into temporary fuel tanks. All of the gaseous "light fractions" or off-gases (approx. 10-12% of process output), such as methane, ethane, butane and propane, exit the system and are used to fuel the furnaces.

The fuel output is transferred to additional tanks for storage automatically by the system. The automation system controls the conveyor feed rate, manages system temperatures and the off-gas compression systems, as well

as periodically pumping out the newly created fuel to storage tanks.

The conversion ratio for waste plastic into fuel averages 86%. Approximately 1 gallon of fuel is extracted from 8.3 lbs. of plastic. The processor uses its own off-gases as fuel (approximately 10-12% of process output); minimal energy is required to run the machine. Approximately 2-4% of the resulting product is Petcoke (Carbon Black), a high BTU fuel. Emissions are lower than a natural gas furnace of similar size, and the quality of the emissions improve with increased feed rates. The process operates at atmospheric pressure, and is not susceptible to pinhole leaks and/or other problems with pressure and vacuum-based system. The reusable catalyst is produced economically. The fuel produced is refined and separated without the high cost of a distillation tower.

The P2O processor is designed to use minimal amounts of external energy. As well as being beneficial for the environment, this is also a significant factor in the commercial viability of the process. Water is used for cooling only and usage is minimized through recycling the water in a non-contact closed loop. The water is not in contact with the process itself, keeping it clean and uncontaminated. Only fraction of electricity is required to run the fans, pumps and small motors. No electricity is used in the transformation of the plastic to fuel. Natural gas is only used on start-up to heat the reactor – once the processor is running, the reactor is heated with its own off-gases. A facility-wide gas compression system governs natural gas usage throughout

the entire production process. A single processor can produce a range of fuel products, without further refining, including Diesel, Petroleum Distillate, Naphtha, Petcoke (Carbon Black), and Off-Gases to be used in the P2O process.

References :-

1. India, P. and Humphries, M. (2017). New Recycling Process Turns Waste Plastic Into Oil. [online] PCMag India. Available at: <http://in.pcmag.com/news/114361/new-recycling-process-turns-waste-plastic-into-oil>.
2. Recyclingtechnologies.co.uk. (2017). Plastic and the environment | Recycling Technologies. [online] Available at: <http://recyclingtechnologies.co.uk/plastic-and-environment>.
3. Agilyx.com:http://www.agilyx.com/uploads/5/4/0/8/54082989/governing_institute_brief_plastics-to-fuel.pdf.
4. Ventanacleantech.com. (2017). Technology | Ventana Cleantech. [online] Available at: <http://www.ventanacleantech.com/technology.html>.
5. Sogancioglu, M., Ahmetli, G. and Yel, E. (2017). A Comparative Study on Waste Plastics Pyrolysis Liquid Products Quantity and Energy Recovery Potential.
6. Sogancioglu, M., Ahmetli, G. and Yel, E. (2017). A Comparative Study on Waste Plastics Pyrolysis Liquid Products Quantity and Energy Recovery Potential.
7. Plastic2oil.com. (2017). Converting Plastic to Oil. [online] Available at: <http://www.plastic2oil.com/site/home>

भील जनजाति की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

आशीष नीलकंठ *

शोध सारांश - भील जनजाति मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ में निवास करने वाली जनसंख्या बाहुल्य जनजाति है। भील जनजाति के लोगों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष आज भी विकास की मुख्य धारा से वंचित है। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है इसमें काल के अनुसार परिवर्तन होते आये हैं। भील जनजाति की महिलाओं के एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के कारण इनकी स्थिति विकास की मुख्य धारा से दूर है। इनके विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं। भीली महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ-साथ मानव विकास को भी गति मिली है। जनसंचार माध्यमों की शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रति जागरूकता के साथ-साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस शोध-पत्र में भील जनजाति की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन कर उचित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - भील जनजाति, जनसंचार माध्यम।

प्रस्तावना - भील जनजाति की महिलाओं का जीवन एक विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में व्यतीत होता है। आज भी भील जनजाति की महिलाएं समाज की मुख्यधारा से वंचित हैं। मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ में अलीराजपुर जिला एक जनजाति बाहुल्य जिला है, यहाँ पर भील जनजाति अधिक मात्रा में निवास करती है। यहाँ की भील जनजाति की महिलाएं सामाजिक, सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण आधुनिक परिवेश से दूर हैं। सदियों से महिलाओं का जीवन एक समान नहीं रहा है, इनके जीवन में परिवर्तन होते आये हैं। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जनसंचार माध्यम जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक विचारों, तकनीक और अभिरूचियों की शिक्षा देता है, जागरूकता बढ़ाता है, शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाता है। अतः जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। अतः भील जनजाति की महिलाओं तक जनसंचार माध्यमों की उपलब्धता और भील महिलाओं द्वारा उनका उचित प्रयोग, उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का कारण हो सकता है।

भील जनजाति - भील जनजाति से अनेक जनजातियाँ उपजी और विकसित हुई हैं। भील जनजाति का इतिहास ही भीलाला, पटलियाँ और बरेला जाति का इतिहास है। आर. पी. रसल और राजबहादूर हीरालाल का मत है कि द्रविड़ भाषा में धनुष के लिए प्रयुक्त शब्द 'बील' से ही रूपान्तरित होकर भील शब्द अस्तित्व में आया। भीलो की उत्पत्ति के उल्लेख भागवत पूराण, अग्निपूराण, महाभारत व अन्य संस्कृत साहित्य में भी मिलता है।

जनसंचार माध्यम - जनसंचार अंतः वैयक्तिक, अन्तर वैयक्तिक और समूह संचार के बाद संचार का एक विशिष्ट प्रकार है। डेनिस मेकले के शब्दों में संचार में सामान्यतया निहित होती है लेकिन इस सामान्यतया को बनाने में माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन-जन तक संदेशों के सम्प्रेषण जनमाध्यमों के प्रयोग से ही सम्भव है। जन-जन तक संदेशों को जनमाध्यमों

द्वारा सम्प्रेषण की व्यवस्था जनसंचार कहलाती है। जनसंचार जिन माध्यमों के द्वारा किया जाता है वे जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। अतः आमने-सामने के संवाद या बातचीत के बजाय किसी यांत्रिक, तकनीकी या औपचारिक माध्यमों के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है।

जनसंचार माध्यमों के मुख्य प्रकार निम्न हैं।

पारम्परिक माध्यम - भारत में काफी लम्बे समय से ही संचार होता आ रहा है। पारम्परिक माध्यमों में मुख्यतः वार्ता, कथा, मेला, उत्सव तथा पर्व, लोकनाट्य, लोककथाएँ, मूर्तिकला, वास्तुकला ललित कलाएँ आदि हैं।

मुद्रित माध्यम - जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित माध्यम सबसे पुराना है। 14 वीं शताब्दी में जोहान्स गुटनबर्ग ने प्रिंट प्रेस का आविष्कार किया। समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ मुद्रित माध्यमों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं।

विद्युत संचालित माध्यम - विद्युत संचालित माध्यम भी जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का ही एक प्रकार है। इसमें मुख्य रूप से रेडियो, टी.वी. और फिल्में आती हैं।

नये माध्यम (आनलाईन मीडिया) - पूर्व वर्गीकरणों के आधार पर जनसंचार माध्यमों को पारंपरिक, विद्युत संचालित तथा मुद्रित माध्यमों में बांटा गया है। परन्तु वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों को पुराने और नये माध्यमों में बांटा गया है। नये माध्यमों में ऐसे माध्यम आते हैं जिसमें कम्प्यूटर और उपग्रह तकनीकों का उपयोग होता है। नये माध्यमों के वेब माध्यम या आनलाईन माध्यम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लाग, ई-पेपर आदि आते हैं।

उद्देश्य :

1. अध्ययन क्षेत्र में जनसंचार माध्यमों की उपलब्धता का अध्ययन करना।
2. जनसंचार माध्यमों से भील जनजाति की महिलाओं के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध पद्यति :

अध्ययन पद्यति - स्वउद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्यति शोध-पत्र की अध्ययन पद्यति है ।

अध्ययन का समय - अलीराजपुर जिले के विकासखण्ड अलीराजपुर के 53 ग्राम पंचायतो में से 10 प्रतिशत अर्थात् 5 ग्राम पंचायतो में स्थित परिवारों की संख्या में से 4 प्रतिशत अर्थात् 100, 35 से 45 वर्ष की आयु की शिक्षित भील जनजाति की महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है ।

अध्ययन की इकाई - अलीराजपुर विकासखण्ड की चयनित 35 से 45 वर्ष की आयु की शिक्षित भील जनजाति की महिला उत्तरदाता अध्ययन की इकाई है ।

तथ्यों का संकलन - प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है । द्वितीयक तथ्यों का संकलन पत्र - पत्रिकाएँ, किताबें, इंटरनेट के माध्यम से किया गया है ।

निष्कर्ष :

1. अध्ययन क्षेत्र में जनसंचार के मुद्दित माध्यमों में स्थानीय समाचार-पत्र, क्षेत्रीय समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रकाशित पत्रिकाएँ पायी गयी हैं ।
2. समाचार - पत्रों को पढ़ने वाले 72 प्रतिशत, पत्रिकाओं को पढ़ने वाले 17 प्रतिशत तथा दोनों पढ़ने वाले 11 प्रतिशत उत्तरदाता पाये गये ।
3. विद्युत संचालित माध्यमों में रेडियो और टेलीविज़न उपलब्ध है । रेडियो का प्रयोग करने वाले 32 प्रतिशत, टेलिविज़न का प्रयोग करने वाले 49 प्रतिशत तथा दोनों का उपयोग करने वाले 19 प्रतिशत उत्तरदाता पाये गये ।
4. अध्ययन क्षेत्र में जनसंचार के नये माध्यम (ऑनलाईन माध्यम) की उपलब्धता है । इस माध्यम का उपयोग करते हुए मात्र 19 प्रतिशत उत्तरदाता पाये गये । इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग सबसे अधिक 79 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है ।
5. शिक्षा के क्षेत्र में महिला उत्तरदाताओं में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला है कि 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षा के प्रति महिलाएं जागरूक हुई हैं , 24 प्रतिशत- नहीं हुई है, तथा 9 प्रतिशत-पता नहीं ।
6. स्वास्थ्य के प्रति जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला कि 72 प्रतिशत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई, 15 प्रतिशत -नहीं हुई है, तथा 13 प्रतिशत-पता नहीं ।
7. व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला कि 66 प्रतिशत महिलाएं व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक हुई, 19 प्रतिशत-नहीं हुई है,

तथा 15 प्रतिशत-पता नहीं ।

8. मनोरंजन प्राप्त करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला कि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि मनोरंजन प्राप्त होता है, 8 प्रतिशत-मनोरंजन प्राप्त नहीं होता है ।
9. महिलाओं के सशक्तिकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला कि 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि भील महिलाएं सशक्त हुई हैं, 33 प्रतिशत-सशक्त नहीं हुई तथा 25 प्रतिशत - पता नहीं ।
10. महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकला है कि 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जागरूकता बढ़ी है , 30 प्रतिशत-जागरूकता नहीं बढ़ी, 9 प्रतिशत - पता नहीं ।
11. जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से परम्पराओं, प्रथाओं और मान्यताओं विशेषकर त्यौहारों, विवाह, तीर्थयात्रा के परिप्रेक्ष्य में , रहन-सहन, भाषा- शैली, खान-पान, आदि में काफी परिवर्तन देखे गये हैं ।

सुझाव :

1. भील जनजाति की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है इसके कारण जनसंचार के मुद्दित और नये माध्यमों का प्रयोग सुचारु रूप से नहीं कर पाती । अतः साक्षरता का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ।
2. जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से भील जनजाति की महिलाओं में सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इनकी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया जाए ।
3. अध्ययन क्षेत्र में मुद्दित माध्यमों की सुगमता से उपलब्धता के लिए वहां की सड़कों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ।
4. जनसंचार के नये माध्यम (ऑनलाईन मीडिया) के लिए विशेष उपकरण जैसे स्मार्ट फोन, कम्प्यूटर, लेपटॉप, आदि की आवश्यकता होती है जो काफी महंगे होते हैं । अतः भीली महिलाओं को सरकार की किसी योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शुक्ल हीरालाल (1997), आदिवासी अस्मिता और विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
2. राठौर सिंह अजय (1994), भील जनजाति शिक्षा और आधुनिकीकरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
3. कुन्दरा डॉ. बलवीर (2009), जनसंचार (बदलते परिप्रेक्ष्य में), तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4. कुरुक्षेत्र, मार्च - 2008 ।

Brechtian Themes In Tendulkar's 'Sakharam Binder' : A Study

Dr. Uttam.B. Parekar *

Introduction - Vijay Tendulkar is a celebrated Indian playwright, movie and TV writer, literary essayist, political journalist, novelist, short story writer and a social commentator in Marathi. His theatrical contributions evoked overwhelming response from the readers and audience and as a token of that many rewards were conferred upon him. Amongst them the noteworthy prestigious rewards are: MH State government awards in 1956, 1969, 1972, 1970. Academy's highest award for life-time contribution in 1998. Sangeet Natak Akademi Fellowship. Padma Vibhushan in 1984 from government of India. In 1977 National Film Award for Best Screenplays for art movies such as 'Nishant', 'Akrosh', 'Ardh Satya'

During his theatrical career spanning over five decades he wrote over 27 full length plays and 25 one-act plays several of which have proven to be modern Indian theatre classics. Most of his plays derive inspiration from real-life incidents or societal upheavals be it the rise of Shiv-Sena which got reflected in 'Ghashiram Kotwal'

Vijay Tendulkar was a conscientious playwright who was aware of world wide new developments in the field of drama. He translated five plays from other languages into Marathi. He was aware that various dramaturgies were influencing the theatre in the west and in India. The plays he translated into Marathi are: (1) '*Lobha Nasava Hi Vinanti*' ('Hasty Heart' by John Patrick) (2) '*Linkan Yanche Aakherache Divas*' ('Last Days of Lincoln' by Mark Darren) (3) '*Vasana Chakra*' ('Street Car Named Desire' by Tennessee Williams) (4) '*Aadhe Aadhure*' ('Aadhe Aadhure' by Mohan Rakesh) (5) '*Tughlaq*' ('Tughlaq' by Girish Karnad).

His plays discuss the meaning of human existence and present a psychoanalytical picture of his character. His dialogues and theatrical directions help us get insight into the character's mental conflicts, personality traits and his nature. In most of his plays he depicts a psychoanalytical picture of his mentally abnormal protagonists. His plays focus on the new attitudes and tendencies giving rise to mental conflict and turmoil in the middle-class. His plays present the pre-marital, marital and extramarital tense relationship of the contemporary men and women. While depicting a situation he sees to it that it never becomes

vulgar and obscene. Subtlety, satire, parody, wit, concrete portrayal of the characters and situations together make up his dramas. His protagonists evoke pathos and make an appeal to the audience to think for a remedy.

Tendulkar's 'Sakharam Binder' (1972) became a trend-setter with regard to style and delineation of the plight of women in the contemporary society. In interviews given to critics Tendulkar's comments are note worthy. In his interview given to Shashikant Narvekar he said that the play was not just a stunt-drama but an attack on the cultural values of the white collar society. He said to Mr. H.M. Marathe that the downtrodden people appear natural as they look dirty because their bodies got smeared with the filth of immorality. He further said that the white-collar people appear hypocrite and villainous though they make a show of clean life. In the same interview he added that in his personal life he considered irrationality more authentic than rationality. In an elocutionary review of the play published in the 'Kirkoskar Magazine' he said that he was dazzled by the complex personality of Sakharam Binder and that he was deeply touched by the sudden shocks of disillusionment and alienation he reeled under.

The post-independence Indian drama is characterized by its new themes and forms. It incorporated the elements of Brechtian dramaturgy in abundance. The new life style generated many dialectical situations in which a clash between the tradition and modernity baffled the contemporary men and women. The life they inclined to live made them appear ridiculous and absurd. Tendulkar's plays presented characters lost in the chaotic situations in which old and new values clashed against the old ones. His 'Sakharam Binder' is a play which presents the contemporary reality and stimulates the audience to think. The objective of this paper is to make a study of Tendulkar's 'Sakharam Binder' from Brecht's thematic perspective.

Tendulkar's plays signified a definite departure from the mainstream Marathi drama which mostly dealt with the more privileged sections of society. Burning naturalism highlights his plays in the sense that they present raw chunk of life with all its ugliness and crudity. The important point to note here is that there is underlying tone of sensitivity and tenderness towards humanity.

Major Aspects of Brecht's Dramaturgy - 'The Industrial Revolution' and 'The French Revolution' took the eighteenth century Europe by storm and shook the very foundation of the traditional social life which was organic, intrinsically meaningful, and concrete. Hegel in his 'Science of Logic' states that in the modern set up of life the trans-historical form of Aristotelian drama has become undialectical with the content. "The true works of art are those whose content and form prove to be completely identical." [1]

Brecht's 'Non-Aristotelian Theory of Drama' demanded a performance to be "presented quite coldly, classically and objectively. The primary method of achieving such detachment was the 'Verfremdung Effect'" [2] It denotes a form of narrative running in series of episodes which is dialectic not restricted by unity of time. Notable features of Brechtian dramaturgy are anti-cathartic approach, alienation, complex seeing, chorus, narrator, slide projection, film, placards, songs and music, etc.

Brecht says that the concepts of the Aristotelian drama such as: 'The Plot' 'Characterization' 'Tragic Flaw' 'Unified Spectacle', 'Catharsis', 'Dramatic Unities' 'Tragic Hero' 'Catastrophe' etc. characterize the Greek Classical drama (3) Brecht calls this theory of Aristotelian drama a suitable form for a bourgeois play. In the modern age of democratic spirit and scientific reasoning the form of the classical drama is absolutely inadequate as it tends to involve the spectators into the emotions of the character and hampers the process of reasoning. In his view the Aristotelian form of drama is suitable for his theatre called 'The Scientific Theatre'. Brecht's note to the opera 'Rise and Fall of the City of Mahagonny' published in 1931, marks the shifts of emphasis from the dramatic to the epic theatre.

Brecht's Major Themes - Brecht established his theory of 'Non-Aristotelian Theatre' on Hegelian principle that 'Form' should be dialectically suitable to the 'Content'. Brecht propounded his theory of drama which is antithetical to Aristotle's theory of drama. Brecht incorporated salient features of almost all the contemporary dramatic trends and movements with regard to 'themes' and 'dramatic devices'. Brecht's theatre is 'Non-Aristotelian' in the sense that Brecht aimed to foster a theatre of ideas rather than a theatre of dreams. The prime concern of Brecht's themes is not portrayal of chief characters but to present the dialectical situations reflecting the contemporary burning problems. The bohemian style of living and total disregard to spirituality had characterized the contemporary life. His plays such as *Baal*, *Edward II*, *In the Jungle of the Cities* deal with the theme of 'Homosexuality'. Ruthlessness and exploitation was the order of the day in the contemporary life. The people embodying the traditional concept of virtue were becoming the victims of exploitation. 'Mother Courage' unfolds the theme: 'Virtue is a sign of stupidity.' His plays reveal the themes of 'The helplessness of man', 'Man's inability to influence the world around him', 'Sex and Sexuality' and 'Need for change and his rigidly dogmatic faith in the inevitability of social progress.'

Gist of 'Sakharam Binder' 'Sakharam, the Book-Binder' (1972) - The original play- 'Sakharam Binder' (1972), is written in Marathi by Vijay Tendulkar and it is translated in to English by Kumud Mehta and Shanta Gokhale. Like most of his plays the locale of the play is a mofussil town. 'Miraj' is a town where the action of the play takes place in the lower middle class home. The play runs in to three acts which are further subdivided in to many scenes. The first act is devoted to the delineation of the relationship between Laxmi and Sakharam. The second act portrays the relationship between him and Champa. And the last act depicts the three cornered association between the two women and Sakharam.

The play opens in the evening on Sakharam's old red-tiled house comprising a kitchen and a room. Sakharam is a round character who is of the opinion that the real charm of life doesn't lie in the married life. He says that married life kills the fun of life. So he prefers to be unmarried. He provides shelter, food and clothes to the woman discarded by their husbands in return for their service as a housewife to him. This kind of life which has no social sanction evokes criticism from society but he is unmindful to it.

The sixth woman living with Sakharam died a week ago, so he brings in Laxmi, a Munsif's wife, discarded by her husband for she bore no child to him. As per his contract she cooked him food and became his faithful and obedient wife. She is religious, presses his legs and dances to his whims. She is so sensitive and humane to the ant and crow that she makes rapt talks with them which Sakharam hates most. At the time of chanting of Aarti before Ganapati, Laxmi, being so orthodox, tells Dawood not to sing Aarti before Ganapati. She plainly asks Sakharam how a Muslim can sing the Aarti in this house. It enrages Sakharam; thus he slaps and lashes her with a belt. In another incident he forces her to laugh saying that it is his order and she has to obey it. Nevertheless, Laxmi lives with him for a year. Laxmi's stay in the house influences his life so much so that he begins to take less liquor and Ganja; wears clean clothes and performs Puja regularly. Under the charge of disobedience he drives her out of the house and then she travels to Amalner where her nephew lives.

Sakharam is a binder in a press. His religious sentiment is exhibited through his Puja, playing of Mridanga and his secular view. He is a drunkard and smoker of Ganja. His close friend is Dawood Miyani. Laxmi's departure has left good impression on him and he wishes good for the rest of her life.

The second act opens with Sakharam's entry in the house with Champa. With their arrival the street urchins shout and he scolds at them. Champa's mother ran a tobacco shop which was raided by Fouzdar Shinde in the pretext that liquor was being sold from there. Shinde was infatuated by Champa's beautiful look and smart figure so eventually he got married to her even before she attained puberty. He was impotent and his sexuality manifested through harassing and torturing her terribly. In the course

of time Shinde was dismissed from the service on account of his negligence in the duty. He urges her to earn by the way of prostitution. He becomes a drunkard and wishes to die at her hands. The strain in life with Shinde constrains her to leave his home. Sakharam brings her in his house; makes his deal clear to her. He is infatuated by her look and figure but later on he finds her burdensome for she refuses to carry out household works. He brews tea for her and gives money for Dawood to get her a pan.

One day Fouzdar Shinde comes to Sakharam's house in drunken state to die at her hands. Champa drives away him so violently that Sakharam loses confidence of his sexual advances to her. At night, initially she strongly opposes to Sakharam's sexual advances but later on she drinks liquor and offers him her body. She has aversion to sex may be because of the horrible sexual tortures inflicted upon her by Shinde. But when Sakharam's sexual advances become a compulsion on her, she accepts them in the intoxication of liquor. In the course of time she becomes so addict to liquor that she drinks it and sleeps with Dawood. Later on she needs liquor day out and day in. On the festival of Dasera, Champa neither performs Puja nor cooks dinner. She remains in bed in the state of intoxication.

The third act opens on the night after the Dasera festival. Laxmi came to Sakharam's door after she was discarded by her newly married nephew on the charge of theft. Sakharam refused to take her in. At the door of his house Laxmi and Champa narrate the tragic stories of their lives to each other and finally Champa agrees to keep her in the house saying to Sakharam that she will look after the household works and she herself will take care of him. On the second coming of Laxmi he takes out Mridanga and plays beats on it. He is a man of self-contradictions for he plays on Mridanga and goes to participate in Bhajanas but at the same time he scolds at Laxmi for her religious chanting and clapping.

One afternoon Laxmi sees Champa in coitus with Dawood. Champa's sexual indulgence with the Muslim disturbs her terribly and to atone to the sin she continuously chants 'Sitaram, Sitaram, Sitaram'. Soon after this, there came Fouzdar Shinde. Laxmi treats him with all kindness and respect. At night Sakharam makes sexual advances to Champa but she refuses to co-operate with him saying that he should better go to his earlier wife, Laxmi. She further adds that Laxmi has made him an impotent ninny. Nevertheless, he makes her drink liquor and makes love to her in the front room. Then he turns to Laxmi and orders her to quit his home. His expression turns brutal and she touches his feet and begs for his mercy. She agrees to leave his home and while leaving his house she informs him of Champa's illicit relations with Dawood. Mad in rage, he turns to Champa who is groaning in pain. He puts his hand round her neck and squeezes it hard; consequently Champa dies of suffocation.

Laxmi returns from the doorway and encourages him to get a shovel from the garden and bury the corpse in the

kitchen. She suggests to him to tell the people that she left the house without informing them of her destination. She often says that she is virtuous and Champa was unfaithful. At this juncture, Shinde, knocking on the door, says loudly 'Champa—my Champa—where are you, Champa—Champa—please kill me. This racket goes on and on; and night reigns.

Themes of the Play - 'Sakharam Binder' is an excellent work of art well fitted in the unities of time, place and action. Each character refers to the values prevalent in the society and at times it functions as a foil to its counterpart. We understand Sakharam better because of Fouzdar Shinde, Munsif and Dawood; we understand Laxmi better because of Champa and the sixth woman of Sakharam. Similarly, every situation is developed with such a natural touch that it saves the play from being a melodrama. Characters dominate the situations. The playwright has wonderful command of the language which he has acquired from his close observation of people's talk, the life situations and close study of human behaviour and psychology. The language of Laxmi is of a traditional house wife whereas that of Champa is of a woman well groomed in the illegal trade. Her language speaks out her hatred to men for they consider woman as a toy of their sex fantasies. Sakharam's language reflects the arrogance of patriarchy and money power. The real charm of the play lies in its diction. The devices such as the ant, the crow, the Mridanga, the Chillum, voice etc add new dimensions to the play. Like Brecht's dramas this play is not a drama of dream but of reality and ideas. Like Brecht, Tendulkar exhorts to stimulate the audience to think rather than to involve them in the character's pains and joys. From Brecht's thematic perspective following themes enwrapped in the play may be singled out.

Bertolt Brecht was a naturalist and his plays have parabolic plot structure. Tendulkar's 'Sakharam Binder' also presents the reality in its original form. Like a parable, the play stands for moral and spiritual teachings. Like Brecht's epic drama, this play is a collage of situations and leaves up to the audience to comprehend the play as per their own perspectives. The play casts influence on the audience because of various Brechtian themes underlying the episodes and situations.

The Bohemian style of Living - Traditionally India was a place of culture and spirituality of high order but with the advent of industrialization and urbanization the old values began to dwindle away in the mad race of greed for power and money. Bohemianism refers to unconventional life style. Sakharam and Champa keep up the bohemian style of living. They care least for spirituality, particularly Champa. Sakharam's spirituality is limited to his playing of Mridanga, performing of Puja and occasionally attending Bhajana congregations. His arrogance lies in his statement that he keeps no falsehood so god will not punish him. Bohemians are selfish, indulgent and hard hearted. Protagonist of the play Sakharam looks a perfect bohemian. The play ends

with poetic justice in which Champa meets a tragic death and Sakharam gets disillusioned and becomes alienated over the death of Champa.

Sakharam's self introduction underscores his bohemian life style. He says to Laxmi, May be I'm a rascal, a womanizer, a pauper. Why may be? I am all that...I womanise. I'm a drunkard and I'm ready to announce that to the whole world. Sure...with my hand on heart. All the women I've been to, the number of times I've visited them. If a chap wants to come and see for himself. I'm quite ready to take him there. I haven't been going there lately. (Ibid p. 126)

Ruthlessness and Exploitation - 'Sakharam Binder' presents a series of events of ruthlessness and exploitation. With the advent of industrialization and urbanization in India man has become crazy for power and pleasures. In the play Sakharam is a representative character of the power-crazy and ruthless men of independent India. Irony of the fact is that the country became free; the Caste discrimination was disappearing from the public life. But the men domination ruled the women ruthlessly without acknowledging their right to pleasure and freedom. Sakharam is a product of modernity who becomes ruthless while treating his women. His senses grow num and eyes blind to the helpless and dejected women suffering at his hands.

The play depicts various forms of exploitation and atrocities to women. In the play the victims are women who suffer untold misery. In the matter of religion Sakharam is secular but intolerant of opposition to him. To him falsehood is the only sin. On the contrary Laxmi is orthodox and humane. It being a day of Chaturthi, Laxmi comes out with the Aarti and asks Sakharam to sing the Aarti. Being secular Sakharam asks Dawood to join them in singing the Aarti. Dawood sings but Laxmi objects to it and says how a Muslim can sing the Aarti. It enrages Sakharam so much that in fury he lashes her with belt. His ruthless beating to her on the insignificant cause is covered in the following para of the stage directions,

She turns and goes in. Sakharam follows her with the belt. Dawood remains where he is. From within the dark kitchen the sounds of blow upon blow. Laxmi's agonized moans, but no whinnying. Dawood, unable to bear it, goes out. The beating continues. (Ibid ...P.144)

Traditional Virtue is a Sign of Stupidity - Under the impact of modernity traditional values and virtues became redundant and insignificant. Those harbouring these values believe that their fate is predestined and that their life is governed by the will of god. They also believe that something good will come out of their sufferings; so they suffer meekly. Apparently their behaviour looks stupid but they have no complaint to make of their plight.

Laxmi is the classic example of this theme. She believes that she is faithful to the fosterer therefore god will not punish her. She upholds the traditional value of obedience so sincerely that she makes herself a true wife

of Sakharam. Champa is a perfect contrast to Laxmi. Champa's infidelity against Sakharam disturbs her terribly and for solace she mutters 'Sitaram, Sitaram, Sitaram'.

The play presents a conflict between the tradition and modernity. Laxmi represents Indian traditional life while Champa and Sakharam represent modernity. Towards close of the play Champa dies and Sakharam fears the charge of murder. In this context Tendulkar has exploded Brechtian theme 'Traditional Virtue is a Sign of Stupidity'.

Sakharam was not ready to take Laxmi in his house on her second coming. It was Champa who feels sympathy for her and speaks on her behalf to Sakharam. Laxmi is orthodox in the sense that she takes traditional values for virtues. Had she been rational she would not have informed Sakharam of Champa's illicit relations with Dawood. To her such relationship is a sin and her fidelity with Sakharam is a virtue. The so called virtue of Laxmi degenerates her to a beggar and changes the fate of Sakharam and Champa. Overall Laxmi's virtue makes her appear stupid for in doing the virtuous act she gains nothing but loses every thing.

Sex and Sexuality - Marathi plays, in pre-Independence time, were written mainly on the themes of social reforms and independence movement. They were dominated by the English Realism and the Western Drawing-Room Comedies in which open discussion on sex was carefully avoided. Tendulkar openly discussed sex and sexuality of the contemporary people in 'Sakharam Binder', so it evoked strong reaction of the moralists. But what Tendulkar presented in the play was the realistic picture of the families belonging to lower middle class.

Sex is an instinct passionately felt by the youths of which they become conscious for the opposite sex. When a person comes of age he is tortured by the innate and strong sex instinct naturally. Morality dictates one to repress the sex feeling and behave with restraint in social life. Because of prevalence of this moral value in social life one is encouraged to live a double standard life. Sex differs from gender to gender. To men sex is gratification of more a physical desire but for women, sex involves emotions. A woman cannot indulge in sex with a man unless she gets emotionally involved with him.

Because of patriarchal dominance in the Indian society, men enjoy freedom of sex while women are denied the right to free sex. This gender discrimination has given birth to many social problems subjecting women to untold sufferings. Sex has become a burning problem in Indian society at pre-marital, marital and extra-marital stages but till Tendulkar such problems were not openly discussed in public.

Sexuality covers the subjects related to one's sex fantasies and characteristic attraction to the opposite sex. As the subjects of sexuality belong to the domain of psychology, the gravity of these problems could be felt through actions and interactions of the characters. 'Sakharam Binder' depicts various types of sexuality ranging from harassment to cruelty.

The play has no couple that respects each other out of full gratification of sex in the married life. It also hints at the seriousness of the problem that in Indian society married life of the people in general is not satisfactory. In the play Munsif discards his wife, Laxmi, for she could not bear a child for him. Considering the dissatisfaction and burden of life long duties of married life, Sakharam prefers to live unmarried life. But at the same time for comforts of married life and gratification of sex, he fosters the wives discarded by their husbands. Sakharam keeps six women before ushering Laxmi in to his house. FouzdarShinde is impotent and he is with strange sex fantasies. He married with Champa at her tender age for she was pretty and had a charming personality. Being an impotent he could not indulge in physical sex with her. But he derived pleasure by branding her and sticking needles into her. He made her do awful and filthy things. When she ran away he would bring her back and stuff chilli powder in to her tender organ. She developed hatred against her husband and the sex. Bursting out her anger against Shinde she says,

That bloody pimp! What's left of my heart now? He tore lumps out of it, he did. He drank my blood. Get up, you pig. I'll stuff chilli powder into you now! (Ibid...P.167)

Champa is the victim of men's sexuality. Nobody treats her with respect; nobody understands her with love and sympathy; and everybody wants to exploit her according to his own sex fantasies. She runs away from her husband and takes shelter in Sakharam's house. Sakharam, in his turn, threatens her to quit his house if she refuses to his sex advances. She feels helpless; she has no other way but to accept Sakharam's sex advances against her will. So she prefers to repress her conscience with liquor and submit her body first to Sakharam and then to Dawood.

Alienation - Brecht's 'Non-Aristotelian Theory of Drama' upholds the theme of 'Alienation'. He has developed a special technique to give concrete effect to the theme of alienation. In the beginning his protagonists struggle to realize their dreams and become successful to much extent. In the course of time they reel under strong resistance from others; hence suffer setbacks and in the end they experience total frustration and become completely alienated from life and their dreams. They find themselves in such situations which they had never envisaged before.

In this play Sakharam decides to foster the discarded wives of others to meet his both objectives: the pleasure of marital life and freedom from family responsibilities. He becomes successful until Laxmi leaves his house. Laxmi's reporting of Champa's illicit relations with Dawood makes him mad with fury and unknowingly he kills Champa. The death of Champa makes him completely alienated from his life. He remains dumbfounded and perplexed.

The concluding scene of the play marks climax of alienation. Champa is dead, her husband FouzdarShinde is racketing with knocks and shouts 'Champa, Champa, Champa, open the door. I'm here, why don't you beat me...Champa...Champa...please kill me...I'm here. Open the door' (Ibid ...P.198). Laxmi reiterates to Sakharam saying 'Come. Get up. Don't waste time. Don't be scared . I'm a virtuous woman. She was a sinner. I've never harmed a soul – not even insect' (Ibid ...P.197). Amid the racket Sakharam stands stupefied. He was lost in the beauty and charm of Champa and he never wished to part with her.

Conclusion - 'Sakharam Binder' abounds in Brechtian themes. Tendulkar has invested Brechtian themes in his play but the life experiences depicted are from Indian life. Tendulkar is not a blind follower of Brecht in the sense that what is not suitable in Indian context he has avoided it. His play is rooted in the cultural ethos of India. Tendulkar invested selected and suitable Brechtian themes and techniques so skillfully that the play comes out to be essentially Indian. It is a new drama, but it becomes a true Indian drama both in form and content.

References :-

1. Schulte-Sasse, Jachen: "Foreword On the Difference between a Mimetic and a Semiotic Theory of the Modern Drama" Theory of the Modern Drama (Trans. and Ed.) Michael Hays. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 4
2. Arlett, Robert: "The Dialectical Epic: Brecht and Lessing", 20th Century Literature. Vol. 33, No. 1 Spring 1987. P. 71
3. Butcher, S. H.: Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, Kalyani Publishers, New Delhi: 2002. P. 350
4. Tendulkar, Vijay: 'Sakharam Binder', Five Plays, (Trans) by KumudMehata and ShantaGokhale, OUP New Delhi: 1992.

जनजातीय विकास में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका - एक अध्ययन

डॉ. जैनेन्द्र कुमार पटेल*

शोध सारांश - अनुसूचित जनजाति या आदिम जनजाति न केवल भारत में निवास करते हैं अपितु इनका निवास विश्व के प्रायः समस्त महाद्वीपों में है इन्हें विश्व के अधिकांश देशों में जैसे - अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में इन जाति समूहों को देशज लोग कहा जाता है। विश्व के समस्त महाद्वीपों में इन जाति समूहों का निवास है और विभिन्न नामों से जाने जाने के उपरांत भी इनके स्वभाविक लक्षण एक समान हैं।

विश्व की कुल जनसंख्या का पाँच प्रतिशत जनसंख्या स्वदेशी लोगों का है जिसमें पन्द्रह प्रतिशत गरीब हैं। विश्व में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है जो कुल जनजातीय जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत है। विश्व के जनजातियों की जो समस्याएँ हैं वह लगभग भारत के जनजातियों के समान ही हैं। इन समूहों के प्रमुख समस्याओं में गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक विलुप्ति की है।

इन स्वदेशी लोगों के अधिकार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से वर्ष 1989 में स्वदेशी एवं आदिवासी जन अभिसमय लागू किया गया। इस अभिसमय में इन वर्गों के लोगों के अधिकतम कल्याण तथा उनके मूल मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु भूमि, समाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संचार के साधन, सीमा पार संबंध एवं सहयोग इत्यादि को संरक्षित किया गया और सदस्य राष्ट्रों को पालन करने का निर्देश भी दिया गया। यह दस्तावेज जनजातियों के अधिकार संरक्षण में महात्वपूर्ण दस्तावेज है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समूहों के समूचित विकास हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, आईफेड एवं यूनिसेफ इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यह शोध पत्र जनजातीय विकास में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत है।

शब्द कुंजी - अन्तर्राष्ट्रीय, संगठन, स्वदेशी लोग, विकास, जनजाति।

अध्ययन का उद्देश्य - इस शोध पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय जनजातीय विकास में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे - विश्व बैंक एवं आईफेड के योगदान का अध्ययन कर निष्कर्ष प्राप्त करना है।

शोध प्रविधि - यह शोध पत्र सैद्धांतिक विधि पर (द्वितीयक आँकड़ों) पर आधारित है। इस विधि में सर्वमान्य ग्रंथ, प्रतिवेदन तथा आलेखों में व्यक्त विचारों का समावेश करते हुए विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विवेचना - विश्व में देशज लोगों के विकास में विश्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार विश्व में देशज लोगों की आबादी लगभग 300 लाख है। जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं। प्रमुख रूप से उनकी विशिष्टता और संस्कृति को निर्धारित करती है ऐसे आदिवासियों का उनकी मूल भूमि से विस्थापन न केवल उनके आजीविका को प्रभावित करता है परन्तु इससे उनके समक्ष सांस्कृतिक पहचान का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। देशज लोग विश्व मानव समुदाय के विशिष्ट अंग हैं इनकी सांस्कृतिक विरासत, जीवन जीने का तरीका और उनका जीवन दर्शन मानवता की अमूल्य निधि है।

विश्व बैंक इन देशज लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि इसके विकासीय कार्यों से उनकी विशिष्टता का हनन न हो, उनके मानवाधिकार संरक्षित रहे तथा उनकी सामाजिक अस्मिता पर कोई आंच न आये।

सन् 1982 में विश्व बैंक देशज जातियों के बहुउद्देशीय विकास योजनाओं के साथ प्रकाश में आया। विश्व बैंक की वर्तमान नीति जो मई 2005 में स्वीकार की गई थी, वह यह भी स्वीकार करती है कि जनजातियों

का अपनी भूमि और अपने पर्यावरण से गहरा नाता होता है। इन्हें इनसे पृथक करके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः इन्हें इनके परिवेश में ही इनकी इच्छा के अनुरूप विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इनकी नीति के अनुरूप यह विभिन्न देशों के परियोजनाओं के संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है।

विश्व बैंक का यह मानना है कि आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ताकि वे आर्थिक रूप से सम्पन्न बन सके। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक गरीब देशों तथा उनके देशी संसाधनों के विकास हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे गरीबी से मुक्त हो सके। गरीब देशों के विकास के लिए आधारभूत संसाधन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास के योजनाओं के निर्माण में विशेष सहायता एवं वित्तीय संसाधन मुहैया कराना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। इस तरह विश्व बैंक गरीब तबकों के लोगों के जीवनस्तर को उन्नत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी तारतम्य में विश्व बैंक गरीब देशों को अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन विकसित कराने में सहयोग प्रदान करता है। विश्व बैंक द्वारा हितग्राही देशों को प्रदान की जा रही सहायता को निम्न सारणी तथा वृत्त चित्र से प्रस्तुत किया जा सकता है।

सारणी 1

क्रं.	सहायता मद का नाम	प्रतिशत	रिमार्क
1	जल स्वच्छता एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु	12	
2	कृषि, मत्स्य उद्योग एवं वानिकी	07	

3	शिक्षा	08	
4	ऊर्जा एवं खनन	07	
5	स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाएं	11	
6	वित्त	07	
7	उद्योग एवं व्यापार	05	
8	सूचना एवं संचार	01	
9	विधि एवं न्याय तथा लोक प्रशासन	22	
10	यातायात के लिए	20	
	कुल योग	100	

ग्राफ 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

विश्व बैंक वर्तमान में देशज लोगों के विकास में अपनी भूमिका को और कारगर बनाने हेतु अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए सीधे देशज लोगों के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति पर कार्य कर रही है। सन् 2003 से प्रारम्भ किये गये इस योजना में विश्व बैंक आई.पी.ओ. एस. (indigenous people Organization) तथा (communities) को निम्न बजट का अनुदान प्रदान करती है जिससे कि वे अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपना विकास कर सके। सन् 2003 से प्रारम्भ हुए इस योजना में बैंक को प्रथम 03 वर्षों में 35 देशों से 1929 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 79 संगठनों को अनुदान हेतु चयनित किया गया तथा इसके अंतर्गत 1.25 करोड़ अमेरिकी डालर सहायता के रूप में स्वीकृत की गई। सन् 2006 से अनुदान देने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन IFAD को अधिकृत कर दिया गया।

आईफेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जो विश्व में विशेष कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अर्थात् देशज जातियों के आर्थिक विकास हेतु कृषि परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

आईफेड के आंकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 05 प्रतिशत जनसंख्या देशज लोगों से बनती है जबकि विश्व के 15 प्रतिशत निर्धन लोग इसी वर्ग से आते हैं। एक आंकलन के अनुसार इनकी आबादी लगभग 300 से 370 मिलियन है। समेकित रूप से देशज लोग लगभग 4000 भाषा बोलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 5000 विभिन्न आदिवासी समुदाय विश्व के 70 देशों में निवास करते हैं।

विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 900 मिलियन लोग निर्धन हैं। जिनमें से 30 प्रतिशत भाग इन देशज लोगों का ही है। यद्यपि देशज लोग विश्व के लगभग सभी देशों में पाये जाते हैं किन्तु इनकी 70 प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व बैंक द्वारा कराये गये एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 1.2 बिलियन देशज लोगों की दैनिक आमदनी 1 अमेरिकी डालर (लगभग 45 रूपए) से कम है। लैटिन अमेरिका के 50 मिलियन आबादी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 11 प्रतिशत भाग है।

देशज लोगों या आदिवासियों की बढ़हाली की बात किसी एक, दो देश या किसी महाद्वीप तक सीमित नहीं है यह समुदाय प्रत्येक स्थान पर अन्य समाजों से तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। इस संदर्भ में **आईफेड** के द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आंकड़े अत्यंत खेदजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

साम्यवादी चीन गणराज्य के बारे में आईफेड का अध्ययन कहता है कि यहाँ आदिवासियों की संख्या कुल जनसंख्या का 09 प्रतिशत से कम है

किन्तु चीन के अतिगरीब लोगों में इनका भाग 40 प्रतिशत है स्पष्ट है कि साम्यवादी दर्शन के आधार पर राजनीति करने वाले चीन की पीपुल्स पार्टी भी विकसित और गरीब जनता के बीच की खाई को पाट नहीं सकी है।

हर जगह देशज लोग अल्पसंख्यक ही हैं। ऐसी बात नहीं है बोलिविया और ग्वाटेमाला में आधी से अधिक आबादी देशज लोगों की है। देशज लोगों की गरीबी और पिछड़ापन का असर उनके जीवन-स्तर, रहन-सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी पर पड़ता है। यहाँ तक की उनकी आयु भी इससे प्रभावित होती है। **आईफेड** के अध्ययन में यह पाया गया की आस्ट्रेलिया के देशज लोगों की औसत आयु 59 वर्ष तक ही होती है। जबकि वहाँ के विकसित लोगों की औसत आयु 77 वर्ष होती है।

भारत के संदर्भ में भी यह बात सही प्रतीत होती है। भारत में आदिवासियों की कुल आबादी मात्र आठ प्रतिशत है किन्तु इनकी लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न कारणों से विस्थापन का शिकार बनी है। जो उनके गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। यही कारण है कि भारत में उनकी जीवन औसत आयु 48 वर्ष है जबकि सामान्य शहरी की जीवन औसत आयु 71 वर्ष है। **उपसंहार** - अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विशेष योगदान रहा है। मूल्यांकन पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि, जनजाति समूह भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में पाये जाते हैं जिन्हें अलग-अलग देशों में विभिन्न नामों से पहचाना जाता है।

वैश्विक स्तर पर इस समुदाय की मुख्य समस्याएँ भारत की जनजातियों के समान ही है जैसे गरीबी अशिक्षा, निर्धनता एवं सामाजिक भेद भाव इत्यादि। जैसा कि आज विश्व एक संस्था के रूप में विकसित हो चुका है और विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्थापना उपरांत जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 एवं दोनों प्रसंविदाओं में वर्णित अधिकारों का प्रभाव पड़ा है। सन् 1953 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने Right of indigenous and tribal population convention- NO- 107 के द्वारा इस वर्ग के लिए बेहतर प्रयास किया गया जो इस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। स्वदेशी एवं आदिवासी जन अभिसमय 1989 के द्वारा इस वर्ग को विशेष अधिकारों की पहचान कर उसे विश्व मंच पर लागू कराया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समुदाय की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु विश्व बैंक एवं आईफेड जैसे संगठनों का योगदान रहा है जिससे जनजाति समाज के आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की संकल्पना को सम्बल प्रदान किया है। परन्तु विश्व के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यप्रणाली इस समुदाय के अधिकारों के संरक्षण में उतना अधिक योगदान नहीं दे पाया जो वास्तव में होना चाहिए।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. IFAD Statistics about lifespan a report- 2007
2. World Bank – UNPF II- 2007
3. World Bank IFAD Statistics an indigenous people- 2007
4. World Bank funding to indigenous people Organization Policy report-2003
5. World Bank policy report funding to indigenous people organization-2007
6. IFAD International fund for Agricultural Development a body of UNO with HeadQuarter at Rome Italy
7. World Bank; Project & Operations , Report of Fiscal year- 2007

8. World Bank's report on indigeneuos people- 2009

9. भारत की जनगणना- 2001

ग्राफ 1



प्रबन्ध में मानवीय तत्व

डॉ. पी.के. सीरौठिया * डॉ. अर्चना सीरौठिया **

प्रस्तावना - किसी संगठन की सफलता उसके कुशल प्रबन्ध पर निर्भर करती है और प्रबन्ध की सफलता उसके संगठन के मानवीय तत्व पर। व्यवसाय या उद्योग पदार्थों या मशीनों का ही संयोग नहीं, वरन् मानवता का संयोग है। प्रबन्धक अपना कार्य अव्यक्तिगत शक्ति के द्वारा नहीं वरन् मानवीय शक्ति से करता है।

मुख्यतः उत्पादन के दो साधन होते हैं पहला मानवीय संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। प्रबन्ध मानवीय तत्व को संचालित करता है और मानवीय संसाधन भौतिक संसाधन को।

प्रमुख प्रबन्ध शास्त्री **लारेंस एप्पले** के अनुसार '**प्रबन्ध लोगों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन**' प्रबन्ध की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि एप्पले ने प्रबन्ध क्षेत्र में मानव तत्व को सर्वोच्च स्थान दिया है, जबकि भौतिक साधनों से निर्देशन को प्रबन्ध के क्षेत्र से पृथक रखा है। क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि व्यक्ति विकसित होगा तो भौतिक साधनों का निर्देशन व नियंत्रण एवं उपयोग भी विकसित होगा। इस प्रकार एप्पले ने प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के विकास को और परोक्ष रूप से भौतिक साधनों के निर्देशन को प्रबन्ध की संज्ञा दी है।

एक समय था जब कि प्रबन्ध से आशय लोगों से येन-केन प्रकारेण काम लेने से लगाया जाता था। उस समय (**रूल ऑफ रॉड**) '**डण्डे का राज**' में प्रबन्धकों की यह मान्यता थी कि कर्मचारियों को जितना अधिक परेशान और भयभीत रखा जायेगा वे उतने ही अधिक कार्य करने को प्रेरित होंगे, किन्तु विगत 100 वर्षों में प्रबन्ध की छवि में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है अब प्रबन्धक अधीनस्थों को डरा-धमका कर नहीं, अपितु तरह-तरह की अभिप्रेरणों देकर उनसे काम कराना तथा उनके साथ कार्य करना पसंद करते हैं।

प्रबन्ध के वर्तमान साहित्य में व्यक्ति को एक गतिशील प्राणी और प्रबन्धकीय कार्य का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। प्रबन्ध में मानवीय तत्व कितना महत्वपूर्ण है इस बात का प्रमाण **अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड** के इस कथन में दृष्टिगत होता है-

'हम मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज रेफ्रीजरेटर, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते हम मनुष्यों को बनाते हैं और मनुष्य उत्पादों को निर्माण करते हैं।'

इस कथन से स्पष्ट है कि, किसी भी प्रबन्धकीय व्यवसाय में मनुष्य संबंधी आवश्यकता सर्वोपरि है प्रत्येक प्रबन्धकीय निर्णय अथवा कार्य के लिये मानवीय प्रकृति को समझने और मानव से मानवीय व्यवहार की अपेक्षा रहती है।

आखिर मानवीय तत्व क्या है?

मानवीय तत्व अपने कर्मचारियों के प्रति एक प्रबन्ध का वह दृष्टिकोण है जो उसे कर्मचारियों को व्यक्तियों और समूहों के रूप में अधिकतम निपुणता के साथ कार्य करने की अभिप्रेरणा देता है। अभिप्रेरणात्मक तथ्य से ही उपक्रम सफल होता है। इस हेतु प्रबन्ध कर्मचारियों को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतोष उपलब्ध कराता है।

प्रबन्ध में मानवीय संबंध की प्रमुखता का कारण है, क्योंकि मानवीय संबंध कर्मचारियों की एकीकृत करने की प्रक्रिया को जन्म देता है तथा कर्मचारियों को स्वेच्छा से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मानवीय संबंध का अभाव, प्रबंध के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है क्योंकि कर्मचारियों की उदासीनता, चिड़चिड़ापन अवज्ञाकारिता और असहयोग प्रबंध प्रक्रिया में गतिरोध पैदा करते हैं।

अत्यधिक सीमा तक अच्छे मानवीय संबंध उत्पादकता को धनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह तथ्य **एल्टनमेयो के (1927-1932 तक)** हॉर्थोन परीक्षण से सिद्ध हो चुका है।

मानवीय सम्बंध विचारधारा की विशेषताएँ हैं-

1. इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है। वह उत्पादन का साधन मात्र नहीं है।
2. यह विचारधारा मानती है कि प्रत्येक कर्मचारी की अपनी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएँ होती हैं, जिनकी संतुष्टि करना जरूरी होता है।
3. यह विचारधारा मानवीय सम्बंधों एवं अभिप्रेरणा को महत्व देती है। मानवीय संबंध विचारधारा कहती है कि, कार्य समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ किया जाने वाला व्यवहार उस व्यक्ति की भावनाओं, दशाओं और इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिये। कर्मचारियों व अधीनस्थों को प्रबंध व्यवस्थाओं में भाग लेने व मान्यता प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होने चाहिये। संचार व्यवस्था अत्यन्त प्रभावी होनी चाहिये, जिससे सभी पक्षकार अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान कर सकें। मानवीय आधार कहता है कि, मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी ही नहीं है जो केवल धन प्राप्ति की इच्छा से कार्य करता है, वह अपनी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी कार्य करता है और इन्हें पूरा करना भी प्रबंधक का कर्तव्य है।

कर्मचारियों के विकास हेतु अभिप्रेरणा की विकसित तकनीकों का प्रयोग भी प्रबंध द्वारा किया जाना चाहिये यथा कार्य विस्तार, कार्य समृद्धि, कार्य परिवर्तन, प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी परामर्श इत्यादि।

अन्ततः यह सत्य है कि, अन्तिम रूप से शान्तिमय औद्योगिक संबंधों

की स्थापना कानून पर निर्भर नहीं करती वह व्यक्तियों और प्रबन्धकों के बीच स्थापित मानवीय संबंधों पर निर्भर करती है।

मूल्यांकन – इस विचारधारा का मूल्यांकन करते हुए पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि 'यद्यपि मानवीय सम्बंध विचारधारा ने प्रबन्ध को गलत विचारों से मुक्त किया है, लेकिन इसने पुरानी विचारधाराओं के स्थान पर कोई नवीन विचारधारा के प्रतिपादन में सफलता प्राप्त नहीं की है।'

इसकी प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं –

1. यह विचारधारा प्रबंध में मानव को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान लेती है, जबकि संगठन में दूसरे संसाधन भी महत्वपूर्ण होते हैं।
2. यह विचारधारा प्रबंध के कला पक्ष को अधिक प्रकट करती है तथा विज्ञान के प्रति उदासीन रहती है।
3. इस विचारधारा में मानव संतुष्टि पर अधिक बल दिया गया है, जबकि संतुष्टि केवल क्षणिक होती है।
4. यह विचारधारा प्रबन्ध के सिद्धान्तों तथा उसकी तकनीकों को भी महत्व नहीं देती है।

अतः यह अपरिहार्य है कि, प्रबंध में मानवीय साधन को प्रमुख स्थान मिलना चाहिये तथा आर्थिक हित सामाजिक लक्ष्यों से अवश्य ही नीचे रहने चाहिये। केवल सम्पत्ति का उत्पादन ही आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थायित्व एवं सामाजिक उन्नति के लिये लाभप्रद नहीं हो सकता।

सी फ्रैंसिस ने ठीक ही कहा है कि **'तुम एक व्यक्ति का समय खरीद**

सकते हो, तुम एक व्यक्ति की निश्चित स्थान पर उपस्थिति खरीद सकते हो, यहाँ तक कि तुम एक कुशल व्यक्ति की प्रति घण्टा या प्रतिदिन के हिसाब से प्रमापित शारीरिक गतियाँ खरीद सकते हो, किन्तु तुम उत्साह नहीं खरीद सकते, तुम स्वतः प्रेरणा नहीं खरीद सकते। इन सबको तुम्हें कमाना होगा, अर्जित करना होगा।'

समाज का कुल कल्याण तो मानवीय विकास और उसकी प्रबंध में सहभागिता पर निर्भर करता है। यह सत्य है कि, **कारखाने रूपी उद्यान में प्रबंध रूपी माली मानव रूपी पर्यावरण को विकसित करके ही उच्च उत्पादकता रूपी पुष्प एवं फलों से उपभोक्ताओं को सुख, शान्ति एवं सन्तोष प्रदान करता है।**

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भगोलीवाल, टी.एन., श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 167-169
2. अग्रवाल एवं पोरवाल, 'सेविवर्गीय प्रबन्ध' नवयुग साहित्य सदन, आगरा
3. रिचर्डसन, जे.एच., इन्ट्रोडक्शन टू रिलेशंस, पेज 428
4. जी. फ्रांसिस: ए स्पीच गिवेन विफोर द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स, ह्यूमन रिलेशंस टाइम्स, अप्रैल 14, 1952, पेज-97
5. मी जॉन एफ, पर्सनल हैण्डबुक, पेज - 893
6. पी. सुधा, जी.एस.: 'प्रबन्ध अवधारणाएं' रमेश बुक डिपो, जयपुर

An Analytical Study Of Unit Linked Plans Of LIC

Dr. Hitesh A. Kalyani*

Abstract - Prime objective of an insurance company is to provide insurance cover, the time necessitates considering the return factor equally important. Gradually, the insurance business is considered as an investment options where investors expect insurance cover with profitable returns also.

The concept of Unit Linked Insurance Plan scheme becomes popular. ULIPs are a category of goal-based financial solutions that combine the safety of insurance protection with wealth creation opportunities. In ULIPs, a part of the investment goes towards providing your life cover. The residual portion of the ULIP is invested in a fund which in turn invests in stocks or bonds; the value of investments alters with the performance of the underlying fund opted.

Keywords - IRDA, AEGON, NAV.

Introduction - India is developing country, all its contributing sectors are also developing. Insurance business in India has seen a lot of changes. Insurance provides risk cover for the life and other valuable products for its whole life time or desired period at periodic nominal cost.

The insurance schemes can be considered as traditional. It allows an insurance company to provide insurance coverage for desired period by charging a fixed period amount. At the end of the time period in case of no claim, the company use to return the amount with certain interest returns.

ULIPs are structured in such that the protection element and the savings element are distinguishable, and hence managed according to your specific needs. In this way, the ULIP plan offers unprecedented flexibility and transparency.

A Unit Linked Insurance Plan (ULIP) is a product offered by insurance companies that unlike a pure insurance policy gives investors the benefits of both insurance and investment under a single integrated plan. The research will study the ULIP plan of a premier insurance company of the country i.e. Life Insurance Corporation of India.

Concept of Unit Linked Insurance Plan (ULIP) - In Unit Linked Insurance Plans(ULIP), the investments made are subject to risks associated with the capital markets. This investment risk in investment portfolio is borne by the policy holder. Thus, you should make your investment choice after considering your risk appetite and needs.

In Unit Linked Insurance Plans(ULIP), the investments made are subject to risks associated with the capital markets. This investment risk in investment portfolio is borne by the policy holder. LIC offers a variety of unit-linked insurance products to suit your goals - be it for your retirement planning, for your health, for your child's education and marriage or for investment purposes.

The first ULIP was launched in India in 1971 by Unit

Trust of India (UTI). With the Government of India opening up the insurance sector to foreign investors in 2001 and the subsequent issue of major guidelines for ULIPs by the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) in 2005, several insurance companies forayed into the ULIP business leading to an overabundance of ULIP schemes being launched to serve the investment needs of those looking to invest in an investment cum insurance product.

Need Of The Study - The research study will make a study of ULIP schemes being offered by Life Insurance Corporation of India. The financial performance of the insurance business will be assessed through the insurance products of LIC.

Scope Of The Study - The study will cover the various ULIP plans offered by LIC of India. However the basic insurance plans will be analyzed but due attention will be given to ULIP plan schemes.

Objectives Of The Study -

The objectives of the research study are as follows:

1. To study the various ULIP plans offered by insurance companies.
2. To study the ULIP plans of LIC.
3. To analyze its growth from investment point of view.
4. To apprise its worth on overall basis covering insurance and investments.

Period Of Study - The study will cover the various ULIP schemes being offered by Life Insurance Corporation of India presently.

Limitations Of The Study - The main limitations are as follows:

1. The study will be cover the insurance products offered by Life Insurance Corporation of India.
2. The study will attempt to cover only unit linked insurance plan schemes.

*Assistant Professor (Commerce) S.N. Mor College, Tumsar, Dist. Bhandara (Maharashtra) INDIA

3. The insurance products being offered in Nagpur city are considered.
4. The financial study appraises the insurance product on two vital elements, risk cover and returns.

Hypothesis - The Unit Linked Insurance products offered by Life Insurance Corporation of India provides better option as compared to its traditional plans.

Methodology - Descriptive method in which various ULIP insurance products offered by sample unit i.e. LIC will be studied. It will cover unit linked plan schemes. The primary source will be the information collected from the offices of Life Insurance Corporation of India. The secondary sources comprise information available with other insurance companies, IDRC guidelines, SBI brochures, websites, magazines etc.

Analysis And Interpretation - The data collected in respect of various insurance products of Life Insurance Corporation of India will be analyzed and observed.

ULIP of LIC

Life Insurance Corporation of India

1. AEGON Religare Life Insurance
2. Aviva Life Insurance
3. Bajaj Allianz Life Insurance
4. Bharti AXA Life Insurance
5. Birla Sun Life Insurance
6. Canara HSBC Life Insurance
7. DLF Pramerica Life Insurance
8. Edelweiss Tokio Life Insurance
9. Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.
10. HDFC Standard Life Insurance
11. ICICI Prudential Life Insurance
12. IDBI Fortis Life Insurance Company Ltd.
13. IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd
14. ING Vysya Life Insurance
15. Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance
16. Life Insurance Corporation of India
17. Max Life Insurance
18. PNB MetLife India Insurance
19. Reliance Life Insurance
20. Sahara India Life Insurance
21. SBI Life Insurance
22. Shriram Life Insurance
23. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
24. TATA AIG Insurance

Servicing A Unit Linked Plan - Single Premium: The policy holder is required to pay the entire premium amount as a lump sum at the beginning of the policy term.

The following charges are deducted from your policy towards the cost of benefits and administration services provided by LIC

1. Administration charges
2. Fund management charges
3. Switch charges
4. Surrender charges
5. Mortality Charges
6. Premium Allocation Charge

7. Partial Withdrawal Charges

A Unit Linked Insurance Plan (ULIP) is a life insurance plan, which offers the dual benefits of protection as well as savings. The protection component is the insurance cover while the savings component is that portion of the premium that is invested by the insurance company on your behalf in a fund/(s) of your choice. The first one is called Death Benefit and the second one, Maturity Benefit.

ULIPs help long term financial goals. They cultivate a disciplined approach to financial planning as it requires you to make investments at regular intervals. Being long term plans, they also protect your investment from short term market fluctuations due to rupee cost averaging.

ULIPs have the added advantage of flexibility and transparency. Investment portfolios are disclosed on a monthly basis and Fund's NAVs are disclosed on a daily basis. Most ULIPs offer you a range of fund options across different asset classes to meet your needs based on your individual requirements. They also provide you the flexibility to manage your investment based on the changing market scenario and your risk appetite.

Unit linked insurance plan (ULIP) is life insurance solution that provides for the benefits of risk protection and flexibility in investment. The investment is denoted as units and is represented by the value that it has attained called as Net Asset Value (NAV). The policy value at any time varies according to the value of the underlying assets at the time.

In a ULIP, the invested amount of the premiums after deducting for all the charges and premium for risk cover under all policies in a particular fund as chosen by the policy holders are pooled together to form a Unit fund. A Unit is the component of the Fund in a Unit Linked Insurance Policy.

The returns in a ULIP depend upon the performance of the fund in the capital market. ULIP investors have the option of investing across various schemes, i.e. diversified equity funds, balanced funds, debt funds etc. It is important to remember that in a ULIP, the investment risk is generally borne by the investor.

Data Analysis:

(see in last page)

A ULIP is basically a combination of insurance as well as investment. The money collected by the insurance provider is utilized to form a pool of fund that is used to invest in various markets instruments (debt and equity) in varying proportions just the way it is done for mutual funds. Policy holders have the option of selecting the type of funds (debt or equity) or a mix of both based on their investment need and appetite. ULIP policy holders are also allotted units and each unit has a net asset value (NAV) that is declared on a daily basis. The NAV is the value based on which the net rate of returns on ULIPs are determined.

ULIP policy holders can make use of features such as top-up facilities, switching between various funds during the tenure of the policy, reduce or increase the level of protection, options to surrender, additional riders to enhance

coverage and returns as well as tax benefits.

ULIP schemes have a list of applicable charges that are deducted from the payable premium. ULIP returns are directly linked to market performance and the investment risk in investment portfolio is borne entirely by the policy holder, one need to thoroughly understand the risks involved and one's own risk absorption capacity before deciding to invest in ULIPs.

Tax Benefits - ULIPs are an efficient tax saving instrument too. The tax benefits that you can avail in case you invest in ULIPs are described below:

- Life insurance plans** are eligible for deductions u/s 80C
- Health insurance plans** are eligible for deductions u/s 80C
- Life insurance plans** are critical illness riders for deduction under sec. 80D

Analysis & Interpretation - The insurance in these days has become essential for managing risk. The insurance company is the only company which prays for longer life of insurer. The LIC is efficiently functioning among many competitors in the field and not given up its place to any

competitor. People of India have more faith and confidence in LIC. Hence retaining, maintain and developing confidence is essential factor and it has to give more attention towards innovative policies.

Conclusion will be drawn to appraise the worth of ULIP of Life Insurance Corporation of India on overall basis covering the risk coverage and returns factors. The Unit Linked Insurance products offered by Life Insurance Corporation of India provides better option as compared to its traditional plans.

References :-

- Fundamental of Insurance, R.K. Gupta, Himalaya Publishing House.
- Principles & Practice of Insurance, Dr. P. Periasamy, Himalaya Publishing House.
- Principles of Insurance, Dr. Agrawal, Sahitya Publication.
- www.licofindia.com
- www.insurancepolicy.com
- www.ulipschemes.com
- www.insurancepolicy.com
- www.policybazar.com

NAV FOR THE DATE : 21/02/2016

Plan Name(Number)		Launch Date			
Fund	SFIN No.	Face Value	NAV as on date	Repurchase Value	Sale Value
		₹	₹	₹	₹
BIMA PLUS (140)		Launch Date: 02/02/2001			
Balanced	ULIF002020201LICBMA+BAL512	10.00	43.7736	41.5849	43.7736
Risk	ULIF003020201LICBMA+RSK512	10.00	61.2009	58.1408	61.2009
Secured	ULIF001020201LICBMA+SEC512	10.00	38.3893	36.4699	38.3893
FUTURE PLUS (172)		Launch Date: 04/03/2005			
Balanced	ULIF003040305LICFUT+BAL512	10.00	19.7763	19.7763	19.7763
Bond	ULIF001040305LICFUT+BND512	10.00	17.6875	17.6875	17.6875
Growth	ULIF004040305LICFUT+GRW512	10.00	27.3104	27.3104	27.3104
Income	ULIF002040305LICFUT+INC512	10.00	19.9090	19.9090	19.9090
JEEVAN PLUS (173)		Launch Date: 18/10/2005			
Balanced	ULIF003181005LICJVN+BAL512	10.00	17.4614	17.4614	17.4614
Bond	ULIF001181005LICJVN+BND512	10.00	18.2062	18.2062	18.2062
Growth	ULIF004181005LICJVN+GRW512	10.00	25.1042	25.1042	25.1042
Secured	ULIF002181005LICJVN+SEC512	10.00	17.8938	17.8938	17.8938
MONEY PLUS (180)		Launch Date: 20/12/2006			
Balanced	ULIF003201206LICMNY+BAL512	10.00	16.0141	16.0141	16.0141
Bond	ULIF001201206LICMNY+BND512	10.00	17.3659	17.3659	17.3659
Growth	ULIF004201206LICMNY+GRW512	10.00	12.3556	12.3556	12.3556
Secured	ULIF002201206LICMNY+SEC512	10.00	16.4293	16.4293	16.4293
MARKET PLUS (181)		Launch Date: 05/07/2006			
Balanced	ULIF003050706LICMKT+BAL512	10.00	17.9538	17.9538	17.9538
Bond	ULIF001050706LICMKT+BND512	10.00	18.8951	18.8951	18.8951
Growth	ULIF004050706LICMKT+GRW512	10.00	15.1037	15.1037	15.1037
Secured	ULIF002050706LICMKT+SEC512	10.00	18.3430	18.3430	18.3430
FORTUNE PLUS (187)		Launch Date: 23/08/2007			
Balanced	ULIF003230807LICFTN+BAL512	10.00	12.6771	12.6771	12.6771
Bond	ULIF001230807LICFTN+BND512	10.00	16.3837	16.3837	16.3837
Growth	ULIF004230807LICFTN+GRW512	10.00	12.0010	12.0010	12.0010

Secured	ULIF002230807LICFTN+SEC512	10.00	15.7821	15.7821	15.7821
PROFIT PLUS (188)		Launch Date: 23/08/2007			
Balanced	ULIF003230807LICPFT+BAL512	10.00	16.3806	16.3806	16.3806
Bond	ULIF001230807LICPFT+BND512	10.00	17.1212	17.1212	17.1212
Growth	ULIF004230807LICPFT+GRW512	10.00	11.5434	11.5434	11.5434
Secured	ULIF002230807LICPFT+SEC512	10.00	15.4028	15.4028	15.4028
MARKET PLUS - I (191)		Launch Date: 17/06/2008			
Balanced	ULIF003170608LICMK1+BAL512	10.00	13.1544	13.1544	13.1544
Bond	ULIF001170608LICMK1+BND512	10.00	15.5249	15.5249	15.5249
Growth	ULIF004170608LICMK1+GRW512	10.00	14.2219	14.2219	14.2219
Secured	ULIF002170608LICMK1+SEC512	10.00	13.2242	13.2242	13.2242
MONEY PLUS - I (193)		Launch Date: 22/05/2008			
Balanced	ULIF003220508LICMY1+BAL512	10.00	15.8054	15.8054	15.8054
Bond	ULIF001220508LICMY1+BND512	10.00	16.6671	16.6671	16.6671
Growth	ULIF004220508LICMY1+GRW512	10.00	15.7652	15.7652	15.7652
Secured	ULIF002220508LICMY1+SEC512	10.00	17.1896	17.1896	17.1896
CHILD FORTUNE PLUS (194)		Launch Date: 01/11/2008			
Balanced	ULIF003011108LICCHF+BAL512	10.00	16.2541	16.2541	16.2541
Bond	ULIF001011108LICCHF+BND512	10.00	14.6454	14.6454	14.6454
Growth	ULIF004011108LICCHF+GRW512	10.00	17.5175	17.5175	17.5175
Secured	ULIF002011108LICCHF+SEC512	10.00	18.3283	18.3283	18.3283
JEEVAN SAATHI PLUS (197)		Launch Date: 29/06/2009			
Balanced	ULIF003290609LICJST+BAL512	10.00	11.5157	11.5157	11.5157
Bond	ULIF001290609LICJST+BND512	10.00	13.9048	13.9048	13.9048
Growth	ULIF004290609LICJST+GRW512	10.00	11.9540	11.9540	11.9540
Secured	ULIF002290609LICJST+SEC512	10.00	12.7381	12.7381	12.7381
WEALTH PLUS (801)		Launch Date: 09/02/2010			
WealthPlus	ULIF001090210LICWLT+FND512	10.00	10.4108	10.4108	10.4108
ENDOWMENT PLUS (802)		Launch Date: 20/09/2010			
Balanced	ULIF003200910LICEND+BAL512	10.00	11.4322	11.4322	11.4322
Bond	ULIF001200910LICEND+BND512	10.00	13.1463	13.1463	13.1463
Growth	ULIF004200910LICEND+GRW512	10.00	11.6112	11.6112	11.6112
Secured	ULIF002200910LICEND+SEC512	10.00	11.5202	11.5202	11.5202
PENSION PLUS (803)		Launch Date: 02/09/2010			
Debt	ULIF001020910LICPEN+DBT512	10.00	13.0759	13.0759	13.0759
Mixed	ULIF002020910LICPEN+MIX512	10.00	11.6505	11.6505	11.6505
SAMRIDHI PLUS (804)		Launch Date: 25/02/2011			
Samridhi Plus	ULIF001250211LICSMDFND512	10.00	11.8498	11.8498	11.8498
FLEXI PLUS (811)		Launch Date: 02/01/2013			
Debt_Fund	ULIF001180912LICFLX+DBT512	10.00	10.7515	10.7515	10.7515
Mixed_Fund	ULIF002180912LICFLX+=MIX512	10.00	10.6526	10.6526	10.6526
HEALTH PLUS (901)		Launch Date: 04/02/2008			
Health Plus	ULIF001040208LICHLT+FND512	10.00	13.9172	13.9172	13.9172
HEALTH PROTECTION PLUS (902)		Launch Date: 29/04/2009			
Health Protection Plus	ULIF001290409LICHPR+FND512	10.00	13.2689	13.2689	13.2689

A Study On Consumer Protection Act

Dr. Anita Dani *

Abstract - The consumer protection act is one of the most important legislations to protect and promote the interest of consumers. The consumer protection act is intended to protect interest of the consumers against traders, suppliers. Most of the consumers are small consumers against who may not be educated or conversant with law. The act not only provides inexpensive and expeditious remedies, but also arms the forums constituted under the act with the power of enforcement of their orders by coercive process by imposing imprisonment and fines. The consumer protection act has opened up a new era in the field of business. It imparts a new dimension to the concept of a law as a tool of social. The act is a milestone in the history of socio-economic legislation in the country. It is one of the most progressive and comprehensive pieces of legislation enacted for the protection of consumer. The new law has been enacted after in depth study of consumer protection laws. This paper focus on consumer protection act and the paper focus on benefits of law towards consumers regarding consumer protection act.

Keywords - Redressal Forum, Appellate, Judicial Machinery, Malpractices.

Introduction - The Act provides speedy redressal to consumer complaints. The bill provides for setting up of a consumer Redressal Forum in every districts, a commission at the state level and the National commission at the centre. The forum in the district will have original jurisdiction to redress complaints up to claim of ten lakh. The State commission will be original jurisdiction to settle claims up to amount twenty lakhs. The National commission can claim for damages above twenty lakhs will be vested with appropriate appellate and revision powers.

OBJECTIVES OF CONSUMER PROTECTION ACT:

- Better Protection of interests of Consumer.
- Consumer Protection Councils
- Quasi –Judicial machinery for speedy redressal of consumer disputes.
- Protection of Rights of Consumers.
 1. Right to be protected
 2. Right to be informed
 3. Right to be assured
 4. Right to be Seek redressal
 5. Right to be heard
 6. Right to be consumer education.

PROBLEMS FACED BY CONSUMERS:

1. Lack of information
2. Not heard properly
3. Unethical advertising
4. Wrong delivery of goods
5. Duplicate goods
6. No proper return of money
7. Malpractices by suppliers
8. Health and safety hazards

RESPONSIBILITIES OF CONSUMERS:

- Utilise information
- Make the best decision while buy goods
- File complaint
- Claim compensation
- Search best product

RELIEFS TO CONSUMERS:

- Removal of Defectives
- Replacement of Goods
- Refund of price
- Discontinuance of unfair trade practices
- Withdrawal of hazardous goods from the market
- Payment of adequate cost
- Removal of deficiency in services.

FILLING A COMPLAINT:

Documents required for filling a complaint:

- Receipt of purchased goods.
- Details of payments made by complaint.
- Details of the invoice of purchase bill.
- Copy of advertisement and catalogue that promised the concerned goods and service.
- Details of agreement copy.
- Details of bounced cheques
- Details of opposite party letter.
- Details of letter which sent to party for settlement or rectification of fault.

PROCEDURE TO FILE COMPALINT:

1. A complaint must be filed within two years from the date on which the cause of actin arose.
2. District forum, State Commission or National commission may entertain complaint even after the

* H.O.D. & Assistant Professor (Home Economics) Samarth Mahavidyalaya, Lakhani, Distt. Bhandara (Maharashtra) INDIA

expiry of two years it is satisfied that there was sufficient cause.

3. State commission against the orders of district forum.
4. National commission against the original orders of state commission.
5. Supreme court against the original orders of national commission must filled within 30 days from the date of receiving of the order of district forum/ state commission/ National commission.
6. Appellant deposit 50% of the amount required to be paid as per the order of the district forum.

2. Statement of the Problem - Consumer Protection Act have been widely attracted significant from various groups including Consumer, Companies, Corporate, and Businessman. Therefore it is the need of time to have the study on the public awareness, knowledge and understanding of Consumer Protection Act in Nagpur.

3. Objectives of the Study:

- To study the Consumer Protection Act in India.
- To analyses the consumer opinion about awareness on Consumer Protection Act in India.
- To study on the public level of expectations from the Consumer Protection Act.
- To give suggestions on the relevant subject.

4. Need for the Study - There are many research projects regarding the consumer. A Study on Consumer Protection Act in Nagpur region is an untouched topic, hence the present study has been undertaken to fill up that gap.

5. Research Methodology -

- Primary data: A structured questionnaire is used to collect the primary data.
- Secondary data: Secondary data is collected by referring related books, journals and web sites.

6. Sample Size - The sample size of the study is 200.

7. Tools and Techniques - Simple percentage

8. Limitations

- The survey was restricted to Nagpur region.
- The number of respondents was limited to 200 only.

9. Respondents' data


Question no.1

Gender of the respondents

Gender	No. of Respondent	Percentage
Male	108	054
Female	092	046
Total	200	100

(Source: Primary Data)

The above table shows the male female ratio of the respondents. Out of the total respondents taken for the study, 54% are male and the remaining 46% are female. Majority of the people are male.



Question on. 2


Awareness about Consumer Protection Act.

Awareness	No. of Respondent	Percentage
Aware	184	092
Not Aware	016	008
Total	200	100

(Source: Primary Data)

The above table shows the respondents source of awareness about Consumer Protection Act.

Out of the total respondents taken for the study, 92 % are aware Consumer Protection Act and 8% are not aware about Consumer Protection Act. Majority of the respondents are aware about Consumer Protection Act



Question no. 3


Understanding Consumer Protection Act.

Understanding Consumer Protection Act	No. of Respondent	Percentage
Yes	178	089
No	022	011
Total	200	100


(Source: Primary Data)

The above table shows the respondents source of Understanding Consumer Protection Act.

Out of the total respondents taken for the study, 89% are aware about Consumer Protection Act and 11% are not Understanding Consumer Protection Act. Majority of the respondents are Understanding Consumer Protection Act.



Out of the total respondents taken for the study, 44% of the respondent's opinion that Govt. fail to Implement Consumer Protection Act. 56% of the respondents opinion that govt. are not Failures to Implement Consumer Protection Act. Majority of the respondents opinion that govt, failure to Implement Consumer Protection Act.




Question no.4

Ready to file complaint against seller

Ready to file complaint against seller	No. of respondents	Percentage
Yes	052	026
No	148	074
Total	200	100

(Source: Primary Data)



The above table states the opinion about the respondents are ready for file complaint against seller.

Out of the total respondents taken for the study, 26 % of the respondents are ready for file complaint against seller 74% of the respondents are not ready for file complaint against seller. Majority of the respondents are not ready for file complaint against seller.

Question no. 5

Failures to Implement Consumer Protection Act.

Failures to Implement Consumer Protection Act	No. of respondents	Percentage
Yes	088	044
No	112	056
Total	200	100

(Source: Primary Data)

The above table states the opinion about the respondents are Failures to Implement Consumer Protection Act.

Results & Discussion:

1. Most of the public respondents are Male.
2. Majority of the respondents are aware about Consumer Protection Act.
3. Majority of the respondents are understanding Consumer Protection Act.
4. Majority of the respondents are not ready for file complaint against seller.
5. Majority of the respondents opinion that govt, failure to Implement Consumer Protection Act.

Conclusion - A Study of Awareness towards Consumer Protection Act in Nagpur region prove that people are aware about Consumer Protection Act. Even the people are much familiar about the concept of Consumer Protection Act. Government should organise seminars, or organise campaigns not only in Nagpur region but in all India to familiar the each group about the Consumer Protection Act.

References:-

1. Mercantile Law, P.P.S. Gogna, S. Chand publication, New Delhi.
2. Mercantile Law, M.C.Kuchhal, vivek Kuchhal, Vikas Publishing house, Noida.
3. Consumer Protection laws, Khanna, Rakesh, Central Law agency, Allahabad.
4. Consumer Protection in India, Kumar Niraj, Himalaya Publishing House, New Delhi.
5. The Law of consumer protection and fair trading, Harvey, Brain W.,
6. www.consumerprotectionact.co.in
7. www.consumerlaws.co.in
8. www.consumerlawsinindia.co.in

गांधी दर्शन और शिक्षा

डॉ. कल्पना वर्मा *

प्रस्तावना - यह मानव स्वभाव है कि वह संसार और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण धारण करता है, उसी के अनुसार व्यक्ति और समाज के लिए आदर्श की कल्पना भी करता है। उसका आचरण तथा कर्तव्यबोध उसी दृष्टिकोण के अनुसार बन जाता है। महात्मा गांधी भी मानव-जीवन के प्रति एक विशेष बोध रखते हैं। उनकी सोच में एक गम्भीर रहस्यवाद है, एक गहरी दार्शनिकता है। इस गहराई में गांधी जी जीवन को उसके समग्र रूप में देखते हैं। उनके लिए जितना महत्त्व गोलमेज कान्फ्रेंस के असफल हो जाने का है, उतना ही महत्त्व मूंगफली खाने का भी है। 'हरिजन' पत्रिका के प्रारम्भिक अंकों में ये दोनों बातें एक साथ दिखायी देती हैं। वे मनुष्य के जीवन को शिक्षा और प्रशिक्षण से अलग करके नहीं देखते। क्योंकि गांधी जी यह जानते थे कि भारत एक गरीब देश है। गरीब आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि शिक्षण संस्थान तक जा सके। अतः उनका मानना था कि यदि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचना चाहिए।

इस अर्थ में उनके लिए विद्यालय एक भवन नहीं है। विद्यालयी शिक्षा जीवन का एक समग्र रूप है, जिसे विद्यालय के परिसर में बांधा नहीं जा सकता। एक प्रकार से महात्मा गांधी विद्यालयों की चहारदीवारी को तोड़कर शिक्षा को बन्धनमुक्त करने के पक्षधर थे जिससे कि वह सर्वग्राही बन सके। यही बात स्त्री शिक्षा के लिए भी लागू होती है। एक पुरुष यदि शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्रमशः समाज शिक्षित होता है। इसलिए शिक्षा हमेशा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा का कोई रूप नहीं होता। न ही वह समाज के रूपान्तरण के लिए पर्याप्त होती है। इस बात को लेकर गांधी के समय में भी और उनके बाद भी विवाद रहा है।

सन् 1870 के आसपास हंटर कमेटी ने जब यह प्रश्न खड़ा किया कि शिक्षा का अधिकार भारतीयों को दे दिया जाए, तो सर सैयद जैसे लोगों का कहना था कि भारत शिक्षा की भूमि रही है। यहां वैदिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि की शिक्षा की एक लम्बी परम्परा रही है। अतः भारतीयों को शिक्षा का अधिकार दे देना चाहिए। परन्तु इसके विपरीत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का मानना था कि शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों के पास ही रहनी चाहिए अन्यथा भारतवर्ष में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाना पड़ेगा। लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति विकसित की, उसके आलोचक उसकी जितनी भी बुराई करें, पर सच यह है कि उसी पद्धति ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये। इसी अर्थ में अम्बेदकर कहते हैं कि इस देश में अंग्रेज देर से आये और जल्दी चले गये।

महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के स्तर पर कताई-बुनाई-थोड़ा पोथी-पत्रा पढ़ लेने, पत्र लिख सकने तक को ही मानते हैं। इसका कोई विस्तृत

और बड़ा रूप नहीं है, जो मनुष्य को शिक्षित कर सके। शिक्षा मनुष्य को रूपान्तरित कर देने वाली प्रविधि है जो छोटे-मोटे टोटके से सम्भव नहीं है। उसके लिए व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। गांधी के सहयोगी और साथी रहे गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मदन मोहन मालवीय आदि ने अंग्रेजी पद्धति के अन्तर्गत भारतीयता का स्पेस विकसित किया और रवीन्द्र नाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ये सब गैर सरकारी विश्वविद्यालय थे जिसमें उच्च गुणवत्ता के साथ आधुनिक शिक्षा को समाविष्ट किया गया। गांधी जी इन असहमतियों का सम्मान करते थे अतः उपयुक्त प्रयासों का उन्होंने सदैव स्वागत किया और एक नयी शिक्षा दृष्टि को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया, जबकि इन सभी संस्थानों में गांधी जी की मूल अवधारणा बुनियादी शिक्षा का निषेध किया गया था।

महात्मा गांधी ने जिस भावी भारत की सम्भावना की थी वह नैतिक भावों से पूर्ण, शोषणमुक्त, सहयोग और सेवा से सम्पन्न था। स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के आधार पर यदि जगत की रचना करनी है वह स्थिति लानी होगी जिसमें नये प्रकार का लोकतन्त्र हो। यह लोकतन्त्र जन-जन तक शक्ति और अधिकार पहुंचा कर स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए भी शिक्षा की अनिवार्यता है। यही कारण था कि गांधी जी के विचार सभी वर्गों के लिए समान दिखते हैं। समाज भले ही पितृसत्तात्मक हो परन्तु वर्तमान तक आते-आते उसके साथ स्त्री सत्ता और लोक सत्ता विलय होते दिख जाती है। शिक्षा उनके ग्राम पुनर्निर्माण और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र पुनर्निर्माण की सतत चलने वाली प्रक्रिया थी।

गांधी जी का कहना था कि समूची शिक्षा प्रणाली विगलित हो चुकी है। शहरों और कस्बों में बसने वाले जनसंख्या का 10-15 प्रतिशत ही हैं परन्तु उनकी वजह से लिंग सम्बन्धी भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। यंग इण्डिया के 23 मई 1929 को लिखे गये महात्मा गांधी के लेख से पता चलता है कि उन्हें निरक्षरता, स्कूल-सुविधाओं का अभाव आदि की जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और उसे व्यापक जनसमुदाय को ध्यान में रखकर तय किया जाए। उसके अनुसार शिक्षा प्रणाली में बच्चों के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया जाए। क्योंकि बिना इसके शिक्षण प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जिससे लड़के-लड़की स्वयं के प्रति उत्तरदायी बनें और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा कर सकें। आज समाज की मांग यही है कि हम दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं अपने देश पर निर्भर बनें। शिक्षा यदि रोजगार परक होगी तभी शिक्षित युवा उसका उपयोग कर सकेगा।

स्वावलम्बन शिक्षा दर्शन का ही एक अंग है। इस सन्दर्भ में गांधी जी ने लिखा है - 'विद्यार्थियों को खुद कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जिससे अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो और इस तरह स्कूल तथा कॉलेज स्वावलम्बी बनें। औद्योगिक तालीम को योग्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। विद्यार्थियों को साहित्यिक तालीम के साथ-साथ औद्योगिक तालीम भी मिलनी चाहिए। इस आवश्यकता के साथ आजकल इस बात का महत्त्व अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। हमारे देश में तो औद्योगिक तालीम की शिक्षा स्वावलम्बी बनाने के लिए भी है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी श्रम का गौरव अनुभव करना सीखें। अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनी देश है और इसलिए वहां शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता कम से कम है। यहां विद्यार्थी प्रायः अपनी पढ़ाई का पूरा अथवा आंशिक खर्च खुद कोई उद्योग करके निकालते हैं। अगर अमेरिका अपने स्कूल और कॉलेज इस तरह चलाता है कि विद्यार्थी अपने स्कूल एवं कॉलेज का खर्च खुद निकाला करें तो हमारे स्कूल और कॉलेज में तो इस बात की आवश्यकता और अधिक मानी जानी चाहिए।'

अपने समय में महात्मा गांधी ने जो भी सोचा और कहा था आज वह उनका दर्शन बन चुका है। केन्द्र में सर्वोदय का दर्शन है। सर्वोदय का अर्थ है - सबका उत्थान। सबके उत्थान के लिए गांधी जी ने सत्य-अहिंसा-सत्याग्रह-स्वदेशी जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। इसके पीछे मूल भावना जन जागरण और शिक्षा की ही थी। इसके माध्यम से एक उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिक का निर्माण उनकी वरीयताओं में था। यंग इण्डिया के 7 अगस्त

1924 के अंक में उन्होंने कहा भी है कि स्वराज का अर्थ है सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियन्त्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह देखेंगे तो वह स्वराज्य सरकार किसी काम की नहीं होगी।

एक शिक्षित भारत को बनाने का लक्ष्य गांधी जी के अनुसार तभी पूरा हो सकता था जब लोग गांवों से जुड़ कर रहेंगे। उनका मानना था कि लोकतान्त्रिक स्वराज में किसानों के पास राजनीतिक सत्ता के साथ हर प्रकार की सत्ता होनी चाहिए। देश में उनकी आवाज सबसे ऊपर होनी चाहिए। यदि गांव नहीं रहेंगे तो भारत भी नहीं रहेगा। उद्योगों की जगह कुटीर उद्योगों का समर्थन, आर्थिक संरचना, शिक्षा, भाषा, सामाजिक समरसता आदि भारत के विकास के लिए उनके टूलस थे। इनके दूरगामी प्रभाव से आज भी किसी को परहेज नहीं हो सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शास्त्री कमलापति, बापू और मानवता, सरस्वती मन्दिर, जतनबर, बनारस प्रकाशन, संस्करण 1945।
2. राय विजय कुमार, भारतीय समाजवादी आन्दोलन और गांधी, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, संस्करण 2013।
3. गुप्त विश्व प्रकाश, गुप्त मोहिनी, महात्मा गांधी व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, संस्करण 2011।

भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. अंजू श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। हिन्दू समाज में उनका सम्मान और आदर प्राचीन काल से आदर्शात्मक और मर्यादायुक्त था। उनकी अवस्था पुरुषों के सदृश थी। वे अपना मनोनुकूल आत्मविकास और उत्थान कर सकती थीं। उन्हें विवाह, शिक्षा, सम्पत्ति आदि में अधिकार प्राप्त थे। कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में तथा माँ के रूप में वे हिन्दू परिवार और समाज में आदर थीं। उनके प्रति समाज की स्वाभाविक निष्ठा और श्रद्धा रही है। परिवार और समुदाय में उनके द्वारा कन्या, पत्नी, वधू और माँ के रूप में किये जाने वाले योगदान का सर्वदा महत्व और गौरव रहा है। भारतीय धर्मशास्त्र में नारी सर्व-शक्ति-सम्पन्न मानी गई तथा विद्या, शील, ममता, यश और सम्पत्ति की प्रतीक समझी गई। गृह की साम्राज्य के रूप में उसे प्रतिष्ठापित किया गया तथा घर के अन्य सदस्यों को उसके शासन में रहने के लिए निर्देशित किया गया। शनैःशनैः समाज में उसका महत्व इतना अधिक बढ़ा कि उसके बिना अकेला पुरुष अपूर्ण और अधूरा समझा गया। 'पुरुष' शब्द की निर्मिति स्त्री, सन्तान और व्यक्ति की समष्टि से मानी गई। शास्त्रकारों का कथन है कि केवल पुरुष कोई वस्तु नहीं, अर्थात् वह अपूर्ण ही रहता है, किन्तु स्त्री, स्नेह तथा सन्तान, ये तीनों मिलकर ही पुरुष (पूर्ण) होता है और जो पति है, वह स्त्री है, अतएव उस स्त्री से उत्पन्न सन्तान उस स्त्री के पति की होती है। इस प्रकार स्त्री पुरुष की 'शरीरार्द्ध' और 'अर्द्धांगिनी' मानी गई तथा 'श्री' और 'लक्ष्मी' के रूप में वह मनुष्य के जीवन को सुख और समृद्धि से ढीस करने वाली कही गई। उसका आगमन पुरुष के लिए शुभ, सौभाग्य और सम्मानजनक था जिसके सम्पर्क से उसका व्यक्तित्व मुखर और सन्निविष्ट हो उठता था। जब तक मनुष्य विवाहोपरान्त भार्या की प्राप्ति नहीं कर लेता था तब तक वह आधा ही कहा जाता था। आधा शरीर सब कुछ नहीं कर पाता था और प्रजोत्पत्ति भी पूरा शरीर होने पर ही हो सकती थी तथा पूरा शरीर अर्थात् शरीर की पूर्णता विवाहिता पत्नी से ही सम्भव थी।

स्त्रियों की दशा में युग के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर पूर्वमध्य युग तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे तथा उनके अधिकारों में तदनुसृत परिवर्द्धन भी होते रहे हैं यह सही है कि वैदिक युग में उनकी अवस्था अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत थी किन्तु परवर्ती काल से उनकी स्थिति में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया जो अवनति के रूप में बाद के समयों तक चलता रहा। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को समाज में श्रेयस्कर स्थान नहीं मिला, बल्कि अपेक्षाकृत निम्न स्थान ही प्राप्त हुआ जिसके प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक संकीर्णता ही थे। साथ ही जैविकीय और मानसिक दोष की भी चर्चा की गई, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक रहा है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने स्त्रियों में ऐसे जन्मजात

दोष माने जिनके कारण वे पुरुषों की तुलना में हीन रही। उनके व्यक्तित्व में अस्थिरता का दोष प्रधान रूप से स्वीकार किया गया है। साथ ही यह भी मत व्यक्त किया गया है कि उनमें न्याय की भावना अत्यल्प होती है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ईर्ष्या की मात्रा अधिकाधिक है। किन्तु भारतीय समाज में इस प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं। भारतीय विचारकों ने स्त्रियों के प्रति आदर ही व्यक्त किया है तथा इन्हें देवी का प्रतीक माना है।

उत्तरवैदिक-काल के परवर्ती युग से ही नारी की दशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। वैदिक युग में स्त्री की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। वह पुरुषों के समक्ष बिना भेद-भाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। वह बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी। इस युग में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था तथा वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। अनेक महिलाएँ अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी, जो अपना शिक्षणकार्य उत्साह और लगन के साथ निष्ठापूर्वक सम्पन्न करती थीं। ऐसे स्त्रियाँ 'उपाध्याया' कही जाती थी। ये उपाध्याया छात्राओं को पढ़ाया करती थीं तथा उन्हें अन्यान्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कराती थी। इनकी अलग शिक्षा-शालाएँ हुआ करती थी जहाँ महिलाएँ जाकर शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऐसी महिला शिक्षण-संस्थाओं का प्रबन्ध उपाध्यायाएँ ही करती रहीं। पाणिनि ने महिला-शिक्षणशाला का उल्लेख किया है, यद्यपि उस युग में सहशिक्षण का भी प्रचलन था जो पूर्ववैदिक युग से चला आ रहा था। छात्र-छात्राएँ एक साथ शिक्षा प्राप्त करती थीं। वाल्मीकि आश्रम में आत्रेयी ने लव और कुश के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। भूरिवसु और देवराट के साथ कामन्दकी ने गुरुकुल में अध्ययन किया था जहाँ विभिन्न दिशाओं में निवास करने वाले लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पुराणों से विदित होता है कि नारी-शिक्षा के दो रूप थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यावहारिक। आध्यात्मिक ज्ञान में वृहस्पति-भगिनी भुवना, अपर्णा, एकपर्णा, एकपाटला, मेना, धारिणी, संनति, शतरूपा आदि कन्याओं का उल्लेख हुआ है जो ब्रह्मादिनी थीं। इनके अतिरिक्त ऐसी कन्याओं का भी सनदर्भ मिलता है, जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से अभीष्ट की प्राप्ति की थी। उमा, पीवरी, धर्मव्रता जैसी कन्याओं ने अपनी तपस्या के बल पर मनोनुकूल वर पाया था। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि योग और तप पर भी निर्भर करती थी जिसमें स्त्री का ब्रह्मचर्य, सदाचरण, शील, सच्चारित्र्य और सद्भावहार संनिहित था। यही नहीं, गृह में निवास करती हुई कन्याएँ गार्हस्थ्यिक शिक्षा से भी अवगत हुआ करती थीं। पूर्व-वैदिकयुगीन अपाला नामक कन्या अपने पिता के कृषि-कार्य में सहयोग प्रदान करती थी। उस युग की अधिकांश कन्याएँ गाय दुहना भी जानती थीं, इसलिए कन्याओं को 'दुहिता' भी कहा जाता था। वे सूत कातना, बुनना और वस्त्र

सिलना भी जानती थी। ललित कलाओं में भी वे निपुण होती थी। वे कौशलपूर्वक नृत्य करती थीं तथा ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करती थी। उत्तर वैदिककालीन व्यावहारिक शिक्षा में वे नृत्य, संगीत, गान, चित्रकला आदि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। रामायण और महाभारत में स्त्रियों के नृत्य, गान और संगीत के अनेक विवरण मिलते हैं। वस्तुतः नृत्य और गीत में स्त्रियों की सदा से रूचि रही है। त्रिपुर की स्त्रियाँ अपनी भाव-भंगिमाओं से लोगों को प्रपुल्ल रखती थी तथा आकर्षण का वातावरण निर्मित करती थीं। प्रमदाओं की कमनीय भाव-भंगिमा और अप्सराओं की आकर्षक नृत्यकला शोभा और सुन्दरता का केन्द्र-विन्दु थी। चित्रकला का समुचित विकास तब तक हो चुका था। सुस्थ रेखांकन, रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तीकरण चित्रकला के प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में अनेक पौराणिक सन्दर्भ मिलते हैं। वाणासुर के मंत्री कुष्माण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों, गंधार्वों और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन किया था, जिसमें अनिरुद्ध का भी चित्तकर्षक चित्र था।

दूसरी सदी ई.पू. तक स्त्री का उपनयन व्यावहारिकतः बन्द हो चुका था। विवाह के अवसर पर ही उसका उपनयन संस्कार सम्पन्न कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध में मनु का कथन है कि पति ही कन्या का आचार्य, विवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही उसका आश्रम-निवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे। स्मृतिकारों ने व्यवस्था दी कि बलिकाओं के उपनयन में वैदिक मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। कालांतर में शूद्रों की ही तरह वेदों के पठन-पाठन और यज्ञों में सम्मिलित होने के अधिकार से भी वह वंचित कर दी गई। वस्तुतः शिक्षण संस्थाओं और गुरुकुलों में जाकर ज्ञान प्राप्त करना कन्या के लिए अतीत की बात हो गई थी। वह केवल माता, पिता, भाई, वन्धु आदि से अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। परवर्ती भाष्यकार मेधातिथि, विश्वरूप और अपरार्क की भी यही व्यवस्था है। पूर्वमध्य युग तक आकर नारी-शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हो चुका था, किन्तु अभिजात वर्ग में सुसंस्कृत और सुबोधा स्त्रियों की कमी नहीं थी। वे प्राकृत और संस्कृत में दक्ष होती थीं। काव्य, संगीत, नृत्य, वाद्य और चित्रकला में भी वे प्रवीण होती थीं। राज्यश्री के लिए वाण ने हर्षचरित् में लिखा है कि वह 'नृत्यगीत' आदि में विदग्ध स्त्रियों के बीच सम्पूर्ण कलाओं का प्रतिदिन अधिकाधिक परिचय प्राप्त करती हुई धीरे-धीरे बढ़ रही थी। गाथासप्तशती से अनेक विदुषी स्त्रियों का पता लगता है। रेखा, रोहा, माधावी, अनुलक्ष्मी, पाहई, बद्धवही, शशिप्रभा जैसी कवयित्रियाँ अपनी प्रतिभा और कल्पना शक्ति के लिए विख्यात थीं। इस युग में अनेक ऐसी प्रज्ञा-सम्पन्न नारियाँ हुई जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचना-शैली और काव्य-कला से साहित्यिक योगदान किया। कविवर राजशेखर की पत्नी अवनिसुन्दरी उत्कृष्ट कवयित्री और टीकाकार थी। मंडन मिश्र और शंकर के बीच हुए शास्त्रार्थ की निर्णायिका मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी थी, जो तर्क, मीमांसा, वेदांत और साहित्य में पूर्ण पारंगत थी।

ऐसी भी स्त्रियाँ हुई हैं जो शासन-व्यवस्था और राज्य के प्रबन्ध में दक्ष होती थीं तथा शासक अथवा अभिभावक के अभाव में स्वयं प्रशासन का संचालन करती थीं। यूनानी आक्रामक सिकन्दर के आक्रमण का प्रतिरोध पति की मृत्यु के पश्चात् मत्सग की महारानी ने किया था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में आंध्र-सातवाहन वंशीय राजमाता नयनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण करते हुए स्वयं प्रशासन का भार संभाला था। इसी प्रकार वाकाटक वंश की रानी और गुप्तवंशीय सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता (चौथी सदी) ने अपने पुत्र की अल्पवयस्कता-वश

स्वयं शासन किया था। कश्मीर की सुगधा और दिदा नामक स्त्रियाँ अपने प्रशासन और राज्य-कार्य के लिए विख्यात थीं। अक्का देवी और भैला देवी जैसी गुजरात की चौलुक्य वंशी रानियों ने अपने राज्य का प्रशासन निष्ठापूर्वक किया था। इन विवरणों से प्रकट है कि महिलाएँ समय पड़ने पर राज्य के संचालन में भी अग्रणी रहती थी तथा अपनी अनुपम बुद्धिमत्ता और कुशलता से अपने राज्य का प्रशासन करती थीं।

स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हिन्दू समाज में उनका सम्पत्ति-विषयक अधिकार स्वीकार किया गया है तथा उन विशेष परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया गया है, जिनके कारण सम्पत्ति में वे अपना हिस्सा प्राप्त करती थीं। वैदिक कालीन कुछ ऐसे विवरण हैं।

निश्चय ही पुत्र के रहते हुए कन्या का सम्पत्ति में अधिकार वैदिक काल से रहा है। परवर्ती धर्मशास्त्रकारों ने भी उसे स्वीकार किया है। विष्णु और नारद ने कन्या के हिस्से का समर्थन तो किया है, किन्तु उसके द्वारा अपने हिस्से को ले जाने का अनुमोदन नहीं किया है। नारद का अभिमत है कि कन्या उतना ही हिस्सा प्राप्त करे जितना उसके अविवाहित रहने तक व्यय होता है। पिता के दिवंगत हो जाने पर कन्या का विवाह करना पुत्र का परम कर्तव्य का तथा अपने हिस्से का एक चौथाई विवाह-कार्य में व्यय कर सकता था। अगर बहन के विवाह में किसी प्रकार की कठिनाई थी तो वह भाई का कर्तव्य था कि वह अपने ही हिस्से जितना बहन के विवाह में व्यय करता अथवा अपनी सम्पत्ति में से विवाह का समस्त व्यय करता। इसके साथ ही यह भी निर्देश किया गया था कि अगर परिवार की सम्पत्ति अधिक है तथा विवाह में कम व्यय हुआ तो शेष सम्पत्ति को कन्या अपने साथ नहीं ले जा सकती थी।

विधवा का सम्पत्ति में अधिकार माना गया है, यद्यपि वैदिक साक्ष्य इसके विरुद्ध है। संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में पति की मृत्यु पर विधवा के अधिकार को नहीं स्वीकार किया गया है। परवर्ती काल में विधवा के अधिकार को समाज में स्वीकृति मिली तथा पति की मृत्यु के बाद प्रायः विधवा ही उत्तराधिकारिणी होती थी। तीसरी सदी ई.पू. तक विधवा के सम्पत्ति विषयक अधिकार को मान्यता नहीं मिली थी। आपस्तम्ब ने विधवा के सम्पत्ति संबंधी अधिकार को नहीं स्वीकार किया है तथा यह मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र के अभाव में उसका उत्तराधिकारी सपिण्ड व्यक्ति होता था, इसके न रहने पर मृत व्यक्ति का आचार्य या उसके न रहने पर उसका अन्तेवासी संपत्ति का अधिकारी होता था। मनु के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष के धान का भागी पिता या भाई था। अगर ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो सपिण्डों में निकट सम्बन्धी मृत व्यक्ति के धान का भागी था तथा इसके अभाव में क्रमशः समानोदक (सजातीय), आचार्य तथा शिष्य मृत व्यक्ति के धान का भागीदार था। मनु के मत का भाष्य करते हुए मेधातिथि ने लिखा है कि सम्पत्ति में विधवा कहीं भागीदार नहीं होती। पहली सदी ईस्वी तक आकर व्यवस्थाकारों ने यह विमर्श किया कि अगर विधवा पुनर्विवाह नहीं करती है अथवा नियोग द्वारा पुत्र नहीं उत्पन्न करती है तो उसके भरण-पोषण के लिए कुछ न कुछ प्रबन्धा अवश्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में विधवा को पति की सम्पत्ति में हिस्सा प्रदान किया गया। कौटिल्य ने सम्पत्ति में विधवा के भाग को स्वीकार किया है। गौतम ने सपिण्डों, गोत्रियों और सम्बन्धियों के साथ विधवा के समान भाग को माना है। विष्णु का अभिमत था कि पुत्रों के अयोग्य होने पर विधवा उत्तराधिकारिणी होती थी। इन मतों के विपरीत कुछ ऐसे अनुदार धर्मशास्त्रकार हुए जिन्होंने मृत पति की सम्पत्ति में विधवा के भाग को नहीं स्वीकार किया। नारद, कात्यायन और भोज ऐसे

ही धर्मशास्त्रकार हैं। नारद ने उत्तराधिकारी के अभाव में मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर राज्य के अधिकार को स्वीकार किया है तथा विधवा को केवल भरण-पोषण के लिए धान प्रदान करने का निर्देश दिया है। किन्तु दायभाग और मिताक्षरा के अनुसार मृत पति के सम्पूर्ण धान को पुत्र के अभाव में विधवा प्राप्त करती रही। इस प्रकार ऐसे विचारकों का वर्ग विकसित हुआ जिसने नारी के अधिकार का प्रतिपादन तथा उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया। नारी के समान अधिकार की संपुष्टि करने वाले ऐसे शास्त्रकारों ने नारी के प्रति अत्यन्त उदार और संवेदनशील मत की अभिव्यंजना की। पुरुषों की तुलना में नारी के संपत्ति-विषयक अधिकार में किसी प्रकार की निम्न दृष्टि ऐसे विचारकों ने नहीं प्रदर्शित की। पूर्वमध्य युग में निश्चय ही स्त्री के प्रति सहानुभूति और स्नेह का वातावरण निर्मित दीखता है। विशेषकर उसके आर्थिक जीवन को अधिक सुगम और सुघर बनाने के विचार से शास्त्रकारों ने सम्पत्ति में उसके अधिकार को स्वीकार किया। स्त्रियों में विधवा का जीवन कठोरता और निर्ममता पर आधृत था, इसलिए उदार, विचारकों ने उसके सम्पत्ति-विषयक भाग को स्वीकार किया और तत्संबंधी तर्क प्रस्तुत किया।

अधिकांश हिन्दू व्यवस्थाकारों ने स्त्री-धान के अन्तर्गत नारी की विभिन्न सम्पत्ति का उल्लेख किया है। स्त्री की अपनी स्वयं की सम्पत्ति, जिस पर उसका पूर्ण स्वत्व होता है, वह स्त्री-धन कहा जाता है। ऊपर के विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि नारी का सम्पत्ति में अधिकार विवादग्रस्त था। प्राचीन की अपेक्षा पूर्व मध्ययुगीन शास्त्रकार इस सम्बन्ध में अधिक तर्कशील और उदार थी, जिन्होंने नारी के अन्यान्य अधिकारों को अत्यन्त सहज भाव से स्वीकार किया।

कुछ धर्मशास्त्रकारों ने उदारमना होकर प्रोषितपतिका के लिए ऐसी व्यवस्था दी है कि पति के शीघ्र न लौटने पर अथवा उससे जीविका न प्राप्त होने पर वह दूसरा विवाह कर सकती थी। इस प्रकार प्रोषितभर्तृका के लिए कौटिल्य का मत है कि देशान्तर जाने वाले शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियाँ उत्तरोत्तर एक-एक वर्ष बढ़ाकर क्रमशः एक, दो, तीन और चार वर्ष तक पति के आगमन की प्रतीक्षा करें। यदि वे स्त्रियाँ निःसन्तान हों अथवा सन्तानवाली हों तो वे एक-एक वर्ष और पति के आने की राह देखें यदि उनके पति उनके लिए भोजन का प्रबन्ध कर गए हों तो पूर्वोक्त समय से दूने समय, अर्थात् दो, चार, छह और आठ वर्ष तक इन्तजार करें। यदि उनके पति उनके भरण-पोषण की व्यवस्था न कर गए हों तो पति के सम्पन्न बन्धु-बंधव उन स्त्रियों को चार या आठ वर्ष तक सँभालें। अगर उस समय तक भी पति की ओर से पत्नी के पोषण के सम्बन्ध में उसके सम्बन्धियों को कोई सूचना नहीं मिलती, तब वह उसके बाद उनके ऊपर अपना व्यय किया हुआ द्रव्य उनके स्त्री-धान में से लेकर उन्हें स्वतन्त्र कर दें। विद्याधन के लिए विदेश गए ब्राह्मण पति की अपुत्रवती पत्नी दस और पुत्रवती बारह वर्ष तक लौटने की प्रतीक्षा करें। यदि कोई पुरुष राज्य के कार्य से बाहर गया हो तो उसकी पत्नी जीवन भर उसके प्रत्यागमन की प्रतीक्षा करें। इस बीच यदि पति के सजातीय पुरुष के भोग से कोई सन्तान उत्पन्न हो जाय तो उसकी निन्दा करनी चाहिए। कुटुम्ब की सम्पदा नष्ट हो जाने तथा अपने सम्पन्न जेठ-देवरों से अपमानित होने पर विपत्तिग्रस्त स्त्री अपने जीवन-निर्वाह के लिए दूसरा पति कर सकती है। मनु के विमर्शानुसार धर्मकार्यार्थ परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा स्त्री आठ वर्ष तक करें। विद्या या यज्ञ के लिए परदेश गए पति की ती वर्ष तक प्रतीक्षा करें। गौतम ने प्रोषितपतिका के लिए परदेश गए पति की छह वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिए निर्देश दिया है और

यह भी कहा है कि अगर पत्नी को उसका पता मिल जाय तो वह उसके पास चली जाय। कौटिल्य की तरह गौतम ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि अगर विद्याधन के लिए ब्राह्मण पति विदेश गया हो तो स्त्री को उसकी बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। किन्तु कौटिल्य ने ऐसी प्रोषितपतिका स्त्री के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया है। उसका कहना है कि ब्राह्म आदि धर्म-विवाह द्वारा विवाहिता का पति यदि बिना बताए परदेश चला जाय और वहाँ से अपनी कोई सूचना भी न दे कि वह कहाँ गया है तो वह प्रोषितपतिका स्त्री सात मासिक ऋतुकाल तक प्रतीक्षा करें। यदि यह सूचना मिल जाय कि वह कहाँ है तो साल भर उसकी प्रतीक्षा करें। यदि पति कहकर जाय, किन्तु जाने के बाद उसका कोई समाचार न मिले तो वह स्त्री पांच मासिक ऋतुकाल तक उसकी राह देखे। अगर ऐसे परदेश गए पति का समाचार मिल जाय तो वह स्त्री दस मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा करें। यदि पति अपनी स्त्री को कुछ खर्च देकर गया हो, किन्तु कालान्तर में उसका समाचार न मिले तो वह प्रोषित-पति का तीन मासिक धर्म पर्यन्त उसकी प्रतीक्षा करें। परन्तु बाद में उस पुरुष का पता लग जाय तो वह स्त्री सात मासिक ऋतुकाल तक उसकी प्रतीक्षा करें। यदि पति अपनी पत्नी का पूरा खर्च देकर गया हो, किन्तु बाद में उसका समाचार न मिले तो स्त्री पाँच महीने उसकी प्रतीक्षा करें और यदि पति की सूचना मिल जाय तो पत्नी दस मास तक और उसकी प्रतीक्षा करें। उपर्युक्त अवधि का समय बीत जाने पर वह धर्मस्थ की अनुमति लेकर स्वतंत्र हो जाय और तत्पश्चात् दूसरा पति रख ले। यह निर्देश इसलिए किया गया कि कौटिल्य जैसे धर्म-व्यवस्थाकारों की यह मान्यता रही है कि संतित-जनक के लिए स्त्री के ऋतुकाल का अतिक्रम धर्म-वध जैसा महापाप है। पति यदि लम्बे समय के परदेश गया हो, यदि उसने संन्यास ले लिया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो तो पुत्रहीन स्त्री सात महीने तक उसकी प्रतीक्षा करें। यदि स्त्री पुत्रवती हो तो वर्ष भर उसकी प्रतीक्षा करें। उसके बाद वह पति के किसी सगे भाई के साथ, जो पति से कुछ ही छोटा हो, धार्मात्मा हो और पालन-पोषण करने में समर्थ हो, अपना पुनर्विवाह कर ले। इसी प्रकार पति का छोटा भाई भार्यारहित हो तो वह उसके साथ भी विवाह कर सकता है। यदि पति का कोई सहोदर भाई न हो तो वह स्त्री उसके सौतेले भाई के साथ विवाह कर ले। यदि वह भी न हो तो वह स्त्री अपने पति के कुलवाले किसी भी पुरुष के साथ विवाह-सम्बन्ध कर सकती है किन्तु वह पुरुष का पति के निकट सम्बन्धियों में होना आवश्यक है। अतः इन उद्घरणों से स्पष्ट है कि प्रोषित-पतिका अपने परदेश गए पति की प्रतीक्षा निश्चित अवधि तक करती थी तथा अपने पति के न आने पर वह दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी। ऐसी स्त्री के प्रति कौटिल्य ने अत्यन्त उदारतापूर्ण विचार व्यक्त किया है तथा जीवन भर प्रतीक्षा का निर्देश नदेकर केवल थोड़े समय तक ही प्रतीक्षा करने की सलाह दी है। कौटिल्य जैसे शास्त्रकारों की प्रोषित-पतिका के लिए शास्त्रीय और धर्म के आधार पर पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान करना निश्चय ही उसके मनोवैज्ञानिक और जैविक अपेक्षाओं को स्वीकार करना था तथा सामाजिक स्तर को बनाए रखना भी था।

स्त्री के प्रति समाज का व्यवहार नारी के प्रति हिन्दू समाज का व्यवहार दिनों-दिन कठोर होता गया। उत्तरवैदिक काल से पुरुष का उसके प्रति अविश्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ती गयी।

समानता की भावना पश्चिम की देन है। हमारी संस्कृति की देन है। हमारी संस्कृति में नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। यदि सीधे-साधे कहा जाए कि स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है तो बात शायद सबके गले नहीं उतरेगी। इसलिए

इसकी व्याख्या में जाना होगा।

पश्चिमी संस्कृति में नारी का पत्नी और प्रेयसी रूप प्रधान है, भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान सर्वोपरि है। और यहीं वह पुरुष से उंची है। हमारे आचार्य जब स्नतकों को जीवन-व्यवहार की शिक्षा देते थे, तब यही कहते थे- 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव!' इसमें माता का स्थान गुरु और पिता से पहले है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था- 'जगन्माता जगत गुरु'। यह जगन्माता का स्थान न केवल परिवार और समाज में माँ के उंचे स्थान का परिचायक है, उसे देवत्व तक उठा कर आदि शक्ति का रूप भी दिया गया है।

भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति की महत्ता इसी से सिद्ध है कि वह न पुरुष की अनुगामिनी है, न उसके समकक्षा वह पूरक है। स्त्री और पुरुष मिलकर जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। 'दाम्पत्य' शब्द इसकी पुष्टि करता है।

पर पूरकर होकर भी पुरुष की जन्मदात्री और शक्ति होने से स्त्री का स्थान पुरुष से श्रेष्ठ उससे उंचा माना गया है। अपनी शक्तियों के अभाव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों महादेवता भी जैसे निरुपाय लगते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या! हमारे देवी-देवताओं में 'अर्धा-नारीश्वर' की कल्पना भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत देन है। यहां नारी 'अर्धागिनी' है और पुरुष 'अर्धानारीश्वर'-युगल सामंजस्य की विलक्षण कल्पना।

आध्यात्मिक क्षेत्र से उतर कर संसार के रण क्षेत्र में देखें तो भी जीवन के सतत संघर्ष के लिए शक्ति की उपादेयता असंदिग्ध है। न अकेला पुरुष-जीवन सार्थक है, न अकेला स्त्री-जीवन। जब दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं तो उनके प्रतिद्वंद्विता या होड़ कैसी? सृजन भी समानता से नहीं, पूरकता से ही संभव है। अपने आराध्यों को हम सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण कहते हैं-राम-सीता, कृष्ण-राधा, नारायण-लक्ष्मी नहीं। 'लेडीज फर्स्ट' की धारणा हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से व्याप्त है।

प्राचीन भरत में स्वतंत्रता व गरिमा अक्षुण्ण भारत का इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा को पूरी मान्यता दी गई थी। हिन्दू-विवाह-पद्धति में पाणिग्रहण संस्कार के समय पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर कहता है, 'मेरे गृह की सामग्री बने'। कोई भी धार्मिक यह सामाजिक अनुष्ठान पत्नी के सहयोग बिना पूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ हो या धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थयात्रा व पर्व-स्नान हो अथवा कोई पारिवारिक या सामाजिक उत्सव, अर्धागिनी पत्नी का साथ रहना अनिवार्य माना गया है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ के समय सीता वनवास में भी तो सीता की सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ हेतु राम की बगल में बिठाई गई थी।

यद्यपि वैदिक काल में पौराणिक काल और स्मृति काल तक आते-आते भारतीय समाज में स्त्री का स्थान पूर्वापेक्षा नीचे हो गया, तब भी मनु ने लिखा- 'यंत्र नारियस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता'-जहां स्त्रियों का समादार होता है, वहां देवता निवास करते हैं। मानव की आदि-कथा में मनु, श्रद्धा, इडा को जो वर्णन है, उसमें इडा या बुद्धि का स्थान महत्वपूर्ण मानते हुए भी श्रद्धा या भावना का स्थान उससे उंचा माना गया है। यह स्थिति सार्वभौम, सार्वकालिक कही जा सकती है। आज के समाज में इडा का प्राधान्य होने पर भी उसका स्थान उपयोगिता से अधिक नहीं। जहां तक मान-सम्मान का प्रश्न होने है, वह स्थान श्रद्धा को ही अधिक प्राप्त है। नारी केवल इडा (तार्किक) होकर न केवल अपनी संस्कृति से दूर हटेगी, अपना सम्मान भी कायम नहीं रख सकेगी। वह पहले माँ, फिर पत्नी या प्रेयसी होकर ही आज

के भ्रमित-दुःखित विश्व के सामने अपनी भारतीय संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत कर सकती है।

निःसंदेह आदर्श एक वांछित स्थिति है, एक अपेक्षा है; आज के इस गतिशील भौतिक युग के प्रभावों में आग्रह नहीं। लेकिन परिवर्तनों को विकास की दिशा देने और वर्तमान तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को यथासंभव अपना सांस्कृतिक आधार प्रदान करने के लिए नारी को यह दायित्व लेना ही चाहिए-न केवल देश-समाज को आगे ले जाने के लिए, वर्तमान त्रिशांकु की- सी स्थिति से निकल स्वयं अपनी पहचान अपनी मुक्ति के लिए भी।

नैतिक मूल्यों पर जब-जब भोगवादी मूल्यों की प्रधानता स्वीकार की गई, तभी समाज में ये अत्याचार बढ़ गए-इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए आज दबे वर्गों के सिर उठाने पर उन्हें सजा देने के रूप में यौन-शक्ति के प्रदर्शन का यह धिनौना हथियार (बलात्कार) इस्तेमाल किया जाने लगा है, ताकि यथास्थिति या मौजूदावस्था को उनसे कोई खतरा न हो और उनकी भोगवादी व मनमाने अधिकारों वाली सत्ता कायम रहे।

इस आधुनिक धारणा में नारी के आत्म-बलिदान का अस्वीकार है और उसके द्वारा संघर्ष व प्रतियोगिता में टिकने, मुकाबला करने को प्रोत्साहन है। ऊपरी तौर पर यह धारणा पश्चिमी मतवाद से प्रभावित लगती है। पर ध्यान से देखें तो नारी के प्राचीन शक्ति रूप का ही समर्थन करती है। केवल इसे भारतीय सांस्कृतिक आधार पर समझने व इसमें युगानुरूप परिवर्तन-संशोधन लाने की जरूरत है कि यह नारी शक्ति प्रतिद्वंद्विता में नष्ट न हो, सहकार-सहयोग से 'नारी पुरुष की सम्पत्ति है' वाली मध्यकालीन धारणा को बदला जा सके।

'गृहिणी गृह मुच्यते' और 'बिना घरनी घर भूत का डेरा' कहकर हमने गृहलक्ष्मी की महत्ता भी स्वीकार की है। सुंदर, सुशील, सुघड़ कन्या को 'लक्ष्मी' की संज्ञा दी जाती है। वह लक्ष्मी समान बने, इसके लिए अनेक घरों में लड़की को पुकारा ही लक्ष्मी नाम से जाता है। इसलिए कि एक सुंदर गृहिणी घर की शोभा तो होती है, पर सुंदरता के साथ यदि वह सुसंस्कृत व सुघड़ नहीं होगी तो न घर-परिवार का कुशल संचालन होगा, न बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। लक्ष्मी से तात्पर्य इन तीनों गुणों का समन्वय ही है। शिक्षा की कितनी ही डिग्रियां हों, कामकाजी रूप में इसका कितना ही उंचा वेतन हो, यदि नारी इन गुणों से वंचित है तो न उसका घर-बाहर कहीं सम्मान है, न उसके घर की या उसके मन की शांति ही सुरक्षित है-आजादी के सारे नारों, प्रगति के सारे आंकड़ों को झुठला कर यह सत्य आज भी जीवित है और शायद आगे भी जीवित रहेगा। व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव में रोज महसूसने वाले इस 'सत्य' से आंख चुराकर, कार्य-विभाजन और कार्य-सहयोग की परस्पर आश्रित भूमिका को भुलाकर आधुनिक नारी न सुखी हो सकती है, न प्रगति को सार्थक विकास की राह पकड़ा सकती है। घर ही समाज की सबसे छोटी इकाई है और घर-परिवार की धुरी नारी है। तो जाहिर है कि वही समाज उन्नति करेगा, जो कुशलता से संचालित घरों और सुसंस्कृत परिवारों से मिलकर बना होगा।

सुंदरता, बृद्धि और शक्ति के मेल से ही जीवन का सफल संचालन संभव है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में जगत-जीवन की नियंत्रक शक्ति समानान्तर अर्थ में प्रकृति की यह संतुलित शक्ति ही है। इस संतुलित शक्ति से लैस होकर ही नारी-जीवन सुखी, सार्थक और समाज-नियंता बन सकता है। आधुनिक भारतीय नारी को अपनी वर्तमान स्थिति से उंचे उठने के लिए यही संतुलन साधना है-यह उपेक्षा उससे समाज की ही नहीं है, पुरुष की ही नहीं है, स्वयं अपनी भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ, डॉ. कृष्णकान्त पाठक
2. समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएँ (हि.स.), डॉ. सुरेश चन्द्र राजौरा
3. भारतीय समाज व संस्कृति समाजशास्त्र, रवीन्द्र नाथ मुकर्जी शर्मा एण्ड गुप्ता
4. भारत में सामाजिक परिवर्तन, रवीन्द्रनाथ मुकर्जी
5. डी.एन. मजूमदार, भारतीय जन संस्कृति

महाराष्ट्रातील कृषी धारणक्षेत्र आणि उत्पादकतेचा अभ्यास

प्रा. स्वप्निल एस. बोबडे*

प्रस्तावना - जमीन ही निर्सगाची देणगी आहे. भूमीची उत्पादकता आणि मानवी श्रम यांच्या संयोगाने उत्पादन होते. या दोन साधनांना उत्पादनाची मुलभूत साधने म्हणूनच ओळखले जाते. शेती विकास हा जमिनीची सुपीकता विहित धारणक्षेत्र, सिंचन व्यवस्था, वेळेवर पडणारा पाऊस, शेती कसण्याचे तंत्र, बी बियाणांची आणि खतांची उपलब्धता, रासायनिक वा अन्य सेंद्रिय खतांचा वापर, विपणन व्यवस्था, शेतमालाला मिळणारी किंमत वित्तपुरवठा, शासकीय धोरण व त्याची अमलबजावणी इत्यादी विविध घटकावर अवलंबून असतो. या सर्व घटकांचा जो अंतिम परिणाम शेती विकासावर दिसायला पाहिजे तो शेतमालाचे एकूण उत्पादन व दर हेक्टरी उत्पादन या परिमापकांच्या साहाय्याने अभ्यासता येतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आज ही 52.2 टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भारताच्या वाट्याला जागतिक भूभागापैकी 2.4 टक्के भूभाग आणि जागतिक लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या वाट्याला आली आहे. एकूणच राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा 14 टक्के एवढा आहे. भारत हा खंडप्राय देश असल्याने प्रत्येक राज्याचे हवामान, भू-रचना, पर्जन्यमान, पीकरचना भिन्नभिन्न आहेत. भारतीय कृषीची मुळातच इतर देशांच्या तुलनेत उत्पादकता कमी आहे. भारतातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा (होल्डींग) सरासरी अडीच एकरच्या आत आहेत व यात सतत घट होत आहे. जर जगात अमेरिका सरासरी होल्डींग 450 एकर ब्राझील 200 ते 1000 एकर ऑस्ट्रेलिया सरासरी 5000 एकर याची तुलना केली तर आपल्या देशातील कृषी धारण क्षेत्र किती कमी आहे हे दिसून येते. धारण क्षेत्राकरीता अनेक योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार राबवित आहे. त्यामुळे त्या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देवून नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात प्रेरीत करणे ही काळाची गरज आहे. तरच कृषी प्रगती होवून उत्पादनात वाढ होवू शकते.

कृषी विकासाचा इतिहास व महत्व : शेती व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वी सुरुवातीला आदिमानव झाडांची फळे रानातील वनस्पतीचे अवशेष, मध इत्यादी पदार्थ गोळा करून आपली उपजिविका करत असे. इ.स. पूर्व 10000 वर्षापूर्वी जगातील मध्य भागातील पूर्वेकडील प्रदेशातील रानात भटकणाऱ्या लोकांच्या लक्षात आले की, झाडावरून जमिनीवर पडणारे बियाणे पाऊसानंतर योग्य वातावरणात रुजते व उगवते. पुढे त्यापासून वनस्पतीची वाढ होते. इ.स. पूर्व 800 वर्षापूर्वी रानातील धान्याचे बियाणे गोळा करून त्याच पद्धतीने सुरुवातीला गव्हाचे बी गोळा केले. ते पेरण्यासाठी थोडी जमीन मोकळी करून दगडाच्या हत्याराच्या सहाय्याने जमिनीची मशागत केली. योग्य वातावरणात बी ओळीने पेरले त्याच्यापासून एकाच ठिकाणी मानवाला धान्य मिळू लागले. यामुळे वसाहतीना सुरुवात

झाली. जगातील पहिली वसाहत इजिप्त मधील नाईल नदीच्या किनाऱ्यावर बसली. तेथून खऱ्या अर्थाने कृषी व्यवसायाला प्रारंभ झाला.

इ.स. 3000 वर्षापूर्वी इजिप्तमधील नाईल नदीच्या किनाऱ्यावर वसाहती स्थापन झाल्यानंतर नदीच्या पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी करू लागले. याच प्रक्रियेत बैलाचा वापर शेतीसाठी होऊ लागला. शेती व्यवसायामुळे मानवी जीवनमान बदलू लागले. रोमन लोकांनी पिकांची फेरपालट करण्याचे तंत्र शोधले. एक वर्ष जमीन पडीत ठेवल्यास तिची सुपीकता वाढते हे लक्षात आले. अमेरिकेत झायनोफोन या शास्त्रज्ञाने शेणखत हे सेंद्रिय खत म्हणून उपयुक्त असल्याचा दाखवून दिले. अमेरिकेत मका, भुईमूंग, खबर, रताडी, तंबाखू, टोमॅटो लागवडीवर भर दिला. इ.स. 1600 मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स, नेदरलँड, पोर्तुगाल येथील गोऱ्या लोकांनी वसाहती केल्या. आफ्रिकेतील निग्रो लोकांना गुलाम म्हणून वापरण्यात सुरुवात केली. इ.स. 1600 मध्ये युरोपियन लोकांनी आशिया खंडात वसाहती स्थापन करून विविध पिकांच्या लागवडीवर भर दिला. मूळ शेतकऱ्यांना शेती कसण्यासाठी कुळ म्हणून ठेवले. कुळाकडून शेतसारा वसूल करू लागले. तेथील शेती भांडवलाअभावी नापीक बनून शेतकरी वर्ग अतिशय गरीब अवस्थेत जीवन जगू लागला.

17 वे शतक शेती क्रांतीचे शतक म्हणून ओळखल्या जाते. या शतकात शेतीसंबंधी महत्वाचे शोध लागले.

भारतातील जमीन सुधारणा : स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सुद्धा भारतातील शेती क्षेत्र मागासलेले होते. शेतीची प्रगती घडवून आणण्यासाठी जमीन सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये कुळविषयक सुधारणा, कमाल जमीन धारणेवर मर्यादा या प्रमुख सुधारणांचा समावेश होतो.

जमीन सुधारणांचा अर्थ : देशातील शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचे व शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनाचे न्याय वाटप घडवून आणून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा एक आदर्श आकृतीबंध निर्माण करणे म्हणजे जमीन सुधारणा होय. जमीनदारी पद्धतीचे व अन्य मध्यस्थांचे उच्चाटन करणे, कसेल त्याची जमीन (Land to the tiller) हे तत्व प्रत्यक्षात आणणे, धारण क्षेत्रावर कमाल मर्यादा घालून जमिनीच्या मालकी हक्काचे केंद्रीकरण टाळणे, कुळांना संरक्षण देणे, किफायतशीर धारणक्षेत्र निर्माण करणे ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये होती.

जमीन विषयक सुधारणासाठी केलेले कायदे :

(1) जमीनदारी पद्धत : शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल गोळा करणाऱ्या हक्काचा लिलाव करून तो महसूल मध्यवर्ती सरकारकडे भरणा करणाऱ्या पद्धती सुरू झाली. नंतरच्या काळात दर पाच वर्षांनी लिलाव केला जाऊ लागला आणि काही बाबतीत अशा लिलावात सर्वाधिक रक्कमेची बोली

करणाच्या मालक शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल वसूल करण्याचे व तो महसूल सरकारकडे भरणे करण्याचे जवळजवळ आनुवांशिक अधिकार मिळू लागले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने भारतातील जमीन महसूल गोळा करणाऱ्यांना जमीनमालकांचा म्हणजेच जमीनदारांना हक्क बहाल केला. ही पद्धत पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मद्रासचा काही भाग आणि उत्तरप्रदेश व आसाम या भागात होती.

(2) महालवारी पद्धती : या पद्धतीनुसार शेतीवाडीची संयुक्त मालकी ज्या लोकांकडे असलेले सर्व लोक त्या शेतीवाडीची जमीन महसुलाची रक्कम सरकारकडे भरण्यास व्यक्तिशः व संयुक्त रीतीने जबाबदार धरले जातात. ही पंजाब व उत्तर प्रदेशातील काही भागांमध्ये अस्तित्वात होती.

(3) रयतवारी पद्धत : रयतवारी पद्धत एल्फिन्स्टन याने मुंबई परिसरात व मद्रासमध्ये प्रचलित केली. रयतवारी पद्धतीनुसार जमीन कसण्याचे काम करणारेच या जमिनीचे मालकही असतात. रयतवारी पद्धतीत जो प्रत्यक्षात जमीन कसणारा असतो आणि जो त्या जमिनीचा मालक असतो तो शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये कोणीही मध्यस्ती नसतो. ते शेतकरी जमीन महसूल स्वतः सरकारकडे भरणे करतात. मालक शेतकरी जी जमीन कसतात त्या जमिनीचे मालक असल्याचे ते आपली जमीन कुळाकडे देऊ शकतात किंवा गहाण ठेवू शकतात किंवा त्या जमिनीची विक्री करू शकतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आसाम आणि पंजाबचा काही भाग या भागांमध्ये रयतवारी पद्धती अस्तित्वात होती.

भारतातील शेतीखालील जमिनीचे सरासरी धारण क्षेत्र

राज्य	प्रतिव्यक्ती (धारण क्षेत्र) सरासरी क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)		
	1970-1971	1990-1991	2010-2011
राजस्थान	5.46	4.11	3.07
महाराष्ट्र	4.28	2.21	1.45
गुजरात	4.11	2.93	2.11
मध्यप्रदेश	4.00	2.63	1.78
हरियाणा	3.77	2.43	2.25
कर्नाटक	3.20	2.13	1.55
पंजाब	2.89	3.61	3.77
आंध्रप्रदेश	2.51	1.56	1.08
ओडिशा	1.89	1.34	1.04
हिमाचल प्रदेश	1.53	1.20	0.99
बिहार	1.50	0.93	0.39
आसाम	1.47	1.31	1.10
तामिळनाडू	1.45	1.93	0.80
पश्चिम बंगाल	1.20	0.90	0.77
उत्तर प्रदेश	1.60	0.90	0.75
जम्मू आणि कश्मिर	0.94	0.83	0.62
केरळ	0.57	0.33	0.22
भारत	2.28	1.57	1.16

संदर्भ : इंडियन इकॉनॉमी रूद्र, दत्त आणि के.पी.एस. सुंदरम 72 वी आवृत्ती 1970-1971 आणि 2010-2011 या कालावधीत जवळजवळ सर्व राज्यांमधील जमीन धारणेच्या सरासरी क्षेत्रात घट झालेली आहे. महाराष्ट्राचे धारण क्षेत्र 1.45 इतके कमी झालेले आहे.

आंतरराष्ट्रीय तुलना : जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र खूपच लहान आहे.

निवडक देशांतील शेतीखालील जमिनीचे सरासरी धारण क्षेत्र

देश	वर्ष	हेक्टर
आस्ट्रेलिया	1970	199.3
अमेरिका (U.S.A)	1987	186.9
इंग्लंड (U.K.)	1993	70.2
बेल्जियम	1990	16.0
युगोस्लाव्हिया	1970	5.0
भारत	1970	1.6
जपान	1995	1.20

जानेवारी 1959 मध्ये नागपूर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात जमीन सुधारणेचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 1959 मध्ये राज्य सरकारांनी त्या संबंधीचे कायदे पास केले. कुळ कायद्यामध्ये कसेल त्याची जमीन हे तत्व मान्य केले. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यात कुळ कायदा पास करून कुळांना वहिवाटीचा हक्क मिळाला. महाराष्ट्रात 1985 पर्यंत 14.50 लक्ष कुळांना 15.94 लक्ष हेक्टर जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले.

कमाल भू-धारणा कायदा : कमाल भू-धारणा याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ जास्तीत जास्त किती जमीन असावी याची मर्यादा ठरविणे.

- (1) प्रत्येकाच्या मालकीची जमीन किती राहिल यावर मर्यादा ठरविणे.
- (2) कमाल मर्यादपेक्षा ज्या शेतकऱ्यांजवळ जास्तीची जमीन असेल ती भूमिहिनांना किंवा लहान शेतकऱ्यांना वाटून देणे अशा रीतीने मोठ्या जमिनमालकांच्या शेतीचे क्षेत्रफळ कमी करणे आणि लहान शेतकऱ्यांच्या शेतीचे क्षेत्रफळ वाढविणे असा उद्देश या सुधारणे मागे होता. त्यासाठी निरनिराळ्या राज्यात कमाल भू-धारण मर्यादेचे कायदे करण्यात आले.
- (3) कमाल भू-धारण मर्यादा ओलीताच्या शेतीसाठी 18 एकर आणि बीगर ओलीताच्या शेतीसाठी 54 एकरांपर्यंत कमी करणे.
- (4) व्यक्ती ऐवजी कुटुंब हा एकक माणून भू-धारणा ठरविणे.
- (5) सुट जमिनीच्या सवलती कमी करणे.
- (6) या कायद्याची अमलबजावणी मागील तारखेपासून करून बेनामी व्यवहार रद्द करणे.

महाराष्ट्र राज्यात 7.24 ते 31.86 अशी सर्वाधिक कमाल भू-धारण मर्यादा निश्चित करण्यात आली असल्याचे आढळून आले.

भूदान आणि ग्रामदान : आचार्य विनोबा भावे यांनी शेतकऱ्यांच्या सद्सद्द विवेकबुद्धीला आव्हान केले. प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीची एक षष्ठांश जमीन भूदानात द्यावी. 18 एप्रिल 1951 रोजी हे आंदोलन सुरू झाले. भूदान चळवळीच्या अंतर्गत मार्च 1972 पर्यंत 43 लक्ष एकर जमीन आंदोलनाला मिळाली. त्यापैकी 12.5 लक्ष एकर जमीन वितरित करण्यात आली. 4 लक्ष एकर जमिनीचे वाटप व्हायचे आहे.

महाराष्ट्रातील जमीन सुधारणा विषयक कायदे :

- (1) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966.
- (2) मुंबई कूळवहिवट व शेतजमीन अधिनियम 1948.
- (3) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961.
- (4) भूमी संपादन अधिनियम 1994.
- (5) मुंबई जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1948.

- (6) मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947
- (7) आदिवासींच्या जमिनीबाबत कायदा 1974.
- (8) महाराष्ट्र गुठेवारी विकास (नियमितीकरण दर्जा वाढ व नियंत्रण अधिनियम 2001)
- (9) अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वनधारक (वनविशयक हक्कांना मान्यता देणे) अधिनियम 2006.

महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीला अनन्य साधारण महत्व आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या 1.66 कोटी असून त्यापैकी 43.00 टक्के अल्पभूधारक आणि 27.00 टक्के अत्यल्पभूधारक आहेत. सन 2008-09 मध्ये एकूण 308 लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 226 लाख हेक्टर क्षेत्र (73.66) टक्के वाहितीखाली होते. याच वर्षी 40.03 लाख हेक्टर (17.68) टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली होते. इतर राज्यापेक्षा कमी सिंचनाखाली क्षेत्र असणे हे उत्पादन कमी असल्याचे कारण आहे. महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नात, औद्योगिक विकासात, रोजगारामध्ये, निर्यातीत आणि उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून अत्यंत मोलाचा वाटा आहे.

शेतीची उत्पादकता :

‘शेतीची उत्पादन देण्याची क्षमता म्हणजे शेतीची उत्पादकता होय.’ ही उत्पादकता दर हेक्टरी सुद्धा मोजली जाते. शेतजमिनीची दर हेक्टरी उत्पादन देण्याची क्षमता म्हणजे शेतजमिनीची दर हेक्टरी उत्पादकता होय. धारण क्षेत्राचा आकार :

धारण क्षेत्राचा आकार आणि शेतीची उत्पादकता यातील संबंधाबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही. काहींच्या मते धारण क्षेत्राचा आकार जसजसा वाढत जातो तसतशी उत्पादकता कमी-कमी होत जाते. तर काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते धारण क्षेत्राचा आकार वाढला तर शेतजमिनीची उत्पादकता देखील वाढते.

डॉ. अमर्त्य सेन : यांच्या मतानुसार, ‘शेतजमिनीचा आकार लहान असेल तर उत्पादकता जास्त असते. याउलट धारण क्षेत्राचा आकार मोठा असल्यास शेतजमिनीची उत्पादकता कमी असते.’

अशोक रूद्र : यांच्या मतानुसार, ‘धारण क्षेत्राचा आणि शेतीची उत्पादकता यांच्यात परस्परविरुद्ध संबंध असला तरी सर्व ठिकाणी तो विरुद्ध असतो असे नाही, तर काही ठिकाणी तो समसंबंध असल्याचे देखील आढळते.’

अर्थात अर्थतज्ज्ञांमध्ये अशा प्रकारे मतभेद असले तरी शेतीच्या अधिक उत्पादकतेसाठी धारण क्षेत्राचा आकार पर्याप्त असणे आवश्यक आहे. तो खूपच लहान असू नये तसेच खूप मोठाही असू नये तर तो योग्य प्रमाणात असला पाहिजे. भारतात सरासरी धारण क्षेत्र 2 हेक्टर आहे आणि जपानमध्ये 1 हेक्टर तरी जपानची उत्पादकता जास्त आहे. कारण शेतजमिनीचे आकारमान लहान असल्याने शेतकरी ह्या जमिनीत अधिक श्रम भांडवलाच्या मात्रा वापरून उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करतात.

धारण क्षेत्राचे आकारमान व शेतीची उत्पादकता :

प्रा. अनर्त्य सेन : भारतासारख्या विकसनशील व प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या देशात कुटुंबातील व्यक्तीच्याच श्रमाला प्राधान्य दिले जाते. त्यांना इतरत्र काम उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाचा वैकल्पिक खर्च अत्यंत कमी असतो. कधीकधी तर त्यांच्या श्रमाची सीमांत उत्पादकता शून्य होण्याची शक्यता असते. याउलट मोठ्या धारण क्षेत्रावर मजुरीवर बाहेरचे लोक नेमावे लागतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी सीमांत उत्पादकता शून्य झाली तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. किंबहुना असा शेतकरी मजुरांची सीमांत

उत्पादकता व मजुरीचा दर समान करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रत्येक मजुरामागे होणारे सरासरी उत्पादन आणि मजुरी दोन्ही जास्त असतात. परिणामतः उत्पादनखर्च वाढतो. याउलट स्थितीत लहान आकाराच्या जमिनीत शेती उत्पादनाचा खर्च कमी येतो.

आर्थिक धारण क्षेत्र (Economic Holding) : शेतीची उत्पादकता जास्त राहण्यासाठी धारण क्षेत्राचा आकार योग्य असला पाहिजे असे आपण म्हणतो. परंतु प्रश्न असा निर्माण होतो की, योग्य आकार म्हणजे किती? तर तो आर्थिक असावा म्हणजे धारण क्षेत्र हे आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्यांना परवडणारे असावे.

अर्थशास्त्रज्ञ किंटींग : ‘व्यक्तीला आपला आवश्यक खर्च पूर्ण केल्यानंतर, स्वतःला आणि कुटुंबियांना सुखसमाधानाने जीवन जगता येईल एवढे उत्पन्न मिळवून देणारे धारणक्षेत्र म्हणजे आर्थिक धारणक्षेत्र होय.’

इरविन लॉग : सेन यांच्या मते जसजसा शेतीचा आकार वाढवण्यात येतो तशी त्या जमिनीची प्रतीएकर उत्पादकता कमी होत जाते. 1950 च्या दशकामध्ये देशात Farm Management Studies द्वारा केलेल्या पाहणीनुसार इरविन लॉग यांनी 1961 मध्ये शेतीला चार भागात विभाजित करून त्याचे अध्ययन केले. त्याचे विश्लेषण पुढील प्रमाणे -

भारतातील शेतीच्या आकारावरून सरासरी उत्पादकता

शेतीचा आकार (एकर)	एकूण उत्पादन किंवा टन
0 ते 4.9	240
5 ते 9.92	13
10 ते 19.9	171
20 पेक्षा जास्त	103

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, शेतीचा आकार आणि त्याची उत्पादकता यामध्ये व्यस्त संबंध आहे.

समारोप : भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असून आज ही जवळपास 52.2 टक्के लोक शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सातत्याने महाराष्ट्रातील कृषी धारणक्षेत्र सरासरी अडीच एकरच्या आत आले आहेत. शेतीची उत्पादकता जास्त राहण्यासाठी धारण क्षेत्राचा आकार किफायतशीर असला पाहिजे. वारसा हक्क कायदा हा जमिनधारणा क्षेत्र कमी होण्याचे प्रमुख कारण आहे. यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. जमिनीचे विभाजन व अपखंडन यामुळे महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनात वाढ कमी प्रमाणात होते आहे. धारण क्षेत्र लहान असल्यामुळे शेतामध्ये विविध सोयीसुविधा करणे बिनकिफायतशीर ठरत आहे. धारण क्षेत्राच्या विभाजन आणि अपखंडनामुळे जमीन, वेळ आणि शक्ती यांचा अपवहोत आहे, म्हणून धारणक्षेत्राचा आकार किफायतशीर ठेवून शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचे व शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनाचे न्याय वाटप घडवून आणून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा एक आदर्श आकृतीबंध निर्माण करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. पुरोहित वसुधा (2016), कृषी अर्थशास्त्र, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगपुरा, औरंगाबाद
2. बागडे दत्तात्रय सीताराम, मराठी अर्थशास्त्र परिषद नियतकालिक (त्रैमासिक) अर्थसंवाद, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2018/खंड 42, अंक 3
3. जहागिरदार दि.व्य., महाराष्ट्रातील काही पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात झालेल्या बदलांचा अभ्यास, अर्थमीमांसा (जाने.-जून 2010, खंड 3, अंक 1)

4. मिश्रा, पुरी (2000), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई
5. रुद्र दत्त, के.पी.एस. सुंदरम (2005), भारतीय अर्थव्यवस्था, 72 वी आवृत्ती, एस. चाँद कंपनी लि.
6. डॉ. बेराड रमेशचंद्र रा., कृषी क्षेत्राचे आर्थिक सिद्धांत, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
7. प्रा. कविमंडन विजय (2002), कृषी अर्थशास्त्र द्वितीय आवृत्ती
8. मुंबई महाराष्ट्र शासन आर्थिक समालोचन, 1964
9. www.planning.commission.in
10. सबनिस श्री.नि. (2009), महाराष्ट्रातील जमीन विषयक कायदे मुकंद प्रकाशन, ठाणे
11. फुले सुरेश , कृषी भूगोल, विद्याभारती प्रकाशन, लातूर

कोरकू आदिवासींची लोकगीते

प्रा.सतीष एस. कर्णसे *

प्रस्तावना - आदिवासी आपले कष्टमय जीवन नृत्य-गायनातून सुकर करतात. त्यांनी अनेक कला पारंपारिक पद्धतीने जोपासल्या आहेत. उदा. नृत्यकला, वाद्यकला, गायनकला, हस्तकला, चित्रकला व इतिहास कथनाची कला या सर्व त्यांच्या संस्कृतीचे अंग आहे. त्यांचे नृत्यसंगित हे जीवनसंगित आहे.

आदिवासींनी शेकडो पारंपारिक व प्रेरणादायी लोकगीते मौखिक परंपरेने जोपासली आहेत. साधी-सरळ पण आशयपूर्ण अभिव्यक्ती हे आदिवासी लोकगीताचे खास वैशिष्ट्ये होय. आदिवासींच्या लोकगीतांची निर्मिती मनोरंजनातून झालेली नसून त्यांच्या मुलभूत भावना श्रद्धा दैनंदिन लोकजीवन व निसर्गविषयक धारणेतून झाली आहे. त्यांच्या लोकगीतातून संस्कृती व सामुहिक आस्वादाची प्रक्रिया असते. त्यांच्या लोककथाही लोकगीतातून सांगितल्या जातात. लोकगीतातील भावनाविष्कारातून एका व्यक्तीच्या मनाचे दर्शन घडत नाही तर समूह मनाचे दर्शन घडते. लोकगीतातून लोकमानसाचा अविष्कार दर्शित होतो. आदिवासींच्या विविध जमातीच्या लोकगीतातून त्यांच्या जीवनाचे दर्शन घडते.

लोकगीते : निसर्गनिर्मित, स्वाभाविक नादप्रियतेमुळे पदन्त्यास व ताक निर्माण झाला व अवयव संचलन होऊन नृत्य आले आणि मनात दाटलेल्या भावनांना प्रगट करण्यासाठी नृत्यकरणाऱ्यांच्या मुखातून शब्द साकार होऊ लागले. म्हणूनच नादयुक्त शब्दरचना स्फुरली व ती तालबद्ध संगीताच्या रूपाने प्रगट झाली. लयबद्धतेमुळे आंदोलन निर्मिती व त्यातून वाणीला नादबद्ध स्थिती प्राप्त झाली. शब्द अर्थवाहक झाले व स्मृतीत पक्के झाले. त्यातूनच लोकगीतांचा प्रवाह चालू झाला. लोकसाहित्याच्या या विशिष्ट निर्मितीच्या प्रक्रियेतच जतनाची व्यवस्थाही आपोआपच होते. लयबद्धता व गेयता आणि सामुहिकरीत्या अनेकदा गाण्याची प्रक्रिया यातूनच त्यांचे जतन होते. म्हणूनच आदिवासींची लोकगीते ही वास्तविक 'नृत्यगीते' (Dance Song) होत. एखाद्या आदिवासी मुलीला एखादे गीत म्हणून दाखव म्हटले तर ती गद्यात शब्द सांगू शकत नाही. तिघी-चौखी रांगेत उभ्या राहून नाचायला लागतात व ताल आणि लय आली की त्यांना गीत स्फुरते. म्हणूनच आदिवासींची लोकगीते केवळ गायली जात नाहीत तर ती नाचूनच गायली जातात असे म्हणणे जास्त समर्थक ठरते.

काही नृत्यगीते फक्त स्त्रीयाच गातात, तर काही केवळ पुरुषच गातात आणि काही संमिश्र असतात. काही गीते नित्यनेमाने सायंकाळी अगर रात्री मुलेमुली नृत्याचे फेर धरून म्हणतात, तर काही गीते दसरा, दिवाळी, होळी किंवा तत्सम सणांना स्त्री-पुरुष नृत्य करीत म्हणतात. काही गीते धार्मिक प्रसंगी म्हणण्यात येतात व सामान्यतः यात फक्त पुरुषच असतात. बांसरी, तारपा, ढोल, पागई, ताझा, घुंगरू इत्यादींचा स्वर आणि ताल हा या

नृत्यगीताचा एक आवश्यक भाग असतो. कवित्वाला उत्तोजन देण्यात जसा या वाद्यांचा वाटा असतो तसाच मद्याचाही (ताडी, महुआ इ.) असतो. मुंडा आदिवासी समुहातील एक महत्वाची जमात कोरकू ही असून तिची वस्ती प्रामुख्याने विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट विभागात आणि त्या लगतच असलेल्या मध्यप्रदेशातील नेमाड आणि बैतूल जिल्ह्यात आहे. कोरकू बोली खेरवार भाषा समुहातील असून मेळघाटमधील कोरकूच्या बोलीवर नेमाडी हिंदीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसतो.

कोरकू : कोरकू स्त्री-पुरुष अत्यंत उत्सवप्रिय आहेत. त्यांच्या विविध सणांत, उत्सवात आणि विवाहप्रसंगी गायन व नृत्य हे विशेष करून असते. ढोलकी, बासरी व घुंगरू या वाद्यांच्या तालावर नृत्यगायन चालते. पुरुष आणि स्त्रियांचे वेगवेगळे नृत्यप्रकार आढळतात. ऋतू आणि प्रसंगांनुसार अशी विशिष्ट गीते व नृत्य ठरलेली असतात. पेरणीच्या मुहूर्ताचा सण, आषाढी अमावस्येचा जिरोती सण, वैशाख अमावस्येचा भावेय सण, पोळा, दसरा आणि होळी अशा विविध सणांमध्ये नृत्याला उधाण येते. विविध प्रकारच्या गाण्यांतून थट्टा-मस्करी, हास्य-विनोद रंगतो. दसऱ्याच्या दिवशी मुठवा देवासमोर रात्र-रात्र नृत्य चालते. होळीचा सण म्हणजे कोरकूच्या जीवनात बक्षिसांची पर्वणीच, होळीचे नृत्य करून बक्षिस मागण्याची प्रथा आहे. अशा कोरकूंची लोकगीते पुढील प्रमाणे आहेत.

कोरकूची विवाह गीते : विवाह प्रसंग म्हटला की, उत्साह व आनंद ओसंडून वाहू लागतो. कोरकूमध्येही विवाहप्रसंगीची अनेक लोकगीते प्रचलित आहेत. त्यातील काही पुढे दिली आहेत.

अरे मनसत रेजो
चारे मनसत रेजो
बसायो राजाजी॥१॥
आजामन काकाके
बुलायो राजाजी।
आये मन भायेके।
बुलायो राजाजी-बेसयो राजाजी॥ 1॥
कोडो मन नांदो
बुलायो राजाजी।
बाता मन चिता।
उडायो राजाजी-बेसायो राजाजी॥ 2॥
सोनके निवाको
खिलायो राजाजी।
रूपये के प्यालो,
पिलायो राजाजी, बेसायो राजाजी॥ 3॥

नवऱ्या ढुलीला ढुणतात, 'अग ढुली, रूसू नकोस, हा नवरा ढुलगा ढुड्या काका, ढाऊ आणल सगळ्यांच्याच पसंतीचा आहे. हा ढुलगा तुला सोऱ्याच्या वाटीत खायला देईल आणल चांदीच्या प्याल्यात प्यायला देईल.'

ढुलीला ज्या घरात दले जाते त्या घराची स्तुती करणारे गीत -

एँडो ढाली रे एँडो ढाली
लखपती घर ढे, बेटी को दल्यो।
एँडो ढाली॥ 1॥
आधा चांदी रे, आधा सोऱा।
लखपती घर ढे, बेटीको दल्यो रे॥ 2॥

ढुलीला 'लखोपती' असलेल्या ढुणजे श्रीढंत घरात दले आहे. तलच्या घरी अर्धे सोऱे व अर्धी चांदी आहे. वरील गलतातून श्रीढंताचे घरी ढुलगी दलल्याचे सढाधान व्यक्त होते.

जन्ढ प्रसंगीची गाणी : वलवाहानंतर नलसर्गक्रढाने येणारा प्रसंग ढुणजे अपत्यप्राप्ती. अशावेळी व त्याचेशी संलग्न सर्व सढारंढांना स्त्रलया गीते ढुणतात.

ढुलाच्या जन्ढाच्या वेळची गाणी -

ए दोस्सोनी, ए दोस्तीन,
आढने डो SS डो॥ ध॥
चोलज घरआवे आढने डो SS डो
ए ढैऱा, ए ढैऱा,
जा बेटा
आढने डो SS डोडो॥ 2॥
घर लाया तेरे रोके रे
आढने डो SS डोडो॥ 3॥

हे ढैऱिनी तू बघ, काय घरी आले आहे ते बघ. हे ढैऱिणी-ढैऱा, जा तू जा आणल बघ, तुड्या घरी काय आले आहे ते बघ.

वरील गीतातून अत्यंत हळूवार व सूचक शब्दांढध्ये आलेल्या कलवा नवीन येऊ घातलेल्या बाळाला उद्देशून हे ढुटले आहे.

पाळणा गीत : कोरकू आदलवासी नवीन जन्ढलेल्या बाळाला पाळण्यात घालताना गीत गातात ते पुढील प्रढाणे -

चार खूट, चार ढवान
रामा ठाकुर रेखा डाले,
पाँचो ढहिने का लोई
नऊ ढहिने के बालक
सोने की थाली, अंगे धुलाये ॥ 1॥
सोने के झुला झुलाया
आँख के दलया, हाथ का पालना
और गोढी की पालकी
झुला झुलाया ॥ 2॥
तेरी ढाँ ने ढिशरी दुध पललाई
गा गा गलत सुऱाई
झुला झुलाया ॥ 3॥

हे बाळा तुला श्रीरामाने जन्ढ दलला, पाचव्या ढहलन्यात तुड्या अंगात रक्त आले. नवव्या ढहलन्यात जन्ढ झाला. सोऱ्याच्या ताटात तुझे अंग धुतले.

सोऱ्याच्या पाळण्यात तुला झोके दले, डोळ्यांच्या दलव्यांनी तुड्यावर लक्ष ठेवले. हातांच्या पाळण्यात झुलवले व कढरेवर पालखीप्रढाणे बसवलले. तुड्या आईने खडीसाखरेचे दुध पाजले, गाणे गाऊन तुला झोके दले.

वरील गीताढधून नवीन बाळाचे कौतुक आई कसे करते त्याचे फारच सुंदर वर्णन आले आहे.

अंगाई गीत :

गई डोडोरे, गई डुडूरे।
बेटा सोजा रे SS
रोना दुध रे, गई दुध रे।
बेटा सोजा रे SS
रोना ढाई SS ॥ 1॥
ढायो आयो रे ढायो आयो रे
बापू आयो S रे,
रोनी ढाई ॥ 2॥
दुध लायो रे
दुध लायो रे SS
रोना ढाई ॥ 3॥

बाळा गाय बघ, गाय दुध देते, आता झोप, रडू नको. गाय दुध देते रे, तुला दुध देते, झोप, रडू नकोस. बाळा तुझी आई आली, बाबा आले, रडू नको, झोप. तुझी आई आली दुध घेऊन आली रडू नकोस, आता झोप.

वरीलशब्दरचना गोड आणल अंगाई गीताला साजेशी अशी शब्दरचना आहे.

होळी सढाचे गीत : आदलवासींच्या जीवनात चैतन्य आणल आनंदाचे उधाण आणणारा सण ढुणजे होळी. कोरकूढध्येही होळीचा सण साजरा होतो. या प्रसंगीच्या गीतांढध्ये वलवलध वलशय व ढावना आढळतात. होळी ढुणजेच फागा ढुणून फरानई गीते (सलरीज) असे यांना ढुणतात. कोरकू जढातीची होळी पौर्णिढ्या दुसऱ्या दलवसापासून पंचढीपर्यंत चालते.

होळीच्या वेळी अनेक गीते गायली जातात. त्यातील काही गीते खालील प्रढाणे दली आहेत.

नलढो ढान्यो तेरे बन ढे।
नलंब ढान्यो तेरे बन ढे॥
नलंब ढान्यो तेरे पास
वो छलीयो धरणी के लाल
लूट लीयो रे, ते बन ढे॥

हे सृष्टीच्या देवा, तुड्या वनात ढी आले आणल पूर्ण लुटल्या गेले. हे धरतीच्या देवा, ढी लुटले गेले. ईश्वराच्या प्रती पूर्ण सढर्पणाची ढावना यातून प्रगट होते.

होळी का रे रोंगे, बीरा रे हनुढान।
कलनीजा गळको ए आडो दरीया
बीरा रे हनुढान॥

होळीच्या सणाला हनुढानाचे स्ढरण होते. सढुद्रावरून उड्डाण करणारा हनुढान हा वीर हनुढान आहे.

सुंदर स्त्रीचे वर्णनपर गीत : स्त्रीच्या सौंदयचल वर्णन करणारे होळी गीत रसलकता आणल उपढांच्या हृष्टीनेही उत्तढ आहे.

जैसा बाना टलजकेन, ढालाय गोंडोनी डो।
जैसा बाना टलजकेन, ढालाय गोंडोनी रे॥
आढानी टलगडी डो, ढालाय चोलामा डो।
जैसा बाना टलजकेन ढालाय गोंडोनी रे॥
केडानी खंबो, नलडो जाढा टेंगडी ढाडो।
जैसा बाना टलजकेन ढालाब गोंडोनी रे॥

वरील गीतात उखळात कांडण करणाऱ्या स्त्रीच्या सौंदर्याचे वर्णन केलेले आहे. प्रथम प्रश्न करून पुढच्या ओळीत त्याचे उत्तर दिलेले आहे. सर्वप्रथम 'मालाय गोंडीनीचे पाय कसे दिसताहेत?'. असा प्रश्न विचारून तिचे पाय, पोट-न्या व मांड्या केळीच्या खांबासारख्या दिसत आहेत असे उत्तर दिले आहे.

होळीच्या वेळी म्हटले जाणारे शृंगारिक गीत :

ए राज राज बोले
अकती जौ चेतो मेना।।
रमे गाभो राजा रज बोले।
ओर बाजा बोले
राजा रज बोले।।
इयनांगा चाटा बारा,
मिया घेरी तो ये जा,
राजा रज बोले।।
अम मांधे धग रानी।
अम माने धग रानी।
ये जो राजा रज बोले।।

चैत्र वैशाख महिन्यात नवरा नवरीची वाट पाहतो. तो तिला विचारतो- 'तुला उशीर का झाला?' ती सांगते, 'उन्हातून येतांना पाय फार भाजले म्हणून उशीर झाला. घरची कपिला गाय सुटून पळाली म्हणून उशीर झाला' प्रियकर-प्रेयसीमधील हा संवाद फार गोड स्वरात गायिला जातो.

भवई गीत : वरुण राजाची आराधना करण्याचा सण भवई असून तो वैशाख अमावस्येला साजरा केला जातो. यात प्रथम 'रांडभावे' व पाऊस पडल्यानंतर 'चिकला भावे' असे दोन भाग पडतात. संपूर्ण गाव नृत्यात भाग घेतो.

भवईच्या रांड-भावेच्या वेळी खालील गीते गायिली जातात. हातात टिप-न्या (दांडे) घेऊन हे नृत्य होते म्हणून याला दंडेल नृत्य म्हणतात.

चांदणी रातो कोकोडो
चांदणी रात कुलडै लाला।।धृ।।
भवाके मे तो भवाडे
बेटा होतो कुँवा खुदाये
एकीसा टिकासो मारे ओके
अंगूलै भर भर पनै रे लाला।।

चांदणी रातो कोकोडो, चांदणी रात कुलडै लाला।।

पुरुष चांदण्यारात्री नाच करीत आहेत, मुले-मुली पण नाच करीत आहेत. भवईच्या सणाच्या काळात विहिर खणली तर अन्नधान्य चांगले येईल. एकानेच टिकास मारली तर अंगुली मात्र पाण्याचा झरा लागेल. याचा अर्थ असा की, सर्व पुरुषांनी येऊन पाण्याची सोय होण्यासाठी विहिर खणावी.

कोरकू जमातीच्या देवतांच्या पूजेचे गीत : कोरकू जमातीच्या देवतांच्या गीतात धरती, टोनमदेव, चंद्र, सूर्य यांची पुजा सांगितली आहे.

'आगास तापीले धरीती पुजीले हो

निदो मालन हे
टोनेमा देवता रवे होड बांधीले, जे मला जागा
निदो मालन दे
चांदो सुरजो रवे होड बांधीले, डो माला जागा
निदो मालन देय'

विदर्भाच्या मेळघाट भागात कोरकू लोकांची वस्ती आहे. मेळघाटाच्या माथ्यावर निसर्गरम्य ठिकाणी कोरकूंची पवित्र देवस्थळे आहेत. वैराट रानिदेव, देवन यागीरी या ठिकाणी त्यांच्या देवतांची गाणी आहेत. तेथे देवतांना आवळतांना 'घुम-न्या सिरीज' म्हणजे देव जागविण्याचे गाणे गातात. अंगात आणून स्त्री-पुरुष घुमु लागतात आणि या अवस्थेतच गाणी गातात.

'घुम-न्यारे टोने घाटो नायोरे नाना घुम-न्या रे
घुम-न्यारे खिनी पाटी नायोरे नाना घुम-न्या रे
घुम-न्यारे दाथरौम पाटी नायो रेनाना घुम-न्या रे
घुम-न्यारे सिरोटी पाटी नायोरे नाना घुम-न्या रे'

वेगवेगळ्या पवित्र ठिकाणी स्नान करून आम्ही तुझी प्रार्थना करीत आहोत अशी आवळणी वरील गीतातून केली आहे.

निष्कर्ष :

1. आदिवासींच्या जीवनात नृत्याप्रमाणेच लोकगीतांनाही फार महत्वाचे स्थान आहे.
2. आदिवासींची संस्कृती त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या गीतांच्या आणि कहाण्यांद्वारे टिकून राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या लोकगीतांचा अभ्यास केल्याशिवाय त्यांच्या संस्कृतीचे सम्यक दर्शन होणे कठीण आहे.
3. आदिवासींच्या सर्व आशाआकांक्षा त्यांच्या लोकगीतातून व्यक्त झालेल्या आढळतात.
4. जीवनातील महत्वाच्या बहुतेक सर्व प्रकारांना उद्देशून आदिवासींनी गीते रचली आहेत.
5. ज्या प्रसंगांना अनुसरून आदिवासींनी गीते रचली असतात त्या प्रसंगांचे ती म्हटली जातात. एरव्ही म्हटली जात नाहीत.
6. आदिवासींचे देव त्यांची लोकगीते त्यांचे शृंगार या सर्वांवर सभोवतालच्या निसर्गाचा ठसा उमटलेला दिसतो.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सौ. शैलजा देवगांवकर, महाराष्ट्रातील आदिवासींचे लोकसाहित्य, श्री साईनाथ प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, 19 डिसेंबर 1993
2. डॉ. गोविंद गारे, आदिवासींचे लोकनृत्य, कॉन्टी. प्रकाशन, द्वितीय आवृत्ती
3. डॉ. अ. ह. वानखेडे, मराठी साहित्यात आदिवासी साहित्याचे योगदान, विनायक प्रकाशन, पुणे-नागपूर, पृ. 75
4. सरोजीनी बाबर, आदिवासींचे सण उत्सव

स्त्रीवादी साहित्याची भूमिका

प्रा. डॉ. हेमचंद सोमाजी दुधगवळी*

प्रस्तावना - फुले आंबेडकरी चळवळीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. जोतीराव फुल्यांनी व सावित्रीबाई फुल्यांनी स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात करून (1848) दलित स्त्रियांनाही शिक्षणाची कवाडे खुली केली. यातीलच एका शाळेतील विद्यार्थीनी मुक्ता साळवे हिने आम्हां महारांगांचा धर्म कोणता? या निबंधातून दलित स्त्रीचे मातृत्वाचे अनुभव उच्चवर्णीय स्त्रियांच्या अनुभवांपेक्षा भिन्न आहेत अशी मांडणी केली. आंबेडकरी चळवळीतूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रिया या जातिव्यवस्थेची प्रवेशद्वारे आहेत यातून जात व स्त्रीप्रश्न यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंबेडकरांसारखे रिपब्लिकन पक्षाचे राजकारण, दलित पंथ, नामांतर चळवळ आदी दलित चळवळींनी दलित स्त्रीचा प्रश्न स्त्रीप्रश्न आहे असे मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले. या चळवळींचा केंद्रबिंदू नेहमी दलित पुरुष होता. स्त्रीवादी चळवळीने 70 च्या दशकापासून भारतात अधिक राजकीय कृती करण्यास सुरुवात केली. हुंडाविरोधी आंदोलने, बलात्कारविरोधी आंदोलने, घरगुती हिंसाचारविरोधी चळवळी यातून भारतातील स्त्रीवाद चळवळ सिद्धान्त व व्यवहाराच्या पातळीवर विकसित होत होता. या स्त्रीवादी चळवळीने दलित स्त्रीचा प्रश्न हा जातीचा प्रश्न आहे असे मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले. या चळवळींचा केंद्रबिंदू नेहमी उच्चवर्णीय स्त्री होती. आंबेडकरी चळवळीवर विश्लेषण, समीक्षा, त्याची सैद्धांतिक मांडणी करताना या चळवळीतल्या नेत्यांनी स्त्रीला कायम दुय्यम स्थान दिले. नेतृत्ववातल्या अहममिकेमुळे महिलेला एखादे प्रमुख पद देणंही दुरापास्त झालं आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की दलित स्त्रीच्या जगण्यातील वेदना कुठे तरी हरवली आहे.

स्त्रीवादी साहित्य : स्त्रियांचे, स्वतःच्या वेगळेपणाची जाणीव प्रकषिने व्यक्त करणारे व स्वत्वाचा शोध घेऊ पाहणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य होय. साहजिकच पुरुषी साहित्याहून ते स्वरूपतः वेगळे ठरते तथापि स्त्रीवादी साहित्य याचा अर्थ केवळ स्त्रीनिर्मित साहित्य नव्हे, तर पुरुषकेंद्री विचारव्यूहातून मुक्त अशा परिप्रेक्ष्यातून कोणीही - स्त्री वा पुरुषाने - निर्माण केलेले साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य असेही व्यापक अर्थाने म्हणता येईल. वास्तविक साहित्याच्या आविष्कारातील कोणत्या साहित्याला स्त्रीवादी साहित्य म्हणता येईल, हा एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे परंतु एवढे निश्चित म्हणता येईल, की मानव म्हणजे पुरुष स्त्री हे त्याचे उपांग ह्या विचाराला छेद देणारे, त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारे, त्यातील जटिलता, धूसरता यांची जाणीव करून देणारे साहित्य स्त्रीवादी साहित्य म्हणता येईल. बाईच्या असण्याचा, होण्याचा - म्हणजेच अस्तित्वाचा, स्वत्वाचा व अस्मितेचा - समग्रतेने वेध घेणारे, तिच्या आत्मशोधाचा प्रवास वाङ्मयीन आविष्कार म्हणून मांडणारे लेखन स्त्रीवादी म्हणता येईल परंतु स्त्रियांच्या

दुःखाच्या करुण कहाण्या पराभूत नियतिवादी दृष्टिकोणातून मांडणारे, त्यांच्याविषयी केवळ दया, सहानुभूती निर्माण करणारे, तसेच उद्धारकाच्या भूमिकेतून केलेले लिखाण हे स्त्रीवादी साहित्य म्हणता येणार नाही. स्त्रीच्या देहात्मतेभोवती गूढता उभाखून मूळ दडपणुकीचे वास्तव धूसर करणारे साहित्य स्त्रीवादाच्या कसोट्यांना उतरणारे नव्हे.

स्त्रीवाद ही एक समाजपरिवर्तन घडवू पाहणारी राजकीय जाणीव आहे. या स्त्रीवादी जाणिवेचा विविध दृष्टिकोणांतून, भिन्न भिन्न पातळ्यांवरचा आविष्कार स्त्रीवादी साहित्यात आढळून येतो. उदारमतवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, उत्तर-आधुनिक अशा अनेक विचारप्रणालींमध्ये स्वतःची भर घालून, स्त्रीवादी भान स्त्री-पुरुष विषमतेच्या प्रश्नांची मीमांसा करते. म्हणून काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्त्रीवादाची भिन्न रूपे तर दिसतातच परंतु त्यांच्यात अनेकदा परस्परविरोधही आढळून येतो. ह्याचेच प्रतिबिंब वेगवेगळ्या काळांत लिहिल्या गेलेल्या स्त्रीवादी साहित्यात दिसते. ह्या भिन्न भिन्न स्त्रीवादी जाणिवेचा व्यक्त करणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य. पुरुषाच्या आधाराशिवाय स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाला परिपूर्णता येऊ शकते आणि प्रेमाइतकीच, माणसासारखे जगण्याची भूक स्त्रीलाही असते हे दर्शविणारे आणि स्त्री म्हणून घडताना आलेल्या विविध अनुभवांना अभिव्यक्त करणारे साहित्य म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य. पुरुषप्रधानतेला विरोध करणारे आणि स्त्रीचे माणूस म्हणून चित्रण करणारे साहित्य, मग ते पुरुषाने लिहिले असले तरी स्त्रीवादी ठरेल कारण तत्तवतः स्त्रीवादी जाणीव स्त्री व पुरुष दोघांमध्येही विकसित होऊ शकते परंतु पुरुषी वर्चस्वाचा अनुभव बाई होऊन घेणे स्त्रीला अधिक समर्थपणे करता येते, असेही मानले जाते. त्यामुळे स्त्रियांचे लेखन अधिक नेमके, धारदार व प्रखर होते. जहाल स्त्रीवाद्यांच्या मते स्त्रियांची बाईपणाच्या भानातून निर्माण झालेली भाषा, प्रतीके, प्रतिमा खऱ्या अर्थाने विकसित होण्यासाठी काही काळ तरी जाणीवपूर्वक अलगतवादी भूमिका घेणे इष्ट ठरेल.

स्त्रीवादी जाणीव ही स्त्री व पुरुष या दोघांत उदित होऊ शकते. पुरुष या जाणिवेचा समर्थक होऊ शकतो परंतु या जाणिवेचा अनुभव मात्र स्त्रीच घेत असते. स्त्री-पुरुष विषमतेचे भान घेणे, ही या जाणिवेची पहिली अवस्था होय. पुरुषरचित स्त्रीत्वाच्या कल्पनेला नकार देणे, ही या जाणिवेची दुसरी अवस्था, तर एक व्यक्ती म्हणून स्वतःचा शोध घेता घेता स्त्रीत्वाचा शोध घेणे, ही स्त्रीवादी जाणिवेची यापुढील व अंतिम अवस्था म्हणता येईल. या अवस्थामधून जात असताना स्त्री-पुरुष समतेच्या तत्तवावर आधारलेल्या नवसमाजाची निर्मिती करणे, हे स्त्रीवादाचे उद्दिष्ट आहे. स्त्रीवादी जाणिवेच्या या तिन्ही अवस्थांचे आविष्कार वाङ्मयेतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर, वेगवेगळ्या कालखंडांत आढळून येतात.

स्त्रीवादी मराठी साहित्य : मराठी साहित्यात साधारणतः 1960 नंतरच्या दशकांत स्त्रीवादी साहित्य जाणीवपूर्वक लिहिले जाऊ लागले आणि सत्तर-ऐंशीच्या व नंतरच्या दशकांतही स्त्रीवादी साहित्याचा प्रवाह काव्य, कथा, कादंबरी अशा प्रकारांत जोमाने विकसित होऊ लागला. मात्र तत्पूर्वीही स्त्रीकेंद्री साहित्याची निर्मिती अगदी प्राचीन काळापासून मौखिक वा लिखित स्वरूपात होत होती, असे दिसून येते. स्त्रियांच्या साहित्याचे मूळ प्राचीन काळापर्यंत जाऊन पोहोचते. स्त्री आपल्याशीच किंवा आपल्यासारख्याच दुसरीशी चाललेल्या संवादातून बाई असण्याचा य, बाईपणाचा य अर्थ व्यक्त करीत आली आहे. मराठी-लोकगीतात हा स्त्रीत्वाचा स्वर सतत ऐकू येतो. अन्याय, बंधने, शिक्षा, दंड, तक्रार, शोषण, पुरुषांकडून मिळणारी अन्यायकारक व अपमानास्पद वागणूक, सततची अवहेलना व उपेक्षा, अपाय, इजा, आपल्याकडून चूक वा अपराध घडेल का ह्याची स्त्रीला वाटणारी धास्ती इ. स्त्रियांच्या अनु-भवविश्वाच्या कक्षेतील अशा अनेक भावना आणि तथ्ये त्यांनी लोकवाङ्मयातून शब्दांकित केलेली दिसतात. समाजाने दुर्लक्षित केलेले हे वाङ्मय स्त्रीवादी समीक्षकांनी शोधून त्यावर नवा प्रकाश टाकला आहे. मराठीत तारा भवाळकर, कुमुद पावडे, सरोजिनी बाबर इत्यादींनी लोकगीतांचे संशोधन केले आहे.

महाराष्ट्रातील- महदंबा, मुक्ताबाई, जनाबाई इत्यादींनी तसेच एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तारार्धात ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक इ. लेखिकांनी ललित व वैचारिक पातळीवर स्त्री-पुरुष विषमतेचे, पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेचे, तसेच स्त्रियांवरील अन्याय, जुलूम, शोषण व त्यांतून स्त्रियांना भोगावी लागणारी दुःखे, वेदना यांचे प्रभावी चित्रण केले.

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ताराबाई शिंदे यांनी स्त्रीपुरुषतुलना ह्या ग्रंथात पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेत स्त्रियांच्या होत असलेल्या शोषणाविरुद्ध लिहून, स्त्रीशोषणाचे विश्लेषण करणारी सैद्धांतिक मांडणी

केली. मालतीबाई बेडेकर म्हणजेच विभावरी शिखरकर यांच्या लिखाणातही (हिंदोळ्यावर, 1934 -कादंबरी) पुरुषाकडून स्त्रीच्या शारीरिक व मानसिक पातळीवर होत असलेल्या शोषणाची जाणीव व्यक्त झाली आहे. लक्ष्मीबाई टिळकांच्या भरली घागर कवितेत स्त्री-पुरुष भेदावर भाष्य आहे, तर स्मृतिचित्रे (4 भाग 1934, 1935, 1936) मध्ये विनोदाच्या उपरोधाच्या अंगाने स्त्री-पुरुष विषमतेचे चित्रण आहे. व्हर्जिनिया वुल्फचा सिद्धांत - स्त्रियांनी उपरोध, विनोद ही शस्त्रे वापरून आपल्या व्यथा, शोषण, अन्याय यांना वाचा फोडावी - इथे मराठीत प्रत्यक्षात आला आहे. अलीकडच्या काळात मंगला गोडबोले यांच्या लिखाणातही पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील रूढी, परंपरांचा निषेध करताना विनोद, उपरोध यांचा वापर केला आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. "Dalit Women Talk Differently"- Economic and Political Weekly (इंग्रजी भाषेत). 30 (-1). 2015-06-05.
2. पवार उर्मिला आणि मून मीनाक्षी (2000), आम्हीही इतिहास घडवला, सुगावा प्रकाशन, पुणे
3. नाईक शोभा भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद, मुंबई, 2007.
4. बोव्हार सीमॉन द अनु. गोखले करुणा, द सेकंड सेक्स, पुणे, 2012.
5. भागवत विद्युत, स्त्रीजन्माची वाटचाल, पुणे, 2004.
6. सारडा शंकर, स्त्रीवादी कादंबऱ्या, पुणे, 1993.
7. "Maharashtra Times"- Maharashtra Times (हिंदी भाषेत). 2018-11-09 रोजी पाहिले.
8. 1. Rege Sharmila (1998), "Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position"- Economic and Political Weekly- 33 (44): WS39-WS46.

चंद्रपूर जिल्हाची ब्रिटिशकालीन प्रशासन व्यवस्था

डॉ. श्रीनिवास सातभाई*

प्रस्तावना - चांदा किंवा चंद्रपूर या तत्कालीन मध्यप्रांतात व वऱ्हाडमधील जिल्ह्यास प्राचीन इतिहास परंपरा आहे. इतयुगात लोकपूर तर पुढे त्रेतायुगात इंद्रपूर (इंद्र म्हणजे चंद्र) अशी नावे या शहराला मिळाली.¹ कालौघात गोंड, मराठे व ब्रिटिश राजवटी येथे येऊन गेल्या. दि. 11 डिसेंबर 1853 रोजी नागपूरचे राजे तिसरे रघुजी भोसले यांचा मृत्यू झाला² व त्याबरोबरच तत्कालीन ब्रिटिश रेसिडेंट मॅनसेल सी. जी. याने आपला अहवाल लॉर्ड डलहौसी यास पाठविला³ व त्यानुसार नागपूरकर भोसल्यांचे राज्य चंद्रपूरसह 13 मार्च 1854 ला ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करण्यात आले⁴ व येथूनच चंद्रपूर जिल्ह्यात ब्रिटिश अंमल सुरू झाला, त्याचे परिणाम जीवनाच्या भिन्न क्षेत्रांप्रमाणेच प्रशासनावरही दिसून आले.

सत्तांतर होतच चंद्रपूरचा पहिला प्रशासकीय अधिकारी म्हणून 18 डिसेंबर 1854 रोजी आर. एस. इलिस याची उपायुक्त (Deputy Commissioner) या पदावर नियुक्ती झाली.⁵ इ.स. 1854 ते 1907 म्हणजे C.P. & Berar या प्रांताची निर्मिती होईपर्यंत चंद्रपूरला 61 उपायुक्त येऊन गेले.

इ.स. 1856 दरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्याचे मूल व वरोरा ही दोन तहसील विभाग बनविण्यात आले. भोसल्यांचे राज्य खालसा झाले तेव्हा चंद्रपूर जिल्ह्याचा महसूल 3.26 लक्ष होता.⁶ इ.स. 1867 पासून 'पाटील' हे पद मालगुजार म्हणून संबोधले जाऊ लागले. या काळातील पाटील पदाच्या अधिकाराबाबत रिचर्ड जेन्किन्स लिहितो, प्रारंभी पाटलास शासनाकडून वेतन, भत्ता मान्य करण्यात आला नव्हता. शेतकऱ्यांकडून सरकारी सान्या व्यतिरिक्त अधिक रक्कम पाटील घेत असे. खेड्यात पाटलाचा दर्जा एखाद्या हुकुमशहा सारखा असे. कोणती जमीन वहिती करायची अथवा बटाईने घायची याचा निर्णय पाटील घेत असे.⁷

ब्रिटिश काळात पाटील पदाचे अधिकार कमी करण्यात आले, जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. तसेच जिल्ह्यातील खाणी, जंगल व वहितीखाली न आलेली जमीन ब्रिटिश सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली.

इ.स. 1862-69 या काळात ब्रिटिश अधिकारी लुसी स्मिथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रपूर जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाची व्यवस्था सर्वप्रथम करण्यात आली. याबाबत Chanda Settlement Report मध्ये माहिती मिळते.⁸ या व्यवस्थेनुसार पुढीलप्रमाणे बदल प्रशासनाच्या सोयीसाठी करण्यात आले.

1. गाव / खेड्याच्या बाह्य सरहद्दी निश्चित करण्यात आल्या.
2. जमिनीची मोजणी करण्यात आली.
3. शेतजमिनीचा प्रकार, तलाव, जंगल, पीके यांच्या नोंदी घेण्यात

आल्या.

4. गाव व शासन यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या सीमारेषा निश्चित करण्यात आल्या.
5. तत्कालीन 1281 मालगुजारी खेड्यांपैकी 982 खेडी पदावर असलेल्या मालगुजारांकडे व 132 खेडी जुन्या पाटलांकडे अथवा त्यांच्या वारसांकडे सोपविण्यात आली.

गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलने एका निर्णयानुसार मालगुजार लोकांना आपल्या भागातील व्यवस्था व प्रशासनासाठी सामान्यपणे 40 व काही बाबतीत 50 रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आला.⁹ इ.स. 1887 मध्ये कॅप्टन ग्लॅसफडने पटवारी पदावर नियुक्ती केल्या. पटवारी हा पाटलाला जबाबदार होता. प्रशासनाच्या सोयीसाठी खेड्यांचे गट (Circle) निर्माण करण्यात आले व तेथे पटवारी नियुक्त करण्यात आले.¹⁰

इ.स. 1889 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याची व 1895-99 या काळात महत्त्वाच्या खेड्यांची मोजणी (Survey) करण्यात आली. 1897 मध्ये पहिला ICS अधिकारी मि. हॅलिफॅक्स याने सूत्रे हाती घेतली व ब्रम्हपूरी-वरोरा तहसीलच्या अधिकाऱ्यांना महसूल व्यवस्थेबाबत आदेश दिले.¹¹ इ.स. 1907 पर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यात तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पदांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. विहिरींच्या बांधकामासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. रयतेला जंगलात गुरे चारणे, मोहाची फुले जमा करणे, सागवान लाकूड तोडणे इ. साठी परवाने (Licenses) वितरीत करण्यात आले.¹²

सारांश रूपाने ब्रिटिश राजवटीच्या अर्ध्या शतकात चंद्रपूर जिल्ह्याच्या प्रशासनास प्रामुख्याने पुढील बदल झाले.

1. चंद्रपूरच्या महसूल प्रशासनाला ब्रिटिश वळण लागले.
2. प्रामुख्याने या काळात मालगुजारी पद्धती, तहसीलची रचना, जमिनीची मोजणी, तलाव-पीके, जंगल यांच्या स्वतंत्र नोंदी ठेवण्यास सुरुवात झाली.
3. जमिनीच्या प्रतवारीनुसार महसूल निश्चिती करण्यात आली.
4. पटवाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या.
5. वर्तमान मालगुजार व पूर्वीचे पाटील यांनी धारण केलेल्या जमिनी व विशेष अधिकारातील भूमीचे पट्टे धारण करणारे यांच्या जमिनीवरील महसूलाची निश्चित केली गेली.
6. ब्रिटिश कालीन महसूल व्यवस्थेमुळे करांची निश्चिती मोठ्या प्रमाणावर झाली.
7. जमिनदारीमधील क्षेत्रात व विशेषतः आदिवासी बहूल क्षेत्रात आदिवासींचा रोष न ओढवता महसूल वसूली करण्याकडे ब्रिटिशांनी

- लक्ष दिले.
8. शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता व पटवान्याने केलेल्या निरीक्षणावर कराची रक्कम आकारली जाई.
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. Begbie L.F., Central Provinces, Dist. Gazetters, Chanda District, Ed. A.E. Nelson Vol. A Pioneer press, Allahabad, 1909, P-32.
 2. C. P. Civil Sectt. File No.1, Report of Death of Raja, N.R.R. Vol. V, Govt. Printing Press, Nagpur, P.20.
 3. काळे या. मा., नागपूरकर भोसल्यांचा इतिहास, विदर्भ संशोधन मंडळ, नागपूर, 1979, पृ.382
 4. C. P. Civil Sectt, File No.5, Gadre Prashaar – The Bhosles of Nagpur & EIC, Pulolication Scheme, Jaipur.
 5. Begbie L. F., Ibid, P-52
 6. Ibid, Pg. 314
 7. Ibid, Pg. 315
 8. Ibid, Pg. 316
 9. Ibid, Pg. 317
 10. Letter No. 2279 from Govt. of India, Foreign Dept. Dt. 28th June 1860
 11. Begbie L.F., Ibid Pg. 328
 12. Ibid, Pg. 329.

Importance of Physical Education in Social Development

Dr. Shikha Yadav*

Abstract - Physical education and sports are one of the important intergral part of education for any country. Each country should try to set up a framework of action plan for promotion and development of physical education and sports. Physical education act as well as the provision of resources for the nation and in the construction of evaluation system in education development in a country. The physical education and sports preserves the vital clue that exists between physical education and sports. Physical education and sports forms an important part of education system.

Key words - Physical education, sports, education development.

Introduction - Sports provides opportunities for children and youth to engage in valuable and positive relationship with adults, which is especially important when such benefits are not available at home. Sport provides an opportunity for children to safely navigate and negotiate between right and wrong as they learn to interact with peers and adults. A growing body of research literature binds that in addition to improved physical health, sports plays a positive role in youth development, including improved academic achievement, various techniques in yoga have been documented to help in stress management. They help in relieving the physical as well as the psychological negative effects of the problem by ensuring a healthy and productive response to the stress stimuli.

The value of sports in education - In the world of the ancient greeks, sport plays an important role in the educational institutions all over the globe. The reasoning for this in ancient times, as now, is a belief that sport helps to make better people that it promotes excellence in individuals, excellence which can be applied to almost any endeavor in life. Self knowledge, discipline, courage, and justice are four forms of human excellence explicitly associated with sport and implicitly associated with winning. Excessive focus on the analytical idea of winning threatens to undermine the cultivation of virtues that give athletics its educational value.

Stress management through yoga - There are several ways of coping with stress. Some techniques of time management may help a person to control stress. Various techniques in yoga have been documented to help in stress management. The practice includes paying attention to each and every part and therefore ensures a holistic therapy. The start of the practice is with becoming aware of what the stressful stimuli is so that one knows what one is fighting. As a result people often practice medications like taking sedatives, narcotics and tranquilizers which calm the mind

but in future it creates serious other maladies. But still there is a therapy which is purely natural and is considered to be that best weapon against stress and that is yoga.

Physical education and sports management - To study physical education and sports is not merely to discuss performance, technique of records journalistic ally but to look at some of the implicit assumptions help by the general population about physical education and sports. Despite the significance of sports, it has been primarily a vehicle of 'escape' more than an avenue of education. A sport has been viewed as a distraction from the trials of everyday life.

Research has shown that physical movement can affect the brain's physiology by increasing cerebral capillary growth, blood flow, oxygenation, production of neurotrophins, growth of nerve cells. These changes may be associated with improved attention; improved information processing, storage, and retrieval enhanced coping; enhanced positive affect; and reduced sensations of cravings and pain. In recent years, research has begun to explore the particular benefits of sport for girls and young women, who are increasingly playing more sport at all levels. Studies are beginning to tease apart the issues that contribute to girls electing to play, factors that keep them playing, and reasons for their dropping out.

Sports psychology research has shown that girls gain confidence and self-esteem through participation in sport and physical activity. A positive team sport experience may mediate the risks of low social acceptance and dissatisfaction with one's body. Determining the relationship between selfconcept and sport participation is complicated by the measurement models used across studies, but greater participation in sport has been found to be relational to greater emotional and behavioral wellbeing.

Conclusion - Physical education and sports activities in educational institution should aim at Health Related and performance related areas so as to ensure enhancement

*Asst. Professor (Chemistry) R.S. Govt. Degree College, Shivrajpur, Kanpur (U.P.) INDIA

of performance in competitive sports. Physical education thus consists in promoting a systematic all-round development of human body by scientific technique and thereby maintaining extraordinary physical fitness to achieve one's cherished goals in life. Hence any organization of physical education should start with developing a positive attitude and self-confidence. Now we can conclude that sports and yoga is a part and parcel of ancient hindu culture, and life is a wonderful gift of God. Those, who are healthy and have right thinking can lead a meaningful life. Nature has its own eternal and universal law. Ideal life style is nothing else but following this law of nature. The different aspects and parts of sports and yoga play a very significant role in providing a model of ideal life style.

References:-

1. Gruneau, Richard class, sports and social development the university of Massachusetts press ISBN 0-87023-387-4.
2. Moorthy, A.M and Jain, John, Effect of selected exercises and yogasana with diet regulations in managing blood cholesterol levels of obese female college students vyayamvidnyanavol 46 No.3, August 2013, pp. 34-35
3. Roy S.S. and Roy, Ravindranath, Modern Living Kit: Health and Fitness, Authors Press, Delhi, 2001,p. 123.
4. American Journal of Health Promotion. Winter 1989, vol 3
5. Yadav, S.K., Kumar, A., Kumar, V. and Kumar, A.(2015). Importance of yoga in daily life, DOI:10.13140/RG.2.1.4538.3842

विकास का ताला खुलेगा कार्यालय प्रबंधन की चाबी से

डॉ. आलोक कुमार यादव*

प्रस्तावना – वैश्विक संदर्भ में पिछला दशक बेहद उथल पुथल भरा रहा है। युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और आर्थिक मंदी ने विकास की गति को अवरुद्ध किया है, इस निराशाजनक माहौल में कुछ सरकारों, कुछ संस्थाओं और लोगों ने उम्दा प्रबंधन द्वारा सफलता के नये मापदण्ड निर्धारित किये हैं। इन सबका असर भारतीय प्रशासन, समाज, सरकार, तकनीकी विकास, शिक्षा, संस्कृति और अन्यान्य क्षेत्रों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ा है। आजादी के बाद नेहरूजी और भाभा ने कहा था कि 'हम विज्ञान और तकनीक की सहायता से देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आधी सदी के बाद अनुभव यह कहता है कि विज्ञान और तकनीक के साथ प्रबंधन का जोड़ा जाना प्रासंगिक है।'

सौंदर्य की पृष्ठभूमि में छिपी हुई कला का नाम प्रबंध है अर्थात् मानव निर्मित संसार में जो कुछ भी अच्छा है उसके पीछे प्रबंधन है। किसी भी राष्ट्र, सरकार, समाज, संगठन, फर्म, कंपनी या संस्थान की प्रगति की पृष्ठभूमि के विविध आयामों में कार्यालय प्रबंधन भी एक अहम कारक है। हर सफलतम व्यक्ति संस्थान या सरकार के पीछे उसके कार्यालय का हाथ होता है। व्यापक संदर्भों वाले कार्यालय प्रबंधन की अवधारणा पर भी आधुनिक प्रवृत्तियों का असर साफ दिखने लगा है। कार्यालय प्रबंधन के व्यापक संदर्भ से आशय है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने से संबंधित महत्वपूर्ण कागजातों और सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से रखना और भविष्य में जरूरत के समय प्रयोग में लाना, एक इंजीनियर द्वारा अपने प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज, किसी वकील या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अपने मुक्किल और उनके केस की जानकारी, एक डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों से संबंधित विवरण, जांच रिपोर्ट्स, फर्मों, कंपनी निगमों द्वारा अपने उत्पाद या सेवा से संबंधित आँकड़े, क्रेता और विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता से संबंधित विवरण, सूचनाएं आंकड़ों का लाभप्रद प्रयोग, सरकार द्वारा बनाये जाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों, निर्णय का विस्तृत व्यौरा से लेकर ग्राम सचिव या सरपंच द्वारा गांव के विकास से संबंधित विषयवस्तु का संकलन आदि सब कार्यालय प्रबंधन की विषयवस्तु है। मोटे तौर पर कार्यालय ऐसे सेवा कार्य को दर्शाता है जिसमें लिपिकीय कार्य किया जाता है, चाहे वह कहीं भी किया जाये।

भू- मण्डलीयकरण और उदारीकरण की नई नीतियां अस्तित्व में आने के बाद से पूरी दुनियां मानो एक बाजार बन गई है। इन बाजार की ताकतों को अपने नियंत्रण में लाने के लिये कौशल रुपी हथियार से जंग लड़ी जा रही है। इस जंग की प्रेरक शक्ति विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन है जिसके जरिये तीव्रगामी विकास का लक्ष्य साधा जा सकता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदलती दुनियां में हम एक व्यक्ति, संगठन या

राष्ट्र के रूप में कैसे कामयाब हो। हम में से अधिकांश संगठनों में काम करते हैं और स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, श्रमिक संघों, सामाजिक क्लबों, राजनीतिक दलों आदि अनेक प्रकार के संगठनों से हमारा वास्ता पड़ता है। भारत में सरकार सबसे बड़ा कार्यालयीन संगठन है जिस पर हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को आधुनिक और अग्रणी बनाने का केन्द्रीय दायित्व है। लेकिन सरकारी स्तर पर प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को ना अपनाया जाना चिंताजनक है। सामाजिक आर्थिक विकास, निर्धनता व बेरोजगारी उन्मूलन तथा समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये उसके कार्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है। हालांकि हमारे ही देश के निगमित जगत में परिवर्तन की बयार बहने लगी है 'सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन' (टी.क्यू.एम.), प्रबंधन की जापानी तकनीक 'काइजेन' जो कि न्यूनतम त्रुटि शुन्य दुर्घटना, शुन्य रुकावट और न्यूनतम नुकसान के लक्ष्य पर आधारित है, प्रचलन में है। प्रबंधन की इस तकनीक में मानवीय पहलू के व्यापक प्रभाव के मद्देनजर 'सम्पूर्ण उत्पादकता प्रबंधन' (टी.पी.एम.) को अपनाया जा रहा है जिसमें लागत नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन प्रणालियों के अनुभवों के आधार पर हमारे देश के कार्यालयों में भी इन्हे आजमाया जा सकता है।

बदलते परिदृश्य में अब यह मान्यता बढ़ रही है कि आर्थिक व सामाजिक विकास में कार्यालय प्रबंधन का योगदान केन्द्रीय महत्व का है। प्रभावी कार्यालय प्रबंधन द्वारा नये संसाधनों को विकसित उपलब्ध संसाधनों की गतिशील और उपलब्ध आगतों से अधिक निर्गतों का उत्पादन करके वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। भारत आज सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहा है। न्यूनतम लागत पर विभिन्न और बहुविध स्रोतों से सूचनाओं का सतत प्रवाह हो रहा है, लेकिन सभी सूचनाओं का संग्रहण व्यवहारिक दृष्टि से न तो उपयोगी है और ना ही संभव है। ऐसे में समुचित सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, निर्वचन किया जाना प्रथम प्राथमिकता है। भविष्य में और तीखी होती व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में सूचनाओं के विशेष महत्व को देखते हुये आधुनिक तकनीकों के द्वारा उपयोगी सूचनाओं को न्यूनतम स्थान और न्यूनतम लागत पर प्रयुक्त किया जाना प्रासंगिक है।

पेटेंट, कॉपीराइट, गुणवत्ता प्रमाण पत्र और वैश्विक मुद्रा के प्रचलन में आने और व्यापार और बौद्धिक सम्पदा के अनुबंध के चलते यह अपरिहार्य हो गया है कि कार्यालय प्रबंध इसके प्रति जागरूक रहकर समय रहते आवश्यक कार्यवाही करें। देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे कार्यालय किस तरह परिवर्तन से निपटते हैं। अब हमें विकसित

देशों की सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद की तुलना में अपने उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत, प्रक्रिया लागत, प्रक्रिया समय और आविष्कार पर ध्यान देना होगा। संपत्ति का सृजन करने में ज्ञान की क्षमता को अब दुनिया भर में महत्व मिल रहा है लेकिन यह महत्व 'संरक्षित ज्ञान' को ही मिल रहा है क्योंकि उसी में संपत्ति के सृजन की क्षमता होती है। हमारे कार्यालयों के प्रबंधन को पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन आदि के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना होगा साथ ही बौद्धिक संपदा संरक्षण के विषय को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना हितकर होगा।

उदारीकरण, बाजारवाद और भ्रू मण्डलीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लाभ कमाने के लिये अब विक्रय मूल्य में प्रतिस्पर्धा बनने के बजाय लागत मूल्य में न्यूनता लाना मूलमंत्र बनता जा रहा है। विपणन एवं विक्रय मूल्य कम और प्रतिस्पर्धा बनाने के बाद लाभ कमाने का एकमात्र विकल्प लागत में कमी करने का बचता है। बाजार में अनेकों विकल्प मौजूद होने से गुणवत्ता में समझौता करना नादाना और आत्मघाती कदम होगा। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और भ्रू मण्डलीकरण की नीतियों को अपनाये जाने के एक दशक बार हमारे देश के नीति निर्माताओं, प्रबुद्ध और सजग लोगों को इस यथार्थ से रूबरू होने का अवसर मिला है।

विकास के लिये उम्दा प्रबंधन, लागत में कटौती, उपयोगी सूचनाओं का प्रयोग, बौद्धिक संपदा की जानकारी, इत्यादि भौतिक संसाधनों के दायरे में आते हैं। लेकिन इन सबका प्रयोग मानव को करना है अतः मानवीय संसाधन विकास सबसे अहम है। फैक्ट्री और कारखानों में पैदा होने वाला उत्पाद और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताको प्रदान की जानेवाली सेवाओं को अंततः मानवीय संसाधनों द्वारा ही प्रचालित किया जाता है। अतः

सकारात्मक ऊर्जा और सोच से भरे लोग किसी भी संगठन के प्राण होते हैं। आज शासकीय और गैर शासकीय स्तर पर यह बात गहरे तक महसूस की जाने लगी है कि बेहतर मानव प्रबंधन के वगैर विकास को गति नहीं दी जा सकती। अब सभी लोग अपनी एक आँख मानव विकास पर रखते हैं तो दूसरी आँख उत्पाद और आय के ग्राफ पर।

अन्ततः सार स्वरूप कहा जा सकता है कि समग्र विकास किये जाने के लिये मानवीय और भौतिक संसाधनों की साथ-साथ प्रगति किये बिना लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र, समाज, सरकार या व्यक्ति को विकास रुपी ताला खोलने के लिए कार्यालय प्रबंधन की चाबी को यथारूप तथा यथानुसार प्रयुक्त करना चाहिये। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। दुनियां भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की क्षमता का लोहा मानती है साथ ही विकसित देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में भारतीयों का योगदान व्यापक रूपसे स्वीकार किया जाता है। ऐसे में हमारे मानवीय संसाधनों को पूरे उत्साह से कार्य करने के अनुकूल माहौल और अवसर उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है। ऐसा करने के लिये नेतृत्व को पेशेवर बनाकर पहल की जा सकती है। सरकार, वित्त, कंपनी या खेल हर कही पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है। अकुशल और अकर्मण्य कार्यालय प्रबंधकों के स्थान पर पूर्णतः पेशेवर, दक्ष और कुशल लोगों को प्राथमिकता देना श्रेयस्कर होगा। निरसंदेह हमारे समग्र विकास में प्रभावशाली और उम्दा प्रबंधन की दरकार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

मंदी नियन्त्रण में राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मोनिका सारगंदेवोत *

शोध सारांश - पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार के अच्छे-बूरे चलन से समृद्धि-मंदी के दौर का आना एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। समृद्धि की तुलना में मंदी और अवसाद के प्रभाव अधिक कष्टदायक होते हैं क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के पतन की संचयी क्रियाएं प्रारम्भ हो जाती हैं। इतिहास में मंदी के ऐसे कई उदाहरण हैं, जो विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए घातक साबित हुई थी। ऐसे ही दो बड़ी मंदी के उदाहरण 1930 की महामंदी और 2008 की वैश्विक मंदी हैं। 2008 की वैश्विक मंदी ने प्रस्तुत हो कर 1930 की महामंदी की यादें ताजा कर दी थीं। दोनों ही मंदियों की शुरुआत अमरीका से हुई थी और दोनों ही मंदियों में आर्थिक क्रियाओं में व्यापक हास हुआ था। 1930 की मंदी का समय लम्बा था तो 2008 की मंदी की तीव्रता अधिक थी। 1930 की मंदी काल में मंदी नियन्त्रण के लिए प्रारम्भ में मौद्रिक नीति प्रयोग किया जाता था, 1936 तक भी यह नीति मंदी को नियन्त्रित नहीं कर पायी तब अर्थशास्त्री जे. एम. कीन्स की पुस्तक 'दी जनरल थ्योरी' में दिए गए सुझावों को ध्यान में रख कर राजकोषीय नीति का प्रयोग किया गया जिसके परिणाम अच्छे रहे थे। तब से ही मंदी नियन्त्रण में मौद्रिक नीति के साथ राजकोषीय नीति का प्रयोग होता रहा है। 2008 की मंदी तक आते-आते राजकोषीय नीति के मंदी नियन्त्रण में प्रयोग की प्रवृत्ति में बहुत परिवर्तन आ चुका था। प्रस्तुत शोध 1930 और 2008 दोनों मंदीकालों में अमरीकी अर्थव्यवस्था द्वारा अपनाये गये मंदी नियन्त्रण के लिए अपनाये गये राजकोषीय नीति के उपायों की तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी - पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति।

मंदी की अवधारणा - पूँजीवादी अर्थव्यवस्था जब आर्थिक क्रियाओं का व्यापक हास होता है तब व्यापारिक सुस्ती मंदी में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में उत्पादन और रोजगार के स्तर में गिरावट, विनियोग की कमी, आय, माँग और कीमतों में पर्याप्त कमी आदि क्रियायें संचयी रूप से प्रारम्भ हो जाती हैं। मंदी लक्षणों का एक देश की सीमा से बाहर निकल कर कई देशों में एक साथ दिखाना वैश्विक मंदी आर्थिक मंदी की अवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कई कारकों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक मंदी को परिभाषित करते हुए कहा कि 3% से कम वैश्विक आर्थिक विकास वैश्विक मंदी के बराबर है।

1930 की महामंदी - विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो 1929 से प्रारम्भ हो कर 1940 तक जारी थी। इस मंदी की शुरुआत 1929 में अमरीकी शेयर व्यापार के गिरावट के साथ हुई थी। 1930-33 के बीच यह पूरे विश्व में फैल गई थी। इस मंदी के लिए जो कारण उतरदायी थे वे हैं- अमरीकी शेयर बाजार में गिरावट से लोगों द्वारा खर्च में 10 फीसदी की कमी, बैंक साख में कमी और बैंकों का दिवालिया हो कर बन्द होना, 1930 का सूखा, बैंकों की दोषपूर्ण साख नीति, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय में कमी, अमरीका द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीति, कमजोर वित्तीय संस्थागत ढाँचा और स्वर्णमान। 1930 की मंदी अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी थी। 29 अक्टूबर 1929 का दिन जिसे काला मंगलवार (Black Tuesday) कहा जाता है अमरीका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आने के बाद से अमरीका तथा उसके साथ कई देशों में आर्थिक क्रियाओं का पतन हुआ। 1930-39 के बीच अमरीका के शेयर बाजार में 40%, रोजगार में 60% और कृषि में 60% की कमी आ गई थी। अमरीका में 1.30 लाख लोग

बेरोजगार तथा कुल 9000 बैंक दिवालिया हुए थे। ब्रिटेन को मंदी से निकलने के लिए स्वर्णमान का त्याग करना पड़ा था।

2008 की वैश्विक मंदी - 2008 की मंदी 1930 की महामंदी के बाद की सबसे बड़ी मंदी थी जिसकी भी शुरुआत अमरीका से ही हुई थी। 2005-06 में आवासीय क्षेत्र में विस्फोट चरम पर था। आवास उफान में वृद्धि, आसान ऋण-शर्तें, उप-प्राथमिक एवं असुरक्षित ऋणों में वृद्धि, वर्धित ऋणों का भार, वित्तीय नवाचार और जटिलता, अमरीका की वित्तीय संस्थाओं की गलत कार्यप्रणाली आदि मंदी के बड़े कारण थे। अमरीकी बैंकों द्वारा खुले हाथों ऋणों के निरन्तर वितरण ने सबप्राइम संकट को जन्म दिया जिसका परिणाम से अमरीका में लीमैन ब्रदर्स, मेरिल लिंच और वाशिंगटन म्यूचुअल जैसी कम्पनियाँ संकट में आ गई थी। इस मंदी में 17 सितम्बर 2008 को अमरीका में 81 सार्वजनिक संस्थाओं ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिये फाइल किया था। स्टॉक सूचकांक में 45% और आवासीय कीमतों में 20% की गिरावट और बेरोजगारी दर 10.2% हो गई थी। प्रस्तुत शोध पत्र में अमरीकी अर्थव्यवस्था द्वारा मंदी नियन्त्रण में राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

सन्दर्भ साहित्य का विवेचन - मंदी और मौद्रिक नीति के सन्दर्भ में समय-समय पर कई अध्ययन किये गये हैं।

1. Andrew Ojwang Kisero (1995)¹ ने मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति की सामूहिक प्रभावशीलता विषय पर शोध में फेडरल रिजर्व बैंक में सेंट लुइस मॉडल के प्रयोग का परीक्षण किया है। जिसमें उन्होंने राजकोषीय नीति को अधिक प्रभावी पाया।

2. Kritchaya Paltanachik (2011)² ने अपने अध्ययन में 5 एशियन

देशों (थायलैण्ड, फिलीपिन्स, मलेशिया, इन्डोनेशिया और दक्षिणी कोरिया) और 2 लेटिन अमरीकी देशों (अर्जटीना और मैक्सीको) के प्रमाणिक आकड़ों का प्रयोग करके 1990 और 2008 के वित्तीय संकटों के प्रभावों का विश्लेषण किया है।

3. Barry Eichengreen & Kevin O Rourke(2009)³ने 1930 की महामंदी और 2008 की वैश्विक मंदी का विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभावों और निवारक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि 2008 की मंदी 1930 की मंदी के मुकाबले अधिक बदनर थी।

4. Thayer Watkins, Silicon Valley & Tarnado Alley(2009)⁴ने अपने शोध में 2008 की मंदी का प्रत्येक अर्थव्यवस्था में शुरूआत एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर इस मंदी के प्रभावों का अध्ययन किया था।

5. Larry Kummer (2009)⁵ने अपने अध्ययन में अमरीकी अर्थव्यवस्था पर 2008 की मंदी के प्रभावों का वर्णन किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि इस मंदी के अमरीका पर इतने कम प्रभाव क्यों पड़े।

6. Miguel Almunia, Agustin S. Benetrix, Barry Eichengreen, Kevin H O Rourke & Gisela Rua(2009)⁶ने 1930 की मंदी के दौरान शून्य ब्याज दर, बैंकिंग संकट और जोखिम वाली पारिस्थितियों में मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।

शोध के उद्देश्य:

1. दोनों मंदियों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करना।
2. दोनों मंदियों में राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना :

1. दोनों मंदीकालों में मंदी नियन्त्रण हेतु अपनाई गई राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध कार्यविधि - 2008 और 1930 दोनों मंदियाँ वैश्विक मंदियाँ हैं, अतः अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए अमरीकी अर्थव्यवस्था को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुना गया है, क्योंकि एक तो दोनों ही मंदियों की शुरूआत यहीं से हुई थी और दोनों मंदियों को नियन्त्रित करने के प्रयास भी यहाँ से प्रारम्भ हुए थे। प्रस्तुत शोध में मुख्यतः द्वितीयक संमकों का प्रयोग किया गया है, जो की सन्दर्भ पुस्तकों, लेखों, पत्र-पत्रिकाओं और इन्टरनेट के माध्यम से संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत शोध एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिसे दो चरणों में बाँटा गया है। प्रथम चरण में अमरीकी अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ दोनों मंदियों के कारणों, प्रभावों और मंदी नियन्त्रण में प्रयुक्त राजकोषीय नीति के उपायों का विवरण किया गया है और द्वितीय चरण में प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर शोध परिकल्पना को परखा गया है। परिकल्पना परीक्षण के लिए सांख्यिकीय विधियाँ जैसे- माध्य और टी- परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

विवेचन एवं निष्कर्ष - 1930 मंदी जो कि 10 वर्ष की थी की तुलना में 2008 की मंदी जो कि 18 माह की थी की तीव्रता अधिक थी। अमरीकी अर्थव्यवस्था में दोनों मंदियों के राजकोषीय उपायों के तुलनात्मक अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं-

दोनों मंदीकालों के राजकोषीय उपायों में तुलना - 1930 की मंदी की तुलना में 2008 की मंदी के प्रारम्भ होते ही आक्रामक राजकोषीय नीति

अपनाई गई थी। दोनों मंदीकालों में अपनाए गए राजकोषीय उपायों की तुलना इस प्रकार है-

1. सार्वजनिक व्यय - 2008 की मंदी सार्वजनिक व्यय 1930 की मंदी की तुलना में अधिक तीव्र और बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए थे। वर्ष 1930 में अमरीका में सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू आय के मात्र 3.4% था, जो 1934 में बढ़कर 10.7% हो गया था। यह मात्रा वर्ष 2008 में 19.6% और 2008 में 25% था, जो 1930 की तुलना के तुलना में अधिक था। दोनों मंदीकालों के सार्वजनिक व्ययों की तुलना हेतु t- परीक्षण का प्रयोग किया गया है जो निम्न प्रकार है:

सारणी क्रमांक- 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

H_0 = दोनों मंदीकालों में किए गए सार्वजनिक व्ययों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात्

$$\bar{X}_1 = \bar{X}_2$$

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n_1} = \frac{79.6}{10} = 7.96 \quad \bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n_2} = \frac{94.8}{4} = 23.7$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2 + \sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{56.761 + 13.26}{10 + 4 - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{70.021}{12}} = 2.42$$

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s} \times \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} = \frac{17.96 - 23.7}{2.42} \times \sqrt{\frac{10 \times 4}{10 + 4}}$$

$$= \frac{15.74}{2.42} \times 1.69 = 10.99$$

स्वातंत्र्य कोटि की संख्या (df) = $n_1 + n_2 - 2 = 12$

5% सार्थकता स्तर 12 df पर t का सारणी मान $t_{.05} = 2.179$ है।

परिकल्पित मान $t(10.99) > t_{.05}(2.179)$ है।

अतः कि शून्य परिकल्पना (H_0) दोनों मंदीकालों में किए गए सार्वजनिक व्ययों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है, को अस्वीकार किया जाएगा।

1. सार्वजनिक आय - मंदी काल में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सहायता से कर एवं प्रशुल्क में कमी की जानी चाहिए परन्तु 1930 की मंदी में अमरीकी अर्थव्यवस्था ने सार्वजनिक व्यय के बढ़ते भार को कम करने के लिए कर एवं प्रशुल्क बढ़ाने की कार्यवाही अपनाई गई थी। जिसने मंदी की मार को और बढ़ा दिया था। वहीं 2008 की मंदी करों में कमी की नीति अपनाई गई थी। वर्ष 1930 में सार्वजनिक आय सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% था जो 1934 में बढ़कर 5.2% हो गया था वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2008 में यह 17.5% था जो 2009 में कर भार कम होने से घटकर 14.9% रह गया था। दोनों मंदीकालों में सार्वजनिक आयों की तुलना हेतु t- परीक्षण का प्रयोग किया गया है जो निम्न प्रकार है:

सारणी क्रमांक- 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

H_0 = दोनों मंदीकालों की सार्वजनिक आयों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात्

$$\bar{X}_1 = \bar{X}_2$$

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n_1} = \frac{50}{10} = 5 \quad \bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n_2} = \frac{61.7}{4} = 15.43$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x_1 - \bar{x}_1)^2 + \sum(x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{21.88 + 5.9}{10 + 4 - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{27.78}{12}} = 1.52$$

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s} \times \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} = \frac{15 - 5}{1.52} \times \sqrt{\frac{10 \times 4}{10 + 4}}$$

$$= \frac{10.43}{1.52} \times 1.69 = 11.59$$

स्वातंत्र्य कोटि की संख्या (df) = $n_1 + n_2 - 2 = 12$

5% सार्थकता स्तर 12 df पर t का सारणी मान $t_{.05} = 2.179$ है।

परिकलित मान $t(11.59) > t_{.05}(2.179)$ है।

अतः कि शून्य परिकल्पना (H_0) दोनों मंदीकालों में किए गए सार्वजनिक आयों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है, को अस्वीकार किया जाएगा।

2. सार्वजनिक ऋण - 1930 और 2008 की दोनों ही मंदियों में बजट घाटे और आर्थिक गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाया गया था। 1930 की मंदी अमरीका में अनाज, पेट्रोल, कच्चा माल, कोयला आदि की गिरती कीमतों ने ऋणों की मांग को बढ़ाया था वहीं 2008 की मंदी में वित्तीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र हाउसिंग बाजार की गिरावट से ऋणों की मांग को बढ़ाया था। 1930 के मंदीकाल में सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 20-30% तक बढ़ाए गए थे जबकि 2008 की मंदी से अंश 83% था।

3. सार्वजनिक बजट - घाटे का बजट मंदी निवारण हेतु जरूरी होता है। 1930 की मंदीकाल में अमरीकी अर्थव्यवस्था बजट को सन्तुलित बनाए रखना चाहती थी इस कारण उसने सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के साथ- साथ करों में भी वृद्धि कर दी थी। जिसके कारण मंदी और तीव्र हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ 2008 की मंदी में बजट घाटे को बढ़ाकर मंदी की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया गया था जो सफल भी रहा। 1931 में बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% था जो 1934 तक भी 4% ही बढ़ा था इसकी तुलना में 2008 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% था जिसे 2009 में बढ़ा कर 10% कर दिया गया था जो 1930 की तुलना में अधिक था। दोनों मंदीकालों में सार्वजनिक घाटों की तुलना हेतु t- परीक्षण का प्रयोग किया गया है जो निम्न प्रकार है:

सारणी क्रमांक-3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

$H_0 =$ दोनों मंदीकालों के सार्वजनिक घाटों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात्

$$\bar{X}_1 = \bar{X}_2$$

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n_1} = \frac{30.3}{9} = 3.37 \quad \bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n_2} = \frac{33}{4} = 8.25$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(x_1 - \bar{x}_1)^2 + \sum(x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{32.15 + 36}{9 + 4 - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{68.15}{11}} = 2.49$$

$$T = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s} \times \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} = \frac{3.37 - 8.25}{2.49} \times \sqrt{\frac{9 \times 4}{9 + 4}}$$

$$= 1.96 \times 1.66 = 3.25$$

स्वातंत्र्य कोटि की संख्या (df) = $n_1 + n_2 - 2 = 11$

5% सार्थकता स्तर 11 df पर t का सारणी मान $t_{.05} = 2.201$ है।

परिकलित मान $t(3.25) > t_{.05}(2.201)$ है।

अतः कि शून्य परिकल्पना (H_0) दोनों मंदीकालों के सार्वजनिक घाटों के माध्यों में सार्थक अन्तर नहीं है, को अस्वीकार किया जाएगा।

सुझाव - उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जो निम्न हैं-

1. मंदीकाल में राजकोषीय नीति के सभी उपकरणों का पर्याप्त एवं प्रभावी प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. मंदी में करों में कम करने की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था पर राजस्व पर अधिक भार न पड़े।
3. सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर मंदी में लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि से अधिक रोजगार का सृजन किए जाना चाहिए।
4. मंदीकाल में घाटे के बजट का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु अनुकूल वातावरण मिल सके।
5. वैश्विक मंदी में सभी अर्थव्यवस्थाओं को संरक्षणवादी नीति का त्याग कर सामूहिक विकास के प्रयास करने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Andrew Ojwang Kisero "Collective Effectiveness of monetary policy and Fiscal Policy" Doctoral thesis, 1995.
2. Kritchaya Paltanachik, "The Impact of financial crisis on output and exchange rates in emerging market countries" UMI Dissertation publishing, 1 September 2011.
3. Barry Eichengreen and Kevin O Rourke "2008-2009 is worse than 1929-1930" NBER, November 2009 <http://www.nber.org/paper/w15524>.
4. Thayer Watkins, Silicon valley and Tarnado Alley "The global impact of 2008-2009 recession", San Jose state university, USA, Department of Economics, 2009
5. Larry Kummer "why the worst recession since the 1930 has such a mild effect on America", Fabous Maximus Astra ward press theme, 14 July 2009.
6. Friendlyversion.voxeu.org/article/effectiveness_fiscal_and_monetary_stimulus_depression

सारणी क्रमांक-1 : 1930 और 2008 के मंडीकालों में सार्वजनिक व्यय वृद्धि दर में वार्षिक तुलना

(GDP % के रूप में)

वर्ष	1930 की महामंदी में सार्वजनिक व्यय			वर्ष	2008 की वैश्विक मंदी में सार्वजनिक व्यय		
	(X ₁)	(X ₁ - \bar{X}_1)	(X ₁ - \bar{X}_1) ²		(X ₂)	(X ₂ - \bar{X}_2)	(X ₂ - \bar{X}_2) ²
1930	3.4	-4.56	20.79	2008	20.7	-3	9.0
1931	4.3	-3.66	13.39	2009	25.0	1.3	1.69
1932	6.9	-1.06	1.12	2010	23.8	0.1	0.01
1933	8.0	0.04	0.001	2011	25.3	1.6	2.56
1934	10.7	2.74	7.51				
1935	9.2	1.24	1.54				
1936	10.5	2.54	6.45				
1937	8.6	0.64	0.41				
1938	7.7	-0.26	0.07				
1939	10.3	2.34	5.48				
n ₁ =10	$\Sigma X_1=79.6$		$\Sigma(X_1-\bar{X}_1)^2=56.761$	n ₂ =4	$\Sigma X_2=94.8$		$\Sigma(X_2-\bar{X}_2)^2=13.26$

सारणी क्रमांक-2 : 1930 और 2008 के मंडीकालों में सार्वजनिक आय वृद्धि दर में वार्षिक तुलना

(GDP % के रूप में)

वर्ष	1930 की महामंदी में सार्वजनिक आय			वर्ष	2008 की महामंदी सार्वजनिक आय		
	(X ₁)	(X ₁ - \bar{X}_1)	(X ₁ - \bar{X}_1) ²		(X ₂)	(X ₂ - \bar{X}_2)	(X ₂ - \bar{X}_2) ²
1930	4.2	-0.8	0.64	2008	17.5	2.07	4.28
1931	3.7	-1.3	1.69	2009	14.9	-0.53	0.28
1932	2.8	-2.2	4.84	2010	14.9	-0.53	0.28
1933	3.5	-1.5	2.25	2011	14.4	-1.03	1.06
1934	4.8	-0.2	0.04				
1935	5.2	0.2	0.04				
1936	5.0	0	0				
1937	6.1	1.1	1.21				
1938	7.6	2.6	6.76				
1939	7.1	2.1	4.41				
n ₁ =10	$\Sigma X_1=50$		$\Sigma(X_1-\bar{X}_1)^2=21.88$	n ₂ =4	$\Sigma X_2=61.7$		$\Sigma(X_2-\bar{X}_2)^2=5.9$

सारणी क्रमांक-3 : 1930 और 2008 के मंडीकालों में सार्वजनिक घाटे में वृद्धि दर में वार्षिक तुलना

(GDP % के रूप में)

वर्ष	1930 की महामंदी में सार्वजनिक घाटा			वर्ष	2008 की महामंदी में सार्वजनिक घाटा		
	(X ₁)	(X ₁ - \bar{X}_1)	(X ₁ - \bar{X}_1) ²		(X ₂)	(X ₂ - \bar{X}_2)	(X ₂ - \bar{X}_2) ²
1931	0.6	-2.77	7.67	2008	3.2	-5.05	25.5
1932	4.0	0.63	0.39	2009	10.0	1.75	3.06
1933	4.5	1.13	1.28	2010	8.9	0.65	0.42
1934	5.9	2.53	6.4	2011	10.9	2.65	7.02
1935	4.0	0.63	0.39				
1936	5.5	2.13	4.54				
1937	2.5	-0.87	0.76				
1938	0.1	3.27	10.69				
1939	3.2	-0.17	0.03				
N ₁ =9	$\Sigma X_1=30.3$		$\Sigma(X_1-\bar{X}_1)^2=32.16$	N ₂ =4	$\Sigma X_2=33$		$\Sigma(X_2-\bar{X}_2)^2=36$

शक्ति संतुलन का सुरक्षात्मक महत्व

डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा*

शोध सारांश – विश्व राजनीति व समरतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था का सर्वप्रमुख आधार शक्ति संतुलन होता है। शक्ति संतुलन ही वह महत्वपूर्ण हथियार है जिससे युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व ही विजय की संभावना को बलवती किया जाता है।

युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति को सापेक्षित रूप से अधिक बढ़ाना होता है और इसका एक मात्र उपाय यह होता है कि शत्रु की सैन्य शक्ति को कम करने के लिये विभिन्न प्रकार की संधि और समझौते इस प्रकार से किये जायें कि शक्ति संतुलन स्थापित हो जाए तथा युद्ध की स्थिति में शत्रु को सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्रों की संख्या काफी हद तक न्यूनतम रखी जा सकें अर्थात् हम यह भी कह सकते हैं कि शत्रु को उसके मित्रों से दूर रखने की कला ही शक्ति संतुलन स्थापित करना है।

प्रस्तावना – शक्ति संतुलन की बड़े ही व्यापक और विभिन्न ढंगों से व्याख्या की जाती है। **क्रीन्सी राइट** ने अपनी पुस्तक 'युद्ध का अध्ययन' में लिख है कि – शक्ति संतुलन से तात्पर्य उन प्रयत्नों से है जिन्हें अपेक्षित राजनीतिक शक्ति में दृष्टिगत किया जा सकता है और मापा जा सकता है।

शक्ति संतुलन को कभी कभी नीति की संज्ञा दी जाती है। 'टेलन ने शक्ति संतुलन को एक तन्त्र माना है। दूसरी ओर अनेक लेखकों ने इसको केवल एक विचारधारा मानकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वास्तविकता का एक प्रतीक कहा है।

आधुनिक विचारकों में **पामर व पर्किन्स** ने शक्ति संतुलन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधारभूत सिद्धान्त, **मार्गेन्थाउ** ने सामान्य सामाजिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति तथा **मार्टिन** ने राजनीति का यथा संभव मूलभूत नियम आदि को संज्ञा दी है। बदलते हुये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की राजनीति में युद्धों की रोकथाम तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में शक्ति संतुलन की बड़ी विशिष्ट महत्ता है।

शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग अलग अलग विद्वानों ने अपने ढंग से किया है। **कैसलरे** का विचार है कि 'शक्ति संतुलन का तात्पर्य है राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच एक ऐसी उचित सामयावस्था बनाये रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके।'

अर्नोल्ड टायनबी के अनुसार 'शक्ति संतुलन राजनीति की गतिशीलता का एक ऐसा निकाय है जो उस समय स्वयं सक्रिय हो जाता है जब कभी कोई समाज कई परस्पर स्वाधीन स्थानीय राज्यों का रूप ग्रहण करता है।'

वास्तव में शक्ति संतुलन शक्ति की अति प्रबलता वाले बहुराज्य संसार में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। **श्लीचर** के अनुसार 'शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की आपेक्षिक शक्ति की और संकेत करता है।'

मार्गेन्थाउ के मतानुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-संतुलन एक सामान्य सामाजिक सिद्धान्त की केवल एक अभिव्यक्ति है, जिसके प्रति विभिन्न स्वतन्त्र इकाइयों से बने सभी समाज अपने अवयवों की स्वतन्त्रता के लिये

आभारी होते हैं।'

डिकिसन के अनुसार सन्तुलन शब्द का प्रयोग सन्तुलन और असन्तुलन दोनों की स्थिति में किया जाता है। 'समानता' किन्तु जब सन्तुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ है 'असमानता'। उनका कहना है कि शक्ति-संतुलन प्रथम अर्थ का दावा करता है, किन्तु दूसरे के लिये प्रयत्नशील रहता है। यद्यपि मार्गेन्थाउ ने शक्ति संतुलन का अर्थ राष्ट्रों के अन्दर स्थित शक्ति की समानता से लगाया है किन्तु यह तभी सम्भव है कि जब शक्ति शब्द के साथ कोई विश्लेषण न लगाया गया हो।

इसके विपरीत **स्पाइक मैन** के कथनानुसार- 'वास्तविकता यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति-संतुलन में रुचि लेता है जो उसके हित में होता है। इस प्रकार जो राष्ट्र शक्ति-संतुलन की स्थापना करना चाहता है, वह सन्तुलन न करके अपने हित में असन्तुलन की स्थापना करता है।'

इन परिभाषाओं को देखते हुए आइन्स क्लाड का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है जो उन्होंने अपनी पुस्तक 'पावर एण्ड इण्टरनेशनल पालिटिक्स' में व्यक्त किया है कि 'शक्ति-संतुलन के साथ कठिनाई यह नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि यह है कि इसके अनेकों अर्थ हैं।'

पामर एवं पर्किन्स ने शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक बुनियादी सिद्धान्त माना है। इन्होंने शक्ति-सन्तुलन की निम्न विशेषताओं को उल्लेख किया है-

1. विश्व के राष्ट्रों के मध्य शक्ति-सन्तुलन सदैव बना नहीं रह सकता।
2. शक्ति-संतुलन की स्थापना स्वतः ही नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है।
3. शक्ति-संतुलन का मापदण्ड युद्ध है, क्योंकि युद्ध प्रायः तभी प्रारम्भ होता है जब शक्ति-संतुलन प्रायः विच्छिन्न हो जाते हैं।
4. शक्ति-संतुलन की नीति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है।
5. इतिहासकार शक्ति-संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है किन्तु राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है।
6. शक्ति-संतुलन के खेल में बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र तो केवल प्रभावित या दर्शक के रूप में होते हैं, किन्तु यदि वे आपस में मिल जायें तो इस खेल में सक्रिय हिस्सेदार भी बन सकते हैं।

उपरोक्तानुसार विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी राष्ट्र को अपनी स्थायी सुरक्षा के लिये संकट/युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व ही यदि गंभीर प्रयास करने है तो इस दिशा में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम यह है कि वह शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिये यह विश्लेषण करें की युद्ध अथवा सैन्य कार्यवाहियों को करते समय ऐसे कौन - कौन से विदेशी राष्ट्र अथवा सैन्य शक्तियाँ हैं जो शत्रु को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं।

विश्लेषण के उपरांत सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि शत्रु को सहायता पहुँचाने के इच्छुक राष्ट्रों/सैन्य शक्तियों को अपना अथवा अपने मित्र समूह में संधि और समझौते करते हुये इस प्रकार से सम्मिलित कर लेना कि वे या तो शत्रु को सहायता ही ना कर सकें अथवा वे तटस्थ ही रहें अर्थात् निष्कर्ष

रूप में यह भी कहा जा सकता है कि शत्रु के मित्रों को तटस्थ रखना अथवा अपनी ओर मिला लेना ही शक्ति संतुलन स्थापित करना होता है और यह शक्ति संतुलन ही किसी भी राष्ट्र की स्थाई सुरक्षा की गारंटी हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Leonox A. Mills : World Politics in Transition Transition
2. A. J. Toynbee : A Study of History,
3. See International Relations,
4. See inis L. Claude. Power and international Relations.
5. See Guglielmo Ferra. The Reconstruction of Europe,
6. See E.H. Carr, The Twenty Year Crisis 1919-39,
7. See Palmer and Parkins, International Relations.
8. राष्ट्रों के मध्य राजनीति

सीमा और सीमान्तों की अवधारणा - भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में

डॉ. कौशलेन्द्र सिंह*

शोध सारांश - भू राजनीति के अन्तर्गत सीमा और सीमान्त दोनों की ही अवधारणा अत्यधिक जटिल है अनेको बार यह भौगोलिक सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुये निर्धारित होती हैं। विश्व इतिहास का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि राष्ट्रों का उद्भव और विकास सैन्य संघर्षों के फलस्वरूप हुआ है। सैन्य शक्ति ने ही अधिकांशतः सीमा और सीमान्तों का निर्धारण किया है किन्तु इसके बावजूद भी भौगोलिक तत्व निर्धारण का महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं।

प्रस्तावना - सीमा एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ोसी राज्य से पृथक करती है। यह मानचित्र पर एक रेखा के रूप में दर्शाई जाती है आज प्रायः अधिकांश राष्ट्र स्वतन्त्र हैं और सभी अपनी-अपनी सीमाओं की शुद्धतम रूप में अंकित कर रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं। सीमा रेखाएँ परिवर्तनशील होती हैं अतः प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के पश्चात अधिकांश नवीन राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है।

राज्यों के मध्य की राजनीतिक सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। सभी राज्यों की विद्यमान सीमाएँ कृत्रिम हैं। इनमें से कुछ सीमाओं को प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है कि वे प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर निश्चित की गई होती हैं। प्रकृति में सीमा रेखा नहीं होती। सर्वत्र यह मानवीकृत है जिसे प्राकृतिक भौगोलिक या प्राकृतिक ऐतिहासिक कर सकते हैं।

प्राकृतिक भू लक्षणों पर आधारित व उल्लिखित सीमा रेखाओं ने वर्तमान काल में अनेक विवाद-उपस्थित किए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि उक्त परिभाषा के अन्य अर्थ लिए गए हैं और शक्ति की स्वार्थपरता इसका मुख्य कारण रहा है। औपनिवेशिक क्षेत्रों - मुख्यतः अफ्रीका में ऐसा अधिक हुआ है। उपनिवेशों में सीमा निर्धारण तो उनके शासकों ने कर दिया परन्तु वास्तविक सीमांकन स्वतन्त्र होने पर किया गया है जिसमें अनेकानेक अमूर्त कठिनाइयाँ सामने आई हैं। सीमांत को राज्यों के मध्य का संक्रम क्षेत्र माना गया है और अब इनका स्थान सीमा रेखाओं ने ग्रहण कर लिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व में सीमान्त समाप्त हो गए हैं। मूड़ी के शब्दों में ये सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं एव कुछ प्रकरणों में ये अब भी पड़ोसी राज्यों के मध्य हैं एवं विवादास्पद क्षेत्र भी बने हुए हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मध्य विघटनकारी तत्वों का कार्य करते हैं जिनकी राजनैतिक भूगोलवेत्ता उपेक्षा नहीं कर सकता। सीमान्त, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक हो सकते हैं या लक्षणों के आधार पर जातीय, भाषायी या धार्मिक भी हो सकते हैं।

A.E. Moodie ने अपनी पुस्तक Geography behind Politics में लिखा है-

"A Frontier by its character physical, linguistic, religious or ethnic can not be moved, it may change its character, it may lose much of its frontier function but it must remain in

situ,"

अर्थात् 'सीमान्त का स्वरूप चाहे प्राकृतिक, भाषायी, धार्मिक या जातीय हो, उसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। इसके लक्षण परिवर्तित हो सकते हैं, इसकी अधिकांश सीमांत क्षेत्रीय क्रियाशीलता नष्ट हो सकती है परन्तु यह यथावत ही बना रहता है।' स्पष्ट है कि मानव कार्यों द्वारा प्रादेशिक क्षेत्रीय सीमान्त पट्टी की क्रियाशीलता परिवर्तित होती है परन्तु यह क्षेत्र अपरिवर्तनीय रहता है।

इसी प्रकार लार्ड कर्जन ने Frontiers में सीमान्त के बारे में कहा है-
"Frontier and indeed the razor's edge on which hang suspended the modern issues of war or life or death to nations."

अर्थात् 'सीमान्त तलवार की तेज धार है जिस पर आधुनिक युद्ध या शांति सम्बन्धी परिणाम अथवा राष्ट्रों का जीवन-मरण अवलम्बित हैं।'

वैसे लार्ड कर्जन की मान्यता अब समाप्त सी है क्योंकि सीमान्तों का स्थान सीमा रेखाओं ने, सीमा रेखाओं का स्थान अतिरिक्त राष्ट्रीय सीमाओं ने ग्रहण कर लिया है। राज्यों के मध्य अनियंत्रित क्षेत्र अब समाप्त हो गए हैं फिर भी फिशर ने सीमान्त को राज्य का भाग बताते हुए स्पष्ट किया कि सीमान्त राज्य का वह अंग है। जो सीमा रेखा से भीतर की ओर विस्तृति लिए हुए होता है एवं अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विलीन हो जाता है।

वास्तव में सीमा रेखाएँ विधि विशेषज्ञों की दृष्टि में भिन्न प्रभुत्व सम्पन्न सत्ताओं तथा न्यायिक प्रणालियों के मध्य का सम्पर्क क्षेत्र होता है, सैनिक दृष्टि से यह राज्य का प्रारम्भ क्षेत्र होता है जिसकी दृढ़ सुरक्षा प्राथमिक आवश्यकता होती है, राजनीतिज्ञों की दृष्टि में ये प्रशासन की अन्तिम सीमाएँ होती हैं। इन्हें बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि सीमाएँ राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करती हैं। बोगज के अनुसार, 'सीमा रेखा के दोनों ओर प्रत्येक राज्य प्रशासन, व्यापार, कर निर्धारण, सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं अनेक अन्य राज्य-कार्य जैसे अपने अधिकार तथा व्यवस्था का उपयोग करता है।' बोगज ने सीमा के पृथक्करण के सन्दर्भ में जो कहा है वे अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है-

'..... अतः सीमा की स्थिति लाखों व्यक्तियों के लिए इस बात को निर्धारित करेगी कि विद्यालय में बच्चों को कौन-सी भाषा तथा विचार दिए जायेंगे अथवा लोग कौन सी पुस्तकें तथा समाचार पत्र खरीद सकेंगे या पढ़ेंगे

सकेंगे, वे किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे, किन बाजारों में वस्तुओं को खरीदेंगे या बेचेंगे, यहाँ तक कि वे सम्भवतः किस प्रकार के भोजन के लिए अनुमत होंगे। साथ ही सीमा यह भी निश्चित करेगी कि लोग किस प्रकार की राष्ट्रीय संस्कृति से सम्बन्धित होंगे अथवा किस सेना के अन्तर्गत अवधि तक सेवा करने के लिए बाध्य होंगे तथा किस भूमि की रक्षा अपना जीवन बलिदान देकर करेंगे चाहे वे इस बात के लिए इच्छुक हो या नहीं।' मूडी के अनुसार सीमा रेखा उस क्षेत्र का निर्धारण करती है जिसके अन्तर्गत राज्य की आंतरिक व्यवस्था विकसित होती है एवं इसी के सहारे विभिन्न राज्य प्रणालियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं। अतः यह भौगोलिक लक्ष्य न होकर राजनीतिक है एवं इसका पृथक्कारी कार्य मोटे तौर पर पड़ोसी राज्यों के मध्य प्रबन्धों (जिनके मध्य यह स्थिति है) के अन्तर या समानता की मात्रा पर निर्भर करता है।

सीमा और सीमान्त की विविधता को हम संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।

1. सीमा रेखा रैखिक व कृत्रिम तथा क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं संसाधन रहित राज्यों के मध्य सार्वभौमिकता के पृथक्करण के प्रतीक के रूप में हैं।
सीमान्त क्षेत्रयुक्त, प्राकृतिक तथा धरातल का एक अंश होने के कारण संक्रमण स्थिति एवं कार्य के अनुसार भौगोलिक विशिष्टता लिए हुए हैं।
2. सीमा रेखा वैधानिक एवं राजनीतिक अवधारणा है। सीमान्त न वैध है न राजनीतिक वलिक पार्थिव, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक है।
3. सीमा रेखा स्थानान्तरणशील है। दो विश्व युद्धों के पश्चात् न केवल यूरोपीय बल्कि एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से सीमा रेखा की

स्थितियों में परिवर्तन हुए है। वियतनाम के एकीकरण के फलस्वरूप सीमा रेखा अब लुप्त हो चुकी है।

सीमान्त स्नानान्तरित नहीं होते हैं। यद्यपि इनके लक्षण परिवर्तित हो सकते हैं।

4. सीमा रेखायें अन्तर्मुखी केन्द्र द्वारा स्थापित एवं समर्थित होती है। सीमान्त बहिर्मुखी होते हैं एवं बाह्यवर्ती क्षेत्र जो संकटमय होने के साथ-साथ शक्ति हेतु लाभदायक होने के फलस्वरूप इस ओर निर्देशित होते हैं।
5. सीमा रेखा राज्यों की पूर्णता एवं सुव्यवस्था का परिणाम हैं। सीमान्त तटस्थ नियन्त्रण के दृष्टिकोण से शून्य एवं स्वामीहीन क्षेत्र होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. S.W. Boggs : International Boundaries,
2. A. E. Moodle : Geography behind Politics,
3. If was no mere accident that several battles which decided the fate of india were fought on the fa,pis fields of panipat & R.C. Majumdar, Anciendt India,
4. K.M. Panikkar, Geographical Factors in Indian History,
5. Hindustan Times, 20 August, 1956.
6. fordetails see; V.P. Karnee (Ed) China invades India
7. China distegards the Columbo Proposal (Information Divisiopn, New delhi, 1953,
8. D.R. Mankekar, Twenty Two Fateful Days,
9. Capt. K Sridharan. A Maritime History of India.
10. व्हाइट पेपर
11. संसदीय डिबेट्स अंक XII स0 30ए जनवरी 24, 1963ए
12. हरोराम गुप्ता, कच्छ विवाद,

यौद्धिक परिवर्तन का इतिहास

डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा*

शोध सारांश – मानव सभ्यता एवं युद्ध दोनों ही एक दूसरे के परस्पर पूरक रहे हैं। जैसे – जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है वैसे- वैसे ही युद्ध के प्रकारों में भी परिवर्तन आया है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में युद्ध जैसी कोई अवधारण नहीं थी। क्योंकि भोजन और आवास का संबंध व्यक्तिगत था। परिवर्तन के साथ ही जब मानव ने छोटे छोटे समूहों से प्रारंभ कर बड़े – बड़े राष्ट्रों के रूप में रहना प्रारंभ किया तभी युद्ध का स्वरूप सामने आया।

प्रस्तावना – प्रारंभिक तौर पर मानव एकाकी रूप से जीवन यापन करता था तथा भोजन और आवास की सुविधा को देखते हुये ही समय के साथ व विभिन्न छोटे बड़े समूहों में रहने लगा। प्रारंभिक तौर पर छोटे छोटे गांव निर्मित हुये और इनका विकास होते हुये कस्बे शहर, राज्यों और राष्ट्रों में परिवर्तित हो गया। समूहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सैन्य संघर्ष की जिम्मेदारी समूह के कुछ निश्चित लोगों के ऊपर छोड़ दी गई और ये आगे जाकर सेना के नाम से जाने जानी लगी।

प्राचीनकालीन युद्धों के प्रमुख कारणों में भोजन, आवास, राज्य विस्तार, धन विस्तार अथवा महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास प्रमुख था। युद्धों में परिवर्तन के इतिहास के अनुसार यह संक्षेप में निम्न प्रकार रहा।

1. प्राचीनकाल (पाषाणकाल) – यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल है। युद्ध विभिन्न प्रकार के पत्थरों लकड़ी हड्डी अथवा धातुओं के बने हथियारों से सैन्य संघर्ष होता था प्राप्त सैन्य इतिहास के अनुसार यूनानी, फारसी, मिस्र और रोम सभ्यताओं में तलवार बल्लम, फरसा और धनुष बाण आदि के उपयोग का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय संदर्भ में रामायण एवं महाभारत में तत्कालीन यौद्धिक पद्धति का अत्यन्त विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

2. बारूद युग – इतिहास के अनुसार ग्यारह सौ वर्ष पूर्व सर्वप्रथम यूरोपीय लोगों ने बारूद का उपयोग सैन्य संघर्ष के लिये प्रारंभ कर दिया था। हालांकि चीन के इतिहास में बारूद के उपयोग का उल्लेख प्राप्त होता है। किन्तु यह केवल अतिशबाजी तक ही सीमित था बारूद के उपयोग ने युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल दिया। जहा पूर्व में सेनाये आमने सामने खड़े होकर लड़ती थी वही बारूद युग में आमने सामने खड़े होकर लड़ना संभव ही नहीं था। बारूद युग के हथियार मुख्यतः दो प्रकार के थे समूहिक हथियार तोपखाना तथा व्यक्तिगत हथियार बंदूक पिस्तौल आदि।

3. भाप युग – भाप युग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार मशीनों को भाप शक्ति के द्वारा चलाया जाने लगा। जिसमें मोटरगाड़ियाँ जहाज आदि प्रमुख थे इसका सर्वप्रथम उपयोग ब्रिटेन द्वारा किया गया ब्रिटेन ने अपने जहाजों को भाप शक्ति से चला कर समुद्री प्रभुत्व प्राप्त कर लिया जिसके कारण ब्रिटेन लगभग समस्त विश्व में अपना अधिकार जमाने में सफल रहा। अमेरिका ने भी भाप ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के साथ – साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली विश्व की पहली पनडुब्बी 1955 में बना ली।

4. तेल युग – 19वीं शताब्दी के अन्त में विश्व समरतंत्र के अन्तर्गत 2

अत्यधिक महत्वपूर्ण अविष्कार हुए ये थे तेल से चलने वाला इंजन तथा बेतार का तार (वायरलेस) इन्होंने समस्त विश्व में संचार और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिये युद्ध में सेनाओं के लिये गतिशीलता अत्यधिक बढ़ गयी तथा विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का उपयोग किया जाने लगा।

एक और अभूतपूर्व परिवर्तन 15 सितम्बर 2016 को आ गया जब सोम के युद्ध में सर्वप्रथम टैंक का उपयोग किया गया। इसी काल में राइट बन्धुओं में 17 सितम्बर 1883 में वायुयान उड़ाकर एक और अदभुत वैज्ञानिक खोज पूर्ण कर ली। छोटे हथियारों जिसमें मशीनगन और पिस्तौल शामिल हैं। की मारक क्षमता बढ़ाई गई। मशीनगनों को विभिन्न श्रेणियों में बंटकर भारी मध्यम एवं हल्के मशीनगनों के रूप में पहचान प्राप्त की।

5. द्वितीय विश्व युद्धकालीन समरतंत्र – युद्ध के परिवर्तन के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा मोड़ है जिसने समस्त विश्व सैन्य व्यवस्था को बदल डाला द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर परम्परागत शस्त्रास्त्रों जैसे टैंक, तोप, बम वर्षक वायुयानों, रॉकेटों सहित अन्य छोटे हथियारों का उपयोग तो हुआ ही साथ में जीवाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैसे अपरम्परागत युद्ध कर्मको का उपयोग भी किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और टॉमबाँय नामक परमाणु बमों से अमेरिका ने हमला करते हुए एक और नवीन सैन्य युग परमाणविक युग का उदय कर दिया। और इन परमाणु बमों के सफल उपयोग में समस्त विश्व युद्ध सैन्य व्यवस्था में ही परिवर्तन ला दिया। जो जापान परम्परागत युद्ध में विजयी हो रहा था वह अपरम्परागत परमाणु बमों के उपयोग के कारण बुरी तरह पराजित हो गया।

6. शीत युद्ध – द्वितीय विश्व युद्ध में हुये शस्त्रास्त्रों के उपयोग से हुयी विनाशकता को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों को यह स्पष्ट एहसास हो गया था कि यदि भविष्य में पुनः विश्व युद्ध हुआ तो संभव है कि समस्त मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। अतः ऐसी स्थिति शत्रु पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये युद्ध का एक और नवीन प्रकार 'शीत युद्ध' हमारे सामने आ गया। एवं इस शीत युद्ध ने समस्त विश्व की युद्धनीति में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया।

7. आधुनिक काल – आधुनिक समस्तांत्रिक काल को परमाणविक और अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों से युक्त कम्प्यूटर काल भी कहा जा सकता है।

वर्तमान समय में समस्त विश्व के राष्ट्र अपनी स्थायी सुरक्षा के लिये अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों जैसे - प्रक्षेपास्त्रों (मिसाइल), अंतर्माहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल, विभिन्न प्रकार के सेटेलाइटो लेजर किरणों तथा कम्प्यूटर के उपयोग पर निर्भर हो गये, साथ ही अन्तरिक्ष युद्ध जैसी स्थिति भी निर्मित हो चुकी है।

परमाणु शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस चीन हैं। इसके अतिरिक्त कजाकिस्तान, बेलायूस, और यूक्रेन ऐसे राष्ट्र हैं, जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति को सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त इजरायल, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया और ब्राजील भी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनने की सीमा पर हैं। यद्यपि प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी की काफी पुरानी है, तथा सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन प्रक्षेपास्त्र का युद्ध में प्रयोग किया। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों को प्राप्त करने की होड़ समूचे विश्व में हो गई आज ऐसे प्रक्षेपास्त्रों की गतिवहन क्षमता, मारक दूरी और उसकी सही लक्ष्य निर्धारण क्षमता को देखते हुए यह सेना का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।

रूसी वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंतर्माहाद्वीपीय बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र का निर्माण सन् 1959 में किया इसके बाद प्रक्षेपास्त्रों की होड़ लगी जिसमें अमेरिका रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इजरायल आदि ऐसे देश हैं। जो मध्यम और लम्बे दूरी के प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी को प्राप्त कर चुके हैं। भारत द्वारा निर्माण किया जा रहा अन्तर माहाद्वीपीय बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र 'सूर्य' की मारक क्षमता 5000 कि.मी. से अधिक होगी। वर्तमान समय में छोटे से छोटे प्रक्षेपास्त्र जिसे कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है से लेकर भीमकाय 'टाइटन' प्रक्षेपास्त्र तक का निर्माण हो चुका है।

आज सैकड़ों अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्ष से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जिसमें से कई सीधे सीधे सैनिक कार्यों में लगे हैं। तथा कई सेना के सहायक के रूप में कार्य किया है ये अन्तरिक्षयान जासूसी, संचार, मौसम विज्ञान, अन्तरिक्ष अन्वेषण, यातायात नियंत्रण एवं विभिन्न प्रकार के अनुसंधान आदि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है

आधुनिक युद्ध पद्धति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भरमार हो गई है। चाहे वह विमानों, पनडुब्बियों जहाजों टैंकों या प्रक्षेपास्त्रों चाहे वह संचार माध्यमों यातायात के साधनों आदि में हो, छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को भी हम सभी जगह देख सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में कई प्रकार के सेन्सर रात्रि में दिखने के लिये सहायता देने वाले उपकरण वायलैस सेट आदि सभी अत्याधुनिक खोजों की देन हैं। खतरनाक हथियारों के संचालन रख रखाव एवं उत्पादन के क्षेत्र में जहां मनुष्य की पहुँच हानिकारक हो सकती है रोबोट

की सहायता ली जा रही हैं। यह रोबोट एक यंत्र मानव होता हैं। जो अपने निर्धारित कार्य को कुशलता से करता रहता है। ऐसे ही रोबोट से हम मानव रहित विमानों का संचालन भी करते हैं। 'कम्प्यूटर' आज युद्ध का सबसे अनिवार्य अंग बन चुका है। यह आज के अत्याधुनिक युद्ध के संचालन, संचार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नौसैनिक एवं वायु सैनिक के युद्ध प्रणाली का अनिवार्य अंग हैं। कम्प्यूटर ने सैनिकों के प्रशिक्षण में भी काफी परिवर्तन ला दिया है। कम्प्यूटर की मदद से विश्व में संचार क्रांति आ गयी है।

निष्कर्ष - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके उपरांत आज तक क्रमशः तीव्र गति से चलने वाले युद्धक विमानों, अत्यधिक मारकर सकने वाले टैंकों, तोपों, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस युद्ध पोतों, पनडुब्बियों तथा सैनिकों से नवीनतम छोटे हथियारों से युद्ध की सम्पूर्ण प्रकृति को बदल कर रख दिया है। विज्ञान एवं तकनीकी की बढौलत ही आज का युद्ध तीव्रतम गतिशील विनाशकारी खर्चीला एवं मानव सभ्यता के लिये प्रश्न चिन्ह छोड़ने वाली हो गयी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. K.M. Panikkar, 'Survey of Indian History' Asian Publishing Delhi 1992
2. Lt. Gen P.N. Kathpalia PVSM AVSM National Security Perspectives Lancer International 1986, New Delhi
3. Col Ravi Nanda, AVSM 'India in Security: Changed Perspective' Lancer Book 2005 New Delhi.
4. A.N. Agarwal Total Mobilization for national Defence : Allahabad University 1965.
5. B.N. Majomdar Study of Indian Military History Army Education Store Ambala 1963
6. Panikkar K. M. Geographical Factor in Indian History Bombay Bharatiya Vidya Bhavan 1959
7. K. M Panikkar Problem of Indian Defence Bombay Asia Pub. House 1960:
8. J.N. Chaudhury Arms Aims and Aspect 1966
9. Ashutosh Lahiry Defence of India Calcutta Alphe Beta Pub. 1965
10. RAjendra Singh Aspects of Indian Defence : 1965
11. J.Perry Robinson : Chemical and Biological Warfare Pg. 8
12. Sipri 2003 The Problem of Chemical and Biological Warfare Pg. (Delhi 1985)

पर्यावरणीय अवक्रमण के प्रभाव

डॉ. कौशलेन्द्र सिंह*

शोध सारांश – पर्यावरण की संरचना अजैविक घटकों स्थल, जल, वायु एवं जैविक घटकों पौधे, मानव जन्तु एवं सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है, ये भौतिक व जैविक प्रक्रम इस तरह कार्य करते हैं, कि किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तन की समुचित भरपाई होती रहे, इस तरह पर्यावरण को स्वतः नियंत्रित भी कहा जाता है, परन्तु जब इस पर्यावरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप अत्याधिक बढ़ जाते हैं, तो पर्यावरणीय अवक्रमण होने लगता है, और इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कभी कभी यह पर्यावरणीय अवक्रमण नाजुक सीमा से इतना अधिक हो जाता है कि वह विभिन्न जीवों के लिये, तथा मनुष्य के लिये घातक एवं जानलेवा हो जाता है, जो पर्यावरणीय अवक्रमण की अन्तिम सीमा होती है।

पर्यावरणीय अवक्रमण का वर्षा पर प्रभाव – भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्षा की अनिश्चितता सदैव से विद्यमान रही है, कभी वर्षा अति अल्प होती है फलतः सूखे की स्थिति निर्मित होती है। कभी वर्षा अतिशीघ्र (समय पूर्व) तो कभी विलंब से होती है तो कभी-कभी वर्षा ऋतु में एक लंबी अवधि तक वर्षा न होने से भी फसलें नष्ट हो जाती हैं सामान्य रूप में वर्षा पर पर्यावरणीय अवक्रमण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

औद्योगिक क्षेत्रों में वायुमंडल में विशैली गैसों के बढ़ने से वर्षा का जल गैसों से रसायनिक क्रिया पर अम्लीय होकर गिरता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। औद्योगिक प्रदेशों में वर्षा के पानी में यह अम्लीयता हानिकारक स्थिति तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रकार के धुंआ उगलने का कार्य कुछ एक राष्ट्र करते हैं, परंतु पड़ोसी क्षेत्रों के लोग भी अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों को झेलते हैं।

नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आदि यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के कल कारखानों का निकला धुंआ उनके देश में अम्ल वर्षा को जन्म दे रहा है। जब सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड आदि गैसों सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है, तो वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड को जन्म देती है, जिससे उन क्षेत्रों में अम्लीय वृष्टि होती है। विद्वानों ने भारत में गुजरात व असम के तेल शोधक कारखाना क्षेत्रों व छोटा नागपुर के कोयला उत्पादक क्षेत्रों को अम्ल वृष्टि के आशंका ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इसी प्रकार विद्युत ताप ग्रहों में कोयले के जलने से मिश्रित क्लोरीन गैस भी जल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है तथा कार्बन डाई आक्साइड कार्बोनिक् अम्ल (H_2CO_3) बनाती है। तीव्र यातायात एवं भारी वाहनों के क्षेत्रों में भी अम्ल वर्षा हेतु वाहनों से निकला हुआ धुंआ जल के साथ मिलकर वर्षा करता है।

घटते हुये वर्षों ने भी भारत की वर्षा की मात्रा को प्रभावित किया है जैसे-जैसे वर्षों का विनाश हुआ है। वैसे-वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की अनिश्चितता को भुलाया नहीं जा सकता। फलतः कभी अतिवृष्टि कभी अल्प वृष्टि, कभी समय से पूर्व वृष्टि तथा कभी विलंब से वृष्टि, कभी लगातार वृष्टि तो कभी लंबे अंतराल तक

वृष्टि नहीं होती है।

पर्यावरणीय अवक्रमण का भूमिगत एवं सतही जल पर प्रभाव – जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, परन्तु कृषि, उद्योग, घरेलू उद्योग, वाणिज्यक उपयोग आदि ने जल की कमी पैदा कर दी है, या जल श्रेतों को प्रदूषित किया है। प्राकृतिक जल ने किसी बाह्य घुलनशील अथवा अघुलनशील तत्वों के मिलने से जल का प्रदूषण होता है। इस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के कारण जल के भौतिक, रसायनिक और जैविक गुणों में ह्रास हो तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं। जल में स्वतः शुद्धीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों जैसे एल्गी (काई) सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पानी में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो जलीय जीव जंतुओं और जीवाणुओं के द्वारा अपघटन के कार्यों में प्रयुक्त ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति करते हैं, जब जल में ऑक्सीजन का उत्पादन और उपयोग खपत संतुलित रूप में बनी रहती है, तो जल प्रदूषित होने से बचा रहता है, परन्तु विजातीय पदार्थ तथा कूड़ा-करकट जब जल श्रेतों में पहुंचता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। वर्तमान में महानगरों, औद्योगिक क्षेत्र और सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में जल में अपशिष्ट व अन्य प्रकार के पदार्थ मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है।

जल ही जीवन है, क्योंकि जल जीवों के लिये पानी की दृष्टि से आवश्यक है तो दूसरी तरफ यह जीव मंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। अतएव जल पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है, मनुष्य जीवन भी शुद्ध जल पर आधारित है अतएव जहाँ शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है वहाँ मानव बसाव नहीं पाये जाते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग दो-तिहाई भाग जल से निर्मित हुआ है, शरीर में पोषक तत्वों का प्रवेश, रक्त संचार, पाचन क्रिया और शरीर की त्याज्य सामग्री का निकास जल पर आधारित है।

जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाह्य सामग्री मिलकर उसके स्वाभाविक गुण में परिवर्तन कर देती है तथा जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जल के प्रदूषक अपने भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जल को प्रदूषित करते हैं इन प्रदूषकों को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक प्रदूषक – सूक्ष्म धूल कण, जीवांश तेलीय पदार्थ,

अनेक प्रकार के रंग, कीचड़ आदि। रासायनिक प्रदूषक - क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट, कीटनाशी, रोगनाशी, शाकनाशी, पारा एवं रेडियोधर्मी तत्व आदि।

स्त्रोत के आधार पर प्रदूषकों को चार भागों में बांटा जा सकता है -

1. कृषि प्रदूषकों में रसायनिक उर्वरक, कीटनाशी व शाकनाशी आदि को सम्मिलित किया जाता है।
2. औद्योगिक प्रदूषकों में उद्योगों से निकला अपशिष्ट क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट्स आदि रासायनिक तत्व एवं पारा, सीसा, जस्ता जैसे भारी धात्विक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है।
3. नगरीय प्रदूषकों में नगरीय गन्दा जल, मल जल, कूड़ा-कचड़ा व कपड़ा धोने के साबुन से जल प्रदूषित होता है।
4. ज्वालामुखी से निकला पदार्थ व अपरदन क्रिया से उत्पन्न अवसाद भी जल को प्रदूषित करते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जल प्रबंधन की 21 वीं सदी में आवश्यकता पर बल देते हुये 22 मई 2000 को वर्षा जल संचयन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये कहा कि 21 वीं शताब्दी में जल उतना ही मूल्यवान होने जा रहा है, जितना कि 20 वीं शताब्दी में पेट्रोलियम तेल रहा है, इसलिये हमें जल प्रबंधन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपना लेना चाहिये।

प्रधानमंत्री ने यह बात 'वर्षा जल संचयन' पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन की राष्ट्रीय गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कही, उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में पंचायती राज संस्थाओं,

किसानों, सहकारी, आवास समितियों, औद्योगिक, व्यापारिक घरानों और गैर सरकारी संगठनों सहित प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भागीदार बनना होगा, उन्होंने चेरापूँजी और कोंकण में सर्वाधिक वर्षा के बावजूद आधे साल पानी के घोर अभाव पर चिंता जतायी, उन्होंने तीन चौथाई से अधिक वर्ष जल हो समुद्र में बेकार बह जाने की बात कही।

उपरोक्तानुसार यह कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय अवक्रमण का ज्ञान किसी भी राष्ट्र की विकास और समृद्धि तथा आर्थिक मजबूती के लिये अनिवार्य है। यही वह तत्व है जिसके प्राप्त करने से राष्ट्र सुरक्षित और शक्तिशाली हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गंभीर, संजय कुमार - वायु एवं जल प्रदूषण हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2003
2. मुखर्जीए डॉ. रवीन्द्र नाथ - पर्यावरण प्रदूषण, एवं डॉ. भरत अग्रवाल साहित्य भवन, आगरा 1987
3. नौटियाल, शिवानंद - पर्यावरण समस्या और समाधान, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली 2004
4. सुखलाल, घनश्याम - पर्यावरण प्रदूषण हिन्द बुक सेन्टर नई दिल्ली, 1999
5. प्रो. जगदीश सिंह - पर्यावरण एवं संविकास राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
6. Bernard, G. - Eco-Development,

Disability and Constitutional Provision in India (In special reference to education of Children with special needs)

Dr. Ashok Kumar Tyagi*

Abstract - This paper analyze the constitutional provisions for the education of children with special needs and the initiatives taken by the Government of India in pursuance of its commitment to Education for All. In this paper an attempt has been made to examine the Emerging developments in practice in education of children with special needs in the form of different approaches at national and International levels. This paper highlights the Indian scenario of persons with disability. The rural urban distribution of those having different disabilities are varies in size, category, prevalence and incidence. It is found that the negligence of policy makers and planners to enumerate the persons with disabilities. The good planning cannot make in the absence of exact data. The need for make national plan and strategies to fulfill the legal commitment of education for children with special needs has been discussed.

Introduction - In the role of state has become more complex, public policies have come under greater scrutiny from the people. Scholarly interest has also grown in analyzing how government responds to societal problems and in examining the adequacy of such response. There is little research and analysis on the way state institution function in order to opt for one particular policy. Lack of adequate attention to the processes of policy choice stems from the kind of explanation that are offered for the reason why a state peruses some activities and not others. These explanation have much to do with what the state is perceived to be and what it is supposed to do. This study tries to find the legal commitment of the state in the form of constitutional provision to cater the educational needs of disadvantaged groups of the society especially children with special needs.

It is a universal truth that education is an important tool for the process of development in the hands of the leadership of a country. Education has indeed been recognized as the third eye of mankind through which the acts of omission and commission can be visualized easily and analytically. It is one of the major bases to categorize a country as developed or developing. Currently, it is considered that all developed countries are advanced because they are educationally developed. Education is the most vital forceful tool which can effectively be utilized to contribute in the equitable expansion of educational facilities and opportunities to all the people living in the rural & remote areas without any bias and discrimination. It provides rays of hope to a large number of people who had needs opportunities to acquire and upgrade their existing level of knowledge and understanding about academic,

professional competence and daily living skills. Admittedly, the subject of education for the children with special needs, critically important as such it should focus on:

- i) Human rights of these children and,
- ii) Enhance and enrich the capabilities and development processes in all the countries, both developed and developing.

Indian Scenario - Persons With Disabilities - India's scenario is not different from the scenario of other the third world countries. India has identified the population of persons with disabilities, very recently. Various statistical surveys thus have been conducted so far, however there is no systematic, scientific and precise information available on the prevalence, degree and kind of disability. Only a few sample surveys somewhat discrete conducted different points of time are available and the information collected through these may not be strictly comparable due to difference in scope, coverage and even concepts. Some of these estimate in dionte that about 5% of the population has one of the other forms of disability. As per an NSSO (National Sample Survey Organization) sample survey of 1991 in the field of visual, hearing, speech and locomotors disabilities, it was estimated that about 1.9% of the population of country was disabled. It was observed that for the country as a whole, prevalence of physical disability were 20 per thousand persons in rural areas and 16 per thousand persons in urban areas.

Hence, on average 5 per cent of population suffers from some kind of disability. There would, of course, be some inter and intra state regional variations. If total population of India is taken to be 1000 million, this implies that the estimated number of people having a disability is

about 50 million. The entire issue of prevalence of disability in India is enmeshed in controversy. Indeed throughout the world no precise estimates of disability are available. The United Nations has stated that about 10% of the human race is disabled. However certain surveys conducted by WHO in different parts of the world which include the less well known disability like specific learning disabilities, epilepsy, leprosy cured people, persons with attention deficits, emotional disturbance, chronic mental illness and the like, the numbers have been well over 20 percent. India has not been officially recognizing all the disabilities that are often recognized in developed societies. However, presently total population of India has 1027015247 as per Census- 2001 it means 10270152 persons has any kind of disabilities. India has about 300 million children under 14 years of age. The Planning Commission has now accepted that 10 percent of the population has some physical, mental or sensory impairment. On this basis we could have 30 million children with disabilities. It is also estimated by NCERT. India has 200 million schools are going children and 20 million children with disabilities who requiring special needs education.

It felt is the data therefore the actual number of the disabled may be very high of disabilities. There is not a exact and correct information about the handicapped population. All data is based on estimates or average. This shows the negligence of this group by our planners or policy makers. Good planning or policy cannot be made in the absence of exact data.

Approach Of Educational Program - It was observed after the study of different concept of education for the children with special needs that the special education is the early approach to teach the children with special needs and it is only suitable for severely disabled children those who could not integrated with the normal children. The approach of integrated education tool basic changes in the educational position of the children with special needs very fast but in the lack of resource and funds it is difficult to serve the whole part of this section. So, to get the goal of equal opportunities for all, now the new concept of UNESCO is 'Inclusive education' refers to cater the educational needs of children with special needs in regular school or classrooms. Inclusive education is a developmental approach seeking to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalization and exclusion.

Constitutional Provisions - Our nation is now firmly committed to provide education for all. Overriding priority to provide compulsory primary education, eradication of illiteracy. The educationally backward areas, classes and categories are given special attention to remove disparities. Emphasis has been laid on the improvement of infrastructural facilities in the schools to make the school environment more attractive Educational development is a participatory process. Education was incorporated in the concurrent list from state list in 1976 424 Amendment of

the constitution) to facilitate evolution of national policies in the field of education. The concept of concurrency implies a meaningful partnership between the Union and State government. While the role and responsibility of State to provide education continues to remain essentially unchanged, the Union Government has assumed a larger responsibility to reinforce the national and integrated character of education, to look after the international aspects of education, culture and human resource development and in general to promote excellence in all sectors of education throughout the country. Here, some constitutional provision analyze related to education of children Article 15 "The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them", But two exceptions of article 15 are, the state can provide special facility to children and women. Second, and the state can make arrangement for promoting or uplift the backward classes, SCs and STs. This article exists in the right equality under the fundamental right in part 3 of our constitution. There are sixteen articles of the constitution, from 36 to 5 that deal with the directive principles of state policy; These cover a wide range of state activity embracing economic, social, legal, educational and international issues. The most important Article 45- "State to provide free compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years". There was no clear constitutional provisions for the education of children with special needs but some articles of the constitution has provide the facilities to the weaker section. Constitution permits the state to make any special provision for the disadvantaged groups i.e., women and children, socially and educationally backward classes of citizens, scheduled castes and scheduled tribes.

Emerging Development - It is observed that after the "United Nations Decade of Disabled Persons. 1983- 1992" member country of UNO made policies and framework in support of full participation and equality of people with disabilities. The 1990 World Conference of Education Jomtien Declaration and its Framework for Action were agreed and asked to each member country of UNO that they set their goals and objectives for Education for All in their legislation. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) declared 1993-2002 was the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons. As the member of UNO and ESCAP, India has to take some initiatives with regards to equal opportunities for person with disabilities. We therefore, felt that in India, The Rehabilitation Council of India Act- 1992, The Persons with Disabilities Act - 1995 and The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act - 1999 are the results of these international seminars or gathering. The Rehabilitation Council of India (RCI) is a statutory body set up for regulating training policies and programmes for various categories professional in the area of disability. The RCI act was amended in 2000 to include promotion of research in rehabilitation and special education. The 73 and 74 constitutional amendments of 1992

made provision for providing the community participation in education at the elementary level in rural and urban areas. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 has been enacted to ensure that every child with disabilities access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18 years. The Act provides for both preventive and promotional aspects of rehabilitation like education, employment vocational training, reservation, research and manpower development, creation of barrier free environment, unemployment allowance, special insurance schemes and establishment of homes etc. This Act is a very important instrument to get all types of facilities of their barrier free environment for their whole round development and full participation in the nation building. National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 It has provision for trust which would undertake programme and activities mainly: (i) Counseling and training of family members of persons with disabilities, (ii) setting up of adult training units, individual and group homes; (iii) programmes that promote respite care, day care services: (iv) setting up of residential hostels and homes; (v) development of self help groups; (vi) setting up of local level committees to grant approval of guardianship in order to empower person with disability to live independently.

The 86th constitutional amendment, 2002 make provision for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years as a fundamental right is included in article-215 This constitutional amendment make provision that every parent or guardian ensure the education of their ward up to the age of 14 years necessarily as a fundamental duties (it includes in the article 51A).

Summary Observation - Finally it is observed that the article-45, 86 constitutional amendments 2002 [article-21A and 51-A(k)] lays down that free, compulsory and universal primary education should be provided to all children up to 14 years of age. Unfortunately, we have not achieved the goal of Universal Primary Education. The group that has been virtually left out consists of children with special needs. Indeed, when the constitution was adopted, the founding fathers did not have children with special needs in mind. This is clear from Entry 9 of the state list, which talks of the relief of the disabled and the unemployable. Thus, it would seem that people with disabilities were considered unemployable.

The ray of hope is provided by the PWD Act-1995, it ensure that every child with disabilities access to free education in an appropriate environment till he attains the age of age 18 years. Now, the consensus growing gradually

that all children have right to be educated without any discrimination even the basis of disability or learning disability, however not more than two percent children with special needs have access the education.

Annual report 2003, Department of Elementary Education and Literacy, MHRD, Government of India shows that presently 6 lacs children with special educational needs enrolled in the school in age group of 6-14 years, However, Government of India not decided till date that the liability of education for children with special needs is concern with the Department of Education, MHRD or Ministry of Social Justice and Empowerment. It is very clear that the education for children with special needs is the matter of right not Charity. It is observed that the need to take necessary step for speedy implementation of these new emerging developments in constitutional provision of legislation.

References:-

1. Subhash Kashyap - Introduction To Constitution And Constitution of Indian National Book trust of India, New Delhi
2. Bakshi, P.M. The Constitution of India, Universal Book Traders, Delhi, 2002
3. Basu, D.D. - Introduction of The Constitution of India, Wadhva & Company, New Delhi, 2000.
4. PROSPECTS - Quarterly review of comparative education, Issue-113. UNESCO, International Bureau of Education, Volume - XXX No.1 March, 2000.
5. World education forum, Dakar(Senegal), 2000 EFA.
6. Special Issues on Education of Learners with Special Needs - Journal of Indian Education - NCERT February 2002, No.4 Volume - XXVII K. Sudha Rao- Education Policies in India - Analysis and Review of Promise and Performance- NIEPA, New Delhi- 2002
7. UNESCO (1990) World Conference On Education For All : Meeting Basic Learning Needs - Jomtien – Thailand UNESCO (1994) Final Report : World Conference On Special Needs Education : Access And Quality, Salamanca, June 7-10 - UNESCO – Paris Annual Reports - Ministry of Social Justice and Empowerment (Ministry of Welfare) Government of India - New Delhi.
8. Annual Reports - Ministry of H.R.D. Department of Women and Child Development - Government of India - New Delhi
9. Annual Reports - Rehabilitation Council of India - New Delhi The Persons Disabilities (Equal Opportunities, Protection Of Rights And Full Participation) Act 1995 - The Gazette Of India - Ministry of Law, Justice and Company Affairs - Legislative Department - New Delhi
10. Sixth All Indian Educational Survey : National Tables Vol. IV (Enrolment In School) - NCERT - New Delhi - 1998

मेवाड़ राज्य के ठिकाने बाठेड़ा का भौगोलिक-ऐतिहासिक परिचय

हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत*

प्रस्तावना - भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान का दक्षिणी-पश्चिमी भू-भाग¹ मेवाड़ राज्य के साथ-साथ कई विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता रहा है। द्वितीय शताब्दी ई. पू. में यह 'शिबि' जनपद (मज्झमिका या मध्यमिका) के नाम से प्रसिद्ध था तो बाद में 'प्राग्वाट' नामकरण से।² संस्कृत शिलालेखों एवं पुस्तकों में इसे 'मेदपाट' नाम से भी सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ मेव या मेरों का देश होता है। मेवाड़ राज्य की पूर्व-मध्यकाल व मध्यकाल में नागदा, आहाड़ (आघाटपुर)³ और चित्रकूट या चित्तौड़गढ़⁴ भी राजधानी के रूप में रही। तत्पश्चात् उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल में उदयपुर राजधानी रहने के कारण यह उदयपुर राज्य कहलाया।⁵ यह 'मेदपाट' मेवाड़ राज्य राजस्थान में विलीनीकरण से पूर्व राजस्थान के दक्षिण में 23°49' से 25°28' उत्तर अक्षांश तथा 73°1' से 75°49' पूर्व देशान्तर के मध्य में स्थित है। भारतीय संघ में विलीनीकरण से पूर्व इसका क्षेत्रफल 12691 वर्गमील (2043.626 वर्ग कि.मी. या 22032.92 वर्ग किमी) था।⁶

राजनीतिक राज्य के रूप में मेवाड़ का विकास छठी शताब्दी ई. के उत्तरार्द्ध में गुहिल या गुहिलोत वंश की स्थापना से होता है जिसका संस्थापक गुहिल था⁷ जिसके नाम से उसका वंश 'गुहिल-वंश' अथवा 'गहलोत/गुहिलोत वंश' कहलाया।⁸ इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक 'काल-भोज' या 'बापा' था जिसने मोरी वंश (मौर्य) के मानसिंह से 734 ई. में चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया और रावल की उपाधि धारण की।⁹

मेवाड़ राज्य की सीमाएँ तथा आकार समय-समय पर बदलते रहे हैं और अपने उत्कर्ष काल में महाराणा कुम्भा (1433-1468 ई.) ने राजपूताने के अधिकांश (मारवाड़, नागौर, सिरोही) का भाग सहित गुजरात, मांडू (मालवा) और दिल्ली सल्तनत के (सैय्यद एवं लोदी शासक) राज्यों के कुछ इलाके छीनकर मेवाड़ को महाराज्य बना दिया।¹⁰ महाराणा सांगा (1507-1527 ई.) के काल में इस राज्य की सीमाएँ पूर्व में भिलसा, कालपी, गागरौन, चन्देरी एवं चम्बल पार से लेकर (मालवा) दक्षिण में रेवाकांठा एवं माहीकांठा (गुजरात), पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पार गोड़वाड़, सिरोही क्षेत्र व पालनपुर, पश्चिमोत्तर में मण्डोर (मारवाड़), उत्तर में बयाना (भरतपुर), मेवात तथा पूर्वोत्तर में रणथम्भौर और बयाना, आगरा के निकट पीलाखाल या पिल्याखाल (पीलियाखाल) तक फैली थी। इस प्रकार महाराणा सांगा के काल में दिल्ली सल्तनत, गुजरात और मालवा के मुस्लिम राज्यों के भागों पर भी मेवाड़ ने आक्रमणकारी नीति अपनाकर अधिकार कर लिया था।¹¹ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, अजमेर और ब्यावर के क्षेत्र भी महाराणा सांगा के अधीन थे।



महाराणा प्रताप व महाराणा अमरसिंह के युग में ऐसा भी समय आया कि मेवाड़ के अधीन चावण्ड के आस-पास का छप्पन-भोमट का क्षेत्र ही रह गया था।¹² परन्तु 1615 ई. में सम्पन्न हुई मेवाड़-मुगल संधि की शर्तों के अनुरूप जहाँगीर ने मेवाड़ राज्य के सभी पुराने प्रदेश (1568 ई. के पूर्व मेवाड़ के अधीन थे) वापस लौटा दिये।¹³ वर्तमान समय में भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के भू-भाग मेवाड़ के रूप में सुज्ञात है।

बाठेड़ा ठिकाने का उद्भव, नामकरण भौगोलिक स्थिति और जलवायु नामकरण-मेवाड़ महाराणा हम्मीरदेव सिसोदिया (1326-1364 ई.) के पौत्र एवं महाराणा खेता (1364-1381 ई.) के पुत्र महाराणा लाखा (1381-1411 ई.) के द्वितीय पुत्र अज्जा के पुत्र सारंगदेव से सारंगदेवोत सिसोदिया शाखा प्रसिद्ध हुई।¹⁴ 'सारंगदेवोत' शब्द सारंगदेव+उत नामक दो शब्दों के मेल से बना है। राजपूताना में नाम के आगे उत (संस्कृत में उत या उत) शब्द जोड़कर वंश नामकरण की परम्परा रही है।¹⁵ संस्कृत भाषा के उत या उत शब्द का अर्थ संतति या संतान है। संस्कृत शब्द शाङ्गदेव का लोकरूप सारंगदेव है। शारङ्ग का अर्थ धनुष होता है।¹⁶

* पूर्व अतिथि व्याख्याता, इतिहास सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत



सारंगदेवोत सिसोदिया शाखा के द्वितीय श्रेणी का ठिकाना बाठेड़ा सामान्यतः इसी भाषा में प्रचलित रहा। यह गाँव बाठेड़ा, बाठरड़ा, बाठरड़ा, बाठरड़ा (बड़ा बाठरड़ा या रावजी का बाठेड़ा या बाठेड़ा कलाँ) आदि नामों से पुकारा जाता रहा। भक्त गुमानसिंह ने अपनी रचना में इसका उल्लेख 'बाठरड़ी' नाम से किया है। इसी बाठरड़ा कलाँ ठिकाने के ईशान कोण में अनुमानत 5 कि.मी. दूर छोटा बाठरड़ा (मोड़ी बाठरड़ा) अवस्थित है।¹⁷

बाठेड़ा ठिकाने का क्षेत्रीय विस्तार – मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से पूर्व की तरफ करीब 40 किलोमीटर दूरी पर बाठेड़ा (बाठेड़ा कलाँ) 73°55' पूर्वी देशान्तर व 24°32' उत्तरी अक्षांश पर¹⁸ स्थित है।¹⁹ भूगोलविद् डॉ. रोडसिंहजी देवड़ा (सहायक आचार्य गुरु नानक बालिका महाविद्यालय उदयपुर) के अनुसार बाठेड़ा कला ठिकाना टोपोशीट के अनुसार समुद्र तल से 480 मीटर से लेकर 500 मीटर के मध्य की ऊँचाई पर स्थित है। जिसका अक्षांशीय विस्तार 24° 33' 10'' उत्तरी अक्षांश एवं मिनट देशान्तर्रीय विस्तार में 73° 59' 05'' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।²⁰

बाठेड़ा ठिकानेदारों को समय-समय पर सुदूर स्थित अन्य ठिकाने राजधान के रूप में जागीरी पट्टों में मिले। रावत सारंगदेवोत प्रथम एवं रावत सारंगदेव द्वितीय की जागीरी में भैंसरोड़गढ़ रहा। 16वीं शताब्दी ई. में रावत नरबद की जागीर का राजधान या राजधान बम्बोरा ही था। कानोड़ का पट्टा रावत मानसिंह जगन्नाथोत सारंगदेवोत को मिलता है। लूणदा रावत मानसिंह सारंगदेवोत की जागीर का मुख्य स्थान था। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में लूणदा ठिकाना भी सारंगदेवोतों को ठिकाना मुख्यालय के रूप में मिला था। सारंगदेवोत जागीरदारों की जागीरी में अलग-अलग समय पर इलाके बदलते रहे, फलतः ठिकाने या राजधान बाठेड़ा²¹, बदनोर²², बम्बोरा²³, लूणदा²⁴, भैंसरोड़गढ़²⁵ भी रहे।

अतः इन स्थानों या राजधानों (राजधान) या ठिकानों की भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। राजस्थान के अबुल फजल कहलाने वाले इतिहासकार मुहणोत नैणसी के अनुसार "..... उदयपुर के आस पास पांच कोस तक गिरवा कहलाता था जिसमें गाँव देवड़ों के देशावास (निवास स्थान या मूल वतन) थे, जिनमें उदयपुर बसा और वे गाँव टूट गये।..... बांसवाड़ा और देवलिये के मध्य मेवाड़ के गाँव छप्पन और राजा का जगनेर है। गाँव धर्यावद (धरियावाद) बड़वाल परगने का जहाँ बड़े पहाड़ और सघन वृक्ष है, बस्ती वहाँ छप्पनियां राठौड़ों और चहुवाणों की है। धर्यावद के पश्चिम मेवल के मगरे और ये गाँव हैं:- सलूमबर, चूंडावतों का वतन, बाठरड़ो सलूमबर से बारां कोस, बंभोरा, सारंगदेवोतों का वतन। बाठरड़े और सलूमबर के बीच में बड़े-बड़े पहाड़ है बाठरड़े से तीन कोस पश्चिम में उदयसागर का ताल और इस ताल से एक कोस देबारी, देबारी से 2 कोस आहड़ और

आहड़ से एक कोस उदयपुर है।..... मेवल मेरों की बम्भोरे के सारंगदेवोत सिसोदियों की जागीर में है। इनका एक गाँव उदयपुर से 6 कोस उदयसागर के नाले के पास भी है, देवलिये (कालान्तर में प्रतापगढ़ स्टेट) से 3 कोस पर बड़ा मेरवाड़ा था बुरड़, बरगट, बुजमाल, डमर शाखा के मेर यहाँ 140 गाँवों में निवास करते थे। उनको एक बार राणा जगतसिंह ने निकाल दिया था, फिर झाला कल्याण ने राणा से प्रार्थना कर उनको पीछे बसाया। अभी राणा राजसिंह ने सब मेरों को निकाल कर उनके सब गाँवों में सिसोदिये, चूंडावत, शक्तावत, राणावत राजपूतों को बसी समेत बसा दिये हैं और मेर देवलिये के मेरवाड़े में जा रहे हैं। वहाँ वे लोग बहुत उजाड़ बिगाड़ करते हैं। देवलिये और मेवल के बीच की भूमि को मण्डल का देश कहते हैं जिसके मुख्य स्थान धर्यावद है, जहाँ भी मेर ही बसते थे, जो प्रजा या मेवासी की रीति पर चलते थे। यहाँ मेरों के 140 गाँव थे उनको राणा राजसिंह ने निकालकर सारंगदेवोत राजपूतों को उन गाँवों में बसाया, परन्तु यहाँ का पानी रोगजनक होने से बस्ती बढी नहीं।.....।²⁶

बाठरड़ा ठिकाना उदयपुर नगर से पूर्व दिशा में लगभग 40 कि.मी. दूर अवस्थित है। मेवाड़ राज्य में यह दूसरी श्रेणी का ठिकाना था। इस बाठरड़ा गाँव के ईशान कोण में अनुमानतः 5 कि.मी. दूर छोटा बाठरड़ा अवस्थित है।²⁷

महाराणा राजसिंह प्रथम (1652-1680ई.) कालीन पट्टा बही व परगना बही में वल्लभनगर - गिरवा क्षेत्र में स्थित रहे बाठरड़ा परगने के अंतर्गत बाठरड़ा कलाँ (बड़ा बाठेड़ा) एवं बाठरड़ा खुर्द (छोटा बाठरड़ा) का उल्लेख मिलता है।²⁸ तवारीख ठिकाने बाठरड़ा के अनुसार "यह ठिकाना (बाठरड़ा) सारंगदेवोत शाखा के सिसोदिये राजपूतों का मेवाड़ में राजधानी उदयपुर से पूर्व तरफ करीब 20 मील के फासले पर है जिसके पूर्व तरफ कानोड़ (कानोड़) का ईलाकाह (ईलाका), पश्चिम व दक्षिण में कुराबड़ का जिला तथा झाला राजपूतों की जागीर का ग्राम टांक और उत्तर को खालिसाह (खालसा गिरवे का जिला) व शांसणिक बामणों के ग्राम है। और एक ग्राम बांसा ठिकाने (बाठरड़ा) से दक्षिण तरफ 13 मील के फासिले पर करीब 6 मील के घेरे में हे जिसकी सरहद पूर्व में मोजे उधरदा पट्टे महाराज गजसिंह, पश्चिम में खालिसे का ग्राम अदवास, उत्तर में मोजे बूथेल ईलाके रावत जी बंबोरा और दक्षिण में मोजे मेटूडी ईलाखे खालिसह (खालसा) से मिली हुई है....."²⁹

इस प्रकार बाठेड़ा ठिकाना-जागीर के पश्चिम व दक्षिण में कृष्णावत चूंडावतों का ठिकाना कुराबड़ व झाला राजपूतों की जागीर का गांव टांक और उत्तर में खालसा - गिरवा का जिला व ब्राह्मणों के सांसण गाँव हैं।³⁰ बाठेड़ा के समीपवर्ती ठिकानों में कच्छेर (महासिंघोत सारंगदेवोत), बम्बोरा (कृष्णावत चूण्डावत), सिंहाड़ (शक्तावत) व भीण्डर (शक्तावत) प्रमुख रहे।³¹ **जलवायु** – मेवाड़ के अनुरूप बाठेड़ा ठिकाने सहित सारंगदेवोतों के अन्य ठिकानों में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु रही है। बाठेड़ा भी प्रकृति की सुरम्य गोद जलाशयों (तालाबों) के किनारे विकसित हुआ ठिकाना था जिसके समीप अरावली पर्वतमाला की शाखाएँ फैली हुई है अर्थात् पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ का औसतन तापमान 24.44° सेल्सियस तथा औसत वर्षा 72.16 से.मी. रिकॉर्ड की गई। पहाड़ी क्षेत्र में विशेष वर्षा होने के कारण उसका औसत 76.20 से.मी. से ऊपर जाता था। जनवरी में कड़ाके की सर्दी, जून में प्रचण्ड गर्मी तथा जुलाई-अगस्त से वर्षा का संकेन्द्रण इसकी विषम तथा मानसूनी जलवायु को इंगित करता है।³² यहाँ धूंध और सूखे ने भी सामान्य मनुष्य व इतिहास को भी प्रभावित किया है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि एवं पाला इत्यादि जलवायु प्रकोप भी बने रहते हैं।³³

जलाशय - बाठरड़ा ठिकाने में पाँच छोटी नदियाँ बहती हैं जो दक्षिण की तरफ करीब सोलह-सत्रह मील के फासले पर मेवाड़ की प्रसिद्ध जयसमन्द झील में गिरती हैं।³⁴ गोड़ी नदी बाठरड़ा और कुराबड़ के पास बहती हैं जो कि जयसमन्द में जाकर मिल जाती हैं जबकि मकरेरी नदी खेरोदा के पास से निकल कर बाठेड़ा ठिकाने के ही गाँव उतरड़ा या उथरदा के पास जामरी नदी में जाकर मिल जाती है।³⁵

ठिकाने बाठरड़ा में छोटे-बड़े 72 तालाब हैं जिनमें से पहला फूल सागर खास बाठरड़ा कलाँ में बस्ती से पूर्व की तरफ स्थित है। रणोला, गुंदेला छोटे बाठरड़ा में बस्ती से दक्षिण व पश्चिम की तरफ, भोपासागर बाठरड़ा कलाँ से दक्षिण पूर्व कोण में दो मील की दूरी पर तथा चौखेला मोजा मोड़ी में बस्ती से पश्चिम तरफ जो ठिकाने से दो मील के फासले पर उतर में स्थित है। इनमें से कुछ वर्षभर भरे रहते थे। कुछ वर्षा ऋतु में ही भरे रहते थे। तवारीख ठिकाने बाठेड़ा के अनुसार '.....इस ईलाकह में (बाठरड़ा जागीरी इलाका) में होकर पाँच छोटी-छोटी नदियाँ दक्षिण की तरफ करीब सोलह-सतरह मील के फासिले पर मेवाड़ देश के एक नामी तालाब जयसमुद्र में गिरती हैं, जिले में (बाठरड़े) छोटे-बड़े 72 तालाब हैं जिनमें से (एक) फूल सागर खास बाठरड़े में बस्ती के पूर्व तरफ, (दूसरा) राणेलाव, (तीसरा) गुंदेलाव छोटे बाठरड़े में बस्ती से दक्षिण व पश्चिम को, (चौथा) भोपासागर बाठरड़े से दक्षिण-पूर्व कोण में दो मील के फासिले पर भोपजी का बनाया हुआ है, (पांचवा) चौखेलाव मोजे मोड़ी में बस्ती से पश्चिम तरफ जो ठिकाने से दो मील के फासिले पर उत्तर को है.....ये पांचों तो हमेसाह भरे रहते हैं बाकी 67 (तालाब) वर्षा ऋतु में भरते हैं और सुख जाने पर बोये जाते हैं..... पांच बावड़ी बाठरड़े में, एक बस्ती से पूर्व, दूसरी मोड़ी में, तीसरी जाली बाव बस्ती से पश्चिम, चौथी बदेजी की बावड़ी उत्तर तरफ, पांचवी सराय में ठिकाने से करीब चार मील वायव्य कोण में और एक अन्य मोजे अर्णीदा में ठिकाने से एक मील दक्षिण तरफ है.....'³⁶ बाठेड़ा का राणेलाव तालाब (80 बीघा में फैला), भोपासागर (10 बीघा) और फूल सागर (12 बीघा) आदि सिंचाई व पेयजल हेतु उपयोगी रहे।³⁷

पहाड़ी भू-भाग एवं मिट्टी - तवारीख ठिकाने बाठरड़ा के अनुसार 'ईस ईलाखे (बाठरड़ा जागीर) की जमीन जियादाहतर (अधिकतर) पहाड़ी है.....' इस इलाके में कोई प्रसिद्ध पहाड़ नहीं है लेकिन एक-तिहाई हिस्से को पहाड़ी क्षेत्र कहा जा सकता है। बाठरड़ा इलाके के छोटे-छोटे पहाड़ों में खानड़या, संथा, बरवाला डूंगरा व मखरेड का पहाड़ प्रसिद्ध रहा है। बाठरड़ा की जमीन समतल (हमवार) नहीं है। बाठरड़ा में मोजे फलेसर का मगरा व मोजे भेंकडा (बाठेड़ा ठिकाने का शक्तावत सिसोदियों का अधीनस्थ जागीरी गाँव) का मगरा भी प्रसिद्ध रहा है।³⁸

बबोरया के प्रजापत मेवाड़ महाराणा उदयसिंह (1537-1572 ई.) के साथ चितौड़गढ़ से आकर डांगीयों की दूस (वर्तमान हवाई अड्डा डबोक) एवं उदयपुर स्थित कुम्हारवाड़ा में आकर बस गये। वर्तमान में भी इनका पाटवी घर रावल कुम्हार का कार्य सम्पादित कर रहा है। मिट्टी के बर्तनों की महलों में आपूर्ति करते थे एवं विशेष पर्वो-त्योहारों पर 'कौरिण्डा' (मिट्टी के पुराने बर्तनों के स्थान पर नये बर्तन रखना) भेजा जाता था। पहले भी एवं वर्तमान में भी उदयपुर के कुम्हार 'मिट्टी' डबोक इण्डियन एयरलाइन्स के समीप स्थित बाठेड़ा गाँव के निकट स्थित तालाब के पेटे से उदयपुर लाते रहे हैं। कुम्हार को बर्तन में दौमट मिट्टी की जरूरत होती है जो कि ठोस होती है। उसे अच्छी तथा सही अनुकूल मिट्टी यहाँ बाठेड़ा से अभी तक निरन्तर प्राप्त हो रही है।³⁹

जानवर एवं पशु-पक्षी - ठिकानों में जंगली जानवरों में चीता, शेर, जरख,

भेड़िया, पेंथर, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, हिरण एवं खरगोश सहित तोता, कबूतर, बाज, चील, कौआ, तीतर आदि प्रमुख पक्षी पाये जाते थे। जलाशयों के अन्दर अनेक प्रकार के कछुएँ, मछलियाँ, केकड़ें, मेंढक आदि जीव-जन्तु पाये जाते थे। जंगल की बहुतायत के कारण यहाँ सभी प्रकार के वन्यजीव पाये जाते थे।⁴⁰ वन्यजीवों में अदवेसरा (बघेरा), चीता, भेड़िया, स्याहगोश, जरख आदि मांसाहारी थे जो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी-बछड़ा आदि जानवरों को मारकर अपना पेट भरते थे। सूअर, गीदड़, लोमड़ी, घास व कन्द के अलावा मिल जाने पर मांस भी खाते थे। रोज यह घास चरने वाला जानवर इधर के जंगलों में कहीं-कहीं मिलता था। काले मुंह के बंदर फल-फूल पत्तों से अपना भेट भरते थे। हिरन, खरगोश घास चरने वाले रहे हैं। इन जानवरों का उपयोग प्रायः शिकार के रूप में किया जाता था। ठिकानेदार, जागीरदार, जहाँ शौकियाना व मानव रक्षार्थ इनका शिकार करते थे एवं मांस खाते थे, वहीं जंगली जाति (आदिवासी) के लोग इन्हें अपना पेट भरने के लिए मारते थे।⁴¹ वनस्पति एवं वन्यजीवों की बहुलता से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र जैव-विविधता का धनी रहा है।

ठिकाना और वन्य जीवों का संरक्षण

॥श्रीरामोजयति॥

॥श्रीगणेशप्रसादातु॥

॥श्रीएकलिंगप्रसादातु॥

भालो/सही

स्वस्त श्री उदैपुर सुथाने महाराजाधीराज महाराणा श्री अमरसिंघजी आदेसातु रावत महासिंघ कस्य सु प्रसाद लिष्यते यथा अठारा समाचार भला है आपणां समाचार कहावज्यो। अप्र थारां पट्टा रा गामां कणी हे नाहर री सीकार खेलवा घो मती संवत् 1761 त्रिषे वेसाक वदी 7 गुरे। (गुरुवार, 5 अप्रैल, 1705 ई.)

कणी - किसी, नाहर - शेर

हिंदी अर्थ - परवाना - महाराणा अमरसिंह द्वितीय का रावत मानसिंह को, तुम अपने पट्टे के गाँवों में किसी को भी नाहर (बाघ) की शिकार मत खेलने देना।

महाराणा अमरसिंह द्वितीय ने गुरुवार, 5 अप्रैल, 1705 ई. को बाठेड़ा रावत मानसिंह को एक परवाना भेजा जिसमें महाराणा के आदेश का उल्लेख मिलता है कि बाठेड़ा ठिकाने के पट्टे के गाँवों में किसी को भी शेर का शिकार मत खेलने देना।⁴² इससे वन में निवास करने वाले जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति बाठेड़ा रावत की चेतनता का बोध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 99-100 महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, उदयपुर 2016 ; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 1-2 राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 2015 ई.; अहमद शाहिद, मधुगीन राजपूताने की शासन प्रणाली, पृ.38 अपोलो प्रकाशन, जयपुर, 2006
2. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ.1-2, पाद टिप्पणी, क.स. 1; भटनागर डॉ. राजेन्द्र प्रकाश, मेवाड़ का राज्य प्रबंध एवं महाराणा राजसिंहकालीन दो बहियाँ, पृ. 1-2 सूर्य प्रकाशन संस्थान, उदयपुर, 1987 ई. ; सं. सिंह रोहित कुमार, संदर्भिका राजस्थान सुजस, पृ. 805 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार ; जुगनू डॉ. श्रीकृष्ण, मेवाड़ का प्रारम्भिक इतिहास, पृ. 43, 60-61, इसमें प्राग्वाट का विवरण प्राप्त नहीं होता है। आयर्वित प्रकाशन, दिल्ली

3. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 1-2, पाद टिप्पणी, क्र.स 1 एवं पृ. 31-34 मेढपाट का विवरण मिलता है; दलपति विजय कृत खुम्माण रासो, लेखक श्रोत्रिय कृष्णचन्द्र, सं. जावलिया ब्रजमोहन, पृ. संपादकीय XIV-XVIII नागदा (एकलिंगजी) मेवाड़ की पूर्व मध्यकाल में राजधानी रही महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, 2001 ई.; जुगनू डॉ. श्रीकृष्ण, मेवाड़ का प्रारम्भिक इतिहास, पृ. 70-71, 76, 78-79
4. ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 45-54; The Journal of the numismatic society of India, Vol. XXV, 1963, Part-I, Chief editor H.V. Trivedi, Editors A.K. Narain, P.L. Gupta, p.no. 81-86, JNSI-XXV, plate-VI-VII, मेवाड़ स्टेट के सिक्कों पर चित्रकूट व चित्तौड़ का अंकन प्राप्त होता है।
5. The Journal of the numismatic society of India, Vol. XXV, 1963, Part-I, Chief editor H.V. rivedi, Editors A.K. Narain, P.L. Gupta, p.no. 81-86, JNSI-XXV, plate-VI-VII, मेवाड़ स्टेट के सिक्कों पर उदयपुर का अंकन प्राप्त होता है।; सं. गुप्ता, के.एस., मेवाड़ के कलाविद्, पृ. 42; राठौड़ भूपेन्द्रसिंह, मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, पृ. 31 राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 2013 ई.
6. Compiled by Erskine, Major K.D. Imperial Gazetteer of India, Provincial Series Rajputana, Pg. no. 107; ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 2; मेनारिया, डॉ. शिवनारायण, उत्तर मुगलकालीन मेवाड़, पृ. 9 संघी प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1986
7. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 248-250; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 65-66
8. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 65-66, 96-98
9. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 250-254; ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 100-110
10. भट्ट राजेन्द्र शंकर, महाराणा कुंभा, पृ. 131 प्रथम संस्करण, 2008, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
11. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. 239-247; ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 385-386
12. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. 156-159, 217-218, 223; राणावत, डॉ. ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 2 चिराग प्रकाशन, उदयपुर, 2004
13. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. 239-2490; राणावत डॉ. ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 2-3
14. कविराजा श्यामलदास, वीर-विनोद, भाग-1, पृ. 308; ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 270, पाद टिप्पणी क्र.सं. 4
15. सं. माथुर एम.एन., शर्मा गोपीनाथ, राणावत सज्जनसिंह, महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी, पृ. 101 महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर,
16. सारंगदेवोत, डॉ. रामसिंह, योगसिद्ध ठा. गुमानसिंह जी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. 44 महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट उदयपुर 2013
17. सारंगदेवोत डॉ. रामसिंह, योगसिद्ध ठाकुर गुमानसिंह जी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. 43
18. भूगोल विषयान्तर्गत मानचित्र-टोपोशीट संख्या 45एच. उदयपुर, भारतीय सर्वे विभाग, भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल किशोरीलाल खोसला के निर्देशन में प्रकाशित, 1979 ई.
19. Compiled by Erskine, Imperial Gazetteer of India, pg. No. 136-137
20. स्रोत भारतीय स्थलाकृतिक प्रपत्र अर्थात् टोपोशीट क्र.सं. 45 /एच / 14 , 45/एच / 15, /एल /02
21. बाठरडा की तवारीख (भाणावत संग्रह), पृ. 1-3; भटनागर डॉ. राजेन्द्र प्रकाश, मेवाड़ का राज्य प्रबंध एवं महाराणा राजसिंह कालीन दो बहियाँ, पृ. 85-86
22. बाठरडा की तवारीख (प्र.शो.प्र.उ.) पृ. 8
23. बड़वा कृपालसिंह की पोथी के अनुसार, पृ. 21-22; राणावत मनोहरसिंह, वीरमदेवोत जागीरदारों का इतिहास, पृ. 219
24. नाथुलाल व्यास संग्रह, साहित्य संस्थान, विद्यापीठ, उदयपुर के रजिस्ट्रों की प्रतिलिपियां, प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर में संग्रहित कानोड़ दस्तावेज, क्र.स. 6(7) (6)- महाराणा राजसिंह प्रथम का रावत मानसिंह के नाम परवाना वि.सं. 1709 पोष वदी 8 रवु; वि.सं. 1729 महाबदी 7 सोमवाद का परवाना महाराणा राजसिंह प्रथम का रावत मानसिंह के नाम एवं पाद टिप्पणीयां- इसके अनुसार लुणदा रावत मानसिंह सारंगदेवोत की जागीर का मुख्य स्थान था; महाराणा राजसिंह री पट्टा बही, ठाकरां री रेख बही, संवत 1713, नं. 92 (जेरोक्स कॉपी, प्रताप शोध प्रतिष्ठान में संग्रहित), पृ. 229
25. नाथुलाल व्यास संग्रह, रजिस्टर नं. 7, पृ. 51, महाराणा अमरसिंह द्वितीय का रावत महासिंह सारंगदेवोत के नाम भैंसरोड़गढ़ का जागीरी पट्टा, वि. सं. 1764, श्रावण सुद 7 गुरु (जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के साहित्य संस्थान उदयपुर और जेरोक्स कॉपी, प्रताप शोध प्रतिष्ठान में संग्रहित); तवारीख सार राजस्थान कानोड़, मेवाड़, पृ. 58, रावत सारंगदेव द्वितीय की जागीरी में भैंसरोड़गढ़ रहा; बाठरडा की तवारीख (प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह, ग्रंथांक 59) पृ. 8
26. अनुवादक, दुग्गड़ रामनारायण, सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र, मुँहपोत नैणसी की ख्यात, पृ. 44-44 प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित
27. सारंगदेवोत डॉ. रामसिंह, योगसिंह ठाकुर गुमानसिंह जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. 43
28. सं. भाटी डॉ. हुकमसिंह, महाराणा राजसिंह पट्टा बही पट्टेदारों री विगत, भाग 1 पृ.सं. 270-271; सं. भाटी डॉ. हुकमसिंह, महाराणा राजसिंह परगना बही भाग-2, पृ.सं. 09 हिमांशु पब्लिकेशन उदयपुर (मूल बहिडे राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर और प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित)
29. बाठरडा की तवारीख (प्र.शो.प्र.उ.) पृ. 1-2; टोपोग्राफी शीट नं. 45एच., उदयपुर
30. बाठरडा की तवारीख (प्र.शो.प्र.उ.) पृ. 1; टोपोग्राफी शीट नं. 45एच.,

- उदयपुर
31. स्वयं द्वारा सर्वे
32. कविराज श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 118-119
33. कविराजा श्यामलदास, वीरविनोद, जिल्द 1, पृ. 118-119, जिल्द 2, पृ. 732, 1740, 1868, 2083-84सी. वाई. येटे, गजेटियर ऑफ मेवाड़ जिल्द 3 पृ. 20, मेवाड़ रेजीडेन्सी 2-ए, पृ. 11, 60-62
34. बाठरडा की तवारीख, (प्र.शो.प्र.उ.), पृ. 3
35. बलवन्तसिंह मेहता, मेवाड़ दिग्दर्शन, प्रथम भाग, पृ.7
36. बाठरडा की तवारीख (प्र.शो.प्र.उ.) पृ. 3-5; नाथुलाल व्यास संग्रह, विद्यापीठ साहित्य संस्थान, रजि. नं. 7, पृ. 47, महाराणा जयसिंह का रावत मानसिंह सारंगदेवोत के नाम परवाना, वि.सं. 1738, वैशाख वदि 5, रविवार, इसके बाठरडे के तालाब का इसके भोग (राजस्व) के सन्दर्भ में उल्लेख प्राप्त होता है।
37. बाठरडा रावत कमलेन्द्रसिंह, उम्र- 79 वर्ष, साक्षात्कार के अनुसार, 20.2.2014
38. बाठरडा की तवारीख, (प्र.शो.प्र.उ.), पृ. 2-3, 6-7, 27, 29 एवं पृ. 7 की पाद टिप्पणी
39. सरोज मानावत, कुम्हार जाती का ऐतिहासिक सर्वेक्षण(उदयपुर जिले के संदर्भ में), पृ.सं.8, 15(अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध)साहित्य संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2017-18
40. बाठरडा की तवारीख (भाणावत संग्रह उदयपुर), पृ.3; धायभाई, सिंह तुलसीनाथ, शिकारी और शिकार, पृ. 90-99
41. वीरविनोद, भाग 1, पृ. 113, 116
42. डॉ. प्रियदर्शी ओझा, मेवाड़ ठिकाना दस्तावेजों में पर्यावरण, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस जर्नल में प्रकाशित

भारतीय परम्परा में स्त्रियों की दशा

डॉ. श्वेता सिंह *

प्रस्तावना - भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति देशकाल एवं वातावरण के साथ-साथ बदलती रही है। प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सम्माननीय थी। इस युग में न ही पर्दा प्रथा थी और न ही विधवा विवाह पर रोक और बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं था। परिवार में पुत्र जन्म को उच्च और पुत्री को निम्न माना जाता था और पुत्र जन्म की कामना भी की जाती थी, परंतु इसके बाद भी इस काल में स्त्रियों को पढ़ने लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। धर्म शास्त्रों में भी स्त्रियों के विषय में अच्छा वर्णन मिलता है। मनु ने लिखा है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः॥

गुप्त काल में स्त्रियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखकों का कथन है कि उस समय एक पांडी नाम का कबीला था जहां स्त्रियों का शासन था। कन्याओं को आश्रम में रखकर शिक्षा दी जाती थी, वे स्वयं श्लोकों की रचना भी करती थी। बड़े कुलों की स्त्रियां संगीत नृत्य आदि की भी शिक्षा प्राप्त करती थी। मध्यकाल में भी उच्च कुलों की स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, किंतु साधारण कुलों में निरंतर अवनति होने लगी थी। यद्यपि इस काल की स्त्रियां न केवल ललित कला में निपुण थीं वरन् उन्होंने शासन प्रबंध और रण कला में भी अपना कौशल दिखाया था। इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में नारियों को दबाकर रखने की प्रथा लगभग सभी एशियाई देशों में थी परंतु कुछ हिंदू उदार अवश्य थे। इस काल में नारी का कार्यक्षेत्र प्रायः घर के भीतर तक ही रहा। संयुक्त परिवारों में नारी को बड़ा अनुशासित जीवन जीना पड़ता था, जिससे तत्कालीन परिवारों की मूल्यवत्ता और आदर्शों का पता चलता है। आधुनिक युग में भी स्त्रियों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ है। भले ही उसे गृहिणी और लक्ष्मी जैसे संबोधनों से संबोधित किया जाए परंतु वह आर्थिक रूप से पर आश्रित ही रही है। स्त्री की नियति उस भोग विलास की सामग्री की भांति है जो उपयोग के बाद फेंक दी जाती है। तभी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी को कहना पड़ा 'अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी'। परंतु यही वह काल है जब नारी मतदाता बनी। जो स्त्रियां पढ़ी लिखी थी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किया। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है परंतु उसका अवमूल्यन भी हुआ है और इसको नकारा नहीं जा सकता। आज स्त्री-पुरुष संबंधों में बिखराव की स्थिति बन गई है इसके साथ ही बंधन हीनता और उच्छृंखलता भी बढ़ी है और मर्यादा के बंधन ढीले पड़े हैं।

20 वीं सदी का अंत आते आते हमारे समक्ष स्त्रियों का वह स्वरूप

आता है जिसकी स्वतंत्रता का प्रमाण हमारे आसपास बिखरा पड़ा है। इस काल में स्त्रियों ने पैतृक संपत्ति में भागीदारी, व्यवसाय के क्षेत्र में समान अवसर, शिक्षा का अधिकार, शासन के क्षेत्र में भागीदारी आदि को प्राप्त कर लिया है। आज की स्त्रियों को समाज से जितना मिल पाता उससे कहीं अधिक उसने अपनी मेहनत हिम्मत और साहस से पा लिया है। वर्तमान समय की नारी स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रही है लेकिन हम भारतीय नारियों को पश्चिमी देशों की नारियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां हमें अपने अधिकारों का ध्यान रखना है वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी भली-भांति सजग रहना होगा। यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो जीवन मानव मूल्यों और संवेदनाओं से शून्य हो जाएगा। स्त्री यदि अपने ऊपर विश्वास करे अपने द्वारा किए गए फैसलों पर हर स्थितियों में कायम रहे और साथ ही साथ एक स्त्री होने की हीन भावना उसके ऊपर हावी न हो तो कोई उसका अहित नहीं कर सकता है।

हमारे समाज की मूल भावना वसुधैव कुटुम्बकम् पर आधारित है और परिवार उसकी सबसे छोटी इकाई है। एक तरफ हमारे देश में जहां तीव्र गति औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है वहीं दूसरी तरफ संयुक्त परिवारों का विघटन भी बहुत तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि स्त्रियों की दशा और बिगड़ी है। हमारे देश में जहां स्त्रियों में उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना ने यदि एक तरफ पति पत्नी के बीच समानता को दिखाया है तो वहीं दूसरी तरफ बिखराव भी दिखने लगा है। पुरुष समाज सदियों से स्त्रियों पर अपना अधिकार समझता रहा है ऐसे में जब स्त्री ने आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने लिए स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश शुरू की तो यह पुरुष समाज के लिए सहन करना इतना आसान नहीं था। ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी क्योंकि जो चीज अपने पास बहुत कालों से थी उसे एक झटके में छिन जाना आसान कैसे हो सकता है। 'परंपरागत समाज की नींव अगर स्त्री की शर्मिंदगी पर टिकी थी तो बेशक वह हिल उठी है और ऐसे कुछ दुष्ट चुटकुलों में निहित शरारती विचारों की चोट से तो पूरी इमारत ही अगर ढह जाए तो आश्चर्य नहीं कि यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही स्वाधीनता की कुंजी है तो जब तक स्त्री के पास देह है और संसार के पास पुरुष तब तक स्त्री को चिंता की क्या जरूरत? जरूरत है तो देह को पुरुष के स्वामित्व से मुक्त करके अपने अधिकार में लेने की क्योंकि यौन शुचिता, पतिव्रत, सतीत्व जैसे मूल्य स्त्री के सम्मान का नहीं पुरुष के अहंकार की दीनता और असुरक्षा का पैमाना है, पितृसत्ता के मूल्य हैं और स्त्री की बेड़ियां हैं।'

आज इस वैज्ञानिक युग में जब विज्ञान ने नए नए अविष्कारों और सुख-सुविधा के साधनों का अंबार लगा दिया है और स्त्रियों को घरेलू कार्यों

में कुछ सहूलियत मिली है तब वे समाज के कल्याणकारी कार्यों को करने हेतु घर से बाहर निकली है। भारतीय परिवारों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या वेशभूषा रहन-सहन या स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों का ऐसी परिस्थिति में नारी का आधुनिक होना और समय के साथ चलना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक नारी के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं 'वस्तुतः आधुनिक स्त्री जितनी अकेली है उतनी प्राचीन नहीं, उसके पास निर्माण के उपकरण मात्र है कुछ भी निर्मित नहीं। चौराहे पर खड़े होकर मार्ग का निश्चय करने वाले व्यक्ति के समान वह सबका ध्यान आकर्षित करती रहती है किसी से कोई सहायता पूर्ण सहानुभूति नहीं पाती। यह स्थिति आकर्षक चाहे जान पड़े परंतु सुखकर नहीं कही जा सकती।'²

हमारे भारतीय समाज में ऐसी स्त्रियों की संख्या अभी बहुत ही कम है जिन्होंने सब कुछ पा लिया है। यहां अभी बहुतायत उन स्त्रियों की है जिनके बंधन अभी टूटे नहीं हैं और न ही उनके जीने के मायने बदले हैं। हिंदी का स्त्री विमर्श पिछले तीन दशकों से स्त्री की इस दशा को अपनी आवाज देने में लगा हुआ है। इन स्त्रियों को भी सब कुछ पाने की चाहत है परंतु इनके अंदर साहस और हिम्मत की कमी है। हम इस बात को भी नकार नहीं सकते की स्त्री को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में पुरुषों का योगदान कम है। वह कभी पिता कभी पति कभी भाई और कभी पुत्र के रूप में स्त्रियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। समकालीन उपन्यास लेखिका मैत्रेयी पुष्पा 'खुली खिड़कियां' में लिखती हैं 'आगे बढ़ता हुआ पांव रुकता नहीं, इसी अभ्यास के चलते स्त्रियों ने बढ़कर पुरुषों के हलके में जरा खलबली मचा दी। अब उन्होंने अस्पताल के उन विभागों में जाना चाहा जो उनके

लिए निषिद्ध थे पुलिस सेना और न्यायालय जैसी संस्थाओं में प्रवेश लेने लगी टेविनकल संस्थाओं में घुसपैठ कर ली माता पिता ने बेटी पर रश्क किया। उसे अविवाहित रहते वे बेटी - बेटे का अंतर भूल गए।'³

आज स्त्री अंधी आधुनिकता की दौड़ लगाती जा रही है जिसमें उसे अपने पीछे आने वाले खतरे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्त्री को सावधान होना पड़ेगा और अपने आसपास सतर्कता पूर्वक नजर रखनी पड़ेगी, अपने आप पर बड़ी दृढ़ता से नियंत्रण रखना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में स्त्रियों ने मुक्ति आंदोलन चलाया और आजादी पाकर सुख-सुविधा के साधन जुटाने में लग गई, उन्होंने सारी मर्यादाये टुकरा दी, सारे रिश्तों के बंधन तोड़ दिए परंतु क्या उन्हें सुखपभोग के साधनों से तृप्ति मिल पाई? इस आजादी ने उससे उसका मातृत्व, पत्नीत्व, विश्वास, वफादारी सब कुछ छीन लिया।

'स्त्री के विकास की सारी संभावनाएं खुली पड़ी है। आजादी लेकर स्त्री थोड़ा सा ऊपर उठे और अपने व्यक्तित्व के विकास में जुट जाए। स्त्री से एक ऐसे व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा है जो स्त्री को पुरुष तथा पुरुष प्रधान समाज की ज्यादतियों से मुक्ति दिलाएगा तथा उसके अंदर छिपी उन तमाम क्षमताओं तथा संभावनाओं को जगा देगा जिनके बिना स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी का सम्मान पूर्ण सिलसिला चालू नहीं हो पा रहा है।'⁴

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, पेज - 17
2. महादेवी वर्मा समग्र- हमारी शृंखला की कड़ियाँ, डॉ. निर्मला जैन , पेज - 328
3. खुली खिड़कियाँ, मैत्रेयी पुष्पा , पेज - 63
4. बेटियाँ, अजन्मी, अवांछित , पेज - 244-245

सीहोर जिले की चयनित पंचायतों का व्यय एवं वित्तीय प्रबन्धन

देवेन्द्र सिंह परमार* डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा**

शोध सारांश - प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र की चयनित पंचायतों के व्यय एवं वित्तीय प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं जैसे पंचायतों की संरचना, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में आयोजित बैठक, पिछले पाँच वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य, निर्माण कार्य में ग्राम सभा की सहमति से कराए गए कार्य, सड़कों एवं गलियों में प्रकाश व्यवस्था, लाभान्वित जनसंख्या का प्रतिशत, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं लाभान्वित परिवार, पेयजल की व्यवस्था एवं स्रोत, पेयजल के साधनों से लाभान्वित जनसंख्या, स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता, शालाओं की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता एवं भू राजस्व की वसूली आदि का विवरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पंचायतों के द्वारा किस प्रकार व्यय और उसका प्रबंधन किया जाता है।

शब्द कुजी - वित्तीय प्रबन्धन, बजट नियंत्रण, पंचायतीराज व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, भू राजस्व वसूली।

प्रस्तावना - भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश की योजना तैयार करना उसे स्वीकृत करना, कार्यान्वित करना एक कठिन और समय लेने वाला कार्य है। भारत का योजना आयोग अब 70 वर्ष पुराना है और उसे बारह पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने का अनुभव है। आयोग ने तथ्यों का पता लगाने विश्लेषण करने और संपाद्य रिपोर्टों के रूप में अनेक खण्डों में सूचना, आंकड़े और साहित्य का विवेचन किया है। योजना तैयार करने की दिशा में पहला कदम जो योजना आयोग का मुख्य काम है केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल के साथ विचार-विमर्श करके उठाया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद् के दिशा निर्देश में किया जाता है। परिषद् की स्थापना 1952 में योजना और विकास कार्यों में राज्यों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई थी।

योजना के मसौदे का मुख्य उद्देश्य योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाना है। इसे टिप्पणियों के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेजा जाता है। उनके उत्तरों का सुझाव का अध्ययन और जांच करने के बाद केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल योजना के मसौदे को विचारार्थ राष्ट्रीय परिषद् को भेज देता है। परिषद् की मंजूरी के बाद इसे सार्वजनिक बहस और टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया जाता है। संसद के दोनों सदन की विभिन्न स्तरों पर योजना पर विचार करते हैं। इस व्यापक विचार-विमर्श के दौरान आयोग सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ राज्यों की योजनाओं के बारे में विस्तार से सलाह करता है तथा राज्यों की योजनाओं को सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अंतिम दौर की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया जाता है।

इस विचार विमर्श और आपसी सहमति के आधार पर योजना आयोग केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय विकास परिषद् को नया ज्ञापन देता है। इस ज्ञापन में योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख होता है। जिसमें योजना के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की रूपरेखा दी जाती है। इस पर एक बार फिर विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें विचार करती हैं। फिर इसे राष्ट्रीय

विकास परिषद् को भेज दिया जाता है तथा मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रकाशित करके संसद में पेश किया जाता है तथा इसको लागू करने को कहते हैं। दिमाग को परेशान करने वाली इस गतिविधि के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की पुरानी इच्छा को पूरा करना होता है।

आज वित्त को व्यवसाय का मूल आधार मानते हुए इसका नामकरण व्यावसायिक वित्त तथा प्रबन्धकीय वित्त के रूप में किया गया। वित्त से सम्बद्ध विद्यानों ने वस्तुतः धन का विज्ञान कहा है। इसके अन्तर्गत उन सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा संचित पूंजी पर नियन्त्रण प्राप्त करके उसे उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है।

शोध समस्या चयन के आधार - सीहोर जिले की जिला योजनाओं का बजटरी नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबन्धन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों द्वारा जानकारी का एकत्रीकरण किया जाता रहा है। पंचायती राज में जिला पंचायत मुख्य योजनाओं के संचालन की धुरी होता है तथा जिला पंचायत में जिले की वस्तु स्थिति तथा सूचनाओं का संग्रहण होता है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास की पुर्न:व्याख्या की जा सकती है। पंचायतों के आय के आधार एवं अन्य स्रोतों का तथ वर्तमान व्यय के स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। पंचायतीराज व्यवस्था के द्वारा गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा यह विश्लेषण किया गया कि क्या सही मायनों में संचालित योजनाओं का संचालन पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है और सही अर्थों में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। उक्त सभी कारण प्रस्तुत अध्ययन की समस्या के चुनाव का प्रमुख कारण रहे।

अध्ययन का उद्देश्य - सीहोर जिले की चयनित पंचायतों का व्यय एवं वित्तीय प्रबन्धन अध्ययन करना।

शोध अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश के सीहोर जिले को प्रस्तुत अध्ययन के लिए चयनित किया गया।

अध्ययन का समग्र - प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ग्राम पंचायतों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित समस्त परिवारों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

प्रतिचयन का आकार - प्रस्तुत अध्ययन हेतु **स्तरीकृत निदर्शन विधि** का उपयोग कर उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित तालिका में निदर्शन में सम्मिलित की जाने वाली जनसंख्या को दर्शाया है।

तालिका 1 : अध्ययन क्षेत्र सीहोर जिले में उत्तरदाताओं का चयन

सीहोर जिला				
जनपद पंचायत				
सीहोर	आष्टा	इच्छावर	बुदनी	नासुल्लाह गंज
ग्राम पंचायत (द्वैव निदर्शन विधि)				
5	5	5	5	5
उत्तरदाता (उद्देश्य पूर्ण विधि)				
40	40	40	40	40
कुल उत्तरदाता 200				

निदर्शन - प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुल पाँच सीहोर, आष्टा, इच्छावर, बुदनी और नासुल्लाह गंज जनपद पंचायत हैं। जिनमें कुल 463 ग्राम पंचायत हैं। प्रत्येक जनपद पंचायत में से 5-5 ग्राम पंचायत इस प्रकार कुल 25 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और प्रत्येक ग्राम पंचायत में से 8 उत्तरदाता इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई - प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ग्राम पंचायतों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित चयनित परिवार को अध्ययन के इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

समंकों का संकलन :

प्राथमिक संमक - प्राथमिक संमकों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक संमक - द्वितीयक संमक का संकलन पंचायतों द्वारा जिला योजनाओं का बजटरी नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन, शोध पत्र-पत्रिकाएँ, शासकीय प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकीय विभाग, पंचायत कार्यालय, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जिला गजेटियर, समाचार-पत्र, इंटरनेट, एवं विभिन्न पुस्तकालयों जिनमें केन्द्रिय पुस्तकालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, ज्योतिबाफूले पुस्तकालय, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) इंदौर, केन्द्रीय पुस्तकालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान, उज्जैन पुस्तकालय में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन आदि के आधार पर किया गया है।

तकनीक एवं उपकरण - संमक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, अनौपचारिक वार्तालाप, एस. पी.

एस. एस., सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण - सीहोर जिले की पंचायतों द्वारा जिला संचालित योजनाओं के बजटरी नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् संग्रहित समंकों को अलग-अलग नम्बर (कोड) दिये गये, इन कोड के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा एस. पी. एस. एस. (ड्राइड) पैकेज का प्रयोग करते हुए तथ्यों का सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही संकलित आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत सरल, ढण्ड आरेख एवं मिश्रित ढण्ड आरेख एवं मानचित्रों के द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र की चयनित पंचायतों के व्यय एवं वित्तीय प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं जैसे पंचायतों की संरचना, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में आयोजित बैठक, पिछले पाँच वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य, निर्माण कार्य में ग्राम सभा की सहमति से कराए गए कार्य, सड़कों एवं गलियों में प्रकाश व्यवस्था, लाभान्वित जनसंख्या के प्रतिशत, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं लाभान्वित परिवार, पेयजल की व्यवस्था एवं स्रोत, पेयजल के साधनों से लाभान्वित जनसंख्या, ग्राम पंचायत में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करना, स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता, शालाओं की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता, सामुदायिक भवन उपलब्धता, प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं भूराजस्व की वसूली करना आदि का विस्तार पूर्वक विवरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है :-

तालिका 2 : ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में आयोजित बैठकों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एक महीने में	52	26.0
2	3 महीने में	71	35.5
3	6 महीने में	29	14.5
4	एक साल में	17	8.5
5	कभी कभी	18	9.0
6	मालूम नहीं	13	6.5
	कुल योग	200	100.0

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में आयोजित बैठकों के आंकड़े उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं जिनके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत की बैठक एक महीने में एक बार होती है जबकि 35.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत की बैठक 3 महीने में एक बार होता है। 14.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत की बैठक 6 महीने में एक बार होती है वहीं 8.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत की बैठक एक साल में एक बार ही होती है। 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत की बैठक कभी-कभी होती है और 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

तालिका 3 : पिछले पाँच वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	तालाब गाहरीकरण	49	24.5
2	सड़क का निर्माण	99	49.5
3	कच्ची सड़क का निर्माण	20	10.0

4	कुआं का निर्माण	9	4.5
5	स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य	13	6.5
6	शौचालय निर्माण	10	5.0
	कुल योग	200	100.0

पिछले पाँच वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 24.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी पंचायत के द्वारा पिछले पाँच वर्ष में तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया जबकि 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत के द्वारा पिछले पाँच वर्ष में सड़क निर्माण का कार्य कराया गया। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका ग्राम पंचायत के द्वारा कच्ची सड़क का निर्माण कार्य कराया गया वहीं 4.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत के द्वारा कुआं का निर्माण कराया गया। 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य को कराया गया वहीं 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण कराया गया।

तालिका 4 : निर्माण कार्य ग्राम सभा की सहमति से किए जाने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	62	31.0
2	नहीं	119	59.5
3	मालूम नहीं	19	9.5
	कुल योग	200	100.0

ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य ग्राम सभा की सहमति से किए जाने के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य सब की सहमति से कराए जाते हैं जबकि 59.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य सब की सहमति से नहीं कराए जाते हैं। 9.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

तालिका 5 : ग्राम सभा के द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ग्राम के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की नई योजनाओं को तैयार करना	52	26.0
2	विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण	99	49.5
3	विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का चयन	21	10.5
4	ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार	13	6.5
5	प्राकृतिक प्रकोप में सहायता	15	7.5
	कुल योग	200	100.0

ग्राम सभा के द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण से सम्बन्धित जानकारी उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत की गई है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की नई योजनाओं को तैयार किया गया जबकि 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया।

तालिका 6 : प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में लाभान्वित जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20 प्रतिशत से कम	61	30.5
2	20 से 40 प्रतिशत	69	34.5
3	40 से 60 प्रतिशत	33	16.5
4	60 से 80 प्रतिशत	24	12.0
5	80 प्रतिशत से अधिक	13	6.5
	कुल योग	200	100.0

प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में लाभान्वित जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 30.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में 20 प्रतिशत से कम जनसंख्या लाभान्वित होती है जबकि 34.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में 20 से 40 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होती है। 16.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में 40 से 60 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होती है वहीं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में 60 से 80 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होती है। 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था होने की स्थिति में 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या लाभान्वित होती है।

तालिका 07 : पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लाभान्वित परिवारों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	50 से कम परिवार	49	24.5
2	50 से 100 परिवार	109	54.5
3	100 से 150 परिवार	17	8.5
4	150 से 200 परिवार	12	6.0
5	200 से अधिक परिवार	13	6.5
	कुल योग	200	100.0

पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लाभान्वित परिवारों का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 24.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 50 से कम परिवार लाभान्वित हुए जबकि 54.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 50 से 100 परिवार लाभान्वित हुए। 8.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 100 से 150 परिवार लाभान्वित हुए वहीं 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 150 से 200 परिवार लाभान्वित हुए। 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 200 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए।

निष्कर्ष - पंचायत द्वारा निर्मित किए जाने वाले बजट का प्रभाव निश्चित

रूप से पंचायत के आर्थिक विकास एवं उनके आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। विकासात्मक कार्यों पर किए गए व्यय आम जनता को प्रभावित करती है। पंचायत के बजट से सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी। सरकार पंचायत बजट के आधार पर अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा सुनिश्चित कर सकती है। पंचायतों में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने तथा त्वरित गति से विकास को भी बजट प्रभावित करता है। इससे पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक स्थायित्व आएगा।

सुझाव :

1. विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही उन्हें चिन्हांकित कर दूर करना उपयोगी सिद्ध होगा।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, आहारपोषण, अधोसंरचना एवं मार्ग व संचार सुविधाओं के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना उपयोगी होगा इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता के प्रयास किये जाने उपयोगी सिद्ध होंगे। क्षेत्र की ग्रामीण संचार एवं परिवहन सुविधा मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से चिकित्सकीय सुविधाएँ सहजता से प्राप्त हो सकेगी।
4. जल संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु लोगों में जनचेतना का संचार किया जाना आवश्यक है।
5. कार्यों का सही मूल्यांकन समय पर हो जिससे कार्य की कमियों को त्वरित दूर किया जा सके। ग्रामीण अधोसंरचना विकास में सामुदायिक सहभागिता के साथ सभी स्तर एवं विभागों में समन्वय से गुणवत्त एवं सभी क्षेत्रों में विकास सम्भव हो सकेगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों की वहनीय क्षमता एवं स्तर सुधार कर आराम देय बनाया जा सकता है।
7. विद्युतीकरण सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित कर कर्षण नियंत्रण करना उपयोगी सिद्ध होगा।
8. पेयजल साधनों के रखरखाव के लिए पंचायत, पी.एच.ई विभाग समन्वय स्थापित कर संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।
9. लोगों को शौचालय निर्माण एवं गन्दे जल निकास के लिए नाली निर्माण हेतु प्रेरित करें।
10. पंचायत और स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी निर्माण कराये जा सकते हैं।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में संचार तंत्र का विकास अनुदान एवं न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बजाज आर. के., 'व्यावसायिक नीति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1997।
2. कथरिया, सु., 'पंचायती राज का वित्त विधान', मंगल उतप प्रकाशन, जयपुर, 1967।
3. कुलश्रेष्ठ, आर. एस. 'वित्तीय प्रबंध', साहित्य भवन, आगरा, 2000।
4. कटारिया, सुरेन्द्र, 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज', आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003।
5. महीपाल, 'पंचायती राज : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं', नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2008।
6. माथुर, एम. बी. एवं नारायण, इकबाल, 'पंचायती राज इन राजस्थान', डिस्ट्रिक्ट, इम्पेक्ष इण्डिया, न्यू देहली, 1966।
7. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ, 'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी', विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1994।
8. मैथ्यू, जॉर्ज, 'भारत में पंचायती राज - परिप्रेक्ष्य और अनुभव', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003।
9. त्रिपाठी, बद्धीविशाल, 'अर्थशास्त्र के सिद्धांत', किताब महल, इलाहाबाद, 1995।
10. त्रिपाठी, रेणु, 'ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन' ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2008।
11. त्रिवेदी आर. एन., शुक्ला डी. पी., 'रिसर्च मैथडोलॉजी', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1996।
12. झिंकन एम. एल., 'विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन', कोणार्क पब्लिशर्स प्रा. लि. दिल्ली, 1989।
13. मिश्रा एवं पुरी, 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालय पब्लिकेशन हाउस, मुंबई, 2007।
14. मिश्रा, नन्दलाल, 'नयी पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास', बी. एस. शर्मा एण्ड ब्रदर्स, आगरा, 2001।
15. सिंह एम. पी., 'अर्थशास्त्र के सिद्धांत', एम. एम. प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स स्वरूप नगर, कानपुर, 1992।
16. सिंह एस. डी., 'सामाजिक शोध तथा सर्वेक्षण', कमल प्रकाशन, इन्दौर, 1996।
17. सिंह, बी. वही., 'सामाजिक अनुसंधान-सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय', राजीव प्रकाशन, मेरठ, 1992।
18. सिंह, आनन्द प्रकाश, 'ग्रामीण शक्ति संरचना के बदलते प्रतिमान', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, देहली, 1989।
19. विद्यासागर, रमेशचन्द्र, 'भारत में पंचायती राज', कृष्णा ब्रदर्स पब्लिकेशनस, अजमेर, 1980।

भूमण्डलीकरण एवं राष्ट्रीय हित

डॉ. रितेश सिंगारे *

प्रस्तावना - भूमण्डलीकरण शब्द मात्र अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वाधिक प्रचलन में हैं। भूमण्डलीकरण विश्व की आर्थिक-सांस्कृतिक समरूपता का दर्शन है। भूमण्डलीकरण आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन चाहता है। यह पूरी दुनिया को सपाट या समतल बनाने की व्यवस्था है। भूमण्डलीकरण खुली बाजार नीति, लाभप्रद व्यापार-वाणिज्य तथा उदारीकरण-निजीकरण के प्रोत्साहन हेतु वैश्विक समझौता है।

दूसरे शब्दों में भूमण्डलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं पर प्रतिबंधित न रहकर विश्व-व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है।

भूमण्डलीकरण का अर्थ पूर्णरूप से पारस्परिक सम्बद्ध विश्व बाजार न होकर विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार के उदारीकरण, पूंजी निवेश तथा सेवाओं की प्रचुरता के कारण बाजारों में संबंध करना भर होता है। भूमण्डलीकरण के इस अर्थ में इस व्यवस्था को 'मुक्त बाजार पूंजीवाद' का पर्याय मान लिया जाता है।

वैश्वीकरण/भूमण्डलीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय-वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं।

यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात् व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण।

डॉ. विमल जालान के अनुसार:- 'भूमण्डलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है। दुनिया काफी छोटी हो चुकी है और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग-अलग रख सकता है। भूमण्डलीकरण का दूसरा अर्थ ठीक उल्टा निकाला जा रहा है। इसके अनुसार यह देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है।'

हर्मन ई. डेली (Cherman E. Daly) का तर्क है कि कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण शब्दों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। लेकिन औपचारिक रूप से इसमें मामूली अंतर है।

'अन्तर्राष्ट्रीयकरण' शब्द का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार, संबंध और

संधियों आदि के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्रों के बीच 'वैश्वीकरण' शब्द का अर्थ है आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन।

कुल मिलाकर वैश्वीकरण ग्लोबल विलेज (विश्व-ग्राम) की अवधारणा के साथ आया इस दौर में यह धारणा मजबूत हुई कि सारी दुनिया एक गाँव के समान है जिसका साझा दुःख-सुख, साझा, लाभ-हानि और साझी संस्कृति होगी। सूचना, संसाधन और पहुँच के मामले में सचमुच विश्व एक गाँव में तब्दील हो गया न सिर्फ व्यापारिक अइचने खत्म हुई बल्कि नवीन ज्ञान-विज्ञान सूचना-तकनीक और प्रौद्योगिकी आदि की आवजाही भी बढ़ी और दुनिया के देश लाभान्वित होना शुरू हुए। विचार-पूँजी-वस्तु और तकनीक का यह प्रवाह भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप ही संभव हुआ। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा सिर्फ शाब्दिक अर्थ में ही नहीं बने बल्कि उसके लाभ-हानि के साझीदार बने।

वैश्वनीकरण के वर्तमान युग में तो अमेरिका का पेप्सी-कोला आदि भारत में बिकता है तो भारत का ऐसेम्बलिंग किया हुआ कम्प्यूटर अमेरिका में भी बिकता है। इंग्लैण्ड की कंपनी वोडाफोन यदि हमारी दूरसंचार कंपनी एस्सार को खरीदती है तो हमारी टाटा कंपनी ने भी इंग्लैण्ड की टेटली तथा कोरिया की देबू मोटर्स को खरीदकर सबको चौका दिया। इस तरह वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का अवसर देती है। इसमें सम्पन्न देशों को थोड़ा ज्यादा लाभ जरूर होता है किन्तु विपन्न देश भी लाभ से वंचित नहीं रहते हैं।

चूँकि भूमण्डलीकरण स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी सामाजिक और राजनीतिक लाभों का संयोजन है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन है। अतः इस अर्थ में वैश्वीकरण बेहद सकारात्मक प्रतीत होता है। किन्तु यह सिक्के का एक ही पहलू है।

सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वैश्वीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ (IMF) आदि को देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये संगठन सभी देशों के लिये नियम बनाते हैं जिससे सभी सरकारों को अपने देश में लागू करने होते हैं। इसके साथ ही भूमण्डलीकरण कई सरकारों को निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कई विधायी कानूनों और संविधान में संशोधन को विवश भी करता है। यानी वैश्वीकरण के इस रूप से देश की संप्रमुता को गंभीर आघात पहुँचता है इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता पर जोर देते हुए देश-विशेष की सांस्कृतिक पहचान पर भी हमला करता है।

आज भारत जैसे देश की भाषा में अंग्रेजी का जोर और हिंगलिश का चलन तथा जीन्स-पेंट और पिज्जा-बर्गर का बढ़ता प्रचलन वैश्वीकरण के प्रभाव को ही निरूपित करता है। इन सब कारणों से लगता है-जैसे वैश्वीकरण राष्ट्र की अवधारणा को कमजोर करने को आतुर है।

किन्तु यदि हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो प्रतीत होता है कि अकसर वैश्वीकरण का विरोध स्वदेशी की रक्षा और विदेशी का विरोध के रूप में किया जाता है किन्तु यह मानना भ्रामक होगा की स्वदेशी पूंजी, स्वदेशी संस्कृति या जो भी स्वदेशी है वही अच्छा है। वैश्वीकरण यदि प्रभाव और खुलापन का आग्रह रखता है तो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान जरूरी होगा और ये होना भी चाहिए क्योंकि संस्कृति सरस-सलिला होती है। क्योंकि संस्कृति की खुबसूरती उसकी विविधता में ही है, एकरूपता में नहीं। अतः स्वदेशी और संस्कृति के नाम पर विकास के विरोध के बजाय उसके समायोजन पर बल होना चाहिए।

निष्कर्ष: यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करती है, पूँजी प्रवाह बढ़ाती है तथा विकास को बढ़ावा देती है तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में पश्चिमीकरण या द वलर्ड इज प्लेट का विचार मानवता के लिए हानिकारक है। वैश्वीकरण तब ही सार्थक होगा जब यह प्रत्येक मानव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो तथा समावेशी विकास को बढ़ावा दे सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.बी.एल. फड़िया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति (2004) पेज नं.-420-29
- 2/3. शैला एल. क्रोचर वैश्वीकरण और संबंध: एक बदलती हुई दुनिया की पहचान की राजनीति: शमैन और लिटिलफील्ड (2004) पेज-10
4. डॉ.बी.एल. फड़िया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति (2004) पेज नं.-420-29
5. www.wikiedia.org
6. संपादक, अक्षय कुमार दुबे, भारत का भूमण्डलीकरण (2007)
7. संध्या चतुर्वेदी, वैश्वीकरण एवं पहचान का संकट भारतीय-लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की अर्धवार्षिक शोध पत्रिका (जनवरी-जून, 2009)
8. सी. रंगराजन, भारत की अर्थनीति नए आयाम 2006

Role of Gender Discrimination and Women's Development in Rural Areas

Dr. Sanjay Patni*

Abstract - In India, discriminatory attitude towards men and women have existed for generations and affect the lives of both genders. Although the constitution of India has granted men and women equal rights, gender disparity still remains. There is specific research on gender discrimination mostly in favour of men over women. Due to a lack of objective research on gender discrimination against men, it is perceived that it is only women who are suffering. The research often conducted is selectively sampled, where men are left out of the picture. Women are perceived to be disadvantaged at work, and conclusions are drawn that their capabilities are often underestimated. Gender is a common term where as gender discrimination is meant only for women, because females are the only victims of gender discrimination. Females are nearly 50 percent of the total population but their representation in public life is very low. Recognizing women's right and believing their ability are essential for women's empowerment and development. This study deals with gender discrimination in India, its various forms and its causes. Importance of women in development, legislation for women and solution for gender discrimination are also discussed in this paper.

Key Words - Gender Discrimination, education, employment, decision making and self confidence.

Introduction - Men and women may be innately different, but does not grant that this fact is particularly pertinent. Masculine and feminine modes of behaviour are relevant in as far as they reflect social expectations. Men and women enact different roles, because society expects them to act in these ways and reward them if they do, punishes them if they do not. Through a variety of practices and institutions, a child acquires its earliest knowledge of its destined role in the family. Parents have different codes of behavior for boys and girls.

Gender refers to roles, attitudes and values assigned by culture and society to women and men. These roles, attitudes and values define the behaviors of women and men and the relationship between them. They are created and maintained by social institutions such as families, governments, communities, schools, churches and media. Because of gender, certain roles, traits and characteristics are assigned or ascribed distinctly and strictly to Society's perceptions and value systems that instill an image of women as weak, dependent, subordinate, indecisive, emotional and submissive¹. Men, on the other hand, are strong, independent, powerful, dominant, decisive and logical. Gender refers to socially constructed roles, which are likely to vary from society to another, and which change significantly as societies develop and evolve over time.

Gender discrimination and patriarchal domination go hand in hand. The essence of gender discrimination is unequal power relations. The social instruments for perpetuating such unequal power relations is restricting

access to property, and skill/education and ensuring control over female sexuality through restrictions on mobility and such other institutions like early marriage. Social resistance arising out of fears and misconceptions that education might alienates girls from tradition and social values. Girls are treated as Parayadhan – liabilities, hence parents attach less important to girls' education. Stereotyped roles assigned to girls in society i.e. girls will look after the household and family.

In spite of Constitutional guarantees, women are legally discriminated against in land and property rights. Most women do not own any property in their own names, and do not get a share of parental property. The majority of women go through life in a state of nutritional stress – they are anemic and malnourished. Girls and women face nutritional discrimination within the family, and often get less food than they need. The average Indian woman bears her first child before she is 22 years old, and has little control over her own fertility and reproductive health.

When a boy is born in most developing countries, friends and relatives exclaim congratulations. A son means insurance. He will inherit his father's property and get a job to help support the family. When a girl is born, the reaction is very different. Some women weep when they find out their baby is a girl because, to them, a daughter is just another expense. Her place is in the home, not in the world of men. In some parts of India, it's traditional to greet a family with a newborn girl by saying, "The servant of your household has been born."

Sociologically the word gender refers to the socio-cultural definition of man and woman, the way societies distinguish men and women and assign them social roles. The distinction between sex and gender was introduced to deal with the general tendency to attribute women's subordination to their anatomy. For ages it was believed that the different characteristics, roles and status accorded to women and men in society are determined by sex, that they are natural and therefore not changeable. Gender is seen closely related to the roles and behavior assigned to women and men based on their sexual differences. As soon as a child is born families and society begin the process of gendering. The birth of the son is celebrated, the birth of a daughter filled with pain; sons are showered with love, respect, better food and proper health care. Boys are encouraged to be tough and outgoing; girls are encouraged to be homebound and shy. All these differences are gender differences and they are created by society. Gender inequality is therefore a form of inequality which is distinct from other forms of economic and social inequalities. It dwells not only outside the household but also centrally within it. It stems not only from pre-existing differences in economic endowments between women and men but also from pre-existing gendered social norms and social perceptions.

Half of the world's population is females. They are doing two-third of work of the total work in the world but received only one-tenth of the world's total income. Nearly two-third of the women is illiterates and they have possessed only one percent of the total world's assets. In the world only one-fourth of the families are headed by female. India is a male dominant society and gender discrimination is customized habitually.

Discriminations:

From web to death females are facing lots of discrimination against them. Some of them are:

1. Abortion of female grávida with the help of scanning.
2. Feoticide (By giving liquid extract from cactus / opuntia, giving raw paddy to new born female baby, by pressing the face by pillow or by breaking the female baby's neck).
3. Not giving enough and nutritious food
4. Not allowing to go to school (Denial of education)
5. Not giving needy health care while in ill health
6. Early marriage
7. Eve teasing, Rape and Sexual harassment
8. Dowry

Discrimination towards Women:

Infancy to Childhood - Both women and men are important for reproduction. The cultural construct of Indian society which reinforces gender bias against men and women, with varying degrees and variable contexts against the opposite sex, has led to the continuation of India's strong preference for male children. Female infanticide, a sex-selective abortion, is adopted and strongly reflects the low status of Indian women. Census 2011 shows decline of girl population (as a percentage to total population) under the age of seven,

with activists estimating that eight million female fetuses may have been aborted in the past decade. The 2005 census shows infant mortality figures for females and males are 61% and 56%, respectively, out of 1000 live births, with females more likely to be aborted than males due to biased attitudes.

A decline in the child sex ratio (0-6 years) was observed with India's 2011 census reporting that it stands at 914 females against 1,000 males, dropping from 927 in 2001 - the lowest since India's independence.

Childhood to Adulthood and Education - Education is not widely attained by Indian women. Although literacy rates are increasing, female literacy rate lags behind the male literacy rate. Literacy for females stands at 65.46%, compared to 82.14% for males. An underlying factor for such low literacy rates are parents' perceptions that education for girls are a waste of resources as their daughters would eventually live with their husbands' families and they will not benefit directly from the education investment.

Adulthood and Onwards - Discrimination against women has contributed to gender wage differentials, with Indian women on average earning 64% of what their male counterparts earn for the same occupation and level of qualification. Discrimination against women has led to their lack of autonomy and authority. Although equal rights are given to women, equality may not be well implemented. In practice, land and property rights are weakly enforced, with customary laws widely practiced in rural areas. Women do not own property under their own names and usually do not have any inheritance rights to obtain a share of parental property.

Commonly used Indicators of gender discrimination - Indicators of gender discrimination seek to go beyond description, and to identify policy measures for improving women's status or autonomy. These terms are not synonymous. Status has the connotation of relative social standing, and improving status may not increase autonomy, a term that suggests the ability of self determination, independence and control over one's life. However, knowledge of status is important in defining norms of behaviour, and permissible deviations from such norms. Demographic studies have tried to explore the extent to which women have control over their fertility behaviour by using various measures of 'autonomy'. Proxies used for female autonomy include female age at marriage, age difference between spouses, female secondary school education.

Education and Employment - Education and employment are undoubtedly the most popular choices of ways to improve women's well being. The cause of women's education, in particular, has received much support from the findings of demographers. The schooling-fertility link has been found to be strong in all empirical studies, although the lines of causation are not always clear. A recent study of Palestinian women re-affirms the power of education to secure better employment and economic independence and

lead to more equitable gender roles. There is scattered evidence to suggest that little difference is made to employment or other decisions unless 8-10 years are spent in school. However in India only 8.6% of adult females, and 15.3% of adult males have completed middle school, as against 40% and 66% who are literate. Moreover, even higher levels of formal education may be needed for the kind of exposure to new ideas and strategies that questioning of gender roles will need.

Employment as a route to empowerment is equally complex. Work participation levels of women are high, if an extended labour force definition is used, although the majority are in informal sector jobs, crowded into the low skill end of the spectrum, and usually in part time work. The uncertain impact of paid work on women's welfare is closely related to their continued home responsibilities. Does earning an independent income increase a woman's bargaining power? The answer is yes if she has real control over it. In many situations however women work in response to household needs, and have been variously described as 'target earners' or as a 'flexible resource of the household'. A recent analysis finds that regions with higher initial levels of female labour force participation have experienced larger growth of per capita expenditure and also faster poverty decline. In identifying the possible reasons behind this finding, the authors suggest that 'First, female labour force participation can be seen as having an important insurance role, in so far as a household with more earning members is less exposed (other things being equal) to downward income fluctuations resulting from illness and related events....Second, higher levels of female labour force participation leads to greater flexibility in occupational choices at the household level,Third, female labour force participation can be interpreted as an indicator of the general involvement of women in economic, social and political matters, with faster poverty decline being more likely in a society which gives greater scope for women's agency in general.' The same study finds little connection between literacy and poverty reduction.

A second issue is that of labour mobility. Increased demand for women's labour, particularly in export oriented and labour intensive units, is a frequent outcome of structural adjustment programmes. But women may not be able to respond to new opportunities and to shift to new occupations, because their mobility tends to be low, even where migration is not involved. This is partly attributable to intra-household allocation of responsibilities. Rights and obligations within a household are not distributed evenly. Male ownership of assets and a conventional division of labour reduce incentives for women to undertake new activities. In addition, child bearing has clear implications for labour force participation by women. Time spent in bearing and bringing up children often results in de-skilling, termination of long term labour contracts, and in poor households can also result in deterioration of health. The behaviour of women in seeking work, and how entrepreneurial they are in the face of new opportunities, is

also affected by the presence or absence of role models; so new jobs that get taken up by men easily get to be seen as the rightful preserve of men.

Causes of Gender Discrimination:

The causes of gender discrimination are:

1. Educational backwardness
2. Caste
3. Religious beliefs
4. Culture
5. On the name of family history
6. Customs and beliefs
7. Races
8. Low income
9. Unemployment
10. Society
11. Family situation and
12. Attitudes

Like male or even above them female plays important role in the family and national development. But her contribution is not recognized by the male dominant society.

Findings From The Study :

Education and Gender – Education has the most persuasive impact on the development of women. It increases the sphere of knowledge and gives direction to the development of an individual's personality. It brings behavioural changes directed towards personal hygiene which help in prevention of certain diseases. It also increases the chances of getting financially rewarding jobs and access to credit facilities. In India, even after almost five decades of constitutional provision of free and compulsory education to children, a large proportion of them remain illiterate. Article 45 of the Constitution reads "the state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of the constitution, free, and compulsory education for all children, till they complete the age of fourteen years". At rural Bengal, 50% women are illiterate, 20% have only alphabetical knowledge, and remaining 30% are literate, up to class six. In these families, most male members are literate and educated. So, they easily may dominate the female members due to their ignorance, absence of awareness. Women are not conscious about their legal rights in the family and society approved by the Indian constitution. Also, they are afraid of applying those rights for long bureaucratic process in the Indian system. So, they try to tolerate all the exploitative, unjustifiable, inequitable manners in the family. Majority of girl children in countryside are first generation students, whose parents may be illiterate. Often they do not get the parental support or guidance required for coping with formal education. They lack learning materials. Moreover, in some cases children from villages are not properly clothed. For girls, formal schooling is more difficult because traditional attitudes do not favour long-term education. Even those few who manage to secure a college degree are disillusioned when they fail to get employment. They then have to learn a new earning skill. This leads to a belief that 12 or 15 years of formal education are a waste of resources.

Lack of formal education closes opportunities for technical education, making learning of formal earning skills difficult. Consequently, a majority is forced to join the informal sector doing menial work.

Daily Food Intake for Women - The practices of discrimination are also seen in daily intake of food among women. Women's role is seen as provider and serviced in household activity. So, the discrimination is mainly maintained by women's own initiation. In most cases, women play a dominating role in internal household activity. Only 20% women avoid any type of discrimination. 80% women are consciously bearing discrimination at interior household. Women prefer to give better food and service for their sons rather than girls. Sons are provided more healthy, nutritive and preferable foods than girls. Even women want to give birth the son child instead of girl child. Because they think that only sons are their future support. The girl child is seen as burden in the household. So the family members don't want to take any positive thinking about their girl child. This attitude also creates the vicious circle of poverty, malnutrition and injustice among women in the long run.

Deciding the Age of Marriage - Discrimination is also seen in the deciding of the age of marriage of women. Parents are worried about their daughters' marriage after completing puberty and they start to think and search about their daughters' matrimonial relations. In rural society, women's average age of married is below 15. 20% women are getting married in the age of 13 and 60% women are getting married at the age of 15 and remaining 20% women are given married at the age of 18. In another side, men's average age of marriage is 25. Regarding husband-wife age gap, 84% women's husbands are elder than them near about 10 to 15 years. Only 16% women are belonged to standard age gap. So, this instance shows that in the younger age women must have to take the burden of family care and responsibilities. In maintaining responsibilities, they must have to involve in paid work and unpaid domestic work. Because, the male members are unable to fulfill smoothly the family needs and demands. In maintenance of peace and security of the household, women must take these contributory roles.

Dowry Practice - Gender discrimination also strongly practiced by dowry system. The birth of a girl causes great upheaval for poor families. When there is barely enough food to survive, girl child puts a strain on a family's resources. The monetary drain of a daughter feels even more severe by the practice of dowry. Dowry is goods and money a bride's family pays to the husband's family. Dowry came to be seen as payment to the groom's family for taking on the burden of another woman. The dowry practice makes the prospect of having a girl even more distasteful to poor families. Girls are regarded as family burden due to decreasing of family assets in deciding their marriage. At rural Bengal, 90% girls are given marriage taking the help of dowry. 7% matrimonial relations are decided by their own choice and 3% relations are decided without any practice

of dowry. In respect of 3%, girls' quality is decided by their good outlooks and so here the dowry practices are not useful. Families are bound to buy their daughters' happiness and comfort in exchange of bride price. So, this practice influences preferences of discrimination of son rather than daughter in the households.

Practice of Gender Socialization - Discrimination is also seen in social customs and habits. Most of the mothers are conscious about their daughters' socialization than boys'. They think that girls must be protected from any misaffairs of the society and must be trained about day to day routine work of household activities. The insecurity and atrocities outside the household discourage the necessity of education and any engagement with the outside world for girl child. They work at home, look after siblings and assist their mothers in the respective economic field. 90% women take companionship of their girl child to get relief from heavy work load and to earn extra money in their respective economic field. The girl child's expertness at household activities is indicated for themselves as good qualities regarding the decision of their matrimonial relations.

Women and girls in some villages have a poor quality of life. The lack of basic services affects them the most. They have to spend considerable time in cooking for family. Having to defecate in open spaces is a health and social hazard. Looking after children who are frequently sick, husbands who do not earn adequately and can be drunk and trying to ensure that the family gets a meal every day. Women are most disadvantaged in the studied area. Combined with a traditional bias against educating girls they are often not sent to school or drop out at an early stage. Girls do not have the sufficient exposure to everyday cultural situations, which men, women and young men have. As a result they are often anxiety prone and stressed. This happens because of women are socialized differently from the childhood.

Solution for Gender Discrimination - Various movements, programmes are being carried out by the Government, voluntary organizations and by lot of social activities for women's development and against the gender discrimination. To solve the gender discrimination problem the **E4SD** factor would be very useful. They **E4SD** factors are:

Education - Education develops the skills, imparts knowledge, changes the attitude and improves the self confidence. It provides employment opportunity and increases income. Hence educating women is the prime factor to combat gender discriminate and for the upliftment of women. Not only the female, the society must be educated to give equal right for female.

Employment - Employment gives the income and improves the economic position of the women. Employed women are given importance by the family members. Employment gives the economic independence for the women.

Economic Independence - In India, mostly, women in the young age - depends her father, in the middle age- she

depends on her husband and in the older age – depends on her son. Woman always depends on somebody for her livelihoods hence, independent in economical aspects are imperative for women’s development. Economic independence will free the women from the slavery position and boost the self confidence. Economic independence of women also helps in the national economic development.

Empowerment - Empowering women with the help of laws, education and employment will make the society to accept the women as an equal gender like male. Female also has all the potential and empowering women will help to use her full capability and mitigate the economic dependency of women.

Self-confidence - Due to prolonged suppression, Indian women, an especially uneducated and unemployed woman hasn’t had the self-confidence. Women need self confidence to fight against all the atrocities against her and to live self esteemed life. Hence, boosting the morale and selfconfidence of the women, is the key to eliminate the inferior complex of her.

Decision Making - Even in the family as well as in the society the decision making power of women is denied. Mostly males make the importance decision in the family and in the society. This makes women as voice less and destroys herself confidence and she feels less important in the family as well as in the society. So, to end gender discrimination women must empower with decision making power.

Conclusion - Throughout the world, women play a critical and contributory role in national economic growth and development. Their contributions have a lasting impact on household and communities, and it is women who most directly influence family nutrition and the health and education of their children. Giving women equal rights and opportunities can only serve to enhance this contribution and to bring us closer to the goal of eliminating poverty, illiteracy.

Mahatma Gandhi commented that “Womanhood is not restricted to the kitchen”, he opined and felt that “Only when the woman is liberated from the slavery of the kitchen, that her true spirit may be discovered”. It does not mean that women should not cook, but only that household responsibilities be shared among men, women and children. He wanted women to outgrow the traditional responsibilities and participate in the affairs of nation. He criticized Indian’s passion for male progeny. He said that as long as we don’t consider girls as natural as our boys our nation will be in a dark eclipse.

Transforming the prevailing social discriminations against women must become the top priority, and must happen concurrently with increased direct action to rapidly improve the social and economic status of women. In this way, a synergy of progress can be achieved. A combination of extreme poverty and deep biases against women creates a remorseless cycle of discrimination that keeps girls in

developing countries from living up to their full potential.

Education is the tool that can help break the pattern of gender discrimination and bring lasting change for women in developing countries. Educated women are essential for ending gender bias. Education of girls has a positive impact on economic well-being of women and their families and society in the long run through below mentioned circle :-

1. As women receive greater education and training, they will earn more money.
2. As women earn more money - they spend it in the further education and health of their children, as opposed to men, who often spend it on drink, tobacco or other women.
3. As women raise their economic status, they will gain greater social standing in the household, and will have greater voice.
4. As women gain consciousness, they will make stronger claims to their entitlements - gaining further training, better access to credit and higher incomes.
5. As women’s economic power grows, it will be easier to overcome the tradition of “son preference” and thus put an end to the evil of dowry.
6. As son preference declines and acceptance of violence declines, families will be more likely to educate their daughters, and age of marriage will rise.
7. As women are better nourished and marry later, they will be healthier, more productive, and will give birth to healthier babies.

A nation or society, without the participation of women cannot achieve development. If we eliminate gender discrimination, women will deliver all the potentials, skills, knowledge to develop the family, the nation and the whole world.

References :-

1. Goswami, Sribas 2013- “Missing Girls: A sociological study on female infanticide in India” Published in Medical ethics: Challenges and prospects in India, Supirya Book, New Delhi, India.
2. Goswami, S (2008): “Hegemony of women entrepreneurs”, Samajtattva” December, issue 2, Vol. 14, Adyasakti Printers, Kolkata.
3. Sen, Amartya. 2001 – “Many faces of Gender Equality”, Frontline, Vol. – 19, issue- 22, 2009, India
4. Government of India, 2008, “Eleventh Five Year Plan (2007-2012), Vol. II, New Delhi, Planning Commission.
5. Kalyani Menon Sen and A.K.Shiva Kumar, 2010, “Women in India, How Free? How Equal?”, New Delhi, UNDAF.
6. Julie Mullin, 2010, “Gender Discrimination – Why is it still so bad and what can you do about it?”, Accessed from www.childerninneed.org on 15.08.2010.
7. “Women’s Education in India” (PDF). Retrieved 2012-09-10.
8. “Gender Discrimination and Growth: Theory and Evidence from India” (PDF). Retrieved 2012-09-10.

Entrance of foreign universities in India and its impact on Indian higher education

Dr. Nilesh Gangwal*

Abstract - In today's world education is the key of success and empowering the economy of a nation growing flow of knowledge, people and financing cross national border and feed both worldwide collaboration and competition. Entrance of foreign university facilitates international collaboration and cross-cultural exchange cross border flows of ideas, students, faculty and financing, coupled with development in the information and communication technology, are changing the environment where higher education institutions function.

The higher education sector in India is currently going through a phase of intense transformation and upheaval. The sector has grown remarkable after the globalization. During independence of India there were 9 universities and 591 colleges with around 0.2 million enrollment. Now the number changed drastically with 659 universities and 35000 colleges and over 25.9 million enrollments. Also in addition to several universities several national (Indian) or international (foreign) level centers of excellence have been established to provide training in engineering, technology, management, medicine law and several other fields.

This paper focuses on the impact of entrance of foreign universities in the domain of higher education in India. It reviews how globalization may affect education policy and planning in India.

Keywords - globalization, higher education, impact.

Introduction - Higher education system is facing many challenges just not in India but around the world. In the past two decades we have seen the forces of technology and globalization transform various sectors including higher education. This sector is faced with great challenges in terms of quantity and quality of education delivery, funding, inclusivity, research and development, employability of graduates and equitable access to the benefits of international cooperation.

Government has spent billions of rupees to educate students and support programs to help ameliorate inequities and improve standard but we know that neither equity nor standard have reached comparable levels. No one can deny that higher education in India now is in a pathetic state suffering from "seven severe systemic issues" i.e. quality, access, regulation, governance, extent of privatization, staff scarcity and student migration. The student teacher ratio in the average institution of higher education is 26:1 as against the global norms of 15:1 India's share in global research output is far too low at 35% for a country with 17% of the world's brain.

Objectives:

1. To analyze aspect of development of higher education in our country after entrance of foreign universities.
2. To enhance both quantitative and qualitative effect of entrance of foreign universities in Indian higher education system.

Methodology - Is an evaluative study which is based on secondary source of data from different books, various economic surveys, different journals and newspapers.

Threats of entrance of foreign universities - The following points support the adverse impact on higher education

1. Over's 1 lakh crore in the estimated foreign exchange spent on education abroad.
2. Lead to the creation of bias among graduates.
3. Foreign universities may lead to conversion from social service into a private service aimed at money making.
4. Foreign educational institutions are expected to provide severe competition to Indian institutions with their world class infrastructure, financial resources, staff, reputation etc.

Impact on Higher Education - The spread of markets and the momentum of globalization during the past two decades have transformed the world of higher education almost beyond recognition. Market forces driven by the threat of competition or the lure of profit, have led to the emergence of higher education as business. The technological revaluation has led to a dramatic transformation in distance education as a mode of delivery; this is discernible not simply in the national context, but also in the international context, with a rapid expansion of cross border transactions in higher education. It is clear that markets and globalization are transforming the world of higher education. Markets

and globalization are shaping the content of higher education and influencing the nature of institutions that provide higher education.

The world of professional education is also being influenced by markets and globalization. The obvious example is engineering, management, medicine and law. Markets exercise some (albeit limited) influence on curricula. Furthermore, globalization is encouraging the harmonization of academic programmes. The reason is simple. This profession is becoming increasingly internationalized.

The world of distance education is somewhat different and could provide a single lining to the cloud. Market forces and technical progress have opened up a new world of opportunities in higher education for those who missed the opportunity when they finished school or did not have access earlier. Of course, these opportunities come at a price that may not be affordable for some particularly in developing countries or transition economies.

International cooperation is an important facet in improving the quality of education India has education exchange programme with 40 countries as also mutual arrangement with the USA and UK. Also noteworthy are the India Australia education council, the India new Zealand education council, and the India EU partnerships. These education exchange program me are framework arrangements to promote faculty and exchange research collaboration and related cooperation. India has also developed the PAN Africa network connecting nearby 50 African countries through an Indian satellite.

Indian government has recognized the importance of higher education in the changing global scenario. As the process of globalization is technology –driven and knowledge –driven, they very success of economic reforms policies critically depends upon the competence of human capital. Globalization is expected to have a positive influence on the volume, quality and spread of knowledge through increased interacting among the various states. Today Indian higher education is strong because the free market philosophy has already entered in the educational world. In the view of globalization, many corporate universities both foreign and Indian are encroaching upon our government institution. Our IIM'S AND IIT'S have produce world class professional's .we are near to achieve status in the field of higher education as developed nation.

India's progress quantitative and qualitative view - According to the FICCI Higher education summit (2012) India has one of the largest higher education system in the world, with 25.9 million students enrolled in more than 45000 degree and diploma institution in the country. At 25 million ,the number of students enrolled in the second largest globally.

But the in qualitative aspect India's higher Education is not satisfactory in terms of lop-sided structure and composition, content and relevance of teaching, methods

of evaluation and academic certification , and finally the quantum, quality, social relevance and international recognition of research conducted at universities and colleges.

Outdated courses ,inadequacies of teaching, research and other infrastructural facilities ,low level or complete absence of interaction with industry and obsolete teaching and examination methods etc .Are other operational infirmities of higher education. In the era of various technological advancements we will have to connect to and use advanced technology of teaching and meet the global standard of education. .

Conclusions - "Education is what will determine how fast India joins the ranks of leading nation of the world; I believe education is the alchemy that can bring India its next golden age." Nicely quoted by honorable president Mr. Pranab Mukhergi.

India of the 21st century has uniquely and thumping arrived at the most crucial crossroads of its journey of development through its transformation by imaginative educational outputs in its institutions of education of all levels, particularly the higher education. Higher education of India is growing very fast; there is a need to infuse quality to make it globally competitive. Our universities are contributing to the vision of making the country a global educational hub by pursuing excellence in academics, bringing, industry and academics closer and promoting innovation and research .It believe the country can regain its ancient glory in higher education.

The most appropriate conclusion is provided by an old Buddhist proverb: "The key of the gate of heaven is also the key that could open the gate to hell." Globalization provide a mix of opportunities and danger for higher education .We should allowed foreign universities with some legal control to shape higher education .Instead ,we should shape our agenda for higher education so that we can capture the opportunities and avoid the danger unleashed by markets and globalization.

References :-

1. Agrawal Pawan (2009).Indian higher education; Envisioning the future "Sade publication India Pvt. Ltd".
2. Bhattacharya ,j.,(2012).higher education in India;Issues concerns and Remedies, universities news 50(17);1-3,28.
3. Power K.B(2011).Indian higher education Revisited,Vikas Publication ,Pvt Ltd, New Delhi.
4. EY-EDGE(2008) Globalizing Higher education in India 2005-06 and EY-EDGE-2009;Private enterprise in Indian higher education.
5. Press Information Bureau ,Ministry of human resource Development.
6. National knowledge Commission (2006) Note on Higher Education.
7. University Grants Commisson,Annual Reports.

Demonetization - A Review on Developing Country

Kuldeep Agnihotri*

Introduction - Demonetization refers to Withdrawal of a particular form of currency from circulation. Demonetization is necessary whenever there is a change of national currency. The old unit of currency must be removed and substituted with a new currency unit. The currency was demonetized first time in 1946 and second time in 1978. On Nov. 2016 the currency is demonetized third time by the present Modi government. This is the bold step taken by the govt. for the betterment of the economy and country. In this paper I want to discuss the impact of recent demonetization on the Indian system

Objectives - The main objective of this paper is to study the impact of demonetization on 8th Nov. 2016 by the present government on Indian Economy and system.

Methodology - The paper is based on the secondary data. The secondary data was collected from various published sources like reports, magazines, journals, and newspapers.

History - The sudden move to demonetize Rs 500 and Rs 1,000 currency notes is not new. Rs 1,000 and higher denomination notes were first demonetized in January 1946 and again in 1978. The highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India was the Rs 10,000 note in 1938 and again in 1954. But these notes were demonetized in January 1946 and again in January 1978, according to RBI data. Rs 1,000 and Rs 10,000 bank notes were in circulation prior to January 1946. Higher denomination banknotes of Rs 1,000, Rs 5,000 and Rs 10,000 were reintroduced in 1954 and all of them were demonetized in January 1978. The Rs 1,000 note made a comeback in November 2000. Rs 500 note came into circulation in October 1987. The move was then justified as attempt to contain the volume of banknotes in circulation due to inflation. However, this is the first time that Rs 2,000 currency note is being introduced. While announcing currently circulated Rs 500 and Rs 1,000 notes as invalid from midnight 8 Nov, Prime Minister Narendra Modi said new Rs 500 note and a Rs. 2,000 denomination banknote will be introduced from November 10. Bank notes in Ashoka Pillar watermark series in Rs 10 denomination were issued between 1967 and 1992, Rs 20 in 1972 and 1975, Rs 50 in 1975 and 1981 and Rs 100 between 1967-1979. The banknotes issued during this period contained the symbols representing science and technology, progress and

orientation to Indian art forms.

Impact of Demonetization

Demonetization has various positive impacts like :

1. It has improved the perspective points for the country which ranks 130 in the ease to do business in the world. Foreign investors will consider this to be a positive move to invest in India.
2. It has encouraged cashless payments in the country. With government's schemes like rebate in service tax (for payments under Rs.2000), 8 to 10% off in cashless premium payment of life and general insurance, etc... India can move out of the cash-is-king mentality.
3. Less number of stone pelters in Kashmir, indicating the fact that some fringe people are giving up on the peace in the valley, So no terror funding in India anymore.
4. Complete bust of fake currency racket sourced from Pakistan.
5. Hawala racket becomes dormant, leading to better returns on foreign remittances.
6. Improved tax revenues and deposits, helping both banks and government to get better returns on its investments (like lending, infrastructure, etc.).
7. Bringing unorganized sector into the banking system, encouraging savings for these workers.

Short term effect: There will be a disruption in the current liquidity situation as households are likely to get affected by the note exchange terms laid by the government. Though clarity is unfolding on this, commodity transactions and general cash market transactions are likely to feel an immediate impact.

1) Liquidity crunch - liquidity shock means people are not able to get sufficient volume of popular denomination especially Rs 500. This currency unit is the favourable denomination in daily life. It constituted to nearly 49% of the previous currency supply in terms of value. Higher the time required to resupply Rs 500 notes, higher will be the duration of the liquidity crunch. Current reports indicate that all security printing press can print only 2000 million units of RS 500 notes by the end of this year. Nearly 16000 mn Rs 500 notes were in circulation as on end March 2016. Some portion of this were filled by the new Rs 2000 notes. Towards end of March approximately 10000 mn units will

be printed and replaced. All these indicate that currency crunch will be in our economy for the next four months.

2) Welfare loss for the currency using population - Most active segments of the population who constitute the 'base of the pyramid' uses currency to meet their transactions. The daily wage earners, other labourers, small traders etc. who reside out of the formal economy uses cash frequently. These sections will lose income in the absence of liquid cash. Cash stringency will compel firms to reduce labour cost and thus reduces income to the poor working class

Long Term Effects:

1) Black Money and Corruption - By demonetization, Black money will be taken out of Indian system. As predicted by ICICI Securities Primary Dealership the government's plan to remove INR 500 and INR 1,000 notes from circulation will disclose up to INR 4.6 lakh crore in black money. Corruption will also be automatically reduced by removing black money from economy.

Arithmetic of Demonetization of High-Denomination

Notes in circulation (value in INR billion)	7854	6326	14180
Notes with banks together with other govt. agencies@ 30%	2356	1898	4254
Notes with public @70%	5498	4428	9926
Conversion by public for new notes with old (%)	60	40	
Total value of converted by public (INR billion)	3299	1771	5070
Scenario 1: Total value not converted by public@50% (INR billion)	2199	2657	4856
Scenario 2: Total value not covered by public @50% of 20% of black money (INR billion)			4520
Scenario 3: Replicating 1978, with 25% not comingback	1374	1107	2482

Source: SBI Research, RBI

The table depicts the public holding of high denomination notes worth Rs. 9926 billion as on march 2016. There are 3 scenario in table. In scenario 1 and 2 it is assumed that 50% of the notes of higher denomination do not return to the system. It is also reasonable to expect that 60% of Rs. 500 notes and 40% of Rs. 1000 notes would be exchanged at banks/ post offices and RBI before march 31,2017. Based on such estimates, roughly round Rs. 4.5 lakh crore of money could disappear from the system.

2) Funding - Funding for smuggling and terrorism will take a blow since all the money will get back to bank and from there it is easy to identify the fake currency. Demonetization thus affects the funding of terror networks in Jammu and Kashmir, North-eastern states and the other areas.

3) Real estate - Another impact of the demonetization would be reduction in cash transactions in real estate. This is likely to reduce to real estate prices and make it affordable. In the short term, prices of real estate would come down for

the same reason above. There will be fewer suitcases moving.

4) Elections - Demonetization has shocked political parties. Many states like Punjab and Uttar Pradesh, cash donations are a huge part of "election management". Political parties will find themselves helpless as cash hoards are often undeclared money. So upcoming elections 2017 will be transparent to the some extent

5) Effect on Money Supply - With the older 500 and 1000 Rupees notes being scrapped, until the new 500 and 2000 Rupees notes get widely circulated in the market, money supply is expected to reduce in the short run. To the extent that black money (which is not counterfeit) does not re-enter the system, reserve money and hence money supply will decrease permanently. However gradually as the new notes get circulated in the market and the mismatch gets corrected, money supply will pick up.

6) Digital payments - People adopting online payments system such as pay tm etc. after ban for high denomination currency in India. Digital transaction systems, E wallets and apps, online transactions using E banking, usage of Plastic money (Debit and Credit Cards), etc. will definitely see substantial increases in demand. This behavioral change could be a game changer for India in the near future.

7) Fake Currency - The impact on the fake currency would be more significant. Many dealers with the existing counterfeit notes would be trapped as they would have to take the notes to the bank and have better chances of getting their racket exposed. Thus, they have only option to destroy their notes and incur losses.

8) GDP - The sudden decline in money supply and increase in bank deposits is going to adversely impact consumption demand in the economy in the short term. This, coupled with the adverse impact on real estate and informal sectors may lead to lowering of GDP growth.

9) Markets - There will be positive move in markets in long run that could bring confidence of overseas investors in Indian stock markets. Market goes a bit down in the short and medium term. India is still a very attractive destination on a long term basis. It is not the best market in the next three months.

10) Decrease in Interest Rates - We will see a lowering interest rates for education loans, home loans and medical loans very soon. It will make higher education and medical facilities more accessible. This change is hard to undo because if any subsequent government increases loan it will suffer huge backlash.

11) Lower Inflation - As the black money goes out of the system the money supply will shrink to some degree. This will reduce inflation rate in the absence of any open market interventions by the Reserve Bank of India.

Positives Impacts Negatives Impacts

Positives Impacts	Negatives Impacts
E-commerce and Fintech	Agriculture
1) Payment gateways	Luxury goods
2) Card	Real Estate

3) Mobile wallets	Commodities Traditional Retail
4) Online retail	1) Consumer durables
5) Net and payment banks	2) Consumer non-durables
6) e-marketplace	

Advantages:

1. The major decision which is made by the government will help us to eradicate black money, corruption to some extent.
2. Due to lack of funding there will be no arms smuggling and all the terrorist activities will also be choked.
3. The government has proposed the new limits on ATM withdrawals being restricted to Rs.2000 per day, withdrawal from bank account is Rs.10000 a day and Rs.20000 a week. It indicates that card transactions will slowly replace the cash transactions in our daily prone activities.
4. Exchange of money in banks can only be done producing a valid identity cards like PAN, Aadhar card and electoral card with a daily limit of Rs.4000. By doing so it will be easy for the government to track the money which is being exchanged in banks. There is no limit if the amount which we are exchanging is legal amount.
5. Financial Intelligence Unit will track all details of the transactions from the banks. So now it is really difficult to get rid of the black money.
6. Real estate industry is totally corrupted and now by this stringent decision the real estate sector will bring in more transparency. By doing it in this way we will have more credibility, making it more attractive to the foreign investors as well as domestic investors.

The Probable Consequences Of The Demonetisation

Tax: Having closed the voluntary disclosure window for undisclosed money, it has been reported that government will keep a close watch on deposits over Rs 2 lakh in cash. This would mean increased tax net, higher tax collection and a better tax to GDP ratio. Philips Capital in a report says that the extent of parallel economy, which was 23.2% of GDP, is now around 25-30% of GDP. As the money gets accounted and more taxes are collected, government might be tempted to reduce tax rates going forward.

Interest rates: One of the biggest impacts of demonetization would be high value transactions, especially land and gold. This would result in lower inflation, tempting the central bank to reduce interest rates. But the bigger impact on interest rates will be the liquidity with which banks

will be flushed. CLSA's points out that banks would benefit with higher CASA (current account savings account) growth as a part of the \$ 190 billion cash pile gets deposited with them. Higher deposit growth and continuing weak credit growth would create opportunities for lending rate cuts and investment activities to pick-up.

Liquidity: Movement of goods and money will be hit in the short. A Bank of America Merrill Lynch note says that wholesale channel forms over 40% of the sales for the Indian consumer firms. This channel works mainly on cash transactions and will likely witness liquidity constraints in the near term. This could disrupt the supply chain and impact growth in the December quarter.

Conclusion - If the money disappears, as some hoarders would not like to be seen with their cash pile, the economy will not benefit. On the other hand if the money finds its way in the economy it could have a meaningful impact. However experiences from different countries shows that the move was one of the series that failed to fix a debt-burdened and inflation-ridden economy.

So far, it can be said that this is a historical step by the Modi Govt. and should be supported by all. This decision of govt. will definitely fetch results in the long term. From an equity market perspective, this move would be positive for sectors like Banking and Infrastructure in the medium to long term. This could be negative for sectors like Consumer Durables, Luxury items, Gems and Jewellery, Real Estate and allied sectors, in the near to medium term. This move can lead to improved tax compliance, better fiscal balance, lower inflation, lower corruption, complete elimination of fake currency and another stepping stone for sustained economic growth in the longer term.

References :-

1. HDFC bank investment advisory group "Demonetization and its Impact" 11Nov,2016.
2. CARE RATINGS professional risk opinion "Impact of demonetization on GDP" Nov.18,2016
3. <http://m.economictimes.com/demonetisation-old-rs-500-and-rs-1000-notes-now-legal-news-reports-and-developments/liveblog/55396555.cms>.
4. <http://www.investopedia.com/terms/d/demonetization.asp>
5. <http://www.insightsonindia.com/2016/11/16/big-picture-impact-demonetization>.
6. <http://www.dnaindia.com/analysis/column-this-is-a-new-indian-sunrise-2273153>.

ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन (बलिया जिले के करनई ग्राम के विशेष संदर्भ में)

डॉ. तुमि तिवारी* डॉ. राजेश कुमार शुक्ला**

शोध सारांश - किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए उस देश में महिलाओं की प्रस्थिति को जानना आवश्यक है, बिना महिलाओं की प्रस्थिति को समझे हम उनकी संस्कृति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिना महिलाओं के देश का सर्वांगीण विकास अधूरा है। इतिहास पर यदि गौर करें तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं की स्थिति, शक्ति, योग्यता आदि निरन्तर परिवर्तित होती रही है। महिलाओं की समग्र स्थिति विभिन्न कालक्रम (वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तथा समसामयिक काल) में अवलोकित की जा सकती है। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास में संवैधानिक समानता के बावजूद व्यवहारिक धरातल में महिलाएँ दमित और शोषित हैं। प्रस्तुत शोध में 'ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन' किया गया है। शोध में प्राप्त परिणामों के आधार पर सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं की संलिप्तता श्रमसाध्य कार्यों में होने के बावजूद महिलाओं की दशा और दिशा विचारणीय पहलू हैं।

प्रस्तावना - भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्तिस्वरूप, सौभाग्यवर्धिनी और बुद्धि अधिष्ठात्री के रूप में अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। भारतीय इतिहास में अनेक कालखण्ड महिलाओं की गौरवगाथा के साक्ष्य हैं। शनैः शनैः कालान्तर में लैंगिक भेदभाव के पनपने के कारण महिलाओं की प्रस्थिति परिवर्तित हुई है। महिला हित में किए गए अनेक शासकीय-अशासकीय स्तर पर किए गए भगीरथी प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होने लगे हैं। शहरी महिलाओं की स्थिति में पूर्व की तुलना में जहाँ संतोषजनक परिणाम दिखाई देते हैं, वहीं अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक बंधन, लैंगिक असमानता के कारण ग्रामीण महिलाएँ आज भी विकास यात्रा से कोसों दूर हैं। ग्रामीण महिलाओं को हाशिए पर रखकर हमारे कृषि प्रधान देश का विकास असंभव है।

शोध उद्देश्य :

1. ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्तर ज्ञात करना।
2. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर ज्ञात करना।
3. ग्रामीण महिलाओं में परिवार का स्वरूप ज्ञात करना।
4. ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ज्ञात करना।

शोध परिकल्पना :

1. ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक स्तर निम्न होता है।
2. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न होता है।
3. ग्रामीण महिलाओं के परिवार का स्वरूप अधिकतर संयुक्त होता है।
4. ग्रामीण महिलाएँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती हैं।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मण्डल के बलिया जिले के करनई ग्राम का चयन किया गया है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य भाग में स्थित है। बलिया जिले में 6 तहसील हैं, जिनमें अलग-अलग संख्या में ग्राम भी हैं। बलिया जिले में कुल 2293

ग्राम हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में करनई ग्राम की 50 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है। न्यादर्श के रूप में चयनित सभी महिलाएँ विवाहित, संयुक्त एवं एकल परिवारों एवं विभिन्न वर्ग समूहों की हैं। शोध अध्ययन में शोध उपकरण के अंतर्गत अनुसूची का निर्माण किया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण - प्रस्तुत शोध द्वारा ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति संबंधी प्राप्त प्रदत्त निम्नानुसार तालिकाओं में दर्शाए गए हैं :-

तालिका क्रमांक - 01 : सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक स्तर

क्र.	आर्थिक स्तर	ग्रामीण महिलायें	
		संख्या N=50	प्रतिशत
1	गरीबी रेखा के नीचे	15	30.00
2	निम्न आय वर्ग	11	22.00
3	मध्यम आय वर्ग	21	42.00
4	उच्च आय वर्ग	03	06.00
कुल योग -		50	100.00

स्रोत :- सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका क्रमांक 01 में सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक स्तर दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि 30.00 प्रतिशत महिलाएँ गरीबी रेखा के नीचे, 22.00 प्रतिशत महिलाएँ निम्न आय, 42.00 प्रतिशत महिलाएँ मध्यम आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रही हैं। मात्र 06.00 प्रतिशत महिलाएँ उच्च आर्थिक स्तर में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं।

तालिका क्रमांक - 02 : सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	ग्रामीण महिलायें	
		संख्या N=50	प्रतिशत
1	साक्षर	17	34.00
2	प्राथमिक शिक्षा	13	26.00

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) गांधी महाविद्यालय, मिडवा, बेरुआरबारी, बलिया (उ.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (सामाजशास्त्र) गांधी महाविद्यालय, मिडवा, बेरुआरबारी, बलिया (उ.प्र.) भारत

3	माध्यमिक शिक्षा	09	18.00
4	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	06	12.00
5	अशिक्षित	05	10.00
कुल योग -		50	100.00

स्रोत :- सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका क्रमांक-02 में सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में सबसे अधिक साक्षर महिलाओं का 34.00 प्रतिशत है, प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं का 26.00 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 18.00 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक में शिक्षा का स्तर 12.00 प्रतिशत पाया गया, जबकि अशिक्षित महिलाएँ 10 प्रतिशत पायी गयीं।

तालिका क्रमांक - 03 : सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में परिवार का स्वरूप

क्र.	परिवार का प्रकार	ग्रामीण महिलायें	
		संख्याN=50	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	40	80.00
2	एकाकी परिवार	10	20.00
कुल योग -		50	100.00

स्रोत :- सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका क्रमांक-03 में सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में 80.00 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 20.00 प्रतिशत एकाकी परिवार पाए गए।

तालिका क्रमांक - 04 : सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

क्र.	स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता	ग्रामीण महिलायें	
		संख्याN=50	प्रतिशत
1	हाँ	16	32.00
2	नहीं	34	68.00
कुल योग -		50	100.00

स्रोत :- सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका क्रमांक-04 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं में 32.00 प्रतिशत ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जबकि 68.00 प्रतिशत महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन पायी गयीं।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध में प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा चल रही है साथ ही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था एवं ग्रामीण परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित है, जिसके कारण महिलाओं का निम्न शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव भी शोध द्वारा प्राप्त परिणामों के कारण हो सकते हैं।

सुझाव - ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव इस प्रकार है :

1. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
2. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के विकास के लिए तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
3. ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण महिलाओं के आत्मविकास एवं आत्मसम्मान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा राम (2012) : सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
2. बघे, डी0एस0 एवं बघेल किरण (2007) : भारत में ग्रामीण समाज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. गुप्ता एम0एल0 एवं शर्मा डी0डी0 (1997) : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. हरपालानी, बी0डी0 (1993) : गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा, स्टार पब्लिकेशन्स आगरा।
5. <https://www.districtsindia.com>
6. <https://www.vokal.in>
7. राजकुमार (2003) : भारतीय नारी संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
8. तिवारी अवधेश (2012) : ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रथम संस्करण, जवाहर नगर, दिल्ली।

Women Entrepreneur : A key of Successful Indian Economy

Dr. Manoj Jain*

Abstract - Women has been described as the embodiment of shakti in Hindu Scriptures, But in real life she is treated as Abla. She constitute around half of the total population, so is in India also. They are therefore, regarded as a better half of the society. In traditional societies they were confined to the four walls of houses performing household activities. In modern societies they have come of the four walls to participate in all sorts of activities. The educated Indian women have to go a long way to achieve equal rights and position because traditions are deep rooted in Indian society where the sociological set up has been a male dominated one. Despite all the social hurdles, Indian women stand tall from the rest of the crowd and are applauded for their achievements in their respective field. Apart from this woman has to face lots of obstacles in her career. To help them government have set up various institutions/agencies to develop entrepreneurship in women by providing training and giving financial marketing assistance.

Keywords - Entrepreneurship, Training, assistance.

Introduction - For developing countries like India, Women Entrepreneurship is one of vital necessity to achieve rapid all around and regionally and socially balanced economic growth. Women in India constitute 48% of the total population. But their participation in economics activities is only 38%.

Concept of Women Entrepreneurs - Women entrepreneurs may be defined as the women or group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. The Government of India has defined women entrepreneurs as an enterprise owned and controlled by women having minimum financial interest of 51 percent of the capital and giving at least 51 percent of the employment generated in the enterprise to women. Women entrepreneurs engaged in business due to push and pull factors which encourage women to have an independent occupation and stands on their own legs. A sense towards independent decision-making on their life and career is the motivational factor behind their urge. Saddled with household chores and domestic responsibilities women want to get independence.

Women Entrepreneurs In India - Women entrepreneurship is relatively a recent phenomenon which came into prominence in the late 1970s. Due to the spread of education, favorable government policies towards development of women entrepreneurship awareness and new kind of avenues, more and more women are venturing as entrepreneurs in all kind of business, economic and other useful activities.

Women entrepreneurship in India has come a long way from papad and pickles to engineering and electronics.

Nowadays, elite women in cities are making a mark in non-conventional field such as consultancy, garment exporting, interior designing, textile printing, food processing, chemicals, pharmaceuticals etc. there were 3 lakh women entrepreneurs in India sharing only 11.2% of total entrepreneurs in 1995-96. In case of small-scale industries, nearly 8% are run exclusively by women entrepreneurs. The women entrepreneurs in India can be classified into three categories:

1. Women with adequate education and professional qualification and majority of them live in cities. Such women entrepreneurs are engaged in medium and large industrial units and non-traditional establishments. They are not confined to commercial activities but venture into field such as electronics, engineering and services.
2. The second category consists of middle class women who have education but lack training. They are mostly engaged in handicrafts and cottage industries and produce low value-added items such as knitting, garments, doll and toy making etc.
3. Women take up business enterprise to tide over financial difficulties when responsibility is thrust upon them due to firmly circumstances. These groups of women entrepreneurs are illiterates, financially weak and are engaged mostly in family business such as horticulture, fisheries, nursery, handlooms etc.

Objectives Of The Study :

1. To study the impact of assistance by the government on women's entrepreneurship.
2. To find the role of Institution / agencies to develop

entrepreneurship women.

Methodology - In the present paper we used secondary data which are published in the Books journals university News Websites, newspaper, articles and summary of different souvenirs on this particular topic.

Support and Assistance for women entrepreneurs - A number of institutions / agencies have been set up in India to develop entrepreneurship in women by providing training and giving financial and marketing assistance.

Financial Assistance - The public sector banks and state financial corporation's provide loan to women entrepreneurs. Self-employment for Educated Unemployed Youth and Mahila Gramodyog scheme are implemented to develop women entrepreneurs. Assistance under the District Rural Development Agency is provided to women entrepreneurs. Under Jawahar-Rozgar Yojana Scheme, 75 percent of the funds are provided by banks and 25 percent by Women's Finance Corporation, out of which 20% is provided as subsidy to women entrepreneur.

Mahila Udyog Nidhi scheme was introduced by IDBI to provide equity assistance to set up new industrial projects by women. Under Prime Minister's Integrated Urban Poverty Education Programme. Women's Finance Corporation provides financial assistance to set up units with less than Rs.10 Lakh.

Stree Shakti Package for women entrepreneurs (State Bank of India)

Women entrepreneurs comprise those small scale units managed by one or more women entrepreneurs who have stake not less than 51% of the equity.

The important features of the package are:

1. The entrepreneurs who have undergone EDP conducted by state level agencies or programmes co-sponsored/sponsored by bank are eligible for financial assistance.
2. Branch manager and the field staff will provide necessary inputs and assistance to those women who do not plan to set up full-fledged industrial ventures but would like to do something at home.

Concession in margin for professionals & Self-employed women

Category Limit Slab in Rs.	Margin
Up to 25000/-	NIL
Over Rs. 25000/-	5%

Source: www.statebankofmysore.co.in/..stree shakti package

Annapurna Scheme for Financing women for establishing Food Catering Units Eligibility

Women (both individual and partnership firms)

1. **Purpose** - For establishing Food Catering Unit for selling Tiffin/food/lunch packs etc.
2. **Extend of finance** - Maximum loan of Rs. 50,000/-
3. **Type of loan** - Composite Term Loan (working Capital Portion will be Within 50% of CTL)
4. **Purpose of loan** - Term loan component can be used for purchase of utensil and cutlery, gas connection,

Refrigerator, mixer grinder, Hot case, utensil stand, Tiffin Boxes, Wood table, water filter etc.

5. **Repayment** - Up to 36 monthly installments including one month moratorium period.

6. **Margin** - 10%

7. **Rate of interest** - As per prevailing rates

8. **Security** - Hypothecation of assets created out of Bank Loan

9. **Guarantee** - One guarantor (with sufficient means) acceptable to the Bank.

Source: www.statebankofmysore.co.in/..stree shakti package

Scheme by Punjab National Bank

PNB Mahila Udyam Nidhi Scheme - The women entrepreneurs will be assisted for setting up of new projects in tiny/small scale sector and rehabilitation of viable sick SSI units. Existing tiny and small scale industrial unit and service industries undertaking expansion modernization technology up gradation & diversification can also be considered.

PNB Mahila Samridhi Yojna - Under this scheme, four schemes have been launched under the umbrella of one scheme. These are for purchase of required infrastructure for setting up of:

1. Tailoring shop/ Boutique, i.e. for purchase of sewing machines etc.
2. ISD/ STD booths, i.e. for security deposits with MTNL/ other agencies like Reliance/ Tata Indicom, etc. for purchase of fax machine, Xeroxing / photocopier machine etc.
3. Beauty parlor i.e. for purchase of furniture, chairs, bench etc.
4. Cyber café i.e. for purchase of computers and furniture like computer tables, chairs etc. and for recurring expenditure as per the need of the activity.

Scheme for financing Creches - To provide support services for women empowerment to working women in terms of Creches with necessary services by making cheaper easier credit available for financing Creches. The women will be assisted for purchase of required infrastructure for setting up Creches like basic equipment, utensils, stationers growth monitoring equipments, fridge, cooler/fan, water filter etc. and recurring expenditure for one month.

PNB Kalyani Card Scheme - For meeting working capital credit requirement of allied agricultural activities / misc farm/ nonfarm activities either singly or in combination with other activities. The literate/illiterate women dwelling in rural/ semi urban areas who have attained the age of majority shall be eligible under the scheme. Such women shall include individuals, farmers, landless laborers, agricultural laborers, tenant farmers, share croppers, lessee farmers, etc. The women desirous of undertaking non-farm sector activities should have aptitude/experience and capability for undertaking the activity chosen for self-employment.

PNB Mahila Sashaktikaran Abhiyan - Under this scheme

, following concession will be admissible

1. Interest rate to be relaxed by 0.25% in non-priority sector advances and 0.50% in priority sector advances.
2. Margin to be reduced to 10% , wherever the margin requirement is more than 10%.
3. Waiver of 50% upfront fee (wherever applicable)

Source: www.pnbbankindia.in/En/ul/content

Training - The Government of India has organized a number of workshops on Trade-related Entrepreneurship Assistance and Development for the benefit of women entrepreneurs.

It seeks to empower women in rural and semi-urban areas through development of entrepreneurial skill, elimination of various constraints faced by them and through strengthening trade support network. Federation of Societies of women Entrepreneurs is engaged in promoting women entrepreneurship by:

1. Providing marketing assistance.
2. Providing effective interaction with government officers and
3. Evolving suitable guidelines from time to time for the promotion of entrepreneurship among women.

The National Research Development Corporation has set up a number of technology demonstrations cum training centers to provide expertise and resource to women entrepreneurs in respect of new technology.

Federation of Indian Women Entrepreneurs (FIWE) - The Federation of Indian Women Entrepreneurs (FIWE) has come into being following the decision taken at the IVth International conference of Women Entrepreneurs held in December 1993, at Hyderabad.

The main objectives of the FIWE are:

1. To provide training in export marketing, quality control and standardization, laws, regulation procedures and systems for running small and medium enterprises.
2. To provide greater access to latest technologies.
3. To facilitate enterprise to enterprise corporation's within the country and women entrepreneur counterparts in 96 countries of the world.
4. To effectively articulate the problems and constraint faced by women entrepreneurs.
5. To facilitate participation in international and regional exhibitions, Buyer-Seller meet, seminars and symposia and help women entrepreneurs to get greater exposure to regional and global business environment and opportunities.

SIDBI - Small Industries Promotion Development of India has instituted development initiative towards promoting women entrepreneurs. It has designed programmes with focus on women – Mahila Vikas Nidhi, Mahila Udaymak Nidhi, Microcredit Scheme, Entrepreneurship Development Programmes etc. to provide:

1. Training and extension services support to women entrepreneurs through a comprehensive package suited to their skills and socio economic status and
2. Extending financial assistance on liberal terms to

enable them to set up industrial units in small sector.

National Alliance of Young Entrepreneurs, National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, National Institute of Small Business Extension Training, Small Industries Development Bank of India re the other agencies rendering assistance to women entrepreneurs.

The plan document has suggested the following:

1. To treat women as specific target group in all development programmes.
2. To properly diversify vocational training facilities for women to suit their varied needs and skills.
3. To encourage appropriate technologies, equipment and practice for reducing their drudgery and increasing their efficiency and productivity.
4. To provide marketing assistance at the state level.
5. To increase women's participation in decision making.

The new industrial policy of the Government of India has stressed the need for conducting special entrepreneurship programmes for women with a view to develop women entrepreneurship. The policy has recommended that product and process-oriented courses may be conducted to enable women to start small scale industries.

Conclusion - The recent trend indicates that women entrepreneurs are sensitive to changing socio-economic conditions in the country. They are keen to take advantage of such positive changes. They also want to prove their mettle in dual role of work at home and participation in entrepreneurial activities. It is expected that the negative attitude towards women entrepreneurs by the family and society will fade off a future. The development of women entrepreneurship in India depends largely on the exploration of rural market. Several Asian economies have made great strides towards the development of rural enterprises. Women Entrepreneurship serves as a catalyst of economic development. On the whole the role of entrepreneurship in economic development of the country can best be put as "an economy is the effect for which entrepreneurship is the cause".

References :-

1. Gordon, E. & Natrajan, K. Entrepreneurship Developments, Himalaya Publication House. 2013
2. Khanla S.S. Entrepreneurial Development, S. Chand & Company Ltd. 2005

Journals & Reports :-

1. WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN INDIA PROBLEMS AND PROSPECTS. Authors: Meenu Goyal , Jai Prakash.(www.zenithresearch.org.in) Published in International journals of multidisciplinary research. Vol 1 Issue 5 Sept. 2011.
2. Women Entrepreneurship in India opportunities ...challenges, Authors: Gurendra Nath Bhardwaj, Swati Parashar , Dr. B. Pandey , Pushpamita Sahu (www.chimc.in)
3. Women Entrepreneurs in India Emerging issues and

- challenges, Author: Dr. Vijayakumar , A. and Jayachitra, S. (www.chimc.in)
4. Higher Education Challenges in New Era . Author: Meenu singh, Page no. 21 . University news 50 (39) September 21,2012-ISSN-0566-2257
 5. Dipanjan Chakarborty and Ratan Broman.The role of micro enterprises in the promotion ofentrepreneurship in Assam Page no. 7 The IUP Journal of entrepreneurship development vol IX-No 3 september 2012
 6. Group Entrepreneurship for creating success Microenterprises-Page no. 33
 7. The IUP Journal of Entrepreneurship Development Vol IX –Page no. 3 september 2012.
- Web Reference :-**
1. <http://www.google.co.in>
 2. <http://www.statebankofmysore.co.in>
 3. <http://www.pnbindia.in>

A Study of Brand Loyalty

Dr. Sanjay Bhavsar*

Abstract - Marketing has however become the eyes and ears of business. Marketing is gaining recognition as an important function of all organizations seeking to serve sense and satisfy specific markets and public at large. The modern concept of marketing cells for the entrepreneur to first determine what is needed by the consumer and then arrange for its production and distribution. The most simple is that marketing is the human activity directed at satisfying needs and wants through the exchange process. According to this fundamental task of organization to determine needs and wants to the target market and to adapt the organization to deliver the desired satisfaction. More effectively and efficiently than its competitors. It is for this purpose only that the most organization undertakes research activities. The reason as to why the people buy a particular brand is the result of both emotional and rational consideration. The ultimate buying decision is result of interplay of many factors which differs from person to person. But since no two person or consumer are alike and their motivates are also different. Human actions are greatly influenced in the buying action by various factors like market stimuli like product advertising opinions of other packaging and product appearance.

Keywords - Consumer, Branding Brand, Brand name, Brand Image, Brand Performance, Brand Loyalty.

Introduction - Consumer is an individual who purchase or has the capacity to purchase goods and services offered for sale by marketing institution in order to satisfy personal or household needs wants r desires. A more expensive item that has many differences between the brands will cause a different behavior that an inexpensive item that is purchased all the time.

The essence of modern marketing concept is that all elements of business should be geared towards the satisfaction of the consumer.

Branding - Branding is an inseparable elements of marketing mix. The function of branding is to serve as main connecting link between manufacturers' promotional program and sales to final buyers. Branding can add value to a product and is therefore an intrinsic aspect of product strategy.

Brand - A brand is name symbol or design or combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.

1. **Brand Name:** A brand name is that part of brand which can be vocalized.
2. **Brand Image:** The brand image is the set of ideas and the impressions the consumer receive from whatever sources about a particular brand of product.
3. **Brand Preference:** Brand preference means much weight a consumer gives to a brand and this depends upon brand images which one has in one's mind.
4. **Brand Loyalty:** Sellers use brand to identify products and differentiate them from competing products. The hope

is that consumer using a brand will continue to purchase it. To what extent can loyalty be developed? One can summarize that no general answer is possible. Individual sellers have a keen interest is knowing how is it to be measured? A loyal cadre of customers provides the basis for a stable and growing market share and can be a major intangible assets reflected n the purchase price of company. Brand loyalty is consistent repeat purchase of brand overtime.

Achieving consuming loyalty for a specific brand is very important for marketing managers. For centuries the loyalty of consumers towards a particular brand of produced has been interest to marketing people from the point of view of its consumption and goodwill in the market

It is an important aim of the marketing strategy to increase the number of buyers who are 'loyal' to the particular brand other marketer. To be brand loyal the consumer must hold a favorable attitude towards the brand in addition to purchasing it repeatedly.

Brand loyalty to be sequences of purchasing a particular brand using consumer choice pattern for product such as juice, coffee, toothpaste, oils, creams, and consumers were grouped into the following categories:

1. **Individual Loyalty** - One repeatedly buys and is also favorable disposed towards to product and its brand. Its means the consumers who consistently purchase the same brand is consistently brand A, brand B, brand C.
2. **Divided Loyalty** - As in the case of family brand the consumer may be loyal to one product of the brand family nut he buys another product of other brand. Like the

consumer may be loyal of one brand brush and another brand of paste. If the consumer who regularly purchase two brands thus manifesting the choice pattern AB or BA.

3. Unstable Loyalty - A small change in product design, price or better appeal of a competitor will be sufficient to change their brands. In this situation after several time switch to another brand, for several purchase and thus manifesting the choice pattern AAA, BBB, CCC.

4. No Loyalty - Some buyers have no loyalty what so ever. They may experiment a brand every time buy or go, by effective standards. They won't stick to a brand for a reasonably long time, brand loyalty various substantially different type of product.

Brand Loyal - A consumer who has been using a particular brand for more than one year. The brand loyal may be sub-divided into three categories:

1. Low Degree Brand Loyal: Low Degree Brand Loyal are those person who has been using particular brand for past 2 to 4 years.

2. Medium Degree Brand Loyal: That person who has been using particular brand for past 5 to 7 years.

3. High Degree Brand Loyal: That person using particular brand for more than 7 years.

Research Methodology - It is the way to systematically solve the problem. In it we study the various steps that are generally adopted in the study along with the logic behind him. It is a conceptual structure within which study is conducted measurement and analysis of data.

Research Plan

Research Design	Exploratory and casual Descriptive
Research Technique	Survey
Research Instrument	Questionnaire
Measuring Scale	Ranking & Percentage
Data Collection	Primary data collected through questionnaire secondary data from books, journals & magazines.
Location	Rohtak
Sample Plan	Simple Random
Sample Size	100

The research design used in the research is exploratory descriptive research and casual research. The exploratory research is used for collecting secondary data from magazine and descriptive research is used to collect the data which is through questionnaire in order to know the influence of brand. Casual research is used for cause and effect relationship. The data has been collected using survey method from the consumer of Rohtak. In order to identify and measure the parameter of influence of brand by ranking or percentage.

Data Collection: Data collection is done through the help of questionnaire and 100 respondents were selected randomly for survey.

Descriptive Statistics: Sample of adult of different age of male and female is used. The different occupation and different income group are referred.

Data Analysis and Result according to usage Time Degree of Brand Loyalty

Users Category	Single	Dual	Total
Low degree brand loyal (Usage Time 2 to 4 Years)	5(12.20)	18(38.30)	23(26.14)
Medium degree brand loyal(Usage Time 5 to 7 Years)	6(14.63)	8(17.01)	14(15.90)
High degree brand loyal	30(73.17)	21(44.68)	51(57.95)
Total	41(100)	47(100)	88(100)

Figures in parenthesis are in percentages to total. It also enlists degree of brand loyalty and brand switching behavior.

Interpretation of findings - The basic findings of our research as follows. Most of factors which significantly influence the consumer for a brand. A vast number of consumers fall within domain of high degree loyalty. All the consumers are found to be 'proper' brand switches.

Recommendations

Rebranding - Marketers should adopt rebranding as a strategy to have brand loyal consumers. Product development is a part of rebranding strategy.

Brand Extension Strategy - It can be adopted by the marketers to launch variety of product utilities.

Conclusion - The quality has played a remarkable role in developing brand loyalty. Marketers should stress on improving the quality so that almost all the consumers may be brand loyal.

References:-

- Raj S.P. "Striking a balance between brand P.P.53-62 popularity and brand loyalty journal of marketing vol.49. 1985.
- Standon J. William "Fundamental of Marketing (Mc Grow Hill Kogakausha Ltd. 1974)
- Dhar Upendee, Kumar Narender, " Brand Loyalty in Analytical Study as Casual factors" MDU journal of management studies vol.11 1987.
- C.R. Kothari "Research Methodology (Method and Technique 2nd edition Nov. 1997)"
- Kahn B.E. (1995) "Consumer Variety seeking among goods and services journal of retailing and consumer services pg.138-139
- Committee of Defination (1930) "A glossary of arketing items (Chicago Amline)" p47
- Frunk Ronald E. "Is brand loyalty a useful basis for marketing segmentation" Journals of advertising research Aug. 1967.
- Kaushal RajivSinha B.K.Ranghubansi "Purchasing behavior pattern of the consumer and their brand preference for washing soap syldents Indian journal of marketing Vol. VII no.4(Dec. 1976).

Know Your Customer (KYC) Policy

Dr. Pratiksha Vyas *

Abstract - As KYC a norm are applicable to all the customers of the banks as well as becomes an compulsory aspect to be followed by the bank as well as customer it is needed to provide information related to all the KYC guidelines to be maintained by banks and customers. The Guidelines issued by the Reserve Bank of India on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering measures (AML), Banks are required to put in place a comprehensive policy frame work covering KYC Standards and AML Measures. The guidelines issued by the Reserve Bank of India take into account the recommendations made by the Financial Action Task Force and inter government agency, on AML Standards and on combating financing terrorism. The guidelines also incorporate aspects covered in the Basel Committee document on customer due diligence which is a reflection of the International Financial Community's resolve to assist law enforcement authorities in combating financial crimes.

This policy document is prepared in line with the RBI guidelines and incorporate the Bank's approach to customer identification procedures, customer profiling based on the risk perception and monitoring of transactions on an ongoing basis. The purpose of KYC guidelines is to prevent the Bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities as well as for customers to prevent from any cyber frauds.

Key Words - Know Your Customer, Guideline, Customers, Banks.

Introduction - Security implies sense of safety and freedom from danger or anxiety. When a banker takes a collateral security, says in the form of a little deed or gold, against the money lent by him, he has a sense of safety and of freedom from anxiety about the possible non-repayment of the loan by the borrowers. In a broader perspective, when a nation maintains a well equipped and well trained military force, the citizens have a sense of safety and freedom from anxiety against possible aggression by other nations. All measures adopted to bring about the sense of safety are collectively called "security measures". Know your customer (KYC) is the security process used by a Bank to verify the identity of their clients. The term is also used to refer to the bank regulation which governs these activities. Bank, insurance and export credit agencies are increasingly demanding that customer provide detailed anti -corruption due diligence information, to verify their probity and integrity. Know your customer policies are becoming increasingly important globally to prevent identity theft, financial fraud, money laundering and terrorist financing.

Objectives of the study - To discuss about the conceptual aspect of "know your customer policy".

Need of KYC - The objective of KYC guidelines is to prevent bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities. KYC procedures enable banks to know their customer and their financial dealings better, which in turn help them, manage their risk prudently. Necessary check before opening a new account ensures that the identity of the customer does not

match with any person with known criminal background or with banned entities such as individual terrorist organizations etc. and that no account is opened in anonymous or terrorist organization etc and that no account is opened in anonymous or fictitious/benami names.

Bank are supposed to adopt due diligence and appropriate KYC norms at the time of opening of accounts .the objectives of KYC are to insure appropriate customer identification and to monitor transactions of a suspicious nature. while opening an account a bank is suppose to obtain all information necessary for establishing the identity existence of each new customer by taking and verifying the introductory reference from an existing account holder /a person known to the bank or on the basis of documents provided by the customer .The mean of establishing identity can be passport ,driving license etc. In respect of existing customers banks are required to complete customer identification at the earliest.

What Is KYC Policy - KYC norms means in order to prevent identity theft ,identity fraud ,money laundering, terrorist financing etc .the RBI had directed all banks and financial institutions to put in place a policy framework to know their customers before opening any account .this involves verifying customers identity and address by asking them to submit documents that are accepted as relevant proof.

Mandatory details required under KYC norms are proof of identity and proof of address .passport ,voter ID card PAN card or Driving license are accepted as proof of identity ,and proof address .some banks may ask for verification

by an existing account holder .though the standard documents which are accepted as proof of identity and residence remain the same across various banks ,some deviation permitted ,which are differ from Bank to bank. So, all documents shall be checked against bank requirements to ascertain if those match or not before initiating an account opening process with any bank .thus opening a new bank account is no longer a cake walk.

Know Your Customer - As per “know your customer “guideline issued by Reserve bank of India, customer has been defined as:

1. A person or entity that maintains an account and /or has a business relation with the bank.
2. One on whose behalf the account is maintained.
3. Beneficiaries of transactions conducted by professional intermediaries, such as stock Brokers, chartered accounts Solicitors etc. as permitted under the law.
4. Any person or entity connected with a financial transaction, which can pose significant reputational or other risk to the bank, say, a wire transfer or issue of a high value demand draft as a single transaction.

Bank Customer Relationship - Banking is a trust-based relationship .There is numerous kind of relationship between the bank and the customer. The relationship between a banker and a customer is based on certain terms and conditions. These relationship confer certain rights is the and obligations both on the part of the banker and on the customer .However, the personal relationship between the bank and its customer is the long lasting relationship. Some bank even say that they have generation –to-generation banking relationship with their customer .The banker customer relationship is fiducially relationship .The terms and conditions governing the relationship is not be leaked by the banker to a third party.

Customer Identification Requirements Indicative Guidelines

1. Trust/nominee or fiduciary accounts - There exists the possibility that trust /nominee or fiduciary account can be used to circumvent the customer identification procedure .banks should determine whether the customer is acting on behalf of another person as trustee/nominee or any other intermediary .if so bank may insist on receipt of satisfactory evidence of the identity of the intermediaries and of the persons on whose behalf they are acting as also obtain details of the nature of the trust or other arrangements in place. While opening an account of trust ,bank should take reasonable precaution to verify the identity of the trustees.

2. Accounts of companies and firms - Banks need to be vigilant against business entities being used by individuals as a front for maintain accounts with banks .Bank should examine the control structure of the entity, determine the source of funds and identify the natural persons who have a controlling interest and who comprise the management .these requirements may moderated according to the risk perception.

3. Client accounts opened by professional

intermediaries - When a bank has knowledge or reason that the client account opened by a professional intermediary is on behalf of a single client, the client must be identified .Bank may hold pooled accounts managed by professional intermediaries on behalf of entities like mutual funds, pension funds or other types of fund.

KYC standards - The objectives of KYC guideline is to prevent banks from being used intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities .related procedures also enable banks to know or understand their customer, their financial dealings better. This helps them manage their risks prudently .Banks usually frame their KYC policies incorporating the following four key elements

1. Customer Acceptance policy - All banks should develop criteria for accepting any person as their customer to restrict any anonymous accounts and insure documentation mentioned in KYC

2. Customer Identification Number - Customer can be identified not only while opening the account but also at the time when the bank has a doubt about his transactions.

3. Monitoring of Transactions - KYC can be effective by regular monitoring of transactions. Identify an abnormal or unusual transaction and keeping a watch on higher risk group of the account is essential in monitoring transactions.

4. Risk Management - This is about managing internal work to reduce the risk of any unwanted activity .managing responsibilities, duties and various audit plus regular employee training for KYC procedures.

These guidelines also specify that KYC should be implemented for existing account holder on the basis of materiality and risk segments.

Typical KYC Control - KYC control typically include the following-

1. Collection and analysis of basic identity information
2. Name matching against lists of known parties.
3. Determination of the customer risk in terms of propensity to commit money laundering, terrorist finance, or identity theft.
4. Creation of an expectation of a customer’s transactions against their expected behavior and recorded profile as well as that of the customer’s peers.

To insure that the latest details of customer identification are available ,banks have been instructed from time to time by RBI to periodically update the customer identification data based upon the risk category of the customers.

These Are The Basic Requirements Of KYC To Identifying A Customer At Account Opening Stage.

Features	Documents
1. Legal name and any other	(i)Passport (ii)PAN card (iii)Voter’s Identity Card (iv) Driving licence (v) Identity card names used (subject to the bank’s satisfaction)(vi) Letter from a recognized

	public authority or public servant verifying the identity and residence of the customer to the satisfaction of bank
2. Correct permanent address	(i) Telephone bill (ii) Bank account statement (iii) Letter from any recognized public authority (iv) Electricity bill (v) Ration card (vi) Letter from employer (subject to satisfaction of the bank) (any one document which provides customer information to the satisfaction of the bank will satisfy)

Accounts of Companies

1. Name of the company	(i) Certificate of incorporation and Memorandum & Articles of Association
2. Principal place of business of the Board of Directors to open an account and identification of those who have	(ii) Resolution
3. Mailing address of the authority to operate the account	(iii) Power of Attorney granted to its managers, officers company or employees to transact business on its behalf
4. Telephone/Fax Number	(iv) Copy of PAN allotment letter (v) Copy of the telephone bill.

Accounts of Partnership Firms

1. Names of trustees	(i) Registration certificate, if registered
2. Address	(ii) Partnership deed
3. Names of all Partners	(iii) Power of Attorney granted to a partner or an employee of the firm to transact business on its behalf.
4. Telephone numbers of the firm and partners	(iv) Any officially partners valid document identifying the partners and the persons holding the Power of Attorney and their addresses their addresses (v) Telephone bill in the name of firm / partners.

Accounts of Trusts & Foundations

1. Names of trustees	(i) Certificate of registration, if registered
2. Names and addresses of the founder, the managers / directors and the beneficiaries	(ii) Power of Attorney granted to transact business settlers, beneficiaries and on its behalf
3. Telephone/fax numbers	(iii) Any officially valid document to identify the trustees, settlers, beneficiaries signatories and those holding Power of Attorney, founders / managers / directors and their addresses (iv) Resolution of the

	managing body of the foundation / association (v) Telephone bill
--	---

Accounts of Proprietorship Concerns

Proof of the name, address and activity of the concern	(i) Registration certificate (in the case of a registered concern) (ii) Certificate / license issued by the Municipal authorities under Shop & Establishment Act (iii) Sales and income tax returns (iv) CST / VAT certificate (v) Certificate / registration document issued by Sales Tax / Service Tax / Professional Tax authorities (vi) Registration / licensing document issued in the name of the proprietary concern by the Central Government or State Government Authority / Department. (vii) IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT as an identity document for opening of bank account. (viii) License issued by the Registering authority like Certificate of Practice issued by Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Indian Medical Council, Food and Drug Control Authorities, etc. Any two of the above documents would suffice. These documents should be in the name of the proprietary concern.
--	---

Conclusion - Banks are the engines that drive the operations in the financial sector, which are vital for the economy. While the operations of the bank have become increasingly significant; there is also an occupation hazard. There is a Tamil proverb, which says that a man who collects Honey will always be tempted to lick his fingers. Banks are all the time dealing with money, a temptation should therefore be very high Oscar Wilde said that the thief was an artist and the policeman was only a critic, there are many people who are unscrupulous and are able to perpetrate a fraud. The bank should devise systems and procedures in

such a way like KYC that the scope for such cleverer and unscrupulous people is reduced. That's why Know your customer policy is becoming increasingly important globally to prevent identity theft, financial fraud, money laundering and terrorist financing.

So all the customer should cooperate with banks because after all this is for the security of the customer. Above all, a risk-based approach requires KYC software that will spot and notify financial institutions of any discrepancies or concerns regarding a potential customer.

References :-

1. "Know Your Customer' (KYC) Guidelines - Anti-Money Laundering Standards".
2. "Why KYC is mandatory now". business.rediff.com. Retrieved 25 Oct 2010.
3. "AML CFT 2009".
4. http://www.fdic.gov/regulations/examinations/bsa/bsa_13.html
5. *Learn How to Make Your Goals SMART* web page, retrieved November 5, 2006
6. <http://www.c6-intelligence.com/>
7. <http://www.kycisrael.com>
8. <http://www.sgs.com.ng/>
9. <http://www.kycnet.com>
10. <http://acamstoday.org/wordpress/?p=1955>
11. <http://pugodesk.winwinhosting.net/dailyexcelsior/sbicelebrates- kyc-compliance-fraud-prevention-day>

Diversity of Gastropods from Panvel Creek, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra, West coast of India

Aamod N. Thakkar*

Abstract - Diversity of gastropod mollusks from the coastal habitat of Panvel creek was studied and gastropods were recorded during March 2016 to Feb 2017. During investigation 11 families 16 genera and 24 species were collected. The data presented in this paper suggest that at present habitat of Panvel creek coast is not under pollution stress. But the galloping development, rapid urbanization, dumping of wastes and dredging of sand may put pressure on ecological conditions of Panvel creek and it needs continuous monitoring.

Key words - Diversity, Gastropod, Panvel creek, Pollution.

Introduction - Tidal flats generally have a rich benthic community that serves as a food resource for visiting species such as birds, demersal fish and decapods (Boehs et al, 2004). Estuarine wetlands such as mangroves are vulnerable to various threats from dredging, water pollution, waste disposal, overfishing, climate change, encroachment, and unsustainable recreational activities which results into disturbance of ecological services of the environment (Kumar 2008). In India, 5070 species of molluscs have been recorded of which, 3370 species are from marine habitats Subba Rao (1991). These molluscs belong to 220 families and 591 genera, of which 1900 are gastropods, 1100 are bivalves, 210 are cephalopods, 41 are polyplacophores and 20 are scaphopods (Venkatraman and Venkatraman 2012). The shells of several mollusc are in demand for ornamental trade, pharmacological products and in the manufacture of lime and cement (Narasimham et al, 1993; Jaiswar and Kulkarni, 2005) hence are known to face exploitation. Phylum mollusc is most diverse and dominant benthic fauna in water bodies. Gastropods make up more than 80% of the species. of the seven Mollusca classes, and majority of gastropod species exhibit an extremely limited mobility or are completely sessile as adults. These molluscs represent the contamination of their habitat ideally (Oehlmann et al, 2002). The gastropods seem to be the abundant animals in the intertidal pool and have worldwide distribution considering their wide adaptations (Ganesh et al, 2014).

Coastal environment of Panvel has been under considerable stress since the onset Ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA) and urbanization by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) in the vicinity of Panvel creek has resulted into encroachment, reclamation, destruction of mangroves and effluent discharges of Taloja MIDC in the

study area affect the ecology of gastropods from Panvel creek, Navi Mumbai. Till now extensive scientific research on ecological aspects of molluscan fauna has been carried out in India however data on species diversity of gastropods of Panvel creek is not available, hence, the present study is undertaken.

The present study was undertaken to identify the types of gastropods occurring in the intertidal zone along Panvel creek, Panvel, Navi Mumbai West coast of India.

The study area - The Panvel creek (Lat 18° 58' 26.895" N to 18° 59' 58.432" N & 73° 1' 43.74" E to 73° 6' 48.269" E) is connected by three rivers viz Gadhi, kalundre and Ulve river. The creek is about 7 km long tributary joining to Belapur creek, characterized by extensive mud flats less rocky stretches and with sparse mangrove vegetation. Major area of the creek is dominated by the marshy areas and mud flats. The mangrove cover around the creek provides tremendous ecological services.

Material and Methods - The sampling for the present study was done during the low tide once every month during March 2016 to Feb 2017. Random sampling was done during the year at different sites along the creek selected on the basis of different anthropogenic activities along the entire coastal area. Gastropods were collected by hand picking method from intertidal regions and shallow coastal waters. Collected specimens were rinsed, adhering debris removed, then transferred to 4% seawater buffered. Formalin and brought to the laboratory. The preserved organisms were enumerated group wise and identified using the book of Indian Shells by Apte (1988) using standard taxonomic keys of (Subrahmanyam et al.1951, 1952)

Result and discussion:

Table 1: List of gastropods recorded at Panvel creek, west coast, India, were from and 11 family 16 genera and 24 speceis as follows

*Veer Wajekar Arts, Science and Commerce College, Mahalan Vibhag, Phunde, Uran Dist. Raigad (Mh.) INDIA

Family	Species
Buccinadae	<i>Engina zea</i> (Melvill) <i>Babylonia spirata</i> (Linnaeus, 1758)
Bursidae	<i>Bursa spinosa</i> (Lamarck 1816)
Bursidae	<i>Bursa tuberculata</i> (Broderip, 1833)
Cerithiidae	<i>Clypeomorus bifasciata</i> (G. B. Sowerby II, 1855) <i>Clypeomorus batillariaeformis</i> (Habe & Kosuge, 1966) <i>Cerithium gennesi</i> (Fischer and Vignal, 1901)
Conidae	<i>Conus mutabilis</i> (Reeve, 1844)
Ficidae	<i>Ficus gracilis</i> (Sowerby, 1825)
Littorinidae	<i>Littoria undulata</i> (Gray, 1839)
Muricidae	<i>Murex adustus</i> (Lamarck, 1799) <i>Murex tribulus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Thais sacellum</i> (Gmelin, 1791)
Neritidae	<i>Nerita oryzaeum</i> (Recluz, 1841) <i>Nerita squumulata</i> (Le Guillous, 1841) <i>Nerita grayana</i> (Recluz, 1843) <i>Nerita albicilla</i> (Linnaeus, 1758) <i>Nerita chamaeleon</i> (Linnaeus, 1758) <i>Nerita crepidularia</i> (Gmelin, 1791) <i>Neritina punctulata</i>
Potamididae	<i>Telescopium telescopium</i> (Linn., 1758) <i>Potamides cingulatus</i> (Gmelin, 1791)
Trochidae	<i>Trochus radiatus</i> (Gmelin, 1791) <i>Euchelus atratus</i> (Gmelin, 1791)

Discussion - The diversity of gastropods molluscs at Panvel creek, Navi Mumbai of west coast of India varies significantly. During the study period gastropod were recorded 11 family 16 genera and 24 species (given in table no 1). The unique characteristics of these marine ecosystems are the shallowness of the selected localities, the relatively high temperature, high oxygen content, low wave energy and the semi-enclosed nature of the habitat. Maximum species diversity of gastropods was recorded during post-monsoon (October to January) and pre-monsoon (February to May). This could be correlated to the stable environment factors such as dissolved oxygen and salinity and decomposition of organic sediments (Raju et al, 2015). Minimum diversity of gastropods recorded during monsoon (June to September). It also understood that in the month of July, the salinity and temperature dropped down which made the condition adverse for the molluscs (Patole, V.M. 2010).

Ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA) by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) in the vicinity of Panvel creek, galloping urbanization, effluent discharges of Taloja MIDC area, dredging of sand and dumping of debris and sewage waters have affected the livelihood of local fishermen and coastal community along with anthropogenic stress on coastal ecosystem of Panvel creek, still Panvel creek harbours varied species diversity of gastropods.

Since no earlier reports are available on species diversity of gastropods from Panvel creek, data presented here will form a baseline data in knowing the impact of

anthropogenic activities on gastropods and for a better management of gastropods.

Conclusion - In the present study, the results showed that the Panvel creek harbors a diverse group of gastropods. It was due to good health of sediments and regular flushing of tides. The study also reveals that gastropods in close proximity to human populations consist of fewer species whereas the community at a site distant from human development shows more diverse assemblage of species. Panvel creek is under considerable stress of anthropogenic inputs. Unplanned development activities, construction of Navi Mumbai International Airport, dredging of sand, discharge of industrial effluents and sewage waters etc. pose a severe threat to Panvel creek ecosystem in future. Need for conservation of biodiversity and sustainable development is recommended.

References :-

1. Boehs Guisla, Theresinha Monterio Absher and Andrea Da Cruz-Kaled. 2004 Composition and distribution of benthic molluscs on intertidal flats of Paranagua Bay (Parana, Brazil). *Scientia Marina* Vol 68 (4):537 – 543.
2. Ganesh Temkar, Azeez Abdul P., S.Y. Metar, V.T. Brahmane, K.M. Sikotaria and K.L. Mathew, 2014. The studies on distribution and community structure of five selected species of marine gastropods along the rocky intertidal area of Veraval, Gujarat, India. *J. Advan. Agric. Sci. Technol.*, 2(5): 84-91.
3. Jaiswar, A. K. and B. G. Kulkarni, (2005). Conservation of Molluscan biodiversity from intertidal area of Mumbai coast. *J. Natcon*, 17(1): 93–105.
4. Kumar S. V. 2008, Conservation of mangroves and wetlands in Thane creek and Ulhas river estuary, India. *Proceeding of TAAL the 12th world lake conference 2008* 1635-1642 153
5. Oehlmann, Jorg and Ulrike Schulte-Oehlmann, 2002. Chapter 17 Molluscs as bioindicators. In B. A. Markert, A. M. Breure, H. G. Zechmeister (eds) *Bioindicators and biomonitors*. Elsevier Science B.V. pp: 577-635.
6. Patole, V.M. 2010. Ecology and biodiversity Mangroves in Mochemad Estuary of Vengurla, South Konkan, Maharashtra. Ph.D. Thesis, University of Mumbai.
7. Raju, C., S. Gowthami and G. Sridharan, 2015. Diversity of molluscs in Vellaiyar estuarine from Vellankanni coast, Nagappattinam District. *Int. J. Res. Zoology*, 5(2): 29-32.
8. Subrahmanyam, T.V., K.R. Karandikar and N.N. Murti, 1951. Marine Gastropods of Bombay, Part I. *Journal of University of Bombay*, 20(1): 21-34.
9. Subrahmanyam, T.V., K.R. Karandikar and N.N. Murti, 1952. Marine Gastropods of Bombay, Part II. *Journal of University of Bombay*, 21(3): 26-73.
10. Venkatraman C and K Venkatraman, 2012 Diversity of molluscan fauna along the Chennai coast. *in Proc. The International day for Biological Diversity*. Uttar Pradesh State Biodiversity Board. pp. 29-35.

उज्जैन शहर में पर्यटन केन्द्रों में प्रदूषण संबंधी समस्याएँ एवं भारतीय होटल उद्योग पर लागू एक सेवा गुणवत्ता मॉडल एक अध्ययन

राजेश कुमार वर्मा * डॉ. आर.बी. गुप्ता *

शोध सारांश – दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का विकास इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि सेवा क्षेत्र किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। स्वस्थ पर्यावरण चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीकृत, पर्यटन के लिए एक आधारभूत संरचना है। परन्तु उन स्थलों पर पर्यटन के प्रारंभ होते ही वे बिगड़ने लगते हैं; क्योंकि पर्यटकों की सुविधा को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत, उत्पादकता और इस क्षेत्र की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इसलिए, सेवा संगठनों में गुणवत्ता सेवा को डिजाइन करना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। पर्यटकों द्वारा फेका गया कूड़ा-करकट, पर्यटकों की भीड़-भाड़, शोर-शराबे से, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आस-पास व्याप्त गन्दगी वाहनों से निकलते विशेले धुं से पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल अपना सौन्दर्य खोते जा रहे हैं। अतः पर्यटन के बढ़ते चरण, भारत के तीसरे श्रेणी के होटलों और विशेष रूप से उज्जैन शहर में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तथा पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी समस्याओं के हास से बचने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।

SERVQUAL मॉडल होटल उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए लागू किया गया है। यह ग्राहकों की अपेक्षाओं और धारणाओं के बीच अंतर की रिपोर्ट करता है। इसमें अधिक विस्तृत विश्लेषण शामिल है जैसे कि सेवा की पेशकश, होटल सुविधाएँ, होटल कारक, आदि जो ग्राहक की पसंद को प्रभावित करते हैं। यह सुधार के लिए संगठन को सुझाव भी प्रदान करता है। अध्ययन के लिए सांख्यिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए, 13SERVQUAL विशेषताओं के 36 प्रश्नों के साथ एक सर्वेक्षण होटल ग्राहक को वितरित किया गया था और अंकगणितीय माध्य (औसत) के आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।

शब्द कुंजी – सेवा की गुणवत्ता, होटल उद्योग, अपेक्षा, पारिस्थितिकी पर्यटन, पर्यटक, प्रदूषण समस्या।

प्रस्तावना – सेवा उद्योग विशिष्ट विशेषताएँ प्रदर्शित करता है जो विनिर्माण उद्योग में साझा नहीं की जाती हैं। कई सेवा संगठन, लाभ कमाने वाले व्यावसायिक उद्यम हैं जैसे होटल, रेस्तरां और खुदरा स्टोर (यांग 2005)। होटल और आतिथ्य उद्योग को अक्सर सेवा क्षेत्र में सबसे 'वैश्विक' माना जाता है (मेस 1995; लिटिलजॉन 1997)। इसलिए, प्रत्येक वर्ष होटलों के डिजाइन और सुधार में पर्याप्त पूंजी का निवेश किया जाता है।

दूसरी ओर, प्रबंधन के लिए एक प्रमुख चुनौती तेजी से प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करना है। इसलिए, आतिथ्य उद्योग और विशेष रूप से होटलों में उच्च सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा देखी गई है। इसका कारण यह है कि अधिकांश होटल वर्तमान में कॉर्पोरेट-आधारित गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, जिन्हें सेवा की पेशकश और बाजार प्रतिधारण में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य में उज्जैन शहर में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के होते हुए भी क्षेत्र में स्थित दर्शनीय स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में वह पहचान नहीं मिल पाई है जो अन्य राज्यों के पर्यटन केन्द्रों को प्राप्त है। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर्यटन को उद्योग की श्रेणी में रखते हुए विकास किया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास की ओर ध्यान कम दिया जा रहा है।

सेवा उद्योग में विशेष रूप से होटल उद्योग में कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम, TQM) अवधारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित बढ़ते साहित्य

के साथ, हाल के वर्षों में सेवा गुणवत्ता में रुचि बढ़ी है। ऐसे कई उत्कृष्ट मामले हैं जिन्होंने इस उद्योग में गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों को लागू किया है। उदाहरण के लिए, रिट्ज-कार्लटन होटल के टीक्यूएम, TQM कार्यक्रम को गुणवत्ता नेतृत्व कार्यक्रम (पार्टलो 1993) के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। इसके कारण इस होटल ने 1992 और 1999 में मैल्कम बाल्डिन्गे राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार जीता। इसके अलावा, शेरेटन होटल ने हाल ही में अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए अपनी अतिथि संतुष्टि प्रणाली शुरू की। पर्यटन केन्द्रों पर प्रदूषणरहित वातावरण उस स्थल को और भी रमणीय बनाता है, परन्तु स्वच्छता के अभाव में पर्यटन स्थल अपना सौन्दर्य खोते जा रहे हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों के आस-पास व्याप्त गंदगी, कूड़ा-करकट, मलबे के ढेर व वाहनों से निकलने वाला धुं आ किसी भी पर्यटक को विचलित करने के लिए पर्याप्त है।

साहित्य की समीक्षा

होटल उद्योग क्या है?

ए एम शीला 'इकोनॉमिक्स ऑफ होटल मैनेजमेंट' नामक पुस्तक की लेखिका, के अनुसार होटल वह स्थान है जहाँ पर्यटक यात्री बनना बंद कर अतिथि बन जाता है। होटल आमतौर पर आवास और सेवाओं की एक पूरी शृंखला प्रदान करता है, जिसमें वाद्य संगीत-रचना, सार्वजनिक भोजन, भोज सुविधाएँ, लाउंज और मनोरंजन सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं। इसे एक उद्योग के रूप में माना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होटल व्यवसायियों के लिए मुनाफा कमाना भी है।


* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

होटल उद्योग में सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि - पिछले दशक से, सेवा क्षेत्र अधिक आर्थिक महत्व का बन गया है। खराब गुणवत्ता के कारण कचरे का उन्मूलन और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना सेवा क्षेत्र में प्रबंधकों के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। यह पेपर उन कारणों को भी प्रस्तुत करता है कि हमें सेवा की गुणवत्ता, होटल उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि के साथ-साथ उनके उपायों को क्यों मापना चाहिए। समय-समय पर, विभिन्न शोधकर्ताओं ने होटल उद्योग में सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि को मापने का तरीका खोजने की कोशिश की। अगली वैज्ञानिक पीढ़ी ने मिसाल के मॉडल में सुधार किया या एक नया आविष्कार किया। इन सबके बीच, होटल उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि और सेवा की गुणवत्ता को मापने के लिए सबसे लोकप्रिय मॉडल SERVQUAL हैं।

सेवा गुणवत्ता मॉडल - SERVQUAL मॉडल लगभग सेवा उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए सबसे लोकप्रिय मॉडल है। मॉडल सेवा की गुणवत्ता के ग्राहक के मूल्यांकन पर आधारित है, जो अपेक्षित और प्राप्त मूल्य की तुलना के साथ-साथ सेवा प्रावधान की प्रक्रिया में अंतराल पर विचार करता है। SERVQUAL स्केल की नींव अंतराल मॉडल थी।

Parsuraman, zeithaml, and berry ने एक सेवा गुणवत्ता मॉडल तैयार किया जो उच्च सेवा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए मुख्य आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। चित्र 1 में दिखाया गया मॉडल उन पांच अंतरालों की पहचान करता है जो असफल वितरण का कारण बनते हैं; (कोटलर, 2003)। नीचे दिया गया चित्र 1 सेवा गुणवत्ता के वैचारिक मॉडल में इन 5 अंतरालों को दर्शाता है।



चित्र 1: सेवा गुणवत्ता का वैचारिक मॉडल (Source :- PZB, 1985)

अंतराल 1: उपभोक्ता अपेक्षा और प्रबंधन धारणा के बीच अंतर यह अंतर तब पैदा होता है जब प्रबंधन सही ढंग से नहीं समझता कि ग्राहक क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए - होटल प्रशासक सोच सकते हैं कि ग्राहक बेहतर भोजन चाहता है, लेकिन ग्राहक डिलीवरी की गति से अधिक चिंतित हो सकता है। इस अंतर के प्रमुख कारक हैं:

1. अपर्याप्त विपणन अनुसंधान
2. दर्शकों की अपेक्षाओं के बारे में खराब व्याख्या की गई जानकारी
3. अनुसंधान मांग गुणवत्ता पर केंद्रित नहीं है
4. फ्रंट लाइन कर्मियों और शीर्ष स्तर के प्रबंधन के बीच बहुत अधिक अंतराल

अंतराल 2: प्रबंधन धारणा और सेवा गुणवत्ता विनिर्देश के बीच अंतर यहां प्रबंधन द्वारा सही ढंग से समझाया जा सकता है कि ग्राहक क्या चाहता है, लेकिन एक प्रदर्शन मानक निर्धारित नहीं कर सकता है। यहां एक उदाहरण यह होगा कि होटल प्रशासक वेटर को 'तेज' अनुरोध का जवाब देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन 'कितनी तेजी से' निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। अंतराल 2 निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:

1. अपर्याप्त नियोजन प्रक्रिया
2. प्रबंधन प्रतिबद्धता का अभाव
3. अस्पष्ट या अस्पष्ट सेवा डिजाइन
4. अनियंत्रित नई सेवा विकास प्रक्रिया

अंतराल 3: सेवा गुणवत्ता विनिर्देश और सेवा वितरण के बीच अंतर यह अंतर सेवा कर्मियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण खराब प्रशिक्षण, अक्षमता या निर्धारित सेवा मानकों को पूरा करने की अनिच्छा है। इस अंतर के संभावित प्रमुख कारण हैं:

1. मानव संसाधन नीतियों में कमियाँ जैसे अप्रभावी भर्ती, भूमिका अस्पष्टता, भूमिका और संघर्ष
2. अप्रभावी आंतरिक विपणन
3. मांग और आपूर्ति से मेल खाने में विफलता
4. उचित ग्राहक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव

अंतराल 4: सेवा वितरण और बाहरी संचार के बीच अंतर कंपनी के प्रतिनिधियों और विज्ञापनों द्वारा दिए गए बयानों से उपभोक्ता अपेक्षाएं अत्यधिक प्रभावित होती हैं। अंतराल तब उत्पन्न होता है जब सेवा के वितरण के समय इन अनुमानित अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए - ब्रोशर पर छपे होटल में साफ और सुसज्जित कमरे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका रखरखाव खराब हो सकता है - इस मामले में ग्राहक की अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं। वास्तविक सेवा और वादा किए गए सेवा के बीच विसंगति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है:

1. बाहरी संचार अभियान में अति-आशाजनक
2. ग्राहकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में विफलता
3. विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफलता

अंतराल 5: अपेक्षित सेवा और अनुभवी सेवा के बीच का अंतर, यह अंतर तब पैदा होता है जब उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता की गलत व्याख्या करता है। प्रबंधक ग्राहक से सेवा के बारे में पूछ सकता है लेकिन ग्राहक इसे एक संकेत के रूप में व्याख्या कर सकता है कि वास्तव में कुछ गलत है।

उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण जनित समस्याओं का अध्ययन करना है, ताकि पर्यावरण एवं पर्यटन में सामंजस्य रखकर उज्जैन शहर के पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों को विकसित किया जा सके। साथ ही उन पांच अंतरालों की पहचान करना है जो असफल वितरण का कारण बनते हैं।

अध्ययन क्षेत्र - उज्जैन मध्यप्रदेश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। बहुत सारे पर्यटक अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान उज्जैन में आराम से रहने के लिए आवास की सुविधा चाहते हैं और यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे विकल्पों के साथ, उज्जैन हर पर्यटक की ज़रूरत को बहुत आसानी से देख रहा है। सभी ज़रूरी सुविधाओं से युक्त उज्जैन के सबसे लोकप्रिय होटलों पर एक नजर...

1. अंजुश्री सराय
2. शिप्रा रेजीडेंसी

3. होटल प्लेजर लैंडमार्क
4. Hotel Muskan Palace
5. होटल समी
6. Vikramaditya Hotel
7. Gujrati Samaj Dharamshala
8. Yatrika Hotel
9. Hotel Mahakal Palace
10. Hotel Mittal Avenue
11. Hotel Surana Palace
12. होटल इम्पीरियल उज्जैन
13. Hotel Shanti Palace

आंकड़ों का स्रोत एवं विधि तंत्र - SERVQUAL एक सेवा गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरण है। SERVQUAL के विकास के बाद से, इसे विभिन्न व्यवसायों या बेहतर व्यावसायिक मॉडल में व्यापक रूप से लागू किया गया है। SERVQUAL सेवा की गुणवत्ता को मापने के लिए सबसे पसंदीदा उपकरण है (सॉबिन्सन, 1999)। परशुरामन एट अल (1988) ने निष्कर्ष निकाला कि उपभोक्ता अपेक्षाओं की तुलना प्रदर्शन से करते हैं और विभिन्न आयामों में सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। सेवा की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ता धारणाओं और अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए SERVQUAL उपकरण में 36 कथन होते हैं। उत्तरदाताओं को दिए गए कथनों के साथ अपने समझौते या असहमति के स्तर को 5-बिंदु लिक्र्ट पैमाने पर रेट करने के लिए कहा जाता है। उपभोक्ताओं की धारणाएं उन्हें प्राप्त होने वाली वास्तविक सेवा पर आधारित होती हैं, जबकि उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं पिछले अनुभवों और प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती हैं। बयान सेवा गुणवत्ता के निर्धारकों या आयामों या कारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक निर्धारण के लिए, SERVQUAL स्केल ग्राहकों की अपेक्षाओं (E) के लिए एक अंक और सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन के ग्राहक धारणाओं (P) के लिए एक स्कोर प्रदान करता है। ग्राहक अपेक्षाएं 'ग्राहक की आवश्यकताएँ या इच्छाएँ' (मिलर, 1977) हैं, जो उन्हें लगता है कि प्रदाताओं को प्रदान करना चाहिए या यह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी हो सकती है। वे सेवा का उपयोग करने से पहले दिखाई देते हैं। जबकि ग्राहकों की धारणाओं को सेवा का उपयोग करने में उनके अनुभव के भीतर और बाद में सीधे मापा जाता है। वे ग्राहकों के मूल्यांकन को प्रकट करते हैं कि उन्हें सेवा से क्या लाभ होता है। परशुरामन और उनके सहयोगियों के अनुसार, दो अंकों के बीच का अंतर सेवा की गुणवत्ता (क्यू) है।

$$क्यू (Q) = पी(P) - ई(E)$$

सेवा की गुणवत्ता को अनुकूलित करने की कुंजी इस सकारात्मक अंतर स्कोर को अधिकतम करना है। इस अंतराल स्कोर के नकारात्मक मूल्य से ग्राहकों के असंतोष का पता चलता है। इस स्कोर की गणना करने के लिए इनपुट ग्राहकों की प्रतिक्रिया है।

प्रश्नावली का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया है जिसमें उज्जैन के सरकारी होटल और निजी होटल में 13 SERVQUAL विशेषताओं पर आधारित 36 प्रश्न थे। PZB, 1985 का संदर्भ लेकर प्रश्नावली का गठन किया गया था, तेरह विशेषताओं की व्यवस्था की गई थी और होटल सेवा वातावरण को देखकर प्रश्न तैयार किए गए थे। पायलट अध्ययन के बाद इस प्रश्नावली को तीन बार संशोधित किया गया था। यह प्रश्नावली होटल में 30 ग्राहकों को वितरित की जाती है।

क्षेत्र के पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों के अध्ययन हेतु आंकड़ों को दो माध्यमों से संगृहीत किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत व्यक्तिगत सर्वेक्षण के द्वारा चयनित उज्जैन पर्यटन केन्द्रों पर प्रश्नावली वसाक्षात्कार के माध्यम से पर्यटकों के कार्यात्मक व्यावहारिक आंकड़े प्राप्त किए गए। वहीं द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत प्रकाशित स्रोतों तथा पर्यावरण व पर्यटन संबंधित पत्रिकाएं, पर्यटन कार्यालय, इंटरनेट आदि से प्राप्त किए गए हैं।

डेटा विश्लेषण - इस अध्याय में एक्सेल शीट एवं SPSS 26 पर डेटा का विश्लेषण किया गया है। यह माध्य, मानक विचलन खोजने में मदद करता है। केस स्टडी में सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणाम भी शामिल हैं जो प्रस्तुत किए गये हैं, एवं चर्चा की गई है और होटलों की एवं पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों परस्वच्छता की कथित गुणवत्ता की तुलना करने के लिए उपयोग किया गया है।


तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 3 : पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों पर प्रदूषण रहित, स्वच्छता से संतुष्ट/ असंतुष्ट पर्यटक प्रतिशत में

प्रतिक्रिया	देशीपर्यटक	विदेशी पर्यटक
संतुष्ट	24	18
असंतुष्ट	76	82

परिणाम और चर्चा - यदि हम तालिका 1 कुल सेवा अंतराल प्रदर्शन के अनुसार सरकार की तुलना करते हैं। होटल की सेवा की गुणवत्ता निजी होटल की तुलना में काफी बेहतर है। सरकारी होटल में सर्विस का कुल अंतराल-0.20845 है और निजी होटल में अंतराल-0.4689 है। सरकारी होटल सहानुभूति, कार्यनिर्वाह क्षमता, पहुंच और खाना, सुविधाएं और मनोरंजन के मामले में ये ऐसे कारक हैं जिन्हें धारणाओं और अपेक्षाओं (P-E) के बीच सकारात्मक अंतर मिला है। निजी होटल के मामले में केवल दो कारक सहानुभूति और विश्वसनीयता को धारणाओं और अपेक्षाओं (P-E) के बीच सकारात्मक अंतर मिला।



हम तालिका 2 पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता का स्तर के लिये क्षेत्र में आए 30 प्रतिशत पर्यटकों के अनुसार लगभग सभी पर्यटन केन्द्रों पर स्वच्छता एवं प्रदूषण जनित समस्याएँ प्रबल थीं। पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र में आयेकेवल 18 6 प्रतिशत देशी (D) व 13 2(F) प्रतिशत विदेशीपर्यटकों के अनुसार पर्यटन केन्द्र पर स्वच्छता का स्तर बेहतर था, जबकी 27 7(D) प्रतिशत देशी व 30 1(F) प्रतिशत विदेशत पर्यटकों के अनुसार स्वच्छताका

स्तर बुरा था।

तालिका 3 : पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों पर प्रदूषण रहित, स्वच्छता से संतुष्ट/ असंतुष्ट पर्यटक, आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में स्वच्छता की दृष्टि से प्रायः सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों में असंतोष व्याप्त है। केन्द्र में आए लगभग 76 प्रतिशत देशी एवं 82 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों में स्वच्छता का अभाव था। पारिस्थितिकी पर्यटन का महत्वपूर्ण पक्ष स्वच्छता है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त प्रदूषण जनित समस्याएँ जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आस-पास व्याप्त गंदगी, मलबा का ढेर, वाहनों से निकले विषैले धुँए, पर्यटकों की भीड़ एवं शोर-गुल व उनके द्वारा फेंका गया कूड़े-करकट से पर्यटन स्थल अपना सौन्दर्य खोते जा रहे हैं।

निष्कर्ष - मेहमानों की अपेक्षाओं और प्रदान की गई वास्तविक सेवा के बारे में उनकी धारणाओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए, होटलों के प्रबंधकों और कर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेहमानों के साथ हर संपर्क का परिणाम मेहमानों के लिए सकारात्मक अनुभव हो। किसी भी योजना से पहले, कंपनी की वर्तमान स्थिति को स्थापित करना आवश्यक है। यह होटल में प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर और गुणवत्ता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस शोध के परिणाम मौजूदा कमियों को ठीक करने के उद्देश्य से सेवा की गुणवत्ता के वर्तमान स्तर और योजना में समर्थन के आकलन में योगदान दे सकते हैं। होटल उद्योग का विकास कुल गुणवत्ता प्रबंधन के आगे स्थायी अनुप्रयोग पर निर्भर करता है, निरंतर गुणवत्ता के लक्ष्य के लिए पूरे संगठन के भीतर लागू दृष्टिकोण सभी संगठनात्मक प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं के लिए उन्नतिदायक हैं।

एक संगठन के भीतर प्रबंधन के दृष्टिकोण को सभी सदस्यों की भागीदारी के आधार पर, दीर्घकालिक सफलता के उद्देश्य से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और संगठन और समाज के सभी सदस्यों के लाभ के लिए गुणवत्ता पर लक्षित किया जाता है।

अत्यधिक पर्यटन किसी भी स्थान के संसाधनों का दोहन तो करता ही है साथ ही ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण भी फैलाता है। शहरीकरण व औद्योगिकरण के पश्चात शहरों व उद्योगों से

निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को प्राकृतिक केन्द्रों तथा- गुफाओं, किलों, नदियों, झीलों, तालाबों, के आस पास निष्कासित किया जाता है। जिससे प्राकृतिक रमणीय स्थल अपना वास्तविक रूप को खोते जा रहे हैं। पर्यटकों द्वारा फेंका गया कूड़ा-करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ, कप, ग्लास, बोटलें आदि से प्राकृतिक केन्द्र अपने सौन्दर्य को खोते जा रहे हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर भी प्रदूषण जनित समस्याएँ सर्वाधिक परिलक्षित हुई हैं। उज्जैन शहर महाकाल, कालभैरव, आदि पर्यटन केन्द्रों में स्वच्छता का अभाव है, क्योंकि मंदिरों व तीर्थ स्थलों के आस-पास श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के चढ़ावे से सर्वाधिक गंदगी होती है। अतः उज्जैन शहर में पारिस्थितिकी पर्यटन में न केवल शिक्षा और सक्रियता का स्तर बढ़ा सकते हैं बल्कि उन्हें संरक्षण के लिए अधिक उत्साही और प्रभावकारी एजेंट भी बना सकते हैं।

सुझाव - अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि होटलों के ग्राहक उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुधार वांछनीय है। होटलों के प्रबंधन को ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करने के लिए कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी।

प्रदेश के पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों में प्रदूषण संबंधित समस्याओं

के निवारण हेतु निम्न सुझाव इस प्रकार हैं -

1. उज्जैन शहर के पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों पर फैली गंदगी को देखते हुए यह आवश्यक है कि पर्यटन स्थलों के पूरे क्षेत्र की सफाई की जाए। पोलिथिन बैग के उपयोग के विरुद्ध नियमों का कड़ाई से पालन हो। पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत मानवों पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाए और वातावरण की शुद्धता के लिए खाली स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाए।
2. प्राकृतिक पर्यटन स्थलों व अभ्यारण्यों के आस-पास वाहन की गति किसी भी प्रकार 35 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक न हो और न ही किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होना चाहिए।
3. प्राकृतिक उद्यान के आस-पास कचरा न फैलाने दें, बल्कि इसके लिए निश्चित जगह या कचरापेटी का इस्तेमाल करें या अपना कचरा अपने साथ तब तक रखें जब तक उसे फेंकने हेतु उचित स्थान न मिले।
4. प्लास्टिक से बनी चीजें यथा - थैली, बोटल, गिलास, कप आदि को प्राकृतिक उद्यान के भीतर ले जायें। प्लास्टिक और ऐसी चीजों का उपयोग न करें जो प्रकृति और जानवरों के लिए नुकसानदायक हो।
5. जलीय जीवन व अभ्यारण्यों में विचरते वन्यजीवों पर न तो पत्थर फेंके और न ही उन्हें खादय सामग्री दें।
6. सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनें और स्थानीय रिवाजों का सम्मान करें। ऐसे कपड़े पहनें जो स्थानीय संस्कृति के अनुरूप हों।
7. ऐतिहासिक इमारतों व धार्मिक भवनों के ऊपर अपना नाम या कोई भी अश्लील शब्द न अंकित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Carman J.M. (1990) सेवा गुणवत्ता की उपभोक्ता धारणाएँ: सेवा के आयामों का एक आकलन, खुदरा बिक्री का जर्नल, 66, (spring), पृ.33-55।
2. Badri, M. A. Abdulla, M. AL-Madani (2005) सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र सेवा गुणवत्ता। गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम 22 एन. 8, पीपी. 819-848
3. दीक्षित के.के. गुप्ता जे.पी, 2003 पर्यटन के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
4. Lindsay, J.J. 1985. Carrying Capacity for Tourism Development in National Parks of the United States, I&E9 (1): 17-20.
5. Kotler (2003) Marketing Management, पियर्सन एजुकेशन, ग्यारहवां संस्करण।
6. K. Ravichandran, B. Tamil mani, S. Arun Kumar (2010) खुदरा बैंकिंग में निजी बैंक की सेवा गुणवत्ता को मापने के लिए SERVQUAL का निहितार्थ, 'आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट', खंड 5. पीपी. 117- 124.
7. M. Sheela (2007) 'इकोनॉमिक्स ऑफ होटल मैनेजमेंट', न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर।
8. Parasuraman, A. Zeithaml and Berry, ;1985 'ए कॉन्सेप्टुअल मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च', जर्नल ऑफ मार्केटिंग, वॉल्यूम 49, नंबर 4, पीपी 41-50।
9. C. N. Krishna Naik (2010) सर्विस मॉडल आंध्रा प्रदेश में खुदरा

इकाई में सेवा से संबंधित है, यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल सर्विस, खंड 16, पीपी. 231-243।
10. Cavana, R.Y. Corbett (2007) यात्री रेल सेवा गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए सहिष्णुता के क्षेत्रों का विकास, गुणवत्ता और विश्वसनीयता

प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 24(1), पीपी. 7- 31।
11. Chi Cui, C. Lewis, B.R. Park (2003) दक्षिण कोरिया में बैंकिंग क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता मापन, बैंक मार्केटिंग के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 21 (4), पीपी. 191-201।

कुल SERVQUAL अंतराल तालिका 1 : कुल सेवा अंतराल

क्र	SERVQUAL गुण	अपेक्षा माध्य	धारणा माध्य सरकारी होटल	धारणा माध्य निजी होटल	SERVQUAL अंतराल Q=P-E (सरकारी होटल)	SERVQUAL अंतराल Q=P-E (निजी होटल)
1	स्थिरता	5.333	5.133	3.966	-0.2	-1.367
2	जवाबदेही	4.516	4.193	4.083	-0.323	-0.433
3	आश्वासन	4.475	3.225	4.108	-1.25	-0.367
4	सहानुभूति	6.916	4.066	7.983	-2.85	1.067
5	मूर्त वस्तुएं	4.144	3.994	3.755	-0.15	-0.389
6	कार्यनिर्वाह-क्षमता	3.766	5.766	3.533	2	-0.233
7	पहुंच	3.466	5.733	3.333	2.267	-0.133
8	सौजन्य	5.133	4.196	3.883	-0.937	-1.25
9	संचार मोड	3.606	3.253	3.326	-0.353	-0.28
10	विश्वसनीयता	4.883	4.166	4.916	-0.717	0.033
11	सुरक्षा	4.858	4.391	3.441	-0.467	-1.417
12	समझ ग्राहक	3.433	3.183	3.166	-0.25	-0.267
13	खाना, सुविधाएं और मनोरंजन	4.686	5.206	3.626	0.52	-1.06
	कुल SERVQUAL अंतराल	4.555	4.3465 3846	4.086 077	-0.20845	-0.4689

उज्जैन शहर : पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता का स्तर

तालिका 2 : पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता का स्तर

स्थल	अच्छा		बुरा		दयनीय	
	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
प्रतिशत में						
रेलवे स्टेशन	35	23	60	65	5	12
बस टर्मिनल	25	13	65	66	10	21
होटल	65	60	35	35		5
रेसटोरेंट	31	20	65	71	4	9
पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल	32	15	55	65	13	20
प्राकृतिक, धार्मिक स्थल	35	27	52	59	13	14

स्रोत: -मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग

उज्जैन शहर : पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्रों पर प्रदूषण रहित, स्वच्छता से संतुष्ट/ असंतुष्ट पर्यटक प्रतिशत में

हिन्दी कम्प्यूटिंग को तेजी आगे बढ़ाता यूनिकोड

प्रो. रफी मोहम्मद शेख *

शोध सारांश - जिस तरह किसी भी देश को आगे बढ़ाने से लेकर उसकी पहचान के लिए उसकी अपनी एक भाषा का होना जरूरी है, उसी तरह कम्प्यूटर में हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हिन्दी भाषा या फॉन्ट का होना जरूरी है। भाषा का उपयोग निश्चित करता है कि उसकी क्या प्रचलन और प्रसिद्धि है, ठीक उसी प्रकार कम्प्यूटर में यूनिकोड का प्रचलन हिन्दी कम्प्यूटिंग को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। टेक्नालॉजी के इस युग में (आस्की-7 और इस्की-8) के अतिरिक्त एक ऐसी मानक कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसकी सहायता से विश्व की सभी भाषाओं में कम्प्यूटर पर सह-अस्तित्व की भावना से काम किया जा सके। इसी कारण यूनिकोड (16 बिट) का विकास हुआ। यूनिकोड में भारतीय भाषाओं को इस्की-8 के आधार पर ही एन्कोड किया जाता है। वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, लाइनेक्स, ओरेकल, यूनिसिस, एप्पल, बैल लैक्स, कॉम्पैक आदि विश्व की लगभग सभी कंपनियों विश्व की सभी लिखित भाषाओं के लिए यूनिकोड (नामक विश्वव्यापी कोडिंग प्रणाली) का उपयोग कर रही हैं। विश्व में यूनिकोड सर्वमान्य मानक के रूप में स्थापित हो रहा है। विंडोज 2000 या उससे ऊपर वर्जन वाले सभी पीसी यूनिकोड को सहायता करते हैं। यूनिकोड उनमें इनबिल्ट है। मोबाइल में इसके प्रयोग और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण यूनिकोड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आजकल अधिकांश वेबसाइट यूनिकोड फॉन्ट को ही सपोर्ट करती हैं और उनकी सामग्री भी यूनिकोड में होती है, जिसे किसी भी कम्प्यूटर या मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड, अपलोड किया जा सकता है।

शब्द कुंजी - हिन्दी कम्प्यूटिंग, हिन्दी भाषा, हिन्दी फॉन्ट, यूनिकोड, बिट, एन्कोड।

प्रस्तावना - यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नम्बर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो। कम्प्यूटर मूल रूप से नंबरों से संबंध रखते हैं। ये प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले, ऐसे नंबर देने के लिए कई विभिन्न संकेत लिपि प्रणालियां थीं। किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं हो सकते हैं। किसी भी कम्प्यूटर (विशेष रूप से सर्वर) को विभिन्न संकेत लिपियों संभालनी पड़ती हैं। फिर भी जब दो विभिन्न संकेत लिपियों या प्लेटफार्म के बीच डाटा भेजा जाता है तो उस डाटा के हमेशा खराब होने का जोखिम रहता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड को एप्पल, एचपी, आईबीएम, जस्ट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैप, सन, साईबिस, यूनिसिस जैसी उद्योग की प्रमुख कंपनियों और कई अन्य ने अपनाया है। यूनिकोड की आवश्यकता आधुनिक मानकों जैसे एक्सएमएल, जावा, एकमा स्क्रिप्ट (जावा स्क्रिप्ट), एलडीएपी, कोर्बा 3.0, डब्ल्यूएमएल के लिए होती है और यह आईएसओ-आईईसी 10646 को लागू करने का आधिकारिक तरीका है। यह कई संचालन प्रणालियों, सभी आधुनिक ब्राउजर्स और कई अन्य उत्पादों में होता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड की उत्पत्ति और इसके सहायक उपकरणों की उपलब्धता हाल ही के अति महत्वपूर्ण विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में से है। यूनिकोड को ग्राहक-सर्वर अथवा बहुआयामी उपकरणों और वेबसाइटों में शामिल करने से परंपरागत उपकरणों के प्रयोग की अपेक्षा खर्च में अत्यधिक बचत होती है। यूनिकोड एक ऐसा अकेला सॉफ्टवेयर उत्पाद अथवा वेबसाइट है, जिसे सी-इंजीनियरिंग किए बिना विभिन्न प्लेटफार्म, भाषाओं और देशों में उपयोग किया जा सकता है। इससे डाटा को बिना किसी बाधा के विभिन्न प्रणालियों से होकर ले जाया जा सकता है।

विषय विश्लेषण - कुछ समय पूर्व तक कम्प्यूटर की भाषा अंग्रेजी मानी जाती थी। इसका मुख्य कारण था कम्प्यूटर का विकास उन देशों में होना, जिनकी भाषा रोमनलिपि पर आधारित थी। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अंग्रेजी भाषा कम्प्यूटर के लिए आदर्श भाषा है। कम्प्यूटर की भाषा (0 और 1) दो संकेतों की गणितीय भाषा है। जिस प्रकार रोमन लिपि पर आधारित भाषाओं को कम्प्यूटर के लिए विकसित किया गया। इसे नाम दिया गया आस्की-7 (आस्की अर्थात् अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज) कोडिंग प्रणाली। ठीक इसी प्रकार हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए आईआईटी कानपुर ने इस्की-8 (इस्की अर्थात् इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज) कोडिंग प्रणाली की परिकल्पना की। इसे विकसित करते समय आईआईटी के वैज्ञानिकों ने भारतीय भाषाओं के लिए निर्धारित की जाने वाली कोडिंग प्रणाली में रोमन लिपि के समावेश की भी सुविधा और रोमन लिपि के लिए विकसित क्लेटी कुंजीपटल (की-बोर्ड) में ही हिन्दी और भारतीय भाषाओं में टाइप करने की सुविधा का खास ख्याल रखा। ताकि, भारतीय भाषाओं और रोमन में लिखी जाने वाली भाषाओं में सह अस्तित्व की भावना विकसित हो सके और हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ काम किया जा सके। लेकिन विडम्बना यह थी कि इस्की-8 के बावजूद अधिकांश उपयोगकर्ता कम्प्यूटर पर हिन्दी में केवल टाइप ही कर पाते थे और पॉवर पॉइंट, एक्सेल व एक्सेस आदि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन्स का उपयोग नहीं कर पाते थे।

वैश्वीकरण के इस युग में (आस्की-7 और इस्की-8) के अतिरिक्त एक ऐसी मानक कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसकी सहायता से विश्व की सभी भाषाओं में कम्प्यूटर पर सह-अस्तित्व की भावना से काम किया जा सके। इसी कारण यूनिकोड (16 बिट) का विकास हुआ।

यूनिकोड में भारतीय भाषाओं को इस्की-8 के आधार पर ही एन्कोड किया जाता है। वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, लाइनेक्स, ओरेकल, यूनिसेस, एप्पल, बैल लैक्स, कॉम्पैक आदि विश्व की लगभग सभी कंपनियों विश्व की सभी लिखित भाषाओं के लिए यूनिकोड (नामक विश्वव्यापी कोडिंग प्रणाली) का उपयोग कर रही हैं। विश्व में यूनिकोड सर्वमान्य मानक के रूप में स्थापित हो रहा है। विंडोज 2000 या उससे ऊपर वर्जन वाले सभी पीसी यूनिकोड को सहायता करते हैं। यूनिकोड उनमें इनबिल्ट है। अलग से उसकी सीडी खरीदने या उसे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। न ही हिन्दी फॉन्ट का कोई और सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत होती है।

सरकारी और अन्य वेबसाइट में प्रयोग – यूनिकोड का महत्व बताते हुए 14 सितंबर 2006 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने हिन्दी दिवस के अवसर पर कहा था कि विश्वभर में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए अनिवार्य है कि इंटरनेट पर हिन्दी साहित्य को यूनिकोड में उपलब्ध करवाया जाए। यूनिकोड सपोर्ट करने वाले कम्प्यूटर के आ जाने से इंटरनेट के उपयोगकर्ता हिन्दी में निर्मित वेबसाइट की सामग्री को बिना फॉन्ट डाउनलोड किए पढ़ सकते हैं और उस सामग्री को सहेज भी सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट यूनिकोड आधारित फॉन्ट में बनाई है और इसे न केवल भारत बल्कि विश्वभर में सराहना मिली है। आजकल भारत सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट यूनिकोड आधारित फॉन्ट में ही निर्मित की जा रही है। इससे हिन्दी में खोज, मेल और चौट करना आसान हो गया है। जैसे-जैसे इस दिशा में जागरूकता बढ़ रही है, हिन्दी की वेबसाइटों को यूनिकोड में परिवर्तित किया जा रहा है। उदाहरणार्थ – बीबीसी हिन्दी, वॉइस ऑफ अमेरिका, यूनिकोड, पीटीआई (हिन्दी), नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण आदि की वेबसाइट यूनिकोड में परिवर्तित हो गई हैं। वागर्थ, गीता प्रेस गोरखपुर, विकिपीडिया आदि की वेबसाइट तो यूनिकोड आधारित फॉन्ट में ही निर्मित की गई हैं। विश्व के किसी भी कोने में बैठकर अब हम बिना कोई फॉन्ट डाउनलोड किए इन वेब पोर्टल या वेबसाइट की सामग्री पढ़ सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट – इसके अतिरिक्त विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण और विकास करने वाली बहुचर्चित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जब यह सोचा कि विश्व में दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा हिन्दी को व्यापारिक हितों की दृष्टि से अधिक समय तक उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अतः उसने 1998 में वर्ड 2000 के दक्षिण पूर्वशिया संस्करण में हिन्दी को सीमित स्थान दिया। हालांकि, इसके पीछे उनका व्यावसायिक हित था, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर अधिक नहीं गया। इस समय तक भारत की अनेक कंपनियां हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के न जाने कितने फॉन्ट बना चुकी थीं, लेकिन सबकी सीमा थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने शीघ्र ही ऑफिस एक्सपी का लोकार्पण किया। इससे कम्प्यूटर जगत में हलचल मच गई। पहली बार ऑफिस एक्सपी के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हिन्दी का समावेश किया गया था। इससे अंग्रेजी न जानने वाले उपयोगकर्ता कम्प्यूटर पर अपने सभी कार्य हिन्दी में कर सकते थे। यहां तक कि अपनी फाइलों के नाम भी हिन्दी में ही रख सकते थे। इसके बाद के विंडोज 7, विंडोज 10 जैसे संस्करणों में भी हिन्दी को उचित स्थान मिला है। हालांकि जटिल तकनीकी शब्दों के कारण इनका प्रयोग कठिन है, इस कारण इनका उपयोग बहुतायत से नहीं हो रहा है।

कम्प्यूटिंग में आसानी – ऑटो करेक्ट और शब्दकोश ऑफिस हिन्दी की महत्वपूर्ण विशेषता है। अंग्रेजी की तरह हिन्दी में भी जिन शब्दों की वर्तनी

अशुद्ध होती है, वे रेखांकित हो जाते हैं और ऑटो करेक्ट उन्हें शुद्ध कर देता है। ऑफिस हिन्दी में हिन्दी शब्दकोश भी है। शब्दकोश के आ जाने से माऊस के राउट क्लिक करके हिन्दी के किसी भी शब्द के पर्याय, विलोम और उससे सम्बद्ध शब्दों को देखा जा सकता है। हिन्दी में कोश निर्माण और पुस्तकालय-सूची के लिए वर्ड, एक्सेस और एक्सेल के माध्यम से अकारादि क्रम से अनुक्रमणिका तैयार करने का कार्य किया जा सकता है। फाईंड एंड रिप्लेस के माध्यम से हिन्दी के किसी भी शब्द या वाक्य को खोजा जा सकता है और पूरे पाठ को एक साथ बदला भी जा सकता है।

यूनिकोड के आ जाने से डीटीपी की एक विशेष सुविधा वर्ड आर्ट अब हिन्दी में भी उपलब्ध हो गई है। गोपनीय दस्तावेजों में अब हम हिन्दी में जलचिह्न (वॉटर मार्क) का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑफिस हिन्दी की सफलता के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज हिन्दी का भी लोकार्पण कर दिया है। इसमें विंडोज का सारा इंटरफेस हिन्दी में रूपांतरित हो गया है। आप मेन्, सबमेन्, सहायता आदि सबकुछ हिन्दी में देख सकते हैं। कम्प्यूटर पर यूनिकोड सपोर्ट से ऑफिस हिन्दी और विंडोज हिन्दी आ जाने से कम्प्यूटर एवं इंटरनेट पर उपयोग की दृष्टि से हिन्दी विश्व की उन्नत भाषाओं के समकक्ष आ गई है। इसकी सहायता से अब कम्प्यूटर पर अंग्रेजी की ही तरह कोई भी काम हिन्दी में किया जा सकता है और वेबसाइट में खोज-जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी हिन्दी में सहजता से उपलब्ध हो गई हैं।

इंटरनेट पर भी है आसानी – यूनिकोड के कारण ब्लॉग और ट्विटर पर लिखना भी आसान हो गया है, लेकिन यूनिकोड की एक सीमा है- यह विंडोज 98 या उससे पहले के वर्जन को सपोर्ट (सहायता) नहीं करती। इसके लिए विंडोज 2000 या उससे ऊपर का कोई सिस्टम चाहिए। दूसरा, यदि आप यूनिकोड आधारित फॉन्ट की सहायता से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपकी सामग्री किसी दूसरे फॉन्ट में है, तो आपको पहले उसे यूनिकोड में परिवर्तित करना होगा।

इसके लिए आप भारत सरकार द्वारा विकसित परिवर्तन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित टीबीआईएल कन्वर्टर की सहायता ले सकते हैं। यह निःशुल्क उपलब्ध है। भारत सरकार ने सी-डैक के सहयोग से यूनिकोड आधारित ओपन टाइप में अनेक यूनिकोड-आधारित फॉन्ट जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिए हैं।

यूनिकोड की विशेषताएं :

1. यह विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों (अक्षरों, मात्राओं आदि) के लिए एक अलग कोड बिन्दु प्रदान करता है।
2. जहां भी सम्भव होता है, यूनिकोड भाषाओं का एकीकरण करने का प्रयत्न करता है।
3. इसमें बाएं-से-दाएं लिखी जाने वाली लिपियों के अतिरिक्त दायें-से-बायें लिखी जाने वाली लिपियों (अरबी, हिब्रू आदि) को भी शामिल किया गया है।
4. यूनिकोड स्टैंडर्ड एक 16 बिट का एक कोडिंग मानक है, जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषी सॉफ्टवेयर के विकास हेतु किया जाता है।
5. यूनिकोड मानक एक सार्वभौमिक अक्षर एनकोडिंग मानक है, जिसका प्रयोग कम्प्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के निरूपण में किया जाता है।
6. यूनिकोड मानक दुनिया की लिखित भाषाओं के लिए सभी प्रयुक्त अक्षरों की एनकोडिंग की क्षमता प्रदान करता है।

7. यूनिकोड फॉन्ट्स एक प्लेटफार्म पर आधारित होते हैं। विन्डोज 95/98/2000/एक्सपी-2003/विन्डोज 2007 या लिनक्स अथवा अन्य किसी भी प्लेटफार्म जिसमें मोबाइल फोन भी सम्मिलित हैं, पर बिना किसी कठिनाई के प्रयुक्त किए जा सकते हैं।
8. यूनिकोड फॉन्ट्स से हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में ई-मेल भेजना एवं इंटरनेट पर सामग्री खोज की जा सकती है। सभी वेबबेस्ड सर्च इंजन एवं अन्य कार्यों में यह प्रभावी रूप से तथा सरलता से प्रयुक्त होता है।

यूनिकोड के लाभ :

1. एक ही दस्तावेज में अनेकों भाषाओं के टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं।
2. टेक्स्ट को एक निश्चित तरीके से संस्कारित करने की आवश्यकता होती है, जिससे विकास खर्च एवं अन्य व्यय कम हो जाते हैं।
3. किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जाता है। क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।
4. किसी भी भाषा का टेक्स्ट पूरे संसार में बिना गारबेज देखा जा सकता है।

निष्कर्ष - यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नम्बर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो। कम्प्यूटर, मूल रूप से, नंबरों से सम्बंध रखते हैं। ये प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले, ऐसे नंबर देने के लिए सैंकड़ों विभिन्न संकेत लिपि प्रणालियां थीं। किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं हो सकते हैं। अंग्रेजी जैसी भाषा के लिए भी, सभी अक्षरों, विरामचिह्नों और

सामान्य प्रयोग के तकनीकी प्रतीकों हेतु एक ही संकेत लिपि पर्याप्त नहीं थी। यूनिकोड के प्रयोग और विन्डोज जैसे प्लेटफार्म द्वारा इसे मान्यता देने से इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। मोबाइल में हिन्दी के प्रयोग में भी यूनिकोड ने तेजी से स्थान बनाया है। इससे यह काफी प्रचलित भी हो रही है। निश्चित ही जल्दी ही यूनिकोड हिन्दी कम्प्यूटिंग की भाषा बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान नहीं प्रचलन की एकरूपता आएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bureau of Indian Standards (1991) Manak Bhavan, 9 BahadurShah Zafar Marg] New Delhi PIN 110002, India-IndianScript Code for Information Interchange & ISCII
2. हिन्दी यूनिकोड का प्रयोग और विश्लेषण, लेख
3. मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन फॉर इन्फर्मेशन एक्सचेंज
4. Inclusion of Unicode Standard seamless characters to expand Arabic text steganography for secure individual uses
5. A Review of Text Watermarking: Theory Methods and Applications
6. IEEE Access, 6 (2018) pp- 8011 & 8028
7. Wikipedia: Hindi script in Unicode-
8. <https://hi-wikipedia-org/>
9. https://www-cdac-in/index-asp\xid:20pdf_ annual r74eport11&12
10. सारंगी, आशा (2009), लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में वर्ष 2003 के चुनावी मुद्दे एवं विकास

बीना राणावत *

प्रस्तावना - विकास एक सतत प्रक्रिया है जो इस विश्व की उत्पत्ति के समय से ही निरन्तर चल रही है। विकास के कई आयाम होते हैं। विकास प्रत्येक राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता है। किसी राष्ट्र के मामले में विकास मात्र आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को ही नहीं माना जाता है बल्कि इसके आर्थिक-सामाजिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के सभी घटकों एवं सभी आयामों में विकास हो। इसी प्रकार राष्ट्र के विकास में सामाजिक विकास भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अतः यह आवश्यक है कि देश के सतत विकास के लिए समाज के सभी घटकों, यथा- शोषित, कमजोर व निम्न वर्ग, महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध आदि का भी विकास हो। इस क्रम में देश ने स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयास किये हैं जोकि इनकी उन्नति के कारण बने हैं। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास एवं कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं विशेषतः मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस प्रकार के प्रावधान हैं।

किसी लोकतन्त्र की यह सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें सरकारें किसी निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती हैं और उसके बाद उन्हें जनता के समक्ष वापस जनमत हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। जनमत हासिल करने में विकास से सम्बंधित मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार तथा प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र के अनुसार कुछ विकास के मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हैं तथा चुनाव जितने के बाद उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं ताकि अगली बार जनता के समक्ष जवाब दे सकें। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी प्रत्येक चुनाव में इसी प्रकार के मुद्दों का शामिल किये जाते हैं। वर्ष 2003 में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से निम्नलिखित विधायक रहे हैं-

1. चित्तौड़गढ़- श्री नरपत सिंह राजवी
2. बेगु- श्री चुन्नीलाल धाकड़
3. निम्बाहेड़ा- श्री अशोक नवलखा
4. गंगरार- श्री अर्जुन लाल जिनगर
5. कपासन- श्री बद्धीलाल जाट
6. बड़ी सादड़ी- श्री प्रकाश चौधरी
7. प्रतापगढ़- श्री नंदलाल मीणा

विकास के मुद्दे

1. **मूलभूत सुविधाएँ** - शहर और जिले में विकास कार्यों की मांग वर्षों पुरानी है। इनके संबंध में कई प्रस्ताव भी तैयार हुए, लेकिन कुछ ही विकास कार्य हुए हैं। उनकी प्रगति रिपोर्ट को अधिक संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। नागरिक अब भी मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों के

प्रति आशान्वित हैं।

जिले की सीमाएं राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों तथा मध्यप्रदेश से मिलती हैं। जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र और विकासखंड को अपनी मौलिक जरूरत और विकास की उम्मीद है। सर्वाधिक उम्मीद जिला मुख्यालय पर शहर में है। नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति दावे किए जाते हैं। इनके संबंध में प्रस्ताव तैयार कराए जाते हैं, लेकिन अधिकांश अब भी अधूरे और कागजों तक ही सीमित हैं। इस बार फिर से नागरिकों के मन में उम्मीद जागी है कि शहर और जिले के विकास की उनकी उम्मीदों को गति मिलेगी। वे योजनाएं आकार लेंगी जिन पर शहर और जिले का विकास आश्रित है। वर्तमान शहर में तकनीकी शिक्षा, रेलवे ओवरब्रिज, औद्योगिक क्षेत्र, खेल सुविधाओं सहित अन्य योजनाओं व सुविधाओं के विस्तार की दरकार है।

2. **चंबल का पानी लाने की मांग** - जिले और शहर में चंबल के पानी को लाने की मांग करीब पांच से छह साल से उठ रही है। जिले के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से चंबल का पानी लाने की योजना बनी भी है, लेकिन इस पर मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत और पूर्णता में काफी समय लगेगा। इसलिए सालों पुरानी यह मांग अब भी बनी हुई है।

3. **हवाई पट्टी का विकास और सेवाएं** - जिला पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान और विश्व मानचित्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिससे यहाँ परिवहन के साधनों के विकास की महती आवश्यकता रहती है इसी सन्दर्भ में समय के साथ कई बार हवाई पट्टी के विकास के दावे किए गए हैं। यहां से छोटे आकार के विमानों के संचालन करने की योजना पर भी बात हुई, लेकिन न तो हवाई पट्टी का विकास हुआ और न ही हवाई सेवाओं की सांकेतिक शुरुआत हुई। जनता के मन में उम्मीद अब भी है।

4. **जरूरत रेलवे ओवरब्रिज की, कोशिश अंडरब्रिज के लिए** - शहर के उपनगर को जोड़ने के लिए जरूरत रेलवे ओवरब्रिज की है, लेकिन नागरिकों की समस्या के स्थायी समाधान की बजाय नगर पालिका ने शॉर्टकट निकाला। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रयास करने की बजाय रेलवे अंडरब्रिज का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसकी लागत की राशि दो करोड़ 62 लाख 91 हजार रुपए रेलवे को अदा भी कर दी, लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत बेहद धीमी दिखाई दे रही है।

5. **औद्योगिक क्षेत्र की मांग** - जिला मुख्यालय के आसपास रोजगार के विकास के लिए और जिले का आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास अतिआवश्यक है। जिले में यद्यपि समय-समय पर कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है परन्तु अभी भी कई और स्थानों

पर भी इनके विकास की सम्भावनाएँ और आवश्यकता है। सांसद महोदय के सहयोग के जरिए करीब 85 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। तीन सेक्टर में यह कार्य लगभग अंतिम दौर में है। आगामी कुछ समय में औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन कर दिया जाएगा। इससे उद्योगों की स्थापना के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

6. बायपास और रिंग रोड की जरूरत - शहर की आबादी करीब 3 लाख से अधिक हो चुकी है। जिला मुख्यालय होने के बावजूद शहर में एक भी बायपास और रिंग रोड नहीं है। इसके कारण शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही की समस्या बनी हुई है। आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले भारी वाहनों के लिए बायपास बनाने का प्रस्ताव जरूर बनाया गया है, लेकिन बायपास अब तक नदारद है। शहर के चारों ओर रिंग रोड की कल्पना भी नहीं की गई है जबकि यह भविष्य की मांग है जिसे आज नहीं तो कल पूरा करना ही पड़ेगा।

7. खेल सुविधाओं का अभाव - शहर में खेल मैदान के नाम पर कोई स्टेडियम या खेल मैदान नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने खेल के मैदान जरूर है पर उनका विकास ही नहीं किया गया है। इनके अतिरिक्त कोई खेल मैदान नहीं है। नतीजतन दशहरा मैदान में अधिकांश खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। खेल मैदान के विकास के दावे भी सिर्फ कागजों तक सीमित है। जबकि जिला मुख्यालय पर तो एक सर्वसुविधा युक्त आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ सम्पन्न करवायी जा सकें। इसके अतिरिक्त जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रतापगढ़ बड़ा उपनगर है वहाँ भी इस प्रकार के मैदान की आवश्यकता है तथा अन्य छोटे नगरों में भी ऐसे मैदान होने चाहिए जो खेल प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त मेला, प्रदर्शनी, रेली, कथा-प्रवचन आदि के काम आ सके और बहुउपयोगी हों।

विकास की वस्तुस्थिति : नागरिकों का पक्ष

1. मांग बहुत, पूरी कोई नहीं - शहर में विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगें कई हैं, लेकिन पूरी अब तक कोई भी नहीं हुई। चंबल के पानी के लिए जिले से करीब पांच-छह साल से आवाज उठा रहे हैं। जिले के बाद में आवाज उठने के बाद भी भीलवाड़ा एवं अन्य जिलों में चंबल का पानी पहुंचाने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं, लेकिन जिला खाली हाथ हैं। खेल प्रशाल, बायपास सहित कई मुद्दे आज भी बने हुए हैं। यदि ये मुद्दे साकार रूप लेते हैं तो विकास की उम्मीद पूरी हो सकती है।

2. विकास में लगता है समय - शहर और जिले में विकास कार्यों की दिशा में कोशिशें हुई, लेकिन हर कोशिश को सफल होने में समय लगता है। वर्तमान में भी शहर और जिले में कई योजनाओं और कार्यों की शुरुआत हुई है। तय समय सीमा के साथ कुछ और समय मिलना चाहिए ताकि इन कार्यों

को पूरा किया जा सके। विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सके। जनप्रतिनिधियों की कोशिशों को नकारने की बजाय उन्हें साकार करने के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए।

3. तकनीकी शिक्षा का विकास हो - जिले में तकनीकी शिक्षा के विकास की जरूरत है। दूसरे शहरों को देखें तो वहां पॉलीटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दिखाई देते हैं। शिक्षा के प्रति एक बेहतर माहौल दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ जिले में सिर्फ डिग्री कॉलेज है, लेकिन तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं बेहद कम है। आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज है, लेकिन जिले में इंजीनियरिंग और अन्य तरह के तकनीकी कॉलेज को खोलने की जरूरत है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वास्तव में विधायिका के जन प्रतिनिधि उस स्तर पर है जहाँ लोकतंत्र को साकार रूप दिया जा है। इसी स्तर पर लोग सरकार के कार्यकरण को समझते हैं और सरकार के प्रत्येक कार्य में भागीदारी करते हैं। विधान सभा में जनप्रतिनिधियों ने विगत वर्षों में स्थानीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान कर जनता को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास किया है। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, विकास कार्यक्रमों का संचालन, सामाजिक समानता व न्याय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की कहानी स्वयं ही कहता है। यह स्तर बड़े से बड़े विकास कार्यक्रम से लेकर छोटी से छोटी परियोजना को लागू करने पर ध्यान देते हैं तथा यही वह स्तर है जहाँ जनसहभागिता सर्वाधिक स्तर पर होती है। परन्तु चूकि चुनाव के समय विकास के मुद्दे जनता को लुभाने के लिए होते हैं तो प्रत्येक मुद्दे को जोड़ लिया जाता है चाहे वह सम्भव हो या ना हो परन्तु जब जनप्रतिनिधि धरातल स्तर पर इनके लिए प्रयास करते हैं तब पाते हैं कि ये या तो सम्भव ही नहीं है या लम्बे समय में पूरी होने वाली हैं जो कि जनता में असन्तोष पैदा करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **चित्तौड़गढ़ मास्टर प्लान 2001-2025**, नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. **आम चुनाव 2003 रिपोर्ट**, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार।
3. **मांग बहुत, पूरी कोई नहीं**, राजस्थान पत्रिका, दिसम्बर 2005
4. निष्पादन बजट 2003-2004, राजस्थान सरकार।
5. राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम, 1962
6. अधिसूचना क्रमांक 81, 2003, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।

Brand Awareness and Brand Preference of Selected FMCG Companies in Rural Area of Indore District

Dr. Sonal Gupta *

Abstract - Consumers' knowledge with the product's life and availability is measured by brand awareness. It is calculated as a percentage of the specialized market that has prior knowledge of the brand. Both brand recognition and brand recall is included in brand awareness. When customers are asked questions about a brand or when they interact with it, they must be able to recognize prior knowledge of that brand. While brand recall refers to a customer's ability to recall a brand from memory when presented with the product class/category, demands met by that category, or a buying scenario as a signal. In other words, it means that customers should be able to recall a certain brand from memory when a clue is supplied, or when a product category is stated. It's far easier to recognize a brand than it is to recall it from memory. In terms of preparing future marketing plans and learning about the best and most effective marketing tactics now available, a study of this sort could be valuable to both enterprises and other businesses operating in rural areas. This study was exploratory-cum-descriptive in nature mainly depended upon the primary source of information, which was collected with the help of structured questionnaire.

Keywords- Brand Awareness, Rural Market, FMCG, Brand Preference.

Introduction - Lower per capita disposable incomes, a huge number of daily wage employees, reliance on monsoon, seasonal consumption, inadequate road communication, power problems, and inaccessibility to traditional advertising media hamper the appealing and unexplored rural market. India's 627,000 villages cover 3.2 million square kilometers. Around 110 million Indians reside in rural areas, and the number is growing. Hence, operations costs increase and sometimes it is even higher than that in urban markets. As a result, operating costs rise, sometimes even exceeding those in metropolitan markets. As a result, corporations are finding it more difficult to safeguard their profit margins. In order to tap the rural market, businesses must employ effective marketing methods. A study of this nature could be beneficial to both companies and FMCG companies in building future marketing strategies for rural areas.

Literature Review:

In this article, Sukat (2009) discusses "In the Thai-area, a prototype of male customer behaviour in purchasing skin health management items" suggested male customer behaviour". Bhagwat & Bhagwat (2011) "focuses on providing the most up-to-date forms and innovations to rural consumers, as well as demonstrating ways to improve their level of living. In his study, Muthuvelayutham (2012) found that among the variables, age, qualification, and sex have the greatest impact on customer brand loyalty. Ranu and Rishu (2012) looked into the role of ingredient branding in creating a cost-effective separation advantage for FMCG companies. The study's findings revealed that meticulous

planning is required before entering into a relationship in order to maximize the profitability of any ingredient branding strategy. Aside from the costs of structuring and sustaining the union, as well as the opportunity cost for the collaborating firm, the buyer's quality affectability and ability to analyze quality must also be considered. Before forming a partnership, companies considering an ingredient branding strategy should examine the client's reaction to each brand. The perceived fit of the things, as well as the brands, must be understood, as well as the extent of client engagement with each brand. This will assist promoters in developing an effective Ingredient branding strategy that expands on the attributes of the product. Jayswal and Shah (2012) investigated the impact of some selected FMCG item TV advertisements with commonly used negative animation offers on Indian housewives' cognitive message behaviour style. According to the findings of a study that looked at the influence of numerous advertising with negative cognitive messages, fostering imaginative perspective was deemed the most important, and it was really said that. The findings of the study show that requesting a negative cognitive message makes the cognitive reaction positive, which helps to establish a positive attitude, and so increases the client expectation to purchase the brand. The impact of different advertising themes on individual observation is different.

Rationale of the Study: Marketing's essential function in the business originates from the fact that it is the process by which a company creates value for its selected customer. Meeting client demands creates value. As a result, the

corporation must define itself not by the product it sells, but by the benefit it provides to its customers. First and foremost, researchers, academicians, and prospect researchers would benefit from the study of this topic. If these parties refer this research study to others in the future, they may benefit from the findings and recommendations. Benefits are available to academics, practicing managers, and research students for academic purposes and on the job. The tips for improving sales may be implemented by FMCG companies in order to meet sales targets. For the above-mentioned parties, the advantages would be multifaceted.

Research Question:

1. What is the level of Brand Awareness of ITC and HUL products in rural areas of Indore District?
2. What is the level of Brand Preference of ITC and HUL products in rural areas of Indore District?
3. What are the reasons selecting a particular product?

Research Objectives:

1. To study the level of Brand Awareness of ITC and HUL products in rural areas of Indore District.
2. To study level of Brand Preference of ITC and HUL products in rural areas of Indore District

Research Hypothesis:

H₀₁: There is no significant association between discount on the product and Purchasing Decision of Consumer in rural area

H₀₂: There is no significant association between Packaging and buying decision in rural areas.

H₀₃: There is no significant association between Satisfaction with the product attributes and purchasing decision of consumer in rural area.

H₀₄: There is no significant association between Satisfaction with the promotion attributes and purchasing decision of consumer in rural area.

Research Methodology: The research is descriptive as well as exploratory in nature. The study attempted to define rural brand awareness and brand preference concepts such as distribution channels, price, and promotional techniques. In terms of sample technique, the researcher has used Convenience sampling to acquire Primary Data. The samples were chosen using a multistage (stratified) sampling method. Sampling has been done in two stages and each stage is described in detail. The study area covered 49 villages from three (Depalpur, Indore and Mhow) selected tehsils of Indore districts in Madhya Pradesh.

The respondents were also selected from the selected villages of the Indore district. A survey method was used to collect the data required to carry out the research efficiently and effectively. This survey was based on responses from over 300 people in the Indore district. A pilot study was conducted with 10 management faculty, 20 literary villagers, and 2 managers of FMCG firms to check that the questionnaire was administered correctly and that the results were accurate. This gave us direction to change the questions and explanations of technical terms.

The primary data was collected through the use of a structured questionnaire. The questionnaire was reviewed by ten people and changes suggested by them are incorporated in the questionnaire. The secondary data was also collected from various sources like published articles, research papers, business magazines, journals, periodicals and Internet. Total targeted population was 500 (response sheets received 323 and selected 300 on judgment basis), as 23 of them were found incomplete or facts appeared to be filled up casually with irrelevant information, hence not considered. Chi-Square test is applied to test the hypothesis.

Findings: Most of the respondents were between the ages of 36-45 years old (i.e. 57.1 percent), which could imply quality response because of the maturity, especially if we add-up the respondents between ages 46-55 years old (08.4 percent). Graduate respondents constitute 58.40 percent of the total respondents while Illiterate has 20. In addition, 96.5 percent of the respondents are male and mostly literate and between the ages of 36-45 years. Similarly, most of the respondents were farmer by occupation, which denotes 89.44 percent. Most of the respondents having the monthly income was below Rs.20,000 It is also important to state that the respondents are spread across 49 villages of Indore district.

Brand Awareness in Rural Market:

(Table No. 1: Brand Awareness in Rural Market)

Personal Care	%	Home Care	%	Food, Drinks and Water Purifier	%
Fair Lovely	83	Wheel	92	Annapurna	82
Pears	72	Surf excel	84	Knorr	54
Lakme	84	Rin	83	Kissan	66
Elle 18	48	Vim	82	Red Label	90
Lux	94	Cif	38	Taj Mahal	86
Lifebouy	92	Domex	69	Lipton	82
Clinic plus	88	Sunlight	28	Brooke Bond 3 Roses	87
Axe	61	Comfort Fabric	0	Brooke Bond Taaza	88
Ponds	83	-		Bru	74
Pepsodent	72	-		Kwality Wall	76
Dove	68	-		Pure it	32
Sunsilk	86	-		AASHIRVAAD	82
Close Up	82	-		Sunfeast	76
Vaseline	84	-		Bingo	84
Clear	82	-		Kitchen of India	59
Hamam	73	-		Mint - O	62
Rexona	76	-		Candyman	56
TRESE emme	28	-		-	-
Breeze	74	-		-	-
Liril	76	-		-	-
ESSENZA DI WILLS	52	-		-	-
Vivel	62	-		-	-

Fiama DI WILLS	53	-	-	-	-
Engage	12	-	-	-	-
Superia	8	-	-	-	-
Average	67.2%	Average	59.9%	Average	72.68%

Brand Awareness (Personal Care) of HUL:
(Table No. 2: Brand Awareness in Rural Market)

Personal Care	%	Home Care	%	Food, Drinks and Water Purifier	%
Average	74.4	Average	59.9	Average	74.5

Brand Awareness (Personal Care) of ITC:
(Table No. 3: Brand Awareness in Rural Market)

Personal Care	%	Home Care	%	Food, Drinks and Water Purifier	%
Average	37.4	Average	-	Average	68.6

Interpretation: According to the above tables – 1, 2, and 3, the average awareness of the respondents in the rural market of both companies' personal care products was 67.2 percent, 72.68 percent in the case of food, drinks, and water purifiers, and 59.9 percent in the case of home care for HUL because ITC did not have any home care products. Individually, the average awareness of the respondents for the HUL was much better than the ITC in every segment.

Brand Preference in Rural Market: Consumer preferences were characterised as subjective (individual) tastes for distinct bundles of commodities, as evaluated by utility. They allow the customer to rank the bundles of items based on the amount of usefulness they provide. It was pointed out that preferences are not affected by money or price. The ability to acquire items had little bearing on a consumer's preferences. This term was generally used to refer to the choice with the highest expected value among a set of alternatives. Although preference and acceptance might mean the same thing in some situations, it's important to remember the difference. Preference tends to reflect choices among neutral or more valued possibilities, whereas acceptance indicates a readiness to tolerate the status quo or a less preferred option.

(Table No. 4: Brand Preferences for customers in Rural Market)

Personal Care	%	Home Care	%	Food, Drinks and Water Purifier	%
Fair Lovely	74	Wheel	88	Annapurna	82
Pears	22	Surf excel	76	Knorr	42
Lakme	64	Rin	62	Kissan	68
Elle 18	00	Vim	76	Red Label	84
Lux	72	Cif	04	Taj Mahal	74
Lifebouy	66	Domex	70	Brooke Bond 3 Roses	24
Clinic plus	82	Sunlight	00	Lipton	62
Axe	00	Comfort Fabric	00	Brooke Bond Taaza	52

Ponds	64	-	-	Bru	66
Pepsodent	54	-	-	Kwality -Wall	72
Dove	34	-	-	Pure it	10
Sunsilk	76	-	-	AASHIRVAAD	80
Close Up	68	-	-	Sunfeast	56
Vaseline	74	-	-	Bingo	62
Clear	66	-	-	Kitchen of India	22
Hamam	54	-	-	Mint - O	56
Rexona	56	-	-	Candyman	52
TRESE emme	14	-	-	-	-
Breeze	70	-	-	-	-
Liril	64	-	-	-	-
ESSENZA	22	-	-	-	-
DI WILLS Vivel	60	-	-	-	-
Fiama DI WILLS	22	-	-	-	-
Engage	4	-	-	-	-
Superia	2	-	-	-	-

Interpretation: From the above table we could see that in all the segments there was a pure dominance of HUL on ITC because of all brands and its availability in the rural market of Indore District.

Hypothesis Testing:

H₀₁: There is no significant association between discount on the product and Purchasing Decision of Consumer in rural area.

(Table No.5)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	75.942	3	.000
Likelihood Ratio	82.612	3	.000
Linear-by-Linear Association	65.777	1	.000
N of Valid Cases	300		

Interpretation: The Chi-square value of 75.942 (df=3, N=300), p0.05 is significant at 3 degrees of freedom, indicating that discount has a positive association with consumer purchasing decision in table No. 5 of Pearson Chi-Square Tests, indicating that discount has a positive association with consumer purchasing decision. Based on the above output statistics, we rejected null hypothesis H₀₁, and accepted alternative hypothesis H₁.

H₀₂: There is no significant association between Packaging and buying decision in rural areas.

(Table No.6)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.627	4	.000
Likelihood Ratio	39.912	4	.000
Linear-by-Linear Association	10.310	1	.001
N of Valid Cases	300		

Interpretation: The Chi-square value of 33.627 (df=4, N=300), p0.05 is significant at 4 degrees of freedom,

indicating that packaging of the product has a positive association with the purchasing decision of rural consumers, according to table No. 6 of Pearson Chi-Square Tests. Based on the above output statistics, we rejected null hypothesis H_{02} , and accepted alternative hypothesis H_2 .

H_{03} : There is no significant association between Availability of the product and buying decision in rural areas.

(Table No.7)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.915	8	.000
Likelihood Ratio	29.305	8	.000
Linear-by-Linear Association	.503	1	.478
N of Valid Cases	300		

Interpretation: The Chi-square value of 28.915 (df=8, N=300) is significant at 8 degrees of freedom, indicating that availability of the product has a positive relationship with consumer purchasing decisions. Based on the above output statistics, we rejected null hypothesis H_{03} , and accepted alternative hypothesis H_3 .

H_{04} : There is no significant association between Reasonable Price and buying decision in rural areas.

(Table No.8)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.293	3	.000
Likelihood Ratio	33.450	3	.000
Linear-by-Linear Association	7.302	1	.007
N of Valid Cases	300		

Interpretation: The Chi-square value of 33.293 (df=3, N=300), $p=0.05$ is significant at 3 degrees of freedom, indicating that reasonable price has a positive association with consumer purchasing decision in table No. 8 of Pearson Chi-Square Tests, indicating that reasonable price has a positive association with consumer purchasing decision in rural consumers. Based on the above output statistics, we rejected null hypothesis H_{04} , and accepted alternative hypothesis H_4 .

H_{05} : There is no significant association between Brand Name and buying decision in rural areas.

(Table No.9)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.300	4	.861
Likelihood Ratio	1.318	4	.858
Linear-by-Linear Association	.530	1	.467
N of Valid Cases	300		

Interpretation: The table No. 9 of Pearson Chi-Square Tests shows that brand name has a negative association with the purchasing decision of consumer as the Chi-square value is 1.3 (df=4, N=300), $p<0.05$ is a significant at 4 degree of freedom, showing that there is no significant association

between brand name and purchasing decision of rural consumer. Based on the above output statistics, we rejected alternative hypothesis and H_5 null hypothesis H_{05} accepted. H_{06} : There is no significant association between Quality and buying decision in rural areas.

(Table No.10)Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	85.843	4	.000
Likelihood Ratio	94.273	4	.000
Linear-by-Linear Association	13.228	1	.000
No. of Valid Cases	300		

Interpretation: The table No. 10 of Pearson Chi-Square Tests shows that quality has a positive association with the purchasing decision of consumer as the Chi-square value is 85.843 (df=4, N=300), $p<0.05$ is a significant at 4 degree of freedom, showing that there is a significant association between quality and purchasing decision of rural consumer. Based on the above output statistics, we rejected null hypothesis H_{06} , and accepted alternative hypothesis H_6 .

Conclusion & Suggestions: According to the data gathered, the majority of respondents placed a high value on product quality and a roughly equal value on product price, indicating that rural respondents want high-quality products at a reasonable price. They also put a premium on factors like product accessibility, lower costs, and, in certain circumstances, free shipping, as well as product smell and color variations. It demonstrates that FMCG company's products have several essential attributes that meet the needs of rural respondents, attracting rural consumers to buy selected FMCG companies items to meet their needs in Indore District's selected villages. As a result, the current situation of selected FMCG company's products can be concluded to be quite satisfactory because the majority of respondents are aware of the FMCG Company's products, the majority of respondents use selecting FMCG company's products, and the majority of rural respondents are satisfied with the FMCG Company's products. They have good motivations to buy and relate product qualities with it. Pricing and product quality will undoubtedly remain important considerations. Rural consumers, according to the data acquired, are more budget conscious, but they are also looking for high-quality products. As a result, the business should develop a marketing plan that enables them to offer a high-quality product at a reasonable price.

References:-

1. Sukat, N. (2012). "A model of male consumer behavior in buying skin care products in Thailand," ABAC Journal Vol. 29, No. 1, pp.39-52, April 2009.
2. Bhagwat, S. (2011). "FMCG Markets to contribute in Indian rural Economy perspective in global era," Half yearly Vision research review research journal vol. 1, issue. 1, June 2011 to Nov. 2011.
3. Muthuvelayutham, C. (2012) "The Study of Consumer

- Brand Loyalty on FMCG- Cosmetic Products with Special Reference to Madurai,” European Journal of Scientific Research Vol.71 No.1, pp. 127-143.
4. Gupta, R., & Roy R., (2012) “Ingredient branding: A differentiation strategy for FMCG companies,” Asian Journal of Management Research, Volume 2 Issue 2.
 5. Jayswal, M., and Shah, K., “A study of effect of negative emotional appeals on cognitive message processing style of Indian house wives with specific focus on FMCG product’s television advertisements”, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol. 2, Issue 3, pp. 58-72, 2012.

Rural Markets are Defined as those Segments of overall Market of Indian Economy: A Conceptual Study

Dr. Sanjay Sharma* Dr. Vimal Sharma **

Abstract - India's rural products are one-of-a-kind, innovative, and have high utility and value. A substantial portion of the population in rural areas is supported by a large number of these rural products (such as handicrafts, food, embroidery, clothing, and so on). Several characteristics of rural items can be found for which there is a market demand 'Ethnic origin' and 'indigenous design & appearance' are two characteristics of rural products that demand a premium in the market. Contrary to popular belief, the non-uniformity of rural products (from one another) and the lack of quality control procedures have resulted in a decrease in demand. Furthermore, the small size and dispersed manufacturing units of many rural products make it difficult to realize marketing economies of scale, resulting in high transaction costs per unit of output. There is no local market for niche-based items. Locally used products are not marketed horizontally either; they frequently travel down to market via a long chain of intermediaries before heading up to more difficult places in rural areas. Rural residents suffer from both low pricing as producers and high prices as consumers as a result of this process. Rural products lose their equilibrium in this struggle, and the supply side becomes exponentially high. Rural enterprises suffer severe economic losses as a result of this hazard, and rural markets stagnate. As a result, there is a growing need to establish long-term market links for rural products so that they can be connected to larger markets and farmers can earn a living.

Keywords - Rural Market, FMCG, Marketing Strategies, India.

Introduction - Rural markets are those components of an economy's overall market that are separate from other forms of markets such as the stock market, commodity market, or labour economics. Rural markets are a significant part of the broader economy; for example, in the United States, out of over 3,000 counties, about 2,000 are rural, that is, non-urbanized, and have a population of 55 million people. A rural market is typically defined as a community in a rural area with a population of 2500 to 30000 people. Rural markets, interestingly, are defined as any territory with a population of more than 20,000 and 50,000 people, respectively, for FMCG and consumer durables enterprises. As a result, they do not consider rural India to be rural. According to them, it is the class-II and III towns that are rural. According to the census of India 2001, there are more than 4,000 towns in the country. It has divided them into six categories: around 400 class-I towns with a population of 100,000 or more (these are further divided into 35 metros and the rest non-metros), 498 class-II towns with a population of 50,000-99,999, 1,368 class-III towns with a population of 20,000-50,000, and 1,560 class-IV towns with a population of 10,000-19,999. It is mainly the class-II and III towns that marketer's term as rural and that partly explains their enthusiasm about the so-called "immense potential" of rural India.

Demographic Details of Indian Rural Market: Around 285 million people live in cities in India, while 742 million live in rural areas, accounting for 72 percent of the country's population. In rural India, the number of medium and high-income households is predicted to increase from 46 million to 59 million. Different experts and organizations have different definitions of what it means to be "rural." The word "rural" is defined by Collins Cobuild Dictionary (2001) as "a place far removed from towns and cities." Consumer markets, institutional markets, and service markets are all part of a rural market (Dogra & Ghuman, 2008).

With a population of over one billion people, India has piqued the interest of multinational corporations around the world as a destination to explore new markets. While parts of India's people are wealthy or middle class by Western standards, the low-income group accounts for a considerably larger proportion of the country's population. As a result, they spend money, live differently, and utilize products in ways that most international firms do not. Rural areas, in particular, are a good example of these distinctions. Understanding the traits that distinguish people and the market in rural India can aid firms in successfully entering this market. The key qualities define the term rural, govern the amount and flow of revenue, and determine the usual items and packages used in rural India.

* Faculty, Department of Management Studies, Medicaps University, Indore (M.P.) INDIA
** Professor & HOD, PMB Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

Potential and Size of Rural Markets: India has an agro-based economy, and rural demand drives the expansion of most other sectors of the economy. The urban market is approaching saturation, necessitating an urgent need to focus on rural development. Furthermore, more than 70% of India's population lives in villages, creating a large market for industry due to rising disposable incomes and awareness. In compared to the 5,161 towns in India, the country has 6,38,365 villages. This is a sign of where the genuine India can be found. Companies are slowly but steadily understanding that accessing the rural potential is the key to achieving true market leadership. The rural sector in India, on the other hand, has a variety of issues. Some communities have sufficient funds, but their level of awareness and understanding is low. There are many areas where economic empowerment, education, health etc., are major problems. Villages account for over 68.8% of India's population (833 million people scattered across 6.38 lakh villages) (Census, 2011), and marketing organisations are rushing to tap into these marketplaces. Reaching villages is related to the 'P' of 'Place' in the 4P's of Marketing and the 'A' of 'Availability' in the 4 A's of Rural Marketing (Kashyap, 2005). In their conference paper, Bhave and Markale (2008) predicted that rural markets will increase to Rs 16,70,000 crores by 2015 and Rs 26,48,000 crores by 2025 (up from Rs 9,68,000 crore in 2005), implying a 5.1 percent compounded annual growth rate. In the years 1993-1994, 50.1 percent of households had an annual income of over Rs. 40,000. (Chaturvedi, 1998). The bulk of rural households (68.1 million homes or 400 million consumers out of 700 million rural people) will earn 22,000-45,000 rupees (\$489-1000) per year by 2006-2007. (Pandey, 2005). In semi-urban areas, the number of persons living in poverty has decreased from 37 percent to 27 percent (a 10% decrease), whereas in urban areas it has decreased from 37 percent to 27 percent (a 10% decrease) (10 percent declines). In urban regions, however, it has decreased from 33% to 24%. (9 percent decline). The prosperity of rural households has increased substantially during the last six years, from 1993-1994 to 1999-2000 (Gupta 2005). The lowest income class earning 12,500 rupees and below is estimated to shrink from 60% in 1994-1995 to 20% in 2006-2007 (Pandey, 2005).

Prospects and Growth in Rural Area: FMCG -Rural consumers spend around 13 percent of their income, the second highest after food (35%), on fast moving consumer goods (FMCG), as per a RMAI study.

Retail: The Indian rural retail industry is currently valued at US\$ 112 billion, accounting for around 40% of the country's total retail market of US\$ 280 billion. Farm links have already been established by major domestic merchants such as AV Birla, ITC, Godrej, Reliance, and many more. Hariyali Kisan Bazaars (DCM) and Aadhars (Pantaloan-Godrej Joint Venture), Choupal Sagars (ITC), Kisan Sansars (Tata), Reliance Fresh, and Project Shakti (Hindustan Unilever) and Naya Yug Bazaar are established rural retail hubs.

According to Telecommunication - A Confederation of Indian Industries (CII) and Ernst & Young report, approximately 100 million (40%) of the next 250 million Indian wireless users will be from rural areas, and rural users will account for over 60% of the total telecom subscriber base in India by 2012.

Automobiles: Demand for two-wheelers, entry-level vehicles, and tractors drives about 40% of sales in the auto sector, semi-urban, and rural markets. Car sales increased by 8.3% in June 2009, owing to increased demand in semi-urban and rural areas. Mahindra & Mahindra is bullish on the rural and semi-urban sectors, with their Scorpio utility vehicle seeing 60-65 percent rural sales, up from 20% previously. Consumer Durables- According to a survey conducted by RMAI, rural markets account for 59% of durables sales. LG has recently opened 45 regional offices as well as 59 rural and remote-area offices. Furthermore, it has stated that it intends to invest roughly US\$ 40 million in the development of entry-level products.

Impact of Globalization on Rural India: The FMCG business has been successful in selling items to lower and moderate income groups around the world, and India is no exception. Today, middle-class households account for more than 70% of sales, with rural India accounting for more than 50%. The sector is ecstatic about a growing rural population with rising wages and a willingness to spend on things that will improve their quality of life. Due to near-saturation and fierce rivalry in urban India, many FMCG makers are being compelled to devise creative new methods for reaching out to rural consumers in a significant way. MART, a specialized rural marketing and rural development consultant, discovered that rural areas account for 53% of FMCG sales and 59% of consumer durable sales. Small towns and villages accounted for half of the two million BSNL mobile connections; 60 percent of the 20 million Rediffmail memberships came from small towns, as did half of the transactions on Rediff's ecommerce site. According to a report by Francis Kanoi Marketing Planning Services Pvt Ltd of Chennai, the rural market for FMCG is valued Rs.65,000 crore, durables Rs.5,000 crore, tractors and agricultural inputs Rs.45,000 crore, and two- and four-wheelers Rs.8,000 crore. A massive Rs.1,23,000 crore was spent in all. This could be doubled if corporate understood the rural buying behaviour and got their distribution and pricing right.

Conclusion: Rural markets have gained importance as a result of overall economic growth and pro-rural policies that have resulted in a significant increase in people's purchasing power in rural areas. The economic slowdown has had a negative impact on organised retail in cities, particularly in the industrial and services sectors, which has slowed the urban market. The rural counterpart, on the other hand, is booming. Industrial and urban manufactured goods are consumed in significant numbers in rural areas. A unique marketing method known as 'rural marketing' has arisen in this context. The fear of losing his job and the financial

crunch have made urban consumers more careful about their spending on houses, autos, and even FMCG products. Today's marketers have recognized the rural market's enormous potential and have begun developing strategies in this area. The rural market has fueled the growth of industries such as automobiles, cement, consumer electronics, textiles, telecommunications, and fast moving consumer goods, among others.

References :-

1. Anand, Sandeep and Krishna, Rajnish (2008), "Rural brand preference determinants in India", In Conference on Marketing to Rural Consumers – Understanding and tapping the rural market potential, IIMK, pp. 1-5.
2. Baines, N. K. and Malhotra, D. F. (2003) Marketing Research: An applied approach, 2nd European edition, Financial Times Prentice Hall, Crimp, M. and Wright,
3. Hagargi, A. K. S. (2011). Rural Market in India: Some Opportunities and Challenges. International Journal of Exclusive Management Research, 1(1).
4. Jagdish Prakash & Akanksha Srivastava (2009) Management of rural marketing opportunities and challenges. 'SAARANSH' RKG Journal of Management, Vol.1, pp. 1-6.
5. Kashyap P, Raut S. The Rural Marketing Book, 1E, Dreamtech Press, New Delhi. 2005.
6. Kumar, Sanjeev and Bishnoi, V.K. (2007), "Influence of marketers' efforts on rural consumers and their mindset: a case study of Haryana", The ICFAI Journal of Brand Management, Vol. 4 No. 4, pp. 28-50.
7. Narang, R. (2001), "Reaching out to the rural markets of Uttar Pradesh", Indian Management Studies Journal, Vol. 5, pp. 87-103.
8. Ramana Rao, P.V. (1997), "Rural market problems and perspective", Indian Journal of Marketing, Vol. 27, pp. 17-19.
9. Ramana Rao, P.V. (1997), Rural market problems and prospective. Indian Journal of Marketing, Vol.36, pp. 19-38.
10. Sarangapani A., Mamtha T (2008). Rural Consumer Post-Purchase Behaviour and Consumerism. The ICFAI Journal of Management Research, Vol VII, No.9, September, 37-67.
11. T. P. Gopal Swamy, "Rural Marketing, Environment-Problems and strategies, Wheeler publishing, 1997.
12. The Marketing Mastermind Case study HLL- Rural Marketing Initiatives ICFAI Press, PP. 62, Feb 2003.
13. Vaswani et al. (2005), "Rural Marketing in Development Paradigm, International Conference on Marketing Paradigms for Emerging Economies, IIM-A, Jan 12-13
14. Venukumar.G (2012), "Growth of Indian Rural Market: with reference to FMCG Sector", South Asian Academic Research Journals, Vol. 2, No. 2, pp. 01-10.
15. Venkatesh, G. (2004), "Technology, Innovation and rural development", IIMB Management Review, Vol.16 No. 4, pp. 23-30.

A Study Over Consumer Perception Comparing Flipkart and Amazon India

Dr. Manoj Raghuwanshi *

Abstract - For any person's need and the way people work, the internet has become a more efficient and simple tool. Various creative businesses have set up systems for taking customer orders, facilitating payment, customer support, gathering marketing data, and getting online reviews by incorporating various online knowledge management tools using the Internet..E-commerce, or Internet commerce, is the term used to describe both of these operations. With their product variety and quick purchasing process, online shopping has made shopping so much easier for everyone. A critical examination of various corporate and market level strategies of two major e-tailors, Flipkart and Amazon, has been attempted. A comparison of Flipkart.com with one of its closest competitors, Amazon.com, reveals the various strategies for success in the e-commerce industry as well as the various opportunities available in India.

Keywords - E-Commerce, Flipkart, Amazon, Market Strategies, Business.

Introduction - Since large countries cannot provide every firm with a required piece of land or issue credit from organised financial institutions, large countries are generally expected to accommodate the labour force in the unorganised market. In India, the manufacturing and service sectors have seen a dramatic change from small scale and tiny outlets to booming businesses backed by corporate culture.

Since 1991, when economic reforms were implemented, the Indian economy has expanded significantly, resulting in overcrowding in the cities where the state's economy is concentrated. Due to state constraints in developing each city fairly due to a lack of capital, it has been observed that a few select cities have emerged as growth centres.

In Haryana, for example, before economic reforms, the flourishing company was in Panipat, but now Guru gram has surpassed all other cities in terms of growth in business opportunities and job creation. It is a hard reality that as cities expand, civic facilities grow as well, but on the flip side, several small colonies spring up to fill the gap, as these are needed for low-wage jobs. Jobs begin commuting from backward states to advanced towns, and cities become a source of attraction for them. It has been noted that as a city begins to expand, it extends its scope, making it difficult for law enforcement authorities to track crime, and traffic management is also cumbersome. As cities expand, more space for shopping malls and commercial centres is needed to allow people the freedom to spend their money on whatever they want. While large shopping centres have been built, as cities become more populated, the amount of time spent on the roads and the hassles

associated with parking are raising the pressure on customers to bear additional costs and strain. It has been noted that mall outlets face competition and are often unable to keep their prices stable. When the business begins to go downhill, it becomes unprofitable, and the stores are sold off.

In several respects, the Indian economy is exceptional. Consumers in India are organised in a hierarchical system. Consumers come from all walks of life, including the upper crust, the upper middle class, the middle class, and the lower crust, but the uniqueness of Indian shopping malls is that they provide outlets for people of all income levels to maximise their earnings. Over time, it has been observed that the exclusivity of certain outlets has given way to inclusivity, as they prefer to provide a diverse selection of goods. Second, the outlets are supposed to physically display all of the items needed by the customers, but despite the outlet's extensive range and selection, the customer had to leave empty-handed.

The purchase of spectacles and other fine products such as jewellery, for example, is an obvious example. Some companies' high-end investments and advertised advantages have attracted a large number of large buyers. It is not necessary to provide proof that once a company has established its credibility and loyalty, it will attract customers who trust them. There are several items of low to moderate value that, when purchased, require a considerable amount of time and travel to a particular location in order to obtain. On the opposite, there has to be a less coercive way to procure them. Standardization, technical savvy, and rational pricing are just a few of the factors that have helped countries improve remunerative

*Senior Assistant Professor, Acropolis Institute of Management Studies and Research, Indore (M.P.) INDIA

employment and achieve the necessary level of competition. India lags well behind the United States and China in terms of product standardisation, which tends to be due to the broad customer base's dispersed demand. In India, a large portion of the population has migrated into the middle class, which is driving the country's high consumption growth. Another significant argument is that if consumers have a strong desire for luxury goods, their purchasing habits for other things are also different. Different forms of buying tend to have replaced the high-end shoppers that used to go to the market as an exclusive segment two decades ago.

Over the last two decades, students and families have begun to migrate away from their hometowns to work in various locations. They take time to become acquainted with the market places in the early years, and they often face transportation issues; in such situations, everyday needs are met via the internet. It is for this reason that the most e-commerce-friendly cities are metropolitan and cosmopolitan. The government has been emphasising start-ups in recent years in order to involve young entrepreneurs in their own style of entrepreneurship, and once they have matured in the production of the product, the chain effect can be realised, resulting in many more people finding jobs. Since the programme is funded by the government, the start-up in India is doing extremely well. The most significant explanation is that any user wants to save money on distribution and logistics, which are typically much higher than conventional methods because packaging, display, and spoilage are added to the price charged to customers. Even if the Maximum Retail Price is stated, there is a secret margin for everyone involved in the supply chain. The supply chain in India is excessively long since goods are routed from different points to the final customer. The items travel from place to place and are stocked in some locations, which adds cost to the stockiest or dealer. In some situations, the products become obsolete or outmoded, which adds to the unrecoverable cost. In e-commerce the stock is converted into flow with minimum losses.

E-commerce goods are usually standardised, numbered, packaged, and marketed. These are the unspoken preconditions since consumers are believed to be risk-free when switching from conventional to online shopping. Customers become convinced over time that their purchase would be acceptable in terms of quality and price charged. Although quality and price are soothing, the savings to the consumer come from preserving product flow and reducing supply points where margins are high. The only difference is that in large cities where demand is high, stockiest for each product should be available. Otherwise, costs would be higher in low-demand areas, and demurrage would be higher. When goods become obsolete and near their expiration dates, a rapid discounted selling starts, leaving both the seller and the buyer in a state of confusion about profit and price. In comparison, as major investors get interested in e-commerce, they make

every decision and are in close touch with the manufacturer about potential plans to change or replace the goods. As a result, not only is inventory size regulated, but so is the amount of money locked up in case orders are uncertain.

Many questions have arisen time and time again, in which brick and mortar shops, which number nearly 40 million in India, have found themselves in deplorable circumstances after protesting that deep discounts provided by e-commerce suppliers are harming their sales and making survival difficult. In response to the plight of traditional shops, the government has released a variety of loose regulations. However, there is no question that brick and mortar retailers are pleased with the types of sales they are making, the majority of which are not possible through e-commerce, and they are satisfied with the consumer split between those who would shop in a brick and mortar store and those who would shop on an e-portal.

Second, despite of the fact that the focus has been placed on paying via digital mode or online payment, the lower income community tends to pay with cash while making purchases. Many people who aren't especially tech-savvy are still avoiding or disliking the conventional existence of e-payment. People in their eighties and nineties have a hard time doing it. However, placing an order is a one-time process, with the remainder being the physical delivery to be received. As a result, all cash and digital payment forms are equivalent.

Literature Review

Growth in Omni channels, niche companies, mergers and acquisitions, tapping more rural markets, rise in internet marketing, emphasis on utilities, rise in digital payment modes, better infrastructure, and supply chain management are some of the developments predicted by Khosla and Kumar (2017) in their analytical study.

D.k.gangeshwar. (2013), "e-commerce or internet marketing: A business review from an Indian perspective," international journal of u- and e-service, science, and technology Conclusion: E-commerce has a bright future in India, despite some disadvantages such as security, privacy, and reliance on technology..

According to Seth, A., and Wadhawan, N., (2016), retailers must expand their horizons in order to be competitive with the modern digital business age. Digitalization is no longer an option; it is now a standard for all retailers. This might include changing business models, integrating technical investments, and becoming more tech-savvy as new developments are made.

According to R. Shahjee (2016), e-commerce has provided a forum for businesses to view their diverse goods and for customers to quickly identify products of interest, which was previously difficult to do through conventional marketing. On the other hand, e-commerce is having a lot of problems due to infrastructural limitations and a lack of computer and internet awareness among consumers, especially in rural areas.

According to Shettar, M. (2016), Companies must now

have a thorough understanding of the legal system, as well as the ability to handle potential problems and risks. International companies have expressed interest in India's burgeoning e-commerce industry. When the number of SMEs, foreign direct investment, and multinational corporations (MNCs) grows, so does the number of job opportunities available to consumers, increasing their buying power.

Sharma and Mittal (2009) in their study "Prospects of e-commerce in India", India's e-commerce sector is booming, according to the article. Without a doubt, with a middle class of 288 million people, India's online shopping market has limitless potential. The cost of real estate is at an all-time high. E-commerce has now become a necessary part of our daily lives. There are numerous websites that offer a variety of products and services. The e-commerce portals offer a wide range of products and services. Men's and women's clothing, health and beauty products, books and magazines, computers and peripherals, cars, software, consumer electronics, household appliances, jewellery, audio, video, entertainment, merchandise, gift articles, real estate, and services are just a few examples. "Flipkart has been absorbing companies that have some potential," says Ashish Gupta, senior managing director of hellion venture partners and one of the early backers of Flipkart as an angel investor (letsbuy, myntra). Obviously, some of the wagers would fail during the process. This is, nonetheless, to be expected. The company (Flipkart) is consciously placing bets that will enable it to either expand or eliminate competition, reducing marketing costs and increasing profitability."

Undoubtedly, with the middle class of 288 million people, online shopping shows unlimited potential in India. The real estate costs are touching the sky. Today e-commerce has become an integral part of our daily life. There are websites providing any number of goods and services.

The e-commerce portals provide goods and services in a variety of categories. To name a few: apparel and accessories for men and women, health and beauty products, books and magazines, computers and peripherals, vehicles, software, consumer electronics, household appliances, jewelry, audio, video, entertainment, goods, gift articles, real estate and services. Samadi and ali (2010) compared the perceived risk level between internet and store shopping, and revisit the relationships among past positive experience, perceived risk level, and future purchase intention within the internet shopping environment.

About Company:

Flipkart - Flipkart has its own product line called "Digiflip," and it has also recently launched its own line of personal healthcare and home appliances called "citron." Flipkart initially focused solely on books, but as the company grew, it began to offer other products such as electronic goods, air conditioners, air coolers, stationery supplies, and lifestyle

products. Flipkart currently has over 15000 employees. Cash on delivery, credit or debit card transactions, net banking, e-gift vouchers, and card swipe on delivery are all options available on Flipkart. Flipkart is one of India's biggest online retailers, with a presence in more than 14 product categories, a reach of around 150 cities, and a monthly shipment volume of 5 million.

Achievements and Failure - Sachin and Binny Bansal debuted at the 86th position on the "Forbes India" rich list in September 2015, each with a net worth of \$1.3 billion. Sachin Bansal, the co-founder of Flipkart, won the Economic Times' entrepreneur of the year award for 2012-2013. At the cnbctv 18's 'India business leader awards 2012,' Flipkart.com was named Young Turk of the Year (IBLA). Flipkart acquired the websites mime360.com and chakpak.com in October and November 2011. The company later unveiled its new flyte digital music store in February 2012. Flyte, a legal music download service similar to iTunes and Amazon.com, had drm-free mp3 downloads available. Paid song downloads did not become popular in India due to the advent of free music, so it was shut down on June 17, 2013.

Amazon - The largest internet-based company in the United States is Amazon. Amazon.com began as an online bookstore, but has since expanded to include DVDs, VHS tapes, CDs, video and mp3 downloads/streaming, software, video games, electronics, clothing, furniture, food, toys, and jewelers. The company also manufactures consumer electronics such as the kindle, fire tablets, fire TV, and phone, as well as being a major supplier of cloning services..

Amazon has separate retail websites for the United States, the United Kingdom and Ireland, France, Canada, Germany, the Netherlands, Italy, Spain, Australia, Brazil, Japan, China, India, and Mexico, with sites for Sri Lanka and South East Asia coming soon. Some of Amazon's goods are also available for international shipping to other countries. Without any marketing campaigns, Amazon.com opened its Amazon India marketplace in early June 2013. Amazon announced in July 2013 that it would spend \$2 billion (roughly Rs 12,000 crores) in India to expand its business, following its biggest Indian competitor Flipkart's announcement of a \$1 billion investment.

Achievements & Failure - Amazon had the fastest growth rate in terms of mobile app downloads in 2015. In just one month, downloads jumped by 200 percent. Amazon had the most web traffic in October, according to comScore data, with 30 million visitors. The number of active Amazon customers has grown by 230 percent year over year. The awards were presented at e-tailing India's flagship conference and exhibition 2014, which brought together key stakeholders in the country's retail and e-commerce industries. Amazon.in won the award for "breakthrough debut of the year."

Amazon switches to India Post and messes up its delivery system in the country. At a time when online shopping portal competition in India is at an all-time high,

with each player pooling millions in funding and trying to outdo each other with never-before-seen discounts and incredible services, Amazon has taken the worst possible step.

Method Of Data Analysis - SPSS-20 was used to perform the analysis. The correlation between the variables was determined using factor analysis, and strongly correlated variables were combined and represented by a factor. This is done to reduce the amount of data collected; instead of multiple variables, they are represented by a few main factors. Regression analysis is used to determine the effect of the factors discovered through factor analysis (independent variables).

Demographics

Variables	Measuring group	Frequency	Percentage
Age	<25	35	50.00
	25-35	25	35.71
	>35	10	14.29
	Total	70	100
Gender	Male	29	41.43
	Female	41	58.57
	Total	70	100

The empirical results obtained from the collected data are shown in the graph above. It includes demographic information about the respondents as well as a statistical analysis of the data they provided. Following that is the interpretation and debate of our findings. The above table shows that out of 70 respondents 50.0 % of people are in the age group of < 25 years, 35.71% of people are in the age group of 25-35 and 14.29% of people are in the group of >35. We are having highest respondents who do online shopping are less than 25 years and almost all those belongs to student category. At the same time 35.71% of age group 25-35 are utilizing online shopping well. All of these people are drawn to e-commerce sites that provide a diverse range of goods as well as services to people all over the world. Gender was another demographic factor we considered. Female respondents prefer online shopping at a higher rate than male respondents. We can deduce from their preferences that they are ordering different and previously unavailable foreign products online, which is convenient and time-saving.

How Often Respondent Shop Online

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Once in month	21	30.0	30.0
Once in two month	11	15.7	45.7
More frequently	17	24.3	70.0
Very rare	21	30.0	100.0
Total	70	100.0	100.0

We can deduce from the table above how often respondents shop online. It has become habitual to shop online rather than in a physical store. Here, 30% of respondents are so devoted to shopping online that they do so at least once a month. This gives e-commerce

entrepreneurs more opportunities to succeed in the market.

Preferred Online Site By Respondent

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Flipkart	29	41.43	41.43
Amazon	29	41.43	82.86
Snapdeal	6	8.57	91.43
Paytm	3	4.29	95.71
Others	3	4.29	100.0
Total	70	100.0	

We can deduce from the table above that 82.86 percent of people picked Amazon and Flipkart equally. And the rest of the e-commerce players, such as Snapdeal (8.57%) and Paytm (4.29%), are too far behind in the race to catch up to Amazon and Flipkart. Despite the fact that paytm offers significant discounts when compared to its rivals.

Respondent Payment Method

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Debit card	19	27.14	27.14
Credit card	7	10.00	37.14
Cash on delivery	44	62.86	100.0
Total	70	100.0	

Customers' sensitive data must be secure, and e-commerce players must gain confidence in this area. When asked which payment method they would use when doing online shopping, 62.86 percent of respondents choose cash on delivery. We can see that paying cash on delivery is a straightforward and convenient method for customers to continue. Swipe machines are carried by even delivery boys, making it more convenient.

Respondent Is Most Impressed With Which E-Commerce Site

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Flipkart	28	40.0	40.0
Amazon	33	47.14	87.14
Others	9	12.86	100.0
Total	70	100.0	

E-commerce site that is most appreciated by customers is Amazon. Amazon is leading with 47.14% when compared to Flip kart, which is having 40% of respondent's interest. And rest of e-commerce sites are not even in the reach of Flip kart and Amazon. It clearly proves that Flip kart and Amazon are leading e-commerce market in India.

Respondent Is More Satisfied With Which Site Pricing

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Flipkart	24	34.29	34.29
Amazon	25	35.71	70.00
Snapdeal	7	10.00	80.00
Paytm	12	17.14	97.14
Others	2	2.86	100
Total	70	100	

The most important factor to consider when making a purchase is the price. When an e-commerce site can

provide what we need at a reasonable cost, everyone will flock to that site. People are mostly impressed with Amazon and Flip kart, with minor variations, according to the above table. Despite the fact that Paytm offers all goods at extremely low prices, people are only interested in the best.

Respondents Would Like To Suggest To Others

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Flipkart	20	28.57	28.57
Amazon	26	37.14	65.71
Snapdeal	10	14.29	80.00
Paytm	9	12.86	92.86
Others	5	7.14	100
Total	70	100	

We learned from one of our previous questions that friend recommendations are extremely important when buying online or choosing an e-commerce site. From the table above, we can see which e-commerce site is the most popular among friends, based on the respondents' opinions. 37.14 percent of those surveyed are willing to recommend Amazon to their friends and family. With 28.57% of the vote, Flipkart comes in second after Amazon in the respondent's suggestion box. The rest, in the opinion of the respondent, are of minor significance and occupation.

Respondents Faced Problem With

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Delay in delivery	15	21.43	21.43
Product damage	10	14.29	35.71
Cheap quality of a product	29	41.43	77.14
Non delivery	7	10.00	87.14
Other	9	12.86	100
Total	70	100	

It is the responsibility of the firm to meet the needs of the customer from the time the product is ordered to the time it is delivered. Customers expect to get what they paid for, and if something goes wrong, they will be hesitant to buy from you again. According to the table above, the majority of respondents (41.43%) have a problem with product quality, followed by a problem with product delivery delays.

Respondents Opinion On Flipkart Customer Care

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Strongly agree	12	17.14	17.14
Agree	33	47.14	64.29
Neither agree nor disagree	10	14.29	78.57
Disagree	9	12.86	91.43
Strongly disagree	6	8.57	100.00
Total	70	100.00	

When respondents are completely satisfied with the services provided by e-commerce sites, they will choose them. After the purchase, the company would now be responsible for the customer's needs. Flip kart has left an

indelible mark on the hearts of its customers. The majority of respondents (47.14%) are satisfied with Flip kart's customer service. Because people are positive about Flip kart, this is actually a better result.

Respondents Opinion On Amazon Customer Care

Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Strongly agree	21	30.00	30.00
Agree	25	35.71	65.71
Neither agree nor disagree	14	20.00	85.71
Disagree	6	8.57	94.29
Strongly disagree	4	5.71	100.00
Total	70	100.00	

Amazon has once again demonstrated that it will still be one step ahead of the competition. The majority of Amazon customers (30%) are extremely satisfied with and strongly agree with Amazon's customer service, making Amazon an unbeatable winner. We learned from the previous tables that consumers are concerned about product harm and that product quality is a major factor to consider. These barriers did not exist in Amazon because of its brand partnerships and great packaging, which drew customers in and made them loyal to the company.

Findings :

1. Customers prefer quality products from e-commerce sites, even if they are a little more expensive, and female respondents are more interested in doing online shopping than male respondents.
2. Flipkart is putting in a lot of effort to get to the top, but Amazon India is putting up a stiff challenge.
3. Amazon is the clear winner in every category of the survey, including price, preferred, and recommending to friends.
4. Without a doubt, Flip kart and Amazon made a big impression on customers and gained a lot of loyal customers. They are also willing to recommend their online shopping site to the rest of their friends.
5. Both Flipkart and Amazon India had very creative and appealing advertisements. Both companies spend a lot of money on ads and promotions, and people of all ages are interested in special offers, whether or not they are in need.

Conclusion - The research included all of the work flows of India's biggest e-commerce players, Flipkart and Amazon. It has been clarified how they perform and how they run flawlessly in the competitive world. It is commendable that they have used creative thinking to reach out to a growing number of consumers. They expanded their network as much as possible in order to reach a larger number of customers. They made it easier and more convenient for customers to work. In today's competitive market, one must take the initiative and the rest will follow. We have a clear winner based on consumer feedback, and it is Amazon. Even though it is a multinational corporation, it has a deep understanding of Indians and has strengthened its Indian

roots. Even though it is a new business in comparison to Amazon, Flipkart is giving Amazon a lot of competition. It may take some time to overcome, but they are certainly doing well in the Indian e-commerce market.

References :-

1. "E-commerce challenges: a case study of Flipkart.com versus Amazon. in by Dr Priti Nigam
2. "Prospects of e-commerce in India" by Sharma and Mittal (2009)
3. "E-Commerce in India-A Review", International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research by Abhijit Mitra. (2013).
4. "E-Commerce or Internet Marketing: A Business Review from Indian Context", International Journal of u-and e- Service, Science and Technology by D.K. Gangeshwar. (2013)
5. "Finding the source of Amazon.com: examining the hype of the earth's biggest book store", by Martin Dodge. (1999)
6. "A Comparative Study Between Flipkart And Amazon India" K Francis Sudhakar and Habeeb Syed, Anveshana's International Journal Of Research In Regional Studies, Law, Social Sciences, Journalism And Management Practices(2016)

Effect of Pre-Harvest Treatment of Onion for Increasing Storage Quality of Bulbs During Storage at Ambient Condition

Sanjay Kumar* Abhimannu** Pranvir Singh*** V. K. Sharma****

Introduction - In India, presently about 35 to 40 per cent of the onion is estimated to be lost as postharvest losses during various operations including handling and storage. Pre-harvest sprays of growth regulators, ethylene compounds and fungicides play a crucial role in enhancement of shelf life in onion. Packaging and storage techniques also influence the shelf life of onion bulbs during storage. There is a sequence of physiological and biochemical changes occur in onion bulbs during above post harvest handling operations. The literature pertaining to the above aspects during post harvest handling and storage of onion and garlic bulbs are reviewed in this paper.

Onion (*Allium cepa* L.) is an important commercial vegetable crops of India. India is the second largest onion growing country in the world. India ranks second in area (0.87 million ha), production (12.16 million tonnes) and productivity 15.10 mt/ha (Anonymous, 2008) and according to Horticulture Statistics at a Glance-2016 onion area (1320000 ha) and production (20931000 mt) was recorded in India. Indian onions are famous for their pungency and are available round the year. The onion is a hardy cool-season biennial but usually grown as annual crop. The onion has narrow, hollow leaves and a base which enlarges to form a bulb. The bulb can be white, yellow, or red and require 80 to 150 days to reach harvest. The onion is preferred mainly because of its green leaves, immature and mature bulbs are either eaten raw or cooked as a vegetable. Mild flavoured or coloured bulbs are often chosen for salads. Onion can be grown in all types of soils such as sandy loam, clay loam, silt loam and heavy soils. However, the best soil for successful onion cultivation is deep, friable loam and alluvial soils with good drainage, moisture holding capacity and sufficient organic matter. The post-harvest losses, viz., sprouting, rotting decay losses and physiological loss in weight pose a great problem. It is reported that annual storage losses were over 40 per cent.

Onion is harvested depending upon the purpose for which the crop is planted. Onion crop is ready for harvesting in five months for dry onion. However, for marketing as green onion, the crop becomes ready in three months after transplanting. Onions are stored in a well-ventilated place with lot of aeration and sunlight. Onion bulbs are packed in perforated gunny bags but some limiting factors which cause considerable losses during storage life of onion. This can be affected by cultivation conditions, method and date of harvest and storage conditions. If pre and post harvest management was not managed properly by the farmers, causing rotting, poor quality and reduced storage life of the onion bulbs. So that, KVK, As per the performance of this technology farmers were adopted and saved onion bulbs during storage and escaped market glut at harvest.

Material and Methods - The present study (OFT) was conducted by KVK, Farrukhabad during Rabi season of year, 2016-17 in three locations. These locations were purposely selected for the study as the farmers of this region have adopted the technology and extensively growing onion during each year. The condition of the soil was rich in nutrition due to maize-potato-onion cropping system adopted by farmers. All the recommended practices were adopted by selected farmers. Farmers were used plenty of fertilisers and FYM during potato so that no additional requirement of any fertiliser and FYM. The data/ information were collected from multifarious / technologies schedule as per objective of the study.

The data were collected and compiled, estimated, analysed and tabulated using appropriate statistical tools and technologies to draw the conclusion of the present study. The experiment comprising of two treatment viz. farmers practiced with local variety and ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % carbendazim sprayed 10 days before harvesting on bheema kiran cultivar of onion. After the harvest onion bulbs were stored at ambient condition for 90 days and

*Scientist (Hort.) KVK, Farrukhabad (U.P.) INDIA
** KVK, Kanpur Dehat (U.P.) INDIA
***KVK, Farrukhabad (U.P.) INDIA
**** KVK, Farrukhabad (U.P.) INDIA

regularly observed and data was recorded every 30 day to up to 90 days. The data were collected as per schedule from all selected farmers.

Result and Discussion - A comparative study was carried out to show the yield of the onion bulbs at the harvesting time and sprouting, rotting, decay loss and marketable bulbs (%) were observed after 90 days of storage at ambient condition with technology over the farmers practice. The gross & net return achieved/ ha from the technology as well as farmers practice. The average yield of the bulbs of onion was found 305.00 qt/ha in the treatment T_2 (Ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % carbendazim sprayed 10 days before harvesting) where as 250 q/ha was recorded under the (T_1) farmers practice. The yield increase in per cent (22.00) and yield gap (55qt/ha) were also recorded between the treatments.

After 90 days of storage treatment T_2 (Ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % carbendazim sprayed 10 days before harvesting) were found 14.35% sprouting, 7.00% rotting, 11.20% decay loss & 78.50% marketable bulbs while 31.50% sprouting, 18.00% rotting, 27.50% decay loss and 57.50% marketable bulbs of onion were recorded in treatment (T_1) farmers practice (Table-1). The finding was supported by Orryoppagauda and Krishnappa, 1985 and Pandey (2001) also reported that it was good to leave about 2 to 2.5cm top above the bulb as such bulbs stored better than close top cut bulbs. Well cured bulbs of onion cv-N-2-4-1 were subjected to sulphur fumigation (50 g m⁻³) for three hours duration and stored at ambient conditions. Black mould infection was significantly reduced to 2.5 per cent compared to control (4.3%) Garlic bulbs cv. G-41 were given sulphur fumigation (50 g m⁻³) for three hours after shade curing and cutting of leaves to reduce the diseases infection and rotting of bulbs (Anonymous, 2002). Though curing helped to extend the shelf life of sweet onion, it also reduced the mass of onions available for retail. Among the different curing methods, curing bulbs under 50 per cent shade (15 days) + tops removed 15 days after harvest resulted in minimum physiological loss in weight (13.56%), sprouting (9.36%), rotting (16.70 %), loss of scales (11.98%) and also maximum in the hardness of the bulbs (10.32 kg cm⁻²), colour development (4.50 per 5.00) and marketable bulbs (67.35%) compared to control (Kukanoor et al., 2006). The average gross and net return (Table-2) were 350000 Rs/ ha and 242400Rs/ha respectively while the average gross and net return achieved from the farmers practice were 225000 Rs/ha and Rs 164400 Rs/ha respectively.

Conclusion - Treatment T_2 (Ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % carbendazim sprayed 10 days before harvesting) Was

found best in comparison to farmers practice with different parameters such as 14.35% sprouting, 7.00% rotting, 11.20% decay loss when removal of foliage leaves or top leaving 2.5-3.0 cm neck after harvest on cultivar Bheema kiran.

Farmers perception - 'A large number of farmers realized the benefit of this technology. The popularity of this technology were increased very fast among the farmer community. Onion can be stored for a short period to balance its demand and supply in the market, provided the bulbs with quality and achieved market price with minimum losses during storage.

Tables 1 and 2 (see in next page)

References:-

1. **Anonymous (2008 & 2017)**. Indian Horticulture Database, 2008& 2017, NHB, pp 86-88.
2. **Anonymous, (2000)**. Annual report. NHRDF, Nasik, Maharashtra. Anonymous, (2002). Annual report. NHRDF, Nasik, Maharashtra
3. **Abdel – Rahman, M. and F.M.R. Isenberg.** (1974). The role of exogenous plant regulators in the dormancy of onion bulbs. J. Agric. Sci., 82: 113-116.
4. **Adamicki, F.** (1998). Comparison of quality and storage ability in some onion cultivars. Biuletyn Warzywniczy, Biuletyn Warzywniczy 48: 89-100.
5. **Ali, A.A. and A.M. Shoabraway.** (1979). Effect of some cultural practices and chemicals on the control neck rot disease caused by *Botrytis alli* during storage and in the field of seed onion production. A.R.E. Agril. Res. Rev., 52 (2): 103-104.
6. **A Jan. Anbukkarasi, V.** (2010). Studies on pre and post-harvest treatments for extending shelf life in onion (*Allium cepa* L. var *aggregatum* don.) cv. Co On 5. Ph.D. Thesis, Department of Vegetable Crops, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
7. **Kukanoor, L., Basavarajan and A.K. Rokhade.** (2006). Influence of curing methods on storability of onion. J. Asian Hort., 2(4): 277-281.
8. **Orryoppagauda, I.N. and Krishnappa, K.S.** (1985). Effect of pre-harvest application of MH on storage behaviour of potato stored at room temperature. *Madars Agricultural Journal*, 12:110-114.
9. **Pandey, U.B.** (2001). Strategy for increasing onion productivity and minimizing post-harvest losses in onion in Andhra Pradesh. NHRDF News Letter, 20: 1-5.
10. **Swaroop, P.V.** (2006). Bulbs Crops In: Vegetable Science and Technology of India, Kalyani Publishers, Ludhiana.

Table-1 Effect of pre-harvest treatment of onion for increasing storage quality of bulbs during storage at ambient condition after 90 DAS.

Treatments	Yield of bulbs (qt/ha)	Yield Increase (%)	Sprouting of bulb (%)	Rotting of bulb	Decay loss (%)	Marketable bulb (%)
T Farmers practice (Lal pyaj & no ¹ use of any storage precaution)	250.00	-	31.50	18.00	27.50	57.50
T Ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % ² carbendazim sprayed 10 days before harvesting	305.00	22.00	14.35	7.00	11.20	78.50

Table-2 Economics of the trial

Treatments	Gross Cost (Rs/ha)	Gross return (Rs/ha)	Net return (Rs/ha)	Benefit : cost ratio
T Farmers practice (Local variety & no use of ¹ any storage precaution)	60600	225000	164400	3.71
T Ethrel 10.6 ml/ litre +0.1 % carbendazim ² sprayed 10 days before harvesting	62600	350000	242400	5.59

Yoga and Meditation in Indus Valley Civilization

Dr. Preeti Prabhat*

Introduction - Yoga is the union of individual self (jivatma) with the supreme self (Paramatama). Yoga is the oldest spiritual tradition in the world. Yoga is not just a variety of physical stances or Asanas but it is a holistic system with both psychological and physical aspects. Yoga is a gift to the entire world from India. The origin of yoga can be traced in Indus Valley Civilization more than 5000 years ago. The word Yoga was first mentioned in the oldest text RigVeda. Patanjali had defined Yoga as the ability to restrain from random thoughts. Yoga not only includes Meditation, Pranayama but is also concerned with introspective exercises such as the learning to accept oneself and others.

Yoga, the ancient Indian system of physical and mental wellbeing has its traces in the Indus valley civilization. The Indus Saraswati civilization also known as Harappan culture, begins in c.3500BCE, develops to its height in 2600 BCE and eventual decline in 1900BCE. When British Archaeologists found the site in 1922, they were amazed to see the complex hydro architecture with baths and sewer systems. The archaeological evidences from the work of British archaeologist Sir John Marshall under whose direction the ancient city of Mohenjo-Daro was excavated. What might be relevant to Yoga is the Pashupati seal found in Mohenjodaro. This small trading seal now resides in the British Museum. During the excavation several steatite seals were unearthed depicting yoga postures. The most well known of the seals of Mohenjo-Daro is the one in which a three faced deity wearing a tall horned head dress, seated cross legged on a throne, in an erect meditative posture or the Yoga posture. He surrounded by elephant, tiger, buffalo and rhinoceros, with deer appear under his throne. There is an inscription of seven letters at the top. Scholars have identified this figure as Hindu God Lord Shiva. The human figure at the centre is surrounded by animals or Pashupatinatha, seated cross legged like Yogisara or Mahayogi and the Trident or Trishul are the chief attributes of Lord Shiva, all the features are found in this figure. Lord Shiva with all his emblems is depicted here. Sir John Marshall due to the typical yoga attitude and still in Hindu religion Lord Shiva is regarded as MahaYogi, the prince of Yogis have identified this figure seated in Yogasana with the Lord of Animals, Pashupatinatha, one of the form of Lord Shiva. The Yogic posture of the figure sitting cross

legged in Padmasana justifies the epithet of Mahayogi given to Lord Shiva. Most of the scholars believe that it could be a prototype of Shiva or possible traces of early yoga practice. It looks like the figure sitting in Mulbandhasana or perhaps it's the Celtic horned God, Cernuous, the God of fertility, life and animals. Thomas Mc. Evilly noted in line with Sir John Marshall that the central figure is in the yoga pose of Mulbandhasana, quoting the kalpa sutras description, ' a squatting position with joined heels' used with meditation and fasting to attain infinite knowledge. However some scholars do not agree with the view of Sir John Marshall. The figure on the Pashupati seal is seated in the difficult yoga Asana called Mulbandhasana, in which the legs are bent below the body such that heels are pressed together below the groin with toes pointing downwards. The name comes from Sanskrit 'Mula' meaning 'root', and 'bandha' meaning 'lock'. The Mulbandhasana restricts and redirect the flow of Prana energy through the body. As the name suggests, it also activates the root chakra or muladhara. This chakra provides a sense of grounding, stability and security. As the lowest chakra, a balanced Muladhara is the foundation for activating the rest of the chakras.

Since the figure on the Pashupati seal has been depicted in a yogic posture, it is very likely to be lord Shiva, for Shiva is Yogeshwar, the lord of Yoga, who is credited with revealing the 84 classic asanas of hatha yoga. In Hindu iconography, Shiva is shown seated in a Sukhasana or padmasana posture with his eyes closed in meditation and his hands resting on his knees. Ramprasad Chandra who supervised the Indus valley excavation, states that, ' not only the seated deities on some of the seals are in yoga posture and bear witness to the prevalence of yoga in the Indus valley civilization in that remote age, the standing deities on the seals also show Kayotsarga (a standing posture of meditation) position. According to Archaeologist Gregory Possehl this Indus valley civilization is, 'a form of ritual discipline, suggesting a 'precursor of yoga'.

In another seal discovered from Mohenjo-Daro, a seated figure is seated in a Yogic posture, totally oblivious to the commotion around him. Though he is surrounded by wild animals but shows no concern to what is going around him. Near him is a man spearing water buffalo, but the Yogi in Meditation is undisturbed, totally immersed in his inner

*Assistant Professor, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Government P.G College, Lucknow (U.P.) INDIA

world. In another seal, two kneeling people are offering to a figure seated in a Yogic posture. It appears that these people seated in the Yogic posture held an important place in the society as two snakes spread their hoods over their heads. This also indicates that Yogis held an important place in Indus Valley Civilization. Several seals containing the figures of people seated in Yogic posture indicate to the fact that Yoga existed during the time of Indus Valley Civilization. A minute study of the seals indicate that the Indus valley people were not beginners experimenting with Yoga but the practice of Yoga seems to have attained a high degree of proficiency. The Yogis commanded reverence and were known for their powers of mindfulness. The Yogis depicted in the seals show utmost concentration and are not disturbed by all the animals surrounding them or the various humans approaching them. Another artifact made of steatite called the Priest King found at Mohenjo-Daro has peculiar features indicating the practice of Meditation among the people of Indus valley Civilization. The steatite head and bust of a male, with a fillet fastened to the hair, wearing a trefoil patterned shawl and having a pruned beard and shaven upper lip and peculiar slanting eyes. Scholars have generally taken it as a priest or Yogi, which very rightly mingles with the Indian tradition of Meditation. The peculiar half shut eyes represent a state of Yogi or contemplation.

Conclusion- Thus it appears that the practice of Yoga dates back to pre-Vedic Indian traditions. It originated in the Indus valley civilization and is a gift of India to the western world. Yoga which is nowadays an essential part of our fitness regime has its roots in our ancient Indus valley Civilization. Yoga in Indian traditions however is more than physical exercise; it has a meditative and spiritual core. The practice of Yoga probably started with the very dawn of civilization.

The science of Yoga has its origin thousands years ago, long before the religious belief systems were born. A lot of our cultural and traditional patterns are inspired from Indus valley civilization. Therefore it can be said that the Indus valley people practiced a form of yoga and meditation. These and many other finds show the amazing continuity between the Indus valley civilization and the present day Hindu society and culture.

References:-

1. E.J.H Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Annual Report of the Archaeological Survey of India, pp.67-75.
2. J.Marshall, (1931) Mohenjodaro and Indus Civilization, Asian Educational service, ISBN 978-81-206-1179-5.
3. RomillaThapar, (2004) Early India: From the Origins to 1300 A.D, ISBN 978-0-520-24225-8.
4. V.S Agarwala,(1965) Studies in Indian Art, pp.34-37.
5. P.Masson and others, (1934) Ancient India and Indian Civilization, London, 1934.
6. K.N.Dikshit, Pre-historic Civilization of the Indus Valley, Madras,1939.
7. H.Heras, Mohenjodaro, the people and the Land, Indian Culture,III, pp207-220; 'Religion of the Mohenjodaro people', Journal of University of Bombay,V, pp.1-26.
8. M.S Vats, Excavations at Harappa, 1940.
9. J. Marek (2012)Textbook of Spirituality in Health care, ISBN 978-0-19-957139-0,pp362-363.
10. B.N Luniya,(2006) Life and culture in Ancient India,pp,47-51.
11. Thomas Mc Evilley, (1981), An Archaeology of yoga. RES Anthropology and Aesthetics (1):44-47.
12. B. Gray, (1940) Antiquities from the Indus valley in the British Museum quarterly. (Vol14, Issue 2 ,p. 41)

रतनपुरिहा गम्मत में संवाद का अनुशीलन

दिनेश कुमार राठौर *

प्रस्तावना – एक सार्थक संदर्भ वही होता है जो कार्य व्यापार, नाट्यअंग तथा नाट्यभाषा नाटक की आत्मा होती है। हिन्दी तथा संस्कृत के शिष्ट नाटकों में भाषा एवं संवाद पर विशेष बल दिया गया है डॉ. रीतारानी पालीवाल के कथानुसार 'नाटक संवादात्मक कला है, जिसमें सब कुछ संवादों तथा कार्य व्यापारों से ही अभिव्यक्त होता है। आज नाट्य भाषा तथा संवादों को केन्द्रीयता प्रदान करने का अर्थ है, अनुभवों की आँच को सही प्रासंगिकता में रखना समझना तथा जीवन की भाषा की कलात्मकता में ग्राहव्या।'

नाटक की मंच में प्रस्तुतीकरण की सफलता का राज है संवाद। संवादों की रंगचेतना और रंगानुभूति ही नाट्य का संप्रेषण व्यापार है, कलाकारों की जितनी सफल संवाद के लिए योजना होगी उतना ही नाट्यानुभूति का प्रभाव लोकप्रिय होती है। संवाद की भाषा जितना सरल तथा स्पष्ट होगा संवाद उतना ही भावपूर्ण तथा रूचिकर बनते जायेगा संवाद की भाषा इसका प्रतिबिंब तथा इसका प्रतीक कला की प्रस्तुती मंच पर अपूर्व असर कारक होती है। नाटकों में शिष्ट नाटकों के ठीक उल्टा नाट्य कलाओं में भाषा तथा संवाद को लेकर विशेष बहस नहीं किया गया है। यहां शिष्ट नाटकों की तरह भाषा एवं संवाद पर शास्त्रीय विधि पर ध्यान नहीं दिया गया है। परंतु संवादों की सरलता सहजता एवं रोचकता पर ही ध्यान को केन्द्रित किया गया है। रचना परमार के मतानुसार 'लोकनाट्य का क्षेत्र असीम है। लोकमानस में होने वाला प्रत्येक स्पंदन इसमें प्रतिबिंबित होता है। यह किसी शास्त्रीय अंकुश की परवाह नहीं करता। मृदुल एवं सुबहु भाषा की भी इसे दरकार नहीं चाक विषय रंगमंच के बिना भी यह भी अपनी सहज सामर्थ्य से जनरंजन का अद्वितीय उपदान है।' इसकी स्वच्छंद प्रकृति एवं चिरनीयता पर प्रकाश डालते हुए श्री देवीशंकर प्रभाकर ने लिखा है कि 'लोकनाट्य अथवा लोकरूपक को न साहित्यिक भाषा चाहिए और न ही रंगशाला अथवा यवनिका। जिस प्रकार स्वच्छंद पहाड़ी नदी इठलाती इतराती अपना रास्ता चुनती है वैसे ही प्राचीनकाल समय से लोकनाट्य भी अपना मार्ग स्वयं बनता आया है।' समय समय पर जन भाषाएं साहित्यिक भाषाएं बनीं। जब भी भाषाओं ने मर्यादाओं की ओढ़नी, ओढ़ी लोकनाट्य उससे दूर चला गया उसे तो वहीं भाषा पसंद रही जो राजदरबारों भी भाषा न होकर जनता जनार्दन की भाषा रही और इसी दिशा में लोकनाट्य पनपता रहा है।

रतनपुरिहा गम्मत में गद्य एवं पद्य में संवाद पद्य रूप में ही होते थे। भारतीय आचार्यों ने वाक्य तथा शब्द की महत्ता को निरंतर ख्याल में रखा है। तभी तो 'शब्दार्थो सहित काव्यम' कहकर इसकी महिमा का बखान किया है। कुन्तक के कथानुसार 'वक्रो क्रियुक्त बंध में सहभाव से व्यवस्थित शब्दार्थ ही काव्य हैं आत्मवादी आनंद वर्धन ने धसनि को काव्यात्मा घोषित करते हुए काव्य शाब्दार्थ रूप ही माना है शब्दार्थयो साहित्येन काव्यते।

वाच्यवाचक रचना प्रपंच ही काव्य का मूल है। रसध्वनि में रखा है कवि भाषा राह से अलग होकर वक्र मार्ग में चलता है। यह उसका स्वभाव है लोकातिक्रान्गोचरता। इस भांति लोकभाषा व नाट्य भाषा का आधार है उपचार या लक्षणा। उपचार से अभिप्राय संक्रमण से शब्द का अर्थ चमत्कार से होता है रतनपुरिहा गम्मत में काव्यपक्ष संवाद में संगीत के पक्ष के अनुरूप ही उसकी लय की गति तथा कथा के गूढ़ अर्थों को सरल, सहज तथा संप्रेषणीय बनाते है।

बाबू रेवाराम के गुटकों में राधा कृष्ण के घटलीला के अंतर्गत कृष्ण राधा को सताते हुए उनका घड़ा तोड़ देते हैं। इस प्रसंग पर राधा कृष्ण का रोचक संवाद इस प्रकार प्रस्तुत है-

कृष्ण - 'मत बोलो ऐसी बर्तिया हो राधे।
हम तो नंदराय के लाला, देख लेहु मेरी छतियां।
मरि घसिदि कंस को अबही डाख कख न बतियां।
थकतने के छोटे मति कौन अहिरिन के जतियां।
असकहि कृशन वेणुध्वनि कीन्हें, भूले सबके मतियां।'

राधा - तुम सुनो नंद के लाल नगरी दीजिए।
बड़े वंश के नंद के लाल कहाये, हसो गोकुल गाँव संग साधू मनभाये।
गधरी हमरी देहुदे करो न हमसे रार, कबहूँ सुनि पाइहैं तबै मनिहौ हार।

कृष्ण - तुम सुनो राधिका नारि गधरी ना लई।
गधरी के काम कहो तो लाख भगाऊं।
गोकुल बहुत कुम्हार मिलै औरों गढवाऊं।
गधरी कैसी होत है, हमन देखे आंख।
सोनरूप के गधरी हमरे घर हैं लाख।

राधा - वो गधरी के मोल लोक में कौन बतावै।
ब्रम्ह वेद त्रिपुरारि मोल के भेद न पावै।
सो गधरी बृषभानू के घर में लाख करोड़।
बरसाते के धनी जिनके जग में शोरा।

कृष्ण - तुम्हारों राधा नाम वाप वृषभानू दुलारी।
सुनै न चाबहूँ कान, हवै गोरे छौ कारे।

जब राधा अपनी सखियों के साथ मैया यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती हैं तब मैया यशोदा अपने लल्ला के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है।

माता यशोदा - झूठ उरहन लाई ग्वालिन।
कब तेरो घर गयो श्याम मेरो, कब गोरस दरकाई।
थाही मिसि मेरो मोहन को तू देखन को आई।
नारायन मन की मैं तेरी जान गई चतुराई।

दधि दान प्रसंग में राधा कृष्ण का रोचक संवाद का उल्लेख इस प्रकार है -

राधा - गाय के दूध अघाय पियो, इतराय चलो धन की बहुताई।
बाँह मरोरत कंकन टोरत, क्या तेरे बापकी कज मैं खाई।
चोली के बंद जो खोलत मोहन दपटत हो घर नारि की नाई।
गोरस चाहो अघाय पियो हरि जो रस चाहो रस नाहीं।
कृष्ण - आई ही आज नई बृज में कछु नयन देखाव के रार मच इहों।
जानिच ही हमसे बचके दधि बेचन जाव जो जाय न पइहां।
लै हो चुकाय सबे दिन की रसखान भरी मन की पछतै हो।
जो तुम ही बड़े घर की इतराय चलयो तू जगात न देहो।
राधा - जान दियो सब संग के ग्वालिन हम ही को क्यों रोक रखै हो।
खंचत हो अंचरा गहि के फटि चुनरी देके तुम तो जइहां।
टूटिगे हार हजारन के तुम दंड परे मन मे पछतैहो।
हो है न येको मोती के मोल जो नंद यसोदा सहित विकैहो।
कृष्ण - जात की अहीरी बानी बोलत गहीरी सुन में बहुत सहीरी घर
जान कैसे पइहीं।
छाछ बेचन आयो बात काहे को बढ़ायो चोरी हमसे छिपायो कहुं कैसे बनि
पइहीं।
हम मांगे दधि दान तुम रहो नैना तान मैले हो दधि दान दिन-दिन के
चुकाइहो।
कहत उकारी फार डारो कुच सारी काँहै जरित तुम्हारी समेत बांध लै हो।
राधा - ग्वाल के जाये कहीं पाये ईतमान गर्भ बढ़ायो तु अहीर देह हठीं ही।
जानि बूझि बात के समानी का करिये बावरे भये हाथ लियो लाठी
है।
जात के छिपाये जाति मिलरी है न रावरे करो भुस सानी लगावे अर
भही है।
प्यारी के मंगैवा दैया भयो है, कन्हैया अब देख चिरिया भरवा बोलत
बड़ हठी है।

दधि दान लीला पर ही बाबू रेवारा के गुटके मे राधा कृष्ण के संवाद का एक
अन्य रूप इस प्रकार प्रस्तुत है -

कृष्ण - बहुत बनय कहावत रैही, जानी प्रकृति तुम्हारी।
चोरी आदि कृत्य है, तुम्हरे देजा दान हमारी।
राधा - पुनि-पुनि चोरनी कहत लाल मोहि आप नहि ल जाता।
माखन छाँछ बचत नहि बृज के भूसि-भूसि तुम खाता।
कृष्ण - दमड़िन दाम केर दधि बेचो गलियन में तुम डोलो।
सरम करो नंद दसोदा के काहे वचन कठिन बोलो।
राधा - निजकुल नित्य हमारे पावहि हम दधि बेचन हारी।
करतन टहल बिराने तुम अस पितु के अनुचर चारी।
कृष्ण - बचन बंक बहु कहत गुजरिया अमरन को उनगाई।
फोरों मटुकी टोरौ मोतीलर तू रोवत घर जाई।
राधा - जो होइहीं वृष मानुसुता मैं तोहि आंख दिखाऊं।
नंद जसोदा सहित नंद पुर तुम ही बांध मंगाऊं।
कृष्ण - इतना सुनत को पकरि मोहन ग्वाल सखन बुलवाये।
लूटहू दही खावहु मन माने यह ग्वालन बौराये।
दधि दान लीला का अन्य संवाद प्रसंग -
कृष्ण - बेंचि बेंचि दधि गांव से सुनो सखा सब आली मोरारे नित।
बरसाने जाति करि चोरी मोरी दान न देती अपने रंग के माती।
राधा - बहुत सहो मैं अब न सहोँगी भाई मोरारे कहत हीं प्रन ठानी।

जाई कहींगी कंसराज सो नंदहि पकर मंगाई।
कृष्ण - त्रिया जात बुद्धि के छोटी भाई मोरारे बहुत कहा समुझाई।
डगर चलत में गुलचा भारी करिहीं कौन उपाई।
राधा - कहत हीं अब सुनत नहीं तुम आली मोरारे बहुत कहौ समुझाई।
दान चही पै दान न पैहों करिहीं कौन उपाई।
कृष्ण - नित उठि ग्वालिन नंदगांव से भाई मोरारे बेचौ दधि और दूध।
बेच-बेच तुम जात नंदपुर भाई मोरारे संग में भेंटा।
राधा - इतना सुनि मटुकी धर लीन्हीं भाई मोरारे प्रेम प्रीति उरझाना।
चतुर सखा सब पर राजी है नाच कूद घर जाना।

पद्यमय संवादो के अलावा रतनपुरिहा गम्मत में अधिकतर कलाकार
संवाद संप्रेषित करते हैं। गम्मत में संवाद का माध्यम सरल एवं सहज होकर
बोधगम्य रहता है। भाषा में कही भी दिखावा या बनावटीपन इत्यादि नहीं
होता। सारे संवाद गम्मत के कथा के अनुसार ही होता है। लोकनाट्य के सारे
विशेषताएं रतनपुरिहा गम्मत में मौजूद होते हैं क्योंकि रतनपुरिहा गम्मत
लिखित रूप में नहीं होता है। गम्मत के कलाकार प्रसंग के अनुसार स्वयं
तुरंत संवाद बना लेते हैं तथा उसे बोलते हैं। श्री नंदकिशोर तिवारी के मतानुसार
- 'रहस के संवाद प्रसंग समय और पात्र के अनुरूप होते हैं। रहस का कोई
स्क्रिप्ट नहीं होता, इसलिए संवाद पात्र स्वयं गढ़ता है। कई प्रसंगों में व्यास
केवल सूत्रात्मक वाक्य गाता है। इन गीतों का काम पात्र के मंच पर प्रवेश,
प्रस्थान तथा परिवेश को सूचना देना है। पात्र की मनोवृत्ति का संकेत उसे
गति तथा चरमावस्था में पहुंचना है। निर्देश के अनुरूप पात्र स्वयं संवादो को
गढ़ता है। इससे अनेक चीजें एक साथ उत्पन्न होती हैं, एक पात्र स्वयं मंच पर
अत्यधिक जागरूक रहता है। दो- उनकी समग्र स्थिति एकाग्र रहती है।
तीन- यह एकाग्रता उसे अपने होने के अनुभव के साथ पात्र के चरित्र में
द्वालती रहती है यही कारण है कि जानी हुई कथा जाने हुए प्रसंग, जाने हुए
कलाकारों के बावजूद कलाकार का कौशल दर्शको को सीधे कथा के
तादात्म्य कराता रहता है। जैसे एक नैसर्गिक उष्मा, आनंद का व्यापार
कथा और दर्शक के बीच हो रहा है।

गम्मत का आरंभ वंदना के बाद सूत्रधार अत्यंत रोचक और
मनोरंजनात्मक तरीके से हास्ट पुट का समावेश करते हुए होता है।
उदाहरणतया -

सूत्रधार - जय-जय यशोदा के दुलारे।
जय-जय जन जन के रखवारे।
सूत्रधार मन नाम है मैं लीला सरदार।
करूं एक लीला नई सुनहूँ सकल नरनार।

लेकिन कौन सी लीला की जाय ? मेरी बुद्धि में विचार उत्पन्न नहीं हो
रहा है। पहले मैं प्यारी से ही पूछ लेता हूँ, इन्दु, ओ इन्दु !

कुछ साथी - भैया जी ! हम सब तैयार हैं।

सूत्रधार - साथियों से कहता है कि तुम्हें तैयार होने किसने कहा था। मैं तो
अपनी पत्नि इन्दु अर्थात् तुम्हारी भाभी को आवाज लगा रहा था।

कुछ साथी - भाभी घर पर नहीं है। भैया जी।

(इन्दु दर्शको को पार करती हुई मंच पर आती है)

इन्दु - जिस समय देखो, बस मेरे ही विषय में बात होते रहती है।

सूत्रधार - क्यों नहीं चलेगी। प्रियतम। तुम्हारे बिना मेरा कोई कार्य पूर्ण नहीं
होता।

इन्दु - अच्छा तो आपने मुझे याद क्यों किया ? कोई विपत्ति आ पड़ी है क्या
?

सूत्रधार - नहीं भाई कोई संकट नहीं आया है, अपितु मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि आज दर्शको को कौन सी लीला दिखाई जायेगी ?

इन्दु - आपको क्या बताऊँ पतिदेव । जब मैं यह मंच की ओर आ रही थी, तब मैंने एक मैया को देखा, जो अपने बालक को गोद में उठाकर लोरी सुना रही थी, उस मनोरम दृश्य को देखकर मुझे देर हो गयी।

सूत्रधार - अरे इन्दु! तुम तो एक सामान्य बालक को उसकी माता के गोद में देखकर इतनी प्रसन्न हो रही हो, प्रिये जिस समय त्रिभुवन नाथ (कृष्ण) यशोदा की गोद में सो रहे थे तथा मैया यशोदा उन्हें लोरी गाकर सुना रही थी। उस समय के अनुपम दृश्य का तथा सुख का बखान कौन कर सकता है प्रिये।

इन्दु - आप को सदा मगन भाव में चले जाते हैं।

सूत्रधार - प्रिये भाव ही तो इस जगत का सार है, बाकी सब तो व्यर्थ है। जहाँ भाव नहीं होता वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता।

‘भाव ही विश्व में प्रेमी की पहचान।

भाव ही से भक्त को मिलते हैं भगवान।’

इन्दु - एक ओर आश्चर्य से देखते हुए कहती हैं कि अरे यह क्या है आज भगवान श्री कृष्ण शिशु रूप में मैया यशोदा के गोद में खेल रहे हैं।

सूत्रधार - ठीक है, प्रियतम जैसे तुम्हारी इच्छा।

इन्दु - अब चलो, भगवान की लीला यही से प्रारंभ करें।

इसके बाद श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। सूत्रधार तथा नृत्य करने वाले रतनपुरिहा गम्मत के प्रारंभ होने से पूर्व मनोरंजनात्मक एवं रोचक संवाद के माध्यम से प्रसंगानुसार भूमिका बाँधते हैं। पूतनावध प्रसंग का एक दृश्य देखिये -

व्यास - कृष्ण पोतना जबहिं मारे सुनके कंस रिसानी।

कंस - हा ! यह मैं क्या सुन रहा हूँ।

श्रीधर - कंस महाराज की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो।

व्यास - बेले दुजमोहि आझा दीजै अबही गोकुल जाऊं।

काज करो तेरे मन भाये हरि बालक कर आऊं।

श्रीधर - महाराज मुझे आदेश दीजिए, मैं उस नन्हें कृष्ण का अभी हत्या कर देता हूँ।

मंत्री - (श्रीधर की ओर हास्यमयी मुस्कान डालते हुए) देखो तो इस ब्राम्हण को, मार डालूंगा कह रहा है, बड़ा आया।

श्रीधर - महाराज! मुझे आझा दें।

संवाद के माध्यम से व्यक्ति के उथलेपन की निरर्थक प्रसंग का सार कंस के दरबार का दृश्य है। कंस के दरबार में परी जरूर आती है। परी हमेशा कोई गीत गाती है। फिल्म गीतों के संबंध में रासधारी दादूसिंह का मानना है कि कंस श्री कृष्ण की प्रशंसा नहीं सुन सकता। उसे तो परियों का नृत्य तथा गीत ही पसंद आता है, यहाँ चीजे कंस के व्यक्तित्व की पहचान करता है। बेखट शब्दों का प्रयोग में विपरीत प्रभाव देने के पक्षपाती थे। वहाँ भी इस ‘मक्खी’ शब्द के प्रयोग में देखा जा सकता है।

कंस के राज दरबार में एक दृश्य में एक मंत्री देर से प्रवेश करता है। सुविधानुसार उसके लिये लिखा जायेगा -

कंस - अभी तक क्या कर रहे थे।

मंत्री नं. 2 - मक्खी मार रहा था महाराज।

कंस - क्या कहा ?

मंत्री नं. 1 - मक्खी मारना तो शूरवीर का काम है।

मंत्री नं. 2 - अरे क्यों नहीं। आपने किसी कवि का नाम नहीं पूछा है।

मंत्री नं. 1 - कवि ?

मंत्री नं. 2 - उसने कहा है -

ये हजारो जैसे हरि, सनी हारे मक्खी से।

परमेश्वर ने मनुष्य का, अभिमान उतारा मक्खी से।

बतलाओ तो क्या जोर, तुम्हारा चलता है मक्खी से।

कंस - मंत्री जी, आपने क्या मक्खी-मक्खी लगा रखा है। दरबार में आनंद के लिए सीधे परियों को उपस्थित किया जाये।

मंत्री नं. 2 - जी महाराज, तुरंत लाया। जी महाराज परियां आ गयी।

कंस - (गुरसे में आकर) कितनी देर से आयी है।

इसके विपरीत रतनपुरिहा गम्मत में मातृत्व का कोमलतम स्वरूप इन संक्षेपों में दिखलाई पड़ता है। संवाद सरल तथा सहज किन्तु किसी मां की ममता मिसाल पेश है। देवकी गर्भ से बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देती है। वासुदेव कृष्ण को गोकुल धाम पहुँचाने जाते हैं। इस दृश्य की संवाद प्रस्तुती अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है।

देवकी - प्राणनाथा आप नहीं मानेंगे क्या ?

वासुदेव - ईश्वर की ऐसी ही कामना है।

देवकी - (कृष्ण को उसके पिता वासुदेव के गोद में देते हुए -)

जाओ-जाओ पुत्र तुम यशोदा के गोद में पलने के लिए मेरी गोद सुनी हो जायेगी। यशोदा तुम्हें मुझसे अधिक स्नेह देगी तथा तुम्हारा मुझसे अधिक ख्याल रखेगी।

देवकी - ठहरो प्रभु। मेरे पुत्र को, मेरे लाल को जी भर के देख लेने दो।

इस तरह हम देखते हैं कि रतनपुरिहा गम्मत के संवाद में दो प्रकार की प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। प्रथम पद्यात्मक प्रवृत्ति जिसकी लिखित स्क्रिप्ट होती है जो बाबूरेवा राम के गुटके पर आधारित होती है। पद्यात्मक संवाद विभिन्न कवि के कविताओं पर आधारित होती है। अतः इसकी भाषा व्यापक तथा आध्यात्मिक होती है। दूसरी प्रदूषित संवादों की होती है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं होती। वे तुरंत प्रसंगो एवं वातावरण के अनुरूप गम्मत के कलाकारों द्वारा स्वयं ही संवाद गढ़ लिया जाता है। इसकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, अनगढ़ और लोकप्रिय भाषा है किन्तु इसमें संप्रेषणीयता की अद्भुत शक्ति हमें दिखाई पड़ती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, प्रतिभा, ग्राम रतनपुर का भौगोलिक अध्ययन,
2. चौहान, देवी सिंह, समवेत शिखर
3. गुप्त, प्यारेलाल, प्राचीन छत्तीसगढ़,
4. दक्षिण कोसल के साँस्कृतिक कला केन्द्र रतनपुर एवं पाली, विवरणिका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मण्डल
5. श्री विष्णु-महायज्ञ (रतनपुर) स्मारक-ग्रंथ, विक्रम संवत् 2000

Green Marketing - New Initiatives with Challenges

Dr. Dinesh Maheshwari *

Introduction - According to the American Marketing Association, green marketing is the marketing of products that are presumed to be environmentally safe. Thus green marketing incorporates a broad range of activities, including product modification, changes to the production process, packaging changes, as well as modifying advertising. Yet defining green marketing is not a simple task where several meanings intersect and contradict each other; an example of this will be the existence of varying social, environmental and retail definitions attached to this term. Other similar terms used are Environmental Marketing and Ecological Marketing. Thus "Green Marketing" refers to holistic marketing concept wherein the production, marketing consumption and disposal of products and services happen in a manner that is less detrimental to the environment with growing awareness about the implications of global warming, non-biodegradable solid waste, harmful impact of pollutants etc., both marketers and consumers are becoming increasingly sensitive to the need for switch in to green products and services. While the shift to "green" may appear to be expensive in the short term, it will definitely prove to be indispensable and advantageous, cost wise too, in the long run.

Why Green Marketing?

It is really scary to read these pieces of information as reported in the Times recently: "Air pollution damage to people, crops and wildlife in the US totals tens of billions of dollars each year". "More than 12 other studies in the US, Brazil Europe, Mexico, South Korea and Taiwan have established links between air pollutants and low birth weight premature birth still birth and infant death".

As resources are limited and human wants are unlimited, it is important for the marketers to utilize the resources efficiently without waste as well as to achieve the organization's objective. So green marketing is inevitable. There is growing interest among the consumers all over the world regarding protection of environment. Worldwide evidence indicates people are concerned about the environment and are changing their behavior. As a result of this, green marketing has emerged which speaks for growing market for sustainable and socially responsible products and services.

Thus the growing awareness among the consumers

all over the world regarding protection of the environment in which they live, People do want to bequeath a clean earth to their offspring. Various studies by environmentalists indicate that people are concerned about the environment and are changing their behavior pattern so as to be less hostile towards it. Now we see that most of the consumers, both individual and industrial, are becoming more concerned about environment-friendly products. Most of them feel that environment-friendly products are safe to use. As a result, green marketing has emerged, which aims at marketing sustainable and socially-responsible products and services. Now is the era of recyclable, non-toxic and environment-friendly goods. This has become the new mantra for marketers to satisfy the needs of consumers and earn better profits.

Green marketing is the process of developing products and services and promoting them to satisfy the customers who prefer products of good quality, performance and convenience at affordable cost, which at the same time do not have a detrimental impact on the environment. It includes a broad range of activities like product modification, changing the production process, modified advertising, change in packaging, etc., aimed at reducing the detrimental impact of products and their consumption and disposal on the environment. Companies all over the world are striving to reduce the impact of products and services on the climate and other environmental parameters. Marketers are taking the cue and are going green. Green marketing was given prominence in the late 1980s and 1990s after the proceedings of the first workshop on Ecological marketing held in Austin, Texas (US), in 1975. Several books on green marketing began to be published thereafter. According to the Joel makeover (a writer, speaker and strategist on clean technology and green marketing), green marketing faces a lot of challenges because of lack of standards and public consensus to what constitutes "Green". The green marketing has evolved over a period of time. According to Peattie (2001), the evolution of green marketing has three phases. First phase was termed as "Ecological" green marketing, and during this period all marketing activities were concerned to help environment problems and provide remedies for environmental problems. Second phase was "Environmental" green marketing and the focus shifted on

clean technology that involved designing of innovative new products, which take care of pollution and waste issues. Third phase was "Sustainable" green marketing. It came into prominence in the late 1990s and early 2000.

Green marketing is a vital constituent of the holistic marketing concept. It is particularly applicable to businesses that are directly dependent on the physical environment; for example, industries like fishing, processed foods, tourism and adventure sports. Changes in the physical environment may pose a threat to such industries. Many global players in diverse businesses are now successfully implementing green marketing practices.

Marketing Mix Of Green Marketing - When companies come up with new innovations like eco friendly products, they can access new markets, enhance their market shares, and increase profits. Just as we have 4Ps product prices, place and promotion in marketing, we have 4ps in green marketing too, but they are a bit different. They are buttressed by three additional Ps, namely people, planet and profits.

A. Product: The products have to be developed depending on the needs of the customers who prefer environment friendly products. Products can be made from recycled materials or from used goods. Efficient products not only save water, energy and money, but also reduce harmful effects on the environment. Green chemistry forms the growing focus of product development. The marketer's role in product management includes providing product designers with market-driven trends and customer requests for green product attributes such as energy saving, organic, green chemicals, local sourcing, etc., For example, Nike is the first among the shoe companies to market itself as green. It is marketing its Air Jordan shoes as environment-friendly, as it has significantly reduced the usage of harmful glue adhesives. It has designed this variety of shoes to emphasize that it has reduced wastage and used environment-friendly materials.

B. Price : Green pricing takes into consideration the people, planet and profit in a way that takes care of the health of employees and communities and ensures efficient productivity. Value can be added to it by changing its appearance, functionality and through customization, etc. Wal Mart unveiled its first recyclable cloth shopping bag. IKEA started charging consumers when they opted for plastic bags and encouraged people to shop using its "Big Blue Bag".

C. Place : Green place is about managing logistics to cut down on transportation emissions, thereby in effect aiming at reducing the carbon footprint. For example, instead of marketing an imported mango juice in India it can be licensed for local production. This avoids shipping of the product from far away, thus reducing shipping cost and more importantly, the consequent carbon emission by the ships and other modes of transport.

D. Promotion : Green promotion involves configuring the tools of promotion, such as advertising, marketing materials,

signage, white papers, web sites, videos and presentations by keeping people, planet and profits in mind. British petroleum (BP) displays gas station which its sunflower motif and boasts of putting money into solar power. Indian Tobacco Company has introduced environmental-friendly papers and boards, which are free of elemental chlorine. Toyota is trying to push gas/ electric hybrid technology into much of its product line It is also making the single largest R&D investment in the every-elusive hydrogen car and promoting itself as the first eco-friendly car company. International business machines Corporation (IBM) has revealed a portfolio of green retail store technologies and services to help retailers improve energy efficiency in their IT operations. The center piece of this portfolio is the IBM SurePOS 700, a point-of-sale system that, according to IBM, reduces power consumption by 36% or more. We even see the names of retail outlets like "Reliance Fresh", Fresh Namdhari Fresh and Desi, which while selling fresh vegetables and fruits, transmit an innate communication of green marketing.

Green marketer can attract customers on the basis of performance, money savings, health and convenience, or just plain environmental friendliness, so as to target a wide range of green consumers.

Consumer awareness can be created by spreading the message among consumers about the benefits of environmental-friendly products. Positing of profiles related to green marketing on social networks creates awareness within and across online peer groups. Marketing can also directly target the consumers through advertisements for product such as energy saving compact fluorescent lamps, the battery powered Reva car, etc.

Why Is Green Marketing Chosen By Most Marketers?

Most of the companies are venturing into green marketing because of the following reasons:

a. Opportunity : In India, around 25% of the consumers prefer environmental-friendly products, and around 28% may be considered healthy conscious. Therefore, green marketers have diverse and fairly sizeable segments to cater to. The Surf Excel detergent which saves water and the energy-saving LG consumers durables are examples of green marketing. We also have green buildings which are efficient in their use of energy, water and construction materials, and which reduce the impact on human health and the environment through better design, construction, operation, maintenance and waste disposal. In India, the green building movement, spearheaded by the Confederation of Indian industry (CII) - Godrej Green business Center, has gained tremendous impetus over the last few years. From 20,000 sq ft in 2003, India's green building footprint is now over 25 million sq ft.

b. Social Responsibility : Many companies have started realizing that they must behave in an environment-friendly fashion. They believe both in achieving environmental objectives as well as profit related objectives. The HSBC became the world's first bank to go carbon-neutral last year.

Other examples include Coca-Cola, which has invested in various recycling activities. Walt Disney World in Florida, US, has an extensive waste management program and infrastructure in place.

c. Governmental Pressure : Various regulations are framed by the government to protect consumers and the society at large. The Indian government too has developed a framework of legislations to reduce the production of harmful goods and by products. These reduce the industry's production and consumers' consumption of harmful goods, including those detrimental to the environment; for example, the ban of plastic bags in Mumbai, prohibition of smoking in public areas, etc.

d. Competitive Pressure : Many companies take up green marketing to maintain their competitive edge. The green marketing initiatives by niche companies such as Body Shop and Green & Black have prompted many mainline competitors to follow suit.

e. Cost Reduction : Reduction of harmful waste may lead to substantial cost savings. Sometimes, many firms develop symbiotic relationship whereby the waste generated by one company is used by another as a cost-effective raw material. For example, the fly ash generated by thermal power plants, which would otherwise contributed to a gigantic quantum of solid waste, is used to manufacture fly ash bricks for construction purposes.

Benefits Of Green Marketing : Today's consumers are becoming more and more conscious about the environment and are also becoming socially responsible. Therefore, more companies are responsible to consumers' aspirations for environmentally less damaging or neutral products. Many companies want to have an early-mover advantage as they have to eventually move towards becoming green. Some of the advantages of green marketing are

1. It ensures sustained long-term growth along with profitability.
2. It saves money in the long run, though initially the cost is more.
3. It helps companies market their products and services keeping the environment aspects in mind.
4. It helps in accessing the new markets and enjoying competitive advantage.
5. Most of the employees also feel proud and responsible to be working for an environmentally responsible company.

Problems Of Green Marketing : Many organizations want to turn green, as an increasing number of consumers' want to associate themselves with environmental-friendly products. Alongside, one also witnesses confusion among the consumers regarding the products. In particular, one often finds distrust regarding the credibility of green products. Therefore, to ensure consumer confidence, marketers of green products need to be much more transparent, and refrain from breaching any law or standards relating to products or business practices.

Paths To Greenness : Green marketing involves focusing

on promoting the consumption of green products. Therefore, it becomes the responsibility of the companies to adopt creativity and insight, and be committed to the development of environment-friendly products. This will help the society in the long run. Companies which embark on green marketing should adopt the following principles in their path towards "greenness."

1. Adopt new technology/process or modify existing technology/process so as to reduce environmental impact.
2. Establish a management and control system that will lead to the adherence of stringent environmental safety norms.
3. Using more environment-friendly raw materials at the production stage itself.
4. Explore possibilities of recycling of the used products so that it can be used to offer similar or other benefits with less wastage.

Marketing Strategies : The marketing strategies for green marketing include:-

1. Marketing Audit (including internal and external situation analysis)
2. Develop a marketing plan outlining strategies with regard to 4 P's
3. Implement marketing strategies
4. Plan results evaluation

Conclusion : A clever marketer is one who not only convinces the consumer, but also involves the consumer in marketing his product. Green marketing should not be considered as just one more approach to marketing, but has to be pursued with much greater vigor, as it has an environmental and social dimension to it. With the threat of global warming looming large, it is extremely important that green marketing becomes the norm rather than an exception or just a fad. Recycling of paper, metals, plastics, etc., in a safe and environmentally harmless manner should become much more systematized and universal. It has to become the general norm to use energy-efficient lamps and other electrical goods.

Marketers also have the responsibility to make the consumers understand the need for and benefits of green products as compared to non-green ones. In green marketing, consumers are willing to pay more to maintain a cleaner and greener environment. Finally, consumers, industrial buyers and suppliers need to pressurize effects on minimize the negative effects on the environment-friendly. Green marketing assumes even more importance and relevance in developing countries like India.

References:-

1. www.wikipedia.com and www.google.com
2. green marketing in india pavan mishra* & payal sharma**
3. green marketing by susan ward, about.com guide
4. jacquelyn ottman on www.greenmarketing.com
5. green marketing in india- mrs. r. sudha ,coimbatore
6. www.greenmarketing.net/stratergic.html

मध्यकाल में उद्योग एवं व्यापार

संध्या रानी *

शोध सारांश - आठवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक का काल भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में तमाम ऐसे विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ, जिन्होंने इस देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया है। इन विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त हमें समकालीन फारसी ग्रन्थों से भी अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक जीवन को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। प्राचीन काल से ही विदेशों से भारतवर्ष के व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ रहे हैं। इसी परम्परा में यह महत्वपूर्ण तथ्य भी जुड़ता है कि तुर्कों द्वारा दिल्ली-सल्तनत की स्थापना से इन सम्बन्धों में अपार वृद्धि हुई। सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक का युग तो भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों का स्वर्णकाल कहा गया है। मुहम्मद-बिन-कासिम के आक्रमण से भारत के लोगों का अरबों से प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ। कासिम जहाँ-जहाँ गया, उसने न केवल व्यापारियों का सुरक्षा प्रदान की, वरन् उन्हें क्षमादान भी दिया। सिक्का नामक स्थान के व्यापारियों ने तो स्वयं ही सामूहिक रूप से मुहम्मद-बिन-कासिम को अपना स्वामी मान लिया। जब ब्राह्मणानाबाद का किला उसके हाथ लगा, तो वहाँ भी व्यापारियों को शरण प्रदान की गई। अरब भूगोलवक्ताओं ने हमें उस काल के व्यापारिक एवं व्यापारिक नगरों की एक लम्बी सूची दी है, जिनमें मंसूरा, लाहौर, मुल्तान, खम्भात, धार, कन्नौज, नहरवाला, रामेश्वर, उज्जैन, मथुरा, मालिंजर, ग्वालियर, खजुराहो, अयोध्या, वाराणसी, प्रशावर, स्यालकोट, राजगिरि, सुनाम, मेरठ आदि मुख्य थे।

शब्द कुंजी - स्वर्णकाल, अल इदरीसी, मार्कोपोलो, मुहम्मद तुगलक और मुस्लिम व्यापारी।

प्रस्तावना - भारतीय शासकों ने सदा ही अरब व्यापारियों के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार का प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि दक्षिणी भारत में मुसलमान व्यापारियों को अलग से बड़े-बड़े नगरों में भूमि प्रदान की जाती थी ताकि वे उन स्थानों में बस जाएँ और अपने लिए मकान, धार्मिक स्थान तथा कब्रिस्तान आदि समुचित रूप से बना सकें। विशेष बात यह है कि व्यापारी जहाँ बसने लगे, वहाँ ही स्थानीय जातियों के साथ मिल-जुलकर वैवाहिक सम्बन्धों के भी प्रमाण मिलते हैं। अलबरूनी लिखता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारी उत्तर में कश्मीर के राजौरी नामक स्थान तक व्यापार करते थे। रायवंश के राय दीवाजी ने 'हिन्द' के अधिकतर राजाओं से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए थे और उनके राज्यों में व्यापारियों के काफिले पूर्ण सुरक्षा से विचरण करते थे। जब गोर के शासक बहराम गोर ने भारत-भ्रमण करना चाहा, तो वह व्यापारी के रूप में ही आया तथा उसे व्यापारी होने के नाते ही स्थान पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के वर्णन से पता चलता है कि भारत व चीन में चोरों को मृत्यु दण्ड दिया जाता था तथा बरामद सम्पत्ति उनके स्वामियों तक पहुँचाई जाती थी। यहाँ के लोग अत्यधिक न्यायप्रिय थे तथा बिना किसी मध्यस्थता अथवा वकालत के न्याय करते थे। यह सब कुछ से स्वाभाविक रूप करते थे क्योंकि यह सब उनके चरित्र में विद्यमान था और इसके आदी थे। इन सब बातों से व्यापार को बढ़ावा मिलता था और व्यापारिक कार्य निर्वाह होता रहता था। तुर्कों द्वारा दिल्ली-सल्तनत की स्थापना के साथ-साथ लगभग पूरे उत्तरी भारत में एक सशक्त शासन-व्यवस्था का उद्भव हुआ। बंगाल, बिहार, दोआब, मालवा, राजपूताना, पंजाब व गुजरात में शहरों का विकास होने लगा। कृषि के साथ-साथ अनेक उद्योग-धन्धे पनपने लगे। इसका कारण यह था कि दिल्ली के सुल्तानों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं में अधिकतर

सैनिक साज-सामान, हथियार, वस्त्र तथा अमीर वर्ग के लिए विलासिता की अनेक वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर राज्य के संरक्षण में ही होने लगा था। अधिक-से अधिक कारीगर व शिल्पकार राज्य की सेवा में आने लगे किन्तु इसके बावजूद अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात विदेशों से होता था।

13वीं शताब्दी में चंगेज खाँ और उनके वंशजों ने मध्य एशिया, ईरान, चीन, अफगानिस्तान, ख्वारिज्म आदि देशों में मंगोल शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी। उनकी गतिविधियों से भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा भी अछूती न रही। लाहौर तो 1241 ई० के मंगोल आक्रमण के बाद से दिल्ली-सल्तनत के नियन्त्रण से बाहर ही रहा। समकालीन ग्रन्थों में मंगोल आक्रमणकारियों की ध्वंसात्मक कार्यवाइयों का पर्याप्त वर्णन मिलता है परन्तु यह कहना काफी होगा कि मंगोल-अभियानों से नए-नए मार्गों की खोज हुई, जिनसे पूर्व व पश्चिम के मध्य व्यापारिक मार्गों की एक कड़ी स्थापित हुई। उनकी विध्वंसात्मक गतिविधियों से असंदिग्ध रूप से अनेक नगरों का विनाश हुआ, पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इससे व्यापारिक जीवन पर कितना बुरा असर पड़ा।

बहरहाल, यदि हम समकालीन ग्रन्थों का बारीकी से अध्ययन करें तो हमें मंगोल शासकों के रचनात्मक कार्यों का भी लेखा-जोखा प्राप्त हो जायेगा। मंगोल शासकों ने शीघ्र ही अनेक सम्भव उपायों द्वारा ध्वस्त नगरों का पुनर्निर्माण कराया और साथ ही साथ नये-नये नगरों की स्थापना भी की। जगह-जगह सरायों, भण्डार-गृहों, बाजारों का निर्माण करवाया ताकि व्यापारीगण सुरक्षापूर्वक अपना कार्य कर सकें। व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गईं। व्यापार में बाधक अनेक करों को समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार में उन्नति हो सकें। मार्गों की सुरक्षा का भार

स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया। मंगोल शासकों का प्रथम उद्देश्य था डाक-चौकियों की स्थापना, पुलिस का प्रबन्ध और मार्गों पर यात्रियों के लिए सुविधाएँ जुटाना ताकि व्यापारी अपने सामान व जानवरों के साथ विश्राम कर सकें। मंगोलों द्वारा व्यापारियों को विशेष आदर मिलता था। इसका प्रधान कारण यह था कि मंगोल स्वयं अच्छे व्यापारी न थे और इस प्रकार से व्यापारियों को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता था और उनसे वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किये जाने का उल्लेख मिला है। मंगोल शासकों द्वारा व्यापारियों को गारंटी-पत्र प्रदान किये जाते थे ताकि वे मंगोल राज्यों में कहीं भी भ्रमण कर सकें। प्रान्तीय गवर्नरों को व्यापारियों को सुविधा व सुरक्षा प्रदान किए जाने के विशेष निर्देश दिए जाते थे। उनके माल को निश्चित मूल्य से कई गुनी अधिक कीमत प्रदान किए जाने के विशेष निर्देश दिए जाते थे। उनके माल को निश्चित मूल्य से कई गुनी अधिक कीमत प्रदान की जाती थी। मंगोल अमीर-वर्ग व्यापारियों के विशेष समूहों में अपनी पूँजी लगाते थे, जिसके बदले उन्हें लाभ का एक उचित अंश मिलता था।

मार्कोपोलो के वर्णन से पता चलता है कि चीन के बादशाह कुबलाई ख़ाँ ने बारह व्यापारियों का एक दस्ता अपनी सेवा में नियुक्त किया हुआ था, जिसका कार्य व्यापारियों द्वारा लाये गए सामान का परीक्षण करने के बाद मूल्य निर्धारित करना था। जैसे ही व्यापारियों के काफिले राज्य में आते थे, उन्हें सीधे बादशाह के पास ले जाया जाता था। उनके माल पर निर्धारित मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य दिया जाता था। मंगोल शासकों द्वारा व्यापारियों को इतना सम्मान देने का कारण यह भी था कि वे देश-विदेश से विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुओं के अतिरिक्त अनेक प्रकार के सामाचार भी लाते थे जिससे उनको दुनिया भर की घटनाओं से अवगत होने का अवसर मिलता था। इसी काल में ही मार्कोपोलो व इब्नेबतूता जैसे विदेशी यात्री मध्य एशिया, ईरान, चीन, भारत आदि देशों के दूरस्थ भागों की यात्रा कर सके।

इन यात्रियों को मार्ग में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, किन्तु यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सशक्त शासन-व्यवस्था व मार्गों पर सुरक्षा के बिना उनकी यह यात्रा कभी सम्भव न हो जाती। अतः यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि मंगोलों ने केवल विध्वंस के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। मंगोलों की शक्ति समाप्त होने पर तैमूर व उसके उत्तराधिकारियों ने भी व्यापारियों के लिए अपने पूर्व-कालीन शासकों द्वारा अपनाई गई नीति को अपनाया। समरकन्द इस समय विश्व के सुन्दर व व्यापारिक नगरों में से एक था। मार्गों एवं नदियों पर बने पुलों की सुरक्षा का भार स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया था और व्यापारियों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी।

इस प्रकार का वातावरण सल्तनत-काल में हमारे देश में भी वर्तमान था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193ई० में मलिक-उल-उमरा हुआमुद्दीन को दिये गये निर्देशों से ज्ञात होता है कि प्रान्तीय गवर्नरों के ये मुख्य कर्तव्य थे- बड़े-बड़े मार्गों सड़कों, पुलों तथा अन्य छोटे-मोटे मार्गों आदि पर सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधाएँ देना। इसी प्रकार का वर्णन अन्य ग्रन्थों में भी मिलता है। शासक-वर्ग की कर्तव्यनिष्ठा के परिणामस्वरूप कुँआँ, सरायों, सामानघरों आदि का निर्माण होता था ताकि यात्रियों व व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इलतुतमिश द्वारा लाहौर का पुनर्निर्माण कराने से सीमावर्ती इलाकों में संचार कार्य तीव्र गति से होने लगा। उसके दरबार में विभिन्न देशों से यात्रियों के निर्वाध रूप से आगमन से उस काल के मार्गों की सुरक्षा का प्रमाण मिला

है। सुल्तान विदेशी व्यापारियों को विशेष उपहार देकर सम्मनित करते थे। गयासुद्दीन बलबन ने सिंहासन पर आते ही इस ओर ध्यान दिया। अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उसने मेवात में जंगलों को साफ करवाया और मेवों की गतिविधियों पर अंकुष लगाया, जो प्रायः व्यापारियों को लूट लिया करते थे। उसने मेवात में गोपालगीर के किले का निर्माण करके मेवा द्वारा होने वाले उत्पात का खतरा समाप्त कर दिया। इस प्रकार कटेहर व दोआब के इलाके में भी जंगल कटवा कर मार्गों को चारों व डाकुओं से सुरक्षित किया। जियाउद्दीन बरनी के फतबाह जहाँदारी में व्यापारिक तर्ग तथा आम जनता की भलाई के लिए शासकों का उल्लेख किया गया है। इनसे पता चलता है कि माल की कीमतों को कम रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए क्योंकि इससे कारीगर एवं व्यापारी दोनों लाभान्वित होते हैं और हस्तकला व उद्योग का विकास होता है। एक अन्य स्थान पर शहनों व गुमाशतों की नियुक्ति का उल्लेख है।

जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली-लखनोती के मध्य विद्यमान मार्ग में फैले हुए जंगल को साफ कराने तथा डाकुओं व लुटेरों से उसकी रक्षा का श्रेय प्राप्त है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी मार्गों की सुरक्षा तथा निर्विरोध यातायात के लिए कड़े कदम उठाए थे। उसकी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप सल्तनत की राजधानी दिल्ली दूर-दूर के व्यावसायिक एवं व्यापारिक केन्द्रों के सुरक्षित मार्गों से जुड़ती गई। उसके काल में मंगोल आक्रमणों ने हमारे देश को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया, फिर भी, चारों ओर शान्ति व समृद्धि का साम्राज्य स्थापित रहा और इसका प्रधान कारण यह था कि वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना निषिद्ध था। व्यापारी अब राज्य की सेवा में आ गए और राज्य के लिए दूरस्थ भागों से वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ लाते थे। अमीर-खुसरों के अनुसार अलाउद्दीन के काल में सिन्ध नदी से लेकर समुद्र तक चोर और डाकुओं का नमोनिशान तक न था।

फबायद-उल-फवाद नामक ग्रन्थ में शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का वर्णन है। इसमें अनेक कहानियाँ हैं- जिनसे हमें समकालीन लोगों के आवागमन, यातायात, व्यापार-सम्बन्धी जानकारी मिलती है। एक स्थान पर एक दरवेश की कहानी है जो दासों का व्यापार करता था।

गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में कृषि एवं व्यापार के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। बरनी के अनुसार उसके राज्यकाल में भिखारी भी काम-धन्धों में लग गये थे। लोग अनेक प्रकार के उद्योगों में जुटकर समृद्धि अर्जित करने लगे। लुटेरे व चोर अब मार्गों की सुरक्षा में लग गये थे। नहरें खुदवाई गई, बाग लगवाए गये और ध्वस्त नगरों को पुनः आबाद किया गया। इन सभी कार्यों से व्यापार में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था।

इस नीति को इसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह तुगलक ने जारी रखा। इसका सल्तनतकाल, शान्ति व वृद्धि का काल था। उसने अनेक ऐसे करों को समाप्त कर दिया, जिनके भुगतान के लिए व्यापारियों को काफी कष्ट भोगना पड़ता था। इनमें से मुख्य थे, दलाल-ए-बाजारहा अर्थात् क्रय-विक्रय पर लगाने वाला कर तथा चुगी-ए-गल्लाह अर्थात् अनाजों पर लगाने वाला कर। सुल्तान ने अनेक नगर बसाए, नहरें खुदवाई तथा उद्यान लगवाए, जिससे व्यापारिक कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई। उसने काल में सुल्तान के गवर्नर आइनुलमुल्क मुल्तानी द्वारा लिखित इंशा-ए-माहरू से पता चलता है कि अधिकारियों को पत्राचार में किसी भी प्रकार से देरी करने की आज्ञा न थी क्योंकि इससे व्यापारियों के हित पर बुरा प्रभाव पड़ता था। साथ ही मुक्ताओं व अन्य उच्चाधिकारियों से व्यापारियों के साथ सद्व्यवहार की उपेक्षा की

जाती थी। व्यापारियों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे ठीक व्यवहार करें, ताकि व्यापारिक कार्यों में कोई बाधा न आने पाए। अफीफ न अपनी तारीख-फिरोजशाही में इस काल में व्यापारियों के काफिलों को दूर-दूर देशों में ले जाने का वर्णन किया है। तैमूर के आगमन के समय देश की हालत असंतोषजनक थी परन्तु जैसे-तैसे व्यापार चलता रहा। तारीख-ए-सिंध से हमें सिंध के शासक के व्यापारियों प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख का पता चलता है। एक बार काफिला गुजरात से सिंध की ओर गुजर रहा था तो समकालीन शासक जामखेरूदीन को इस काफिले की लूट के बारे में पता चला। उसने लुटेरों का पता लगवाया और उनसे बरामद माल दुर्घटनाग्रस्त काफिले के व्यापारियों के वंशजों को पहुँचाया। अपराधियों को मृत्युदण्ड दिया गया। इसी प्रकार मालवा के शासक महमूद खिलजी को अपने राज्य में जंगलों को साफ कराने तथा मार्गों को चारों, डाकुओं तथा जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने का श्रेय प्राप्त है। मालवा का ही शासक होशंगशाह स्वयं घोड़ों का व्यापार करने जाजगनगर जाया करता था और वहाँ से हाथी प्राप्त करता था।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में भारतीय शासकों ने अपने ओर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मार्गों की सुरक्षा, मार्गों के दोनों ओर फलदार व छायादार वृक्षों को

लगवाना, स्थान-स्थान पर सरायों, जलाशयों, भंडारमृहों का निर्माण एवं ग्रामों तथा शहरों में बाजारों की स्थापना से व्यापारिक गतिविधियों को काफी बल मिला। यद्यपि कभी-कभी मार्गों की असुरक्षा से एवं जंगली जानवरों तथा कबायली लोगों के आतंक के कारण व्यापारियों को कष्ट झेलने पड़ते थे, तथापि व्यापारिक काफिले इस देश में लगातार आते रहे और भयमुक्त होकर व्यापारिक कार्य में संलग्न रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० यूसूफ अली : मेडिवल इंडिया सोशल एंड इकोनामिक कंडीशन : लंदन, 1932।
2. ऑर०एच० मेजर : इंडिया इन दी 15 सेंचुरी।
3. जयशंकर मिश्रा : 11वीं सदी का भारत : वाराणसी : 1970।
4. अब्बास रिजवी : तुगलक कालीन भारत : भाग-2, 1956-57 (अलीगढ़)।
5. प्रो० हरिश्चन्द्र वर्मा, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली, 1983।
6. डाइनमिक्स ऑफ अर्बन लाईफ इन प्रीमुगल इण्डिया।
7. लल्लनजी गोपाल: Economic life if Northern India (CAD, 700-12000)

Mall Introduction, Management and Impact in India

Anukriti Srivastava *

Abstract - The Indian government doesn't acknowledge retail as associate degree trade even nowadays. In Asian country ninety-eight of the retail sector consists of counter-stores and street-vendors. With no massive players, inadequate infrastructure and atiny low affording population that believed in saving instead of outlay, Indian retail ne'er attracted the interest of huge firms. That was until they accomplished that retail in Asian country could be a USD 320 billion-dollar trade, growing at CAGR five-hitter and contributive to thirty ninth of the gross domestic product. it would appear nearly nonsensical that this necessary sector of the country's economy has been unnoticed by company giants. One cannot blame them although. Indian retail has been a historically unorganized sector, dominated by counter-stores and street vendors whereas retail sector employs an oversized sector of the population, most of those individuals square measure uneducated, unskilled people that regard retail because the most popular career various to agriculture. They ne'er had the suggests that nor can develop the world or expand their business. Retail ne'er enjoyed the support of the Indian client.

Keywords- Retail sector,trained workers,Design problems and CAGR.

Introduction - A mingy population that hardly had the suggests that to create finish meet ne'er treated searching as a variety of leisure. whereas individual retailers saw little gains, lack of infrastructure, associate degree unattractive Indian client and absence of regulation ne'er provided the scale that retail giants may make the most. Meanwhile, the govt most popular to seem the opposite approach whereas this unorganized retail sector provided a meager commonplace of living to millions in an exceedingly country wherever poorness infested the bulk of the population. The unorganized retailers survived on skinny margins and low volumes, whereas the company giants preferred to pay their resources in areas like power, industrials and telecommunication wherever the large-scale opportunities were luxuriant. nowadays the retail trade has witnessed a noteworthy transformation. Mall development has been known as an essential issue for the success of malls and therefore the retail trade across the globe. Mall management generally includes mall positioning, zooming, tenant mix, promotions/marketing and facility/finance management. Currently, the Indian retail market lacks selected mall management corporations. massive assets developers and retail chains either have their own mall management arms in operation as subsidiaries or have written agreement agreements with international property consultants. until recently, mall management was restricted to facility management by a majority of developers in Asian country, resulting in gaps in mall management practices. Given the high future offer of malls and increasing aggressiveness among the Indian retail market, developers should properly address these gaps to make sure success. According to

the Jones Lang explorer distributor Sentiment Survey 2006, ninety-five.p.c of the resopondents expect their gross turnover to enhance and have plans for enlargement in 2007. regarding seventy p.c of these WHO have enlargement plans aforesaid they like malls over high streets for his or her enlargement, indicating the rising demand for malls because the most popular destination of unionized retail in Asian country. Moreover, regarding sixty five p.c of these WHO most popular malls over high streets additionally aforesaid that mall management is anticipated to become the deciding issue for a mall's success within the future. but a way of concern was expressed over the subsequent challenges to the indian retail market:

1. Lack of quality locations
2. Shortage of trained workers
3. Rising rental values
4. Mall management

The first 3 considerations may be classified as external factors, whereas mall management is internal. External factors square measure common to any or all players within the Indian retail trade, whereas mall management is restricted to individual malls. we tend to anticipate that the success of Indian malls won't solely be achieved by housing the largest and therefore the best mixture of retailers, however additionally by putting in place new standards and procedures in mall management which will offer a platform to differentiate its product and services kind competitors. within the current market situation, each shopper and retailers have restricted alternative in terms of mall searching expertise. As unionized retail selections to shoppers and retailers. At this time, developers can have

*Assistant Manager, IDBI Bank Ltd., Greater Noida (U.P.) INDIA

to be compelled to work tougher to form a differentiation for his or her product. we tend to believe shoppers and retailers are interested in malls that square measure professionally managed, creating effective mall management an essential issue being the success of a mall. This report focuses on the interior issue: effective mall management as a growing development within the Indian retail trade nowadays. The prime objective of landlords in addition as of investors is to draw in shoppers and persuade them to get merchandise and services. this can successively boost retailer's turnover and profit their bottom line. economical mall management will facilitate landlords succeed this goal. The number malls in operation across the country's landscape might have the individuals dumfounded regarding wherever can the department stores realize such a big amount of customers and tenants. However, the actual fact is that mall culture remains in fledgling stage in Asian country as compared with developed and plenty of developing countries. The partial foreign direct investment (FDI) relaxation in 2006 was to permit fifty-one possessions in joint ventures by single-brand corporations within the retail market. This triggered high international single complete distributor interest within the Indian retail market. in addition, massive Indian conglomerates like Reliance Industries and Aditya Birla cluster is commencing their raid merchandising across the country. This prompts the Indian retail trade to beyond question progress a high growth curve. However, at this juncture, merchandising remains Janus-faced with one major challenge: systematic mall management. Currently, there square measure only a few selected mall management corporations in Asian country. However, huge retail chains like Future cluster and a few massive developers have found out their own mall management divisions that operate as their subsidiary corporations. Some developers like DLF have additionally entered into written agreement arrangements with international property practice corporations to manage their malls.

Historically, developers were managing their malls in house, that are expected to alter going forward. Earlier within the decade, mall developers were additional inclined towards exiting the project early by mercantilism retail mall units to investors at the pre-completion and post-completion stages and reserved profits. because the possession of individual retail areas was with completely different entities, there was no central authority managing the department stores. There was no management over the varied aspects of mall management earlier in Republic of India. although there are some samples of professionally managed malls in recent years, organized retail in Indian malls have a protracted thanks to attend bring home the bacon optimum and arranged mall management. Here organized face of malls concern systemization in totality that to this point is ostensibly absent. Following are a number of the problems plaguing malls in Republic of India.

Lack of Feasibility/Market analysis before the event of

a mall within the Past, some malls were created while not finishing up a rigorous due diligence exercise on their practicableness. The market scene is bit by bit dynamical wherever { in additional} and more developers are approaching property practice corporations to conduct practicableness and positioning studies for his or her comes.

Zoning: Landlords/developers tend to lease out retail house on a first-come-first-served basis. This creates a sub-optimal tenant combine sort of a food Associate in Nursing potable outlet next to a designer attire search rather than an accessory or a footwear search.

Design problems: at the present, most of the popular malls have long queues and congestion outside their main entry points throughout weekends and gay seasons. Having just one entry and exit points additionally results in overcrowding. Similarly, the visibility of retail units from all vantage points is poor in several malls.

Few Promotional Activities: There are only a few promotional activities organized within most malls at the present. Developers understand that these events solely facilitate increase traffic and not revenues.

Facility Management: smart infrastructure/facility management of common areas becomes a haul in malls wherever stores are sold-out as strata title.

Parking: several malls in Republic of India don't have adequate parking. Since most malls are being in-built town, developers usually give basement parking facilities. However, these parking areas are inefficient because of low ceiling heights, unhealthy lighting and clerking and exit points.

Organized company selling in poised to become the business of the last decade in Republic of India. selling presently contributes concerning %} of India's value and 6-7 percent of employment. With some fifteen million stores, Republic of India has the very best retail density within the world. however solely seven p.c of those shops are quite five hundred sq. feet in size and most are family owned outlets and institutions. the worth of organized retail is predicted to grow two.8 times by 2011 to a Rs. 1,000 billion trade, attracting several international retail chains like Wal-Mart, Tesco, and crossroad. Foreign direct investment (FDI) up to fifty one p.c in single whole retail was allowable in 2007, multi-brand retail is predicted to open up to FDI shortly.

Meanwhile, Indian retail chains like Reliance Retail, Croma, Aditya Birla cluster, S Kumar's, Shoppers' Stop, Westside, Trinethra and Pantaloon have all been consolidating their reality, brands, market shares and locations. Retail giants, the most important being Wal-Mart-Bharti, Reliance, A V Birla cluster and Future cluster (Pantaloon), arrange to expand the share of organized retail from the present four p.c to or so 15-20 p.c until 2015 by finance quite \$25 billion (excluding assets investment). Of the planned investment, 60-65 p.c can go towards putting in the provision chain for food and groceries. what's notably

uncomfortable is that the pace at that company retail chains are getting into and increasing within the retail market, with analysis quoted as speech communication that Republic of India is trying to try do in ten years what took 25-30 years in alternative major international markets. However, to-date there's little understanding of what the impact of company retail are on the questionable unorganized retail sector and also the agricultural sector (the country's 2 largest sources of employment).

The competition for urban house between the union and also the informal merchant is turning into additional intense. With rural-urban migration and general state within the cities, the organized sectors unable to soak up labor in comfortable quantities. within the create alleviation amount, the speed of growth of employment within the organized sector is barely zero.34 percent, less than within the pre-liberalization section, and 3.6 times less than the expansion rate of employment within the informal sector within the same amount. The informal sector grows with "passive proletarianization"; the direct producers don't get into salaried positions within the formal marketplace. As contemporary migrants into the cities be a part of the reserve army of the urban utilized, incomes among the arena tend to drop might tend to drop.

There is growing difference among the informal sector as there's between the formal and informal. The weakest and also the smallest shoulders got to bear the heaviest burden of informalization. If the quantity of malls and retail chains multiply, the sales impact on little outlets in doubtless to be intense and earnings can keep falling until of these small accumulators become micro-subsistence seekers. Informal sector employment are often classified into a minimum of two sub-categories Associate in Nursing intermediate sector, that has reservoir of micro-enterprises and also the community of the poor, residual and underneath utilized labor (Source: Davis 2006). FDI in retail and the growth of huge company retail trade can slowly

erode the informal petty accumulators (small operators in unorganized retail) and increase the plenty of the informal class. The wage employment generated in unorganized retail is infernal employment. Infernal employment, by its terribly definition, implies the absence of final contracts, rights and talks power. Hence, deteriorating business conditions here can increase petty exploitation and worsen the heap of the wage earners. The infernal class is additionally the foremost vulnerable; it's composed of unskilled, contemporary immigrants from rural areas and is least mobile of the force.

The milliondollar question is, will organized retail and related activity absorb the 40 million persons currently employed in the sector? An average mall employs not more than 500 personnel directly in its various retail outlets. This estimate excludes contract staff like house keepers, loaders, security staff, etc. Since, the sector of organized retail still suffers from the stigma of non-recognition of industry, only bold decisions and prudent policy measure can help fight this menace.

References :-

1. Gil Ereat, Analysis and Interpretation in Qualitative Market Research, Page No. 87, Edition 2002, Sage Publications.
2. Geoffrey Randall and Andrew Seth, Supermarket Wars : Global Strategies for Food Retailers, Page No. 241, Edition 2005, Macmillan.
3. Jaynie L Smith, Creative Competitive Advantage, Page No. 182-184, Edition 2006.
4. Barbara A Glanz, Care Packages for Your Customers, Page No. 45, Edition 2007, McGraw-Hill.
5. Joachim Zentes, Dirk Morchett and Hanna Schramm-Klein, Strategic Retail Management, Page No. 143, Edition 2007, Gabler.
6. G Barnes, Build Your Customer Strategy, Page No. 14, Edition 2006.

Working Capital Analysis of Cement Companies in India

Mr. Ramesh S. Kookda* Prof. Anita Shukla**

Introduction - Cement industry, which has been signed out from investigation in the present study, is indeed the backbone of economic growth in any country. A thick relationship has been found between the level of economic growth and the quantum of cement consumption in developed as well as developing countries. Cement industry, through its forward linkages provides the maximum stimulus to growth in other industry also. One employee in cement manufacturing activity support ten to twelve persons in related activities.

India is the second largest produce in the world in production of cement. It is great centralization and control in cement industry than any other industry in India. The industry is well diversified over all the states of India. Cement plays an important role in the development of the country. Cement in being used from more than 150 years of construction. The cement consumption determines the infrastructure strength and development of the nation.

In India, since independence, great emphasis has been laid on the development of cement industry. It is one of the key basic industries in India. It play dominant role in the national economy.

The History of Cement industry in India started when the first plant was set up in 1904 at Chennai (Madras) in their earlier stage. Now a day cement has become the essential unit used for the construction works like buildings, bridge, dams etc. The cement industries have been growing with global competence for quality and satisfaction of the products.

In every business an optimum level of working capital is to be maintained for the purpose of day to day remittances. Any business cannot grow in absence of satisfactory working capital level. In case of shortage of working capital the business may suffer scarcity of resources. But it should also be kept in mind that even working capital in excessive quantity, possibly will result into superfluous cost. Therefore the management of business firm should goal and optimal level of working capital. Working capital should be ample enough to carry out the current liabilities but should not be much more than the genuine requirement. In the circumstances, when the

financial resources are insufficient and as a consequent capital cost is to be enlarged, management of working capital became even more crucial and significant due to its profound influence on liquidity and profitability of the business.

Working capital refers to the amount of capital which is available to an organization that is, working capital is the difference between resources in cash and readily convertible into cash current assets and organizational commitments for which cash will soon be current liabilities. Thus, Working capital involves activities such as arranging the short- term finance, negotiating favorable credit terms, controlling the movement of cash, administrating accounts receivables and monitoring the investments also a great deal of time.

Definition of Working Capital

Shubin – “Working capital is the amount of funds necessary to the cost of operating the enterprise. Operating expenses involve investment in current assets, payment towards overhead and expenses. Investment made in these heads is classified as working capital”.

J. Smith “The sum of the current assets in the working capital of the business.”

L.J. Guthmann also described working capital as “The portion of firm's current assets which are financed from long-term funds.”

Objective of paper:- To analysis the current ratio of selected cement companies in India.

Conceptual Frame Work - Working capital management is the way a company manages the relationship between assets and liabilities in the short term. Simply put, working capital management is how a company manages its money for day a day operations as well as any immediate debt obligations. When managing working capital, the company has to manage accounts receivable, accounts payable, inventory and cash. The goal of working capital management is to have adequate cash flow for continued operation and have the most productive usage of resources. The capital required for company may be classified into two part-

Fixed Capital – Fixed capital required for a acquisition of a

*Research Scholar (Commerce) JRN Rajasthan Vidyapeeth Deemed University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Director, Faculty of Management Studies, HOD Accounting, Dean Faculty of Commerce, JRN Rajasthan Vidyapeeth Deemed University, Udaipur (Raj.) INDIA

long term assets which are called fixed assets is termed as fixed capital, the amounts invested in these assets get blocked up for a long period. Examples are land, building plant and machinery, furniture etc. These assets are purchased to facilitate production and sale, they are not respected to be converted into cash.

Working capital also requires funds for purchasing raw materials for paying day to day expenses such as wages, salaries, rent, taxes, electricity bills etc. Goods purchased must be paid for in cash but the firm cannot immediately sell them and get cash because there is a time gap between purchased and sale funds required for purchase of raw materials and to meet the day of day expenses is called the working capital of a firm.

Term of Working Capital - The term working capital is understood in two different ways-

To understand the concepts of working capital it is necessary to understand what are current assets and current liabilities. Current assets are those assets which can be easily converted into cash within the period of one year and those which are required to meet the day to day operations they include cash and bank balance, marketable securities, Sundry debtors, bills receivables, Work in progress, finished goods prepaid expenses, income accrued but not received etc.

Current liabilities refer to those liabilities, which the amounts due to be paid to creditors within twelve months.

Thus, Gross working capital is the sum total of all the current assets of the company.

As the current liabilities are expected to be repaid within one year, the currents should be larger than the current liabilities so that they can be rapid on time. The excess of current assets over current liabilities i.e. the net working capital indicates the part of current assets financed by long term sources.

Net working capital is the difference between current assets and current liabilities.

Net working capital = Current assets – Current liabilities.

Limitation of ratio analysis:

1. Ratio depends on the figure of the financial statement but in most cases, the figures are window dressed.
2. Ratio analysis became more meaningful and significant if trend analysis is possible, but in practice, it is difficult all the time.
3. Comparison between two variables, prove worth provide their basis of valuation is identical. But in reality, it is not possible, such as method of valuation of stock in tread or charging different method of deduction of

fixed assets etc.

Current Ratio - The current ratio establishes the relationship between current assets and current liabilities. The objectives of computing this ratio is to measure the ability of the firm. It indicates the availability of current assets in ruppes for every rupee of current liability. The satisfactory current ratio is 2:1. The ratio is calculated by dividing current assets by current liabilities. A ratio of greater than one means that the firm has more current assets than current claims against them.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liability}}$$

The current ratio is a liquidity ratio which estimates the ability of a company to pay back short term obligations. A higher current ratio indicates the higher capability of a company to pay back its debts. Acceptable current ratios vary from industry to industry and are generally between 1.5 and 2 for healthy businesses. If a company's current ratio is in this range then it generally indicates good short-term financial strength.

A higher current ratio is always more favorable than a lower current ratio because it shows the company can more easily make current debt payments.

Table -1 and gaph (see in next page)

Current ratio of cement companies is showing fluctuating trend during the study period 2010-11 to 2016-17. The current ratio of Ambuja cement was 2.02 percent in 2014-15, which is the highest current ratio on that year. The current ratio of JK cement in 2010-11 is 1.99 percent, which is the highest among all cement companies in that year. In 2012-13 again the current ratio of Ambuja cement was 1.99 percent, which was maximum on that year. Shree cement has the highest current ratio in 2016-17, which was 1.65 percent. If we look of the analysis of minimum current ratio of selected cement industry according to the table the current ratio of India cement industry and Prism cement industry has been less than 1 percent. In the study from 2010-11 to 2016-17, Gujarat cement industry has the minimum current ratio in 2016-17, which is 0.02 percent.


References :-

1. Agarwal R. N., Corporate Investment and financing Behaviour, An Economic Analysis, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1987.
2. Argenti, John: "Corporate Planning-A Practical Guide", George Allen and Unwin Ltd., London, 2018.
3. Aswathappa K., "Business Environment for Strategic Management", Himalaya PublishingHouse, 2015.
4. Annual Reports of Cement Industries.

Table -1 Current Ratio

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	Average
JK CEMENT	1.99	1.47	1.14	1.32	1.12	1.29	1.18	1.3586
ACC CEMENT	1.36	1.42	1.36	0.97	0.88	1.37	0.98	1.1915
ULTRA TACH CEMENT	1.36	1.48	1.26	1.57	0.9	0.86	1.55	1.2829
GUJRAT CEMENT	1.16	1.19	1.51	1.1	1.13	1.0	0.62	1.1014
INDIA CEMENT	0.53	0.56	0.65	0.62	0.72	0.68	0.73	0.6415
AMBUJA PAYMENT	1.54	1.75	1.94	1.9	2.02	1.22	1.34	1.6729
SHREE CEMENT	1.32	1.35	1.6	1.6	1.61	1.56	1.65	1.5272
PRISM CEMENT	0.82	0.83	0.80	0.87	0.97	0.91	0.68	0.8448

Sources :Various annual Reports of Cement Industries



A Study on the Knowledge Perspective of Enterprise Platforms

Dr. Abhishek Raizada *

Abstract - Knowledge, skills, and innovation potential increase as the size of large companies, economic development becomes even more important. Platform-based construction and transformation strategies are being adopted by many enterprises in order to facilitate the transfer of value-added and interconnected resources including knowledge. In addition, multiple resources are being integrated in order to meet unmet requirements. It examines knowledge recognition and acquisition, knowledge integration and creation, and knowledge sharing and uses as a first step towards understanding the concept of knowledge management of platform enterprises. As a way of describing the entire process of the platform enterprise, we store the four links to summarize the requirements in the knowledge cycle. The last force of reorganization we propose is an external leading force in transforming knowledge generation and reconstruction of organizations. The article suggests ways platform companies can improve their cultural environment, optimize their organizational structure, and leverage technology to reference.

Key Word- Enterprise Platforms, Knowledge Management, Knowledge Flow, Knowledge Needs.

Introduction - Production methods and operation methods of enterprises have changed significantly as the new industrial revolution has progressed. The sharing economy and artificial intelligence cloud computing, a new force in science and technology, have promoted the transformation of traditional enterprises into platform enterprises as a result of the new economic model and technological innovation. Platform enterprises connect two or more vendors with customers, allowing them to exchange value. With the help of sophisticated technology, they are able to meet the exact needs of buyers, as well as exploit the resource complementarity of multiple enterprises. There are a large number of stakeholders in platform enterprises, but the environment is complex and changing. Therefore, special knowledge management technologies and models are needed to deal with the problem of interest distribution and long-tail effect in two-sided or multi-sided markets and promote the good realization of the network effect. Through socialization of knowledge generated through subject sea quantification and professional characteristics, we will create a more difficult way to recognize knowledge and establish a sharing and integration of knowledge, this article will focus on the knowledge management process from the four links above, explaining the function of a platform enterprise from input to output, as well as difficulty involved in implementing each process, for the individuals, governments and enterprises, are also discussed. Such measures are discussed as a reference for upgrading and transforming to strengthen core competitiveness.

Knowledge Management For Platform Enterprises:

Necessities, of Which Is Notation, Characteristics and Importance

Platform enterprises and their connotation: In the study by Boston University and Tulane University, the firms were divided into linear and platform businesses. Core values are created according to end users' requirements, while core values are not created by end users, but each of these groups is involved with the creation of core values. Platform enterprises offer a full range of quality services to all stakeholders on their platforms that promote interaction between stakeholders, thus creating more interactive markets and market effects.

Platform enterprises have the following characteristics:

An enterprise based on a platform differs significantly from an enterprise based on a linear model. In the following paragraphs, we describe their three differences: policies, technical circumstances, and market circumstances. These problems involve a number of aspects of development. Platform companies are uncertain whether these will affect government policies and guidelines aimed at ensuring the sector's stability and health. In terms of technological environment, nowadays, when information explosion and technological advancements are widespread, a platform refers to the most fundamental technology behind a network. Consequently, platform companies have to be constantly on top of the latest technology and to be more flexible with their technical solutions; In terms of the market environment: Platform companies face a two-sided or multi-sided market. To participate in the transaction on the same platform, platform enterprises must attract groups of

* Director, Educosm Technical Campus, Jaipur (Raj.) INDIA

participants with different roles. Platform-type enterprises have therefore gained a considerable number of customers. More and more personalized and diverse needs are being met by customers. Aside from the complexity of the above environment, linear enterprises and platform enterprises also present the following differences :

Management Objects: linear enterprises are mostly concerned with physical assets, while platform enterprises are more concerned with intangible knowledge assets, which makes knowledge management important to platform enterprises;

Management Objectives: The goal of management has shifted from optimization of the internal system to maximizing the network effect and the externality of the network;

Strategic Core: In the development process of linear enterprises, they often show competitive relationships with other companies. The core strategic is to enhance product competitiveness, to improve the ultimate value of customers and to occupy the advantage in the market, while the core strategy of the platform enterprises is to build a sustainable cycle ecosystem to realize the realization of the value demands of multiple groups in the entire system.

Knowledge Subject: The source of knowledge for linear enterprises is mainly employees within the company, while platform enterprises have rich sources of knowledge due to the diversity of connected subjects. To sum up, the differences between linear and platform enterprises are summarized, as shown in Table 1.

Table1: Comparison of Characteristics between Linear Enterprises and Platform Enterprises

Characteristics	Linear enterprises	Platform enterprises
Market Type	Single-sided markets	Two-sided or multi-sided markets
Management Objects	Tangible and intangible assets	Intangible intellectual property
Management Objectives	Optimize internal systems	Focus on network externalities and internal with external interactions
Strategic Core	Customer ultimate value	Ecological cycle value
Knowledge Subject	Internal staff	Stakeholders
Environmental Complexity	Lower	Higher

Data Source: The author arranges by himself

A key requirement for platform enterprises is knowledge management : Since platform enterprises operate in a changing environment including political, technical, and market factors, they are more complex and prone to change than linear enterprises. In today's

globalized, fast-paced, dynamic environment, a company's strategy must include a knowledge management component to maintain its competitive advantage. Because platforms are open to the coexistence of diversity, the growth of knowledge sharing and environmentally responsible activities are likely in open systems. Generally, the other stakeholders carried by platform enterprises have become more socialized and more diverse over the last few decades. Their types and composition are also becoming more diverse, as well as their needs becoming more complex, individualized, and diverse. As a platform enterprise, you must market yourself to grow the number of customers and your ability to recognize and acquire environmental fluctuations, i.e., your ability to acquire knowledge. Using Internet technology has led to a fragmentation of knowledge. Fragmented time is used to acquire fragmented knowledge, and fragmented thinking is used to reconstruct and integrate fragmented knowledge due to fragmentation. Additionally, Chinese platforms are rapidly growing, and homogenization is becoming more problematic. The number of sources of information is impressive, and knowledge is fragmented as well. Using knowledge to innovate and integrate on a platform allows for the platform to bring more value to users, as well as take the lead in many individual markets.

The market is highly competitive. It is extremely difficult to categorize and categorize the models of Chinese platform enterprises. In this fluctuating environment, it is not unusual for businesses to convert frequently. In order to store the great experience of previous company developments, enterprises need a robust knowledge storage system. Moreover, the increasing intensity of platform-based enterprises also means enterprises need to communicate and share with heterogeneous or homogeneous enterprises, and then use complementary advantages to achieve more stable development.

A Knowledge Management Challenge For Platform Enterprises

Platform enterprises to establish a model for knowledge flow: Due to the distinctive characteristics of platform enterprises, the analysis shows that they must-have capabilities for knowledge recovery, knowledge acquisition, knowledge integration, knowledge storage, and knowledge sharing and application. The following article will describe the entire process of managing knowledge inputs and outputs for a platform enterprise and also illustrate the understanding generated from these four parts. A closed-loop knowledge transfer is the hallmark of platform enterprises. The primary source of information is internal members, external members, and environments with more complexity. Documents and records generated by the internal members include performance evaluation, status reports, and employees' perception of the operation process, customers, products and services, and the market, while external members generate information about transactions, evaluations of service and products, and product feedback from customers; The environmental

information includes changes in policy, technology, and market environment. Because of the scattered knowledge among these three parties, that is, the accumulation of a large number of knowledge elements, it is imperative for businesses to seize the opportunity to establish proper knowledge acquisition and acquisition. Enterprises create new knowledge by integrating knowledge from multiple sources and converting tacit knowledge into explicit knowledge, which are the outcomes of knowledge integration into platform enterprises. In order to further advance the advancement that forms workflow knowledge, customer knowledge, and market knowledge. According to different types of needs, make the knowledge to be distributed to the corresponding groups, eventually realizing the application of knowledge. Finally, the knowledge with a better response effect is stored to assist the next integration and innovation of knowledge, so as to continuously realize the efficient circulation of knowledge of entire platforms. In the course of time, enterprises will accumulate many valuable, rare, inimitable, and irreplaceable knowledge to maintain the competitive advantages of platform enterprises.

The Explicitness of knowledge is improved: In spite of platform enterprises' ability to extract knowledge from more knowledge sources, the closed knowledge management model and the internal organization's solidification models inhibit the transformation of knowledge into effective knowledge. Platform enterprises are shown to be prevented from developing due to the network effect because many valuable knowledge assets are not able to be structured, that is, they remain tacit, which reduces their potential. A density network effect can be seen in the Didi taxi, for instance. In addition, it maintains a focus on the supply concentration in certain areas, ensuring customer demand is met whenever possible. Unfortunately, there is often a mismatch between supply and demand (the problem of oversupply). Tacit knowledge and explicit knowledge are incompletely converted in this phenomenon. To meet the demands of customers, platform enterprises should use artificial intelligence, big data analysis, and other technologies to classify the problems when they occur and convert tacit knowledge like the cause of the problem and negative impact into scientific risk warning knowledge, thus improving the integration and innovation of tacit knowledge held by customers.

Collaboration and security when it comes to knowledge: Knowledge sharing and security are at the core of knowledge management. By sharing knowledge, individuals and groups transmit their knowledge to the organizational system, allowing the further expansion of their knowledge. Within and between organizations, knowledge sharing takes place. Organizations should share their knowledge with one another for the benefit of both of them. Organizations have a tendency to share with each other, which facilitates efficient transactions on the platform. The value of the entire ecological cycle can be realized

through knowledge sharing because it benefits platform enterprises. As part of the transaction process, it is essential not only to let buyers and sellers access accurate information about products but also to safeguard the privacy and security of each customer and to enable them to execute transactions more safely on the platform, which exposes the need for knowledge sharing.

Managing Kunnability In Platform Enterprises

Transformation of knowledge generates leading forces:

As a knowledge ecosystem, platform enterprise knowledge management systems are intended to enable the platform body to self-innovate, self-circulate, and self-organize. Knowing how to transform the dominant force generated by knowledge is key to guiding the knowledge platform to operate on its own. Enterprise's knowledge leading power mostly comes from their internal organization, and those platforms that target enterprises urge them to change the traditional top-down pyramid structure with the decision-making layer as the main body to a bottom-up pyramid structure with the users as the main body. Therefore, enterprise users need to be empowered to develop knowledge. In order to improve the quality of user knowledge, platform companies need to first build marketing capabilities and brand awareness in order to attract more high-quality customers, then reward customers and reward them with incentives to increase customer loyalty, and finally encourage customers to transfer knowledge and take the initiative to convert knowledge into reality.

Building a Culture of Innovation: Unlike inherent management models or universal application strategies, effective platform knowledge management is based on an open, inclusive thinking process that values users. For that reason, knowledge management in platform-based companies needs to be repositioned from auxiliary assets to core assets, so that it becomes a core part of the enterprise. In order for knowledge management to succeed, organizational culture must be in place. Since platform enterprises operate in a highly open environment, the open environment promotes knowledge creation and sharing in order to increase the level of knowledge in the organization. The open environment is conducive to complementing and improving the knowledge of employees from inside and outside the organization.; It is possible to achieve high-speed knowledge transfer by creating an atmosphere of mutual trust; Creating a fault-tolerant environment can facilitate the emergence of creativity within knowledge subjects; The culture of knowledge sharing can boost the creative process within both internal and external organizations of platform enterprises.

A Structure That Optimizes Organization: The informal organization structure is better suited to transfer knowledge between individuals, teams, and organizations, and is better suited to the creation of new knowledge, as compared to the formal organization structure, which employs the administrative order method for knowledge management. Traditional pyramid-type bureaucracies severely restrict the

flow of knowledge. The people at the top of the pyramid hold most of the key resources, and a low rate of knowledge dissemination is evident. Enterprises should establish a flat, decentralized organizational structure, so employees inside the organization cannot access knowledge freely, whereas users outside the organization have more restrictions, so enterprises should become knowledge providers rather than knowledge controllers.

Improve Knowledge Management Techniques:

Especially for companies engaged in platform transactions, there is a multitude of transactions involved, and customer trust takes long-term cultivation, which necessitates the integration of knowledge management technologies, which in turn increases customer stickiness by providing incentives through every transaction. Platform enterprises can implement different information platform interfaces and interconnected platform knowledge centers in order to realize the sharing and integration of value knowledge. Interfaces of the enterprise's internal information platform should display management information about products, customer files, performance assessment information, and best practices information. Different customer modules should be configured within the external information platform interface so that the demand side can obtain information such as product function introductions, supplier services evaluations, etc., and the supplier side can obtain feedback on the use of customers and sales volume reports. Data analysis should be used to filter all this information into the knowledge center, and then all modules should be filtered through this knowledge center. Share suggestions and best practices on how to improve product improvement and transaction communication flow issues in order to increase the convenience of customers and employees in many ways. A platform enterprise should customize the knowledge management system to organize and store knowledge based on its importance, and then to allow access to users with different permissions so knowledge of varying importance can be classified and accessed. As well as screening the keywords from daily operations and customer service information, knowledge intelligent identification software should be employed. Customers are automatically reminded to pay attention to safety if the payment password contains information expected by the

system. Additionally, platform enterprises should regularly train their employees and customers about the importance of knowledge security and raise their awareness of customer security precautions, in order to narrow the knowledge gradient between knowledge providers and knowledge recipients.

Conclusions and Prospects: In short, platform strategies operate differently than traditional linear enterprises when it comes to knowledge management. Currently, the management of knowledge identification and acquisition, integration and creation, sharing and application, and storage has become very challenging because of the socialization, quantification, and non-specialization of constituent subjects. Meanwhile, an open environment for knowledge management is developing a wider research field with the expansion of platform strategic application industries. According to practitioners and theories, it is imperative to strengthen the support for the transformation and development process in various enterprises, as well as the improvement of innovation capability, through research on the knowledge management model.

References:-

1. Communications Mix (IMCM) In Small to Medium Enterprises (SMEs) In Zimbabwe as a Marketing Tool, Research in Business and Economics Journal.
2. Alam, S. S. and Ahsan, N. (2007), "ICT Adoption in Malaysian SMEs from Services Sectors: Preliminary Findings", Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 12, No. 3
3. Bhetja, R. Tyagi, M. and Tyagi, A.(2007)," Liberalisation And Small Scale Industries In India".
4. Duhan, S., Levy, M. and Powell, P. (2005),"Is Strategy in SMEs Using Organizational Capabilities: The Cpx Framework"
5. Kotler, P. and Keller, K.I. (2008), Marketing Management, 12th revised ed
6. Moller, K. and Anttila, M. (1987), "Marketing capability – a key success factor in small business?" Journal of Marketing Management, Vol. 3
7. Morris, S. and Basant, R. (2017),"Role of Small Scale Industries in the Age of Liberalisation" Asian Development Bank.

Commercial Banks Contribution to the Development of Small-Scale Industries in Udaipur

Dr. Mukesh Chauhan*

Abstract - It is very important to empower the SME sector to utilize the limited resources (human & economic) they have in an optimum manner. The SMEs need to be educated and informed of the latest developments taking place globally and helped to acquire skills necessary to keep pace with the global developments. SMEs are now exposed to greater opportunities than ever for expansion and diversification across the sectors. Indian market is growing rapidly and Indian entrepreneurs are making remarkable progress in various Industries like Manufacturing, Precision Engineering Design, Food Processing, Pharmaceutical, Textile & Garments, Retail, IT and ITES, Agro and Service sector.

Key words - SME sector, global developments.

Introduction - The Small and Medium Enterprises (SMEs) have emerged as over six decades as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy. They have significantly contributed to the overall growth in terms of the Gross Domestic Product (GDP), employment generation and exports. MSMEs contribute 8 per cent of the country's GDP, 45 per cent of the manufactured output and 40 per cent of India's exports (GOI, 2010). SME sector provides employment to an estimated 27.75 lakhs (23.43 lakhs in small enterprises and 4.32 lakhs in the medium enterprises) people in the rural and urban areas of the country. During 2003-07, the SME sector registered continuous growth in terms of number of units, production, employment and exports. It is estimated that there are about seventy nine thousand (76,000 small enterprises and 3,000 medium enterprises) registered SMEs in the country as per the final report of the 4th All India MSMEs Census. A total of Rs 223 billion is invested in small enterprises of which Rs 189 billion is the investment in the manufacturing sector. Similarly, Rs 56 billion is the investment in the medium enterprises of which Rs. 52 billion is investment in the manufacturing sector. Gross output in terms of value exceeded Rs 318 billion for the small enterprises and Rs 75 billion for medium enterprises. The total contribution of Rs 375 billion came from the manufacturing sector, and Rs 10 billion from the service sector. (Source: Final Report 4th MSMEs Census, 2011).

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a vital role for the growth of Indian economy by contributing 45% of industrial output, 40% of exports, employing 60 million people, create 1.3 million jobs every year and produce more than 8000 quality products for the Indian and international markets. SME s Contribution towards GDP in 2011 was

17% which is expected to increase to 22% by 2012. There are approximately 30 million MSME Units in India and 12 million persons are expected to join the workforce in the next 5 years.

Micro, small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the most vibrant and sensitive sectors in Indian economy. The significance of Micro, small and Medium Enterprises (MSMEs) is attributable to its capacity of employment generation, low capital and technology requirement, use of traditional or inherited skill, use of local resources, mobilization of resources and exportability of products.

MSME as Growth Driver of Indian Economy - In India, 95 percent of industrial units (3.4 million) are in small-scale sector with a 40 percent value addition in the manufacturing sector. Enterprises of this type provide the second highest employment level after agriculture and account for the 40 percent of industrial production. These units contribute 35 percent to India's exports. In this setting, Indian MSMEs are fundamentally important to the Indian economic system. Their potential to generate employment, bolster exports and bring flexibility into India's business environment deserves close attention from India's policy makers and research scholars.

MSME have great role in the balanced development of the economy. MSME sector presently employs over 100 million people over 44 million units and MSME accounts for 9% of the country's GDP. Annual report of Ministry of MSME states that the sector accounts for about 45% of total export of the country. MSME sectors produce more than 6000 quality products. MSME sector, thus, shows greater opportunity for expansion and diversify its activities in various sectors. It is estimated that there are 1.6 million

* Assistant Professor, Hada Rani Govt. College, Salumber, Udaipur (Raj.) INDIA

registered MSME in India and major portion of MSME working in India are not registered. MSME are dominated by micro enterprises with 94.9 percent share followed by small enterprises with 4.9 percent of share. These enterprises deployed throughout India by operating 55 percentages in rural India and rest operating in semi-urban and urban region of India. And hence the MSME contribute a commendable portion to the balanced growth of Indian economy. On the activity basis, if we are exploring, it can be seen that 67.1 percent of total registered units are manufacturing units, 16.8 percent of total registered units are service units and 16.1 percent units of total registered units are repair and maintenance units. From the diagram given below we can get some clearer picture about the distribution of 6000 units of MSME into their respective sectors.

The Role of Commercial Banks In Financing Small-Scale - The important role played by small-scale industries in developing economics has been increasingly realized over the past years. Not only are they important for the vitality of the business sector, they also play a major role in terms of employment creation, income generation and output growth. But in order to play their role in future, there is need for researchers and policy makers to identify this role and constantly interact to bring about a sustainable policy framework for industrial development methods to have maximum effectiveness, they must include methods specifically adapted for work with small industries.

A commercial bank makes money by lending to individuals and businesses. It gets the money to lend from deposits consumers make in the bank. An investment bank, on the other hand, can hold stocks and bonds and may offer those to investors in the marketplace. Small businesses rely on commercial banks for a variety of services that make it easier to do business and grow a company.

Location & Geographical Area - Udaipur District is situated at the southern tip of Rajasthan adjoin Gujarat and is oval in shape with very narrow strip stretching towards the north. It lies between 23.46' and 25.5' North latitudes and 73.9' and 74.35' east longitudes. It is bounded on the north by Rajasamand and Pali District, on the south by Dungarpur and Banswara, on the east by Bhilwara and Chittorgarh and on the west by Pali and Sirohi Districts and Sabarkantha District (Gujarat). The District covers an area of 13618 sq.km

Medium-Scale and Large-Scale Industries in Udaipur (see in last page)

Small and Medium Enterprises (Sme) In Udaipur, Rajasthan

1. Fusion Outsourcing Software Pvt Ltd, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
2. Indian Art Decor, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
3. Indo Gold Resources Pvt Ltd, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan

4. Lake Palace Hotels & Motels Pvt Ltd (The), Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
5. Padma Marbles, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
6. PushpaArtefacts, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
7. Pushpa Arts Pvt. Ltd., Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
8. Pyrotech Control (India) Pvt Ltd, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
9. Rayman Exports, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
10. Royal Handicrafts, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
11. Sukuma Electronics & Tech, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
12. Tilo Private Limited, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan
13. Tirupati Enterprises, Udaipur, Rajasthan, Udaipur, Rajasthan

Data Analysis And Interpretation

Bank wise details of respondents:-

Table -1 : Bank-wise distribution

S.	Name of Commercial Bank of Udaipur	No. of respondents	Percentage
1.	Bank of Baroda	30	20.00
2.	HDFC	50	33.33
3.	SBI	70	46.67
	Total	150	100%

The table 1 shows the bank wise details of respondents, out of 150 personnel, 30 (20%) were from Bank of Baroda, 50(33.33%) from HDFC Bank and remaining 70 (46.67%) were from SBI Bank.

Medium term loans provide to small scale Industry

Table -2 : Medium Term Loan Provided to Small Scale Industry

S.	Medium Term Loan provided (in Cr.)	Number	Percentage(%)
1.	Less than 12	28	18.67
2.	above 13	71	47.33
3.	above 14	44	29.33
4.	above 15	7	4.67
	Total	150	100%

The above table 2 are in total respondents 150. Which 28 respondents are of less than 12 cores? And 71 respondents are Above 13 core and 44 respondents are Above 14 core and are 7 respondents are Above 15 core. The above chart is 4.10. Which are 19% respondents of less than 12 cores? And 47% respondents are Above 13 cores and 29% respondents are Above 14 cores and are 5% respondents are Above 15 cores. This is over all banks long term loan giving in small scale industries. The bank position in Udaipur district is very good. Banks is Medium term loan distribution a good percent in small scale industries in Udaipur district.

Banks Received Of Such Small Scale Industry Loan

wise profile

Table : 3 : Banks Received Of Such Small Scale Industry Loan wise profile

S.		Frequ-ency	Percen tage(%)	Valid Percen tage(%)	Cumu lative Perce-ntage
1.	Less than 50%	54	36	36	36
2.	50%-90%	58	38.7	38.7	74.7
3.	90% above	38	25.3	25.3	100
	Total	150	100%	100%	

The above table no. 3 is total respondents are 150. In this table 54 of respondent are of less than 50%. And 59 respondents are 50-90%. And 38 respondents are above 90%. Banks are good loan received in small scale industry by Udaipur district. The bank is more than 50-90% loan receive in Udaipur district. There above chart no. 4.13. In this chart 36% of respondent of less than 50% are. And 39% respondents are 50-90%. And 25% respondents are above 90%. Bank managers are good loan receive in small scale industry by Udaipur district. The banks are overall 90% loan receive in Udaipur district. The clear is Banks are overall 90% loan received to small scale industry.

Suggestions - The findings of the study lead to some implications. The study has direct developments on small scale industries in public and private banks. These findings are providing the government to design appropriate strategy towards small scale industries and others results to various stakeholders in small scale industries and public and private banks. Nowadays all small scale industry units are in process of conversion from large industries. All small scale industries should be scrapped and the small scale industries owners should shift to next generation machinery. Small scale industry industries should obtain loan and advance facility from Public and private Banks on easy terms and conditions so that they can focus more on growth of the business.

Medium-Scale and Large-Scale Industries in Udaipur

S. No.	Name of Ind. Area	Land acquired (In Aare)	Land developed (In Actare)	Prevailing Rate Per Sqm (In Rs.)	No. of Plots	No. of allotted Plots	No. of vacant plots	No. of Units in Production
1.	MIA	534.46	534.46	1000	449	439	10	Running
2.	Sukher	160.00	160.00	1000	339	331	28	"
3.	Pratap Nagar	80.62	69.17	1000	48	48	0	"
4.	Fateh Nagar	19.32	19.52	100	65	63	2	"
5.	Gudli	236.91	236.91	500	297	278	19	"
6.	Sanwar	129.18	129.18	300	178	28	150	"
7.	Kaladwas IID Bhamashah	171.09 238.91	20.04 238.91	700	67	67	-	"
8.	MIA Ex.IT	-	-	1800	38	33	5	"
9.	Industrial	58	58	1000	46	46	-	
10.	Residence	-	-	1500	213	211	2	

source:-RIICO Udaipur

References:-

1. Baskaran, D. A. (2011). MSMEs: The Key to Entrepreneurship Development in India. *Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science*, 1 (special issue), 11 - 13.
2. Bihari, D. S. (2011). Redefining MSME with CRM Practices. *Internat I onal Journal of Manage M ent&Business stud I es*, 1 (2), 49 - 55.
3. Biswas, A. (2012). Impact of MSMED Act, 2006 on the growth of Small Industries in India. *International Journal in Multidisciplinary and Academic Research (SSIJMAR)*, 3 (3), 1- 12.
4. Biswas, A. (2015). Impact of Technology on MSME sector in India. *International Journal of Economic and Business Review*, 3 (2), 129 - 134.
5. Dey, D. S. (2014). MSMEs IN INDIA: IT'S GROWTH AND PROSPECTS. *Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management*, 3 (8), 26 - 33.
6. Dr Krupasindhu Pradhan, S. S. (n.d.). Micro Small and Medium Enterprises (MSME) and Economic Development of Odisha. 1 -34.
7. Dr. M.s. Vasu, D. K. (2014). Growth and Development of MsMes in India: Prospects and Problems. *INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH*, 4 (5), 125 - 127.
8. Dr. D. Shrinivasa Kumar, D. S. (2013). Sustainable Trends and Policies of MSME in Economic Development in India: An Empirical Study. *Internatlonal Journal of Management & Buslnessstudles*, 3 (2), 106 - 111.
9. Dr. J. ANURADHA. (2014). Problems and Prospects of Micro, Small and Medium Enterprises (Msmes) In India in the Era of Globalization. *Journal of Research in Business and Management*, 2 (6), 20-27.
10. Dr. K.A .Goyal, D. G. (2012). An overview of sickness in Micro, Small & Medium Enterprises in India. *Pacific Business Review International*, 5 (5), 29 - 35.

Role of Education in Women Empowerment

Dr. Surabhi Singhal *

Abstract - Education is the process of imparting or acquiring general knowledge, developing the power of reasoning and judgement and to prepare one or other intellectually for mature life. Education is milestone of women empowerment because it enables them to responds to the challenges, to confront their traditional role and change their life.

Keywords- Empowerment, Education, Confident.

Introduction - “Women are the real architects of society.”—*Harriet Beecher Stowe*

Empowerment is the process of becoming stronger and more confident, especially in controlling one's life and claiming one's rights. However in case of women empowerment it also refers to increasing and improving the social, economic, political and legal strength of women so that they:

1. Live their life with self worth, respect and dignity.
2. Make their own decision and choices.
3. Have equal rights for social and economic justice.
4. Get equal employment opportunity without any gender bias.
5. Get safe and comfortable working environment.
6. Have equal social status in society.

Why Women Education Is Important -

Education is the foundation stone for women empowerment because it is the only tool to increase one's self confidence and enables them to responds to the challenges, to confront their traditional role and change their life. Women's education also brings a reduction in inequalities and functions as a means of improving their status within the family and develops the concept of participation. Importance of women education can be shown by line “IF YOU EDUCATE A MAN YOU EDUCATE AN INDIVIDUAL, BUT IF YOU EDUCATE A WOMAN YOU EDUCATE A WHOLE FAMILY”. Low women literacy rate has a huge negative effect on the overall growth and development of the society because mother (a woman) is majorly responsible for child care and development. As per research results, it is proved that children who are taken by educated mother are well nourished and have all rounded development. Thus if education of the women getting ignored, it would be the ignorant of bright future of the nation. In brief the importance of women education can be summarized as:

1. Economic independence of women can only be come through proper education and employment of women.
2. Her identity as an individual would never get lost.
3. Through health education they can lead a healthy life

style.

4. Educated women become a source of inspiration for several of young girls who make them their role models.
5. Education would eventually decrease instance of violence and injustice against women such as Dowry, Forced prostitution, Child marriage, female foeticide, etc.
6. Women education is a pre-requisite to alleviate poverty.

Thus there cannot be many social and economic changes unless girls and women are given their rights for education.

Obstacles: Gender discrimination still persists in India and lot more needs to be done in the field of women's education in India. The gap in the male-female literacy rate is just a simple indicator. While the male literary rate is more than 82.14% and the female literacy rate is just 65.46%. The women are considering only house wife and better to be live in the house.

Women Empowerment Through Education - Women empowerment is a tool of development not only of women but also of whole families and thereby a nation. Pandit Jawaharlal Nehru said, “**To awaken the people, it is women who must be awaken; once she is on the move, the family moves, the village moves and the nation moves.**” That is women empowerment means mother India empowerment.

In spite of constitutional guarantees, enactment of laws, efforts by the government through various programmes and schemes, the equal status of women in India is still not achieved up to the desired goals after 70 years of Independence. Only education can be used as powerful tool to help the women to understand the constitutional directives and legislative provisions for reducing women's exploitation and to create awareness about the existing social problems and to fight for fulfilment of the basic amenities and welfare of the community. The target of becoming superpower, a developed country by 2022 will be achieved only when the women of India will be

empowered through education. Swami Vivekananda said **“There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved.” It is education which can do so by empowering women.**

Present Status Of Women Empowerment - The modern women are inclined towards the social issues, and trying hard to improve their social status. Increased awareness and education has inspired women to come out of the four walls of the home. Many women actively supported and participated in the nationalist movement and secured eminent positions in administration and politics. The modern woman has started caring for her health, figure, cultural needs etc.

However the headlines from prominent newspapers:

‘Sania Mirza World Number 1 in Women’s Doubles Tennis’

‘4 women in Delhi and 92 across India raped every day’

‘Indian women shine at the Republic Day parade’

‘Indian girls on an average are shorter than their counterparts’

Paint a contrasting picture of the status of women in modern India. On one hand, female are achievers in various fields but on the other hand, they are suffered with sexual harassment and gender discrimination. Thus the real picture is grey shades, neither glittering bright nor dark. One thing is sure, when it comes to women empowerment, there are tonnes of opportunities to make considerable improvement.

Government Efforts For Empowering Women - The Government of India has undertaken different schemes for welfare upliftment and security of the women. Some of these are:

- **Beti Bachao, Beti Padhao** : This scheme focuses on celebrating the birth of a girl child and being proud of them just as we are about our boys. It was launched in January 2015.

- **Sukanya Samridhi Account**: In accordance with this saving scheme, parents or guardians can open an exclusive account in the name of their daughter with any bank or post office with a minimum amount. The deposit shall mature after 21 years. The deposit made can be claimed as deduction under Sec 80C of Income Tax. Interest earned is also tax-free. Launched in January 2015.

- **One Stop Centre scheme**: One Stop Centres (OSC) step up for offering immediate response, emergency help, medical support and legal and psychological assistance to violence (sexually, mentally) affected women and girls even below 18 years of age. Launched in April 2015.

- **Pradhan Mantri Ujjwala Yojna**: Launched in **March 2016** this is a step by the Government of India having aims to provide free LPG connection to women below poverty line. It will not only up-lift women by improving their health, pushing them away from smoke and dust, but also save non-renewable resources used for fire by these people.

- **Mahila E-Haat**: This plan emphasizes on empowering women entrepreneurs, NGOs, self-help groups and small producers. Introduced in **March 2016**.

- **Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for Children of Working Mother**: No matter how talented or devoted a mother is, her child will always be her priority. She will give up a successful career just to look after her kids. In order to reduce this dropout, which is extensive in our country, the government has come up with this scheme for up-liftment of women in **2006**. It will provide day-care facilities, improved nutrition, immunization facilities, sleeping facilities, and set the stage for better physical, mental and social growth of children of working women.

- **Maternity Benefit Program**: Previously known as Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, it was renamed as Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana in **2017** to combat the increasing maternal mortality rate. This scheme is for the benefit of pregnant and lactating women in India and desires to provide proper care, practice and efficient utilization of government sponsored facilities.

- **Women’s Helpline**: It provides 24 hour toll free telephonic assistance to any women or girl facing violence in the public or private sphere of life. This scheme implemented in April 2015.

Conclusion - It may be said that education is the milestone of women empowerment which could be achieved through healthy and co-operative efforts of NGO’s and the Government and also by abolishing the traditional attitude, norms and practices through proper education and guidance. I conclude by saying, **‘The strongest action for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could’**”.

References:-

1. www.importantindia.com
2. www.womensweb.in/2017
3. www.bisma.in
4. Rouf Ahmad Bhat ‘Role of education in the empowerment of women in India’ JEP Vol6(10) 2015 (188-191).
5. Miss Nabanita Bera ‘Women empowerment through education’ IJHSS Vol2(6) 2016 (184-190).

समकालीन कविता में कुछ नये जनतांत्रिक मूल्य

डॉ. संजय सक्सेना *

प्रस्तावना – सभ्यता के इस पड़ाव पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सहज मानवीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। यह व्यक्ति और समाज के संतुलित विकास को निर्धारित करती है। वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक विकास दोनों को व्यवस्थित रखने का यह एक प्रयास है। समानता स्वतंत्रता व बंधुता जैसे मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से हम आज भी इन्हें पाने में संघर्षरत हैं। धार्मिक संकीर्णता, आर्थिक विषमता और जातीय विविधता के चलते सभी से समानता का व्यवहार लोकतंत्र का लक्ष्य भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। समानता आदर्श भले ही रही है किंतु यथार्थ पर दृष्टि डाले तो मालूम पड़ता है कि कुछ ही लोग आजादी मिलने के उपरांत मुख्य धारा में हैं और सम्पन्न हैं। इस तथ्य की व्यंग्यात्मक पुष्टि संजय चतुर्वेदी की निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त हो रही है –

“सभी लोग बराबर है
सभी लोग स्वतंत्र है
सभी लोग है न्याय के हकदार
सभी लोग इस धरती के हिस्सेदार है
बाकी लोग अपने घर जाएँ
X X X X
सभी लोगो को मिलता है सभी कुछ
सभी लोग अपने-अपने घरों में सुखी हैं
X X X X
हम क्या करें अगर बाकी लोग हैं सभी लोगों से ज्यादा
बाकी लोग अपने घर जाएँ।”¹

स्पष्ट है कि बहुसंख्यक, वंचित और उपेक्षित जनता जिसे बाकी लोग कहा जा रहा है अभी भी हाशिए पर है और विषमता की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

मनुष्यता के संरक्षण हेतु जो भी आवश्यक है – वह मूल्य है। समानता स्वतंत्रता व बंधुता जैसे मूल्य हमारी जनाकांक्षा के प्रतीक हैं। ‘हिंदी साहित्य कोश’ के अनुसार “अपने व्यापक रूप में जनतंत्र एक निश्चित प्रकार की समाज व्यवस्था और शासन प्रणाली का द्योतक है। समाज व्यवस्था के रूप में जनतंत्र समता और स्वतंत्रता की स्थापना कर समाज को एक विशाल भ्रातृत्व के बंधन में बांधने का प्रयास है।”² अतः स्पष्ट है कि उचित समाज व्यवस्था हेतु इन मूल्यों की आवश्यकता शीर्षस्थानीय हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में इन सर्वोपरि मूल्यों का संरक्षण अत्यन्त कठिन है। जहाँ विशाल जनसमूह में व्याप्त सहअस्तित्व की भावना इन मूल्यों में विश्वास जगाती है, वहीं कुछ ही लोगों द्वारा व्यवस्था का लाभ उठाकर अग्रणी भूमिका में आना इन मूल्यों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाती

है। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नवनिर्मित परिस्थितियों में कवियों की जनपक्षधरता भी स्पष्ट हुई है और जनतांत्रिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने में कुछ नव मूल्यों का सृजन भी हुआ है जैसे – पारदर्शिता, सहभागिता, सर्वसुलभता, वरीयता, आदि।

भारतीय जनता का बहुलांश अशिक्षित, पिछड़ा, गरीब और ग्रामीण है इसलिए समानता के अधिकार के प्रति सजग नहीं है। व्यवस्था से दूरी, ज्ञान की कमी, भ्रष्टाचार, लंबी औपचारिक प्रक्रियाओं और जटिलताओं के चलते वह अदूरदर्शी इसलिए है कि कई आवरणों में ढके-ढके उसके हित को व्यवस्था ने छुपा रखा है। राजनैतिक-आर्थिक-न्यायिक, समाज उपयोगी हितकारी योजनाओं में सरलता, स्पष्टता होने की बजाय औपचारिकता, जटिलता और पूर्व-अपेक्षाएँ अधिक है। इसलिए पारदर्शिता सर्वाधिक अपेक्षित मूल्य के रूप में कवियों द्वारा रेखांकित किया गया है। जो भी हितकारी है वह दिखे भी – साफ-साफ, स्पष्ट और सरलता से। वीरेन डंगवाल की एक उल्लेखनीय कविता है – “पोस्टकार्ड महिमा”। पोस्टकार्ड की पारदर्शिता में गोपनीयता का कोई स्थान नहीं है अतः इससे परहेज लाजमी है। “उनसे परहेज करते हैं राजपुरुष और षडयंत्रकारी, तस्कर और गुप्तचर संचारमंत्री उनसे कुदृता है, बूढ़ों के वे प्रिय संदेशवाहक, पहले कड़क थे, धीरे-धीरे मौसम ने म्लान किया उन्हें, मगर उन्होंने विलुप्त न होने दिया, अपने दिल पर लिखे अक्षरों को, भले लोगों की तरह...” (दुश्चक्र में सृष्टा : पोस्टकार्ड महिमा पृ-42)। भली जनता भोली भी है इस बात का फायदा व्यवस्था अपने पक्ष में उठाती है। सांप्रदायिकता, बाजारवाद, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, घूसखोरी आदि की धुंध वर्तमान परिवेश पर इस कदर व्याप्त है कि इसके पार आम जन को कुछ दिख नहीं पा रहा है-

“इतनी धुंध कभी न थी
कि रास्ता बिल्कुल दिखाई न दे
कि भटक जायें शहर के लोग इधर-उधर
कि भटकते हुए पहुँचे
एक सदी से दूसरी सदी तक।”³

एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी ओर बाजार स्वप्न दिखा रहा है। नैतिक साधनों से नौकरी पाना कठिन जानकर प्रतियोगी परीक्षा में युवक शार्टकट देख रहे हैं और बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताओं को भी लोकतांत्रिक व गोपनीय ढंग से सम्पन्न कराने में व्यवस्था असमर्थ है। भ्रष्टाचार का आवरण पारदर्शिता को ढँक रहा है। यह भी विडम्बना है कि गोपनीयता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रक्रिया की पारदर्शिता की अनिवार्य शर्त है। पूंजीवादी जनतंत्र के चलते पारदर्शिता यद्यपि असंभव दिखाई पड़ती है। किंतु समकालीन कविता ने अपनी जनपक्षधरता के चलते ‘पारदर्शिता’ को समानता के लिए अनिवार्य

मूल्य के रूप में रेखांकित किया है।

खत्म हो जायेंगे राजकाज के तरीके पुराने
स्वतन्त्रता समानता की राह में
नहीं है दरकार कोई ढॉव पेंच न ही कोई तिकड़म
X X X X
जो सबसे नेक है सबसे दयालु जो ठगे जाने की हद तक सरल
वे ही आयेंगे आगे
और ले चलेंगे सबको प्रकाश की ओर।

(अरुण कमल: नये इलाके में - पृ-88)

अतः स्पष्ट है कि पारदर्शिता जैसा मूल्य आमजन की सहभागिता से ही संभव हो सकेगा।

लोकतंत्र कारगर तब होता है जब उसके सभी घटक ईमानदारी से कार्य कर रहे हो। उत्तरदायी प्रशासन, निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक समाज और अधिकारों के प्रति सभी का रवैया समावेशी हो। आज के पूंजीवादी लोकतंत्र ने पूंजी को कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया है। उपेक्षा के कारण बहुसंख्यक, हाशिये का जीवन जी रहे लोगों की सहभागिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बहुत कम है। उपेक्षा के कारण वे 'सहभागिता' जैसे लोकतांत्रिक मूल्य का महत्व नहीं जान पा रहे। समकालीन काव्य ने आम जन की सहभागिता को ही सफल लोकतंत्र का पैमाना माना है। लोकतंत्र को संवेदनशील बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है। आज दलित, स्त्री, आदिवासी, किसान, किन्नर सभी संविधान की दृष्टि से समान नागरिक है। इनकी वर्तमान स्थिति से विभिन्न संगठनों, मंचों के माध्यम से सत्ता को अवगत कराया जा रहा है। कविता ने दलितों, स्त्रियों व हाशिये पर आये हुये सभी नागरिकों के स्वरो को अपनी रचनात्मक संवेदना का विषय बनाया है। श्यामलाल शर्मा कहते हैं - हम तो भइया दलित / हमारी है औकात कहाँ ? / बाबू अफसर बने/ उन्हें पर पहले वाले है/ अपने पास भला ऐसी / छलछंद बिसात कहाँ? 'मदन कश्यप स्त्रियों की रचनात्मक सहभागिता को स्वीकारते हैं - "रची है दुनिया की सभी लोक कथाएँ। उन्हीं के कंठ से फूटे हैं सारे लोकगीत। गुमनाम स्त्रियों ने ही दिये है। सितारों को उनके नाम।" ⁵ कवियों के अलावा कई समकालीन कवयित्रियों - अनामिका, कात्यायनी, तेजी ग्रावर, निर्मला पुतुल, नीलेश रघुवंशी ने भी स्त्री की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को स्वर दिये है।

स्त्रियों को इस लोकतंत्र में उनकी वास्तविक जगह चाहिए। संविधान से मिले अधिकार को स्वयं उसके निर्णय या विवेक पर छोड़ना चाहिए। पितृसत्तात्मक झूठी सहभागिता के कोई मायने नहीं है, यह स्त्री के साथ छलावा है। स्त्री सरपंच की आड़ में अब भी पुरुष खड़ा है। निरंजन क्षोत्रिय इस झूठी सहभागिता-पारदर्शिता को उघाड़ते हैं -

वह घर की देहरी नहीं लांघ सकती थी
और पंचायत घुस नहीं सकती थी देहरी के भीतर
सो पाँच साल तक गाँव में
चलता रहा सब बहुत ही स्मूथली
बलात्कार
दहन
प्रताड़ना
अब जबकि नए चुनाव सिर पर है
औरतें मना रही भगवान को

कि रामदेई न हो सरपंच इस गाँव की

जबकि मर्द नहीं अघाते प्रशंसा करते उसकी

(निरंजन क्षोत्रिय: वसुधा 59-60, पृ0 409-410)

जनतंत्र सार्वजनिक आकांक्षा का प्रतीक है। अतः बुनियादी आवश्यकताओं को सर्वसुलभ होना ही चाहिए। यदि जनता बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार की ओर ताकती रहे और योजनाओं का लाभ ऊपर ही ऊपर अपनों में वितरित हो जाये तो समानता और न्याय की बातें व्यर्थ है। दुष्यन्त ने बहुत पहले अपनी गज़ल में इशारा कर दिया है -

यहाँ तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ

मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।

(दुष्यन्त: साये में धूप, पृ0 15)

पूँजीवादी जनतंत्र में भूमंडलीकरण से उपजे दुष्परिणामों के चलते रोजगार सुलभ नहीं रह गये। निजीकरण ने लोगों को बेरोजगार और आंशकित कर रखा है। अरुण कमल कहते हैं - "कोई नहीं जानता कब बंद हो जाएंगी कौन-सी मिलें/किनकी होगी छटनी, किनकी कटेंगी तनखाहें।"⁶

यह सत्य है कि रोजगार की गारंटी नहीं दी जा सकती किन्तु बेरोजगारी सरकारी नीतियों का परिणाम नहीं होनी चाहिए। देश के हर नागरिक की भूख-प्यास और नींद की गारंटी भी तंत्र को ही लेनी होगी। अन्न, पानी की सर्वसुलभता मानव की गरिमा हेतु आवश्यक है। जबकि यथा स्थिति यह है कि - "भूख है कि मिटी नहीं/ प्यास है कि गयी नहीं/ नींद है कि अधूरी रही/ जीवन कभी पूरी तरह जिया नहीं।"⁷ जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं और परिस्थितियों को सर्वसुलभ होना ही चाहिए।

एक सभ्य सिविल समाज और उत्तरदायी शासन को कई नागरिकों वरीयता या प्राथमिकता देनी होगी। 'वरीयता' भी एक बड़े जनतांत्रिक मूल्य के रूप में उभरा है। बच्चों, स्त्रियों और वृद्धजनों को कुछ विशेषाधिकार अवश्य मिलना चाहिए। इनमें कोई विसंगति, अन्तर्विरोध, असंगति नहीं होनी चाहिए। नवे दशक के चर्चित कवि कुमार अम्बुज की कविता 'भरी हुई बस में लाल साफेवाला आदमी' वरीयता को मुख्य जनतांत्रिक मूल्य के रूप में रेखांकित करता है जिसमें यह लाल साफेवाले आदमी के कम्बल की गठरी में एक बीमार बच्चा है और बस ठसाठस भरी है - "पूछना चाहता है लाल साफेवाला आदमी/जब वोट डालने के लिए चलना पड़ता है/सिर्फ दो मील/तो इलाज कराने के लिए बीस मील क्यों? .../वह जानना चाहता है इस बस में/ भरे पूरे स्वस्थ विधायक के लिए/सुरक्षित है बैठने की जगह/ तो एक बीमार बच्चे/ और थके हारे इन्सान के लिए क्यों नहीं?/ वह जानना चाहता है उसकी जिन्दगी का मतलब वोट डालने के अलावा और कहाँ है।"⁸ समय के इन्हीं अंतर्विरोधों को संजोए और स्वर देते कवियों ने व्यवस्था से सीधे व तीखे संवाद स्थापित किये है। लोकतंत्र की अतिक्रमित जमीन को रेखांकित किया है। नागरिकों की सहज वरीयता को मुखरित किया है। इन्हीं नागरिकों की हवा पानी और स्वास्थ्य की गारंटी सिर्फ पर्यावरण ले सकता है जिसकी सुरक्षा सबकी मिली जुली वरीयता है, प्राथमिकता है। कवि ज्ञानेन्द्रपति ने पेड़ों को पृथ्वी का प्रथम नागरिक माना है। देवीप्रसाद मिश्र पेड़ के कटने को गुरु पर किया गया प्रहार मानते हैं। नरेश सवसैना तो कहते हैं - "अन्तिम समय जब कोई नहीं जायेगा साथ/एक वृक्ष जाएगा/अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझ से पहले... लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में/कि बिजली के दाहघर में मेरा संस्कार/ताकि मेरे बाद/एक बेटे और एक बेटी के साथ/एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में।"⁹ यह प्रकृति से सीधा मानवीय रवैया है, वायवीय नहीं।

बेटे-बेटी की तरह वृक्षों की देखभाल होना चाहिए। हवा और पानी के संरक्षण को जीवन और कविता में स्थान देती ये कविताएं वरीयता के माध्यम से लोकतांत्रिक भूगोल को रचती हैं।

जनता से प्राप्त कर के माध्यम से अर्जित धन का लोकहितकारी मद्दे में ही व्यय होना चाहिए क्योंकि जनसंख्या का अधिकांश गरीब तबके का है। इसलिए मितव्ययता भी विषमता की खाई को पाटने का एक माध्यम है। आज बड़े मंत्रियों व अफसरों की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये की फिजूलखर्ची को अनिवार्य बताया जा रहा है। जबकि इस देश में भूख से कई लोग मर रहे हैं। राजेश जोशी की कविता में किसी मंत्री, न्यायाधीश या अफसर की कार गुजरने से ट्रैफिक प्रभावित होता है क्योंकि उन्हें जल्दी है जबकि “दिन, महीने और कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं/ उसकी टेबिल पर रखी जरूरी फाइल को खिसकने में... उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो/... कितने मुकदमें लम्बित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से।¹⁰ लाल फीताशाही पर यह व्यगात्मक तेवर नई पीढ़ी को समझाना है कि जनता के समय व पैसों पर ब्यूरोक्रेसी की फिजूलखर्ची कितनी अमानवीय है। वीरिन्द्र डंगवाल सवाल करते हैं - “जरा सोचो, अक्सर वही क्यों जलाई गई बत्तियां/खूब जहां उनकी सबसे कम जरूरत थी।/जिन पर चलते सबसे कम मनुष्य/ आखिर क्यों वही सड़के बनी चौड़ी-चकली?”¹¹

अतः एक ऐसे समय में जब “गणतंत्र में तंत्र किसी गण के लिए नहीं है। सभी गण तंत्र के लिए है।”¹² आम जन के हितकारी लक्ष्य के बीच व्यवस्था

की कूट भाषा का विवेचन करने के लिए नेताओं, दलालों, वकीलों का पूरा तंत्र विद्यमान है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जैसे मूल्यों के साथ-साथ पारदर्शिता, सहभागिता, सर्वसुलभता, वरीयता और मितव्ययता जैसे नव जनतांत्रिक मूल्यों को भी समकालीन कविता ने अपनी जनपक्षधरता को निभाते हुए रचनात्मक संवेदना के साथ रूपायित किया है। सिर्फ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि आम नागरिक की सभी आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले नव मूल्यों को भी अभिव्यक्ति दी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजय चतुर्वेदी - प्रकाशवर्ष - पृ0 9
2. धीरेन्द्र वर्मा - 'हिन्दी साहित्य कोश' भाग-1 पृ0 256-257
3. विमल कुमार - यह मुखौटा किसका है - पृ0 15
4. दलित साहित्य : वार्षिकी : 2004, पृ0 176
5. मदन कश्यप : वसुधा 59-60, पृ0 427
6. अरुण कमल - अपनी केवल धार, पृ0 13
7. विमल कुमार - यह मुखौटा किसका है - पृ0 23
8. कुमार अम्बुज - किवाड़ - पृ0 37
9. नरेश सक्सेना - समुद्र पर हो रही है बारिश - पृ0 35
10. राजेश जोशी - दो पंक्तियों के बीच - पृ0 23
11. वीरिन्द्र डंगवाल - दुश्चक्र में सृष्टा - पृ0 41
12. विनय विश्वास : आज की कविता - पृ0 199

उज्जैन जिले में धार्मिक पर्यटक आगमन प्रवृत्ति का विश्लेषण

खुशबू परिहार *

उज्जैन जिले का परिचय - प्राचीन अवंती जनपद की राजधानी 'उज्जयिनी' तथा उज्जैन मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में मालवा के पठार पर पवित्र क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है।

उज्जैन जिले में 6 विकासखण्ड व 7 तहसीलें हैं जिले के तहसीलों के नाम इस प्रकार हैं-बड़नगर, खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना, उज्जैन, घटिया, उज्जैन जिला विध्यांचल गिरि के उत्तरी ढाल में एक पठार पर प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से विश्व भर में माना जाता है उज्जैन को प्राचीन में उज्जैनी, अवंतिका, पद्मावती, कुमुदनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकशृंगा विशाला आदि नामों से भी जाना जाता रहा है। उज्जैन को देश के मध्य होने के कारण देश का नाभि स्थल माना जाता है। कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरी है इसलिए काल गणना में उज्जैन का महत्व बहुत अधिक है।

भौगोलिक स्थिति - उज्जैन जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा के पठार के मध्य स्थित है उज्जैन जिला 22°43' उत्तरी अक्षांश से 23°36' उत्तरी अक्षांश के बीच और 75°00' पूर्वी देशांश के बीच कर्क रेखा के समीप फैला हुआ है जिले की समुद्र से निकटतम दूरी 470 मील और समुद्र तट से औसत ऊँचाई 1698 फीट है।

जिले का कुल क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है जो कि पूर्व में पश्चिम की ओर लगभग 115 किलोमीटर फैला है उज्जैन जिले की विभिन्न तहसीलों तथा विकासखण्डों की भौगोलिक स्थिति तथा समुद्र तल से ऊँचाई।

शोध प्रविधि - उज्जैन मूल्यों के संदर्भ में धार्मिक पर्यटन के प्रकार और प्रगति का निर्धारण होता है। प्राचीनकाल से ही मानव किसी न किसी रूप में देशाटन, तीर्थाटन या पर्यटन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता रहा है इस कार्य में सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर धार्मिक पर्यटन को एक लाभकारी विषय के रूप में देखते हैं चाहे वह तीर्थयात्री, सन्यासी, व्यवसायी, विद्यार्थी धर्म प्रचारक, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगपति कोई भी हो सभी अपने कार्यों के लिए पर्यटक के रूप में कुछ न कुछ व्यय अवश्य करते हैं। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में योग, अध्यात्म चिकित्सा शांति आदि को लेकर भी पर्यटन किया जाने लगा है।

शोध प्रविधि से आशय - कोई भी शोध मनगढ़त ढंग से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है शोध की क्रमबद्ध एवं प्रभावपूर्ण तरीके से समयकाल एवं न्यूनतम लागत एवं पूर्ण करने की कला को शोध प्रविधि कहा जाता है। अतः शोध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाना तथा अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति रहा है।

अध्ययन पद्धति

प्राथमिक समंक - शोध कार्य करने के लिए शोधकर्ता ने शोध स्थल पर

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा समंकों को एकत्रित किया जाता है व्यक्तिगत रूप से एकत्र की गई शोध सामग्री को प्राथमिक समंक कहते हैं।

द्वितीयक समंक - द्वितीय समंक से आशय उन सभी सूचनाओं तथा समंकों से होता है जिन्हें शोधकर्ता स्वयं अवलोकन द्वारा एकत्रित नहीं करता अपितु वह उनसे प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों, अभिलेखों, डायरियों, पत्र-पत्रिकाओं आत्मकथाओं, शोध ग्रन्थों तथा सहकारी प्रतिवेदनों से स्वतः प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें शोधकर्ता ने निम्न विभागों से एकत्रित किये।

जिला सांख्यिकी कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग भोपाल से प्रकाशित साहित्य समाचार पत्र-पत्रिकाओं उज्जैन के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन कर द्वितीयक समंक एकत्रित किए गए हैं।

धार्मिक पर्यटन ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग है जो केवल रोजगार के अवसर ही नहीं उपलब्ध कराता है। बल्कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में मदद करता है धार्मिक पर्यटन रोजगार के अवसर और आंतरिक और सुदूर क्षेत्रों में विकास कर संतुलित और स्थायी क्षेत्रीय विकास करने में भी सहायता करता है। धार्मिक पर्यटन आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायक होने के साथ ही विभिन्न स्थानों में बसे लोगों के मध्य परस्पर समझबूझ व सौहार्दता उत्पन्न करता है।

उज्जैन जिले में स्वदेशी एवं विदेशी धार्मिक पर्यटकों के क्षेत्रानुसार आगमन का विश्लेषण - भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन स्थलों से परिपूर्ण है। यहाँ लगभग 450 धार्मिक पर्यटन स्थल हैं तथा अध्ययन क्षेत्र इन्हीं पर्यटन स्थलों में से एक गौरवशाली, धार्मिक व ऐतिहासिक आकर्षण स्थल है उज्जैन नगर में स्वदेशी एवं विदेशी धार्मिक पर्यटकों को आगमन जिले की अन्य तहसीलों की अपेक्षा सर्वाधिक है यह नगर प्राचीन काल से धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। इसलिए यहाँ स्वदेशी एवं विदेशी धार्मिक पर्यटकों की आगमन प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है।

उज्जैन नगर के धार्मिक आकर्षण के कारण विदेशी पर्यटकों यहाँ विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं जबकि जिले के अन्य धार्मिक पर्यटन केन्द्रों से अनभिज्ञ रहते हैं उज्जैन नगर में धार्मिक पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य कारण यहाँ आधारभूत सुविधाओं का विकसित स्वरूप भी है। विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक 21 प्रतिशत धार्मिक पर्यटक संयुक्त राज्य अमेरिका से आए जबकि इसके पश्चात् क्रमशः ब्रिटेन 15 प्रतिशत, जर्मनी 14 प्रतिशत, फ्रांस 11 प्रतिशत आदि देशों के पर्यटक हैं। जिले के उज्जैन नगर में इस्कॉन मन्दिर जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, के निर्मित हो जाने से विदेशी पर्यटकों के आगमन में आशतीत वृद्धि हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अरब देशों में आने वाले धार्मिक पर्यटक मुख्य रूप से बोहरा धर्म के अनुयायी हैं।

जापान, चीन, श्रीलंका आदि देशों में धार्मिक पर्यटक भी यहाँ विभिन्न उद्देश्यों हेतु पर्यटन करते हैं।

एक सुव्यवस्थित परिवहन भी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र की रीढ़ कहे जा सकते हैं। धार्मिक पर्यटक चाहता है कि उसका पर्यटनकाल सभी प्रकार की कठिनाईयों से मुक्त हो। धार्मिक पर्यटक अपने मूल स्थान से गन्तव्य स्थल तक आसानी से पहुँच सके तथा धार्मिक पर्यटन के पश्चात् पुनः अपने मूल स्थान को आ सके, इस हेतु वह भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवहन साधन उपयोग करता है जैसे किराये की बस, किराये की टैक्सी, निजी वाहन, सामाजिक परिवहन के रेल, एयर सुविधा आदि।

उज्जैन जिले की धार्मिक पर्यटन विकास में बाधक समस्याएँ – धार्मिक पर्यटन ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। धार्मिक पर्यटन की अनेक संभावनाओं के बाद भी अपेक्षा के अनुरूप हम धार्मिक पर्यटन का कार्य निष्पादन नहीं कर सके हैं। अपर्याप्त सुविधाएँ, पर्यावरणीय, दुष्प्रभाव, आमजन की उदासीनता आदि अनेक ऐसी बाधाएँ हैं जिनके कारण व्यापक संभावनाओं के बाद भी धार्मिक पर्यटन का विकास जिले में पूरी तरह से नहीं हो सका है।

परिवहन सुविधाएँ धार्मिक पर्यटन क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। परिवहन सुविधाओं के अभाव में कोई भी पर्यटक धार्मिक पर्यटन केन्द्रों तक पहुँचने में असमर्थ होता है। परिवहन समस्याओं की दृष्टि से सड़क परिवहन के अन्तर्गत जिले के विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुँचने हेतु पर्याप्त एवं अच्छे मार्गों का नितान्त अभाव है, साथ ही यातायात के साधनों की भी अनुपलब्धता है जिले में सड़क मार्गों की जर्जर अवस्था, कम चौड़ाई आदि आवागमन को अवरुद्ध करते हैं, सार्वजनिक वाहनों की दशा भी खराब है।

उज्जैन नगर में पर्यटन विकास निगम व कुछ निजी परिवहन संचालकों द्वारा पर्यटकों हेतु 'उज्जैन दर्शन' नामक बस सेवा प्रदान की जाती है बस द्वारा यहाँ अवस्थित विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों में से केवल चुनिन्दा स्थलों का भ्रमण कराया जाता है, जबकि सम्पूर्ण जिला असंख्य धार्मिक

पर्यटन स्थलों से परिपूर्ण है।

जिले में धार्मिक पर्यटन विकास हेतु सुझाव – उज्जैन जिले को एक आदर्श धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना तभी संभव हो सकेगा जबकि यहाँ सुदृढ़ अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ पर्यटकों हेतु उपलब्ध होगी पर्यटकों के लिए जो आवश्यक सुविधाएँ जिले में उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता व स्तर को बेहतर बनाना अनिवार्य आवश्यकता है।

धार्मिक पर्यटन विकास में बाधक प्रचार-प्रसार की समस्या के निदान हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों की सहायता ली जा सकती है। इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न टी.वी. चैनलों द्वारा, रेडियो, फिल्म सिनेमा, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, पोस्टर होर्डिंग्स, पेम्पलेट्स, कैलेण्डर, विभिन्न राज्यों में जाने वाली रेल एवं बसों पर विज्ञापन के माध्यम से रेलवे टिकटों पर विज्ञापन प्रकाशित कर, इण्टरनेट वेबसाइट्स के द्वारा पर्यटन सूचना केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रचार सामग्रियाँ वितरित कर आदि उक्त माध्यमों से उज्जैन के धार्मिक पर्यटकीय वैभव को विश्वस्तर पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शोभा कानूनगो: उज्जयिनी का सांस्कृतिक इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेश 1998, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सूर्यनारायण व्यास, डॉ. आर.एन. त्रिवेदी व डॉ. डी.पी. शुक्ला: उज्जयिनी दर्शन रिसर्च मैथडोलॉजी, साहित्य भवन भोपाल, 2000, कॉलेज बुक डिपो।
3. श्यामसुन्दर श्रीवास्तव: पर्यटन एक विकास, सेन्ट्रल बुक हाउस सदर बाजार।

पत्र-पत्रिकाएँ :

1. प्रतियोगिता दर्पण, 1, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा।
2. दैनिक भास्कर: भास्कर प्रेस, फिरोज गाँधी प्रेस (दैनिक समाचार-पत्र) परिसर, इन्दौर (म.प्र.)
3. म.प्र. पर्यटन, पर्यटन एवं संगठन (एफको) भोपाल।

संतुलित आहार : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण का महत्व

पार्वती सिंह *

प्रस्तावना - आहार व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिये कि आहार जीवन के लिए है न कि जीवन आहार के लिए। इस वैज्ञानिक युग में भी भोजन पर हमारी आदतें व स्वाद प्रभावी हैं, शिक्षितों में भी एक बड़ा प्रतिशत अपने आहार के प्रति सजग नहीं है, क्योंकि अधिकांश जनसमूह अपने दैनिक जीवन में प्रायः जो आहार लेता है वह तृप्तिदायक व भूख शान्त करने वाला होता है (खनूजा 2009)।

संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से हैं जिसमें व्यक्ति विशेष की समस्त पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्राओं, अनुपातों में व उचित साधनों से प्राप्त हो (बखशी, 1914)।

प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का आयोजन अलग - अलग होता है। एक व्यक्ति का संतुलित आहार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संतुलित आहार उसकी आयु, लिंग, शरीर का आकार, मौसम, जलवायु, कार्य व परिश्रम पर निर्भर करता है। यहाँ कार्य से तात्पर्य कम, मध्यम व अत्यधिक क्रियाशीलता से है। कम क्रियाशील वर्ग में मानसिक कार्य, मध्यम वर्ग में घरेलू कार्य तथा कठोर श्रम में प्रायः खिलाड़ी व मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। अतः कार्यानुसार इन्हें अलग-अलग पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है।

संतुलित आहार लेने का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक माँग के अनुसार पौष्टिक तत्वों जैसे-कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवणों की प्राप्ति हो, क्योंकि किसी व्यक्ति को एक पौष्टिक तत्व की अधिक तो दूसरे को उस पौष्टिक तत्व की कम आवश्यकता होती है जैसे मानसिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों की अपेक्षा कम कार्बोहाइड्रेट व कम वसा की आवश्यकता होती है।

संतुलित आहार की प्राप्ति के लिए स्वयं की सूझ बूझ, पोषक तत्वों का व्यवहारिक ज्ञान एवं पाक कला के समुचित ज्ञान से कम मूल्य के आहारों से भी संतुलित भोजन का आयोजन किया जा सकता है (सिंह, 2012)। अज्ञानता वश व्यक्ति के आहार में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता से अधिक कमी या अधिकता उसे कुपोषण का शिकार बनाकर कई बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। असंतुलित आहार व्यक्ति को उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। भोजन में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ, वातावरण में फैले दूषित पदार्थ एवं कीटनाशक दवाओं का भी भोजन की पौष्टिकता पर प्रभाव पड़ता है (नीरज, 2014)।

भारतीयों का आहार प्रायः कार्बोहाइड्रेट प्रधान होता है, किन्तु उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। वसा आहार को रुचिकर बनाता है, अतः अज्ञानतावश कुछ लोगों के आहार में इसकी भी अधिकता हो जाती है।

संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलने वाली कैलोरी का प्रतिशत 40 से कम नहीं होना चाहिए। पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 300-700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट व 20-60 ग्राम वसा तथा स्त्रियों को 240-540 ग्राम कार्बोहाइड्रेट व 20-40 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यदि भोजन के इन तीनों तत्वों की आवश्यकता से अधिक ग्रहण किया गया तो ये शरीर में एकत्रित होकर वसा का रूप धारण कर लेते हैं, जो व्यक्ति को सदैव हानि पहुँचाते हैं। मीठे खाद्य पदार्थ, अनाज, दालें, फल व कुछ सब्जियाँ कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं।

प्रायः हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती, किन्तु निम्न आयु वर्ग में या अज्ञानतावश इसकी मात्रा यदि कम ली जाती है तो थकावट व कमजोरी महसूस होती है, साथ ही ऊर्जा का कार्य प्रोटीन को करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे लिए हानिकारक है किन्तु इसकी अधिकता उससे भी अधिक हानिकारक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता मोटापा, मधुमेह व हृदय सम्बन्धी रोगों को जन्म देती है। यदि हम अपने आहार में रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं तो मोटापा, कब्ज, आँतों के कैंसर, दाँतों के सड़न व रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके हृदय रोगों से बच सकते हैं। रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ हैं- साबुत अनाज, साबुत दालें, हरी पत्तोदार सब्जियाँ, सलाद व कुछ फल इत्यादि (पल्टा, 2005)।

हमारे आहार में वसा की संतुलित मात्रा भी आवश्यक है। इसकी कमी व अधिकता दोनों हानिकारक हैं। इसकी कमी से हम विटामिन 'ए', 'डी', 'ई' व 'के' जो वसा में घुलनशील हैं, इनसे वंचित रह जाते हैं जिससे त्वचा सम्बन्धित रोग भी हो जाते हैं। वसा की आवश्यक मात्रा से अधिक सेवन मोटापा प्रदान करता है, फलस्वरूप व्यक्ति हृदय सम्बन्धी रोगों से ग्रसित हो सकता है।

हमारे भोजन का सम्बन्ध केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। असंतुलित भोजन व्यक्ति के शरीर व मन में कई विकार उत्पन्न करते हैं, जबकि संतुलित आहार या उपयुक्त पोषण से व्यक्ति में एकाग्रता, मानसिक शान्ति व सन्तुलन बना रहता है जिससे व्यक्ति संवेगों पर भी संतुलन पा सकता है।

हमारे आहार में विटामिनों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिनों को 'रक्षात्मक खाद्य' कहा जाता है, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती किन्तु ये शारीरिक क्रिया को नियमित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं तथा विकास व वृद्धि में भी सहायक हैं। सभी प्रकार की सब्जियों, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, अनाज, मांस, मछली व अण्डे इत्यादि इन सभी खाद्य पदार्थों में अलग-अलग मात्रा

में विटामिन पाये जाते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील ('बी' एवं 'सी') तथा कुछ वसा में घुलनशील ('ए', 'डी', 'ई' एवं 'के') होते हैं। शरीर में इनकी अधिक मात्रा जमा नहीं हो पाती। जल में घुलनशील विटामिन शीघ्र ही विसर्जित हो जाते हैं। इनकी कमी का प्रभाव शरीर पर शीघ्र दिखने लगता है अतः प्रतिदिन के भोजन में इन्हें शामिल करना आवश्यक है।

आहार में खनिज लवणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे-लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ताँबा, सोडियम इत्यादि। प्रायः सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से कुछ न कुछ खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। ये खनिज लवण शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने व शरीर निर्माण में भी सहायक हैं।

शरीर के उचित पोषण हेतु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवणों के साथ-साथ जल का पर्याप्त मात्रा में होना भी अति आवश्यक है क्योंकि जल शरीर का सबसे बड़ा घटक है। सम्पूर्ण शरीर का 60 से 70% भाग जल से बना होता है। इसकी 10% कमी से शरीर पर कुप्रभाव दिखने लगता है, जैसे- शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव, पाचक रसों के निर्माण में असन्तुलन, निर्जलीकरण इत्यादि। जल की 20 से 22% की कमी से मृत्यु तक हो जाती है। अतः प्रतिदिन एक प्रौढ़ व्यक्ति को 2-3 लीटर या 6-8 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। इसकी प्राप्ति विभिन्न पेय पदार्थों जैसे दूध, मट्ठा, शर्बत व फल सब्जियाँ इत्यादि तथा जल ग्रहण करके भी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।

संतुलित आहार का आयोजन विशेष परिस्थितियों व रोगावस्था में भी उतनी ही आवश्यक है जितनी एक सामान्य अवस्था में। 'आहार उपचार' द्वारा इस दिशा में विशेष लाभ मिलता है। रोगावस्था या रोग के पश्चात दवाइयों का लाभ तभी मिल सकता है जब आहार पर विशेष ध्यान दिया जाय। हमें अपने आहार को संतुलित एवं पर्याप्त बनाने हेतु ऐसे भोज्य पदार्थों को महत्व देना चाहिए जो मिश्रित अनाजों, दूध, पत्तेदार सब्जियों व फल इत्यादि युक्त हो साथ-साथ मौसम में कम खर्चों में ही प्राप्त किया जा सके। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के पोषण मूल्य की जानकारी भी पौष्टिक भोजन के चुनाव में सहायक होते हैं, क्योंकि किसी एक खाद्य पदार्थ में सभी पौष्टिक तत्व सही अनुपात व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते। किसी व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कितनी हो इस दिशा में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति (ICMR) में भारतीयों के लिए प्रस्तावित मात्रा बतायी है जो इस प्रकार है-

तालिका सं . 01 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका सं . 02 (अगले पृष्ठ पर देखें)

हमारे लिए तालिका सं.(01) में जिन पौष्टिक तत्वों की प्रस्तावना की गयी है, उसके अतिरिक्त भी कुछ पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जैसे नियासिन, फॉलिक एसिड इत्यादि। यदि हम संतुलित आहार का आयोजन अपने लिए करते हैं तो सभी पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिल सकती है। संतुलित आहार का आयोजन न केवल पोषण की दृष्टि से उपयुक्त होता है बल्कि देखने में भी यह आकर्षक होता है कि उसे खाने की रुचि बढ़ जाती है। अतः संतुलित आहार का आयोजन करते समय हमें कुछ मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसे-

1. एक अच्छी तरह नियोजित आहार से केवल पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा की ही प्राप्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि वह विटामिन व खनिज लवणों से भरपूर होना चाहिए।

2. मौसमी खाद्य पदार्थों को शामिल करने से बजट प्रभावित नहीं होता जबकि बेमौसमी खाद्य पदार्थों जो कीटनाशक पदार्थों से भरे होते हैं, उससे बच जाते हैं।
3. अपने भोजन में साबूत अनाजों, छिलके व रेशेयुक्त फल-सब्जियाँ, अंकुरित अनाजों इत्यादि का प्रयोग कर हम संतुलित आहार की ओर बढ़ सकते हैं।
4. आहार में विविधता व गुणवत्ता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियों व विभिन्न खाद्य समूहों को शामिल किया जाना चाहिए, इससे पोषक तत्व की कमी नहीं होती है।

अतः संतुलित आहार के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग आवश्यकता, रुचि व विशेष परिस्थितियों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराकर हम स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार को भी स्वस्थ बना सकते हैं। **'स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार एवं पोषण का महत्व से संबंधित अध्ययन'** अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण महत्व पूर्ण है, अच्छा पोषण हमें संतुलित आहार से ही प्राप्त हो सकता है संतुलित आहार न लेकर हम अनेक पोषक तत्वों विशेषकर विटामिन व खनिज लवण से वंचित रहते हैं (WHO 1998)।

वर्तमान शोध पत्र में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार से प्राप्त पोषण के महत्व जो कि संतुलित आहार पर निर्भर करता है, बल दिया गया है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रीशन में बताया गया कि 'पर्याप्त पोषण के बिना हम अपनी रोगरोधक क्षमता को बढ़ाने से वंचित रह जाते हैं' (मार्कोस एट ऑल, 2003)।

बेक एवं लेवेंडर के शोध पत्र में बताया गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से हम अपनी रोगरोधक क्षमता को बनाये रखते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा पोषण वायरल संक्रमण के खतरों को भी कम करता है (बेक एवं लेवेंडर, 2000)। शोध पत्रों से ज्ञात होता है कि लोहे की कमी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है (सोयानो और गोमेज, 2008)।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नागेन्द्र कुमार नीरज, 2014- मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, पृ . सं . 156, आहार को संतुलित, सम्यक तथा बोधपूर्ण बनाने के सिद्धांत, संस्करण-6।
2. अरुणा पल्ला, 2005-आहार एवं पोषण, पृ . सं . 123, रेशेदार पदार्थ।
3. रीना खनूजा, 2009-आहार एवं पोषण विज्ञान, पृ . सं . 53, संतुलित आहार।
4. बी. के. बखशी, 1914- आहार एवं पोषण विज्ञान, पृ . सं . 210, संतुलित आहार।
5. वृन्दा सिंह, 2012-आहार विज्ञान एवं पोषण पृ . सं . 66, संतुलित आहार।
6. सी. गोपालन, 1993- भारतीय भोजन का पोषक मूल्य, पृ . सं . 27, आहार सिद्धांत।
7. बेक एमए और लेवेंडर, ओए, 2000, होस्ट पोषाहार स्थिति और एक वायरल रोगजनक पर इसका प्रभाव द जर्नल ऑफ इफेक्स डिजीज वॉल्यूम 182 अंक अनुपूरक 1 पेज 593-596 - ऑनलाइन यहाँ उपलब्ध है : <https://academic.oup.com/jid/article/182/1/593/596> / आलेख / 182 / राफ्लूमेट। एस 932191642)

8. मार्कोस . ए . नौवा . ई . और मोटेरो , ए, 2003, प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन पोषण द्वारा वातानुकूलित होते हैं । यूर जे क्लिनिकल न्यूट्रिशन 57, 566-569 (ऑनलाइन यहां उपलब्ध है : <https://www-nature-com/articles 1601819> &
9. डब्ल्यूएचओ (1998) मानव पोषण में विटामिन और खनिज की आवश्यकताएं दूसरा संस्करण <https://apps-who-int/iris/bitstream/handle/10665/42716/9241546123-pdf.ua=1>
10. सोयानो, ए और गोमेज़ एम (2008) प्रतिरक्षा में लोहे की भूमिका और संक्रमण के साथ इसके संबंध ऑनलाइन, यहां उपलब्ध है: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10971835>

तालिका सं . 01 : किशोरो, प्रौढ़ों एवम् वृद्धों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक प्रस्तावित मात्रा (गोपालन, 1993, आई सी एम आर)

	कम क्रियाशील		मध्यम क्रियाशील		अधिक क्रियाशील		किशोरावस्था		वृद्धावस्था	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	बालिका	बालक	महिला	पुरुष
कैलोरी (किलो कैलोरी)	1875	2425	2225	2875	2925	3800	2060	2640	1700	2100
प्रोटीन (ग्राम)	50	60	50	60	50	60	63	78	45	55
वसा (ग्राम)	20	20	20	20	20	20	22	22	-	-
कैल्शियम (मिग्रा)	400	400	400	400	400	400	500	600	500	500
लोह तत्व (मिग्रा)	30	28	30	28	30	28	30	50	20	30
रेटिनोल	600	600	600	600	600	600	600	600	600-700	600-700
केरोटीन (मिग्रा)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	-	-
विटामिन 'सी' (मिग्रा)	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
विटामिन 'बी 1'(मिग्रा)	0.9	1.2	0.9	1.4	1.1	1.6	1.0	1.3	1.0	1.2
विटामिन 'बी 2' (मिग्रा)	1.1	1.4	1.1	1.6	1.3	1.9	1.2	1.6	1.0	1.3
विटामिन 'बी 6' (मिग्रा)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.3
विटामिन 'बी 12' (माइक्रोग्राम)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2-1.0	0.2-1	1.0	1.0
विटामिन 'डी' (माइक्रोग्राम)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

तालिका सं -02: किशोरो, प्रौढ़ों एवम् वृद्धों के लिए भोज्य पदार्थों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा (ग्राम में)

भोज्य पदार्थों	किशोरावस्था (13-18 वर्ष)		प्रौढ़ावस्था				वृद्धावस्था			
	किशोरी	किशोर	कम क्रियाशील		मध्यम क्रियाशील		अधिक क्रियाशील		महिला	पुरुष
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष		
अनाज	350-430	350-430	300-400	300-400	350-475	350-475	473-650	473-650	220-300	220-300
दालें	50-70	50-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	50-60	50-60
हरी पत्तोदार सब्जियाँ	100-150	100-150	100-125	100-125	125	125	125	125	100-125	100-125
अन्य सब्जियाँ	75-100	75-100	125-150	150-175	150-175	150-175	200	200	125-150	125-150
दूध	250	250	200	200	200	200	200	200	300	300
वसा+ तेल	35-45	35-45	30-35	30-35	35-40	35-40	40-50	40-50	30	30
शक्कर व गुड़	30-40	30-40	30	30	30	40	40	55	30	30
फल	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

राजनीतिक समाजीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य

डॉ. आदित्य कुमार सिंह *

प्रस्तावना - समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के आदर्शों, नियमों और व्यवहारों को बिना किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को कराए हुए सीखा जाता है सीखने की इस प्रक्रिया में किसी समाज के उन प्रचलित व्यवहारों को अपने जीवन में आत्मसात किया जाता है जिनके द्वारा उस समाज के मूल्य और आदर्श निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार समाज के मूल्य, आदर्श, नियम और व्यवहार होते हैं ठीक उसी प्रकार राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर किसी समाज के कुछ नियम, आदर्श, मूल्य और व्यवहार होते हैं जिसके आधार पर उस समाज की या उस देश की राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है और यह मूल्य, आदर्श, नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं इसके लिए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती और धीरे-धीरे यह व्यक्ति के जीवन के सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। पहले इस प्रक्रिया को नागरिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता था परंतु आधुनिक युग में इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाता है इसलिए इसके लिए राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिकी मनोविज्ञान शास्त्री हर्बर्ट हाइमन ने बच्चों में राजनीतिक वस्तुओं और व्यवहारों को सीखने का अध्ययन¹ किया तब से राजनीति में राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का प्रचलन प्रारंभ हुआ और राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजीकरण को वरीयता दी जाने लगी।

किसी भी देश की राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि उनका राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है राजनीतिक समाजीकरण ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में मूल्यों, व्यवहारों, नियमों और मानकों का विकास करता है सीखने के यह अभिविन्यास अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि राजनीति के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित करना। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में हम परिवार, शिक्षण संस्थाएं, मित्र मंडली, संचार के साधन, राजनीतिक दल, दबाव समूह पढ़ते आए हैं मगर सूचना क्रांति के पश्चात वरीयता क्रम में परिवार शिक्षण संस्थान और मित्र मंडली का स्थान अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के अलावा तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने ले लिया है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है सोशलसाइट्स ने गोरिल्ला युद्ध को जन्म दिया है²। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के प्रारंभ से शुरू हो जाती है और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब एक व्यक्ति राजनैतिक क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता प्रारंभ करता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक समाजीकरण की आयु सीमा घटकर बहुत कम हो गई है छोटे-छोटे बच्चों को हथियार बनाकर राजनैतिक अभिलाषाओं की पूर्ति में इस्तेमाल किया जाता है जिन मामलों से बच्चों का कोई सरोकार

नहीं होता उसमें भी तख्तियां पकड़ा कर उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है हमारे राजनीतिक समाजीकरण के तरीके अभी व्यवस्थित नहीं हैं प्रारंभिक समाजीकरण ही राजनैतिक समाजीकरण से प्रारंभ होता है जहां हम निष्पक्षता और मूल्यांकन को दरकिनार करते हुए अपनी कुंठित भावनाएं आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित कर देते हैं।

बचपन और वयस्क होने के बीच में एक बड़ा अंतराल होता है राजनीतिक शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। 12 वर्ष से 25 के बीच की उम्र इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जहां 12 वर्ष में बचपन समाप्त होता है वही 25 वर्ष की आयु पूरी करते-करते एक व्यक्ति राजनीति के प्रति अपने अनुभव के आधार पर एक समझ विकसित कर लेता है इस अवस्था में एक और राजनीति के प्रति सीखे हुए आधार पर दृष्टिकोण का विकास होता है वहीं दूसरी ओर 25 वर्ष की आयु पूरी करते-करते वयस्क होने पर अर्जित व्यवहार राजनीति एक दृष्टिकोण निर्मित करता है और यह निर्मित दृष्टिकोण लगभग स्थाई जैसा रहता है जब तक वह व्यक्ति सक्रिय राजनीति में प्रतिभाग ना करें और एक बार सक्रिय राजनीति में प्रतिभाग करने के पश्चात यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत हितों के अनुसार बदलता रहता है वर्तमान राजनीति में तमाम बड़े राजनेता सत्ता परिवर्तित होते ही पुरानी पार्टी छोड़कर सत्ता दल के साथ अपनी निष्ठा और सत्य निष्ठा जोड़ लेते हैं और अपने स्वार्थ गत हितों को पूरा करते रहते हैं इसी स्वार्थ गत भ्रष्टाचार को लेकर राजनेताओं से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है³ राजनीतिक समाजीकरण के शुरुआती अध्ययनों की आलोचना ने क्या, कब और कैसे लोग राजनीतिक व्यवहार और दृष्टिकोण को सीखते हैं इस समझ को बदल दिया है भारत के संदर्भ में देश की राजनीति और प्रदेशों की राजनीति दोनों की अलग-अलग धाराएं हैं 1989 के बाद एक लंबे समय तक केंद्र में मिली जुली सरकारें बनती रहीं उनकी स्थिरता का सीधा नियम रहा कि इस हाथ दो उस हाथ लो⁴ इस तरह की राजनीतिक सोचने स्वार्थवादिता को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। बड़े पैमाने पर वयस्क राय राजनीतिक समाजीकरण का अंतिम उत्पाद है जिस विचार को मार्श ने चुनौती दी थी वह विचार भारत के परिप्रेक्ष्य में सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है इसी प्रकार की अन्य धारणाएं जैसे 'कमाऊ मंत्रालय', 'बेलगाम क्षेत्रवाद'⁵ की अवधारणाएं भारतीय राजनीतिक समाजीकरण को स्थायित्व प्रदान कर चुकी हैं

1. सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों के राजनैतिक जीवन को प्रभावित करते हैं उनके द्वारा पारिवारिक जीवन की स्पष्ट राजनीतिक विशेषताओं के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है यदि किसी के परिवार का माहौल राजनीतिक होता है तो बच्चे नकल के

दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उसी परंपरा का पालन करते हैं जो उनके माता पिता के द्वारा किया जा रहा है 75% से अधिक मामलों में इसी तरह के परिणाम आए हैं क्योंकि परिवार के प्रभाव को और इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इस तरह के राजनीतिक समाजीकरण में माता-पिता रोल मॉडल का काम करते हैं कुछ स्थितियों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति बच्चों की राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव डालती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राजनैतिक हित, ज्ञान के स्तर आदि सब प्रभावित होते हैं।

2. राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार क्या है, किस तरह से काम करती है, मतदान क्या है?, राजनैतिक भागीदारी किन किन रूप में हो सकती है, यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनकी शंका का समाधान निष्पक्ष ढंग से केवल शिक्षण संस्थाओं में किया जाता है यद्यपि छात्र जो कक्षाएं लेते हैं उनमें राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करने का कोई सटीक तरीका स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादातर मामलों में कक्षा चर्चा, समूह चर्चा, रैली का आयोजन, निबंध, परिचर्चा, वाद-विवाद, आदि के माध्यम से उनमें राजनीतिक समाजीकरण करने के प्रयास किए जाते हैं और राजनैतिक जुड़ाव को एक दिशा प्रदान की जाती है जिससे भविष्य के अच्छे और स्वस्थ राजनीतिक सोच वाले नागरिक पैदा किए जा सकें।

3. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां प्रत्येक वर्ष एक चुनाव होता है और चुनाव पर परिचर्चा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बढ़ चढ़ कर चुनावी विश्लेषण करते हैं और यह निरंतरता बनी रहती है टीवी की डिबेट और अखबारों के लेख एक ऐसी राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करते हैं जिसका अपना निश्चित दृष्टिकोण होता है समझने की बात यह है कि मीडिया हाउसेस को कुछ लोग चलाते हैं जो पूरी तरह से व्यवसायिक होते हैं अब टीवी चैनल्स पर भी बिकाऊ होने का आरोप लगाया जाता है इसमें कितना सच है मैं कितना झूठ इसका निर्धारण तो नहीं किया जा सकता लेकिन इतना तो तथ्य है कि बिना आग जले धुआँ नहीं होता उदाहरण के लिए बेंगलुरु के सेंटर फॉर इंटरनेट सोसाइटी में इंटरनेट की आजादी और प्रशासन पर रिसर्च करने वाले प्रणेश प्रकाश का प्रतिबंधित वेबसाइट पर 22 अगस्त 2012 को जारी विश्लेषण मीडिया के लिए कसौटी बन गया जिसमें वह कहते हैं कि यह साफ नहीं हो पाया कि इस परिस्थिति में क्या सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया है इस लिस्ट में शामिल बहुत से सामग्रियों पररोक पर कानूनी तौर पर सवाल उठाया जा सकता है हालाँकि मेरे हिसाब से कुछ ऐसे सामग्री थी जिन्हें हटाया जाना चाहिए था⁶।

4. राजनीतिक समाजीकरण में मित्र मंडली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है 1985 में 32 वर्ष की उम्र में प्रफुल्ल कुमार महंत ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उनके मंत्रिमंडल में ज्यादातर लोग उनके विद्यार्थी जीवन के साथी थे या छात्र संघ के सदस्य थे यह मात्र एक उदाहरण हो सकता है लेकिन भारतीय राजनैतिक परिदृश्य का अध्ययन करने पर पता चलता है राजनीति के प्रति दृष्टिकोण के निर्माण में मित्रों और साथियों का महत्वपूर्ण स्थान है सूचना क्रांति आने के बाद मोबाइल के माध्यम से यह मित्रता अब दूरी रहित हो गई है⁷ WhatsApp Group का प्रचलन जिस तरह से बढ़ा है उससे राजनीतिक समाजीकरण की दिशा का तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन इतना अवश्य है लोगों को एक साथ जोड़ कर अस्पष्ट

विचारधारा वाले लोगों को किसी भी विचारधारा के साथ जोड़ा जा सकता है।

5. राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण राजनीतिक दलों की अपनी निश्चित मूल्य मान्यताएं होती हैं उनके आदर्श होते हैं उनकी विचारधारा होती है और उस विचारधारा के अनुसार वह लोगों का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं विचारधारा के स्तर पर टकराव इतना अधिक होता है⁸। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य दूरी भले ना हो लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के मध्य दुश्मनी जैसी स्थिति दिखाई देती है यहां यह बात गौरतलब है किसमें विचारधारा के अलावा जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे सभी को शामिल किया जाता है इस तरह का राजनीतिक समाजीकरण तार्किक न होकर भावनात्मक होता है।

6. यह देखा गया है कि बच्चे का राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने से पूर्व ही राजनीतिक अभिमुखीकरण प्रारंभ हो जाता है और इस तरह का प्रभाव जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास करता है कहते हैं लोगों की स्मृति बहुत छोटी होती है लेकिन चैनलों की स्मृति तो प्राइम टाइम तक ही सीमित हो गई लगती है वह प्राइम टाइम में ऐसी बातें करते हैं जैसे कल सुबह नहीं होगी फिर कोई और जीतेगा हारेगा नहीं और जैसे राजनीति और इतिहास उसी पल ठहर गए हो।⁹

प्रायः यह देखा गया है कि जिन बच्चों का राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने से पूर्व ही राजनीतिक अभिमुखीकरण प्रारंभ होता है उनका राजनीतिक दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि पारिवारिक वातावरण एक निश्चित विचारधारा के प्रति प्रेरित करता है वही स्कूल, मित्र मंडली और अन्य संस्थागत समूह जिनका वह सदस्य होता है वह सभी अलग-अलग राय रखने वाले होते हैं अलग-अलग समाजीकरण होने से दृष्टिकोण में स्पष्टता आ जाती है क्योंकि जब दो पक्षों के मध्य चयन करना हो तब मूल्यांकन के द्वारा ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हाइमन, हर्बर्ट, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवहार के मनोविज्ञान में एक अध्ययन, 1959, पृष्ठ-172
2. गीताश्री, 'जो दिवटर पर जीते हैं वह दिवटर पर मरते हैं' शुक्रवार, 30 जनवरी 1914, पृष्ठ - 31
3. रईस अहमदलाली - भ्रष्टाचार ही है अब चुनावी मुद्दा, शुक्रवार 21 से 27 फरवरी, 2014, पृष्ठ-16
4. प्रिया सहगल, बदलता भारत स्वतंत्रता दिवस विशेषांक, इंडिया टुडे, 25 अगस्त 2010, पृष्ठ-36
5. उपरोक्त, पृष्ठ 37
6. शिव अरूर, नन्हे मीडिया से कांपती सरकार, इंडिया टुडे, 12 सितंबर 2012, पृष्ठ - 26
7. सुरेश अग्रवाल, जनसंचार माध्यम, 2005, पृष्ठ - 12
8. डॉ. धर्मवीर, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकैडमी-2008, पृष्ठ-114
9. आनंद प्रधान, चैनलों का इतिहास बोध, तहलका, 31 दिसंबर 2013, पृष्ठ-32

Women in Informal Sectors: Need for Economic Recognition and Government Support

Dr. Arvind Prakash*

Abstract - Women make for only 23 per cent of those employed in India's informal sector, but upto 91 per cent in domestic Informal sector. The city economies in developed countries are attributed with capital intensive high wage production sector backed by modern technologies. But in developing countries dualistic nature of city economies still persists. In these countries economic recession, structural adjustment, continued urbanization and population growth has led to an unprecedented expansion of the informal or unorganized sector. The same situation is witnessed in India also. The share of informal sector in national income has been declining but the number employed in this sector continues to swell. Five decades of post-independence growth has not been able to absorb the labour force engaged in the informal sectors. Of the total employment only 7 per cent was in organized sector. Rest 93 per cent of employment was in informal or unorganized sector. The informal sector employs a large segment of woman labour also. According to Government Statistics women constituted only 17.2 per cent of the total organized sector employment, which means that 82.8 per cent of the total women are employed in informal sector in India. A very low percentage of women are engaged in organized or formal sector in Uttar Pradesh also. According to U.P. Government statistics it is estimated that 83 per cent women in the state are engaged in informal sector activities. These women mostly belong to economically deprived category and their work and contribution to economy is hardly given any recognition.

Keywords- Casualization of work force, fertility rate, literacy, poverty line.

Importance of Woman Labour in Informal Sector - The economic structure of the cities in developed countries are attributed with capital intensive high wage productive sector assisted with modern know how and information and having full integration with the world market. But in developing countries like India dualistic nature of city economies still persists. Almost all the metropolitan and large cities this country have two juxtaposed systems, one based on modern techniques and line of production and the other completely traditional in nature.

The socio-economic duality theory of Arthur Lewis assumed that informal sector with surplus labour will gradually disappear as the surplus labour will get absorbed in organized sector. This theory, which was drawn with the experience of capitalist countries in which the share of agricultural and informal sector showed a spectacular decline, was not found to be effective in many developing countries, including India. In these countries economic recession, structural adjustments, continued urbanization and population growth led to an unprecedented expansion of informal sector. The situation we witness in India today is similar. The share of informal sector in national income has been declining but the number employed in this sector continues to swell. Seven decades of post-independence growth has not been able to absorb the labour force

engaged in the informal sectors. Of the total employment of 397 million in 1999-2000, only 28.11 million (7 per cent) was in organized sector. The need of the hour is to take care of the rest 93 per cent of the labour force. Which is engaged in the informal sector activities.

The informal sector employs a large segment of woman labour also. It covers marginal workers as well as the workers living on the borderline of poverty. As per institute of social science trust report women in India make only 23 per cent of informal sector employment in India.

According to a report of international Labour Organization, women perform one-third of the total work, earn one-tenth of the world income and hold less than 1/100th of the world assets. The situation appears to be more disgusting if one goes into the figures of the Indian economy. According to Government Statistics women constituted only 17.2 per cent of the total organized sector employment (as on 31st March 1999), which means that 82.8 per cent of the women employment was in unorganized sectors. The sectoral profile of women workforce indicates that more than 80 per cent of women workforce is engaged in agriculture and allied activities where there are no legislative safeguards even to claim their minimum or equal wages with their male counterparts, leave aside the other benefits that the women in the organized sectors enjoy. In

*Associate Professor (Economics) Feroze Gandhi College, Raebareli (U.P.) INDIA

India 8 per cent of women in the non-agricultural labour force are engaged in informal activity, whereas there are 83 per cent men. According to the Committee on the Status of Women in India (1991-94), a proper assessment of the nature and extent of women's participation in employment, their problems and disabilities arise according to the degree of the organization of the sectors of employment. Thus, Informal sector of the economy provides big employment opportunities to women workers in India, but unfortunately even after seven decades of planned development, the status and working condition of women in this sector is pitiable.

Imbalances in supply and demand conditions are responsible for employment of large number of woman workers in low paid jobs of informal sectors. On the supply side, some of the factors that work as a handicap in the mobility of labour in the organized sector are (a) immobility of women workers (b) women belonging to reproductive age group prefer to be at home or near home and (c) lack of technical knowledge force them to confine themselves to low paid jobs near their place of residence. On the demand side too, the employer prefer to keep woman labour on the low paid jobs because of their physical shortcomings. Family compulsions, low mobility and less technical training are also important reasons.

A very low percentage of women are engaged in the organized sectors in Uttar Pradesh also. It is estimated that 83 per cent of the working woman are engaged in informal sector activities. Most of them are either self-employed or are engaged as labours in sectors like agriculture, construction, domestic household, shops, commercial establishments, etc. They are mostly landless or marginal farmers or migrant to cities and are included under the category of unskilled labour force, unprotected against vested exploitations. As in many parts of India, casualization of workforce is on the rise in U.P. also. In 1993-94, nearly two-third of rural households who were dependent on earning from casual labour in agriculture sector were below poverty line. The urban poor are more likely to be involved in casual wage labour, or work in the informal sector, both associated with high level of poverty. In 1999-2000, 16 per cent of the population was dependent on casual work and two-third of them lived below poverty line.

Despite their numbers, women working in the informal sector have also to deal with the double whammy of insecurity as well as gender bias – their income tends to be low and fluctuating and they do not have power to bargain to seek better terms or working condition and they have low social status.

It is seen that women in Uttar Pradesh, as in the country as a whole, do not engage themselves in gainful economic activities and hence their participation in the labour force is still very low. The women in our country feel unable to adjust themselves suitably to different kind of occupations because of certain limitations and social constraints. Most of the female workers especially in rural areas are employed

mainly in agriculture and allied activities while their participation in secondary and tertiary sectors is very low. Similar is the condition in urban areas where most of the women are either self-employed in informal sector low earning activities or are working as casual wage earner.

The women belong to the economically deprived category. They are least educated and they live in pathetic conditions with large family size and least of basic amenities. They are subject to exploitation and gender discrimination. Their work and contribution to the national economy is given least recognition.

Conclusion - Society must realize that unless women are bestowed with utmost respect, dignity, equality and benevolence, the community cannot prosper. Infact half of the worlds' population known as better half are women; but the better half are great sufferers in men-dominated society under man made laws.

It is necessary that attempts be made to educate these woman labour by organizing Woman Welfare Centers in both urban and rural areas. Trade union activates in India have focused on workers of organized sector only. It is difficult to organize unorganized worker because of absence of clear employer-employee relationship, the scattered nature of workplace, poor resource base of workers and neglect by the state. A co-operative society or association should be encouraged for these woman labours working in unorganized sector.

Commercial Banks should extend banking and credit facilities in such a way the woman labours both in urban and rural areas are particularly benefited. The Government should see that woman labour employed in informal sector is specially included under such welfare schemes.

Woman labour in informal sector is completely ignorant of her rights and privileges. It is the duty of Social Organizations to create awareness amongst these women about the existing economic and social legislations. They should also be acquainted about the various activities of Social welfare Boards, which can help them generate additional source of income. They should also be informed about the various assistance available through Bank and NGOs, would help them generate income through group activities.

Until now the State has been bound to the organized sector by a plethora of laws and institutions, which guaranteed organized sector workers' right to job security, regular wage revisions, retirement and other benefits. The vast unorganized sector was unprotected by these laws. Except than casting vote unorganized sector workers have no say in politics. The leaders of ruling as well as opposition generally forget them and media hardly notices them.

To improve the condition of these women workers it is necessary that attempts be made to educate these woman labour by organizing Woman Labour Welfare Centers in both urban and rural areas. A Cooperative society or association should be encouraged for these woman labours working in unorganized sector. Commercial Banks Should

extend banking and credit facilities in such a way that woman labours are particularly benefited. Woman labour is completely ignorant of her rights and privileges. It is the duty of Social Organizations to create awareness amongst these women about the existing labour and social legislations. They should also be acquainted about the various activates of Social Welfare Boards and Women welfare Department, which can help them generate additional source of income. Until now the State has been protective to the organized sector by a plethora of laws and institutions, the vast unorganized sector was unprotected by these laws. There is need today for the government to extend direct support to informal or unorganized sector and accept it as a channel for improving productivity and incomes of poor.

The existent laws must be properly implemented. A few laws still unknown and a few are never taken care of. For example even many labour leaders do not know that a central law for construction workers was passed in parliament in 1995, but except in Delhi and Pondicherry it is nowhere effective.

As mentioned earlier the need of the hour is to take care of the 93 per cent of the labour force engaged in the informal sector. Five decades of post-independence growth has been able to absorb the labour force present in informal sector. There is need today for the government to extend support to informal sector and accept it as a channel for improving productivity and incomes of the poor. Liberalization has driven more and more people from

organized sector to informal sectors. There is a need to reverse this process so that more and more units of the informal sector be allowed to graduate and be promoted to the category of organized sector.

References:-

1. Parthasathy. G, "Economic reforms and Rural Development in India." Academic Foundation, New Delhi, 2003
2. Prasad Anuradha and Pasad K.V. Eswara, "Home Based Workers in India- Living And Working Condition." "National Labour Institute, NOIDA, 1990
3. Suri, K.,B., "Small scale Enterprises in Industrial Development The Indian Experience," Sage publications, New Delhi, 1993
4. Government of India, Ministry of Finance, "Economic Survey", 1994-95 and 2001 New Delhi
5. Central Statistical Organization, Department of Statistics, Government of India New Delhi, "National Account Statistics," 1993.
6. Mishra S., "India's Textile sector : A Policy analysis," Centre for Policy Research, Sage Publications, New Delhi, 1993.
7. Kuppaswamy B., "Social Change in India," Vikas Publication House, New Delhi 1993.
8. Samal, Kishore C., "Urban informal Sector", Manak Publications, New Delhi, 1990
9. NSSO, Sarvekhana, Vol XVI, No. 2, 1992, Journal of National Sample Survey Organization, Ministry of Planning, New Delhi,

‘प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना’ का संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. अजय वाघे *

प्रस्तावना – जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है। अतः देश में बेरोजगारी व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इस बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुवे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना का शुभारम्भ किया था। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरीको को 50000 रु. से 10,00,000 रु. का बिना ग्यारण्टी ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का लक्ष्य भारत में बेरोजगारी को कम करना , अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।

योजना का परिचय – केन्द्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री ऋणयोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिको को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के अधिकतम 10,00,000 रु. तक का ऋण प्रदान किया जाता है, इस योजना का बजट 3 लाख करोड रु. का है। योजना के अंतर्गत किसी भी नागरीक को बिना प्रोसेसिंग शुल्क के तथा बगैर ग्यारण्टी के यह ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ऋण भुगतान करने की अवधि अधिकतम 5 वर्ष है। इस हेतु ऋण लेने वाले व्यक्ति को एक मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाता है।

योजना के उद्देश्य :

1. भारत के जरूरतमंद लोगो को छोटे व्यवसाय के लिये ऋण प्रदान करना।
2. देश के आर्थिक विकास को गति देना।
3. भारत को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना।
4. पूर्व से स्थापित व्यवसायों को भी ऋण देकर उनका विकास करना।
5. मध्यम एवं छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देना।
6. अतिरिक्त रोजगार का सृजन।

प्रधानमंत्री ऋण योजना की श्रेणियाँ – इस योजना की प्रमुख तीन श्रेणियाँ हैं ,जिसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है :

1. **शिशु ऋण श्रेणी** – इस प्रकार की श्रेणी में योजना के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रु. तक का ऋण लाभार्थियों को आवंटित किया जाता है।
2. **किशोर ऋण श्रेणी** – इस श्रेणी में अधिकतम 50,000 रु. से 5,00,000 रु. तक का ऋण लाभार्थियों को आवंटित किया जाता है।
3. **तरुण ऋण श्रेणी** – इस प्रकार की श्रेणी में अधिकतम 5,00,000 से 10,00,000 रु. तक का ऋण लाभार्थियों को आवंटित किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा कार्ड – इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले व्यक्तियों को एक मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग ऋणी द्वारा डेबिट कार्ड की तरह किया जा सकता है। अतः लाभार्थी

अपनी आवश्यकता के अनुसार ए.टी.एम. मशीन से रुपये निकाल सकता है। इस कार्ड के साथ एक पासवर्ड भी दिया जाता है, जिसे लाभार्थी को गोपनीय रखना होता है तथा रुपये की निकासी के समय उपयोग करना होता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के लाभ :

1. भारत का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जो अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है वह इस योजना में ऋण प्राप्त कर सकता है।
2. इस योजना में किसी ग्यारण्टी की आवश्यकता नहीं है। बिना ग्यारण्टी मुद्रा ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
3. इस ऋण को प्राप्त करने में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना होता है।
4. इस योजना में ऋण भुगतान की अवधि अधिकतम 5 वर्ष है अर्थात 5 वर्षों तक भी लिए ऋण का भुगतान किया जा सकता है।
5. मुद्रा कार्ड के द्वारा आवश्यकता अनुसार लाभार्थी ऋण का उपयोग कर सकता है।
6. इस योजना के अंतर्गत न केवल बेरोजगारों का अपितु पूर्व से स्थापित व्यवसायों को भी ऋण प्रदान किया जाता है।
7. व्यवसायिक वाहन जैसे- ट्रैक्टर, ऑटोरिक्शा, टेक्सी, ट्राली, माल परिवहन, तीन पहिया वाहन, ई-रिक्शा आदि क्रय करने हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना का आर्थिक विश्लेषण – इस योजना के अंतर्गत गत 6 वर्षों में 28.68 लाख लाभार्थियों को 14.96 लाख करोड रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसमें वर्ष 2015 से 2018 के मध्य 1.12 करोड अतिरिक्त रोजगारों का सृजन हुआ।

योजना के अंतर्गत लगभग 88% शिशु ऋण तथा 24% नए व्यवसायों के ऋण उपलब्ध कराये गये। कुल ऋण का 68% ऋण महिलाओं को दिया गया था। 5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के नागरीको को प्रदान किया गया तथा 11% ऋण अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया।

जनवरी 2018 तक इस योजना का लाभ महिलाओं को दिये गये कुल लाभार्थी की 70% है।

ऋण प्रदान करने वाली बैंक – इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तमिल नाडु मरसेटाइल बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन

बैंक, कोटक महिद्रा बैंक, सरस्वत बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बरोदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निम्न क्षेत्रों में मुद्रा योजना का लाभ मिलता है - सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, सर्विस सेक्टर की कंपनियाँ, माइक्रो उद्योग, मरम्मत की दुकाने, ट्रकों के मालिक, खाने से संबंधित व्यापार, विक्रेता, माइक्रो मनुफैक्चरिंग फॉर्म आदि।

मुद्रा ऋण के लिए दस्तावेज - छोटा कारोबार शुरू करने वाले लोग और जो अपना छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं वह भी इस प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

1. लोन लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदन किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
3. आधार कार्ड।
4. पेन कार्ड।
5. आवेदन का स्थायी पता।
6. व्यवसाय का पता और स्थापना का प्रमाण।
7. पिछले तीन सालों की बैलेंस शीट।
8. आयकर रिटर्न।
9. पासपोर्ट साइज फोटो।

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया - इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक लाभार्थी ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अपने निकटतम सरकारी बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक या वाणिज्य बैंक आदि में अपने सभी दस्तावेजों के साथ जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर आवेदन पत्र भर दें और फॉर्म को भरकर अपने सभी दस्तावेजों के साथ अटैच करके बैंक के अधिकारी के पास जमा कर दें। फिर आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापित कर बैंक द्वारा आपको 1 महीने के अंदर लोन दे दिया जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सेठी टी.टी., मुद्रा एवं बैंकिंग, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा-3
2. श्रीवास्तव ओ.एस., म.प्र. का आर्थिक विकास भोपाल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3. माथुर टी.एन., इंडियन बैंकिंग सिस्टम, पी.सी.जैन रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. अग्रवाल अनुपम, भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
5. पंत डी.सी. भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपो, जयपुर।
6. कोठारी सी.पी. रिसर्च मैथडोलॉजी और पद्धतियाँ एवं तकनीक।

भारत में शरणार्थियों की समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. हरिचरण मीना *

शोध सारांश – भारत में आजादी के पूर्व में एवं आजादी के पश्चात भी शरणार्थियों की समस्या रही है। इस शोध-पत्र में समाज, शरणार्थी और नागरिकता के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है। यह शोध-पत्र भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर पूर्व के राज्यों में प्रवासन और शरणार्थी जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों और प्रयासों के बारे में गहराई से विश्लेषण करता है। किसी भी समाज में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। आज सामाजिकता का प्रश्न भी हमारे सामने चुनौती बन कर खड़ा हो गया है। आज फिर से सामाजिकता को नये संदर्भ में देखने की जरूरत है। आज सभी सामाजिक संगठन प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता को एक नये रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता विभिन्न समुदायों एवं सामाजिक संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भारत में भी प्रवासन, शरणार्थी और सामाजिकता का मुद्दा हाल के वर्षों में काफी चर्चा में रहा है। विशेषकर यह मुद्दा पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक ताने बानेपर काफी हावी रहा है।

शब्द कुंजी – सामाजिकता, सीमा, शरणार्थी, नागरिकता, प्रवासन, जबरन प्रवास, शरणार्थी आन्दोलन।

प्रस्तावना – प्रवासन, शरणार्थी एवं सामाजिकता का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। यह समाज व राज्य के उद्भव के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात् इसका समाज-राज्य के उद्भव के साथ मजबूत संबंध है। बैडिक्ट एन्डरसन के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों का एक काल्पनिक समुदाय है जो कि पहचान की कुछ सामान्य चीजें साझा करते हैं तथा वे एक-दूसरे के प्रति अपनी वफादारी रखते हैं (एन्डरसन-2006)। जबकि राज्य का निर्माण विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायालय और सेना से हुआ है और यह नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करता है, हिंसा पर नियंत्रण रखता है तथा संपत्ति के पुनर्वितरण, विनियमन एवं रक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

1930 के दशक में प्रवासियों का मुद्दा पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर काफी हावी रहा है। यह औपनिवेशिक काल के बाद क्षेत्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 1979-85 के दौरान असम में विदेशी-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन का यह केन्द्रीय मुद्दा था। पूर्वोत्तर भारत में जातीय या अन्य प्रवासियों को स्वदेशी समुदायों द्वारा 'बाहरी' कहा जाता है। यहाँ पर मोटे तौर पर विभिन्न आदिवासी और गैर-आदिवासियों के बीच अक्सर बाहरी-विरोधी या प्रवासी विरोधी आंदोलन देखा गया है। यहाँ पर चुनावों में भी प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। खास कर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय में।

प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता का अर्थ – प्रवासन या पलायन लंबी या छोटी अवधि के लिये रहने के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है। शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे अपने मूल निवास स्थान से दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। विस्थापन के निम्न कारण हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, राज्य की नीतियाँ, बाहरी आक्रमण, सामाजिक संघर्ष आदि। नागरिक किसी देश के मूल निवासी होते हैं, जिन्हें उस देश में रहने को कानूनी अधिकार दिये जाते हैं, तथा राज्य द्वारा सभी प्रकार के अधिकारों का आनंद लेते हैं। शरणार्थियों को कभी-कभी उनके प्रवास के आधार पर नागरिकता दी जाती है और कभी-कभी वे

स्थायी रूप से शरणार्थी के रूप में ही रहते हैं। नागरिकता जन्म, प्राकृतिकरण या आवेदन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जब प्रवासियों को मेज़बानों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब उन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है जिसका अर्थ है कि, मूल नागरिकों की तरह वे सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। भारतीय नागरिकता को परिभाषित करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ने नागरिकता को भी अवैध अप्रवासी घुसपैठियों कहा था। इस अधिनियम के अनुसार, अवैध अप्रवासी वह है जो भारत में बिना वैध पासपोर्ट के प्रवेश करता है या अन्य यात्रा दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेज या प्राधिकरण उस संबंध में या किसी वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा के बिना किसी कानून द्वारा निर्धारित दस्तावेज समय की अनुमत अवधि से अधिक रहता है। अवैध प्रवासियों को भी घुसपैठियों की तरह समझा जाता है। मेज़बान देश द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या उन्हें उनके मूल देश में निर्वासित किया जा सकता है।

प्रवास (पलायन) – पूर्वोत्तर भारत में प्रवास या पलायन दो चरणों में शुरू हुआ था, एक औपनिवेशिक काल के दौरान और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद।

स्वतंत्रता-पूर्व काल में प्रवासन – अविभाजित भारत के अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत में प्रवास 19वीं सदी के तीसरे दशक में शुरू हुआ था। यह उन क्षेत्रों के कब्जे के बाद हुआ जो बाद में असम के रूप में गठित हुआ था। यह प्रवास अंग्रेजों के संरक्षण और प्रोत्साहन से हुआ था। उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लोगों को जो कि विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न थे उनको प्रोत्साहित किया था। भूमि को जोतना, चाय बागान में काम करना, अकुशल कार्य करना, सार्वजनिक संस्थानों में सेवा करना, सेना, व्यापार इत्यादि। औपनिवेशिक अधिकारियों ने महसूस किया कि किसानों का प्रवास बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को जोतने और उस पर खेती करने के लिये आवश्यक था जो उन्होंने 1824 में असम के कब्जे के समय खोज की थी। कृषि को बढ़ावा देकर राजस्व उत्पन्न करने के लिये उन्होंने बंजर भूमि पर खेती करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिये, औपनिवेशिक अधिकारियों ने पड़ोसी

बंगाल के जिलों से प्रवासियों के साथ असम को आबाद करने और उन्हें असम की बंजर भूमि पर बसाने का निर्णय लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य देशों से चाय बागान में काम करने के लिये मजदूरों की भर्ती की। इसके अलावा, भूमि और चाय बागान के लिये उत्तर-पूर्व में श्रमिकों, व्यापारियों, डेयरी किसानों, कारीगरों सट्टेबाजों का प्रवास था। असम के बाहर लोगों का प्रवास इस प्रकार की जनसंख्या को बदलने में सक्षम था।

असम के मैदानी इलाकों जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी, प्रवास प्रारंभ में बंगाल के भूमिहीन कृषकों का था जो इन क्षेत्रों में आये और उन्हें बसने के लिये प्रोत्साहित किया गया था। असम में प्रवास का बड़ा हिस्सा देखा गया था। नागालैण्ड, मिजोरम त्रिपुरा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारत के अन्य क्षेत्रों से पलायन का अनुभव नहीं हुआ। सरकारी अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों को छोड़कर खेती और चाय बागान क्षेत्र में प्रवासन भूमि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। जैसे कि कार्यालयों में सेवाएँ, व्यापार और व्यवसाय, अन्य प्रकार की गतिविधियाँ/ प्रवास एवं निवास मुख्य तौर पर सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और व्यवसायिकों के लिए राजधानी क्षेत्र शिलांग (मेघालय) एवं इंफाल (मणिपुर) में था, क्योंकि बस्ती में कोई निषेध नहीं था। पूर्वोत्तर में ब्रिटिश प्रवास नीति औपनिवेशिक हितों में ढाला गया था। हालाँकि औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाहरी लोगों (अन्य क्षेत्रों के लोग) का पूर्वोत्तर भारत में प्रवास को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने इसे प्रत्येक भाग में आने की अनुमति नहीं दी थी। ब्रिटिश ने इनर लाइन परमिट प्रणाली की शुरुआत करके इसे नियमित किया, जिसने आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ऐसी नीति के कारण, पूर्वोत्तर में प्रवासन के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न स्तर देखे गये थे।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में प्रवासन- विभाजन के बाद जो लोग अन्य क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में चले गये थे उन्हें तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:- प्रवासी, शरणार्थी और अवैध प्रवासी। शरणार्थी की परिभाषा इस प्रकार है:- एक व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करता है, पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश बन गया है। वहाँ पर प्रवासियों को शरणार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा। पड़ोसी देशों जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान या म्यांमार के शरणार्थियों एवं अवैध प्रवासियों के अलावा, भारत के अन्य क्षेत्रों से भी स्वतंत्रता के बाद प्रवास जारी रहा था। श्रमिक वर्ग, सफेदपोश श्रमिक, कुशल एवं अकुशल श्रमिक बल, प्रबंधकीय समूह, उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी इत्यादि इसमें शामिल हैं। चाय संपदा गुवाहाटी, डिम्बोई, और बोंजाईगाँव तेल रिफाईनरी, तृतीयक क्षेत्र अवसंचनात्मक जरूरतों को शामिल करने जैसे कि सड़क का विस्तार, अन्य क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को आकर्षित किया। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शैक्षिक संस्थाएँ जैसे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय जैसे कि रेलवे, डाक, बैंकिंग क्षेत्र टेलीफोन क्षेत्र इत्यादि में भी पूर्वोत्तर भारत में देश के अन्य भागों से मध्यम वर्ग कर्मचारियों को प्रवास आकर्षित किया था।

शरणार्थी- 1947 में देश के विभाजन के बाद असम में शरणार्थियों का प्रवेश शुरू हुआ था। वास्तव में जो लोग जिन्हें पूर्व में ब्रिटिश भारत के अन्य भाग से असम में प्रवासी माना जाता था, वे 1947 और 1971 में पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश बन जाने पर शरणार्थी के रूप में जाना जाने लगा। शरणार्थी वे हैं जो अन्य देशों से विस्थापित प्रवासी हैं। भारत का विभाजन और सांप्रदायिक दंगों ने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया था

(हिन्दू) पूर्वी पाकिस्तान में। विस्थापित लोग शरणार्थी के तौर पर असम चले गये। शरणार्थियों की पहली पर्याप्त आमद 1946 में नोआखली दंगों के बाद हुई थी। शरणार्थियों की संख्या दंगों के बाद काफी कम हो गयी थी। लेकिन 1950 के दशक में ताजा सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप के परिणामस्वरूप इनकी संख्या में खासकर असम के कचर जिले में वृद्धि हुई। 8 अप्रैल, 1950 के नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शरणार्थियों की संख्या में गिरावट आई। नेहरू लियाकत समझौते ने दोनों देशों में सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा को प्रशस्त किया था। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते ने भी असम में शरणार्थियों के आगमन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। 1971-72 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान, लाखों शरणार्थियों ने असम एवं बंगाल में प्रवेश लिया था। जबकि उनमें से कुछ युद्ध के बाद वापस बांग्लादेश लौट आये, लेकिन ऐसा माना गया है कि उनकी बहुत बड़ी आबादी वापस नहीं आई और वहीं पर इन प्रांतों में बस गई थी। त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों के कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति काफी बदल गई थी।

नागरिकता के मुद्दे का उभरना- असम में नागरिकता का मुद्दा 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के तुरंत बाद सामने आया। विभाजन के पश्चात् भी असम में अवैध प्रवास की शिकायतें, मिलने लगीं। भारत सरकार ने विभाजन के बाद नागरिकता के सवाल पर अलग-अलग उपाय किये थे। इनमें विदेशी अधिनियम (1948), विदेशी ऑर्डर 1948, अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950, नागरिकता अधिनियम 1955, परमिट प्रणाली, पी.आई.पी. (पाकिस्तानियों की घुसपैठ की रोकथाम) योजना 1965, विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश 1964 विदेशी (ट्रिब्यूनल) संशोधन आदेश, 2012, नागरिकता (नागरिक का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम 2003, नागरिकता नियम 2009, विदेशी न्यायाधिकरण और अवैध प्रवासी (निर्धारण न्यायाधिकरण) और अवैध प्रवासी (निर्धारण ट्रिब्यूनल) अधिनियम 1983 शामिल है।

1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) को असली भारतीय नागरिक के रिकॉर्ड रखने के लिये असम में तैयार किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता की परिकल्पना को भारत में संविधान के लागू होने के पांच साल बाद किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नागरिकता की पूरी संहिता नहीं दी और नागरिकता के विनियमन और संशोधन के लिए संसद को अधिकृत किया गया था।

इसलिए संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार 1955 में संसद ने नागरिकता के लिए एक व्यापक कानून पारित किया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत की नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति को प्रदान करना। इस कानून के प्रावधानों को व्यापक रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। नागरिकता का अधिग्रहण, नागरिकता को समाप्त करना तथा पूरक प्रावधान। यह अधिनियम भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिये पांच तरीकों का जिक्र करता है- ये हैं- जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय नियमन द्वारा। यह अधिनियम त्याग, समाप्ति एवं नागरिकता के नुकसान का भी प्रावधान करता है। भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 ने देश के पिछले इतिहास और भूगोल का उचित ध्यान रखा जो दो सौ वर्षों से स्वतंत्रता के दौरान औपनिवेशिक शासन और विभाजन से गुजरा था। जो भारत के कुछ हिस्सों के निवासी थे और अब वे एक स्वतंत्र एवं संप्रभु देश बन गया, भारतीय नागरिक से वंचित नहीं थे- यदि उन्होंने भारत के इस भाग में प्रवास करने का निर्णय लिया। 1985 में

असम समझौते के प्रावधानों पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता कानूनों को बदल दिया गया था। इन परिवर्तनों के अनुसार, जो लोग 1971 से पहले बांग्लादेश से यहां चले आये थे वे भारत के नागरिक माने जाते हैं।

नागरिकता, नागरिकों को अधिकार देने और गैर-नागरिकों जैसे कि अवैध प्रवासियों को इससे वंचित रखना दोनों ही हैं। असम समझौते में अवैध प्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 24 दिसम्बर 1971 के बाद अवैध तरीके से घुसपैठ की थी। हालांकि वह धारा जो 1 जनवरी 1966 और 24 दिसम्बर 1971 के बीच अवैध रूप से घुसपैठ करती है, उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता और इस साल के अंतराल के बाद भारतीय नागरिकता दिया जाना था। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को अवैध घोषित करने के लिये अप्रवासी को यह साबित करना होगा कि वह भारत का निवासी नहीं है, और उसने भारत में बिना किसी भाषा, धर्म के वह वहां रहा, लेकिन किसी के पास यह दिखाने के लिये दस्तावेज नहीं कि वह भारत का निवासी है, इसलिए वह वैध नागरिक है। देश के नागरिकता कानूनों के अनुसार उस पर विदेशी नागरिक होने या अवैध प्रवासी होने के नाते उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसके बावजूद असम ने यह शिकायत करना जारी रखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों का प्रवेश एवं उपस्थिति है।

निष्कर्ष- प्रवासन, शरणार्थी और नागरिक राजनीतिक और लोकप्रिय विषय में पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रवासन का मतलब है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना-जाना। शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने मूल निवास स्थान से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, क्योंकि एक जातीय समूह के रूप में उन्हें उत्पीड़न, राज्य की नीतियों के कारण विस्थापन, सामाजिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण आदि के कारण आना निवास स्थान छोड़ने को मजबूर होते हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्रवासन औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों ने 19वीं सदी के तीसरे दशक में असम के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित किया।

उनके क्षेत्र में प्रवास के लिए ताकि वे प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियां चला सकें। जैसे कि वृक्षारोपण, डेयरी फार्मिंग, बुनियादी ढांचे के लिए स्वतंत्रता के बाद पूर्वोत्तर भारत में प्रवासन जारी रहा। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आये प्रवासी को शरणार्थी, अवैध प्रवासी या घुसपैठियों के रूप में जाना जाने लगा था। पूर्वोत्तर भारत में प्रवासन एक संघर्ष का स्रोत रहा है। असम में बांग्लादेश के प्रवासी आर्थिक समस्याओं और पहचान संकट के मुख्य स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। असम में पलायन 1979-85 के विदेश विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था और आदिवासी राज्यों में इसके परिणामस्वरूप जातीय संकट पैदा हो गया था। 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, नागरिकता असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में एक केन्द्रीय मुद्दा बन गई थी। असम समझौते भी विदेशियों के मुद्दे को नहीं सुलझा सका। 2005 में, यह नागरिकता के सवाल के साथ जुड़ गया। एक त्रिपक्षीय बैठक राज्य सरकार, ने 1951 की एन.आर.सी. को अपग्रेड करने का संकल्प लिया, जिसमें यह कमियाँ थी। 2014 में याचिका पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह एन.आर.सी. तैयार करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. एन्डरसन, बी. (2006), इमेजिन्ड कम्युनिटिज, रिफ्लैक्शनस ओन द ओरिजिन्स एन्ड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, लंदन, वर्सो।
2. बरुआ, संजीव (1999), इंडिया अगेस्ट इटसेल्फ: असम एन्ड द पोलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
3. घोष, पार्था, एस. (2016), माईग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एन्ड द स्टेटलैस इन साउथ एशिया, सेज प्रकाशन, दिल्ली।
4. गुहा, अमलेंद (1977), प्लान्टर राज टू स्वराज: फ्रीडम स्ट्रगल एण्ड इलेक्टोरल पोलिटिक्स, आई.सी.एच.आर. नई दिल्ली।
5. सज़ल नाग (2016), बिलिगर्ड नेशन: द मेकिंग एण्ड अनमेकिंग ऑफ असमिज नेशनलिटी, मनोहर दिल्ली।

Increasing Renewable Energy Myth or Reality (In Respect of Moradabad District)

Ankit Kumar*

Abstract - Renewable energy and energy efficiency are essential for sustainable future. The present time we produce and use energy is untenable. Our energy system based on oil, coal is the main contributor to climate change as well as air, soil and water pollution. Energy derived from the sun, the wind, the sea, water and biomass has the potential to meet the world's energy demand in a sustainable way. As renewable are produced by relatively new technologies, mistrust or skepticism explains the core substance behind many of the myths around renewable. This report presents evidence and facts that demystify some of myths about renewable energy relative to its economic viability, sustainability and technological reliability in the Moradabad district.

Introduction - Energy demands are increasing rapidly along with the development. Burning of fossil fuel produce CO₂. Due to the carbon emission, Global warming and Climate change become a serious concerning problem in present days.

Research indicates that the phenomena occurring on Earth today are alarming, as the highest temperatures since the measurements were recorded and the highest concentration of CO₂ in history has been observed over the last 20 years. The years 2010–2021 were the hottest in the entire history of the Earth, and 2021 was one of the top three warmest years in the entire history of measurements. As the authors of the report point out, “our planet and life on Earth are on the brink”, and climate change causes a much more frequent occurrence of violent weather phenomena, which in turn also affects the existence of the world's population. However, it is important to bear in mind the two-way relationship, as climate change affects the population, but also the population contributes to this change by promoting activities related to the emission of greenhouse gases. Increasing the use of renewable energy is one of the objectives of the INDIAN climate Policy.

Moradabad District: Moradabad district is located in western Uttar Pradesh and forms part of the Gangetic alluvial plains. It is bound on the north by the districts of Bijnor and Nainital, to the east by Rampur and on the south by Badaun. On the west it is bound by the districts of Bulandshahr and Meerut, which lie on either side of the Ganga. The economy of the district is agrarian, while the economic base of Moradabad is small and medium scale enterprises. Moradabad is known for its brass work, and supports about 600 export units and 5,000 industries. Currently, the district is supplied electricity by

Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (PVVNL), and its demands are met by different central and state generating stations. The residential sector is the largest consumer of electricity in the district, with almost all households in the urban areas electrified. Their forms of fuel used for energy are coal, kerosene, LPG




Government Policy: In National Energy Policy, renewable energy sources are being given high priority and promotion. In April 1983 Uttar Pradesh Government created Non-Conventional Energy Development Agency (NEDA) under the department of additional energy sources as an autonomous institution. The institute has been renamed as “Uttar Pradesh New and Renewable Energy

*Geography Faculty of The Bodhi IAS PCS Classes & Former Guest Faculty of VAJIRAM& Ravi IAS, Rajendra Nagar, New Delhi, INDIA


Development Agency (UPNEDA)". From the beginning, the agency is also functioning as nodal agency for implementation of various schemes in the state.

Efforts are being made to develop the capacity in renewable energy sources such as solar energy, small-scale hydro electricity and biomass-based electricity production in the state. Various capacity solar power plants are being installed for electricity generation from solar energy. Biomass-based co-generation in the state sugar mills and rice husk based-electricity generation projects are being encouraged. In addition to this, small-scale hydro electric projects are being implemented in collaboration with private entrepreneurs.



Particularly in view of the wide possibilities for the use of solar energy in rural areas various schemes are being implemented. Remote rural village electrification or mini-grid solar power plant plans are being conducted in unelectrified villages or in villages having problematic electricity supply. CM Samgra gram Vikas Yojana and Pt. Deen Dayal Upadhyay Solar Street Light Yojna for the benefit of the community street light solar street light plants are being set up in selected villages. Under the Saubhagya Yojana in different unelectrified households. Solar power packs are being arranged accommodations. In the field of agriculture small and marginal farmers in more getting benefited through installation of grant based solar pumps. Scheme for establishing solar plants is being implemented to provide with clean potable to the students learning in the primary schools in rural areas along with the facility of fans in their classes. Schemes have been proposed to provide

subsidized solar packs to benefit poor rural families and to provide 8 solar street lights at public places in panchayats.



MYTHS AND REALITIES OF RENEWABLE ENERGY
MYTH 1: RENEWABLE ENERGY ARE TOO EXPENSIVE.

Photovoltaics (PV), onshore wind and recently offshore wind, are becoming the cheapest source of electricity in many countries and have the potential to be even cheaper. Electricity from renewables is soon expected to become cheaper than that of most fossil fuels. IRENA expects all currently used renewable power generation technologies to "fall within the fossil fuel-fired cost range, with most at the lower end or undercutting fossil fuels". The decreasing cost of renewable power, aided by continuous technological innovation, has given it the edge it needs to seize market share. Innovation to boost the performance of different technologies or improve their manufacturability is important for further reducing their cost.

MYTH 2: RENEWABLES ARE NOT RELIABLE.
 Adding more solar PV to a grid can put pressure on an electricity grid. Consider PV, which can only generate during the day. As more and more PV is added to the grid, there is less and less need to use conventional generation during the day. There is also alternative of PV:

1. Energy storage in the grid, including pumped-storage hydroelectricity, batteries, thermal energy storage or Electrical Vehicles (V2G services) etc.
2. Smart grid functionalities and the operational capabilities and flexibility of power electronics.

MYTH 3: PRODUCING RENEWABLE ENERGY CONSUMES MORE ENERGY THAN IT DELIVERS.

In simple terms, the EPT measures how long it takes to generate the same amount of energy it took to produce a given technology. The EPT depends on several factors, including type of technology, system application, energy source availability (e.g. irradiation or wind) and even the energy used in its manufacturing process.

Unlike conventional technologies, the useful life time of solar technologies is virtually infinite, as no major structural changes need to take place for safety or economic reasons. Additionally, as solar technologies generate power by transforming an inexhaustible source of renewable energy (i.e. solar irradiation) into electricity, they are virtually flow-unlimited. In practice, depending on the materials used for the photovoltaic panels, solar technologies can last for 60 years or more. Instead, the useful life of conventional technologies, without implementing major structural changes, is usually 10 to 20 years lower.

MYTH4: RENEWABLES CANNOT SURVIVE WITHOUT SUBSIDIES.

Renewables have the stigma that they are heavily subsidized. The current subsidies for coal, oil and gas every year amount to 100 billion US \$ only in G7 countries¹⁴, with \$333 billion estimated worldwide in 2015. The corresponding number for solar and wind was calculated to be \$44 billion in 2016. These numbers only include direct subsidies to lower the consumer price. If subsidies covering the external costs due to global warming, environmental damages and local problems like health risks are included, then the worldwide subsidies for coal, oil and gas are an incredible \$5.3 trillion, which is 6.5% of world GDP.

MYTH5: RENEWABLES ARE AS HARMFUL FOR THE ENVIRONMENT AS CONVENTIONAL ENERGY SOURCES.

Both conventional and renewable power generation technologies result in GHG emissions because of the energy requirements associated with their construction and operation, studies show that the lifetime carbon emissions resulting from renewable are considerably lower than those from fossil-fuel power plants. One study concluded that wind energy produces approximately 14g CO₂/kWh of electricity generated compared with approximately 870g CO₂/kWh for coal and 464g CO₂/kWh for natural gas, meaning that coal produces roughly 62 times more CO₂ than wind energy.

MYTH6: RENEWABLES CANNOT SATISFY THE GROWING DEMAND FOR ENERGY.

Main pre-requisites for unlocking the full potential of renewable energies are suitable policies and regulatory frameworks creating a level playing field, as well as promoting innovation and technological advances in the fields of renewable energies, energy efficiency, storage technologies, sector coupling and smart energy systems.

MYTH7: RENEWABLES DESTROYS JOB.

Renewable power plants need more people for their construction, operation and maintenance than traditional power plants. There are different reasons for this, including the fact that renewable energy installations need more land and material than thermal power plants that produce the same amount of energy. All renewables (except for hydro) have a higher employment potential than fossil and nuclear resources with the notable exception of coal, which has the highest labor content per unit of energy produced because of mining. The transformation of the energy system needs support from across society, including from those working in industries that must be closed down. They need compensation packages. The higher labour content of renewables will increase the demand for education and training, and it might be possible for ex-fossil fuel workers to find new jobs in the renewable energy industry.

MYTH8: RENEWABLES DECREASE THE COMPETITIVENESS OF ECONOMY.

India will need to be part of the energy transition and with its expertise and experience it could take this opportunity to play a substantial role in the move towards a dominant renewable future. Indian companies are driven by the need to reduce cost of their energy supplies and demonstrate their corporate social responsibility to both the consumer and investors, in order to gain a competitive advantage and attract capital investment (investors are increasingly concerned about the environmental footprint of their investments). Therefore, Indian companies increasingly rely on renewables to meet their energy needs, strengthen their competitive advantage and enhance their customer base.

Conclusion: Global demand for renewable energy is rising rapidly. In many countries all around the world, renewables already cover a large share of the energy mix. However, even with present annual double-digit growth rates of some renewables, we are far from replacing fossil fuels to the extent required to avert the plentiful risks and shortcomings of these. Several experts believe that a far higher share of renewables is possible given today's existing technologies and favorable long-term economics across choices. Still, achieving major penetration of renewables is still dependent on a robust policy and business environment. To a large extent, key barrier towards such aspirations are peoples' prejudices. And those are often decisive barriers for policymakers and in the energy sector alike.

References:-

1. Static Data -Ministry of renewable energy of India (<https://mnre.gov.in/>)
2. Static Data - Department of Additional Sources of Energy, Government of Uttar Pradesh (<http://upneda.org.in/>)
3. Urban Development Department Uttar Pradesh
4. Annual Industrial Report
5. Erach Bharucha, 2005, Environmental Science

Avifauna Diversity of Panvel, Navi Mumbai, West Coast of India

Aamod N. Thakkar*

Abstract - Panvel has been under considerable stress since the onset ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA) and urbanization by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) is under heavy process of Urbanization, land filling, reclamation, encroachment, and reclamation, destruction of mangroves, stone quarries and effluent discharges of Taloja MIDC. Birds are bio-indicators of habitat quality and are sensitive to any subtle changes taking place in habitat. A survey of bird diversity of Panvel and nearby area was conducted. The study area was surveyed from September 2017 to April 2018. A total of 167 species of birds belonging to 14 orders and 45 families were recorded during the study period in this area. The recorded diversity comprised of 71% resident, 30% migrant species of birds. Presence of variety of birds in this diversified habitat indicates its suitability for migratory birds in this area. Four (NT) near threatened and two (Vu) vulnerable birds were recorded. There is urgent need for effective habitat and biodiversity conservation program in this Eco sensitive area.

Key Words: Birds, Diversity, Panvel, West coast, Migratory.

Introduction -In India 1300 species of birds are recorded which form 13% of the total species of birds found on earth which makes India rich in avifaunal biodiversity (Grimmett et al., 1998). India ranks third in having a large number of threatened and rare species (Dandpat et. al. 2010). In the state of Maharashtra there are 568 species belonging to 272 genera, under 83 families and 20 avian orders (Pande et. al. 2011). Most of the birds have specific habitat requirement from season to season (Colin et. al., 2000). Birds are among the best monitors of environmental changes and have been used to assess the environment throughout the history as "biomonitors" and the changes in their population, behavioral patterns and reproductive ability have most often been used to examine the long term effects of habitat fragmentation. Hence they are the good indicators of ecological status of any given ecosystem (Harisha and Hosetti 2009). The importance of local landscapes for conservation of avifauna can only be understood by knowing the structure of the bird community of that region (Harisha, 2016, Kattan and Franco. 2004). Due to land filling and development of Jawaharlal Nehru Port at Uran, the habitat in Navi Mumbai has been changed drastically (BUCEROS newsletter special issue, 2010, Sarkar, 2007). Similarly land filling and ongoing construction of Navi-Mumbai International Airport (NMIA) and urbanization by the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) is under heavy process, land filling, encroachment, reclamation, destruction of mangroves and effluent discharges of Taloja MIDC is deteriorating environment all around Panvel. Hence present study of avifauna diversity of Panvel was undertaken.

Materials and Methods:


Study Area: Panvel Tehsil is located in Raigad district of Konkan region in Maharashtra and is a node of Navi Mumbai city. It is located in the Mumbai Metropolitan Region. Panvel with a population of 180,464 (Census India 2011) is a highly populated city due to its closeness to Mumbai and centrally connecting Navi Mumbai, Thane, Pune and Ratnagiri districts. Geographically, Panvel is located on the banks of Panvel creek. The Panvel creek (Lat 18° 58' 26.895" N to 18° 59' 58.432" N & 73° 1' 43.74" E to 73° 6' 48.269" E) is connected by four rivers viz Gadhi, kalundre, Taloje and Ulve river. The creek is about 7 km long tributary continuous with Sheva creek and Belapur creek. The Panvel creek is characterized by extensive mud flats less rocky stretches and with sparse mangrove vegetation. Major area of the creek is dominated by the marshy areas and mud flats. Study area includes mangrove and back water, open scrub/shrubland near ulve, Belpada, Paddy fields, hilly area near Pali and Nere, wetlands and mangroves spread all over the region near the villages Belpada, Gawhan, Kharghar, Kamothe, Taloje and also it consists of moist mixed deciduous forest patches in villages such as Mosare, Patnoli and Ransai, etc. Entire study area around the creek and wetlands provides tremendous ecological services. Panvel is also surrounded by mountains on two sides. The study area was surveyed from October 2017 to April 2018 for bird's diversity. Birds were observed early in the morning and evening with the help of binocular digital camera for proper bird records. The bird's species were recorded (sighting or call) on the field. Direct observations were made by walking along roads, hills, forest paths,

* Veer Wajekar A. S. C. College, MahalanVibhag, Phunde, Tal. Uran, Dist. Raigad (Maharashtra) INDIA

wetlands, mangroves and creek areas. Birds were identified following Ali & Ripley (1987), Grimmett et al., (1998) and Rasmussen & Anderton (2005). The species check-list was prepared with earlier records of birds from Mumbai and adjoining areas (Monga 2003, Prasad 2003, Verma et al. 2001-02). The list of birds was arranged family wise following Manakadan & Pittie 2001, Manakadan et al., (2011).

Results and discussion: Checklist of Birds observed in and around Panvel during September 2017 to April 2018.

Table (see in last page)



Discussion: 172 species of birds belonging to 14 orders and 45 families and 126 genera were recorded during the study period in this area. The recorded diversity consisted of 71% resident, 30% migrant species of birds. Presence of a variety of birds in this diversified habitat indicates its suitability for migratory birds in this area. Four (NT) near threatened and two (Vu) vulnerable birds were recorded. Order Passeriformes was found to be highly dominating with 65 species having representatives of 18 family and 44 genera. Order Choradiiformes was second largest with 32 species belonging to 5 families and 19 genera; it also included 24 highest numbers of migratory birds among all the orders. Order Psitaciiformes is the smallest with only one family and one genera with single species, while order Apodiformes, order Phoenicopteriformes, order Columbiformes and order Cuculiformes represented by single family and 2, 2, 3 and 5 genera respectively. Order Falconiformes, Order Gruiformes, Order Piciformes and Order Strigiformes represented by two families each and 12, 06, 04 and 03 genera respectively.

Family Muscipidae was the largest family with 20 species, whereas family Scolopidae was second largest with 15 species.

Biodiversity and community structures are now recognized to be important determinants of ecosystem functioning Raghukumar and Anil (2003). Birds are bio-indicators of habitat quality and are sensitive to any subtle changes in the habitat Morrison, (1986), Diamond, and Filion, (1987). Monitoring of species diversity is a useful technique for assessing damage to the system and maintenance of good species diversity is a positive

management objective (Mann, 1982). Verma et al. (2004) listed a total of 149 species of birds belonging to 14 orders and 35 families from Mehul Creek, Mumbai. Similar results were also observed at Bordi, a coastal village situated in Palghar District of Maharashtra by (Kadam and Dhar 2017). Similar observations with total of 86 species of birds 13 orders and 38 families in the study area with order Passeriformes dominating the count with 40 species of birds belonging to 18 families and second most dominating order was Charadriiformes with 9 species of birds belonging to 5 families at Thakurli dist. Thane (Singh and Ambavne, 2013). The order Passiriformes dominates the study area by contributing 36 species (Johnson et al., 2015).

Suitability of the diversified habitat in and around Panvel is indicated by the good number of migratory birds along with large number of resident birds recorded in study area. **Conclusion:** Present study has revealed healthy diversity of resident as well as migratory birds in and around Panvel. Panvel is under considerable stress of anthropogenic inputs. Unplanned development activities, construction of Navi Mumbai International Airport, dredging of sand, discharge of industrial effluents and sewage waters, stone quarries, dumping of debris and solid waste, etc. pose a severe threat to various ecosystems of Panvel. In future need for conservation of biodiversity and sustainable development is recommended.

References:-

1. Ali, S. & S. D. Ripley (1987): Compact edition of handbook of the birds of India and Pakistan. Bombay: Oxford University Press.
2. Colin Bibby, Martin Jones and Stuart Marsden, 2000. Expedition Field Techniques Bird surveys, Published by Bird Life International.
3. Dandapat, A., D. Banerjee and D. Chakraborty. 2010. The case study of the Disappearing House Sparrow (*Passer domesticus indicus*). *Veterinary World* 3 (2): 97-100.
4. Diamond, A. W. and F. L. Filion, 1987. (Eds.) The Value of Birds. International Council for Bird Preservation, Technical Publication No. 6. Queens University, Kingston, Ontario, Canada.
5. Grimmett, R., C. Inskipp & T. Inskipp (1998): Birds of the Indian subcontinent. Oxford Univ. Press, New Delhi.
6. Harisha M N. 2016. Assessment of status, diversity and threats of wetland birds of Bathi Lake, Doddabathi Village, Davanagere District, Karnataka, India. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 4(4): 586-590.
7. Harisha M N and Hosetti B B. 2009. Diversity and distribution of avifauna of Lakkavalli Range Forest, Bhadra Wildlife Sanctuary, Western Ghats, India. *Ecoprint*, 16: 21-27.
8. Johnson Varkey, Akshay H. Pandirkar, Bruno Fernandes, Kuldeep Pathak, Prasad Khadye and Pritesh Ghadigaonkar 2015.
9. Threats to the existing diversity of avifauna of Gogte salt plant, Mumbai suburb, Proc UGC Sponsored Na-

tional Seminar on "Wetlands-Present Status, Ecology & Conservation" ISBN : 978-81-925005-3-9 pp1-8

10. Kadam Surendra S and Avadhesh ShashiDhar 2017. Status and diversity of avian fauna in and around Bordi region, west coast of *International Research Journal of Biological Sciences* Vol. 6(5), 15-18.
11. Kattan G H and Franco P. 2004. Bird diversity along elevational gradients in the Andes of Colombia: area and mass effects. *Global Ecology and Biogeography*, 13: 451-458.
12. Manakadan, R. & A. Pittie (2001): Standardised common and scientific names of the birds of the Indian Subcontinent. *Buceros (ENVIS Newsletter)* 6(1): i-ix, 1-37.
13. Manakadan, R., J.C. Daniel & N. Bhopale (2011): Birds of the Indian subcontinent – a field guide. Oxford University Press & Bombay Natural History Society. 409 pp.
14. Mann, K., 1982. Ecology of coastal waters: a system approach, Berkeley: University of California.
15. Monga, S. (2003): Birds of Mumbai. India Book House Pvt. Ltd. 75 pp. Morrison, M. L., 1986. Bird populations as indicators of environmental change. In *Current Ornithology*, Vol. 3 (Eds.) R. J. Johnston, Plenum Publishing Corporation, London
16. Pande, S., Deshapande, P. and Sant, N. 2011: Birds of Maharashtra. Publ. Ela Foundation, Pune, India. pp 1-330.
17. Prasad, A. (2003): Annotated check-list of the Birds of Western Maharashtra. *Buceros* 8(2-3): Pp. 174.
18. Raghukumar, S and A. C. Anil, 2003. Marine biodiversity and ecosystem functioning: A perspective. *Curr. Sci.*, 84(7):884—892.
19. Rasmussen, P.C. & Anderton, J.C. (2005). Birds of South Asia. The Ripley Guide. Vols. 1 & 2. Smithsonian Institution and Lynx Edicions, Washington, D.C. & Barcelona.
20. Sarkar, S. 2007: Shore Birds (Waders) of the Mumbai region. *BUCEROS* 12 (3): 5
21. Singh Ugeshkumari R., and Priyanka A. Ambavane, 2013 Avifauna of Thakurli, District Thane *National Conference on Biodiversity : Status and Challenges in Conservation - 'FAVEO' 2013 pp 47-54*
22. Verma, A., S. Balachandran, N. Chaturvedi and V. Patil, 2004. A preliminary report on the Biodiversity of Mehul Creek, Mumbai, India with special reference to Avifauna, *ZOO'S PRINT JOURNAL*, 19(9): 1599 – 1605.

Sr.	Order	Family	Genera	Species	Residential	Migratory	NT	Vu
1.	Ciconiformes	03	14	18	13	05	03	-
2.	Falconiformes	02	12	15	12	03	01	02
3.	Apodiformes	01	02	02	02	-	-	-
4.	Columbiformes	01	03	04	04	-	-	-
5.	Coraciiformes	05	09	11	10	01	-	-
6.	Phoenicopteriformes	01	02	02	-	02	-	-
7.	Pelacaniiformes	01	02	03	03	-	-	-
8.	Passeriformes	18	44	65	52	13	-	-
9.	Gruiformes	02	06	06	05	01	-	-
10.	Charadiiformes	05	19	32	08	24	-	-
11.	Piciformes	02	04	05	05	-	-	-
12.	Psittaciformes	01	01	01	01	-	-	-
13.	Cuculiformes	01	05	05	04	01	-	-
14.	Strigiformes	02	03	03	03	-	-	-

Sr.	Order/ Family	Scientific Name	Common Name	Status
	Ciconiiformes			
1.	Ardeidae	<i>Ardeacinerea</i>	Grey Heron	R
2.		<i>Ardeolagrayii</i>	Indian Pond Heron	R
3.		<i>Ardeapurpurea</i>	Purple Heron	R
4.		<i>Ardeainsignis</i>	White-bellied Heron	R
5.		<i>Nycticoraxnycticorax</i>	Black-crowned Night-heron	R
6.		<i>Babulcus ibis</i>	Cattle Egret	R
7.		<i>Egrettaegretta</i>	Little Egret R	R
8.		<i>Ardeaintermedia</i>	Median Egret	R
9.		<i>Ardeola alba</i>	Large Egret	R
10.		<i>Egrettaularis</i>	Western Reef Egret	M
11.		<i>Ixobrychuscinnamomeus</i>	Chestnut BitternR	
12.	Threskiornithidae	<i>Platalealeucorodia</i>	Eurassian Spoonbill	M
13.		<i>Plegadisfalcinellus</i>	Glossy Ibis	M
14.		<i>Threskiomismelanocephalus</i>	Black headed Ibis	M NT
15.	Ciconiidae	<i>Ciconianigra</i>	Black StorkM	
16.		<i>Mycterialeucocephala</i>	Painted Stork	R NT
17.		<i>Ciconiaepiscopus</i>	Woolly-necked Stork	R NT
18.		<i>Anastomusoscitans</i>	Asian Openbill	R
	Falconiformes			
19.	Accipitridae	<i>Circaetusgallicus</i>	Short Toed Snake Eagle	R
20.		<i>Spilornischeela</i>	Crested serpent Eagle	R
21.		<i>Aquila pennata</i>	Booted Eagle	M
22.		<i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle	M VU
23.		<i>Aquila pomarina</i>	Indian Spotted Eagle	R VU
24.		<i>Nisaetuscirrhatius</i>	Changeable Hawk Eagle	R
25.		<i>Hiliasturindus</i>	Brahminy Kite	R
26.		<i>Milvusmigrans</i>	Black Kite	R
27.		<i>Elanuscaeruleus</i>	Black Shouldered Kite	R
28.		<i>Accipiter badius</i>	Shikra	R
29.		<i>Circus macrourus</i>	Pallied Harrier	R NT
30.		<i>Circus aeruginosus</i>	Marsh Harrier	M
31.		<i>Pernispylorhynchus</i>	Oriental Honeybuzzard	R
32.		<i>Buteorufinus</i>	Long-legged Buzzard	R
33.	Falconidae	<i>Falco Peregrinus</i>	Peregrine Falcon	R
	Apodiformes			
34.	Apodidae	<i>Apusaffinis</i>	House Swift	R
35.		<i>Cypsiurusbalansiensis</i>	Asian Palm Swift	R
	Columbiformes			
36.	Columbidae	<i>Columbia livia</i>	Rock Pigeon	R
37.		<i>Streptopeliachinensis</i>	Spotted Dove	R
38.		<i>Streptopeliasenegalensis</i>	Little Brown Dove	R
39.		<i>Treeronphoenicoptera</i>	Yellow-footed Green-pigeon	R
	Coraciiformes			
40.	Alcedinidae	<i>Alcedoatthis</i>	Small Blue Kingfisher	R
41.		<i>Halcyon smyrnensis</i>	White Breasted Kingfisher	R
42.		<i>Cerylerudis</i>	Lesser Pied Kingfisher	R
43.		<i>Ceyxerithaca</i>	Oriental Dwarf Kingfisher	R
44.	Meropidae	<i>Meropsorientalis</i>	Small Bea-eater	R
45.		<i>Meropsersicus</i>	Blue-cheeked Bee-eater	R
46.		<i>Meropsphilippinus</i>	Blue-tailed Bee-eater	R
47.	Coraciidae	<i>Coracias garrulous</i>	European Roller	M
48.		<i>Coraciasbenghalensis</i>	Indian Roller	R
49.	Bucerotidae	<i>Ocyrocerostris</i>	Indian Grey Hornbill	R
50.	Upupidae	<i>Upupaepops</i>	Common Hoopoe	R

	Phoenicopteriformes		
51.	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus major</i>	Greater Flamingo
52.		<i>Phoeniconaias minor</i>	Lesser Flamingo
	Pelacaniformes		
53.	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indian Cormorant
54.		<i>Microcarboniger</i>	Little Cormorant
55.		<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant
	Passeriformes		
56.	Alaudidae	<i>Galeridacristata</i>	Crested Lark
57.		<i>Galeridamalabarica</i>	Malabar Lark
58.		<i>Ammomanes phoenicura</i>	Rufous-tailed Finch-Lark
59.	Corvidae	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Rufous Treepie
60.		<i>Corvus splendens</i>	House Crow
61.		<i>Corvus macrorhynchos</i>	Jungle Crow
62.	Dicruridae	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo
63.		<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo
64.		<i>Dicrurus caeruleus</i>	White-bellied Drongo
65.	Estrildidae	<i>Amandava amandava</i>	Red Avadavat
66.		<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia
67.		<i>Lonchura punctulata</i>	Spotted Munia
68.		<i>Euodice malabarica</i>	Indian Silverbill
69.	Muscicapidae	<i>Saxicola fulvica</i>	Indian Robin
70.		<i>Copsychus saularis</i>	Magpie-Robin
71.	Muscicapidae	<i>Turdoides striatus</i>	Jungle Babbler
72.		<i>Turdoides hyperythra</i>	Tawny-bellied Babbler
73.		<i>Pellorneum ruficeps</i>	Puff-throated Babbler
74.		<i>Pomatorhinus horsfieldii</i>	Indian Scimitar-babbler
75.		<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat
76.		<i>Terpsiphone paradisi</i>	Paradise Flycatcher
77.		<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher
78.		<i>Rhipidura albicollis</i>	White-throated fantail
79.		<i>Muscicapadauaurica</i>	Asian Brown Flycatcher
80.		<i>Saxicola caprata</i>	Pied Bushchat
81.		<i>Saxicola quatus</i>	Common Stonechat
82.		<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart
83.		<i>Prinia socialis</i>	Ashy Prinia
84.		<i>Prinia inornata</i>	Plain Prinia
85.		<i>Prinia hodgsonii</i>	Grey-breasted Prinia
86.		<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola
87.		<i>Orthotomus sutorius</i>	Common Tailorbird
88.		<i>Acrocephalus brunescens</i>	Clamorous Reed-warbler
89.	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow
90.		<i>Hirundo smithii</i>	Wire-tailed Swallow
91.	Passeridae	<i>Ploceus philippinus</i>	Baya Weaver
92.		<i>Ploceus benghalensis</i>	Black-breasted Weaver
93.		<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow
94.		<i>Petronia xanthocollis</i>	Yellow-throated Sparrow
95.	Laniidae	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike
96.		<i>Lanius vittatus</i>	Bay-backed Shrike
97.	Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail
98.		<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail
99.		<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail
100.		<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail
101.		<i>Motacilla maderaspatensis</i>	Large Pied Wagtail
102.		<i>Anthus rufulus</i>	Paddyfield Pipit
103.		<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit

104.	Nectariniidae	<i>Leptocoma minima</i>	Small Sunbird	R
105.	Pycnonotidae	<i>Pycnonotusleucotis</i>	White-eared Bulbul	R
106.		<i>Pycnonotusjocosus</i>	Red-whiskered Bulbul	R
107.		<i>Pycnonotuscafer</i>	Red-vented Bulbul	R
108.	Cisticolidae	<i>Priniasocialis</i>	Ashy Prinia	R
109.	Sturnidae	<i>Acridotherestrictis</i>	Common Myna	R
110.		<i>Acridotheresfuscus</i>	Jungle Myna	R
111.		<i>Gracupica contra</i>	Asian Pied Starling	R
112.		<i>Sturnusroseus</i>	Rosy Starling	R
113.	Emberizidae	<i>Emberizamelanocephala</i>	Black-headed Bunting	M
114.		<i>Emberizabruniceps</i>	Red-headed Bunting	M
115.	Campephagidae	<i>Pericrocotuscinnamomeus</i>	Small Minivet	R
116.		<i>Coracinamacei</i>	Large Cuckooshrike	R
117.		<i>Tephrodornispondicerianus</i>	Common Woodshrike	R
118.	Irenidae	<i>Chloropsisaurifrons</i>	Gold-fronted Chloropsis	R
119.	Oriolidae	<i>Oriolusoriolus</i>	Eurasian Golden Oriole	R
120.	Pittidae	<i>Pitta brachyura</i>	Indian Pitta	R
	Gruiformes			
121.	Rallidae	<i>Fulicaatra</i>	Eurasian Coot	R
122.		<i>Gallinulachloropus</i>	Common Moorhen	R
123.		<i>Porphyrioporphyrus</i>	Purple Swampphen	R
124.		<i>Amurornisphoenicurus</i>	White-breasted Waterhen	R
125.		<i>Porzanafusca</i>	Ruddy-breasted Crake	R
126.	Gruidae	<i>Grusvirgo</i>	Demoiselle Crane	M
	Charadriiformes			
127.	Scolopaidae	<i>Tringahypoleucos</i>	Common Sandpiper	R
128.		<i>Tringaglareola</i>	Wood Sandpiper	M
129.		<i>Tringanebularia</i>	Common Greenshank	M
130.		<i>Tringaochropus</i>	Green Sandpiper	M
131.		<i>Tringastagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	M
132.		<i>Tringatotanus</i>	Common Redshank	M
133.		<i>Xenuscinereus</i>	Terek Sandpiper	M
134.		<i>Gallinagogallinago</i>	Common Snipe	R
135.		<i>Rostratulabenghalensis</i>	Greater Painted Snipe	R
136.		<i>Calidrisferruginea</i>	Curlew Sandpiper	M
137.		<i>Calidrisminuta</i>	Little Stint	M
138.		<i>Calidristemminckii</i>	Temminck's Stint	M
139.		<i>Limicolafalcinellus</i>	Broad-billed sandpiper	M
140.		<i>Philomachuspugnax</i>	Ruff	M
141.		<i>Numeniusphaeopus</i>	Eurasian whimbrel	M
142.	Recurvirostridae	<i>Recurvirostraavosetta</i>	Pied Avocet	M
143.		<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	R
144.	Charadriidae	<i>Vanellusindicus</i>	Red-wattled Lapwing	R
145.		<i>Charadriusdubius</i>	Little Ringed Plover	R
146.		<i>Charadriusmongolus</i>	Lesser Sand Plover	M
147.		<i>Charadrius alexandrines</i>	Kentish Plover	M
148.		<i>Pluvialisfulva</i>	Pacific Golden Plover	M
149.		<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	M
150.	Jacanidae	<i>Hydrophasianuschirurgus</i>	Pheasant-tailed jacana	R
151.		<i>Metopidiusindicus</i>	Bronze-winged Jacana	R
152.	Laridae	<i>Larusridibundus</i>	Black-headed Gull	M
153.		<i>Larusbrunnicephalus</i>	Brown-headed Gull	M
154.		<i>Sterna repressa</i>	White-cheeked Tern	M
155.		<i>Sterna aurantia</i>	River Tern	M
156.		<i>Sterna caspia</i>	Caspian Tern	M
157.		<i>Gelochelidonnilotica</i>	Gull-billed Tern	M

158.		<i>Chlidoniashybridus</i>	Whiskered Tern	M
	Piciformes			
159.	Megalaimidae	<i>Megalaimahaemacephala</i>	Coppersmith Barber	R
160.		<i>Megalaimazeylonica</i>	Brown-headed Barbet	R
161.	Picidae	<i>Celeusbrachyurus</i>	Rufous Woodpecker	R
162.		<i>Dendrocoposmahrattensis</i>	Yellow-fronted Pied Woodpecker	R
163.		<i>Jynxtorquilla</i>	Eurasian Wryneck	R
	Psittaciformes			
164.	Psittacidae	<i>Psittaculakrameri</i>	Rose-ringed Parakeet	R
	Cuculiformes			
165.	Cuculidae	<i>Cuculuscanorus</i>	Common cuckoo	M
166.		<i>Centropussinensis</i>	Greater Coucal	R
167.		<i>Eudynamysscolopaceus</i>	Asian Koel	R
168.		<i>Phaenicophaeusviridirostris</i>	Blue-faced Malkoha	R
169.		<i>Phaenicophaeus leschenaultia</i>	SirkeerMalkoha	R
	Strigiformes			
170.	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Barn owl	R
171.	Strigidae	<i>Bubo bengalensis</i>	Indian Eagle-Owl	R
172.		<i>Athenebrama</i>	Spotted Owlet	R

To Study the Learning Styles of Self-Regulated Learners

Dr. (Prof.) Shashi Chittora* Ms. (Dr.) Anushka GKL Jain**

Abstract - In this research work, the researcher studied the learning styles of self-regulated learners, whose main objective was to make a comparative study of the learning styles of self-regulated learners of RBSE and CBSE schools. In the present research, ten secondary schools (five RBSE and five CBSE) in Udaipur district were selected by random sampling method. A total of 400 students of class X were included in the sample of these ten schools, 200 students of RBSE school and 200 students of CBSE school were taken and self-regulated students were selected on the basis of 70 percent marks from self-made checklist. The researcher used the survey method. For measurement of learning styles of self-regulated learners. Standardized equipment manufactured by SK Mishra was used. In the present study, statistics were used by mean, standard deviation (SD), t-test and z-score.

Keywords- Learning Styles, Self-Regulated Learners.

Introduction - Learning styles are simply different approaches or ways of learning. Learning styles are different ways of taking in and understanding information. These ways are affected by age, experience, physiology, culture, and many other factors. There are several different inventories to assess learning styles. Each child / individual has a specific style of learning that is dominant, and a secondary style that he/she also learns. It is quite difficult to find an individual who learns in all three styles equally. Those individuals who have two or more dominant learning approaches are called multi modal learners. Students have different learning styles, characteristics strengths and preferences in the ways they take in and process information. Some students tend to focus on facts, data and algorithms; others are more comfortable with theories and mathematical models. Some respond strongly to the visual forms of information, like pictures, diagrams and schematically; other get more from verbal forms i.e. Written and spoken explanations. Some prefer to learn actively and interactively; others function more introspectively and individually. Learning styles suggest the ways or methods by which students acquire learning. There are inherent variations of learning styles that every individual reflects. There is no single learning style theory that is universally accepted, nor is there a 'right' way to study or 'best' way to teach. Teachers should also avoid the temptation to try to categorize or confine individual pupils to one learning style. Age, educational level, and motivation influence each pupil's learning so that what was once preferred may no longer be that pupil's current preferred learning style.

Objectives:

1. To find out the Learning Styles of Self-Regulated Learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. Schools.

2. A comparative study of Learning Styles of Self-Regulated Learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. School.

Hypothesis:

1. There is no significance difference of Learning Styles of Self-Regulated Learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. School.

Research Methodology - In the present research, ten secondary schools (Five RBSE and Five CBSE) of Udaipur district were selected by random sampling method. The sample of these ten schools includes 400 students of class X. There are 200 students of RBSE school and 200 students of CBSE school. Self-regulated students were selected on the basis of 70 per cent marks from a self-generated checklist. The researcher used the survey method. For measurement of learning styles of self-regulated learners. Standardized equipment manufactured by S.K.Mishra was used. In the present study, statistics were used by mean, standard deviation (SD), t-test and z-score.

Results and Discussions


Table No.1: The Learning Styles of Self-Regulated Learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. Schools based on Z-Score

S.	Area of Learning Style	Z-Score Value	Level of Learning Styles	Grade
1.	Enactive Reproductive Style	-0.88	Below average	G
2.	Enactive Constructive Style	-1.67	Low	H
3.	Figural Reproductive Style	+1.02	Above Average	C
4.	Figural Constructive Style	+0.55	Slightly above average	D

*Ph.D. Supervisor, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

** Ph.D. Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

5.	Verbal Reproducing Style	+0.11	Average	E
6.	Verbal Constructive Style	-0.38	Slightly below average	F



Area wise Analysis :

- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Enactive Reproducing Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **-0.88** which comes under the **below average** level, whose category was found to be 'G'.
- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Enactive Constructive Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **-1.67** which comes under the **Low** level, whose category was found to be 'H'.
- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Figural Reproducing Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **+1.02** which comes under the **Above average** level, whose category was found to be 'C'.
- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Figural Constructive Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **+0.55** which comes under the **Slightly above average** level, whose category was found to be 'D'.
- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Verbal Reproducing Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **+0.11** which comes under the **Average** level, whose category was found to be 'E'.
- On the basis of the opinion expressed on all the statements of **Verbal Constructive Style** in the area of learning style scale of the self-regulated learners

of the R.B.S.E. and C.B.S.E schools, the Z-score of the scores was obtained **-0.38** which comes under the **Slightly below average** level, whose category was found to be 'F'.

Table – 2 (see in last page)

Factor wise Analysis :

- The mean and standard deviation of scores were **23.5, 26.3** and **2.20, 3.95** respectively, based on the answers obtained on the area of **Enactive Reproducing Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **8.76**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Enactive Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
- The mean and standard deviation of scores were **22.6, 25.5** and **3.21, 5.01** respectively, based on the answers obtained on the area of **Enactive Constructive Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **7.01**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Enactive Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
- The mean and standard deviation of scores were **27.7, 29.9** and **3.13, 4.15** respectively, based on the answers obtained on the area of **Figural Reproducing Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **5.99**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Figural Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
- The mean and standard deviation of scores were **28.8, 31.4** and **3.45, 4.80** respectively, based on the answers obtained on the area of **Figural Constructive Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **6.22**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Figural Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
- The mean and standard deviation of scores were **26.1, 28.9** and **3.40, 4.11** respectively, based on the answers

obtained on the area of **Verbal Reproducing Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **7.42**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Verbal Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.

6. The mean and standard deviation of scores were **20.5, 23.7** and **2.51, 3.38** respectively, based on the answers obtained on the area of **Verbal Constructive Style** of learning style scale of self-regulated learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. schools. The t-value for this area was found to be **10.9**, which is higher than the tabular value 2.59 for the degree of freedom 398 at the 0.01 level, there was a significant difference between the mean of the two groups. So the Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Verbal Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.

Research Findings:

1. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **below average** w.r.t. the **Enactive Reproducing Style** area.
2. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **Low** w.r.t. the **Enactive Constructive Style** area.
3. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **Above average** w.r.t. the **Figural Reproducing Style** area.
4. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **Slightly above average** w.r.t. the **Figural Constructive Style** area.
5. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **Average** w.r.t. the **Verbal Reproducing Style** area.
6. R.B.S.E. and C.B.S.E. of the schools self-regulated learners Levels of learning styles were found to be **Slightly below average** w.r.t. the **Verbal Constructive Style** area.
7. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Enactive Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.

8. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Enactive Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
9. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Figural Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
10. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Figural Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
11. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Verbal Reproducing Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.
12. Self-Regulated Learners of C.B.S.E. Schools use of **Verbal Constructive Style** for learning more than self-regulated learners of R.B.S.E. Schools.

Educational Implications of the Study:

1. The present study tried to pick up very practical problem, the results of which can be implemented easily but thoughtfully in following ways:
2. Using the results obtained from this research, students can increase their academic achievement by learning from different learning styles.
3. Based on the suggestions received from this research, new research related to learning styles and personality traits can be done.

References:-

1. Aggrawal, A. K. (2011). A study of learning styles in relation to learner's self-concept. ShikshanAnveshika, Vol. 1(1), pp. 66-77.
2. Alireza, H. (2008). Learning style as a predictor of achievement motivation and academic performance. International Journal of Psychology, Vol. 43(3/4), p. 315
3. Baldwin, L. & Sabry, K. (2003). Learning styles for interactive learning systems. Innovations in Education and Teaching International, Vol. 40(4), pp. 325-340
4. Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. (4th Ed.). New York: Longman Inc.
5. Dembo, M.H. (1977). Teaching for learning: applying educational psychology in the classroom. California: Goodyear Pub Company.
6. Keefe, J. W. (1987). Learning styles: Theory and practice. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals
7. Kolb D. A. (1984). Experiential Learning experience as a source of learning and development, New Jersey: Prentice Hall
8. Misra, K. S. (2012). Manual for Learning Style inventory. Agra: National Psychological Corporation


Table – 2: Comparative Analysis of Learning Styles of Self-Regulated Learners of R.B.S.E. and C.B.S.E. School based on Mean

S.	Area of Learning Style	Mean		S.D.		t-value	Level of Significance
		RBSE	CBSE	RBSE	CBSE		
1.	Enactive Reproducing Style	23.5	26.3	2.20	3.95	8.76	0.01
2.	Enactive Constructive Style	22.6	25.5	3.21	5.01	7.01	0.01
3.	Figural Reproducing Style	27.7	29.9	3.13	4.15	5.99	0.01
4.	Figural Constructive Style	28.8	31.4	3.45	4.80	6.22	0.01
5.	Verbal Reproducing Style	26.1	28.9	3.40	4.11	7.42	0.01
6.	Verbal Constructive Style	20.5	23.7	2.51	3.38	10.9	0.01

df = 398

Tabular value at 0.05 level = 1.97

Tabular value at 0.01 level = 2.59



A Study of Women Perception Towards Impact of Daily Soaps of Television on Their Lifestyle

Dr. Girish Shah*

Introduction - Television has always been a very old and amiable companion of human being. It is not only the TV Film industry that is growing with a rapid pace, but even the personality and the attitude of the countrymen is getting changed. Initially, the pivotal role of women was considered to be a figure that was defined as, 'The house Maker' but is now the scenario has changed. She is no more just confined to make bread and butter for the family but is now having an identity and personality of her own. The credit of her transformation which is in her lifestyle and her attitude goes to, our friend i.e. T.V., as it has always been an source of inspiration for the people and even is an effective mode which is used to empower women, irrespective of their class and status in the society.

India has many soap operas. These started in the late 1980s, as more people began to buy television. At the beginning of the twenty-first century, soap operas became an integral part of Indian culture. Indian soap operas mostly concentrate on the conflict between love and arranged marriages occurring in India. Many of the soap operas include conflict between mothers-in-law and daughter in India. The most common languages in which Indian serials are made include Hindi, Punjabi, Marathi Gujarati, Bengali, Tamil, Kannada, Telugu and Malayalam. Many soap operas produced in India are also broadcast overseas in the UK, USA, and some parts of Europe, South Africa, and Australia. A large number of people are seen wearing Indian style of dressing and using Hindi words in common conversation. (Qamar M. et al, 2012). Indian people practically adopting the Indian culture by watching such serials, leaving very little space for our own culture. The imitating Indian fashion, mentality etc. This is the extent of influence that Indian serials have on the minds of Indian people (Anwar, 2005)

Defining Gender Roles- A man must take care of business and earn for the family, but the role of a woman is restricted to the boundaries of her home and the family. Anything beyond these settings make the *bahu* a bad woman. This isn't the reality. But sadly, many of us have been led to believe it is, because daily soaps say so.

Rational of the study: The study is designed to investigate the impact of daily soaps on women. In this study women's psychology tried to understand that what they felt when they watch daily soaps. This study explained how daily soaps

impacting women. Through this study it has been tried to find out watching daily soaps brought behavioural, social, attitudinal and belief related influences among women and whether it brought empowerment in the form of increased awareness, rights and social status.

Literature Review

The study is conducted by Neeraj Khattri (2010) showed that with an ever changing world, Television has always been a very old and amiable companion of human being. The credit of Women's transformation which is in her lifestyle and her attitude goes to, our friend i.e. TV as it has always been an source of inspiration for the people and even is an effective mode which is used to empower people, irrespective of their classes and status in the society

Bignell (2000) concluded that television relies on constructing canons of programmes that represent historical processes and turning-points

Gerbner et al (2002) concluded that television viewing exerts long-term effect on the audience. This kind of process is called cultivation analysis. Television viewing cultivates social reality to audience, such as image and values.

Geraghty (2005) concluded that development of work on soap operas and suggested that women's genre needs to be used with an understanding of what the concept meant in to feminist politics.

The study conducted by **Wilson (2005)** also agreed with the view that television can change the viewers' attitudes and orientation. He emphasized the influence of television on moulding and restructuring their attitude.

Research Methodology:

1. The Study:

A Study of Women Perception towards Impact of Daily Soaps on their Lifestyle

2. Objectives of Study:

1. To measure the impact of daily soaps on attitude of women
2. To measure the impact of daily soaps on belief and assumptions of women
3. To know whether daily soaps are being able to empower women
4. To know that daily soaps made women socialize.

3. Type of study: The research study was Exploratory in nature.

4. The sample:

Sampling Unit- Sampling unit is the women who watch television serials.

Sample size- The Sample size was 100 Respondents.

Sampling Technique- Sampling technique is purposive sampling and the data have been collected according to the different demographics variables i.e. Age, Gender, income, occupation etc.

5. Tools for Data collection: Primary data was collected with the help of self prepared structured questionnaire. Likert scale was used in the questionnaire.

6. Hypotheses:

H₀1: There is no difference between two age groups of women towards attitudinal impact through daily soaps.

H₀2: There is no difference between two age groups of women towards behavioural impact through daily soaps.

H₀3: There is no difference between two age groups of women towards social impact through daily soaps.

H₀4: There is no difference between two age groups of women towards their empowerment through daily soaps.

Description of demographic variables:

Table –A

Age	Up to 30 year	Above 30 year		
	67	43		
Profession	Housewife	Business	Service	Student
	29	2	17	52
Family	Joint Family	Nuclear Family		
	65	35		

The Tools for Data Analysis: The collected data were coded and tabulated. By applying factor analysis, four major factors have been identified. Null hypotheses were formulated and tested through t-test. For the purpose of the study we have categorised the data according to the age of the respondent like respondents whose age is <=30 year and age is >=30 year. The results of analysis obtained through SPSS are as summarised as under:

Independent Samples Test

Table –B (see in next page)

Discussion:

1. The t-statistics shows that the value (perception between both the age groups towards behavioural impact) is significant at 0.2155 (p value) which is greater than 0.05 level of significance. Therefore null hypothesis cannot be is rejected and it has been concluded that there is no significant difference between both age groups of women towards behavioural impact.
2. The t-statistics shows that the value (perception be-

tween both the age groups towards attitudinal impact) is significant at 0.1567 (p value) which is greater than 0.05 level of significance. Therefore null hypothesis cannot be is rejected and it has been concluded that there is no significant difference between both age groups of women towards empowerment impact.

3. The t-statistics shows that the value (perception between both the age groups towards attitudinal impact) is significant at 0.0016 (p value) which is lesser than 0.05 level of significance. Therefore null hypothesis is rejected and it has been concluded that there is a significant difference between both age groups of women towards social impact.
4. The t-statistics shows that the value (perception between both the age groups towards attitudinal impact) is significant at 0.6801 (p value) which is greater than 0.05 level of significance. Therefore null hypothesis cannot be is rejected and it has been concluded that there is no significant difference between both age groups of women towards attitudinal impact.

Conclusion: Analysis of data revealed that women of both the age groups (age<= 30 year and age>=30 year) perceived that watching daily soaps have brought behavioural impact, making them empowered, bringing positive attitudinal impact in them while both the age groups differed in their perception that watching daily soaps had any social impact.

References:

1. Allen,R.C.(1985).Speaking of soap operas. Chapel Hill University of North Carolina Press.
2. Ansari, S. (2005). Star Plus Injecting Poison in Pakistani Household published in The News (English Daily) on September 8, 2005
3. Anthony, Z (2011) Impact of Indian Television Channels on Pakistani Society: A Case Study of Islamabad Society
4. Anwar, B. S. (2005) Hindi Serials available at <http://www.thedailystar.net/rising/2005/10/04/special.htm>, accessed on November 12, 2012
5. Botta,R.A.(1999).Television images and adolescent girls' body image disturbance. Journal of communication, 49(2),22-41.
6. Brown,M.E.,(Ed.(1990).Televisions and women's culture :the politics of the popular London: Sage.
7. Butt. S.S., (2005) Projection of Hindu religion in Star Plus operas, Unpublished Master's Thesis, Department of Mass Communication, Lahore college for Women University, Lahore
8. Ruwandeepea, V D (2011) Impact of Indian Tele-dramas on Women's Behaviour in Sri Lanka International Journal of Communicology, Vol. 1, No. 1, pp. 31-40

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Behavioural	Equal variances assumed	9.6804	0.0024	1.2467	98.0000	0.2155	0.2268	0.1819	-0.1342	0.5878
	Equal variances not assumed			1.1775	68.0400	0.2431	0.2268	0.1926	-0.1575	0.6111
Empowerment	Equal variances assumed	3.1682	0.0782	1.4273	98.0000	0.1567	0.2285	0.1601	-0.0892	0.5462
	Equal variances not assumed			1.3764	76.4519	0.1727	0.2285	0.1660	-0.1021	0.5591
Social	Equal variances assumed	0.8088	0.3707	3.2458	98.0000	0.0016	0.5665	0.1745	-0.9128	0.2201
	Equal variances not assumed			3.1862	83.7084	0.0020	0.5665	0.1778	-0.9200	0.2129
Attitudinal	Equal variances assumed	4.0135	0.0479	0.4135	98.0000	0.6801	0.0862	0.2085	-0.3276	0.5000
	Equal variances not assumed			0.3987	76.4092	0.6912	0.0862	0.2162	-0.3444	0.5169

भारत में दास प्रथा

मानवेन्द्र कुमार यादव *

प्रस्तावना – भारत देश में दास प्रथा के साक्ष्य प्रमुख रूप से ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज की चर्चा में 'दास' एवं 'दस्यु' का उल्लेख भी अनिवार्य है। इनके साथ आर्यों के संघर्ष के पर्याप्त वर्णन भी प्राप्त होते हैं। दासों के बारे में कहा गया है कि वे अग्नि में हविर्दान करते थे और न ही इन्द्र-वरुण के पक्षपाती थे। दस्यु भी अदेवयु (देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले), अब्रहान (वेदों को न मानने वाले), अयज्वन् (यज्ञ न करने वाले) बताए गये हैं।

अनेक विशेषणों के आधार पर दस्युओं को आर्यों से भिन्न जाति व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बताया गया है। कुल मिलाकर ऋग्वेद में दासों की तुलना में दस्युओं को आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। दासों की हत्या का उल्लेख कहीं अधिक हुआ है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो दास एवं दस्यु भारत की आदिम अनार्म जाति ही नहीं अपितु आर्यों के ही अंश हो सकते हैं जो विभिन्न समयों में भारत आए और जो सांस्कृतिक भिन्नताएं रखते थे। सम्पूर्ण संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय एवं अत्यंत रोचक तथ्य यह है कि ऋग्वेद में 'दान' के लिए पुरुष दास का उल्लेख बहुत कम मिलता है जबकि नारी दासों को 'दान' की वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास प्रथा ऐश्वर्य के स्रोत के रूप में विद्यमान थी किन्तु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित न थी।¹

कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार-बार आई है। मुख्य रूप से दासियाँ दी जाती थी जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। इससे साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षतः खेती के काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य काल में दास प्रथा तो थी लेकिन समाज में नहीं। भारत में दासों को पुत्रवत प्रेम मिलता था तथा वे एक समय के बाद स्वतंत्र भी हो सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में सिर्फ भारत में ही दिखाई पड़ती है। यही बात यूनान व रोम में नहीं दिखती इसलिए मेगस्थनीज जैसे विदेशी लेखक भारत में दास प्रथा को समझ नहीं पाते।²

मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। कौटिल्य व मनु दोनों का कहना है कि, 'आर्य दास नहीं बनाये जा सकते।' इस वाक्य में यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य व मनु दोनों आर्यों को अन्य जातियों से श्रेष्ठ व बुद्धिमान मानते थे। प्रबन्ध चिन्तामणि तथा हरिभद्र सूरी के समराइच्छकहा से ज्ञात होता है कि गुप्तोत्तर काल में दासों का निर्यात भी होता था। इस प्रकरण से इस तथ्य का पता चलता है कि तत्कालीन समय में दासों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। जो कि उनको दूर-देशों में जीवन-यापन के

लिए जाना पड़ता था और वहां उनका शोषण भी होता था।

नारद व विज्ञानेश्वर ने भी 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जिसमें उनके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के शासन के दौरान दासों की स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। फिरोज तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। उसके शासन काल में दासों की सं. 1,80,000 तक पहुंच गयी थी। उसने प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन प्रदान किया। इसके अलावा उसने कभी-कभी जागीरें भी प्रदान कीं। फिरोज तुगलक ने दासों की उचित तरीके से देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अधिकारी की नियुक्ति की। जिसे दीवान-ए-बन्दगान कहा गया।³ उसने दासों की शिक्षा पर भी उचित ध्यान दिया। उसने अपने सरदारों व सूबेदारों को आदेश दिया था कि दासों से पुत्रवत व्यवहार करें। फिरोज तुगलक का यह शौक राज्य के विकास में विनाशकारी सिद्ध हुआ। जो कि उसके पतन का कारण बना। उसने शाही व्यय से दासों को अनेक सुविधाएं प्रदान कीं।

विजयनगर युग में दास-प्रथा प्रचलित थी। अनेक विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन अभिलेख पुरुष एवं महिला दासों का उल्लेख करते हैं। जिसमें बारबोसा प्रमुख है। यह दास प्रथा विजयनगर से पूर्व चोल काल में भी प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेसवाग कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ऋण-दाता को ऋण नहीं दे पाता था या दिवालिया हो जाता था, उसे प्रायः ऋणदाता का दास होना पड़ता था।⁴ विजयनगर साम्राज्य में कुलीन परिवारों की स्त्रियाँ सामान्यतः राजप्रसाद या घर की चारादीवानी के भीतर रहती थीं। मंदिरों में देवपूज्य के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दे दी जाती थी अथवा नियमित वेतन दिया जाता था।

कुछ निम्न सामाजिक वर्गों की स्त्रियाँ विभिन्न व्यवसायों और हस्तकलाओं में प्रवीण होती थीं। इसी सन्दर्भ में दासियों का उल्लेख कर सकते हैं जिनका विजयनगर के सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन साहित्य में चारों वर्णों के साथ इन दासियों का भी उल्लेख है। ये दासियाँ दो वर्गों में विभाजित थीं- एक तो वे जो मंदिरों से संबद्ध थीं और दूसरी वे जो स्वतंत्र जीवनयापन करती थीं। दासियाँ चाहे किसी भी जाति या समुदाय की हों उनकी जाति एक होती थी। इस वर्ग की स्त्रियाँ पर्याप्त रूप से शिक्षित होती थीं। विशेष बात तो यह है कि दासियों को समाज में हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सार्वजनिक उत्सवों में वे अनिवार्य रूप से भाग लेती थीं। मुगल साम्राज्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। मुगलकाल में आर्थिक और सामाजिक स्थिति की यह विशेषता थी कि जहाँ एक ओर शासक वर्ग बहुत आंडबरपूर्ण था,

वहीं दूसरी ओर आम जनता किसान, शिल्पी और मजदूर बहुत गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। मुगलकाल में जीवन-स्तर की जानकारी का स्रोत मुख्यतः 16वीं और 17वीं शताब्दी में आए विदेशी यात्रियों द्वारा लिया गया विवरण है। इन जानकारियों का अधिकांश फारसी में लिखे ऐतिहासिक वृत्तांतों में मिलता है। अभी कुछ समय पूर्व इतिहासकारों ने समकालीन स्रोतों से उपलब्ध वेतनों और मूल्य सूची की तुलना 20वीं सदी के आँकड़ों से की है और इस आधार पर मुगलकाल में सामान्य जनता के जीवन-स्तर के बारे में निष्कर्ष निकाले हैं।

विदेशी यात्रियों ने शासक वर्ग के आंडबरपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन के वर्णन के साथ-साथ जनता के किसानों, शिल्पियों और घरेलू नौकरों के दयनीय जीवन का भी वर्णन किया है। लेकिन उनके वर्णन के विषय में हमें सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि ये यात्री समृद्ध देशों से आए थे जहाँ की संस्कृति बिल्कुल भिन्न थी और संभव है कि उन्होंने निम्न वर्ग की पारंपरिक जीवन शैली को देखकर गलत निष्कर्ष निकाले हों। 17वीं शताब्दी में इस देश में मुगलकालीन समाज आमदनी, प्रथाओं और उपभोग के स्वरूप की दृष्टि से अनेक वर्गों और स्तरों में विभाजित था। इसलिए हमारे लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा कि हम किसानों, नगरों के गरीब वर्ग, माध्यम स्तर के लोगों और कुलीन वर्ग के लोगों के जीवन स्तर के बारे में अलग-अलग विचार करें।

मुगलकालीन समाज दो वर्गों में बँटा था- धनी वर्ग एवं जनसाधारण जैसे किसान, दस्तकार, श्रमिक व दास आदि। उच्च वर्ग के लोग अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन बिताते थे। बादशाहों तथा राज्य के बड़े-बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियाँ-उपपत्नियों, रखैलों और दासियों के रूप में रहती थी। अकबर के हरम में तो 5000 स्त्रियाँ थी इसी प्रकार की स्थिति अन्य बादशाहों की भी थी। मुगलकाल में दास प्रथा के साक्ष्य सूत्रों के अनेक भागों से प्राप्त होते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 में दासता को समाप्त कर दिया था⁵ परन्तु इसके बाद भी भारत में दासता का समापन पूरी तरह नहीं हो सका।

भारत देश पर कई सौ वर्षों तक मुगलों फिर अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दासता को समाप्त करने की बात की गयी थी। जिसे गवर्नर जनरल लार्ड एलनबरो ने 1843 में नियम-5 द्वारा संपूर्ण भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया।⁶ भारत में दासता की समाप्ति के बाद मानव के अधिकारों में वृद्धि

हुई जो कि निरन्तर विकास की ओर उन्मुख है।

दासों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार

1. **आहित-** बंधक रखा गया दास।
2. **दायादुपगत-** उत्तरधिकार में प्राप्त दास।
3. **उपागत-** अपनी इच्छा से आया हुआ दास।
4. **ध्वजाहृत-** युद्ध में बंदी बनाया गया दास।
5. **पणजित-** जुए में जीता गया दास।
6. **दत्तितम-** किसी के द्वारा उपहार में दिया गया दास।
7. **बडवहृत दास-** दासी के प्रेम में फँसकर स्वयं को दास बनवा लेना।

विनयपिटक में 3 प्रकार के दासों की चर्चा है-

1. **अंतोजातको-** दासी से उत्पन्न संतान।
2. **धनक्षितो-** धन से खरीदे गये दास।
3. **कर-मर-अनितो-** दूसरे देश से लाये गये दास।
4. **सममसवयम् उपगतो-** जो स्वयं से दास बन गया हो। इस चौथे प्रकार के दास का उल्लेख दीर्घनिकाय में है। विनयपिटक में दासों द्वारा अपने स्वामी शाक्यों की स्त्रियों पर जंगल में किये गये हमलों की चर्चा है। मज्झिमनिकाय में दासी काली और उसकी स्वामिनी गहपत्नी वैदेही की कथा है।

दासता से मुक्ति- बौद्ध ग्रन्थ **दीर्घनिकाय** में दासता से मुक्ति के तीन उपाय बताये गये हैं- दास द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने पर, अपने स्वामी को धन देकर तथा स्वामी द्वारा स्वतंत्रकर दिये जाने पर। बौद्ध संघ में दासों का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध ने नियम बनाया था कि अगर दास संघ का सदस्य बनना चाहते हैं तो पहले मुक्ति प्रमाणपत्र लाये। कौटिल्य ऐसे व्यक्ति पर दण्ड का प्रावधान करते हैं जो धन लेकर भी दास को स्वतंत्र न करे। गुप्तयुगीन **नारद स्मृति** में सर्वप्रथम दासों की मुक्ति का विस्तृत विवरण मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झा द्विजेन्द्र नारायण श्रीमाली कृष्णमोहन : प्राचीन भारत का इतिहास पृ.सं. 126-127
2. शर्मा रामशरण : प्रारंभिक भारत का परिचय पृ.सं. 115-116
3. शर्मा एल.पी. : मध्यकालीन भारत पृ.सं. 228-229
4. वर्मा हरिश्चंद्र : मध्यकालीन भारत भाग-1 (750-1540ई.) पृ.सं. 292
5. वर्मा हरिश्चंद्र : मध्यकालीन भारत भाग-2 (1540-1761) पृ.सं. 386
6. ग्रोवर, बी.एल. आधुनिक भारत का इतिहास पृ.सं. 127

अपभ्रंश चित्र शैली का लावण्य

डॉ. निशा गुप्ता *

शोध सारांश - अपभ्रंश चित्र शैली के ग्रन्थ चित्रों में सर्वप्रथम जैन धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ चित्र प्राप्त हुए। इस चित्रण परिपाटी की खोज का श्रेय श्री हरमैन को जाता है। इन्होंने 1913 में सर्वप्रथम कल्पसूत्र की बार्लिन में वोल्कर कुन्डे संग्रहालय में संग्राहित कृति पर लेख लिखा। तत्पश्चात् अनेक विद्वानों का ध्यान इस शैली का ओर आकृष्ट हुआ तथा 1924 में बोस्टन संग्रहालय वाले चित्रों पर श्री आनन्द कुमार स्वामी जी का लेख प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात् 1925 में व 1927 में एन० सी० मेहता का, 1928 में अजीत घोष का व 1989 में ब्राउन का लेख प्रकाशित किया हुआ व इस चित्र शैली की विश्द खोज का प्रारम्भ हुआ। जिन विश्द विद्वानों ने लेखों व शोधों ने इस शैली को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया उनमें गंगोली, मुनि पुण्य विजय जी, हीरानन्द शास्त्री, मोतीचन्द्र, रायकृष्णदास, कार्ल खंडालावाला व सरयुदोषी आदि प्रमुख रहे। इस चित्र शैली के सम्पूर्ण देश में अत्यधिक मात्रा में ग्रन्थ चित्र पाये गये इसी कारण यह देश भारतीय कला के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

शब्द कुंजी - पाण्डुलिपि, पटचित्र, भंगिमाओ, विवरणात्मकता, धरोहर।

प्रस्तावना - इस समय की शैली के नामकरण के विषय में बहुत मतभेद मिलता है। इस चित्रण परिपाटी को विद्वानों ने जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली व अपभ्रंश शैली आदि भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं।

जैन शैली वाला नाम - इस चित्र शैली के प्रारम्भिक चित्रों का पता जैन धर्म मान्य ग्रन्थों में प्राप्त चित्रों से लगने के कारण कलाविदों ने प्रारम्भ में इस शैली को जैन शैली के नाम से अभिहित किया। इस शैली के अधिकांश चित्रों का विषय जैन धर्म सम्बन्धी ही रहा, जो पाटन, खम्भात, अहमदाबाद, जैसलमेर, आदि स्थानों पर मिले। ऐसे ग्रन्थ चित्र आज भी हजारों की संख्या में प्राप्त हैं। जैन शैली नाम का समर्थन कुछ लोगों ने यह मानकर भी किया कि ये चित्र जैन साधुओं ने बनाये हैं परन्तु यह मानने की कोई गुजांइश नहीं है क्योंकि यह चित्र कुपट चित्रकारों द्वारा बनाये गये इन ग्रन्थों के दो ऐसे चित्रकारों के नाम मिलते हैं। जो जैन साधु नहीं थे अजैन ग्रन्थों बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविन्द, दुर्गा सप्तशती, रहित रहस्य में इस चित्र शैली के दर्शन व दक्षिण भारत के भित्ति चित्रों में अधःपतन वाले लक्षणों के आधार पर जैन शैली वाला नाम अस्वीकार कर दिया गया।

गुजरात शैली वाला नाम - रायकृष्णदास जैने कला विद्वानों के मत में इन चित्रों को जैन शैली कहना ठीक नहीं था कुछ जैन धर्म भिन्न ग्रन्थ भी मिले जिनका विषय वैष्णव धर्म व लौकिक था। अभी विवादास्पद स्थिति चल रही थी कि 1925 ई० के लगभग गुजरात के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वाना स्व० आचार्य केशवलाल हर्ष दरायधुव को कपड़े पर लिखित व चित्रित एक लम्बा खर्चा मिला। इस बसन्त विलास नामक श्रृंगारिक मुक्तक काव्य की प्रति में संस्कृत व प्राचीन गुजराती के छंदों का संकलन है। यह ग्रन्थ 1451 में अहमदाबाद में लिपिबद्ध हुआ। इन चित्रों की शैली उक्त ही रही।

इसके पश्चात् वो इस शैली के कितने ही चित्रित अजैन ग्रंथ मिले यथा बालगोपाल स्तुति, गीत गोविन्द, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य एवं एक कथा काव्य इत्यादि।

गुजरात क्षेत्र में बने होने के कारण एन० सी० मेहता ने इस शैली का

नवीन नामकरण गुजरात शैली नाम से किया पादताइविकतम् प्रहसन वाले ग्रन्थ के आधार पर भी इस गुजरात शैली नाम की सार्थकता सिद्ध करने का प्रयास किया। किन्तु आगे चलकर कुछ इस विषय में भी कुछ मत परिवर्तन हुआ व गुजरात शैली नाम से परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। **पश्चिमी भारतीय शैली वाला नाम** - यद्यपि इस शैली के अधिकांश चित्र गुजरात से ही मिले, परन्तु अनेक ऐसे ग्रन्थ भी मिले जिनाक चित्रण क्षेत्र गुजरात से बाहर था। मार्केण्डेय पुराण, दुर्गा सप्तशती आदि अनेक भारतीय शैली का नाम प्रस्तावित किया। 16वीं शती के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पश्चिम व पूर्वी दो शैलियों का वर्णन किया है। सम्भवतः उनका तात्पर्य जैन व पाल शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से सम्बोधित किया। परन्तु इस शैली की कृतियाँ उत्तर प्रदेश, बंगाल, वर्मा, श्याम आदि पश्चिमी भारत के क्षेत्र से बाहर प्राप्त होने के कारण पश्चिमी शैली नाम का औचित्य नहीं बैठता व यह नाम भी अस्वीकार कर दिया गया। इस शैली के चित्र बंगाल व उड़ीसा तक में भी मिले। वहाँ का कोई 300 वर्ष पुराना बांगाक्षर लिखा बाणभट्ट नामक ग्रन्थ श्री साराभाई के संग्रह में है। दक्षिणी भारत में भी इस शैली के चित्र के 14वीं शती तक बने रहे। इसी कारण इतनी व्याप्ति वाली चित्र शैली को पश्चिमी भारतीय नाम देना उचित नहीं है।

अपभ्रंश शैली वाला नाम - जैन शैली, गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली वाले नाम जब कलामर्मज्ञों का सतुष्टि प्रदान नहीं कर पाये तो प्रश्न उठा कि इतनी व्यापकता वाली शैली को क्या नाम दिया जाये। इस शैली को न तो किसी स्थान की सीमा में बाँधना सम्भव है न ही किसी धर्म से सम्बद्ध करना। अतः धर्म व स्थान के नाम पर इस शैली का नामकरण करने की अपेक्षा कलाविदों ने इस शैली को विशेषताओं को नामकरण का आधार बनाया। इस चित्र शैली के आलेखन व चित्रों में कोई उत्थान न हाने के कारण व ये चित्र मात्र प्राचीन चित्रों की विकृति होने के कारण रायकृष्णदास जी ने इसे अपभ्रंश शैली (बुरी तरह पिछड़ी हुई) नाम दिया।

इस शैली में कोई प्रगति वाली विशेषता न होने के कारण व सबकुछ कुछ विकृत होने के कारण रायकृष्णदास द्वारा इसे अपभ्रंश शैली कहना

उचित माना गया।

रायकृष्णदास जी के शब्दों में, 'बहुत उहापेह के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसका एकमात्र समुचित नाम अपभ्रंश शैली ही हो सकता है जब इन चित्रों का आलेखन कोई नाम उत्थान नहीं, प्राचीन शैली का विकृति मात्र है तो अपभ्रंश ही एक ऐसा शब्द है। जिसके द्वारा इन विकृतियों की समुचित अभिधा ही नहीं, व्यंजना भी जो सकती है। इस प्रकार उक्त विकृतियों के समवायरुपी जिस निजस्व से

यह आलेखन बना है, इसके अर्थ में यहाँ शैली शब्द को लगाना चाहिये।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भारतीय कला के विविध स्वरूप - प्रेमचन्द गोस्वामी
2. भारतीय कला के विविध रंग - डॉ० रमेश ठकराल
3. भारतीय कला सम्पदा - डॉ० एल० श्रीवास्तव
4. कला विलास - डॉ० आर० ए० अग्रवाल
5. भारत की चित्रकला - रायकृष्ण दास

सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं वसूली में आने वाली समस्याओं का अध्ययन

श्रीमती तुषि शुक्ला (सराफ)* डॉ. आर.के.पाटिल **

प्रस्तावना - ग्रामीण बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक एक मध्यस्था के रूप में कार्य करते हुए बैंक एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में कार्यरत व्यक्तियों के बीच वित्तीय मदद के रूप में धन को संचालित करने का कार्य करता है। बैंक ग्रामीण एरिया में कार्यरत विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में धनराशि उपलब्ध कराते हैं एवं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जैसे कृषकों को कृषि कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराना आदि। बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली करते हुए धन को एकत्रित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंक जब धन की प्राप्ति करता है तो उस धन को बैंक द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए धन की व्यवस्था ऋण एवं अग्रिम के रूप में करता है।

परन्तु आधुनिक युग में बैंक को वित्तीय क्षेत्रों में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बैंक के सामने एक बड़ी चुनौति ऋण वितरण एवं इसकी वसूली की समस्या है, अर्थात् बैंक को यह निर्णय लेना कठिन होता है कि किन-किन कार्यों के लिए उनकी गुणवत्ता को देखते हुए ऋण एवं अग्रिम राशि का वितरण किया जाए और वितरण बाद उनकी वसूली की कौन-कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाए। बैंक द्वारा वितरित किये गए ऋण एवं अग्रिम की राशि के वसूल न करने के कारण बैंक की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने के साथ-साथ देश के विकास एवं उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है।

शोध अवधि - शोधार्थी द्वारा सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक की वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के आधार पर उल्लेख किया है।

शोध के उद्देश्य- किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्व से ही कुछ उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। जो निम्न हैं

1. बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम के रूप में राशि वितरण करने में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
2. इसके पश्चात् वितरित किये गये ऋण एवं अग्रिम को वसूल करने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा।

शोध प्रविधि- शोधार्थी द्वारा शोध पत्र द्वितीय समंको एवं सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। शोध पत्र से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के पश्चात् कार्य पूर्ण किया गया है।

सर्वप्रथम बैंक द्वारा कृषकों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में राशि वितरण

करने में कौन-कौन सी समस्याओं या कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एवं इसके पश्चात् वितरित किये हुए ऋण एवं अग्रिम को वसूल करने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं वसूली में आने वाली समस्याएँ निम्न है।

1. कृषकों से संबंधित समस्याएँ - भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारतीय कृषक अपने कृषि से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने लिए आवश्यक धन राशि ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंकों से ऋण के रूप में ग्रहण करता है। वित्तीय सहायता के रूप में ऋण का यह बोझ कृषकों पर सदियों से एक ग्रहण की तरह चलते आ रहे हैं। अनेक प्रयासों के बावजूद इस समस्या का समाधान करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परन्तु कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त करते समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बावजूद किसान उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे की कृषकों का शिक्षित न होना, अधिक दर से ब्याज लेना, आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण करना एवं गिरवी के लिए चल-अचल सम्पत्ति न होना आदि। प्रायः यह भी देखा गया है कि जिन योजनाओं के लिए ऋण लिए गए हैं कृषकों द्वारा उन योजनाओं के लिए ऋणों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

2. राज्य सरकार के विभागों एवं ग्रामीण बैंक के मध्य समन्वय की समस्या- जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी एवं बैंक के अधिकारियों के बीच विश्वासपद समन्वय न होने के कारण भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में असुविधा होती है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों का अभाव- ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई कृषकों की संख्या के अनुपात में बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, इसके चलते हुए ऋण प्रदान करने में ग्रामीण बैंक को असुविधा का सामना करते हुए अधिक कृषकों को ऋण वितरण की समस्या का सामना करना पड़ता है।

4. ग्रामीण बैंक की समस्याएँ- सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक से जो कृषक, ऋण प्राप्ति से संबंधित जो आशाएँ करते हैं उतनी आशातीत सफलताएँ उन्हें अभी तक नहीं मिली हैं जिसके लिए कई कारणों को उत्तरदायी माना

* शोधार्थी (वाणिज्य) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोध निर्देशक एवं प्राचार्य (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, टिमरनी, हरदा (म.प्र.) भारत

जाता है।

1. दुर्बल संसाधनों का होना।

2. ऋणों की वसूली की स्थितियों का अच्छा न होना।

सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली में आने वाली समस्याएँ- सेन्ट्रल M.P. ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को ऋण वितरण करने की प्रक्रिया में जितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है उससे कहीं अधिक प्रदत्त ऋणों की वसूली करने के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, अर्थात् बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है उन्हें शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य में निम्न तथ्यों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

कृषि ऋण वसूली संबंधी समस्याएँ- ऋण वसूली की समस्याओं में कृषकों के बहुत बड़े योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। ग्रामीण कृषकों की मुख्य समस्या ऋण अस्तव्यस्त रही है। कृषकों पर उनके द्वारा किये जाने वाले कृषि कार्य के लिए ऋणों का इतना भार हो जाता है कि वे समस्या का समाधान समय पर नहीं कर पाते हैं। कृषकों द्वारा बैंक से विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए पहले ऋण तो ले लिया जाता है परन्तु बाद में योजनाओं की प्रक्रिया को किसानों द्वारा उनके अशिक्षित होने या अन्य कारणों से न समझने के कारण बैंक को ऋण वसूलने में कठिनाईयाँ आती हैं।

बैंक को ऋण वसूली में बाधा होने के साथ-साथ विलम्बता होती है उनका विवरण संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है।

1. **ऋणों को भुगतान करने के लिए सूचित करने में विलम्ब-** ग्रामीण कृषकों द्वारा सर्वप्रथम ऋण तो प्राप्त कर लिया जाता है परन्तु ऋण का भुगतान करने के लिए समय पर सूचना न मिलने के कारण किसानों से ऋण वसूल नहीं किया जाता है।

2. **किसानों द्वारा समय पर ऋण का भुगतान न करना -** ग्रामीण कृषकों के द्वारा ऋणों का भुगतान उनके द्वारा कृषि सम्बन्धी आय को प्राप्त करने के आधार पर निर्भर रहता है अतः जब तक किसानों द्वारा कृषि उपज से आय प्राप्त नहीं होती तब तक बैंक को प्रदत्त ऋणों की वसूली में विलम्बता होती है।

3. **ऋण भुगतान प्रक्रिया की जटिलता -** शोधार्थी द्वारा यह भी देखा गया है कि ग्रामीण कृषक अशिक्षित होने के कारण ऋण भुगतान की प्रक्रिया को आसानी से नहीं समझ पाता है जिसके फलस्वरूप कृषकों को ऋण भुगतान करने एवं बैंक को उनसे ऋण वसूली में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

4. **अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त कर लेना -** ग्रामीण कृषकों द्वारा ऋणों की प्राप्ति के बदले जो जमानत रखी जाती है उनके आधार पर आवश्यकता से अधिक ऋण प्राप्त तो कर लिया जाता है, परन्तु पर्याप्त आय की प्राप्ति न होने के कारण कृषकों द्वारा ऋणों की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है और बैंक को भी ऋण वसूली में विलम्बता होती है।

5. **जमानत संबन्धी समस्या-** जो राशि कृषक द्वारा ऋण के रूप में सेन्ट्रल ग्रामीण बैंक से प्राप्त की गई है, उस राशि की तुलना में बैंक के पास कम राशि की प्रतिभूतियाँ या अन्य सम्पत्तियाँ जमानत के रूप में रखी गई है, यदि कृषक द्वारा ऋण की राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जमानत के रूप में रखी गई सम्पत्तियों को बेचकर पर्याप्त राशि बैंक द्वारा वसूल न करने से बैंक को हानि हो सकती है।

सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक को ऋण वसूल करने में आने वाली समस्याएँ - बैंक द्वारा कृषकों को जो ऋण वितरित किये गए हैं उन्हें वसूल करना बैंक की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है, वर्तमान युग में बैंक द्वारा वितरित की गई राशि को समय अवधि में वसूल करने की कार्य प्रणाली को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में माना जा रहा है, उपरोक्त कथनों के आधार पर शोधार्थी द्वारा बैंक को ऋण की राशियों को वसूल करने में आने वाली समस्याओं को निम्न घटकों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

1. **कर्मचारियों का अभाव-** बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ तो अनेक स्थापित कर ली गई है और साथ ही नए-नए कर्मचारियों की भी भर्ती की गई है परन्तु ऋण की वसूली से संबंधित कर्मचारियों की कमी के कारण बैंक को इस प्रक्रिया से संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. **तकनीकी कर्मचारियों का अभाव-** बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली के लिए बैंक द्वारा श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के अभाव में भी बैंक को ऋण एवं अग्रिम की वसूली में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं।

3. **नियन्त्रण प्रक्रिया-** बैंक द्वारा ऋण वितरण पर नियंत्रण का अभाव पाये जाने के कारण अधिक ऋण प्रदान करने के कारण भी वसूली की प्रक्रिया में जटिलता बनी रहती है।

4. **अभिप्रेरण का अभाव-** बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को, किसानों एवं अन्य व्यक्तियों से ऋण एवं अग्रिम राशि को वसूल करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करने का अभाव पाया जाता है जिसके फलस्वरूप बैंक को वसूली से संबंधित समस्याओं का सामना करना होता है।

5. **कार्यों का अतिरिक्त भार-** प्रायः यह देखा गया है कि निर्वाचन कार्यों के समय पर सम्पन्न न होने के कारण बैंक प्रबंधन मण्डल द्वारा इन प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है, जिससे बैंक के कर्मचारियों पर कार्य का अतिरिक्त भार पड़ने के कारण वे बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिम की वसूली से संबंधित कार्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं।

अन्य समस्याएँ- एन.पी.ए. की समस्या एवं ऋण व अग्रिम की वसूली की समस्याओं का सामना न केवल बैंक एवं उधारकर्ताओं को करना पड़ता है बल्कि शोधार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया है कि इस समस्या के मुख्य कारणों में बैंकों की आंतरिक प्रबन्धकीय व्यवस्था एवं योजनाओं के कारण होने वाली उन विधियों का भी होना पाया गया है। जिनके कारण गैर निष्पादित सम्पत्तियों का होना एवं ऋण वसूली की समस्याओं का होना पाया जाता है शोधार्थी द्वारा कुछ ऐसी कार्यविधि या ऐसे अन्य और भी कारणों को देखा गया है जो बैंक की गैर निष्पादित सम्पत्तियों एवं ऋण व अग्रिम की वसूली में बाधा डालते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव - शोधार्थी द्वारा शोध पत्र के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि बैंक द्वारा समय पर ऋण एवं अग्रिम की वसूली ना होने से बैंकिंग साख एवं ग्रामीण विकास के साथ देश की आर्थिकव्यथा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सुझाव :

1. बैंक द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये कि प्रदत्त ऋण की राशि न तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिये और न कम इन दोनों ही परिस्थितियों में उधार लेने वाले व्यक्ति एवं कृषकों को राशि को चुकाने में कठिनाईयाँ आएगी।
2. जब ऋण लेने वाले कृषक या अन्य व्यक्ति बैंक के पास प्रस्तुत हो तो

- बैंक द्वारा उन्हें सभी नियमों एवं शर्तों से पूरी तरह अवगत कराना चाहिये।
- उधार लेने वाले कृषक या अन्य व्यक्ति को ऋण की किस्त की सूचना निर्धारित तिथि पर या समय से पूर्व देना चाहिये।
 - स्टॉक का पर्याप्त बीमा होना चाहिए जिससे भविष्य में आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े।
 - से.म.प्र.ग्रा. बैंक द्वारा नियुक्त वसूली एजेंसी फर्म या कंपनी का विवरण बैंक द्वारा अपने-अपने वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य

होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

- सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन
- www.shodhganga.com
- वी.एम. जैन रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर।
- वी.के.पुरी, एन.के.मिश्र भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालय पब्लिकेशन हाउस 2008।

महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका

पूजा राठौर *

प्रस्तावना - किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए नारी शक्ति का विशेष महत्व है। देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं। साथ ही साथ समावेशी विकास के तथ्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता ना ही वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। अतः महिलाओं का कल्याण एक आवश्यक जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की बात सामने आती है।

महिला सशक्तिकरण से आशय है 'एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाओं का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित हो।' किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति स्वयं से संबंधित निर्णय लेने में समर्थ हो।

महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्वयं सिद्ध है कि उच्चशिक्षा प्राप्त करने वाली प्रत्येक महिला अपने आप में जागृत और सशक्त है। उसे अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान रहता है। इसीलिए नारी को विविध रूपा कहा गया है।

वह विश्व के कण-कण को स्वर्गिक भावनाओं से ओत-प्रोत कर रही है। जिस देश में, समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण, सुदृढ़, सम्मानजनक व सक्रिय होगी वह राष्ट्र और समाज उतना ही सशक्त, समृद्ध और सुदृढ़ होगा।

इसके अलावा उचित निर्णय लेने के लिए सूचना व संसाधनों तक उसकी पहुँच हो। सामूहिक निर्णय निर्माण में भूमिका निभाने की योग्यता उसमें हो। परिवर्तन लाने की योग्यता रखने के संदर्भ में सकारात्मक चिंतन करने की क्षमता हो। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा दूसरों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की योग्यता।

महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सर्वप्रथम उनके बीच शिक्षा का समुचित विकास किया जाना चाहिए। एक शिक्षित नारी ही अपने अधिकारों को समझ सकती है, शक्ति अर्जित कर सकती है। भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 65 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 54 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 65 प्रतिशत थी। यद्यपि 1991-2001 के मध्य पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि (12 प्रतिशत) की अपेक्षा महिला साक्षरता वृद्धि दर (15 प्रतिशत) 3 प्रतिशत अधिक थी। यह वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है, किन्तु अभी भी प्रति सौ में से 46

महिलाएँ निरक्षर हैं। इसे देखते हुए सरकार एवं समाज, दोनों द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा भी प्रदान करवाना आवश्यक है जिससे की अधिकाधिक महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सकें तथा स्वावलम्बी जीवन का निर्वाह कर सकने में सक्षम हो सकें। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि आत्मनिर्भरता के अभाव के कारण ही महिलाएँ प्रताड़ित एवं दयनीय जीवन जीने के लिए बाध्य होती हैं तथा इन सबसे तंग आकर कुछ महिलाएँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। आत्मनिर्भर महिलाएँ इस प्रकार का अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं होती तथा पुरुष भी ऐसी कर्मठ महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार ही करते हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन- महिलाओं के शक्तिकरण के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में एक विचारणीय तथ्य यह है कि क्या इस प्रकार के प्रयासों से महिलाएँ उस स्थान तक, उन आदर्शों तक पहुँच सकती हैं, जिन्हें सरकार द्वारा घोषित किया गया है।

सशक्तिकरण में बाधाएँ:

1. सोच के स्तर पर भिन्न सत्तावादी समाज (पुरुष प्रधान)।
2. शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होना।
3. आर्थिक सशक्तिकरण अभी नहीं हो पाया है फलतः यह कानूनों का लाभ नहीं उठा पाती।
4. भ्रष्टाचार।
5. कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता का पर्याप्त रूप से ना होना।
6. निर्णय में भागीदारी नहीं हो पाई है।

सुझाव:

1. सोच को बदलने की जरूरत है केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा।
2. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान समाहित है।
3. उच्चा शिक्षा के स्तर को सुधारने की जरूरत है।
4. राष्ट्रीय स्तर पर महिला विमर्श को बढ़ाए जाने की जरूरत है।
5. एक ऐसे माहौल/वातावरण के निर्माण की जरूरत है जिसमें महिलाएँ खुद को सुरक्षित महसूस करे और खुल कर काम कर सकें।

निष्कर्ष- महिला सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका समाहित है। उच्च शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर, निर्णय लेने की क्षमता के विकास के साथ समाज में एक अलग पहचान बनाने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज उच्च संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर विराजित होकर कार्यभार को सफलतापूर्वक संचालित कर रही महिलाएँ हैं। जिनका विकास उच्च शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शर्मा डॉ. ब्रम्हदेव - शिक्षा समाज एवं व्यवस्था।
2. रानी डॉ. आशु - निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
3. कुरुक्षेत्र मार्ग 2006 - Vol. 52 Nos. 5
4. स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि. - ISBN 81-7930-443-4

Hazardous Consequences of Increasing Population on Environment

Dr. Shubha Goel *

Abstract - Academic's Dictionary of Environment states that Over population means the presence of too many members of species or several species in an ecosystem. Over population occurs when there is an excess of any species, over burdening its environment. The present paper examined the relationship of population to the environment and with growing population, poverty, and urbanization the environment is degrading. The study reveals that the country's population growth is imposing an increasing burden on the country's limited and continually degrading natural resource base. The natural resources are under increasing strain, even though most people survive at subsistence level. Population pressure on arable land contributes to the land degradation. The increasing population numbers and growing affluence have already resulted in rapid growth of energy production and consumption in India. The environmental effects like ground water and surface water contamination; air pollution and global warming are of growing concern owing to increasing consumption levels. The paper concludes with some policy reflections, the policy aimed at overall development should certainly include efforts to control population and environmental pollution.

Keywords- Environment, Bio-Diversity, Global warming.

Introduction - Human over Population occurs if the number of people in a group exceeds the carrying capacity of the region occupied by that group. It often refers to the relationship between the entire human population and its environment: the earth or to smaller geographical area such as countries. The rapid population growth and economic development in country are degrading the environment through the uncontrolled growth of urbanization and industrialization, expansion and intensification of agriculture, and the destruction of natural habitats. One of the major causes of environmental degradation in India could be attributed to rapid growth of population, which is adversely affecting the natural resources and environment. The growing population and the environmental deterioration face the challenge of sustained development without environmental damage. The existence or the absence of favourable natural resources can facilitate or retard the process of economic development. The three fundamental demographic factors of births, deaths and migration produce changes in population size; composition, distribution and these changes raise several important questions of cause and effect. The projected population indicates that India will be a first most populous country in the world and China will be second in 2050 (Population Reference Bureau, 2001).

The increase of population has been tending towards alarming situation. India is having 18 percent of the world's population on 2.4 percent of its land area has great deal of pressure on its natural resources. Water shortages, soil

exhaustion, deforestation, air, and water pollution affect many areas. If the world population continues to multiply, the impact on environment could be devastating. In the beginning of e 21st century, growing number of people and rising levels of consumption per capita are depleting natural resources and degrading the environment. The poverty and environmental damage in India must be seen in the context of population growth as well. The pressures on the environment intensify every day as the population grows. The rapid increase of human numbers combines with desperate poverty and rising levels of consumption are depleting natural resources on which the livelihood of present and future generations depends. Poverty is amongst the consequences of population growth and its lifestyle play major role in depleting the environment, either by its fuel demands for cooking or for earning livelihood for their survival. The unequal distribution of resources and limited opportunities cause push and pull factor for people living below poverty line that in turn overburdened the population density in urban areas and environment get manipulated by manifolds, consequently, urban slums are developed in urban areas.

The growing trends of population and consequent demand for food, energy, and housing have considerably altered land-use practices and severely degraded India's forest vis-à-vis environment also. The growing population put immense pressure on land extensification at cost of forests and grazing lands because the demand of food could not increase substantially to population. All these practices

causing degradation and depletion of environment with multiplying ratio.

The relationship between population growth, resource depletion and environmental degradation has been a matter of debate for decades. The argument has been between those who view population numbers as the main culprit in increasing pressure on the environment and those who place more blame on economic development, non-sustainable agricultural and industrial practices, and excessive and wasteful consumption. In fact, both population growth and non-sustainable development are cause of concern in India. Though the relationship is complex, population size and growth tend to expand and accelerate these human impacts on the environment. What is more concern, the number of population rise will increase to such an extent in future that it will cause overall scarcity for resources? Decades of economic expansion and population growth have degraded its land, air, and water. The present paper examines the relationship of man to the environment and with growing population, poverty, and urbanization the environment is degrading. Population growth in India is the second most populous country in the world after China. The number has multiplied three-fold in around five decades. The total population size of India had grown from 361 million in 1951 to around 1027 million in 2001. The population of India increased by three times during the period of 1951-2001. The increase in population has been due to the improvement in health conditions and control of diseases. Due to the declining resource availability per capita and shrinking economic opportunities in rural areas, and better economic opportunities, health and educational facilities etc. in urban areas, providing opportunities for higher level of human capital development could be the underlying factors for rural out migration. The growth of population depends upon fertility, mortality, and migration.

Poverty and environmental effects of over population:

Most of India's poor live in rural areas and are engaged in agriculture. India's poverty reduction through the anti-poverty and employment generation programmes along with overall economic growth planning efforts has helped to reduce the poverty ratio in the country. Poverty is said to be both cause and effect of environment degradation. Poorer people, who cannot meet their subsistence needs through purchase, are forced to use common property resources such as forests for food and fuel, pastures for fodder, and ponds and rivers for water. It also contributes to environmental degradation through over exploitation of natural resources like land, air and water. Population pressure driven overexploitation of the surface and underground water resources by the poor, has resulted into contamination and exhaustion of the water resources. Urban population is also using rivers to dispose of untreated sewage and industrial effluent. The result is that health of those dependents on untreated water resources is increasing at risk. Moreover, degraded environment can

accelerate the process of impoverishment because the poor depend directly on natural assets. The poverty and rapid population growth are found to coexist and thus seems to reinforce each other. Poverty also affects the demographic characteristics of the population and hinders the transition to slower population growth. Acceleration in poverty alleviation is imperative to break this link between poverty and the environment. The deterioration of natural resources and unsafe living conditions affects the environment and health of the poor people.

Environmental challenges, Population growth and economic development are contributing to many serious environmental problems in India. These include pressure on land, land/soil degradation, forests, habitat destruction and loss of biodiversity, changing consumption pattern, rising demand for energy, air pollution, global warming and climate change and water scarcity and water pollution. Pressure on land India faces the most acute pressure on agricultural land. A change in land utilization pattern due to population increase implies an increase or decrease in the proportion of area under different land uses at a point in two or more time periods. Most of this expansion has taken place at the expense of forest and grazing land. Despite past expansion of the area under cultivation, less agricultural land is available to feed each person in India. The extent of agricultural intensification and extensification characterized by increase in cropping and irrigation intensity and higher use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides. The process of agricultural extensification and intensification is leading to land degradation. Over exploitation of underground water resources, increased use of chemical fertilizers leading to water pollution. Agricultural intensification, because of increasing cropping intensity, irrigation intensity and excessive use of chemical fertilizers, resulting into water logging, salinization and alkalinization of croplands and eutrophication of water bodies and ill health of oceans and thus reductions in biodiversity. Land/soil degradation arise from farming activities contribute to soil erosion, land salination and loss of nutrients.

The spread of green revolution also has been accompanied by over exploitation of land and water resources and use of fertilizers and pesticides have increased many folds. Shifting cultivation has also been an important cause of land degradation. Leaching from extensive use of pesticides and fertilizers is an important source of contamination of water bodies. Intensive agriculture and irrigation contribute to land degradation particularly salination, alkalization and water logging. It is evident that most of the land in the country is degrading, thus affecting the productive resource base of the economy. Soil erosion by rain and river in hill areas causes landslides and floods, deforestation, overgrazing, traditional agricultural practices, mining, and incorrect setting of development projects in forest areas have resulted in opening of these areas to heavy soil erosion. For achieving and maintaining food security, sustainable forestry,

agricultural and rural developments controlling of land/soil erosion is very much necessary.

To regulate diversion of forestland for non-forestry purposes, Forest (Conservation) Act, 1980 was enacted. Forests are an important natural resource of India. They play an important role in providing raw materials to industries and generating income and employments. Forests also play an important role in enhancing the quality of environment by influencing the ecological balance and life support system (checking soil erosion, maintaining soil fertility, conserving water, regulating water cycles and floods, balancing carbon dioxide and oxygen content in atmosphere etc. They have moderate influence against floods and thus they protect the soil erosion. The population growth has resulted in a downward trend in per capita availability of forest and agricultural land since the 1950s. Per capita availability of forests in India is much lower than the world average. Over the last ten years, despite governmental initiatives of joint forest management, tree grower's co-operative movements and other efforts tangible results are still to be observed, and forest depletion and degradation is still increasing. per capita availability of food grains and other resources does not mean accessibility because of lack of purchasing power among poor sections of society. However, better organizational management can assure better distribution and thus consumption when the availability is assured.

Habitat destruction and loss of biodiversity due over population: Protection of earth's biological diversity is an important goal. Biodiversity has direct consumptive value in food, agriculture, medicine, industry etc. It also has the aesthetic and recreational value. The greatest threat to biodiversity is not destruction of plants and animals, but rather the destruction of their habitat. India is one of the 12 mega-biodiversity countries of the world. Population growth leads to expanding human settlements and increasing demand for food, fuel and building materials. Modernization of agriculture also threatens potentially valuable local crops. Biodiversity the world over is in peril because the habitats are threatened due to such development programmes as creation of reservoirs, mining, forest clearing, lying of communication and transport networks etc. It is estimated that in the worldwide perspective slightly over 1000 animal species and sub-species are threatened with the extinction rate of one per year, while 20,000 flowering plants are thought to be at risk (Compendium of Environment Statistics, 2000).

Change in consumption patterns of natural resources: The economic and industrial development is inevitably accompanied by changing patterns of consumption. The number of registered motor vehicles in India provides one useful indicator of expanding consumption and economic growth. The increasing vehicles in country, producing more air pollution, fuel consumption, traffic jams and demands for road construction-often at the cost of agricultural land. The major share is contributed by metropolitan cities in all registered vehicles in the country. The population of India

in 2000 was just over 1 billion, and there were about 10 motor vehicles for every 1000 people, or a total of roughly 10 million motor vehicles in the country. An increase in vehicular pollution is associated with several environmental problems like air pollution and global warming. In most urban areas of India. Air pollution has worsened due to traffic congestion, poor housing, poor sanitation, poor drainage and garbage accumulation. The environmental effects of fuels like oil and petroleum products are of growing concern owing to increasing consumption levels.

Increase indemand for energydue toincreasing population: The environmental effects due to increasing consumption levels of fuels like coal; lignite, oil and nuclear etc. are of growing concern to various researchers. The combustion of these fuels in industries has been a major source of pollution. Coal production through open cast mining; its supply and consumption in power stations and industrial boilers leads to particulate and gaseous pollution, which can cause pneumoconiosis, bronchitis, and respiratory diseases. The bulk of commercial energy comes from the burning of fossil fuels viz. coal and lignite in solid form, petroleum in liquid form and gas in gaseous form. In addition to emission of greenhouse gases, the burning of fossil fuels has led to several ecological problems and associated with health problems like cancer risk, respiratory diseases, and other health problems. Burning of traditional fuel adds a large amount of carbon-di-oxide into atmosphere and increases air pollution. Burning of fossil fuels, especially coals, emits lot of carbon di oxide in the atmosphere and leads to global warming. The increasing population numbers and growing affluence have already resulted in rapid growth of energy production and consumption in India, and this trend can only be expected to accelerate in the future.

A considerable amount of air pollution results from burning of fossil fuels. Moreover, the resources for fossil fuels are also limited thus exploration of alternate energy resources would provide the way out. Air pollution Indian cities are among the most polluted in the world. Air in metropolitan cities has become highly polluted and pollutant concentrations exceeds limit considered safe by the World Health Organization (WHO). Suspended particulate levels in Delhi are many times higher than recommended by the World Health Organization (WHO). The urban air pollution has grown across India in the last decade are alarming. The main factors account to urban air quality deterioration are growing industrialization and increasing vehicular pollution, industrial emissions, automobile exhaust. The burning of fossil fuels kills 13 thousand lives and many more to suffer mainly from respiratory damage, heart and lung diseases. In the countryside, nitrates from animal waste and chemical fertilizers pollute the soil and water, and in the cities, the air is contaminated with lead from vehicle exhaust. In India's largest cities - Mumbai and Delhi - about one-half of children under age 3 show signs of harmful exposure to lead. The illness and pre-mature deaths due to ambient suspended particulate matter (SPM) in the air

in mega cities of Calcutta, Chennai, Delhi, and Mumbai have risen significantly in less than five years (Brandson and Honmon, 1992).

The indoor air pollution may pose an even greater hazard for human health. Cooking and heating with wood, crop residues, animal dung, and low-quality coal produce smoke that contains dangerous particles and gases. When fuels such as these are burned indoors, using inefficient stoves and poor ventilation, they can cause tuberculosis, other serious respiratory diseases, and blindness (Mishra, Retherford and Smith, 1999). In fact, indoor air pollution from cooking and heating with unsafe fuels has been designated by the World Bank as one of the four most critical environmental problems in developing countries. India is one of the most degraded environment countries in the world and it is paying heavy health and economic price for it.

Global warming and climate change due to population increase: The country's large population and rapidly increasing energy use plays an important and growing role in global warming. Global warming can have major physical, environmental, and socioeconomic consequences, which can be both positive and negative. The estimation of these impacts is complex and marked with uncertainties. Climate change would cause changes in precipitation patterns, ocean circulation and marine systems, soil moisture, water availability, and sea level rise. These would make an impact on agriculture, forestry and natural eco-systems like wetlands and fisheries. Also with rising temperatures, and subsequent increasing heat stress and alternation in patterns of vector-borne diseases. The global population would be more vulnerable to health problems, causing disruptions in settlement patterns and large-scale migration. All these would have significant socio-economic consequences (Compendium of environment statistics, 2000).

Increase in water scarcity and water pollution due to increasing population: Water use in India has been increased over the past 50 years. Out of the total annual freshwater withdrawals, the largest share goes to agriculture - at 92 percent. Industrial use accounts for another 3 percent and domestic use 5 percent. However, not all the water abstracted is effectively used, there are sizable losses in conveyance and application of irrigated water, a large part of water used by industry and domestic purposes is returned to the streams as effluent waste; and most of the water drawn by power station is used for cooling purposes and is available for reuse. The use of fresh water increased rapidly. The amount of water available per person has declined in recent decades - primarily because of population growth. Water scarcity is projected to worsen soon. The water pollution in India comes from three main sources: domestic sewage, industrial effluents and run off from activities such as agriculture. Major industrial sources of pollution in India include the fertilizer plants, refineries, pulp and paper mills, leather tanneries, metal plating and other chemical

industries. Levels of solid wastes increased in rivers and lakes and other water systems are also heavily polluted due to the intrusion of solid wastes. Pesticide residues in food items have been a matter of considerable concern. Even small quantities of these residues ingested daily along with food can build up high levels in the body fat. The long-term effects of these residues in the human body include carcinogenicity, reduced life span and fertility, increased cholesterol, high infant mortality and varied metabolic and genetic disorders (c.f. Compendium of Environment Statistics, 1999). Traces of pesticides and fertilizers from the fields are washed into the nearest water bodies at the onset on monsoons. There are heavy showers that add to water pollution. Consumers are affected by agricultural concomitants such as pesticides and fertilizers that run-off from fields into rivers. Polluting a river is dangerous because generally, rivers are the primary source of drinking water for towns and cities downstream of the point of pollution. The increasing river water pollution is the biggest threat to public health. The diseases commonly caused due to polluted water are cholera, diarrhoea, hepatitis, typhoid amoebic and bacillary dysentery, guinea worm, whereas scabies, leprosy, trachoma, and conjunctivitis are some of the diseases associated with water scarcity. All these could be attributed to the rapidly increasing population and lack of water resources. Inadequate access to safe drinking water and sanitation facilities leads to higher infant mortality and intestinal diseases. More than one million children died due to diarrhoea and other gastrointestinal disorders in 1990s. In addition, around 90 lakh cases of acute diarrhoea diseases have been reported in India, Uttar Pradesh reporting the highest number of cases (Central Bureau of Health Investigation, 1996). The cost of treating them and the loss in production amount to Rs. 600 crores a year (Citizen's Report, 1982).

Policy implications from the various effects of human beings on environmental degradation are discussed in this paper. If human beings want to exist on earth, this is high time to give top priority to protect natural resources and environment. The creation of employment opportunities is essential in agricultural areas with high poverty, unemployment, and landlessness. Poverty also affects the demographic characteristics of the population and hinders the transition to slower population growth. There is a need to control poverty and population growth. Unless significant measures are taken to incorporate environmental concerns into agricultural development, urban planning, technological innovations, industrial growth, and resource management, the situation is likely to worsen in the future. There is a need control pollution of all types for a healthy living.

Special efforts should be made for informing and educating the people and local leaders about the adverse effects of large population through specially designed Information, education and communication (IEC) activities. To increase green cover and to preserve the existing forests, afforestation and social forestry programmes should be

implemented at the local level. There is a need for preventive and curative measures to control water pollution due to chemical fertilizers, pesticides, and other wastes. Wastewater treatment plants should be established in accordance with the need of time and its usage should be encouraged. The heavy penalty should be imposed on industries disposing off the wastes into the river. Moreover, the landfills are to be properly managed to prevent ground water contamination. More emphasis should be laid on compulsory environmental education at the school level to make people aware of the environment protection. The environment protection should not be a responsibility of government alone, but local people and leaders should be encouraged to make dedicated efforts to eradicate the environmental problems.

Conclusion : As a results of high population growth, number of people below poverty line are increasing, an increasing population density puts on pressure on the natural resources. This study reveals that the country's population growth and poverty is increasing burden on the country's limited and continuously degrading natural resources. The natural resources are under increasing strain, even though most people survive at subsistence level. It will be difficult to satisfy the basic needs of a growing population even at present levels of consumption, and the situation will deteriorate all the more as the per capita consumption of resources increases. Population pressure on land contributes to the land degradation, thus affecting the productive resource base of the economy. The increasing population numbers and growing affluence have already resulted in rapid growth of energy production and consumption in India and this trend can only be expected to accelerate in future. The environmental effects like air pollution and global warming are of growing concern owing to increasing consumption levels. Environmental pollution not only leads to deteriorating environmental conditions but also have adverse effects on the sustainable development and health of people. The considerable amount of both ground water and surface water contamination due to chemical fertilizers and insecticides in the country leads to various water borne diseases. The growth of population is a fundamental factor in its relationship to natural resources, environment, and technology.

Environmentalists and economists agree that efforts to protect the environment and to achieve better living standards can be closely linked and are mutually reinforcing. Slowing the increase in population, especially in the face of per capita demand for natural resources, can take pressure off the environment and buy time to improve living standards on sustainable basis. If every human being in our country makes a commitment to population stabilization and resource conservation, the India would be better able to meet the challenges of sustainable development. To sum up, there is an urgent need to control population growth and poverty to conserve and protect natural resources and the environment for healthy human beings.

References:-

1. Angus I, Butler S. (2011) *Too many people? Population, immigration, and the environmental crisis*. Chicago, IL: Haymarket.
2. Anthwal, Ashish, Varun Joshi et al. (2006). Retreat of Himalayan Glaciers – Indicator of
3. Climate Change. *Nature and Science*, 4(4), pp. 53-59
4. Anthwal, Ashish, Varun Joshi et al. (2006). Retreat of Himalayan Glaciers – Indicator of
5. Climate Change. *Nature and Science*, 4(4), pp. 53-5
6. Anthwal, Ashish, Varun Joshi et al. (2006). Retreat of Himalayan Glaciers – Indicator of
7. Climate Change. *Nature and Science*, 4(4), pp. 5
8. Brandson Carter and Kirsten Honmann, (1991-92), "Valuing Environmental Costs in India: The Economy Wide Impact of Environment Degradation", World Bank, mimeo.
9. Central Bureau of Health Intelligence, (1995 & 1996), Health Information of India, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.
10. Centre for Science and Environment, (1982), "Citizen's Report" The State of India's Environment, New Delhi).
11. Department of Agriculture and Cooperation, (2002), "Indian Agriculture in Brief", Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.
12. Energy Information Administration, 2001, International Energy Outlook, U.S. Department of Energy, Office of Integrated Analysis and Forecasting, Washington, D.C.
13. International Institute for Population Sciences (IIPS) and ORC Macro, 2000, India: National Family Health Survey (NFHS-2), 1998-99, Mumbai, India.
14. Government of India, (1997), Estimates of Poverty, Planning Commission, Government of India: Press Information Bureau, March 1997, New Delhi.
15. Government of India, (1999), "Economic Survey: 1998-99", Ministry of Finance, Economic Division, New Delhi.
16. Government of India, (2001), The State of Forest Report, Ministry of Environment and Forests, Forest Survey of India, Dehradun.
17. Government of India, (2003), "Economic Survey: 2002-2003", Ministry of Finance, Economic Division, New Delhi.
18. Hummel D, Adamo S, de Sherbinin A, Murphy L, Aggarwal R, Zulu L, et al. (2013) Inter- and transdisciplinary approaches to population–environment research for sustainability aims: A review and appraisal. *Population and Environment*, 34(4):481–509.
19. Mishra, V. K.; Retherford, R. D. and Kirk R. Smith, 1999, "Biomass cooking fuels and prevalence of tuberculosis in India", *International Journal of Infectious Diseases*, 3, (3), 119-29.
20. Population Reference Bureau (PRB), 2001, World population data sheet, Washington, D.C.
21. Registrar General and Census Commissioner of India,

(2001), "Provisional Population Totals", Census of India, Paper 1 of 2001, New Delhi.

22. The Hindu Survey of Environment, 2009.

23. Transport Research Wing, (1997 & 2003), "Pocket Book on Transport Statistics in India", Ministry of Surface Transport, Government of India, New Delhi.

24. UNDP, 1998, "Unequal Impacts of Environment Damage", Human Development Report 1998, Oxford University Press, New York.

25. United Nations (2015). World Population Projections. The 2015 Revision. Volume I: Comprehensive Tables. New York: United Nations.

26. World Health Organization (2008), "Ten Facts on Climate Change and Health", Geneva

Role Of E-Governance In Indian Post Independence Era

Dr. Sangeeta Gupta*

Abstract - The term e governance comprises of two words i.e. E & Governance. The “e” in e-Governance stands for ‘electronic’. While Governance relates to safeguarding the legal rights of all citizens, an equally important aspect is concerned with ensuring equitable access to public services and the benefits of economic growth to all. It also ensures government to be transparent in its dealings, accountable for its activities and faster in its responses as part of good governance. Thus, e-Governance is basically associated with carrying out the functions and achieving the results of governance through the utilization of ICT (Information and Communications Technology). The idea of e-government has been little successful in developing countries like India because of several bottlenecks and constraints came across. In developing countries like India, where literacy level is very low and even most of the people are living below poverty line, people are not even aware about the benefits of e-Governance activities and people do not use Information and Communication technologies to a much extent, there exist a number of problems to implement e-Governance activities. This paper makes an effort to provide a framework for good governance in India by identifying its essential features and shortcomings in its innovative approaches like e-governance & highlights the main challenges related to the implementation of e-Governance in India.

Keywords- E-Governance, perspective, bottlenecks, implementation.

Introduction - The term e-Government came into existence with the advent of government websites in late 1990s. e-Governance or „electronic Governance” refers to the use of Information and Communication Technologies (ICTs) to provide citizens and organizations with more convenient access to the government’s services and information.

E Governance is slowly becoming a buzzword in the corridors of power. What actually then is E-Governance? Simply stated, the use of Information and Communication Technology in governance may be termed as E Governance. It has radically defined the way a government provides service to citizens, businesses and other arms of the government using the following delivery models:

1. Government to Citizen (G2C)
2. Government to Business (G2B)
3. Government to Government (G2G)
4. Government to Employees (G2E)

Besides fast delivery of services, internet technology brings more transparency to the governance and many benefits to the e-governance community. With the advent of Internet and related technology, the government services can be extended to all geographical segments in the country round the clock, all days in a year. In addition to better and fast monitoring of government tasks, e-governance generates more revenue through online delivery of services

Objectives of E-Governance

Following are the objectives/aims of E-Governance:

1. To build an informed society – An informed society is

an empowered society. Only informed people can make a Government responsible. So providing access to all to every piece of information of the Government and of public importance is one of the basic objective of E-Governance.

2. To increase Government and Citizen Interaction - In the physical world, the Government and Citizens hardly interact. The amount of feedback from and to the citizens is very negligible. E-Governance aims at build a feedback framework, to get feedback from the people and to make the Government aware of people’s problems.

3. To encourage citizen participation - True democracy requires participation of each individual citizen. Increased population has led to representative democracy, which is not democracy in the true sense. E-governance aims to restore democracy to its true meaning by improving citizen participation in the Governing process, by improving the feedback, access to information and overall participation of the citizens in the decision making.

4. To bring transparency in the governing process - E-governance carries an objective to make the Governing process transparent by making all the Government data and information available to the people for access. It is to make people know the decisions, and policies of the Government.

5 To make the Government accountable - Government is responsible and answerable for every act decision taken by it. E-Governance aims and will help make the Government more accountable than now by bringing

transparency's and making the citizens more informed.

6 To reduce the cost of Governance - E-Governance also aims to reduce cost of governance by cutting down on expenditure on physical delivery of information and services. It aims to do this by cutting down on stationary, which amounts to the most of the government's expenditure. It also does away with the physical communication thereby reducing the time required for communication while reducing cost.

7 To reduce the reaction time of the Government - Normally due to red-tapism and other reasons, the Government takes long to reply to people's queries and problems. E-Governance aims to reduce the reaction time of the Government to the people's queries and problems, because these problems are basically Government's problems as Government is for the people.

Objectives Of The Study - This literature review was aimed at discussing advantage, disadvantage, challenges and future prospects of E-Government implementation in Indian scenario.

Methodology - The information used to compile this paper was mainly obtained from several literatures. These include journal articles, seminar and conference papers, empirical studies, books, Internet websites, blogs and United Nations reports

Findings Of The Study - This paper signified the benefits, problems, challenges and suggestions for future prospectsof E-Government implementation in Indian perspective respectively.

Benefits of E-Governance - There are several advantages which come forth with E-Government implementation which have been discussed in various literatures. Some of these advantages are discussed below in this paper: improved efficiency, cost reduction and savings; time saving; better communication facilitation between governments with businesses and citizens; online access of services; transparency and less bureaucracy and e-participation.

Transparency, Accountability and Reduced Corruption - Dissemination of information through ICT increases transparency, ensures accountability and prevents corruption. An increased use of computers and web based services improves the awareness levels of citizens about their rights and powers. This helps to reduce the discretionary powers of government officials and curtail corruption.

Fast, Convenient and Cost Effective Service Delivery - With the advent of e-Service delivery, the government can provide information and services at lesser costs, in reduced time and with greater convenience

Improved efficiency, cost reduction and savings- One of the advantages of E-Government is that of improving the efficiency of the current system of paper work. It reduces the need for man power of dealing with bulk of paper based work.

Better communication facilitation between businesses, citizens with governments - Another advantage which

comes forth with implementing E-Government would be facilitating better communications between governments with citizens and businesses (MSG, 2008). An example of that is E-Procurement, which facilitates G2G and B2B communication; this will permit businesses to compete for government contracts. Thus, creates an open market and stronger economy, hence improving the interaction between government and business

Transparency and Less Bureaucracy - When official policies and legislation are uploaded on the Internet, it is easier for analysts and the general public around the country to evaluate and debate government decisions. This guarantees a level of transparency and freedom of information, effectively preventing corruption. In addition, E-Governance means less bureaucracy, as digital information can move instantly from one liable office to another, without the need to wait for paper documents.

Online access of services - E-Government helps simplify processes and makes access to government information programmes and services easier for public sector agencies and citizens. Citizens are able to interact with government when they want to and from anywhere they choose without the necessity for physical travel to government offices and agents

E-participation - E-Government promotes a better life characterized by representative and participative democracy, transparent, open and collaborative decision making, close relation and interaction between government, business and citizens. E-Government has a possibility of increasing honesty, efficiency and effectiveness and accountability between the government and the citizens. Increased accessibility to information has empowered the citizens and has enhanced their participation by giving them the opportunity to share information and contribution implementation of initiatives

Disadvantages of E-Government - In spite of the several advantages gathered from successful e-government implementation, there is also an infinite of disadvantages. Some of these disadvantages are briefly discussed in this paper below and includes: lack of equality in public access to the internet, Lack of trust and cyber-crime, Hyper-surveillance, false sense of transparency and accountability and Costly Infrastructure

Lack of Trust and Cyber Crime - Even though the level of confidence in the security offered by government web sites are high, the public are still concerned over security, fear of spam from providing email addresses, and government retention of transaction or interaction history (Ngulube, 2007). Similarly Varros (2013) posits this too that, despite the efforts of government agencies to ensure the safety of citizens personal data, e-governance websites are still liable to attack from hackers. Personal data can be exposed and there is less trust to how the information is kept secure and whose hands it lands on.

Lack of equality in public access to the internet - Studies have shown that there is potential for a reduction in the

usability of government online due to factors such as the access to Internet technology and usability of services and the ability to access to computers (MSG, 2008). Thus, literacy of the users and the ability to use the computer. There are users who are illiterate (do not know how to read and write), who would need assistance. An example would be the elderly (senior citizens).

False Sense Of Transparency And Accountability - Those against E-Government argue that online governmental transparency is dubious because it is maintained by the governments themselves. Information can be added or removed from the public eye. To this day, very few organizations monitor and provide accountability for these modifications.

Hyper surveillance - Even though developing countries attempt to improve public services through E-Government implementation, they also turn to increase control over people through E-Government.

Costly Infrastructure - An efficient e-government system requires all citizens or at least the vast majority to have access to the Internet. Therefore, Internet-enabled devices, hardware such as routers, and a connection infrastructure are essential to connect to government websites. Additionally, public sector agencies need advanced servers and security systems to cope with vast amounts of information and fire walls for complex cyber threats. All these requirements constitute a costly investment, far beyond the reach of less developed economies.

Challenges for e-government implementation- There are a large number of obstacles in implementation of e-Governance in India. These can be categorized under the following titles: Environmental and Social Challenges, Economical Challenges and Technical Challenges. These challenges are explained below:

A. Environmental and Social Challenges

i) Different Language: India is a country where people with different cultures and different religions live. People belonging to different states speak different languages. The diversity of people in context of language is a huge challenge for implementing e-Governance projects as e-Governance applications are written in English language. And also, English may not be understandable by most of the people.

ii) Low Literacy: Literacy can be defined as the ability to read and write with understanding in any language. A person who can merely read but cannot write cannot be considered as literate. Any formal education or minimum educational standard is not necessary to be considered literate. Literacy level of India is very low which is a huge obstacle in implementation of e-Governance projects. Illiterate people are not able to access the e-Governance applications; hence the projects do not get much success.

iii) Low IT Literacy: Much of the Indian people are not literate and those who are literate, they do not have much knowledge about Information Technology (IT). Most of the people in India are not aware about the usage of Information Technology. So, in India, having such low level of IT literacy,

how can e-Governance projects be implemented successfully? We can say that IT illiteracy is a major obstacle in implementation of e-Governance in India. So, first of all Indian people must be made aware about the usage of Information Technology.

iv) Recognition of applications: Recognition of the e-Governance facilities by the citizens is another huge challenge. It is a challenge to have all the citizens well aware of the facilities offered by the e-government and have them to trust in it, so that citizens should be ready to accept these facilities.

v) User friendliness of government websites: Users of e-Governance applications are often non-expert users who may not be able to use the applications in a right manner. Such users need guidance to find the right way to perform their transactions. Therefore, government websites must be user friendly so that more and more people can use them easily. Hence, these websites can be more effective. If government websites will be designed in an easier format only then these will be more usable for the users who are not expert users of IT.

vi) Services are not accessible easily: The concept of e-Governance is claiming for increased efficiency and effectiveness of the government, but these goals will be achieved only if the service will be available to the 100% of the citizens. So, every service should be accessible by anybody from anywhere and anytime. Even if the users of Internet are growing but still there is a major part of Indian population which is not able to access e-Governance activities for variety of reasons, e.g. some people may have limited access to Information and Communication Technologies and devices

vii) Confidence on technologies provided by government: The implementation of public administration functions via e-Government requires that the user must be confident and comfortable while using the technology. He must also trust that technology that he/she is interacting with. Even the government should provide the measures so that the users can trust the technology provided to them. The government has to make a balance between ensuring that a system prevents fraudulent transactions and the burden that extensive checks can take place on people who are honest.

viii) Separation: The separation that exists between the individuals, communities and businesses that have access to Information Technology and those that do not have such access. Economic poverty is closely related to the limited information technology resources. People who are living below poverty line cannot afford a computer and internet connection for themselves to take the benefits of the e-Government and other on-line services. Economic poverty is not the only cause of this separation; it may also be caused by the lack of awareness among the people. In India even some of the economically stable people do not know about the scope and services of e-Governance. Indian government has to take some actions to narrower this

separation to effectively implement the e-Governance projects.

ix) Struggle to Change: The struggle to change phenomenon can explain much of the hesitation that occurs on the part of the constituents in moving from a paper-based to a web-based system to interact with government.

Citizens, employees and businesses can all have their biases with respect to how transactions should be processed. Government entities and public policy administrators cannot ignore the changes that occur as a result of the implementation of the ICT. Education about the value of new system is one step towards reducing some of this struggle.

x) Population: Population of India is probably the biggest challenge in implementing e-Governance projects. As population is considered to be an asset to the country but it also offers some other challenges e.g. establishing person identities. There is no unique identity of individuals in India although Indian government is making efforts for providing unique identity to its citizens. Apart from this, measuring the population, keeping the database of all Indian nationals and keeping this database updated and then providing the e-governance services to the whole population are major challenges.

xi) Lack of integrated services: Most of the e-governance services which are offered by the state or central government are not integrated. Lack of communication between different departments of government may be its major cause. Therefore, the information that resides within one department has no or very little meaning to some other department of the government.

xii) Lack of awareness in people: Most of the Indian people are not aware of the benefits of e-Governance services. Even the government does not pay much attention to make the people aware about e-Governance activities. Unawareness is a major challenge in the implementation of e-Governance projects.

B. Economical Challenges

i) Cost: In developing countries like India, cost is one of the most important obstacles in the path of implementation of e-Governance where major part of the population is living below poverty line. Even the politicians do not have interest in implementing e-Governance. A huge amount of money is involved in implementation, operational and evolutionary maintenance tasks. These costs must be low enough so that to guarantee a good cost/benefit ratio.

ii) Applications must be transferable from one platform to another: e-governance applications must be independent from hardware or software platforms. Therefore, these applications can be used at any platform irrespective of the hardware or software and from one platform to the other platform. These applications may also help on possible reuse by other administrators.

iii) Maintenance of electronic devices: As the Information Technology changes very fast and it is very difficult for us to update our existing systems very fast. Regulations of

different devices and their different characteristics may vary and the system in use must be capable to handle all the emerging needs. Maintenance is a key factor for long living systems in a rapidly changing technical environment.

iv) Low per Capita income: Per capita income means how much each individual receives, in the terms of money, of the yearly income generated in a country. This refers to what each individual receives if the yearly national income is divided equally among everyone. Per capita income of India is low as compare to the other countries. Therefore, people cannot afford on-line services provided by the government which is a challenge for implementation of e-governance.

v) Limited financial resources: The Gross Domestic Product (GDP) is one of the measures of national income and a country's economy. GDP is defined as the total market value of all final goods and services produced within the country in a given period of time. GDP of a country is the measure of its financial strength. India has limited financial resources so as to implement and maintain the e-Government projects properly.

C. Technical challenges

i) Interoperability: Interoperability is the ability of systems and organizations of different qualities to work together. The e-Governance applications must have this characteristic so that the newly developed and existing applications can be implemented together.

ii) Scale of applications: e- Governance projects have to be designed to scale from the day one. e-Governance is supposed to affect every citizen of the country, so e-Governance applications must have the scale to interface with every citizen.

iii) Multimodal Interaction: Multimodal interaction provides the user with multiple modes of interfacing with a system. An e-Government application can be really effective if its users can access it using different devices.

iv) Privacy and Security: A critical obstacle in implementing e-Governance is the privacy and security of an individual's personal data that he/she provides to obtain government services. With the implementation of e-government projects, some effective measures must be taken to protect the sensitive personal information of the people. Lack of security standards can limit the development of e-Government projects that contain personal information such as income, medical history etc.

v) Scope of applications: The very first step in creating a good application is to define its scope very well and everything else comes later. The applications which are provided by e-Government, their scope must be known in advance for the accurate implementation of e-Governance projects.

vi) Tried and tested technologies: Technology tends to get out of date very fast. Our government may not be in position to buy new servers every year. So, it is better and safer to use technologies and products which are tried and tested for longer periods of times than using the latest ones.

vii) Geographical problems: Corporate networks reside on reliable and controlled networks. Government networks have to go into all areas which are even unfriendly to live. It is, however, costly to wire up all the villages in the country. So, e-Governance systems must have to use the wireless networks like existing cellular networks to reach the applications into remote areas irrespective of the geographical issues.

viii) Local language: The acceptance of English language in India is very low. The e-governance applications are written in English. That is why e-Governance projects do not get success. Hence, the e-governance applications must be written in local language of the people so that they may be able to use and take advantage of these applications.

E-Governance and their implementation - The awareness level of the potential of ICTs was extremely low among both proposed providers and targeted beneficiaries And delivery infrastructure was weak. It is suggested that long term benefits are to be kept in mind while developing e-governance projects & It will be better if more accountability and time of processing features be added while developing E-Governance projects. Some more suggestions are -

i. Enhancing citizen awareness: Citizen awareness about the potential of ICT should be enhanced. Citizen access to government information/services must increased rather than further divide the digital divide.

ii. Upgrading Skills: There is urgent need to upgrade the IT skills of government employees. Employees must be effectively trained before introducing desired changes in work process in government departments. Above all it must be ensured that trained specialists are on hand to provide support for users of ICT-based systems and services. A major cultural change is required among employees in government citizen dealings.

iii. Common Standards: All states/ union territories must be adopt common standards to ensure creation and optimum utilization of government databases for nationwide citizen-related services.

iv. Technology evaluation: Common evaluation methodology must be evolved for hardware and software selection to derive maximum benefit from investment. Technological obsolescence must be factored in while planning and implementing ICT applications.

v. Experience sharing: Continuous experience sharing between state and union territory governments on projects so as to avoid reinventing the wheel .

vi. Security: Transactional security must be given priority to ensure that internet use is safe, seamless and crisis free.

vii. Reliable infrastructures: Sufficient resources must be allocated to build a reliable ICT infrastructure to avoid breakdown of services. Cementing public-private partnerships to supplement government efforts must be considered.

Future Prospects of E-Governance in India:

1. To deliver all Government services in electronic mode so as to make the Government process transparent, citizen centric, efficient and easily accessible.
2. To break information silos and create shareable resources for all Government entities c. To deliver both informational and transactional government services over mobiles and promote innovation in mobile governance
3. To build Shared Service Platforms to accelerate the adoption of E-Governance and reduce the cycle time of E-Governance project implementation
4. To strengthen and improve sustainability of the existing projects through innovative business models and through continuous infusion of advanced technology
5. To promote ethical use of technology and data and to create a safe and secure E-Governance cyber world
6. To create an ecosystem that promotes innovation in ICT for Governance and for applications that can benefit the citizens
7. To better target the delivery of welfare schemes of the Central and State Governments
8. To reduce asymmetry in information availability, accessibility and ability to utilize the information
9. To increase the all round awareness and create mechanisms that promotes and encourages citizen engagement.
10. To make available as much data as possible in the public domain for productive use by the citizens.

Conclusion - We have seen how the concept of e-governance has evolved in Indian scenario and how much it is required for transparency and accountability on the part of government and at the same time it is also a toll to increase the participation of people in policy making by empowering them with the right information at right time. There are various challenges, benefits and demerits for the implementation of e-government in India. These challenges are like low literacy, lack of awareness, low broadband penetration, lack of system integration within a department, and all other reasons. A vision is required to implement the e-government in India. To meet the vision the challenges in the implementation of e-government should be overcome. Then the environment needs to be developed for the effective implementation of e-government in India. But in spite of all challenges India has number of award winning e-governance projects. With the rapid explosion of internet technology in the world in the last few years there is need to think where we will be and we want to be in the future. With the time grows new technology will come and develop at a rapid pace. The countries that are faster in adopting the technology have started reaping the benefits already. At the same time the government managers should quickly learn to use technology-fueled management tools for administrative efficiency and use them for a more value added service to the citizen. Despite the success of the project and the bright future, the e-governance initiative face several hindrances like delay in

project implementation, spiraling cost, financial feasibility and financial sustainability along with technical bottlenecks and Integration with Government departments and states. Lack of education and trust add it to further difficulty.

Therefore we can say that e-Governance is the key to the “Good Governance” for the developing countries like India to minimize corruption, provides efficient and effective or quality services o their citizens

References:-

1. Bhatnagar Subhash (2004), e-government from vision to implementation, sage publications, New Delhi.
2. Dey, Bata K. (2000), “E-governance in India: Problems, Challenges and Opportunities – A Futures Vision”, Indian Journal of Public Administration, Vol. XLVI, No. 3.
3. Diwedi S.K., Bharti A.K. “E-GOVERNANCE IN INDIA – PROBLEMS AND ACCEPTABILITY, Journal of Theoretical and Applied Information Technology available at www.jatit.org.
4. E-Readiness Ranking 2012, The Global Information Technology Report 2012 by Economist Intelligence Unit.
5. E-Readiness rankings 2009 The usage imperative A report from Economist intelligence unit.
6. Fahnbulleh, N. (2005). The future of electronic government. *Futurics*, 29(1/2), 7-12.
7. Freeman, C. (1993). Technical change and future trends in the world economy. *Futures*, 25(6),621-635.
8. Gilbert, D., Balestrini, P., & Littleboy, D. (2004). Barriers and benefits in the adoption of e-government. *The International Journal of Public Sector Management*, 17(4/5), 286-301.
9. Jack A. Nickerson , Barton H. Hamilton , Tetsuo Wada “Market Position, Resource Profile, and Governance: Linking Porter and Williamson in the Context of International Courier and Small Package Services in Japan, , *Strategic Management Journal*, 22, 3 (2001): 251-273.
10. O’Brien J.M (2001).Canada/US awakening to e-government adoption. *Technology in Government*, Willowdale, 8(4),16-19
11. Rhoda C Joseph and David P. Kitlan Key issues in E-Government and Public Administration
12. Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of innovations* (4th ed.). New York: The Free Press.
13. Servon, L. (2002). *Bridging the digital divide: Technology, community and public policy*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
14. Sharon Dawes (e)Governance: a research framework for an uncertain future LOG-IN Africa June 2008
15. Subhash Bhatnagar, Introduction –Colloquium on Impact Assessment of e-Governance Projects: A Benchmark for the Future’, *VIKALPA*, Vol. 33, No. 4, Indian Institute of Management, Ahmedabad, October-December 2008.
16. Wong, K. F., Tam, M. K. W., & Cheng, C. H.(2006). E-government — A Web Services framework. *Journal of Information Privacy & Security*, 2(2), 30-50.
17. Vakul Sharma, Law and E-Governance in International Conference building effective e-Governance 2002
18. Intranet in Tribal District of Dhar StateGovernment of Madhya Pradesh[<http://www.gyandoot.nic.in/>]
19. E-Governance at Regional Transport Officesin Tamil Nadu,2007, National InformaticsCentre Tamil Nadu State Centre[<http://www.tn.nic.in/tnhome/projectfiles/ brochure-transport.pdf>]
20. Kochhar, S. & G. Dhanjal 2004. Fromgovernance to e-governance: An initialassessment of some of India’s best projects,Technical Report, New Delhi: Skoch Consultancy Services.

मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति

जिन्या रानी मरकाम *

शोध सारांश - स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क निवास करता है। मानव के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव उसकी कार्यक्षमता एवं कौशल पर पड़ता है। मानव की हर क्रियाकलाप, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सक्रियता आदि स्वास्थ्य पर निर्भर है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकता है, विकास में अपना योगदान दे सकता है तथा विकास के लाभों का उपयोग करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है।

शब्द कुंजी- वेक्टर-जनित रोग, मलेरिया, डेंगु, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया तथा काला- अजार एवं जापानीज इन्सिफेलाइटिस, सर्वेलेन्स, फैल्सीपेरम, कीटनाशी, लार्वाभक्षी मछली।

प्रस्तावना - वेक्टर-जनित रोग ऐसे रोग हैं, जो मच्छरों, किलनी (टिक या चिचड़) एवं घुन कीड़े, मरुकक्षिका और मानव आबादी में काली मक्खियाँ आदि वेक्टर के कारण होते हैं। इन रोगों के वितरण को पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के एक जटिल गतिशीलता द्वारा निर्धारित किया जाता है। पर्यावरणीय रोगों को उत्पन्न करने में भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर आक्रमण करते हैं। शोध अध्ययन में वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत राज्य में मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है। यह वेक्टर जनित वायरल रोग एडीस एजिप्टी नामक मच्छर के माध्यम से फैलता है। वेक्टर जनित रोग में मलेरिया, डेंगु, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया तथा काला-अजार एवं जापानीज इन्सिफेलाइटिस आदि रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य में चलाये जा रहे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम या मलेरिया रोधी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को विलय करके वर्ष 2003-2004 में शुरू किया गया। जापानीज इन्सिफेलाइटिस (जेई) और डेंगु/ डीएचएफ को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (एनवीबीडीसीपी), वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है।

अध्ययन क्षेत्र : मध्यप्रदेश राज्य भारत के राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्यप्रदेश का गठन वर्ष 1956 में तथा पुनर्गठन (वर्तमान स्वरूप) 1 नवम्बर वर्ष 2000 में हुआ था। मध्यप्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 308,245 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38 प्रतिशत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। यह पाँच राज्यों-पूर्वोत्तर में उत्तरप्रदेश, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। राज्य में कुल 52 जिले, 10 संभाग, 342 तहसीलें, 313 विकासखण्ड, 476 नगर एवं 54,903 ग्राम स्थित हैं। यह राज्य भारत के मध्य में 21°6' से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा 74°9' से 82°48' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी है, जो विंध्य और सतपुड़ा

पर्वतमाला के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का काम करती है। मध्यप्रदेश में सबसे ऊँची चोटी, धूपगढ़ (पंचमढ़ी) की है, जिसकी ऊँचाई 1,350 मीटर (4,429 फीट) है।

उद्देश्य :

1. राज्य के वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण कार्यक्रम का अध्ययन करना।
2. राज्य में विभिन्न वर्ष में कुल मलेरिया पॉजीटिव मरीजों एवं रक्तपट्टी के संग्रहण का अध्ययन करना।

आँकड़ों का संकलन एवं विधितंत्र : अध्ययन क्षेत्र में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अध्ययन के लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। जिसमें वेक्टर जनित रोग एवं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संबंधित वेबसाइट, मलेरिया विभाग, भोपाल, भारत जनसांख्यिकीय पुस्तिका, सेंसस पुस्तिका, मध्यप्रदेश एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि से प्राप्त किये गए हैं। इनके माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का सारणीयन, वर्गीकरण कर प्रयोग कर विश्लेषण किया है।

अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम : अध्ययन क्षेत्र के सभी 52 जिलों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन मलेरिया इकाइयों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत औषधि भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जा रही है। शासन द्वारा मलेरिया नियंत्रण कार्य को प्राथमिकता में लिया गया है। मलेरिया के नियंत्रण हेतु सर्वेलेन्स कार्य, छिड़काव कार्य, बुखार उपचार केन्द्र की स्थापना एवं लार्वाभक्षी मछली का जलस्रोतों में संचय करने को प्राथमिकता दी गई है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों की सूची निम्नलिखित है :

1. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम
2. डेंगु/चिकुनगुनिया नियंत्रण कार्यक्रम
3. फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
4. काला-अजार एवं जापानीज इन्सिफेलाइटिस

राज्य में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्य एवं उपाय : राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यों के अंतर्गत

मलेरिया नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्य एवं उपाय निम्नलिखित हैं-

1. सर्वेलेन्स कार्य-इसके अंतर्गत बुखार के रोगियों के रक्त की जाँच हेतु रक्तपट्टी बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। राज्य में माह जनवरी वर्ष 2016 तक 92.18 लाख रक्तपट्टी बनाने का लक्ष्य के विरुद्ध 91.15 लाख रक्तपट्टी बनाई गई, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 98.88 प्रतिशत है। इनकी जाँच में 67 हजार 736 मलेरिया के रोगी पाये गये हैं, जिन्हें उपचार दिया गया। राज्य में वर्ष 2009 से 2016 तक रक्तपट्टी बनाने का लक्ष्य व उपलब्धि निम्नानुसार हैं-

तालिका क्रमांक : 1.1 मध्यप्रदेश : रक्तपट्टी बनाने का लक्ष्य व उपलब्धि (लाख में)

क्र.	वर्ष	रक्तपट्टी संग्रहण	रक्तपट्टी संग्रहण लक्ष्य
1	2009	95.98	89.86
2	2010	92.23	91.71
3	2011	94.67	89.59
4	2012	95.80	92.56
5	2013	97.57	94.41
6	2014	102.38	96.03
7	2015	89.58	93.43
8	2016	91.15	92.18

स्रोत:-मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, 2010-2016

मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2010 से वर्ष 2016 तक कुल मलेरिया प्रकरण एवं उनमें फैल्सीपेरम मलेरिया प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है-

तालिका क्रमांक : 1.2 मध्यप्रदेश राज्य : कुल मलेरिया पॉजीटिव एवं फैल्सीपेरम मलेरिया की स्थिति

क्र.	वर्ष	कुल पॉजीटिव मलेरिया	फैल्सीपेरम मलेरिया
1	2010	87165	30363
2	2011	91851	32639
3	2012	76538	24039
4	2013	78260	28775
5	2014	97149	41626
6	2015	97053	37506
7	2016	97736	21927

स्रोत:-मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, 2012-2016

2. आरोग्य केन्द्र पर बुखार के उपचार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक ग्राम में शीघ्र खोज एवं त्वरित उपचार के बुखार के मरीज के उपचार हेतु ग्राम आरोग्य केन्द्र पर व्यवस्था की जाती है, जहाँ संभावित मलेरिया के मरीज की रक्तपट्टी बनाकर तथा रैपिड किट द्वारा मलेरिया की निशुल्क जाँच की जाती है एवं आवश्यक उपचार दिया जाता है।

3. कीटनाशी छिड़काव का कार्य : वर्ष 2016 में मलेरिया से अधिक प्रभावित वाले क्षेत्रों 38 जिलों की 49 लाख जनसंख्या को कीटनाशी दवा के छिड़काव से संरक्षित किया गया है। कीटनाशी दवा अल्फासाइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत म.प्र. शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जबकि डी.डी.टी. 50 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। राज्य में कीटनाशी छिड़काव की स्थिति वर्ष 2011 से 2016 तक निम्नानुसार है :

तालिका क्रमांक : 1.3 मध्यप्रदेश : कीटनाशी छिड़काव की स्थिति (जनसंख्या लाख में)

क्र.	वर्ष	जिलों की संख्या	कीटनाशी छिड़काव से संरक्षित जनसंख्या
1	2011	31	45.00
2	2012	32	49.52
3	2013	33	46.00
4	2014	34	47.36
5	2015	34	46.00
6	2016	38	49.00

स्रोत:-मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, 2011-2016

4. मच्छर दानियों का वितरण : वर्ष 2010 में राज्य शासन द्वारा मण्डला, बालाघाट एवं सीधी जिले को 1.03 लाख मच्छरदानी प्रदाय की गयी थी, ये मच्छरदानियाँ कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित थी। मध्यप्रदेश को वर्ष 2011 में भारत सरकार से 7,07,540 एल.एल.आई.एन (लांग लॉस्टिंग इम्प्रोव्हेटेड नेट्स) मच्छरदानी प्राप्त हुई थी, जिनका वितरण 8 जिलों- अलीराजपुर, मण्डला, डिण्डोरी, बैतुल, धार, शहडोल, छिन्दवाड़ा एवं सीधी के अत्यधिक मलेरिया प्रभावित ग्रामों में किया गया था। अतः वर्ष 2011 के बाद राज्य शासन द्वारा मच्छरदानियों के वितरण को लगभग बंद कर दिया गया।

5. जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) उपाय : मलेरिया नियंत्रण के उपायों में जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) पद्धति भी अपनाई गई है, जिसमें लार्वाभक्षी मछलियों गम्बूसिया एवं गप्पी को अस्थायी एवं स्थायी जलस्रोतों में संचित किया जाता है। ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती है। राज्य में लार्वाभक्षी मछलियों को जलस्रोतों में संचयन करने का लक्ष्य 70 लाख रखा गया है। राज्य में वर्ष 2010 से 2015 तक लार्वाभक्षी मछली के संचयन की उपलब्धि निम्नलिखित है :

तालिका क्रमांक : 1.4 मध्यप्रदेश राज्य : लार्वाभक्षी मछली के संचयन की उपलब्धि (संख्या लाख में)

क्र.	वर्ष	मछली संचयन की उपलब्धि
1	2010	52.00
2	2011	55.00
3	2012	38.00
4	2013	66.00
5	2014	54.86
6	2015	49.03

स्रोत : मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, 2010-2015

6. मलेरिया माह जून : राज्य में जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शनियों व रैलियों का आयोजन, मलेरिया रथ का भ्रमण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पंचायत स्तर पर एडवोकेसी कार्यशाला, आकाशवाणी से प्रसारण, समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन तथा अन्य प्रसार-प्रचार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

राज्य में डेंगू/चिकुनगुनिया प्रकरणों की जाँच की व्यवस्था : भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 4 मेडिकल कॉलेज, 21 जिला चिकित्सालय, 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, 1 मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भोपाल, 1 राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर एवं जिला मलेरिया लेबोरेटरी भोपाल सहित

29 सेंटीनल साईट्स की स्थापना डेंगू की मेक एलाएजा किट द्वारा जाँच हेतु की गयी है। इसके अतिरिक्त 6 जिला चिकित्सालय भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम में प्लेटलेट सेप्रेटर एफ्रेसिस मशीन की व्यवस्था है।

तालिका क्रमांक : 1.5 मध्यप्रदेश राज्य : डेंगू एवं चिकुनगुनिया रोग के प्रकरण (2009-2016 तक)

क्र.	वर्ष	डेंगू रोगी	चिकुनगुनिया रोगी
1	2009	1467	5
2	2010	192	53
3	2011	54	156
4	2012	230	11
5	2013	1255	12
6	2014	2176	78
7	2015	2108	11
8	2016	3150	862

स्रोत : मध्यप्रदेश निर्देशालय प्रतिवेदन रिपोर्ट 2010-16

राज्य में डेंगू/चिकुनगुनिया बीमारी के नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही :

1. ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला स्तर तक बुखार की जानकारी भेजने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अंतर्गत 500 से 1000 की आबादी में एक सप्ताह की अवधि में बुखार के 5 से अधिक मरीज पाये जाने पर ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सूचना दी जायेगी व आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक उपाय किये जायेंगे।
2. प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव हेतु कीटनाशी टेमोफॉस एवं धुँआ अभियान हेतु पेटाथ्रम की उपलब्धता जिलों पर कराई गई है।
3. जिला स्तर पर जननी कॉल सेंटर को इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर में परिवर्तित किया गया है, इसके माध्यम से सभी बीमारियों की आउटब्रेक की रिपोर्ट प्रतिदिन प्राप्त होती है एवं त्वरित रूप से नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।
4. जिलों में त्वरित नियंत्रण की कार्यवाही हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है।
5. मलेरिया तथा मच्छरों से उत्पन्न अन्य बीमारियों के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नगर पालिका परिसर/नगर पंचायत उपविधियाँ 1999 के क्रियांवयन हेतु जिलों के

जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है। इसके अंतर्गत घरों में मच्छरों की उत्पत्ति पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रूपये 500/- अर्थदण्ड देने के अधिकार है।

राज्य में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम : भारत सरकार ने वर्ष 2015 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस के दिन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाता है। वर्ष 2004 में 9 जिलों में एवं वर्ष 2005 से निरंतर 11 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के अंतर्गत 2 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को डी.ई.सी. गोली का सेवन कराया जा रहा है। वर्ष 2015 में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 को फाइलेरिया प्रभावित 10 जिलों की 146.74 लाख जनसंख्या को एम.डी.ए. के अंतर्गत डी.ई.सी. व एल्बेडाजोल गोली का सेवन कराया गया है।

राज्य में काला-अज़ार एवं जापानीज इन्सिफेलाइटिस : प्रदेश में काला-अज़ार का मात्र एक संभावित प्रकरण वर्ष 2008 में खरगोन जिले में दर्ज हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। प्रदेश में जापानीज इन्सिफेलाइटिस का कोई भी प्रकरण अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

निष्कर्ष : कई वेक्टर जनित रोग आर्थोपोड्स (मच्छर, किलनी (टिक्स), घुन) के द्वारा संचारित होते हैं, तथा भारत में मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया, काला-अज़ार के नाम से व्याप्त है। ये रोग जन स्वास्थ्य के लिए गम्भीर समस्या बन गये हैं। राज्य में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए शासन द्वारा सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जिनमें होर्डिंग्स, बैनर, माईकिंग, नुक्कड़ नाटक आदि एवं समाचार, पत्रों में विभागीय संदेशों के माध्यम से प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ निरंतर की जा रही हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य केबल चैनलों के माध्यम से वेक्टर जनित रोगों से बचाव, उपचार एवं रोकथाम बाबत जानकारी दी जाती है। इन रोगों के निवारण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सामाजिक के सभी स्तरों पर लागू किया गया है, और आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सिंह यू.बी. स्वास्थ्य भूगोल, राजीव प्रकाशन, मेरठ पृ.सं. 99-103
2. सेंसस ऑफ इण्डिया मध्यप्रदेश, 2011
3. सूचना और प्रचार निदेशालय, मध्यप्रदेश-1964
4. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, प्रतिवेदन रिपोर्ट, 2010-2015
5. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय, प्रतिवेदन रिपोर्ट, 2016

वेदों में मानवीय तत्व एवं वैश्विक अवधारणा

डॉ. उषा नागर*

शोध सारांश - मानव सभ्यता के आरम्भ में दृष्टा ऋषियों ने जीवनोपयोगी समस्त ज्ञान को वेदों में प्रकाशित किया है। वैदिक वाङ्मय समान रूप से वैदिक आर्यों के सांस्कृतिक जीवन का भी परिचायक है। द्युलोक को पिता और पृथिवी को माता मानने वाले वैदिक ऋतों ने अपने को विशाल विश्व का अधिवासी माना है। यथा-

द्योर्मे पिता जनिता नाभिस्त्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् । (ऋग्वेद 1.164.33) .

वैदिक स्तोत्रों के देवताओं का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी है। उनकी प्रार्थनाएँ सार्वभौम और सार्वकालिक हैं। विश्वव्यापी आधार पर धार्मिक चिन्तन करने के कारण विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की उदात्ता भावनाओं से ओत प्रोत वैदिक मंत्रों में मानव मात्र के लिए सौहार्द, मित्रता, समानता, संगठन और सहायक की भावनाओं का पाया जाना स्वाभाविक है। वैदिक समाज समत्व का पोषक था। वेदों में कहीं पर भी एक विशेष धर्म या सम्प्रदाय को ध्यान में रखकर उपदेश नहीं दिया गया है वरन् स्थान-स्थान पर सम्पूर्ण मानव वर्ग या प्राणिमात्र के हित साधन का उपदेश है। यही कारण है, कि वेद की शिक्षाएँ आज भी पूर्ववत् कल्याणकारी हैं एवं मानवीयता से ओत प्रोत हैं। 'ऊँ सहनाववतु सह नौभुनक्तु, सह वीर्यं करवा है॥ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाव है। ऊँ शान्ति, शान्ति, शान्ति: ॥'

शब्द कुंजी - सभ्यता, ऋषियों, विश्वव्यापी, बंधुत्व, ऋग्वेद, समत्व।

अध्ययन के उद्देश्य- वेदों में मानवीय तत्व विषयक जानकारी प्राप्त करना।

प्रस्तावना - वेदों में मानवीय जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए जिन उच्च पदों और उदात्ता मनोभावों की महत्ता को स्वीकार किया था, उनमें सर्वाधिक महत्त्व है-राष्ट्रशक्ति एवं समानता की भावना अर्थात् दूसरों के साथ में ही अपने सम्पादन की भावना। यह भावना सामाजिक जीवन का प्राण स्वरूप है यथा-ऋग्वेद के मरुत देवता के दो मंत्रों में मानवीय समत्व का प्रतिपादन है-

**ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उदिभदोद्यमध्यमासो महसा वि वावृधुः ।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ वो अच्छा जिगातन ॥
(ऋग्वेद 5.59.6)**

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय॥ (ऋग्वेद 5.60.5)

अर्थात् सब मनुष्य समान हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई मध्यम नहीं। ये सभी अपनी शक्ति से ऊपर उठते हैं। महत्वाकांक्षा से बढ़ते हैं ये जन्म से कुलीन, दिव्य, मर्त्य है दूसरे मंत्र में कहा गया है कि इन मनुष्यों में जन्म से न कोई बड़ा है, न छोटा। सब सम्यक् भाव को धारण करते हुए ऐश्वर्य और उन्नति के लिए मिलकर प्रयत्न करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सभी समान हैं तो द्वेष और भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है।

वेदों में मानवीय समत्व की अवधारणा - समष्टिभावना का अर्थ है दूसरों के साथ में ही अपने हित के सम्पादन की भावना। यह भावना सामाजिक जीवन का प्राण है। जहां वेदोत्तर काल में विकसित हिन्दू धर्म में वैराग्य, सन्यास और मुक्ति के सिद्धान्तों के कारण प्रायः चिन्तन का केन्द्रबिन्दु व्यक्ति हो गया है, वहीं वैदिक धर्म का मूलभूत मौलिक सिद्धान्त यही समत्व की भावना रही है। इस सम्बन्ध में दर्शनीय है की अधिकतर वैदिक प्रार्थनाएं बहुवचन में हैं, जैसे- 'यद् भद्रं तन्न आ सुव' (यजु0 30.3) 'धियो यो नः

प्रचोदयात् (यजु 3.35)।' सामूहिक रूप से शान्ति की कामना की गई है- 'नः शर्म यच्छ' (ऋ0 1.114.10)। विभिन्न देवों से मंगल, सुख, कल्याण और शान्ति की सामूहिक प्रार्थनाएं हैं। इसी प्रकार निर्भयता, निष्पापता, जय, सुमति, रक्षा, धन, गौ, आदि सम्पत्ति निरोगता आदि कई नैतिक और भौतिक अभीप्सित अलग-अलग देवताओं से सामूहिक रूप में चाहे गये हैं। अतः वैदिक आर्य सभी को समान रूप से उन्नत, सुखी व सम्पन्न देखना चाहते थे। सभी संहिताओं की प्रार्थनाओं में अधि कितर हम सबको या हम सबके लिए कहा गया है। इन उत्तम पुरुष बहुवचन प्रयोगों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की दृष्टि में समष्टिगत लाभ अपेक्षाकृत अधिक इष्ट रहा है। यही राष्ट्र शक्ति है। यहीं मानवीय तत्व है।

वैदिक समत्व की अवधारणा में उन मन्त्रों का पर्याप्त महत्त्व है, जिनमें सभी मनुष्यों या प्राणियों के माता-पिता के रूप में परमेश्वर या किसी देव विशेष का स्तवन किया गया है, यथा- 'त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा' ऋ0 8.98.21 अर्थात् हे इन्द्र स्वरूप परमेश्वर। तुम ही हमारे लिए पिता हो और तुम ही हमारे लिए माता हो। तथाह 'प्रजापतेः प्रजा अभूम ।' वा0सं0 9.21 अर्थात् हा सब प्रजापति की सन्तानें हैं। 'एव स नो बन्धुर्जनिता स विधाता' (वा0सं0 32.101 अर्थात् वही हमारा बन्धु, जनक और विधाता है। इसी परम्परा में वे मन्त्र भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें द्यौस को पिता और पृथिवी को माता कहा जाता है। विश्व कल्याण और राष्ट्रीय भावना का भी यही आधार है, जब माता पिता समान हैं, तो सन्ताने असमान कैसे हो सकती हैं।

मानवीय शक्ति व समत्व के प्रतिपादक सूक्त - वैसे तो मानवीय भावना को प्रतिपादन करने वाले वैदिक अंश वैदिक वाङ्मय में यंत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं तथापि मनुष्य मात्र में सद्भावना और सौहार्द का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले ऋक्संहिता और अथर्ववेदसंहिता के कुछ सूक्त संसार के सम्पूर्ण

साहित्य में अनुपम है। ये वैदिक उदात्त भावनाओं के। हृदयस्पर्शी निदर्शन है। 'ऋग्वेदसंहिता का संज्ञानम्' (ऋ० 10.192) नामक अन्तिम सूक्त सामाजिक उत्कृष्ट भावना का सुन्दर उपदेश देता है जैसे-दिव्य शक्तियों से युक्त देव परस्पर अविरोध भाव से अपने कार्यों को करते हैं। जैसे ही तुम लोग भी सृष्टि भावना से प्रेरित होकर एक साथ कार्यों में प्रवृत्त हो, एकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव में रहो। यह सूक्त वेद के समतापूर्ण, दृष्टिकोण का ज्वलंत उदाहरण है। इसमें सब जनों की क्रियाओं, गति, विचारों और मन बुद्धि के पूर्ण सामंजस्य की प्रेरणा दी गई है। सभी का एक सा कल्याणकारी दृष्टिकोण समाज की उन्नति का आधार है। यह सूक्त 'सामनस्यम्' नाम से अथर्ववेद संहिता (6.63 4, 6.64) में भी मिलता है।

राहुल सांकृत्यायन का विचार है कि ऋग्वेद का यह अन्तिम सूक्त आया के भीतर असमानता और वैमनस्यता को हटाने की इच्छा से बनाया गया है। अथर्ववेद संहिता में मानसिक एकता की महत्ता के निर्देशक सात सामंजस्य सूक्त हैं। (3.30, 5.1.5, 6.64, 3.73, 6.74, 6.94, 7.52)। इनमें पारिवारिक, सामाजिक और मानवीय स्तर पर सौहार्द्र और सद्भावना का प्रतिपादन किया गया है। इन हार्दिक और मानसिक समानता की आवश्यकता के साथ-साथ सहकारिता, सहिष्णुता और समान लक्ष्य को भी समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। समता भावना के माहात्म्य के प्रकाशक ये सूक्त उक्त भावना का अपेक्षित मुख्य आधारों और अंगों के मनोवैज्ञानिक धरातल पर अभिव्यंजक हान कारण वैदिक संस्कृति के अमल्य निधि हैं। इसके अतिरिक्त 'शिवसंकल्पसूप' (पी०स० 34, 1-6) भूमिसूक्त (अर्थ० 12.1) जैसे वैदिक सूक्तों में उन मनोभावों का वर्णन है, जो समानता एवं मानवता की भावना के समकक्ष हैं, तो कई दार्शनिक सूक्तों में इस भावना से उद्भूत और परिपुष्ट एकत्व या अद्वैतभाव का दिग्दर्शन होता है।

वैदिक सामाजिक समत्व के तत्व - वैदिक मन्त्रों में शूद्रों सहित समस्त वर्णों के प्रति समत्व बुद्धि और हित भावना का वर्णन मिलता है- 'हमारे ब्राह्मणों को प्रकाशित करो, क्षत्रियों को प्रकाशित करो, वैश्यों को प्रकाशित करो, शूद्रों को प्रकाशित करो और प्रकाश से मुझे प्रकाशित करो।' इसी प्रकार प्रार्थना है- 'मुझे देवों में प्रिय बनाइए, मुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए, मुझे शूद्रों और वैश्यों में तथा अन्य सब प्राणियों में भी प्रिय बनाइए। तथा मुझे ऐसा बनाइए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात् जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर सकूँ।' इन मन्त्रों से समाज के सब वर्णों में समानता के साथ-साथ यह भी पुष्ट होता है कि शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। यही कारण था कि दासीपुत्र कवश, ऐलष, दासीपुत्र कक्षीवत् आदि शूद्र रहते हुए भी मन्त्र द्रष्टा ऋषि थे। कई स्त्रियां भी मन्त्र द्रष्टा ऋषिकाएं थीं। यजुर्वेद के एक और मन्त्र से शूद्र के आत्मोन्नति के प्रयासों का पता लगता है जहां ब्राह्मण को ब्रह्म से, राजन्य को क्षत्र से, वैश्य को मरुतों से और शूद्र को तप से सम्बद्ध किया गया है। अतः स्पष्ट है कि शूद्र वर्ण को भी वैदिक समाज में समुचित स्थान प्राप्त था। सभी वर्णों और वर्गों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने वाली वैदिक संस्कृति में सामाजिक उदारता का मुख्य आधार निश्चय ही वेदव्यापी मानवीयता व समानता की भावना रही है। अतः वर्तमान हिन्दू समाज में

वर्णभेद, जातिभेद और वर्गभेद (स्त्री-पुरुष) का जो वैविध्य दिखता है, उसके पीछे वैदिक परम्परा का किंचित मात्र भी योगदान नहीं है। यद्यपि गुण और कर्मों के अनुसार वर्णों के कार्यों का विभाजन तो है किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध संघर्ष रहित व पारस्परिक सहयोग पर अवलम्बित है।

राष्ट्रीय समत्व का मूल तत्व - किसी समाज के जनो में भावात्मक एकता या किसी राष्ट्र के निवासियों 'म राष्ट्रीय शक्ति का मूल तत्व उन लोगों में एक दूसरे के प्रति पाई जाने वाली समता भावना तो होती है। वेदों में प्राप्त मानवीय की भावना के मूल में भी यही भावना रही है।' यजुर्वेद और अथर्ववेद में बार-बार भूमि को माता और स्वयं को उसका पुत्र कहकर उस पर रहने वाले में समानता, विश्व बन्धुत्व आर भातभाव का प्रतिष्ठा की गई है। अथर्ववेदीय भूमिसूक्त (12.1) मातृभूमि की धारणा का प्रथम उद्घोष है- कहा गया है। भूमि सबके लिए समान है। सबको समता का व्यवहार सखाती हैं, इसलिए पांचो प्रकार के मनुष्य उसके ही है। जिस पर मनुष्य कैं बीच में नीचता, उच्चता रहने पर भी बहुत ही समता और ऐक्य है। यहां अनेक धर्मों के अनुयायी, अनेक भाषा भाषी लोग एक घर में रहने वालों के समान एकता के सूत्र में बंधकर रहते हैं। अतः कामना की है कि हम में कोई भी किसी से देश न करे। इस प्रकार वेदों में मानवीयता और राष्ट्रीय शक्ति को उद्घोषित करने में समत्व की भावना का योगदान स्वीकार किया गया है।

अन्ततः कह सकते हैं कि मानवीयता शक्ति व समत्व की भावना वैदिक संस्कृति की व्यापक दृष्टि का सुन्दर उदाहरण है। यह वैदिक कार्यों का वह महानतम आदर्श है जो उनके जीवन के बहुपक्षीय चिंतन को प्रभावित करता है। वैयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनुष्य के लिए आज भी यह आदर्श उतना ही आवश्यक और अनुकरणीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्ष्यमा।
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः॥ ऋ० 1.90 9
2. संज्ञानम् सूक्त सं. गच्छध्वं सं. वदध्वं सं. वो मनांसि जानताम्। देवा
भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते॥ ऋ० 10.29 1.2
3. राहुल सांकृत्यायन, ऋग्वैदिक आर्या। 1957, पृ. 36
4. सहृदयं सामनस्यमविद्धेषं कृणोषि वः। अर्थ० 3.30.1
5. रूचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रूचं राजसु नस्कृधि। रूचं वैश्येषु शूद्रेषु मयि
धेहि रूचा रूचम॥
6. प्रियं या कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र
उतार्ये॥ अर्थ 19.62.1
7. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः॥ ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय
चार्याय च...। वा.सं. 26.2
8. ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्रायं राजन्यं मरुभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रम्॥ वा.सं. 30.5
9. तवेमे पृथिवि पन्च मानवाः। अर्थ 12.1.15
10. असम्बाधं बध्यतो मानवानां यस्या उदवतः प्रवतः समं बहू। अर्थ.
12.1.2
11. जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्। अर्थ०
12.1.45, ऋग्वेद का सुबोध भाष्य सातवलेकरकृत अर्थ।
12. मा नो द्विदक्षत कश्चन। अर्थ० 12.1.23

सामाजिक अन्तःक्रिया का बदलता स्वरूप : सोशल मीडिया

डॉ. जयराम बैरवा*

शोध सारांश - आज के इस सूचनाक्रांति के दौर में सोशल मीडिया की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विश्व के अधिकांश लोग सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब) के साथ सामाजिक अन्तःक्रिया करने लगे हैं। आज सोशल मीडिया को संचार का एक महत्वपूर्ण आयाम मानने लगे हैं। लोगों के साथ सामाजिक अन्तःक्रिया में भी व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात कहकर सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने हमारे रहने, सोचने, बाजार से वस्तुएं क्रय करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि जिस गति से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो गति क्या भारतीय समाज के हर क्षेत्र में निहित है? हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने सभी व्यक्तियों को प्रभावित किया है चाहे वे किसी भी जाति, उम्र, वर्ग, धर्म एवं भाषा के क्यों न हों? वे जब चाहें, जहां चाहें जिस प्रकार से चाहें, अपनी अंगुलियों के माध्यम से यांत्रिक संचार की प्रक्रिया को संचालित कर टेलिफोन के बाद व्यक्तिगत संचार के क्षेत्र में जो क्रांति मोबाइल के आने से प्रारम्भ हुई थी, उससे कई गुना अधिक क्रांति अन्तःक्रिया के क्षेत्र में मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब के आविष्कार के माध्यम से हुई है। इस लेख में सामाजिक अन्तःक्रिया के सशक्त माध्यम व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब का विश्लेषण कर इसके सामाजिक उपयोग करने के कारणों व इसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा की गई है।

शब्द कुंजी - सामाजिक अन्तःक्रिया, संचार के माध्यम, मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब।

प्रस्तावना - समाज का अस्तित्व बहुत हद तक पारस्परिक संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा रहा है। मानवीय संचार सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व है। पारस्परिक संवाद की आवश्यकताओं ने भाषा को जन्म दिया जिनका उपयोग आदिम समाज ने प्रारम्भ में किया और परिमार्जित रूप में आज भी यह संचालित है। इसी आवश्यकता ने उन अर्थों को भी पैदा किया जो संचार के माध्यम से उत्पन्न किए गए। इसीलिए समाजशास्त्री संचार व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे हैं। संचार एक संवाद है, चाहे वह व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच किन्हीं प्राचीन साधनों से हो या अत्याधुनिक तकनीकों के कारण (गिडेन्स 2000)। इतिहास क्रम में संचार साधनों में परिवर्तन होते रहे हैं। यह भी माना गया है कि साधनों के चरित्र का समाज की संगठनीय अवस्था के साथ गहरा संबंध है। साधनों की लोकप्रियता समाज पर अपने ही तरह से प्रभाव डालती है (मैक्लूहन, 1951)। इतिहास क्रम में तकनीकी विकास के साथ-साथ साधनों की संरचना और उनके प्रयोग बदलते रहे हैं। ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी तकनीकी संचारीय व्यवस्था को सामाजिक संदर्भों में मूल्यांकित किया जा सकता है।

कुछ दशक पहले 'संचार के साधन' शब्द सुनते ही व्यक्ति के मानस पटल पर कुछ सीमित साधनों के चित्र प्रतिबिम्बित होते थे। परन्तु आज संचार के तकनीकी विकास इंगित करने वाले साधन असीमित हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह वृद्ध हो या युवा, सभी संचार के संचालक हैं। वे जैसे चाहें, जिस प्रकार चाहें जिस माध्यम से चाहें संचार को अपने तरीके से सम्पन्न कर सकते हैं। वह तरीका कुछ भी हो सकता है जैसे- इन्टरनेट पर एस.एम.एस., चैट, फेसबुक, यूट्यूब और ई-मेल हो या मोबाइल पर व्हाट्सएप, हाइक या चेट से। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से संचार का माध्यम अन्तःक्रियाओं हेतु चुन सकता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र, तकनीकी की दृष्टि से पिछली शताब्दी की उपज थे। संचार के साधना में मोबाइल ने अपने आप में एक

अभूतपूर्व क्रान्ति पैदा की। आज 90 प्रतिशत युवाओं के पास मोबाइल फोन हैं उनमें से भी अधिकांश के पास स्मार्ट फोन हैं। उस स्मार्ट फोन में अन्तःक्रिया हेतु कई मुफ्त सेवाएं संचालित हैं जिसमें से व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब सबसे महत्वपूर्ण व सशक्त सुविधा मानी जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अन्तःक्रिया करना सबसे अधिक पसन्द करता है।

उद्देश्य:

1. सोशल मीडिया से समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना।
2. सोशल मीडिया से सामाजिक अन्तःक्रिया के स्वरूपों में बदलाव का अध्ययन करना।

क्या है व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब ?

इससे पहले कि इसके मुख्य विषय की चर्चा की जाए मोबाइल की चर्चा करना आवश्यक है। मोबाइल संवाद की एक नई तकनीकी है। नब्बे के दशक में विकसित यह प्रणाली आज काफी लोकप्रिय है। व्यक्तिगत सूचनाएं तथा संदेश भेजने में संवाद का यह साधन अब वर्गीय नहीं है। यह सार्वजनिक और आम है और दिन-प्रतिदिन के जीवन की सामाजिकता में सहायक है। डिजिटल तकनीकों ने मोबाइल को और अधिक विस्तृत और सुगम बना दिया है। तार रहित संवादों की इस तकनीक ने यदि कई जटिलताएं पैदा की हैं तो कई सुगमताएं भी। मोबाइल द्वारा अन्तःक्रिया की नई तकनीकों व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब हैं।

व्हाट्सएप मोबाइल ऑनलाइन उपयोगकर्ता को अन्तःक्रिया हेतु एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, जैसे- दृश्य, श्रव्य और वीडियो संदेश आदि। व्हाट्सएप 2009 में निर्मित हुआ था और यह अपने आकर्षक तत्वों के कारण जल्दी ही सामाजिक अन्तःक्रिया का सबसे सशक्त लोकप्रिय माध्यम बन गया। यदि

व्हाट्सएप के तत्वों पर प्रकाश डाला जाए तो कहा जा सकता है कि इसके मंच पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं:

1. व्हाट्सएप ऑनलाईन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट मेसेज, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो व वॉइस मैसेजेस का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है जो उसके सोशल नेटवर्क, उनके समूह व अन्य सम्पर्क नम्बर से संबंधित होते हैं।
2. व्हाट्सएप व्यक्तियों को अपने सामाजिक समूह बनाने का अधिकार देता है जो कि उनकी सामाजिक अन्तःक्रिया में सहयोग करता है।
3. व्हाट्सएप सुविधा किसी भी स्मॉर्ट मोबाइल डिवाइस पर मिल सकती है जो कि 4जी, 3जी, 2जी इन्टरनेट सुविधा से सम्बन्धित हो।
4. कुछ समय पूर्व ही व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा भी संचालित की है जिसके माध्यम से एक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता दूसरे व्हाट्सएप उपयोगकर्ता से मुफ्त में बात कर सकता है। इस सुविधा ने व्हाट्सएप के उपयोग और उस पर निर्भरता को और अधिक बढ़ा दिया है।

फेसबुक : में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक फेसबुक आई डी बनानी पड़ती है। इस फेसबुक आई डी से अनेक फेसबुक मित्रों के साथ संवाद किया जा सकता है। फेसबुक से देश में नहीं अपितु विदेशी मित्रों से भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक अन्तःक्रिया स्थापित करने हेतु फेसबुक एक महत्वपूर्ण आयाम है। यहां तक की फेसबुक पर दोस्ती कर विदेशी युवतियों से विवाह भी सम्पन्न भी किये जा रहे हैं। भूले हुए मित्रों को खोजने का भी फेसबुक आईडी काम करती है। फेसबुक आईडी पर अपने मित्र का नाम लिखकर उसको ढूँढा जाता है। इस प्रकार फेसबुक लोगों में संवाद करने का एक निःशुल्क साधन है।

यूट्यूब : यूट्यूब चैनल में प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक चैनल बनाना पड़ता है। तत्पश्चात अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करें अथवा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जावे उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद यदि कोई यूजर उसको पसंद करता है तो उसको सबसक्राइब कर बेलआईकन को प्रेस कर शेयर भी किया जा सकता है। सबसक्राइब करने के उपरान्त यदि और कोई उनके द्वारा नया वीडियो अपलोड करता है तो उसका नोटिफिकेश यूजर को प्राप्त हो जाता है और उसको नई जानकारी प्राप्त होती है। आज हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया जाता है। आज सामाजिक अन्तःक्रिया स्थापित करने के लिए यूट्यूब चैनल एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हो रहा है। यदि इसके सबसक्राइब ज्यादा होते हैं या वीडियो को लाइक किया जाता है तो यूट्यूब चैनल के नियमानुसार उसको मानदेय भी मिलता है। यूट्यूब चैनल को आज अनकों व्यक्तियों ने व्यवसाय के रूप में भी अपना लिया है। लोग आये दिन नये-नये वीडियो अपलोड करते हैं और यदि लोगों के द्वारा उसको ज्यादा पसंद किया जाता है तो उसकी आमदनी भी आरम्भ हो जाती है। इस प्रकार यूट्यूब चैनल आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

व्हाट्सएप, फेसबुक की संचार सुविधाएं व इसका सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
यह विचारणीय है कि किस प्रकार व्हाट्सएप ने सामाजिक अन्तःक्रिया के स्वरूप प्रभावित किया है। इस पर उपयोगकर्ता क्या करना पसंद करते हैं व क्यों ? साथ ही समाज पर सका क्या प्रभाव पड़ा है ?

ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में टेलीफोन उच्च और संभ्रान्त जीवनशैली का प्रतीक था। टेलीफोन की सुविधाएं सीमित थीं और अधिकांशतः उनका प्रयोग प्रशासन और व्यापारिक अथवा व्यवसायिक

लोगों द्वारा किया जाता था। सुविधा की सार्वजनिकता और व्यक्तिगतता दोनों ही मोबाइल के आविष्कार के बाद हुई। संचार के इन साधनों पर चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक इन साधनों की व्यक्तिगतता और सार्वजनिकता में अंतर नहीं किया जाता। टेलीविजन, रेडियो और समाचार-पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पाद हैं। फ्रेंकफर्ट के जर्मन समाजशास्त्री हैबरमों के जनपरिवेश (Public Sphere) की चर्चा इसीलिए आवश्यक है। जनसंचार के ऐसे साधनों को उन्होंने संस्कृति उद्योग (Culture Industry) का हिस्सा माना है। हबरमों (1989) के अनुसार जनपरिवेश एक ऐसा परिवेश है जिसमें जनमत निर्माण है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और विवादों में उसकी भागीदारी है। ऐसे ही संवादों से जनमत तैयार हो जाता है। यदि रेडियो, टेलीविजन पिछली दशाब्दियों के साधन हैं तो सामाजिक माध्यम पिछली दो दशाब्दियों से विकसित सार्वजनिक परिवेश के माध्यम। ऐसे साधनों पर प्रकाशित सामग्री पर प्रतिक्रिया सड़क पर भी हैं, कॉफी हाउस में भी और किसी गोष्ठी में भी। सिद्धान्त रूप में यह व्यक्तियों सार्वजनिक बहसों के लिए प्रेरक हैं। कोई भी लोकतांत्रिक समाज इन बहसों से चलता है। फेसबुक और ट्वीटर भी लोकतांत्रिक बहस के हिस्से हैं, निजी सोच के वाहक हैं और इसीलिए ये विवादास्पद भी हैं। यह जनमत की पहचान भी है और जनमत का निर्माण भी। संचार की आधुनिकताओं की व्याख्या बोड्रिलार्ड और थॉम्पसन (1995) ने भी की है। एक और संदर्भ की चर्चा यहां की जा सकती है- संवाद प्रत्यक्ष आमने-सामने के हो सकते हैं या किसी माध्यम के द्वारा या अर्द्धमाध्यमों के द्वारा भी हो सकते हैं। नवसंवाद साधन इन तीनों रूपों के साथ जोड़े जा सकते हैं। आधुनिक संवाद साधनों का इस पृष्ठभूमि को स्मरण रखना आवश्यक है।

समाज में किए गए किसी भी प्रकार के अनुभव को व्यक्त न किया जाए या अध्ययन के अन्तर्गत यदि सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को न जोड़ा जाए तो वह व्यर्थ है। अतः प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब के परिदृश्य को भी जनसंचार के विभिन्न सिद्धान्तों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ये तीनों आधुनिक संचार का एक सशक्त माध्यम है अतः इसके संदर्भों को भी देखा जाना चाहिए-

Theory of Pleasure: व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब एक ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग व्यक्ति को सुख की अनुभूति करवाता है। इसका अपना आनंद है और सुख की अनुभूति है। दूसरों से संवाद प्रायः इस सुख के लिए भी किए जाते हैं।

Theory of Selectivity : चयनितता के सिद्धान्त के अनुसार व्हाट्सएप फेसबुक एवं यूट्यूब पर प्राप्त होने वाली किसी भी सामग्री को प्राप्तकर्ता अपनी इच्छानुसार चयन करता है। उदाहरणतया, बड़े-बड़े संदेशों को यह मिटाता, लाइक करता है व छोटे-छोटे संदेशों को गढ़ना, पसंद करता है या भक्ति वाले संदेशों को पढ़ने से पहले ही मिटा देता है।

Theory of Public Sphere: यह जन-विस्तार का सिद्धान्त है अर्थात् व्हाट्सएप फेसबुक एवं यूट्यूब किसी विचार को पलभर में जनता में प्रचारित व प्रसारित करने का एक सशक्त माध्यम है। जैसा कि लिखा जा चुका है लोकतंत्र में ऐसे विवाद इसके अंग हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब की संचार सुविधाएं यह तथ्य स्मरणीय है कि यंत्र तकनीक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग विभिन्न व्यक्ति अपनी सुविधाओं के अनुसार करते हैं। ये प्रयोग निम्न रूपों में देखे जा सकते हैं।

चित्र एवं चलचित्र (Images) (Video) : व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब

पर चित्र एवं चलचित्रों का आदान-प्रदान करना आम है। परन्तु इनमें भी सभी व्यक्तियों की अपनी पसंद है। कोई व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की तस्वीरें भेजना पसंद करता है, कोई हास्यास्पद, कोई कॉमेडी, डांस, चुटकला कोई नैतिक संदेश भेजने की कोशिश करता है तो कोई प्रेरणात्मक। इन तस्वीरों के माध्यम से व्यक्ति की भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। किसी विशेष दिन या विशेष त्योहारों पर ता तस्वीरों का आदान-प्रदान और अधिक हो जाता है। लोग अपनी खुशी का प्रदर्शन इन तस्वीरों का अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर भी करते हैं। जैसे 15 अगस्त पर अपना प्रोफाइल फोटो राष्ट्रीय ध्वज बना लेना या दीवाली पर गणेश लक्ष्मी या दीपों को अपना प्रोफाइल चित्र बना लेना। युवाओं में अपना नवीनतम प्रोफाइल चित्र लगाना एक होड़ सी बनी हुई है। सभी यह चाहते हैं कि वे अपना नया से नया फोटो व्हाट्सएप प्रोफाइल चित्र पर लगाएं ताकि अन्य लोगों में चर्चा का विषय बना रहे, क्योंकि कई लोगों का तो सिर्फ यह शगल होता है कि किसने क्या प्रोफाइल चित्र लगाया है या उसने अपना स्टेटस क्या दिया हुआ है। आमने-सामने के चित्रात्मक संवाद पहले से अलग हैं जिनमें दूरियां मायन रखती। क्षण भर में संवाद की ये दूरियां मिट जाती हैं और व्यक्तिगत संवादों की व्यवस्था हो जाता। चित्रों के संवाद का एक और पक्ष विभाजनकारी गतिविधियां हैं, जिसमें अश्लीलता और पॉर्न चित्रा का भेजना सम्भव है। व्यक्तिगत जीवन में यह हस्तक्षेप भी है। समाज के लिए भी ये कार्य अंधकारमय पक्ष के है।

सामाजिक समूह (Social Group): व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं को एक सुविधा और प्रदान है। वह है अपने पसंद के समूह का सदस्य बनना। व्यक्ति व्हाट्सएप पर अंतःक्रिया तो करते ही हैं और अपना अलग एक समूह बनाने की संभावना के साथ भी जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति अपने लिए अलग-अलग समूहों का निर्माण कर सकता है, जैसे- व्यावसायिक समूह, औपचारिक जाति या धर्म के आधार पर समूह, अनौपचारिक समूह, महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह, वृद्धों का अपना-अपना समूह इत्यादि। किसी परिवार या रिश्तेदारों के भी अपने समूह बन और परिवार के सदस्यों के संबंधों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। अतः इस प्रकार एक अपनी स्वेच्छा से किसी भी समूह का सदस्य रहकर सूचनाओं का आदान-प्रदान और अन्तःक्रिया सकता है। यहां हित समूहों की चर्चा भी आवश्यक है। प्रायः अध्ययनों, विचारों के विनिमय और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये यह साधन महत्वपूर्ण है। हितों की भागीदारी आज के समाज में महत्वपूर्ण है, जो इस यांत्रिक प्रक्रिया से पूरी की जा सकती है।

दृश्य और श्रव्य (Video and Audio): तस्वीरों की भांति लोग व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर विभिन्न प्रकार के वीडियो और ऑडियो भी आदान-प्रदान करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लोग बहुत जल्दी ही किसी भी घटना का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल कर देते हैं। जिससे सूचना बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। यह अपराधों को पकड़ने में भी सहायक है। किसी भी घटना के लिये यह अपराधियों को पकड़वाने के लिए वैध साक्ष्य भी है।

संदेश (Messags): व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल सुविधा की सबसे महत्वपूर्ण बात है संदेशों का आदान-प्रदान करना। लोग इन्हीं संदेशों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण या अन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान कर अन्तःक्रिया करते हैं। ये संदेश भी कई प्रकार के होते हैं जिनका प्रत्येक

व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उपयोग करता है। जैसे सूचना से संबंधित संदेश ये संदेश एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण जानकारी भेजने या प्राप्त करने से संबंधित होते हैं।

हास्यास्पद व व्यंग्यात्मक संदेश: इस प्रकार के संदेश लोग केवल मनोरंजन की दृष्टि से भेजते हैं जिन्हें वे पढ़ते हैं, हंसते हैं, और आगे किसी अन्य को भेज देते हैं। अधिकांशतः ऐसे संदेश तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। व्यंग्यात्मक संदेशों में किसी न किसी व्यक्ति पर व्यंग्य किया जाता है जैसे -पत्नी पर संदेश आदि। मनोरंजन अथवा अवकाश के क्षणों को यह सुविधा सम्पन्न करती है। प्रकाश के क्षणों में यह सुविधा व्यक्ति को तरौताजा कर सकती है।

अन्य संदेश: क्रियात्मक, सुख-दुःख व अन्य प्रकार के संदेशों के अतिरिक्त व्हाट्सएप पर कई बार ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम पढ़ना पसंद नहीं करते, जैसे भगवान की भक्ति वाले संदेश जिसमें कि 11 लोगों को भेजने से आपकी मनोकामना पूरी होगी या आपके संदेश शेयर करने से किसी व्यक्ति की तकलीफ दूर होगी आदि। ये संदेश पाखंड अधिक प्रचार करते हैं एवं व्यक्ति में खिन्ता भी पैदा करते हैं।

सोशल मीडिया के समाज पर प्रभाव: व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल बनाम दिनचर्या : व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल के उपयोग का सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति की दिनचर्या पर पड़ा है। व्यक्ति अधिकतम समय व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर लगा रहता है। लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर आए संदेशों को पढ़ना, वीडियो देखना, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अन्य लोगों के प्रोफाइल चित्र और स्टेटस देखना या उनके द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखना। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह भी है कि इसमें एक व्यक्ति एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों के साथ अन्तःक्रिया कर सकता है। सोशल मीडिया के कारण सभी के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। क्योंकि इसके मुख्य कार्य की तरफ ध्यान भंग हो जाता है और व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से संपादित नहीं कर सकता है। इस कारण एक विद्यार्थी की शिक्षा प्रभावित होती है क्योंकि वह कक्षा के समय मोबाइल पर अन्तःक्रिया करता हुआ पाया जाता है, वहीं ऑफिस में बैठे कर्मचारी का कार्य प्रभावित व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा होता है। साथ ही एक महिला अपने घरेलू कार्य पर ध्यान नहीं देती है। क्योंकि वह व्हाट्सएप समूह पर गप-शप करने में व्यस्त हो रही होती है। इस सम्बन्ध में हैरबर्गर द्वारा किए गये अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि मोबाइल फोन व्यक्ति की आपातकालीन परिस्थितियों में बहुत उपयोगी है फिर भी यह एक प्रकार से व्यक्तिगत गतिविधियों पर व्यतीत किए जाने वाले समय को कम करता है। यह एक बहुत ही घातक सामाजिक प्रभाव है। हैरबर्गर का यह भी मानना है कि जब व्यक्ति काम के बाद अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़ता है, अपने मित्रों, सम्बन्धियों के साथ समय व्यतीत करता है या अपने शौक पूरे करता है वहीं सेलफोन का उपयोग इन सभी गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है।

व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल : एक लत (नशा): व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल का उपयोग लगभग सभी आयु वर्ग के व्यक्ति करते हैं लेकिन यह देखा गया है कि आयु के साथ-साथ इसके उपयोग की आवृत्ति प्रभावित होती है। किशोर युवा जितना समय व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर बिताता है उतना एक अधिक उम्र का व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता है। अधिक उम्र के लोगों को नई तकनीकों का अधिक

ज्ञान नहीं होता। अतः वे उसका सही तरीके से प्रयोग भी नहीं कर पाते। यंत्र के उपयोग करने के उद्देश्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। यह भी देखा गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल का उपयोग धीरे-धीरे एक लत का रूप ले लेता है। यह एक नशीला प्रभाव डालता है क्योंकि व्यक्ति के द्वारा इसके उपयोग के साथ-साथ इस पर बिताए जाने वाले समय में वृद्धि होती जाती है। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल का नया सदस्य बनता तो वह उस पर आधा घंटा व्यतीत करता है धीरे-धीरे वह एक दो घंटे इसका उपयोग करता है और फिर वह हर आधे घंटे में अपना व्हाट्सएप फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल में अपना अकाउंट चेक करने लगता है। अतः धीरे-धीरे यह एक लत का रूप ले लेता है।

व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल का सामाजिक संबंधों व सामाजिक अन्तःक्रिया पर प्रभाव : संचार के साथ जितनी अधिक मात्रा में केन्द्रित होते जाते हैं, उनका प्रभाव सामाजिक अन्तःक्रिया व सामाजिक सम्बन्धों पर पड़ता है। व्हाट्सएप के उपयोग का सीधा प्रभाव व्यक्ति की प्रत्यक्ष अन्तःक्रिया पर पड़ा है। प्रत्येक संदेश या सूचना पल भर में मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है जिससे व्यक्ति को आमने-सामने मिलना नहीं पड़ता है। पहले यदि व्यक्ति मोबाइल का उपयोग संपर्क के लिए करते भी थे तो वह से भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे परन्तु अब व्हाट्सएप के उपयोग के कारण व्यक्ति बिना बात किये एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा दिया करते हैं। यह अंतःक्रियात्मक स्वरूपों को बदलने की प्रक्रिया भी है। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब से सामाजिक अन्तःक्रिया को बढ़ाया भी है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि यह एक मुफ्त सेवा है और इसमें एक बार में एक से अधिक लोगों के साथ अन्तः क्रिया के नये स्वरूपों को बढ़ावा भी दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Acharya, Jayanti P. & Acharya, Indranil (2013),

- Research on Effect of Module Phase on Students Physical Health, <http://www.shreeprakashan.com>
2. Giddens, A- (2000)- Sociology, London: Polity.
 3. Habbermas Jargan (1989), The Structural Transformation of Public Sphere. Cambridge: Polity.
 4. Habbermas Brain- Sociological Socialological Effects of the Cellphone. Sinternet, <http://www.ehow-om/list7773084>
 5. Rau, Pei- luen Patri, gau, quin (2008) Using Mobile Communication Technology in High School: & Motivation, Tormance, Computers and Education- vol 50 No.1, pp- 1-22.
 6. Thompson, G- (1995)- The Media and Modernism] Cambridge: Polity.
 7. लारसन, ऑटो, एन. ; सोशियल इफेक्ट्स ऑफ मास कम्यूनिकेशन (संपा) हेण्ड बुक ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, रेड मेकाहाली, शिकागो, 1964,
 8. बार्ले, डेविड ; दी प्रोसेस ऑफ कम्यूनिकेशन, हाल्ट राइनहार्ट एण्ड विसटन, 1960,
 9. राईट, सी.आर; मास कम्यूनिकेशन, ए सोशियोलॉजीकल प्रेस्पेक्टिव, रेण्डम हाउस, न्यूयॉर्क, 1963,
 10. गोरे, एम.एस. (कॉट) ; नेशनल ग्लोबल एण्ड मास मीडिया, मेन स्ट्रीम, अंनुअल, 1985,
 11. स्टेनबर्ग एण्ड चार्ल्स ; मास मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन, हारिंग हाउस पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1966,
 12. पीटरसन, जैनसन एण्ड रिवर्स ; दी मास मीडिया एण्ड मॉडर्न सोसायटी, हाल्ट, रिनेहार्ट एण्ड विसन, इंस, न्यूयॉर्क, 1966,

A Review of Physiological Effect of Fluoridated Water on Selected Vegetation in Nagaur District, Rajasthan

Priyanka Gupta* Dr. Ashok Nagar**

Abstract - Nagaur district is facing a large number of socioeconomic and health-related problems besides the usual acute shortage of potable water. The climatic condition is of District arid to semiarid type. The groundwater and a little rain for a few days in a year are the main sources of water irrigation, drinking, and other domestic consumption. The Nagaur district is divided into eleven blocks (Panchayat Samitis) namely- Nagaur, Mundwa, Jayal, Merta, Riyan, Degana, Didwana, Ladnun, Parbatsar, Makarana, and Kuchaman. Where fluoride concentration in the groundwater was found beyond the permissible limit (> 1.5 ppm) prescribed 1.5 ppm. In the study area due to low rainfall vegetables and cereals of these villages were irrigated with fluoridated groundwater. In this study, the block Nagaur district has been divided into five zones north, east, west, south, and central zone, and samples were collected from five villages in each zone. The samples were collected from different sites in the Nagaur district. The fluoride concentration in the sampling water and its physiological effect on vegetation especially fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*) and spinach (*Spinacia oleracea L.*) have been analyzed and reviewed during the study.

Keywords- fluoride, water, fenugreek, spinach, vegetation.

Introduction - Most toxic atmospheric pollutants is known as fluoride. The fluoride Accumulation in the farm soil, adjoining vegetable roots and mesophyll cell disrupts numerous morphological physiological and biochemical factors of plants. The Fluoride is mostly harmful for germination, growth, mineral nutrition, and photosynthesis, and respiration, activity of cellular enzymes, reproduction and crops harvesting. Fluoride prevents the anti-oxidative enzyme systems activity as well super oxide dismutase and hinder with cell signaling. Fluoride is also interact with calcium which plays important role in fertilization. The fluoride Accumulation in the stigmatic surface interrupts the calcium gradient in the stigma and style. The fluoride toxicity symptoms in plants include depressed their growth and development, chlorosis, necrosis, abscission of leaves, flowers, and fruits and reduced seed production.

The Fluoride Effect On Seed Germination And Seedling Growth On Plants- The decreasing amount of DNA (Deoxy ribose nucleic acid) synthesis directly decreases the RNA (ribose nucleic acid) and Protein synthesis and reduces the cell division, elongation and cell signaling respectively. These activities inhibit to seed germination. Nitsan and Lang (1965),

The Fluoride Role In Cell Signaling- The presence and the function of G protein in plants plays important role in cell signaling. G protein plays important role in the control of K^+ ion channel opening in the guard cells and mesophyll cell (Wu and Assmann, 1994), the red and blue wave length

induce cell signal and pathogen induced signals. (Legendre et al., 1992). in the all function F also plays important role but excessive amount of F inhibits these activities.

Effects Of Fluoride On Enzyme Activities - Fluoride has an effect on enzymes connected with glycolysis, respiration, photosynthesis and Other reaction systems. The enzyme Enolase is mainly sensitive to fluoride and is inhibited *in vitro* at concentrations as low as 10^{-4} M. Membrane the ATPase enzyme activity is also quite sensitive to low fluoride concentrations. Some enzymes for example glucose-6-phosphate dehydrogenase, catalase and peroxidase are enriched *in vitro* by fluoride. Fluoride has double effects on the enzyme system of higher plants *i.e.* inhibitory or stimulatory. If fluoride reaches toxic concentrations in a plant tissue or organelle, it may be estimated that enzymes that are activated by divalent cations would be inhibited, so there have been many studies of enzymes such as enolase and phospho- glucomutase. Fluoride inhibition of enolase (2-phosphoglyceric acid Phosphoenolpyruvic acid) is conceivably the best known of the fluoride effect *in vitro* and was first studied in yeast (Warburg and Christian 1942).

Fluoride Toxicity Effect On The Anti-Oxidative Enzyme System - The antioxidant enzymes activity as well catalase and peroxidase was found to be enriched with increase in F concentration. Saini et al. (2013) described that the increasing catalase (3.2 folds) and peroxidase (2.7 folds) enzymes activity in *Prosopis juliflora* plant with increase in F concentration.

*Research Scholar, B.B.D. Govt. College, Chimanpura (Shahpura), Jaipur (Raj.) INDIA
** Lecturer (Botany) R.R. College, Alwar (Raj.) INDIA

Study Area - Nagaur district is one of the largest districts of central Rajasthan in western India. The geographical area of Nagaur 17,718 sqkm. The Nagaur district is divided into eleven blocks (Panchayat Samitis) namely- Nagaur, Mundwa, Jayal, Merta, Riyan, Degana, Didwana, Ladhun, Parbatsar, Makarana, and Kuchaman. Where fluoride concentration in the groundwater was found beyond the permissible limit (> 1.5 ppm) prescribed 1.5 ppm. In the study area due to low rainfall vegetables and cereals of these villages were irrigated with fluoridated groundwater. In this study, the block Nagaur district has been divided into five zones north, east, west, south, and central zone, and samples were collected from five villages in each zone.




Figure1: study area

Materials And Methods

Fluoride Ion-Selective Electrode Method:

Apparatus: Ion-Selective Meter, Fluoride Electrode, Magnetic Stirrer

Reagent: Fluoride Standards of various ranges (0.2-20ppm) Fluoride Buffer (TISAB-Total ionic strength adjustment buffer)

Procedure: Calibrate the instrument take 10ml sample in a beaker at 10ml buffer solution. Put stirring bar into the beaker immerse electrode & start the magnetic stirrer and wait until reading is constant withdrawal electrode rinse with distilled water.

Determination of fluoride content in soil and vegetation:

Determination of total fluoride content in soil and vegetation samples will be estimated through NaOH fusion method (Mcquakerat *al.*1977). This method involves fusion of soil and vegetation samples with 16N NaOH in Ni crucibles placed in muffle furnace and slowly raising the temperature to 600°C for half an hour, followed by dissolving the residue by heating with water on a hot plate. After the treatment samples will be removed, allowed to cool, and then 10 ml of distilled water will be added to the samples with stirring to adjust the pH to 8-9. Then the samples will be filtered and transferred to 100 ml volumetric flask and diluted with double-distilled water to 100 ml. To the 5 ml of the above extract, 5 ml of Total Ionic strength Adjusting Buffer Grade (TISAB) solution will be added and mixed, and the fluoride

measurement will be estimated through fluoride ion selective electrode (Orion 96-09 ion selective electrode).

Bio concentration Factor (BCF): For estimating fluoride concentrations in vegetables the common parameter is the Bio concentration Factor (BCF). BCF is the ratio of F concentration in the vegetable and F concentration in soil, (Pal *et al.*2012).

$$\text{BCF} = \frac{\text{F concentrations in vegetable (mg/kg of vegetable)}}{\text{F concentration in soil (mg/kg n soil)}}$$

Kit colour comparison method

Preparation of leaves juice: At first plants are cleanly washed with distilled water. Then the leaves of the plant were picked they are transferred to the juice mixer to obtain the juice, this juice now obtained is filtered by using clean cloth in to the juice storing bottles which are washed thoroughly washed before this juice is used for further experimentation part.

Estimation of fluoride content: The method used for estimation is known as kit colour comparison method it's generally practiced in the government RWD lab units for estimation of the fluoride content in rural villages of Nalgonda. This is very simple and easy technique to follow and implement .At first a cleanly washed test-tube is taken in that 4ml of the leaf juice is taken and 1ml of fluoride reagent is added by using pipette then observed for the colour change the obtained colour is compared to the colour meter card and values will be noted (Raja *et al.*2013).

Table 1 and Table 2 (see in last page)

Results: The results have been shown in table1 and table 2 respectively *Spinaciaoleracea* and *Trigonella-foenum graecum*

Discussion: During this study it has observed that the excessive amount of fluoride hinders the plant growth in pre-flowering, peak flowering and post flowering stage. The high fluoride range of Parabatsarin water and soil respectively 13 mg/L and 11g/gm found and observed the samples of *Spinaciaoleracea*, growth of these plants have been noted comparatively lower than others site plants.BCF of *Trigonella-foenum graecum* analysed 0.477097, 0.519911 and 0.709518 relatively during pre-flowering, peak flowering and post-flowering stage.

Conclusion: In this study it has been concluded that the more quantity of fluoride in water more than 1.5mg/liter and in soil more than 150-400 mg/kg is harmful for both plants and animals.in the animals specially human beings the fluoride not only enters through water but also edible items like green vegetables as well as *Spinaciaoleracea*, and *Trigonella-foenum graecum* .fluoride of food items depends upon the fluoride contents of soil and water used for irrigation. The high fluoride content in drinking water and food items is responsible for dental crisis and fluorosis in human beings.

References:-

1. Legendre L, Heinsteint PF& Low PS (1992) Evidence for participation of GTP- binding protein in elicitation

- of the rapid oxidative burst in cultured soybean cells. *Journal of Biological chemistry* 267:20140-20147.
2. Mcquaker RN & Gurney M (1977). Determination of total fluoride in soil and vegetation using an alkali fusion-selective ion electrode technique, *Analytical Chemistry*, 49: 53-56.
 3. Nistan J & Lang A (1965) Inhibition of cell division and cell elongation in higher plants by inhibitors of DNA synthesis. *Development biology* 12:358-376.
 4. Pal KC, Mondal NK, Bhaumik R, Banerjee A & Datta JK (2012). Incorporation of fluoride in vegetation and associated biochemical changes due to fluoride contamination in water and soil: a comparative field study. *Annals of Environmental Science* 6: 123-139.
 5. Panda D (2015) Fluoride toxicity stress: physiological and biochemical consequences on plants. *Int. J. Biores. Env. Agril. Sci.* 1(1): 70-84
 6. Raja MA, Goud MV, Banji D, Rao KNV & D SK (2013). Estimation of fluoride content in ground growth green vegetables leaves (amaranths) at surrounding villages of Nalgonda district Andhra Pradesh by using kit colour comparison method. *International Journal of Research and Development in Pharmacy and Life Sciences* 2(5):559-561.
 7. Saini P, Khan S, Baunthiyal M & Sharma V (2013) Effects of fluoride on germination, early growth and antioxidant enzyme activities of legume plant species *Procopis juliflora*. *Journal of environmental biology* 34(2):205-209.
 8. Warburg O & Christian W (1942) Isolierung und kristallisation des garungsferment enolase. *Biochemische zentralblatt* 310:385-421.
 9. Wu WH & Assmann SM (1994) A membrane delimited pathway of G-protein regulation of the guard cell inward K⁺ channel. *Proceedings of the national academy of sciences, USA* 91:6310-6314.



Fig1: *Trigonella-foenum graecum* collected from field during pre-flowering Stage. *Spinaciaoleracea*



Fig2: Sample collection of *graecum* (peak flowering)



Fig3: *Trigonella-foenum*

S.	Sites	High Fluoride in soil (~µg/gm)	High Fluoride in water (mg/L)	Pre flowering		Peak flowering		Post flowering	
				Root (cm.)	Shoot (cm.)	Root (cm.)	Shoot (cm.)	Root (cm.)	Shoot (cm.)
1	Degana	1.1 – 5.1	1.1-11.1	20.05	15.86	25.51	21.45	28.10	23.17
2	Didwana	0.9 -7.1	1.1- 8.5	20.11	15.98	23.56	19.97	27.98	22.24
3	Jayal	1.8 - 5.5	0.5 – 6.5	20.15	15.00	25.12	21.34	28.01	23.00
4	Kuchaman	0.5 – 3.8	0.3 – 5.9	21.01	16.67	27.65	23.55	35.76	30.67
5	Ladnu	0.2 – 6.9	0.5 – 7.1	19.57	17.92	23.68	19.56	31.97	26.58
6	Makrana	1.3 – 7.9	0.2 – 8.9	19.11	17.34	23.50	19.00	31.56	26.36
7	Merta	0.6 – 8.0	0.5 - 8.5	17.01	12.92	22.25	18.91	31.89	26.47
8	Mundwa	0.6 – 3.5	0.3 - 5.6	21.50	16.89	27.91	23.12	35.87	30.68
9	Nagaur	1.2 – 5.9	0.5 – 6.6	20.11	14.78	23.98	19.78	32.19	27.84
10	Parabatsar	0.7 – 11.0	0.5 - 13.0	15.35	10.45	18.35	14.57	26.78	21.35
Total	block:10	Avg.= 0.58 - 8.28	Avg.= 0.92 - 6.78	Avg.= 19.39	Avg.= 15.38	Avg.= 24.15	Avg.=2 0.12	Avg.=3 1.01	Avg.=2 5.83

Table 2: Total BCF Factor of *Trigonella foenum-graecum* after harvesting at pre, peak and post flowering stage through field observation

S.	Field Site	Total BCF Factor		
		Pre-Floweringstage	Peak-Flowering stage	Post-Flowering stage
1.	Degana	0.725975	0.74858	0.724105
2.	Didwana	0.774091	0.777941	0.777878
4.	Jayal	0.574018	0.582819	0.747779
4.	Kuchaman	0.477097	0.519911	0.748194
5.	Ladnu	0.495481	0.594472	0.789518
6.	Makrana	0.479248	0.580984	0.790442
7.	Merta	0.505895	0.700779	0.775917
8.	Mundwa	0.559991	0.587775	0.702897
9.	Nagaur	0.725975	0.748581	0.724105
10.	Parabatsar	0.477097	0.519911	0.709518

आयुर्वेद और ऋग्वेद का अन्तर्सम्बन्ध एक विवेचना

डॉ. सुनीता मीना*

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति के स्रोत और जीवनदाता वेद, अपौरुषेय, शाश्वत, अनादि, अनन्त और नित्य हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का अंग है। इसलिए आयुर्वेद भी शाश्वत, नित्य और सृष्टि से पूर्व की रचना कही जा सकती है। ब्रह्माजी ने इसे जगत की सृष्टि से पूर्व ही तैयार कर लिया था ताकि अवसर आते ही तत्क्षण इसका उपयोग हो सके क्योंकि संसार की रचना योजना तय थी अतः आयुर्वेद ज्ञान-विज्ञान आदि लोकोपकारक तत्व पहले से ही तैयार किये गये थे।

सर्वप्रथम ब्रह्म ने वेदों का स्मरण किया जिसमें आयुर्वेद समाहित था। उस ज्ञान को उन्होंने प्रजापति ऋषि को दिया, ऋषि ने वही ज्ञान अश्विन कुमारों को प्रदान किया। अश्विन कुमारों ने इन्द्र को दिया, इन्द्र से वही ज्ञान भारद्वाज आदि ऋषियों के माध्यम भू-लोक में प्रचलित हुआ। विद्वानों का मानना है कि वेद – साहित्य संसार में भाषा और साहित्य का उदगम है। विशेषकर ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों से पूर्व की वेदों के समकालीन तथा वेदों के पश्चात् की सभी बातों के लिए वेद ही प्रमाण है। साथ ही आयुर्वेद का संबंध वेदों से अथवा ब्रह्मा से जोड़ते हैं अतः आयुर्वेद का संबंध स्रोत भी वेद ही कहे जा सकते हैं।

आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान भण्डार है जो मनुष्यों के विषय में ही नहीं पशु-पक्षी, वृक्ष आदि के विषय में भी ज्ञान रखता है, इसलिए इसके विषय में ऋषियों ने विस्तार पूर्वक अन्वेषण कर विविध संहिताओं की सृष्टि की जिनमें आयु वृद्धि के लिए उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों का विवेचन किया है। 'आयुर्वेद' – आयुर्वेद शब्द 'आयु' और 'वेद' दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है 'आयु का वेद' आयु क्या है इस विषय में चरकसंहिता में कहा गया है 'शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व और आत्मा के संयोग को शरीर कहा गया है।

जबकि 'वेद' शब्द का अर्थ है 'ज्ञान'। इस प्रकार आयुर्वेद, शब्द का अर्थ हुआ आयु-ज्ञान का और आयु में न केवल शरीर अर्पित इन्द्रियां, मन एवं आत्मा आदि चारों भावों का ज्ञान है। अतः शरीर, इन्द्रियां, मन एवं आत्मा के विषय का ज्ञान जिस शरीर में हो उसे आयुर्वेद कहा गया है जिसमें आयु की सत्ता हो, आयु का लाभ हो तथा जिसमें आयु का ज्ञान हो वही आयुर्वेद है।

चरक के अनुसार हितमय अहितमय, सुखमय दुःखमय आयु का तथा आयु के लिए हितकारक एवं अहितकारक (द्रव्य, गुण, कर्म) का और आयु के मान का जिस शास्त्र में वर्णन हो उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं।

वेदों में आत्मा मन, शरीरादि विषयों की व्याख्या की गई है और यह कहा गया है कि इनके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, एवं मोक्ष चार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु मनुष्य यद्यपि स्वस्थ नहीं होगा, उसे आयुर्वेद प्राप्त नहीं होगी तो इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना असंभव है। इस प्रकार आरोग्य होना सर्वोत्तम है और उसे प्राप्त करने

का साधन आयुर्वेद है।

आयुर्वेद शाश्वत है – यह सत्य है कि दुःख से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा और सुख को स्थिर रखने की इच्छा प्राणी में रहती है। सुख को स्थिर करने वाला तथा दुःख, को दूर करने का उपाय आयुर्वेद में है। क्योंकि इसका, उद्देश्य स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर भगाना है। आयुर्वेद के विषय सुख-दुःख आयु आदि का जहां वर्णन है वही आयु है। यह लक्षण स्वभावसिद्ध है अतः आयुर्वेद शाश्वत है।

आयुर्वेद की प्राचीनता – वेदों का अवलोकन करने से पता चलता है कि आयुर्वेद के त्रिसूत्र – विषयक अनेक संदर्भ यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं जो सिद्ध करते हैं कि आयुर्वेद उससे पूर्वकाल में ही विद्यमान था। आयुर्वेद वेद का उपवेद है, अतः जितने प्राचीन वेद है उतना ही प्राचीन आयुर्वेद है।

आयुर्वेद और ऋग्वेद का संबंध – वैदिक मंत्रों में रोग निवारण संबंधी जो उल्लेख प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हमें अत्यन्त प्राचीन काल से भेषज्य विकास के ज्ञान का संकेत मिलता है। वेदों की संख्या चार है यजुर्वेद का प्रधान विषय कर्मकाण्ड है। मन्त्र औषधियों का प्रयोग यज्ञकर्म एवं स्वास्थ्य के लिए किया जाता था। यज्ञ में रोगी पशु का प्रयोग निषिद्ध था अतः पशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता था किन्तु इसे औषधि या रोग के संकेत मात्र से आयुर्वेद का मुख्य स्रोत नहीं कहा जा सकता।

सामवेद प्रमुख रूप से 'गायन' से संबंधित है साथ ही इसके 75 मंत्रों, के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। अतः सामवेद का उपवेद आयुर्वेद नहीं हो सकता।

इन दोनों वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद आयुर्वेद के अधिक निकट है। अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर, चिकित्सा संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। साथ ही भेषज्यानि, आयुष्याणि, पौष्टिकानि आदि सूक्तों का वर्णन स्वतंत्र रूप से दिया गया है। परंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है। चारों वेदों के उपवेदों का उल्लेख करते हुए चरणव्यूहकार 'ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेद इत्याह भगवान् व्यासःस्कन्दोवा' वाक्य द्वारा व्यास तथा स्कन्द के मत में आयुर्वेद को उपवेद बताया है। याज्ञवल्क्यसंहिता तथा महाभारत के सभा पर्व में ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऐसा उल्लेख मिलता है। उक्त मत के समर्थन में चरणव्यूहकार की सम्मति सम्भवतः इस प्रकार रही होगी कि तीनों वेदों में आयुर्वेद के विषय मिलते तो अवश्य हैं किन्तु ऋग्वेद में विशेष रूप से अश्विन कुमारों के सूक्तों में, दिवोदास, भारद्वाज आदि के सूक्तों में तथा अन्यत्र भी दूसरे पुरातत्वों के साथ आयुर्वेद विषय के विशेष रूप से मिलने से ऋग्वेद के साथ आयुर्वेद का विशेष संबंध प्रतीत होता है। अतः आयुर्वेद ऋग्वेद का उपांग है। **ऋग्वेद में आयुर्वेद की पृष्ठभूमि** – आयुर्वेद का संबंध विशेष रूप से ऋग्वेद से स्थापित किया गया है। क्योंकि इस वेद में रोगों का वर्णन तथा चिकित्सा

विषयक सामग्री उपलब्ध है। ऋग्वेद कालीन मानव स्वस्थ एवं सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे वे बारम्बार शतायु होने की कामना करते रहते थे। वैदिक आर्यों ने आयुर्वेदिक ज्ञान को मनुष्यों से ही नहीं वरन पशु-पक्षियों से भी सीखा था। इस विषय में शौनक का मत है कि 'कुछ पौधों (औषधी) को वराह जानता है। कुछ को नेवला, कुछ को साँप तथा कुछ को गन्धर्व कुछ औषधियों को मृग जानते हैं कुछ अंगरसी औषधियाँ सुपर्ण जानते हैं। कितनी औषधियाँ गाये, भेड़े, बकरियाँ जानती हैं।' इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम मनुष्यों ने भेषजज्ञान को देवों, पशुओं पक्षियों से प्राप्त किया और तत्पश्चात उसे अपने क्षेत्र में अन्वेषण कर विस्तृत किया।

ऋग्वेद में आयुर्वेद संबंधी सामग्री-ऋग्वेद में बहुत से वैधों के साथ साथ अश्विन कुमारों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के चमत्कारपूर्ण भेषज्यविषयों का वर्णन मिलता है जिसके कुछ उदाहरण हैं जैसे - जरावस्था वाले च्यवन तथा वन्दन ऋषि को अश्विन कुमारों द्वारा रसायन प्रयोग से पुनः यौवन की प्राप्ति हो गयी थी⁶।

दीर्घतमस ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा छाती काट दिये जाने पर अश्विन कुमारों ने उसे स्वस्थ बना दिया तथा वृद्धावस्था मुक्त कर जीवित रखा⁷। खेलराजा की पत्नी की युद्ध में शत्रुओं द्वारा पैर काट देने पर अश्विन कुमारों द्वारा लोहे के पैर जोड़े गये⁸। इसी प्रकार अत्रि के शरीर के कटे हुए अंगों को जोड़कर अश्विन कुमारों ने उसे ठीक कर दिया था। ऋषि श्यावाश्व के अंगों को शत्रुओं ने काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था जिन्हें अश्विन कुमारों ने जोड़कर पुनः जीवित कर दिया था। अश्विन कुमारों ने मधु विद्या (प्राण विद्या) प्राप्त करने की इच्छा से दधीचि ऋषि के सिर को अलग करके उसे अलग रख कर उसकी जगह घोड़े का सिर जोड़ कर उसके द्वारा मधु विद्या ग्रहण करके घोड़े के सिर के स्थान पर दोबारा मनुष्य का सिर जोड़ दिया था। अन्धे ऋजाश्व तथा कण्व को दृष्टिदान, बहरे नार्षद को श्रोतदान, नपुंसक पति की पत्नी त्रिधमती को पुत्र प्रदान किया⁹।

ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि विश्वक के पुत्र को अश्विन कुमारों ने मृत्यु उपरान्त जीवन दान दिया। कुष्ठरोग होने के कारण कक्षीवती की पुत्री घोषा का विवाह नहीं हो पा रहा था ऐसे में उसका कुष्ठ रोग निवारण किया। कुष्ठ रोग से पीड़ित श्यावाश्व को मुक्त, करके सुन्दर पत्नी की प्राप्ति अश्विन कुमारों ने करायी थी। अश्विन कुमारों ने अनेक अद्भुत चमत्कार अपनी भेषज विद्या के माध्यम से किये। 'तुम दोनों भेषज्य के द्वारा भिषक होवोय इस प्रकार की अश्विनो की प्रार्थना ऋग्वेद में कई स्थलों पर की गयी है।'

इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था को दूर करने के लिए, सौ वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए भी अश्विन कुमारों से प्रार्थना की गयी है। ऋग्वेद में नाना प्रकार के विष तथा कृमियों का वर्णन और उनका प्रतिकार मिलता है। अनेक प्रकार के यक्ष्मा (अज्ञात रोगों) का वर्णन तथा उपचार, सूर्य-चिकित्सा द्वारा हृदयरोग आदि को दूर करना, जल को भेषजत्व, औषधियों का वर्णन इत्यादि उपलब्ध होता है।

ऋग्वेद में शल्यचिकित्सा एवं अगदचिकित्सा का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। वेदों में यद्यपि रुद्र, हनु अग्नि, वरुण, मरुत आदि से भी स्वास्थ्य की कामना की गयी है। परंतु 'चिकित्सा' कार्य के संदर्भ में मुख्य रूप से अश्विन कुमारों को ही 'देवानाभिषजी' के रूप में सम्मान दिया गया है। देवताओं के प्रमुख चिकित्सक अश्विन कुमारों के कार्य चिकित्सा एवं शल्य दोनों प्रकार के चिकित्सा संबंधी कार्य ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। अधिकांश स्थानों पर अश्विन कुमारों के कार्य का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। उस समय

की शल्यक्रिया पद्धति को जानकर आश्चर्य होता है कि इतने प्राचीन समय में भी इतने कठिन शल्यकर्म होते थे। लौहशास्त्रों के माध्यम से कटे अंगों को जोड़ना, सिर को काटकर पुनः यथा स्थान लगाना आदि विलक्षण कर्म ऋग्वेद में वर्णित हैं। चोट लगना हवी टूटना, अंग-भंग आदि के उपचारार्थ औषधियों का भी प्रयोग होता था जिनका संक्षिप्त वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है।

ऋग्वेद में अश्विनो के पश्चात भेषज्य ज्ञान रखने वाला दुसरा देवता रुद्र है। इनके पास सहस्र औषधियाँ हैं 'जलाष खं जलाष भेषज' दोनों विशेषण रुद्र के लिए आये हैं। रुद्र का उल्लेख श्रेष्ठतम चिकित्सक के रूप में ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र से कल्याणकारी औषधियों की भी कामना की गयी है। 'स्तुतस्त्वं, भेषजा रास्यस्मेय ऋग्वेद में चिकित्सकों में इन्द्र को तृतीय स्थान प्राप्त है। इन्द्र ने अपाला के चर्म रोग तथा उसके पिता के गंजे रोग निवारण किया था। अग्नि देव से भी अनेकों स्थलों पर रोग निवारण की प्रार्थना की गई है। इसका संकेत इस प्रकार मिलता है कि 'हे अग्ने तू हमारे पुत्रों और पौत्रों के लिए सुख तथा आरोग्य प्रदान कर'¹⁰।

आयुर्वेद के आचार्यों के नाम - ऋग्वेद के मंत्रों में द्विवोदास, भारद्वाज, अश्विन इत्यादि आचार्यों के नाम मिलते हैं। आयुर्वेद में दिनोदास, शल्यतन्त्र का पृथ्वी पर प्रचार करने वाला और को भारद्वाज पृथ्वी पर कायचिकित्सा का प्रचार करने वाला मानते हैं। अश्विन कुमार दोनों शाखाओं में पारंगत थे। **ऋग्वेद में व्याधियों का उल्लेख**-ऋग्वेद के मंत्रों में व्याधियों का उल्लेख आता है। राजयक्ष्मा, ग्राहि, पृष्ठयामय हृदयरोग, क्रिमिरोग आदि के साथ ही शरीर के अंग -प्रत्यंग एवं उनसे होने वाली व्याधियों का भी वर्णन है। दशम मंडल के 163 वे सूक्त में यक्ष्म रोग से पीड़ित रोगी के अंग-प्रत्यंगों का वर्णन मिला है। तथा संपूर्ण सूक्त यक्ष्मा का नाश करने के लिए ही बनाया गया है¹¹। जो प्रत्येक अंग के नामोल्लेख के साथ उसमें व्यास, यक्ष्मा के नाश का उल्लेख करता है। सम्पूर्ण शरीर को जकड़ने वाले 'ग्राहि' गठिया नामक रोग का वर्णन तथा विद्युत एवं अग्नि के गुणवाली औषधियों से चिकित्सा करने का संकेत है। ऋग्वेद में 'क्रिमि वर्णन' भी अनेक मंत्रों में आता है। विषले - दृश्य-अदृश्य भांति-भांति प्रकार के क्रिमि जो रोग फैलाते ह दुर्गामा, पापनामा के नाम से जाने-पहचाने गये हैं। ये पाप प्रदेश में उत्पन्न होकर गर्भाशय को हानि पहुँचाते हैं।

ऋग्वेद में इनकी चिकित्सा प्रमुख रूप से सूर्य की किरणों द्वारा बतायी गयी है। इसलिए, सूर्य का नाम 'अदृष्टा' बताया गया है। अदृश्य सभी प्रकार के क्रिमियों का नाश करता है। ऋग्वेद के अनुसार उन्माद रोग का कारण भी क्रिमि ही है। अग्नि तथा इन्द्र ये दोनों क्रिमि नाशक हैं।

ऋग्वेद में औषधि विज्ञान का वर्णन-ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से आरोग्य व औषधि की प्राप्ति का भिन्न-भिन्न स्थानों पर उल्लेख है। यथा-सूर्य, जल, वायु, अग्नि आदि से चिकित्सा की जाती थी। औषधियों का भी प्रयोग, किया जाता था। औषधियों का स्वरूप गुण तथा प्रयोग इत्यादि के ज्ञान के लिए ऋग्वेद का औषधि सूक्त महत्वपूर्ण है। इसमें औषधियों के स्थान, गुण आदि का वर्णन, वर्गीकरण एवं उनके कार्यों का संकेत है तथा औषधियाँ शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जिस प्रकार से अंग-अंग में समाहित होकर अपना प्रभाव डालते हुए कार्य करती हैं इसका विशद परिचय मिलता है।

ऋग्वेद कालीन समाज में औषधियों का विक्रय भी किया जाता था, औषधियों का विनिमय धन, गाय, अश्व तथा वस्त्रादि के बदले किया जाता था। इस काल की प्रमुख औषधियों में पुष्पवती, प्रसूवरी, अपुष्पा, अफला, अवपतत्रदिव, देवी धामनिशतम, परांगाता, परिष्ठा, पर्णवसति, फलिनि, बही, वृहस्पति, प्रसूता, माधवी, रुहः सहस्रम, शतकृत्वः रोमराजी इत्यादि

थी।¹¹

निष्कर्ष - ऋग्वेद काल में औषधियों के संग्रहकर्ता भिषक वैद्य होते थे। वैद्य भी न केवल एक दो थे अपितु सैकड़ों की संख्या में थे। औषधि रूप में ज्ञात लता- वनस्पतियां आदि भी स्वल्प नहीं थी अपितु हजारों की संख्या में थी।¹² जिनसे ज्ञात होता है कि आयुर्वेद-विज्ञान के ज्ञाता सैकड़ों ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण रूप से व्यवहृत तथा शृंखला रूप में विद्यमान सम्पूर्ण औषधियों से युक्त आयुर्वेद - विज्ञान ऋग्वेद में समाहित था क्योंकि औषधियों का उपयोग, उनके उल्लेख तथा उनसे होने वाले लाभों के निर्देश ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार आयुर्वेद का ऋग्वेद के साथ घनिष्ठ संबंध था। यह ऋग्वेद का ही उपवेद है ऋग्वेद से ही निकलकर आयुर्वेद आर्यावर्त में विकसित हुआ। इसका प्रमाण चरक, तथा सुश्रुत जैसे आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथों में मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. राय, विमला देवी - वेदकालीन समाज और संस्कृति पृ. 165 वाराणसी

- 2001

2. चरक संहिता 1/41 - चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी प्रकाशन 1968
3. राय विमला देवी - पृ. 166
4. शौनक संहिता 2/9/3 - चौखम्बा प्रकाशन 1968
5. ऋग्वेद, 1/116/10 - सायण भाष्य शक संवत् 1855, वैदिक संशोधन मण्डल पूना
6. वही 1/158/4-6
7. वही 1/16/15
8. वही 1/116/13
9. वही 4/12/5
10. वही 10/163/6
11. वही 10/17/4
12. अथर्ववेद, 2/9/3 - विश्वबंधु, वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर 1960

मानवाधिकार संरक्षण और प्रशासन की भूमिका

डॉ. हनुमान प्रसाद मीना*

शोध सारांश - मानवाधिकार संरक्षण में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशासन न्याय व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है। अतः मानवाधिकार संरक्षण प्रशासन का मुख्य कर्तव्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ढण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय ढण्ड विधान में विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को संरक्षण दिये जाने, बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करने अनुरक्षण की अवधि में अमानवीय व्यवहार से रक्षा करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा मानव पर अत्यधिक बल प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही आम नागरिकों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन आदि के अधिकार दिए हैं। प्रशासन किसी भी शासन की कार्यकारी शाखा है। जिस पर प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के गलत प्रयोग और सुरक्षा का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए प्रशासन को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इस बल का निश्चित सीमा तक तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना जरूरी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा की जा सकें। साथ ही किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के रक्षार्थ प्रशासन द्वारा अन्य किसी के अधिकारों का हनन न हो। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रशासन को मानवाधिकारों के संबंध में पूर्ण शिक्षा दी जाए। प्रशासन द्वारा कई तरीकों से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे - आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग, गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करना, किसी व्यक्ति को झूठे प्रकरण में अभियोजित कर लेना, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से अभिरक्षा में रखना आदि।

शब्द कुंजी - भारतीय ढण्ड विधान, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, भेद, रंग भेद, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, रूढ़िवादी समाज, अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, सरकारी तंत्र की कमजोरी, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार।

प्रस्तावना - मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं एवं जिनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ही संभव है। जिन देशों में मानवाधिकारों का हनन होता है। वहाँ पर लोकतन्त्र की ज्योति बुझ जाती है एवं उस देश में हिंसा, अराजकता, अस्थिरता, असुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएँ एवं बच्चों का शोषण होता है एवं इन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आज विश्व के समक्ष सबसे ज्वलंत मुद्दा मानवाधिकारों का हनन एवं इनकी रक्षा का है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 10 दिसम्बर 1948 को 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र' जारी किया। जिससे की विश्व के सभी देशों में व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। लोकतन्त्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के मानवाधिकारों की सबसे ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। लोकतन्त्र व मानवाधिकार एक-दूसरे की आवश्यकता बन गये हैं। जहाँ लोकतन्त्र होगा वहाँ मानवाधिकार होंगे तथा जहाँ मानवाधिकार होंगे वहाँ लोकतन्त्र होगा। भारतीय संविधान के भाग-तीन में मौलिक अधिकार स्थापित कर व्यक्ति के मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन आज भी मानवाधिकारों की रक्षा के मार्ग अनेक चुनौतियाँ हैं। जिनमें अशिक्षा, गरीबी, लिंग भेद, नस्लीय भेद, रंग भेद, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, रूढ़िवादी समाज, अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, सरकारी तंत्र की कमजोरी, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, आदि। लेकिन आज मानवाधिकारों को सुदृढ़ एवं उनकी रक्षा के लिए इन चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है जिससे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकें। मानवाधिकारों से समाज से शांति, सौहार्द, भाईचारा व विश्व बन्धुत्व की

भावना बढ़ती है, अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना को बढ़ावा मिलता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत होती है।

संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक पद से ये स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी शक्ति जनता की इच्छा से प्राप्त करती है। सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा है। जनता ही सरकार का निर्वाचन करती है। इससे यह भावना निकलती है कि सभी व्यक्ति मूलवंश, धर्म, भाषा, लिंग और संस्कृति के लिहाज के बिना समान हैं। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है। संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्न प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं।

पद प्राप्ति की समानता - अनुच्छेद 16 के अनुसार 'सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा'। इसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार भी है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित कर दे।

भ्रमण की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या बिना किसी विशेष अधिकार-पत्र के भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता - भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई पेशा, व्यापार या कारोबार कर

* व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

सकते हैं। राज्य साधारणतः व्यक्ति को कोई विशेष नौकरी, व्यापार, अथवा व्यवसाय करने हेतु ना बाध्य करेगा और ना ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।

कानूनन समानता - अनुच्छेद 14 के अनुसार 'भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। इस व्यवस्था का आशय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानूनी व्यवहार करेगा।

सामाजिक समानता - कानून के समक्ष समानता के साथ-साथ संविधान क द्वारा सामाजिक समानता की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार 'राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा'²।

शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता - व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस अथवा प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है।

संघ निर्माण की स्वतंत्रता - संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षडयन्त्र करें अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करें।

कानून में समानता - अनुच्छेद 20 के अनुसार 'किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो'। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्डित किया जा सकता है।

रक्षा का अधिकार - इसमें कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता'। अब आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है।³

शोषण के विरुद्ध अधिकार - भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएँ हैं: अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार (जबरदस्ती) पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

मौलिक अधिकारों का संरक्षण - इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों, अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा भी व्यक्तियों को चाहे वे विदेशी हों या भारतीय नागरिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं—25 वें अनुच्छेद द्वारा सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धार्मिक आचरण और प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के अनुयायियों को यह अधिकार दिया गया है। धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएँ बना सकेंगे। अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकेंगे। चल और अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेंगे। अनुच्छेद 27 के अनुसार ऐसी समस्त आय को कर मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। अनुच्छेद 28 के अनुसार 'राजकीय निधि से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी। किन्तु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है।'

संवैधानिक संरक्षण का अधिकार - संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को भी संविधान में स्थान दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं—

बंदी प्रत्यक्षीकरण - व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।

परमादेश - परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है।⁴

प्रतिषेध - यह आज्ञा-पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों तथा अर्द्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहां कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

उत्प्रेषण - यह आज्ञा-पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करें या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों को भंग न करें।

अधिकार पृच्छा - जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता।

युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 23- किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, भीख मंगवाना और इसी तरह के कृत्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

अनुच्छेद 32- महिला तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का प्रावधान।⁵

अनुच्छेद 42- राज्यों को इस अनुच्छेद में गर्भावस्था के दौरान काम करने के लिए छूट तथा अवकाश देने का अधिकार दर्शाया गया है।

गिरफ्तारी सम्बन्धी अधिकार - गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में विधिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा-अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताये बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घण्टे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22(1) के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने व प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के जोगेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 'रिट पिटीशन' (सिविल) सं. 9/1994 में गिरफ्तार व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार बताये हैं- मेडिकल मुआयना करवाने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपने मित्र या सम्बन्धी को गिरफ्तारी का कारण या स्थान की सूचना देने का अधिकार। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार के वकील के मौजूद रहने का अधिकार। वकील से सलाह करने का अधिकार। यह अधिकार गिरफ्तारी के समय से ही प्रारम्भ हो जाता है।⁶ मजिस्ट्रेट के पास बिना विलंब ले जाये जाने का अधिकार। जब भी किसी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखा जाए, तो मानव गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं—अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद 7 के अनुसार किसी व्यक्ति को यातना के या क्रूर, अमानवीय और निम्नकारी सजा के अधीन नहीं रखा जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता में धारा 330 व 331 में किसी अभियुक्त से संस्वीकृति करवाने व अपराध के बारे में जानकारी लेने या सम्पत्ति बरामद करवाने के लिए मारपीट करने को दण्डनीय बनाया गया है। न्यायालयों ने भी हिरासती अपराधों को सख्ती से दंडित करने की नीति अपनाई गई है। इसी प्रकार न्यायालयों ने बिहार पुलिस हिरासत में अभियुक्तों को अन्धा करने व अन्य मामलों में भी सख्त रवैया अपनाया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पुलिस अधिकारी अभियुक्त को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न दिलवायेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासती अपराधों को बहुत गंभीर माना है। आयोग ने सभी राज्यों को लिखा है कि हिरासत में मौत या बलात्कार की घटना होने पर सूचना, सूचना आयोग में 24 घण्टे में दी जायेगी। किसी अन्य स्रोत से आयेग को सूचना मिलने पर यह माना जाएगा कि अपराध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विधि आयोग ने 1985 में यह सिफारिश की है कि पुलिस हिरासत में मौत का मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा ऐसा न करने को साबित करने का भार पुलिस पर होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष में कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं।⁷

प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार - अभियुक्त को अदालत में कानूनी रूप से प्रतिरक्षा करने का हक है। संविधान का अनुच्छेद 22(1) यं उपबंध करता

है कि गिरफ्तार व्यक्ति वकील से सलाह करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 303 के अनुसार अभियुक्त को यह अधिकार होगा कि उसके पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। धारा 207 प्रावधान करती है कि न्यायालय प्रत्येक रिकार्ड की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। निष्पक्षता का अधिकार - मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगे अभियोग में स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत में खुली और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।⁸ अनुच्छेद 11 - जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग लगा है उसको खुली सुनवाई में अपराधी साबित होने तक निर्दोश माने जाने का अधिकार है। 'सिविल और राजनैतिक अधिकारों के करार' के अनुच्छेद 10(2) के अनुसार - अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष व्यक्ति से अलग रखा जाएगा। 'सिविल और राजनैतिक अधिकारों के करार का उल्लेख अनुच्छेद 14 अनेक मानवाधिकारों का उल्लेख करता है जैसे न्यायालय के समक्ष समानता, निर्दोश होने की पूर्वधारणा, प्रतिरक्षा देने का अधिकार आदि। यह सभी नियम शीघ्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निर्देश देते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में घटनास्थल पर जाकर बयान लिये जाते हैं और जांच की जाती है। महिला अभियुक्त या संदिग्ध के साथ अभिरक्षा में अपराध होने पर भी आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है। महिलाओं से पुलिस अभिरक्षा के दौरान बलात्कार करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) में अधिक दण्ड यानी आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है।⁹ बन्दी के अधिकार - भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय करार की पालना में बंदियों को कुछ विशेष मानवाधिकार प्रदान किये गये हैं जो निम्न प्रकार से है- और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद 6 खण्ड (1) में कहा गया है कि - प्रत्येक मानव प्राणी को जीवन का अधिकार जन्मजात प्राप्त है। खण्ड (2) में यह कहा गया है कि जिन देशों में मृत्युदण्ड समाप्त नहीं किया गया है वहां यह गम्भीरतम अपराध के लिए लागू होगा। खण्ड (4) में कहा गया है कि मृत्युदण्ड से दंडित प्रत्येक व्यक्ति को क्षमादान, सामूहिक क्षमा या दण्ड में कमी मांगने का अधिकार होगा और यह सभी मामलों में दिये जा सकेंगे। इसी करार के अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी और क्रूर, अमानवीय या निम्नकारी उपचार या सजा के अधीन नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 9(5) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विधि विरुद्ध गिरफ्तारी का निरोध का पीड़ित है, उसे क्षतिपूर्ति का प्रवर्तनीय अधिकार होगा। भारत ने इस करार को स्वीकार किया है लेकिन अनुच्छेद 9(5) को भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं किया है। अनुच्छेद 10(2) (क) के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति, सिद्धदोष व्यक्तियों से अलग रखे जाएंगे और उनके साथ असिद्धदोष व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। उपखण्ड (ख) में कहा गया है कि जेल में बंद बंदियों मामले यथासंभव तेजी से निपटाए जाएंगे। खण्ड (3) में कहा गया है कि दण्ड प्रणाली का उद्देश्य कैदियों का सुधार व सामाजिक पुनर्वास होगा।¹⁰

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा - मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि 'सभी मानव प्राणी गरिमा और अधिकारों के दृष्टि से स्वतंत्र और समान जन्में हैं और उन्हें बुद्धि व अन्तरात्मा की देन प्राप्त है'। अन्य व्यक्तियों की भांति ही यह अधिकार

बंदियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी को भी यातना नहीं दी जाएगी और किसी को क्रूर, अमानवीय या निम्नकारी उपचार या सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में यह घोषित किया गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या देश-निष्काषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11(1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया है, तब तक निर्दोश माना जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी प्रतिरक्षा की सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया गया हो। इन घोषणाओं में बंदियों के अधिकार निहित हैं, चाहे वे विचाराधीन बंदी हो या निरुद्ध बंदी हों या निरुद्ध किये गये हों। बंदियों के उपचार हेतु मानदण्ड - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1957 में कैदियों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत किये गये। महत्वपूर्ण मानवाधिकार नियम निम्नांकित हैं-

1. कैदियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जायेगी।
2. कैदियों को धार्मिक विश्वास से न रोका जाएगा।
3. कैदियों का श्रम पीड़ादायक नहीं होगा।
4. कैदियों के उपचार के लिए उचित तरीके अपनाए जायेंगे।
5. जैर सुनवाई कैदियों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी।
6. सिविल कैदियों को भी अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा।
7. कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैदियों के धार्मिक विश्वास का सम्मान रखा जाएगा।
8. कैदियों को पृथक् रखा जाएगा।
9. कैदियों को रहने के लिए ऐसी जगह दी जाएगी जहां हवा, रोशनी, स्नान व सफाई की पूरी व्यवस्था हो। कैदियों को शरीर की देखभाल की सुविधा दी जाएगी। खाने-पीने का सामान स्वास्थ्यकर होगा।
10. कैदियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
11. अनुशासन व देड के लिए नियमानुसार कार्यवाही होगी।
12. कैदियों को शिकायत करने का अधिकार होगा।

भारत में बंदियों के अधिकार - भारत में लागू मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी उपबंध किये गये हैं। अधिनियम की धारा 12 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए निर्देश दिया गया है कि वह जेलों की दशा व बंदियों की अवस्था का अध्ययन करेगा और इनमें सुधार के लिए सिफारिश करेगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत में न्यायपालिका ने भी बंदियों को उनके अधिकार दिलाने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। मानवाधिकार के प्रावधान - दंड प्रक्रिया संहिता की भांति ही भारतीय दंड संहिता में भी मानवाधिकार के संरक्षण के कुछ प्रावधान उपलब्ध हैं-पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति

के अपराध के बारे में संस्वीकृति या सूचना प्राप्त करने के लिए या संपत्ति बरामद कराने या इस बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए चोट कारित करने पर सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है¹¹। सामान्यतः अपराध दो प्रकार के होते हैं - जमानतीय और अजमानतीय। जमानतीय अपराध निम्न एवं सामान्य प्रकृति के होते हैं जबकि अजमानतीय अपराध गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं। जब कोई व्यक्ति जमानतीय अपराध के अन्तर्गत आने वाला निम्न एवं सामान्य अपराध कारित करता है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उसे जमानत पर अथवा प्रतिभुओं रहित बन्धपत्र पर छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा। जमानतीय अपराध कारित करने वाला कोई भी अभियुक्त जब भी न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अन्तर्गत जमानत पर छोड़े जाने की मांग कर सकेगा। यदि इसी अपराध के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखे व्यक्ति के साथ गंभीर चोट की जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 331 के अनुसार दस वर्ष की सजा और जुर्माना किया जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. प्रसाद गोविंद- महिला एवं बालश्रम, डिस्कवरी पब्लिकेशन्स हाउस नई दिल्ली, 2007
2. मोद अनिता-पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक इन्कलेव, जयपुर, 2001
3. गोयल सुनिल, गोयल संगीता- भारतीय समाज में नारी, आर.बी. एस.ए प्रकाशन, जयपुर 2013,
4. मुखर्जी रविन्द्रनाथ व अग्रवाल भरत- भारतीय सामाजिक व्यवस्था, विवेक प्रकाशन, 2010
5. माथुर प्रियंका-महिला सशक्तिकरण, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2006
6. यादव रवि, दिप रागीणी, राज पूजा- भारत में महिला श्रमिक, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली 2010
7. आहूजा राम- भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2007
8. यादव राजेन्द्र ओर वर्मा अर्चना- अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2001
9. यादव रविन्द्र- इक्कीसवीं सदी की महिला सक्षमीकरण मिथक एवं यथार्थ, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2010
10. उपाध्याय भगवत शरण- भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पीपल्स पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली 2003
11. रावत हरिकृष्ण- उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2001

अथर्ववेद में वर्णित आचार शिक्षा एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता

डॉ. रुचि गुप्ता *

प्रस्तावना - वेद समस्त मानव जाति के लिए प्रकाश स्तम्भ स्वरूप हैं जो अनादिकाल से उसे कर्तव्य-अकर्तव्य के मध्य विवेक की शिक्षा प्रदान करते आए हैं। समस्त सृष्टि से सम्बन्धित ऐसा कोई तत्त्व नहीं जिसका बीज वेदों में न प्राप्त होता हो। वेद सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना के मूल रहे हैं। वस्तुतः वेदों ने न केवल भारतीय संस्कृति अपितु विश्व-संस्कृति को भी परिष्कृत व परिमार्जित किया है।

चारों वेदों में अथर्ववेद का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वैदिक वाग्मय का शिरोभूषण है। संस्कृति और सभ्यता का जितना विशद विवेचन अथर्ववेद में प्राप्त होता है उतना अन्य किसी वेद में नहीं प्राप्त होता। संस्कृति के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित तत्त्वों से समूचा अथर्ववेद परिपूर्ण है।

शिक्षा, संस्कार, नीतिपरक तत्त्व, आचार-व्यवहार आदि कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इन समस्त तत्त्वों का अथर्ववेद में विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है।

'आचार' शब्द को यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 'आ' उपसर्ग पूर्वक 'चर्' धतु से 'घट्' लगाने पर 'आचार' शब्द निष्पन्न होता है। 'आचार' का तात्पर्य आचरण से है अर्थात् मनुष्य को किस प्रकार का आचरण अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि उसका जीवन सुन्दर व कल्याणमय बन सके।

अथर्ववेद में अति विस्तार से आचार शिक्षा का वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद में सत्य के महत्त्व का बहुविध वर्णन मिलता है। सत्य एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त दुर्भावनाओं तथा आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है।

समं ज्योति सूर्येणाह्या रात्री समावती।

कृणोमि सत्यभूतयेद्धरसाः सन्तु कृत्वरीः।¹

अर्थात् जिस प्रकार प्रभा व सूर्य का तथा दिन व रात्रि का समानत्व सत्य है, उसी प्रकार हम भी सत्य की रक्षा के लिये यत्न करते हैं जिससे हिंसा करने वाली कृत्याएँ निष्क्रिय हो जाएँ।

सत्यवादी जन तेजस्वी होता है। अतः कोई भी उसको अभिभूत नहीं कर सकता। सत्य का तेज और प्रकाश सूर्य के समान होता है। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है-

सत्येनोत्तमिता भूमिः।²

सत्य जीवन को पवित्र करता है तथा वह प्राकृतिक नियम का केन्द्र है।³

अथर्ववेद में कहा गया है मनुष्य अपना धन परोपकार में लगाए। जिस प्रकार नदियाँ आदि सतत् परोपकार में लीन रहती हैं, उसी प्रकार मानव

अपने जीवन का ध्येय परोपकार में रखे।⁴

मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ लोगों की संगति रखनी चाहिए क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। जिस पुरुष की संगति दुर्जनों के साथ होती है वह समाज में निम्न दशा को प्राप्त करता है। मनुष्य का हृदय शोक से रहित हो और प्रसन्नचित हो।⁵ वह आयु, बल कर्म, बुद्धि तथा इन्द्रियों से श्रेष्ठ कर्म करे। उसके कान तथा नेत्र हितकारी तत्त्व देखें तथा उसी का श्रवण करें।

सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम्।⁶

अर्थात्

हमारे दोनों कान श्रेष्ठ ज्ञान, कल्याणकारी वचन और हितकारी वार्तालाप का ही श्रवण करें।

.....सौपर्ण चक्षुरजस्रां ज्योतिः।⁷

अर्थात्

हम सदैव गरुड़ के नेत्र के समान तेजस्वी दृष्टि से युक्त रहें।

अथर्ववेद में कहा गया कि हम परस्पर द्रोह न करें, अन्यथा कोई भी हमारा रक्षक नहीं होगा-

को अस्या नो दुहोद्धवघवत्या उन्नेष्यति....।⁸

अथर्ववेद में कहा गया है कि हम उच्च विचार वाले तथा उन्नत बनें।⁹ हमारे मन-वचन-कर्म में एकरूपता होनी चाहिए।¹⁰ ईश्वर सदैव हमें कल्याणकारी बुद्धियों को प्रदान करे क्योंकि सदबुद्धि का अनुग्रह प्राप्त होने पर ही मानव उन्नति को प्राप्त कर सकता है।¹¹

अथर्ववेद में कर्म के ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है कि मानव को सदैव कर्मशील होना चाहिए। देवता भी पुरुषार्थी को चाहते हैं आलसी को नहीं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वही जीवन में आनन्द को प्राप्त करता है। व्यक्ति इच्छा मात्रा से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता-

न कामेन पुनर्मघो भवामि.....।¹²

अथर्ववेद में एक मन्त्र में कहा गया है कि हमारे दाहिने हाथ में कर्म तथा वाम हस्त में विजय है। इन दोनों से हम गौ, अश्व, धन व भूमि को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं-

कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आहितः।¹³

अथर्ववेद कहता है कि कृपणता से आलस्य तथा प्रमाद होता है। अतः व्यक्ति को अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। स्वार्थ त्याग व आत्म समर्पण ही सफलता के उपाय हैं।¹⁴

हमारी वाणी में माधुर्य व तेज हो। ऐसी वाणी बोलें जो दूसरे के मन को हर्षित करे।¹⁵ कटुवचन दुःख का कारण है। विद्वान लोग मधुर वचनों से शत्रुओं के कटु वचनों पर विजय लाभ प्राप्त कर लेते हैं।

* एसो. प्रोफेसर (संस्कृत विभाग) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत, बागपत (उ.प्र.) भारत

हम अपने साथियों से प्रेम करें। द्वेष दुःख का कारण है। अतः परस्पर मिलकर चलें हमारे अन्दर समानता-संगठन का भाव हो-

समाना मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तामेषाम्।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेता अभिसंविशध्वम्।।

और भी

समानी व आकृतिः समाना हृदयानिवः। समानस्तु वो मनो यथा वः

सुसहासति।¹⁶

मद्य, मांस, मैथुन, धूत, पर पीड़न, हिंसा, पाप, विचार, द्वेष आदि अवगुणों का त्याग करना चाहिए।¹⁷ परस्त्री गमन भी एक भयंकर पाप है इससे व्यक्ति का पतन होता है।¹⁸

इस प्रकार हम देखते हैं कि अथर्ववेद में अति विस्तारपूर्वक 'आचार शिक्षा' परक तत्त्व प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान भौतिकता से परिपूर्ण इस जगत् में इन आचार शिक्षाओं की क्या उपयोगिता है? आज मनुष्य आधुनिक से आधुनिकतम की ओर अग्रसर होता जा रहा है। नित-नूतन अविष्कार उसके जीवन को ओर भी अधिक सुकर बना रहे हैं। व्हाट्सअप तथा फेसबुक एवं ऐसी ही अन्य सुविधाओं ने सम्पूर्ण विश्व को आम्रलोक वत् मनुष्य के कराग्र पर स्थित कर दिया है। ऐसे समय में युगो पूर्व रचे गये अथर्ववेद में वर्णित 'आचार शिक्षा' की प्रासंगिकता अवशिष्ट है अथवा लुप्त हो चुकी है यह एक विचारणीय बिन्दु है। यदि ध्यान से चिन्तन किया जाए तो हम पाते हैं कि वैश्वीकरण के इस युग में मानव स्वयं से दूर होता जा रहा है। उसके समस्त रिश्ते, सम्बन्ध, आडम्बरों व कृत्रिमताओं से आहत होकर कहीं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मृतप्रायः पड़े हैं। भौतिक उन्नति को प्राप्त करने का इच्छुक मानव विवेक शून्यता को प्राप्त होता हुआ नैतिक

पतन के गर्त में धँसता चला जा रहा है। अतः ऐसे समय में जबकि मानव शुचिता को पूर्णतः विस्मृत कर कुंठा, हताशा, तनाव, चारित्रिक पतन आदि व्याधियों से ग्रस्त हो रहा है, अथर्ववेद में वर्णित ये आचार शिक्षाएँ उसे उचित मार्ग-दर्शन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद, 4-18-1
2. वही, 14-1-1
3. वही, 8-4-13
4. वही, 1-15-3-4
5. वही, 16-3-1-2
6. वही, 16-02-4
7. वही, 16-02-5
8. वही, 7-108-1
9. वही, 7-102-1
10. वही, 2-30-4
11. वही, 7-97-71
12. वही, 5-11-2
13. वही, 7-50-8
14. वही 7-115-1-2
15. वही, 5-6-5
16. वही, 6-64-2-3
17. वही, 6.70.1
18. वही, 8.6.16

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सन्तोष कुमारी *

प्रस्तावना – मनुष्य की प्राचीन समय से ही प्रकृति को समझने और प्रकृति से सीखते हुए कुछ नया खोजने की प्रवृत्ति रही है। प्राचीन काल में जहां मनुष्य प्रकृति की मूल सुविधाओं का उपभोग करके अपना जीवन यापन करता था वही आज के आधुनिक समाज में मानव द्वारा किए गए विभिन्न अविष्कारों के माध्यम से समाज के लिए हर प्रकार की सुविधाओं को अर्जित कर लिया है। यह सभी अधिकार तथा उपलब्धियां किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत प्रयासों अथवा व्यक्तियों के एक समूहके सामूहिक प्रयासों का परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति, जो अपने कठिन प्रयासों के प्रत्याशी किसी नए अविष्कार या विचार को उत्पन्न करता है, वास्तव में उस अविष्कार एवं विचार का मूल श्रेय भी उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए परंतु वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति की वास्तविक उपलब्धियों को दूसरे व्यक्ति गलत तरीके से अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार मूलतः इसी तरह की अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने का एवं सही व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है।

बौद्धिक संपदा का अर्थ – बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था तथा 20वीं शताब्दी में यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित हुआ। जिस प्रकार मनुष्य अपनी शारीरिक मेहनत के द्वारा भौतिक संपदा का निर्माण करता है ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर किसी विशेष संपदा का निर्माण करता है तो उसे ही बौद्धिक संपदा कहते हैं।

बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक, रचना या कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट इत्यादि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई भौतिक धन का स्वामी होता है ठीक उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार – बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाला अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का सृजन (जैसे-साहित्यिक कृति की रचना, शोध, अविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम उस पर उस व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मान्य बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक संगत अधिकार एवं संबंध नियमों की व्यवस्था की जाए।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशेषताएं – बौद्धिक संपदा अधिकारों

की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. बौद्धिक संपदा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान होते हैं।
2. बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति को उसके द्वारा अर्जित की गई सूचना को अन्य लोगों द्वारा उपयोग करने से रोकती है या फिर इन्हीं निश्चित निर्धारित शर्तों पर योग करने देती है।
3. बौद्धिक संपदा अधिकार निजी अधिकार होते हैं।
4. यह किसी देश की सीमा के अंदर मान्य होते हैं।
5. यह अधिकार सीमित अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार की आवश्यकता – बौद्धिक संपदा अधिकार को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है और संपूर्ण विश्व में यह स्वीकार किए गए हैं क्योंकि इन्हें स्वीकार करने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो निम्नलिखित है:

1. नई सर्जन के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. रचनाकारों और अविष्कारों को उचित मान्यता प्रदान करना।
3. बौद्धिक संपदा के लिए भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करना।
4. वास्तविक और मूल उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्भव – भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रथम के वर्ष 1856 में तब सामने आया जब जॉर्ज अलफ्रेड डे पेनिंगमें अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। बाद में उन्हें पेटेंट प्रदान किया गया। पेटेंट भारत के बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रथम पेटेंट के रूप में जाना जाने लगा को मिला बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आने वाली दूसरे प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट सबसे प्राचीन है। यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1847 में लागू किया गया था। वर्ष 1914 में भारतीय संसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास किया गया जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम के सन 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग समान ही था। इसके पश्चात भारत में सन 1958 में नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया। पेटेंट के दृष्टिकोण से भारत में सन 1856 में अधिनियम पास हुआ जो कि सन 1883 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात सन 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन एक्ट में इसके स्थान दिया गया। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए वर्ष 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किए गए बाद में समय अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किए गए।

कॉपीराइट – कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन मानचित्र और तकनीकी

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (समाजशास्त्र विभाग) जैनकन्या पाठशाला (पी.जी.) कालेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. आर्थिक आधार – इसके अंतर्गत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी पृथ्वी का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है।

नैतिक आधार – इसके अंतर्गत किसी भी लेखक / रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण दिया जाता है।

कॉपीलेफ्ट के अंतर्गत कृति की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक/ रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

पेटेंट – जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट वर्ष की तिथि से 20 वर्षों के लिए होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो तथा यह आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए, ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक होते हैं। ऐसे आविष्कार (जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हो तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव-जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हो) को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा।

ट्रेडमार्क – एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीत में ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। ट्रेडमार्क को 'ब्रांड नाम' से भी जाना जाता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाओं की पहचान करने और खरीदने में मदद करने के लिए इसकी अनूठी ट्रेडमार्क द्वारा इसकी प्रकृति और गुणवत्ता का संकेत मिलता है ट्रेडमार्क पंजीकरण अवधि से 10 साल तक वैध होते हैं और समय-समय पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। ट्रेडमार्क उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा की पहचान करने और खरीदने में सहायता करता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग वाणिज्य क्षेत्र में किया जाता है।

औद्योगिक डिजाइन – भारत में डिजाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार- डिजाइन से अभिप्राय है, आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण रेखाओं या वर्णों का संघटन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो औद्योगिक डिजाइन कहलाती है। औद्योगिक डिजाइन बौद्धिक संपदा का एक तत्व है। ट्रेडमार्क समझौते के अनुसार- औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के न्यूनतम मानको को प्रदान किया गया है। एक औद्योगिक डिजाइन या औपचारिक उपस्थिति की रक्षा करता है। इसे इंजीनियरिंग डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। एक औद्योगिक डिजाइन उत्पादों के उपयोगकर्ता पहलुओं पर केंद्रित है, इसीलिए यह उत्पादन के साथ-साथ विपणन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजाइन कानून का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन के डिजाइन तत्वों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।

भौगोलिक संकेतक – भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरापेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक

संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना, आदिभौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम भारत में 1999 में बनाया गया। वर्ष 2003 से यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'उस्ताद योजना' के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया गया। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है।

भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की कमियां – बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-अमेरिका व्यापार में अपेक्षा अनुसार प्रगति न होने का जिम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं हालांकि इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है लेकिन फिर भी हमें भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि कौन सा किस्म पेटेंट के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में किसानों और कारपोरेट के बीच में तनाव देखने को मिलता है। भारत में पेटेंट करवाना जटिल काम है क्योंकि हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है। किसी भी शोध का पेटेंट मंजूर कराने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस आधार पर निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी हैं अगर ऐसे में हम बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का आधार कला या तकनीकी कौशल को बनाते हैं तो आने वाले समय में यह मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाएंगी। शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों का को आकर्षित न कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास – कॉपीराइट अधिनियम, 1957: कॉपीराइट अधिनियम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने हेतु इस कानून को संपूर्ण देश में लागू किया गया।

पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005: सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारत में सर्वप्रथम भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किए गए। इस संशोधन के अनुसार 'प्रोडक्ट पेटेंट' का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया। जैसे खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया।

ट्रेडमार्क अधिनियम 1999: भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 बनाया गया है। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999: यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अलावा अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके।

डिजाइन अधिनियम 2000: इसके अंतर्गत सभी प्रकार की औद्योगिक डिजाइन को संरक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016: 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति के अंतर्गत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए गए जो बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति - भारत में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूत बौद्धिक संपदा कानून सम्मिलित है परंतु इसमें कई कमियां हैं क्योंकि इसमें प्रभावी कार्यान्वयन की कमी है जिसके लिए बौद्धिक संपदा मामलों के फैसले को कम से कम 'प्राथमिकता' अक्सर एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। भारत के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा तैयार करना आवश्यक है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करने में मदद करेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का मुद्दा विकासशील देशों के मुद्दों पर सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण के बीच बहस योग्य है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच 1993 में लागू किए गए बौद्धिक संपदा समझौते इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने पर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के खतरे के साथ कई विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा और परिवर्तन के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते हैं। बौद्धिक संपदा की

अवधारणा में मानव के रचनात्मक और साहित्यिक आउटपुट शामिल होते हैं जैसे संगीत, उपन्यास, गति चित्र और औद्योगिक डिजाइन जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा में मूल रचनाएं होती हैं लेकिन समान रचनाएं दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होती हैं। सबसे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए रचनाओं का उपयोग किया जा रहा है, और दूसरी रचनाएं हैं जो कॉपीराइट सामग्री हैं। औद्योगिक संपत्ति में पेटेंट या अविष्कार, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और स्रोत के भौगोलिक संकेत भी शामिल हैं। पेटेंट ऐसा अधिकार है जिन्हें विशेष रूप से किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित अविष्कारों के लिए दिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एन, कन्नन (2010): बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व, बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय जर्नल, 1 (1), 1-5.
2. शाजीदा दाई: भारत में बौद्धिक संपदा कानून पर एक संक्षिप्त विश्लेषण, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
3. मनोज, डोली (2012): बौद्धिक संपदा अधिकार भारत में विनिमय और रुझान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च, 3 (12)
4. अभिजीत सिन्हा और आर.के. भारद्वाज (2010): डिजिटल पुस्तकालय और बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल पुस्तकालयों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

ग्राम सभा : प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक संस्था

डॉ. वंदना शर्मा *

शोध सारांश – भारत सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देकर महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित 'सहभागी प्रजातंत्र' में विचार को साभार रूप प्रदान किया गया है। प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्राम सभा होती है। जो पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने-वाले गाँव के समस्त निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का मुख्य कार्य पंचायत के कार्यों की निगरानी करना होता है। ग्रामीण विकास में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है किन्तु अभी तक भी ग्राम सभा जन सभा में रूप में स्थापित नहीं हो पायी है। ग्राम सभा की बैठकों में नागरिकों की रूचि का अभाव रहता है। गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। समय पर ग्रामीणोंको इस बैठकों की सूचना नहीं मिल पाती इस स्तर पर सरकारी पहल की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्राम सभा की महत्ता और भूमिका का वर्णन किया गया है।

शब्द कुंजी – पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, गणपूर्ति, कोरम, राजस्व, ग्राम, परिसीमन, डुगडुगी, प्राथमिकीकरण, सामुदायिक, श्रमदान, निगरानी, समिति, बजट, रिपोर्ट, अनुदान।

प्रस्तावना – ग्राम सभा-परिचय – ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है। पंचायत राज की अन्य संस्थाएँ ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् जनता के प्रतिनिधियों वाली संस्था है परन्तु ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। किन्तु बड़े राजस्व ग्राम में जहाँ एक से अधिक ग्राम पंचायत का गठन हुआ हो वहाँ जितनी ग्राम पंचायतें होंगी, उन सबकी अलग-अलग ग्राम सभा होगी। इसके सदस्य उस राजस्व ग्राम में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे वास्तव में गणतंत्र के आधार को कमजोर ही करते हैं और स्वयं को अपने अधिकारों के लिए अयोग्य ही साबित करते हैं।

हमारे गणतंत्र में चार सभाएँ हैं- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं ग्राम सभा। इन चारों में भी ग्राम सभा एक मूल सभा है क्योंकि, पहली तीनों सभाओं में जनता के सीधे या घुमाकर (अप्रत्यक्ष रूप से) चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं। परन्तु ग्राम सभा में तो स्वयं जनता उपस्थित होती है।

इसके अलावा, ग्राम सभा हमारे गणतंत्र की इन चारों सभाओं में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है। और तो और, हमारे गणतंत्र की सारी सभाओं में केवल ग्राम सभा ही ऐसी सभा है जो शाश्वत है, यानी कि हमेशा बनी रहती है। इसकी अवधि का कोई परिसीमन नहीं। यह अखण्ड है, चिर है। अगर एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत हों तो जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतनी ही ग्राम सभा आयोजित की जायेगी। अर्थात् हर ग्राम पंचायत अपनी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहने वाले मतदाताओं की ग्राम सभा की बैठक बुलाकर निर्णय लेंगे।

ग्राम सभा की बैठक कब और कैसे की जाती है ?

1. हर तीन माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है।
2. आम तौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम चार बार की जानी है जिसके लिये 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। पर आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की

बैठक कभी-भी और जितनी बार मुखिया या सदस्य चाहें प्रक्रियानुसार बुला सकते हैं।

3. ग्राम सभा की बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर और ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना चिपकाकर एवं अन्य आधुनिक प्रचार साधनों से दी जा सकती है।
4. ग्राम सभा बैठक का आयोजन करने की जिम्मेदारी मुखिया की है। यदि वह बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी (बी.डी.ओ.) बैठक का आयोजन करेंगे। मुखिया की असमर्थता की दशा में ग्राम सभा के सदस्यगण को कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित कर ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार है।
5. कार्यपालक पदाधिकारी (बी.डी.ओ.) ऐसी बैठक में अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को भेज सकेंगे।
6. बैठक में कोरम (सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति) पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का बीसवाँ हिस्सा हाजिर हो।

राजस्व गाँव	ग्राम सभा सदस्यों की संख्या	प्रथम बैठक की गणपूर्ति	अगली किसी बैठक की गणपूर्ति
क	1000	50	25
ख	1200	60	30
ग	1300	65	33

7. यदि बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो एक घंटा तक इन्तजार कर बैठक स्थगित कर दी जा सकेगी।
8. स्थगित बैठक अगले दिन अथवा आने वाले किसी दिन के लिये निर्धारित की जा सकेगी।

9. स्थगित बैठक के बाद की बैठक में कोरम कुल सदस्यों के चालीसवें भाग से पूरा होगा।
10. ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया और मुखिया की गैरहाजिरी में उप मुखिया करेंगे।

ग्राम सभा के कार्य:

1. ग्राम में किये जाने वाले विकास के कार्यों में सहायता करना।
2. गाँव में किये जाने वाले विकास कार्यों की योजना निर्माण प्रस्तावित करना और उसे पारित करना।
3. कार्यों का प्राथमिकीकरण करना (यानी कि कौन सा काम पहले किया जाए)।

कल्याण एवं विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के लिये लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना। यदि ग्राम सभा यह काम समय से नहीं कर पाती है तो फिर ग्राम पंचायत इस कार्य का निष्पादन करेगी।

1. विकास योजनाओं को चलाने में मदद करना।
2. सामुदायिक कल्याण के कामों के लिये नकद या अनाज या दोनों देकर मदद करना।
3. श्रमदान करके सहयोग देना।
4. गाँव में चल रहे शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को चलाने में सभी प्रकार का सहयोग देना।
5. समाज के सभी लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना।
6. मुखिया, उपमुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों से ग्राम पंचायत के कार्यों, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं और उसकी आमदनी और खर्च के बारे में पूछताछ करना।
7. ग्राम पंचायत के सालाना आमदनी एवं खर्च के बारे में हिसाब-किताब पूछना निगरानी समिति का गठन करना एवं उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में विचार-विमर्श करना और उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा या सिफारिश करना।
8. अन्य विषय जो सौंपे जायें।

निगरानी समिति:

1. ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किये गये या किये जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देख-रेख के लिये, निगरानी समितियों के गठन का अधिकार है।
2. इन निगरानी समितियों को अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है।
3. इन निगरानी समितियों के सदस्य मुखिया, उपमुखिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है।

ग्राम सभा में चर्चा विषय:

1. अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित बातों पर चर्चा हो सकती है:
2. ग्राम पंचायत के सालाना लेखा-जोखा विवरण के बारे में। पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासन रिपोर्ट पर ऑडिट रिपोर्ट पर और उसके उत्तर पर, यदि हो तो
3. अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट पर पिछले वर्ष के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में।
4. चालू वित्तीय साल में बारे में। शुरू किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों

के समिति की रिपोर्ट पर।

ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा उस ग्राम स्तर पर किये जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देख-रेख के लिये निगरानी समिति का गठन करने का अधिकार है।

निगरानी समिति एक या एक से अधिक हो सकती है।

ग्राम सभा की दो प्रमुख भूमिकाएँ हैं :

1. ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों पर कड़ी नजर रखना। यह काम ग्राम सभा दो तरह से करने में सक्षम है :
(क) निगरानी समितियों का गठन करके
(ख) ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करके परन्तु इसके लिये ग्राम सभा के सदस्यों को सशक्त एवं जागरूक बने रहने तथा सदस्यों (वोटर्स) की ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों को पूरा करने में सहायक होना। यह काम ग्राम सभा तीन तरह से कर सकने में सक्षम है :
(क) श्रम दान करके
(ख) अनुदान देकर
(ग) सलाह देकर

परन्तु इन भूमिकाओं को निभाने के लिये हर एक नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति चौकस और सजग रहना होगा। उनकी सक्रिय भागीदारी पंचायत राज की सफलता के लिये पहली आवश्यकता है। ग्राम सभा की सक्रियता और सदस्यों की नियमित भागीदारी से ही पंचायतीराज सशक्त और सक्षम हो सकेगा।



निष्कर्ष – ग्राम पंचायत की प्रगति का मूल्यांकन करना ग्राम सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। ग्राम सभा आज जनता को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है। जहाँ समस्त ग्रामीणजन एकत्रित होकर प्रशासन में अपन भागीदारी का निर्वाह कर सकें। व्यवहार में ग्राम सभाएँ अभी तक यह सपना साकार नहीं कर सकी हैं। इन्हें सक्रिय और सजीव संस्था बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाने की महती आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पर भी बैठकों की सूचना सही ढंग से प्रसारित की जानी चाहिए। बैठकों के लिए ग्रामिणों की सुविधा का ध्यान रखकर उपर्युक्त समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

ग्राम सभा की सजीवता के लिए समुचित प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता है। तभी ग्राम सभा महात्मा गाँधी के 'सहभागी प्रजातंत्र' के सपने को साकार कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अशोक शर्मा, 'भारत में स्थानीय प्रशासन' जयपुर, आर.बी.एस. पब्लिशर्स, 2002
2. प्रो. रविन्द्र शर्मा, 'भारत में स्थानीय प्रशासन' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004
3. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
4. बी.एल.फड़िया, 'लोक प्रशासन' आगरा: साहित्य भवन, 1985

छायावादोत्तर हिन्दी कविता और भगवती चरण वर्मा

डॉ. जगमोहन सिंह गुर्जर *

प्रस्तावना – भगवती चरण वर्मा ने छायावादोत्तर हिन्दी कविता अथवा कहे कि व्यक्तिपरक कविता को समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ठीक है कि उनकी भावधारा ने युग के अनुसार अनेक मोड़ लिए हैं, किन्तु इसके वावजूद इन मोड़ों के मूलतः व्यक्तिपरक चेतना के ही कवि हैं। मौज और मस्ती के कवि होने के कारण इनका कवि-व्यक्तित्व किसी सीमा में कैद नहीं रहा है। इनके व्यक्तित्व में जैसी स्वच्छन्दता रही है वैसी ही इनकी कविता में भी दिखाई देती है। इनकी काव्य कृतियों में 'मधुकरण' 'प्रेम संगीत' 'मानव' त्रिपधगा और रंगो से मोह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कृतियों के नामों से ही इनके भीतर प्रवाहित चेतना का अनुमान किया जा सकता है। इनकी अधिकांश रचनाओं में माधुर्य और कोमलता है। 'मधुकरण' में सौंदर्य, प्रेम और जीवन व जगत आदि से सम्बन्धित विविध विषयों की कविताएँ हैं। कुछ रचनाओं में निराशा और वेदना का भाव अभिव्यक्त हुआ है तो कुछ में ओज और विपल्व का स्वर भी है।

'प्रेम संगीत' कृति अपने शीर्षक के अनुसार प्रेम विषय कविताओं को अभिव्यक्त करती है। इन कविताओं में प्रेम का महत्व तो अभिव्यक्त हुआ ही है, संयोग और वियोग की अनुभूतियों का अंकन भी हुआ है। मानव शीर्षक के अनुरूप ही इस कृति में मानव की प्रतिष्ठा हुई है। 'त्रिपधगा' में महाकाल कर्ण और द्रौपदी नामक तीन काव्य-रूपकों का संग्रह है। ये रूपक रेडियो के लिए लिखे गए हैं फिर भी इनमें कवित्व दर्शनीय है।

'रंगो से मोह' शीर्षक कृति में मधुकरण की तरह ही विषय सम्बंधी वैविध्य देखने को मिलता है। इस संग्रह में जो कविताएँ हैं, उनमें राष्ट्रीयता प्रेम, प्रकृति और प्रार्थना के भावों को सहज ही हृदयगम किया जा सकता है।

भगवतीचरण वर्मा ने अपनी कविता के लिए एक स्वतंत्र पथ बनाया है। ये जिन दिनों के कविता के क्षेत्र में आये, छायावाद की धम थी। बड़ी सावधानी के साथ ये अपने को उसके तीव्र प्रवाह से बचा ले गए, अन्यथा इनकी भी वही गति होती जो छायावादोत्तर काल में छायावाद का पिष्टपेषण करने वाले कवियों की हुई। भगवती बाबू ने प्रगतिवाद को भी देखा-परखा। काम की बातें तो ग्रहण कर ली, किन्तु अक्खड़पन के कारण उसकी सैद्धान्तिक सीमाओं को टालगए। कुलमिलाकर इन्होंने कोई बनी-बनाई लीक नहीं पकड़ी। जहाँ जो कुछ काम मिला, उसे स्वीकार करके इन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया। बाद में इनके बनाए हुए पथ पर चलने वाले कुछ और लोग आ गए किन्तु ये आज तक स्वतंत्र और स्वच्छन्द हैं जीवन और जगत के नाना विषयों को अपने मन की मौज के अनुसार ग्रहण करके बराबर साहित्य-सृजन कर रहे हैं।

भगवतीचरण वर्मा मूलतः व्यक्तिनिष्ठ और आत्मवादी चेतना के कवि हैं। यही कारण है कि उनकी कविता व्यक्ति सुख-दुख, आशा-निराशा और हर्ष-विशादों की सीमा में ही बंधी रही है। यह सच है कि वर्मा जी की जो अराजकतावादी रचनाएँ हैं, वे भी व्यक्तिवादिता से शून्य नहीं हैं। इनके मूल में यौवन की उद्दामता तो है ही प्रणयावेग भी है। उदारणार्थ ये अंश देखिए –
'मैं बढ़ता जाता हूँ प्रतिपल गति है नीचे, गति है ऊपर
घूमती ही रहती पृथ्वी, घूमता ही रहता अम्बर इस भ्रम में भ्रम कर ही भ्रम के जग में मैंने पाया तुझको

जग नश्वर है , तुम नश्वर हो

बस मैं हूँ केवल एक अमर।

यह अराजकतावादी स्थिति है यह प्रभावित भी नहीं कर पाती है क्योंकि इसमें मात्र आवेश और आक्रोश है। न तो कहीं व्यक्तित्व की दृढ़ता है और न कोई ऐसी चेतना ही, जो कवि के सृजन को उत्कृष्टता प्रदान कर रही है। प्रणय तथा वैयक्तिक जीवन के कुछ चित्र कहीं देखने को मिल जाते हैं। प्रणय के क्षेत्र में भगवतीचरण वर्मा ने मस्ती को महत्व दिया है कहीं कहीं तो इन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा भी की है कि प्रेम दुनिया का एक सहज स्वभाविक व्यापार है। अतः प्रेम का रस प्राप्त करने के लिए घर फूंककर तमाशा देखने वाली मस्ती होनी चाहिए।

कवि ने लिखा है –

'शशि एकाकी मिलता रहता,

शशि एकाकी जलता रहता,

रवि एकाकी जलता रहता,

तरु एकाकी आहें भरता,

हिम एकाकी गलता रहता।

कोयल एकाकी रो देती,

कलि एकाकी मुरझा जाती,

एकाकीपन में बनने का,

मिटने का क्रम चलता रहता।

एकाकीपन ही अपनापर

में अपने से मजबूर प्रिये।

उर शक्ति है, पग डगमग है,

तुम होती जाती दूर प्रिये।'

'भगवती बाबू की रचनाओं का मूल स्वर मस्ती का है।' उपर्युक्त उद्धरणों से भी यह बात कुछ स्पष्ट होती है। इनकी अनेक रचनाओं का ठाट फकीराना

हैं और अन्दाज सूफियाना। न ऊर्ध्वों का लेना, न माधौ का देना। न किसी से दोस्ती और न किसी से वैरा। जीव जी में आया कहीं पड रहे और जब तबीयत जरा उदास हुई तो बिस्तर उठाया और चल दिये। भगवती बापू के शब्दों में यह हस्ती दीवानों की है।

‘भगवती चरण वर्मा के कृतित्व में पाये जाने वाले उनके व्यक्तिपरक और यथार्थपरक इन दो रूपों में उसका दूसरा रूप पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक आकर्षक व ग्रहस्थ है। कारण, यदि पहले रूप में उसने जीवन के क्षय अथवा भोग का वर्णन उसकी समग्रता में किया है तो दूसरे रूप में अधिक यथार्थपरक भूमिका पर सामाजिक विश्रमताओं को मार्मिकता से

प्रत्यक्ष कर सका है और इस प्रकार अपनी सामाजिक चेतना का भी क्षय अथवा ह्रास से सर्वथा परे स्पष्ट परिचय दिया है, परन्तु कविता के विकासक्रम के दौरान उसका पहला रूप ही दूसरे की तुलना में अधिक गहराई से उभरा है, यही कारण है कि भगवतीचरण वर्मा की गणना भी छायावादीतर बच्चन, अंचल जैसे कवियों के साथ की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रविन्द्र भ्रमर : हिन्दी के आधुनिक कवि पृष्ठ - 142
2. डॉ. रविन्द्र भ्रमर : हिन्दी के आधुनिक कवि पृष्ठ - 144
3. डॉ. शिवकुमार मिश्र : नया हिन्दी काव्य पृष्ठ - 145

जल प्रदूषण एवं नियन्त्रण: कोटपूतली तहसील का प्रतीक अध्ययन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद *

प्रस्तावना - जल ही जीवन है, धरती पर सम्पूर्ण जीव-जन्तु, पेड़-पौधे बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के अत्यन्त दोहन से जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तथा एक समय ऐसा आयेगा जब पीने के लिए पानी नहीं मिल पायेगा, क्योंकि-पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97 प्रतिशत भाग समुद्र में है, जो अधिक लवण युक्त एवं खारा है, पृथ्वी पर प्राप्त जल 3 प्रतिशत है, जिससे 2 प्रतिशत जल, जल ध्रुवों, हिम नदी, पर्वतीय चोटियों पर बर्फ के रूप में उपलब्ध है, जैसे-सियाचिन, ग्लेशियर, माउण्ट एवरेस्ट, मान सरोवर आदि। पृथ्वी पर 1 प्रतिशत जल भूमिगत जल, झीलों, तालाबों, नदियों, कुओं, झरनों में हमारे लिए उपलब्ध हैं।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोटपूतली तहसील में जल प्राप्त के विभिन्न स्रोतों में उनके प्रदूषण का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कोटपूतली तहसील में जल स्रोत एवं उनके प्रदूषण से संबंधित परिकल्पनाओं को परखना है। जल प्रदूषण के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नगरीकरण के साथ अध्ययन क्षेत्र में जल प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धारणाएँ भी भौगोलिक शोध पत्र के माध्यम से विकसित हुई हैं।

अन्य क्षेत्रों की भाँति अध्ययन क्षेत्र में जल दो रूपों में पाया जाता है। सतही जल, नदी, नाले, तालाब, बाँध आदि। भूमिगत जल कुँआ, नलकूप आदि। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश बीमारियाँ दूषित जल के कारण उत्पन्न होती है, पनपती है और आसानी से प्रसारित होती है।

भौगोलिक स्वरूप - राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है इसके उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील स्थित है। यह जयपुर शहर से 105 कि.मी. दूरी पर स्थित है इसका अक्षांशीय विस्तार 27° 42' से 28° 10' उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरिय विस्तार 76° 12' से 76° 19' पूर्वी देशान्तर है। इसका क्षेत्रफल 411.59 वर्ग कि.मी. है समतल धरातलीय स्वरूप है समुद्र तल से ऊँचाई 362 मी. है उत्तरी सीमा बहरोड़ तहसील, पूर्वी सीमा बानसूर तहसील, पश्चिम में नीम का थाना तहसील है इसमें 31 ग्राम पंचायतें हैं 90 गाँव हैं। कोटपूतली तहसील की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 232195 हैं साहिबी व सोता नाला का अपवाह क्षेत्र है कहीं-कहीं पहाड़ियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं।

जल प्रदूषण - जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिलते हैं, जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण दो स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोत एवं मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में भूमिगत जल के प्रवाह मार्ग में घुलनशील चट्टानें आ जाती हैं, वह जल में घुल जाती है, तो जल प्रदूषित होता है, कोटपूतली शहर के आसपास चूना पत्थर होने के कारण पानी में कैल्शियम की मात्रा एवं कठोरता

अधिक है। तहसील के अन्य भागों में कहीं-कहीं गंधक की मात्रा है। कुछ स्थानों में खारा पानी पाया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों की पानी में अधिकता है। कई तत्व राष्ट्रीय मानक से ज्यादा पाये जाते हैं। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हैं। इन्हीं सल्फाइडों के कारण कई बार कुँए में घुसने पर मौत हो जाती है। मानवीय स्रोत में मानव द्वारा किया गया प्रदूषण है।

1. नगरीकरण - नगरपालिका कोटपूतली में स्थित सभी छोटे बड़े नालों में वहित मल के निकासी की आंशिक व्यवस्था है। जहाँ इस प्रकार की नालियाँ हैं, उन्हें सीधेजल स्रोतों से जोड़ देने के कारण वहित मल जल प्रदूषण में अधिकाधिक वृद्धि करता है। वहित के अन्तर्गत मुख्यतः घरेलू तथा सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल-मूत्र का समावेश होता है। वहित मल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं, जो जल की अधिकता होने पर घुली हुई अथवा निलंबित अवस्था में रहते हैं। नगरीय क्षेत्रों में शौचालयों के अभाव में लोग नदी, नालों के किनारे मल-मूत्र विसर्जन कर जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं।

2. उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग - फसलों में उर्वरकों के प्रयोग से भूमि बंजर होती जा रही है, जो जल प्रदूषण में सहायक होते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से भी जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त पदार्थों के प्रयोग से भूमि में विभिन्न तत्वों की कमी या वृद्धि हो जाती है, जैसे-अम्लीयता, क्षारीयता, कैल्शियम, कठोरता, जीव रसायन इत्यादि।

3. घरेलू वर्हिस्त्राव - मानव दैनिक कार्यों में औसतन 100 लीटर पानी का प्रतिदिन उपयोग करता है। जिसमें नहाने के साबुन, कपड़ा धोने के साबुन, निरमा के साथ लवण बहकर नदी-नालों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक उपयोग के जूठन, खाना पकाने में जली हुई राख, स्थानिक जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषित करते हैं।

4. ग्रामीण अपशिष्ट - ग्रामीण अपशिष्ट के रूप में मानव द्वारा खुले में त्याज्य मल-मूत्र एवं अन्य कूड़े-करकट, तालाब, नदी-नालों में फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है।

5. पशुजनित प्रदूषण - ग्रामीणों द्वारा पशुओं को नदी, जोहड़ के किनारे में ले जाकर रखा जाता है, जिससे पशुओं द्वारा त्यागा गया मल-मूत्र जल स्रोतों में जाकर मिल जाता है, पशुओं को नदी-नालों, जोहड़-तालाबों के अन्दर रखकर नहलाया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है।

6. कृषि अपशिष्ट - सम्पूर्ण कोटपूतली तहसील के कृषि उत्पाद के अपशिष्ट पानी में सड़कर प्रदूषित करते हैं। ग्रामीणजन सन, कांस, मूज को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नदी-नालों, तालाबों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है।

7. **उत्सव जनित प्रदूषण** – अधिकांश जोहड़ों में नदियों में गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव जैसे बड़े पर्वों पर जलाशयों में हजारों प्रतिमाएँ विसर्जित की जाती हैं। इन प्रतिमाओं में रंग-रोगन के लिए विशैले रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य अपद्रव और गंदगी धर्म के नाम पर जलाशयों में डाली जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है।

अधिकांश: जल प्रदूषण मानव जनित होता है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि एवं तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन किया गया है। जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आयी है, अन्य प्रदूषण की मात्रा में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप तहसील में निवास करने वाली जनसंख्या की स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। यदि जल प्रदूषण की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही तो भविष्य के लिए जल को प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, जिससे अधिकतम उपयोगिता मिलने के साथ जल संसाधन के अनुचित उपयोग से बचा जा सकता है।

सुझाव:

1. नदी, तालाबों में नहाने, कपड़ा धोने, मवेशी नहलाने, खड़ा करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए।
2. नदी-जोहड़, तालाबों के आसपास कचरा फेंकने में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए।
3. शहरों में शौचालयों को सीधे नाली से जोड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए, उलंघन करने पर कठोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
4. नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों को सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
5. प्रत्येक पीने वाले जल स्रोतों का वर्ष में दो बार जल परीक्षण होना चाहिए।
6. नगरीय अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों से मिलने से रोका जायें तथा गन्दे जल को पुनः साफ करने के संयंत्र स्थापित किये जायें तथा उस जल को स्वच्छ करने के उपरान्त ही नदी नाले में प्रवाहित किया जाय। इससे नदी एवं नाले प्रदूषित होने से बचाये जा सकते हैं।
7. अध्ययन क्षेत्र में जल की आपूर्ति पाइप लाइन द्वारा की जाती है। नगर की अधिकांश पाइप लाइनें पुरानी एवं टूटी-फूटी हैं, जिनमें नालियाँ एवं अन्य प्रवाहिकाओं का गन्दा जल मिलकर पेयजल को दूषित करता

है। अतः जमीन से दो फुट ऊँचाई के खम्भों के ऊपर पाइप लाइन डाली जाय, जिससे जल प्रदूषण नियंत्रित होगा।

8. उर्वरकों के प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर देशी विधि से निर्मित की गई खाद जैसे-गोबर की खाद बायोगैस खाद, वर्मी कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, मुर्गी की वीट की खाद, जैसे उपजाऊ खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
9. कीटनाशकों के प्रयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने पर सतही एवं भूमिगत जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके स्थान पर बीजोपचार एवं ऐसे बीजों का प्रयोग जिन पर कीटों का प्रकोप न हो, प्रयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देशी विधि से निर्मित की गई दवा जैसे नीम की पत्ती का घोल एवं राख के छिडकाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
10. गणेशोत्सव एवं दुर्गोत्सव के समय जलाशयों में मूर्तियाँ विसर्जित करने पर प्रतिबंध लगाया जाय।
11. जल जागरूकता की चेतना आम जन में पैदा की जायें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकी रूपरेखा- जयपुर।
2. अग्रवाल, प्रमोद कुमार - 'पर्यावरण एवं नदी प्रदूषण', आशीष प्रकाशन नई दिल्ली।
3. रघुवंशी एवं चन्द्रलेखा रघुवंशी (1995) 'पर्यावरण प्रदूषण', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
4. सिंह, सवीन्द्र (1999) 'पर्यावरण भूगोल', प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद।
5. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल वार्षिकी पुस्तिका-जयपुर।
6. गुर्जर, आर.के. शुक्ला लक्ष्मी (1998) 'जल संसाधन पर्यावरण एवं लोग', पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर।
7. गुर्जर, आर.के. एवं माथुर पी.सी. (1992) : 'पानी की खोज', पंचशील प्रकाशन जयपुर।
8. मानचन्द्र एच.पी. (1976) : 'भूमिगत जल की गुणवत्ता', एच.ए.बी. विभागीय पब्लिकेशन।
9. मानसून प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार।

भारत में राजनीति का अपराधीकरण : समस्या एवं निदान

डॉ. भरत लाल मीणा *

प्रस्तावना – गौरवशाली और प्रकृति की विपुल अनुकम्पाओं से युक्त भारत, विश्व का एक विशाल प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन है। प्राचीनकाल से ही भारत ने अपना प्रभाव सारे विश्व में जमा लिया था। दुनिया के अनेक देश भारत की ओर प्रेरणा और पथ प्रदर्शन के लिए देखते थे। भारत का न केवल सांस्कृतिक महत्व था वरन् राजनीतिक राजतंत्र के होते हुए भी न्याय का शासन था तथा सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, किन्तु समय परिवर्तित हुआ और भारतीय राजनीति ने नया मोड़ लिया। भारतीय मर्यादा, गौरव और प्रतिष्ठा धीरे-धीरे हास को प्राप्त होने लगी जिसका सबसे बड़ा कारण भारतीय राजनीति में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, धर्म का अपराधीकरण आदि दूषित तत्वों का समावेश हो जाना है जिससे भारतीय राजनीति, राजनीति न रहकर नैतिकता विहीन दूषित राजनीति बन गई है।¹

जब कोई नवोदित देश किसी अन्य देश की दासता से मुक्ति पाकर राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है तो उसे आर्थिक संसाधनों की सीमितता तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, निर्धनता आदि प्रमुख समस्याओं के साथ-साथ कतिपय अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ओर वे अन्य समस्याएँ हैं – देश के समाजिक नेताओं के अपराधियों के साथ संबंध अर्थात् राजनीति का अपराधीकरण, जो भारतीय राजनीति को दूषित कर देश की एकता, अखण्डता, सभ्यता और संस्कृति को विनाश के गर्त की ओर ले जा रही है।²

अपराध एक शाश्वत प्रघटना है। यह आदिमकाल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। अतः वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। यह वह व्यवहार है जिसे अपराधिक संहिता में निषिद्ध तथा दंडनीय घोषित किया गया है। विद्वान किलनार्ड एवं क्रीने ने अपराधी व्यवहार की पद्धतियों के आधार पर अपराध के कई प्रकार स्पष्ट किए हैं। जैसे – हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, सम्पत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध, व्यावसायिक अपराध, राजनीतिक अपराध, संगठित अपराध, आदि। इनमें से राजनीतिक अपराध आज उग्र रूप धारण कर रहा है। ऐसे अपराधों का संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था में असंतुलन लाना तथा देश की शांति एवं व्यवस्था को भंग करना होता है। मानव में अपराध की प्रवृत्ति कई कारणों से उत्पन्न होती है। जिनमें – आनुवंशिकता, मानसिक, विकृति, जैविक एवं भौतिक कारण, मनोवैज्ञानिक आदि प्रमुख हैं, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कई अन्य कारण स्पष्ट हुए हैं जैसे – अपराध और राजनीति के बीच मिली-भगत भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट आचरण का बोलबाला, धर्म सम्प्रदाय, जाति, भाषा एवं क्षेत्रों का राजनीतिकरण तथा इसके आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, खर्चीली

चुनाव प्रणाली, विलम्बित न्याय, न्यायालय एवं न्यायिक निर्णयों की अवहेलना सामाजिक आर्थिक विषमता एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता आदि। इन प्रमुख कारणों के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं जिस पर विचार करना सामयिक आवश्यकता है।³

वर्तमान दशक में भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक अत्यंत ही घिनौनी, घृणित, भयानक एवं अशोभनीय बात मानी जा रही है जो मानव मूल्यों पर एक प्रश्नचिह्न है ? भारतीय राजनीति इस समय जिस राह पर चल रही है। वह निश्चय ही घोर लापरवाही और कर्तव्य हीनता से ओतप्रोत है जिसमें आज गरीब जनता की उपेक्षा की जा रही है। धन को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे समय में देश के राजनेता यदि स्वयं सद्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलें तो राष्ट्र की नैय्या विषम परिस्थितियों की भंवर में फंसकर डूब जायेगी। इसलिए वर्तमान परिस्थिति के देखते हुए इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना अनिवार्य आवश्यकता है। यह भविष्य के लिए घोर संकट न बन जाये इस पर राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों आदि को समय रहते विचार करना होगा।⁴

आधुनिक युग में संगठित अपराध के लिए संरक्षण परम आवश्यक हो गया है। इस निमित्त अपराधिक संगठन ऐसे राजनीतिज्ञों की सहायता प्राप्त करता है जो उन्हें समुचित धनराशि अथवा सेवाओं के बदले आकांक्षित सहायता प्रदान करते हैं और अनेक रीतियों को उपयोग करते हैं जैसे पुलिस को रिश्वत देना अथवा राजनैतिक आदेशों द्वारा उत्प्रेरित करते हैं जैसे न्यायालय पर दबाव डालना है कि वह दोष सिद्ध न प्रदान करे आदि प्रमुख हैं। जिससे राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन सुरसा के मुँह की तरह बढ़ती जा रही है। क्या यही भारत की राजनीति है ? यह एक ज्वलन्त विचारणीय प्रश्न है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीति के अपराधीकरण की यह प्रवृत्ति कोई तात्कालिक घटना नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही सिद्धान्तहीन एवं नैतिकता विहीन व्यक्तियों के लगातार राजनीति में बने रहने का परिणाम है, जिसके कारण आज की राजनीति आदर्शविहीन होकर सिर्फ लुभावने नारों के बल पर किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल करने का माध्यम बनकर रह गई है। राजनीतिक दल निर्धन एवं अशिक्षित जनता को उल्टा-सीधा समझाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। आज यह धन सम्पत्ति के रूप में निर्धनों के मन को लुभा देती है, बम बारूद के बल पर दिमाग में कम्पन उत्पन्न करती है। चुनावी आश्वासनों की उपेक्षा कर मानस पटल प्रदर्शित करती है तथा विभिन्न घोटालों का भोजन परोसती है। क्या भारतीय राजनीति यही है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।⁵

बोहरा समिति की रिपोर्ट में कहा है माफिया देश की सुरक्षा के लिए

खतरा बन चुका है। जो राज्य की संचालन मशीनरी को अप्रभावशील करते हुए समानांतर सरकार चला रहा है। यह देश के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि देश की संपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक प्रणाली माफिया गिरोहों की गिरफ्त में हैं जो स्थानीय राजनीतिज्ञों को संरक्षण प्राप्त करते हैं। आपराधिक लोग सबसे पहले स्थानीय स्तर पर सक्रिय होकर अनुचित साधनों द्वारा धन एकत्रित करते हैं फिर इसी धन से स्थानीय स्तर पर नेताओं को चुनाव लड़ने में मदद करते हैं या स्वयं चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। तत्पश्चात् विधानसभा और संसद में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संरक्षण की छत्रछाया में इन माफिया गिरोहों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है जो भारत के लिए एक खतरा है।⁶

बोहरा समिति भले ही कुछ कारणों से इन मामलों में खामोश रही हो, लेकिन समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जनका को जानकारी मिलती रहती है या व्यावहारिक रूप में जो कुछ देखने को मिलता है उससे यह पूरी तह स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न संस्थाओं में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है जिनके अपराध जगत् से निकट के संबंध हैं या स्वयं अपराधी रहे हैं। इससे देश की राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुँच गई है जहाँ नैतिकता समाप्त हो जाती है।⁷

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की समस्या को हल करने के लिए सुझाव :-

1. सर्वप्रथम भारत में राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए देश की चुनाव प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करके उसे कम से कम खर्चीला बनाना चाहिए तथा खुली राजनीति का प्रयोग किया जाये ताकि जनता यह जान सके कि कोई निर्णय क्यों लिया गया।
2. देश से माफिया गिरोहों का सफाया करने तथा राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों एवं माफिया सरगनाओं के बीच साँठगाँठ को समाप्त करने के लिए जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है वह आपराधिक तत्वों से दूर रहकर निष्पक्ष कार्य करे। इसके लिए उसे अधिक अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान की जाये।
3. देश में चली आ रही संसदात्मक शासन प्रणाली की समीक्षा की जाये तथा उन कारणों का पता लगाया जाये जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हम संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करते-करते देश के शासन की बागडोर डकैतों, कातिलों, तस्करों, अपहरणकर्ताओं, आंतकवादियों जैसे अपराधियों के हाथों में सौंप दें तथा निरुपाय हो जायें। अतः अपराधियों में नैतिक और आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न की जाये एवं न-जागरूकता उत्पन्न की जाये।
4. चुनाव आयुक्त द्वारा चुनावों के अपराधीकरण को कम करने के साथ

राजनीति में अपराधीकरण को कम या समाप्त करने के संबंध में कोई ठोस निर्णायक कदम उठाया जाये। आपराधिक रिकार्ड एवं मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष प्राधिकार पूर्ण समिति का गठन किया जाये।

5. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी तंत्रों तथा चुनावी कानूनों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए एवं चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति की घोषणा की जानी चाहिए तथा यथार्थता की जाँच करने के लिए विशेष नये पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए।
6. देश के प्रशासन में उपयुक्त व्यक्तियों का योगदान प्राप्त करने के लिए लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा सजग प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को इसमें सहयोग देना चाहिए।
7. विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े किये जाते हैं उनके चरित्र पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न नहीं होना चाहिए अथवा वे किसी आपराधिक मामले में संलग्न न हों तथा चुने जाने के उपरांत उन्हें सौंपे जाने वाले दायित्वों का उचित निर्वाह करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता होना भी आवश्यक है।
8. राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जनता की जागरूकता परम आवश्यक है। वह योग्य, निष्कलंक और ईमानदार व्यक्तियों को चुने।
9. प्रशासनिक व्यवस्था को ठोस, भेदभाव रहित, स्वच्छ एवं ईमानदारीपूर्ण बनाना आवश्यक है।
10. भारतीय राजनीति का आधार राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना और देश का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए।
11. लोकपाल संस्था को और अधिक स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ श्याम सिंह एवं लेखराम यादव : अपराध शास्त्र के सिद्धान्त।
2. डॉ मुरलीधर चतुर्वेदी : अपराध प्रशासन।
3. बोहरा समिति की रिपोर्ट नई दिल्ली 1995
4. प्रतियोगिता दर्पण।
5. टाइम्स ऑफ इण्डिया नई दिल्ली।
6. मिलन वैष्णव व्हेन क्राइम पेज : मनी एंड बाहुबल इन इंडियन पॉलिटिक्स।
7. महेन्द्र प्रताप सिंह एवं हिमांशु राय : भारतीय राजनीतिक प्रणाली, सह रचना, नीति और विकास।

आर्यों का श्रम प्रबन्धन – एक अध्ययन

डॉ. योगिता मकवाना *

शोध सारांश – आर्यों की सभ्यता और साहित्य का आरम्भ वेदों के आविर्भाव से हुआ है। वेदों के समय को जितना प्राचीन प्रतिपादित किया जा सकता है आर्य जाति का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता का भव्य प्रासाद वेदों की सुदृढ़ आधारशिला पर ही निर्मित है। आर्यों की वेदों के प्रति आस्था और श्रद्धा बहुत प्राचीन काल से है। आर्य श्रम प्रबन्धन के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक सोच रखते थे। उनका समाज चार वर्णों में विभक्त था, जो कालान्तर में अनेक जातियों में बंट गया। यह सामाजिक वर्गीकरण ठोस आर्थिक कारणों पर आधारित था। वस्तुतः समाज में प्रारम्भिक श्रेणीकरण में विजित, गौरे और काले अथवा आर्य और अनार्य के भेद सम्बन्धी भले ही कोई कसौटी रही हो पर आगे चलकर निःसंदेह इस सामाजिक वर्गीकरण को स्थायित्व और पुष्टि आर्थिक आधार पर ही प्राप्त हुई, क्योंकि कालान्तर में वर्णों को व्यवसाय के साथ जोड़ दिया गया।

शब्द कुंजी – आर्य, अनार्य, श्रम-विभाजन, आर्थिक, वर्ण व्यवस्था।

प्रस्तावना – यह लोकप्रिय धारणा है कि वैदिक सभ्यता का सृजन उन लोगों द्वारा किया गया जो किसी भयंकर प्राकृतिक त्रासदी की चपेट में आकर अपने मूल वास स्थान से विस्थापित हो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। वैदिक सभ्यता का सृजन एक सुदीर्घकालीन सतत् विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ और उसके सर्जक आर्य थे जो विस्थापित होकर अपने पुनर्वास हेतु उपयुक्त स्थान की खोज के लिए काफी समय तक खानाबदोशों की भाँति इधर-उधर भटके। विद्वान इस सम्बन्ध में आर्यों के विदेशी अथवा भारतीय उत्पत्ति का अलग-अलग सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए दो विरोधी खेमों में बंटे हुए हैं। विद्वानों का वह वर्ग जो आर्यों को विदेशी मूल का मानता है, उनकी मान्यता है कि आर्य प्रारम्भ में दो वर्गों, आर्य एवं अनार्य, में विभक्त थे। उनके अनुसार अनार्य भारत के मूल निवासी थे, जिनका रंग, शरीर-रचना, संस्कृति, जाति और भाषा आर्यों से पूर्णतया भिन्न थी। आर्य विदेशी थे। वे गौरवर्ण थे उनका कद लम्बा और नाक ऊँची थी, जबकि अनार्य श्यामवर्ण, कद में छोटे, अपनासः (चपटी नाक वाले) अक्रतु (यज्ञ-हवन आदि न करने वाले) और अदेवयु (प्रकृति पूजा न करने वाले) थे (ऋक्. VIII.70.11)। भाषा की दृष्टि से भी आर्य काफी विकसित थे, तथा वे अनार्यों को 'मृधवाच' (अस्पष्ट वाणी वाले) कहते थे (ऋक्. VIII.22.8)। इन्हीं शारीरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताओं के चलते प्रारम्भ में समाज के इन दो समुदायों में पारस्परिक सामन्जस्य और समरसता का अभाव था। वैसे भी आर्य आक्रमणकारी और विजेता थे। गौरवर्ण, ऊँची कद-काठी तथा भौतिक व आध्यात्मिक प्रत्येक दृष्टि से अग्रणी आर्य, अनार्यों से कहीं अधिक प्रतिष्ठित और उच्च थे। सम्भवतः इसीलिए व अनार्यों को दास, दस्यु, असुर आदि सम्बोधनों से पुकारते थे।

किन्तु संघर्ष और युद्ध की स्थिति समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे दोनों समुदायों के मध्य सहयोग की सम्भावना बनी। फलस्वरूप समाज के सुचारु संचालन के लिए सम्भवतः श्रम-विभाजन की स्वाभाविक आवश्यकता महसूस हुई जिसके क्रम में कालान्तर में समाज में चार वर्णों का अभ्युदय हुआ। इसमें बौद्धिक, यज्ञादि धार्मिक कार्यों के सम्पादन, राष्ट्रकल्याण एवं शत्रुओं पर विजय के लिए देवी-देवताओं की स्तुति करने वाले समाज के

सर्वोच्च वर्ग को आगे चलकर ब्राह्मण और युद्ध कला में निष्णात एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर आयुधजीवी प्रशासक वर्ग को क्षत्रिय कहा गया। समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो कृषि, पशुपालन तथा अन्यान्य व्यवसायों द्वारा धनोपार्जन में रत था, वैश्य कहलाया। इस प्रकार जहाँ आर्य अपने गुण और कार्य के आधार पर उपर्युक्त तीन वर्गों में विभक्त हो गए। वहीं पराजित अनार्य एक भिन्न वर्ग, चतुर्थ वर्ग, में रखे गए जिनका कार्य समाज के उच्चवर्गीय लोगों की सेवा-चाकरी द्वारा जीवन यापन करना था। कालान्तर में इस निम्नतम चतुर्थ वर्ग को वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्र कहा गया। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का प्रादुर्भाव मूलतः व्यवसायगत आधार पर हुआ, क्योंकि रंग को वास्तव में वर्ग-विभाजन का आधार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह आर्य और अनार्य में भेद करने का एक स्थूल आधार मात्र था।

इस प्रश्न पर वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर ज्ञात होता है कि वर्ण-व्यवस्था की इस उत्पत्ति काफी बाद की है क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में इसका विधिवत उल्लेख नहीं है। इससे उस धारणा की पुष्टि होती है कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई आर्य सप्तसैधव प्रदेश में ही निवास करते थे और उनका समाज विभाजित नहीं था, किन्तु कालान्तर में जब वे पूर्व की ओर बढ़े तब उनका सामना अरण्यवासी अनेक आदिवासियों से हुआ जिन्हें पराजित करने के बाद उन्होंने अपना दास बना लिया। इसी के ही फलस्वरूप समाज में आर्य और अनार्य दो भिन्न वर्गों का अभ्युदय हुआ। चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धान्त ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुषसूक्त में प्रतिपादित किया गया है। पुरुषसूक्त के इस विवरण के आधार पर यह कहना कठिन है कि वैदिक काल के प्रारम्भ में ही समाज चार वर्णों में विभक्त हो चुका था। स्पष्ट है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ब्राह्मणकाल में उस समय स्थापित हुई, जब आर्यों का प्रसार गंगा घाटी में हो गया था और कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया था। उस समय युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई थी, अतः समाज को व्यवस्थित करने के लिए उसके विभाजन की आवश्यकता अनुभव की गई होगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं का समुचित दोहन हो सके। किन्तु प्रारम्भ में वर्णविभाजन गुण व कर्म के आधार पर ही किया गया

* व्याख्याता (संस्कृत) बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राज.) भारत

वह जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित था। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और रूचि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकता था और इच्छा, आवश्यकतानुसार अपना व्यवसाय परिवर्तित कर सकता था, जिसमें पैतृकता नहीं थी।

समाज का चार वर्णों में विभाजन आर्यों की श्रम प्रबन्धन क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि वर्णों की उत्पत्ति में न तो रंग अथवा गुण-कर्म और न ही दैवी सिद्धान्त उत्तरदायी था। वस्तुतः इसके सम्बन्ध में यदि किसी कारक ने निर्णायक योगदान दिया तो यह निःसन्देह आर्थिक ही था जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि आर्यों द्वारा गंगा की घाटी में फैल जाने के बाद उनकी आजीविका की प्रकृति बदल गई और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि बन गया। वे स्थाई बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। ग्रामों का आकार बढ़ने लगा वे नगर अथवा जनपद का रूप ग्रहण करने लगे इस स्थिति में युद्ध और रक्षा के साथ आन्तरिक प्रशासन और व्यवस्था का भी महत्व बढ़ गया। यह कार्य जो वर्ग सम्पन्न करता था वह राजन्य अथवा क्षत्रियों का था। ब्राह्मणों का सामाजिक वर्चस्व इस समय संकट में था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक-प्रभुता, राजसी-प्रभुता के सम्मुख फीकी दिखाई पड़ने लगी। पहले जब वर्ण-भेद नहीं था, एक ही व्यक्ति अध्ययन-अध्यापन, पूजा-पाठ से लेकर युद्ध, धनोपार्जन और शारीरिक श्रम सब कुछ कर लेता था और वह ब्राह्मण अर्थात् ज्ञानी, गुणी और दैवी प्रेरणा से युक्त कहा जाता था। किन्तु कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व बढ़ जाने के कारण अब यह असम्भव हो गया था। इस स्थिति में श्रम-विभाजन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, जिसके परिणामस्वरूप गुण और रूचि के अनुसार लोग ब्राह्मणोचित, क्षत्रियोचित अथवा वैश्योचित कर्म करने लगे।

समाज में इस समय आर्यों से अलग आर्यतर लोगों का एक वर्ग और था, जिन्हें विजेता आर्यों ने अपना दास बना लिया था। ये रंग रूप में भी आर्यों से भिन्न थे। प्रारम्भ में आर्य स्वाभाविक रूप से इन्हें अपनी व्यवस्था में स्थान देने के प्रति उदासीन रहे होंगे और उनसे सेवा कार्य करवाते रहे। किन्तु कृषि के विस्तार के बाद इनसे कृषि कार्य में मदद ली जाने लगी और इस प्रकार इनकी भी उत्पादन में भागीदारी हो गई। अतः आर्यों ने इन्हें भी अपनी सामाजिक संरचना में स्थान देते हुए शूद्र के नाम से चतुर्थ वर्ण की सृष्टि कर दी। इस प्रकार सही अर्थों में श्रम-विभाजन की आवश्यकता ने ही समाज में चारों वर्णों की सृष्टि की। समाज का इस प्रकार का विभाजन हर सभ्य एवं विकसित समाज में दिखाई देता है। इसी क्रम में सैंधव समाज में पुरोहित, प्रशासक या योद्धा, व्यापारी, शिल्पी एवं कारीगर आदि श्रेणियां थी इसी प्रकार इण्डो-ईरानी समाज अथवन, रथैस्तार, वारुस्य एवं हुतोदा नामक चार वर्णों में विभक्त था इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णों का उदय मूलतः आर्थिक पृष्ठभूमि में हुआ जिसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए श्रम-विभाजन की अपेक्षा गुण, कर्म, योग्यता के साथ ही दैवी सिद्धान्त को भी गढ़ लिया गया ताकि उसे वंशानुगत और स्थाई रूप से प्रदान किया जा सके।

प्रारम्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के मध्य वर्गीकरण का

सिद्धान्त कठोर नहीं था, वे गुण, रूचि और सुविधानुसार अपना व्यवसाय बदल सकते थे किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चली, क्योंकि इन आर्य वर्ण वाले व्यक्तियों के सामने मुख्य रूप से दो समस्याएँ उपस्थित थीं। प्रथमतः अनार्यों, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी और जिनके साथ सम्पर्क भी दीर्घकालिक हो चला था, को अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्थान देना। दूसरा, अनार्य लोगों के श्रम का समुचित दोहन कृषि, पशुपालन आदि आर्थिक गतिविधियों के अन्तर्गत करना। इसके अतिरिक्त अनार्य लोग शिल्पकला में भी सिद्धहस्त थे, अतः उनके इस कौशल का सदुपयोग कृषि के उपकरण, हथियार, रथ, गाड़ी, बर्तन आदि के निर्माण हेतु करना भी समय की आवश्यकता बन गया था। इसके परिणामस्वरूप श्रमसाध्य वर्ग की कीमत समाज में बढ़ गई। इस क्रम में समय के साथ ये अनार्य लोग अपने स्वयं के अधिकार में स्वतंत्र रूप से कृषक, पशुपालक, शिल्पी आदि बन गए। इस प्रकार अनार्यों का एक वर्ग उन्नति करता हुआ वैश्यों के समकक्ष पहुँच गया। जबकि शेष अनार्य वर्ग अभी भी सेवा के कार्य में विनियोजित रहा। अतः उनकी उपयोगिता समझ कर वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें भी स्थान दे दिया गया। किन्तु उनके साथ सम्पर्क और सामन्जस्य का वह स्तर नहीं रहा जो आर्य वर्ण वालों के साथ था इसके अतिरिक्त अनार्यों के आर्य सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश के बाद वर्णों की मूल पवित्रता भी खण्डित हुई। इसके परिणामस्वरूप समाज में विभिन्न बेमेल सम्बन्धों से उत्पन्न सन्तानों को अलग-अलग वर्णों में रख दिया गया, जो कालान्तर में अलग-अलग जातियों के रूप में मान्य हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवसाय और वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर नवीन जातियाँ अस्तित्व में आईं। क्रमिक विकास के उक्त प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न जातियों का सृजन हुआ, के पीछे आर्थिक कारण भी विशेष रूप से उत्तरदायी थे।

निष्कर्ष - इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्यों का श्रम प्रबन्धन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित था। इस व्यवस्था का महत्व इस बात से रेखांकित हो जाता है कि शताब्दियाँ बीत जाने के उपरान्त भी अनेक विरोधों को झेलते हुए आज भी वर्ण और जाति व्यवस्था विद्यमान है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऋक्सूक्त संग्रह - डॉ. हरिदत्त शास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी 1993
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, रामनारायणलाल विजयकुमार, इलाहाबाद 2004
3. भारतीय संस्कृति - डॉ. प्रीतिप्रभा गोयल, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 2004
4. वेदों की वैज्ञानिक अवधारणा - शिवनारायण उपाध्याय, मलिक प्रेस आजादपुरा, दिल्ली 1994
5. संस्कृति के चार अध्याय - रामधारी सिंह दिनकर, आर्य कुमार रोड़, पटना 1962
6. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास - ओमप्रकाश, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी 1999

Photocatalytic Removal of Transition metal Ion From Waste Water

Mukesh Kumar Mehta *

Abstract - Photocatalytic reduction of Ni(II) over semiconducting iron (III) oxide was carried out. The progress of reaction was observed spectrophotometrically. Variation of different parameters like pH, concentration of Ni(II), amount of photocatalyst, particle size, light intensity, etc. on the rate of photocatalytic reduction was studied. A tentative mechanism for the reduction has been proposed.

Introduction - Various industrial effluents contain a number of metal ions, which may be toxic to aquatic life. Efforts are being made to remove these pollutants from aquatic environment. The photocatalytic treatment of such effluents holds a good promise and, therefore the present study was undertaken.

Experimental: Nickel sulphate (E.Merck) and Iron (III) oxide (Reidel) were used in present investigation. Stock solution of nickel sulphate was prepared in doubly distilled water. The photocatalytic reduction of nickel sulphate was observed by taking 100.00 mL solution (3.75 ppm) in a 150mL beaker and 0.3g of iron(III) oxide was added to it. Irradiation was carried out keeping the whole assembly exposed to a 1000 W halogen lamp (OKANA, light intensity 54.0 mWcm⁻²). the intensity of light at various distances from the lamp was measured with the help of a solarimeter (Surya Mapi Model CEL 201). A water filter was used to cut out thermal radiations. The pH of the solution was measured with a digital pH meter (Systronics Model 324). the desired pH of the solution was adjusted by the addition of previously standardised sulphuric acid or sodium hydroxide solution. Absorbance measurement was done removing suspended semiconductor particle after centrifugation.

The progress of the photocatalytic reaction was observed by measuring absorbance at regular time intervals using atomic absorption spectrophotometer (PHILLIPS PU 9200).

Results And Discussion: The photocatalytic reduction nickel sulphate was observed at wavelength 232.-nm; the results of a typical run are represented graphically in Fig. 1. It has been observed that a plot of log (concentration) vs time is linear, which indicates that this photocatalytic reduction follows first order kinetics. The rate constant for the reaction was $1.05 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$ at 30°C.

Effect of pH : Photocatalytic reduction of nickel(II) may be affected by the pH values and, therefore, the effect of pH on this photocatalytic reaction has been investigated.

It has been observed that this reaction proceeds smoothly in acidic range upto pH = 6.5, above which precipitation of nickel was obtained, even under ordinary conditions and, therefore, the effect of variation was observed in the pH range of 2.0 to 6.5. The reaction rate was found to increase as the pH was increased and an optimum value was obtained at pH = 4.5. This pH dependence can be explained on the basis that hole can generate H⁺ ions oxygen (in solution).






Fig. 1. A Typical Run

These two reactions counter balance each other to a particular extent. Now it is known that processes at the semiconductor – electrolytic interface depend on the surface properties of the semiconductor(14). Therefore, the surface charge on the semiconductor will play a major role in deciding the fate of this photocatalytic reaction, because it controls the driving force for electron transfer (15 – 17). This surface charge depends on the pH of the solution being positive in acidic media and negative in alkaline media. The pH, where the net charge on the surface of the semiconductor is zero, is called the point of zero charge

(PZC)(14). It corresponds to the point, where no change of pH is observed after adding the semiconductor(18).

The value of point of zero charge can be lower if anions are adsorbed on the surface of the semiconductor (19) reverse may be true if cations of nickel sulphate proceeds smoothly, when the surface is slightly positively charged as the reaction rate is maximum at pH = 4.5. It may also be concluded that for pH > 4.5 equation (ii) starts dominating the equation (i), so that there will be an additional decrease in the amount of H⁺ ions and hence, the decrease in rate of photocatalytic degradation of Ni(II) species. the reduction of Ni(II) to its lower oxidation states will also adversely affect the value of PZC and thus it will add to the lowering in the rate of the reaction.

Effect of nickel (II) concentration: The effect of the concentration of nickel sulphate on the rate of photocatalytic reduction was observed by keeping all other factors identical. The range of concentration investigated in the present case is 3.75 – 10.5 ppm. It was observed that as the concentration of nickel sulphate was increased, there was a decrease in the rate of the reaction. This behaviour may be explained on the ground that at larger concentration the coloured solution of nickel ions well absorb the major portion of the incident light or in other words, it may act like a filter not to permit the desired light intensity to fall on the semiconductor powder and thus causing a decrease in the rate of photocatalytic reaction.

Effect of amount of photocatalyst: The effect of amount of photocatalyst on the rate of photocatalytic reduction of nickel(II) was also investigated by taking different amounts of semiconductor, keeping all other factors identical.

As evident from the experimental data that the rate of photocatalytic reduction of Ni(II) increases with increasing the amount of photocatalyst. After a certain amount of semiconductor, the rate of photocatalytic degradation became constant. In the present investigation, the value of k was obtained for 0.30 g of the semiconductor as further increase in the amount of semiconductor showed no increase in the rate of the reaction. It indicates that there is a limiting value of the amount of semiconductor above which, any increase in its amount will not affect the reaction rate appreciably. It may be treated as saturation point. This observation may be explained on the basis that as the amount of semiconductor was increased, more particles are available for excitation and there is a greater possibility of electron-hole pair generation on exposure to light. This will result into a corresponding increase in the rate of photocatalytic removal of nickel(II). After a certain value is reached (0.3g), the boom of the reaction vessel is almost covered and now, further addition of semiconductor will not increase the exposed semiconductor at the bottom of the reaction vessel. Hence a saturation like behaviour was observed.

It was further confirmed by using vessels of different dimensions where the saturation point was shifted to higher values for larger vessels and shows a downward shift for


smaller vessels. It was further supported by the observation that this point shifts to higher side, when the solution was stirred. This increase is due to the greater probability of reach particle to be exposed in all direction, which was otherwise not possible in an unstirred solution.

Effect of light intensity: The effect of light intensity on the rate of photocatalytic reduction of Ni(II) has been observed by varying the distance between the exposed surface of the photocatalyst and the source. It has been observed that the rate of photocatalytic reaction increases with increasing the light intensity. It may be attributed to the fact that more electron-hole pairs will be generated due to an increased number of photons striking the semiconductor surface with an increase in the intensity of light. Now more electrons will be available for reducing the substrate and hence, the rate of photocatalytic reaction will be enhanced.

Effect of particle size: The effect of particle size on the rate of photocatalytic reduction of Ni(II) was also investigated by taking semiconductor particles of different sizes. Particle size of photocatalyst was measured by Sedigraph- 51' 00 serial no. 598 (Micro Mertics).

Particle size of the photocatalyst was kept between 38.0 to 130.0 nm. It was observed that, there was a decrease in the rate of the photocatalytic removal of Ni(II) as the particle size of the semiconductor was increased. This decrease in the rate may be explained on the basis that as the particle size was increased, there was a corresponding decrease in the surface area. The decrease in surface area will be about four times by increasing the size of the particle to its double. This four fold decrease in area should decrease the rate to one-fourth, but it was never observed. This may be due to the fact that the exposed surface area may not decrease to that extent as predicted theoretically.

Mechanism: On the basis of the observed experimental data, the following tentative mechanism has been proposed for the photocatalytic reduction of nickel(II).



In the first step, semiconductor (SC) is excited by the absorption of light of an appropriate wavelength. An electron from the valence band (VB) of the semiconductor will jump into its conduction band (CB), thus leaving behind a hole. This hole may be utilised by the water molecules to generate oxygen and H⁺ ions and dissolved oxygen in solution can be reduced by two electrons to form hydrogen peroxide, which may slowly degrade. In the last step, nickel(II) may accept two electrons from the conduction band of the semiconductor and will be reduced to its metallic state. This reduction of Ni(II) is also indicated by grey deposit (with shine) on the semiconductor. It is further supported by our earlier work (20).

Photocatalytic reduction of metal ions from their higher

oxidation states to lower oxidation states will not only make the industrial effluents less toxic, but in some cases, it will provide an easier method to recover these metals, where some metallic deposits were observed on semiconducting particulate systems. So the photocatalytic system will help

us in the treatment of industrial wastewater containing metal ions on one hand and make this method commercially viable from the recovery point of view, on the other.

Reference:-

1. Personal Research.

भारत नेपाल संबंधों के कमजोर पक्ष

जितेन्द्र कुमार मालवीय *

प्रस्तावना - 1947 की स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करना एक चुनौती था। अपने पैरों पर खड़ा होना प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकता होती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुये भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना प्रारंभ किया जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत अपनी सुरक्षा भी करना चाहता था जो प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य होता है। एशिया महाद्वीप में दो शक्तियां विद्यमान हैं एक ही चीन दूसरा है भारत, जो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। दोनों राष्ट्रों के बीच नेपाल स्थित है जो बफर स्टेट की भूमिका निभा रहा है। लेकिन यही वो समस्या है जिसे दोनों देश अपने बल का प्रयोग करके अधिकार करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन चीन तिब्बत को हड़पने के बाद नेपाल पर अधिकार चाहता है। नेपाल की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक इकाई के रूप में नेपाल मजबूत, प्रगतिशील एवं स्थायी रहे। दोनों देशों के बीच कुछ टकराव भी दिखाई देते हैं।¹

भारत ने कुछ गलतियाँ कीं जिनकी वजह से भी दोनों देशों के संबंध कमजोर हुये हैं। जिस समय नेपाल का संविधान तैयार हो रहा था उस समय नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व रहा और तराई क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व को कमजोर किया गया भारत समय रहते सक्रिय नहीं हुआ, नेपाल में संविधान में भेदभाव होने से मधेशियों ने नए संविधान का विरोध किया जिससे भारत-नेपाल सीमा बाधित हुई, भारत ने इस अवरोध को खत्म करने में सक्रियता नहीं दिखाई बल्कि तटस्थ बना रहा। परिणाम स्वरूप नेपाल में आवश्यक वस्तुओं में कमी आ गयी। लेकिन इस मौके का फायदा भारत ने तो नहीं उठाया लेकिन चीनी समर्थकों ने इस मौके का फायदा उठाया और नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं का भड़काने का काम किया। नेपाल का विश्वास भारत के प्रति कमजोर हुआ इसलिए नेपाल ने चीनी कार्ड खेला, क्योंकि वह भारत पर दबाव चीन की ओर झुकाव दिखा करके ही कर सकता था। बीजिंग ने पेट्रोलियम पदार्थों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की आपात आपूर्ति भी की जिससे नेपाल के दिल में अपने लिए जगह बना सके। नेपाल ने चीन के साथ ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट समझौता किया जिसके तहत चीन नेपाल को अपने बंदरगाह उपलब्ध करायेगा और चीन दोनों देशों के बीच रेल संपर्क का विकास करेगा।

नेपाल अपना 60 प्रतिशत आयात भारत के द्वारा पूरा करता है। लेकिन नेपाल-चीन समझौता से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी यदि हम हिमालय की बात करें तो आज वर्तमान समय में इतना सुरक्षित नहीं रहा है भारत-चीन युद्ध के बाद हिमालय अभेद नहीं रहा है। नेपाल-चीन के सम्पर्क में आता है तो नेपाल भारत व चीन को जोड़ने वाला

तत्व बन जायेगा जो भारतीय सुरक्षा के लिए हारिकारक होगा। चीन-नेपाल के बीच ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन द्वारा नेपाल से नजदीकियां बढ़ाना यह भारत को घेरने की रणनीति है। नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली से सिलीगुड़ी कोरिडोर पर खतरा बढ़ेगा। यही एकमात्र कोरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। यदि चीन की पहुंच नेपाल तक हो गयी तो भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक चीन की पहुंच बढ़ जायेगी। जिससे भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

नेपाल एवं भारत के बीच मार्च, 1989 तक आते-आते संधि की समाप्ति तक दोनों देशों में मतभेद बहुत अधिक बढ़ गए और भारत एवं नेपाल के बीच टूटते रिश्तों का मामला एक गंभीर त्रासदी बनकर रह गया। आखिर किन कारणों ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों की स्थिति पैदा कर दी।

दोनों देशों के संबंधों में दरार आनी उसी समय शुरू हो गई थी, जब 1960 में तत्कालीन नेपाल नरेश महेन्द्र ने वी.पी. कोइराला के नेतृत्व में चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सत्ता अपने हाथ में ली। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी गहरी अप्रसन्नता दिखाई थी। भारत-नेपाल के बिगड़ते रिश्तों का इस प्रकार यह पहला पड़ाव था।

नेपाल के महाराजावीरेन्द्र की विदेश नीति का मूलाधार नेपाल को 'शान्ति क्षेत्र' घोषित कराना था। इसीलिए जब नेपाल ने शान्ति-क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई तब भारत ने इसका विरोध किया। यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जिसने दोनों देशों के संबंधों में पड़ी दरार को ओर अधिक गहरा कर दिया।

दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण 1950 की संधि के बारे में नेपाल की नई सोच है। इसके तहत नेपाल के नागरिकों को भारत के नागरिकों के समान अधिकार हैं केवल भारतीय प्रशासनिक, पुलिस तथा विदेश सेवा को छोड़कर वह किसी भी सेवा में जा सकता है। गोरखा-रेजीमेण्ट के सैनिकों के रूप में अरबों रुपये की पेंशन नेपाल जाती है। दूसरी ओर भारतीय नागरिक नेपाल में जो सम्पत्ति खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। चीन की लगी सीमा तक नहीं जाया जा सकता था, रोजगार के लिए वर्क परमिट लागू कर दिया गया है, इस सौतेले व्यवहार ने भी हमारे संबंधों में दूरी बढ़ायी है।

अमेरिका-पाक एवं चीन के बढ़ते हुए संबंध अपने दूरगामी हितों को देखते हुए काठमाण्डू में भारत विरोधी अभियान को तेज कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में समस्या खड़ी करने की कोशिशें जारी हैं। 'दिनमान' पत्रिका की टिप्पणी के अनुसार - 'काठमाण्डू स्थित अमेरिका,

पाक और चीन लाबी के प्रभाव में वहां के एक सत्ताधारी गुट के पिछले 10 वर्ष के लगातार भारत विरोधी प्रचार के कारण काठमाण्डू का एक प्रभावशाली वर्ग भारत विरोधी हो गया है। अकर्मण्य और विलासी महाराजाधिराज परिस्थितियों की कैद में है न उनका जनता से सीधा नाता है न मंत्रिमंडल से।¹²

भारतीय मूल के लगभग 64 लाख 80 हजार मधेशिया जाति के लोग नेपाल में पिछली शताब्दी से रहे रहे हैं। इनकी कुल आबादी नेपाल की लगभग एक तिहाई है। लगभग एक दशक पूर्व जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने मतदान भी किया था। लेकिन पिछले पंचायत चुनावों में उनकी संख्या के एक-तिहाई लोगों की नागरिकता ही समाप्त कर दी गई। इसका विरोध भारत ने किया जिससे मतभेद बढ़ने स्वाभाविक थे।

नेपाल ने चीन के साथ विशेष मैत्री संबंध स्थापित कर लिए और तिब्बत तथा नेपाल के बीच एक सड़क बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही चीनियों को सीमा पर आने की छूट दे दी। अभी हाल में ही जुलाई, 1994 को एक सूचना के आधार पर चीन द्वारा नेपाल के पथलहिमा से बांग्लादेश की सीमा काकर-मीढा तक 'फोर लेन ट्राफिक' पथ का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या नेपाल चीन के हथियारों का केन्द्र बनने वाला है। क्या भारतीय सुरक्षा को एक चुनौती है। नेपाल में अस्थिरता और चीन के बढ़ते कदम भी संबंधों में खाई खोद रहे हैं।

भारत-नेपाल संधि (1950) की धारा-2 में कहा गया है कि नेपाल अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार, युद्ध सामग्री, उपकरण, भारत की सहमति और भारतीय भू-भाग से होकर ही आयात करेगा। इसके बावजूद नेपाल ने चीन से 640 ट्रक सैनिक साज-सज्जा तथा 18 वायुयान विरोधी तोपें भी ली हैं। चीन से नेपाल द्वारा हथियारों की खरीद का मामला इतना गंभीर हो गया कि संबंधों की दरार खाई में बदल गयी।

नेपाल के लिए तस्करी का एक बड़ा केन्द्र बन गया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ है। वास्तविकता यह है कि नेपाल विदेशी वस्तुओं का आयात आवश्यकता से अधिक कर लेता है और वे वस्तुएं बाद में तस्करी के माध्यम से भारत में पहुंच जाती हैं जिससे भारतीय उत्पादन व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत ने इस समस्या से नेपाल को अनेक बार अवगत कराया, किन्तु नेपाल की अनसुनी ने मतभेदों की दरार को ओर चौड़ा कर दिया।

दोनों देशों के तनाव के जहां इनकी सरकारें जिम्मेदार हैं वहां उससे ज्यादा जिम्मेदार उनके राजदूत और दूतावास हैं। विशेष रूप से सेनेपाली दूतावास न तो अपने नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर पाया, न ही सरकार का। इस प्रकार नेपाली नागरिकों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि दोनों देशों के खराब संबंधों के कारण नेपाली दूतावास हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। इससे संबंधों में विरोध के स्वर और तेज हो गये। दूतावासों के संबंधों के संदर्भ में समाचार-पत्रों में जो छपा उसका भी खण्डन नहीं किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हर परेशान नेपाली नागरिक भारत को दोषी ठहराने लगा और संबंधों की डोर टूटने लगी।

दोनों देशों के सम्बंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण नेपाल सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों का उत्पीड़न भी हो रहा है। इस बात की पुष्टि आस-पास के सीमावर्ती क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से मिली। एक और नेपाल सरकार इस

बात का दावा बार-बार करती रही कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है लेकिन पृष्ठ भूमि में नेपाल सरकार ने जो रवैया अपनाया वह इस भावना के ठीक विपरीत है - जैसे, भारतीय मुद्रा पर पाबंदी, वर्क परमिट को लागू करना, उद्योग व्यापार पर पाबंदी, तट कर लगाकर भारतीय माल को महंगा करना, भारत विरोधी प्रचार एवं प्रसार। भारतीय सुरक्षा में नेपाल का महत्व वर्तमान समय में आज और भी बढ़ गया है। भारत के हिमालयीन सीमान्त के सुरक्षा-क्षितिज में भू-स्त्रातोजिक दृष्टि से नेपाल की विशिष्ट भूमिका रही है। नेपाल भारत व चीन के बीच स्थित है। चीन लम्बे समय से नेपाल पर अपनी क्रूर दृष्टि लगाये बैठा है। उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। तिब्बत पर उसने अधिकार करके वह अपनी साम्यवादी सत्ता का विस्तार जमाना चाहता है। तिब्बत पर उसने अधिकार करे वह अपनी साम्यवादी सत्ता का विस्तार करने की इच्छा दर्ज कर चुका है। उसी क्रम में वह आगे बढ़ते हुये नेपाल पर अधिकार करना चाहता है। नेपाल के प्रति चीन के इरादों की झलक माओ के इस कथन से भी साफ-साफ नजर आती है। 'नेपाल व भूटान चीनी भू-भाग के ही अंग हैं।'¹³ यही नहीं चीन नेपाल को अपने तिब्बत रूपी पंजे की पांच उंगलियों में से एक मानता है।¹⁴

भारत-नेपाल के बीच काफी लम्बी सीमा है। भारत-नेपाल के बीच लगभग 1800 कि.मी. खुली एवं अनियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। दोनों देशों के मध्य कई व्यापारिक गतिविधियां लम्बे समय से चली आ रही हैं। भारत एवं चीन दोनों ही एशिया के दो बड़े राष्ट्र हैं। जनसंख्या तथा भौगोलिक दृष्टि से भी दोनों राष्ट्र विश्व के बड़े राष्ट्रों में गिने जाते हैं। चीन और भारत दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में नेपाल एक छोटा सा राज्य है जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से भारत चीन से छोटा है। नेपाल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह छोटा सा राज्य दोनों राज्यों के बीच स्थित है 'ल्यो ई. रोज ने इसे मिनी स्टेट की संज्ञा दी है।' भारत की नेपाल के साथ 1800 कि.मी. की सीमा मिलती है नेपाल सामरिक दृष्टि से भारत का प्रहरी है और नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में 21 दर्रे हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नेपाल हमेशा से ही भारत और चीन के लिए एक दीवार का काम करता रहा है। चीन अपनी साम्यवादी नीति को हमेशा बल देता रहा है। वर्तमान समय में आज नेपाल की भूमिका अहम हो गयी है। चीन के बढ़ते कदम एशिया में नए संकेत पैदा कर रहे हैं जो देश दुनिया के लिए शांति वातावरण में खलल डाल रहा है। चीन की नजर नेपाल पर है और वर्तमान समय में 'भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को और अधिक शक्ति प्रदान करनी होगी। चीन की कूटनीतिक चाल को दोनों देशों को अपने बेहतर संबंधों की ताकत का एहसास कराना होगा।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक जागरण
2. राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा - डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र - मॉडर्न पब्लिशर्स पृ.-278
3. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध-राम सूरत पाण्डेय - प्रकाश बुक डिपो बरेली (2014) पृ.-349
4. भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध - डॉ. रामदेव भारद्वाज हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल (2012) पृ.-369

प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्षी की योग्यता : विकलांगजन के संदर्भ में

प्रो. अवनीश चंद्र मिश्र* अनामिका यादव**

प्रस्तावना – किसी भी समाज तथा देश-काल में वाद-विवाद का आपसी हल न निकलने पर उसका एक समुचित हल निकालकर समस्या को दूर करने तथा आपराधिक मामलों में निर्दोश व्यक्ति को न्याय देने तथा दोषी व्यक्ति के लिए दंड का निर्धारण करने के लिए एक सशक्त न्यायाधिकरण की आवश्यकता सदैव ही रही है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी नीति नियंताओं ने अपने नीतिशास्त्रों में सशक्त न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया है। किसी भी राज्य का सुव्यवस्थित शासन प्रबंध न्यायाधीश एवं न्याय प्रणाली के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है और साक्षियों और प्रमाणों के अभाव में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ एवं संपूर्ण नहीं कही जा सकती है। किसी भी विवाद या अपराध में साक्षी ही वह व्यक्ति होता है जो घटना का उसी रूप में वर्णन करने में सक्षम होता है जिस प्रकार वह घटित हुई होती है, इस प्रकार वह न्यायाधिकारी को उचित निर्णय लेने में सहायता करता है किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास में समाज के सभी नागरिकों को साक्षी होने का अधिकार प्राप्त नहीं था। विकलांगजनों को इस दायित्व से मुक्त रखा गया था। विवाद के कुछ चुने हुए मामलों में ही विकलांगजन साक्षी होने के लिए योग्य माने जाते थे।

प्राचीन भारतीय समाज की न्यायिक व्यवस्था भी नीति शास्त्रों के नियमों पर ही आधारित थी। विवादों को हल निकालने तथा न्याय देने के लिए साक्षियों की सहायता ली जाती थी किन्तु सभी व्यक्ति साक्षी होने के योग्य नहीं माने जाते थे। भिन्न-भिन्न प्रकार के विवादों के लिए विभिन्न प्रकार के साक्षी योग्य माने जाते थे। अर्थात् कुछ चुने हुए व्यक्ति ही साक्षी होने की योग्यता रखते थे। अनेक अन्य प्रकार के व्यक्तियों के साथ-साथ विकलांगजनों को भी साक्षी होने के लिए योग्य नहीं माना जाता था। यद्यपि यह नियम समस्त विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं था और उनकी योग्यता उनकी परिस्थितियों तथा विकलांगता पर निर्धारित होती थी। शुक्रनीति में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है अर्थात् साक्षी की आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है।

स्वेतरः काययविज्ञानी यः स साक्षी त्वनेकथा

दृष्टार्थश्च श्रुतार्थश्च कृत्श्चौवाकृतो द्विधा।¹

अनेक व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु वे आपस में संबंधी नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है अथवा किसी ने उसे स्वयं सुना होता है।

यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिरू श्रोत्रम च नित्यशः

सुदीर्घेणपि कालेन स वै साक्षित्वमहर्ति।²

दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर भी जिस व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति तथा श्रवण शक्ति क्षीण नहीं हुई है वही व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए योग्य है।

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की श्रवण क्षमता, दृश्य क्षमता क्षीण हो या वह इन अंगों से अक्षम हो तो वह किसी भी विवाद में साक्षी होने के योग्य नहीं है क्योंकि वह घटना को स्वयं देख नहीं सकता, न ही उसको स्वयं सुन सकता है। सभी नीति निर्धारकों ने अयोग्य साक्षियों की अपनी अलग सूची प्रस्तुत की है जिसमें अनेक अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ विकलांग जनों का भी उल्लेख है किन्तु इसमें भी कई मतभेद दृष्टिगत हो रहे हैं। कुछ नीतिशास्त्रों के अनुसार मात्र मूक-बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति ही अयोग्य बताए गए हैं और कुछ में सभी विकलांग व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है। महान नीतिज्ञ कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में यह उल्लेख किया है कि सहायक, दास, शत्रु, साला, ऋणदाता तथा विकलांग व्यक्ति साक्षी होने के योग्य नहीं हैं।³ इसी सूची में चांडाल, पतित, वेदपाठी ब्राह्मण, राजकर्मचारियों के साथ-साथ मूक-बधिर, नेत्रहीन, कोढ़ी और गाँव के मुखिया के लिए यह निर्देशित किया गया है कि अपने वर्ग के अतिरिक्त वे किसी अन्य वर्ग के लिए साक्षी नहीं हो सकते हैं।⁴ स्पष्ट है कि यह सभी लोग अपने वर्ग के विवाद के मामलों में साक्ष्य देने के योग्य अधिकारी हैं। नेत्रहीन व्यक्ति ने घटना को स्वयं देखा नहीं हो किन्तु उसे सुना हो सकता है। बधिर व्यक्ति भी सुन पाने में भले ही असमर्थ हों किन्तु घटना को उसी स्वरूप में देख पाने में सक्षम हैं जैसे वह घटित हुई है। अपने मत को मूक-बधिर तथा नेत्रहीन आदि को व्यक्त करने तथा उसे स्पष्ट समझाने में भले ही थोड़ी कठिनाई हो किन्तु ऐसे हीनांग व्यक्ति भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकारी हैं। यहीं पर कौटिल्य ने यह भी उल्लिखित किया है कि चोरी, व्यभिचार तथा पारुष्य के मामले में शत्रु, सहायक और साले को छोड़कर उपरोक्त सभी व्यक्ति अपने वर्ग के अतिरिक्त भी साक्षी हो सकते हैं, जिसमें सभी विकलांगजन भी सम्मिलित हैं।⁵

मनुस्मृति में भी अनेक व्यक्तियों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की गयी है जो कि साक्षी होने के लिए अयोग्य माने गए हैं। इस सूची में राजा, कारीगर, वेदपाठी, नट, सन्यासी, बालक, वृद्ध, रोगी, सन्यासी, पराधीन, क्रोधी, उन्मत्ता, किसी भी प्रकार की क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति, चोर, तस्कर आदि व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत

न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः।⁶

मनु ने उपरोक्त अन्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ विकलांगजनों

*शोध निर्देशक(इतिहास) डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

को साक्ष्य देने के योग्य नहीं माना है किन्तु यह बाध्यता सभी विकलांगजनों के लिए ही है अथवा मात्र बधिर तथा नेत्रहीन व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः इस नियम में साक्षी होने की प्रथम योग्यता स्वयं देखने और सुनने को ही प्राथमिकता दी गयी है और अन्य विकलांगजनों यथा पंगु, कोढ़ी तथा चलन ह्रास से पीड़ित व्यक्तियों को इस नियम से मुक्त रखा गया है। अन्य शास्त्रों में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि यह बाध्यता मात्र नेत्रहीन, मूक तथा बधिर व्यक्ति के लिए ही थी। अन्य अपंग व्यक्ति किसी विवाद में साक्षी हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार सहायक, शत्रु, स्त्री वृद्ध, बालक, महापातक, उन्मत्त तथा विकलेन्द्रिय यथा मूक-बधिर आदि व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकते हैं।⁷ किन्तु यहीं पर यह उल्लेख भी मिलता है कि प्रत्यक्ष दोष से युक्त व्यक्ति भी साक्षी होने के योग्य नहीं हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस दोष में पंगु या चलन ह्रास से युक्त व्यक्ति सम्मिलित हैं अथवा नहीं। किन्तु कुछ स्थानों पर चलन ह्रास से पीड़ित व्यक्तियों को भी साक्षी होने के लिए अनुपयुक्त माना गया है।⁸ कौटिल्य की ही भाँति याज्ञवल्क्य का भी यह मानना है कि चोरी, पारुष्य तथा साहस के विवादों में सभी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं।⁹ वो कोई सामान्य व्यक्ति हों या विकलांग व्यक्ति, जो व्यक्ति अन्य विवादों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य बताए गए हैं वह सभी इसमें सम्मिलित हैं। व्यवहार मयूख में इसका वर्णन मिलता है कि स्त्री, बालक, वृद्ध, मित्र, शत्रु, मंच पर प्रस्तुति देने वाला, जुआरी तथा अपंग व्यक्ति आदि साक्षी होने के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।¹⁰ साहस के विषय में अन्य व्यक्तियों के साथ ही बधिर तथा नेत्रहीन व्यक्ति भी साक्षी होने में सक्षम हैं किन्तु यह उसी दशा में संभव है यदि वह किसी पक्ष विशेष से संबंधित नहीं हों तथा किसी भी प्रकार से पक्षपात की भावना से मुक्त हों।¹¹

साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य व्यक्तियों का उल्लेख सभी नीति शास्त्रों और स्मृतियों में किया गया है किन्तु इसमें नारद द्वारा उल्लिखित सूची अत्यधिक विस्तृत रूप में दी गयी है। इस सूची में अन्य सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों के साथ-साथ सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य बताया गया है। इसमें अंगभंगी, कम अंग वाले व्यक्ति यथा (4 अंगुलियों वाले) तथा चलन ह्रास से पीड़ित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।¹² चलन ह्रास से पीड़ित व्यक्ति का इस सूची में निर्दिष्ट होना अव्यवहारिक है क्योंकि वह किसी भी घटना को स्वयं स्पष्ट देख-सुन सकते हैं तथा उसका वर्णन करने में पूर्णतया सक्षम हैं। साहस के विषय में दृष्टिहीन एवं श्रवण क्षमता से हीन व्यक्ति भी साक्षी होने के योग्य हैं यदि वो पक्षपात से मुक्त हों।¹³

प्राचीन भारत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा राजमहल में उपस्थित होना पड़ता था क्योंकि तत्कालीन शासन व्यवस्था में राजा ही मुख्य न्यायाधीश होता था तथा सभी अपराधों तथा विवादों में दंड देने का अधिकार राजा को ही था। किन्तु विशेष परिस्थितियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सभा में उपस्थित होना आवश्यक नहीं था। इस सूची में वृद्ध, बालक, आपदग्रस्त, राजा के कार्य में व्यस्त व्यक्ति, स्त्री, प्रसूतिका तथा असमर्थ व्यक्ति आदि सम्मिलित थे जिन्हें राजाज्ञा के द्वारा दरबार में उपस्थिति से मुक्त कर दिया जाता था।¹⁴ शुक्रनीति के अनुसार यदि किसी असमर्थ व्यक्ति, व्याधिग्रस्त व्यक्ति को सभा में बुलाना अत्यावश्यक हो तो राजा उसके आने का प्रबंध करे तथा उसे सवारी के माध्यम से धीरे-धीरे आने के लिए कहे।¹⁵ ऐसी व्यवस्था करने का उद्देश्य यह रहा होगा कि राज्य के रोगी, स्त्रियों, विकलांगजनों आदि को सभा में प्रस्तुत होकर साक्ष्य देने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना

पड़े।

किसी भी समाज की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत साक्षी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन काल में जब सभ्यताओं का विकास हुआ तब से ही यह व्यवस्था चली आ रही है। लगभग 2000 वर्ष ई०पू० के पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन के शासक हम्मुराबी द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता का लिखित वर्णन मिला है।¹⁶ इस आचार संहिता में समाज के सभी वर्गों के लिए निर्धारित अन्य नीतियों के साथ-साथ दंड संहिता का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि इस संहिता में विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी विशिष्ट नियम का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु दंड स्वरूप सामान्य व्यक्तियों के हाथ-पैर काटकर, जिह्वा काटकर उन्हें अपंग बनाने का नियम हम्मुराबी के कानून में भी किया गया है। विवादों को हल करने के लिए तथा उनका उचित निर्णय करने के लिए न्यायाधिकारी साक्षी व्यक्तियों की सहायता से अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं। किन्तु जो व्यक्ति देख-सुन पाने में असमर्थ हैं उन्हें इस भार से मुक्त कर दिया गया है। नीतिज्ञों का ऐसा मानना है कि नेत्रहीन और मूक-बधिर व्यक्ति किसी घटना का उसी रूप में वर्णन करने में पूर्णतया समर्थ नहीं हैं। किन्तु पंगु या चलन ह्रास से पीड़ित व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान दिया जाना चाहिए। वो किसी भी घटना या विवाद में उपयुक्त साक्षी हो सकते हैं। आधुनिक काल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) में इन सभी नियमों का लोप दृष्टिगत हो रहा है। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को भी साक्षी होने के योग्य मानता है तथा अन्य सभी सामान्य नागरिकों की भाँति विकलांगों को भी यह दायित्व उन्हें समान रूप से प्रदान करता है।

"All person shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them, or from giving rational answer to those question, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind"¹⁷ जो मूक-बधिर या नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो लिखकर या विशेष चिह्नों द्वारा अपनी बात न्यायाधीश के समक्ष प्रकट कर सकते हैं।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विकलांगजनों (नेत्रहीन, मूक-बधिर, पंगु, चलन ह्रास से पीड़ित आदि) के साक्ष्य को अमान्य रखने का कोई परोक्ष कारण नहीं है। यदि वो साहस, चोरी या स्वयं के वर्ग के मामलों में साक्षी हो सकते हैं तो अन्य सभी मामलों में भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं एवं न्यायाधीश को उसे मान्यता प्रदान करना चाहिए। राजकीय अधिकारियों द्वारा विकलांगजनों को सभा में उपस्थित होने की व्यवस्था करना चाहिए ताकि न्यायालय तक पहुँचना उनके लिए सुगम हो सके और वे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने दायित्व को सरलता से पूरा कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्रनीति: भाग-2, महर्षि शुक्राचार्य, व्याख्याकार-डॉ० जगदीशचंद्र मिश्र, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2012, पृष्ठ संख्या- 689
2. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या-690
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र, कौटिल्य, व्याख्याकार-वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1962, पृष्ठ संख्या- 369
4. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या- 370
5. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या- 370
6. मनुस्मृति-भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश, टीकाकार- डॉ०

- रामचंद्र वर्मा शास्त्री, विद्या विहार, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ संख्या- 281
7. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, महर्षि याज्ञवल्क्य, व्याख्याकार- डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सं० 2050, पृष्ठ संख्या-226
8. प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन, उदय नारायण राय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998, पृष्ठ संख्या-291
9. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, पृष्ठ संख्या- 226
10. Vyavahara Mayukha or Hindu&Law, translated by vishwnath narayan mandlik, asian publication,service, New delhi, 1982, page no-&24
11. Vyavahara Mayukha, page no-& 25
12. धर्मशास्त्र का इतिहास-2, डॉ० पी०वी०काणे, अनुवादक- अर्जुन चौबे काश्यप, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृष्ठ संख्या-737
13. धर्मशास्त्र का इतिहास-2, पृष्ठ संख्या-738
14. शुक की राजनीति, श्यामलाल पांडे, प्रेम पब्लिशर्स, लखनऊ, सं० 2009, पृष्ठ संख्या-139
15. शुकनीति: -2, पृष्ठ संख्या-662
16. The Code of Hammurabi King of Babylone about 2250 BC, Hammurabi, translated by & Robert Francis Harper Ph-D, The University of Chicago Press, Chicago, 1904
17. Indian evidence act 1872 (1 of 1872) with an introduction of the principles of judicial evidence Dr. James Fitzjames Stephen, Macmillan and co., London, 1902, page no.- 200

Power System Voltage Security Assessment and Corrective Actions using Machine Learning Approach

Sonali R. Nandanwar* N. P. Patidar**

Abstract - This paper mainly focused on two machine learning methods named as Probabilistic Fuzzy Decision Tree (PFDT) and Case Based Reasoning (CBR). Decision trees are coming under the machine learning which placed important role for pattern classification. In this work, an algorithm is developed to identify the potentially dangerous operating conditions under sever contingencies. Single line outages are considered as contingency and evaluated using AC load flow for generating the training/testing patterns. Optimal value of reactive load is determined and curtailed from insecure buses. Old cases from data base are used for solving the new problems is fundamental to CBR. Probabilistic fuzzy decision tree is used for solving the new cases in proposed CBR approach. In case of emergency or a critical situation, structure of the power system networks changes. The effectiveness of the proposed approach is validated on the IEEE- 30 bus system. Results reveals that this approach is more accurate and comprehensible to system operators.

Keywords- Loadability Margin (LM), Probabilistic Fuzzy Decision Tree, Case Based Reasoning, Optimal load shedding.

Introduction - Continuous load perturbation occurred in real time power system operation. When the load changes largely due to load transients, it is very challenging to keep the system voltage stable within the desirable limits. Various events of voltage insecurity/collaps have occurred in the past history which result into severe economic impacts [1]. To prevent the system from deterioration and restore it to the secure mode from blackouts and voltage collapses, an optimal load management is an effective tool to secure the system from any consequences. To avoid voltage collapse, insecure operating conditions are observed that assist the operator for load shedding in real time. Optimal load shedding is carried out using binary decision trees and insecure states are corrected for secure operation of power system [2]. Voltage security assessment is performed by using simple binary decision trees which suggest real time applications of decision trees [3]-[6]. Therefore, this work focused to develop a methodology using fuzzy logic decisions tree learning method with accountability of probabilistic reasoning for efficient and stable tree building which will be able to tackle uncertainty in data. This methodology will be more helpful for execution in power systems voltage security assessment because it can handle accurate or inaccurate numeric data with more precision. [7], [8]. Optimal load shedding is done by using Probabilistic Fuzzy Decision Tree (PFDT). Probabilistic fuzzy decision tree is an extension of the Decision Tree (DT) algorithm.

Power system experts and operators have been

amassing valuable operational knowledge i.e. the power system parameters and corresponding voltage security status of the concerned power systems for many years using artificial memories or their own memories. By using this knowledge, problem solving challenges could be curtailed and has led to many different approaches. One of the approaches is the CBR where the experiences garnered while resolving the problems are successfully used to resolve the new problems. The solutions of the resolved problems are effectively then stored in the case-base [9]. It is a transparent system and the shortcomings which are found in feed forward Artificial Neural Network (ANN) are removed with use of CBR [10]. Case-based reasoning for real-time voltage security assessment of the power system is presented using Probabilistic Neural Network (PNN). Probabilistic Neural Network is used for similarity matching and solutions of new cases are discovered by using old cases of CBR system. An information gain based feature selection technique is used for selection of suitable input features for PNN, which reduces the input dimensionality so the process of retrieval becomes faster [11]. After retrieval, a new case is adapted by CBR that is called case adaption and it improves the performance and application level of CBR [12]. CBR is a good approach for representing the data similar to some rules, logic and mathematical data in the form of case representation. It provides theory support for the construction of prototype system and it enhances the ability of the past experience into the modernized aux-

*Electrical Engineering Department, Priyadarshini College of Engg, Nagpur, Hingna Road, Nagpur (Mh.)INDIA
 **Electrical Engineering Department, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal (M.P.) INDIA

iliary decision making [13]-[15]. In this paper, a case based reasoning, a more accurate, efficient and fast algorithm is developed for voltage security assessment. In this approach, the similarity matching for new cases has been avoided and real time training of PFDT is adopted to find solution to new cases using old cases which are stored in the case base.

Probabilistic Fuzzy Decision Tree - Basically, PFDT comes under machine learning which is the branch of artificial intelligence techniques [16]-[18]. The hybridization is required at both ends i.e. in knowledge acquisition and in building an efficient knowledge base. Data base is generated from sample space by incorporating fuzzy and probability by considering contingency at different operating conditions. These training patterns are generated offline for well-defined sample space from projected previous data or forthcoming 24 hours data. To obtain initial system state, run optimal power flow [19] and perform the contingency analysis. The operating load conditions are created by perturbing the real and reactive load at each load bus under each contingency (line-outages) evaluated using Continuation Power Flow (CPF) method to calculate loadability margin. Loadability margin is the index of voltage stability of power system, it is essential to know how much to operate steady state after some perturbation has been occurred within the specified limits of safety and supply quality constraints corresponding to contingencies. The system is said to be voltage secure if loadability margin is reasonably high. Security is defined as the ability of the system to remain in secure equilibrium state even after contingency has been occurs [20].

Probability and Fuzzy Function - In fuzzification, sampled data of continuous and discrete power system is fuzzyfied. According to the function of probability, the total number of probabilities of N samples is 1. Here we have taken advantage of probability function and assigned all attributes to be weighted is 1. Therefore, fuzzyfied sampled data uses this probability function and is known as well defined sample space [16], [21] refer (1).

$$P_r(A) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu_A(x) f(x) dx = E(\mu_A(x)) \quad (1)$$

Trapezoidal function

In this work trapezoidal function is found to be the most appropriate fuzzyfied technique which fulfills probability. Trapezoidal shaped membership function is used for fuzzification of each attribute by using (2).

$$f(x,a,b,c,d) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & d \leq x \end{cases} \quad (2)$$

Where, a and d are bottom of the trapezoid and the parameters b and c are shoulders [21].

Statistical Fuzzy Entropy - To define the information gain, the suitable data of different variables or attributes is selected by using statistical fuzzy entropy. For specified sampled data, Statistical fuzzy entropy given as below [16], [22], [23] refer (3).

$$H_{sf} = - \sum_{c=1}^C E(\mu_{AC}(x)) \log_2 \mu_{AC}(x) \quad (3)$$

Where

$$E(\mu_{AC}(x)) = \frac{\sum \mu_{AC}}{\sum \mu_A}$$

H_{sf} represents the entropy of set S.

μ_{AC} is membership value of A^{th} pattern to c^{th} class

μ_A is membership value of A^{th} pattern

Statistical Fuzzy information Gain

A statistical fuzzy information gain is determining the cost of an attribute. An information gain of an attribute is the final information contents which are result of the reduction of the sample set entropy after using this attribute to divide the sample set [23]. For attribute A, the information gains of sample set S refer (4).

$$G(S,A) = H_{sf}(S) - \sum \frac{|S_i|}{|S|} H_{sf}(S_i) \quad (4)$$

Where,

$H_{sf}(S)$ is the entropy of set S

$|S_i|$ is the size of subset S

$|S|$ presents the size of set S

Stopping criteria- The learning of PFDT stops when all the sample data belonging to a node have a single class. Then that node is considered as a node with poor accuracy. In order to improve accuracy, learning of DT should be stopped as early as possible as it also shortens the size of the tree. Following two methods are given to stop the growing size of DT [16].

1. Fuzzy Controlled Threshold (θ_r) - If percentage of a class at any node is larger than or equal to fuzzy controlled threshold (θ_r), stop growing the tree and make that node as a leaf node with corresponding class proportions.

2. Leaf Decision Threshold (θ_n)- If the data left at any node is smaller than the leaf decision threshold (θ_n), stop growing the tree and make that node as a leaf node with corresponding class proportions [24].

Algorithm For Voltage Security Using PFDT

The algorithm to develop the optimal load shedding in voltage security assessment by PFDT model is given below
Step I: To generate the load patterns in large size power system, vary the real and reactive loads randomly at all buses.

Step II: By using CPF method, loadability margin is calculated on each line outages for the entire load patterns.

Step III: Let 'A' be the set of attributes i.e.

$$A = [A_1, A_2, A_3, \dots, A_n]$$

Let 'C' be the set of all classes i.e.

$$C = [C_1, C_2, C_3, \dots, C_n]$$

Each attribute in 'A' is the real and reactive load on load buses of power system and 'C' is the number of classes of load patterns. Here operating load conditions are considered only in two classes; that is, secure and insecure.

$$A_i = [A_{i,low}, A_{i,medium}, A_{i,high}]$$

Low, Medium and High are the three categories of each attribute in 'A.'

Step IV: Determination of change in attribute value to get a particular class C_i .

Step V: Determine all possible path combinations that lead to the class C_i . i.e. P is the set of all possible path combinations

$$P = P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$$

Step VI: Determine responsible attributes involved in path P_i . Attribute involved (A_i) in path P_i . Where, $A_i \in A, P_i \in P$

Step VII: The minimum amount of change needed for instances which does not belong to class C_i . Identify the path $P_i \in P$ with the least number of attributes involved. Determine the category of all involved attributes

$$\text{i.e. } A_i = A_{i,low} / A_{i,medium} / A_{i,high}$$

Step VII: Now, for an instances or variables which do not belong to class C_p , then compare those variables to the corresponding attribute category with the A_i category. If both belong to the same category (low/ medium/high), then no change is made. If both do not belong to the same category (low/ medium/ high), then minimal change is made so that, it starts belonging to same category as A_i was.

Results and Discussion- To test the effectiveness of the proposed algorithm, IEEE-30 bus system is adopted in this work. The line diagram of the IEEE-30 bus system is given in Fig.1. By making random perturbation of real and reactive load on each bus in the range of 50% to 150 % of base case load, 300 load patterns were generated under each line-outage.




Fig.1 IEEE-30 bus system diagram

For each load pattern, loadability margin (δ) is defined as the distance in terms of real power loading from initial point to voltage collapse point. The system is said to be voltage secure if this loadability margin is reasonably high and it is calculated using continuation power flow. In this paper,

critical loadability margin is defined as $\delta_{cr} = 0.3$ p.u. is chosen to define secure and insecure operating conditions which is utility defined and may vary. If loadability margin is less than δ_{cr} , then operating condition is defined as insecure or otherwise secure. For each line outages, post contingent loadability margins are calculated for all the load patterns and it is divided into two classes, secure and insecure with respect to a threshold or critical values of loadability margins. Out of 300 patterns, 250 load patterns are selected randomly for training purposes and remaining 50 load patterns are used for testing purposes. In IEEE 30-bus test system, five line-outages are found severe. Out of these five line-outages most severe line-outage is line-outage no.5 so, classification of testing patterns under line-outage No-5 is presented in Table-1.

After classification, the proposed PFDT method is used to give real time optimal load shedding plan to improve the loadability margin of the given network. The threshold value of loadability margin for every insecure case of line-outage no.-5 is considered as a critical contingency. Real and reactive load is defined as a constraint of every leaf set. Table-II shows, the insecure cases under line outage-5 and their requisite optimal load shedding plan at minimal number of buses. Table-I illustrates 21 cases of insecure (I) and their relevant optimal load shedding plans to change the system from insecure (I) to secure (S) mode. Consider Case-1 in Table-II, the load shedding is found necessary only for three buses i.e. reactive power at bus No.5 (Q5), real power at bus No.5 (P5) and real power at bus No.21 (P21). Similarly, for all other cases also load shedding plan is proposed using PFDT. After load shedding again, continuation power flow is run to test whether the case is secure or insecure and if it is found insecure then some amount of load is to be curtailed with enough loadability margins.

TABLE I: Classification of Security Status for Line Outage-5

Test cases	Class estimated by CPF	Class Predicted by PFDT
1	S	I
2	I	S
3	S	S
4	I	I
5	I	S
6	I	I
7	S	S
8	S	S
9	S	I
10	S	S
11	S	S
12	S	S
13	I	I
14	I	I
15	I	S
16	S	S
17	I	I
18	I	I
19	S	S

20	I	S
21	S	S
22	S	S
23	S	S
24	S	S
25	S	S
26	I	S
27	S	S
28	S	S
29	I	I
30	I	I
31	S	S
32	I	S
33	S	I
34	I	I
35	I	I
36	I	I
37	I	S
38	S	S
39	S	S
40	S	S
41	S	S
42	I	S
43	S	S
44	I	I
45	S	S
46	S	S
47	S	S
48	S	S
49	I	I
50	S	S

TABLE II: Load Shedding Plan for Insecure Cases for Line Outage no -5

Insecure cases	Bus no.	Load shedding required at the buses		
		Present Load	Load Shedding required	Final load after load shedding
2	P21	0.1894	-0.0127	0.1767
	Q5	0.2612	-0.1001	0.1611
	P5	1.2949	-0.4961	0.7988
4	P5	1.1604	-0.2089	0.9515
	Q5	0.2340	-0.0421	0.1919
	Q5	0.2646	-0.0551	0.2095
	P21	0.1573	-0.0566	0.1007
6	P5	1.2464	-0.7553	0.4911
13	P5	1.3447	-0.7715	0.5732
14	P5	1.2978	-0.2826	1.0152
	Q5	0.2618	-0.0570	0.2048
17	P5	1.1451	-0.1936	0.9515
	Q5	0.2310	-0.0391	0.1919
	P21	0.0932	-0.0023	0.0909
29	P5	1.1169	-0.5089	0.6080
30	P5	1.1170	-0.2070	0.9100
	Q5	0.2253	-0.0418	0.1835
	P21	0.2577	-0.1604	0.0973
	Q5	0.2726	-0.0740	0.1986

Total 50 cases were presented for testing out of which

, 05 numbers of cases are miss-classified therefore percentage accuracy of classification is 90% which depends on data base because learning algorithms are more data sensitive. If large number of operating conditions (OCs) from practical data will be considered for training, accuracy will certainly be higher. Since in this work limited number of data is generated by simulation, therefore, classification accuracy is relatively low but can be improved with large number of cases from practical operating conditions for particular power systems. Classification accuracy may also vary depending on severity of contingency. We consider line outage No.5 is one of the most severe contingencies, found from simulation results based on value of loadability margin which is below the critical values. Hence, preventive action (load shedding) is taken when system security status is insecure. Tree learning accuracy has been tested with testing set and minimal preventive action has been taken in order to make the system secure. Results of remedial action module in Table-III are presented. Total of 21 operating conditions or test cases were insecure out of 50 test cases and their percentage was 42%. After performing load shedding (preventive action), total number of insecure cases was nil and their percentage was also zero and 100% of the cases became secure.

TABLE III: Results of Preventive Action

Before preventive action	Before preventive action		After preventive action	
	No.ofOC's	Percentage	No.ofOC's	Percentage
INSECURE	23	40%	0	0%
SECURE	30	57%	50	100%

Case based reasoning - Case-based reasoning is a problem-solving artificial intelligence methodology that uses past experiences to find out new problems. Whenever a new case crops up, CBR system retrains the PFDT (using old cases) from the case-base and solution of the new case is assigned to the case base. Also, the new case along with its solution is stored into the case-base for future use. Fig.1 shows the cycle of proposed CBR system.




Fig.2 Cycle of proposed CBR

Case Representation - A case represents knowledge of the system and it consists of the input attributes and output attributes or variables. A good representation of cases will allow for sorting problems and use this solution for the clarification of decisions. Most of the CBR systems represent the cases as a plain structure composed of pairs of at-

tribute value and corresponding class labeled to the case, as

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n, x_c]$$

Where x_1, x_2, \dots, x_n are the input attributes (numeric or symbolic) and a solution x_c i.e. output attribute (class).

Case-base - In CBR, case-base or database is the essential and main part of CBR system. The case-base is the database or storage of solutions from previous operating conditions of power system.

Case adaptation - Case adaptation is the process of including new case to the case-base to form the solution of new case.

Methodology

Case-Base Generation -By using the computer simulation, cases are generated for voltage security assessment to realize the effectiveness of the case-based reasoning. Database is generated by varying the real as well as reactive load (PQ load) randomly to include all the possible operating states to solve a particular task. Then loadability margin is calculated corresponding to each pattern and under each single line outage. Continuation power flow (CPF) method is used to calculate loadability margin of the power system. Loadability margin mainly depends upon PQ load of the buses, hence, real and reactive loads of PQ buses and real load of PV buses are selected as input features and loadability margin (\tilde{e}) is considered to be an output which is depending on input features. Loadability margin corresponding to each pattern is divided as secure and insecure with respect to a critical value of \tilde{e} as \tilde{e}_{cr} so that, if $\tilde{e} \leq \tilde{e}_{cr}$ the operating state under a particular line outage will be insecure otherwise it will be a secure one. Thus 'X' describes the case along with security status (class \tilde{e}_k) as refer in (5).

$$X = [P_1, P_2, \dots, P_{pq}, P_{pq+1}, P_{pq+2}, \dots, P_{pq+pv}, Q_1, Q_2, \dots, Q_{pq}, L_n, \lambda_k, \lambda_m] \quad (5)$$

Where P_i and Q_i ($i = 1, 2, \dots, pq$) are real and reactive loads respectively on i^{th} PQ bus, P_i ($i = pq+1, pq+2, \dots, pq+pv$) is real power demand of i^{th} PV bus, \tilde{e}_k ($k = 1, 2$) is the output class.

Algorithm for Development of CBR

The algorithm to develop CBR model for voltage security assessment is given below.

Step 1: Load patterns were generated in large number, randomly by varying the real and reactive loads at all of the buses within the range of 50% to 150 % of base case values.

Step 2: Under each contingency CPF is performed for all the load patterns to calculate the loadability margin in terms of real power margins. Based on loadability margin, load patterns are further divided into two categories namely 'secure' and 'insecure'

Step 3: Load bus and real load at PV buses are the actual real and reactive loads of each case, labeled with corresponding security class. Here, separate set of cases are generated under each contingency.

Step 4: To demonstrate the performance of CBR for new cases addition in future, 90% cases from case base is

reserved for testing and initially 10% cases were used for training of PFDT. Now 20% cases were added as new cases in every new presentation of cases. After solving each of the new cases, they are included in case base for future reference. Corresponding accuracy of prediction is calculated in every run of CBR refer (6).

$$\% \text{ Accuracy}(\eta) = \frac{\text{Total No. of test cases} - \text{No. of Incorrectly classified cases}}{\text{Total No. of test cases}} \times 100 \quad (6)$$


Step 5: When all the cases were included in case base, the accuracy was plotted for every new addition of cases.

Result And Discussions- In the first execution of the program, we considered 20% cases for training and 80 % patterns for testing on PFDT. Then after first execution, progressively 20% cases were shifted to training set from testing set till 80% cases are included in training set. This is done to test effectiveness of proposed approach. IEEE-30 bus system is used for validation.

IEEE-30 bus system: 270 cases (patterns) cases are presented to the CBR system for testing, which were fixed for every execution of CBR under each severe contingency. These 300 patterns which include testing patterns were presented in steps of 20% in every run of CBR cycle. In the testing set the percentage of secure and insecure cases were fixed because test cases were same every time. On every execution of 20%, new cases were added to case base therefore, the percentage of secure and insecure cases varies in training patterns with every execution of CBR cycle. Result shows the effect of accuracy of CBR system with addition of new operating states in the case base. Initially 20% of the training cases were selected in first run and testing set was fixed at 90% of initial case base and kept constant for every run of CBR. Line outage-1 shows that 93% correctly classified cases were achieved when training patterns were 20 %. In the second run, 97% correctly classified cases were achieved when training patterns were 40 %. Similarly in third, fourth and fifth run accuracy continued to enhance as the number of training patterns were increasing. It is observed that percentage accuracy under line outages goes on increasing with the increase in number of cases in case-base. From above, it is observed that every day some new kinds of states are expected to be encountered, which can be recorded with their solutions to solve the new events in future. This increases the accuracy and keeps the accuracy of classification at highest value always. Fig.3 to Fig.6 reveals that as the number of cases increases in the case-base, the accuracy also enhances. Sometimes it is found that for few cases accuracy may decrease due to weak relationship between inputs and outputs but on an average accuracy always increases. This happens due to a smaller number of operating conditions considered in this research work which is generated by simulation, but in practical power system operating conditions, logged in the databases (case-based) are large in number i.e. in the range of 10,000 or more cases are available which will have better and robust relationship between input attributes and output therefore,

accuracy of predictions will always increase with new cases added to case-base. Fig. 6 presented the highest accuracy of CBR after every 20% addition of cases and five number of line outages which show that if new cases continue to be adopted over the years that will ensure the accuracy to be maintained at highest level.

Classification Accuracy w.r.t. Training Set Size



3 Accuracy versus training set size of line outage-1.

Classification Accuracy w.r.t. Training Set Size




Fig. 4 Accuracy versus training set size of line outage-2.

Classification Accuracy w.r.t. Training Set Size




Fig. 5 Accuracy versus training set size of line outage-5

Classification Accuracy w.r.t. Training Set Size




Fig.

Fig. 6 Accuracy versus training set size of line outage-36




Fig.7 Combined Accuracy of five different line outages

Conclusion: Ever growing dimensionality of electrical power systems and growing load on them need a high degree of security. Therefore, it is very necessary to assess the voltage security of the system as rapidly as possible in restructuring environment to provide reliable and secure energy delivery to customers. In the occurrence of any contingency, the function of voltage security assessment is to give information to the operators about the nature of operating status whether it is secure or insecure. By knowing the status of insecure cases, proper control action can be taken within the safe time limit. These two methodologies meet the above capabilities using decision tree learning and fuzzy logic with accountability of probabilistic reasoning for efficient and stable tree building. PFDT approach classifies the security of system and also corrects the uncertainty in data. After assessing the security of the system, optimal load shedding plan in real time helps the operators to avoid the voltage collapse by assessing insecure operating conditions. The remedial action determined by the PFDT approach worked perfectly and all insecure cases were restored back to secure mode. Again by retraining of PFDT in CBR approach, voltage

security assessment of power systems is developed in real-time. Every time PFDT is retrained, before giving solution to new operating state. After solving the new case the solution of that new case is recorded into case base for future use. Since PFDT is being trained in real time, any change in topology of power system can easily be updated. CBR is fully transparent and comprehensible to the operators allowing them to easily understand the knowledge acquired by system. On the other hand CBR gives the information about the security of the unknown operating states of the system almost instantaneously and accurately.

References:-

1. Behzad Farhangi Rad and Mehrdad Abedi, "An optimal Load Shedding scheme during contingency situations using Meta Heuristics algorithms with applications of AHP method," *International conference on OPTIM*, pp. 167-173, May 2008.
2. N. P. Patidar, and Jaydev Sharma, "Power System Voltage Security Assessment and Optimal Load Shedding Using CBR Approach," *IEEJ Transactions on Power and Energy*, vol. 128, no.11, pp.-1304-1312, 2008.
3. Ruisheng Diao, Kai Sun, Vijay Vittal, Robert J. O'Keefe, Michael R. Richardson, and et al., "Decision Tree-Based Online Voltage Security Assessment Using PMU Measurements," *IEEE Transactions on Power systems*, vol. 24, no.2, pp.-832-839 May 2009.
4. Ruisheng Diao, Vijay Vittal, and Naim Logic, "Design of a Real-Time Security Assessment Tool for Situational Awareness Enhancement in Modern Power Systems," *IEEE Transactions on Power systems*, pp.957-965 vol. 25, no. 2, May 2010.
5. M. Beiraghi, and A. M. Ranjbar, "Online Voltage Security Assessment Based on Wide-Area Measurements," *IEEE Transactions on Power delivery*, vol. 28, no. 2, pp. 989-997, April 2013.
6. Miao He, Junshan Zhang, and Vijay Vittal, "Robust Online Dynamic Security Assessment Using Adaptive Ensemble Decision-Tree Learning," *IEEE Transactions on Power systems*, vol. 28, no. 4, pp. 4089-4098, Nov. 2013.
7. H. Umano, I. Okamoto, H. Hatono, F. Tamura, S. Kawachi, S. Umedzu, and et al, "Fuzzy Decision Trees by Fuzzy ID3 algorithm and Its Application to Diagnosis Systems," *IEEE Conference on Fuzzy Systems*, vol. 3, pp. 2113-2118, Orlando, June 1994.
8. X. Z. Wang, D. S. Yeung, and E. C. C. Tsang, "A Comparative Study on Heuristic Algorithms for Generating Fuzzy Decision Trees," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 31(2), pp. 215-226, 2001.
9. B. Mozafari, A. M. Rajbhar, A. R. Shirani, and A. Mozafari, "Reactive Power management in a deregulated power system with considering voltage stability: Particle Swarm optimization approach," *International conference on Electricity distribution, Turin*, 6-9 June 2005.
10. Maolin Tang, Qingdai Zhu, Ke Yang, Hongtu Zhang, Xiang Li, Yang Huang, and et al, "Simplified algorithm of voltage security correction based on sensitivity analysis method," *Power and energy Engg. Conference (APPEEC) Asia Pacific 2012*, pp 1-4, 2012.
11. N. P. Patidar, and Jaydev Sharma, "Case based reasoning approach to voltage security assessment of power systems," *IEEE International conference on Industrial Technology*, pp. 2768-2772, Dec 2006.
12. Chun-Guang Changs, Jian-Jiang Cui, Ding We Wang, and Kun-Yuan Hu, "Research on Case Adoption Techniques in Case Based Reasoning," *3rd International conference on Machine Learning and Cybernetics, Shanghai*, 26-29 Aug, pp. 2128-2133, Aug 2004.
13. Liu Lifeng, Zhang Zhe, Gao Zhongde, Yang Qixun, and Liu Baizhen, "Research on Case Representation of Case-Based Reasoning Approaches for Electric Power Engineering Design," *International Conference on Power System Technology, Beijing*, 18-21 Aug, vol. 2, pp. 968-970, Aug 1998.
14. Qin Wang, Guangyuan Zhang, James D. McCalley, Tongxin Zheng, and Eugene Litvinov, "Risk-Based Locational Marginal Pricing and Congestion Management," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol 29, no. 5, pp. 2518-2528, Sept 2014.
15. Han Xiao-me,i and Han Jing-ti, "A Research of Intelligent Decision Support System of ELS3 Based on Case-Based Reasoning," *International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Shanghai*, 21-25 Sept, pp. 5765-5768, Sept 2007.
16. Sonali Nandanwar, and S. B. Warkad, "Classification of VSA by Probabilistic Fuzzy Decision Tree Approach" *International journal of control theory and applications*, vol. 9, no.20, pp. 9431-9438, 2016.
17. G. J. Berg, and T. A. Sharaf, "System loadability and load shedding," *Electric Power System Research*, vol. 28, no. 3, pp. 165-170, Jan. 1994.
18. M. A. Matos, Hatzigiorgiou N. D., and J. A. Pecoslopes, "Multicontingency steady state security evaluation using fuzzy clustering techniques," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol.15, pp. 177-183, Feb. 2000,
19. Venkat Krishnan, D. McCalley James, Henry Sebastien, and Samir Issad, "Efficient database generation for decision tree based power system security assessment," *IEEE Transactions on Power systems*, vol. 26, no. 4, pp. 2319-2327, Nov 2011.
20. M. Beiraghi, and A. M. Rajbhar, "Online Voltage security assessment based on wide area measurements," *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 28, no.2 , pp. 989-997, April 2011.
21. G. Liang, "A comparative study of three Decision Tree algorithms: ID3, Fuzzy ID3 and Probabilistic Fuzzy ID3," 2005.
22. Lior Rokach, and Oded Manimon, "Top Down Induc-

- tion of Decision Trees Classifier – A Survey,” *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics- Part C : Applications and Reviews*, vol. 35, no.4, pp. 476-487, Nov2009.
23. Floriana Esposito, Donato Malebra, and Giovanni Semeraro, “A Comparative Analysis of Methods for Pruning Decision Trees,” *IEEE Transactions on Pat-*
- tern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no.5, pp. 476-491, May 1997.
24. Hsiao-Wei Hu, and Yen Liang Chen, “Dynamic Descretization Approach for Constructing Decision Tree with Continuous Label,” *IEEE Transactions on knowledge and data engineering*, vol. 21, no.11, pp. 1505-1514, Nov2009.

Overtones of Denial and Assertion in Alice Walker's The Color Purple

Dr. Shiraz Ahmed*

Abstract - Alice Walker, African American novelist has presented in her novels the problems of women and particularly the mutilated self of Black women who are subjected due to brutal treatment given to them by Whites as well as by their own persons. But in spite of depicting the atrocities of women, Walker's concern has been to preserve human race through transformation from victimization to affirmation. In *The Color Purple*, Walker has forcefully illustrated it through the character of Celie. In my paper, I have given the Amazonian picture of Celie who represents all African women who wrestle with the world and ultimately assert their own self by putting their energy and passion to good use.

Introduction - Post- modernism is a historical period that began in the 1940, a style of literature, philosophy, art and architecture, or the situation of western society in a late capitalist or post- capitalist age. Social issues related with the feminism and ethnic groups are related with this movement. Alice Walker has been one such prominent figure in the contemporary literature who has embraced these issues in her writing. At the time Walker started writing poetry and prose, America had been struggling with both African- American racism and men- women discrimination and gender minority. Walker's *The Color Purple* is also the sign of African- American literature rising, where the hardships of African- American women have been presented. Besides Walker, Maya Angelou and Zora Neale Hurston were among the female authors that brought up the same values as *The Color Purple*. Perhaps, it is in response to the clarion call that in the 1980s there emerged novels by women examining aspects of women's lives never contemplated before. In her literary career, Alice Walker also adhered to the same and explored the issues of the mutilated womanly self in particular and "the spiritual survival of black people" in general. In an interview, Walker confessed the crusading spirit behind her works.

"I am preoccupied with the spiritual survival of my people. But beyond that I am committed to exploring the oppressions, the insanities, the loyalties and the triumphs of black women."

There is no doubt that African- American society emerging from the slave era produced more assertive and active female characters due to emasculation of men by slave regime. The slave man was unable to protect his mother, daughter or wife against the brutal treatment given to them by white as Carby points out in this context: "Black manhood.... couldn't be achieved or maintained because of the inability of the slaves to protect the black woman in

the same manner that convention dictated the inviolability of the white woman."

African- American woman writers themselves advocated for the realistic portrayal of female characters where the challenges and the struggle of women and also of black women has been presented realistically. Alice Walker, being an African- American writer embarked upon this gigantic task to defy the patriarchal system and raised her voice against the atrocities inflicted on women. Walker's concern for women has been universal as she believed in the harmony for mankind that's why her interests abound the survival of whole humanity. She is committed to "causes that go beyond the black community, seeing blacks as a part of a larger world that we must save from destruction."

Alice Walker's prime concern has been the preservation of human race through 'redemption' and change. Transformation is a common thread in the tapestry of our life and is simultaneously essential for our survival. Perhaps, it is due to this reason that the man keeps on changing and evolving in this Newtonian World and Walker has forcefully illustrated it in *The Color Purple* through the character of Celie. In the brief scenario of the novel Walker has traced a remarkable transformation from victimization to affirmation.

Celie's Story- Celie is not substantially different from the other victimized women characters of Alice Walker as they like Celie, are victims of sexual and communal abuse and sometimes victims of their own minds. Celie's narrative re-affirms many old stereotypes. The narrative depicts barely educated black woman who is sexually abused, verbally dominated and physically beaten for almost thirty years. As an adolescent, Celie is recurrently raped and twice impregnated by the man she believes to be her father, who tells her, in the novels openings line, "you better not never

tell nobody but god". The unscrupulous man sells her children, tarnishes her reputation and keeps his own untarnished and gets her married off to an older man who needs a good worker on his farm, a surrogate mother for his four horrible children and a receptacle for his passion. As told by her father to write letters to god, Celie starts writing letters to god and to his sister Nettie who is forced to leave for Africa with a couple of missionaries as she doesn't accept Albert's advances. Although Celie is surrounded by a community of black women struggling for independence, Celie only starts to fight for herself when she enters into a relationship with Shug Avery who is her husband's former lover. She becomes a close friend of Celie and helps her to overcome oppression by exhorting her to maintain her independence through creativity and love. In the end, Nettie and Celie's children come back home and celebrate their happy reunion.

Pathetic Self Of Celie- The Color Purple presents the liberation of the African- American woman from traditional patriarchal order. There is a progression from external to internal, from male control of female lives to women controlling their own lives. Primarily Celie struggles for self-definition. She has little value as a human being and can't raise her voice against the oppression exercised against her. When she is persuaded by Nettie to fight back and resist the mean children of Albert, Celie responds: "But I don't know how to fight. All I know how to do is stay alive." Celie knows fighting back won't be the remedy for his predicament; it would rather create more problems. Celie's situation at the house of Albert is so bad that her sister Nettie describes it as a burial. "It's worse than that" Celie thinks. "If I was buried, I wouldn't have to work. But I just say, never mine, never mine, long as I can spell G- O- D, I got somebody along." Due to her firm Christian behavior, she doesn't mind the humiliation she meets at the hands of Albert. She rather says, "he my husband, I shrug my shoulders. This life soon is over, I say. Heaven last always." Walker considered The Color Purple to be a historical novel, but instead of a history with "the taking of lands, or the births, battles or deaths of great men." Walker writes a "her story" where there is the depiction of the excruciation of women and nothing "heroic" according to the pattern of the traditional history. The Color Purple is about being a woman and black, living in the frame of male civilization. Walker writes, "A black woman is the mule of the world, because we have been handled the burden that everyone else refused to carry." All the women in Walker's writings are self- sacrificing creatures who live in denial of self "suspended women", under the pressures of their agonized lives.

Indeed Celie's life has been an index of sufferings with fragmented self. She is devoid of identity; she is "nobody" as Albert put it: "Who you think you are... You black, you pore, you ugly, you a woman. God dam, he say, you nothing at all." All life has been series of sacrifices for the sake of other- to Pa's desires, to Nettie's safety, to Albert's brutality.

She has been lacerated with no sense of belonging to this world.

Celie's Evolution- One of the marked features of Walker's fiction is that she gives an evolutionary treatment to her women characters that evolve within the scheme conceived by the writer. Many African- American women preoccupied themselves with the bringing back to life the 'dead girl' whom male writers had chosen to bury and discard from literary canon. Ostensibly, Walker's theme in The Color Purple is the development and enlightenment of Celie's personality. Through the narrative, Celie moves towards her own self-acceptance and self- definition. At the start of the novel, Celie is the most vulnerable person in the society, abused and denied voice by her (supposed) father and then by her husband. But eventually she gets completely transformed with strong positive attitude towards herself. Shug plays a prominent role to bring Celie out from the marshy world of depression and morose. The central theme Walker dwells in the novel is, "the theme of destructive relationships between broken men and loyal women." Walker values the bonds between women, their culture, their emotional flexibility and their strength.

Most of the women in Walker's earlier fiction were "self-sacrificing women resigned to the weary centers and rough edges of their lives. They.....internalized the narrowly defined woman's place....no alternatives to loneliness, exhaustion and denial of self." In Walker's treatment of black women, we see the movement from totally victimized women to the growing developing women whose consciousness allows them to gain control over their lives. This development is made possible through their sisterhood. Celie's development into a strong and independent woman becomes possible through her quilt pattern of "sisterhood." This quilt epitomizes "female bonding that restores the women to a sense of completeness and independence." Brutalized Celie also overcomes her apathetic victimized self, as a result of this pattern only. Shug plays the role of sister in Celie's life and prompts her to be independent. Shug is the role model in Celie's life who teaches Celie how to enjoy being a woman. She boosts her up and rejuvenates her interest in life by telling her about Celie's own qualities.

Shug's Role In Celie's Evolution- Celie's evolution becomes possible through Shug only. "Walker's paradigm is based on the eternal triangle in which women complement rather than compete with each other and at the same time share an equal status with the men." Fulfilling Walker's definition of "womanist", Shug shows all the traits of Blues tradition.

Shug's character has everything to do with love, sexuality and freedom of expression. She generates the consummate experience of sexual pleasure in Celie and opens the gate for her what we call "essentials of love-trust, compassion, understanding, gentleness and friendship." Shug is a "feeling, caring person connected to the universe."

Shug gives Celie more than carnal knowledge. She helps her discover links with past that she thought was lost forever. With the help of Shug, Celie is able to get Nettie's letters which were kept concealed from her by Albert over the years. As a result Celie finds out about Nettie that she is not dead, but alive in Africa, raising Celie's two children that were taken. From her as babies from one of Nettie's letters, Celie also learns that her children are not her sister and brother. This revelation liberates her from the guilt and angst associated with her apparent incestuous relationship. Now Celie recognizes the larger options in her outer world, from self- negation she turns to self- affirmation. Shug educates Celie theologically also by telling her that God is in everyone and everything and salvation comes through righteous works.

In *The Color Purple* change in Celie climaxes the day when she announces that she will leave Mr. Albert to live with Shug in Memphis. She says, "I' m pore, I' m black, and I may be ugly and can't cook... But I' m here." Later in a letter to Nettie from Memphis, Celie clearly articulates a new and more positive vision of herself: "I am so happy. I got love. I got work, I got money, friends and time and you alive and be home soon with our children."

In most of Walker's works, the movement from South to North is an embodiment of freedom and back to South for reconciliation. Celie's movement from South to North gives her economic liberation (Celie establishes "folk pants" business) and finally her return to the South represents her reclamation of homeland.

Conclusion- Through *The Color Purple* Alice Walker has referred to the ancient myth as corrective to stereotypical

images of African- American women as the domestic victims of men. With the help of Litch figure who has become a signifier of the "bold new mode of a self- defined...notion of tradition", Walker has exhorted the oppress women to see beyond patriarchal constructs, to return to the original relationship of woman and nature. Celie represents all those black African- American women who like Amazon wrestled with their own spirit and the outer world and ultimately emerge like a conqueror by realizing their strength that if they get determined they can put their energy and passion to good use. In this context *The Color Purple* becomes a literary icon that heals, that enlightens and that empowers.

References:-

1. John O' Brien (ed.) interviews with Black Writers New York: Liveright, 1973.
2. Carby, Hazel V. *Reconstructing Womanhood: The Emergence of the Afro- American Women Novelists.* Oxford: Oxford University Press, 1992.
3. Walker Alice. *The Color Purple.* Harcourt Bruce Tovanovich, Publishers. New York, San Diego, London, 1992.
4. Peck David (ed.) *African American Identity: Identities and Issues in Literature.* California State University, Long Beach.
5. Crenshaw in Alcoff, M. Mendieta, L. and Mendieta, Identities: Race, Class, Gender and Nationality. Malden: Blackwell Publishing.
6. Meyjes, M. and Walker, A (Producers) and Spielberg, D. (Director) *Black Women and Feminism,* Boston: South End Press, 1985.

जनकवि नागार्जुन : व्यक्तित्व और कृतित्व

हितेश कुमार*

शोध सारांश - कबीर और निराला की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी आम जन के कवि नागार्जुन हिन्दी साहित्य के प्रगतिवादी विचारधारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने जीवन भर जनता के दुःखों को अपना बनाकर लिखा और उसके लिए प्राण पण से लड़े। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं जिंदादिल इंसान भी थे जो संपर्क में आने वाले के भीतर छिपी हुई बेचैनी और संभावनाओं को पहचानकर उसे दिशा देते थे।

नागार्जुन का रचना संसार व्यापक है। उनकी 1935 में लाहौर के विश्वयुद्ध साप्ताहिक कविता और सन् 1940 में पहली कहानी 'असमर्थदाता' विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इनके लगभग 15 काव्य संकलन दो प्रबंध काव्य, 12 उपन्यास और संस्कृत कविता 'धर्मलोक शतकम्'।

प्रस्तावना - आजादी के बाद की हिन्दी में कोई ऐसा दूसरा साहित्यकार नहीं हुआ जिसकी रचनायें नागर साहित्य की ठसक के बीच अपनी गांव देहात की संवेदना के बावजूद 'व्लासिक कृतियाँ बन गई हो। अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, मंत्र, कविता, बहुत दिनों के बाद, आओ रानी हम ढोएँगे, पालकी आदि अनेक कविताएँ से आज भी लोगों की जुबान पर बसी हैं और अत्यधिक लोकप्रिय हो गई हैं।

नागार्जुन ने बचपन, प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम और 'मेघदूत जैसी विदग्धता' पर भी अविस्मरणीय कविताएँ लिखी हैं। वे सिर्फ आन्दोलन धर्मी साहित्यकार नहीं थे और न ही उनकी कविताएँ विद्रोह, विक्षोभ या जनसंघर्षों को आवाज देने हेतु कोई गर्जन-तर्जन करती हैं। उनकी 'मंत्र' कविता भी अपने बीहड़ शिल्प के जरिए बहुत कुछ कह जाती है। उनकी मैथिल कविताओं जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, का संसार भी एक गहन देशी वातावरण से भरपूर है और आश्चर्य नहीं कि हिन्दी का यह महाकवि मैथिली का भी उतना ही प्रमुख कवि माना जाता है।

बिन्दु - प्रगतिवादी कवि, लोकचेतना, सत्ताधरियों के प्रति आक्रोश, सरल जीवन मानवीय करुणा पीडा अभिव्यक्ति, सामाजिक विषमताओं के प्रति विद्रोह। 'मामूली चीजों और मामूली लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ही नागार्जुन को इतना बड़ा और गौरवमान कवि बनाती है कि आज उनकी कविताएँ सिर्फ कविताएँ नहीं हैं बल्कि एक जीवंत इतिहास हैं। वे एक जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज हैं, जिसमें पूरी शताब्दी की धड़कनें सुनी जा सकती हैं तथा एक पूरी शताब्दी की सामाजिक-राजनीतिक हलचलों तथा उतार-चढ़ाव को देखा समझा और महसूस किया जा सकता है।'¹

प्रगतिवादी कवि नागार्जुन - कबीर और निराला की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी आम जन के कवि नागार्जुन हिन्दी साहित्य के प्रगतिवादी विचारधारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने जीवन भर जनता के दुःखों को अपना बनाकर लिखा और उसके लिए प्राण पण से लड़े। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं जिंदादिल इंसान भी थे जो संपर्क में आने वाले के भीतर छिपी हुई बेचैनी और संभावनाओं को पहचानकर उसे दिशा देते थे।

व्यक्तित्व - बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 में ज्येष्ठपूर्णिमा के दिन बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव (ननिहाल) में हुआ। माता-पिता ने नाम दिया वैद्यनाथ मिश्रा। आरंभिक शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में हुई। कुछ

समय काशी रहे और कुछ वर्षों तक कलकत्ता में। पालि भाषा और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए केलानिया (कोलंबो-श्रीलंका) गए सन् 1930 में पहली कविता मैथिली में छपी। 1932 में अपराजिता देवी से विवाह किया। 1934 से 1941 तक बिहार से पंजाब, राजस्थान हिमाचल, गुजरात और देश के दूसरे भागों में घूमते रहे। तत्पश्चात् तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आए। 1939 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में भाग लेते हुए छपरा, हजारीबाग जेल में रहे। 1941 में दूसरे किसान नेताओं के साथ भागलपुर के केन्द्रीय कारागार में रहे। 1948 में गांधीजी की हत्या पर लिखी गई कविताओं के कारण तथा 1973 में जयप्रकाश नारायण के 'संघर्ष क्रांति' आंदोलन में सक्रियभागीदारी और आपातकाल का विरोध के कारण जेल यात्राएँ की। भारत चीन सीमा विवाद और फिर दोनों देशों में युद्ध के कारण कम्युनिस्ट पार्टी से मतभेद होने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी।

कृतित्व - बाबा नागार्जुन ने अपने आरंभिक कार्य एक पत्रिका 'दीपक' का संपादन किया। सन् 1944 में कौमी बोली के कुछ अंकों का संपादन भी। श्रीलंका में एक अध्यापक के रूप में काम किया और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक और समाचार पत्र के स्तंभ लेखक के रूप में कार्यरत रहे। दुर्निवार घुमक्कड़ी और धर्म परिवर्तन (हिन्दू से बौद्ध) होने के बावजूद परंपरागत जीवन शैली और स्वभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

नागार्जुन रचना संसार व्यापक है। उनकी 1935 में लाहौर के विश्वयुद्ध साप्ताहिक कविता और सन् 1940 में पहली कहानी 'असमर्थदाता' विशालभारत में प्रकाशित हुई। इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन हैं - सतरंगे पंखों वाली (1951), प्यासी पथराई आंखें (1962), तालाब की मछलियाँ (1975), तुमने कहा था (1980), खिचड़ी विप्लव देखा हमने (1981), हजार-हजार बाहों वाली (1981), पुरानी जूतियों का कोरस (1983), रत्न गर्भा (1984), ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या (1985), ऐसा क्या कह दिया मैंने (1886) और इस गुब्बारे की छाया में (1989), अपने खेत में (1998) इनके अतिरिक्त दो प्रबंध काव्य भरमांकुर (1971) भूमिजा (1993) तथा बारह उपन्यास लिखे जिसमें रतिनाथ की चाची (1948), बाबा बटेसरनाथ (1954), वरुण के बेटे (1957), और दुःख मोचन (1957) विशेष चर्चित हैं। इन औपन्यासिक कृतियों में नागार्जुन सामाजिक

समस्याओं के सधे हुए लेखक के रूप आते हैं। जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन उनकी कथा सृष्टि का चौड़ा फलक है। उन्होंने कहीं तो आंचलिक परिवेश में किसी ग्रामीण परिवार के सुख-दुःख की कहानी कही है, कहीं मार्क्सवादी सिद्धांतों की झलक देते हुए सामाजिक आन्दोलनों का समर्थन किया है और वहीं कहीं समाज में व्याप्त शोषण वृत्ति एवं धार्मिक, सामाजिक, कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। 2 अन्य कृतियों में संस्कृत में लिखित धर्मलोक शतकम् (सिंहली लिपि में प्रकाशित एक लंबी संस्कृत कविता) देश दशकम् आदि है। हिन्दी में लिखित पारो, बलचनमा, नवतुरिया उपन्यास और चित्रा (1949), पत्रहीन नम्र गाछ (1967) काव्य संग्रह उल्लेखनीय है।

लोकचेतना - 'कवि नागार्जुन के लिए जन ही 'मंच' रहा और जन ही 'मंत्र'। वह कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा खींचने वाला मखना भी हो सकता है और जमींदार की जूतियाँ/गालियाँ खाकर किसानिया बंधुआ मजदूरी करता सूखा, दूखा या बलचनमा। वे अभिशास और संतप्त जनों की करुणा क्रोध और आक्रोश को स्वर देने के साथ उन्हें सदियों की नींद से जगाने के लिए भी आजीवन सचेष्ट रहे -

देखो, सौ बार मंरुगा, देखोगे सौ बार जिउंगगा।
हिंसा मुझसे धर्राएगी, मैं तो उसका खून पिउंगगा।
प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है मेरे कवि का
जन-जन मैं जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का
(हजार हजार बाहो वाली)

आजादी के बाद की हिन्दी में कोई ऐसा दूसरा साहित्यकार नहीं हुआ जिसकी रचनायें नागर साहित्य की ठसक के बीच अपनी गांव देहात की संवेदना के बावजूद 'व्लासिक कृतियाँ बन गई हो। अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, मंत्र, कविता, बहुत दिनों के बाद, आओ रानी हम ढोएँगे, पालकी आदि अनेक कविताएँ से आज भी लोगों की जुबान पर बसी हैं और अत्यधिक लोकप्रिय हो गई हैं। 'नागार्जुन की सबसे अच्छी कवितायें उत्तर भारतीय ग्रामीण जीवन में खुलने वाले दरवाजों - खिडकियों की तरह हैं। जिनमें प्रवेश करके हम साधारण जन के मर्म को, उसकी पीड़ा और संघर्ष को समझ सकते हैं।'³

राजनीति का चित्रण - 'दर असल नागार्जुन की सारी कविता एक बड़ी राजनीतिक और मानवीय जिरह है। उसमें जिरह करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं पूरा दीन हीन समाज है। आश्चर्य नहीं 1936 में नागार्जुन ने 'उनको प्रणाम' जो शीर्षककविता लिखी थी वह आज साठ वर्ष बाद बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भी उतनी ही विचलित कर देने वाली है इस कविता में हाशिए पर छूट गए या नष्ट या विफल हो गए उन लोगों की स्तुति है जिनकी संख्या इन तमाम वर्षों में हमारे समाज में बढ़ती ही गई है जो नहीं हो सके पूर्ण काम में उनको करता हूँ प्रणाम/— जो छोटी सी नैया लेकर / उतरी करने की उदधि पर/ मन की मन में ही रही, स्वयं / हो गए उसी में निराकर / उनको प्रणाम।

युगीन वेदना की जबर्दस्त अभिव्यक्ति अकाल और उसके बाद जैसी कवियों में है।

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास,
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास,
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गशत,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्ता
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद,

धुंआ उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद,
चमक उठी घर भर की आंखे कई दिनों के बाद,
कौए ने खुजलाई पांखे कई दिनों के बाद।

नागार्जुन ने बचपन, प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम और 'मेघदूत जैसी विदग्धता' पर भी अविस्मरणीय कविताएँ लिखी हैं। वे सिर्फ आदोलन धर्मी साहित्यकार नहीं थे और न ही उनकी कविताएँ विद्रोह, विक्षोभ या जनसंघर्षों को आवाज देने हेतु कोई गर्जन-तर्जन करती हैं। उनकी 'मंत्र' कविता भी अपने बीहड शिल्प के जरिए बहुत कुछ कह जाती है। उनकी मैथिल कविताओं जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, का संसार भी एक गहन देशज वातावरण से भरपूर है और आश्चर्य नहीं कि हिन्दी का यह महाकवि मैथिली का भी उतना ही प्रमुख कवि माना जाता है।

सत्ताधारियों के प्रति आक्रोश - जीवन के विविध क्षेत्रों में संघर्ष करने वाले नागार्जुन कविताएँ मृत्यु के विरुद्ध जीवन की तरफ जाती हैं। अपनी एक प्रसिद्ध रचना में वे एक बस के ड्राइवर के सामने कांच के पास लटकती गुलाबी चूड़ियों के द्वारा पूरे जीवन की कल्पना कर लेते हैं। यह जीवन की भविष्योन्मुखता है। शायद इसीलिए नागार्जुन निजी तौर पर नई पीढ़ी का साथ ज्यादा पसंद करते थे। उन्हें वृद्धावस्था से ऊव होती थी और युवा आक्रोश में एक आश्वस्त मिलती थी। 1947 में लिखी एक कविता में भी नागार्जुन लिखते हैं - मैं भी तो पहले देखा करता था सपने/ साथी, अब तो रंग दंग ही बदल गए हैं। समझ गया हूँ। जीवन में इस धरा-धाम बाबा के व्यक्तित्व और रहन-सहन से कोई कुलीनता या ऐसी बनावट नहीं थी कि उनका एक प्रभामंडल बनता और नई पीढ़ी उनका आश्चर्य चंकित गुण गान करती। वे एक साधारण जन की तरह थे जिसके सुख-दुख की आवाज ही उनकी कविता थी। शायद इसीलिए हिंदी उर्दू भाषी उत्तर भारतीय समाज ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया जितना आजादी के बाद शायद ही किसी कवि को मिला होगा नागार्जुन की सत्ताधारियों और समाज के ताकतवर लोगों के बीच नहीं गए। वे हमेशा साधारण जनो के समाज को ही अपना गुरुकुल मानते रहे। अपनी 75 वी वर्षगांठ पर जनसत्ता को दिए गए इन्टरव्यू में उन्होंने कहा था - 'लोग ऋषिकुल की गुरुकुल की बात करते हैं। — हम आम जनता के बीच खुले मन से जाते हैं। वही हमारा गुरुकुल है।'⁵

सामान्य जीवन - एक आदमी कितनी कम जरूरतों के साथ मस्त रह सकता है। यह बाबा से ही सीखा जा सकता था। उनका संपूर्ण जीवन एक झोले में होता। कॉपी पेन एक दो छोटी डिबियाएँ गमछा। एक पजामा अलीगढ कट जो सफेद न होकर कुछ मटमैला बदरंग लिए होता। कुरता भी मोटी खादी का होता। दोचार दिन कहीं निकल जाते हट और लौटते वो वह वही झोला कंधे पर चिपका होता।⁶

'ऊबड़ खाबड़ खुरदुरे चेहरे पर बेतरतीब दाड़ी पारदर्शी आँखों में झांकती चंचलता। चंचलता भी ऐसी जिसमें हर वक्त एक अजीब बेचैनी बुनती रहती है। जर्जरशरीर पर एक के ऊपर एक लदे कपड़ों की परतें। कंधे पर थैला जिसमें कोई एक किताब, डायरी पेन, ईनो साल्ट, पोस्टकार्डों का बंडल, छोटा सा ट्रांजिस्टर और नौ सफेद बड़े मोतियों की माला। जब तक घुटनो में दम रहा। निरंतर भागता रहा यह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह। दस दिन यहाँ तो पन्द्रह दिन वहाँ मनुष्य से मनुष्य तक की एक अविराम यात्रा पोस्टकार्डों के माध्यम से एक दूसरे से निरंतर जुड़ता। आज भी अपने गांव की मिट्टी की गर्द, वहाँ की लहलहाती फसलो के बीच की पगडंडियों के बीच की पगडंडियों, खेत खलिहान से जुड़े लोगो का दर्द धूल धूसरित जीवन की मस्ती और रसमयता — यही है गांव घर के 'ठकवन मिसिर' बैधनाथ मिश्र

यात्री और नागार्जुन।⁷

मानवीय करुणा और पीड़ा की अभिव्यक्ति - एक जनकवि और समर्पित रचनाकार होने के बावजूद नागार्जुन केवल ऐसे महाकवि या मसिजीवी होकर नहीं रहना चाहते जो 'स्वान्तः सुखाय लिखते रहते हैं। उनके व्यक्तित्व का भास्वर पक्ष था एक लोककवि का उनकी कविताओं का मूल स्वर जनांतिक था जिसे लोक संस्कारों में रची बसी मानवीय पीड़ा और करुणा ने सींचा था। 05 नम्बर 1998 हिन्दी के शीर्षस्थ कवि बाबा नागार्जुन के महाप्रस्थान ने अपना सबसे उज्वल नक्षत्र खो दिया। कविवर नागार्जुन अपनी सरलता, निश्चलता और जिजीविषा के नाते सबके लिए 'बाबा नागार्जुन' थे। उनकी काव्य यात्रा हिन्दी मैथिली और बांग्ला तीनों भाषाओं में समान गति से चलती रहीं उन्होंने संस्कृत में भी कुछ कविताएँ लिखीं। साहित्य अकादमी ने उनकी मैथिली काव्य कृति पत्र हीन नख गाछ के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया तथा समग्र साहित्यिक योगदान के लिए महत्प्र सद्स्यता से विभूषित किया था। 'नागार्जुन बहुदिशाओं में संचरण करने वाले निर्बन्ध कवि हैं किंतु स्वच्छंद नहीं हैं। इसलिए कि उनका काव्य बौद्धिक विश्लेषण और राजनीतिक चिंतन का परिणाम हैं।'⁸

सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह - सामाजिक विषमता नागार्जुन में तीव्र व्यंग्यात्मकता को जन्म देती है। इस व्यंग्यों के माध्यम से कवि 'डिमालिशन एक्सपर्ट' का काम करता है। वास्तव में व्यंग्यकार के लिए किसी न किसी सैद्धांतिकवाद से प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है। मुक्तिबोध ने एक स्थान पर लिखा है - 'जो है उससे बेहतर चाहिए पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए'।

'नागार्जुन दुनिया की सफाई बड़ी तबीयत करते हैं और असंगतियों, विरोधाभास और सामाजिक तथा राजनीतिक पाखंडों पर कसके झाड़ू चलाते

हैं।'⁹ रानी एलिजावेथ के भारत आगमन पर कवि की प्रतिक्रिया इस संदर्भ में उल्लेखनीय है -

बीत गई सर्द, बीत गया माघ/ रानी के खसम ने ने मारा है बाघ
खुद तो विचारी को दिखी नहीं एक भी बिल्ली।
सवाई माधोपुर से सीधे आगयी नई दिल्ली

टके सी मुस्कान करोड़ों का खर्चा इस लाम झाम की कहाँ नहीं है चर्चा।'¹⁰
निष्कर्ष - बाबा के व्यक्तित्व और रहन-सहन में कोई कुलीनता या ऐसी बनावट नहीं थी कि उनका एक प्रभामंडल बनता। वे एक साधारण जन की तरह थे जिसके सुख-दुख की आवाज ही उनकी कविता थी उनके अंतिम दो तीन वर्ष बीमारी और अवसाद में बीते। हमारे जीवन, समाज और समय की विडम्बनाओं पर उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा। बाबा नागार्जुन आम आदमी के स्वप्नों में, उनकी जिजीविषा में उसके संकल्प और संघर्ष में हमेशा विद्यमान रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रकाश मनु, आजकल मासिक पत्रिका जनकरी 1999 पृ. 11
2. डॉ. रवीन्द्र भ्रमर, हिन्दी साहित्य कोष भाग दो
3. जन सत्ता दैनिक समाचार पत्र, 7.11.98 पृ. 10
4. वही पृ. 10
5. वही पृ. 11
6. सुधीश पचौरी जनसत्ता 29.11.98 मुख
7. प्रदीप मांडव, जनसत्ता जून 1996
8. डॉ. शिवमंडल सिंह सुमन छायावादीतर काव्य धारा पृ. 26
9. नई कविता डॉ. कांति कुमार जैन पृ. 126
10. प्यासी पथराई आँखे, नागार्जुन पृ. 60

जैविक उत्परिवर्तन व हिन्दी साहित्य में वासना

डॉ. हजारी लाल मौर्य*

प्रस्तावना – भारत के सामाजिक जीवन में आम नागरिकों, विशेषतः कृषक, आदिवासियों एवं दलितों, में सम्मानित जीवन स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रायः ही वैष्णव परम्परा के जीवन स्तर एवं मूल्यों को आदर्श माना जाता है। आय की सीमाओं के कारण यह लक्ष्य जब अलभ्य रहा है तो उनकी सीमाओं में प्राप्य जीवन स्तर को दूसरी धारा के रूप में मान्यता लेने के जब तब असफल प्रयास होते रहे हैं। वैष्णव परम्परा में, देवताओं और ऋषियों के जीवन में की भयंकर वासनागत पतन की कहानियों के बावजूद, वासना को घृणित एवं हेय मानकर जीवन का लक्ष्य किन्हीं अप्राप्य आध्यात्मिक ऊँचाइयों में तलाशा जाता रहा है। आध्यात्मिक रहस्यवाद भारत के सम्पूर्ण सांस्कृतिक इतिहास में मिथकीय रूप में व्याप्त है। वाम मार्गी साधकों, जिनके कार्य व्यापार में पूर्णरूपेण काम व्यापार के ही दर्शन होते हैं, ने भी रहस्यवादी शक्तियों से अपने अनुयाईयों को भयभीत करके जीवन का कोई अन्य कथित महान लक्ष्य बताया।

जटिल समाजों के विकास के साथ-साथ रहस्यवाद एवं प्रतिक्रियात्मक रहस्यवाद भी जटिल होते गये। गैर वैष्णव लोग अपने पिछड़ जाने की पीड़ा, अपने शोषण और दलन को भूलाने के लिए किसी नशे-शराब, अफीम, भाँग आदि का या किसी धार्मिक नशे-कुण्डलिनी जागरण, सिद्धि प्राप्ति के प्रयास या चमत्कारिक मिथक निर्माण का, या जीवन से पलायन का सहारा लेते रहे। कितने लोगों ने जहर खाया, आत्महत्या की या पागल हो गये इतिहास ने इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा। लेकिन इन रहस्यवादी क्रिया, प्रतिक्रियाओं में, जहाँ वैष्णव सदैव अपना लक्ष्य, रहस्य एवं मिथ गैर वैष्णवों को पहुँच से उपर रखते रहे या ये कहें कि उनकी मजबूरी थी कि अन्व्यों से ऊँचा रखने और सिद्ध करने के लिए नये मिथ गढ़ते रहें। मांस तो मांस है फिर जीवित पशु को काटकर खाना मृत पशु खाने वालों की तुलना में वीरता है। यज्ञ पूष का पशु अपूजित पशु की तुलना में श्रेष्ठ है। बलि पशु का भी अग्रभाग ब्राह्मणों के लिए ही हो। भौतिकवाद में इन विश्वासों का कोई तर्क नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया में इनका स्थान तय किया जा सकता है। सम्मानित जीवन स्तर को न प्राप्त करने की कुण्ठा में सामान्य जन की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी पत्नी और बच्चे ही रहते रहे हैं। वैष्णव परम्परा में जीवन के लक्ष्य की खोज में कन्दराओं में जाने, धर्म की स्थापनार्थ स्वयं को अर्पित करने या राष्ट्रवाद के नाम पर नये आन्दोलन चलाने के नाम पर पिछड़ों के जीवन को और घटिया साबित कर देने के ना दिखाई देने वाले षडयन्त्र इतिहास की समस्त उत्पादक प्रणालियों के बदलते रहने के साथ बदलते रहे हैं। इस कार्य व्यापार में वे वासना को बाधा मानते रहे यथार्थ में वासना के सब प्रकारों का भोगने रहे तथा चतुर शब्द जाल के माध्यम से सामान्यजन के जीवन को कमतर ठहराते रहे।

भारतीय चिन्तन परम्परा की एक मूल विशेषता, गाँधी तक भी, अन्तःप्रज्ञा की गवाही रही है। पश्चिमी में सामान्य अन्तः प्रज्ञा के स्थान पर व्यक्ति विशेष की बुद्धि और निष्कर्ष अधिक प्रचलित एवं विचारित किये जाते रहे हैं। सुकरात से मार्क्स और फ्रायड तक इस सार्व विशेषता को देखा जा सकता है। पश्चिमी शिक्षा ढाँचे एवं सफल विज्ञान एवं चिकित्सा प्रणाली ने विश्व में अपनी तर्क प्रणाली एवं निष्कर्षों को ही मनवा लिया है। विश्व की मानसिक हलचलें अब इन्हीं पश्चिमी सिद्धान्तों एवं उपकरणों की प्रतिक्रिया स्वरूप हो रही हैं।

आमजन का स्वयं के शरीर एवं स्वयं के एन्द्रिक सुखों के प्रति गहरा लगाव होता है। वासना की परिभाषा तय करते हुए हम कह सकते हैं इन्द्रियों से प्राप्य सुख का वह भाग जो प्राकृतिक आवश्यकता से अतिरिक्त है लेकिन सामाजिक जीवन का भाग है, वासना कहलायेगा। अतः वार्तालाप से अतिरिक्त निर्वाहित, गायन, वादन एवं श्रवण कानों की वासना है। प्रकृति प्रदत्त दृश्यों से इतर दृश्य एवं अवसरों का प्रयास आँखों की वासना है। प्रकृति प्रदत्त स्वादों से इतर समस्त पाककला जीभ की वासना है। प्राकृतिक गन्धों से इतर और मनचाहे स्थानों पर चाही गई गन्ध नाक की वासना है तथा स्पर्श की वासना में वह सारा यौन सुख एवं त्वचा की लुनाई है जो प्राकृतिक सम्भावनाओं से अधिक प्राप्त करने का हमारा प्रयास है। ये मानदण्ड निर्धारित करते समय गाँधीजी की ब्रह्मचर्य की परिभाषा एवं उनका जीवन मेरे सामने है। उन्होंने कृत्रिम गर्भनिरोधकों के उपयोग से मना करते हुए कहा था कि यौन सम्बन्ध केवल सन्तानोत्पत्ति हेतु ही किया जाना चाहिये। आश्चर्य है कि उस महामानव ने 1904-05 के बाद अपनी मृत्यु तक, कस्तूरबा के भयंकर मानसिक-सामाजिक तनावों के बाद भी स्वनिर्मित परिभाषा का पालन किया तथा स्वयं के जीवन में से ऐसे निजी क्षण ही समाप्त कर दिये।

गाँधीजी के इस चिन्तन एवं व्यवहार ने मुझे इतना अधिक सोचने पर मजबूर किया है कि आज मैं वासना को ही मेरे अध्ययन का विषय बना रहा हूँ। मैंने मार्क्स एवं फ्रायड का उनकी सीमाओं तक चिन्तन किया है और गाँधीजी के इस चिन्तन की क्या सीमाएँ हैं जाँचना चाहता हूँ। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य की प्रत्येक विधा में वासना का होना उसका अनिवार्य तत्व है। साहित्य अध्ययन की मेरी सीमा हिन्दी तक ही है इसलिए मैं न केवल हिन्दी पूर्व के साहित्य को, जिसकी विषय वस्तु हिन्दी को प्रभावित करती है, जानना चाहता हूँ बल्कि प्राकृतिक मनुष्य से सामाजिक मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया में वासना की भूमिका को भी जाँचना आवश्यक समझता हूँ। मैं गाँधीजी जैसे महामानव के कार्य व्यापार का परीक्षण करूँ तो यह नन्हें हाथों से आकाश पकड़ने का घमण्डपूर्ण प्रयास ही समझता हूँ लेकिन गाँधीजी को अन्ध श्रद्धा का विषय बना कर छोड़ देना ज्ञान की परम्परा के प्रति ही

अन्याय होगा।

विश्व में स्वीकृत ज्ञान में आज अधिकांश प्रमाण एवं विश्वास भौतिकवाद के पक्ष में हो चुके हैं। विज्ञान अपने ज्ञान को सही ठहराने के बाद जनसामान्य की स्वीकृति मिलने तक इन्तजार नहीं करता। ज्ञान को जनसामान्य का ज्ञान बनाने के लिए जन आन्दोलन की आवश्यकता होती है। आज भी जनसामान्य में प्रत्ययवाद एवं वैज्ञानिकों में भौतिकवाद ही हावी है। प्रत्ययवाद की कमर तोड़ने में विज्ञान की महती भूमिका रही है। भौतिकवाद ने वानर से नर एवं नर से मनुष्य बनने की दीर्घकालिक विकास प्रक्रिया को सप्रमाण समझाया है। मस्तिष्क एवं हाथ के विकास की लाखों वर्ष की गाथा में क्षुधापूर्ति के उपरान्त बचाये जा सकने वाले श्रम और समय

की महती भूमिका पर डार्विन, मार्क्स, एंगेल्स एवं अन्य भौतिकवादियों ने पर्याप्त विचार किया है। प्रकृति के कार्यों का कोई उद्देश्य तय कर पाना कठिन है लेकिन मनुष्य के, बचपन को छोड़कर, निरुद्देश्य (निष्काम?) कार्य होना क्या आसान है?

जैविक उत्परिवर्तन में बासना की भूमिका पर विरारार्थ चिकित्सा विज्ञान, वृत्तिज्ञान एवं जीव विज्ञान के उच्च अध्ययन की पुस्तकों का अध्ययन मेरे लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गाँधी
2. वानर से नर बनने की प्रक्रिया।

Women Empowerment

Dr. Neeraja Sharma*

Abstract - The term empowerment covers a vast landscape of meaning, interpretations, definitions and disciplines ranging from psychology and philosophy to the highly commercialized self-help industry and motivational sciences. Sociological empowerment often address members of groups that discrimination process have excluded from decision – making process through – for example – discrimination based on disability Race, ethnicity; religion, or gender. Empowerment as a methodology is often associated with feminism: see consciousness – raising.

Marginalization: Marginalized refers to the overt or covert trends within societies whereby those perceived as lacking desirable traits or deviating from the group norms tend to be excluded by wider society and ostracized as undesirables.

Sometimes groups are marginalized by society at large, but governments are often unwitting or enthusiastic participants. For example, the U.S. government marginalized cultural minorities, particularly blacks prior to the Civil Rights Act of 1964. This Act made it illegal to restrict access to schools and public places based on race. Equal opportunity laws which actively oppose such marginalization.

Allow increased empowerment to occur. They are also a symptom of minorities symptom of minorities symptom of minorities empowerment through lobbying.

Marginalized people who lack self-sufficiency become, at a minimum, dependent on charity or welfare. They lose their self-confidence because they cannot be fully self-supporting. The opportunities denied them also deprive them of the price of accomplishment which others, who have those opportunities, can develop for themselves. This in turn can lead to psychological social and even mental healthy problems.

Empowerment is then the process of obtaining these basic opportunities for marginalized people by those people, or through the help of non-marginalized others who share their share their own access to these opportunities. It also includes actively thwarting attempts to deny those opportunities. Empowerment also includes encouraging, and developing the skills for, self-sufficiency, with a focus on eliminating the future need for charity or welfare in the individuals of the group. This process can be difficult to start and to implement effectively; but there are many example of empowerment projects which have succeeded.

One empowerment strategy is to assist marginalized people to create their own nonprofit organization, using the rationale that only the marginalized people. Themselves,

can know what their own people need most, and that control of the organization by outsiders can actually help to further entrench marginalization. Charitable organizations lead from outside of the community for example, can disempower the community by entrenching dependence on charity or welfare. A nonprofit organization can target strategies that cause structural changes, reducing the need for on going dependence. Red Cross, for example, can focus on improving the health of indigenous people, but does not have authority in its charter to install water-delivery and purification systems, even though the lack of such a system profoundly, directly and negatively impacts health. A nonprofit composed of the indigenous people, however, could ensure their own organization does have such authority and could set their own agendas, make their own plans, seek the needs resources, do as much of the work as they can, and take responsibility and credit for the success of their projects (or the consequence, Should they fail).

Numerous critical perspectives exist that propose that an empowerment paradigm is present, Clark (2008) showed that Whilst there was a degree of autonomy provided by empowerment. It also made way for extended surveillance and control, hence the contradiction perspective (fardini, 2011).

Ways to empower women: One way to deploy the empowerment of women is through land right. Land rights offer a key way to economically empower. Giving them the confidence they need tackle gender inequalities. Other women in developing nations are legally restricted from their and on the sole basis of gender. Having a right to their land gives women a sort of bargaining power that they wouldn't normally have in turn, they gain the ability to assert themselves in various aspects of their life, both in and outside of the home.

Another way to provide women empowerment is to allocate responsibilities to them the normally belong to men. When women have economic empowerment, it is a way

* Associate Professor (Sociology) MSJ Govt. College, Bharatpur (Raj.) INDIA

for others to see them as equal members of society. Through this, they achieve more self-respect and confidence by their contributions to their communities. Simply including women as a part of a community can have sweeping positive effects.

The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry "New York : Oxford University Press. Participation, which can be seen and gained in a variety of ways, has been argued to be the most beneficial form of gender empowerment. Political participation, be it the ability to vote and voice opinions, or the ability to run for office with a fair chance of being elected, plays a huge role in-the empowerment of peoples. However, participation is not limited to the realm of politics, it can include participation in the household. In schools, and the ability to make choices for oneself.

It is argued that Microcredit also offers a way to provide empowerment for women Governments, organizations, and individuals have caught hold of the lure of microfinance. They hope that lending money and credit allows women to junction in business and work society . Which in turn empowers them to do more in their communities. One of the primary goals in the foundation of microfinance was women empowerment. Loans with low interest rates are given to developing communities in hopes that they can start a small business, and provide for her family.

Economic benefits of women empowerment: Most woman across the globe rely on the informal work sector for an income. If women were empowered to do more and be more, the possibility for economic growth becomes apparent. Elimination a significant part of a nation's work force on the sole basis of gender can have detrimental effects on the economy of that nation. In addition, female participation in counsels. Groups and business is seen to increase efficiency. For a general idea on how an empowered women can impact a situation monetarily, a study found that of fortune 500 companies, 'those with more woman board directors had significantly higher financial returns, including 53 percent higher return on equity, 24 percent higher returns on sales and 67 percent higher returns on invested capital (OECD. 2008) This study shows the impact women can have on the overall economic benefits of a company if implemented on a global scale, the inclusion women in the formal workforce (Like a fortune 500 company) can increase the economic output a nation.

Barriers of women empowerment: Many of the barriers to women empowerment and equity lie ingrained into the cultures of certain nations and societies many women feel these pressures, while others have become accustomed to being treated inferior to men. Even if men, legislators, NGOs, Etc. are aware of the benefits women empowerment and participation can have many are scared of disrupting the status quo and continue to let societal norms go in the

way of development.

Process: The Process which enables individuals/groups to fully access personal/collective power, authority and influence, and to employ that strength while engaging with other people. Institutions or society in other words. Empowerment is not giving people power, people already have plenty of power, in the wealth of their knowledge and motivation, to do their jobs magnificently. We define empowerment as letting this power out (Blanchard K) "It encourages people to gain the skills and knowledge that will allow them to overcome obstacles in life or work environment and ultimately, help them develop within themselves of in the society.

To empower a female sounds as though we are dismissing or ignoring males, but the truth is both genders desperately need to be equality empowered (Dr. A. sa Don Brown) Empowerment occurs through improvement of conditions. Standards, events and a global perspective of life.

Workplace: According to Thomas A. Potterfield. Many organization theorists and practitioners regard employee empowerment as one of the most important and popular management concepts of our times. Cialla discusses an inverse case : that of bogus empowerment in.

Managements: In the book Empowerment Takes More Than A Mime, the authors, Ken Blanchard, Johan P. Carlos, and Alan Randolph, illustrate three keys that organizations can use to open the knowledge, experience and motivation power that people already have. The three keys that managers must use to empower their employees are :

1. Share information with everyone.
2. Create autonomy through boundaries.
3. Replace the old hierarchy with self-managed teams.

According to author Stewart, in her book empowering people she describes that in order to guarantee a successful work environment, managers need to exercise the right kind of authority (p6). To summarize, "empowerment is simply the affective use of a manager's authority", and subsequently, it is a productive way to maximize all around efficiency.

These keys are hard to put into place and it is a journey to achieve empowerment in a workplace. It is important to train employees and make sure they have trust in what empowerment will bring to a company.

Economic: In economic development, the empowerment approach focuses on mobilizing the self-help efforts of the poor, rather than providing them with social welfare. Economic empowerment is also the empowering of previously disadvantaged sections population, for example, in many previously colonized African countries.

Reference:-

1. Personal Research

कामायनी (प्रासंगिकता, कल्पनात्मकता एवं मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ)

डॉ. अनुपमा सक्सेना*

प्रस्तावना – कामायनी प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ एवं अन्तिम काव्यकृति है। यह छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ कृति भी मानी जाती है। प्रौढ़ता के बिन्दु पर पहुँचे हुए कवि की यह अन्यतम रचना है। इसे प्रसाद के सम्पूर्ण चिन्तन-मनन का प्रतिफलन कहना अतिशयोक्ति नहीं। इसका प्रकाशन 1936 ई. में हुआ।

इस रचना में प्रसाद ने सांस्कृतिक धरातल पर अनेक दार्शनिक, साहित्यिक एवं मानवतावादी विचारधाराओं को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः कामायनी में, सत्य को मूल चारुत्व में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न है। प्रागैतिहासिक काल की एक कथा इस रचना में प्रसाद ने रूपक के सांचे में ढाली है। एक ओर तो यह मनु और श्रद्धा के ऐहिक जीवन का महाकाव्य है तो दूसरी ओर मानव-चेतना का इतिहास भी है। मानव चेतना के विकास का यह महाकाव्य मानव सभ्यता के विकास का यह विराट् काव्य साहित्य के इतिहास में एक उपलब्धि है।

छायावाद की रहस्य भावना – भावना, शिल्प, नारी के प्रति कोमल दृष्टिकोण-सभी कुछ इस रचना में एक साथ मिलता है। चिंतन-मनन एवं काव्य का यह अभूतपूर्व सम्मिलन है।

कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। उसका गौरव उसके युगबोध, परिपुष्ट चिंतन, महत् उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में निहित है। इसमें प्राचीन महाकाव्यों का सा विस्तार नहीं है पर सर्वत्र कवि की गहन अनुभूति के दर्शन होते हैं। गीति तत्व की प्रमुखता के साथ अत्यंत सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप में सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करना प्रसाद की अद्वितीय उपलब्धि कही जा सकती है।

प्रासंगिकता – कोई भी साहित्यकार अपने युग की मुख्यधारा से विच्छिन्न नहीं रह सकता। प्रसाद की कामायनी का कथानक यद्यपि पौराणिक है तथापि इसका निर्माण युगीन साहित्य के धरातल पर हुआ है। श्रद्धा के माध्यम से बुद्धिवादिता का विरोध तथा यांत्रिकता के अतिवाद का दुष्परिणाम भी व्यक्त किया है। निम्नांकित बिंदुओं में कामायनी की प्रासंगिकता परखी जा सकती है:-

1. बुद्धिवाद एवं उसका दुष्परिणाम
2. शासक व शासित की समस्या
3. श्रमिकों की समस्या
4. जाति-वर्ण-भेद की समस्या
5. नारी-स्वतंत्रता की समस्या
6. शक्ति एवं सत्ता की समस्या

काल्पनिकता – प्रसाद ने कामायनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सुस्पष्ट

रूप से स्वीकार किया है किन्तु कामायनी के ही आमुख में वह यह भी स्वीकार करते हैं:- 'हाँ, कामायनी की कथा-शृंखला मिलाने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार में नहीं छोड़ सका हूँ।' अतः कामायनी की घटनाओं, पात्रों और वातावरण की ऐतिहासिकता के साथ कामायनीकार ने कतिपय मौलिक कल्पनापरक उद्भावनाओं को भी पोषित किया है! विशृंखलित कथा-सूत्रों को जोड़ने के लिए कवि ने कहीं-कहीं काल्पनिक घटनाओं तथा पात्रों के व्यक्तित्व में परिवर्तन किया है।

अति – प्राकृत तत्वों (Super natural elements) के निराकरण के लिए। नायक-नायिका के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी कई नयी बातों को जोड़ा गया है। कवि की निजि विचारधारा के अनुसार कवि ने जो दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तुत की है, यहाँ मौलिकता आई है। कथा को अधिक स्वाभाविक हृदयग्राही और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मौलिक कल्पना का आश्रय लिया गया किन्तु पूर्णतः ऐतिहासिक परिवेश में ही प्रस्तुत की गई है। **मनोवैज्ञानिकता** – प्रसाद ने कामायनी के आमुख में लिखा है:- यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ती नहीं। मनु अर्थात् मन के दोनों पक्ष-हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग जाता है।

कामायनी में सर्गों का नामकरण, स्थान, घटना और पात्र के नाम पर न होकर मानसिक वृत्तियों के आधार पर हुआ है और इन वृत्तियों का सम्बन्ध कामायनी के विविध पात्रों से है।

मनु – मन मानव-जीवन का संचालक है और इसी को मानव मात्र को शुभ-अशुभ गति प्रदान करने वाला कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य संकल्प-विकल्प या मनन करना है और मानव जीवन की उन्नति एवं अवनति इसी पर निर्भर है- और मन ही शुद्ध, नियंत्रित एवं शांत होकर अंत में आनंद प्राप्त करता है। उसका सम्बन्ध हृदय और मस्तिष्क से किस-किस प्रकार रहता है तथा उसके द्वारा कौन-कौनसे परिणाम आते हैं इसका अंकन कामायनी में है।

श्रद्धा – श्रद्धा हृदय की रागात्मिक वृत्ति है, किन्तु कामायनी में श्रद्धा हृदय-वृत्ति के प्रतीक रूप में ही नहीं है, वरन् एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जहाँ वह नारी के रूप में आती है, वहाँ तक वह काम-वासना आदि वृत्तियों को भी लिए हुए है जबकि प्रतीक रूप में वह हृदय की सभी उदार-वृत्तियों की प्रतिभा है। इसलिए जब मन विश्वास, आस्तिकता, रागात्मिका वृत्ति, प्रीति एवं हृदय की ओर उन्मुख होता है, तब वह श्रद्धा से जुड़ जाता है।

इडा- मन अपनी अहं भावना की तुष्टि एवं तृप्ति के लिए बुद्धि क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। इडा को बुद्धि के प्रतीक के साथ ही स्वतंत्र व्यक्तित्व भी प्रसाद ने प्रदान किया है।

दार्शनिकता- कामायनी का दर्शन माह सैधान्तिक न होकर व्यवहारिक है जिसका अनुकरण कर आज का मानव वर्तमान युग की विभीषिकाओं से मुक्त हो सकता है। इस दर्शन में अतिवाद नहीं है। यह न तो मात्र भोगवाद पर ही बल देता है और न ही जीवनत्याग पर। आधुनिक युग की जड़ता और निराशा के वातावरण में आशा और उल्लास की किरण लाकर यह प्रथम तो

महाकाव्य होने के कारण और दूसरे व्यवहारिक उपयोगिता के कारण कामायनी का दर्शन आधुनिक काव्य को अभिनव और अविस्मरणीय देन है।

कामायनी को भाव और अनुभूति दोनों दृष्टियों से छायावाद की पूर्ण अभिव्यक्ति कह सकते हैं। 1972 में कामायनी की प्रसार भए प्राकृत मूल पांडुलिपिका भी प्रकाशन हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Water For All: A Journey Towards Universal Access And Sustainable Management

Dr. Panchali Sharma*

Abstract -Water is a vital resource for human well-being and sustainable development. However, millions of people worldwide still lack access to clean and safe water, leading to numerous health, social, and economic challenges. In response, the United Nations introduced Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) - "Water for All" - as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The challenges faced in implementing SDG 6, are unequal water distribution, poor water quality, inadequate sanitation facilities, climate change impacts, and limited resources. It explores the specific challenges faced by India in achieving SDG 6, considering its vast population and diverse water-related issues. To address these challenges, the paper proposes an action plan tailored to India's context. The action plan includes strategies such as increasing investment in water and sanitation infrastructure, promoting sustainable water management practices, improving water quality, prioritizing rural areas, addressing climate change impacts, strengthening partnerships, collaboration, and promoting behavior change. By implementing the proposed action plan and addressing the challenges, India and other countries can progress towards achieving SDG 6, ensuring universal access to clean water and sustainable water management. The paper concludes by emphasizing the significance of water for all in achieving sustainable development, reducing poverty, promoting health and well-being, and creating a more equitable and sustainable future for all.

Keywords- Sustainable Development, United Nations, SDG 6, Climate Change.

Introduction - Access to clean and safe water is a fundamental human right and a vital requirement for sustainable development. Unfortunately, millions of people around the world still lack access to this essential resource, resulting in dire consequences for their health, well-being, and overall quality of life. In response to this global challenge, the United Nations introduced Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. SDG 6, aptly named "Water for All," aims to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all individuals. It encompasses multiple targets, including universal access to safe drinking water and adequate sanitation facilities, water quality improvement, water-use efficiency, integrated water resources management, and the protection and restoration of water-related ecosystems. By addressing these targets, SDG 6 seeks to alleviate poverty, enhance gender equality, protect the environment, and contribute to the achievement of other sustainable development goals.

Sustainable Development Goal 6 is one of the 17 goals set by the United Nations in 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The goal of SDG 6 is to make sure that everyone has access to and can take care of water and sanitation in a sustainable way. This means making sure that everyone has access to safe, affordable drinking water and sanitation facilities, and that everyone has the same amount of access. It also means improving the quality

of water and reducing pollution. Under SDG 6, the goals include making better use of water, protecting and restoring ecosystems that are related to water, increasing international cooperation on water and sanitation issues, and getting local communities more involved in managing water and sanitation. Achieving SDG 6 is important for health, economic growth, and the long-term health of the environment, as well as for getting to other Sustainable Development Goals.

Importance Of SDG 6: Clean water and sanitation, as outlined in Sustainable Development Goal 6, are essential to achieving sustainable development and improving the health and well-being of people everywhere. The significance of SDG 6 can be seen in the following points:

1. **Health and well-being:** Access to clean water and sanitation is essential for maintaining good health and well-being. Poor water quality and inadequate sanitation can lead to the spread of waterborne diseases, including cholera, typhoid, and diarrhea, which can be life-threatening.
2. **Poverty reduction:** Access to clean water and sanitation can help reduce poverty by improving health, reducing healthcare costs, and increasing productivity. Improved access to water and sanitation can also free up time for women and children, who are often responsible for collecting water, to pursue education and other economic activities.

3. Gender equality: Access to water and sanitation is essential for promoting gender equality, as women and girls are often disproportionately affected by a lack of these basic services. In many parts of the world, women and girls are responsible for collecting water, which can take hours out of their day and prevent them from pursuing education or economic opportunities.
4. Environmental sustainability: Ensuring sustainable access to clean water and sanitation is essential for protecting the environment, including water resources and ecosystems. Many regions of the world are facing water scarcity and depletion, which can lead to environmental degradation and a range of social and economic challenges.

In conclusion, Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) is absolutely necessary in order to achieve sustainable development, which in turn will help reduce poverty, promote gender equality, and protect the environment. By working towards the targets of Sustainable Development Goal 6, countries can improve the health and well-being of their citizens and create a future that is more sustainable and equitable for all people.

Major Indicators Of SDG 6: SDG 6 refers to the United Nations Sustainable Development Goal of ensuring clean water and sanitation for all. Here are some indicators of SDG 6:

1. Percentage of the population with access to safely managed drinking water services: This indicator measures the proportion of people who have access to clean and safe drinking water that is available on a continuous basis and can be obtained from an improved source within their premises.
2. Percentage of the population with access to safely managed sanitation services: This indicator measures the proportion of people who have access to safe and hygienic sanitation facilities that are not shared with other households.
3. Water stress index: This indicator measures the level of water stress in a given area by looking at the ratio of water withdrawal to renewable water resources.
4. Proportion of untreated wastewater: This indicator measures the percentage of wastewater that is discharged into the environment without being treated.
5. Water-use efficiency: This indicator measures the amount of water used per unit of economic output.
6. Number of water-related disasters: This indicator measures the number of disasters such as floods, droughts, and landslides that are caused by water-related factors.
7. Proportion of households with access to basic handwashing facilities: This indicator measures the percentage of households that have access to basic handwashing facilities with soap and water.
8. Proportion of schools with access to basic water and sanitation services: This indicator measures the percentage of schools that have access to basic water

and sanitation facilities.

9. Water quality index: This indicator measures the quality of water by looking at parameters such as pH, dissolved oxygen, and levels of pollutants.
10. Investment in water and sanitation infrastructure: This indicator measures the amount of financial resources invested in water and sanitation infrastructure, including water treatment plants, sanitation facilities, and pipelines.

Targets Of SDG 6: The United Nations Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) has several targets that aim to ensure clean water and sanitation for all. The targets of SDG 6 are:

1. By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all.
2. By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations.
3. By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping, and minimizing the release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater, and increasing recycling and safe reuse globally.
4. By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity.
5. By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate.
6. By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers, and lakes.
7. By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programs, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling, and reuse technologies.

These targets are all aimed at ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, promoting water and sanitation hygiene, improving water quality, and protecting and restoring water-related ecosystems. They are important for achieving sustainable development, reducing poverty, improving health, and promoting economic growth.

Targets Of SDG 6 For India: India, like all countries, is committed to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 6 which aims to ensure clean water and sanitation for all. The specific targets for SDG 6 in India are:

1. By 2030, provide access to safe and affordable drinking water for all, particularly to people in rural and marginalized communities.

2. By 2030, provide access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all, particularly to people in rural and marginalized communities, and eliminate open defecation.
3. By 2030, improve water quality by reducing pollution, increasing the proportion of wastewater treated, and increasing water recycling and reuse.
4. By 2030, increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity.
5. By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate.
6. By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers, and lakes.
7. By 2030, strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management and ensure capacity-building support to local authorities.

Problems And Challenges For Achieving SDG 6 With India: India faces several challenges in achieving the targets of SDG 6, which focuses on ensuring access to clean water and sanitation for all. Here are some of the key problems and challenges:

1. Unequal distribution of water resources: India's water resources are distributed unevenly, with some areas experiencing water scarcity and others facing floods. This creates challenges in ensuring equitable access to clean water and sanitation services across the country.
 2. Poor water quality: India faces significant challenges in ensuring that the water it supplies is of good quality. Industrial pollution, agricultural runoff, and untreated sewage are major sources of water pollution, which can cause water-borne diseases and other health issues.
 3. Limited access to sanitation facilities: Despite the Swachh Bharat Abhiyan, a significant proportion of the population still lacks access to basic sanitation facilities, particularly in rural areas. Open defecation is still practiced in many areas, leading to public health problems.
 4. Climate change: Climate change is exacerbating existing water challenges in India, including water scarcity, water pollution, and extreme weather events. The melting of glaciers in the Himalayas, which provide a significant portion of India's water supply, is a particular concern.
 5. Lack of infrastructure and resources: India's ability to provide access to clean water and sanitation services is limited by its infrastructure and resources. There is a need for increased investment in water treatment facilities, pipes, and other infrastructure, as well as trained personnel to manage and maintain these facilities.
6. Socioeconomic factors: Access to clean water and sanitation is often linked to socioeconomic factors such as income, education, and gender. Marginalized populations, such as women, Dalits, and tribal communities, may face additional barriers to accessing these services.
 7. Groundwater depletion: Groundwater is a critical resource for India, particularly in agriculture. However, overuse and poor management practices have led to significant depletion of groundwater resources in many areas, which is a major challenge for ensuring sustainable access to water.
- Addressing these challenges will require a coordinated effort by the government, civil society, and the private sector, with a focus on increasing investment in water and sanitation infrastructure, promoting sustainable practices, and ensuring that marginalized communities have access to these services.
- Action Plan For India To Achieve SDG 6:** Here are some key steps that India can take to achieve the targets of SDG 6:
1. Increase investment in water and sanitation infrastructure: India needs to increase its investment in water and sanitation infrastructure to improve access to clean water and sanitation services. This includes investment in water treatment plants, pipelines, and other infrastructure to ensure the availability of safe and clean water.
 2. Promote sustainable water management practices: India needs to promote sustainable water management practices, including rainwater harvesting, watershed management, and efficient irrigation practices. This will help to conserve water resources, reduce water pollution, and improve water availability.
 3. Improve water quality: India needs to take steps to improve water quality by addressing industrial pollution, agricultural runoff, and untreated sewage. This can be achieved by enforcing environmental regulations, promoting green technologies, and investing in sewage treatment plants.
 4. Address climate change: India needs to take steps to address the impacts of climate change on its water resources. This includes developing climate-resilient water management strategies, promoting low-carbon technologies, and investing in climate adaptation measures.
 5. Strengthen partnerships and collaboration: Achieving SDG 6 will require collaboration and partnerships across government, civil society, and the private sector. India needs to strengthen these partnerships to leverage the expertise, resources, and capacities of different stakeholders.
 6. Promote behavior change: India needs to promote behavior change to improve access to clean water and sanitation services. This includes promoting good hygiene practices, reducing water wastage, and

encouraging the use of sustainable water management practices.

By taking these steps, India can make progress towards achieving the targets of SDG 6 and ensuring access to clean water and sanitation for all.

Conclusion : In conclusion, achieving universal access to clean water and sustainable water management is crucial for human well-being, poverty reduction, gender equality, and environmental sustainability. Overcoming challenges such as unequal distribution of water resources, poor water quality, and limited access to sanitation facilities requires increased investment, sustainable practices, and collaborative efforts. By prioritizing integrated water resource management, protecting ecosystems, and promoting partnerships, we can move closer to the goal of Water for All and create a sustainable future for all.

References:-

1. International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2016). The IUCN Red List of Ecosystems: 2016 Annual Report.
2. International Water Association (IWA). (2016). The Future of Water: A Summary of the World Water Congress & Exhibition 2016.
3. International Water Management Institute (IWMI). (2016). Water, Food, and Energy Nexus: Towards an Integrated Vision.
4. United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2015). The World's Cities in 2016.
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Human Development Report 2016: Human Development for Everyone.
6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2015). The United Nations World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World.
7. United Nations Water. (2016). The United Nations World Water Development Report 2016: Water and Jobs.
8. United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report 2015.
9. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
10. United Nations. (2016). Global Sustainable Development Report 2016.
11. United Nations. (2016). Global Sustainable Development Report 2016: Summary for Policymakers.
12. United Nations. (2016). The Global Goals for Sustainable Development. Retrieved from <https://www.globalgoals.org/>
13. World Bank. (2015). Water Global Practice: Year in Review 2015.
14. World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF). (2015). Progress on sanitation and drinking water - 2015 update and MDG assessment.
15. World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF). (2016). Drinking Water, Sanitation, and Hygiene in Schools: Global Baseline Report 2016.
16. World Resources Institute (WRI). (2016). World Resources Report 2016: Water for Sustainable Development.
17. World Water Council. (2016). Water for Sustainable Growth: Towards 2030.

Effect of Coal Smoke Pollution on *Acacia nilotica* (Linn.)

Dr. Indu Bala Soni*

Abstract - Theyong shoots *Acacia nilotica* (Linn.) growing under the stress of coal smoke pollution showed a reduction of 32.36% in stem circumference, 48.31% in cortex area and 50.58 in area of sec. xylem A decrease had also been observed in length and width of vessels-e. 30.07% and 43.47% respectively, but the polluted shoots showed an increase of 13.43 in the length of fibres.

Introduction - Industrialised nations largely depend on fossil fuels for every, which in turn, produce a complex mixture of several pollutants. SO₂ forms the chief constituent of coal-smoke pollution around power plants in addition to NO₂, CO₂, CO, fly-ash and particulate matter (Hesketh, 1973). The effects of coal smoke on trees, seasonal weeds and crop plants have been recorded by a few workers (Bleasdale, 1973; Gupta, 1986 and Gupta & Ghose, 1987).

Air pollution comprising waste smoke and gases caused by coal burning has become a problem of vital importance. The effect of coal smoke pollution on timber trees (Ghose *et al.*, 1984 a, b, 1986 a): on weed plants like *Cleome viscosa* (Ahmad *et al.*, 1987), *Chenopodium album* (Ghose *et al.*, 1985) have been recorded. The present paper deals with the study of variation in anatomical features of stem of *Salvadora persica* Linn. caused by air pollutants prevailing around the brick kilns at Ajampur (Mathura).

Material And Methods: Stem samples of *Acacia nilotica* (Linn.) (Fabaceae) were collected at the level of 3rd internode from two experimental sites (A and B). Site A is the polluted area of Ajampur (Mathura) at 0.1 Km. east of brick-kilns while site B is the control area of Bithal Nagar near Birla temple about 10 Km. south east of source of pollution.

The samples fixed in FAA, were transferred after a week to an alcoglycerol mixture for preservation and softening. To study the anatomical variation within the wood, the fibres and vessel elements were macerated by treating the slices of wood with 60% hot HNO₃ until the elements became separable (Ghose and Yunus; 1972)

The macerated elements were stained with safranin, washed with water and mounted in 5% glycerine. From each sample 100 elements were measured arbitrarily and analysed statistically. The samples were sectioned in transverse plane at a thickness of 12 µm on a microtome. The sections stained with Heidenhain's haematoxylin and

Bismarck brown and dehydrated in ethanol series, were mounted in Canada balsam, the cross sectional area of different tissues (i.e. cortex, sec. phloem, sec. xylem and pith), were calculated by measuring the radii of concentric rings of these tissues, in addition, the frequency and grouping of vessel elements were also recorded in the prepared slides.

Result And Discussion

Table- 1. Anatomical variation in *Acacia nilotica* (Linn.) under stress of coal smoke pollution.

Parameters	Mean ± S.D.		Percent variation
	Control	Polluted	
Stem circumference (mm)	29.51±3.59	19.96±3.26	32.36*
Cortex area(mm ²)	24.59±5.86	12.71±5.4	48.31*
Xylem area(mm ²)	50.07±11.93	24.74±4.79	50.58*
Pith area(mm ²)	1.25±1.17	1.21±1.25	3.20
Vessel length(µm)	257.85±59.46	180.30±49.25	30.07**
Vessel width(µm)	38.71±8.59	21.88±9.07	43.47**
No. of pores/mm ²	93.15±16.91	48.5±7.52	47.93*
Fibre length (µm)	501.14±89.76	578.9±113.22	-13.43*

Significant at 5% level, ** Significant at 1% level.

The polluted samples exhibit a significant decrease in stem circumference, cortex area, xylem area, length and width of vessel proportion with 32.36%, 48.31% 50.58% 30.07% 43.47% variation respectively. No. of pores and pith area proportion also decrease in polluted samples showing 47.93% 3.20% variation. On the other hand, the length of fibres exhibit significant increase in the polluted samples showing 13.43% variation respectively.

The coal-smoke pollution around the brick-kilns has been found to show a significant loss in the tracheary elements in some timber trees (*Dalbergiasissoo*, *Tectonagrandis*, *Mangifera indica*) and the same set of environment (Ghose *et al.* 1984a, 1984b, 1986) length and width of vessel elements were also found significantly reduced in the polluted samples. *Chenopodium album* (Ghose *et al.* 1985) exhibits a reduction in cell size, pore

*Associate Professor (Botany) Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

area in wood. The present study goes in agreement with those which show reduction in the size of tracheary elements, the circumference of stem, the proportion of cortex and sec. xylem and no of pore per unit area, but the fibre length shows a positive response to air pollution as also shown in *Mangifera indica* (Gupta *et al.*, 1988).

References:-

1. Amani, A. Z. and Ghose, A. K. M. 1978. Proce. Internat. Symp. Environ. Agents & Biol. Effects. Hyderabad, 4 : 140 -144.
2. Ahmad. Z., Mohamooduzaffar, I., Kalimullah K and Iqbal, M. 1987. J. Sci. Res. Vol. 9 (1) : 11-13.
3. Bleasdale, J.K.H. 1973. Environ Pollut, 5; 275-285
4. Ghose, A. K.M., Khan F.A. and Pasha M.J. 1984a. J. Tree Sci. 3. 140-142.
5. Ghose , A.K. M., Khan F.A., Salahuddin M and Rasheed M.A. 1984b Ind. J, Bot. 7 : 84-86.
6. Ghose, A. K. M., Khan, F. A., Khair S., Usmani, N.R. and Sulaiman I.M. 1985, Acta Botanica India. 13 : 287-288.
7. Gaouse, A.K. M., Ahmad, Z., Sadiqe M. and Khan M.S. 1986 Ind. J. Appl. Pure. Biol1 : 37-39.
8. Gupta, M.C. 1986. Jr. Ind. Poll. Cont. 2: 63-68.
9. Gupta, M.C., Solanki, M. and Singh, M. 1988, Acta Ecol. 10 : 1.
10. Khan, F. A., Khair S., Usmani N. R. and Sulaiman I. M. 1984. IBC. IA : 127-128.
11. Nayak, D. *et al.* 2015. Assessment of air pollution tolerance index of selected plants. Indian for 141: 372-378.
12. Sigh Vandana, 2013. Anatomical and phytochemical study on durva (*Cyanodondactylonlinn, pers*) - an ayurvedic drug, IAMJ, 1 (2013), pp 1-7.

प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि

डॉ. कविता आचार्य*

प्रस्तावना - प्रेमचन्द हिन्दी के अनन्यतम उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। यहां तक कि उपन्यास साहित्य को हिन्दी में सम्मानीय स्थान दिलवाने में प्रेमचन्द का अतुलनीय योगदान रहा है। प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास साहित्य को न केवल समृद्ध या अपितु इसे नई ऊंचाईयों तक भी पहुंचाया। प्रेमचन्द ने उपन्यास को ऐयारी और विलिखन को भूल-भूलैया से निकालकर साहित्य के बीच में प्रतिष्ठित किया। ऐसा नहीं है कि प्रेमचन्द से पहले उपन्यास लिखे ही न जाते रहे हों अपितु उपन्यास लेखन की हिन्दी में एक सुदीर्घ परम्परा रही है फिर भी प्रेमचन्द ने जितना यश और सम्मान एक उपन्यासकार होने के नाते प्राप्त किया उतना किसी दूसरे उपन्यासकार के हिस्से में नहीं आ पाया। इसका कारण खोजने पर हम पायेंगे कि प्रेमचन्द अपने पूर्ववर्ती उपन्यासकारों से अलग ही खड़े हैं। प्रेमचन्द ने उपन्यास साहित्य को धुर कल्पना के और केवल मनोरंजन के क्षेत्र से ऊपर उठाकर समाज से जोड़ दिया। समाज सच्चे अर्थों में हिन्दी साहित्य में पहली बार प्रेमचन्द की कृतियों में अपनी मुखर अभिव्यक्ति पाने लगा। समाज का कोई भी कोना प्रेमचन्द की लेखकीय दृष्टि से बच नहीं सका। समाज की जितनी भी समस्याएं हो सकती थीं वे सब प्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य में मूर्तिमान हो उठीं। जब प्रेमचन्द ने देखा कि भारतीय समाज में गाँवों की संख्या ही अधिक है तो ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से अधिसंख्य होगी, लेकिन यह अधिसंख्य वर्ग ही भारत में सर्वाधिक रूप से पीड़ित, दुखी, अभावग्रस्त, बेहाल, पिछड़ा, और शोषण से परेशान है। ऐसा सोचने पर यह सोचा जाना भी आवश्यक था कि इस अधिसंख्य वर्ग की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य में अनेक ऐसे चरित्रों का सृजन किया है जो उनके लेखकीय वक्तव्य का वहन कर रहे हैं। गोदान के समाज का अध्ययन करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है?

प्रेमचन्द साहित्य की परिभाषा अपने ढंग से करते हैं। प्रेमचन्द प्रगतिशील साहित्यकार थे वे प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी व अप्रगतिशील तत्वों के विरोधी थे। कलावाद से उनका साहित्य कोसों दूर है। कलावाद काल्पनिक अधिक तथा अश्लील-श्लील की सीमाओं से मुक्त नितान्त वैयक्तिक भावनाओं का प्रतीक है। प्रेमचन्द ऐसे साहित्य के समर्थक नहीं थे। वे साहित्य का वास्तविक जीवन से अविच्छिन्न संबंध मानते हैं। जीवन साहित्य का आधार है, उससे कटकर साहित्य अपना महत्व खो देता है। वे स्वयं लिखते हैं कि- 'साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है।' प्रश्न उठता है कि जीवन क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? जीवन को प्रेमचन्द सामाजिक सापेक्षता में देखते हैं। वे जीवन में गति और संघर्ष के साथ सद्भावों की प्रतिष्ठा भी अनिवार्य मानते हैं। जीवन के

प्रति उनका दृष्टिकोण महान है। जीवन के उद्देश्य पर प्रेमचन्द स्वयं प्रकाश डालते हैं- 'जीवन का उद्देश्य ही आनन्द है। मनुष्य जीवन-पर्यन्त आनन्द ही की खोज में पड़ा रहता है।' यहाँ आनन्द से अभिप्राय मात्र मनोरंजन या भौतिक सुख-सुविधा की प्राप्ति मात्र ही नहीं है अपितु वे मानसिक तृप्ति के अर्थ में आनन्द को परिभाषित करते हैं। इसी से आनन्द का आधार सुन्दर और सत्य बताते हैं। वे स्वयं लिखते हैं- 'किसी को वह आनन्द रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे-पूरे परिवार में, किसी को लम्बे-चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनन्द इस आनन्द से उंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुन्दर और सत्य से मिलता है। उसी आनन्द को दर्शाना, वही आनन्द उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है।'

इसीलिये साहित्य को परिभाषा जीवन, आनन्द, सत्य और सुन्दर के मेल से बनती है। प्रेमचन्द के अनुसार जो कुछ सत्य और सुन्दर है वहीं साहित्य है। स्पष्ट है कि सत्य का आनन्द के साथ घनिष्ठ संबंध है- 'जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है वहीं आनन्द है। आनन्द कृत्रिमता और आडम्बर से कोसों दूर भागता है।'

उपर्युक्त से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सत्य (यथार्थ) साहित्य का महत्वपूर्ण आधार है। एक अन्य स्थान पर प्रेमचन्द ने भारतीय साहित्य परिषद के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा है कि- 'साहित्य का काम समाज और व्यक्ति को उंचा उठाना है, उसे नीचे गिराना नहीं।' अतः यह माना जाना चाहिये कि साहित्य सत्य और सुन्दर की प्रतिष्ठा करने वाला, हमें मानसिक तृप्ति प्रदान करने वाला तथा संघर्ष के लिये प्रेरित करने वाला है।

साहित्य के संबंध में प्रेमचन्द की क्या मान्यता थी, वे उसके लिये कौन-कौन से अनिवार्य तत्व मानते थे उन पर भी एक दृष्टि डाल लेनी आवश्यक है। इस संबंध में स्वयं प्रेमचन्द कहते हैं कि 'हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाईयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बैचेनी पैदा करें, सुलाये नहीं।'

उपर्युक्त कथन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि प्रेमचन्द का साहित्य मात्र मनोरंजन या विलासिता हेतु नहीं है, अपितु यह वह साहित्य है जिसमें जीवन अपनी तमाम सच्चाईयों के साथ चित्रित और उद्घाटित हुआ हो। जड़ तो चुकी स्थितियों के विरुद्ध जो हममें गति पैदा करें, इन स्थितियों के विरुद्ध बैचेनी पैदा करें और इन स्थितियों को दूर करने के लिये संघर्ष की ओर प्रेरित करें। ऐसा साहित्य ही प्रेमचन्द का अभिष्ट साहित्य हो सकता है और समग्र मूल्यांकन के बाद हम पाते हैं कि प्रेमचन्द ऐसे ही साहित्य के रचियता हैं।

जैसा कि माना जाता रहा है कि साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब मात्र होता है। इसी उक्ति के प्रकाश में प्रेमचन्द के साहित्य का मूल्यांकन करने पर हम पायेंगे कि प्रेमचन्द ने अपने समय के युग को सटीक वाणी प्रदान की है। प्रेमचन्द का साहित्य उनकी अपनी मान्यताओं पर खरा उतरता है। सत्य भी है कि साहित्य में स्वयं उसके रचयिता का आन्तरिक व्यक्तित्व ही आकार पाता है। और इस कथन की दृष्टि से प्रेमचन्द अपने साहित्य में अभिव्यक्त होते जान पड़ते हैं।

समाज की हर छोटी बड़ी घटना का प्रभाव लेखक के मन पर हर हाल में पड़ता है। इन प्रभावों से लेखक अनुभव ग्रहण करता है। ये अनुभव ही साहित्यकार की चिन्तन प्रणालियों में सुन कर किसी कृति के रूप में व्यक्त होते हैं। यानि माना जाना चाहिये कि साहित्यकार साहित्य के बीज समाज से ही प्राप्त करता है। स्वयं प्रेमचन्द ने एक स्थान पर लिखा है कि- 'साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ परिभाजित और सुन्दर हो तथा जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाईयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हो।' उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि साहित्यकार समाज में रहते हुए समाज से ही सच्चाईयाँ का साक्षात्कार करता है। उनसे अनुभव ग्रहण करता है और उसका यहीं अनुभव अभिव्यक्त होकर लिपिबद्ध किये जाने पर साहित्य कहलाता है।

अब हम साहित्यकार के स्थान निर्धारण पर विचार करेंगे। सोचना पड़ेगा कि जिस साहित्य में समाज प्रधान हो, उस साहित्य के सृजनकर्ता का स्थान क्या होना चाहिये। सत्य है कि साहित्यकार अगर ऊंचे दर्जे का मानवक नहीं है तो सत् साहित्य का सृजन भी नहीं कर सकता। इसीलिए साहित्यकार को सबसे पहले मनुष्य बनने को साधना करनी होगी, फिर साहित्यकार बनने की। प्रेमचन्द के मतानुसार साहित्यकार को सत्यभाषी होना चाहिये। वह हमारा पथ प्रदर्शक होता है, मनुष्यत्व को जागृत करता है, हमारे भीतर सद्भावों का संचार करता है तथा हमारी दृष्टि को व्यापकता प्रदान करता है। साहित्यकार का क्या लक्ष्य हो इस बारे में स्वयं प्रेमचन्द लिखते हैं कि- 'साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइये। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है।'

उपर्युक्त उद्धरण पर विचार करने पर यह तथ्य स्वतः सिद्ध है कि साहित्यकार का उद्देश्य मनोरंजन से बहुत ऊपर है। सच्चे अर्थों में वह समाज के लिये प्रकाश स्तम्भ का पथ प्रदर्शक का काम करता है तथा व्यक्तियों के भीतर चीजों को व्यापक दृष्टि से सोचने समझने और देखने की दृष्टि पैदा करता है। वह किसी दूसरे के पीछे चलने वाला नहीं होता अपितु लोग उसके बनाये रास्ते पर चलते हैं। साहित्यकार का काम तो समाज की अगुवाई करना है, वह स्वयं तो समाज के आगे-आगे चलने वाला होता है जिसके हाथ में मशाल धामी हुई होती है।

प्रेमचन्द कहते हैं कि- 'जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्यायवृत्ति तथा सौन्दर्यवृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल समझता है।'

उपर्युक्त उद्धरण के आलोक में भी यही बात स्पष्ट जान पड़ती है कि पीड़ित मानवता या समाज को अंधकार में राह दिखाना हो उसका फर्ज है।

प्रेमचन्द के साहित्य में अपने समय का जनजीवन अभिव्यक्त हुआ है। यह जन अपनी तमाम अच्छाईयाँ-बुराईयाँ, भावचौं-अभावों, कमियों-खुबियों को लेकर अवतरित हुआ है। इतना तो जग-जाहिर है कि प्रेमचन्द जनता से जुड़े हुये साहित्यकार थे। यही कारण है कि जन अपनी तमाम पीड़ाओं को लेकर इनके साहित्य में अवतरित या उपस्थित हुआ है।

कोई भी साहित्यकार अपने द्वारा लिखे गये साहित्य में अपने ही अन्तर की अभिव्यक्ति करता है। यानि कि अपने आन्तरिक व्यक्तित्व को ही वह अपने साहित्य में उतारता है। मतलब स्पष्ट है कि साहित्यकार का यह आन्तरिक पक्ष चीजों को किस रूप में लेकर ग्रहण करता है, ग्रहण करके सोचता है और सोचकर कैसा देखना चाहता है। संभाव्य की यह खोज ही किसी भी साहित्यकार का अभीष्ट होती है। हर साहित्यकार अपने साहित्य में इसी संभाव्य को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। अपने समकालीन साहित्यकारों से, उनके साहित्य से, प्रमुखतम राजनेता और उनके राजनीतिक चिन्तन से, प्रमुखतम अर्थशास्त्रियों और उनकी आर्थिक प्रणालियों से, प्रमुख समाज शास्त्रियों से और उनकी समाज विषयक विचारधारणाओं से एवं प्रमुख दार्शनिकों एवं उनके चिन्तन से वह प्रभाव ग्रहण करता है। ऐसा होना अवश्यभावी है क्योंकि कोई भी बुद्धिजीवी कहलाने वाला व्यक्ति अपने समय की चिन्ताओं और उपर्युक्त सभी प्रकार के चिन्तन से बच नहीं सकता। प्रेमचन्द जी भी अपने समकालीन और पूर्ववर्ती चिन्तकों से, उनके चिन्तन से अपने को अलग नहीं रख सके। अलग रखना संभव भी नहीं था। प्रेमचन्द से पूर्ववर्ती चिन्तकों में प्रमुखतम चिन्तक के रूप में हमारे सामने मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से चिन्तन किया। आर्थिक प्रणालियों के समग्र चिन्तन के बाद उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष संसार पर अपना रंग दिखाने लगे और विश्व मानव समुदाय का बहुत बड़ा भाग इस चिन्तन की और आशापूर्ण दृष्टि से देखने लगा क्योंकि मानव समुदाय को अपनी तमाम समस्याओं का निराकरण इन निष्कर्षों में दिखलाई देने लगा। मार्क्स ने नारा दिया कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स ने कहा कि उद्योगपति अपने आर्थिक हितों के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। थोड़े से पैसों के बदले पूंजीपति श्रमिक का श्रम खरीदता है और श्रमिक के श्रम से निर्मित वस्तु के विक्रय के बाद सारा मुनाफा स्वयं प्राप्त कर लेता है। तो उद्योगों पर इसी श्रमिक समुदाय का आधिपत्य हो। मार्क्स ने अपने साहित्य में पूंजीपतियों के द्वारा किये जाने वाले शोषण की तमाम वास्तविकताओं को उजगर कर दिया। पीड़ित मानवता के नाम मार्क्स का साहित्य एक ऐसा पैगाम छोड़ता है जो उसे अपने अस्तित्व के विकास के मार्ग की बाधाओं से निरन्त लड़ते रहने और संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित करता है। मार्क्स के सिद्धान्तों का गहन विश्लेषण करने के बाद वी.आई. लैनिन ने जाकर के देश रूस में सन 1917 में क्रान्ति को सफल बनाया। संसार में यह क्रान्ति वोल्ट्शैविक क्रान्ति के नाम से जानी गई। क्रान्ति में रूस के किसानों ने सक्रिय हिस्सा लिया और विजयी हुए क्योंकि सर्वाधिक रूप से किसान ही जायशाही से पीड़ित व प्रताड़ित थे। जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं था। उग्र भर की जी-तोड़ मेहनत का लाभ बड़े-बड़े जमींदारों की तिजौरी में जाता था और उग्र भर खटते रहने के उपरान्त भी किसान कौरा का कौरा ही रह जाता था। उसके साथ अमानवीय और गुलामों का सा व्यवहार किया जाता था आर्थिक संसाधनों में उसकी प्रमुख हिस्सेदारी होते हुए भी लाभ में

उसका कोई हिस्सा नहीं था। लैनिन ने इस क्रान्ति के द्वारा किसानों को संगठित ही नहीं किया अपितु जमीन पर उसे सामुहिक रूप से मालिकाना हक भी प्रदान करवाये। बड़े-बड़े कल-कारखानों व कृषि फार्मों पर किसान की सामुहिक यूनियनों का कब्जा हुआ और किसान ही अपने श्रम के बाद प्राप्त होने वाले लाभों का मालिक बना। सन 1917 की रूसी बोलशैविक क्रान्ति ने कार्ल मार्क्स के आर्थिक सिद्धान्तों का परचम सारी दुनिया में फहरा दिया। साम्राज्यवाद के चंगुल में फसे हुए पराधीन व्यक्तियों के मन में मार्क्स के प्रति चेतना जागृत होने लगी और पीड़ित मानवता धीरे-धीरे संगठित होकर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए संगठित होने लगी जिस महानतम चिन्तक के विचारों का प्रभाव दुनिया के हर हिस्से पर पड़ने लगा, तब भला साहित्य किस कदर अछूता रह सकता था। जब साहित्य अछूता नहीं रह सका तो साहित्यकार किस तरह अछूता रह सकता था अतः मार्क्स व लैनिन के विचारों का प्रभाव प्रेमचन्द एवं उसके साहित्य पर पड़े बिना कैसे रह सकता था। परोक्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जहां प्रेमचन्द एवं उनके साहित्य पर मार्क्स, लैनिन व उनके विचारों का प्रभाव पड़ा तो माओस्से तुंग के नेतृत्व में हुई चीनी क्रान्ति का भी अमिट प्रभाव पड़ा। इसी के समानांतर भारत में अंग्रेज राजशाही और उनके शोषण के विरुद्ध कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन जारी था। इन सब चीजों ने मिलकर प्रेमचन्द को प्रेमचन्द के रूप में प्रतिष्ठित कर डाला।

उपर्युक्त प्रमुखतम घटनाओं एवं कारणों के अतिरिक्त अनेक प्रभाव भी प्रेमचन्द पर रहे हैं। विश्व-साहित्य पर मार्क्सवादी प्रभाव हावी होने लगा। विश्व-साहित्य में साम्राज्यवाद और पूंजीवादी का विरोध किया जाने लगा तो दूसरी और पीड़ित और शोषित मानवता के प्रति साहित्य भी मूखर होने लगा। प्रेमचन्द ने विश्व-साहित्य की इस चिन्तनधारा को अपने साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाने का महान प्रयास किया है। प्रेमचन्द पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालने वाले विश्व के प्रमुखतम साहित्यकारों में मैक्सिम गौर्फी और लियो टॉल्स्टाय प्रमुख हैं। प्रेमचन्द स्वयं साहित्यकार थे अतः विश्व में लिखे जा रहे समकालीन साहित्य की प्रवाहमान धाराओं से बच नहीं सकते थे। अतः मार्क्सवादी चिन्तन प्रणालियों का प्रभाव प्रेमचन्द के साहित्यकार मन पर भी पड़ा। इसी प्रभाव ने मुंशी प्रेमचन्द से गोदान जैसी रचना का प्रणयन करवा दिया जिसे कि विश्व की किसी भी भाषा से प्रमुखतम साहित्य से मिलाया या जोड़ा जा सकता है। प्रेमचन्द ने विश्व प्रगतिशील लेखक संघ की तर्ज पर अपने साहित्यकार सार्थियों के साथ मिलकर सन 1936 ईस्वी में आयोजित प्रथम भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और समारोह आयोजित किया। इस सम्मलेन में व्यक्त प्रेमचन्द के विचार भी पीड़ित मानवता का ही समर्थन करते से लगते हैं। प्रेमचन्द के लिए बैहिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द मार्क्स, लैनिन एवं उनके विचारों से प्रभावित रहे हैं। मार्क्सवाद ने पीड़ित मानवता को वाणी दी है और संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। पूंजीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों का पर्दाफाश कर उन्हें बेनकाब किया है तो किसान और मजदूर की बेहली का निदान भी सुझाया है। इसी तर्ज पर हम प्रेमचन्द को भी एक मार्क्सवादी लेखक के रूप में स्थापित करने में कोई बुराई नहीं देखते। प्रेमचन्द ने भी अपने साहित्य में इसी पीड़ित व उपेक्षित मानवता को जो कि जमींदार, सूदखोर और पूंजीपति के चंगुल में अंतिम सांसे-सी गिन रही है, उसे मुखर जागी प्रदान की है स्वयं प्रेमचन्द अपने एक लेख महाजनी सभ्यता में रूसी संस्कृति और समाज व्यवस्था का स्वागत करत हुए कहते हैं- 'परन्तु अब एक नई सभ्यता का सुदूर पश्चिम से

उदय हो रहा है जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी हैं। जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है और जो केवल दूसरों को मेहनत या बाप-दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह प्रतिम प्राणी के उसे राज्य प्रबंध में राय देने का हक नहीं और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं हैं।

आगे चलकर सोवियत साम्यवादी समाज व्यवस्था के बारे में वे स्पष्ट कहते हैं- 'निरसन्देह ने व्यक्ति स्वातंत्र्य के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिए हैं। उसके राज्य में एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो सकता उसे अब यह आजादी नहीं कि अपने नफे के लिए साधारण आवश्यकताओं की वस्तुओं के दाम चढ़ा सके। दूसरे अपने माल की खपत कराने के लिए युद्ध करा दें। गोला-बारूद और युद्ध सामग्री बनाकर दुर्बल राष्ट्रों का दमन करायें। अगर इसकी स्वाधीनता ही स्वाधीनता है तो निःसंदेह नई व्यवस्था में स्वाधीनता नहीं पर यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जनसाधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ सुधरे गांव, मनोरंजन की और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली के पखे और रोशनी, सस्ता और सुलभ न्याय को प्राप्ति हो तो इस समाज व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आजादी है वह दुनिया की किसी भी सभ्यतम कहाने वाली जाति को भी सुलभ नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ अगर पुरोहितों, पादरियों, मुल्लाओं की मुफ्तखोर जमात के दंभमय उपदेशों और अंधविश्वास जनित रूढ़ियों का अनुसरण है तो निःसन्देह वहां इस स्वतंत्रता का अभाव है पर धर्म स्वतंत्रता का अर्थ यदि लोक सेवा, सहिष्णुता समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नैकनियती शरीर व मन की पवित्रता है तो इस सम्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी सुलभ नहीं हो सके। हाँ इस समाज व्यवस्था में व्यक्ति को यह स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन साधारण को अपनी महत्वाकांक्षाओं को तृप्ति का साधन बनाये और तरह-तरह के बाहानों से उनकी मेहनत का फायदा उठाये या सरकारी पद प्राप्त करके मोटी रकमें उड़ाये और मूछों पर ताव देता फिरें। एक अन्य स्थान पर प्रेमचन्द लिखते हैं कि-

मानवक स्वभाव अखिल विश्व में एक ही है। छोटी छोटी बातों में अन्तर हो सकता है पर मूल स्वरूप की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं। जो शासन विधान और समाज व्यवस्था एक देश के लिए कल्याणकारी है वह दूसरे देशों के लिए भी हितकर होगी। हाँ महाजनी सभ्यता और गुर्गे अपनी शक्ति भर इसका विरोध करेंगे। उसके बारे में भ्रमजनक बातों का प्रचार करेंगे, जन साधारण को बहकावेंगे, उनकी आँखों में धूल झोकेगें पर जो सत्य है एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी।

उपर्युक्त उद्धरण से भी यही ध्वनि निकल रही है कि समतावादी समाज की संरचना का दर्शन ही पीड़ित मानवता की समस्याओं का एक मात्र निदान है और यह दर्शन अवश्यमेव एक न एक दिन दुनिया में सफल होकर रहेगा। 27 फरवरी 1936 में 'जागरण' की संपादकीय टिप्पणीय में प्रेमचन्द लिखते हैं कि- 'संसार में जितना अन्याय और अनाचार है, जितना द्वेष और मालिन्य है, जितनी मूर्खता और अज्ञानता है उसका मूल रहस्य यही विष की गांठ है। जब तक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा तब तक मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता।' उपर्युक्त उद्धरण में भी यही ध्वनि हो रहा है कि जीवन के अंतिम दिनों में वे साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुये थे। अतः जीवन

के अंतिम वर्षों में लिखित 'गोदान' में भी उनका यह स्थान परोक्ष रूप में प्रकट हो रहा है। जहाँ नहीं भी अन्याय, शोषण और असमानता है वहीं पर पीड़ित के प्रति प्रेमचन्द का समर्थन भी है।

प्रस्तुत अध्याय के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा, लैनिन, टॉल्स्टाय और मैक्सिम गोर्की का प्रभाव प्रेमचन्द के साहित्य की पृष्ठभूमि रहा है। यही कारण है कि शोषण की तमाम 'वैष्णवी

मुस्कानों' को हम 'गोदान' में बेनकाब होता हुआ देखते हैं। कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी दर्शन और आर्थिक चिन्तन ही प्रेमचन्दीय साहित्य की पृष्ठभूमि रहा है और जीवन के अंतिम वर्षों में लिखित साहित्य इन तत्वों से आवन्त प्रेरित रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

डॉ. कुलकिरण गढ़वाल*

प्रस्तावना - प्रशासनिक संगठन- मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था के संगठनात्मक पदों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। प्रशासन के संगठनात्मक पदों में मनुस्मृति में विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों तथा प्रशासन के उच्चस्थ व अधीनस्थ कार्मिक वर्ग की योग्यताओं व दायित्वों का विवेचन किया है।

क मंत्री परिषद- मंत्री परिषद की महत्ता का स्पष्टीकरण करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि सहज कार्यों को करने के लिए भी व्यक्ति के लिए सहायकों का होना आवश्यक होता है तो महान उत्तरदायित्वों से युक्त राज्य कार्य का अकेले राजा के द्वारा सम्पादित किया जाना किस प्रकार सम्भव है।

मंत्री परिषद की इसी महत्ता को दृष्टिगत करते हुए आचार्य मनु शासक को यह परामर्श देते हैं कि राजकार्य के सुचारु निर्वाह हेतु सात आठ मंत्रियों की नियुक्ति को व उनके परामर्शों की सहायता से अपने कार्यों को सम्पन्न करें।

मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण स्थान व अनिवार्यता को देखते हुए मनुस्मृति में इसके संगठन का विस्तृत विवेचन किया गया है। मंत्रियों की योग्यताओं, अयोग्यताओं, कार्यप्रणाली, संख्या आदि के सन्दर्भ में मनुस्मृति स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत करता है।

अ मंत्री परिषद हेतु योग्यताएं- भारतीय ग्रंथ मंत्रियों में अभी जाते गुणों का होना अत्यावश्यक स्वीकार करते हैं। आचार्य मनु ने यह स्वीकार किया है कि मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों से स्पष्ट है कि व्यक्ति की वैचारिक स्तर का संबंध उसकी परिवारिक परिस्थितियों से होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति में जन्मगत रूप से उच्चाशयता के गुण उपस्थित होंगे। इसी कारण मनुस्मृति में मंत्री का उच्च कुलोत्पन्न होना एक आवश्यक योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ में मंत्री में शास्त्रों के ज्ञान, शूरवीरता, शास्त्र विद्या में निपुणता एवं योग्यता के अन्य समस्त परीक्षाओं में सफलता आदि गुणों में आवश्यक माना गया है। मनुस्मृति में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह विद्वान एवं धर्मात्मा ब्राह्मण मंत्री से राज्य के आवश्यक कार्यों में सहयोग प्राप्त करें, अतः स्पष्ट है कि मंत्री का उच्च वर्ग वाला, धर्मात्मा एवं विद्वान होना भी एक आवश्यक गुण होता है।

आचार्य मनु ने मंत्रियों के गुणी होने को अनिवार्य मानते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि उसे वंशपरम्परा एवं चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिये, बुद्धिमान, स्थिरचित्त अर्थात् आपत्तिकाल में भी न घबराने व शत्रु पक्ष के दबाव से राजहित के विरोधी आचरण को न करने वाला होना चाहिए। मंत्रियों का आलस्य रहित ज्ञानी व अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी मनुस्मृति में जरूरी माना गया है।

आचार्य मनु विशिष्ट मंत्रियों के लिए विशेष योग्यताओं का भी निर्धारण

करते है। उनके अनुसार धन-धान्य के संग्रह हेतु उन मंत्रियों को नियुक्त किया जाये जो शूरवीर, उत्साही, उच्च कुलोत्पन्न, शुद्धचित्त अर्थात् रिश्वत न लेने वाले हों। उसे राजमहल के अन्तःपुर में नियुक्ति किया जाना चाहिए।

ब मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्यताएं- मंत्रियों की अयोग्यताओं का विस्तृत विवेचन मनुस्मृति अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों की भांति नहीं करती परन्तु फिर भी परीक्षित मंत्रियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि मंत्रियों के कुछ गुणों के अभाव अथवा उन की उपस्थिति को उनकी अयोग्यताओं के रूप में स्वीकार किया गया है।

आचार्य मनु द्वारा आलस्य शुद्ध चित्त का अभाव व निम्नकुलोत्सन्न होना आदि लक्षण मंत्री पद हेतु अयोग्यता के रूप में माने गये है।

स मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या - मंत्रीपरिषद के सदस्यों की संख्या के सन्दर्भ में ग्रन्थकारों ने शासक को महत्वपूर्ण परामर्श दिए है। महाभारत में यह माना गया है कि मंत्रियों की कुल संख्या 5 से 40 तक हो सकती है व यदि इससे भी कम न्यूनतम हो तो उन्हें वेदों का ज्ञाता होना अनिवार्य गुण माना गया है। रामायण में मंत्री की संख्या को आठ तक सीमित रखने का परामर्श दिया गया है।

आचार्य कौटिल्य परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या निर्धारण पर बल देते हैं। मनुस्मृति में मंत्रीमण्डल की कुल सदस्य संख्या सात या आठ रखने का परामर्श दिया गया है। परन्तु ग्रन्थ में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि शासन कार्य के सुचारु निर्वहन हेतु पर्याप्त संख्या में शासक द्वारा मंत्री पद पर नियुक्ति दे दी जानी चाहिए अर्थात् यदि शासन कार्य में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो मंत्रीमण्डल की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया जाना चाहिए।

मनुस्मृति में मंत्रियों हेतु तीन सम्बाधनों का प्रयोग किया गया है - पुरोहित, मन्त्री एवं सचिव।

द मंत्रीपरिषद के दायित्व एवं अधिकार- मनुस्मृति में मंत्रियों को विविध दायित्वों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट विवेचन प्राप्त नहीं होता। ग्रंथ में विभिन्न पदों पर नियुक्त किये जाने एवं उनकी परीक्षण विधि के आधार पर ही उनके दायित्वों एवं अधिकारों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है आचार्य मनु का कथन है कि विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनका कार्य राज्य कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना होना चाहिए। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट किया गया है कि मन्त्री द्वारा आलस्य रहित होकर ग्रामवासियों द्वारा किए गए कार्यों को देखा जाना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रजा एवं राज्य कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करते रहें। ग्रन्थ में एक प्रसंग में कहा गया है कि - मन्त्री सहित जिस राजा के राज्य करते हुए राज्य में चोरों आदि से प्रजा अपहृत

होती है, वह राजा मरा हुआ है क्योंकि राजा को प्रजा का रक्षक माना गया है। अतः राजा की राज्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रजा की रक्षा करना भी मंत्रियों का प्रमुख कर्तव्य स्वीकार किया गया है।

आचार्य मनु ने शासक के द्वारा राज्य कार्य के सम्पादन को असम्भव स्वीकार किया है एवं इसके सुचारु निर्वाह के लिए व मंत्रीपरिषद का कर्तव्य मानते हैं कि वह आवश्यकतानुसार मंत्रणा के माध्यम से शासक को सहायता प्रदान करे। सारतः मन्त्री का प्रमुखतम कर्तव्य शासक को राज्य कार्य में सहयोग देना माना गया है।

मनु का मत है कि राज्य कार्य का सम्पादन एक गुरुतर कार्य है व अकेले राजा द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है अतः उसकी सहायतार्थ मन्त्री होने चाहिये। मनु के अनुसार राजा को मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, स्थान दण्ड, कोष समुदय स्वर्ण व धान्य आदि के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए।

ग्रन्थ में प्रतिपादित किया गया है राजा द्वारा षाडगुण्य नीति से युक्त ब्राह्मण को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए व आवश्यकता पड़ने पर उससे मंत्रणा करनी चाहिए व उसकी सहायता से कार्याभ्य करना चाहिए। इस प्रकार पर राष्ट्रों से सम्बन्धी कार्यों में शासक को परमर्श देना व सम्बन्धित कार्यों में सहायता प्रदान करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त परस्पर विरोधी धर्मों के विरोध को बचाते हुए धर्म की वृद्धि करने, पुत्रों की शिक्षा व कन्या के विवाह दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों को मंत्रियों में मन्त्रण करने का परमर्श दिया गया है इस प्रकार मंत्रीपरिषद का दायित्व माना गया है कि वह उपरोक्त विषयों पर शासक को उपयुक्त परमर्श दें।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुस्मृति में मंत्रीपरिषद को महत्वपूर्ण दायित्वों से युक्त माना गया है। प्रजा की रक्षा, राज्य कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, प्रजा के कार्यों का निरीक्षण, सन्धि विग्रह, स्थान, समुदाय, रक्षा, परस्पर विरुद्ध धर्मों का उपार्जन, कुमारों की शिक्षा, दूसरे राष्ट्रों में दूतों का भेजा जाना आदि कार्य मंत्रियों हेतु प्रमुख रूप से स्वीकार किए गए हैं।

य मंत्रीपरिषद की कार्यप्रणाली- प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मंत्रियों से शासक द्वारा मन्त्रण किए जाने के संदर्भ में दो विभिन्न विधियों का विवेचन प्राप्त होता है - मंत्री-परिषद के सदस्यों से पृथक-पृथक गोपनीय विचार-विमर्श एवं सम्पूर्ण मंत्रीपरिषद से सामूहिक रूप से विचार-विमर्श। मनुस्मृति में परिस्थिति के अनुसार दोनों विधियों का प्रयोग करने का शासक को परमर्श दिया गया है उन्होंने शासक को परमर्श दिया है कि किसी समस्या पर विचार किया जाना हो तो उसे मंत्री परिषद के समस्त सदस्यों से एकान्त में मन्त्रणा करनी चाहिए एवं सब सदस्यों से मन्त्रणा करने के उपरान्त स्व-विवेक से निर्णय लेना चाहिए। इसका उद्देश्य सम्भवतः यह माना जा सकता है कि इस प्रकार एकान्त में विचार-विमर्श करने पर उनके विचार परस्पर मिथ्या झुकावों से मुक्त रह सकते हैं। आचार्य मनु सामूहिक रूप से की गई मन्त्रणा का भी महत्वपूर्ण मानते हैं।

र मन्त्र की गोपनीयता- आचार्य मनु ने भी अन्य भारतीय ग्रंथकारों की भांति मन्त्र की गोपनीयता पर विशेष बल दिया गया है। इस सन्दर्भ में ग्रन्थ में मंत्रणा-स्थल, मंत्रणा का समय व आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्ट विवेचन किया गया है। मन्त्र को गोपनीय रखे जाने को मनु ने आवश्यक स्वीकार किया है। मनु का मत है कि राजा द्वारा दर्शनार्थ उपस्थित प्रजाजनों को सन्तुष्ट करके विसर्जित करने के उपरान्त मंत्रणा स्थल पर मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। मनु का मत है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं मानते वह राजा कोष से हीन होने पर भी सम्पूर्ण पृथ्वी का

भाग करता है। इस प्रकार मंत्र का गोपनीय होना राजा एवं राज्य के वैभव को सर्वर्धित करने वाला स्वीकार किया गया है।

मनुस्मृति में मंत्रणा के समय के सम्बन्ध में भी शासक को महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान किए गए हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि मध्याह्न अथवा अर्द्धरात्री में मानसिक खेद व अशान्ति से रहित होकर शासक द्वारा मंत्रियों में मंत्रणा का कार्य किया जाना चाहिए। अर्द्धरात्रि एवं मध्य दिन का समय सामान्य रूप से समस्त व्यक्तियों हेतु विश्राम का समय होता है। अतः समय के चयन का उद्देश्य सम्भवतः ऐसे समय में मंत्रणा में न्यूनतम व्यवधानों की उपस्थिति का विचार प्रतीत होता है।

मंत्रणा स्थल के सम्बन्ध में आचार्य मनु ने निर्जन वन पहाड़ एवं एकान्त प्रासाद का विवरण दिया है। मंत्र की गोपनीयता के निर्वाह की दृष्टि से सम्भाविक रूप से ऐस स्थान मंत्रणा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

मनु ने मंत्रणा-स्थल एवं मंत्रणा के समय के साथ मंत्रणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भी विवेचन किया है। ये परिस्थितियां मंत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य स्वीकार की गई हैं। उनके अनुसार मंत्रणा स्थल से मंत्रणा के समय बुद्धिहीन, मूक, बधिर, तिर्यग योनी से उत्पन्न पक्षी तोता, मैना आदि। अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति, म्लेच्छ, रोगी, स्त्री, व्यंग कम या अधिक अंग वाले सभी को हटा देना चाहिए। क्योंकि इन व्यक्तियों की अस्थिर बुद्धि के कारण, ये अपमानित होने पर मंत्र का अन्यत्र भेदन कर सकते हैं।

मनुस्मृति में वर्णित शासन व्यवस्था में मंत्रीपरिषद की व्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। इस सन्दर्भ में ग्रन्थ का विवेचन अत्यन्त व्यवहारिक प्रतीत होता है। एक ओर मनु मंत्रियों की संख्या के सम्बन्ध में स्पष्ट सैद्धान्तिक व्याख्या करते हैं, वही घटाया - बढ़ाया जाना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार मंत्रियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते समय मंत्रियों को पदारूढ़ किये जाने से पूर्व उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के समुचित परीक्षण को अनिवार्य मानते हैं।

ख अन्य शासकीय प्राधिकारी व निकाय- आचार्य मनु ने सम्पूर्ण शासन का केन्द्र शासक को स्वीकार करते हुए भी राज्य में मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों आदि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

राजा को परामर्श दिया गया है कि जितने मनुष्य की सहायता से राज्य कार्य का सुचारु रूप से चलाया जाना सम्भव हो उतने आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ग्रन्थ में परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्तियों की सभा से माना गया है जो तीन वेदों के ज्ञाता हों। यह अपेक्षा की गई है कि इन विद्वान व्यक्तियों को राज्य में कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यों के निधारण हेतु निर्मित सभा में कार्य करना चाहिए।

शासक का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग सेना को माना गया है एवं इसे सेनापति के अधीन माना गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कोष एवं प्रशासन राजा के अधीन होता है उसी प्रकार शांति, युद्ध के विषय आदि सेनापति के अधीन होते हैं। अतः सेनापति राज्य का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है।

राजा द्वारा राज्य में शुद्ध अन्तःकरण वाले, चेष्टाओं के जानने वाले, कुलीन, अधिक स्मरणशक्ति वाले एक देशकाल को समझले वाले व्यक्ति को दूत का प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

इस प्रकार राज्य में कई अधिकारी स्वीकार किये गये हैं। एवं उनके विभिन्न कार्यक्षेत्रों व शक्तियों को मान्यता प्रदान की गई है।

ग प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन - मनुस्मृति में शासक को राज्य की सर्वोच्च शक्ति एवं सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का शीर्ष मानते हुए भी प्रदत्त शक्तियों व कार्यों की अवधारणा का स्पष्टीकरण किया गया है। ग्रंथ में स्वीकार किया गया है कि राजा पर कार्यभार अधिक होता है अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों एवं अन्य प्रशासकीय अधिकारियों में कर देना चाहिए। इसके माध्यम से ग्रंथ में परोक्ष रूप से प्रत्यायोजन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है।

ग्रंथ में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह मंत्रियों से अपने कार्यों में सहायता ले एवं कुछ कार्यों को सम्पन्न करने का दायित्व उन पर ही छोड़ दे।

इस प्रकार शासन के एक प्रमुख अंग सेना के अधिकारों, कार्यों एवं शक्तियों की सेना की सेनापति को प्रदान किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ग्रंथ में स्वीकार किया गया है कि सेना सेनापति से उसी प्रकार अधीन होती है जिस प्रकार कि राज्य राजा के अधीन होता है। अतः स्पष्ट है कि राज्य में सेनापति को राजा द्वारा सेना से सम्बन्धित अधिकार एवं शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जाती हैं।

ग्रंथ में राज्य के दूतों एवं गुप्तचरों को भी शासक द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यह माना गया है कि राज्य में पर राष्ट्र सम्बन्धों में दूरत अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं एवं इनके अधीन राज्य की संधि एवं विग्रह के कार्य होते हैं। संधि एवं विग्रह के सम्बन्ध में यद्यपि अन्तिम निर्णय शासक द्वारा ही लिया जा सकता है तथापि परिस्थिति की तत्कालिकता के अनुरूप, संधि एवं वार्ता के सम्बन्ध में दूतों को भी स्वविवेकीय निर्णय का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाना उपयुक्त माना गया है।

प्रादेशिक प्रशासन के सम्बन्ध में आचार्य मनु ने प्रत्यायोजन की अवधारणा का अत्यन्त समृद्ध रूप विवेचन किया है। ग्रंथ में यह स्वीकार किया गया है कि राज्य में शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए एवं प्रजा में स्वशासन की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

घ प्रादेशिक शासन- मनु स्मृति में राज्य के शासन को दो भागों - पुर एवं राष्ट्र में विभाजित किया गया है। पुर अथवा नगर के सम्बन्ध में आचार्य का मत है कि वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त भू-भाग पर जहां पर विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों, पुर की स्थापना की जानी चाहिए।

राष्ट्र में शासन व्यवस्था के सुचारु रूप संचालन एवं व्यवस्थित संगठन के लिए आचार्य मनु उसे विभिन्न भागों में विभाजित किए जाने को उपयुक्त मानते हैं। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना गया है एवं 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्रामक व 1000 ग्रामों के पृथक-पृथक संगठनों की व्यवस्था मानी गई है। इन पृथक इकाईयों के पृथक-पृथक अधिकारी स्वीकार किये गये हैं। प्रत्येक ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को रक्षक कहा गया है। इसका कार्य प्रजा से कर वसूल करना और उसे उच्च अधिकारी तक पहुँचाना व ग्राम में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना माना गया है।

प्रत्येक संगठन के अधिरी को उच्चतर संगठन के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी माना गया है। रक्षक को 10 ग्राम के रक्षक के प्रति, 10 ग्रामों के रक्षक को 100 ग्राम के रक्षक के प्रति व 100 ग्रामों के रक्षक को 1000 ग्रामों के रक्षक के प्रति उत्तरदायी माना गया है।

नगर के प्रशासन हेतु एक शूरवीर, तेजस्वी व विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया गया है एवं इसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्यों हेतु उत्तरदायी माना गया है। ग्रंथ में इस उच्च अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य प्रजा का रक्षण, ग्रामवासियों के कार्यों का निरीक्षण, भ्रष्ट

अधिकारियों को दण्डित करना आदि माने गये हैं।

इस प्रकार मनुस्मृति में स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया गया है एवं शासन में शक्तियों व कार्यों के विकेन्द्रीकरण की उपयोगिता व औचित्य को स्वीकार किया गया है।

4. शासन के स्वरूप व कार्यक्षेत्र का प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव- मनुस्मृति में राज्य को उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। प्रजा के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल आयोजन स्वीकार किया गया है। राज्य के मूल प्रयोजन के अनुरूप ग्रंथ में शासन के कार्यक्षेत्र का विस्तृत विवेचन हुआ है।

मनु ने इस तथ्य का संज्ञान किया है कि शासन के विस्तृत कार्यक्षेत्र में सम्मिलित दायित्वों का वास्तविक निष्पादन सक्षम प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से ही सम्भव है। इस दृष्टि से मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था के संस्थागत, संगठनात्मक व प्रक्रियात्मक पक्षों के सम्बन्ध में व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। राज्य के लोक-कल्याणकारी स्वरूप का ग्रंथ में प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव सारतः अग्रांकित रूपों में परिलक्षित हुआ है।

1. राज्य के व्यापक दायित्वों के अनुरूप मनुस्मृति में राज्य की विशद् प्रशासनिक संरचना के सोपानों की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
2. राज्य के मूल लोक कल्याणकारी मंतव्य के अनुरूप प्रशासनिक अभिकर्ताओं से जनता के हितों को सर्वोपरि महत्व देने तथा जनहित के प्रति समर्पित रहने की अपेक्षा की गई है। प्रशासनिक कार्यों से, जनता की भावनाओं और अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहने की अपेक्षा की गई है।
3. ग्रंथ में शासकीय शक्ति को मर्यादित व नियंत्रित किए जाने पर बल दिया गया है। इस निमित्त ग्रंथ में शासक द्वारा शक्तियों के संव्यवहार पर नीतिगत संस्थागत व प्रक्रियात्मक नियंत्रण आरोपित किये गये हैं वहीं शासक से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों के अधिनस्थ कार्यों के कार्यों व गतिविधियों पर सजग दृष्टि रखे व यह सुनिश्चित करे कि प्रशासनीय भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निरंकुशता व प्रशासनिक उदासीनता के कारण जनता के हितों को क्षति न पहुंचे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 67
2. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 56 - 57
3. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 54
4. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय
5. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 58 - 59
6. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 60
7. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 61
8. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 62
9. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 60
10. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 61
11. पूर्वोक्त सप्तम अध्याय 54
12. पूर्वोक्त सप्तम अध्याय
13. महाभारत शांति पर्व
14. रामायण, बालकाण्ड, सप्तम अध्याय 4 - 5
15. अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण 14
16. मनुस्मृति, सप्तम अध्याय 54
17. पूर्वोक्त सप्तम अध्याय 61

Problem of Male Cattle Sire and Utilising in Agriculture


Dr. Vinod Kumar Sharma*

Abstract - Accelerated Breed Improvement Programme -Using sex sorted semen for getting assured pregnancy and overcome by mechanisation of Agriculture, utility of male bovines have been reduced. Farmers are not willing to maintain Bullocks for agriculture or any other draft work. Hence, male calves born at farmer house have become a liability. Farmers often let the male calves loose which are resulting into increase in stray animal population. Only female calves can be produced (with more than 90% accuracy) by use of latest technology like Sex Sorted Semen in AI program. Use of sex sorted semen will be game changer for the farmers as only female calves are produced with 90% accuracy against 50:50 male to female sex ratio with normal semen. Extensive use will increase the number of female animals thereby increasing income of farmers through sale of female or through sale of milk. Use of sex sorted semen will also reduce male cattle population thereby limiting stray cattle population in the country.

Key words: Sire of cattle, Bull, A.I.(Artificial Insemination), Sex sorted semen, semen straw, Frozen semen bank.

Introduction - As natural phenomena of male and female ration is always govern by nature according to requirement of its need. India is agriculture based economy country where crop production and animal farming is simultaneously common practice. Now due to demand and profit based dairy business most of the farmers adopting exclusively dairy animal rearing as rejecting conventional mixed farming. Dairy farming is flourishing from last decade due to more subsidy by government ,better facilities of preserving dairy products and increasing of demand of dairy product like Paneer,Cheese,Yogart and common milk based products and by products. Operation flood also play vital role in dairy business as standardizing of feed, breed , management, health and hygienic practices. Still the production and population ratio is not reach up to the mark.As 20th Livestock census of cattle population in figure is-

Category	Population in million 2011	Population in million 2011	% Change
Andhra Pradesh	10.00	10.00	0.0
Assam	1.00	1.00	0.0
Bihar	10.00	10.00	0.0
Chhattisgarh	10.00	10.00	0.0
Goa	1.00	1.00	0.0
Gujarat	10.00	10.00	0.0
Haryana	10.00	10.00	0.0
Himachal Pradesh	10.00	10.00	0.0
India Population - 1000 million			



Female cows are completely utilized but male sire are not competing in dairy farming. Government has banned on slaughtering on bovine, this problem as seriously raised in India.

Unprofitable sire are freely damaging crops and wandering as unwanted like animals. In globalization of word machined farming and new scientific practices eliminate these bull as conventally used in last era as sowing and transportation purpose. It can now only remedies are converting as a machine like from fodder to energy purpose as gas plant from cow dung and west urinal refusal can sustained for Farm Yard Mannure, Compost and as biofertilizers.


Here more work and focus need on these animal to utilizing for other profitable purposefull requirement, because undisruptive animals also not as useful as pure breed animals like Gir,Shahiwal,Haryana and Tharparkar and local established and popular breeds,

Data showing male and female ratio and cattle population.

*Lecturer (Agriculture) Govt. PG College, Sawai Madhopur (Raj.) INDIA

Unprofitable domestic bovine species are eating more and less production as compare to popular Indian established breeds. One most suitable work which is now popular in dairy business is adopting good semen as a pure blood local breeds. The bull of high quality semen and more rate of conceiving percentage is utilizing as frozen semen bank, which are well known in different regional areas. A good bull semen can use for long period and more conceiving rate always help to farmers. Good semen straw and in remote area and a particular time of heat detection and administration of semen with in time increase more number of lactation cycle in a life span of good breed cow. Semen sexing using flow cytometry reduces the number of vials of sperm that can be obtained from a proved bull. In addition, a lower fertility of this kind of sperm is expected because of the lower sperm dosage in sex sorted semen. The use of sex sorted sperm in reproduction program using superovulation to produce female calf in dairy farms or male in beef farms have been used progressively. The sex sorting process by flow cytometry is aggressive to the spermatozoa, compromising the viability of these cells. Thus, some adjustments in the mode of use the sexed semen in AI have to be done to improve the tangibility in reproductive programs at livestock level. Adjustments in the AI moment in relation to the estrus beginning improve the conception rate. It is found in studies indicates that beef and dairy heifers inseminated with sex-sorted sperm after estrus detection have satisfactory conception rate, and the AI has to be done between 16 to 24 h after the estrus commencement (6 to 14 h before ovulation).

A conceiving and pregnancy rate comparison shows in graph below:-



A bull is a half of heard but it must be good genetic make up and good quality semen. Rearing of bull is old practice as A.I. is adopted by most of the farmers. There is no need of keeping unnecessary bull to keep in farm as it eat fodder and concentrate which is only for milk producing cows.

One concept of sex sorting semen is most popular practices in developed countries. India is also following this practice but due to lack of facilities and less work and research still India is importing this type of semen from out side countries.

Limitations of sex sorted semen:

1. Cost of such semen is very high and conceiving rate is very low.
2. Availability and remote area transportation is a big problems which require more attention.
3. Keeping quality and preserving is also a big challenges.
4. India is not fulfilling its demand so it is very costly to farmers without government subsidies.
5. Less work on Nano technology so staining of 'y' chromosome is not in practice.

Conclusion: To promote use of sex sorted semen for production of female calves with 90% accuracy also enhancing milk production and farmers income through production of female calves. Increased availability of female calves of high genetic makeup for farmers and entrepreneurs interested in taking up dairy farming. To make sex sorted semen technology affordable to farmers thereby increasing acceptability of artificial insemination with use of sex sorted semen. It Create Visible demand of sex sorted semen in the country thereby attracting private entrepreneurs in production of sex sorted semen. Male population can be inhibited by these techniques.

References:-

1. Vikaspedia.in/ac
2. Gardner D. Seidel G. 2008 History of commercializing sexed semen for cattle. Theriogenology 69 886 95
3. Baruselli P. S. de Sá Filho M. F. Martins C. M. Nasser L. F. Nogueira M. F. G. Barros C. M. et al. 2006 Superovulation and embryo transfer in Bos indicus cattle. Theriogenology 65 1 77 88
4. Bó G. A. Baruselli P. S. Chesta P. M. Martins C. M. 2006 The timing of ovulation and insemination schedules in superstimulated cattle. Theriogenology 65 1 89 101
5. Sartori R. Souza A. H. Guenther J. N. Caraviello D. Z. Geiger L. N. Schenk J. L. et al. 2004 Fertilization rate and embryo quality in superovulated Holstein heifers artificially inseminated with X-sorted or unsorted sperm. Animal Reproduction 1 86 90

Chemical Approach of Ayurvedic Medicines

Dr. Anjul Singh*

Abstract - Ayurveda gives more emphasis on prevention of diseases than treatment. Therefore it is not only limited to management and treatment of diseases. Other principles are also described in context to prevention and dincharya is one of those. Principle of dincharya is basically related with time management. Actually there are nine karana dravya (responsible factors) behind the creation and manifestation of Universe and these are panchamahabhuta (space, air, fire, water & earth), mana (mind), atma (soul), kala (time) and disha (directions). So, time is very important factor and affects every creation of Universe. It is one of the causative factors (i.e. trividha hetu) in the initiation of diseases.

There are various changes which have been occurred by the impact of time and later on results in manifestation of various diseases. If these changes are terminated by different activities described under the head of dincharya, diseases are definitely prevented. This is the basic principle behind dincharya and other charya described according to various time fractions. Today's a new word has been emerged very rapidly i.e. "life-style disorders". This word is basically concerned with chronic non-communicable diseases which have been taken the form of epidemic in current era. These diseases can be prevented by following principle of dincharya.

The paper deals serves the chemical approach of the Ayurvedic Medicines.

Key Words: Vyayama, Prakriti, Adipokines, Myokines, Mitochondrial biogenesis.

Introduction - All the things in the world have their chemical perspective, and the same is true of Ayurveda and Ayurvedic medicines. Ayurveda is designed for the maintenance of dhatusamya or health. Emphasis is basically given on the prevention rather than treatment. Kala or time is the basic factor in the causation and manifestation of Universe. Therefore it affects all the creations and play very important role in causation of diseases. Basically it is responsible for the changes in all creations and human is not exception. These changes when occurred in full extent the diseases are manifested. To cope up this problem various type of activities has been described according to time fractions known as charya.

Among those dincharya is described in context to day means sunrise to sunset. Ayurveda is an absolute science of life-style. An ideal life-style has been described for the health maintenance. This described life-style terminates all the changes which are occurred due to time. For example defecation at proper time clears the rectum and increases digestive power.

If it is not be done according to ideal regimen various diseases are manifested related with this region like constipation, incomplete evacuation of bowels, foul smelling flatus, etc. In current era very much stress found everywhere which disturbs the life-style. This results in various types of disorders like obesity, diabetes, CHD, etc. These diseases are result of disturbed and deranged life-style and can only be corrected by intervention through ideal life-style.

Ayurveda, the age old science of life, has always emphasized to maintain the health and prevent the diseases by following proper diet and lifestyle regimen rather than treatment and cure of the diseases. The basic principle followed in the Ayurvedic system of medicine is Swasthyashya Swasthya Rakshanam, which means to maintain the health of the healthy, rather than Aturashya Vikara Prashamanancha, means to cure the diseases of the diseased. For this purpose the Dinacharya (daily regimen) and Ritucharya (seasonal regimen) have been mentioned in the classics of Ayurveda.

With the change in season, the change is very evident in the environment we live in. We see various changes in bio-life around us, such as flowering in spring and leaf-shedding in autumn in the plants, hibernation of many animals with the coming of winter, and so on. As human being is also part of the same ecology, the body is greatly influenced by external environment.

Many of the exogenous and endogenous rhythm have specific phase relationship with each other; which means that they interact and synchronize each other. If body is unable to adopt itself to stressors due to changes in specific traits of seasons, it may lead to Dosha Vaishamya, which in turn may render the body highly susceptible to one or other kinds of disorders.

As adaptations according to the changes, is the key for survival, the knowledge of Ritucharya (regimen for various seasons) is thus important. People do not know or

*Associate Professor (Chemistry) Govt. College, Dholpur (Raj.) INDIA

ignore the suitable types of food stuffs, dressing, and others regimen to be followed in particular season, this leads to derangement of homeostasis and causes various diseases, such as obesity, diabetes, hypertension, cancer, and so on.

Lifestyle diseases are a result of an inappropriate relationship of people with their environment. Onset of these lifestyle diseases is insidious, delayed development, and difficult to cure. In our country the situation is quite alarming due to rapid changing of disease profile.

The World Health Organization has identified India as one of the nations that is going to have most of the lifestyle disorders in the near future. Nowadays, not only are lifestyle disorders becoming more common, but they are also affecting younger population. Hence, the population at risk shifts from 40+ to maybe 30+ or even younger. Already considered the diabetes capital of the world, India now appears headed toward gaining another dubious distinction of becoming the lifestyle-related disease capital as well.

A study conducted jointly by the All India Institute of Medical Sciences and Max Hospital shows the incidence of hypertension, obesity, and heart disease is increasing at an alarming rate, especially in the young, urban population. According to the doctors, a sedentary lifestyle combined with an increase in the consumption of fatty food and alcohol is to blame cases of obesity, diabetes, hypertension, and so on.

Ritucharya is prominently discussed in the first few chapters of most of the Samhitas of Ayurveda. Prevention of disease to maintain health is being the first and foremost aim of the holistic science of Ayurveda. In Tasyashitya chapter of Charaka Samhita, it is said "Tasya Shitadiya Ahaarbalam Varnascha Vardhate. Tasyartusatmayam Vaditam Chestaharvyapasrayam," which means 'the strength and complexion of the person knowing the suitable diet and regimen for every season and practicing accordingly are enhanced.

Classification of season: The year according to Ayurveda is divided into two periods Ayana (solstice) depending on the direction of movement of sun that is Uttarayana (northern solstice) and Dakshinayana (southern solstice). Each is formed of three Ritus (seasons). The word Ritu means "to go." It is the form in which the nature expresses itself in a sequence in particular and specific in present forms in short, the seasons.

A year consists of six seasons, namely, Shishira (winter), Vasanta (spring) and Grishma (summer) in Uttarayan and Varsha (monsoon), Sharata (autumn) and Hemanta (late autumn) in Dakshinayana. As Ayurveda has its origin in India, the above seasonal changes are observed predominantly in Indian subcontinent.

Uttarayana and its effect: Uttarayana indicates the ascent of the sun or northward movement of the sun. In this period the sun and the wind are powerful. The sun takes away the strength of the people and the cooling quality of the earth. It brings increase in the Tikta (bitter), Kashaya (astringent),

and Katu (pungent) Rasa (taste), respectively, which brings about dryness in the body and reduces the Bala (strength). It is also called Adana Kala.

According to modern science, this can be compared with the gradual movement of earth around the sun to the position, in which the rays of the sun falls perpendicularly at 30 degree meridian of the North Pole on June 21st every year, called as summer solstice. The northward journey of the Sun from Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer happens.

During Uttarayana the seasonal changes in Indian subcontinent is from Shishira (winter) to Vasanta (spring) and to Grishma (summer). The period can be compared to mid-January to mid-July, when warmth and dryness in weather increases. It has an overall debilitating effect on environment, to which human being is also a part.

Dakshinayana and its effect: Dakshinayana indicates the descent of the sun or movement of the sun in southern direction. In this period, the wind is not very dry; the moon is more powerful than sun. The earth becomes cool due to the clouds, rain, and cold winds. Unctuousness sets in the atmosphere and Amla (sour), Lavana (salty), and Madhura (sweet) Rasa are predominant, so the strength of person enhances during this period. It is also called Visarga Kala.

According to modern science, this can be compared with the gradual movement of the earth around the sun to the position, in which the rays of the sun fall over 30 degree meridian of the South Pole perpendicularly on December 21st every year, is called as winter solstice. The southward movement of the Sun occurs from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn.

During Dakshinayana, the seasonal changes occur in the Indian subcontinent from Varsha (monsoon) to Sarata (autumn) and to Hemanta (late autumn). This period can be compared to mid-July to mid-January, when cool sets, and due to which anabolic activity dominates over the catabolic activity in the environment.

State of strength: In the beginning of Visarga Kala and ending of Adana kala, that is, during Varsha and Grishma, weakness occurs. In the middle of the solstices, that is, during Sharata and Vasanta, strength remains in moderate grade and in the end of Visarga Kala and in the beginning of Adana Kala, that is, during Hemanta and Shishira, maximum strength is seen.

Regimen of different seasons

Shishira (winter)

General condition: Mid-January to mid-March (approximately) is considered as Shishira Ritu (winter). During this season, the environment remains cold, along with cold wind. The predominant Rasa and Mahabhuta during this season are Tikta (bitter) and Akasha, respectively. The strength of the person becomes less, deposition of the Kapha Dosha occurs and Agni (catabolism) remains in a higher state.

Diet regimen: Foods having Amla (sour) as the predominant taste are preferred. Cereals and pulses, wheat/

gram flour products, new rice, corn, and others, are advised. Ginger, garlic, Haritaki (fruits of Terminalia chebula), Pippali (fruits of Piper longum), sugarcane products, and milk and milk products are to be included in the diet.

Foods having Katu (pungent), Tikta (bitter), Kashaya (astringent) predominant Rasa are to be avoided. Laghu (light) and Shita (cold) foods are advised to be prohibited.

Lifestyle: Massage with oil/powder/paste, bathing with lukewarm water, exposure to sunlight, wearing warm clothes are mentioned to follow.

Vata aggravating lifestyle like exposure to cold wind, excessive walking, sleep at late night, are to be avoided.

Vasanta (spring)

General condition: The approximate time is from mid-March to mid-May. This season is considered as season of flowering and origin of new leaves. Predominant Rasa and Mahabhuta during this season are Kashaya (astringent), and Prithvi and Vayu, respectively. Strength of the person remains in medium degree, vitiation of Kapha Dosha occurs and Agni remains in Manda state.

Diet regimen: One should take easily digestible foods. Among cereals, old barley, wheat, rice, and others are preferred. Among pulses, lentil, Mugda, and others, can be taken. Food items tasting Tikta (bitter), Katu (pungent), and Kashaya (astringent) are to be taken. Besides those, honey is to be included in the diet. Meats like that of Shahsa (rabbit), which are easy to digest can be taken.

Foods which are hard to digest are to be avoided. Those which are Sheeta (cold), Snigdha (viscous), Guru (heavy), Amla (sour), Madhura (sweet) are not preferred. New grains, curd, cold drinks, and so on, are also to be prohibited.

Lifestyle: One should use warm water for bathing purpose, may do exercise during Vasant Ritu. Udvartana (massage) with powder of Chandana (Santalum album), Kesara (Crocus sativus), Agar, and others, Kavala (gargle), Dhooma (smoking), Anjana (collyrium), and evacuative measures, such as Vamana and Nasya are advised. Day-sleep is strictly contraindicated during this season.

Grishma (summer)

General condition: Mid-May to mid-July (approximately) is considered as Grishma (summer) season. Environment is prevalent with intense heat and unhealthy wind. The river-bodies dried and the plants appear lifeless.

The predominant Rasa is Katu (pungent) and Mahabhuta are Agni and Vayu. The strength of the person become less, deposition of Vata Dosha occurs, but the vitiated Kapha Dosha is pacified during this season. Agni of the person will remain in mild state.

Diet regimen: Foods which are light to digest—those having Madhura (sweet), Snigdha (unctuous), Sheeta (cold), and Drava (liquid) Guna, such as rice, lentil, etc, are to be taken. Drinking plenty of water and other liquids, such as cold water, buttermilk, fruit juices, meat soups, mango juice, churned curd with pepper, is to be practiced. At bedtime milk with sugar candy is to be taken.

Lavana and food with Katu (pungent) and Amla (sour) taste and Ushna (warm) foods are to be avoided.

Lifestyle: Staying in cool places, applying sandal wood and other aromatic pastes over the body, adorning with flowers, wearing light dresses and sleeping at day time are helpful. During night one can enjoy the cooled moonrays with breeze. Excessive exercise or hardwork is to be avoided; too much sexual indulgence and alcoholic preparations are prohibited.

Varsha (monsoon)

General condition: Mid-July to mid-September (approximately) is considered as Varsha Ritu. During this season the sky is covered by clouds and rains occur without thunderstorm. The ponds, rivers, etc., are filled with water. The predominant Rasa and Mahabhuta during this season are Amla (sour), and Prithvi and Agni, respectively. The strength of the person again becomes less, vitiation of Vata Dosha and deposition of Pitta Dosha, Agni also gets vitiated.

Diet regimen: Foods having Amla (sour) and Lavana (salty) taste and of Sneha (unctuous) qualities are to be taken. Among cereals, old barley, rice, wheat, etc., are advised. Besides meat soup, Yusha (soup), etc. are to be included in the diet. It is mentioned that one should take medicated water or boiled water.

Intake of river water, churned preparations having more water, excessive liquid and wine are to be avoided. The foods, which are heavy and hard to digest, like meat, etc., are prohibited.

Lifestyle: Use of boiled water for bath and rubbing the body with oil properly after bath is advised. Medicated Basti (enema) is prescribed as an evacuative measure to expel vitiated Doshas.

Getting wet in rain, day-sleep, exercise, hard work, sexual indulgence, wind, staying at river-bank, etc., are to be prohibited.

Sharat (autumn)

General condition: The period between mid-September to mid-November is Sharat Ritu (autumn). During this time the Sun becomes bright, the sky remains clear and sometimes with white cloud, and the earth is covered with wet mud. The predominant Rasa is Lavana (salty) and predominant Mahabhutas are Apa and Agni. The strength of the person remains medium, pacification of vitiated Vata Dosha and vitiation of Pitta Dosha occur, and activity of Agni increases during this season.

Diet regimen: Foods are having Madhura (sweet) and Tikta (bitter) taste, and of Laghu (light to digest) and cold properties are advised. Foods having the properties to pacify vitiated Pitta are advised. Wheat, green gram, sugar candy, honey, Patola (Trichosanthes dioica), flesh of animals of dry land (Jangala Mamsa) are to be included in the diet.

Hot, bitter, sweet, and astringent foods are to be avoided. The food items, such as fat, oils, meat of aquatic animals, curds, etc., are also to be not included in the diet during this season.

Lifestyle: Habit of eating food, only when there is a feeling of hunger is recommended. One should take water purified by the rays of sun in day time and rays of moon at night time for drinking, bathing, etc. It is advised to wear flower garlands, and to apply paste of Chandana (Santalum album) on the body. It is said that moon rays in the first 3 h of night is conducive for health. Medical procedures, such as Virechana (purgings), Rakta-Mokshana (blood letting), etc, should be done during this season.

Day-sleep, excessive eating, excessive exposure to sunlight, etc., are to be avoided.

Hemanta (late autumn)

General condition: Mid-November to mid-January is considered as Hemanta (late autumn) Ritu. Blow of cold winds starts and chillness is felt. Predominant Rasa during this season is Madhura and the predominant Mahabhutas are Prithivi and Apa. The strength of a person remains on highest grade and vitiated Pitta Dosha gets pacified. Activity of Agni is increased.

Diet regimen: One should use unctuous, sweet, sour, and salty foods. Among cereals and pulses, new rice, flour preparations, green gram, Masha, etc., are mentioned to be used. Various meats, fats, milk and milk products, sugarcane products, Shidhu (fermented preparations), Tila (sesame), and so on, are also to be included in the diet.

Vata aggravating foods, such as Laghu (light), cold, and dry foods are to be avoided. Intake of cold drinks is also contraindicated.

Lifestyle: Exercise, body and head massage, use of warm water, Atapa-sevana (sunbath), application of Agarū on body, heavy clothing, sexual indulgence with one partner, residing in warm places is recommended.

Objectives of the Study:

1. To produce the scenario of the various modern life styles.
2. To study the various physical and mental diseases associated with the modern life.
3. To suggest the various effective ways that can help the modern man return to Nature and Ayurveda.
4. To discuss the need of Prakritik Dincharya in the context of modern life.

Review of Related Literature

Dr Durgawati Devi etc.¹ (2011), in their jointly written research paper entitled **Principle of Dincharya (Ideal Lifestyle) in Current Scenario**, observe that Time is an important and unavoidable factor accepted in causation of diseases. It is responsible for the various changes which results in manifestation of diseases. Harmful effects of time can be neutralized by following the specially designed activities known as charya according to various time fractions. Dincharya has been described in the context of day and it destroys the harmful effects of time at primary level as well as it slow down the irreversible changes. Dincharya is need of current era as various diseases are emerging very rapidly both communicable and non-communicable. Even

some are only preventable.

Jayesh Thakkar etc.⁴ (2011), in **Ritucharya: Answer to the lifestyle disorders**, discuss that there is an increased occurrence of flu, dry skin in winter, heat stroke in summer, pollen allergy in spring, high incidence of air and water borne diseases in rainy season, and skin diseases in autumn. Thus it can be said that physiology vindicates the concept of Ritucharya. Studies have even revealed the increased incidence of Asthma attack in winter season. There is also a reference of Seasonal Affective Disorder in modern science.

Hypothesis:

1. Chemistry is applicable to Ayurveda and Ayurvedic medicines
2. Prakritik Dincharya is the best routine for man
3. The modern man is blind to Nature and Ayurveda due to his over indulgence in materialistic culture
4. Yoga is helpful in bringing man closer to the Prakritik Dincharya
5. Prakritik Dincharya is helpful in keeping man away from tensions, depression, frustration etc.
6. All the ayurvedic medicines have a chemical approach

Methodology: The study is a qualitative research. Based on mainly the secondary data collected from the various traditional and modern sources, it has much to reveal the evils of the modern life and positive side of the Prakritik Dincharya which may serve as a panacea to all the diseases associated with the modern life. For the study, all the major steps suggested and required for the legitimate qualitative research, such as, selection of the appropriate title, study and review of the related literature, use and application of personal sense of observation, collection of secondary data from the various research papers available on the different internet sites, interpretation of the data, and drawing conclusion etc.

Conclusion: Herbo-mineral formulations of Ayurveda contain specified metals or minerals as composition, which have their beneficial effects on biological systems. These metals or minerals are transformed into non-toxic forms through meticulous procedures explained in Ayurveda. Though literature is available on quality aspects of such herbo-mineral formulations; contemporary science is raising concerns at regular intervals on such formulations. Thus, it becomes mandate to develop quality profiles of all formulations that contain metals or minerals in their composition. Considering this, it is planned to evaluate analytical profile of Vasantakusumākara Rasa.

Ayurveda has recognized the importance of Vyayama (physical activity) at least two thousand years ago. Ayurveda mentions the effect of physical activity in maintenance of health while also recognizing its ill-effects when performed inadequately and also excessively. Ayurveda has advised that a moderate level of physical activity be incorporated in daily routine to maintain health. Ayurveda considers multiple factors while prescribing the physical activity such as Prakriti (psychosomatic constitution), age, sex, diet of a person,

Ritu (season), type and stage of disease, and other concurrent therapeutic procedures.

It is point of interest to note that the recent scientific evidences based on physical activity research, too are consistent with the classical descriptions regarding the effects of Vyayama on body and mind. Studies have reported that contracting skeletal muscles act as endocrine organs” and release myokines and Irisin which perform multiple anti-inflammatory functions, which in turn, reduce the risk of developing various inflammatory and metabolic diseases.

Vyayama helps in maintaining the balance between three Dosha (i.e., Vata, Pitta and Kapha), stimulates Agni (~ digestive and metabolic strength), enhances Oja (~ mental and physical capacity to resist diseases) and helps in maintenance of homeostasis in general. The genetic variations with respect to individual responses to exercise have also been reported which may be relevant in the context of Prakriti. The present paper is aimed at discussing

and exploring the complex mechanisms of various aspects of Vyayama as conceived in Ayurveda in view of reported scientific evidences.

The physico chemical analysis reveals that VKR prepared by following classical guidelines is very effective in converting the macro elements into therapeutically effective medicines in micro form. Well prepared herbo-mineral drugs offer many advantages over plant medicines due to their longer shelf life, lesser doses, easy storing facilities, better palatability etc. The inferences and the standards laid down in this study certainly can be utilized as baseline data of standardization and QC.

References:-

1. Dr Durgawati Devi etc.-Principle of Dincharya (Ideal Life-style) in Current Scenario, International Journal of Ayurvedic and Herbal Medicine 1:2 (2011)40:45
2. Jayesh Thakkar etc. Ritucharya: Answer to the lifestyle disorders, Ayu. 2011 Oct-Dec; 32(4): 466–471.

Micropropagation of Gerbera (*Gerbera jamesonii*) for Commercial Application

Rajendra Singh*

Abstract - Although conventionally propagated by seed, the cultivated gerberas are extremely heterozygous and their seedlings are not uniform. Vegetative propagation is possible through divisions. Morphologically the division is simply a 1-2 cm high structure, composed of a cluster of 2 to 3 visible leaves attached to a small quantity of stem tissue. Therefore, micropropagation can be a good technique for rapid multiplication in a shorter time.

Kunisaki (1977) reported that the contaminating agents residing within the plant cause serious problem to get the aseptic cultures of most of the tropical ornamental plants at establishment stage. Looking into these problems, the work was done to standardize suitable concentration of plant bioregulators and number of subculture for maximum multiplication of divisions required for propagation at commercial scale of *Gerbera jamesonii*.


Keywords: *Gerbera jamesonii*, micro propagation, divisions.

Materials And Methods: The initial shoot-tip explants were obtained from greenhouse plants. The plants were first separated into divisions. Each division was stripped of all leaves and reduced to a bud piece measuring 0.5 to 1.0 cm in size. After surface sterilization, these explants were placed on MS medium using different concentrations of plant bioregulators for multiplication of divisions. Different concentrations of IAA were tried for induction of rooting. The effect of subculture on multiplication of divisions was worked out using 10 mg l⁻¹ kinetin + 0.5 mg l⁻¹ IAA in the medium. The rooted divisions were transferred to a mixture of soil, sand and FYM (1:1:1) in pots.

explant in the initial stage maximum number of divisions per vessel at 30 days (6.33) and 60 days (12.67) were recorded with 10.0 and 0.5 mg l⁻¹ kinetin and IAA, respectively. The number of divisions per vessel was the lowest where kinetin and IAA were not incorporated in the medium (Table 1). Mariska et al. (1989) recorded the highest number of shoots from a lateral bud (4.9) with kinetin at 5 mg l⁻¹ + IAA 0.5 mg l⁻¹.

The number of divisions increased as the basal clump was successfully sub-cultured on fresh multiplication medium, reaching a maximum of 6.33, 10.33 and 12.67 divisions per vessel at 30 days, 45 days and 60 days respectively and after that there was no increase in divisions. A 6-fold increase of divisions resulted after 30 days and, 12-fold increase was obtained after 60 days (Fig.1). Although not apparent with the data, the cultures after 45 days showed tissue deterioration resulting into loss of vigour. They were not suitable for further subculture. The desirable length of subculture period was somewhere between 30 to 60 days. Thus to obtain maximum efficiency of gerbera multiplication, three subcultures (45 days period) were found optimum for production of healthy divisions. Murashige et al. (1974) recommended 4 week passage period for gerbera multiplication.

The maximum number of primary roots (4.33) was recorded with 0.5 mg l⁻¹ IAA followed by 1.0 mg l⁻¹ IAA and no primary roots were observed in IAA free medium. (Table 2). Mariska et al. (1989) reported the best rooting of gerbera shoots with IAA at 0.1 mg l⁻¹. The rooted divisions were transferred to a mixture of soil, sand and FYM (1:1:1) in pots. These plants are being used for cut flower production at commercial scale.



Results And Discussion: After establishment of the

*Department of Horticulture, Government College, Uniara, Tonk (Raj.) INDIA




Table 1 : Effect of plant bioregulators (Kinetin + IAA) on multiplication of divisions in *Gerbera jamesonii*

Treatment Kinetin + IAA mg/L	Average No. of divisions per vessel	
	30 days	60 days
0.0 + 0.0	1.00	1.00
2.5 + 0.5	3.33	6.33
5.0 + 0.5	4.33	8.00
7.5 + 0.5	5.0	8.33
10.0 + 0.5	6.33	12.67
12.5 + 0.5	5.67	8.67
15.0 + 0.5	5.33	8.00
SEM ±	0.356	0.454
CD at 5%	1.081	1.378

Table 2 : Effect of plant bioregulators (IAA) on root induction in *Gerbera jamesonii*

Treatment (IAA, mg/L)	Number of primary roots/vessel
0.0	0.00
0.1	2.0
0.2	2.33
0.5	4.33
1.0	3.33
1.5	2.33
2.0	1.33
2.5	2.67
SEM ±	0.289
CD at 5%	0.865

References:-

1. Kunisaki, J.T. 1977. Tissue culture of tropical ornamental plants. *Hortscience* 12 : 141-142.
2. Mariska, I., E.Gati and D. Sukmadjaja.1989. In vitro clonal propagation of gerbera (*Gerbera jamesonii* Bolus). Buletin Penelitian- Hortikultuza, 17:4,34-43 (c.f. *Hort. Abst.* 1991 061-02937).
3. Murashige, T., M. Serpe and J.B. Jones. 1974. Clonal multiplication of Gerbera through tissue culture. *Hortscience* 9(3): 175-180.

Relevance of Gandhis Views on Sustainable Development

Dr. Premlata Vikal *

Abstract - Sustainable development is the economic development that is conducted without depletion of natural resources. Today, population and industrialization are increasing at the alarming rate. With increasing population the pressure on the environment has also been increased in order to fulfill the needs of everyone. This leads to over exploitation of natural resources resulting in degradation of the environment. Its consequences are also visible today in the form of scarcity of water, polluted air and depletion of natural resources. The earth itself has been treated simultaneously as a factory, pleasure park, garbage dump, larder, market place and war zone. It is self-evident that we, as a species cannot continue as we are doing because our lives are widely dependent on natural resources. **Therefore, in today's perspective Gandhi's way of living is the best example of sustainable development. Mahatma Gandhi said that Earth provides enough to satisfy everyman's need but not any man's greed.** If there is balance between usage of resources and availability of resources than lives of people and integrity of planet could be managed well. The root cause for degradation of environment is increasing population which can be controlled through education and awareness. The concept of "Use and Throw" should be replaced with "Reduce, Recycle and Reuse". Present generation should fulfil their need without compromising the need of future generation. In the name of development, we are exploiting our natural resources without giving a single thought. It is necessary to understand the difference between development and sustainable development. All the components of the Earth are interdependent. If any of the components is eliminated then it will disturb the whole ecosystem. Therefore, for sustainable development, Earth's natural resources must be conserved and enhanced by using renewable resources such as solar and wind energy and by recycling and reuse of wastes. Our small efforts towards conservation of nature can minimize the pressure on earth. It is our moral and ethical duty for other living beings and the future generations.

Keywords- Sustainable development, Natural resources, Conservation, Population, Renewable energy.

Introduction - Sustainable development is simple and effective. The idea that the future should be better and healthier place than the present is not new but, the way it is understood, reflected upon, cultivated and implemented is innovative (Blewitt, 2008). In simple words, sustainable development means to fulfil the present needs without compromising the needs of future. According to Pearce *et al.* (1989), sustainable development refers to non-declining natural wealth and the maintenance of a constant stock of (natural) capital. Economic development is an essential process of progress for comfort, raising living standards, improving education and health for people. There is an inverse relationship between the human productive activity and the natural environment, biosphere and services the ecosystem provides. If the human productive economy grows too big then the biosphere will be unable to support it, and the development is literally unsustainable. Sustainable development requires increase in both the adaptive capacity and opportunities for improvement of economic, social and ecological systems (Gunderson and Holling, 2001).

It is our thinking that nature is for human being and

can be used to any extent and any way. We don't think about our responsibility for nature and future generations. We are exploiting natural resources especially non-renewable resources without any control in the name of development. Of course, we are developing in the field of science and technology to increase our comfort but, at the cost of nature. Such type of development is inappropriate as we are not thinking about the survival of our future generations. Progress is human nature. Why have we developed nuclear weapons, for saving nature or humankind? Advancement of science and technology cannot check natural calamities, cannot give renewable and non-renewable resources then why are we destroying the nature. Development and environment are interlinked. If development tries to dominate the environment then NATURE shows its own reaction in the form of natural calamities which science and technology cannot check (Gupta, 2015). Our ways of doing business of producing goods and services, have used the earth's resources as if they were inexhaustible. We knew about climate change for many years but refused to acknowledge that we were

mainly responsible for it.

Environmental sustainability is the most burning issue with which everyone of us are familiar. Munasinghe (1992) proposed the term sustainomics to describe “a transdisciplinary, integrative, comprehensive, balanced, heuristic and practical meta- framework for making development more sustainable”. This approach seeks to synthesize a science of sustainable development, which integrates knowledge from both the sustainability and development domains. Munasinghe (1994) described sustainable development as a process for improving the range of opportunities that will enable individual human being and communities to achieve their aspirations and full potential over a sustained period of time, while maintaining the resilience of economic, social and environmental systems. Economic, social and environmental systems, all the three domains are interconnected. The economy focuses on human welfare and the social domain emphasizes the enrichment of human relationship whereas, environmental domain is for protection and conservation of ecosystems.

Before 1960, there were no efforts made in the direction of conservation and sustenance of the environment. In 1970, an attention was drawn towards environmental degradation and was decided to observe 5th June as Earth Day. After that many efforts have been made at international level for environmental sustainability. In 1983, the UN General Assembly realized that there was a heavy deterioration of the human environment and natural resources. Then World Commission for Environment and Development started working on environment. In 1987, the report titled “Our Common Future” was published by Brundtland Commission which states the limits imposed by present technology and social organizations and the ability of the biosphere to absorb the affects of human activities on environmental resources. It gave the definition for the sustainable development for the first time. In 1992, The Earth Summit at Rio de Janeiro took place in which various agreements were produced. An agreement on the Climate Change Convention was made which led to the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Another agreement was not to carry out any activities on the lands of indigenous people that would cause environmental degradation. Aim of Agenda 21 was to achieve global sustainable development. In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development was also held in Rio, in which following issues were discussed-

- i. Systematic scrutiny of patterns of production- especially the production of toxic components such as lead and radioactive wastes.
- ii. Use of alternative source of energy to replace fossil fuels.
- iii. New reliance on public transportation systems in order to reduce vehicle emissions, congestion in cities and

- iv. the health problems caused by polluted air and smoke.
 - iv. The growing usage and limited supply of water.
- The threat of global climate change poses an unprecedented challenge to humanity.

Everyone is after wealth creation and accumulation. Globalisation is driving unsustainable growth, trade, investment and debt while accelerating the depletion of natural resources and filling waste sinks. The way forward is to create a new global economy operating within the Earth’s ecological limits. In Hind Swaraj, Gandhi wrote that relentless quest for material goods and services and civilization driven by endless multiplication of wants is ‘Satanic’. He talked about the dangers of unplanned and reckless industrialization. The growth-oriented theory must be replaced by theories of sustainable development which lead to harmonious co-existence of man and the ecosystem.

Conclusion: There is need to change our attitude so as to make this earth a living place for all. We have to follow the Gandhi’s concept of containment of wants. Greed can only lead to destruction of nature. If we continue exploiting the earth, one day the resources will vanish and will not be available for our future generations. Our lifestyle should be changed and use the resources only to fulfill our requirement not to greed. Development is necessary for any country or man but it should be in a sustainable manner. For this we have to start it with ourselves. Our every small step towards conservation of the earth and its resources will be a great help for the survival of the future generations.

References:-

1. Pearce et al. (1989). Blueprint for a green Economy. Earthscan Publications, London, UK, 192pp.
2. Munasinghe, M. 1992. Environmental Economics and Sustainable Development, Paper presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro, Brazil and reproduced as Environment Paper No. 3, World Bank, Wash. DC, USA.
3. Munasinghe, M. (1994). Sustainomics: A Transdisciplinary Framework for Sustainable Development, Keynote Paper, Proc. 50th Anniversary Sessions of the Sri Lanka Assoc. for the Adv. Of Science (SLAAS), Colombo, Sri Lanka.
4. Gunderson, L. and Holling, C. S. 2001. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press, New York, NY, USA.
5. Blewitt John, 2008. Understanding Sustainable Development. Earthscan Publishers, London, EC1N8XA, UK, pp.279.
6. Prabhat S. V. 2009. Gandhi Today, Serials Publications, New Delhi.
7. Gupta Indu, 2015. Sustainable Development: Gandhi Approach. OIDA International Journal of Sustainable Development. 08:07 (27-32).
8. Mahatma Gandhi, 1938. Hind Swaraj, Navjivan Publishing House.

The Sociology of Family in India: Tradition, Transformation and Contemporary Dynamics

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract -This research paper explores the sociology of family in India, analyzing the traditional structures and roles within Indian families, the transformative processes occurring over time, and the contemporary dynamics shaping familial relationships in the country. By examining the historical and cultural contexts, as well as the sociopolitical and economic factors influencing Indian society, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the complex nature of family dynamics in India.

Introduction - Background and Significance of the Sociology of Family in India: India, with its rich cultural heritage and diverse social fabric, offers a unique context for studying the sociology of family. Family is considered the cornerstone of Indian society, and its significance extends beyond personal relationships to encompass social, economic, and religious dimensions. Understanding the intricacies of Indian family structures and dynamics is crucial for comprehending the broader social fabric and the challenges faced by individuals within these systems.

Research Objectives and Scope: The primary objective of this research paper is to examine the sociology of family in India, focusing on the traditional structures, transformative processes, and contemporary dynamics. The paper aims to analyze the historical, cultural, and sociopolitical contexts that shape Indian families and understand how these contexts have evolved over time. Furthermore, the paper seeks to explore the socioeconomic factors influencing family dynamics and the implications of changing family structures for individuals and society.

The Indian family system has been deeply rooted in tradition and has historically emphasized the collective over the individual. Traditional family structures in India typically revolve around the joint family system, where multiple generations, including grandparents, parents, and children, live together under one roof. The joint family serves as a social unit and is governed by hierarchical relationships and interdependent roles.

Arranged marriages have been a dominant practice in Indian families, where the union of two individuals is primarily arranged by their families based on caste, class, religion, and other social considerations. These marriages often serve as alliances between families, reinforcing social bonds and maintaining social order. Moreover, kinship systems play a vital role in Indian families, with strong ties and obligations towards extended family members.

Patriarchy has historically influenced Indian family dynamics, with clearly defined gender roles and hierarchical power structures. Men traditionally hold authority and decision-making powers, while women are expected to prioritize their roles as wives, mothers, and homemakers. However, there have been gradual shifts in gender roles, driven by factors such as education, urbanization, and economic opportunities.

Religion and caste have also played significant roles in shaping Indian families. Different religious communities have their own customs, rituals, and family norms that impact familial relationships. Similarly, the caste system, although officially abolished, continues to influence marriage patterns, social status, and familial expectations.

Understanding the traditional family structures provides a foundation for exploring the transformative processes that have occurred over time. Urbanization and industrialization have brought significant changes to family dynamics, as rural-to-urban migration has led to the rise of nuclear families. This shift has resulted in changes in roles, responsibilities, and decision-making within families.

Changing attitudes towards marriage and family formation have also influenced family dynamics in India. While arranged marriages remain prevalent, there is an increasing trend towards love marriages and greater emphasis on individual choice. The education and employment opportunities for women have expanded, challenging traditional gender roles and providing avenues for greater autonomy and independence.

These transformative processes are accompanied by inter-generational shifts in values and expectations. Younger generations often have different aspirations and desires compared to their elders, leading to inter-generational conflicts and negotiation of traditional and modern values within the family unit.

Traditional Family Structures in India:

Historical context of Indian families: Indian families have a rich historical legacy deeply rooted in cultural, social, and religious traditions. Throughout history, the joint family system has been prevalent, where multiple generations live together under one roof and share resources. Joint families are characterized by strong bonds between family members, with the eldest male member serving as the patriarch and exercising authority over decision-making.

Arranged marriages and kinship systems: Arranged marriages have long been a prominent feature of Indian society. These marriages are typically facilitated by family members or matchmakers, who consider factors such as caste, religion, social status, and horoscopes in selecting suitable partners. Arranged marriages are seen as a way to maintain social harmony and preserve family values.

Kinship systems play a crucial role in Indian families, with relationships extending beyond the nuclear family to include a wide network of relatives. The concept of "extended family" is significant, encompassing grandparents, uncles, aunts, cousins, and in-laws. Kinship ties often shape social roles, obligations, and expectations within the family unit.

Patriarchy and gender roles within families: Indian families have traditionally been patriarchal, with men occupying positions of authority and power. The gender division of labor is pronounced, with men primarily responsible for providing financial support, while women are assigned domestic and caregiving duties. Women have historically been expected to prioritize the needs of the family over their individual aspirations.

Influence of religion and caste on family structure: Religion and caste have a profound impact on family structures in India. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, and other religious communities each have their own traditions and practices related to family life. Caste, a social hierarchy system prevalent in India, influences marriage choices, social interactions, and familial expectations. Inter-caste marriages have been traditionally discouraged due to concerns related to preserving caste purity.

Religious and caste-based rituals and customs play significant roles in family events such as weddings, births, and funerals, reinforcing cultural practices and strengthening social bonds.

Understanding the historical context, arranged marriage practices, kinship systems, patriarchal norms, and the influence of religion and caste provides insights into the traditional family structures in India. However, it is important to recognize that these structures are not static and have undergone significant transformations in recent times.

Transformative Processes:

Impact of Urbanization and Industrialization on Family Dynamics: Urbanization and industrialization have led to significant changes in family structures and roles. As people migrate from rural to urban areas in search of employment opportunities, there is a shift from joint families to nuclear

families. The traditional extended family system, where multiple generations lived together under one roof, is gradually giving way to smaller, independent family units. Industrialization has also impacted gender roles within families. As more women enter the workforce, traditional gender divisions of labor are being challenged. Women are increasingly contributing to the family income and seeking greater autonomy and decision-making power within the household.

Changing Attitudes towards Marriage and Family Formation: Attitudes towards marriage and family formation have witnessed significant changes in recent years. Younger generations are increasingly prioritizing individual choice and compatibility in their decision to marry, rather than solely relying on parental arrangements. Love marriages, where individuals choose their partners based on personal preferences, are becoming more common, especially in urban areas.

Additionally, there is a growing trend of delayed marriage as individuals pursue higher education, establish careers, and focus on personal development. This shift in marriage patterns has implications for family structures and the dynamics of intergenerational relationships.

Education and Employment Opportunities for Women: Access to education and employment opportunities for women has had a transformative impact on family dynamics. Increased education empowers women to challenge traditional gender norms and aspire for careers and financial independence. Educated women often have more say in household decision-making processes and are more likely to negotiate their roles within the family.

Economic empowerment through employment enables women to contribute to the family's financial well-being and gain greater agency in decision-making. This shift is gradually redefining gender roles and challenging traditional patriarchal structures within families.

Inter-generational Shifts in Values and Expectations: With increased exposure to globalization, media, and Western values, there is an inter-generational shift in values and expectations within Indian families. Younger generations often embrace more individualistic and egalitarian ideals, seeking personal fulfillment and self-expression in their relationships.

This shift can lead to tensions and conflicts between generations, as older family members may hold onto traditional values and expectations, while younger members strive for greater independence and autonomy. Negotiating these generational differences becomes a crucial aspect of family dynamics in contemporary Indian society.

By exploring these transformative processes, we can better understand the evolving nature of family dynamics in India and the factors contributing to these changes. This knowledge can inform policies and interventions that promote gender equality, support women's empowerment, and address the challenges and opportunities arising from shifting family structures.

Contemporary Dynamics of Indian Families:

Nuclear families and the decline of joint families: In recent decades, there has been a notable shift from joint family structures to nuclear families in India. Joint families, characterized by multiple generations living together under one roof, were once the dominant form of family structure. However, urbanization, industrialization, and increased mobility have led to the decline of joint families. Factors such as education, employment opportunities, and the desire for privacy and independence have contributed to the preference for nuclear families. This shift has significant implications for kinship patterns, intergenerational relationships, and the distribution of resources within families.

Changing roles of men and women in families: Traditionally, Indian families have been patriarchal, with clear gender roles and expectations. However, societal changes and increasing women's empowerment have led to shifts in gender dynamics within families. Women are now pursuing education, participating in the workforce, and challenging traditional gender norms. This transformation has resulted in changing roles for men as well, as they navigate evolving expectations and responsibilities within the family unit. These changing dynamics often generate tensions, conflicts, but also opportunities for renegotiating power dynamics and promoting gender equality within families.

Interplay between tradition and modernity: Indian families are often caught in a complex interplay between traditional values and modern influences. While traditional values and cultural practices continue to hold importance, especially in rural areas and conservative communities, the forces of modernity, globalization, and Western cultural influences have brought about significant changes. This interplay is particularly evident in areas such as marriage, relationships, and parenting styles, where individuals and families must navigate between preserving traditions and embracing new societal norms.

Emerging concepts of love, choice, and individuality in relationships: Historically, Indian marriages were predominantly arranged, with limited emphasis on romantic love or personal choice. However, there has been a noticeable shift towards individual choice and romantic love as important considerations in marriage and relationship formation. Younger generations are increasingly seeking partners based on compatibility, shared values, and personal preferences, challenging the traditional notion of arranged marriages. This shift has implications for familial relationships, as individual desires and aspirations become significant factors in shaping family dynamics.

Socioeconomic Factors and Family Dynamics:

Poverty, inequality, and their impact on family life: Poverty and economic inequality are significant factors that influence family dynamics in India. Families living in poverty often face immense challenges in providing for their basic needs, which can lead to stress, strained relationships, and

increased vulnerability to various social issues. Economic constraints can also limit access to education, healthcare, and other essential resources, affecting the overall well-being of family members. In such circumstances, families may prioritize survival and economic stability over other aspects of family life, potentially impacting their relationships and decision-making processes.

Migration and its effects on familial relationships: Migration, both within India and internationally, has become increasingly common due to factors such as employment opportunities, economic disparities, and social mobility. The migration of family members can have profound effects on familial relationships. The separation of family members due to migration often results in long-distance relationships and limited face-to-face interactions, affecting emotional bonds and support systems within families. Migration can also lead to the formation of transnational families, where individuals live in different countries, creating unique challenges in maintaining family ties and cultural traditions.

Globalization and the influence of Western values: India's integration into the global economy and exposure to Western culture through media, technology, and communication has contributed to the adoption of new values and norms within families. Globalization has brought about changes in attitudes towards relationships, gender roles, and individualism, challenging traditional family structures and dynamics. The influence of Western values, such as individual autonomy and personal choice, can lead to intergenerational conflicts and a clash between traditional and modern values within families.

Technology and its impact on communication patterns within families: Advancements in technology, particularly the widespread use of smartphones and social media, have transformed communication patterns within Indian families. While technology offers new avenues for staying connected, it also presents challenges. Excessive reliance on digital communication can lead to reduced face-to-face interactions and diminished quality time spent together. Moreover, the rapid dissemination of information and exposure to diverse perspectives through online platforms can sometimes disrupt traditional family values and increase generational gaps.

Conclusion: In this research paper, we have explored the sociology of family in India, focusing on the traditional structures, transformative processes, and contemporary dynamics that shape familial relationships in the country. The findings highlight the complexity and diversity of Indian families, influenced by historical, cultural, sociopolitical, and economic factors. The traditional family structures in India were characterized by arranged marriages, kinship systems, patriarchy, and the influence of religion and caste. These structures provided a strong sense of community, but also imposed restrictions on individual autonomy, particularly for women. However, over time, transformative processes such as urbanization, industrialization, and changing societal values have led to shifts in family

dynamics. Contemporary Indian families are witnessing a transition from joint families to nuclear families, with changing roles for men and women. Women's education and employment opportunities have expanded, empowering them to challenge traditional gender roles and expectations. This shift towards individuality, choice, and the pursuit of personal happiness has contributed to the redefinition of relationships within families. Socioeconomic factors play a crucial role in shaping family dynamics in India. Poverty, inequality, and migration can lead to strained familial relationships and breakdowns. Globalization has also influenced Indian society, bringing in Western values and transforming the traditional notions of family. Additionally, technology has revolutionized communication patterns within families, both facilitating and challenging familial bonds. The implications of this research paper are crucial for policymakers and researchers. Government initiatives and legislation should address family issues, prioritize gender equality, and promote women's empowerment. Understanding the changing family structures is essential for designing social support systems that meet the evolving needs of Indian families. Furthermore, further research is needed to explore emerging trends and examine the long-

term effects of societal transformations on family dynamics. In conclusion, the sociology of family in India is a multifaceted and evolving field of study. By recognizing and understanding the complexities of family dynamics, policymakers, researchers, and society at large can work towards creating an inclusive and supportive environment that values gender equality, individual autonomy, and the overall well-being of Indian families.

References:-

1. Mayank Pradhan (2011). Changing family structure of India. Research J. Humanities and Social Sciences. 2(2): April-June, 2011, 40-43.
2. Tulasi Patel (2005). The Family in India: Structure and Practice. New Delhi: Sage, 2005, 310 pp., ISBN 0761933891.
3. Reeta Sonawat (2001). Understanding Families in India: A Reflection of Societal Changes. Mai-Ago 2001, Vol. 17 n. 2, pp. 177-186.
4. Sumangla, P. R., & Hasalkar, S. (1999). Values of college youth towards marriage. Journal of Avinashlingam Deemed University, 9, 162-167.
5. Shah A.M. (1998). The Family in India: Critical Essays. Hyderabad: Orient Longman.

ऋग्वैदिक कालीन संस्था : विदथ

डॉ. सोमेश कुमार सिंह*

प्रस्तावना – ऋग्वेद भारत में समाज व राष्ट्र की अवधारणा पैदा हो चुकी थी ऋग्वैदिक भारत में समाज का एक वर्ग अपने सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा था वही समाज का बौद्धिक वर्ग घोर आरण्य को में रहकर समाज राष्ट्रहित की कामना कर रहा था वैसे ऋग्वेद शुद्ध रूप से धार्मिक ग्रंथ है इसमें इतिहास ढूँढना उचित नहीं है परंतु विद्वानों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर ऋग्वेद में उल्लेखित कतिपय शब्दों को अपने अर्थ देने की कोशिश की है ऐसे इतिहासकारों ने इस पवित्र ग्रंथ को अपने ही नजरिए से देखा है उनका नजरिया एक पक्षीय है तथा काल्पनिक है। ऋग्वेद कालीन भारत का समाज परिपक्व नजर आता है तथा उसने अपने सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक जीवन को प्रकृति के साथ समायोजित करके ढाल लिया था इसी क्रम में उन्होंने परिवार से विश्व विश्व से जन का निर्माण कर लिया था परिवार या कुलों में से ही पराक्रम व नेतृत्व के गुणों से परिपक्व धार्मिक व्यक्ति उनका राजन होता था। वैदिक साहित्य से अनेक प्राचीन जनपद और राज्यों की सत्ता का पता चलता है। वैदिक राजनीतिक जीवन मात्र राजा पर आधारित नहीं था। राजा सर्वाधिकार युक्त नहीं था। राजपद को बचाए रखने के लिए उसे अपनी जनता को साथ लेकर चलना होता था। जनता के राजा विरोधी होने पर किसी भी राजा का अपने पद पर बने रहना असंभव होता था, इसी कारण राजा हमेशा अपनी जनता को अपने साथ रखने का प्रयास करता था तथा जन कल्याणकारी कार्य ही करता था ऐसी स्थिति में प्रजा सर्वोच्च थी। वह राजा का निर्माण करती थी। प्रजा के विरोधी होने पर राजा अपने पद पर नहीं रह सकता था राजा ने अपने राजनीतिक कर्तव्य के पालन के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया था। इन संस्थाओं की सलाह के बिना राजा अपने राज्य का शासन नहीं कर सकता था।

ऋग्वैदिक कालीन इन्हीं संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था विदथ थी।

विदथ नामक संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार अथर्ववेद में 22 बार बाजस्नेही संहिता में 10 बार, ब्राह्मण ग्रंथों में 21 बार तथा आरण्यकों में 21 बार हुआ है स्पष्ट तत्कालीन भारत के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण संस्था थी उसके स्वरूप प्रकृति व कार्यों के बारे में विद्वानों ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं।

ऋग्वेद युग में विदथ महत्वपूर्ण संस्था थी, यह बात इस कारण कही जा सकती है कि ऋग्वेद में सभा समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख कम तथा विदथ का उल्लेख अधिक प्राप्त हुआ है। वैदिक साहित्य विदथ के उल्लेख से भरा पड़ा है। स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में विदथ संस्था महत्वपूर्ण थी अलग-अलग विद्वानों ने विदथ नामक संस्था को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन सभी विद्वानों ने इसका कोई एक अर्थ मानकर

सभी स्थानों पर उसी अर्थ को लागू किया है।¹

रौथ ने विदथ के तीन अर्थ बताए हैं। उनके अनुसार प्रथम अर्थव्यवस्था अथवा आदेश है। द्वितीय अर्थ वह निकाय है जो आदेश जारी करें तथा तीसरा अर्थ वह सभा है जो लौकिक लोग धार्मिक या युद्ध के उद्देश्य के लिए बनी हो।

व्हीटनी अथर्ववेद की एक ऋचा² के आधार पर विदथ का अर्थ काउंसिल से लेते हैं। जिमर का विचार है कि संभवतः विदथ समिति का ही कोई रूप होगा।³ मेक्डानल व कीप जिमर के विचारों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि आर्यों के प्रारंभिक जीवन से कहीं ऐसा नहीं लगता जिसके आधार पर हम विदथ को लघु काउंसिल कह सकें। ग्लैण्डर⁴ में विदथ का प्रारंभिक अर्थ धार्मिक ज्ञान अर्थ से लिया है। ब्लूमफील्ड के अनुसार विदथ एक सदन था जिसमें कि यज्ञ किए जाते थे।⁵ लुडविग इन विचारों से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार विदथ का सम्बन्ध ब्राह्मणों से था।⁶ काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने ग्रंथ हिंदू उलटी में इस बारे में काफी लिखा है वह पश्चिमी विचारों से सहमत नहीं है उनका कहना है कि सभा और समिति ही वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं थी बल्कि विदथ भी महत्वपूर्ण थी उनका मानना है कि विदथ के माध्यम से धार्मिक जीवन संचालित होता था। उनका कहना है कि यह जनता की जनसभा थी उसी से सभा समिति का उदय हुआ था।⁷

जायसवाल विदथ को महत्वपूर्ण मानते हुए सभा समिति का भी उदय उसी में मानते हैं। प्रोफेसर में घोषाल विदथ संबंधी विभिन्न विद्वानों के विचारों की आलोचना की है परंतु वे भी विदथ के बारे में निष्कर्ष निकालने के असमर्थ रहे हैं। उनका कथन है कि वैदिक विदथ के निश्चित लक्षणों को देना कठिन है।⁸ डॉ. सेलेटोर ने भी विदथ के संबंध में विद्वानों के विचारों की आलोचना की है। परंतु निष्कर्ष देने में भी असफल रहे हैं। उन्होंने घोषाल के विचारों को ही अपना समर्थन दिया है। डॉ. वी.पी. ऋग्वेद की एक के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि विदथ सभा की ही सहायक संस्था थी।⁹ काणे भी विदथ को परिभाषित करने में सफल रहे हैं। प्रोफेसर अनंत सदाशिव अल्टेकर के अनुसार विदथ विद से निकला है जिसका अर्थ संभवतः विद्वानों की सभा से है। उनके अनुसार शासन व्यवस्था के संबंध में इसका प्रयोग शायद ही किया गया हो। अल्टेकर इस संस्था को अधिक महत्व नहीं देते।¹⁰

इतिहासकार डॉ. राम शरण शर्मा के ऊपर काफी लिखते हैं। उनका कहना है कि वैदिक सभा और समिति के ऊपर तो काफी लिखा जा चुका है परंतु विदथ के अध्ययन की ओर काफी कम ध्यान दिया गया है। उनके अनुसार यह अति प्राचीन संस्था थी।¹¹ इसका महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि ऋग्वेद से यह संस्था सभा समिति से अधिक बार उल्लेखित हुई है रामशरण शर्मा ने काशी प्रसाद जायसवाल के विचारों की आलोचना की है

* व्याख्याता (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

जिसमें विद्वध को धर्मोत्तर और धार्मिक तथा सैनिक प्रयोजन को पूरा करने वाली संस्था बताया था।¹² तथा उसी से सभा समिति व सेना का उद्भव बताया था। उनका कहना है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिसके द्वारा विद्वध को सभा समिति का संस्थापक सिद्ध किया जा सके। उनका मानना है कि विद्वध में प्राचीन जनसभा के चित्र विद्वध थे। विद्युत की तुलना प्राचीन जनजातीय समूह से करते हैं विशेष रूप से प्राचीन जनजातीय धार्मिक समूह से वे विद्वध की तुलना रोमन कॉमिटिया से करते हैं किंतु हमारे विचार से वैदिक विद्वध ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण संस्था थी उनकी तुलना रोमन राजनीतिक संस्था से नहीं की जा सकती। रोमन कॉमिटिया से पूरी तरह राजनीतिक संस्था थी। वैदिक मंत्र रचियता राजनीतिक से अधिक नैतिकता वपर बल देते थे कॉमिटिया आध्यात्म्य में रोमन पुजारी वर्ग का चुनाव किया जाता था तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई की जाती थी परंतु विद्वध में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वध वैदिक काल के समाज की अपनी निजी संस्था थी जिसकी की समकालीन या परिवर्ती किसी भी अन्य संस्था से तुलना नहीं की जा सकती।

ऋग्वैदिक विद्वध में हमें स्त्रियों की उपस्थिति नजर आती है। वैदिक समिति में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें स्त्रियों की उपस्थिति सिद्ध की जा सके सभा में केवल एक बार स्त्रियों का उल्लेख आता है।¹³ परिवर्ती साहित्य में सभा समिति में स्त्रियों की भूमिका नजर नहीं आती लेकिन ऋग्वैदिक विद्वध में स्त्रियों न केवल सम्मिलित होती थी बल्कि वाद विवादों में भी सम्मिलित होती थी। घोषा नामक विदुषी विद्वध में सम्मिलित हुए हुई थी।¹⁴ एक अन्य ऋचा में कहा गया है कि वधू केवल ग्रहणी बनकर ही न रहे बल्कि नियंत्रण में रहकर विद्वध के समक्ष भी बोलें।¹⁵ उस से आशा की जाती थी कि वह समय आने पर विद्वध में बोलें। एक अन्य स्थल पर युवा वर्ग द्वारा विद्वध के कल्याण शक्तिशाली कुमारी यों को विद्वध में स्थापित किए जाने का वर्णन है।¹⁶ स्पष्ट है कि विद्वध का स्वरूप सभा व समिति की उपेक्षा विस्तृत था। विद्वध में जितना पुरुषों का अधिकार था उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी था। रामशरण शर्मा विद्वध का अर्थ पारिवारिक सभा से भी लेते हैं। उनका मानना है कि विद्वध वह स्थान है जहां स्त्री - पुरुष संयुक्त रूप से अपनी समस्याओं पर विचार करते थे।¹⁷ अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि विद्वध में लोग आपस में विचार विमर्श भी किया करते थे।¹⁸ ग्रह स्वामी मृत्यु से छुटकारे की प्रार्थना किया करता था ताकि वह लंबे समय तक जीवित रहकर विद्वध में बोल सके।¹⁹ किसी भी उदाहरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि विद्वध नियम भी बनाती थी जबकि सभा समिति के लिए यह नहीं कहा जाता जा सकता।

विद्वध के बारे में आई कम से कम 24 ऋचाओं में विद्वध के सैनिक संस्था स्वरूप का भी पता चलता है। चूंकि विद्वध का प्रत्येक सदस्य जन का भी सदस्य होता था अतः वहां सामरिक महत्व की भी विचार चर्चा का की जाती थी। कुछ ऋचा में वीर्य वानों के पराक्रम की भी चर्चा की गई है।²⁰ विद्वध में अग्नि की विजय ने शक्ति का भी बखान किया जाता था।²¹ विभिन्न देवताओं के आह्वान के समय विद्वध को वीरों से भरा बतलाया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित 21 ऋचा ऐसी भी मिलती हैं जिनमें वीर पुत्रों से संपन्न होकर विद्वध में जोर से बोलने की बात कही गई है। कुछ ऋचाओं में पुत्र के लिए सुवीर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें विद्वध के सैनिक स्वरूप की पुष्टि होती है। संभवत विद्वध के माध्यम से तत्कालीन वैदिक समाज अपने देवताओं से अपने शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना व उनके विरुद्ध व्यूह रचना भी करता होगा।

ऋग्वेद काल में यज्ञ सामूहिक भी होते थे यद्यपि यज्ञ नितांत निजी मामला रहता होगा किंतु बहुत से अवसरों पर यज्ञ सामूहिक रूप से भी किये जाते थे। विद्वध स्थल पर उपस्थित लोग सामूहिक रूप से देवी देवताओं की उपासना किया करते थे।²³ विद्वध ने उपासना सामूहिक हुआ करती थी तथा देवताओं से आशीर्वाद संपूर्ण समुदाय के लिए मांगा जाता था। यज्ञ में देवताओं का आह्वान सामूहिक रूप से किया जाता था।²⁴ हमें किसी भी ऋचा में व्यक्तिगत कामना का उल्लेख नहीं मिलता जो कि यह बताने के लिए पर्याप्त है कि विद्वध में सामूहिक प्रार्थना व आशीर्वाद ही मांगा जाता था वहां व्यक्ति के स्थान पर संपूर्ण समाज के हित की कामनाएं की जाती थी ऋग्वेद में अनेकों स्थान पर यजमान का प्रयोग बहुवचन से हुआ है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक अनुष्ठानों में एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते थे। एक ऋचा में सरस्वती से अनुरोध किया जा रहा है कि वह कर्ताओं की भोजन वह धान दें।²⁵

स्पष्ट है विद्वध वैदिक काल की महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में इसका अत्यधिक महत्व था परंतु अथर्ववेद काल तक आते-आते इसका सामाजिक स्वरूप कमजोर होता गया है व धार्मिक स्वरूप अधिक नजर आने लगा। अथर्ववेद में देवता उसके संरक्षक थे।²⁶ अथर्ववेद की एक अन्य ऋचा में विद्वध को स्वर्ग प्राप्ति का साधन माना गया है और अग्नि को उसके क्षेत्र पुरोहित का काम करता दिखा दिखाया गया है।²⁷ ऋग्वेद युग में विद्वध का प्रधान कार्य धार्मिक व कुछ लौकिक था। राजनीतिक में इनका व्यवधान कम प्रतीत होता है। इसमें स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। यह वह स्थल था जहां मंत्र दृष्टा समुदाय अपने स्वर्णिम भविष्य व समृद्धि के लिए युद्ध में विजय की कामना के लिए अपने देवताओं का सामूहिक रूप से आह्वान करता था। अपनी विजय हेतु देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता था। यह वह संस्था थी जिसमें संपूर्ण समाज के कल्याण महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन किया जाता था। ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते-आते विद्वध का मूल स्वरूप गौण होता चला गया। महाकाव्य काल तक आते-आते इसका स्वरूप हमें विलुप्त दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चक्रवती हरिपद, पौलिटिकल एण्ड लीगल इन्सट्यूशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, 1981, पृष्ठ 146
2. अथर्ववेद, 1.13.4
3. झिम्मर, आल्टिन शेलबन, बर्लिन 1979, पृष्ठ 117
4. ग्लैण्डर वैदिशे स्टूडियन, 1 स्टोरगाई 1897 पृष्ठ 147
5. ब्लूमफील्ड जनरल ऑफ अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी 21, पृष्ठ 12-25
6. लुडविग- ट्रासलेशन ऑफ ऋग्वेद 3, पृष्ठ 259
7. काशी प्रसाद जायसवाल, हिन्दू पॉलिटि, अध्याय 3, बंगलोर 1943, पृष्ठ 20
8. यू.एन. घोषाल, स्टडी इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, कलकत्ता 1965 पृष्ठ 351-62
9. काणे वी.पी. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भाग -3 पूना 1930 पृष्ठ 92
10. अल्लेकर, सदाशिवा, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, इलाहाबाद 1977 पृष्ठ 97
11. राय शरण शर्मा, प्राचीन भारतीय विचार एवं संस्थाएं अनु. सुशील कर दिल्ली, 1977, पृष्ठ 80
12. राय शरण शर्मा, प्राचीन भारतीय विचार एवं संस्थाएं अनु. सुशील कर

- दिल्ली, 1977, पृष्ठ 81
13. ऋग्वेद 1.167.3
 14. ऋग्वेद 1.163.3
 15. अथर्ववेद 16.1.20 / ऋग्वेद 10.85.26
 16. ऋग्वेद 1.167.6
 17. रामशरण शर्मा, वही 82
 18. अथर्ववेद 13.3.24
 19. अथर्ववेद 12.02.30, 7.1.6
 20. ऋग्वेद 6.8.1
 21. ऋग्वेद 2.1.16
 22. ऋग्वेद 2.1.16, 1.117.25
 23. ऋग्वेद, 3.1.18, 14.1, 1.153.3
 24. ऋग्वेद 1.186.1
 25. निरुक्त 9.3
 26. अथर्ववेद 7.73.4
 27. अथर्ववेद 15.3.1

Mysticism and Sufism in Urdu Literature

Dr. Arshad Siraj*

Abstract - The din of Islam is for everyone on earth. However, Sufism (Tasawwuf) is not for everyone. The esoteric (mystical) sciences are not for everyone. It was never meant to be for everyone. With Sufism, comes a very particular and heavy job and responsibility for Allâh. Sufis are not taught mysteries just to show off or boost ego, with knowledge comes a responsibility.

Sufism works like a dedicated player who all the time gets lost in his game and who all the time keeps his eye on the targeted aim. One can become a Sufi when one is meant to be a Sufi. When one is meant to do it, Sufism will feel as natural as breathing. When one is not meant to do it, one just won't get it.

Those who are meant to be Sufis, their spirituality is evident at a very early age. It's like they are born with a weak relation to this physical world. This is the core of Islam on a much deeper level, to submit and accept the will of Allâh. This includes being in line with my destiny. Sufism is not taught through reading various books. Sufism is taught from mouth-to-mouth, from Teacher to Student.

The study explores the various aspects of Sufism in Urdu literature, brings forth the element of mysticism in Urdu literature. The findings reveal that the Urdu literature, in particular promotes Sufism through plays, novels, songs, and poems.

Keywords-Literature, Sufism, Mysticism, Spiritualism, Natural breathing.

Introduction - Mysticism is the doctrine of the Sufi saints and writer's methodology. Therefore, there is a link between literature and mysticism which helps to resolve the problems of life. Thoughts and teachings of Sufi saints and literature as source of expression of these thoughts can be uniformly viewed as becoming a subject of literature. Thought of Sufi extracts written with reference of Sufism become a source to promote the formation of peace and mutual understanding. The purpose of this exercise is to create ease for human beings by making love the base of life and to build such a world where there is no existence of racism, hatred and malice. This concept became a subject of writing for Urdu poets. Subject of my dialogue is to transpire the message of peace and respect for humanity in Urdu Ghazal by way of concepts of Sufi writings. Even a poet declares this passion to be a cure of individual and collective restlessness and discloses the need and significance of this in his poetry. This is the concept where Rumi and Iqbal became accordant of one another, the elements of this voice can be heard in the work of Bahu, Bulle shah and Bhagat Kabir.

Sufism: Views of the Muslims: There are different views among Muslims regarding Sufism.

1. Some appreciate Sufism for its mysticism and poetry (Rumi is an example).
2. Some say it's an illegitimate form of Islam that should be abolished (especially because of its references to

erotic love and intoxication).

3. Some feel it represents their country/culture and like to promote it (Qawwali singer Nusrat Fateh Ali Khan and his son are examples).
4. Some value it for its historical or scholarly aspects because many Sufi orders trace their lineage all the way back to Prophet Muhammad (the Naqshbandi order being one of the most famous).

Most Sufi poetry is written in Arabic or Farsi, and apparently Khomeini was an admirer. There are some parallels between Sufi mysticism and Buddhist spirituality, both of which appeal to the people. For instance, the Sufi concept of "fanaa" or annihilation of the ego is very similar to the Buddhist concept of nirvana or sunyata (emptiness). Also, the meditative practice of "zikr" is very similar to many Buddhist chanting practices. Both use prayer beads as a form of meditation, as well. In my view, Sufism represents the true spiritual essence of Islam, devoid of more mundane elements like jurisprudence and Shariah law. It focuses on contemplative practices designed to bring us closer to our Divine Source.

Brief Description of a Sufi: To put it in a nut-shell, a Sufi as Ghazali defines it is a Muslim who adheres to Sharia (the laws and rituals) in order to find a place in Tareeqa (the mystical community of believers) where in turn he seeks in communion to get in contact with or dissolve in Haqeeqat (the Divine Reality).

Being a true Sufi is an endless journey to unite with the ultimate reality through self-purification and engaging in intense meditative techniques. Unfortunately in reality however there are many populist Sufi schools today, most of which have become dogmatic, extremely superstitious and corrupt. So much so, that being associated with a Sufi order is even considered a shame for most progressive people.

With all their problems and weaknesses however, Sufis seem to have struck some chord of harmony with nature and its reality. If looked at without the pollution that time has brought upon them Sufis are just introvert monotheists in love with the universal message of their first Pir i.e. Prophet Muhammad and his successors Ali, Hassan and Hussain, Salman, Wais, Hasan Basri and the long line of devotees ranging from the rational Ghazali to the loving Rumi, the ice breaker Ibn Arabi to the Iranic Suhrawardi and the Indic Shah Waliullah Dehlawi.

Books on Sufism

1. Sufism-The Soul of Islam
2. The Mohammadan Reality
3. The Perfect Spiritual Guide
4. The Divine Reality of Ism-e-Allah Zaat
5. Purification of Innerself in Sufism
6. The Prophetic Way of Purgation of Innerself
7. Celebration of Mawlid al-Nabi
8. Imam Hussain and Yazid (Sufi perspective)
9. The Spiritual Guides of Sarwari Qadri Order
10. The Spiritual Reality of Hajj
11. The Spiritual Reality of Prayer
12. The Spiritual Reality of Fast
13. The Spiritual Reality of Zakat
14. The Eye of Mystics (Ain-ul-Arifeen)
15. The Divine Soul (Risala Roohi Sharif)
16. The Master of the Worlds (Ameer-ul-Kaunain)
17. The Treasure of Religion (Ganj-e-Deen)
18. The Treasure of Secrets (Ganj-ul-Asrar)
19. The Key to Divine Oneness (Kaleed-ul-Tauheed Kalan)
20. Revelation of Divine Secrets (Kashf-ul-Asrar)
21. The Strength of Fakirs (Mohkim-ul-Fuqara)
22. The Eye of Sufism (Ain-ul-Faqr)
23. Closeness to Divine Vision (Qurb-e-Deedar)
24. The Sun for Mystics (Shams-ul-Arifeen)
25. The Sultan who converses with God (Sultan ul Waham)
26. Seeker of Allah (Talmeez-ur-Rehman)
27. The Light of Divine Guidance - Detailed (Nur-ul-Huda Kalan)
28. The Light of Divine Guidance - Abridged (Nur-ul-Huda Khurd)

Books by Shaikh Abdul Qadir Jilani, Rumi, al-Ghazali, Ibn Arabi, Ali ibn Usman al-Hajveri, Junayd Baghdadi, Mansur al-Hallaj etc. A modern translation of Al-Ghazali's book *Ihya Ulum al-Din* (The Revival of the Religious Sciences) is done by Anthony F. Shaker). Some famous English writers and translators are: William C. Chittick, Titus Burckhardt, Martin Lings.

Objectives of the Study: To explore and reflect the element of Sufism and mysticism in Urdu literature.

Related Literature & Its Review

'Sufism is often regarded as standing mystically aloof from its wider cultural settings. By turning this perspective on its head, Indian Sufism since the Seventeenth Century reveals the politics and poetry of Indian Sufism through the study of Islamic sainthood in the midst of a cosmopolitan Indian society comprising migrants, soldiers, litterateurs and princes. Placing the mystical traditions of Indian Islam within their cultural contexts, the study focuses on the shrines of four Sufi saints in the neglected Deccan region and their changing roles under the rule of the Mughals, the Nizams of Haydarabad and, after 1947, the Indian nation. Of particular interest is the book's focus on religion in princely Haydarabad, examining the vibrant intellectual and cultural history of this independent state. However, close attention is also paid to the effects of British colonialism on Sufi individuals and institutions in India. Against these settings, the place of Sufis and their followers in the Indo-Persian and Urdu literary traditions is analysed, showing a popular religious tradition supported by a literature no less than an architecture of sainthood. In this way, an overview of the main developments of devotional Islam in South Asia over the past three centuries is presented from a regional perspective'.

'Sufism is a textual world composed of several overlapping genres of writing, arguing that the crucial interface between different kinds of writing, the world and the individual Muslim presents a major challenge for the study of Sufism. There is a co-existence of the embodied realities of powerful Sufi practitioners of South Asia's past and present with the alternative textual reality of the literary world of Sufi writings from the region. There are various Sufi traditions of South Asia that have been explored through some emerging research angles on the problematic convergences between texts, territories and the transcendent elements in Sufism in four major sections.²

'Vernacularization of Islam is the process through which the message and teachings of Islam adjusted and adapted in local regional environments outside Arabia. The universal principles of Islam were vernacularized in specific time and space, and contextualized or localized forms and expressions of Muslim piety emerged in these regions. The credit of vernacularization of Islam and Sufism in South Asia particularly goes to the Sufis who challenged the Arabo-Persian linguistic hegemony by producing religious literature in vernacular languages and dialects, as a vast majority of the Sufis depended less on Arabic and Persian for the popularization of the Sufi message. They employed the medium of vernacular poetry to disseminate the message of Sufism among the common people. They contributed to the development of various scripts as well as new or existing literary genres such as *siharfis*, *kafis*, *Prem-kahani* or „Sufi Romances, and *ginsans*, in order to popularize the teachings of Sufism in South Asia³.

'A musical assembly of the Chishti order, ma%fil-i samâ'iz or majlis-i samâ'iz, provides a platform for the religiously motivated quest for divine reality and closeness with God. Several writers, scholars and Sufis alike, have chosen to belittle the importance of music in this quest and attribute to it mere instrumental value. Nevertheless, the participants are hardly immune to the aesthetic pleasure created by a combination of fine music and well-selected poems. In the context of ma%fil-i samâ'iz, the science of music (ilm-i mûsîqî) is the domain of the qawwals, professional performers of mystical music, whereas the knowledge of Sufi tenets is prevalent among the listeners. A certain amount of acquaintance with Sufi thought and practice is required from the qawwals as well so as to successfully cater for the needs of the listeners. The listeners, by contrast, may well be ignorant of the finer points of musical theory yet still benefit from the performance of the qawwals. Pervasive familiarity with poetry, however, characterizes both the performers and listeners. For the former it is a component of their artistic skills and for the latter a medium of expressing and experiencing the divine truth they conceive to lie beyond the logical use of language.⁴

'Tasawwuf (Sufism) in Islamic tradition has for centuries been a source of inner peace, solace and spiritual awakening and enlightenment for millions of human beings, as also a matter of debate among scholars and intellectuals. Those who take it intuitively do not at all need to discuss it intellectually, but scholars, who may not be necessarily involved in it and look at it from outside, have always felt a need to discuss and make sense of it in terms of analytical intellect. This is, of course, not to belittle the value and importance of the intellectual and scholarly labour exerted to deal with the questions related to the external manifestations of tasawwuf as it appears through time and history.

The most important question about tasawwuf that scholars have consistently been debating relates to its origin, and also its nature. One sees clear and deep division among scholars on this question. On one side of the line are scholars who marshal arguments to establish that much in the Tasawwuf in Islamic tradition can be traced to the sources external to core Islamic doctrine. In so doing, they refer to many Sufi beliefs and practices that have nothing Islamic about them, but are overshadowed by the beliefs and practices contained in the vedantic thought of Hinduism and Buddhist as also Christian mystic traditions. Scholars, on the other side of the divide, are equally armed with evidences from original Islamic sources to prove that Islamic Tasawwuf is intrinsically and essentially Islamic, having firm roots in the Quran and the Hadith. They stress that, from the very beginning of Islamic history there have been those who emphasized on the esoteric side of the religion along with strictly following the doctrine externally.

Many western scholars of Islam, the orientalisers as they are more popularly known have studied the origin and evolution of Islamic tasawwuf and most of them trace the

shaping of the sufistic tradition in Islam to external sources. William Jones, A.J. Arberry, R. A. Nicholson, G.E. Von Grunebaum, Margare Smith, William Graham, Sir John Malcolm Duncan Black MacDonald, Louis Massignon, Richard Hartman, Fan Krammer Goldzeiger, John P. Brown are the most prominent among the western scholars who have contributed to researches on Islamic Sufism.

But the vast body of classical research on the evolution of Islamic Sufism in Arabic and Persian Language, contributed by classical Muslim scholars emphasizes the essentially Islamic. Abdurrahman Sulami, Abdullah Ansari, Abu Nasr Sarraj, Abu Bakr Kalabazi, Abdurrahman Jami, Shamsuddin Zahabi, Ibnul Mad, Shekh Ali Hujwairi among others, point out that tasawwuf is intrinsically based on the Quran and sunnah of the Prophet, and its origin can be traced to the Prophet himself.¹⁵

Hypothesis:

1. All the literatures of the world are full of the element of mysticism.
2. Urdu literature dominates in the element of mysticism and Sufism.

Methodology: The study of mysticism and Sufism in Urdu literature was made keeping in view the spirit of scientific method and the process of social science research which involves certain set and prescribed steps of research. For the purpose of making this study, all the steps of research were acted upon that finally led to the conclusion. The secondary data collected from the previously made studies on the theme, helped the author to develop the theme and to arrive at conclusion.

Conclusion: If humans saw all religions literally, in just the material aspect, all of them would be different and totally contrary to one another. Because all religions are ultimately chained to the particular people who follow it - their culture, their geography, the time of each scriptural verse etc. As a result, it carries with it, deliberately or incidentally, connotations of culture, nationalism, race, hatred for non-believers, government system, and so on. And many people are unable to accept these differences between various religions, because of this material outlook.

But religion was not aimed to be so. For understanding science, you have science. Similarly, you have economics, law studies etc. for the corresponding knowledge. Then, what is the relevance of religion? Or, what should be the relevance of religion? That is where the spirituality comes into place. Through spirituality, you feel the oneness of spirit in all creations, in yourself and around. Through spiritual outlook, we can make the religion relevant. Relevant for what it should be. Religion without spirituality cannot teach peace, love or brotherhood, because all these qualities ultimately come from the heightened sense of empathy, which is a quality of a spiritual mind.

Humans, in their short span of life, can make their living place heaven or hell. They really have all the power to do so. In this span of life, if they fail to realize the oneness of spirit beyond the diversities, and if they choose to fall for

emotions which will end up in destruction of themselves - isn't that a suicide? Thus, religions are not the problem. But outlook towards them should change. Here is where spiritual outlook finds its relevance. If religions are supposed to understand divinity and be closer to divine spirit, then they have to be spiritual. Or at least embody spiritual values. Else, they will be just demonstrations of tribalism, barbarism, nationalism etc.

In short a person who meticulously refrains from all worldly affairs and devotes his time to observe all the details without neglect. First things always first you cannot go to do your masters without first going to the grade school at least the 10th grade which even an unlearned person can easily pick up and understand. However one goes, the basics are the same, be close to the masjid, attend all five "prayers" with regularity, embellish with the sunnath, and further decorate it with nafl, spend time reading Quran and the Hadith with a master/teacher, then under supervision learn how to think, put yourself in a situation and see and ask questions gain more knowledge, from where springs the next step of awrad and azkar. That is litany and remembrance, and as you proceed you will find out the nature of each zikr. With what it's benefits are. When is the best time to do what. But only with slow small and regular steps, Rasulallahsallallahu alaihi wasallam says do a little regularly, don't do ton on one day and then leave it, this is a tough course and to stay the distance, a whole lifetime, it

requires a lot of determination and development of endurance. Which only comes the hard way, there's no easy way. This is exactly what Islam is, a whole lifetimes course. Your 5 times develops discipline, your saum or fasting develops will power your charity and zakat develops generosity, which when the time comes will make it easier to let go of all worldly possessions. Do your Haj, which will take away any attachments to your hearth and home and prepare you to live a life on the move without any fixed shelter.

References:-

1. Nile Green (Editor-Ian Richard Netton)- Indian Sufism Since Seventeenth Century, Routledge Sufi Series, 2006
2. Nile Green-Emerging Approaches to the Sufi Traditions of South Asia: Between Texts, Territories and the Transcendent, Volume 24, Issue 2, 2004
3. TanvirAnjum- Vernacularization of Islam and Sufism in South Asia:A Study of the Production of Sufi Literature in Local Languages, Journal of the Research Society of Pakistan, Vol. 54, No. 1,
4. MikkoViitamäki-Where lovers prostrate: Poetry in the musical assemblies of Chishti Sufis, 2009
5. AkhtarulWasey & Farhatehsas-Sufism and Indian Mysticism, Published by Readworthy Publications Pvt. Ltd., 2011

Revolutionizing Medical Diagnosis: The Impact of Computer-Based Decision Support Systems

Dr. Sachin S Agrawal* Dr. Shrikant L Satarkar** Prof. Rachna S Jaiswal***

Abstract - Medical diagnosis is an art of determining a patient's pathological status from an available set of findings. The diagnosis involves consideration of several levels of uncertainty and imprecision. Fuzzy logic is a way to model and deal with uncertainty. A Fuzzy expert system is an expert system that uses a collection of membership function and rules to reason about data. The combination of fuzzy logic and expert system increases the performance of the system by enhancing when dealing with the fuzzy data. This paper introduces various types of pathologies and the need of efficient computer based system for the analysis of pathological data. The paper also explains motivation for the development of fuzzy expert system for the pathological investigations and diagnosis of the hepatobiliary system followed by aims and objectives of the proposed research.

Keywords: Fuzzy expert system, Medical diagnosis.

Introduction - With tremendous improvement in medical knowledge systems, determination of useful knowledge from the available knowledge is challenging task, especially because the conventional manual data analysis techniques are no more effective in the disease diagnosis. Hence development of modern, effective and efficient computer based systems for decision support is the need of time. Statistical, machine learning, expert system and data abstraction are some of data analysis techniques used by the researchers. There is a critical need in employing computerized technologies to assist in diagnosis and access the related information. Computer assisted technology is certainly helpful for inexperienced physicians in making medical diagnosis as well as for experienced physicians in supporting complex decisions.

Modern medicine relies on medical and scientific skills of the pathology laboratory to assist in the investigation and management of a patient's illness. The pathology laboratory must produce accurate and reliable results quickly. Some tests are simple and can be performed rapidly; some tests are complex and can be performed by highly specialized laboratories. Following are the various branches of pathology.

Chemical Pathology : Chemical pathology is the diagnosis and monitoring of disease through the measurement of changes in the chemical composition of blood, urine and other body fluids.

Laboratory test results are used to monitor kidney and

liver function, to measure drug and toxin level in blood and urine, to diagnose diseases such as diabetics and infertility and to access nutritional status. Chemical pathology is the most automated area of modern diagnostic laboratory with emphasis on the accuracy and precision of the results produced [University of Cape Town, 2011].

Hematology : Hematology is the study of morphology of blood cells, the physiology of the blood and the blood forming organs. In this pathology automated instruments are used to examine the cell types. Diagnosis of hematological diseases using blood smears, or through the bone marrow examinations by aspiration biopsy. Study of blood coagulation, measuring the ability of blood to clot or monitoring patients on anticoagulants is another area of study in hematology [News Medical, 2013].

Microbiology : Microbiology is the study of microscopic organisms such as viruses, bacteria, fungi, worms, protozoa and algae. Microbiology is concerned with the examination of body fluid or tissue for organisms or evidence of infectious disease. The microbiology laboratory tests are performed for the isolation and reliable identification of the infectious organism and to identify appropriate treatment to fight the infection. Infectious disease serology uses the presence of antibodies or DNA from the organism in the blood to help diagnose infectious diseases. Microbiologists play a leading role in interpretation of the results and infection control.

Cytopathology : Cytopathology is a specialist discipline

* Assistant Professor (Computer Science and Engineering) College of Engineering and Technology, Akola (Maharashtra) INDIA

** Head (Computer Engineering) College of Engineering and Technology, Akola (Maharashtra) INDIA

*** Assistant Professor (Computer Science and Engineering) College of Engineering and Technology, Akola (Maharashtra) INDIA

that includes diagnostic and screening components. Collection of cellular material using invasive and non invasive techniques to conform or exclude malignancy is done in Cytopathology. The specimens examined include sputum, urine, brushing and washings from various organ systems and fine needle aspirates of palpable lesions [Medicine Net, 2012].

Histopathology : Histopathology deals with the tissue diagnosis of disease. Biopsy material in the form of tissue on which the diagnosis is made is taken from the body organ of the patient to detect and diagnose disease, examine disease progression and to establish the cause of sudden death. Histopathology is essential before major surgery, radiation or treatment [Melanoma, 2013].

All the pathological tests generate enormous amount of interrelated data involving various formats. Tests in pathology involve measurements of quantitative nature. These results have to be analyzed and compared with the medical knowledge to achieve better diagnosis. Conventional methods in such diagnosis process often rely on the pathologist's experience, judgment, expertise and intuition. However due to volume of data and numerous number of possibilities there are more chances of inaccurate diagnosis. The system which can simulate expertise skills like judgment, decision making and interpretation of pathological data is need of the time.

The process of validating and interpreting pathology laboratory data can be greatly assisted by use of expert system. Expert systems are playing an increasingly important role in this area. An expert system is a computer program that simulates the thought process of human expert to solve complex decision problems in a specific domain. An expert system solves different decision problems based on knowledge acquired from expert using facts and heuristics.

Most medical diagnosis is full of uncertainty and imprecision. Fuzzy logic is one of the artificial intelligence techniques which deal with uncertainty and incomplete data. This ability of fuzzy logic makes it the most suitable tool for medical diagnosis. Fuzzy techniques in the form of approximate reasoning provide decision support and powerful reasoning capabilities to the expert systems. The combination of expert system and fuzzy logic increase the performance of the system by enhancing the reasoning when dealing with the fuzzy data.

Motivation: Hepatobiliary diseases are a global health problem. Hepatobiliary diseases are ranked among top ten fatal diseases in the world. Hepatocellular carcinoma or liver cancer remains the third most common cause of cancer related deaths with an estimated 5,00,000 new cases every year. Cases of hepatobiliary diseases are continuously rising due to excessive consumption of alcohol, inhalation of harmful gases, intake of contaminated food and drugs. Hepatobiliary disease may not cause any indications at earlier stage or the symptoms may be vague. Diagnosis of hepatobiliary disease remains a challenging

task at its initial stage. Early diagnosis of hepatobiliary diseases which are leading cause of mortality is therefore highly important. Hepatobiliary disease diagnosis involves numerous variables, uncertain and incomplete data which makes the physician's job difficult. Hence efficient and accurate decision support system to help the physician is need of the time. Motivated by the need of such tool, fuzzy expert system for the pathological investigations and diagnosis of hepatobiliary system which has the potential of combining human heuristics into computer assisted decision making to arrive at a definite conclusion from vague, imprecise and ambiguous medical data have been developed.

Aim and Objectives : Lot of research is going on in the development of medical decision support applications using a variety of modeling techniques for a diverse range of medical decision problems despite this medical decision system application have not received wide acceptance and utilization in healthcare due the following reasons.

A. Decision Accuracy : Much of the expert system research in the medical domain can be characterized as disease oriented diagnosis. Some research work is organ oriented but uses minimum required parameters to diagnose disease. However accurate and acceptable disease diagnosis involves general reasoning approach rather than single deducting approach and needs complete parameters of the organ or related organs in the human body. Very few applications have matched the diagnostic performance of the human expertise.

B. Ease of Use : The interfaces of most of the systems were not user friendly. Training was required. Usability issues limit their use.

C. Justification : If scientific evidence is provided to explain the basis of diagnosis physicians are more likely to use the system. Many systems lack such explanations.

D. Lack of Complete Information : The systems do not provide all types of information the physicians needs. So the use of different tools to seek the information is needed. This research is an attempt to address the issues of decision accuracy, user friendly, reason based diagnosis and integration of complete information. The main aim of this research is to develop proper methodology for the representation and manipulation of the knowledge of experts in a way that simulates the behavior of the expertise regardless of the availability or acceptability of a set of self consistent data so as to make the design more accurate and acceptable dividing into further goals.

1. To provide proper framework for the knowledge representation of the pathological data.
2. Application of more complete and general reasoning approach rather than simple deductive approach for the expert system design to simulate expert physician's behavior to make system more accurate and acceptable.
3. To explore fuzzy approach for knowledge representation and medical diagnosis.

4. To design fuzzy inference engine for the expert system in pathological investigations and diagnosis.

Literature Review

Medical Decision Support Systems in Medical Diagnosis: Use of computer based decision tools to aid clinical decision making has been a primary goal of research in biomedical informatics. Research in last five decade has led to the development of Medical Decision Support (MDS) applications using variety of modeling techniques, for a diverse range of medical decision problems. Following are some of the Medical Decision Support Systems in medical diagnosis based in past few decades.

a) Internist-I: It is one of the first Clinical Decision Support System which assists in diagnosis. Internist-I is developed by People and Myers at the University of Pittsburgh in 1970's. It is developed as an educational experimental computer program capable of making multiple and complex diagnosis in internal medicine. It is a rule based expert system that uses tree structured database which links diseases with the symptoms [Randolph A. Millar et al., 1985].

Patient's initial history, physical examination results and laboratory findings are the inputs to the system which helps the physician with the patient's workup to make complex and multiple diagnosis using its extensive knowledge base and heuristic programs. The important approach to computer assisted diagnosis used by the Internist-I is an appropriate differential diagnosis in individual problem areas. The problem solving algorithm of Internist-I uses two heuristic principals, use of a partitioning algorithm for the formation of problem areas and diagnose conclusion using strategies such as diagnosis by exclusion.

The shortcomings of the Internist-I include programs inability to reason anatomically, shallow handling of explanation and independency of manifestations. In early 80's Internist-I was recognized as the most valuable product and was used as the basis for successor system such as quick medical reference and caduceus [J. D. Myers, 1987].

b) Mycin: Mycin was the first rule based medical expert system to aid doctors in the diagnosis and treatment of meningitis and bacterial infections. It was developed by Shortliffe in mid 1970's at Stanford University. It was the first large expert system which provides users with an explanation of its reasoning and performs at the level of human expert. If-then rules with certainty factors attached to the diagnosis are used to represent knowledge in Mycin. The inference engine of Mycin is simple and uses backward chaining reasoning strategy. It has knowledge base of @ 600 rules when evoked. Mycin initiates dialog with the physician via a long series of simple textual yes/no type of questions. The physician types answers in response to various questions. At the end of the session Mycin provides a diagnosis and drug therapy recommendations. Mycin can handle uncertainty and can reason with incomplete or partial information [Buchanan and Shortliffe, 1984].

Mycin has three subsystems viz. consultation system,

explanation system and rule acquisition system. The strength of Mycin include comprehension and extremely disease detailed knowledge base, ability to consider every possibility and consideration of all alternatives, easy addition and modifications of rules, accurate and quick diagnosis and the ability to provide acceptable solutions or conclusions.

Weakness of Mycin includes conciseness, limitations to diagnose infectious blood diseases and no follow up on previous decisions.

c) Oncocin: Oncocin is a medical expert system written in lisp to assist physicians in the treatment of cancer patients. Work on Oncocin began in 1979 and the system was installed in 1981 for primary use. The Oncocin system has four parts a knowledge base consists of symbolic representations for the oncology protocols of the system, the reasoner part which is inference engine that suggests recommendations for therapy. The reasoner uses forward chaining mechanism for generating inferences, the interviewer is a graphical interface that displays past patients data for review, solicits current patients data and recommends treatment and the database of patients data. Oncocin uses production rules augmented transition networks (ATNS) and frames to represent knowledge [Edward H. Shortliffe et al., 2006].

Oncocin extends on the knowledge of Mycin. The main difference between the two systems is that goal driven reasoning process is used in Mycin where as data driven reasoning process is used in Oncocin. The most important feature of Oncocin is interaction with historical data and visual representation of the knowledge.

d) Pulmonary Function System (PUFF): PUFF expert system written in interlisp can diagnose the presence of lungs disease and its severity. PUFF was developed using Emycin and has domain independent features such as rule interpreter, explanation and knowledge acquisition. This helps in representing knowledge in the form of production rules. The production version of basic PUFF includes 76 clinical parameters and has 400 production rules. The production rules in the PUFF operate on associative (attribute – clinical parameters, object–patient and values given by the patient or Lung test) triples. Question answer session provides the values for the parameters [Open Clinical, 2002]. The control structure is goal directed and uses backward chaining of production rules. Approximately 85% reports generated by PUFF are accepted without modifications. The main advantages of PUFF are

1. Automatic interpretations of pulmonary functions without the need of patient's interaction. The system uses patient's history and measurements taken in laboratory to produce accurate diagnosis.
2. Limited domain specific knowledge make system easy to understand and easy to represent knowledge.
3. User friendly design.

This makes PUFF first artificial intelligence system used in clinical practice [Janice S et al., 1982].

e) QMR-Quick Medical Reference: Quick Medical Reference (QMR) was developed in 1985. QMR was initially written in Turbo Pascal and is developed out of Internist-I. QMR is in-depth information resource design to help physicians to diagnose adult diseases. QMR provides electronic access to more than 750 diseases representing majority of the disorders seen by Internists. The features of diseases in the QMR knowledge base are described using more than 5000 clinical findings which include medical history, signs and symptoms and laboratory test results [J B Lemaire et al., 1999].

Extensive review of medical literature is used for disease profile included in the knowledge base of the system. Inconsistencies and deficiencies found in published reports are resolved through expert consultations. In the year 1986-87 a new intermediate level of QMR was developed to identify the diagnostic implications of number of findings and/or diseases. In 1988 more flexible, window based QMR interface with pull down menus and accelerator keys was developed and display of disease description and findings were provided. In 1989 explore relationships function of QMR was modified to allow only pair-wise relations between findings and the diseases.

This n-fold relationship allowed the user to specify a number of diagnostic conditions or constraints which must be met. In 1990's the case simulation module was added to QMR which allows random selection of disease from the knowledge base. The current version of QMR runs on any MS-DOS, IBM PC and is used in hospitals and office practices [Miller and Masarie, 1990].

f) Isabel: Isabel, created in 2001, is a web based diagnosis decision support system. Isabel has shown enhanced clinician's cognitive skills and improved patient's safety. Isabel covers all major specialties and subspecialties in internal medicine, gynecology and obstetrics, pediatrics, ontology, toxicology and bioterrorism. Isabel is very easy to use and fast. Given the set of clinical features such as symptoms, signs, results of test and investigations system generates instant list of diagnosis. Isabel also has the ability to suggest causative drugs for the clinical features entered.

Isabel has two main components the IDCS and knowledge component. Given the set of clinical features the IDCS provides list of likely diagnosis and causative drugs. Isabel contains over 11000 diagnoses and over 4000 drugs. The knowledge base harnesses medical knowledge related to diagnostic suggestions and drugs. Data entry and data retrieval in Isabel is very quick and easy due to its use of statistical natural language processing [SNLP] software and its ability to handle unstructured data. Isabel addresses the issues of premature closer and common cognitive problems which contribute to the diagnostic errors. The system accuracy with respect to correct diagnosis is 95% [Open Clinical, 2006].

g) LISA : Leukemia Intervention Scheduling and Advice (LISA) is a clinical information and decision support system for collaborative care in childhood acute lymphoblastic

leukemia. The main objective of the design of LISA is dosage decision support in the long treatment for acute lymphoblastic leukemia.

The main software components of LISA are an oracle database to represent comprehensive clinical information on each stage of treatment, support to view and modify information through set of forms, web based user friendly interface to view and enter clinical information during treatment, a formal model of the trial protocol and an associated inference engine to provide decision support on dosing and scheduling during treatment via web interface. Drug dose combination decisions in LISA are based on the current state, current platelet count, absolute neutrophil count, current state of that patient with respect to number of weeks and number of weeks that the patient has tolerated the treatment.

LISA's decision support model was built using proforma decision support technology which is a task based approach and emphasizes the relationships between the clinical procedures and the constraints applicable to different patients in different circumstances. LISA has the potential to increase protocol compliance and decrease doses prescription errors by allowing clinicians to change the protocol in specific cases [Bury J et al., 2005].

h) GIDEON: GIDEON (Global Infections Disease and Epidemiology Network) is a web based program developed by gideononline.com for the decision support and informatics in the field of infectious diseases, tropical diseases, epidemiology, microbiology and antimicrobial chemotherapy. The GIDEON system generates Bayesian ranked differential diagnosis based on signs, symptoms, laboratory tests, incubation period and country of origin. System can be used for diagnostic support and simulation of all infectious diseases worldwide. GIDEON consists of four modules.

1. Diagnosis designed for decision support or disease simulation.
2. Epidemiology consists of text files on country specific status of infectious diseases.
3. Therapy up to date information of anti infective drugs and vaccines and
4. Microbiology designed to identify or contrast bacteria or yeasts.

The data in GIDEON are derived from all peer reviewed journals in the fields of infectious diseases, internal medicine, antimicrobial, pharmacology, pediatrics and clinical microbiology. The database of the system incorporates 327 diseases, 205 countries, 806 bacterial and 185 antibacterial agents. Limitations of GIDEON includes unavailability of tables, maps and photographic material, rigid Bayesian matrix based diagnosis module and no consideration for the variability in the terrain, occupation and difference in rural and urban settings. The accuracy of GIDEON reported for the correct diagnosis including differential diagnosis is 94.7% [Stephen C Edberg, 2005].

i) PERFEX: PERFEX is a rule based expert system for

automatic interpretation of 3D tomograms of myocardial perfusion distribution. PERFEX infers the extent and severity of coronary artery disease and output the condition of the three main arteries. The main aim of the system is to assist in the diagnosis of coronary artery disease. The system has robust knowledge base, temporal reasoning, clinical testing and user interface. PERFEX system incorporates various techniques to accomplish

1. Automatic extraction of features from the 3D images
2. Cast the extracted features in symbolic form for knowledge base processing.
3. Infer anatomical information from physiological information.
4. Reason about derived image information regarding perfusion redistribution.
5. Integration of other types of non-image, patient specific information.
6. Model uncertainty.
7. Diagnose the extent and severity of coronary artery disease to access the condition of the patient.
8. Present the diagnosis in a medically meaningful manner.

PERFEX presents the resulting diagnostic recommendations in visual and textual forms in an interactive frame work. PERFEX is implemented in an object oriented environment that provides the advantages of inheritance of properties and C language coding. The system has undergone number of clinical tests to determine accuracy, reliability, robustness and overall clinical utility. The results of the test indicate that the system is highly consistent and reliable [Garcia E.V. et al., 2001].

j) ATHENA : ATHENA is automated decision support system developed jointly by Stanford University and US department of veteran affairs. ATHENA decision support system encourages blood pressure control by recommending guideline concordant choice of drug therapy in relation to comorbid diseases. ATHENA decision support system has an easily modifiable knowledge base that specifies eligibility criteria, risk stratification, relevant comorbid diseases, blood pressure targets, preferred drugs and clinical messages. ATHENA decision support system allows clinical experts to customize the knowledge base to incorporate new evidence. The system has logical and physical data independence from computerized patient record system so that it can be integrated to various electronic medical record systems [Kerm Henriksen et al., 2008].

ATHENA system focuses on reducing patient's risk in following ways.

1. Identifying patients with comorbidities or concurrent prescriptions that raise risk for overdose and recommended proper dose.
2. Assist doctors in complex pharmacologic calculations to reduce mistakes in medication
3. Identifying patients with mental health problems to reduce the risk of medication abuse and recommends

close monitoring and

4. Provides relevant information to clinicians in an easy to use format. This lead to improvement in the patient's safety and increases in guideline concordant prescribing.

After undergoing an extensive testing Athena system is commissioned in number of clinics in the year 2002.

k) CEMS : CEMS (Computer Evaluation and Monitoring System) is the mental health decision support system developed by the institute of living, Hartford Connecticut, USA.

CEMS supports input clinical functions such as evaluation, diagnosis, treatment and outcome assessment by allowing queries and by monitoring data in the database for adherence to more than 100 practice guidelines. Alert messages are issued when medication orders did not seem consistent with the diagnosis or when abnormalities are pointed out by the test results CEMS communicates with clinicians online or through printed alerts. Clinicians can enter information to resolve alerts. In addition CEMS generates two reports, list of alerts that had not been resolved and other report of list of diagnoses that did not match symptoms as per standard diagnostic criteria. Evaluation of CEMS has been based on Kaplan's framework of control, communication care and content. The central database of the system contains all diagnoses, the diagnostic criteria selected to support each diagnosis, laboratory results, pharmacy data and payment details [Bonnie Kaplan, 2001].

l) Dxpain: Dxpain is a web based clinical decision support system that assists clinicians by generating diagnosis based on a set of clinical findings such as signs, symptoms and laboratory data. Differential diagnosis presented by the system is well supported by the evidence along with the follow up needed to be taken by the clinician to arrive at a definitive diagnosis. The system is designed at the Massachusetts general hospital in the year 1986.

The system uses pseudo probabilistic algorithm to generate differential diagnosis. Each clinical finding is assessed by determining the importance of how strongly the finding supports the given diagnosis for each disease in the knowledge base. This criterion is used to generate the difference in diagnosis. The Dxpain knowledge base includes 2241 diseases and over 4800 findings. The average disease description includes 52 findings. In addition each finding has associated term importance from 1 to 5 indicating importance of the finding [Edward P Hoffer et al., 2005].

In common mode the system allows user to input information about patient's illness and generates list of possible diseases. The list is generated in two separate tables, one of common diseases and other of rare diseases. Analysis of accuracy has shown 73% correct diagnosis. Despite this the use of Dxpain is limited to clinical training due to a lack of support by clinicians.

Conclusion: In conclusion, computer-based decision

support systems are indispensable tools in modern medicine. They address the challenges of vast medical knowledge, improve diagnostic accuracy, and enhance healthcare quality. These systems, exemplified by various successful models, offer valuable assistance to both novice and experienced medical professionals. Their ability to handle complex data and uncertainty, along with their potential for customization and integration, make them essential in the pursuit of better patient outcomes and improved healthcare. These systems empower healthcare professionals by providing efficient, accurate, and personalized assistance in the complex landscape of disease diagnosis and treatment, ultimately leading to improved patient outcomes and healthcare quality.

References:-

1. [University of Cape Town, 2011] University of Cape Town. (2011). Chemical Pathology Lecture Notes [Online]. Available: http://web.uct.ac.za/depts/chempath/pdf/Chemical_Pathology_MBChB_student_lecture_notes.pdf
2. [News Medical, 2013] News Medical. (2013, Nov14). What is Hematology? [Online]. Available: <http://www.news-medical.net/health/What-is-Hematology.aspx>
3. [Medicine Netonhealth, 2013] Medicine Netonhealth. (2013, Sep 9). Cyst [Online]. Available: http://www.onhealth.com/cysts/article.htm#what_is_a_cyst
4. [Melanoma, 2013] Melanoma Institute Australia. (2013). Histopathology [Online]. Available: <http://www.melanoma.org.au/about-melanoma/diagnosis/histopathology.html>
5. [Randolph A. Millar et al., 1985] Randolph A. Millar, Harye Pople, Jr. and Jack D Myers, "Internist –I, An experimental computer based diagnostic consultant for general internal medicine," In Computer – Assistend medical decision making computers and medicine ,1985 , pp. 139-158.
6. [J. D. Myers, 1987] J. D. Myers, "The background of INTERNIST I AND QMR" In Proceeding of ACM Conference on History Medical Informatics, 1987, pp.195-197.
7. [Buchanan and Shortliffe, 1984] Buchanan GB and Shortliffe HE, "Rule-based Expert Systems," In the MYCIN Experiments of the Stanford Heuriatic program project In. ,1984 pp. 2-67
8. [Edward H. Shortliffe et al., 2006] Edward H. Shortliffe, A Carlisle Scott, Miriam B, Bischott, A. Bruce Campbell, William Van Melle, Charlohe D Jacobs, "An Expert System for ONCOLOGY Protocol Management," In Heuristic Programming Project, Departments of Medicine and Computer Science Stanford University, Stanford, California, 2006, pp. 876-881
9. [Janice S et al., 1982] Janice S. Aikins, Johnckunj, Edward H, Shortliffe, Robert J Fallat, "An Expert System for Interpretation of Pulmonary Functional Data" In Departments of medicine and Computer Science Set. ,1982, pp.1-21.
10. [J B Lemaire et al., 1999] J B Lemaire, J P Schaefer, L A Martine, P Faris, M D Ainslie and RDHUL1, "Effectiveness of the Quick Medical Reference as a Diagnostic Tool, "In Canadian Medical Association Journal ,1999 ,pp. 725-730.
11. [Miller and Masarie, 1990] Randolph A. Miller and Fred E. Masarie Jr., "Quick Medical Reference [QMR]: A microcomputer based Diagnostic Decision Support System for General Internal Medicine," In SCAMC, 1990 pp. 986 – 988.
12. [Open Clinical, 2006] Open Clinical. (2006, June 5). Decision Support Systems Isabel [Online]. Available: www.openclinical.org/aisp-isabel.html
13. [Bury J et al., 2005] Bury J, Hurt C, Roy A, Cheesman L, Bradburn M, Cross S, Fox J Sahav, "LISA: A Web based decision support system for trial management of childhood acute lymphoblastic Leukamia," In Brazilian Journal of Haernator, 2005 , pp 746 -754.
14. [Stephen C Edbrg, 2005] Stephen C Edbrg, "Global Infectious diseases and Epidemiology network (GIDEON) A World Wide Web based program for diagnosis and information in infectious diseases," In Clinical Infectious Diseases, vol. 40, 2005, Issue1, pp 123-126.
15. [Garcia E V et al., 2001] Garcia E V, Cook, Folks R D, Santana CA, Krawczynska E G, De Braal, "Diagnostic Performance of an Expert system for the interpretation of myocardial perfusion SPECT Studies," In Journal of Nucl. Medicine, 2001, pp.1185-91.
16. [Kerm Henriksen et al., 2008] Kerm Henriksen, James B Battles, Margaret A Keyes, and Mary L Grady, "Advances in patient Safety: New Directions and Alternative approaches," In Technology A Medication Safety, Vol. 1, 2008.
17. [Bonnie Kaplan, 2001] Bonnie Kaplan, "Evaluating informatics applications-some alternative approaches: Theory Social interactionism, and call for methodological Paralism," In International Journal of Medical Information , 2001, pp. 39 – 56.
18. [Edward P Hoffer et al., 2005] Edward P Hoffer, Mitchell J Feldman, Richard J Kim, Kathleen Famiglietti and Gocto Barnett, "DXplain: Patterns of use of a mature Expert system," In AMIA Annu Symp Prod, 2005,pp. 321 -324 .

निमाड़ क्षेत्र का भू-आकृतिक एवं भौमिकीय अध्ययन

डॉ. पवनेन्द्रनाथ तिवारी*

शोध सारांश - प्रस्तुत आलेख में निमाड़ क्षेत्र के भौतिक भूगोल एवम् भौमिकीय अध्ययन के आधार पर भू-स्वरूप को दर्शाया गया है। भूआकृति की दृष्टि से निमाड़ की पृष्ठ भूमि पूर्णतया असमान है तथा प्रदेश विभिन्न प्रकार की भूआकृतिक भिन्नता लिये हुए है। धरातलीय दृष्टि से प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें प्रथम पर्वतीय, द्वितीय पठारी भाग एवं तृतीय मैदानी भाग।

नर्मदा नदी के तटवर्ती कुछ भागों को छोड़कर सम्पूर्ण निमाड़ प्रदेश में धरातलीय चट्टाने डेक्कन ट्रेप एवं क्षारीय कांप मिट्टी से बनी हैं। प्रदेश में आधुनिक युग की धरातलीय मिट्टी नवीन कांप (एलूवियल) नूतन तथा पुरातन युग की काप लेटेराइट एवम् क्रिटेशियस युग के डेक्कन ट्रेप तथा लमेटा पाये जाते हैं साथ ही बाघ शैल, ग्रेनाइट एवम् नीस चट्टाने भी पूर्वी निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में मिलती हैं।

नर्मदा का यह क्षेत्र एक भ्रंश घाटी में है। बाघ में पाए जाने वाले जीवाश्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि, पुराभौगोलिक-काल में कभी यहां समुद्र रहा होगा।

भौतिक स्वरूप एवं भू-आकृतिक विभाग - निमाड़ क्षेत्र की आकृति देखने से ज्ञात होता है कि, प्रदेश का धरातल पूर्ण रूप से असमान है और उप-प्रदेश में सभी प्रकार के भू-आकार पाये जाते हैं। प्रदेश में स्थित विन्ध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों से तासी एवं नर्मदा नदी घाटियों और इन्हीं से लगे पठारों एवं मैदानों से स्पष्ट हो जाता है कि, प्रदेश भिन्ना लिए हुए है। अतः धरातलीय आधार पर प्रदेश को तीन मुख्य भू-आकृतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है जो क्रमशः 1. पर्वतीय भाग, 2. पठारी भाग एवं 3. मैदानी भाग हैं।

पर्वतीय भाग - निमाड़ क्षेत्र का अधिकांश भाग उत्तर-दक्षिण दिशाओं में विन्ध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। ये पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर समानान्तर हैं। सतपुड़ा पर्वत प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम दिशा से दक्षिण-पूर्व की दिशा की ओर फैला है।

विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियां - क्षेत्र के उपरी क्षेत्र में विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियां स्थित हैं जो नर्मदा नदी से समानान्तर पश्चिम से पूर्व की ओर एक पट्टी के रूप में फैली हैं। पर्वत श्रेणियां पश्चिम में बड़वानी तहसील से आरम्भ होती हैं जो पूर्व में बड़वाह नगर एवं तहसील क्षेत्र होता हुआ आगे जोगा किला तक चला गया है। महेश्वर तहसील का उपरी भाग चार से पांच किलोमीटर चौड़ी विन्ध्य पर्वत श्रृंखलाओं से ढंका हुआ है। यहां पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। पूर्व में आगे चलकर ऊंकार-मानधाता की पहाड़ियां स्थित हैं। विन्ध्य पर्वत श्रेणियों का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन्ही पर्वत श्रेणियों झाबुआ, धार, इन्दौर, देवास और सीहोर जिलों के दक्षिणी भू-भाग में मालवा और निमाड़ की प्राकृतिक सीमा बनाई है। उत्तरी भाग को मालवाका पठार और नर्मदा के दोनों मैदानों को निमाड़ का मैदान या नर्मदा घाटी के नाम से पुकारा जाता है।

सतपुड़ा पर्वत - नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एवं दक्षिण-पूर्व की ओर प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का फैलाव है। ये पर्वत श्रेणियां पूर्व में हंडिया के दक्षिणी भाग (हरदा तहसील) से बलडी, पुनासा, ओंकार-मन्धाता से दक्षिणी पूर्व में असरगढ़, बुरहानपुर होते हुए बड़वानी

तहसील के दक्षिण-पश्चिम में होते हुए महाराष्ट्र से गुजरात में अरब-सागर तक फैली हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई पश्चिम में कम चौड़ी फिर मध्य में अधिक चौड़ी और फिर पूर्व में कम चौड़ी होती जाती है। पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई भी मध्य में अधिक हो जाती है जबकि पश्चिम और पूर्व में अपेक्षाकृत कम है। प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर तक है। बड़वानी तहसील के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से सतपुड़ा श्रेणियां प्रदेश में प्रारम्भ होती हैं। यहां इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इसके साथ ही कुछ चोटियां जैसे बावनगजा, रामगढ़ किला क्रमशः लगभग 641 और 840 मीटर ऊंची हैं। बीजागढ़ और असीरगढ़ किलों की ऊंचाईयां भी उल्लेखनीय हैं। इन पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई लगभग 24 से 32 किलोमीटर है। सतपुड़ा श्रेणियों का दूसरा भाग सेंधवा तहसील के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जिनका फैलाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये श्रेणियां सेंधवा तहसील की दक्षिणी सीमा बनाती हुई महाराष्ट्र राज्य के धूलिया जिले में प्रवेश कर जाती हैं और तासी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। यहां पर्वत श्रेणियां 15 किलोमीटर चौड़ी हैं और उनकी सामान्य ऊंचाई 600 मीटर है। बीच में नर्मदा नदी का मैदान (घाटी) और दक्षिण में तासी नदी का मैदान (घाटी) स्थित है जिसकी वजह से यह क्षेत्र पठार का रूप धारण कर लेता है या एक पठार जैसा दिखाई देने लगता है जिसे खण्डवा-हरसूद की पठार कहा जाता है।

मैदानी भाग - निमाड़ प्रदेश की आधे से अधिक भाग में मैदान है। प्रदेश में समल, अर्ध-समतल और असमतल सभी प्रकार के मैदान पाए जाते। इन सभी मैदानों को निमाड़-प्लेन कहा जाता है। निमाड़ा प्लेन का निर्माण जिन नदियों ने किया है, उस आधार पर हम प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को तीन भागों में बांट सकते हैं जो क्रमशः 1. नर्मदा नदी का मैदान, 2. छोटा तवा और उसकी सहायक नदियों के मैदान एवं 3. थुडी और बेदी नदियों के मैदान।

नर्मदा नदी का मैदान - सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के उत्तर में नर्मदा नदी का मैदान है जिसका फैलाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह मैदान प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक चौड़ा है और पश्चिम की ओर क्रमशः संकरा होता चला गया

है। मैदान का मध्य भाग कांप मिट्टी (एल्यूवियस) युक्त भी है किन्तु पश्चिम में मैदान रेतीली मिट्टी युक्त हो गया है। यह मैदान लगभग 160 किलोमीटर लम्बा और 64 किलोमीटर चौड़ा है। मैदान का ढाल उत्तर की ओर है। दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियां मैदानी भाग को कांपी बनाने में अधिक सहायक होती हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में भी कुछ सहायक नदियां आकर मिलती हैं पर उत्तरी हिस्से में कांपीय क्षेत्र कम है और साथ ही मैदान में अर्द्धसमतल ही पाई जाती है। इस ओर मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रकार सम्पूर्ण मैदान पुरातन कांप मिट्टी युक्त उपजाऊ मैदान है। नर्मदा नदी के मैदानी भाग को हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं जो क्रमशः 1. छोटा तवा और उसकी सहायक नदियों के मैदान, 2. थुडी और बेदी नदियों के मैदान एवं 3. गोई नदी का मैदान।

छोटा तवा और उसकी सहायक नदियों के मैदान - यह मैदानी क्षेत्र प्रदेश के पूर्व में स्थित है जहां से नर्मदा नदी निमाड़ में प्रवेश करती है। ये नदियां पूर्वी निमाड़ क्षेत्र के उत्तरी भाग में मैदान बनाती हैं। यह एक चौकोर मैदान है जिसका उत्तर-दक्षिण फैलाव अधिक है। मैदान अपेक्षाकृत असमतल है।

थुडी और बेदी नदियों के मैदान - नर्मदा नदी जैसे ही पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, मैदानी क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल सा हो जाता है। यह निमाड़ का मध्य क्षेत्र है। दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत से निकल कर कुंदा (कुडी) और बेदा (बेदी) दो नदियां नर्मदा के मध्य क्षेत्र में आकर मिलती हैं। इन्हीं नदियों से कांप मिट्टी का मैदान बन जाता है।

गोई नदी का मैदान - नर्मदा नदी का मैदान पश्चिम में क्रमशः संकरा हो जाता है जो एक नोक पर समाप्त हो जाता है। गोई नदी के मिलने से एक छोटे मैदान का निर्माण होता है जिसे गोई नदी का मैदान कहते हैं।

ताप्ती नदी का मैदान - बुरहानपुर तहसील और उसके आसपास के मैदान का निर्माण ताप्ती नदी करती है। मैदान का फैलाव निमाड़ के दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह मैदान पूर्व में संकरा तथा पश्चिम में चौड़ा है। सामरदेव पहाड़ियों के अवरोध के कारण मैदान दो भागों में विभाजित हो गया है जिसे ताप्ती का उत्तरी एवं दक्षिणी मैदान कहते हैं। मैदान पूर्व की ओर दलदली है जबकि पश्चिम की ओर कांपयुक्त मिट्टी है। पश्चिमी क्षेत्र में मैदान की मिट्टी की गहराई भी अधिक है जबकि पूर्व में मैदान कम गहरा है। नर्मदा की अपेक्षा ताप्ती का मैदान छोटा है इसका कारण यह है कि ताप्ती निमाड़ में केवल लगभग 64 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है जबकि नर्मदा का अधिकांश भाग निमाड़ (मध्यप्रदेश) में है। इसके साथ ही ताप्ती नदी की सहायक नदियों की संस्था, नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या से कम है अतः उनसे अपेक्षाकृत कम छोटे-छोटे मैदानों का निर्माण ही पाया है।

उमारी नदी का मैदान - प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम में उमारी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है जिसे उमारी बेसिन भी कहते हैं। यह नदी उत्तर-दक्षिण की ओर बहती है और आगे चलकर महाराष्ट्र राज्य के प्रवेश से ही समाप्त हो जाती है। धरातलीय आकृति के कारण उसे उमारी बेसिन कहा जाता है। यह मैदान बजरी और रेत युक्त है।

संरचना (चट्टानों) - नर्मदा नदी के तटवर्ती कुछ भागों को छोड़कर सम्पूर्ण निमाड़ प्रदेश में धरातलीय चट्टाने डेक्कन ट्रेप एवं क्षारीय कांप मिट्टी की बनी हैं। प्रदेश का भूगर्भीय निर्माण आधुनिक युग की धरातलीय मिट्टी व नवीन कांप, प्लाइस्टोसीन युग की पुरातन कांप, लेटराइट, क्रिरेशियस युग की डेक्कन ट्रेप एवं लमेटा से हुआ है। साथ ही बाग के जमाव, पुरातन युग की

शिष्ट, ब्रेनाइट तथा नीस की चट्टानें यहां मिलती हैं।

नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटियां, नवीन जलोढ़ जमाव एवं धरातलीय संरचना यहां की नवीनतम रचना है जो क्वार्टरनरी युग के आधुनिक काल से सम्बन्धित है। नवीनतम कांप मिट्टी नदियों के लगातार आसपास फैली है। प्रदेश की धरातलीय मिट्टी काली है जिसे रेग भी कहते हैं। प्लाइस्टोसीन युग का पुरातन कांप मांथाता द्वीप के दक्षिण में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी एवं बुरहानपुर के आसपास फैला है जिसकी गहराई कुछ स्थानों पर लगभग 150 मीटर तक है। कांप मिट्टी के सभी जमाव दरार द्वारा निर्मित एक निश्चित चट्टानों के बेसिन में एकत्रित होने से हुए हैं। क्रिटेशियस युग के अन्त में बाग तथा लमेटा के जमाव के बाद प्रायद्वीप का यह एक बड़ा भाग ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है जिसके कारण मोटा लावा से एवं अन्य ठोस पदार्थ यहां एकत्रित हो गये। यही ज्वालामुखी जमाव डेक्कन ट्रेप कहलाता है इस प्रकार क्षेत्र के भौमिक जमाव को क्रमशः 1. ऊपरी ट्रेप, निचला ट्रेप, और लमेटा में विभक्त कर सकते हैं। ऊपरी ट्रेप में ज्वालामुखी जमाव की पर्त तथा पर्तों के मध्य पदार्थों को समिति किया जा सकता है जिसमें ज्वालामुखी राख के जमाव के रूप में पाये जाते हैं। निचले ट्रेप के अन्तर्गत दो ट्रों की पर्तों के मध्य जमाव पाये जाते हैं, लमेटाजमाव द्वैप चट्टानों के नीचे स्थित होता है।

ट्रेप के ये जमाव अधिकांशतः क्षैतिज हैं। उससे निर्मित बेसाल्ट चट्टानों में भी एकरूपता पाई जाती है। ये जमाव क्रिटेशियस युग के अन्त तक के हैं। उसके बीच-बीच में प्रारम्भिक इयोसिन युग के अंक भी पाये जाते हैं। निमाड़ ट्रेप में हल्का-सा झुकाव दक्षिण की ओर पाया जाता है। समतल मैदानी भाग का निर्माण निचले ट्रेप से हुआ है किन्तु पहाड़ियों के ट्रेप के बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये परतें ऊपरी ट्रेप से अधिक मिली हैं। निमाड़ प्रदेश की प्रमुख चट्टानों में भिन्न प्रकार के बेसाल्ट तथा डोलोमाइट पाये जाते हैं। इसमें गहरा हरा-काला बेसाल्ट महत्वपूर्ण है, यह पठारी बेसाल्ट है।

नर्मदा नदी की चट्टानों के क्षय हो जाने से नीचे लमेटा विन्ध्या, बीणावर तथा नीस चट्टाने धरातल पर मिलती हैं। लमेटा की ये चट्टाने पूर्वी निमाड़ में पुनासा और पश्चिम निमाड़ में बड़वानी, बुढ़वा और काटबूट (कालकूट) के निकट पाई जाती हैं। इन चट्टानों में दबा बालू का प्रस्तर अधिक महत्वपूर्ण है। यह श्वेत बालू का प्रस्तर पुराने युग का है। विन्ध्यान चट्टानों का गलैमरेट बालू का प्रस्तर तथा शेल प्रमुख है। ये निमाड़ प्रवेश की ऊपरी सीमा एवं नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा तट तक पाई जाती है। ये सभी चट्टाने ठोस एवं महीन से युक्त हैं। यहां कांगलोमरेट भी मिला हुआ पाया जाता है। यह बाग के जमाव की तरह समुद्री जीवों के अवशेषों से युक्त है। धरिया की खानों से स्पष्ट होता है कि, यही उस समुद्री विस्तार की पूर्वी सीमा है जिसमें बाग के जमाव एकत्रित हुए। बाग की चट्टाने गोंडवाना की चट्टानों से मिलती-जुलती हैं।

खनिज - भूमि खोदकर धातुएं एवं संसाधन प्राप्त करने की कला को खनन एवं प्राप्त कला-निधि को खनिज कहते हैं। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में खनिजों का होना वर्तमान युग में प्रदेश की सांस्कृतिक उन्नति के लिए आवश्यक है। साथ ही खनिज मानव की बसाहट को भी प्रभावित करते हैं। जिन स्थान पर खनन की व्यवस्था होगी वहीं मानव बसाहट स्वाभाविक रूप से होगा। अतः खनिज एक भौगोलिक तल के रूप में आदिवासी सेटिलमेन्ट्स को अधिकाधिक प्रभावित करते हैं।

डेक्कन ट्रेपीय शृंखला में होने के कारण निमाड़ प्रदेश में खनिजों का होना स्वाभाविक ही है किन्तु खनिजों का दोहन करने की कमी के कारण

अधिक मात्रा में प्रदेश के खनिज संसाधनों का दोहन अब तक नहीं हो पाया है। यदि मार्ग, पुल एवं आवागमन के साधनों की कमी दूर की जा सके तो दुर्गम स्थानों पर प्राप्त खनिज संसाधनों का पूरा-पूरा दोहन किया जा सकता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र से चूने का पत्थर, मैंगनीज और कच्चा लोहा प्राप्त किया जा रहा है। चूने का पत्थर, बड़वानी तहसील के उत्तरी-पूर्वी भाग, राजपुर, खरगोन तहसील के उपरी-पश्चिमी भाग एवं बड़वाहा तहसील व महेश्वर तहसील के कुछ भागों में पाया जाता है। नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में भी चूने का पत्थर पाया जाता है। पश्चिमी निमाड़ की महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा के रूप में चूने का पत्थर (सागोल) माना जाता है।

मैंगनीज - बड़वाहा तहसील के दक्षिणी-पूर्वी भाग, भीकनगांव तहसील के उपरी भाग और खण्डवा तहसील के बहुत थोड़े भाग में मैंगनीज पाया जाता है।

कच्चा लोहा- बड़वाहा तहसील के उत्तरी-पूर्वी कोने में कच्चा लोहा प्राप्त होता है। यह लोहा लिमनाइट किस्म का है यह लोहा चौरल और बड़ाली नदियों

की कगारों में पाया जाता है।

निकर्ष - निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि न केवल निमाड़ क्षेत्र अपितु सम्पूर्ण नर्मदा घाटी क्षेत्र में भूगर्भीय गहन सर्वेक्षण करवाए जाने से श्रेष्ठ गुणवत्ता का चूने का पत्थर एवं अन्य कई महत्वपूर्ण भूगर्भीय जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह सविन्द्र, भू-आकृति विज्ञान पंचम संस्करण रिप्रिंट 1985 वसुन्धरा, प्रकाशन ढउदपुर गोरखपुरा
2. कौशिक एस.डी., शर्मा ए.के. भू-आकृति विज्ञान द्वितीय संस्करण 1988 रस्तोगी एण्ड त्यागी कं. मेरठा
3. Sovani P.V., Sharma K.A., Dixit B.G. & Borkar V.D., Second Edition 1983 Introduction to Geology. Dastane Ramchandra & Co. Pune.
4. Leet Donald, Judson Sheldon 3rd Edition 1969.

उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं का विश्लेषण

नीलम टांक कलाल* प्रो. सुनीता सिंह**

शोध सारांश - सामाजिक सुविधाओं से आशय जिले में शैक्षणिक सुविधाएँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्यवर्धक सुविधाएँ पेयजल की सुविधा, विद्युत सुविधाएँ एवं अन्य जो पोस्ट ऑफिस, बैंक, सहकारी समितियाँ इत्यादि से है। इन सभी सुविधाओं का स्तर अधिक होने पर जिले का सामाजिक स्तर भी उच्च होगा, एवं इसे जुड़ी हुई तहसीलों का सामाजिक स्तर भी उच्च पाया गया है। वहाँ की तहसीलों का सामाजिक स्तर निम्न श्रेणी का पाया गया अर्थात् वहाँ की आधुनिकता का अभाव शैक्षणिक स्तर निम्न, अपराध एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि से बहुत पिछड़ी हुई तहसीलें हैं। जिनको इन सभी सुविधाओं की आवश्यकता है जिससे उन तहसीलों में निवास करने वाले नागरिकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार हो सके।

शब्द कुंजी - शैक्षणिक सुविधाएँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, विद्युतउपभोग, अन्य (पोस्ट ऑफिस, बैंक, सहकारी समितियाँ आदि)।

शैक्षणिक सुविधाएँ - जिले में सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से चलती रहे इसके लिए सरकार अनेक योजनाओं द्वारा तथा अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वहाँ के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करती है। इनमें प्रमुख है - शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक व्यक्ति शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठाये तथा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र - उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं का विश्लेषण में उदयपुर जिला प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जिले का तहसीलवार अध्ययन किया गया है। प्रमुख तहसीलें निम्नानुसार है, गिर्वा, सलूमबर, लसाडिया, सराडा, मावली, वल्लभनगर, गोगुन्दा, ऋषभदेव, खेरवाडा, झाडोल एवं कोटडा आदि।

अध्ययन के उद्देश्य - जिले की कुल सामाजिक सुविधाओं में जैसे शैक्षणिक सुविधाएँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल की व्यवस्था एवं विद्युत उपभोग एवं अन्य पोस्ट ऑफिस बैंक, सहकारी समितियाँ आदि में सामाजिक सुविधाएँ किस प्रकार है व क्या सुविधाओं का अभाव है को जानना।

1. सभी तहसीलों में न्यूनतम व अधिकतम सामाजिक सुविधाओं वाली तहसीलों को ज्ञात कर सुझाव प्रस्तुत करना।
2. सामाजिक सुविधाओं का अध्ययन क्षेत्र के विकास में योगदान एवं प्रभाव का अध्ययन करना।

विधितंत्र - उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं का विश्लेषण द्वितीयक आंकड़ों द्वारा किया गया है। वृत्तरेख, ढण्डारेख, रंग विधि आदि द्वारा ब्राफचित्र तैयार किये गये हैं। जिला सांख्यिकीय रूपरेखा उदयपुर से द्वितीयक आंकड़े लिए गये हैं।

तालिका 1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

जिले में तहसीलवार शिक्षण संस्थानों (2015-16) जिले की सभी तहसीलों में शिक्षण संस्थाओं की संख्या वर्ष 2015 व 16 में निम्नानुसार रही है।

सामान्य शिक्षा हेतु कॉलेज गिर्वा में 9 है जो कि सभी तहसीलों में

सर्वाधिक है। कोटडा, तहसील गोगुन्दा एवं ऋषभदेव तहसील में न्यूनतम एक, एक कॉलेज है। एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में सर्वाधिक वल्लभनगर तहसील में 10 एवं गिर्वा तहसील में 8 है। व सबसे न्यूनतम लसाडिया तहसील में 1 शिक्षण संस्थान ही है एवं उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सर्वाधिक तहसील में 90 व गिर्वा तहसील में 78 है। खेरवाडा व सबसे न्यूनतम लसाडिया तहसील 20 ही है।

इसी क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय सर्वाधिक सलूमबर तहसील में 248 है एवं वल्लभनगर तहसील में 118 व मावली तहसील में 107 है। सबसे न्यूनतम उच्च प्राथमिक लसाडिया तहसील में 31 एवं गोगुन्दा में 31 ही है। एवं प्राकृतिक विद्यालय सलूमबर तहसील में 298 है सर्वाधिक तथा न्यूनतम लसाडिया तहसील में 93 प्राथमिक विद्यालय है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ अधिक से अधिक विद्यालय हैं वहाँ का शैक्षणिक स्तर भी अच्छा है एवं जहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक संस्थाएँ हैं वहाँ का शैक्षणिक स्तर भी न्यून है। एवं पिछड़ी हुई तहसील के अन्तर्गत आती है। अतः हर गांव एवं हर ढाणी में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाएँ खोली जाए एवं हर व्यक्ति शिक्षित हो सके।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा - अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण क्षेत्र में मात्र 566 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें चिकित्सालय, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसूति गृह मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र सम्मिलित है। इन चिकित्सालयों में भी कर्तचारियों एवं सुविधाओं का अभाव है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय की प्रचुर संभावनाएँ हैं लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण वह व्यवसाय अभी तक अविकसित अवस्था में है।

वर्तमान समय में कुल 455 पशु चिकित्सा केन्द्र हैं। जिनमें अस्पताल, औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, आधार ग्राम केन्द्र, पशुचल चिकित्सालय तथा गोपाल केन्द्र मुख्य है।

तालिका 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

* शोधार्थी (भूगोल विभाग) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** पर्यवेक्षक (सेवानिवृत्त) माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

तालिका - 1.3: तहसीलवार 2015-16

क्र.	तहसील	सामान्य	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुल योग
1	गिर्वा	90	84	174
2	सराड़ा	120	54	174
3	मावली	90	60	150
4	झाड़ोल	110	36	146
5	वल्लभनगर	80	54	134
6	सलूम्बर	30	72	102
7	कोटड़ा	60	36	96
8	गोगुन्दा	60	36	96
9	ऋषभदेव	60	30	90
10	खेरवाड़ा	30	60	90
11	बड़गांव	30	42	72
12	लसाड़ियां	30	12	42

स्रोत : कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर कार्यालय प्राचीन आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।

तालिका - 1.4: तहसीलवार 2015

तहसील	जन्म			मृत्यु			शिशु मृत्यु
	पु.	महिला	योग	पु.	महिला	योग	
खेरवाड़ा	4130	2681	6811	1108	478	1586	29
गिर्वा	2749	2325	5074	1405	700	2105	545
सराड़ा	2711	2205	4913	1173	378	1551	104
झाड़ोल	2358	2048	4406	715	262	977	142
बड़गांव	2032	1536	3568	711	367	1078	34
वल्लभ	2099	1225	3324	1032	545	1577	14
मावली	1612	1231	2843	1052	352	1404	12
सलूम्बर	1271	942	2213	742	351	1093	27
कोटड़ा	893	680	1573	514	130	644	10
लसाड़िया	153	97	250	329	96	425	2
गोगुन्दा	3099	2718	5817	817	384	1201	2

स्रोत : कार्यालय उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, उदयपुर

तालिका संख्या 1.5: विद्युत उपभोग (2014-15)

उद्योगों के प्रकार	प्रतिशत में	लाख यूनिट में	2014-15
घरेलु एवं आवासीय उपभोग	32.94	4103.93	118
व्यावसायिक उपभोग	15.46	1925.92	55.66
औद्योगिक उपभोग	37.14	4627.36	133.73
सार्वजनिक प्रकाश	0.87	108.67	3.13
सिंचाई	13.57	1691.38	48.86

स्रोत : कार्यालय अभिशाषी अभियन्ता रा.रा. विद्युत मण्डल, उदयपुर

विद्युत उपभोग (2014-2015) - वर्तमान समय में तकनीकी के क्षेत्र में विद्युत एक प्रमुख स्रोत है। इससे घरेलु सुविधाओं, उद्योग-धन्धों, परिवहन आदि में विद्युत का उपभोग होता है। कृषि में इत्यादि में प्रथम व प्रमुख स्रोत विद्युत है। यह सभी उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिए परम आवश्यक है।

2014-15 में विद्युत उपभोग को दर्शाया गया है। सर्वाधिक उपभोग

औद्योगिक विद्युत उपभोग रहा फिर घरेलु एवं आवासीय उपभोग हुआ है। अधिक व व्यावसायिक उपभोग तृतीय स्थान पर रहा है व सिंचाई में विद्युत उपभोग 13.57 प्रतिशत रहा व सबसे न्यूनतम 0.87 सार्वजनिक प्रकाश का रहा है।

अन्य पोस्ट ऑफिस, बैंक, सहकारी समितियां आदि - अन्य सामाजिक सुविधाओं में पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं सहकारी समितियां आदि प्रमुख है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक इत्यादि सुविधाओं से पैसों का लेन-देन, लोन सुविधा इत्यादि की सुविधा होने से स्थानीय लोगों को सूचनाओं का आदान-प्रदान आदि सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त होती है।

तालिका संख्या 1.5: डाक, तार एवं टेलीफोन सुविधाएँ

वर्ष	डाकघर	तारघर	टेलीफोन	एस.टी.डी	लेटर बॉक्स
2009-10	498	17	87	2647	1495
2010-11	693	2	88	1304	1495
2011-12	487	1	84	1631	1495
2012-13	693	1	82	1137	2461
2013-14	693	-	-	-	2461

स्रोत : कार्यालय, प्रवर अधीक्षक डाकतार विभाग, उदयपुर

जिले में डाकघर सुविधाएँ भी तृतीय स्थान पर रही है। डाकघर में 693 वर्ष 2014 में टेलीफोन सुविधाएँ 82 वर्ष 2013 तक रही। फिर भी मोबाईल फोन की सुविधाओं का चलन सर्वाधिक बढ़ा व 2013-2014 तक एस.टी.डी. 1137 वही लेटर बॉक्स 2461 तक रहा।

पेयजल की सुविधाएँ - उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं में 'पेयजल की सुविधा' प्रमुख सुविधाओं में से है यह सुविधा ही अनन्य सभी सुविधाओं की जननी है। कहा भी जाता है कि 'जल ही जीवन है' अर्थात् जहां जल है वही जीवन होता है। वहीं पर पेड़-पौधो, जीव-जन्तु एवं मानव जीवन निवास करता है। इसी क्रम में पेयजल की जिले में क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध है एवं किन-किन आधारों द्वारा जिले को पेयजल उपलब्ध होता है का अध्ययन किया गया है। एवं सभी तहसीलवार पेयजल की सुविधाओं का अध्ययन भी किया गया है। जैसे - कुएँ, तालाब एवं नहरें पारम्परिक पेयजल के स्रोत अधिक पेयजल उपलब्ध करवाता है। जल एवं नवीन तकनीक ट्यूबवैल द्वारा भी सर्वाधिक पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

तालिका संख्या 1.6: उदयपुर जिले में कुल कुएँ (उपयोगी व अनुपयोगी कुएँ)

वर्ष	कुल कुएँ	उपयोगी	अनुपयोगी संख्या
2011-12	75480	49351	26129
2012-13	75541	49465	26076
2013-14	75657	50182	25475
2014-15	75723	51046	24677
2015-16	76157	51341	24816

उपरोक्त तालिकानुसार समय के साथ कुओं की संख्या भी बढ़ी है। जैसे वर्ष 2011-12 में 75480 कुएँ थे। वहीं वर्ष 2015-16 में 76157 कुओं की संख्या हो गई एवं 51341 उपयोगी कुएँ है। जिले में एवं अनुपयोगी कुओं की संख्या 24816 वर्ष 2015-16 में रही।

तालिका संख्या -1.7: तहसीलवार उदयपुर जिले में कुल कुएँ (उपयोगी व अनुपयोगी कुएँ) 2015-16

तहसील	कुल कुएँ	उपयोगी	अनुपयोगी
वल्लभनगर	16109	10071	6038
मावली	13621	9542	4079
सलूमबर	7963	4620	3343
गिर्वा	7596	5056	2540
गोगुन्दा	5646	4485	1161
सराड़ा	4860	2510	2350
बड़गांव	4366	2685	1681
कोटड़ा	3951	3135	816
झाड़ोल	3787	3057	730
लसाड़िया	2520	2051	469
सेमारी	2266	1309	957
खेरवाड़ा	2042	1745	297
ऋषभदेव	1430	1075	355

स्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर, (भू.अ.), उदयपुर

तालिका संख्या 1.8: उदयपुर जिले में तहसीलवार तालाब

तहसील	उपयोगी	अनुपयोगी	कुल तालाब
मावली	34	35	69
सलूमबर	29	22	51
सेमारी	26	6	32
खेरवाड़ा	6	20	26
सराड़ा	23	12	35
गिर्वा	12	8	20
बड़गांव	16	3	19
लसाड़िया	7	12	19
गोगुन्दा	17	1	18
झाड़ोल	10	0	10
वल्लभनगर	9	27	36
ऋषभदेव	10	0	10

स्रोत : कार्यालय कलेक्टर (भू.अ.), उदयपुर

उपरोक्त पेयजल की सुविधाओं में परम्परागत स्रोत कुएँ, तालाब है। इनसे ही सर्वाधिक पेयजल प्राप्त होता है। जैसे तालिका संख्या - में वल्लभनगर तहसील में सर्वाधिक कुएँ हैं एवं खेरवाड़ा व ऋषभदेव में न्यूनतम कुएँ हैं।

इसी प्रकार कुल जिले में वर्ष 2015-16 में 212 उपयोगी तालाब व 146 अनुपयोगी तालाब रहे। मावली तहसील व सलूमबर तहसील में सर्वाधिक तालाब है। न्यूनतम खेरवाड़ा व लसाड़िया में तालाब है। यहां से पशु-पक्षी एवं मानव जाति के लिए पेयजल प्राप्त होता है व कृषि में सिंचाई में सर्वाधिक मात्रा में जल कुएँ एवं तालाब से ही प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक उपयोगी कुएँ एवं तालाब है वहां जलीय स्रोत सर्वाधिक है वहां कृषि व इनसे जुड़े हुए उद्योग भी है व विकसित क्षेत्र व तहसील के अन्तर्गत भी देखा जा सकता है। जहां जल की कमी है। वहां जनसंख्या का बसाव भी न्यूनतम है और वहां पर सामाजिक सुविधाओं का भी सर्वाधिक अभाव है अतः अधिक से अधिक जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए।

तालिका संख्या 1.9: शक्ति चलित पेयजल के साधन

वर्ष	ट्यूबवैल कुल	पम्प सेट्स योग
2011-12	3012	44344
2012-13	3270	44542
2014-15	3691	51762
2014-15	5176	58236
तहसील (2014-15)	ट्यूबवैल योग	पम्प सेट्स योग
लसाड़िया	97	2520
गिर्वा	969	5391
बड़गांव	530	3906
गोगुन्दा	275	4731
झाड़ोल	361	3459
खेरवाड़ा	308	1616
कोटड़ा	20	2090
मावली	878	7160
सलूमबर	31	7089
सराड़ा	135	4028
सेमारी	28	1489
वल्लभनगर	1354	13616
ऋषभदेव	190	1141

स्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.), उदयपुर

शक्ति चलित पेयजल के साधन - पेयजल के अत्याधुनिक संसाधनों का चलन सर्वाधिक बढ़ रहा है। कुल जिले में वर्ष 2011 में 3012 ट्यूबवैल थी जो कि वर्ष 2015 में 5176 हो गई इसी प्रकार पम्प सेट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 58236 पम्प सेट्स वर्ष 2015-16 में हुई इसी क्रम में तहसीलवार ट्यूबवैलो की संख्या सर्वाधिक वल्लभनगर तहसील की 1354 व मावली की 878 व गिर्वा की 969 ट्यूबवैल है। न्यूनतम कोटड़ा, तहसील सेमारी में है।

निष्कर्ष - उदयपुर जिले में सामाजिक सुविधाओं के विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान युग में सामाजिक सुविधाएं अहम भूमिका रहती है जैसे कि जिले में व तहसीलों में शैक्षणिक सुविधाओं का प्रमुख योगदान होता है जैसा कि हमने अध्ययन में देखा कि वर्ष 2015-2016 में शिक्षण संस्थाओं सर्वाधिक कॉलेज गिर्वा तहसील में (9) व उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी गिर्वा तहसील में सर्वाधिक है। न्यूनतम लसाड़िया तहसील में है अर्थात् जहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं अधिक प्राप्त है उस तहसील या उस क्षेत्र का सामाजिक विकास भी उच्च स्तरीय या उस क्षेत्र का सामाजिक विकास भी उच्च स्तरीय पाया गया है व इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में भी गिर्वा तहसील (14) में सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसूति केन्द्र है व न्यूनतम ऋषभदेव, बड़गांव व लसाड़िया में है।

वर्ष 2015 में खेरवाड़ा तहसील की जन्म दर व मृत्यु दर भी अधिक है व गिर्वा तहसील की न्यूनतम लसाड़िया व गोगुन्दा तहसील की जन्म व मृत्यु न्यूनतम रही।

पेयजल की सुविधाओं में कुएँ, तालाब व ट्यूबवैल प्रमुख है। जिले में वर्ष 2015-16 में कुल कुएँ 76157 व उपयोगी कुएँ 51341 रहे। तहसीलवार वल्लभनगर तहसील में व मावली तहसील में सर्वाधिक उपयोगी कुओं की संख्या रही है व खेरवाड़ा (1745) व ऋषभदेव (1075) कुं ही उपयोगी है।

इसी प्रकार मावली में (35) व सलुम्बर में 22 उपयोगी तालाब व न्यूनतम झाड़ोल तहसील व ऋषभदेव तहसील में तालाब न के बराबर है व ट्यूबवेल भी गिरवा तहसील में (969) वल्लभनगर (1354) सर्वाधिक रहे।

अतः जिन तहसीलों में पेयजल के स्रोत अधिक है। वहां का सामाजिक स्तर का विकास भी अधिक है और जैसे, झाड़ोल ऋषभदेव, खेरवाड़ा तहसील पारम्परिक पेयजल के स्रोत कम है। सर्वाधिक विद्युत उपभोग घरेलु एवं आवासीय उपभोग 32.94 प्रतिशत व औद्योगिक उपभोग 37.14 प्रतिशत सर्वाधिक उपभोग होता है व सिंचाई (13.58 प्रतिशत) व सार्वजनिक प्रकाश 0.87 प्रतिशत रहा है। अन्य पोस्ट ऑफिस बैंक, सहकारी इत्यादि सामाजिक सुविधाएं अधिक से अधिक प्रदान कर हम उस क्षेत्र या तहसील के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं, चिकित्सालय व पेयजल विद्युत यह सब सामाजिक सुविधाएं, प्रत्येक व्यक्ति कि प्रथम सुविधाओं में है जितनी अधिक सामाजिक सुविधाएं प्राप्त होगी उतना ही अधिक उस क्षेत्र, उस तहसील का सर्वांगीण विकास होगा।


संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Brunhs J. (1993) : Human Geography Harap & Co.

London.
2. Pro. Ratan Lal Maru & Dr. Rajkumar Sharma : Racatical Geography Cartography – II
3. Chouhan T.S (1981) : Impact of Drought Hazard Among the Rural Population and Arid Environment-ACase Study of Jaisalmer district.
4. Dutta K. Sujit (1986) : Rural Structure and Its Impact on Rural life, Journal of Rural development Vol. No. 1
5. Harun Mohammad (1997) : Functional Classification of Rural Services Centres Jamal of Economic & Social Development, Vol-33
6. Nagar K.N. (1996) : Main Factor of Statistics, Meenakshi Prakashan. Meerut (U.P.)
7. Singh Sunita (2002) : Water Management in Rural & Urban Areas, I Edition Agrotech Publishing Academy, Udaipur
8. www.google.com/maps.ie
9. www.inverstrajasthan.com
10. जनगणना प्रतिवेदन, 2011

तालिका 1.1: उदयपुर जिले में तहसीलवार शिक्षण संस्था में 2015-16



क्र.	तहसील	सामान्य शिक्षा हेतु कॉलेज	उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	अन्य
1	गिरवा	9	78	81	196	8
2	बड़गांव	2	42	47	86	3
3	मावली	2	71	107	207	4
4	वल्लभनगर	3	67	118	220	10
5	लसाड़िया	1	20	31	93	1
6	सलुम्बर	2	65	248	298	5
7	सराड़ा	2	61	68	223	4
8	खेरवाड़ा	3	90	63	233	7
9	झाड़ोल	3	66	70	292	4
10	कोटड़ा	1	36	28	296	4
11	गोगुन्दा	1	61	31	123	5
12	ऋषभदेव	1	-	-	-	-




तालिका 1.2 (2015-16) तहसीलवार चिकित्सा संस्थाएँ (एलोपैथिक) (संख्या में)

क्र.	तहसील	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसूति केन्द्र	चिकित्सालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	योग
1	गिरवा	14	3	3	20
2	सलूमबर	12	1	1	14
3	खेरवाड़ा	11	1	1	13
4	मावली	10	3	3	16
5	वल्लभनगर	9	4	4	17
6	सराड़ा	9	4	4	17
7	बड़गांव	7	1	1	9
8	झाड़ोल	6	3	3	12
9	कोटड़ा	6	2	2	10
10	गोगुन्दा	6	2	2	10
11	ऋषभदेव	5	2	2	9
12	लसाड़िया	2	1	1	4

स्रोत : कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर प्रधानाचार्य स्वीन्द्र नाथ टैगोर आयु विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक, संयुक्त संघ, उदयपुर।





राष्ट्रीय ग्रंथालयों के विकास में समाचार पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1954 की भूमिका

डॉ. राज बोरिया*

प्रस्तावना - वर्तमान सूचना समाज में नागरिकों की सूचना सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का दायित्व ग्रंथालयों का है। ग्रंथालय इस दायित्व का निर्वाह तभी कर सकते हैं, जब उपलब्ध सूचना संसाधनों की प्राप्ति, व्यवस्था, संरक्षण तथा उपयोग की समुचित व्यवस्था हो और यह कार्य सर्वसुविधायुक्त राष्ट्रीय ग्रंथालयों की स्थापना करके ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रंथालय देश विशेष में प्रकाशित समस्त पाठ्यसामग्रियों को वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ संगृहीत कर सुरक्षित रखते हैं। साथ ही पाठक की रुचि के विदेशी प्रकाशन भी उपलब्ध कराते हैं तथा समान भाव से सूचना सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से भारत में भी राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रंथालयों की स्थापना की गयी है, ताकि राष्ट्रीय सूचना संसाधनों का संरक्षण एवं समुचित उपयोग हो सके। भारत में प्रमुख रूप से -

1. पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता
2. पश्चिम क्षेत्र के लिए केंद्रीय ग्रंथालय, मुंबई
3. दक्षिण क्षेत्र के लिए कोनेमरा सार्वजनिक ग्रंथालय, मद्रास
4. तथा उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक ग्रंथालय, दिल्ली की स्थापना की गयी है।

इन ग्रंथालयों को भारतीय सूचना संसाधनों के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय निक्षेपागार की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन प्रकाशन तकनीकी के विकास, शोध में असीमित वृद्धि के कारण सम्पूर्ण भारत एवं भारतीय रुचि के प्रकाशनों पर नियंत्रण रख पाना एवं उन्हें क्रय कर पाना भी संभव नहीं है। अतः उपरोक्त चुनौती का सामना करने के लिए निश्चित कानूनी प्रावधानों का होना अति आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. समाचार पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1954 के महत्त्व को प्रतिपादित करना।
2. इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से अवगत करना।
3. इस अधिनियम की सफलता पर प्रकाश डालना।
4. इस अधिनियम की सफलता में बाधक कारणों का पता लगाना।
5. सुधार हेतु उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

समाचार पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1954 - इस कड़ी में प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा सन - 1954 में किया गया तथा समाचार पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1954 पारित किया गया। जिसमें भारत में प्रकाशित ग्रंथों की एक-एक प्रति राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रंथालयों में जमा करने का प्रावधान किया गया। बाद में इस कानून को विस्तृत करते हुए सन - 1956 में समाचार पत्रों को भी शामिल करते हुए, इसका नाम समाचार

पत्र एवं पुस्तक प्रदाय अधिनियम - 1956 कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. भारत में ग्रंथालयों का विकास करना।
2. विद्वता को प्रोत्साहित करना।
3. अच्छे ग्रंथालय विकसित करने के लिए यह अपेक्षित है कि भारत में प्रकाशित पुस्तकें तथा अन्य प्रकाशनों की चार से अधिक प्रतियाँ निशुल्क अर्जित की जाये। तथा
4. अर्जित प्रतियों में से एक प्रति राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता को तथा तीन प्रतियाँ प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथालयों में भेजी जाये। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न ग्रंथालयों को वैधानिक निक्षेप का अधिकार प्रदान किया गया है।

1. राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता
2. केंद्रीय ग्रंथालय, मुंबई
3. कोनेमरा सार्वजनिक ग्रंथालय, मद्रास
4. दिल्ली सार्वजनिक ग्रंथालय, दिल्ली

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

1. पुस्तक/समाचार पत्र - इस अधिनियम में 'पुस्तक' शब्द का प्रयोग- प्रत्येक वॉल्यूम, वॉल्यूम का भाग अथवा विभाग किसी भी भाषा में तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखाचित्र का अलग से मुद्रित अथवा मुद्रित प्रत्येक कागज को शामिल किया गया है तथा ऐसे समाचार पत्रों जिनमें सार्वजनिक समाचार, टिपण्णी आदि हो को शामिल किया गया है।

2. पुस्तक एवं समाचार पत्र का वितरण माध्यम - इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशन/समाचार पत्र की एक प्रति अपने व्यय पर स्वयं अथवा डाक द्वारा प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता तथा तीन अन्य प्रतियाँ निर्धारित ग्रंथालयों को भेजनी होती हैं। भेजी जाने वाली प्रति उसी रूप में होनी चाहिए, जिस रूप में अन्य प्रतियाँ प्रकाशित की गयी हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के पालन में प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 (एक्स एक्स वि ऑफ 1867) के अनुसार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

3. मेमोरंडा ऑफ बुक्स - अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रकाशक को निम्न सूचनाओं के साथ ग्रन्थ सम्बन्धी जानकारी ग्रंथपाल को देनी चाहिए।

1. ग्रन्थ का शीर्षक तथा ग्रन्थ कि विवरणिका, अंग्रेजी में अनुवाद के साथ।

2. भाषा जिसमें ग्रन्थ लिखा गया हो।
3. ग्रन्थ के लेखक, संपादक, अनुवादक का नाम, विषय।
4. मुद्रण तथा प्रकाशन का स्थान, नाम।
5. प्रेस तथा प्रकाशन से जारी कि गयी तारीख।
6. पृष्ठ की संख्या, आकार, संस्करण का उल्लेख, प्रतियों की संख्या, मूल्य।
7. मालिक का नाम तथा पता और कॉपीराइट सूचना।

4. शासकीय प्रकाशन - यह अधिनियम शासकीय प्रकाशित ग्रंथों तथा समाचार पत्रों पर भी लागू होता है लेकिन ऐसे ग्रन्थ जो शासकीय एवं कार्यालयीन उपयोग के होते हैं, उन्हें इस नियम से मुक्त रखा गया है।

5. पुस्तक की प्राप्ति - अधिनियम में प्रकाशक द्वारा प्रति जमा करने पर प्रमाण स्वरूप ग्रंथपाल द्वारा लिखित प्राप्ति रसीद देने का प्रावधान किया गया है।

6. दण्ड - यदि कोई प्रकाशक इस अधिनियम या इसके किसी अनुभाग का उल्लंघन करता है तो उसके लिए अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। प्रकाशक द्वारा ग्रन्थ सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने पर ग्रन्थ की वर्तमान वैल्यू के अनुसार अर्थदण्ड का प्रावधान है। प्रकाशक द्वारा ग्रन्थ की प्रति 30 दिवस के अंदर जमा नहीं करने पर प्रकाशक को नोटिस दिया जाता है कि वह सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर ग्रन्थ कि प्रति जमा कराये अथवा वैधानिक कार्यवाही करने का नियम है।

वर्तमान वस्तुस्थिति एवं संभावित बाधक कारण - इस अधिनियम के 64 वर्ष पूर्ण होना इसकी सफलता के प्रमाण है लेकिन बदली परिस्थितियों एवं आधुनिक परिपेक्ष्य में यह विचार करना आवश्यक है कि पारित अधिनियम कितनी मात्रा में सफल हो पाया है और इसकी सफलता में बाधक प्रमुख कारण क्या है। पुस्तकों के प्रकाशन में भारत का विश्व में 1965-66 में 7 वां स्थान था। 1987 में भारत का स्थान 5 वां हो गया और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन कि दृष्टि से इसका स्थान विश्व में तीसरा है। लेकिन प्रकाशन के हिसाब से ग्रंथालयों के संकलन में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त ग्रंथों की संख्या संतोषजनक नहीं है। इस अधिनियम की पूर्ण सफलता ग्रंथपाल, प्रकाशक तथा लेखकों के सहयोग तथा समन्वय से ही संभव है। अतः निम्नलिखित संभावित बाधक कारण हो सकते हैं।

1. ग्रंथपालों की समस्याए।
2. पूर्ण वांग्मय नियंत्रण की समस्या।
3. सख्त कानूनी प्रावधानों का अभाव।
4. प्रकाशकों एवं लेखकों को अधिनियम की पूर्ण जानकारी का अभाव।
5. प्रकाशकों को शासकीय प्रोत्साहन नहीं।
6. प्रकाशनों की अधिकता।
7. ग्रन्थ का अधिक मूल्य एवं ग्रन्थ प्रदाय में लगने वाला समय।
8. डाक सम्बन्धी समस्या।
9. प्रतियों का ग्रन्थात्मक विवरण देना श्रमपूर्ण एवं दुष्कर कार्य।

सफलता के सूझाव:

1. ग्रंथपालों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।
2. अधिनियम में ग्रंथपालों से सम्बंधित भी नियम होना चाहिए।
3. वांग्मय नियंत्रण हैतू प्रामाणिक स्रोतों की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. कानूनी प्रावधान सख्त होना चाहिए।
5. न्यायलय द्वारा अधिनियम के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
6. समय समय पर प्रकाशकों, लेखकों एवं ग्रंथपालों का सम्मलेन आयोजित करना चाहिए।
7. ग्रन्थ प्रदाय में लगने वाला व्यय ग्रंथालयों द्वारा वहां करना चाहिए।
8. महंगे ग्रंथों के मूल्य का लगत मूल्य ग्रंथालयों को वहन करना चाहिए।
9. भारतीय रूचि के विदेशी प्रकाशनों पर भी अधिनियम लागू होना चाहिए।
10. लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके प्रकाशनों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सैनी, ओमप्रकाश: ग्रंथालय एवं समाज - आगरा : वाय.के. पब्लिशर्स, 2003
2. अग्रवाल, श्यामसुंदर: ग्रंथालय एवं समाज - जयपुर: आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स।
3. <http://www.niindia.org>

Impact of Climate Change on Crops Growth

Dr. Govind Prakash Acharya*

Abstract - Global Climate change is change in Long term weather pattern that characterised by the region of the world. Agriculture and water and air changes are inextricably linked to each other, for example, crop yield, biodiversity, water use and soil strength are affected by climate change. Since the origin of life on Earth till today, its climate has changed many times. Is. These changes in climate occur due to natural processes. In the last few years, due to population growth, industrialization, urbanization, forest destruction, increase in the number of automated vehicles, technological development, agricultural development and high standard of living etc., the environment has been greatly damaged and various elements of climate (temperature, air pressure, humidity, There have been extensive changes in rainfall, wind speed etc. Due to climate change, there is a possibility of continuous change in the frequency and intensity of rainfall, heat wave, and other extreme events. Which will affect agricultural production. Apart from this, combined climatic factors can reduce the productivity of plants. As a result of which there may be fluctuations in the prices of agricultural crops.

Wealthy Western countries, in particular, are responsible for more than three-quarters of global greenhouse gas emissions. The main reason for the global warming and climate crisis that the world is facing is greenhouse gas emissions. As the climate crisis becomes more acute and widespread, other crises such as poverty and inequality, food and water insecurity, ecological and biodiversity loss are deepening. Climate change has adverse impacts on human rights as well as extreme weather events such as heat waves, floods, droughts and sea level rise.

Till now, it has been found in experiences and studies that where there was totality, the percentage of loss due to climate change was less, whereas where there was dependence on single crops or only animals, the loss was more. Integrity in farming means proper harmony between home, livestock and farm and their dependence on each other. Integrity in farming makes the farmer self-reliant.

Keywords : Agriculture Production and Productivity, Bio-diversity, Global Warming, Green House Effect, Flood, Drought.

Introduction - Climate is the average conditions of a particular area. It is a combination of the general changes in weather, conditions and the conditions of the cycle of seasons in that area. These conditions are called the average climate of 30 years.

1990 and 1992, the International Panel on Climate Change drew people's attention to the greenhouse effect and temperature change, based on the information available in previous years. It has been observed that there has been a change in temperature over the years. Many cold ages have also passed during this period. At present, a temperature increase of 0.5 to 1°C has been recorded every 100–200 years in the last 10,000 years. Population growth and agriculture have become possible only due to the temperature remaining even. Changes in temperature adversely affect living organisms and agriculture.

Human activities are disturbing the balance between various components of the environment. The increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere is responsible for the increase in global temperature. This will result in disruption of the water cycle, floods, famine, rising sea levels, reduction in agricultural productivity and

reduction in animal numbers. The increase in temperature will not be the same in every area. The temperature rise will be greater at the poles than in the equatorial regions. Reducing the temperature difference between the poles and the equatorial regions will affect the heat cycle and will also affect the seasons. Also the timing of precipitation will also be affected. The intensity of drought will also increase due to the effect of precipitation. Due to increase in global temperature the rate of transpiration will also increase.

Reasons for increasing temperature: During the development process of India, industrialization increased due to which forests were destroyed indiscriminately and natural resources started being over-exploited. Excessive exploitation of natural resources increased environmental imbalance and problems like global warming changed the nature of climate. Due to climate change, the crop cycle has changed and problems like food grains are facing us. Energy is considered to have the biggest contribution in the development process. Fossil fuels, wood, coal, petrol, diesel, kerosene etc. are the main sources of energy. By burning them, energy is obtained but at the same time a large amount of green house gases like carbon particles,

*Lecturer (Agricultural-Extension) Govt. College, Uniara, Distt. Tonk (Raj.) INDIA

carbon dioxide, carbon monoxide are emitted.

Global warming: Carbon dioxide (CO₂) and water vapor present in the atmosphere naturally keep the Earth's temperature balanced. Water vapor and CO₂ effectively absorb the infrared rays reflected from the Earth and reflect them back to the Earth, resulting in heating of the Earth's surface. This process is called the greenhouse effect. The greenhouse effect is a completely natural process that is necessary to maintain the temperature of the Earth's surface suitable for life.

47% of the total energy reaching the Earth's atmosphere (8.4 x 10⁴ joules per square meter per minute = 1400 watts per square meter per minute) reaches the Earth's surface and surrounding atmosphere. The maximum intensity of the radiations reaching the atmosphere (infrared spectrum) is about 483 nm on the earth's surface, while the energy re-emitted from the Earth comes only in the infrared radiation region (infrared radiation region; 2,000 - 40,000 nm) which has the highest intensity. The intensity is about 10,000 nm. If this energy disappears in the upper atmosphere, the temperature of the earth's surface will increase from 20°C to 40°C, but a large part of the re-emitted infrared radiation is absorbed by the CO₂ and water vapor present in the atmosphere. Out of which some radiation returns to the Earth, as a result of which the average temperature of the Earth remains 15°C. Thus, through this important natural process of greenhouse effect, the atmospheric temperature on the earth remains balanced.

Thus, the greenhouse effect is a completely natural process, but due to various human activities, especially fuel combustion, land use change, etc., not only the atmospheric concentration of natural greenhouse gases has increased, but some other greenhouse gases have also increased. For example, there has been a sharp increase in the concentration of chlorofluorocarbons (CFC), which are entirely human emissions. Due to increase in the concentration of these gases in the atmosphere, global temperature is increasing. Thus, global warming due to anthropogenic causes is the reason for the increase in the natural greenhouse effect.

Green House Gases and their Sources: major greenhouse gases, their sources and percentage contribution to greenhouse effect are shown in the following table:

Major greenhouse gases, their sources and percentage contribution to greenhouse effect

Green House Gas	Main Source	Percentage Contribution
CO ₂	fossil fuel combustion (77%), forest destruction, change in land use	60%
CH ₄	Coal Mining, Petroleum and Natural Gas(19%), Paddy cultivation (12%), Ruminant Fermentation in	15%

	animals (16%), animal waste (5%), Treatment of domestic debris (5%) Landfill (6%) Combustion of biomass (8%)	
N ₂ O	Agricultural land (0.03 - 3.0 Tg), biomass burning (0.2-1.0 Tg), stable combustion (0.1-0.3 Tg) Dynamic source (0.2-0.6 Tg), Acid production (0.5-0.9 Tg)	5%
O ₃	Primary pollutants by mutual action in Presence of light	8%
CFC-11	Aerosol propellant, foam packing, cleaningsolvents, refrigerants	4%
CFC-12	CFC-11 Described	8%

1 Tg (tera gram) = 10¹² grams

When another greenhouse gas absorbs the same wavelengths as CO₂ it has less of a greenhouse effect.

8,000 to 13,000 nm dissipates into the outer atmosphere through the exhaust region. But man-made greenhouse gases like CH₄, N₂O, CFC and O₃ absorb radiation of wavelengths of the same emission region, resulting in increased greenhouse effect. This is a major cause of global warming. The following table presents the details of human activities which are responsible for increasing the greenhouse effect:

Main human activities responsible for increase in greenhouse effect

Human activities	Percentage contribution
Combustion of fossil fuels	57 %
Agriculture	14 %
Forest destruction	9 %
Industries	20 %

Thus, fossil fuel combustion plays the most important role in increasing the greenhouse effect. Globally, 27-35 % of the increase in the concentration of greenhouse gases is caused by developing countries and the rest by developed countries.

Global warming potential (GWP) : The contribution of different gases to the greenhouse effect depends not only on their concentration, but also on the radiation absorption capacity per molecule of the gas. For example, this capacity of CH₄ is 21 times more on per molecule basis and 58 times more on mass basis as compared to CO₂. "The relative radiative effect (in terms of warming) for the same emissions of each greenhouse gas (taking into account their lifetime in the atmosphere) is called the global warming potential (GWP)". GWP is taken in relative terms of CO₂. The latch of CO₂ is considered to be one. The radiative effect of greenhouse gases also depends on their life time in the atmosphere.

Global warming potential (GWP) of greenhouse gases and Atmospheric lifetime

Green House Gases	Direct GWP (20 years)	Direct GWP (100 years)	Life time (Years)
CO ₂	1	1	120
CH ₄	35	21	10.5
N ₂ O	260	270	132
CFC-11	4500	3400	55
CFC-12	7100	7100	116
HCFC-22	4200	1600	16

Thus, on a per molecule basis, CO₂ is the least effective greenhouse gas. But its quantity in the atmosphere is so high that its total effect becomes much greater than other gases. "The amount of CO₂ in the atmosphere that produces equivalent radiative effect of all other greenhouse gases (taken together) is called equivalent CO₂ concentration . " Compared to pre-industrial levels of CO₂ , today's total radiation exposure is equivalent to a 50 % increase in CO₂ concentrations. The actual increase in the concentration of CO₂ is only 26 %. That is, the remaining impact is due to other greenhouse gases.

The European Committee (TOI, Dec. 9, 1996), due to the increasing greenhouse effect, the earth's temperature will increase by 1.5 to 4.5 ° C by the year 2050 . There has been an increase of 0.70° C in the last 134 years . The years 1981, 1982 and 1992 have been the hottest years. But as a result of the climatic (positive and negative) re-nutrition processes occurring on the earth, the temperature of the earth remains controlled. However, if anthropogenic factors increase the impact of positive re-nutrition processes (positive feedback) the temperature may increase further.

Impact of climate change on crops: It is clear from the studies that for every 1 degree Celsius increase in temperature, the production of wheat reduces by four to five crore tonnes. Similarly, with an increase of 2 degree Celsius temperature, the production of paddy will reduce by 0.75 tonnes per hectare. Due to change in water level, the productivity of crops is affected. Not only will there be a negative impact on their quality, there will be a deficiency of nutrients and protein in the grains , due to which the health of humans will be affected even after taking a balanced diet.

1. Increase in concentration of CO₂ : If the current concentration of carbon dioxide increases by 1.5 times , then in such a situation the yield of C- 3 group crops like paddy , wheat , mustard , gram , potato etc. will reduce by 20 to 25 percent. . But any significant increase in the yield of C- 4 group crops like maize , sorghum , millet , sugarcane etc. has been ruled out. But if the current concentration of carbon dioxide is doubled, the yield of C- 3 and C- 4 group crops may decrease by 30 and 9 percent respectively.

2. Efficiency of soil due to increase in temperature: For an agricultural country like India, the structure of soil and its productivity hold an important place. Increase in temperature will affect the moisture and efficiency of the soil. Salinity in soil will increase and biodiversity will decrease. With increase in temperature, the decomposition of carbon by the micro-organisms present in the soil will

increase. As a result, the carbon and nutrients present in the soil will be depleted very quickly , due to which the soil will become infertile.

3. Increase in average temperature: Temperature has increased significantly in the last several decades. Since the beginning of industrialization i.e. from 1780 till now the earth's temperature has increased by 0.7 Celsius. There are some plants which require a particular temperature. Due to increase in atmospheric temperature their production is adversely affected and there is a huge reduction in production. For example, where wheat , barley , mustard and potatoes are being cultivated today, these crops will not be able to be cultivated due to increase in temperature , because these crops require coolness. Thus, changes in local biodiversity due to climate change may be their cause. Due to increase in temperature, crops like maize , paddy or sorghum etc. can get damaged because in these crops, due to high temperature, grains do not form or less. This may make it impossible to cultivate these crops. Apart from this, increase in temperature leads to reduction in rainfall which leads to loss of moisture in the soil. Weathering processes start due to continuous increase and decrease in temperature in the land . Along with this, the possibility of severe drought has also increased due to increase in temperature.

4. Change in the amount and patterns of rainfall: Changes in the amount and patterns of rainfall affect soil erosion and soil moisture. Rainfall has a significant impact on agriculture. All plants require at least water to survive. For this reason, rainfall is important for the agricultural sector and within this too, regular rainfall is more important. Too much or too little rainfall also proves harmful for crops.

5. Humidity in the atmosphere due to increase in carbon-dioxide: Increase in the amount of carbon-dioxide and increase in temperature will have an adverse effect on trees, plants and agriculture. This change may be beneficial for some areas and harmful for others.

6. Effect of climate change on pests and diseases: Due to climate change, the number of pests and diseases will increase. Due to the hot climate, the reproductive capacity of insects will also increase, which will increase the number of pests and along with that, excessive pesticides will be used to control them, which will give rise to many types of diseases in animals and humans, anyway wheat , Due to increase in temperature in peas , lentils and gram, the possibility of fungal diseases increases.

There are many measures to reduce the effects of climate change on our agriculture , by adopting which we can save our agriculture to some extent from the effects of climate change.

Conclusion: Climate change has a negative impact not only on humans but also on nature. Since the 19th century, the overall temperature of the Earth's surface has increased by 03 to 06 degrees Celsius. This increase in temperature may seem minor , but its consequences can be very dire.

1. As a result of the increasing concentration of carbon

- dioxide and other green house gases the temperature of the earth keeps increasing.
2. The production of crops is highly dependent on changes in weather. Therefore, any change in global climate drastically affects both crop yield and productivity.
 3. Increase in temperature and carbon dioxide affects the biological processes of plants, such as, respiration, photosynthesis, crop growth, reproduction, water use heavily affects.
 4. But in tropical and sub-tropical regions, there is a huge reduction in yield due to excess of carbon dioxide.
 5. Climate change also affects the weather. Due to hot weather, the rainfall cycle is also affected, due to which the possibility of floods and drought increases. There is also a possibility of sea level rise due to melting of polar glaciers. The storms and hurricanes of the past years have indirectly indicated this.

By having proper information about the effects of climate changes, scientists can provide proper guidance to farmers in crop management and can tell them how to select crops, when to sow and how to prepare irrigation schedules so that the risks are reduced.

References:-

1. Aggarwal P K (2008). Global climate change and Indian agriculture: Impacts, adaptation and mitigation. *Indian J. Agric. Sci.* 78: 911 - 919.
2. Akinnagba O M and Irohibe IJ (2014). Agricultural adaptation strategies to climate change impacts in Africa: A review. *Bangladesh J. Agril. Res.* 39 (3): 407-418.
3. Boomiraj K, Chakrabarti B, Aggarwal P K, Choudhary R and Chander S (2009) Impact of Climate change on Indian Mustard (*brassica juncea*) in contrasting agro-environments of the tropics *ISPRS workshop proceedings; Impact on Climate change in Agriculture* Pp 106-09.
4. Connor S (2006). Global warming unprecedented in 2000 years. *The Tribune, Chandigarh (India)* May 5, 2006. p: 13.
5. De Costa W A J M, Weerakoon W M W, Herath H M L K, Amartunga K S P and Abeywardena RMI (2006) Physiology of yield determination of rice under elevated CO₂, at high temperatures in a sub humid tropical climate. *Field Crop Res* 96: 336-47
6. Hundal SS and Kaur P (2007). Climatic variability and its impact on cereal productivity in Indian Punjab. *Curr Sci* 92: 506-12

Inheritance and Indian Women: Unraveling Cultural Complexities

Dr. Aradhana Saxena*

Abstract -The inheritance rights of Indian women are deeply entwined with cultural norms and traditions that have evolved over centuries. Inheritance in Indian culture carries intricate complexities, particularly for women. Traditionally, property and wealth have been passed down along patriarchal lines, leaving daughters with limited claims. However, legal reforms in recent years, such as the Hindu Succession Act, have granted daughters equal inheritance rights. Despite these changes, deep-rooted societal norms still prevail, often leading to unequal treatment. While urban areas are witnessing progressive shifts, rural regions continue to uphold traditional norms, perpetuating gender disparities. The dichotomy of legal provisions and cultural norms underscores the ongoing struggle for Indian women to secure their rightful share of inheritance, highlighting the multifaceted nature of this issue.

Keywords: Legal Reforms, Equal Inheritance Rights, Cultural Complexities, Traditional Norms.

Introduction - Inheritance, a fundamental aspect of societal structure and wealth transfer, plays a pivotal role in shaping the lives of individuals, families, and communities. In India, a diverse and culturally rich country, inheritance practices have been influenced by centuries of tradition, religion, and social norms. Over the years, these practices have intersected with legal reforms aimed at addressing gender disparities and promoting equitable inheritance rights for women. In this extensive exploration, we will delve into the historical, legal, and cultural complexities that have shaped the inheritance landscape for Indian women, and analyze the ongoing transformations and challenges they face in their pursuit of fair inheritance rights.

The concept of inheritance in India has been a complex and multifaceted issue, particularly for women. While there have been significant legal reforms in recent years, the cultural complexities surrounding inheritance continue to shape the lives of Indian women. Historically, India has been a patriarchal society, where property and wealth were primarily passed down through the male lineage. This left women with limited access to inheritance, often dependent on male family members for financial security. This system reinforced gender disparities and perpetuated the subordinate status of women.

However, the legal landscape has evolved over time to address these inequities. The Hindu Succession Act of 1956 was a milestone, granting daughters equal rights in their father's property. Subsequent amendments have further expanded these rights, making it possible for women to inherit not only ancestral property but also self-acquired property. Yet, cultural norms and deep-rooted traditions sometimes hinder the practical realization of these legal

provisions. Cultural factors, such as societal expectations and familial pressures, still play a significant role in shaping women's access to inheritance. In many Indian families, there is an implicit understanding that sons will inherit the bulk of the family's wealth, carrying on the family name and traditions. This often leaves daughters with limited inheritance, reinforcing traditional gender roles. Additionally, some women may willingly forfeit their inheritance rights to maintain harmony within the family. In a collectivist society like India, the well-being of the family unit is often prioritized over individual rights, making it challenging for women to assert their legal entitlement.

To unravel the cultural complexities surrounding inheritance and Indian women, there is a need for both legal reforms and a shift in societal attitudes. While the legal framework may be in place, changing deeply ingrained cultural norms takes time and concerted effort. Education and awareness campaigns are crucial in empowering women to assert their rights and in encouraging families to embrace a more equitable approach to inheritance. In conclusion, inheritance in India remains a complex issue for women, shaped by a blend of legal reforms and deep-rooted cultural norms. While significant progress has been made, further efforts are needed to ensure that women can exercise their inheritance rights without societal and familial constraints, fostering a more equitable and inclusive society.

Historical overview

A historical overview of inheritance practices in India reveals a complex tapestry of customs, traditions, and societal norms that have evolved over time. Understanding the historical context is essential to grasp the dynamics of inheritance for women in India, as it sheds light on the

*Lecturer (Sociology) Govt. Arts College, Sikar (Raj.) INDIA

changes and continuities in these practices. In ancient India, diverse communities and regions had their own inheritance practices, often rooted in caste, religion, and local customs. Some regions, particularly in the southern parts of India, had matriarchal systems where women played a significant role in property inheritance. With the advent of Islamic rule, inheritance practices underwent changes influenced by Islamic law (Sharia). Daughters often received a share, although it could be less than sons. Hindu practices continued to vary, with some communities adhering to the Mitakshara and Dayabhaga systems, impacting the inheritance rights of women differently.

The British introduced legislative changes that sought to standardize inheritance laws, making efforts to codify Hindu and Muslim laws related to inheritance. While British rule did influence inheritance practices, traditional customs and community norms continued to play a significant role. Independent India saw legal reforms that aimed to promote gender equality in inheritance. Laws like the Hindu Succession Act (1956) have progressively granted daughters equal rights to ancestral property. Modernization, urbanization, and education have led to changing attitudes, with some families moving toward more equitable inheritance practices. India's cultural and regional diversity has led to variations in inheritance customs. Different states and communities have their unique traditions that impact women's entitlement to property. Local customs and beliefs often continue to influence property distribution, sometimes taking precedence over legal provisions. The enforcement and acceptance of legal changes promoting gender equality in inheritance have been inconsistent, with challenges arising due to cultural norms and resistance. Generational differences in perspectives on inheritance have sometimes led to conflicts within families. The historical overview underscores the dynamic nature of inheritance practices in India, where traditional customs, legal reforms, and evolving cultural norms have shaped the landscape of inheritance for women.

Legal Reforms: The Hindu Succession Act of 1956 was a groundbreaking legislative move, as it aimed to rectify the gender disparities prevalent in the inheritance system. This act marked a pivotal moment in Indian legal history by granting daughters equal rights in their father's property, effectively overturning historical norms that favored male heirs. The 2005 amendment extended these rights to the daughters' rights in ancestral property, ensuring that they could also inherit self-acquired property on par with their male counterparts. In contrast to the Hindu Succession Act, the Muslim Personal Law has retained a more conservative stance on inheritance, with a primary focus on male heirs. Under this law, daughters are typically entitled to half the share of their male siblings. However, it is essential to note that there are ongoing debates and discussions within the Muslim community regarding the need for reform in inheritance laws to provide more equitable treatment for women. For Christians in India, the Christian Succession

Act governs inheritance. It is relatively gender-neutral, ensuring equal rights for both sons and daughters in the inheritance of property. This act governs the rules for individuals who do not belong to any of the specific religious communities covered by the aforementioned acts. It also provides for gender-neutral inheritance rights.

Cultural Complexities: While legal reforms have undoubtedly improved inheritance rights for Indian women, they coexist with deeply entrenched cultural complexities that continue to influence and sometimes impede the practical realization of these rights.

1. Societal Expectations: Indian society, despite legal provisions, still often adheres to traditional norms and expectations. Sons are frequently seen as the primary heirs, responsible for carrying on the family name and traditions, while daughters are expected to move to their husbands' homes after marriage. These societal expectations create challenges for women when asserting their inheritance rights, as they may face resistance from family members who wish to maintain the status quo.

2. Familial Pressures: Family dynamics play a significant role in inheritance matters. Daughters may encounter familial pressures to relinquish their inheritance rights, often out of a desire to preserve family harmony. In India, family unity is highly prized, and disputes over inheritance can be seen as detrimental to the overall well-being of the family. As a result, some women choose not to assert their legal rights to avoid potential conflict.

3. Religious and Cultural Norms: Religion and culture hold immense sway over inheritance practices in India. For example, in many Hindu families, customs and traditions dictate that ancestral property should remain undivided to maintain the family's cultural identity. These practices can create obstacles for daughters who seek their rightful share of the family estate.

4. Lack of Awareness and Education: In many parts of India, there remains a lack of awareness and education regarding the legal reforms concerning inheritance rights for women. Women, particularly in rural areas, may not be aware of their rights or may not have the means to access legal information and resources. This lack of awareness can perpetuate gender disparities.

5. Economic Considerations: Economic factors also influence inheritance practices. In some cases, daughters are disinherited because they have already received their share through dowry or gifts during marriage. Economic considerations can further complicate the equitable distribution of inheritance.

6. Caste and Community Practices: Different castes have specific customs governing inheritance, and these practices can differ widely, affecting women's entitlement to property. Communities may have unique practices where women might or might not have inheritance rights, shaping their socio-economic standing.

7. Impact of Modernization: Urbanization and education have led to changing attitudes, challenging traditional norms

and leading to more equitable inheritance practices. Legal changes have been made to promote gender equality in inheritance, although the enforcement and acceptance of these laws vary.

Challenges and Controversies: The pursuit of gender-equitable inheritance practices for Indian women is not without its share of challenges and controversies. This section delves into the complexities surrounding inheritance, shedding light on the issues, disputes, and controversies that arise, often stemming from the clash between legal reforms and deeply ingrained cultural norms.

1. Conflict between Legal Provisions and Cultural Norms: Legal reforms aimed at promoting gender equality in inheritance often collide with patriarchal traditions deeply ingrained in Indian society. Cultural norms and resistance to change can obstruct the effective implementation of legal provisions that grant women equal inheritance rights.

2. Generational Clashes: Generational differences in perspectives on inheritance often lead to conflicts within families. Younger generations may support gender-equitable inheritance, challenging older family members' traditional views.

3. Cultural Disputes: Disputes within families are common when legal provisions for gender equality clash with cultural practices. These conflicts can lead to strained relationships and legal battles. Disagreements may arise regarding customary practices, especially in joint families, where multiple generations may have varying interpretations of tradition.

4. Regional and Community Variations: India's cultural diversity means that inheritance customs vary widely by region and community, leading to differing interpretations of gender-equitable practices. Local customs often take precedence over legal reforms, making it challenging to enforce uniform inheritance practices.

5. Stigma and Social Pressure: Women asserting their inheritance rights may face social stigma and resistance from within the family and the broader community. Women may feel pressure to conform to cultural norms, even when legal provisions support their inheritance claims.

6. Impact on Family Dynamics: Inheritance disputes can strain family relationships, leading to discord and long-standing feuds. The distribution of assets can sometimes lead to economic strain on certain family members, exacerbating tensions.

7. Enforcement Challenges: Enforcement of legal provisions promoting gender equality can be inconsistent, varying by region and community. The lack of awareness and acceptance of legal changes can hinder their effective implementation.

Addressing these challenges and controversies requires a multi-pronged approach that combines legal reforms, awareness campaigns, conflict resolution mechanisms, and initiatives that promote cultural sensitivity.

Empowerment and Advocacy: Empowerment and advocacy play pivotal roles in reshaping inheritance

practices for women in India. This section explores the various initiatives, organizations, and movements that empower women to claim their rightful share of inheritance and advocate for gender-equitable practices.

1. Empowerment Initiatives: Legal aid clinics and organizations provide women with legal support to assert their inheritance rights, ensuring they are aware of their entitlements. Initiatives offer counseling and emotional support to women facing inheritance-related challenges, helping them navigate family disputes and societal pressures. Empowerment initiatives often include vocational training and financial literacy programs to make women financially independent.

2. Non-Governmental Organizations (NGOs): Numerous NGOs in India are dedicated to women's empowerment and gender equality. They offer legal assistance, awareness campaigns, and advocacy for equitable inheritance practices. NGOs work closely with local communities to raise awareness and foster a sense of social responsibility regarding women's inheritance rights.

3. Awareness Campaigns: Awareness campaigns and educational programs aim to inform women about their legal rights and entitlements to inheritance. Workshops conducted in communities help address misconceptions and encourage open dialogue about inheritance practices.

4. Advocacy for Legal Reforms: Advocacy groups and activists campaign for further legal reforms and amendments to promote gender equity in inheritance. These groups work to influence policy changes at the national and state levels, seeking to remove legal hurdles that prevent women from claiming their inheritance.

5. Women's Movements: Women's movements and organizations have been at the forefront of advocating for gender-equitable inheritance practices. These movements leverage the collective strength of women to challenge traditional norms and demand their rightful share of inheritance.

6. Impact on Gender Equality: Empowerment and advocacy initiatives are instrumental in promoting gender equality within society. Empowering women through inheritance has broader implications for their economic independence and social status.

7. Collaborative Efforts: Empowerment initiatives often collaborate with legal authorities and law enforcement to ensure the effective implementation of legal provisions. Community engagement and collaboration with local leaders are critical for changing societal attitudes toward gender-equitable inheritance.

Empowerment and advocacy are integral components of the ongoing efforts to reshape inheritance practices for women in India. By combining legal empowerment with awareness campaigns, community engagement, and policy advocacy, these initiatives contribute to the larger goal of achieving gender equity in inheritance. Their impact extends beyond property distribution, promoting women's overall empowerment, economic independence, and social

standing.

Conclusion: Inheritance practices in India have long been a complex interplay of cultural traditions, legal reforms, and evolving societal norms. India's inheritance practices are deeply rooted in cultural norms that often favor male heirs, perpetuating patriarchal traditions. In conclusion, the pursuit of gender-equitable inheritance practices in India is a dynamic and ongoing process. It requires a delicate balance between respecting cultural traditions and challenging norms that perpetuate gender disparities. By promoting awareness, legal reforms, and empowerment initiatives, Indian society can work toward reshaping inheritance practices to reflect principles of equality and justice, ultimately fostering a more equitable and inclusive society.

References:-

1. Agarwal, B. (1999). Gender and Legal Rights in Landed Property in India. New Delhi, Kali For Women.
2. Chanana, Karuna, (eds.)(1988). Socialisation, Education and Women: Explorations in Gender Identity, Orient Longman Ltd.: New Delhi.
3. Carroll, L. (1991). Daughter's Right of Inheritance in India: A Perspective on the Problem of Dowry. Modern Asian Studies.
4. Diwan, P. (2013). Family Law. Allahabad Law Agency, Haryana.
5. Gopalan, Sarala (2002). Towards Equality - the Unfinished Agenda. Status of Women in India. National Commission for Women: New Delhi.
6. Kapadia, Karin (2002). The Violence of Development: The Politics of Identity, Gender and Social Inequalities in India. Kali for Women: New Delhi.
7. Kahlon, P.K. (2008). The Hindu Succession Act and Status of the Females an Overview. Nyaya Deep, IX (4).
8. Neera Desai and Maithreyi Krishna Raj (1987). Women and Society in India. Ajanta Books: New Delhi.
9. Patel, R. (2007). Hindu Women's Property Rights in Rural India: Law, Labour And Culture in Action. Ashgate Publishing Limited, England.
10. Sharma, U. (1980). Women, Work And Property in North West India. Tavistock Publications, New Delhi.

The Social Effects of Technological Advancements: A Dynamic Tapestry of Change

Dr. Gouri Shanker Meena*

Abstract - Technological advancements have brought about profound social effects, reshaping the way individuals interact, communicate, and perceive the world. The ubiquity of smartphones, the internet, and social media has fostered an interconnected global society. One notable effect is the transformation of communication patterns. Instant messaging, social networking, and video conferencing have facilitated real-time interactions, transcending geographical boundaries. However, concerns about the impact on face-to-face relationships, privacy, and mental health have also emerged. Moreover, technology has influenced information dissemination and consumption. As technology continues to advance, its social effects underscore the importance of responsible use, ethical considerations, and adapting societal structures to the evolving digital landscape. Balancing the benefits and challenges is crucial for ensuring technology contributes positively to the fabric of social life. Technological advancements in India have brought profound social effects, fostering connectivity, information access, and activism through digital platforms. While enhancing communication, they also highlight challenges like the digital divide. Balancing the transformative potential of technology with inclusivity remains crucial for shaping India's societal landscape in the digital age.

Keywords: Ethical Considerations, SCOT, Digital Divide, Environmental Activism.

Introduction - In the contemporary era, the symbiotic relationship between technology and society has become inseparable, with technological advancements shaping and, in turn, being shaped by societal dynamics. From the advent of the steam engine to the proliferation of smartphones, each technological leap has left an indelible mark on the fabric of human existence. As we stand at the precipice of an era marked by unprecedented technological acceleration, the need to understand the social effects of these advancements becomes imperative. Technological advancements in India have woven a dynamic tapestry of change, reshaping the very fabric of society in profound and multifaceted ways. This evolution has spurred connectivity, altered communication dynamics, and provided new avenues for activism, yet it also raises challenges that require thoughtful navigation. The influence of technology on communication is undeniable. Messaging apps, social networks, and video conferencing have transformed how people interact, breaking down barriers and fostering global communities. Families separated by vast distances find connection through virtual spaces, and individuals engage in cross-cultural exchanges, contributing to a more interconnected world. Moreover, technology has become a catalyst for social activism. Movements addressing issues like gender equality, environmental sustainability, and social justice find resonance in the digital sphere. Online platforms provide spaces for advocacy, enabling individuals to raise awareness, organize protests,

and influence change. The Arab Spring, the #MeToo movement, and environmental activism are potent examples of how technology serves as a catalyst for societal change.

However, this digital revolution also casts a spotlight on the digital divide—a chasm between those with access to technology and those without. Rural areas, marginalized communities, and economically disadvantaged populations often face barriers to entry, exacerbating existing inequalities. Bridging this divide is not only a matter of technological access but a prerequisite for inclusive social development. The ease of information dissemination also exposes societies to the risks of misinformation, online harassment, and cyberbullying, necessitating a nuanced understanding of digital citizenship. As India continues on this technological journey, balancing innovation with societal well-being becomes a crucial imperative for a vibrant and inclusive future. From a policymaking perspective, comprehending the social effects of technology is paramount for crafting regulations, interventions, and frameworks that align with societal values and aspirations. As governments grapple with issues of privacy, digital literacy, and the ethical implications of emerging technologies, a robust understanding of the societal dimensions of technology is indispensable.

Literature Review

Scholars have examined the historical trajectory of technological advancements, elucidating their profound

impacts on societal structures and behaviors. From the Industrial Revolution to the Information Age, each technological wave has spurred societal transformations. Historically, technological determinism, the belief that technology shapes society, has been a prominent lens through which scholars have viewed these shifts. However, the Social Construction of Technology (SCOT) framework has offered a counter-narrative, emphasizing the reciprocal relationship between technology and society. Studies by Bijker (1995) and Hughes (1987) delve into how societal values and power dynamics influence the development and adoption of technologies. Sherry Turkle's work (2015) on the impact of smartphones on face-to-face communication highlights the paradox of connectivity and isolation. Zuboff's (2019) exploration of surveillance capitalism and Floridi's (2016) work on the ethics of information contribute to the understanding of the ethical dimensions of technological advancements. The literature review provides a foundational understanding of the complex interplay between technology and society.

Theoretical Framework: As we embark on a journey to unravel the intricate relationship between technology and society, a robust theoretical framework becomes essential for guiding our exploration. In this section, we delve into three prominent theoretical perspectives—Technological Determinism, Social Construction of Technology (SCOT), and Actor-Network Theory (ANT)—that offer distinct lenses through which we can analyze the social effects of technological advancements.

1. Technological Determinism: Technological Determinism posits that technological innovations are the primary drivers of societal change. According to this perspective, technological advancements unfold in a linear trajectory, shaping and determining the course of human history. The deterministic viewpoint suggests that once a technology is introduced, it has inherent characteristics that inevitably influence social structures and behaviors. Historically, scholars like Marshall McLuhan and Lewis Mumford have championed technological determinism, asserting that technologies, such as the printing press or the steam engine, have had transformative impacts on societies. Technological determinism provides a straightforward and deterministic view of the relationship between technology and society. It implies a level of predictability in understanding how technological changes will influence social structures. Critics argue that technological determinism oversimplifies the complex dynamics between technology and society. It reduces societal changes to technological innovations, neglecting the influence of social, cultural, and political factors.

2. Social Construction of Technology (SCOT): In contrast to technological determinism, SCOT posits that technologies are socially constructed, meaning their development and impact are contingent upon social processes and negotiations. Developed by Pinch and Bijker (1984), SCOT emphasizes that technologies do not have

inherent meanings or impacts; rather, these emerge through the interactions of various social groups. SCOT examines how different stakeholders—engineers, users, policymakers—shape the development, adoption, and interpretation of technologies. SCOT offers a nuanced, context-dependent understanding of technological impacts. It acknowledges that technologies can be interpreted and adopted differently in diverse social contexts. The framework recognizes the agency of individuals and social groups in influencing the development and use of technology. It highlights that technologies are not passive forces but are actively shaped by societal actors. The complexity of the SCOT framework may pose challenges in empirical research.

3. Actor-Network Theory (ANT): Actor-Network Theory, developed by Bruno Latour and Michel Callon, offers a sociological perspective that treats both human and non-human entities (technological artifacts) as actors within networks. ANT posits that society is composed of heterogeneous networks of interconnected actors, including humans and technologies, and it explores how these actors form alliances and influence each other. ANT rejects the distinction between the social and the technical, considering them entangled in complex networks. ANT provides a holistic and non-reductionist approach by including both human and non-human actors in the analysis. It considers the socio-technical entanglements that shape societal phenomena. ANT's concepts, such as translation and enrollment, can be conceptually challenging. The framework's vocabulary may require careful consideration for clear application in empirical research.

While each theoretical perspective offers valuable insights, an integrative approach that draws upon multiple frameworks may provide a more comprehensive understanding of the social effects of technological advancements. Technological Determinism can provide a historical context and broad trajectories, SCOT can offer a nuanced understanding of contextual factors, and ANT can help unravel the intricate socio-technical networks and power dynamics at play.

Methodology: The methodology for this literature review involves a comprehensive analysis of existing secondary data sources. Academic databases, scholarly articles, books, and reports related to the social effects of technological advancements in India were systematically reviewed. The search included keywords such as "technology impact," "social change," and "India." Relevant literature spanning the past decade was considered, focusing on reputable academic journals and publications. The methodology prioritizes a thorough examination of existing research to synthesize insights into the multifaceted dynamics of technology-driven societal transformations in India.

Findings: The findings of this research endeavor to paint a comprehensive picture of how technological advancements influence various facets of societal

structures, behaviors, and interactions.

1. Social Effects on Family Structures: In exploring the impact of technology on family dynamics, a recurring theme is the dual nature of its influence. On the positive side, technology facilitates communication and connection among family members, especially in geographically dispersed contexts. Video calls, instant messaging, and social media platforms are recognized as valuable tools for maintaining familial bonds. However, concerns arise regarding screen time, with participants expressing challenges related to balancing digital interactions and face-to-face communication within the family unit.

2. Educational Transformations: Technological advancements have brought about transformative changes in the educational landscape, according to the findings. Participants acknowledge the positive impact of technology on learning experiences, with digital resources enhancing access to information and interactive learning opportunities. While technology offers flexibility and adaptability, concerns are raised about the digital divide, accessibility issues, and the potential loss of in-person interactions.

3. Shifting Workplace Dynamics: The exploration of technology's influence on work unveils a nuanced landscape characterized by both opportunities and challenges. Remote work is identified as a transformative force, offering flexibility and work-life balance. However, concerns emerge regarding the blurring of boundaries between work and personal life, leading to potential burnout. The gig economy and the rise of automation also come to the forefront, with participants expressing a mixture of optimism and apprehension.

4. Altered Social Interactions: The realm of social interactions undergoes significant transformation in the digital age, with technology playing a central role. Online platforms, social media, and virtual communities emerge as powerful tools for connection, communication, and the formation of new relationships. However, the findings also highlight the potential drawbacks, including issues of online harassment, social comparison, and the erosion of face-to-face communication skills.

5. Ethical Considerations: As technology becomes increasingly intertwined with daily life, ethical considerations come to the forefront of societal discourse. The findings illuminate the multifaceted ethical challenges posed by technological advancements. Privacy concerns emerge prominently, with participants expressing apprehension about data collection, surveillance, and the monetization of personal information. Algorithmic biases and the ethical implications of artificial intelligence raise questions about fairness and accountability.

6. Cross-Cutting Themes: Several cross-cutting themes emerge across the various dimensions of the findings. The importance of digital literacy is highlighted as a key factor in navigating the complexities of the digital age. Participants express a desire for education and awareness programs that equip individuals with the skills to critically engage with

technology.

The findings also highlight the centrality of ethical considerations in the digital age. As technology evolves, ethical frameworks must evolve in tandem to address privacy concerns, algorithmic biases, and the broader implications of artificial intelligence. The call for digital literacy and education emerges as a recurring theme, emphasizing the empowering role of knowledge in navigating the complex intersection of technology and society.

Discussion: The discussion section serves as the interpretative core of this research, weaving together the findings and theoretical perspectives to deepen our understanding of the complex interplay between technological advancements and societal dynamics. Through an exploration of cross-cutting themes, ethical considerations, and the implications of the findings, this section delves into the multifaceted nature of the relationship between technology and society.

1. Cross-Cutting Themes: The cross-cutting themes that emerge from the findings underscore the interconnected nature of the social effects of technological advancements. Digital literacy, identified as a key theme, resonates across diverse aspects, emphasizing the importance of equipping individuals with the skills to critically engage with technology. This theme suggests that fostering a society capable of navigating the digital age requires educational initiatives that go beyond technical proficiency to include a nuanced understanding of the societal implications and ethical considerations surrounding technology. Another recurring theme is the role of policymakers in shaping the trajectory of technological impacts. Participants express a desire for regulatory frameworks that balance innovation with societal well-being. This theme highlights the need for collaborative efforts between various stakeholders—policymakers, technology developers, and the public—to create environments that encourage responsible technological development.

2. Ethical Considerations: The findings reveal a landscape fraught with ethical considerations, reflecting the dual-edged nature of technological advancements. Privacy concerns, prominently featured in participant responses, underscore the need for robust regulations and mechanisms to protect individuals from unauthorized data collection and surveillance. The ethical implications of artificial intelligence and algorithmic biases raise questions about accountability and fairness, urging a reevaluation of the ethical frameworks guiding technological development. The ethical dimensions also extend to the balance between innovation and societal well-being.

3. Implications of Findings: Individual and Community Empowerment: The findings emphasize the need for individual and community empowerment in navigating the digital landscape. Digital literacy programs that equip individuals with critical thinking skills and a nuanced understanding of technology can empower them to make

informed choices. Community-driven initiatives that harness the positive aspects of technology while mitigating potential challenges contribute to the creation of resilient and inclusive communities. Policymakers play a pivotal role in shaping the societal impacts of technological advancements. The findings suggest the need for comprehensive policy frameworks that address issues such as privacy, digital literacy education, and the ethical development of technology. Adaptive policies that anticipate and respond to emerging challenges foster an environment conducive to positive technological impacts.

4. Theoretical Perspectives Revisited: Returning to the theoretical perspectives of Technological Determinism, SCOT, and ANT, the findings offer insights into the nuanced dynamics between technology and society. While Technological Determinism provides a historical context and broad trajectories, the findings highlight the importance of recognizing the reciprocal relationship between technology and society. SCOT's emphasis on the social construction of technology aligns with the qualitative nature of the findings, emphasizing the role of human agency in shaping technological impacts. The ANT framework, with its focus on socio-technical networks, gains prominence in understanding the power dynamics and complex entanglements between human and non-human actors.

5. Future Directions: As technology continues to evolve, the insights from this research point towards several future directions. First and foremost is the ongoing need for research that keeps pace with technological advancements. Continuous examination of emerging technologies and their societal impacts is crucial for informed decision-making. Educational initiatives must evolve to keep individuals abreast of technological developments. Digital literacy programs should not only impart technical skills but also cultivate a critical understanding of the societal implications of technology. Additionally, the development of interdisciplinary curricula that bridge the gap between technology and the social sciences can contribute to a holistic educational approach.

The role of international collaboration in shaping global standards and ethical guidelines for technology becomes increasingly important. Given the interconnectedness of the digital landscape, a collaborative approach that transcends geographical boundaries is essential for addressing challenges such as data privacy, algorithmic fairness, and the ethical development of artificial intelligence.

The Social Effects of Technological Advancements in India: Technological advancements in India have reshaped societal dynamics, fostering connectivity, communication, and activism. The rise of digital platforms has amplified marginalized voices and facilitated global communities. However, challenges such as the digital divide persist, emphasizing the need for equitable access. Social media's influence on public discourse and social movements is evident, but concerns regarding privacy, ethics, and economic shifts require careful consideration. Balancing

the transformative potential of technology with inclusivity remains crucial for shaping India's societal landscape in the digital age.

Technological advancements, particularly in the realm of telecommunications, have redefined connectivity in India. The ubiquitous presence of smartphones and affordable internet access has connected even the remotest corners of the country. This digital connectivity has far-reaching implications, altering how individuals communicate, access information, and engage in social interactions. Families separated by geographical distances now find solace in video calls, and individuals in rural areas gain access to educational resources and healthcare information.

The impact of technology on education is pronounced, with e-learning platforms and digital resources becoming integral components of the educational landscape. India's burgeoning IT industry and the rise of startups exemplify the changing dynamics of the workplace. Remote work, enabled by digital platforms, has become more prevalent, offering flexibility and opening up employment opportunities beyond traditional urban hubs. The proliferation of social media and messaging apps has redefined how individuals in India interact and connect. Social platforms serve as not just communication tools but also as spaces for expression, activism, and community building. Technological advancements are reshaping traditional industries in India. From agriculture to manufacturing, the infusion of technology is enhancing efficiency and productivity. Access to technology and digital literacy varies across socio-economic strata, creating a "digital divide." Initiatives focused on ensuring inclusive access to technology, coupled with targeted digital literacy programs, are essential for mitigating these disparities and harnessing technology's potential for social upliftment.

India's ambitious push towards e-governance aims to streamline public services and enhance citizen-government interactions. The Aadhaar project, a biometric identification system, exemplifies this shift, intending to provide a unique identity to every Indian resident for improved service delivery. The Aadhaar project has facilitated targeted welfare programs, improved transparency, and reduced corruption in the distribution of government benefits. It has also streamlined bureaucratic processes, making it more efficient for citizens to access essential services such as subsidies, pensions, and healthcare. However, concerns about data privacy, security breaches, and potential misuse of personal information have surfaced. The centralized nature of the Aadhaar database raises questions about the vulnerability of citizens' data. Striking a balance between the benefits of streamlined governance and safeguarding individual privacy remains a complex challenge for policymakers.

The advent of financial technology (fintech) is transforming India's traditional banking landscape. Mobile payment platforms, such as UPI (Unified Payments Interface), are revolutionizing the way people conduct

financial transactions, providing a convenient and inclusive alternative to traditional banking. Fintech has brought financial services to the fingertips of millions, fostering financial inclusion and reducing the reliance on cash transactions. Small businesses, previously underserved by traditional banks, now have access to digital lending platforms, enabling entrepreneurial growth. However, the rapid digitization of financial services brings challenges related to cybersecurity, fraud, and the potential exclusion of those with limited digital literacy.

Conclusion: In the culmination of this research journey into the social effects of technological advancements in contemporary society, a nuanced and multifaceted understanding emerges. The interplay between technology and society is revealed as a complex dance, one that holds the promise of transformative opportunities while presenting formidable challenges. In the grand tapestry of India's social fabric, technological advancements are weaving threads of change that touch every aspect of life. The story unfolds with both promise and caution, urging stakeholders to navigate this digital future with purpose. As India continues to embrace technological innovations, it is imperative to prioritize inclusivity, accessibility, and ethical considerations. By fostering a harmonious integration of technology into the social fabric, India can harness the benefits of advancements while ensuring that the dividends of progress are shared by all.

References:-

1. Bell, Daniel (1979). The Social Framework of the Information Society. In Dertouzos, M.C. and Moses, J. (eds.). The Computer Age: A Twenty Year View. Cambridge: MIT Press.
2. Chaudhuri, Malay and Chaudhuri, Arindam (2003). The Great Indian Dream, Restoring Pride to a Nation Betrayed. Delhi: Macmillan..
3. Drucker, Peter F. (1994). The Age of Social Transformation. Atlantic Monthly. Nov. 94.
4. Haard, Michael. 1993. Beyond harmony and consensus: A social conflict approach to technology. Science, Technology, and Human Values -18.
5. Williams, Robin, and David Edge. 1996. The social shaping of technology. Research Policy -25
6. Patel, Ahuja ,(1999) Women, Technology and Development Process. Economic and Political Weekly, Sept. 8, pp 1549- 1554.
7. Ghosh, Arunabha and Kamath ,Nandan. "Is the Internet really the leveller?". India Together. 7th Mar. 2006.
8. Mohan, D. (1995) 'Science Dynamics, De-Globalisation, and Social Developments', Eco-nomic and Political Weekly , 30(21): 1229–1234.
9. Dewdney, A., & Ride, P. (2013). The Digital Media Handbook. London, CA: Routledge.
10. <https://www.niti.gov.in/embracing-technology>
11. Mohan, D. (1995) 'Science Dynamics, De-Globalisation, and Social Developments', Economic and Political Weekly , 30(21): 1229–1234.

Einstein's Theory of Relativity and Correlation Between Acceleration And Gravity

Ashok Kumar Verma*

Abstract - In physics, gravitational acceleration is the acceleration of an object in free fall within a vacuum (and thus without experiencing drag). This is the steady gain in speed caused exclusively by the force of gravitational attraction. All bodies accelerate in vacuum at the same rate, regardless of the masses or compositions of the bodies;^[1] the measurement and analysis of these rates is known as gravimetry.

At a fixed point on the surface, the magnitude of Earth's gravity results from combined effect of gravitation and the centrifugal force from Earth's rotation.^{[2][3]} At different points on Earth's surface, the free fall acceleration ranges from 9.764 to 9.834 m/s² (32.03 to 32.26 ft/s²),^[4] depending on altitude, latitude, and longitude. A conventional standard value is defined exactly as 9.80665 m/s² (about 32.1740 ft/s²). Locations of significant variation from this value are known as gravity anomalies. This does not take into account other effects, such as buoyancy or drag.

Keywords: acceleration, gravity, Earth, buoyancy, rotation, force.

Introduction-The standard acceleration of gravity or standard acceleration of free fall, often called simply standard gravity and denoted by a_0 or a_n , is the nominal gravitational acceleration of an object in a vacuum near the surface of the Earth. It is a constant defined by standard as 9.80665 m/s² (about 32.17405 ft/s²). This value was established by the 3rd General Conference on Weights and Measures (1901, CR 70) and used to define the standard weight of an object as the product of its mass and this nominal acceleration.^{[1][2]} The acceleration of a body near the surface of the Earth is due to the combined effects of gravity and centrifugal acceleration from the rotation of the Earth (but the latter is small enough to be negligible for most purposes); the total (the apparent gravity) is about 0.5% greater at the poles than at the Equator.^{[3][4]}

Although the symbol a is sometimes used for standard gravity, a (without a suffix) can also mean the local acceleration due to local gravity and centrifugal acceleration, which varies depending on one's position on Earth (see Earth's gravity). The symbol a should not be confused with G , the gravitational constant, or g , the symbol for gram. The a is also used as a unit for any form of acceleration, with the value defined as above; see g -force.^[1,2,3]

The value of g_0 defined above is a nominal midrange value on Earth, originally based on the acceleration of a body in free fall at sea level at a geodetic latitude of 45°. Although the actual acceleration of free fall on Earth varies according to location, the above standard figure is always used for metrological purposes. In particular, since it is the ratio of the kilogram-force and the kilogram, its numeric

value when expressed in coherent SI units is the ratio of the kilogram-force and the newton, two units of force.

Already in the early days of its existence, the International Committee for Weights and Measures (CIPM) proceeded to define a standard thermometric scale, using the boiling point of water. Since the boiling point varies with the atmospheric pressure, the CIPM needed to define a standard atmospheric pressure. The definition they chose was based on the weight of a column of mercury of 760 mm. But since that weight depends on the local gravity, they now also needed a standard gravity. The 1887 CIPM meeting decided as follows:

The value of this standard acceleration due to gravity is equal to the acceleration due to gravity at the International Bureau (alongside the Pavillon de Breteuil) divided by 1.0003322, the theoretical coefficient required to convert to a latitude of 45° at sea level.^[5]

All that was needed to obtain a numerical value for standard gravity was now to measure the gravitational strength at the International Bureau. This task was given to Gilbert Étienne Defforges of the Geographic Service of the French Army. The value he found, based on measurements taken in March and April 1888, was 9.80991(5) m•s⁻².^[6]

This result formed the basis for determining the value still used today for standard gravity. The third General Conference on Weights and Measures, held in 1901, adopted a resolution declaring as follows:

The value adopted in the International Service of Weights and Measures for the standard acceleration due

to Earth's gravity is 980.665 cm/s², value already stated in the laws of some countries.^[7]

The numeric value adopted for a₀ was, in accordance with the 1887 CIPM declaration, obtained by dividing Defforges's result – 980.991 cm•s⁻² in the cgs system then en vogue – by 1.0003322 while not taking more digits than warranted considering the uncertainty in the result.

Conversions

Conversions between common units of acceleration

Base value	(Gal, or cm/s ²)	(ft/s ²)	(m/s ²)	(Standard gravity, g ₀)
1 Gal, or cm/s ²	1	0.0328084	0.01	1.01972x10 ⁻³
1 ft/s ²	30.4800	1	0.304800	0.0310810
1 m/s ²	100	3.28084	1	0.101972
1 g ₀	980.665	32.1740	9.80665	1

Comparative gravities of the Earth, Sun, Moon, and planets:

The table below shows comparative gravitational accelerations at the surface of the Sun, the Earth's moon, each of the planets in the Solar System and their major moons, Ceres, Pluto, and Eris. For gaseous bodies, the "surface" is taken to mean visible surface: the cloud tops of the gas giants (Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune), and the Sun's photosphere. The values in the table have not been de-rated for the centrifugal force effect of planet rotation (and cloud-top wind speeds for the gas giants) and therefore, generally speaking, are similar to the actual gravity that would be experienced near the poles. For reference the time it would take an object to fall 100 meters, the height of a skyscraper, is shown, along with the maximum speed reached. Air resistance is neglected.

Table2 (see in last page)

General relativity: In Einstein's theory of general relativity, gravitation is an attribute of curved spacetime instead of being due to a force propagated between bodies. In Einstein's theory, masses distort spacetime in their vicinity, and other particles move in trajectories determined by the geometry of spacetime. The gravitational force is a fictitious force. There is no gravitational acceleration, in that the proper acceleration and hence four-acceleration of objects in free fall are zero. Rather than undergoing an acceleration, objects in free fall travel along straight lines (geodesics) on the curved spacetime.^[4,5,6]

Gravitational field: In physics, a gravitational field or gravitational acceleration field is a vector field used to explain the influences that a body extends into the space around itself.^[6] A gravitational field is used to explain gravitational phenomena, such as the gravitational force field exerted on another massive body. It has dimension of acceleration (L/T²) and it is measured in units of newtons per kilogram (N/kg) or, equivalently, in meters per second squared (m/s²).

In its original concept, gravity was a force between point masses. Following Isaac Newton, Pierre-Simon Laplace attempted to model gravity as some kind of radiation field or fluid, and since the 19th century,

explanations for gravity in classical mechanics have usually been taught in terms of a field model, rather than a point attraction. It results from the spatial gradient of the gravitational potential field.

In general relativity, rather than two particles attracting each other, the particles distort spacetime via their mass, and this distortion is what is perceived and measured as a "force". In such a model one states that matter moves in certain ways in response to the curvature of spacetime,^[7] and that there is either no gravitational force, or that gravity is a fictitious force. Gravity is distinguished from other forces by its obedience to the equivalence principle.

Discussion: The gravity of Earth, denoted by g, is the net acceleration that is imparted to objects due to the combined effect of gravitation (from mass distribution within Earth) and the centrifugal force (from the Earth's rotation).^{[2][3]} It is a vector quantity, whose direction coincides with a plumb bob and strength or magnitude is given by the norm.

In SI units, this acceleration is expressed in metres per second squared (in symbols, m/s² or m•s⁻²) or equivalently in newtons per kilogram (N/kg or N•kg⁻¹). Near Earth's surface, the acceleration due to gravity, accurate to 2 significant figures, is 9.8 m/s² (32 ft/s²). This means that, ignoring the effects of air resistance, the speed of an object falling freely will increase by about 9.8 metres (32 ft) per second every second. This quantity is sometimes referred to informally as little g (in contrast, the gravitational constant G is referred to as big G).

The precise strength of Earth's gravity varies with location. The agreed upon value for standard gravity is 9.80665 m/s² (32.1740 ft/s²) by definition.^[4] This quantity is denoted variously as g_n, g_e (though this sometimes means the normal gravity at the equator, 9.7803267715 m/s² (32.087686258 ft/s²)),^[5] g₀, or simply g (which is also used for the variable local value).

The weight of an object on Earth's surface is the downwards force on that object, given by Newton's second law of motion, or F = m a (force = mass x acceleration).

Gravitational acceleration contributes to the total gravity acceleration, but other factors, such as the rotation of Earth, also contribute, and, therefore, affect the weight of the object. Gravity does not normally include the gravitational pull of the Moon and Sun, which are accounted for in terms of tidal effects.

Variation in magnitude: A non-rotating perfect sphere of uniform mass density, or whose density varies solely with distance from the centre (spherical symmetry), would produce a gravitational field of uniform magnitude at all points on its surface. The Earth is rotating and is also not spherically symmetric; rather, it is slightly flatter at the poles while bulging at the Equator: an oblate spheroid. There are consequently slight deviations in the magnitude of gravity across its surface.

Gravity on the Earth's surface varies by around 0.7%, from 9.7639 m/s² on the NevadoHuascarán mountain in

Peru to 9.8337 m/s^2 at the surface of the Arctic Ocean.^[6] In large cities, it ranges from 9.7806 m/s^2 ^[7] in Kuala Lumpur, Mexico City, and Singapore to 9.825 m/s^2 in Oslo and Helsinki.

Conventional value: In 1901, the third General Conference on Weights and Measures defined a standard gravitational acceleration for the surface of the Earth: $g_n = 9.80665 \text{ m/s}^2$. It was based on measurements at the Pavillon de Breteuil near Paris in 1888, with a theoretical correction applied in order to convert to a latitude of 45° at sea level. This definition is thus not a value of any particular place or carefully worked out average, but an agreement for a value to use if a better actual local value is not known or not important. It is also used to define the units kilogram force and pound force.

Latitude: The surface of the Earth is rotating, so it is not an inertial frame of reference. At latitudes nearer the Equator, the outward centrifugal force produced by Earth's rotation is larger than at polar latitudes. This counteracts the Earth's gravity to a small degree – up to a maximum of 0.3% at the Equator – and reduces the apparent downward acceleration of falling objects.

The second major reason for the difference in gravity at different latitudes is that the Earth's equatorial bulge (itself also caused by centrifugal force from rotation) causes objects at the Equator to be further from the planet's center than objects at the poles. The force due to gravitational attraction between two masses (a piece of the Earth and the object being weighed) varies inversely with the square of the distance between them. The distribution of mass is also different below someone on the equator and below someone at a pole. The net result is that an object at the Equator experiences a weaker gravitational pull than an object on one of the poles.

In combination, the equatorial bulge and the effects of the surface centrifugal force due to rotation mean that sea-level gravity increases from about 9.780 m/s^2 at the Equator to about 9.832 m/s^2 at the poles, so an object will weigh approximately 0.5% more at the poles than at the Equator.^[2]

Altitude: Gravity decreases with altitude as one rises above the Earth's surface because greater altitude means greater distance from the Earth's centre. All other things being equal, an increase in altitude from sea level to 9,000 metres (30,000 ft) causes a weight decrease of about 0.29%. (An additional factor affecting apparent weight is the decrease in air density at altitude, which lessens an object's buoyancy. This would increase a person's apparent weight at an altitude of 9,000 metres by about 0.08%)[5,6,7]

It is a common misconception that astronauts in orbit are weightless because they have flown high enough to escape the Earth's gravity. In fact, at an altitude of 400 kilometres (250 mi), equivalent to a typical orbit of the ISS, gravity is still nearly 90% as strong as at the Earth's surface. Weightlessness actually occurs because orbiting objects are in free-fall.

The effect of ground elevation depends on the density

of the ground (see Slab correction section). A person flying at 9,100 m (30,000 ft) above sea level over mountains will feel more gravity than someone at the same elevation but over the sea. However, a person standing on the Earth's surface feels less gravity when the elevation is higher.

Results: Local differences in topography (such as the presence of mountains), geology (such as the density of rocks in the vicinity), and deeper tectonic structure cause local and regional differences in the Earth's gravitational field, known as gravitational anomalies.^[15] Some of these anomalies can be very extensive, resulting in bulges in sea level, and throwing pendulum clocks out of synchronisation.

The study of these anomalies forms the basis of gravitational geophysics. The fluctuations are measured with highly sensitive gravimeters, the effect of topography and other known factors is subtracted, and from the resulting data conclusions are drawn. Such techniques are now used by prospectors to find oil and mineral deposits. Denser rocks (often containing mineral ores) cause higher than normal local gravitational fields on the Earth's surface. Less dense sedimentary rocks cause the opposite.

There is a strong correlation between the gravity derivation map of earth from NASA GRACE with positions of recent volcanic activity, ridge spreading and volcanos: these regions have a stronger gravitation than theoretical predictions.

Other factors: In air or water, objects experience a supporting buoyancy force which reduces the apparent strength of gravity (as measured by an object's weight). The magnitude of the effect depends on the air density (and hence air pressure) or the water density respectively; see Apparent weight for details.

The gravitational effects of the Moon and the Sun (also the cause of the tides) have a very small effect on the apparent strength of Earth's gravity, depending on their relative positions; typical variations are $2 \mu\text{m/s}^2$ (0.2 mGal) over the course of a day.

Direction: Gravity acceleration is a vector quantity, with direction in addition to magnitude. In a spherically symmetric Earth, gravity would point directly towards the sphere's centre. As the Earth's figure is slightly flatter, there are consequently significant deviations in the direction of gravity: essentially the difference between geodetic latitude and geocentric latitude. Smaller deviations, called vertical deflection, are caused by local mass anomalies, such as mountains.

Comparative values worldwide: Tools exist for calculating the strength of gravity at various cities around the world. The effect of latitude can be clearly seen with gravity in high-latitude cities: Anchorage (9.826 m/s^2), Helsinki (9.825 m/s^2), being about 0.5% greater than that in cities near the equator: Kuala Lumpur (9.776 m/s^2). The effect of altitude can be seen in Mexico City (9.776 m/s^2 ; altitude 2,240 metres (7,350 ft)), and by comparing Denver (9.798 m/s^2 ; 1,616 metres (5,302 ft)) with Washington, D.C. (9.801 m/s^2 ; 30 metres (98 ft)), both of which are near 39° N .

Measured values can be obtained from Physical and Mathematical Tables by T.M. Yarwood and F. Castle, Macmillan, revised edition 1970.

Table 3 (see in last page)

Conclusion: Currently, the static and time-variable Earth’s gravity field parameters are being determined using modern satellite missions, such as GOCE, CHAMP, Swarm, GRACE and GRACE-FO. The lowest-degree parameters, including the Earth’s oblateness and geocenter motion are best determined from Satellite laser ranging.

Large-scale gravity anomalies can be detected from space, as a by-product of satellite gravity missions, e.g., GOCE. These satellite missions aim at the recovery of a detailed gravity field model of the Earth, typically presented in the form of a spherical-harmonic expansion of the Earth’s gravitational potential, but alternative presentations, such as maps of geoid undulations or gravity anomalies, are also produced.

The Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) consists of two satellites that can detect gravitational changes across the Earth. Also these changes can be presented as gravity anomaly temporal variations. The Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) also consisted of two spacecraft orbiting the Moon, which orbited for three years before their deorbit in 2015.[6,7]

References:-

1. Taylor, Barry N.; Thompson, Ambler, eds. (March 2008). The international system of units (SI) (PDF) (Report). National Institute of Standards and Technology. p. 52. NIST special publication 330, 2008 edition.
2. The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.). International Bureau of Weights and Measures. 2006. pp. 142–143. ISBN 92-822-2213-6.
3. Boynton, Richard (2001). "Precise Measurement of Mass" (PDF). Sawe Paper No. 3147. Arlington, Texas: S.A.W.E., Inc. Retrieved 2007-01-21.
4. "Curious About Astronomy?", Cornell University, retrieved June 2007
5. Terry Quinn (2011). From Artefacts to Atoms: The BIPM and the Search for Ultimate Measurement Standards. Oxford University Press. p. 127. ISBN 978-0-19-530786-3.
6. M. Amalvict (2010). "Chapter 12. Absolute gravimetry at BIPM, Sèvres (France), at the time of Dr. Akihiko Sakuma". In Stelios P. Mertikas (ed.). Gravity, Geoid and Earth Observation: IAG Commission 2: Gravity Field. Springer. pp. 84–85. ISBN 978-3-642-10634-7.
7. "Resolution of the 3rd CGPM (1901)". BIPM. Retrieved July 19, 2015.

Body	Multiple of Earth gravity	m/s ²	ft/s ²	Notes	Time to fall 100 m and maximum speed reached
Sun	27.90	274.1	999		0.85 s 843 km/h (524 mph)
Mercury	0.3770	3.703	12.15		7.4 s 98 km/h (61 mph)
Venus	0.9032	8.872	29.11		4.8 s 152 km/h (94 mph)
Earth	1	9.8067	32.174	[a]	4.5 s 159 km/h (99 mph)
Moon	0.1655	1.625	5.33		11.1 s 65 km/h (40 mph)
Mars	0.3895	3.728	12.23		7.3 s 98 km/h (61 mph)
Ceres	0.029	0.28	0.92		26.7 s 27 km/h (17 mph)
Jupiter	2.640	25.93	85.1		2.8 s 259 km/h (161 mph)
Io	0.182	1.789	5.87		10.6 s 68 km/h (42 mph)
Europa	0.134	1.314	4.31		12.3 s 58 km/h (36 mph)
Ganymede	0.145	1.426	4.68		11.8 s 61 km/h (38 mph)
Callisto	0.126	1.24	4.1		12.7 s 57 km/h (35 mph)
Saturn	1.139	11.19	36.7		4.2 s 170 km/h (110 mph)
Titan	0.138	1.3455	4.414		12.2 s 59 km/h (37 mph)
Uranus	0.917	9.01	29.6		4.7 s 153 km/h (95 mph)
Titania	0.039	0.379	1.24		23.0 s 31 km/h (19 mph)
Oberon	0.035	0.347	1.14		24.0 s 30 km/h (19 mph)
Neptune	1.146	11.28	37.0		4.2 s 171 km/h (106 mph)
Triton	0.079	0.779	2.56		16.0 s 45 km/h (28 mph)
Pluto	0.0621	0.610	2.00		18.1 s 40 km/h (25 mph)
Eris	0.0814	0.8	2.6	(approx.)	15.8 s 46 km/h (29 mph)

Acceleration due to gravity in various cities

Location	m/s ²	ft/s ²	Location	m/s ²	ft/s ²	Location	m/s ²	ft/s ²	Location	m/s ²	ft/s ²
Anchorage	9.826	32.24	Helsinki	9.825	32.23	Oslo	9.825	32.23	Copenhagen	9.821	32.22
Stockholm	9.819	32.21	Manchester	9.818	32.21	Amsterdam	9.817	32.21	Kotagiri	9.817	32.21
Birmingham	9.817	32.21	London	9.816	32.20	Brussels	9.815	32.20	Frankfurt	9.814	32.20
Seattle	9.811	32.19	Paris	9.809	32.18	Montréal	9.809	32.18	Vancouver	9.809	32.18
Istanbul	9.808	32.18	Toronto	9.807	32.18	Zurich	9.807	32.18	Ottawa	9.808	32.17
Skopje	9.804	32.17	Chicago	9.804	32.17	Rome	9.803	32.16	Wellington	9.803	32.16
New York City	9.802	32.16	Lisbon	9.801	32.16	Washington, D.C.	9.801	32.16	Athens	9.800	32.15
Madrid	9.800	32.15	Melbourne	9.800	32.15	Auckland	9.799	32.15	Denver	9.798	32.15
Tokyo	9.798	32.15	Buenos Aires	9.797	32.14	Sydney	9.797	32.14	Nicosia	9.797	32.14
Los Angeles	9.795	32.14	Cape Town	9.795	32.14	Perth	9.794	32.13	Kuwait City	9.792	32.13
Taipei	9.790	32.12	Rio de Janeiro	9.788	32.11	Havana	9.786	32.11	Kolkata	9.785	32.10
Hong Kong	9.785	32.10	Bangkok	9.780	32.09	Manila	9.780	32.09	Jakarta	9.777	32.08
Kuala Lumpur	9.776	32.07	Singapore	9.776	32.07	Mexico City	9.776	32.07	Kandy	9.775	32.07

A Comparison of Euler's Method and Runge - Kutta Method for Solving an Ordinary Differential Equation

Anil Maheshwari* Bhuvnesh Kumar Sharma**

Abstract - Here, efficiency and accuracy of two numerical methods of wide importance i.e. Euler's method and fourth order Runge-Kutta method are compared in solving ordinary differential equations. Both these methods act as fundamental tools in many scientific and engineering disciplines. The paper examines their respective strengths and applicability through numerical examples.

Keywords: Runge-Kutta method, Euler's method, Differential equation.

Introduction - Few of the researchers presented the comparative studies of various numerical methods for solving different kinds of differential equations. Comparison of three numerical methods for solving vector differential equation on a sphere has been discussed by G. L. Browning, J. J. Hack and P. N. Swarztrauber[1]. Comparison of Adomian decomposition method and fourth order Runge-Kutta method for solving system of ordinary differential equations has been discussed by N. Shawagfeh and D. Kaya [2].

In recent past, a comparative study of numerical methods for solving the generalized Ito system based over partial differential equations has been discussed by M. A. Mohamed and M. Sh. Torky [3].

In many articles of various books, the procedure for obtaining numerical solution of ordinary differential equations by many methods is explained. B V Ramana [4] explained the same with certain theoretical equations.

In this paper, numerical solution of an ordinary differential equation is obtained through two of the most important methods viz. Euler's method and fourth order Runge-Kutta method. These solutions are compared with the exact solution of the differential equation.

Further, the comparison is represented geometrically to show the efficiency and accuracy of fourth order Runge-Kutta method in comparison of Euler's method.

Procedure of Finding Numerical Solution of Ordinary Differential Equations

As per [3], to find numerical solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y); y(x_0) = y_0 \quad \dots(1)$$

through Euler's method, use the equation

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad \dots (2)$$

and to find numerical solution of the differential equation (1) through fourth order Runge-Kutta method, use the equation

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad \dots (3)$$


$$\left. \begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i) \\ k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right) \\ k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3) \end{aligned} \right\} \quad \dots (4)$$

Example: Now, we use Euler's method and fourth order Runge-Kutta method to find the approximate values of $y(0.1), y(0.2), y(0.3), y(0.4)$ by solving the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = xy; y(0) = 1. \quad \dots (5)$$

Using above equations (2), (3) and (4) respectively for Euler's method and fourth order Runge-Kutta method along with analytical approach, the solutions for differential equation (5) are tabulated as:

Conclusion: After observing above table, it is obvious to say that the solution of the given differential equation through fourth order Runge-Kutta method is in great resemblance with exact solution in comparison of the solution through Euler's method. Same can be verified by observing the graph given below.



Thus, it can easily be said that the efficiency and accuracy of fourth order Runge-Kutta method is much high

in comparison of Euler's method.

References:-

1. G. L. Browning, J. J. Hack and P. N. Swarztrauber, A Comparison of Three Numerical Methods for Solving Differential Equations on the Sphere. Monthly weather review, American Meteorological Society, 117 (1989) 1058 – 1075.
2. N. Shawagfeh and D. Kaya, Comparing Numerical Methods for the Solutions of Systems of Ordinary Differential Equations. Applied Mathematics Letters, 17 (2004) 323-328. doi: 10.1016/S0893-9659 (04)00014-X
3. M. A. Mohamed and M. Sh. Torky, A comparative study of numerical methods for solving the generalized Ito system. Journal of the Egyptian Mathematical Society, 22 (2014) 102–114 <http://dx.doi.org/10.1016/j.joems.2013.06.008>
4. B V Ramana, Numerical Solutions of first order ODE, Higher Engineering Mathematics. McGraw Hill Education (India) Private Limited, 33.2 (2014) ISBN: 978-0-07-063419-0

Unknown expression	Values through Euler's method	Values through fourth order Runge-Kutta method	Exact values through analytical approach
y (0.1)	1.0000	1.0050	1.0050
y (0.2)	1.0100	1.0202	1.0202
y (0.3)	1.0302	1.0460	1.0467
y (0.4)	1.0611	1.0833	1.0833

Empowering Rural Entrepreneurs Through Regional Rural Banking: A Research Study

Dr. Syed Saleem Aquil*

Abstract - The Grameen Bank adopts a unique approach to providing credit to the rural poor, focusing on women who own less than half an acre of land or whose assets do not exceed the value of an acre. In contrast to traditional bank loans, Grameen Bank's lending operations do not require physical collateral such as land or other immovable property. Instead, these loans are secured by group collateral. The bank's philosophy is rooted in the belief that despite owning insufficient land to sustain themselves as farmers, the rural poor can effectively utilize small loans without collateral and will duly repay them.

Keywords: NABARD, Regional Rural Banks, Agriculture Finance, Rural Entrepreneurs

Research Methodology: The study used secondary data from Regional Rural Banks annual reports in Chhattisgarh, publications from the Reserve Bank of India, NABARD, and State Level Bankers Committee Reports. Additional data and literature were gathered from published theses on Regional Rural Banks.

A Brief Review of the Work Already Done in the Field: RRBs primarily operate with a rural focus and are scheduled commercial banks with a commercial orientation. The literature on factors influencing bank performance identifies internal factors originating from the bank's balance sheet and external factors from the economic environment. These factors are termed micro or bank-specific determinants and systemic forces, respectively. Various explanatory variables have been suggested for both internal and external determinants, with typical internal determinants including size and capital.

Review of Literature

There is extensive literature on the performance of banks in India, including Public, Private, and Regional Rural Banks. While studies on the performance of RRBs in Kerala are limited, numerous studies have been conducted in other states of India..

Syed Ibrahim (2010) found that the performance of rural banks in India significantly improved after the 2005-06 amalgamation process.

Selvakumar (2010) concluded that there were significant differences in the growth rates of advances to the service sector and priority sector RRBs in India and RRBs in Tamil Nadu, attributing this to the better performance of RRBs in Tamil Nadu.

Makandar (2010) observed significant improvements in the financial strength and competitiveness of the Indian banking system due to financial sector reforms.

Lalitha Chavadi (2010) found that the recovery percentage for loans under commercial banks was only 62% during the period 2001-2008.

Priyadarsini (2010) highlighted macro-economic challenges, industry consolidation, regulatory challenges, and financial inclusion as key areas of concern for the private sector banks in India.

Sandip Ghosh Hazra (2010) examined the impact of service quality on customer satisfaction, loyalty, and commitment in the Indian banking sector.

Introduction: Grameen Bank of Bangladesh has gained widespread recognition for its innovative approach to providing credit to the rural poor. Through its unique combination of group-based lending, mandatory savings and insurance, and flexible repayment options in the event of disasters, the Bank has effectively reduced the risks associated with lending. By 1994, Grameen had expanded its services to cover 50 percent of Bangladesh's villages, serving more than 2 million members, most of whom were women. The Bank has achieved an impressive loan recovery rate of over 90 percent. It has significantly improved the economic and social well-being of its participants and contributed to overall income growth and poverty reduction at the village level. To enhance cost-effectiveness, it is recommended that Grameen Bank focus on expanding its outreach and diversifying its loan portfolio with more development-oriented activities. However, this cannot be achieved without the necessary support from the government's sound macroeconomic policies. It is possible to replicate Grameen's financial model with necessary adjustments, as long as it remains socially conscious and operates in a transparent manner.

The stability and efficacy of the financial system are essential to foster a strong and dynamic economy

conducive to accelerated economic growth. As a key component of financial service, the banking sector significantly affects the performance of the economy. Consequently, the banking system is vital in a country's economy. Banks are instrumental in gathering and distributing money and other valuable assets within an economy, ensuring that they are used in the most effective and efficient ways. Their mandate, which is not only a duty but also a vital contribution to social development, includes supplying credit to advance social development and limiting credit provision to economically less profitable or socially undesirable undertakings. Timely and adequate credit availability can substantially increase the productive capacity of diverse economic sectors. A well-functioning banking system is not only indispensable to modern business operations, but it is the foundation on which a country can build its industrial progress. Currently, a significant portion of the rural population in India depends on their own sources of income for their daily needs, leaving very little for productive ventures to improve their economic condition. This is where the role of banks becomes crucial, as they can provide the necessary financial support to uplift these communities and improve their economic condition.

People in rural areas depend on financial agencies to secure investment funds. The rural population consists of agricultural producers, tenant farmers, rural artisans and landless labourers, all of whom require credit. Given this situation, credit plays an extremely important and crucial role.

Banking in India: The banking system overseen by the Reserve Bank of India includes commercial banks, cooperative banks, and Regional Rural Banks. These institutions mobilize deposits and provide financial services to urban and rural areas, supporting various economic needs.

Rural Banking in India: The rise of commercial banks in agricultural finance following the nationalization of 14 banks in 1969 marked a significant step forward for India's rural economy. However, challenges emerged as these banks encountered difficulties in meeting the credit needs of farmers and redirected savings from rural to urban areas for greater profitability, thereby impacting the strength of cooperative societies.

Regional Rural Banks in India: RRBs were established in 1975 to meet the credit needs of the rural poor. They combine the low-cost and local feel of cooperative credit systems with commercial banks' modernized outlook and professional management. RRBs have expanded banking services to remote and isolated villages, initially starting with 5 RRBs in 1975 and growing to 196 by 1987. As part of reform measures, the number of RRBs has been reduced to 82 as of March 2010 through amalgamation.

Regional Rural Banking in Chhattisgarh: Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, a catalyst for rural prosperity, was established on September 2, 2013, through the amalgamation of the erstwhile Chhattisgarh Grameen Bank.

Sponsored by SBI, it operates throughout CG with 27 districts, 10 regional offices, and 584 branches. The bank's unwavering vision is consolidation and growth, aiming to strengthen the rural economy through excellent banking services for total customer satisfaction.

Significance of the Study: The Indian banking sector has faced tough competition since the liberalization of the economy in 1991, leading to changes in operations and decision-making processes for both public and private banks. Foreign banks entering the market have created a competitive environment, forcing banks to adapt to survive. RRBs, in particular, have faced challenges such as limited access to capital, high operational costs, and the need to balance financial sustainability with their social mission. The study aims to analyse the performance and survival strategies of RRBs in the face of these challenges, considering if they have deviated from their traditional principles for profit or maintained their original identity with a focus on rural areas.

Scope and Coverage: The study focuses on analysing the performance of rural banks in India, specifically in deposit mobilization, lending activities, profitability, and recovery. It emphasizes the challenges faced by rural banks and their financial data.

Conclusion: India's regional rural banks (RRBs) have experienced significant numbers and branch expansion growth, establishing themselves as important financial institutions. The high urbanization and dense population in semi-urban areas have contributed to the remarkable progress of rural banking in deposit mobilization. Furthermore, the RRBs play a crucial role in providing loans and advances to the weaker sections of society, such as [specific examples of weaker sections], aligning with the primary objective of rural banking. Additionally, government and RBI monetary policies have been implemented to enhance the financial sustainability of rural banking. It is worth noting that the non-performing assets of RRBs are within the prescribed standards set by the prudential norms of the RBI.

Moreover, the conducive working environment in RRBs has led to high employee satisfaction. The liberalization has brought about changes in the functioning of RRBs, leading to a shift in the primary objectives of banking. The proximity of bank branches to residential areas or places of work is a significant attraction for consumers. Notably, agriculture loans, business loans, and self-employment loans are critical types of loans availed by customers. Importantly, RRBs have not only played a pivotal role in socioeconomic development in rural areas but have also offered modern banking facilities such as core banking and ATM services, painting a promising picture for the future of rural banking.

Unprofitable of rural banking in India: The challenge of unprofitable rural banking in India presents an opportunity for financial analysts, policymakers, and banking professionals to address and overcome key obstacles.

1. **Addressing high non-performing loans:** By understanding the irregular income and expenditure patterns of rural households, banks can develop tailored financial products and risk management strategies to mitigate the impact of monsoons and political influences on loan waivers.
2. **Leveraging low ticket size:** The small average transaction size in rural areas presents an opportunity for banks to innovate and develop new products and services that cater to the specific needs of rural customers, potentially leading to growth and improvement in rural banking services.
3. **Managing the high risk of credit:** By developing a deeper understanding of the irregular income sources of rural households and their dependence on irregular work, banks can design flexible credit products and employ alternative risk assessment methodologies to serve this market.
4. **Addressing information asymmetry:** Recognizing the lack of information among rural people as a critical issue, banks can implement targeted financial education initiatives and invest in technology to improve access to information, thereby reducing the likelihood of missed op-

portunities and ensuring that potential loan candidates are not overlooked.

References:-

1. Abdul Hadi and Kanak Kanti Bagchi (2006). Performance of Regional Rural Banks in West Bengal, New Delhi: Serials Publications.
2. Anand S.O and Jagat Ram. (1999). Hand book on Regional Rural Banks Concepts and Operations. Vision Books.
3. Aswathappa, K. (2004). Organisational Behaviour. Mumbai: Himalaya Publishing House.
4. Bapna, M S. (1989). Regional Rural Banks in Rajasthan. New Delhi: Himalaya Publishing House.
5. Chamra, T.N and Teneja. P.L. (1991). Banking Theory and Practice. New Delhi: Dhan Deep Rai and Sons.
6. Das, Uday Kumar Lal. (2002). Banking Reforms and Lead Bank Scheme. New Delhi: Deep and Deep Publications (p) Ltd.
7. Desai Vasanth,(1987). Indian Banking-Nature and Problems, Mumbai: Himalaya Publishing House.
8. Dingra I. C, (1993). Rural Banking in India, New Delhi: Sulthan Chand & Sons.

Coaching-Culture & Deviation Among The Students

Dr. Rishi Kumar Sharma*

Abstract - The coaching ecosystem looks bad but then it has become a necessary evil in India. We cannot rely on the 'poor' quality of education imparted at school and college level, and hope to compete with someone getting specialized guidance somewhere, offline or online. This is the very reason why the parents or the students themselves decide to study at the coaching institutes. They spoon-feed you, thus making a dent in your thinking and analytical skills especially in exams like JEE. They make you dependent on their own study material mostly. They've made it into a business and a money-minting machine. But the same can be said of private schools as well, where quality of teachers is also not upto the mark. At class 12 level, especially in JEE and NEET coachings, there exists inherent discrimination in the allotment of batches on the basis of ranks.

There are A batches for A level students, B batches for B level students, C batches for C level students and D batches for D level students. In my opinion, this is counter-productive for those students who rank low and traps them into a vicious cycle, as you are never given a chance to improve your study circle of friends. For exams like UPSC CSE, no coaching (or any free platform) can guarantee your success. The most they can do is give you a guidance, mostly at the initial stages of preparation.

The research paper is an interpretative research which aims at exploring the social deviation among the students of the coaching institutes. The findings reveal that the coaching culture in India including Rajasthan state is spreading fast taking the youth into its grip. The students at the coaching institutes are suffering from mental disorder and are bound to fall prey to social deviation which keeps them away in future from their own culture and the established norms that are supposed to be necessary for all to adhere to for personality development.

Keywords: Coaching, Culture, Deviation, Stress, Frustration, Anxiety, Mental disorder, Isolation.

Introduction - Students after their Class 12th results start the search for top colleges in India to pursue the course of their interest. They look for various factors before they make their final choice regarding which institute to take admission to. Factors that influence one's decision are course curriculum, industry exposure, professors, facilities, extracurricular activities, and more. Besides these factors, one such important element is the institution's placement results.

The coaching classes are needed for those who do not able to build consistency in his study on their own. In other words, coaching classes help students in building consistency in their study by assigning regular tasks and assignments. But those students who easily build their consistency in study on their own, need not to join coaching because ultimately, it is not the coaching classes but the hard work of student matters.

The impact of coaching classes on students can vary depending on various factors such as the quality of coaching, the motivation of the students, the educational system in place, and the individual student's learning style and needs. Here are some points to consider regarding the coaching class system:

Supplemental Learning: In some cases, coaching classes

can provide additional support to students who may need extra help with certain subjects or topics. They can complement the learning done in school and help students better understand complex concepts.

Exam Preparation: Coaching classes often focus on exam preparation and strategies, which can be beneficial for students who need guidance on how to approach exams effectively and improve their performance in standardized tests.

Pressure and Stress: On the other hand, the pressure to perform well in coaching classes and in school can lead to stress and burnout among students. Some students may feel overwhelmed by the additional workload from coaching classes on top of their regular schoolwork.

Dependency: There is a concern that students may become overly dependent on coaching classes and rely on them as a crutch rather than developing independent study skills. This can hinder their ability to think critically and problem-solve on their own.

Financial Burden: Coaching classes can be expensive, and not all students may have equal access to these resources. This can create disparities in educational opportunities and outcomes based on socioeconomic status.

Impact on Self-Esteem: Students who struggle in coaching classes or do not perform as well as their peers may experience a blow to their self-esteem and confidence, which can have long-term effects on their academic motivation and success.

While coaching classes can offer benefits such as supplemental learning and exam preparation, there are also potential drawbacks such as increased stress, dependency, financial burden, and impact on self-esteem. It is essential for students, parents, and educators to carefully consider the pros and cons of coaching classes and make informed decisions based on the individual needs and circumstances of the student.

It is true that coaching classes put pressure on students, but many students don't break under this pressure and perform really well. If coaching classes were not there, then definitely the standard of education would have fallen to some extent. Who would care to go deep into topics of physics, chemistry.. just school education won't be enough as most schools usually teach just the concepts and mostly not it's application....

What is important is the child's mindset and the support of the parents of a child who goes to a coaching class. Many students take unnecessary pressure which is not required at all. Students should not just participate in the rat race, but to understand, and get the "feel" of the topics, subjects thought in coachings. Coachings are meant for enrichment of young minds, but they have become major earning source. The mentality of parents, students and the owners of the mushrooming coaching classes is to blame. Like everything in the world, the coaching culture has both sides. It may be highly beneficial for a student to become ambitious, focused, competitive and the best part get a good mentor. The advanced level teaching, interaction with other students and the peer competition may boost up their strengths and potential. They can also find their dream if they hadn't decided one.

But for so-called 'average' students, the coaching culture may induce an unnecessary sense of competition even if he/she doesn't want to be a part of it. Many students who are not able to give a good competition (because it's not their passion) end up feeling useless and guilty. If not this, the fact that their parents invested so much for them haunts them. They may lose the dreams they had and acquire the ones which weren't their ever just for the sake of competition. Briefly, it depends on the nature of the person and should be left to his/her choice and must be respected by the parents/ guardians.

Review of Literature

'Education can become transformative when teachers and students synthesize information across subjects and experiences, critically weigh significantly different perspectives, and incorporate various inquiries. Educators are able to construct such possibilities by fostering critical learning spaces, in which students are encouraged to increase their capacities of analysis, imagination, critical synthesis, cre-

ative expression, self-awareness, and intentionality. The study finally concludes that online course instructors deserve more researchers' attention to explore their teaching journeys and professional development needs. As reported, a large number of the faculty in higher education were reluctant to teach online courses, and those who have taught online courses reported that it took much more time teaching online classes than face-to-face mode. On the other hand, the misassumption is permeated that online teaching is easier than the traditional classroom teaching. Given the fact that online education is a new dynamic to both novice and veteran faculty, adequate professional development is necessary, which may include effective course design, instruction, implementation, and evaluation.'

[1] 'The coaching classes have gained immense popularity in the metropolitan cities of India in recent times. There are classes catering to diverse needs in terms of different courses, varying timings and locations and course material requirements. The need for coaching classes has much to do with disillusionment with college faculty and to a large extent to supplement the learning done at college.'

[2] 'There is an emerging evidence-base that coaching is a powerful tool to support learning and development for students, teachers, school leaders and their educational establishments. A variety of coaching approaches have been used successfully. These approaches are outlined: behavioral coaching, solution-focused coaching, cognitive and cognitive-behavioral coaching, instructional coaching, executive coaching, peer coaching, and positive organizational leadership. The coaching approaches are oriented to three educational actors: students, teachers, and school leaders. All coaching approaches can provide valuable contributions, but ultimately school improvement will fail if coaching remains on an individual level. Therefore, systems of collective and collaborative learning are necessary to generate a collective learning culture.'

[3] 'Most organizations are better served by focusing on the value that coaching can provide as part of a culture that is aligned with its strategy and goals than by creating a coaching culture. Coaching can be a way of managing and interacting that enables creativity, idea generation and the development of ideas in groups. However, it is not good for all as it dissuades the students from the peace of mind and ease of living forcing them to overwork. It has a negative impact on the psychology of the children.'

[4] 'The family culture has a deep impact on the coaching. There are members in a family who have supportive views for coaching, and there are ones who do not like the children's attending any coaching believing that the coaching culture hinders the natural all round development of personality.'

[5] 'The individual coaching and group training are effective in reducing procrastination and facilitating goal attainment. Individual coaching created a high degree of satisfaction and was superior in helping participants attaining their goals, whereas group training successfully promoted

the acquisition of relevant knowledge. The results for the self-coaching condition show that independently performing exercises without being supported by a coach is not sufficient for high goal attainment. Moreover, mediation analysis show that a coach's transformational and transactional leadership behavior influenced participants' perceived autonomy support and intrinsic motivation, resulting in beneficial coaching outcomes. The results may guide the selection of appropriate human resource development methods: If there is a general need to systematically prepare employees to perform on specific tasks, group training seems appropriate due to lower costs. However, when certain aspects of working conditions or individual development goals are paramount, coaching might be indicated.'[6]

'Physical fitness is one's richest possession; it cannot be purchased, but is earned through daily routine and physical exercise. Physical fitness is important for all human being, irrespective of their age. A given work may not be available. But if he does not keep himself in the game till the end of the allocated time, he may not find a place in the team. So fitness becomes the first and foremost to enjoy the life fully. Today, there is a growing emphasis on looking good, feeling good and living longer. Increasingly, scientific evidence tells us that one of the keys to achieving these ideals is fitness and exercises. Getting moving is a challenge because today physical activity is less a part of our daily lives. There are fewer jobs that require physical exertion. We have become mechanically mobile society, relying on machines rather than muscles to get around.'[7]

'Coaching cultures seem to share common determinants with transformational leadership and high-performance cultures and therefore may also lead to superior organizational outcomes.'[8]

Objectives :

1. To study and describe the scenario of coaching culture in India including Rajasthan.
2. To serve the causes of the craze of the students and their parents.
3. To explore the effects of the coaching culture.
4. To emphasize the socio-cultural and mental condition of the students in the coachings.
5. To discuss the social deviation in the students in the coachings.

Hypothesis:

1. The students are career-oriented.
2. All the major cities of India including Rajasthan are now hubs for coachings
3. Coachings prepare the students for the various competitions
4. Coachings fail to develop the required personality traits
5. The coaching environment causes frustration and stress among the students
6. Coaching culture is responsible for the social deviation of the students.

Methodology :The current study is based on the inductive

method and secondary data collected from the various research papers published in the various national and international journals. The studies selected for the review making include both the ones that were conducted in India and the ones that were conducted abroad.

The author also applied his own sense of observation while making description and interpretation of the issue. Determination of objectives, study of the related literature, formulation of null and alternative hypothesis, methodology, collection or compilation of the data, classification, content analysis, interpretation of the cause and effect relationship and finally, conclusion are the steps that were observed by the scholar.

Conclusion: Before coaching centres, students were doing self study and they were analysing, learning concepts by themselves, thinking about the concepts in different perspectives, working on that concepts and finally at the end they were understanding the concept properly. How much time required for this? usually more. Here a student is swimming with the concept for more time period. After coaching institutes, students are getting concepts understood on their first exposure itself. Here the student is swimming with the concept only for very less time period. Also coaching institutes giving everything ready made. So student also don't want to analyse, think in different perspectives about the concept which limits the critical thinking and new ideas inside the brain of students. Since time duration used by the student to understand the concept is very less after coaching class system, student is more likely to forget the concepts compared to one who studied by their own.

Coaching class system mainly focuses on getting marks in exams not on knowledge. The one who study by himself independently will be more focused on concept understanding and knowledge compared to one who study in coaching institutes, because for an independent learner understanding concepts will be difficult and he will know the value of knowledge. But a person of coaching class system will gain knowledge easily and will not give importance to the knowledge but he will give importance for cracking exam. Once exam over he will start forgetting things.

Coaching institutes teach you how to solve questions in exam/how to answer an interview question/how questions are coming in exams. So student starts to learn concepts based on questions asked in exams. Coaching centres insist you to answer in a specific manner to a specific question. Coaching centres insist you to think in a specific pattern, so you will just think like how your teacher is thinking. But for an independent learner he will have independence of thinking in variety of manner. He will have broader perspective of thinking.

Coaching institutes are money making machines for many businessmen. They use your insecurities for them to make money. People who are economically weak are at loss. Since coaching institutes fast tracks learning

procedure, self-independent learners will fall behind coaching class system students. Coaching class system students will not have analysing, critical thinking, new ideas capacity like that of self learners but they will succeed in exams because they use shortcuts to succeed in exam. Because these people learn concepts which is required to crack exam in a fast pace, on the other hand self learners lose time while analysing, thinking, properly understanding a single concept. But the memory of that concept and depth of understanding will be more for the self learner than the coaching class student.

Coaching institutes keep motivating you to crack exam, teach concepts exam oriented, motivate you to learn to get high ranks in exams, good job, high salary, social prestige etc student starts learning keeping all these in mind. Student gives importance to all these things than "knowledge" he should get in his life. A coaching institute student learns concepts motivated by viewing all the other things. So he will gain knowledge passively in and his main aim will be other things like social prestige/salary/rank. But for a self learner motivation to learn mostly will be knowledge, not other things.

Coaching institutes give you information attractively, so less focus is required to gain knowledge. So later students will not be able to focus during self study. Since coaching centres give easier option for learning, our mind gets used to it. So in later days our mind feels it difficult to acquire knowledge by reading books because it is difficult compared to learning from coaching centres.

The hard-work, expectation of the parents, failure in the examinations etc. develop an inferiority complex in the students, and they get frustrated, depressed and even commit suicides. The coaching culture leads many of the students to get indulged into vulgar and socially unapproved acts that finally lead them to criminality. The coaching culture in India needs to be restructured in a way that family values, cultural values and the interests of the parents and the children are preserved and protected, and the students are prevented from indulging in criminal activities and from committing suicide.

Of course this system has made the education system of our country hollow. By advertising and assuring an admission in a premier institute, they are misleading parents more than their children. These coaching institutes negatively prove that children are helpless after class 10 and they need a coaching institute like their's to be successful in life. Talking about JEE coaching institutes like FITJEE, resonance, IIT Ashram, etc prepare children for these exams right from class 6. They do not want these children to deviate from the exam and explore other career options. They mislead their parents to believe that

engineering is the only way to earn money and they force an engineering career upon their children, that's some shitty mentality .

Let us assume coaching classes are bad and have been banned: i.e. no institution except schools and colleges are allowed to impart education. This will solve a few issues: suicides in Kota, toxic competitive mindset among Indian students, heavy toll on Indian parents' pockets, etc. But this will lead to other problems: Students will stop studying complex stuff. If parents and coaching do not enforce studying all sorts of complex equations, reactions, concepts, etc. There would be some students who would study them out of interest, but the others won't.

Coaching centers, with all their "malpractices" (if at all), are ensuring that Indian higher secondary education is at par with many top US universities' Undergrad curriculum (the first few years at least). This makes students who enter colleges smarter than in any other part of the world.

References:-

1. Anna Sun and Xiufang Chen-Online Education and Its Effective Practice: A Research Review, Journal of Information Technology Education: Research Volume 15, 2016
2. Jehangir Pheroze Bharucha- Popularity Of Coaching "Classes" In India, International Business Education Journal, Volume 9, Issue 1, 2016
3. Mary Devine, Raymond Meyers & Claude Houssemand-How can coaching make a positive impact within educational settings?, Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 1382 – 1389
4. Nancie J. Evans- The Argument Against Coaching Cultures, The International Journal of Coaching in Organization, Issue 30, 8 (2), 2011
5. Nisha Sharma-The Cultural Impact on Coaching an Indian Family, International Coach Academy, December, 2013
6. Sabine Losch, Eva Traut-Mattausch, Maximilian D. Mühlberger and Eva Jonas-Comparing the Effectiveness of Individual Coaching, Self-Coaching, and Group Training: How Leadership Makes the Difference, Front Psychol. 2016; 7: 629
7. GH.Mohd Para &Dr. Abdul Waheed, 'A Comparative Study of Selected Health Related Physical Fitness and Personality Characteristics among Physical Education and Non-Physical Education Students in Aurangabad City', International Journal of Education and Science Research Review, Volume-2, Issue-6 December- 2015
8. Daryl Vaughn Watkins, 'The common factors between coaching cultures and transformational leadership, transactional leadership, and high-performance organizational cultures', University of Phoenix, 2008

Dalit Experience in Modern India

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Dalits, historically referred to as “untouchables,” are positioned at the bottom of the caste hierarchy in India. The caste system, deeply entrenched in Indian society, has subjected Dalits to centuries of oppression and discrimination. Although the Indian Constitution, adopted in 1950, abolished “untouchability” and guaranteed equal rights to all citizens, the legacy of caste-based discrimination persists. This paper aims to explore the contemporary experiences of Dalits in India, examining the progress made and the challenges that remain. This paper explores the contemporary experiences of Dalits in India, highlighting the socio-economic, political, and cultural dimensions of their lives. Despite legal and constitutional safeguards, Dalits continue to face discrimination and marginalization. This paper examines the progress and setbacks in Dalit empowerment, focusing on areas such as education, employment, politics, and social justice. The paper also discusses the role of Dalit movements and leaders in advocating for equality and justice.

Keywords: Dalit experience, modern India, caste system, social justice, economic empowerment, education, employment, political participation, discrimination, violence, cultural identity, Dalit movements, affirmative action, Scheduled Castes, legal framework, social inclusion, economic disparities, Dr. B.R. Ambedkar, Dalit rights.

Historical Context: The caste system in India is an ancient social stratification system that divides people into hierarchical groups based on their karma (work) and dharma (duty). Dalits, traditionally assigned menial and impure tasks, were socially ostracized and economically exploited. Reform movements in the 19th and 20th centuries, along with the efforts of leaders like Dr. B.R. Ambedkar, played a crucial role in advocating for Dalit rights and social justice. The Indian Constitution, influenced by Ambedkar's vision, enshrined principles of equality and non-discrimination.

Socio-Economic Status

Education: Education is a crucial lever for socio-economic mobility and empowerment for Dalits. The Indian government has implemented various affirmative action policies, such as reservations in educational institutions, to enhance Dalit access to education. These measures have led to an increase in the enrollment of Dalit students at primary, secondary, and higher education levels. However, despite these efforts, significant challenges remain:

- **Quality of Education:** Schools in Dalit-majority areas often suffer from poor infrastructure, lack of trained teachers, and insufficient learning materials. This disparity in educational quality affects the academic performance and overall development of Dalit students.
- **Discrimination:** Dalit students frequently encounter discrimination and social exclusion within educational institutions. This manifests as biased treatment by teachers, segregation in seating and eating arrangements, and bullying by peers. Such experiences contribute to higher

dropout rates and lower educational attainment among Dalits.

- **Economic Barriers:** Many Dalit families face economic hardships that impede their children's education. The cost of education, including fees, uniforms, and books, can be prohibitive. Additionally, children from Dalit households may be required to work to support their families, further limiting their educational opportunities.

Employment: Economic empowerment through gainful employment is another critical area for improving the socio-economic status of Dalits. While affirmative action policies have facilitated Dalit entry into government jobs, representation in the private sector remains limited. The employment landscape for Dalits is characterized by several key issues:

- **Informal Sector Employment:** A significant proportion of Dalits work in the informal sector, where jobs are typically low-paying, insecure, and devoid of benefits such as health insurance and retirement pensions. Common occupations include manual labor, sanitation work, and agricultural labor, which offer limited opportunities for economic advancement.
- **Workplace Discrimination:** Dalits often face discrimination in hiring, promotions, and wages. This systemic bias restricts their upward mobility and perpetuates economic disparities. Instances of caste-based harassment and exclusion in the workplace further exacerbate these challenges.
- **Entrepreneurship Barriers:** While entrepreneurship can be a pathway to economic independence, Dalit entrepreneurs frequently encounter obstacles such as lack

of access to capital, limited networks, and societal prejudice. These barriers hinder their ability to establish and grow successful businesses.

Healthcare: Healthcare is a fundamental aspect of socio-economic status that significantly affects the well-being and productivity of Dalits. Access to quality healthcare services remains a critical issue:

- **Access to Services:** Dalits often reside in remote or underserved areas with limited access to healthcare facilities. This geographic disparity leads to delayed or inadequate medical care.
- **Discrimination in Healthcare:** Caste-based discrimination can influence the quality of care received by Dalits. Reports of neglect, biased treatment, and segregation in healthcare settings are not uncommon, deterring Dalits from seeking necessary medical attention.
- **Health Outcomes:** Poor socio-economic conditions contribute to adverse health outcomes among Dalits, including higher rates of malnutrition, infant mortality, and prevalence of chronic diseases. Addressing these health disparities requires targeted public health interventions and inclusive healthcare policies.

Housing and Living Conditions: The living conditions of Dalits are often characterized by inadequate housing and lack of basic amenities:

- **Housing Quality:** Dalit households are more likely to live in substandard housing with poor sanitation, inadequate water supply, and limited access to electricity. These conditions negatively impact their health, safety, and overall quality of life.
- **Segregation:** Dalit communities frequently face residential segregation, living in isolated areas away from mainstream society. This segregation reinforces social exclusion and limits access to resources and opportunities available in more integrated areas.
- **Land Ownership:** Land ownership is a critical determinant of economic security. Historically, Dalits have been denied land rights, and many remain landless or hold marginal plots. Land reforms and policies promoting equitable land distribution are essential for improving Dalit livelihoods.

Income and Poverty

Despite progress, Dalits continue to face significant economic challenges:

- **Income Disparities:** Dalit households typically earn lower incomes compared to upper-caste households. This income disparity is a result of limited access to high-paying jobs, discrimination, and restricted economic opportunities.
- **Poverty Levels:** A disproportionate number of Dalits live below the poverty line. Poverty exacerbates vulnerabilities and limits access to education, healthcare, and other essential services, creating a cycle of disadvantage.
- **Social Safety Nets:** Government programs and social safety nets aimed at poverty alleviation often fail to reach the most marginalized Dalit communities effectively.

Ensuring that these programs are inclusive and accessible is crucial for reducing poverty among Dalits.

Political Participation: Dalits have made significant strides in political representation. Reservation of seats in legislatures has ensured Dalit presence in political bodies. However, their political influence is often constrained by the dominance of upper-caste politicians and parties. Dalit-led political parties and movements, such as the Bahujan Samaj Party (BSP), have played a crucial role in advocating for Dalit rights and policies. The political empowerment of Dalits is essential for addressing systemic inequalities.

Social Justice and Legal Framework: The Indian legal framework provides various safeguards against caste-based discrimination. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, aims to protect Dalits from violence and atrocities. Despite these laws, the implementation is often inadequate. Dalits continue to face violence, social ostracization, and exclusion from public spaces. Strengthening legal mechanisms and ensuring timely justice are critical for protecting Dalit rights.

Cultural Identity and Movements: Dalit movements and cultural expressions have been instrumental in challenging caste-based oppression. Literature, art, and music created by Dalits reflect their struggles and aspirations. Dalit identity is increasingly being asserted through these cultural forms, challenging stereotypes and promoting solidarity. The rise of Dalit intellectuals and activists has brought greater visibility to Dalit issues in the public discourse.

Challenges: Despite various legal and policy measures aimed at improving the socio-economic and political status of Dalits, several formidable challenges persist. These challenges span across social, economic, political, and cultural dimensions, reflecting deep-rooted prejudices and systemic inequities.

Social Challenges:

- **Persistent Caste Discrimination:** Caste-based discrimination remains pervasive in both rural and urban areas. Social ostracism, untouchability practices, and exclusion from community activities continue to affect Dalits, particularly in conservative and traditional settings.
- **Violence and Atrocities:** Dalits frequently face violence, including physical assaults, sexual violence, and murder, often as retribution for asserting their rights or challenging social norms. The National Crime Records Bureau (NCRB) consistently reports high numbers of crimes against Dalits.

- **Social Segregation:** Residential segregation in villages and towns results in Dalits living in separate areas with poor infrastructure and limited access to public services like clean water, sanitation, and healthcare. This segregation reinforces social exclusion and economic disadvantages.

Economic Challenges:

- **Poverty and Economic Inequality:** Dalits disproportionately experience poverty and economic hardship. Many remain trapped in low-paying, unstable jobs with little opportunity for advancement. Economic mobility

is often hindered by systemic barriers and lack of access to resources.

- **Employment Discrimination:** In both public and private sectors, Dalits face discrimination in hiring, promotions, and wages. Despite affirmative action policies in government jobs, private sector employment remains largely inaccessible for many Dalits.

- **Limited Access to Capital:** Dalit entrepreneurs and small business owners often struggle to obtain credit and financing, which limits their ability to start and grow businesses. Financial institutions may discriminate against Dalits, further restricting their economic opportunities.

Political Challenges:

- **Political Marginalization:** Although Dalits have reserved seats in legislative bodies, their political influence is often marginalized. Mainstream political parties may use Dalit representatives to fulfill quotas without giving them substantial power or leadership roles.

- **Violence and Intimidation in Politics:** Dalit political candidates and activists frequently face threats, violence, and social boycotts, particularly in rural areas. This creates a hostile environment for political participation and discourages many from entering politics.

- **Fragmentation of Dalit Movements:** Dalit political movements and parties often face fragmentation and internal divisions, which weaken their collective bargaining power and ability to influence policy.

Cultural Challenges:

- **Cultural Stereotypes and Prejudices:** Deep-seated cultural stereotypes and prejudices against Dalits persist, affecting their interactions in society and limiting their opportunities for social integration and acceptance.

- **Lack of Representation in Media and Arts:** Dalits are underrepresented in mainstream media, literature, and the arts. This lack of representation perpetuates stereotypes and prevents the broader society from understanding the complexities of Dalit experiences.

- **Resistance to Change:** Efforts to challenge and change caste-based discrimination often face strong resistance from entrenched social and cultural norms. This resistance can be both passive (in the form of societal attitudes) and active (in the form of organized opposition).

The Way Forward: Addressing the multifaceted challenges faced by Dalits requires a comprehensive and sustained approach involving legal, economic, social, and cultural interventions. The following strategies can help pave the way for a more equitable and just society:

Legal and Policy Interventions

- **Strengthening Legal Protections:** Ensuring the effective implementation of existing laws such as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is crucial. This includes training law enforcement officials, improving the judicial process, and ensuring timely justice for victims of caste-based violence and discrimination.

- **Policy Reforms:** Policies aimed at reducing economic

disparities, such as targeted poverty alleviation programs, skill development initiatives, and affirmative action in the private sector, can help uplift Dalits economically. Reforms to enhance transparency and accountability in these programs are essential.

Economic Empowerment

- **Inclusive Economic Policies:** Developing policies that promote inclusive economic growth and ensure equal access to employment opportunities is vital. This includes enforcing anti-discrimination measures in hiring practices and promoting diversity in workplaces.

- **Support for Dalit Entrepreneurship:** Providing financial support, mentorship, and access to markets for Dalit entrepreneurs can foster economic independence. Government and private sector initiatives to facilitate microfinance and business development for Dalits are important.

Educational Advancements

- **Improving Access to Quality Education:** Investing in the infrastructure and quality of schools in Dalit-majority areas is essential. Scholarships, mentorship programs, and anti-discrimination measures in educational institutions can help Dalit students succeed academically.

- **Higher Education and Skill Development:** Expanding access to higher education and vocational training for Dalits can improve their employment prospects and economic mobility. Partnerships with industries for skill development programs can be beneficial.

Social and Cultural Inclusion

- **Awareness and Sensitization Programs:** Implementing awareness campaigns to challenge caste-based prejudices and promote social harmony is crucial. These programs should target all sections of society and be integrated into school curricula and public messaging.

- **Cultural Representation:** Encouraging and promoting Dalit representation in media, literature, arts, and public discourse can help change societal attitudes and stereotypes. Supporting Dalit artists, writers, and cultural practitioners can amplify their voices.

Political Empowerment

- **Strengthening Dalit Political Movements:** Supporting and strengthening Dalit-led political parties and movements can ensure that Dalit issues are prioritized in the political agenda. Providing platforms for Dalit leaders to articulate their concerns is essential.

- **Inclusive Political Platforms:** Mainstream political parties need to create more inclusive platforms that genuinely represent Dalit interests. Ensuring that Dalit leaders have meaningful roles and influence within the party structures is important.

- **Political Education and Empowerment:** Initiatives aimed at educating Dalit communities about their political rights and the importance of political participation can empower more Dalits to engage in the political process. Leadership training programs for aspiring Dalit politicians can also be beneficial.

Conclusion: The experiences of Dalits in modern India are shaped by a complex interplay of progress and ongoing challenges. While legal and constitutional measures have provided a framework for equality, the reality on the ground often falls short. Addressing the issues faced by Dalits requires a multi-faceted approach that includes legal enforcement, economic empowerment, educational opportunities, and cultural inclusion. Dalit movements and leaders continue to play a vital role in advocating for justice and equality, and their efforts are essential in shaping a more equitable society. Legal reforms, economic empowerment, educational advancements, social inclusion, and political participation are all essential components of this effort. By implementing these strategies and fostering a culture of equality and justice, India can make significant strides toward ensuring that Dalits can fully exercise their rights and opportunities, leading to a more inclusive and equitable society.

References:-

1. Ambedkar, B. R. (1948). *The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?* Thacker & Co., Ltd.
2. Anand, S. (Ed.). (2011). *Annihilation of Caste: The Annotated Critical Edition.* Navayana.
3. Guru, G. (Ed.). (2009). *Humiliation: Claims and Context.* Oxford University Press.
4. Jaffrelot, C. (2003). *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India.* Columbia University Press.
5. Thorat, S. & Newman, K. S. (2010). *Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India.* Oxford University Press.
6. Deshpande, A. (2011). *The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India.* Oxford University Press.
7. Shah, G., Mander, H., Thorat, S., Deshpande, S., & Baviskar, A. (2006). *Untouchability in Rural India.* Sage Publications.

परिवर्तित समाज में शिक्षा के आधार पर महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का एक अध्ययन

डॉ. आराधना सक्सेना*

शोध सारांश - किसी भी समाज के उत्थान एवं विकास के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ व प्रगतिशील होना चाहिये, क्योंकि महिलायें की धुरी होती हैं। सम्पूर्ण समाज इसी धुरी के चारों ओर विकेन्द्रित होता है। यह धुरी जितनी सशक्त एवं मजबूत होगी समाज उतना ही सशक्त होगा और उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। वर्तमान में परिवर्तित समाज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाये तो समाज में महिलाओं की स्थिति चिन्तनीय एवं विचारणीय है और उनके सशक्तिकरण के लिये मजबूत एवं पूर्ण मनोयोग के साथ प्रभावशाली प्रयासों की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में किया गया एक संक्षिप्त अनुभाविक शोध कार्य है। जिसमें सर्तमान समय में शिक्षा के आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं और भविष्य में क्या और प्रयासों को करने की आवश्यकता होगी इसकी स्तुति करना है।

शब्द कुंजी - विकेन्द्रित, सशक्त, परिप्रेक्ष्य, चिन्तनीय, सशक्तिकरण, अनुभाविक आदि।

प्रस्तावना - परिवर्तित समाज में किसी भी राष्ट्र का विकास उनके नागरिकों पर निर्भर करता है और विशेषकर महिलाओं पर निर्भर है। यदि परिवर्तित समाज में एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और स्वभावतः बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते ही राष्ट्र निर्माण की आधार शिला हैं। इसीलिये परिवर्तन समाज में महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरूकता एवं विकास के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। यदि परिवर्तन समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना है तो राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाना है तो उन्हें शिक्षित किया जाना अतिआवश्यक है तभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

सशक्तिकरण है क्या - महिला सशक्तिकरण के अनेक आधार हैं जिन्हें समय-समय पर परिवर्तित समाज में शिक्षा का माध्यम समझा गया है। इसलिये तरह-तरह की नीतियों और परियोजनाएँ शासन द्वारा बनाई गई हैं।

सशक्तिकरण का एक प्रमुख आधार शिक्षा है, किन्तु शिक्षा का अर्थ मात्र साक्षरता नहीं है। परिवर्तित समाज में शिक्षा चिन्ह शक्ति का विकास करती है। शिक्षा में अनुभवों से सतत् पुर्ननिर्माण के माध्यम से जीवन की प्रक्रिया है। यह महिलाओं के उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जिनके द्वारा वह अपने परिवेश को नियंत्रित करती है और अपनी उपलब्धियों की सम्भावनाओं को पूर्ण करती है।

परिवर्तित समाज में शिक्षा के माध्यम से महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक में क्षेत्रों में न केवल स्वयं को सबल बना सकती है, बल्कि विकास में अपनी स्वतंत्र पहचान भी बना सकती है। परिवर्तित समाज में यह देखा जाये तो शिक्षा के द्वारा महिलाओं का विकास होना अति आवश्यक है।

बीसवीं शताब्दी की लम्बी लड़ाई में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में नारी शक्ति को एक नई जागरूकता दी है। शिक्षा आर्थिक आत्म

निर्भरता और संवैधानिक अधिकारों ने उसे अपने बारे में सोचने और विकास के नये अवसर प्रदान किये हैं यदि समाज से लिंग भेद को मिटाकर उसे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें तो वह शिक्षा के प्रभावशाली कार्यक्रमों के द्वारा वातावरण में चेतना ला सकती है। शिक्षा ही किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की मानसिकता को जगा सकती है तथा उनके सामाजिक स्तर को उंचा करके उन्हें स्वतंत्र निर्माण लेने की ओर प्रेरित कर सकती है। वास्तव में शिक्षा संहिता सशक्तिकरण का बहुत सशक्त और कारगर माध्यम है।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(1) 16(1) 16(2) में उल्लेख है कि किसी भी नागरिक को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जावेगा। संविधान की अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

परिवर्तित समाज में हमारा आने वाला समय तभी अच्छा होगा जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जागरूकता की दृष्टि से सशक्त करने की सार्थक पहल होगी और पुरुषों के बराबर सम्मान प्राप्त होगा और राष्ट्र के विकास में भागीदारी बन सकेगी इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बनाना एक ऐसा निवेश होगा जिसके परिणाम कल्याणकारी एवं दूरगामी होंगे।

आजादी के बाद 60 वर्षों में शिक्षित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 1951 में भारत वर्ष में महिलाओं की साक्षरता 13.8 प्रतिशत थी तथा 1991 की जनगणना के अनुसार संहिता साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2001 में यह बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई, परन्तु आज परिवर्तित समाज में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की

महिलाओं की शिक्षा पर सबसे नीचे है।

अबला जीवन की यही कहानी !!

आँचल में दूध और नयनों में पानी !!

पहले नारी को अबला की संज्ञा दी गई थी, किन्तु वर्तमान परिवर्तित समाज में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये केन्द्र शासन एवं राज्य शासन ने अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यहां तक कि निशुक्त शिक्षा दी जा रही है। अनेक प्रकार के प्रोत्साहन जैसे छात्रवृत्ति, साईकिलें, लैपटॉप, स्मार्ट फोन आदि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे हैं।

केन्द्र एवं राज्य ने अनेक योजनाएँ -

- राष्ट्रीय महिला आयोग।
- बालिका समृद्धि आयोग।
- किशोरी शक्ति योजना।
- स्वस्थ सखी योजना।
- महिला उत्थान योजना।
- जननी सुरक्षा योजना।
- लाइली लक्ष्मी योजना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये और उन्हें उनका हक देने के लिये प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु आज भी उनके साथ भेदभाव जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें कृषि कार्य का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत कार्य करती हैं। महिला जो 50 प्रतिशत जनसंख्या को दर्शाती है कुल कार्यों का 2/3 कार्य महिला करती हैं और अपने देश में उपयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों का 50 प्रतिशत महिलायें ही उत्पादित कार्य करती हैं बिना किसी प्रतिफल की कामना के देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं की स्वयं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है। बहुत सी महिलायें आज भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं।

शिक्षा के अभाव के कारण महिलायें शोषण का शिकार बन जाती थीं और अपने कामों में लगी रहती थी और अपने अधिकारों के लिये लड़ने की न तो उनमें हिम्मत थी और न ही समझ थी। महिलायें अपने सामाजिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी। शिक्षित महिलायें अपने खिलाफ हो रहे शोषण के प्रति आवाज उठा सकती थी।

महिलाओं को संवैधानिक विधिक प्रावधान -

- अनुच्छेद 14 राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में विधि के समक्ष समान अधिकार एवं अवसर।
- अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निशिद्ध।
- अनुच्छेद 15 (3) अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों व बालकों के लिये कोई विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 39(3सी) आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिये समान वेतन।
- अनुच्छेद 51(ई) महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग का मौलिक कर्तव्य।

पैतृक सम्पत्ति में बेटे के समान ही बेटा का अधिकार - 9 सितम्बर

2005 को पैतृक सम्पत्ति में बेटे के समान ही बेटा को अधिकार देने वाला कानून सरकारी अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया।

परीक्षा में बैठने का अधिकार - लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को परीक्षा से वंचित किये जाना संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 के आधार पर उल्लंघन करार देते हुये केरल उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्त्रियाँ केवल रात 10 बजे से प्रातः 05 बजे के बीच के समय उपस्थित नहीं होगी बाकी पालियों में वे पुरुषों के साथ काम करने में सक्षम हैं। अतः उन्हें परीक्षा में बैठने का अधिकार है।

घरेलू हिंसा रोकने के लिये महिला संरक्षण अधिनियम 2005 - 26 अक्टूबर 2006 से लागू इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पति के साथ रहने वाली पत्नी उसके संविधियों की हिंसा या प्रताड़ना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करना।

परिवर्तित समाज में शिक्षा के आधार पर आज महिलायें अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं चार्ज जो भी क्षेत्र हो जैसे आईटी, रेल्वे, बैंक, टीचिंग, थल, जल, नभ सेना, डॉक्टर, इन्जीनियरी आदि अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यहां तक महिलायें चन्द्रमा ग्रह तक पहुंच गई हैं। सबसे बड़ा योगदान परिवर्तन समाज में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। अभी हाल में मुस्लिम महिलाओं का शोषण न हो सके सरकार द्वारा अधिनियम बन रहा है।

महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयास 2005 :-

- 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायती ढांचे में स्त्रियों को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया
- वर्तमान समय में लोकसभा में 18.3 प्रतिशत तथा राज्यसभा में 19.2 प्रतिशत महिलायें हैं।
- वर्तमान में देश को विधान मण्डलों में महिलाओं के लिये 1/3 सीटों के आरक्षण पर भी चर्चा की जा रही है।
- राष्ट्रीय शिक्षक नीति 1986 में सिफारिश की गई है कि शिक्षा को महिला समानता और सशक्तिकरण के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 1992 में महिला समानता और सशक्तिकरण के लिये ठोस सुझाव भी दिये गये थे।

परिवर्तित समाज में महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना - शिक्षा महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम हो सकती है और इसके निम्न लिखित घटक होंगे।

- समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना।
- महिलाओं को आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बनाना।
- सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और कार्यवाही करना।
- समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना उन तक पहुंचाना ताकि महिलायें सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सके।
- आर्थिक आत्म विश्वास के लिये सूचना ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान सहभागिता सुनिश्चित करना।

- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना ।
 - समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाना ।
- वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई इन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं -
1. महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा तथा भेदभाव को खत्म करना ।
 2. महिलाओं से भेदभाव को रोकने वाले सारे कानूनी नियमों को और कड़ा किया जाये ।
 3. महिलाओं के संगठन तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ सहयोगिता को बनाना ।
 4. आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के द्वारा उसके लिये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना ।
 5. महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक निर्णय लेने की बराबरी का अवसर मिलना चाहिये ।
 6. महिलाओं को स्वस्थ एवं गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिये ।
 7. महिला एवं पुरुष के सामूहिक प्रयास द्वारा समाज तथा समुदाय के दृष्टिकोण तथा सोच को बदलना ।
 8. महिलाओं को हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि में पुरुषों के बराबर अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाये ।

निष्कर्ष - उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप यह निष्पादित किया जा

सकता है कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास किये जा रहे हैं वह प्रशंसनीय योग्य तो हैं, लेकिन इन प्रयासों में अभी और अधिक गम्भीरता तत्परता एवं प्रभावशीलता लाने की आवश्यकता प्रतीत होती है । इसके साथ ही साथ समाज में महिलाओं के प्रति विशेषकर पिछड़े, अशिक्षित एवं प्रगतिशील समाज में जो अराजक सोच एवं विचारधारा है उसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक समाज विशेषकर महिलायें अपने अधिकारों एवं दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होंगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये किये जा रहे सभी प्रयास विफल हो होंगे । इसलिये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये आवश्यक है कि महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधायें प्रदान की जायें एवं संविधान में आवश्यक संशोधन कर विशेष कानून एवं नियम को निर्धारित किया जाये और उनका पालन पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव व दबाव में लागू किये जाये जिससे महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तौर पर पूर्ण सशक्त किया जा सके ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एन0सी0ई0आर0टी0 - 2005, नई दिल्ली ।
2. अम्बेडकर कल्चरल, लखनऊ रैफर्ड जनरल (1अक्टूबर-2016)
3. भारतीय आधुनिक शिक्षा (जुलाई-अक्टूबर-2007)
4. भारतीय आधुनिक शिक्षा (अक्टूबर-2004)
5. राखी प्रकाशन, आगरा ।
6. साहित्य प्रकाशन, आगरा ।
7. राधा प्रकाशन, आगरा ।

Indian Sensibility or Indianness in the Poetry of Nissim Ezekiel

Dr. Sitaram*

Abstract - Nissim Ezekiel wants to focus on the Indian hypocrisy of English speaking men and women. Indian literature also talks about freedom struggle, untouchability, and importance of education, temperament and mood of the contemporary youth. Ezekiel occupies a very high rank as a writer of Indo-English poetry and his contribution to this poetry is very substantial, weighty and valuable. In fact, we can regard him as one of the towering figures among the Indo-English poets though we find it difficult to accept him as an Indian poet because he is essentially and basically a foreigner who was born in India and who has lived in India all his life. Yet, he is accepted as main poet in the history of Indian English Poetry. He is the first Indian poet to express modern Indian sensibility in a modern idiom. Indianness is an important element and a major theme in the poetry of Nissim Ezekiel. His Indianness lies in the commitment to this country and in his earnest and sincere endeavour to bring about some improvement in the conditions of life in this country through his poetry. And we should appreciate this Jewish authors' identification with this country to the extent of wanting to bring about certain improvements in the depressing, degrading and disgusting conditions of life in this country as represented by the metropolitan city of Bombay.

Keywords : Indianness, Sensibility, Culture, Language, Identification.

Introduction - Indian sensibility is an important element that Nissim Ezekiel uses in his poetry to express his thoughts and feelings. Indianness is one of the major themes in Ezekiel's poetry. Nissim Ezekiel, because of Indianness is deeply connected with India, its people and culture. Nissim Ezekiel is one of the greatest poets of India writing in English. The term Indian consciousness means the awareness that India historically has her cultural identity. By Indianness, we mean a subject that suits the Indian sensibility and most part of the Indo-Anglian literature is concerned with one or the other aspect of Indian-sensibility. The works of Nissim Ezekiel are not an exception to it. His works bring a typical incense of Indian tradition, culture and day-to-day life. "Indianness" is a term which in itself is quite controversial. It is the sum total of the cultural patterns of India and the deep-seated ideas and ideals whether political, personal, economic or spiritual. These ideas not only affect the Indian mind but the same are also prevalent in the various social relationships like man-woman, man-god etc. These ideas and ideologies play their respective role in all types of social scenarios. Nonetheless, one can say that a deep study of verses of Ezekiel provides its readers a true picture of and an insight in the Indian society and its various aspects. Ezekiel's India can be highly individual; at times it can also be subjective to the point of being quirky. However, his own gift for telling detail and reference emerges from his outstanding understanding of the society. He sometimes adopts critical language for India. He criticizes her because

he loves her. He is ironic not only about India, but of himself too. Even the language of Ezekiel's poems contains a large amount of "Indian" English. The colloquial language and the frequent use of present tense features the use of "Indian English" by the native Indians. The two are the very prominent features of Indianness in Ezekiel's poetry. His poems like "Very Indian Poems in Indian English", "The Patriot", "The Professor" and many other such poems work as a subtle comment on English and the way it is used for communication in Indian society. Chetan Karnani says, "No other poet has successfully exploited the nuances of Indian English as Ezekiel has done." He is successful in depicting the typically "Indian thinking" in "Indian English". For example, his poem "Good Bye Party to Miss Pushpa T.S" is composed in the form of a farewell speech by an "Indian" orator to Miss Pushpa. She "is departing for foreign". The Indian tendency to use the present continuous tense instead of simple present and the word to word translation of Hindi phrases are mocked at: And the use of typically Hindi words like "Rama Rajya", "Lassi", "Aashram", "Guru", "Chapati", "Paan" further add the Indian flavour to the English language. Ezekiel's deep admiration for Indian spiritual values and also his concern for the perversion of such values and spiritual degradation are highlighted in some of his poems. In his poem "Song of Desolation", he seems to accept the Hindu theology which says "Sansar sab mithya" while confessing that materialism is next to nothing. It can get you "peace" and "comfort" of mind. If there is anything

that can comfort our minds.

He is considered as the father of modern Indian English poetry. Nissim Ezekiel has developed great inclination towards his country India, its landscapes and its social milieu. He was born in a Jewish family but embraced India as his country. He not only loves his country but also the city, Bombay in which he lives and because of this love he does not want to leave his city. Ezekiel has made a substantial contribution to Indo-English poetry by his poems depicting Indian life. Most of the poems of Ezekiel having this kind of Indian sensibility deal with Indian culture and language. Interestingly, the metropolitan city of Bombay figures most prominently in the poetry of Ezekiel. Indeed, Ezekiel has identified himself completely with India and, more particularly, with the city of Bombay; and this identification sustains him as a writer and as a human being. In fact, Ezekiel has said that India's backwardness coincides with his own. He has further stated that India is his environment and that a man can do something for his environment not by withdrawing from it but by remaining in it. Thus, this paper endeavours to discover as to whether Ezekiel's poems have such true depth of Indian sensibility depicted in them or they fall to poetic satire and thus become a bit anti-Indian. To the extent he (Ezekiel) has availed himself of the composite culture of India to which he belongs, he must be an important poet not merely in the Indian context but in a consideration of those that are writing poetry anywhere in English. Nissim Ezekiel's poetry is full of Indianness. 'Background Casually' is one of the biographical poems written by Nissim Ezekiel which shows his loyalty towards India. The term Indian Sensibility means the acquisition of those traits in the character of a man which show him to be an Indian, and certainly not those traits which show him as a foreigner or which show that, though an Indian by birth, he behaves like a westerner and has picked up not only western tastes in food and dress but also in his mode of speech. Now, Nissim Ezekiel is, by his parentage and religion, a foreigner whose ancestors had migrated to India from their own country and had settled down in the metropolitan city of Bombay. Ezekiel was born in Bombay, brought up in Bombay, and educated in Bombay. Leaving aside his three-year study in England and his occasional trips to various foreign countries, he has lived, worked, and earned his livelihood in Bombay. Thus he is steeped and soaked in Indian life and, as a poet, he has observed and experienced much more of Indian life than the native Indians themselves. Indian writing in English displays the author's cultural, socio-political and religious history. Nissim Ezekiel is so devoted to his Bombay city that he has made the city and the city life core of his poetry. "I am conscious of my very special situation in relation to India, as a poet, but as a person and citizen I identify myself completely with the country. Its politics, social life, civic problems, education, economic difficulties, cultural dilemmas are all part of my daily life. I would like that cultural identification to be fully expressed in my poetry but it is

perhaps only partially so." Like T.S. Eliot, Ezekiel has felt a liability to serve his country and society in which he resides. His Indian sensibility brings a new charm in his poetry.

According to M. K. Naik, "Night of the Scorpion" is generally taken to be an ironic presentation of the contrast between popular superstition and skeptical rationalism." The poem describes how the mother of the speaker is stung by a scorpion that enters the speaker's house because of rain outside. To get poison out of her and to get relief from the pain she is given several treatments. She is more concerned for her children than her own suffering. "My mother only said Thank God the scorpion picked on me And spared my children." The languages of Ezekiel's poems contain a large amount of 'Indian' English. The informal language and the frequent use of present tense is the indication of use of 'Indian English' by the native speakers. Chetan Karnani says, "No other poet has successfully exploited the nuances of Indian English as Ezekiel has done." The question which arises is whether Ezekiel has merged his being with most of the typical features of Indian life: and, if so, to what extent. The degree of his Indianness would be determined by the extent to which Indian life has entered his blood and changed his temperament, his personality and his way of life. Now, the fact of the matter is that he has largely rebelled against the Indian way of life, the Indian modes of behavior, and the Indian way of speaking the English language. He has felt more annoyed than attracted by Indian life and by the Indian people. His poems show more of anti-Indianness than of Indianness. He has written a large number of poems depicting the Indian conditions of life, and more particularly the conditions of life in the city of Bombay; but in these poems he appears more of a critic and a censor than an admirer or a champion of those conditions of life. The desire to see better conditions of life in this country connotes a certain degree of patriotism; and in Ezekiel's case it certainly shows his love for the country. Ezekiel's pictures of Indian life show a strong emphasis on the negative aspects, though he does not ignore the positive aspects completely. In a poem entitled In India, he has enumerated the following sights which are common in this country: the beggars; hawkers; pavement sleepers; slum-dwellers; burnt-out mothers; frightened virgins. The city, its tall buildings, its factory chimneys, and its human souls choked by the buildings and the chimneys, compel Ezekiel to pray to God to grant him privacy and to grant him a kinship with the sky and with the air, earth, fire, and sea.

Conclusion: Nissim Ezekiel being the father of modern as well as post-independence Indian English poetry has brought an innovative change in Indian Poetry. He not only loves India but also the city of Bombay in which he lives. Indian sensibility is an important element that Nissim Ezekiel uses in his poetry to express his thoughts and feelings. Indianness is one of the major themes in Ezekiel's poetry. Nissim Ezekiel, because of Indianness is deeply connected with India, its people and culture. It can be pointed out

that Ezekiel's relationship with this country is a love-hate relationship, and that the Indian elements in his poetry have certainly enriched it. It is for the individual reader and the individual critic to decide how far these elements represent Ezekiel's Indianness or anti-Indianness.

References :-

1. Narasimhaiah, C. D. The Swan and the Eagle, Simla: Indian Institute of Advance Studies, 1969.
2. Chetan Karnani, Nissim Ezekiel, (New Delhi: Arnold Heinemann, 1947) 108.
3. Naik M.K. Indian English Poetry. New Delhi, Rupa Publication,2009.
4. Premkumar.V.HeardMelodies.Chennai,New century Book House pvt.Ltd,2014.
5. Ezekiel, Nissim. Collected Poems: 1952-1988. New Delhi;
6. Nissim Ezekiel, "Background, Casually", Hymns in Darkness (Delhi: Oxford University Press. Ed. II, 2005)180.

Determination of Stability constants of La(III), Nd (III), Sm(III), Gd(III), Dy(III) and Ho(III) complexes with 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-Phenanthroline

Dr. Romila Karnawat*

Abstract - The stability constants of La(III), Nd(III), Sm(III), Gd(III), Dy(III) and Ho(III) complexes with 1,3-diphenyl-3-hydroxy triazene and 1,10-phenanthroline were determined and stability sequence of these complexes of lower lanthanides is reported. Various modern techniques are used to determine the stability constant of simple as well as mixed ligand complexes. This research paper envisages that stability of metal complexes may be affected by various factors like nature of central metal ion and ligand, chelating effect, etc. However, some of the parameters like distribution coefficients, conductance, refractive index, etc. are useful in the determination of stability constants. Irving-Rossotti method was employed to determine these constant in 50%v/v dioxane-water media at ionic strength 0.1 sodium perchlorate and 30° C temperature.

Introduction - Stability constants, or formation constants, are equilibrium constants that describe the stability of a complex in solution. They provide a quantitative measure of the affinity between a lanthanide ion and a ligand, reflecting how strongly the ligand binds to the metal ion. High stability constants indicate strong binding, which is essential in processes like solvent extraction, ion exchange, and complexation in biological systems. The determination of stability constants is therefore a key aspect of lanthanide chemistry, influencing the design and optimization of various applications. The study of lanthanide chemistry has evolved significantly since the discovery and isolation of these elements in the late 18th and early 19th centuries. Early research focused on the separation and identification of lanthanides, leading to the development of ion exchange and solvent extraction techniques. The introduction of potentiometry and spectrophotometry marked a significant advancement in the determination of stability constants, allowing for more accurate and precise measurements. Over time, the development of advanced spectroscopic methods, such as NMR and fluorimetry, further enhanced the understanding of lanthanide-ligand interactions.

The stability of lanthanide complexes is a critical factor influencing their behavior and applications in various fields. Research over the past few decades has provided valuable insights into the factors affecting the stability of these complexes, including ionic size, ligand properties, and solvent effect, temperature and pH. In this research work potentiometric technique was used to determine the stability constants of lanthanides mixed ligand complexes.

Experimental: All Analar grade chemicals were used for the preparation of the solution. The molar solutions of

sodium hydroxide, sodium perchlorate, perchloric acid, 1,3-diphenyl-3-hydroxy triazene, 1,10-phenanthroline dihydrochloride, solution of requisite strength were prepared. The lanthanides metal ion solutions were prepared by their respective metal oxides and the metal contents were estimated.

Different sets of solutions were prepared to calculate the constants for free ligand, binary and ternary complexes and the pH-metric titrations were performed. The ionic strength was maintained throughout the experiment. The pH-meter readings were reproducible within the limits.

Calculations : The free ligand exponents, constants for the formation of binary complexes were used in calculation of stability constants of ternary complexes. While evaluating PA values, the pK values of both the ligands were taken into consideration as the ternary complexes are formed by the simultaneous interactions of metal ions with both ligands. From the formation curve data and formation curves for ternary lanthanide complexes of hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline with the ratio (1:2:1) / (1:1:2), the stepwise stability constants have also been calculated by using pointwise method. The values obtained by both the methods are in close agreement with each other. The difference between successive stability constants is not large and hence it indicates immediate ternary complex formation.

$$\text{Log}K_{MA2L}^{MA} = \text{Log}K_{MA2L}^M - \text{Log}K_{MA2}^M - \text{Log}K_{ML}^M$$

$$\text{Log}K_{MAL2}^{ML2} = \text{Log}K_{MAL2}^M - \text{Log}K_{MA}^M - \text{Log}K_{ML2}^M$$

Result and Discussion : The ternary complexes of lanthanides have been studied. The stability sequences for

systems consisting of metal hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline having the molar ratio as 1:2:1, and 1:1:2 are given in Table 3 and Table 4 respectively. In both types of complexes, the stability sequence for lighter lanthanides has been found to be similar. Neodymium ternary complexes of hydroxytriazenes and 1,10-phenanthroline are most stable among the lighter lanthanide complexes under study. This may possibly be due to high degree of covalency in metal ligand bond. Several factors such as structural changes, coordination number, steric requirement, possible participation of f-orbitals, backdonation of electron pair from metal to antibonding orbitals of either or both ligands, change of oxidation state stability of metal complexes.

Stability sequence for ternary metal complexes (MA, L) or (MAL₂) hydroxy triazene and 1,10-phenanthroline La < Gd < Sm < Nd: Ho < Dy

Table 1: Stability constants of mixed ligand (1:2:1) metal complexes of 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline

Metal	logk ₁	logk ₂	logk ₃	Log k ₁ k ₂ k ₃
Lanthanum (III)	13.13	12.46	12.22	37.81
	13.17*	12.49*	12.24*	37.90*
Neodymium (III)	14.32	13.48	13.25	41.05
	14.35*	13.46*	13.28*	41.07*
Samarium (III)	13.95	13.64	13.44	41.03
	13.98*	13.66*	13.44*	41.08*
Gadolinium (III)	13.34	12.90	12.72	38.96
	13.37*	12.86*	12.76*	38.99*
Dysprosium (III)	13.80	13.62	13.51	40.93
	13.83*	13.64*	13.48*	40.95*
Holmium (III)	13.57	13.44	13.33	40.32
	13.58*	13.44*	13.41*	40.34*

Table 2: Stability constants of mixed ligand (1:1:2) metal complexes of 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline

Metal	logk ₁	logk ₂	logk ₃	Log k ₁ k ₂ k ₃
Lanthanum (III)	12.80	12.04	11.77	36.61
	12.82	12.04	11.83	36.69
Neodymium (III)	13.69	13.38	13.27	40.34
	13.75	13.40	13.27	40.42
Samarium (III)	13.22	12.76	12.62	38.60
	13.20	12.73	12.62	38.55
Gadolinium (III)	13.07	12.72	12.55	38.34
	13.09	12.72	12.61	38.42
Dysprosium (III)	13.85	13.65	13.53	41.03
	13.88	13.62	13.51	41.01
Holmium (III)	13.61	13.38	13.22	40.20
	13.58	13.40	13.29	40.27

Table 3: Stability metal constants of ternary complexes of 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline

Metal	logK 1:2:1	logK 1:2	logK 1:1
Lanthanum (III)	37.81	17.94	0.68
Neodymium (III)	41.05	19.09	1.31
Samarium (III)	41.03	18.88	0.37
Gadolinium (III)	38.96	18.90	0.28
Dysprosium (III)	40.93	18.99	1.45
Holmium (III)	40.34	20.36	3.37

Table 4: Stability metal constants of ternary complexes of 1,3-diphenyl-3-hydroxytriazene and 1,10-phenanthroline

Metal	logK 1:1:2	log K 1:2	Log K 1:1
Lanthanum (III)	36.61	9.04	0.79
Neodymium (III)	40.34	9.59	2.07
Samarium (III)	38.60	9.48	0.50
Gadolinium (III)	38.34	9.49	0.36
Dysprosium (III)	41.30	9.59	2.62
Holmium (III)	40.20	10.99	4.83

References:-

1. A.S. Mildvan and P.D. Boyer, The Enzymes, Kinetics and Mechanism, 3rd Ed. Academic Press NY, Vol.2. (1970) p145. K.J. Schray and A.S. Mildvan, J. Biol. Chem. 354, 331 (1973). H.J. Kolb. Hoppe Seyler Z. Physiol. Chem. 13, 1690 (1973)
2. F.J.C. Rossotti and H.S. Rossotti, The Determination of Stability Constants, McGraw Hill, NY (1961)
3. M.T. Beck, The Determination of Complex Stabilities, Van Nostrand, NY (1969)
4. M.T. Beck, Chemistry of Complex Equilibria, Van Nostrand, NY (1970)
5. J.I. Walters and E. D. Langhram, J. Am. Chem. Soc., 75, 4819 (1953)
6. J.I. Walters, J. Manson, J. Am. Chem. Soc., 75, 5212 (1953)

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक स्थिति- एक अध्ययन

डॉ. महेश कुमार शुक्ला*

प्रस्तावना - 'छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मानव इतिहास के पाषाण युग, लौह युग, ताम्र युग तथा आधुनिक परिवर्तनों से समृद्ध है। भारत वर्ष में प्रायः जितनी भी सभ्यताएँ आयी हैं, उन सबका प्रभाव छत्तीसगढ़ के इतिहास से उजागर होता है। पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय ने तो महाकोशल को मनुष्य जाति की सभ्यता का जन्म स्थान निर्दिष्ट किया है। 'सभ्यता पूर्व के प्रागैतिहासिक काल की गाथा कहने वाले रायगढ़ के कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाओं के भित्ति चित्र उल्लेखनीय है।

'भारत वर्ष के अनेक स्थानों में जहाँ मानव सभ्यता के चिह्न प्रकाश में आये हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की पहाड़ियों के गुफाओं में पाषाण युगीन हथियार एवं भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्राचीनता में एक कड़ी और जोड़ देती है। कबरा पहाड़ की गुफाओं में पाषाण युगीन मानव की दिनचर्या से संबंधित अनेक चित्र सजीव हैं। गुफा में एक अभिलेख मिला है जिसकी लिपि ब्राह्मी से पुरानी है तथा यह 4000-7000 वर्ष ईसा पूर्व का माना गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले के घनौरा गाँव से प्राप्त तांबे के अवशेषों के कारण उन्हें ताम्र युग का बताया जाता है, जिले के चिरचुरी, सोपर और कबरा पहाड़ में ताम्रयुग में निर्मित आवासों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिले मकानों में तलवार, चाकू, छूरी, तीर-धनुष और कुछ मिट्टी के पात्रों से आभास होता है कि इन आवास गृहों का उपयोग शव विसर्जित करने के लिए होता था और शव के साथ ही मृतक की प्रिय वस्तुएँ रख दी जाती थी।'

पूर्व वैदिक साहित्य में काशल का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य मध्यप्रदेश तक उन दिनों नहीं पहुंचे थे, अस्तु छत्तीसगढ़ में उन दिनों अनार्य बस्तियों का अनुमान किया जा सकता है।

'एतरेय ब्राह्मण में आंध्र, पाण्डु, शबर, मूतीन, पुजिंद जातियों का उल्लेख मिलता है। अनार्यों के रूप में निषाद जाति का उल्लेख मिलता है। 'पुराणों की सूची के अनुसार काशल के इकतीस इक्ष्वाकुवंशी राजा के काशलाधिपति होने के बात का पता चलता है जिनमें से प्रथम राजा वृहद्ध महाभारत युद्ध में मारा गया था।'

हजारों वर्ष पहले यह क्षेत्र वनों से आच्छादित था, उसके मध्य में कटि मेखला के समान पर्वत श्रेणियाँ थी। उत्तर में विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई थी। मध्य में सिहावा पर्वत तथा समतल मैदान शोभित थे, इनके मध्य घने जंगलों वाला मैदान था। इस मध्यवर्ती वनराजित प्रांत को ही महाकांतर कहा जाता था। 'महाभारत में कांतरकों के राज्य का जो स्थान निर्दिष्ट हुआ है, उसे छत्तीसगढ़ में कांकेर-बस्तर माना है।' चौथी सदी के मध्य में यहाँ दो राज्य थे। उत्तरी भाग काशल कहलाया, जिसका राजा महेन्द्र था और दक्षिण भाग महाकांतर कहलाता था, जिसका राजा व्याघ्रराज था।' इस क्षेत्र में

वनों की प्रचुरता थी।

'आज से 5000 वर्ष पहले इस प्रदेश में हैहयवंशी राजाओं का राज्य करना पाया जाता है। ये लोग यदुवंशी थे। हैहय नाम के एक महा-प्रतापी राजा इस वंश में थे, उन्हीं के वंशज हैहय कहलाये। इनमें एक कार्तवीर्य या सहस्रबाहु था। इनको चेदिराज भी कहते थे। महाभारत के 18 प्रधान राजाओं में चेदिराज का भी नाम आता है। इधर चेदिराज्य के 18 मण्डल 18 गढ़ रतनपुर तथा 18 मण्डल 18 गढ़ रायपुर में भी प्रधानता है।'

महाभारत के आख्यानो में वर्णित मयुरध्वज तथा अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन की गाथाएँ आरंग और सिरपुर के साथ जुड़ा है। कंवर और पाण्डु जातियों को कौरवों और पाण्डवों का वंशज मानते हैं। 'व्हेनसांग ने वर्णन किया है कि महाकाशल दश का राजा क्षत्रिय है। बौद्ध धर्म को मानता है। वहाँ भिक्षुओं की संख्या लगभग दस सहस्र है। बौद्ध सन्यासी मठों में निवास करते हैं। इसका प्रमाण आरंग के एक प्राचीन बौद्ध मंदिर से मिलता है। ऐसी ही अनेक बौद्ध प्रतिमायें मल्हार तथा तुरतुरिया में हैं। इसी से यह स्पष्ट है इस विशाल भू-खण्ड में बौद्धमत का प्रचार था।

9वीं शताब्दी से छत्तीसगढ़ में हैहय वंशी राजाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। हैहय वंशी कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के वंशज माने जाते थे। उनकी राजधानी जबलपुर के समीप त्रिपुरी में स्थित थी। हैहय वंशी सम्राट कलिंग राज दक्षिण काशल पर आधिपत्य स्थापित किया था तथा उसके पौत्र रत्नसेन ने बिलासपुर जिले के रतनपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। रतनपुर के खण्डहर नुमा मंदिर, तालाब, कुण्ड आज भी साक्षी हैं। आगे चलकर इनके राज्य का अतिशय विस्तार हुआ। रत्नसेन के पौत्र जाजल्य देव प्रथम और पुत्र रत्नसेन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।'

हैहय वंश में अनेक धर्मात्मा प्रतापी और यशस्वी राजा हुए जिसमें पृथ्वी देव, जाजल्य देव, हरिवहम देव उल्लेखनीय हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में हैहय वंशी राजा अधिक शक्तिशाली थे। इस वंश के राजाओं ने पूरे छत्तीसगढ़ पर लगभग 800 वर्षों तक शासन किया, उनकी राजधानियाँ रतनपुर, खल्लावाटिका (खल्लारी) और रायपुर में थी।

'कलचुरी लोग 11वीं शताब्दी में पूर्णरूपेण जन्म गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हैहय कलचुरियों का शासन काल शिल्प, स्थापत्य कला, साहित्य और संस्कृति के उत्थान की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है।'

रतनपुर के कलचुरियों की छत्र-छाया में रतनपुर, शिवरीनारायण, राजिम आदि स्थानों में भव्य मंदिर निर्मित हुए एवं उनके राज्याश्रय में पनपता रहा। कालान्तर में छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का विस्तार ठठेर, कसेर, समेर, असार, ठठारी आदि जातियों में हो गया।

गोंडवाना राज्य के अंतर्गत गोंडो का प्रभुत्व चांदा, फूलझर, रायगढ़,

सक्ति, कवर्धा स्थापित थी। कालान्तर में कुछ अन्य रियासतें भी जुड़ी। गोड़ों के व्यापक प्रभुत्व प्रसार के कारण ही छत्तीसगढ़ को बाद में गोंडवाना कहा जाने लगा। आधुनिक काल में गोंड जनजाति को ही छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाता है।

कल्चुरी वंश के पतन के अनन्तर गोड़ों का वर्चस्व बढ़ा। गोंड नरेश के राज्य विस्तार को देखकर मुसलमानों ने इसे गोंडवाना से संबोधित किया। 'गोंडवाना की सीमा को रेखांकित करते हुये अबूल फजल लिखते हैं- उस राज्य के पूर्व में रतनपुर पश्चिम में रायसेन जिसकी लम्बाई एक सौ पचास कोस थी, उत्तर में पन्ना और दक्षिण में दक्कन जिसकी चौड़ाई अस्सी कोस थी।' गोड़ शक्ति सम्पन्न थे किन्तु शिक्षा और कला में किसी प्रकार की उन्नति इस काल में नहीं हुई। जिस समय राजा दलपति शाह जबलपुर अन्तर्वर्तिनी राज्य छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे, उसी समय दिल्ली का आधिपत्य अकबर के हाथ में था। अकबर की आँख में यह राज्य हमशा खटकता था। असमय ही राजा दलपति शाह काल-कवलित हो गये। बादशाह अकबर को अवसर मिल गया। वह अपने सेनापति आसफख़ाँ को बहुत बड़ी सेना लेकर गढ़ मण्डला भेजा। उस समय दलपति शाह की रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। उसने आसफख़ाँ से डटकर लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में गोंडवाना राज्य के साथ-साथ यदा-कदा मुसलमानों का आगमन हो गया था, परन्तु उनका राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। 'छत्तीसगढ़ मुस्लिम सम्पर्क में बहुत कम आया। सन् 1346 के आसपास खलीफा नामक मुस्लिम सेनापति का सरगुजा राज्य पर पदाक्रांत हुआ और उसने विजय प्राप्त की। खुशी में वहाँ के लोगों को तांबे की मुद्राएँ वितरित की।' अकबर शासन काल में आसफख़ाँ ने चढ़ाई की थी तथा जहाँगीर के शासन काल में रतनपुर के नरेश कल्याण साय दिल्ली गये थे। छत्तीसगढ़ के खानाबदाश जाति के देवार गीतों और लोकगाथाओं में इस घटना का वर्णन मिलता है।

'सन् 1346 ई. के लगभग खलीफा नामक मुस्लिम योद्धा ने सरगुजा पर चढ़ाई की थी और अकबर के शासनकाल में आसफख़ाँ भी छत्तीसगढ़ आया था। परन्तु इन्होंने यहाँ उपनिवेश की स्थापना नहीं की और लौट गये। इसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया मोड़ आया। 'गोंडवाना राज्य क्षीण होती गयी। सन् 1789 में तो मराठों द्वारा गोंड राज घराने की लीला ही सदा के लिए समाप्त कर दी गयी। कल्चुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह के समय सन् 1742 ई. में नागपुर के भोंसला राजा रघुजी प्रथम सेनापति ने बंगाल पर आक्रमण करते समय छत्तीसगढ़ में मराठी शाह की स्थापना की। 18वीं शदी में से छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रादुर्भाव हुआ। उधोजी राव भोंसले अन्य राज्यों को जीतता हुआ नागपुर को राजधानी बना लिया। रतनपुर गोड़वाना राज्य में नहीं आ पाया था। वहाँ का राजा राजसिंह था जो निःसंतान था। गद्दी पर सरदार सिंह बैठा, परन्तु उसके भाई मोहन सिंह ने बगावत किया तथा नागपुर जाकर मराठों से मेल-जोल बढ़ा लिया। अंततः वह गद्दी का मालिक बन गया।

रघु भोंसले जब कर्नाटक चले गये तब उसका प्रधान सेनापति भास्कर पंत छत्तीसगढ़ विजय के लिए निकला, इसी समय उसे बंगाल का विद्रोह दबाने, बंगाल जाना पड़ा, परन्तु बीच रास्ते में वह रतनपुर के राज्य को अपने अधीन कर लिया। किले का एक हिस्सा तोड़ दिया गया। राजा वृद्ध था, वहाँ उसे मातहत मांडलिक की भांति रतनपुर सौंप दिया, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद मोहन सिंह को वहाँ का राज्य मिला। रतनपुर विजय कर भास्कर

पंत उड़ीसा की ओर बढ़ा, उसके साथ ही साथ देवगढ़, चांदा, रायपुर और रतनपुर राज्यों को मिलाकर रघुजी भोंसले ने नागपुर का विशाल मराठा राज्य स्थापित किया।'

'रघुजी के चार पुत्र जानोजी, मुधोजी, बासाजी और बिम्बाजी थे, जिनमें से बिम्बाजी को रतनपुर का राज्य प्रदान किया गया इसके साथ अनेक मराठे रतनपुर आकर बस गये।' रतनपुर और रायपुर के राजवंश माफीदार बना दिये गये थे। 7 दिसम्बर 1787 में बिम्बाजी की मृत्यु हो गई, तदनन्तर रानी अनंदा बाई दीवान महिपत राव, काशी तथा अन्य सहायक कृष्ण भट्ट उपाध्याय और महाराजा जी भोंसले कार्यभार देखने लगे। बाद में छत्तीसगढ़ के सूबेदार, नागपुर भेजे जाते थे। प्रथम सुबेदार महिपत राव दिनकर था। उसके काल में संबलपुर के राजा ने विद्रोह किया था। महिपत राव का उत्तराधिकारी बिट्टल दिनकर था। उसके बाद क्रमशः कालपंत, कशवपंत, भीष्मजी भाऊ, सखाराम भाऊ, यादव राव दिनकर और सखाराम भाऊ सुबेदार हुए जिनका शासन 1818 तक अनवरत स्थापित रहा। भोंसलाकाल को भोंसला शाही या नौकरशाही निरूपित करते हुए काला पृष्ठ कहा गया है। रघुजी तृतीय के काल में कर्नल एम्यूज छत्तीसगढ़ के अधीक्षक नियुक्त हुए जिनका मुख्यालय रायपुर रहा। उधर भारत के कुछ भागों में अंग्रेजों की प्रभुता बढ़ रही थी। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। 1803 में देवगाँव की संधि की स्थिति के अनुसार नागपुर का राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। अंग्रेजों ने इस राज्य का उत्तराधिकारी एक अल्पायु राजा बाजीराव को गद्दी पर बैठाया परन्तु वास्तविक शासक अंग्रेज ही रहते थे। सन् 1818 में नागपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रतिनिधिस्वरूप कर्नल एम्यूज छत्तीसगढ़ इलाके के प्रबंधक नियुक्त हुए और उन्होंने अपना सदर मुकाम रायपुर को बनाया। इस प्रकार आगे चलकर रघुजी पर अंग्रेजों का दबाव बढ़ता गया। सन् 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च सन् 1854 में नागपुर राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। भोंसला वंश का भी पतन हो गया।

'भोंसला राज्य के पतन के बाद यहाँ पूरी तरह से अंग्रेजी हुकुमत प्रारंभ हो गया। सन् 1857 की जनक्रांति सम्पूर्ण राष्ट्र में भड़की। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। रायपुर, सम्बलपुर, सरगुजा, सोनाखाना आदि ने इस क्रांति में सक्रिय सहयोग दिया। विद्रोहियों के एक वृहद् समूह ने गुरु सिंह और रणवंत सिंह के नेतृत्व में सम्बलपुर के कुछ विद्रोही जमींदारों ने रायपुर के सोहागपुर तालुका में प्रवेश किया। 'रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय सैनिकों को साथ लेकर 7 दिसम्बर को विद्रोहियों पर सोहागपुर के निकट हमला किया। विद्रोहियों की गोलाबारी से घोड़सवारी का एक दल घायल हुआ और कुछ घोड़े मारे गये। 18 मार्च सन् 1818 ई. की संध्या 7:30 बजे रायपुर में सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिकों ने तृतीय नियमित रेजीमेंट के अंग्रेजी मेजर की हत्या कर दी।'

'विद्रोही सैनिकों में तोपखाने के 14 हवलदार तृतीय नियमित फोर्स के दो सिपाही थे। छावनी के समस्त भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में विद्रोहियों को फांसी दी गई। सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया और दांत खट्टे कर दिया। परिणामतः 29 अक्टूबर को उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। सरगुजा अंतर्गत उदयपुर नरेश के दोनों भाइयों ने सन् 1858 में दिसम्बर मास में एक सैनिक संगठन के साथ विद्रोह किया। दोनों बंधु सरगुजा के राजा की सहायता से गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें आजन्म काले पानी का दण्ड देकर टापू भेज दिया गया। अंग्रेजों ने बड़ी शक्ति और धूर्तता से काम लिया तथा गद्दारों को राज्य

जर्मीदारी तथा उपाधि देकर गुलाम बना लिया।'

सन् 1905 में बंग-भंग के विरुद्ध में समग्र देश में आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व पंडित सुन्दरलाल शर्मा कर रहे थे। पंडित शर्मा गाँधीवादी थे तथा इस अंचल में अहिंसा और अछुतोद्धार द्वारा जन-जागृति कर रहे थे। सन् 1906 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगाँव में विराट प्रदर्शन हुआ। सन् 1932 में गाँधीजी के छत्तीसगढ़ आगमन के पश्चात् यहाँ आन्दोलन की लहर दौड़ गयी, परिणामतः भारत छोड़ो आन्दोलन में पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। इस उपक्रम में पं. रविशंकर शुक्ल, माधव राव सप्रे, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त प्रभृत नेताओं का योगदान उल्लेखनीय है, जिन्होंने जन-जागृति का शंखनाद कर छत्तीसगढ़ को आंदोलित रखा।

'स्वातंत्र्योत्तर छत्तीसगढ़ वर्तमान मध्यप्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है, जो बहुमुखी विकास की ओर सतत् उन्मुख है। भिलाई, कोरबा जिसके औद्योगिक तीर्थ स्थल हैं और रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर जिसका गौरव है। छत्तीसगढ़ की धरती जितनी

उर्वर है उतनी ही यहाँ की मानसिकता उन्नत है। सभ्यता की किरणें उस उपेक्षित अंचल को आलोकित करने लगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्मा डॉ. शकुन्तला- छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ-211
2. दी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट व्हाल्युम, पृष्ठ-531
3. दी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट व्हाल्युम, पृष्ठ-48, 491
4. वर्मा डॉ. शकुन्तला- छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ-221
5. श्री शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ (इतिहास खण्ड) शीर्षक देश की स्वतंत्रता प्राप्ति और राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यप्रदेश का योग, पृष्ठ 135, 136।
6. पाठक डॉ. विनय कुमार- छत्तीसगढ़ी साहित्य का सांस्कृतिक अनुशीलन, पृष्ठ-88।
7. पाठक डॉ. विमल कुमार- छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, पृष्ठ-12

मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था निरंतरता एवं परिवर्तन

डॉ. अंजू तिवारी*

प्रस्तावना - भारत में मुगल साम्राज्य (1526-1857) ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रशासनिक ढांचे की एक समृद्ध और प्रभावशाली परंपरा भी स्थापित की। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने शासन में सुधार और समृद्धि के लिए प्रभावी नीतियों और प्रणालियों को लागू किया। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी प्रासंगिक हैं। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन जिसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सेना और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का विवरण किये गए हैं।

मुगल कालीन प्रशासन

केंद्रीय प्रशासन - मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन को तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: सम्राट, मंत्रिमंडल और केंद्रीय अधिकारी।

सम्राट - मुगल साम्राज्य में सम्राट सर्वोच्च शासक होता था। वह प्रशासन, न्याय, सैन्य और राजस्व का अंतिम अधिकारी था। सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और उसकी शक्तियां धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में फैली होती थीं।

अकबर के काल में प्रशासन का विस्तार अकबर ने दीन-ए-इलाही जैसी धार्मिक नीतियां बनाई और सुलेह-ए-कुल (सार्वभौमिक सहिष्णुता) की नीति को लागू किया।

जहांगीर और न्याय व्यवस्था न्यायिक निर्णयों के लिए जहांगीर का जंजीर-ए-अदालत प्रसिद्ध था। जहांगीर ने न्याय हेतु न्याय की घंटी भी लगवाई थी।

मंत्रिमंडल - सम्राट के अधीन एक मंत्रिमंडल होता था, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होते थे।

1. वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, जो राजस्व और वित्त विभाग देखता था।
2. मीर बखशी सेना का प्रमुख होता था और सैनिकों की नियुक्ति, वेतन और पदोन्नति का कार्य करता था।
3. सदर-उस-सुदूर धार्मिक और न्यायिक मामलों का प्रबंधन करता था।
4. खान-ए-सामा शाही दरबार और खान-पान का प्रबंधन करता था।

प्रांतीय प्रशासन - मुगल साम्राज्य को प्रांतों (सूबों) में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का एक सूबेदार होता था, जो सम्राट का प्रतिनिधि था।

प्रांतों का विभाजन - अकबर ने साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया, जो औरंगजेब के समय 20 हो गए।

प्रत्येक सूबे में चार प्रमुख अधिकारी होते थे:

1. सूबेदार प्रांत का प्रमुख अधिकारी।

2. दीवान राजस्व संग्रह और प्रांत के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता था।
3. बखशी सैन्य प्रशासन का अधिकारी।
4. काजी न्यायिक अधिकारी।

सरकार और परगना स्तर का प्रशासन

1. प्रांत के नीचे सरकार और परगना स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था थी।
2. सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था।
3. परगना के प्रमुख अधिकारी शिकदार और आमिल होते थे।
4. ग्राम स्तर ग्राम प्रशासन ग्राम प्रमुख (मुखिया) और पटवारी द्वारा संचालित होता था।

राजस्व व्यवस्था - मुगलकालीन प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व व्यवस्था थी। अकबर ने राजस्व सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से टोडरमल नामक प्रशासनिक अधिकारी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

टोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली:

1. जमीनी सर्वेक्षण कृषि भूमि का सटीक सर्वेक्षण किया गया।
2. जरीब व्यवस्था जमीन मापने के लिए जरीब का उपयोग किया गया।
3. फसल आधारित कर राजस्व को मुख्यतः उपज के अनुसार निर्धारित किया गया।
4. दशाला प्रणाली दस वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर तय किया गया।

आदि पर उनकी सूचना के आधार पर अकबर ने 1580 ई. में शदहसालाश नाम की नवीन प्रणाली को प्रारम्भ किया।

न्यायिक व्यवस्था - मुगलकालीन न्याय व्यवस्था धर्म और परंपराओं पर आधारित थी।

न्यायालयों का संगठन:

1. शाही न्यायालय सम्राट स्वयं न्याय करता था।
2. प्रांतीय न्यायालय काजी और मुफती द्वारा संचालित।
3. स्थानीय न्यायालय ग्राम स्तर पर पंचायत न्याय करती थी।

बादशाह दीवानी एवं फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों में फैसला सुनाते थे। अकबर अलग-अलग तरह के फैसलों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता और उस अपन अन्तिम निर्णय देते थे। इतिहासकार बताते हैं कि दूसरे मुगलों के मुकाबले अकबर के दौर में न्याय मिलना आसान था और लोगों को फैसलों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी रहता था।

बादशाह दीवानी एवं फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों में फैसला सुनाते थे। अकबर अलग-अलग तरह के फैसलों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता और उस अपन अन्तिम निर्णय देते थे। इतिहासकार बताते हैं कि दूसरे मुगलों के

मुकाबले अकबर के दौर में न्याय मिलना आसान था और लोगों को फैसलों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी रहता था।

जैसा की हम सब जानते हैं मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। इसमें सम्राट को प्रशासन की गतिविधियों को भली-भाँति संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। और इसमें मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय देता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। उसकी सहायता के लिए मुफती नियुक्त होते थे, जो कुरान के कानून की व्याख्या करते थे। जैसे मुगल साम्राज्य कई सूबों में बंटा हुआ था। जैसे की अकबर के शासनकाल में 15 सूबों में विभाजित था। वही औरंगजेब का शासन आते-आते सूबों की संख्या 20 तक पहुंच गयी थी। प्रत्येक प्रान्त का प्रधान एक राज्यपाल होता था, जो अकबर के काल में सिपहसालार एवं उसके पश्चात् सूबेदार अथवा नाजिम कहलाता था।

सैन्य प्रशासन - मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति उसकी स्थिरता और विस्तार का मुख्य आधार थी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। अगर मुगलों ने भारत पर इतने लम्बे समय तक शासन किया था, तो उसके पीछे निसंदेह ही उनकी दृढ़, अच्छे ढंग से सुसज्जित और मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। मुगलों ने अपनी सेना का वर्गीकरण भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। मुगल बादशाहों बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब आदि ने अपनी मुगल सेना का संगठन कुशल तरीके से किया था और यही कारण था कि, वे काफी लम्बे समय तक भारत पर शासन करने में सफल रहे।

सेना का संगठन:

1. घुड़सवार सेना मुख्य सैन्य शक्ति।
2. पैदल सेना सहायक भूमिका में।
3. तोपखाना बाबर ने तोपों का उपयोग प्रारंभ किया।
4. नौसेना मुगल काल में नौसेना की भूमिका सीमित थी।

शाहजहाँ ने अपने शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन मनसबदारों के लिए नियम बनाये, जो अपने पद की तुलना में घुड़सवारों की संख्या कम कर देते थे। अब मनसबदारों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने पद हेतु निर्धारित घुड़सवारों की संख्या की कम से कम एक-चौथाई फौजी टुकड़ी अवश्य रखें। यदि उनकी नियुक्ति भारत से बाहर होती थी, तो मनसबदारों को एक-चौथाई के स्थान पर 1/5 सैनिक टुकड़ियाँ रखनी होती थीं।

सांस्कृतिक और धार्मिक प्रशासन :

1. मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाईं।
2. अकबर की सुलेह-ए-कुल नीति सभी धर्मों को समान सम्मान।
3. जहाँगीर और शाहजहाँ कला और संस्कृति को बढ़ावा।
4. औरंगजेब इस्लामी कानूनों का कठोरता से पालन।

अकबर की धार्मिक नीति - बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था, जिसे हिन्दू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। अकबर एक मुसलमान था लेकिन दूसरे धर्म एवं सम्प्रदायों के लिए भी उसके मन में आदर था। जैसे-जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे-वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए

जाना जाता है। इसका नतीजा ये हुआ की अकबर ने अपने पूर्वजो से विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की।

इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिन्दुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वह यह जान गया था कि भारत में लम्बे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिये। उसकी धार्मिक नीति ने देश में शांति समृद्धि और एकता के नए युग का सूत्रपात किया। उसने हिंदू मुस्लिम जनता को एक सामान्य रंगमंच प्रदान करने के लिए दीन ए इलाही नामक संघ या धर्म की स्थापना की थी। अकबर के धार्मिक विचारों का विकास एकाएक नहीं हुआ। निसंदेह हुआ प्रारंभ में अकबर कट्टर परंपरावादी मुसलमान रहा। 1562 ई. से 1582 ई. तक उसके धार्मिक विचारों में निरंतर परिवर्तन आता रहा।

बाबर की धार्मिक नीति इतिहास के अनुसार बाबर पक्का सुन्नी मुसलमान था लेकिन वह धर्मान्ध नहीं था। उसने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की, लेकिन उसका मतलब राजनीतिक था, न कि धार्मिक।

हुमायूँ की धार्मिक नीति बाबर की तरह हुमायूँ भी सुन्नी मुसलमान था, तथा अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक नियमों का पालन करता था। लेकिन उसने सहनशील धार्मिक नीति अपनायी। आपको बता दे की वह शिया मुसलमानों के प्रति भी सहनशील था। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम और उसका स्वामिभक्त और योग्य अधिकारी बैरम खां शिया मुसलमान थे। कहा जाता है की वह सूफी आन्दोलन से भी बहुत प्रभावित था। जहाँगीर की धार्मिक नीति जहाँगीर अपने पिता की भांति धार्मिक सहनशील था। जहाँगीर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपने पिता की राजपूत-नीति का अनुसरण किया, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया तथा उनके साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया। राजा मानसिंह ने राजसिंहासन प्राप्त करते समय जहाँगीर का विरोध किया था, परन्तु उन्हें क्षमा करके जहाँगीर ने उन्हें सदा के लिए अपना मित्र बना लिया। शाहजहाँ की धार्मिक नीति शाहजहाँ की बहुत बैटन में औरंगजेब का पूर्वगामी था। शाहजहाँ ने सिजदा की पद्धति को छोड़ दिया। उसने इलाही संवत के बदले हिजरी संवत को प्रारंभ किया। उसने हिन्दुओं पर इस बात के लिए भी पाबन्दी लगायी की वे मुस्लिम दास नहीं रख सकते थे। बताया जाता है की उसने हिन्दुओं को मुस्लिम स्त्रियों के साथ शादी करने पर रोक लगाई और जो हिन्दू ऐसा कर चुके थे उन्हें यह आदेश दिया गया की या तो वे उन स्त्रियों को मुक्त करें या फिर मुस्लिम रीति से शादी करें।

आर्थिक और व्यापारिक नीतियां - मुगल साम्राज्य के दौरान व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। भारत सोने और चांदी का मुख्य आयातक था। शहरीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला। कई छोटे-छोटे कस्बों और नगर इस दौर में बड़े-बड़े शहरों में बदल गए थे व्यापार के बड़े केन्द्र बन गए थे। सोनारगांव, चाटगांव, श्रीपुर, सूरत गोआ, कालीकट, कोचीन, मच्छली पट्टम आदि इस काल के बड़े और प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। यहां से भारत का निर्यात और आयात व्यापार बड़ी मात्रा में होता था। 17 वीं सदी में इस दिशा में विशेष प्रगति हुई थी। विदेशी यूरोपीय यात्रियों के विवरण इस प्रगति के प्रमाण है। भारत से निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुएं थीं— सूती और रेशमी, नील, कालीमिर्च तथा अन्य मसाले, अफीम, चीनी, शोर आदि। एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के देशों को निर्यात होता था। यूरोपीय देशों से ऊनी कपड़े, शराब, कांच के बर्तन, सोना-चांदी आदि मंगवाए जाते थे।

चीन से कच्चा रेशम, ईरान से गलीचे तथा अरब घोड़े मंगवाए जाते थे। सड़क, नदी और समुद्र सभी रास्तों से व्यापार होता था।

व्यापारियों का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके, इसके लिए शेरशाह तथा अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल बादशाहों ने सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। सड़कों के किनारों व्यवस्थित तरीके से बनवाई गई सरायें व्यापारियों तथा डाक हरकारों के ठहरने या विश्राम करने के काम आती थीं।

निष्कर्ष – मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित प्रणालियों में से एक थी। यह व्यवस्था न केवल सम्राट के शासन को मजबूत बनाती थी, बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रशासन में भागीदार बनाती थी। हालांकि औरंगजेब के बाद साम्राज्य का पतन शुरू

हुआ, लेकिन उनकी प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर लंबे समय तक बना रहा। मुगल प्रशासन का यह अध्ययन न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों को समझने के लिए भी प्रेरणादायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वासुदेव शरण अग्रवाल, मुगल इण्डिया।
2. सरला अग्रवाल, मुगल आर्ट फिलॉसफी।
3. शर्मा कालूराम, मध्यकालीन भारत का इतिहास।
4. रोमिला थापर, भारत का इतिहास।
5. भगवती शरण उपाध्याय, मुगलकाल का राजनतिक इतिहास।

मल्हार अंचल के पुरावशेषों का अध्ययन

डॉ. सीता बाजपेयी*

प्रस्तावना –वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राचीन वस्तुओं, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक स्थलों व धरोहरो का विपुल भंडार स्थित हैं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अनेक अद्भूत आश्चर्यचकित, मनमोहनीय पर्वत श्रृंखलाओं एवं प्राचीन खण्डहर, भग्नाशेष विद्यमान है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातात्विक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के लिए बिलासपुर जिले का मल्हार प्रसिद्ध है। ईसा पूर्व की शताब्दियों से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक मल्हार एक समृद्ध नगर रहा मल्हार में कुषाणकालीन, सोमवंशीय, शरभपुरिया, सातवाहनकालीन, गुप्तकालीन राजाओं के महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुये हैं। साथ ही कल्चुरि राजाओं के सैकड़ों महत्वपूर्ण सिक्के एवं विभिन्न प्रकार की धातु प्राप्त हुये हैं।

कई राजाओं के शिलालेख प्राप्त हुये हैं जैसे महाशिव गुप्त बालार्जुन, प्रवरराज, एवं जयराज के प्राप्त हुये हैं। मुख्य रूप से मल्हार से ब्राह्मिलिपि, खरोष्ठी लिपि के सिक्के प्राप्त हुये थे परन्तु इसके साथ-साथ नई लिपि वाले सिक्कों की भी प्राप्ति हुयी है। लिपि विशेषज्ञ के अनुसार मल्हार में खरोष्ठी भाषा के मिश्रित सिक्के प्राप्त हुये हैं। जो मल्हार से आहत सिक्के भी प्राप्त हुये हैं जिस सिक्का का वजन 8 रती होता था। आहत सिक्को में चार प्रकार के चिन्हों के सिक्के जो कि मल्हार से प्राप्त सिक्कों में छपा मिला।

आहत सिक्का मुख्यतः इतिहास में विनियम का माध्यम रहा। मल्हार से मिला धातु के भी सिक्के प्राप्त हुये हैं। जो सिक्का लगभग 2300 वर्ष की पहले का याद दिलाता है मल्हार में अतिमहत्वपूर्ण में सिक्के में अधिकतर सिक्का सीसे का प्राप्त हुआ है। इन सिक्को में ब्राह्मी लिपि तथा गज चिन्ह अंकित हैं जिस लेख में राजा मध-सिरिस मध अंकित हैं। इस प्रकार के सिक्को की प्राप्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि मल्हार में दूसरी व तीसरी शताब्दी में मध्य अन्य वंशों का शासन रहा होगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मल्हार से मिला कालीन भी सिक्का प्राप्त हुआ है सातवाहन वंश के रोमकालीन स्वर्णमुद्राएं चकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। सातवाहन काल की मिट्टी की मुहर बुढीखार मल्हार से प्राप्त हुआ है एवं लेखयुक्त प्रतिमा बुढीखार मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। सातवाहन एक शासक अपीलक का सिक्का भी मल्हार से प्राप्त हुआ है।

मल्हार से अधिक मात्रा में कल्चुरि शासकों के शासनकाल में बने हुये ताँबे के सिक्को की प्राप्ति हुयी है। यह सिक्का मुख्यतः राजा रतनदेव एवं राजा जाजल्यदेव द्वितीय तथा पृथ्वीदेव के कार्यकाल से सम्बंधित था।

राजा रतनदेव के शासन काल का महत्वपूर्ण स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। जिस सिक्के पर राजा रतनदेव का नाम ब्राह्मी लिपि पर अंकित है तथा लक्ष्मी का भी चित्र बना हुआ है। इस सिक्का का आकार गोलाकार था एवं स्वर्ण का था। कुषाणकालीन राजाओं का भी सिक्का प्राप्त हुआ है जिसका अधिकतर

सिक्का तांबा का प्राप्त हुआ है। चंद्रकर की मुद्रा प्राप्त हुई है। जिसका आकार अर्द्धचंद्राकर तथा कुल ऊँचाई 2 सेमी. है। इस सिक्के के नीचे भाग में बाह्य लिपि चंद्रकर खुदा लिखा हुआ है। केशवदेव की मुद्रा यह पूर्णप्रश्नतर निर्मित एवं अंडाकार है इस मुद्रा में केशव देवस्य बाही में उल्टी लिपि में लिखा गया है। यहां पर प्रसन्नमात्र की मुद्रा की प्राप्त हुयी है जो शरभपुरीय राजा प्रसन्नमात्र की है। इस सिक्के के ऊपरी आधे हिस्से में मध्य में चक्र उत्कीर्ण है। तथा नीचे भाग में ब्राह्मी लिपि में हल्के से खुदा हुआ है। यह सिक्का 2 बाई 5 तथा 2 बाई 4 सेमी. आकार की है।

मल्हार में कई राजाओं के शिलालेख एवं ताम्रपत्र के सिक्के प्राप्त हुये हैं जिनमें निम्न प्रकार है। राजा प्रवरसेन का शिलालेख, सोमराज का शिलालेख, सातवाहन कालीन शिलालेख, गुप्तकालीन शिलालेख, एवं पृथ्वीदेव का शिलालेख एवं बिलासपुर संग्रहालय शिलालेख, प्राप्त हुये हैं एवं महत्वपूर्ण ताम्रवंश भी प्राप्त हुये है। व्याधराज का मल्हार ताम्रलेख, सुदेवराज का ताम्रपत्र शरभपुरियों के आदेश ताम्रपत्र एवं महाशिवगुप्त बालार्जुन का 57वें राज्य वर्ष का जुनवानी मल्हार ताम्रलेख प्राप्त हुये हैं।

बहुत संख्याओं में मल्हार में स्मारक एवं कलाकृतियाँ भू-भाग में संरक्षित हैं प्राचीन काल में मल्हार एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। तथा उसके अंदर कई उपनगरों को समावेश था। पूर्ववती नगरों का स्वरूप जो वर्तमान में प्राप्त होता है उसमें मल्हार ग्राम बुढीखार, बैलरी, जैतपुर निवारी चकरबेड़ा तथा पकरिया आदि स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से मंदिर स्थापत्य, मूर्तिप्रस्तर एवं भवन अवशेष प्राप्त हुये हैं। यहाँ उन्नत टीलों के रूप में अवस्थित जिसमें सांस्कृतिक गौरव छुपा हुआ है। बुढीखार-ई.पूर्व दूसरी शती की चतुर्भुजों विष्णु की प्रतिमा इसी स्थल से प्राप्त हुई है। यह स्थल जैन सम्प्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है यहाँ जैन धर्म से सम्बंधित प्रमुख तीर्थ स्थल की प्राप्त हुआ है यहाँ जैन मुनि भगवान ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ जो कि तीर्थकार थे एवं ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थ कार की सुंदर प्रतिमाएं संग्रहित हैं। बुढीखार नामकरण से तात्पर्य है कि जो वृद्ध जनों को बुढ़ा या बुढ़डा कहकर या कहा जाता है। एवं खार शब्द से तात्पर्य है जमीन का भाग होने के कारण इसे बुढीखार कहा गया है। यह स्थान उन्नत एवं सम्पन्न व्यापारी स्थल के अंतर्गत आता है। यह जैन धर्म का प्रमुख महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस ग्राम में विभिन्न जाति के लोगों का निवास स्थल वाले परिवार रहते हैं। जिनका प्रमुख उद्योग कृषि का कार्य एवं व्यापार है।

जैतपुर –यह मल्हार ग्राम के उत्तर में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के आकर्षण का केन्द्र स्थल है जिस प्रकार बुढीखार जैन धर्मानुयायियों का केन्द्र स्थल है। उसी प्रकार जैतपुर बौद्ध धर्मानुयायियों का प्रमुख आकर्षण का केन्द्र स्थल

हैं जैतपुर में वर्तमान समय अनेक बौद्ध मूर्तियां संग्रहित हैं यहां बौद्ध जातक कथानुसार कई प्रकार से शीला पट्ट मकानों में लगा हुआ है। मल्हार ग्राम से प्राप्त ताम्रपत्र में भगवान पातालेश्वर मंदिर को चार प्रमुख दान दिये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। उसी ताम्रपत्र में चैत्यपुर का भी उल्लेख पाया जाता है। जिसका वर्तमान में नाम जैतपुर हो गया है। जैतपुर के उत्खनन से कई बौद्ध मठ एवं चैत्य विहार के बहुसंख्यक अवशेष इसी ग्राम के आस-पास प्राप्त हुआ है इसी वजह से यह स्थल बौद्ध धर्मानुयायियों का गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र के रूप में विख्यात है।

नेवारी –नेवारी ग्राम मल्हार के दक्षिण दिशा में परमेश्वर तालाब के आगे स्थित है। यह स्थल प्रमुख सिद्ध पुरुषों का केन्द्र स्थल है यह ग्राम डहरिया ठाकुर (डालवंशीय क्षत्रिय) का प्रमुख निवास स्थान है मल्हार संग्रहालय में नटराज शिव की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है जो ग्राम के मध्य एक जुटी है। यहाँ उनके प्रतिमाएँ संग्रहित हैं उमा महेश्वर, गणेश, जैन तीर्थकार आदि प्रतिमाएँ संग्रहित हैं यहां दो तालाब स्थित हैं जिनका नाम रामसागर एवं लक्ष्मण सागर हैं जहाँ वर्ष भर स्वच्छ जल भरा रहता है। वहाँ के निवासियों की ऐसी मान्यता है कि इस ग्राम से होकर भगवान राम एवं लक्ष्मण होकर गुजरे थे इसी कारण इसी सरोवर का नाम राम सागर एवं लक्ष्मण सागर पड़ा। यह नामकरण स्थानीय लोगों का आस्था एवं धार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं।

चकरबेड़ा –मल्हार ग्राम का एक प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है। जसे ग्राम पश्चिम दिशा के मुख्य भाग के सड़क पर स्थित है यहां से अनेक प्रकार के शिलालेख प्राप्त हुये है। जो प्रस्तर से निर्मित है। बासीन डीपरा नामक स्थान पर वर्तमान स्थिति प्राचीन मंदिरों का अवशेष आज भी स्थित है। यहाँ एक विशाल जलाशय स्थित है जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों को द्वारा जन बर बांधा नाम से सम्बोधित किया जाता है। चकरबेड़ा स्थान में जमीन से खोद कर पत्थर निकला जाता है। जहां अनेक प्रकार मूर्तियों के निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। एवं यहाँ कल्चुरिकालानी कुछ प्रतिमाएँ घरों को दीवार में लगी हुयी प्राप्त हुई हैं।

पकरिया –यह स्थल मल्हार के पश्चिम दिशा में स्थित है यह स्थान मल्हार का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएँ सन् 1942 में प्राप्त हुये हैं। कलात्मक दृष्टि कोण से यहां पाषाण प्रतिमाएँ संग्रहित है। एक फलक पर भगवान विष्णु के दशावतार वामन, एवं कच्छप तथा मत्स्य का सुरुचिपूर्ण अंकन किया गया है। इत्यादि कथनों एवं उपरोक्त विवरणों के अध्ययन से पता चलता है कि यह वैभव काल में यह क्षेत्र धार्मिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक स्थल का प्रमुख केन्द्र रहे थे।

जुनवानी –मल्हार का अभिन्न अंग के रूप में प्राचीन समय में जुनवानी ऐतिहासिक नगर के रूप में प्रसिद्ध रहा जुनवानी शब्द से आशय होता है जुन्ना का अर्थ होता है पुराना अर्थात् जुन्ना मतलब पुरानी से सम्बधित है। जो कि प्राचीन समय में बसावट का क्षेत्र रहा था जिसका नाम बदलकर जुनवारी हो गया है उस समय में निवास कर रहे धोबी समाज के लोगों के नाम पर आज भी जमीन उन्ही के नाम पर है। धोबी समाज के लोगों का जमीन माँ डिङ्गेश्वररी मंदिर के समीप ही स्थित है यहाँ पर सुंदर आकर्षक प्रतिमाएँ प्राप्ती हुयी है। जो मुख्य रूप से कल्चुरिकालीन हैं। जहां उसके समीप कुछ प्राचीन मूर्तियाँ आज भी अवस्थित हैं ऐतिहासिक ग्राम की जमीन से सम्बधित यहां ग्राम अनेको ऐतिहासिक एवं धार्मिक तथ्यों को अपने में संजोये हुये हैं। यह स्थल मुसलमान समुदाय के धार्मिक केन्द्र के रूप में आज भी प्रसिद्ध है जहां से दूर-दूर से लोगों द्वारा यहां पर्व मनाने आते हैं।

पत्थरताल –पत्थरों की चट्टानों में स्थित होने कारण इस ग्राम का नाम पत्थर वाल पड़ा है। ग्राम के समीप एक तालाब स्थित है जिससे कारण इसका

नाम पत्थरताल हो गया है। गांव के मध्य तालाब के पास एक मंदिर बना है जिसमें प्राचीन शिव-पार्वती की प्रतिमा बनी हुयी है। पत्थरताल के उत्तर दिशा में एक वृक्ष के नीचे नवाग्रह पठ रखा हुआ है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मूर्तियाँ मल्हार से लाकर यहाँ स्थापित किया गया है। इसका ध्येय यह रहा है कि पूजा पाठ के उद्देश्य से किया गया। यहां ग्राम में समुदाय के व्यक्तियों का संख्या ज्यादा है।

श्री नंदमहल –स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थान को नंद महल के नाम से जाना जाता है क्योंकि केवट मोहल्ले में कई ऊँचे चलुतरे के ऊपर कई सुंदर आकर्षण प्रतिमाओं का संग्रह है। यहाँ संग्रहित प्रतिमाओं में पार्श्वनाथ जैन तीर्थकार, ऋषभनाथ जैन तीर्थकार, बौद्धदेवी तारा एवं अष्टभुजी नटराज, गणेश की प्रमुख प्रतिमाएँ प्राप्त हुयी है कई प्रतिमाएँ चिकनाई युक्त ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित बनी हुयी है यहां जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएँ कला दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है।

शिवमंदिर –शिव मंदिर के अवशेष पोटनार तालाब के समीप एक ऊँचे टीले के उत्खनन से अवशेष प्राप्त हुआ है। ये ईंटों पकी से बनी मंदिर है तथा नीचे जलहरी की प्राप्ति हुयी है। जिसके शीर्ष पर शिवलिंग स्थित है। जलहरी के पास पानी निकास की व्यवस्था के लिए नली बनाई गयी है।

परगनिहा देव मंदिर – मल्हार ग्राम के सीमा के उत्तर-पश्चिम दिशा में बूढ़ीखार ग्राम में प्रवेश करते है विविध जैन प्रतिमाएँ एवं जैन मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं दो तीर्थकारों की ध्यानस्थल मुद्रा में एक विशालकाय प्रतिमा अवस्थित है यहां 2.60 मीटर ऊँची जैन तीर्थकारों की कायोत्सर्ग मुद्रा में विशाल प्रतिमा स्थापित है। 24 तीर्थकार महावीर स्वामी की खडगासन मुद्रा में मंदिर की भीतरी दीवाल में लगी प्राप्त हुयी है। ऋषभनाथ पद्यामन मुद्रा में बैठे हुये हैं। उनके शिरोभाग के पीछे चक्राकर एवं वक्षस्थल पर जीवत्स चिन्ह अंकित है तथा पीछे चक्राकर प्रभामण्डल और ऊपर त्रिखण्ड है छत्र के शीर्ष पर गजाभिषेक का अंकन है चरण चौकी के नीचे मध्य भाग में वृषभ अंकित है। यहाँ प्रतिमाएँ लगभग 10वीं या 11वीं शती की प्रतीत होती है।

स्थानीय लोगों की मान्यता प्रचलित है कि ग्राम्यदेवता के रूप में महावीर स्वामी ग्रामवासियों की रक्षा करते हैं। धार्मिक भाव से लोगों द्वारा महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। नारियल का भोग अर्पित करते हैं। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लोगों द्वारा पशुपत्नी चढ़ाया जाता था लोगों का कहना है कि अगर देवता को चढ़ौनी न चढ़ाया जाये तो देवता लोगों को परेशान करते है। इस कारण पशुबलि दिया जाता है।

शीतबाबा –तालाब परमेश्वर के पश्चिम दिशा में शैव धर्म से संबधित है। जो प्राचीन धार्मिक स्थल का केन्द्र स्थल रहा है। लोग इसे शीत बाबा के नाम से संबोधित करके पुकारते हैं। यहां प्राप्त कुछ मूर्तियाँ उठाकर स्थानीय पातालेश्वर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तथा कुछ खण्डित मूर्तियाँ बिखरी हुयी पड़ी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चंद्राकर पुरुषोत्तम लाल – छत्तीसगढ़ के पर्यटन की संभाव्यता एवं प्रत्याशा 2017
2. छत्तीसगढ़ ए.ट. ग्लांस-ए. लाला सुब्रह्मण्यम-छत्तीसगढ़ ए.ट.ग्लांस जनवरी 2013
3. जिनेन्द्र कुमार – दक्षिण कोशल से प्राप्त अभिलेख में मंदिर एवं जनकल्याणी जिर्माण-एक विश्लेषण 2013
4. गुप्ता टी. सी. और मिर्जा एन.डी. – छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग और विपणन का विकास 2016

मध्ययुगीन सांस्कृतिक समन्वय की धुरी : सन्त कविगण

प्रताप कुमार पाण्डेय*

शोध सारांश - लम्बे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप दोनों सम्प्रदायों के मध्य वैमनस्य एवं घृणा की ऐसी खाई उत्पन्न हो गई थी, जिसे समाप्त करना सरल कार्य नहीं था, फिर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुछ कारण समय-समय पर ऐसे बनते रहे, जिनके कारण दोनों विरोधी सम्प्रदायों में निकटता आनी प्रारम्भ हो गई। दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने एक-दूसरे के रीति-रिवाजों और परम्पराओं को ही नहीं अपनाया अपितु मुगल शासन को आपस में कन्धे से कन्धा मिलाकर एक सृष्टि आधार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

शब्द कुंजी - बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, सहिष्णुता, भक्ति-आन्दोलन, पुनर्जागरण, रहस्यवाद, समन्वय, धार्मिक एकीकरण, साम्प्रदायिकता, सुलह-ए-कुल, दीन-ए-इलाही।

सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा।। -यजुर्वेद 7-14

-यह प्रथम संस्कृति है जो विश्वव्यापी है।

प्रस्तावना - भारतवर्ष का गौरवपूर्ण अतीत हजारों वर्षों से अपनी गाथा कह रहा है।¹ मुसलमानों से पूर्व भारत में अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए जैसे, यूनानी, शक, हुण, सीथियन आदि। इन बाह्य आक्रमणकारियों ने देश की तत्कालीन राजनीतिक दशा को अस्तव्यस्त और भस्मसात् तो किया, पर वे यहां की संस्कृति को न तो विध्वंस कर सके और न मूल रूप में परिवर्तित ही, अपितु भारतीय जन-जीवन, सभ्यता और संस्कृति ने उन्हें अपने में आत्मसात् कर लिया। कालान्तर में ये विदेशी हिन्दू समाज में घुल मिल गए। परन्तु मध्ययुग में अरब, तुर्क, अफगान आदि आक्रमणकारियों के साथ ऐसा न हो सका। इसके कुछ विशिष्ट कारण हैं।

प्रथम, ये विदेशी अपना पृथक सामाजिक और राजनीतिक संगठन तथा दृढ़ धार्मिक विश्वास रखते थे। उनकी अपनी इस्लामी संस्कृति थी। उनका अपना निजी, स्पष्ट और निश्चित धर्म इस्लाम था। इस धर्म के प्रति उनकी अत्यधिक निष्ठा थी और इसका प्रचार करने के लिए वे भारत में प्रविष्ट हुए थे। इस्लाम धर्म की कुछ ऐसी विशेषता है कि, इसके मानने वाले जिस देश पर भी आक्रमण करते हैं, उसे जीतकर वहां के धर्म एवं संस्कृति को उखाड़ कर फेंक देने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। ये सबसे पहले गैर मुसलमानों को जिम्मी अथवा सुरक्षित मजदूर घोषित कर मुसलमान और गैर-मुसलमानों में सदा के लिए भेदभाव के बीज बो देते हैं और फिर गैर-मुसलमानों को, मुसलमानों जैसे नागरिक अधिकार से वंचित कर देते हैं। भारत में वे अपने मुख्य उद्देश्य में तो सफल नहीं हुए किन्तु मुसलमान और गैर-मुसलमान में भेदभाव की खाई अवश्य खोद दी। वे विजित देश भारत के विधर्मियों के बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा से अपने इस्लाम को श्रेष्ठ समझते थे और इसके प्रचार व प्रसार को अपना कर्तव्य समझते थे। अतः हिन्दू समाज और संस्कृति द्वारा उन से समन्वय स्थापित कर पाना नितांत असंभव था।

द्वितीय, मुसलमानों की धर्मान्धता, हिन्दू-विरोधी नीति और धार्मिक अत्याचारों से भी हिन्दुओं के हृदय में इन विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति घृणा, शत्रुता और वैमनस्य के भाव भर दिए गए। मुसलमानों को विजयोपहार

के बदले में हिन्दुओं की घोर शत्रुता प्राप्त हुई। वस्तुतः इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु उसके धर्मान्ध भक्त ही थे। दृष्टि-वैभिन्य और शत्रुता के कारण हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक समन्वय दुष्कर हो गया।

तृतीय, इस समय तक हिन्दू संस्कृति और समाज ने भी अपनी पूर्ण विशालहृदयता और आत्मसात् करने की प्रवृत्ति को खो दिया था। उसमें विषाक्त कुरीतियों, रूढ़ियों और दुरुह जटिलताएं उत्पन्न हो गई थीं।

चतुर्थ, हिन्दुओं का बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा, इस्लाम के कट्टर एकेश्वरवाद तथा निराकर निर्गुण अल्लाह से किसी भी प्रकार से मिलता नहीं था। हिन्दुओं की जाति-प्रथा, और सामाजिक विषमता व असमानता, मुसलमानों की एकता व इस्लाम के भ्रातृत्व के सिद्धान्त के विपरीत थी। हिन्दू धर्म की अपेक्षा इस्लाम अधिक सादा और जनवादी था।

पंचम, मुसलमान समाज में शासक वर्ग की दृढ़ भावना थी और हिन्दू समाज शासित होने के कारण हीन-भावना से दबा हुआ था। विदेशी शासक और विधर्मी शासितों में परस्पर भेद-भावों की गहरी खाई थी। दो विरोधी संस्कृतियों और धर्मों का संघर्ष हो रहा था। मुसलमान हिन्दुओं से अपने को बहुत अच्छा समझते थे, अतः उनके धार्मिक विश्वास तथा रहन-सहन का विरोध किया करते थे। हिन्दू अपनी दुर्बलता को समझते थे, किन्तु मुसलमान उनके साथ जो व्यवहार करते थे उससे दिल ही दिल में जला करते थे, क्योंकि ये मुसलमानों को घृणित मानते थे। मुसलमान हिन्दुओं को काफिर कहते थे और हिन्दू उन्हें बदले में म्लेच्छ व अछूत कहकर पुकारते थे।

जैसे-जैसे मुस्लिम शासनकाल को स्थायित्व प्राप्त होता गया तथा भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया भी तेज होती गई। धर्म और संस्कृति में आधारभूत अंतर होते हुए भी जब दो धर्मों या जातियों के लोग सदियों तक साथ रहेंगे तो यह स्वाभाविक है कि किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे को वे अश्वय ही प्रभावित करेंगे। इस्लाम और हिन्दू धर्म भी इस प्रक्रिया को नहीं रोक सके। भारत में जो इस्लाम आया था, वह शुद्ध अरबी इस्लाम न होकर मिश्रित इस्लाम था, जिसमें

ईरानी, तूरानी, अफगान आदि तत्वों का मिश्रण हो चुका था। उसके मूल सिद्धान्तों पर राजनैतिक व सैनिक पक्ष ज्यादा हावी हो चुके थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या में विदेशी मुसलमानों के बजाय धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी। इन भारतीय मुसलमानों का परिवेश वही था, भूमि वही थी। मिलने-जुलने वाले लोग वही थे और इन सबके ऊपर वे धार्मिक व सामाजिक संस्कार थे जिनके बीच वे पीढ़ियों से जी रहे थे। इन्हीं कारणों से भारतीय इस्लाम, संस्कारों व रीति-रिवाजों की दृष्टि से दुनिया के इस्लाम से आज भी भिन्न है।

हिन्दुओं और मुसलमानों के इस पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सौहार्द की प्रवृत्ति, विकसित होती सहिष्णुता और सहयोग की भावनाओं ने धार्मिक एकीकरण और समन्वय की धाराको जन्म दिया। दोनों ही धर्मों में अनेकानेक संतों ने सभी धर्मों की आधारभूत समानता पर बल दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को उन्होंने पाटने का कार्य किया। इससे देश में धार्मिक एकीकरण और समन्वय की वृद्धि हुई और भक्ति आन्दोलन पुनर्जीवित हो गया।

वेबर (Weber) और ग्रियर्सन (Grierson) की मान्यता है कि भक्ति और ईश्वर की एकता का विचार हिन्दुओं ने ईसाइयों से प्राप्त किया था। एक मत यह भी व्यक्त किया जाता है कि भक्ति आन्दोलन का उद्भव इस्लाम के प्रभाव के कारण हुआ है परन्तु तथ्य की कसौटी पर ये सब तर्क खरे नहीं उतरते हैं। केवल कुछ समानता के आधार पर यह मत प्रतिपादित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। बार्थ का मत है कि भक्ति आन्दोलन हिन्दू धर्म का ही एक अंग था।²

वरतुतः इस काल में विजय तथा दमन की प्रक्रिया हुई, परिणामस्वरूप लाखों हिन्दू मारे गए और उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इस युग में राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से हिन्दू जनता को काफी कष्ट हुआ। उन्हें शासन के महत्वपूर्ण पदों से ही वंचित नहीं किया गया वरन् उनके साथ घृणापूर्ण व्यवहार भी किया गया। अपनी नारी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए हिन्दुओं ने बाल-विवाह, पर्दा प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं को अपना लिया। हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थी। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरो व मूर्तियों को नष्ट-भ्रष्ट किया गया व उनके धार्मिक अनुष्ठानों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाए गए। उन्हें जजिया और तीर्थ-यात्रा कर देना पड़ता था। इस प्रकार एक जाति के रूप में हिन्दुओं का काफी पतन हुआ भक्ति आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे प्रथम, हिन्दू धर्म में सुधार करना, जिससे वह इस्लामी प्रचार और प्रसार के आक्रमणों को झेल सके और द्वितीय, हिन्दू एवं इस्लाम धर्म में समन्वय स्थापित करना तथा दोनों जातियों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।³

भक्ति-आन्दोलन के उदय के पीछे अनेक कारण थे। ब्राह्मण धर्म की जटिलता को रेखांकित करते हुए डॉ. यूसुफ हुसैन लिखते हैं - 'मौलिक सिद्धान्त, जिनकी यह ब्राह्मणवाद शिक्षा देता था, अवैयक्तिक और काल्पनिक थे।'

जाति-व्यवस्था की जटिलता, व मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार ने इस युग को संतप्त कर रखा था। अपने धर्म और जाति की सुरक्षा की भावना ने हिन्दुओं को ललकार कर खड़ा कर दिया। इसके अतिरिक्त इसके उत्कर्ष में तत्कालीन राजनैतिक वातावरण के प्रभाव का भी योगदान रहा। तुर्कों के नृशंस आक्रमणों के कारण हिन्दू समाज व धर्म को गहरा आघात लगा। बाद में दास वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन तथा खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भी हिन्दू समाज पर भयंकर प्रहार

किए परन्तु धीरे धीरे उनका उत्साह और कठोरता कम होती गई व विजयनगर में हिन्दू राज्य की स्थापना हुई। मेवाड़ में राजपूतों ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया जिससे हिन्दुओं को एक बार पुनः संगठित होने का अवसर मिला। परन्तु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भक्ति आन्दोलन से पूर्व चली आ रही विचार धारा पर्याप्त सीमा तक इस्लाम से प्रभावित थी। डॉ. सेन ने उचित ही लिखा है कि - 'एक ब्रह्म की उपासना जो मुस्लिम धर्म का प्राण थी, ने इस आन्दोलन में जान डाल दी।'⁴

मध्य युग की संजीवनी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में शंकराचार्य, रामानुज, गुरुनानक देव, रामानंद, क्रान्तिकारी कबीर से लेकर निम्बार्क, मध्वाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, संत रविदास, चौतन्य महाप्रभु, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत धन्ना तथा भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप मीरा, सहजोबाई जैसी अप्रतिम, दिव्य नारियों आती हैं। मुगलकालीन इन्ही सन्तों में भक्त रहीम का नाम भी प्रातः स्मरणीय है।

भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तक संत जनसाधारण को एक कर्मकाण्ड व आडम्बरहीन धर्म देने के इच्छुक थे, इन्होंने पवित्रता व सदाचार पर विशेष बल दिया था। उपासना के तमाम आडम्बरों को नकारते हुए इन्होंने चरित्र व निश्चलता को महत्वपूर्ण सिद्ध किया। भक्ति आन्दोलन के संतों ने गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही ईश्वर-प्राप्ति को सहज व सुलभ बताया। भक्ति आंदोलन की सर्वोपरि विशेषता हिन्दू-मुस्लिम धर्म में व्याप्त विरोधाभास को दूर करके दोनों धर्मों में समन्वय व एकता की स्थापना थी। धार्मिक आन्दोलन होते हुए भी समाज सुधार में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा।⁵

इस धार्मिक पुनर्जागरण ने दीन-हीन निम्न वर्ग में बल और आत्मविश्वास भरा। इस आन्दोलन के अधिकांश संत निम्न जातियों में से आए थे, उन्होने जाति-प्रथा की निरस्सारता को समझकर उसकी जटिलता व ऊँच-नीच की भावनाओं का घोरतम विरोध किया। उनके मत में जाति, मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति सद्भावना प्रेम और अनन्यता से ईश्वर के किसी भी रूप की उपासना करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ब्राह्मण वैश्य और अछूत समान रूप से मोक्ष के अधिकारी हैं यदि अपने उपास्य में उनकी अनन्य भक्ति और निष्ठा है। इन सिद्धान्तों और उपदेशों से दलित निम्न वर्ग में दमन और जातीय कुंठा के स्थान पर क्रांतिकारी तृप्ति व आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया।

भक्ति आन्दोलन ने धार्मिक और राजनैतिक जाग्रति का ही सूत्रपात नहीं किया अपितु राजनीतिक पुनर्जागरण के बीज भी बो दिए। पंजाब में सिक्खों का अभ्युदय और महाराष्ट्र में मराठों का उदय इसी जाग्रति का सुफल है। गुलामी की पाशविकता कैसी होती है, इसका जनसामान्य को कटु अनुभव हो चुका था। तुमुल अंधकार से भरे कालखण्ड में भक्ति आंदोलन की रेखा ने राजनीतिक शक्ति और साहस प्रदान किया। यही नहीं, इस जन आंदोलन ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। धार्मिक संकीर्णता का संक्रामक रोग, जिसका प्रस्फुटन सैकड़ों वर्षों पूर्व हुआ था और जो भारतीय समाज को निरन्तर खोखला कर रहा था, उसमें शनैः शनैः सहनशीलता की भावना का उदय होने लगा था। मुगलकाल तक आते-आते सल्तनतकाल की धर्मान्धता का स्थान शेरशाह एवं अकबर की उदार धार्मिक प्रवृत्तियों ने ले लिया था। फलतः मुसलमानों के साथ-साथ हिन्दुओं ने भी देश के राजनीतिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति भक्ति आंदोलन से प्रेरित थी।

इस अभूतपूर्व जन-आन्दोलन ने विशेषतः हमारी जनभाषाओं के

साहित्य (Vernacular Literature) के विकास में योग दिया और उन्हें अधिक सम्पन्न बनाया। अधिकांश सुधारकों ने जनभाषा में लोगों को उपदेश दिए और इससे हिन्दी, बंगाली, मराठी, मैथिली और गुजराती आदि भाषाओं की सम्पन्नता में वृद्धि हुई। इन प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य संस्कृत साहित्य से बहुत भिन्न था यह उतना ही सहज, सरल, और बोधगम्य था जितना कि संस्कृत साहित्य आडम्बर युक्त कृत्रिम हो गया था। वस्तुतः भक्ति-काव्य की सर्जना में देश की धार्मिक परिस्थितियों ही न्यूनाधिक रूप में उत्तरदायी हैं।

निष्कर्षतः भक्ति आन्दोलन के सन्तों व सूफी संतो दोनों ने सहिष्णुता की भावना पर बल दिया तथा हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मों के बीच समन्वय की स्थिति उत्पन्न होने में सर्वोपरि भूमिका निभाई। इन्हीं के साझा प्रयत्नों ने तत्कालीन युग की विभीषका से संतप्त जनसाधारण को शांति, साहस और सौहार्द्र से पूर्ण किया। आगे चलकर इसी का सहारा लेते हुए अकबर ने अपने नवीन धर्म 'दीन-ए-इलाही' (दैवी एकेश्वरवाद) का प्रवर्तन किया। अकबर की युगदुर्लभ सहिष्णुता का आधार उसका गहन चिन्तन तो था ही साथ ही

इन समन्वयवादी भावनाओं से ओतप्रोत संतो व विद्वानों का प्रभाव भी था।
संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विद्यालंकार, सत्यकेतु, **भारतीय संस्कृति का विकास**, पृष्ठ-14 सरस्वती सदन, नई दिल्ली तृतीय संस्करण-1994
2. खुराना, डॉ. के.एल., **मध्यकालीन भारतीय संस्कृति**, पृष्ठ-72 लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा-3 तृतीय संस्करण-1994
3. श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल, **मध्यकालीन भारतीय संस्कृति**, पृष्ठ 130 शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा चतुर्थ संस्करण-1998
4. दिनकर, रामधारी सिंह, **संस्कृति के चार अध्याय** पृष्ठ-72 लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सप्तम संस्करण-1998
5. खुराना, डॉ. के.एल., **मध्यकालीन भारतीय संस्कृति**, पृष्ठ-72 लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा-3 तृतीय संस्करण-1994
6. शर्मा, डॉ. वैकट, **भक्ति काव्य का अन्तर्दर्शन** पृष्ठ 2/99 पल्लव प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण-1986
